चतुर्दश माला, खंड 26, अंक 13

बुधवार, 14 मार्च, 2007
23 फाल्गुन, 1928 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)



Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No.....62.....
Dated.....19 July 2001

(खंड 26 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ट
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 26, दसवां सत्र, 2007/1928 (शक)]

अंक 13, बुधवार, 14 मार्च, 2007/23 फाल्गुन, 1928 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न सं. 223, 225, 226, 229 से 232	1–37
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न सं. 221, 222, 224, 227, 228, 233 से 240	38–87
अतारांकित प्रश्न सं. 2050 से 2267 और 2269 से 2279	87–503
सभा पटल पर रखे गए पत्र	503–513
राष्ट्रपति का संदेश	513–514
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
गत सप्ताह के दौरान किये गए कार्य	514–515
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	
छब्बीसवां प्रतिवेदन	515
सदस्यों द्वारा निवेदन	
महाराष्ट्र नव-निर्माण मोर्चा के संयोजक द्वारा देश के किसी विशेष राज्य से संबंधित लोगों के विरुद्ध की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बारे में	522–526
नियम 377 के अधीन मामले	530–539
(एक) विद्युत उत्पादन के लिए कन्सनट्रेटेड सोलर पावर (सीएसपी) प्रौद्योगिकी की स्थापना के लिए पहल किए जाने की आवश्यकता	
श्री एन.एस.वी. चित्तन	530–531
(दो) ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून से गुजरात में स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता	
श्री जीवाभाई ए. पटेल	531–532

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(तीन) मध्य प्रदेश के सागर में बीड़ी कर्मकारों के लिए नव निर्मित अस्पताल में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री वीरेन्द्र कुमार	532
(चार) गुजरात के बड़ोदरा और सूरत के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 का पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री काशीराम राणा	532–533
(पांच) 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर वीर सावरकर और मदन लाल ढींगरा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती सुमित्रा महाजन	533–534
(छह) गुजरात के दहेज में पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रो-रसायन निवेश क्षेत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री पी.एस. गढ़वी	534–535
(सात) मध्य प्रदेश में और देश के अन्य भागों में विद्युत उत्पादन के लिए नई इकाईयां स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
डा. सत्यनारायण जटिया	535
(आठ) केरल में अलप्पुझा जिले को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता	
डा. के.एस. मनोज	535–536
(नौ) दक्षिण एशियाई देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर पूर्व में अगरतला से सबरूम तक विद्यमान रेल लाइन का विस्तार किए जाने की आवश्यकता	
श्री खगेन दास	536
(दस) केन्द्रीय विद्यालयों के सहायक अधीक्षक, मुख्य लिपिक, सहायक और लेखा सहायकों को संशोधित वेतनमान दिए जाने की आवश्यकता	
श्री शैलेन्द्र कुमार	536–537
(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के खीरी में कृषि फसलों को जानवरों द्वारा पहुंचाए जाने वाले नुकसान से बचाने के लिए दुधवा राष्ट्रीय पार्क और उससे जुड़े गांवों के चारों ओर बिजली की बाड़ लगाए जाने की आवश्यकता	
श्री रवि प्रकाश वर्मा	537
(बारह) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
श्री राम कृपाल यादव	537
(तेरह) झारखंड के हजारीबाग-कोडरमा, हजारीबाग-रांची और कोडरमा-गिरिडीह रेल खंडों के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
श्री भुवनेश्वर महतो	538

विषय	कॉलम
(चौदह) पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पखनाहा (बिहार) को पीपराघाट (उत्तर प्रदेश) से जोड़ने के लिए गंडक नदी पर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री कैलाश बैठा	538–539
(पन्द्रह) असम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बैकलॉग पदों को भरे जाने की आवश्यकता	
श्री सर्वानन्द सोनोवाल	539
सामान्य बजट, 2007-2008–सामान्य चर्चा	
लेखानुदानों की मांगें (सामान्य)–2007-2008 और अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)–2006-2007	539–741, 744–815
श्री लक्ष्मण सिंह	540–543
सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड	543–545
श्रीमती राधिका वी. सेलवी	545–547
श्री किशन सिंह सांगवान	547–551
श्री मुन्नी राम	551–554
श्रीमती सुशीला केरकेटा	554–557
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	558–563
डा. सिबैस्टियन पाल	563
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई	564–566
श्री एस. मल्लिकार्जुनैया	566–569
श्रीमती के. रानी	569–570
श्री किन्जरपु येरननायडु	571–575
श्रीमती सी.एस. सुजाता	575–577
श्री वीरेन्द्र कुमार	577–580
श्री आर.एल. जालप्पा	580–582
श्री गुरुदास दासगुप्त	583–592
श्री शंखलाल माझी	593–594
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव	594–598
श्री सनत कुमार मंडल	598–601
श्री लोनाप्पन नम्बाडन	601–602
श्री टी.के. हमजा	602–603

विषय

कॉलम

श्री शरनजीत सिंह ढिल्लों 604–606

श्री बाबूराव मिडियम 606–608

प्रो. बसुदेव बर्मन 608–611

श्री जय प्रकाश (हिसार) 611–614

श्री तापिर गाव 615–618

प्रो. एम. रामदास 618–623

श्री के. फ्रांसिस जार्ज 623–626

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी 626–628

श्री अविनाश राय खन्ना 628–634

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा 634–639

डा. वल्लभभाई कथीरिया 639–648

श्री महावीर भगोरा 648–650

श्री बापू हरी चौरे 650–652

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा 652–658

श्री हंसराज गं. अहीर 659–663

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार 663–666

डा. टोकचोम मैन्या 666–672

श्रीमती पी. सतीदेवी 672–674

श्री कीरेन रिजीजू 674–677

श्री भर्तृहरि महताब 677–686

श्री नवीन जिन्दल 686–690

श्री बालासाहिब विखे पाटील 692–706

श्रीमती नीता पटैरिया 706–709

चौधरी लाल सिंह 709–714

श्री मंजुनाथ कुन्नुर 715–724

श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी 724–726

श्री पन्नियन रवीन्द्रन 726–727

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी 727–732

श्री राम कृपाल यादव 733–738

श्री सरताज सिंह 738–739

श्री डब्ल्यू वांग्यू कोन्यक 740–741

विषय		कॉलम
	श्रीमती प्रतिभा सिंह	744–746
	डा. अरविन्द शर्मा	746–748
	श्री हरिकेवल प्रसाद	748–751
	श्री गणेश सिंह	751–758
	श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	758–760
	श्री ललित मोहन शुक्ल वैद्य	761–764
	श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई	764–766
	श्री सर्बानन्द सोनोवाल	766–768
	श्री के.वी. तंगबालु	768–772
	श्री जी. करुणाकर रेड्डी	772–782
	श्री पी.सी. थामस	783–784
	श्री ए. साई प्रताप	784–790
	श्री सुरेश अंगड़ि	790–796
	डा. के.एस. मनोज	796–799
	श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा	799–803
	श्री टेक लाल महतो	804–805
	श्री कृष्णा मुरारी मोघे	805–809
	श्री श्रीपाद येसो नाईक	809–813
	श्री रामदास आठवले	813–815
	श्री जी.एम. सिद्दीश्वर	815
कार्य मंत्रणा समिति		
	पैंतीसवां प्रतिवेदन	742
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
	पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में 4.3.2007 को फायरिंग की घटना	742–744
	श्री शिवराज वि. पाटील	742–743
अनुबंध-I		
	तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	825
	अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	826–834
अनुबंध-II		
	तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	835–836
	अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	835–836

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष
श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष
श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका
श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव
श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

बुधवार, 14 मार्च, 2007/23 फाल्गुन, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 221, श्री मनोरंजन भक्त-उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 222, श्री रायापति सांबासिवा राव-उपस्थित नहीं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

बी.एस.एन.एल. द्वारा विज्ञापनों पर खर्च

*223. **श्री संजय धोत्रे:**
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विज्ञापनों पर वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ख) इस मद में महाराष्ट्र में कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ग) उन संस्थानों/प्रतिष्ठानों/मीडिया/प्रेस की सूची का ब्यौरा क्या है जिन्हें विज्ञापन दिए गए; और

(घ) प्रत्येक मामले में विज्ञापनों पर कितनी धनराशि का भुगतान किया गया?

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बीएसएनएल द्वारा विज्ञापन पर खर्च की गई कुल राशि का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07 (फरवरी 2007 तक)
विज्ञापन पर खर्च की गई राशि	46.77	92.90	122.85

(ख) इस संबंध में केवल महाराष्ट्र में खर्च की गई राशि निम्नानुसार है:-

	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07 (फरवरी 2007 तक)
विज्ञापन पर खर्च की गई राशि	2.15	5.02	14.54

(ग) और (घ) जिन संस्थानों/स्थापनाओं/मीडिया/प्रेस को विज्ञापन दिए गए उनकी सूची और प्रत्येक को भुगतान की गई राशि का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल द्वारा जिन संस्थानों/स्थापनाओं मीडिया/प्रेस को विज्ञापन दिए गए उनकी सूची तथा प्रत्येक को भुगतान की गई राशि का ब्यौरा

	2004-05	2005-06	2006-07 (फरवरी '07 तक)
	1	2	3
समाचार-पत्र	27,135	78,732	2,39,987
ऐक्य, सतारा	3,53,498	10,25,670	31,26,387

	1	2	3
दैनिक भास्कर, नागपुर	76,602	2,22,261	6,77,483
देशदूत, सभी संस्करण	1,77,759	5,15,765	15,72,126
देशोन्नति, सभी संस्करण	8,48,395	24,61,608	75,03,328
डीएनए, मुम्बई	45,551	1,32,165	4,02,857
फ्री प्रेस जर्नल, मुम्बई	46,190	1,34,021	4,08,515
गांवकारी, नासिक	5,38,663	15,62,926	47,64,018
हिन्दुस्तान टाइम्स	4,59,906	13,34,413	40,67,479
हितवाद, नागपुर	20,19,987	58,60,971	1,78,65,067
आईई+एलएस के महाराष्ट्र में सभी संस्करण	54,326	1,57,628	4,80,471
केसरी, पुणे तथा सांगली	29,38,408	85,25,759	2,59,87,718
लोकमत, सभी संस्करण	13,06,258	37,90,095	1,15,52,743
महाराष्ट्र टाइम्स, मुंबई	4,91,530	14,26,170	43,47,166
मिड डे, मुंबई	89,553	2,59,836	7,92,018
नवाकाल, मुंबई	4,30,931	12,50,341	38,11,214
नवभारत, मुम्बई तथा नागपुर	2,01,999	5,86,097	17,86,507
नवहिन्द टाइम्स, गोवा	1,51,499	4,39,573	13,39,880
ओ हेरल्ड, गोवा.	4,03,997	11,72,194	35,73,013
पुधारी, सभी संस्करण	3,98,184	11,55,328	35,21,602
पुण्यनगरी, सभी संस्करण	81,203	2,35,611	7,18,176
रत्नागिरि टाइम्स, रतनगिरी	61,565	1,78,629	5,44,488
सामना, मुम्बई	16,76,589	48,64,606	1,48,28,006
सकल, सभी संस्करण	1,48,413	4,30,619	13,12,586
संध्यानंद तथा आज का आनंद, पुणे	21,793	63,233	1,92,744
सर्वमत, श्री रामपुर	1,51,499	4,39,573	13,39,880
तरूण भारत, गोवा	9,56,127	27,74,193	84,56,132
टाइम्स आफ इंडिया, पुणे	70,22,485	78,82,253	1,89,01,311
आउटडोर मीडिया			
इलैक्ट्रानिक मीडिया			
	शून्य	3,96,610	8,89,767
रेडियो मिर्ची, पुणे	2,73,671	8,12,801	4,30,097
स्थानीय केबल टीवी			
जोड़	2,14,53,717	5,01,69,681	14,54,32,766

[हिन्दी]

श्री संजय धोत्रे: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बीएसएनएल द्वारा जो विज्ञापन दिए जाते हैं, क्या उसके लिए इन्होंने कुछ क्राइटीरिया रखा है?

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन: विज्ञापन देने की स्वतंत्रता बोर्ड, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं सर्कल सीजीएम को दी गई है। सर्कल सीजीएम उस समय की बाजार दशाओं के अंतर्गत वह सब करने के लिए स्वतंत्र हैं जो वह सही समझते हैं।

[हिन्दी]

श्री संजय धोत्रे: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यहां जो जवाब दिया है, उसमें कई जगह ऐसा दिखता है कि कुछ अखबारों को ज्यादा विज्ञापन दिये जाते हैं, जबकि उनका सर्कुलेशन कम है और जिनका सर्कुलेशन ज्यादा है, उनको कम विज्ञापन दिये जाते हैं। क्या इस पर नियंत्रण रखने के लिए कोई तरीका है या जो सर्कल के सीजीएम होते हैं, उनकी मर्जी होती है कि वे जिसे चाहे विज्ञापन दें?

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन: महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, यह पूर्णतया सर्कल सीजीएम के विवेक पर निर्भर है। वे उन मानदण्डों का भी पालन करते हैं जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अधिकांशत: वे उन समाचार-पत्रों में विज्ञापन देने को तरजीह देते हैं जिनका प्रसारण और क्षेत्र व्यापक है। यह स्थानीय सीजीएम के विवेकाधीन है।

अध्यक्ष महोदय: विवेक का उपयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है। माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि ऐसे विज्ञापन अत्यधिक सीमित प्रसार एवं संख्या वाले अखबारों को दिए जा रहे हैं।

श्री दयानिधि मारन: महोदय, हमने माननीय सदस्य के अनुरोध के अनुसार उन अखबारों का विवरण दिया है, जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान विज्ञापन दिए गए हैं तथा राशि का भी उल्लेख किया है। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष मामले के बारे में बताना चाहते हैं तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इसे मेरी जानकारी में लाएं जिससे कि मैं उनसे पूछ सकूं कि यह कैसे हुआ।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली: अध्यक्ष महोदय, जहां तक महाराष्ट्र की बात है, प्रश्न के उत्तर में विज्ञापनों पर जो खर्चा बताया गया है, उसमें महाराष्ट्र का खर्च 14 करोड़ रुपये बताया गया है। लेकिन 14 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी, जो बीएसएनएल के कनैक्शन्स दिये गये हैं, उनकी डिमांड दिन पर दिन कम होती जा रही है। क्या इसमें बढ़ोत्तरी के लिए मंत्रालय कुछ खास कोशिश करने जा रहा है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या यह विज्ञापन के बारे में है।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली: महोदय, विज्ञापनों पर इतने रुपये खर्च होने के बाद भी कनैक्शन्स की डिमांड में कमी आ रही है और ज्यादा लोग प्राइवेट आपरेटर्स की तरफ जा रहे हैं। इतना खर्च करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। उसकी बढ़ोत्तरी के लिए मंत्री जी क्या कर रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन: महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। वस्तुत:, मैं भी यही प्रश्न दूसरे रूप में पूछता आ रहा हूं। यदि आप देखेंगे तो बीएसएनएल का कारोबार 40,176 करोड़ रु. है।

विज्ञापन पर केवल 122 करोड़ रु. व्यय होता है। यह उनके कारोबार का केवल 0.3 प्रतिशत है। यदि आप इसकी तुलना अन्य कंपनियों से लेंगे तो पता चलेगा कि वे इस काम पर अपने कारोबार का एक से दो प्रतिशत व्यय करते हैं। हम केवल 0.3 प्रतिशत व्यय कर रहे हैं जो कि अल्प राशि है। यह कहना सही नहीं है कि बीएसएनएल फोन की रेंज में कमी हो रही है, क्योंकि मूलत: हमारी मांग अत्यन्त विचित्र है। हमारा 'सेल वन बीएसएनएल' मोबाईल फोन बहुत अच्छा काम कर रहा है। संभवत:, लैंडलाइन फोन लौटाए जा रहे हैं। उसका कारण यह है कि लोग मोबाईल फोन को वरीयता दे रहे हैं। इसी कारण से लैंडलाइन लौटा रहे हैं।

श्री अबू अयीश मंडल: क्या यह सत्य है कि इतने बड़े स्तर पर विज्ञापन देकर भारत संचार निगम लिमिटेड राष्ट्रीय राजधानी में भीड़ कम करने हेतु एनसीआर में आधुनिक दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने हेतु विशेष ध्यान दे रहा है।

अध्यक्ष महोदय: मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

श्री दयानिधि मारन: जी हां, इसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। मूलत: एनसीआर क्षेत्र में एमटीएनएल और बीएसएनएल दोनों ही प्रकार के फोन हैं। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि और अधिक आधुनिक सुविधाएं न केवल एनसीआर क्षेत्र में बल्कि देश के प्रत्येक भाग में दी जाएं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय संचार मंत्री से पूछना चाहूंगा कि किसी भी विभाग द्वारा जो विज्ञापन दिये जाते हैं, वे इसलिए दिये जाते हैं ताकि लोग उसकी तरफ आकर्षित हों और उसकी डिमांड बढ़े। जैसा यहां सम्मानित सदस्यों ने पूछा कि बीएसएनएल के विज्ञापनों पर जो पैसा खर्च हो रहा है, उसके बावजूद डिमांड की बढ़ोत्तरी न होकर उसमें कोई कमी आ रही है। खासकर यह देखा गया है कि चाहे बीएसएनएल के लैंडलाइन टेलीफोन हों या मोबाइल फोन हों, उनकी नैटवर्क सर्विस इतनी खराब है, जिसकी वजह से डिमांड कम हो रही है। इसके लिए क्या कोई कदम आप उठाएंगे, और खर्च में कमी करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम लोग को पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए। कम से कम मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीएसएनएल फोन की बहुत अधिक मांग है।

श्री दयानिधि मारन: वस्तुत:, यह सत्य नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बीएसएनएल फोन की बहुत अधिक मांग है। अभी हम उसका विस्तार कर रहे हैं। जब-जब हम क्षमता का विस्तार करते हैं, उस क्षमता का पूरा उपयोग हो जाता है।

जहां तक लैंडलाइन का संबंध है, यह एक मिथक है कि मांग नहीं होने के कारण लैंडलाइन को लौटाया जा रहा है। हमें अत्यधिक व्यावहारिक होना चाहिए। सेलफोन की दरें अत्यधिक सस्ती है। आज हमारी दरें विश्व में सबसे सस्ती है जहां दर एक रुपया प्रति मिनट है। होता यह है कि पति के पास एक फोन है; पत्नी के पास फोन है और बच्चों के पास भी फोन है। वे यह महसूस करते हैं कि लैंडलाइन के संबंध में मासिक किराया तुलनात्मक रूप से अधिक है तथा लैंडलाइन रखने और उस पर अतिरिक्त किराया देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी कारण से लैंडलाइन की मांग में गिरावट हो रही है।

अध्यक्ष महोदय: "सही नहीं" शब्द के स्थान पर "गलत" शब्द लिखें।

प्रश्न संख्या 224-श्री अब्दुल रशीद शाहीन-उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 225 श्री जे.एम. आरून रशीद-उपस्थित नहीं।

श्री अवतार सिंह भडाना। कृपया प्रश्न संख्या बताएं।

[हिन्दी]

चीन द्वारा उपग्रह-रोधी परीक्षण

***225. श्री अवतार सिंह भडाना:**
श्री जे.एम. आरून रशीद:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने चीन द्वारा हाल ही में किए गए उपग्रह-रोधी परीक्षणों पर चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीन द्वारा किए गए प्रौद्योगिकीय परीक्षणों से देश के असैनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए खतरा पैदा हो गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस मामले पर चीन की सरकार के साथ बातचीत की है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(च) भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष के सैन्यीकरण को रोकने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कदम उठाए गए हैं तथा इन कदमों का क्या परिणाम निकला?

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

11 जनवरी, 2007 को चीन में बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग करते हुए ध्रुवीय कक्षा में अपने एक निष्क्रिय मौसम उपग्रह को नष्ट किया है। इस परीक्षण से पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे की मात्रा बढ़ गयी है। हालांकि अब तक किसी भारतीय उपग्रह को नुकसान होने का संकेत नहीं मिला है। चीन

के विदेश मंत्रालय ने बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के प्रति वचनबद्धता व्यक्त करते हुए 23 जनवरी, 2007 को इस परीक्षण की पुष्टि की।

2. 11-14 फरवरी, 2007 तक चीन के विदेश मंत्री श्री ली झाओजिंग की भारत यात्रा के दौरान भी इस विषय पर चर्चा हुई। चीनी पक्ष ने इस बात पर बल दिया कि चीन अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण के विरुद्ध है और उसका परीक्षण पूर्णत: प्रौद्योगिक और वैज्ञानिक महत्व का है और यह किसी देश के विरुद्ध नहीं है। इसके प्रत्युत्तर में अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण के प्रति भारत के सैद्धांतिक विरोध से उन्हें अवगत कराया गया और इस बात पर बल दिया कि बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय सर्वसम्मति कायम रखना आवश्यक है।

3. सरकार का मानना है कि ऐसे परीक्षणों को जारी रखने और बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती से इस सर्वसम्मति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आज बाह्य अंतरिक्ष की सुरक्षा और संरक्षा वैश्विक आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाह्य अंतरिक्ष का उपयोग पूर्णत: शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए करना और मानवता की एक साझी और शांतिपूर्ण धरोहर के रूप में इसकी रक्षा करना प्रत्येक राष्ट्र की जिम्मेदारी है। सरकार ने सभी देशों से बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के प्रयासों को तेज करने का आह्वान किया है। सरकार बाह्य अंतरिक्ष को हथियारों से मुक्त रखने के बहुपक्षीय प्रयासों में निरंतर भाग लेती रहेगी।

[हिन्दी]

श्री अवतार सिंह भड़ाना: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार ने हाल ही में चीन द्वारा किये गये उपग्रह-रोधी परीक्षणों पर चिन्ता व्यक्त की है? यदि हां, तो संबंधित ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदय, चीन द्वारा 11 जनवरी को यह परीक्षण किए जाने के बाद जब यह हमारी जानकारी में लाया गया था, तत्संबंधी प्रतिक्रिया सर्वप्रथम आस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमरीका से आई। इसके बाद, 23 जनवरी को चीन ने इसे स्वीकार किया। 4 फरवरी को 'बाह्य अंतरिक्ष का उपयोग' संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लेते हुए मैंने सरकार की ओर से अपना विचार रखा जो कि परंपरागत विचार है और वह यह है कि बाह्य अंतरिक्ष को हमेशा ही शस्त्रमुक्त रखा जाए। जेनेवा में नि:शस्त्रीकरण सम्मेलन कार्यरत है तथा कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके कारण अभी तक अधिक सक्रिय नहीं है-वस्तुत: 1985 से 1998 तक ऐसा ही रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय संगठन सक्रिय थे। वे बाह्य अंतरिक्ष के सशस्त्रीकरण को रोकने हेतु एक कानूनी ढांचा बनाने का प्रयास कर रहे थे।

वर्ष 1998 के बाद संयुक्त राज्य अमरीका ने यह विचार व्यक्त किया कि बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की कोई होड़ नहीं है और इसलिए पीएआरओएस का कार्य धीमा हो गया है। परन्तु, इस परीक्षण के बाद चीन के विदेश मंत्री ने 11 से 14 फरवरी को भारत के दौरे में हमसे चर्चा के दौरान यह आश्वासन दिया कि इसका उद्देश्य सशस्त्रीकरण नहीं बल्कि यह उनके वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय कौशल की जांच करने के लिए है तथा यह न तो केवल किसी देश के विरुद्ध है न ही सशस्त्रीकरण के लिए है। परन्तु तब भी हम यह महसूस करते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि बाह्य अंतरिक्ष सशस्त्रीकरण से मुक्त हो।

अध्यक्ष महोदय: श्री अवतार सिंह भड़ाना, क्या आपका कोई दूसरा अनुपूरक प्रश्न है?

श्री अवतार सिंह भड़ाना: जी नहीं, धन्यवाद।

श्री एन.एन. कृष्णदास: अध्यक्ष महोदय, यद्यपि संयुक्त राज्य अमरीका बाह्य अंतरिक्ष के सशस्त्रीकरण के मुद्दे के बारे में यह कह रहा है कि बाह्य अंतरिक्ष में कोई शस्त्र नहीं होना चाहिए, परन्तु प्रौद्योगिकी पर अपने एकाधिकार के कारण उसने अंतरिक्ष के ऐसे सभी भागों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है तथा वह अन्य देशों से यह कह रहा है कि बाह्य अंतरिक्ष का सशस्त्रीकरण न किया जाए। संयुक्त राज्य अमरीका का यह रूख है। इस मामले में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से क्या यह जान सकता हूं कि संयुक्त राज्य अमरीका के ऐसे रूख को देखते हुए भारत सरकार का क्या विचार है?

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदय, जहां तक तकनीकी विकास का संबंध है, प्रत्येक देश के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उन्नति करने का अधिकार है। जिनकी बेहतर प्रौद्योगिकी तक पहुंच है अथवा जिनके पास बेहतर प्रौद्योगिकी है, वे उसका प्रदर्शन करना चाहेंगे। हम भी अंतरिक्ष अनुसंधान के कार्य में लगे हैं परन्तु इसका मूल उद्देश्य सबको स्वीकार है तथा यह कोई नया नहीं है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि सर्वप्रथम 1957 में स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसके बाद 1958 में संयुक्त राष्ट्र में एक संकल्प पारित हुआ और तबसे ऐसी सहमति है कि बाह्य अंतरिक्ष का उपयोग पूरी मानव जाति के लिए किया जाएगा, यह सम्पूर्ण मानव जाति

का अधिकार क्षेत्र और उसकी संयुक्त विरासत होगी। इसके परिणामस्वरूप, उसके बाद से अनेक देशों ने उपग्रह छोड़े हैं तथा उन उपग्रहों से विकास के संबंध में अत्यधिक महत्वपूर्ण सूचना मिली है। इन उपग्रहों का उपयोग न केवल प्रौद्योगिकीय ज्ञान की प्राप्ति के सैद्धान्तिक उद्देश्य के लिए बल्कि योजना, नक्शा बनाने तथा विभिन्न प्रकार के आंकड़े रखने के लिए किया जाता है तथा इन उपग्रह का उपयोग इस उद्देश्य से किया जाना है। अत: मूल उद्देश्य यह है कि बाह्य अंतरिक्ष का सशस्त्रीकरण नहीं होना चाहिए तथा इसे सम्पूर्ण मानवता की विरासत बने रहना चाहिए तथा भारत इसके लिए कार्यरत है।

श्री अजय चक्रवर्ती: अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसे लगता है कि संयुक्त राज्य अमरीका के दबाव के कारण अन्तर्राष्ट्रीय मंच निष्क्रिय हो गया है। अत: इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत शांतिप्रिय विश्व का नेतृत्व करता है, क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ को रोकने तथा नि:शस्त्रीकरण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मंच को सक्रिय बनाने हेतु कोई पहल करेगी?

श्री प्रणब मुखर्जी: मैंने इसका उत्तर अपने मूल उत्तर में पहले ही दे दिया है। न केवल यह बल्कि इससे संबंधित अपने पहले उत्तर जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार से बड़ी संख्या में देश उपस्थित थे, मैंने चीनी एवं रूसी विदेश मंत्रियों के साथ अपने विचारों का आदान-प्रदान किया था।

अध्यक्ष महोदय: हां, आपने इसका उल्लेख किया है।

[हिन्दी]

अवैध पी.सी.ओ.

*226. **श्री हरिकेवल प्रसाद:**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकलांग तथा बेरोजगार व्यक्तियों को आवंटित एसटीडी-पीसीओ अवैध रूप से अन्य व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले सरकार के सामने आए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी जांच के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) जहां तक विकलांग और बेरोजगार व्यक्तियों को आबंटित पीसीओ अवैध रूप से अन्य व्यक्तियों द्वारा चलाए जाने का संबंध है, पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसा कोई मामला सरकार के सामने नहीं आया है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने हमारे प्रश्न के उत्तर में जो सदन को सूचना दी है, वह तथ्यों के विपरीत है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु सरकार ने पीसीओ के आवंटन में कोटा निर्धारित किया है।

लेकिन इसका गलत फायदा उठाते हुए दूसरे लोग विकलांगों के नाम पर पी.सी.ओ. आबंटित करा लेते हैं और इससे होने वाले लाभ का नाममात्र हिस्सा ही विकलांगों को मिलता है। इस बात की जानकारी टेलीफोन के लाइनमैन और विभाग के अधिकारियों को भी रहती है। ऐसा भी देखने में आया है कि कुछ माफिया लोगों ने विभाग की मिलीभगत से अनेक विकलांगों के नाम पर पी.सी.ओ. आबंटित करा लिए हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको भाषण नहीं देना है।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि विकलांगों के लिए आरक्षित कोटे के पी.सी.ओ. का कब्जा विकलांगों को मिले और इनका लाभ उन्हें मिलें, इसमें क्या लाइनमैन और विभागीय अधिकारियों की कोई भूमिका है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उनके पास जानकारी नहीं है। आप जानकारी प्रदान करें।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि इस सत्र तक विकलांगों को कुल कितने पी.सी.ओज आबंटित किए गए हैं?

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन: महोदय, हमें इस प्रकार की अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है।

अध्यक्ष महोदय: श्री हरिकेवल प्रसाद जी, यदि आपके पास कोई ब्यौरा है तो आप उन्हें दे दें।

श्री दयानिधि मारन: महोदय, माननीय सदस्य देश में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों (पीसीओ) की संख्या के बारे में जानना चाहते हैं। देश में पीसीआई की कुल संख्या 20,91,484 है और उनमें से 28,395 पीसीओ विकलांग व्यक्तियों को आवंटित किए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय: यदि आपके पास कोई जानकारी है तो उसे माननीय मंत्री को भेज दें।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी के विभाग में कोई विजिलेंस का प्रकोष्ठ है, जिससे वे इस प्रकार के प्रकरणों की जांच करा सकें। यदि है, तो क्या वे इस प्रकरण की जांच कराएंगे कि किस प्रकार से विकलांगों के नाम पर दूसरे लोग लाभ उठा रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप इस मामले की जांच कराएंगे?

श्री दयानिधि मारन: महोदय, इस समय स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। माननीय सदस्य कोटा प्रणाली के बारे में पूछ रहे हैं। कोई कोटा नहीं है। जब भी प्रतीक्षा सूची होती है, तो उसमें 50 प्रतिशत पीसीओ वरीयता के आधार पर विकलांग व्यक्तियों, अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के लोगों या इन श्रेणियों के ऐसे व्यक्तियों को दिये जाते है जो सैन्य सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए हों। इस समय हमने पूर्णरूपेण उदारीकरण कर दिया है। अब निजी क्षेत्र के आपरेटर भी बाजार में आ चुके हैं। कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है। पीसीओ की अब अधिक मांग नहीं है। बीएसएनएल स्वयं किसी को भी मांगें जाने पर पीसीओ प्रदान करता है। अब उन दिनों की तरह नहीं है जब किसी को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था और किसी विशेष व्यक्ति का सिफारिश पत्र लगाना पड़ता था। अब समय बदल गया है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या बेरोजगार और विकलांग युवकों को पीसीओ का आवंटन करने के संबंध में कोई नीतिगत परिवर्तन किया गया है। उन्होंने केवल यह कहा है कि समय बदल गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी भी ये गरीब लोग विशेषकर बेरोजगार और विकलांग व्यक्ति स्वरोजगार पाने के प्रयास में इसकी प्रत्याशा में हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या यही नीति आगे जारी रहेगी कि उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

श्री दयानिधि मारन: नीति अभी भी वही है लेकिन पीसीओ लेने वाला कोई नहीं है। हम ऐसी स्थिति में हैं। यही नीति आगे जारी रहेगी। लेकिन उनके लिए प्रतिभूति जमाराशि में निश्चित रूप से छूट प्राप्त है।

अध्यक्ष महोदय: हम सभी जानते हैं कि पीसीओ की मांग में कमी आ गई है। हर व्यक्ति के पास अपना टेलीफोन है।

श्री पी.सी. थामस: महोदय, यद्यपि यह एक उदारीकृत नीति है और यह भी एक तथ्य है कि अनेक दृष्टिहीन व्यक्तियों और अत्यंत गरीब विकलांग व्यक्तियों को संचार विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर पुनर्वास किया जा रहा है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को तहे दिल से सुझाव देना चाहूंगा और उनसे यह अनुरोध करना तथा पूछना चाहता हूं कि क्या विभाग सुनिश्चित करेगा कि कम से कम ऐसे पीसीओ के आवंटन में कोई बाधा न हो जिन्हें विकलांगों ...*(व्यवधान)* जी हां, शारीरिक रूप से विकलांग विशेषकर दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता है और यह कि शारीरिक रूप से विकलांग जिनकी अचानक मृत्यु हो जाती है के आश्रितों को भी वरीयता दी जाएगी।

श्री दयानिधि मारन: महोदय, जैसा कि नीति है, हम शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की यथासंभव सहायता करने को सदैव तत्पर रहते हैं।

श्री एस.के. खारवेनथन: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ मामलों में उन बेरोजगार युवकों ने जिन्हें एसटीडी पीसीओ का आवंटन किया गया है, नौकरी मिल जाने के बाद अपने परिवार के सदस्यों को वह एसटीडी पीसीओ चलाने दिया जा रहा है।

क्या इस तरह के आवंटन को रद्द करने का कोई प्रस्ताव है?

श्री दयानिधि मारन: हमें ऐसे मामलों के संबंध में कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यदि इस तरह की शिकायत हमारे ध्यान में लाई जाती है तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय: चौधरी लाल सिंह, क्या आपको कोई संगत प्रश्न पूछना है?

चौधरी लाल सिंह: क्या आपको कोई संदेह है?

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपसे यह प्रश्न इसलिए पूछा है क्योंकि इस प्रश्न पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है।

कभी-कभी थोड़ा परिहास होना चाहिए।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: हमारा तजुर्बा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें जो हैंडीकैप्ड का कोटा है, वह कितना फिक्स किया गया है। जब आप उनको एलाटमैंट करते हैं, तो 100 में से कितना फिक्स किया गया है कि हैंडीकैप्ड को इतने पी.सी.ओज और एस.टीडी. मिलने चाहिए?

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन: जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि इस तरह का कोई कोटा नहीं है लेकिन नीति यह है कि जब भी पीसीओ की प्रतीक्षा सूची होती है तो हम आवंटन में वरीयता देते हैं। प्रतीक्षा सूची होने पर ही यह लागू होती है। अब यह हर किसी के लिए है तथा यह मांगें जाने पर उपलब्ध है। यदि कोई प्रतीक्षा सूची है तो निश्चित रूप से इसका 50 प्रतिशत रक्षा और अर्ध सैन्य अधिष्ठापनों के सेवानिवृत्त कार्मिकों, युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों, अ.जा./अ.जा.जा., विकलांग व्यक्तियों या शारीरिक रूप से विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिकों को दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय: मेरे संदेह की पुष्टि को गई है।

श्री राम कृपाल यादव।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में यह कहा कि चूंकि बहुत आसानी से अब पी.सी.ओ. और बी.एस.एन.एल. का कनैक्शन मिल रहा है, और प्राइवेट सैक्टर में भी काफी बड़े पैमाने पर लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अधिकतर विकलांग और गरीब तबके के लोग ही इसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं तथा गांवों और अगल-बगल के सब-अर्बन इलाके में जाकर, पी.सी.ओ. खोलकर रोजगार उपलब्ध करते हैं, जीविका उपार्जन करते हैं। महोदय, यह बात भी सही है कि यद्यपि आसानी से अब मिल रहा है, तो भी अब इसका इस्तेमाल ज्यादा लोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि क्या उन विकलांग गरीब तबके के लोगों को, जिनका पी.सी.ओ. के माध्यम से जीविकोपार्जन हो रहा है, विशेष परिस्थिति में दरों में कुछ रियायत करके, उन्हें सुविधा देने की व्यवस्था करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे जानना चाहते हैं कि क्या आप कोई रियायत देना चाहते हैं।

श्री दयानिधि मारन: इस समय इसका प्रस्ताव नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम पहले से ही उन्हें प्रतिभूति जमाराशि में छूट दे रहे है। बल्कि आम आदमी से 1000 रुपए जमा कराये जाते हैं। उनसे शुरू में प्रतिभूति जमाराशि नहीं ली जाती है। स्पष्ट रूप से मैं पुरानी बातों को दोहरा रहा हूं कि समय बदल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के पास फोन है। सरकार की नीति दूरसंचार घनत्व को बढ़ाने की है और अधिकाधिक भारतीयों द्वारा फोन का इस्तेमाल करने हेतु उन्हें प्रेरित करता है और यह स्वाभाविक है कि जब अधिक से अधिक व्यक्तियों के पास फोन होगा तो सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों (पीसीओ) की मांग कम होगी।

अध्यक्ष महोदय: प्र.सं. 227-श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु—उपस्थित नहीं।

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़-उपस्थित नहीं।

हमें देश देख रहा है।

प्र.सं. 228 श्री अनिल बसु-उपस्थित नहीं।

प्र.सं. 229-श्री असादूद्दीन ओवेसी धन्यवाद आप हैदराबाद से आये हैं।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कैंसर के बढ़ते मामले

***229. श्री असादुद्दीन ओवेसी:**
श्री संतोष गंगवार:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में कतिपय प्रकार के कैंसर मामलों की संख्या देश के अन्य भागों की तुलना में अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कैंसर पीड़ित व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या देश में, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में, रेडियो-थेरेपी मशीनों की भारी कमी है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) कैंसर के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है तथा चालू वर्ष में इस क्षेत्र हेतु कुल कितना बजट आबंटित किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम से पता चलता है कि कुछ प्रकार के कैंसर अर्थात् ग्रासनली, फेफड़े, मुंह, नासनलिका (नेसो फेरिन्क्स), आमाशय के कैंसर, देश के अन्य भागों की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में रेडियोथेरापी मशीनों की कमी है।

चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए यह सुनिश्चित करना विभिन्न राज्य सरकारों का दायित्व है कि शुरू में ही कैंसर का पता लगाने, इसके निदान एवं उपचार की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हों। उपचार सुविधाएं मुहैया कराने के लिए केन्द्र सरकार, सरकारी मेडिकल कालेजों/अस्पतालों में क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों एवं रेडियोथेरापी यूनिटों की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में भी मदद कर रही है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कैंसर रोगियों को प्रभावी एवं किफायती उपचार प्रदान करने के लिए इस मंत्रालय ने तीन क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र अर्थात् डा. बी.बी. कैंसर संस्थान, गुवाहाटी, क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल, सिविल अस्पताल, मिजोरम को मान्यता प्रदान की है जो कैंसर रोगियों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए इन क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को पहले ही पर्याप्त सहायता अनुदान राशि प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की अन्य स्कीमों के तहत उपकरण की खरीद के लिए मेडिकल कालेजों/अस्पतालों को भी सहायता अनुदान प्रदान किया गया है। 'मौजूदा कैंसर केन्द्रों का उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में उन्नयन' नामक नई स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, गुवाहाटी को चुना गया है। नीतिगत निर्णय के रूप में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के कुल बजट का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है। पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की विभिन्न स्कीमों के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को कुल 26.23 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया है जिसमें क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों के लिए 8.80 करोड़ रुपए, अर्बुदविज्ञान विंग के विकास संबंधी स्कीम के तहत 16.99 करोड़ रुपए और जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 44 लाख रुपए का अनुदान शामिल है।

यह मंत्रालय राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की विभिन्न स्कीमों के तहत कैंसर का शुरू में ही पता लगाने तथा मीडिया के जरिए रोगों के बारे में जन-साधारण के बीच जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है।

श्री असादुद्दीन ओवेसी: महोदय, गुवाहाटी, इम्फाल और मिजोरम में तीन क्षेत्रीय कैन्सर केन्द्रों (आर.सी.सी.) को अवसंरचना विकास हेतु अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। दिए गए उत्तर में मंत्री जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि देश के अन्य भागों की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र में कैंसर रोगियों की संख्या अधिक है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे इस योजना को सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश और शिलांग में एन.ई.आई.जी.आर.आई.एम. में भी लागू करेंगे?

डा. अंबुमणि रामदास: हमने क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र शुरू किए और ये केन्द्र उत्कृष्ट श्रेणी के हैं। हमने इन केन्द्रों की पहचान की है। यदि अस्पतालों में कुछ विस्तार पहले से ही कैन्सर रोगियों के लिए आबंटित है और यदि उनमें कुछ अवसंरचना, मशीनरी, उपस्कर अथवा जनशक्ति है तो हम अस्पतालों की पहचान करते हैं और हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें क्षेत्रीय कैन्सर केन्द्र बना देते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में तीन

क्षेत्रीय कैन्सर केन्द्र हैं। हम और अधिक सुविधाओं का उन्नयन करने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में, हम शिलांग में एक नया अस्पताल एन.ई.आई.जी.आर.आई.एम. बना रहे हैं जहां हम विशेष रूप से कैन्सर के उपचार हेतु एक सौ बिस्तरों वाला एक और अस्पताल बनाने जा रहे हैं उसे भी क्षेत्रीय कैन्सर केन्द्र बनाया जाएगा। इसलिए हम इस देश के सभी राज्यों में केन्द्रीय कैन्सर केन्द्र स्थापित करने जा रहे हैं। क्षेत्रीय कैन्सर केन्द्र बनाने के लिए कतिपय मानदण्डों को पूरा करना आवश्यक है।

हम सिक्किम, नागालैंड और मणिपुर राज्यों में इनका दर्जा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा अंतिम लक्ष्य इन राज्यों में एक-एक क्षेत्रीय कैन्सर केन्द्र खोलने का है। उससे पहले हम मौजूदा अस्पतालों मे बुनियादी सुविधाएं स्थापित करने और उसके बाद उन्हें क्षेत्रीय कैन्सर केन्द्र का दर्जा देने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री असादूद्दीन ओवेसी: महोदय, मेरे प्रश्न के भाग-'ख' जो इस प्रकार के मामलों से प्रभावित व्यक्तियों की राज्यवार संख्या से संबंधित है, का उत्तर नहीं दिया गया। महोदय, मंत्री जी वह जानकारी दे सकते हैं। 26.23 करोड़ रुपये जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों को दिए हैं का राज्यवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

डा. अंबुमणि रामदास: जहां तक मामलों की संख्या का संबंध है, मैं राज्य सरकारों से और अधिक जानकारी प्राप्त करके माननीय सदस्य को दे सकता हूं।

आवंटनों का राज्यवार विवरण मैं अभी दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप सभी राज्यों का विवरण चाहते हैं।

श्री असादूद्दीन ओवेसी: पूर्वोत्तर राज्यों का।

डा. अंबुमणि रामदास: यह इस प्रकार हैं:-

2004-05: अर्बुद विज्ञान (ओनकोलाजी) स्कन्ध के विकास हेतु-सिविल अस्पताल, अगरतला-1.6 करोड़ रुपये, डा. बी.बी. कैन्सर इंस्टीट्यूट, गुवाहाटी-3 करोड़ रुपये; सिविल अस्पताल नागालैण्ड-2.21 करोड़ रुपये; सिविल अस्पताल शिलांग-3 करोड़ रुपये; रीजनल कैन्सर सेन्टर-अर्बुद विज्ञान स्कन्ध के विकास हेतु-डा. बी.बी. कैन्सर इंस्टीट्यूट, गुवाहाटी-2.84 करोड़ रुपये।

2005-06: सिल्चर मेडिकल कालेज, असम-2 करोड़ रुपये; रीजनल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसिज, इम्फाल और तत्कालीन क्षेत्रीय कैन्सर केन्द्र-डा. बी.बी. कैन्सर इंस्टीट्यूट, गुवाहाटी-0.16 करोड़ रुपये; रीजनल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसिज, इम्फाल-5 करोड़ रुपये; क्षेत्रीय कैन्सर केन्द्र, मिजोरम-0.8 करोड़ रुपये।

2006-07: असम मेडिकल कालेज, असम-21.8 करोड़ रुपये; जिला कैन्सर नियंत्रण कार्यक्रम: क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र मिजोरम-0.44 करोड़ रुपये।

मैं और अधिक जानकारी लेकर माननीय सदस्य को दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री सन्तोष गंगवार-अनुपस्थित।

अब, श्री अनवर हुसैन।

श्री अनवर हुसैन: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कौन से मौजूदा क्षेत्रीय कैन्सर केन्द्रों को उत्कृष्ट केन्द्रों का दर्जा देने का प्रस्ताव है; उत्कृष्ट केन्द्रों में कौन सी विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी; कितनी अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी; और कितनी राशि पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, हम क्षेत्रीय कैन्सर केन्द्र, गुवाहाटी असम में एक उत्कृष्ट केन्द्र की स्थापना करने जा रहे हैं। हमारे पहले वाले कार्यक्रम में हमने इस केन्द्र को उत्कृष्टता प्राप्त केन्द्र बनाने के लिए 30 करोड़ रुपये इस केन्द्र पर खर्च करने की योजना का प्रस्ताव किया है। लेकिन निधियों के अभाव में यह ग्यारहवीं योजना में चली जाएगी। यही नहीं, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, एन.ई.आई.जी.आर.आई.एम.एस., शिलांग जो विशेष रूप से 100 बिस्तरों वाला कैन्सर अस्पताल है, को भी क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र और उत्कृष्टता प्राप्त केन्द्र बनाया जाएगा।

पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य में एक क्षेत्रीय कैन्सर केन्द्र स्थापित करना हमारी भावी प्राथमिकता है।

डा. अरुण कुमार शर्मा: अध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में कैन्सर चिकित्सा की सुविधाओं का दर्जा बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा उठा गए अनेक कदमों के बावजूद अभी भी बड़ी संख्या में रोगी विशेषीकृत चिकित्सा और रोग निदान के लिए देश के अन्य राज्यों में जा रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय ने और अधिक दर्जा बढ़ाने की आवश्यकता के संबंध में कोई आकलन किया है क्योंकि अभी तक जो कुछ भी किया गया है उससे अच्छे परिणाम मिले हैं। डा. बी.बी. कैन्सर इंस्टीट्यूट गुवाहाटी, क्षेत्र का सबसे पुराना कैन्सर इंस्टीट्यूट है। मैं यह जानना

चाहता हूं कि क्या इसका दर्जा बढ़ाकर इसे उत्कृष्टता प्राप्त केन्द्र बनाया जा रहा है। क्या जहां तक कैन्सर चिकित्सा सुविधाओं का संबंध है असम सरकार से प्राप्त कोई प्रस्ताव लंबित है?

अध्यक्ष महोदय: रोग के कारण मैं इतने सारे अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे रहा हूं।

डा. अंबुमणि रामदास: हम यह चाहते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र का कोई भी रोगी चिकित्सा के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र से बाहर न जाए। सरकार का यही उद्देश्य है। इसके लिए ही हम मौजूदा क्षेत्रीय कैन्सर केन्द्र का दर्जा बढ़ाने और नए क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र ही नहीं, हमारे पास एक आनकोलाजी स्कीम भी है जिसके द्वारा हम सभी सरकारी अस्पतालों के कैंसर ब्लाक्स का भी दर्जा बढ़ा रहे हैं। हम उनका दर्जा बढ़ाने के लिए, संसाधन जुटाने हेतु उन्हें उपस्कर देने और बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिए दो से तीन करोड़ रुपये दे रहे हैं।

इसके अलावा, हम पूर्वोत्तर क्षेत्र में जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रहे हैं जहां पर हम शुरूआत में ही रोग का पता लगाने के लिए शिविर लगा रहे हैं। वे जागरूकता शिविर हैं। उसमें एक दिन में 100 रोगियों को देखने के लिए शिविर चलाने हेतु गैर-सरकारी संगठनों को भी शामिल किया जाता है। रोगियों के स्वास्थ्य की जांच कर लेने और यह देखने के बाद कि क्या उन्हें कोई समस्या तो नहीं है, वे उनको नजदीकी क्षेत्रीय कैन्सर केन्द्र में भेज सकते हैं।

हम उसका दर्जा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन मैं उस इंस्टीट्यूट का नाम जानना चाहता हूं जिसके बारे में उन्होंने कहा है।

डा. अरुण कुमार शर्मा: यह डा. भुवनेश्वर बरुवा कैन्सर इंस्टीट्यूट है जो कि सबसे पुराना संस्थान है। यह गुवाहाटी में है।

डा. अंबुमणि रामदास: मैं इसकी जांच करूंगा और उन्हें अवगत कराऊंगा।

अध्यक्ष महोदय: वे आपसे जानकारी ले लेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के उत्तर में जो कुछ बताया गया है, हमारे नार्दर्न बिहार में कोसी नदी में काफी ज्यादा आर्सेनिक तथा दूसरे ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जिनके कारण वहां लाखों की आबादी कैंसर की बीमारी से पीड़ित है, क्या आपको इसकी जानकारी है? क्या आगे सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव है कि उस नदी में पाए जाने वाले तत्वों का निरीक्षण करवाकर, उसका कोई इलाज करवाए? वहां छोटे-छोटे जिले, कस्बे तथा पूरा एरिया कैंसर से बहुत ज्यादा अफैक्टेड है। वहां छोटे-छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में जो अस्पताल हैं, क्या आप उनमें इसके शुरुआती टैस्ट्स की कोई व्यवस्था करवाने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जी, बिहार पूर्वोत्तर में है?

डा. अंबुमणि रामदास: जी हां, हम सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और पडोसी क्षेत्रों में भी आर्सेनिक की समस्या से अवगत है। यह एक व्यापक समस्या है। यह मात्र एक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या नहीं है बल्कि पेयजल और सामाजिक समस्या भी है जिसे हम संबंधित राज्य सरकारों की सहायता से सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की सहायता से आर्सेनिक से फैलने वाले जहर की इस समस्या के लिए अनेक अनुसंधान किए गए है। हम राज्य सरकारों को आवश्यक कदम उठाने का परामर्श दे रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय के माध्यम से भी हम इस समस्या का हल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

श्री हितेन बर्मन: महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक कूच बिहार रीजनल कैंसर सेंटर है। जहां कूचबिहार और निकटवर्ती भूटान तथा असम से भी भारी संख्या में रोगी आकर उपचार करा रहे हैं। मैं मंत्री जी से इस कूचबिहार रीजनल कैंसर सेंटर का विकास करने का अनुरोध करूंगा इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस केन्द्र को कोई वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

अध्यक्ष महोदय: हम मूल मुद्दे से भटक रहे हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: हमारी नीति प्रत्येक राज्य में एक आरसीसी स्थापित करने की है और अधिक जनसंख्या वाले कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश में दो आरसीसी स्थापित करने की है। यदि आवश्यक हुआ तो हम जरूरत और जनसंख्या के अनुसार अधिक आरसीसी स्थापित कर सकते हैं। हम इस मामले पर विचार करेंगे। आरसीसी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ बुनियादी मानदंड है। यदि मानदंड पूरे हो रहे हों तब इस पर विचार किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: अब श्रीमती भवानी राजेन्तीरन की बारी है। इस प्रश्न के लिए तमिलनाडु भी पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित है।

श्रीमती एस.एस.के. भवानी राजेन्तीरन: मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त करती हूं। इस मामले का पूर्वोत्तर क्षेत्र से कुछ लेना देना नहीं है बल्कि यह एक सामान्य प्रश्न है। हम संसद सदस्य हृदय रोगियों, गुर्दा रोगियों और कैंसर रोगियों की

अपने माननीय प्रधान मंत्री कोष से सिफारिश करते है। वे कुछ रोगियों का चयन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, इस मुख्य प्रश्न से यह बिल्कुल संबंधित नहीं है।

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन: महोदय, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

एडवोकेट सुरेश कुरूप: महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आप एक पृथक प्रश्न पूछें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप थोड़ा शान्त हो जाइए।

...(व्यवधान)

श्री कीरेन रिजीजू: अध्यक्ष महोदय, नार्थ-ईस्ट में कैंसर के इंसीडैंटस में काफी बढ़ोत्तरी दिखाई दे रही है।

[अनुवाद]

क्या सरकार ने ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में रह रहे लोगों की खान-पान आदतों के बारे में कोई अध्ययन कराया है। इसी कारणवश ऐसा देश के अन्य भागों की अपेक्षा यहां अधिक हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय: क्या ऐसा खान-पान संबंधी आदतों के कारण है।

डा. अंबुमणि रामदास: ऐसा खान-पान संबंधी आदतों और तंबाकू चबाने के कारण हो रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह एक कारक है जिससे कैंसर वहां फैल रहा है। माननीय सदस्य भी कह रहे हैं कि हां यह सच है कि इसके कारण कैंसर वहां अधिक फैल रहा है। वास्तव में इस समस्या ने एक विकराल रूप धारण कर लिया है। वस्तुत: हेपेटाइटिस बी और सी जैसे दूसरे मामले हैं जो यकृत कैंसर का प्रमुख कारण है।

अब हमारे पास हेपेटाइटिस बी हेतु बच्चों के लिए टीका लगाने हेतु प्रतिरक्षण का एक प्रायोगिक कार्यक्रम पहले से है।

लेकिन महोदय हमें इस समस्या की जानकारी है। हम पूर्वोत्तर में अधिक बुनियादी ढांचा स्थापित करने का यथासंभव प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं आशा करता हूं कि तंबाकू को खाद्य वस्तु के रूप में नहीं लिया जाता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित लंबित परियोजनाएं

***230. श्री रामदास आठवले:**
श्री फ्रांसिस फैन्थम:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं विभिन्न विभागों की आपत्तियों के कारण लंबित पड़ी हैं जैसा कि दिनांक 12 जनवरी, 2007 के ''नवभारत टाइम्स'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के कार्य में तेजी लाने के लिए विवादों का समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

[अनुवाद]

पंचायती राज, युवक कार्यक्रम और खेल तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 से संबंधित परियोजनाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों से मंजूरी लेने की प्रक्रिया एक निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है तथा उनके द्वारा उठाई गई आपत्तियां/स्पष्टीकरण पर संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उपयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है।

(ख) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 से संबंधित निम्न मुख्य खेल अवस्थापना परियोजनाएं हैं- दिल्ली विश्वविद्यालय सहित विभिन्न स्थानों पर कुछ छोटे स्थलों/प्रशिक्षण सुविधाओं के अलावा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा खेल गांव और दो इंडोर स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू परिसर, मेजर ध्यान चंद राष्ट्रीय स्टेडियम, इंदिरा गांधी परिसर, डा. कर्णी सिंह निशानेबाजी रेंज तथा एस.पी. मुखर्जी तरणताल परिसर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार/एनडीएमसी द्वारा त्यागराज खेल परिसर तथा तालकटोरा इंडोर स्टेडियम और

अखिल भारतीय लान टेनिस संघ द्वारा आर.के. खन्ना टेनिस परिसर का निर्माण/अपग्रेडेशन। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के पास बहुत से फ्लाईओवरों, पुलों तथा सड़कों/सड़कों को चौड़ा करने आदि के लिए प्रस्तावों से संबंधित परियोजनाएं हैं जो राष्ट्रमंडल खेलों तथा/अथवा शहर में नागरिक अवस्थापना के सामान्य अपग्रेडेशन के साथ-साथ परिवहन तथा संचार के लिए आवश्यकताओं से संबंधित हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, खेल गांव क्षेत्र से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम क्षेत्र तक लिंक रोड (टनल) तथा हवाई अड्डे से संपर्क में सुधार हेतु महिपालपुर व मसूदपुर में बाईपासों की परियोजनाएं शामिल हैं।

(ग) अपेक्षित मंजूर की गई परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने के लिए, खेलों से संबंधित परियोजनाओं के संबंध में मंजूर परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए, सभी संबंधित एजेंसियों/प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अधिकारिता समिति का गठन किया गया है, जो नियमित रूप से बैठकें कर रही है। दूसरी समिति दिल्ली शहरी कला आयोग (डी.यू.ए.सी.) से संबंधित मंजूर की गई परियोजनाओं के निपटान के लिए संयोजक के रूप में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के साथ स्थापित की गई है। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए खेलों से संबंधित सभी परियोजनाएं समय से पूरी कर ली जानी अपेक्षित हैं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2010 में दिल्ली में कामन वेल्थ गेम्स हो रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है। अभी वेस्टइंडीज में क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है। कल वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को हराया। *...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह क्या बात है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उस हिस्से को निकाल दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2010 में कामन वेल्थ गेम्स होने की वजह से दिल्ली विश्वविद्यालय और पूरी दिल्ली का डेवलपमैंट बहुत अच्छी तरह से करने का प्लान है। मेरा पहला प्रश्न है कि कामनवेल्थ गेम्स के लिए दिल्ली का डेवलपमैंट करने, नये स्टेडियम बनाने तथा पुराने स्टेडियम्स का रेनोवेशन आदि जो काम हो रहे हैं, इसमें कुल कितने करोड़ रुपये का काम हो रहा है और उसमें केन्द्र और दिल्ली सरकार का कितना-कितना खर्चा होने वाला है?

अध्यक्ष महोदय, क्या मैं अपना दूसरा प्रश्न पूछें?

अध्यक्ष महोदय: नहीं, अभी नहीं।

...(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर: अध्यक्ष महोदय, ईएफसी के जरिये और प्लानिंग कमीशन की अनुमति से कुल मिलाकर तकरीबन 3002 रुपये खर्च करने की अनुमति दी गयी है। *...(व्यवधान)* सारी, 3002 करोड़ रुपये खर्च करने की इजाजत दी गयी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि हरेक सदस्य ने ऐसा किया होगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मणि शंकर अय्यर: उसमें से दिल्ली-एनसीटी को सिविक इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 770 करोड़ रुपये खर्च करने की अनुमति दी गयी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कोई अन्य प्रश्न।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: मेरा दूसरा प्रश्न भी है। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अधिकारिता समिति का गठन कर दिया गया है और वर्ष 2010 में कामनवेल्थ गेम्स होने जा रहे हैं, इसलिए एक-डेढ़ साल पहले सारा काम पूरा हो जाना चाहिए। मेरा प्रश्न इतना ही है कि आप ये सारा काम कब तक पूरा करने जा रहे हैं? अगर आप जल्दी काम पूरा करेंगे, तभी हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि सारा काम सही समय पर पूरा किया जायेगा

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

और बहुत क्षमता के साथ हम कामनवेल्थ गेम्स को पूरा करेंगे।

[अनुवाद]

श्री फ्रांसिस फैन्थम: धन्यवाद महोदय। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आने वाले अतिथियों की संख्या के बारे में कोई अनुमान लगाया है और क्या इन खेलों के लिए अतिथियों हेतु पर्याप्त संख्या में आवास तैयार किए गए हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, इस स्थिति में भारत में बाहर से आने वाले तथा भारत से यहां आने वाले अतिथियों की बड़ी संख्या के बारे में अनुमान और राष्ट्रमंडल खेलों के बाद भी दिल्ली में उपलब्ध पर्यटक आवासों को बढ़ाने की आवश्यकता की दृष्टि से उचित आवास व्यवस्था की जा रही है, इस मामले की निरन्तर समीक्षा की जा रही है और मैं श्री फैन्थम आपको आश्वस्त करता हूं कि हम यहां आने वाले अतिथियों के लिए आवास व्यवस्था कर लेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष महोदय, माननीय शरद पवार जी यहां बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि कबड्डी गेम पवार जी और स्वर्गीय बुआ सालवी की वजह से कामनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में इन्कलूड हुआ। मैं मंत्री महोदय से विनती करना चाहता हूं कि इसी तरह खोखो एक इंडियन गेम है।

[अनुवाद]

यह सबसे तेज गेम है।

[हिन्दी]

मैं भी बहुत सी गेम्स खेल चुका हूं। खोखो बहुत फास्टेस्ट गेम है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अभी आप स्पेशल गेम खेल रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री मोहन रावले: क्या आप वर्ष 2010 के खेलों में खोखो गेम को इन्कलूड करेंगे?

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि यह फैसला करना मात्र हमारे हाथ में नहीं हैं। कामनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के साथ राय-मशविरा करके ही यह तय किया जाता है। जिन 17 डिसिप्लिन्स पर पूरे कामनवेल्थ, राष्ट्रमंडल की अनुमति हमें मिली है, उसमें खोखो शामिल नहीं है, लेकिन खोखो को प्रोत्साहन देने के लिए हम सारे कदम उठा रहे हैं। इस सिलसिले में आपकी तरफ से यदि कोई राय-मशविरा हो, तो मैं उसे भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। इसी तरह कबड्डी का भी आपने जिक्र किया, व भी राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल नहीं है, लेकिन तब भी कबड्डी को हम अपनी ओर से प्रोत्साहन देने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपके प्रश्न का पूरा जवाब मिल गया है।

श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर: महोदय, वर्ष 2010 में हमारे देश में जो कामनवेल्थ गेम्स होने जा रहे हैं, उसके लिए ईफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम और खासकर खिलाड़ियों के रहने के लिए जो विलेज बन रहा है, वह नेहरू स्टेडियम से कम से कम 15 किलोमीटर दूर है। मैं खिलाड़ी के रूप में कई बार बाहर गयी हूं, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है कि खिलाड़ियों के लिए विलेज स्टेडियम से 15 किलोमीटर दूर बना हो क्योंकि 15 किलोमीटर दूर से खिलाड़ी वहां आकर कैसे गेम्स में पार्टीसिपेट करेंगे, आने-जाने में ही उनकी काफी एनर्जी लग जाएगी। हमारे यहां नेहरू स्टेडियम के पास में प्रगति मैदान है। प्रगति मैदान में यह विलेज बनाना कामनवेल्थ गेम्स के लिए ज्यादा अच्छा होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह सुझाव है। यह उनका व्यक्तिगत अनुभव है।

[हिन्दी]

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, कामनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के साथ राय-मशवरा करके यह तय किया गया है कि अक्षरधाम मंदिर की बगल में, जिस स्थान पर अभी गेम्स विलेज बन रहा है, वहां गेम्स विलेज बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारे सामने अन्य जो विकल्प थे, उन पर भी बातचीत हुई थी। चूंकि अब हर जगह से अनुमति मिल गयी है कि गेम्स विलेज कहां बनाया जाए, उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जो प्रगति मैदान का आपने जिक्र किया है, उसके बारे में भी हमने सोचा था, लेकिन उसकी उपलब्धता के बारे में कुछ आशंकाएं थीं। इसलिए अब जबकि फैसला हो गया है, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी जो मशवरा दिया गया है, यदि कोई समस्या आती है, तो हम उस मशंवरे को मानेंगे।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: महोदय, कामनवेल्थ गेम्स तो हमने ले लिया है। सिडनी ओलम्पिक गेम्स के समय, मैं यहां स्पोर्ट्स मिनिस्टर था और लीडर आफ डेलीगेशन बन कर वहां गया था। जब हमें कोई मैडल मिलता है तो उस पर बहुत चर्चा होती है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर ज्यादा ध्यान दे रही है, ताकि हम अधिक मैडल जीत सकें। आज जिस राज्य में खेल होते हैं, वहां की परफार्मेंस पहले से अच्छी होती है। सरकार इस पर कितना ध्यान दे रही है?

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, अब हमने एक ऐसी तरीका शुरू किया है कि हम स्पोर्ट्स फेडरेशन्स के साथ बैठकर लम्बी चर्चा करके, अपने-अपने डिसिप्लिन्स में कैसे अपने खिलाड़ियों की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, इस पर विचार करते हैं और किसी फैसले पर पहुंचते हैं। हम वैज्ञानिक तरीके से इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और जिन-जिन खिलाड़ियों की जानकारी हमारे पास है, उनके बीच में, जितना भी हम उनको प्रोत्साहन दे सकते हैं, वह अवश्य देंगे। लेकिन अब तक हमारे देश में सबसे बड़ी कमी यह रही है कि हमारे बहुत से बच्चों और नौजवानों को कहीं भी किसी प्रकार से खेल खेलने की और उनके खेल के बारे में जानकारी लेने की सुविधा नहीं है। इसलिए हमारे मंत्रालय की तरफ से हम एक पंचायत युवा खेल अभियान की तैयारी कर रहे हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि जब यह योजना पारित हो जाएगी और अमल में आएगी, तो हम वही चमत्कार अपने देश में कर पाएंगे, जो दूसरे देशों में ऐसे कामों को फैलाने से हुआ है।

डा. सत्यनारायण जटिया: एक निश्चित खेल को टारगेट बनाना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सारा धन क्रिकेट में ही लगा है। मंत्री जी यहां उपस्थित है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी अभी पंचायत युवा खेल अभियान स्कीम का उल्लेख किया है, वह एक अच्छी स्कीम है, क्योंकि गांवों में ही टेलेंट मिलता है। अगर आप छोटी उम्र से ही उस टेलेंट को नहीं उभारेंगे तो वह बड़ी उम्र में जाकर कुछ खास नहीं कर पाएगा। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस स्कीम को कब तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा और अभी यह किस स्टेज पर है?

श्री मणि शंकर अय्यर: मैं माननीय सदस्य के समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए यह बताना चाहता हूं कि हम इस मामले में काफी आगे बढ़ चुके हैं। अन्य मंत्रालयों की तरफ से भी एक हद तक जवाब आ चुके हैं। जो टिप्पणियां आई हैं, उन पर विचार कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि चंद हफ्तों के अंदर हम इस स्कीम को मंत्रिमण्डल तक पहुंचा देंगे। वहां जो फैसला होगा, उसकी जानकारी सदन को अवश्य दी जाएगी।

[अनुवाद]

'ब्लड बैंकों' का आधुनिकीकरण

***231. डा. एम. जगन्नाथ:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 2006 की स्थितिनुसार देश में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा कितने लाइसेंसशुदा ब्लड बैंकों का आधुनिकीकरण किया गया है;

(ख) क्या कई ब्लड बैंकों जिन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, के पास ब्लड बैंक चलाने संबंधी कोई लाइसेंस नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक आधुनिकीकृत ब्लड बैंक स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम रक्त सुरक्षा संघटक के अंतर्गत सरकारी, स्वैच्छिक और धर्मार्थ क्षेत्र में रक्त बैंक स्थापित करने के लिए एक बारगी उपकरण अनुदान और वार्षिक आवर्ती अनुदान प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार 1230 रक्त बैंकों को आधुनिक बनाया गया है।

औषण एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम/नियम, 1945 के अंतर्गत 'रक्त को एक औषध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किए गए उपबंधों के अनुसार भौतिक आधारभूत ढांचे, उपकरण और प्रशिक्षित जनशक्ति की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात् प्रत्येक रक्त बैंक को लाइसेंस लेना होता है। अत: केवल लाइसेंसशुदा रक्त बैंक

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन अथवा किसी अन्य सरकारी अभिकरण से किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

इस समय ऐसे 39 जिले हैं जहां कोई भी सरकारी सहायता-प्राप्त रक्त बैंक नहीं है। राज्यों द्वारा अपेक्षित बुनियादी ढांचा प्रदान करने पर इन जिलों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

डा. एम. जगन्नाथ: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी द्वारा पटल पर रखा गया वक्तव्य स्पष्ट नहीं है। प्रश्नों का पूर्णत: उत्तर नहीं दिया गया है। प्रश्न के भाग (ख) और (ग) का उत्तर नहीं दिया गया है, मंत्री जी कहना चाहते हैं कि केवल लाइसेंस प्राप्त रक्त बैंक की नाको या किसी अन्य सरकारी एजेंसी से किसी तरह की सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। मेरा प्रश्न यह जानने के लिए था कि क्या कोई ऐसा रक्त बैंक है जिसे लाइसेंसमुक्त किया गया है। मंत्री जी के अनुसार 1230 रक्त बैंकों का आधुनिकीकरण किया गया है और अभी 39 जिलों को इनके आधुनिकीकरण के लिए शामिल किया जाना है। लोक लेखा समिति के 19वें प्रतिवेदन के अनुसार जिलों और बड़े शहरों में 1832 रक्त बैंक हैं जिनमें से, मंत्री जी कहते हैं कि 1230 का आधुनिकीकरण किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: अपना प्रश्न पूछिए।

डा. एम. जगन्नाथ: लोक लेखा समिति के अनुसार, कई रक्त बैंकों को वित्तीय सहायता दी गई है और उन्हें लाइसेंस नहीं दिए गए थे। नाको द्वारा चरण-II के दौरान 125 रक्त बैंकों का आधुनिकीकरण किया गया और उन्हें सहायता दी गई जिनमें से 75 रक्त बैंकों के पास लाइसेंस नहीं थे।

अध्यक्ष महोदय: आपने आधुनिकीकरण के बारे में प्रश्न पूछा है। इसके बारे में ही प्रश्न पूछिए।

डा. एम. जगन्नाथ: महोदय, इसका संबंध आधुनिकीकरण, लाइसेंस देने और वित्तपोषण से है। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में भी यह बात उठाई गई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने रक्त बैंकों का अभी आधुनिकीकरण किया जाना है और लाइसेंस दिए जाने है और नाको ने लाइसेंस कैसे दिए और बिना लाइसेंस के धनराशि कैसे जारी की गई।

अध्यक्ष महोदय: आपने पहले ही दो अनुपूरक प्रश्न पूछ लिए हैं।

डा. एम. जगन्नाथ: नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: मुझसे नहीं मत कहो, जब मैंने हां कहा है तो यह 'हां' ही है।

...(व्यवधान)

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मेरे मित्र, डा. जगन्नाथ ने रक्त बैंकों का महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। उन्होंने यह भी कहा कि नाको इन रक्त बैंकों को लाइसेंस देता है। मैं यह जानकारी देना चाहूंगा कि नाको इन रक्त बैंकों को लाइसेंस नहीं देता है। यह केवल इनके आधुनिकीकरण में सहायता करता है। इस देश में कोई भी रक्त बैंक बिना लाइसेंस के कार्य नहीं कर सकता है। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर नियामक निकाय है जो लाइसेंस व्यवस्था देखता है। यदि कोई रक्त बैंक बिना लाइसेंस के कार्य कर रहा है तो मैं उनसे ही नहीं बल्कि किसी भी अन्य सदस्य या जनता से कहना चाहता हूं कि इसे हमारे ध्यान में लाएं और हम सर्वाधिक लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे।

आधुनिकीकरण के मामले में, नाको आधुनिकीकरण हेतु देश में लगभग सभी सरकारी रक्त बैंकों को सहायता देता है। यह एक अवस्था है। यह एक प्रक्रिया है। सरकारी क्षेत्र के लगभग 39 जिला रक्त बैंकों का आधुनिकीकरण किया जाना है, जिनका आधुनिकीकरण उस समय किया जाएगा जब वे इसके लिए मानदंड पूर्ण कर देंगे। यह प्रक्रिया चल रही है। यदि कोई मुद्दा है तो माननीय सदस्य इसे मेरे पास ला सकते हैं और हम उस मुद्दे पर विचार करेंगे।

डा. एम. जगन्नाथ: लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख था कि चरण-II में 125 रक्त बैंकों जिनका आधुनिकीकरण किया गया था, में से 75 के पास लाइसेंस नहीं थे।

पश्चिमी विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए अनुसंधान के अनुसार प्रतिवर्ष 13 मिलियन बिना जांच किए गए रक्ताधान का 95 प्रतिशत असुरक्षित माना जाता है। इसका कारण निगरानी की कमी और अनधिकृत रक्त बैंकों का कार्य करना और रक्त बैंकों के राष्ट्रव्यापी नेटवर्किंग का अभाव होना है, मंत्री जी ने कहा कि 39 जिला बैंकों का अभी भी आधुनिकीकरण किया जाना है और उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकारों को अवसंरचना मुहैया करानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है? क्या आपने अपना अनुपूरक प्रश्न तैयार कर लिया है?

डा. एम. जगन्नाथ: मैं प्रश्न पर आ रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इन 39 जिलों में ब्लड बैंकों का आधुनिकीकरण करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है।

अध्यक्ष महोदय: यह एक अच्छा अनुपूरक प्रश्न है, कृपया बैठ जाइये।

डा. अंबुमणि रामदास: जैसा कि मैंने कहा, इन ब्लड बैंकों को मूलभूत मानदंड पूरे करने होंगे और यह एक सतत प्रक्रिया है। यदि वे एक बार मानदंड पूरा कर दें तो हम उनका आधुनिकीकरण करने की शुरूआत अवश्य ही कर सकते हैं। हम न केवल उनका आधुनिकीकरण करेंगे, बल्कि एक कदम आगे जाकर ब्लड कंपोनेंट पृथक्करण इकाइयों की सहायता भी करेंगे। देश में लगभग 82 इकाइयां है, और उचित समय पर हमारी नीति यह होगी कि किसी रोगी में पूरा रक्त चढ़ाने की बजाय, हम रक्त को श्वेत रक्त कणिकाओं, लाल रक्त कणिकाओं प्लाज्मा जैसे घटकों में विभक्त करेंगे ताकि यह प्रक्रिया सरल हो सके और हम अधिक संख्या में रोगियों को इस रक्त की आपूर्ति कर सकें। दुर्भाग्यवश, वर्तमान में मात्र 10 से 20 प्रतिशत रक्त को ही घटकों में पृथक किया जा रहा है, जबकि 80 से 90 प्रतिशत पूरा रक्त ही दिया जाता है। तथापि, उचित समय पर रक्त को घटकों में पृथक करके अधिक रोगियों को दिया जायेगा तथा जहां कहीं आवश्यक होगा, सारा रक्त रोगियों को दिया जायेगा।

मैं माननीय सदस्य को पुन: आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह एक सतत प्रक्रिया है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम तीन (एनएसीपी-तीन) के लिए भारी धनराशि दी गई है, और हम आपके विचारों की ओर अवश्य ध्यान देंगे।

डा. सुजान चक्रवर्ती: मंत्री जी ठीक कह रहे हैं कि मात्र 10 से 20 प्रतिशत रक्त को ही घटकों में पृथक किया जा रहा है और इस प्रकार इसे बेहतर तरीके से दिया या इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकांश मामलों में, सारा रक्त दिया जाता है, यद्यपि इसकी आवश्यकता नहीं होती। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे कितने ब्लड बैंकों में रक्त को विभिन्न घटकों में पृथक करने की आधुनिक व्यवस्था मौजूद है और शेष ब्लड बैंकों में रक्त को घटकों में पृथक करने हेतु आधुनिक उपस्कर हम कब तक उपलब्ध करा सकेंगे।

डा. अंबुमणि रामदास: जैसा कि मैंने कहा, 82 ब्लड बैंकों में कंपोनेट पृथक्करण इकाइयां हैं। जैसा कि मैंने कहा, हमारी नीति यह है कि 80 से 90 प्रतिशत रक्त को घटकों के रूप में पृथक किया जाये। एनएसीपी-तीन इस तर्ज पर कार्य करेगा और हमारे पास देश के सभी भागों में कम से कम 200 से 300 ब्लड कंपोनेंट पृथक्करण इकाइयां होंगी ताकि ज्यों ही हमें रक्त प्राप्त हो, उसे घटकों में पृथक करके तद्नुसार संवितरित किया जा सके।

श्री भर्तृहरि महताब: जैसा कि सदन को ज्ञात है, थैलासीमिया एक ऐसा बड़ा रोग है जिससे हमारे देश के कई बच्चे ग्रस्त हो रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है अथवा देश में ब्लड बैंकों को सरकार कौन सी सहायता मुहैया करा रही है/कर चुकी है।

डा. अंबुमणि रामदास: हां, महोदय, थैलासीमिया एक समस्या है, किंतु मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वे उस पर एक अलग प्रश्न पूछें क्योंकि यह प्रश्न ब्लड बैंकों के आधुनिकीकरण के बारे में है न कि थैलासीमिया के बारे में।

श्री भर्तृहरि महताब: ब्लड बैंकों का आधुनिकीकरण और यह मुद्दा एक दूसरे से संबद्ध है।

अध्यक्ष महोदय: यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यद्यपि यह दूसरे से संबद्ध है, फिर भी, यदि आप एक अलग प्रश्न पूछें, तो आपको सही उत्तर मिल पायेगा।

डा. अंबुमणि रामदास: मैं थैलासीमिया के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करके माननीय सदस्य को मुहैया करा दूंगा।

ब्रह्मपुत्र-जलमार्ग को फिर से चालू करना

***232. श्री वसुदेव आचार्य:** क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ब्रह्मपुत्र-जलमार्ग को फिर से चालू करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-2 घोषित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना हेतु निधियों को किस प्रकार से जुटाया जाएगा;

(घ) क्या परियोजनाओं का कार्य आरंभ हो गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्य-योजना तैयार की गई है; और

(छ) उक्त जलमार्ग को कब तक चालू किए जाने की संभावना है?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (छ) इस बारे में विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (छ) धुबरी से सदिया तक ब्रह्मपुत्र-नदी को वर्ष 1998 में राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित कर दिया गया था और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग-प्राधिकरण, इस जलमार्ग में नौचालनात्मक जलमार्ग, नौचालन से संबंधित साधनों-सुविधाओं और टर्मिनलों सहित अंतर्देशीय जल-परिवहन से संबंधित अवसंरचनात्मक (बुनियादी) सुविधाएं मुहैया करवा कर, इसे विकसित कर रहा है। इस जलमार्ग को पूरी तरह से कार्य करने योग्य बनाने की दृष्टि से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग-प्राधिकरण ने 203.10 करोड़ रु. की अनुमानित अतिरिक्त लागत पर एक कार्य-योजना तैयार की है। उपर्युक्त कार्य-योजना में 2 मीटर/1.5 मीटर की गहराई से युक्त एक नाव्य जल-पथ, 24 घंटे नौचालन से संबंधित साधनों-सुविधाओं और उपयुक्त स्थायी और प्लवमान टर्मिनलों का विवेकसम्मत सम्मिश्रण मुहैया करवाया जाना परिकल्पित है। इस सिलसिले में विशिष्ट परियोजनाएं चुन ली गई हैं। उपर्युक्त कार्य योजना, धनराशि के उपलब्ध हो जाने पर दिनांक 31.03.2009 तक कार्यान्वित कर ली जानी प्रस्तावित है। इस कार्य-योजना की कुल 16 परियोजनाओं में से 13 परियोजनाएं संस्वीकृत कर दी गई हैं और ये परियोजनाएं कार्यान्वित किए जाने की प्रक्रिया में है, जबकि शेष 3 परियोजनाएं संस्वीकृत किए जाने की प्रक्रिया में चल रही हैं। उपर्युक्त परियोजनाओं को कार्यान्वित किए जाने पर व्यय होने वाली धनराशि, सरकार द्वारा मुहैया करवाई जाने वाली बजट सहायता में से वहन की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय: मुझे आशा है कि मैत्रीपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की जायेगी।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, वे मेरे पुराने मित्र हैं।

अध्यक्ष महोदय: कल तो ऐसा नहीं प्रतीत होता था।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, धुबरी से सदिया तक ब्रह्मपुत्र नदी को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। इन 17 वर्षों के दौरान, इस जलमार्ग को पूर्णत: विकसित नहीं किया गया है। इसे अभी भी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (इन्लैंड वाटरवेज अथारिटी आफ इंडिया) द्वारा नाविक चैनल, नाविक सहायता और टर्मिनलों सहित अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना मुहैया कराकर विकसित किया जा रहा है।

इसकी अनुमानित लागत 203.10 करोड़ रु. है। यह राशि अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है। यह भी बताया गया है कि इस जलमार्ग को पूरा करना धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। इसके लिए उत्तरी बंगाल के कूच बिहार और असम के लोगों द्वारा मांग की गई है। एक शिष्टमंडल माननीय मंत्री जी से मिला था। मैं भी वहीं उपस्थित था। हाल ही में, कूच बिहार और असम से एक शिष्टमंडल आया और माननीय प्रधान मंत्री जी से मिला। उन्होंने भी शिष्टमंडल को आश्वासन दिया कि इसे पूर्णत: चालू करने के लिये सभी आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। धुबरी स्वतंत्रता पूर्व काल में भी एक बहुत महत्वपूर्ण पत्तन था।

अध्यक्ष महोदय: उत्तर देने का समय नहीं रहेगा।

श्री बसुदेव आचार्य: क्या मैं मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 2 को एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग और धुबरी को एक अंतर्राष्ट्रीय पत्तन घोषित करने के लिये सरकार को असम और कूच बिहार के लोगों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

अध्यक्ष महोदय: मैं यह अनुरोध करता रहा हूं कि अनुपूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से छोटे होने चाहिये।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, भारत में 14,500 किमी. का नौगम्य जलमार्ग है। उसमें से, 5,700 कि.मी. जलमार्ग में मशीनीकृत वेसल्स से नौवहन किया जा सकता है। जहां तक धुबरी-सदिया की विशेष लंबाई का संबंध है, यह लगभग 891 कि.मी. है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 2 का एक भाग है। विगत 18 वर्षों से, अर्थात् 1988 से लेकर पिछले वर्ष तक पिछली सरकारों ने मात्र 130 करोड़ रु. का ही व्यय किया। जैसा कि मेरे मित्र आचार्य ने कहा है, वर्ष 2006-07 में हमने 203 करोड़ रु. की दो परियोजनाओं की पहचान की है। इस विशेष परियोजना पर सरकार द्वारा काफी ध्यान दिया जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा माननीय मुख्य मंत्री और पश्चिम बंगाल सरकार ने ब्रह्मपुत्र वाटरवेज डिमांड कमेटी अर्थात् ब्रह्मपुत्र जलपथ दावी समिति का अभ्यावेदन भेजा है, मैंने इस अभ्यावेदन का अध्ययन किया है। तत्पश्चात् हमने आई.आई.टी. गुवाहाटी की नियुक्ति की ताकि वह व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन कर सके क्योंकि जैसा कि मेरे मित्र ने पहले ही

बता दिया है कि धुबरी इसके लिए स्थान होने के बारे में विवाद है। मैंने अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के सदस्य को अध्ययन के लिए भेजा है। इसके पश्चात, मैं इसके लिए स्थान के विवाद का समाधान करना चाहता था। यही कारण है कि हमने इसे आई.आई.टी. को सौंपा है। वे व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन कर रहे है। इसकी रिपोर्ट इसी माह 31 मार्च तक प्राप्त हो जाएगी। मैं निश्चित रूप से सुनिश्चित करूंगा कि यह विशेष परियोजना शुरू हो जाये। इसे कुछ समय पश्चात् पूर्ण रूप से चालू कर दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय: इस लम्बे और उचित उत्तर के पश्चात् मैं नहीं समझता कि इस बारे में किसी अन्य अनुपूरक प्रश्न की आवश्यकता है।

श्री वसुदेव आचार्य: महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण अनुपूरक प्रश्न है, अब वित्त मंत्री जी भी आ गये। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस कार्य योजना को 31 मार्च, 2009 तक पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करना दी जाएगी। जैसा कि मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा था।

अध्यक्ष महोदय: उत्तर के लिए समय दें।

श्री वसुदेव आचार्य: यहां धनराशि उपलब्ध कराने के बारे में संदेह व्यक्त किया गया है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी द्वारा अपने वक्तव्य में उल्लिखित समय-सीमा के अन्दर इस कार्य योजना को पूरा करने के लिए धनराशि उपलब्ध करा दी जायेगी।

श्री टी.आर. बालू: वर्ष 2006-07 में हमने 52.5 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। वर्ष 2007-08 में प्रस्तावित व्यय 70 करोड़ रुपये का है, इसके लिए शेष 80.6 करोड़ की आवश्यकता है, जहां तक संप्रग सरकार का संबंध है, निश्चित रूप से धनराशि किसी भी परियोजना के लिए कोई बाधा नहीं है। इसके अलावा वह बाहर से समर्थन देने वाली पार्टी है। हम निश्चित रूप से इस बात को देखेंगे।

अध्यक्ष महोदय: केवल यही बात नहीं है, मेरे विचार से आपको वित्त मंत्री का समर्थन भी प्राप्त है।

आज मुझे ऐसा शानदार सहयोग देने हेतु मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

एम पी लैड निधि का उपयोग

***221. श्री मनोरंजन भक्त: क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ संसद सदस्यों ने सुनामी पुनर्वास/पुनर्निर्माण कार्यों हेतु अपनी "एमपीलैड" योजना (एम.पी.एल.ए.डी.एस.) निधि से धनराशि आवंटित करने के लिए अपनी सहमति दी है;

(ख) सुनामी पुनर्निर्माण/पुनर्वास कार्यों हेतु अपनी "एमपीलैड" योजना निधि से विभिन्न संसद सदस्यों द्वारा दी गयी धनराशि के उपयोग की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पहचान किए गए सुनामी पुनर्वास कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी हां। लोक सभा के 207 सांसदों और राज्य सभा के 167 सांसदों ने अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह तथा दक्षिण भारत के तटीय इलाकों के सुनामी प्रभावित जिलों में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए अपने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना खाते से क्रमश: 22.74 करोड़ रु. और 31.26 करोड़ रु. की राशि के लिए अपनी सहमति दी है।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी तथा अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह के सुनामी प्रभावित जिलों में लोक सभा तथा राज्य सभा के माननीय सांसदों द्वारा सहमत निधि से लगभग 5313.81 लाख रु. के 182 कार्य प्राधिकृत किए गए हैं। कार्यों की वर्तमान स्थिति के साथ उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) संबंधित जिलों के जिला कलेक्टरों/उपायुक्तों से प्राप्त अद्यतन प्रगति रिपोर्टों के अनुसार, लोक सभा के सदस्यों द्वारा सहमत निधि से, प्राधिकृत किए गए 57 कार्यों में से 30 कार्य पूरे कर लिए गए हैं, 20 कार्य चल रहे हैं और 7 कार्य अभी शुरू किए जाने हैं। राज्य सभा के सदस्यों द्वारा सहमत निधि से, 125 कार्यों में से 11 कार्य पूरे कर लिए गए हैं, 90 कार्य चल रहे हैं और 24 कार्य अभी शुरू किए जाने हैं।

विवरण

वर्तमान स्थिति सहित कार्यों का विवरण

आंध्र प्रदेश

लोक सभा

नेल्लूर जिला (31.12.2006 की स्थिति के अनुसार)

(लाख रु. में)

क्र.सं.	कार्य	स्थान	लागत	कार्य की स्थिति	व्यय
1	2	3	4	5	6
1 व 2	एम्बुलेंस की खरीद (2)	अल्लूर तथा वकाडा	10	पूर्ण	8.15
3	डिसएलीएशन प्लांट की आपूर्ति एवं संस्थापन	दुर्गाराजपत्तनम वकाडु	12	अभी आरंभ नहीं हुआ*	-
	कुल		22		8.15

*कार्य को बदलने के लिए उपायुक्त, नेल्लूर से प्राप्त अनुरोध को सां.स्वा.डे.वि.यो. समिति (लोक सभा) को विचारार्थ भेज दिया गया है।

प्रकासम जिला (31.1.2007 की स्थिति के अनुसार)

1.	डिसएलीएशन प्लांट की, आपूर्ति एवं संस्थापन	करेदू	10	अभी आरंभ नहीं हुआ	-
2.	एम्बुलेंस की खरीद	ठलावपद्दु	5	पूर्ण	5
	कुल		15		5

गुंटूर जिला (30.6.2006)

1.	चक्रवात आश्रय स्थल का निर्माण	मुथैयापालेम	18	चल रहा है	-
	कुल		18		

पूर्वी गोदावरी जिला (31.10.2006)

1.	जैडपी हाई स्कूलों को डी.डब्ल्यू. सुविधा तथा शौचालय उपलब्ध कराना	पालेम	1.50	पूर्ण	1.5
2.	-वही-	डोंटीकोरु	1.50	पूर्ण	1.5
3.	-वही-	जी. वेमावरम	1.50	पूर्ण	1.5
4.	-वही-	जी. पोरा	1.50	पूर्ण	1.5
5.	-वही-	कुमारगिरिपटनम	1.50	पूर्ण	1.5

1	2	3	4	5	6
6.	-वही-	एस. यनम	1.50	पूर्ण	1.5
	कुल		9		9
पश्चिमी गोदावरी जिला (31.1.2007)					
1.	चक्रवात आश्रयस्थल का निर्माण	पेरूपलेम का मोल्लापरू	20	चल रहा है	19.42
	कुल		20		
कृष्णा जिला (31.7.2006)					
1.	चक्रवात आश्रयस्थल एवं यूपी स्कूल बिल्डिंग का निर्माण	गोलापुडुम	10	चल रहा है	2.6
2.	चक्रवात आश्रयस्थल एवं सामुदायिक हाल का निर्माण	मालाकायालंका	10	चल रहा है	2.5
	कुल		20		
		केरल			
कोल्लम जिला (31.1.2007)					
1.	नया सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र	अल्लापाड	100	अभी आरंभ नहीं हुआ	-
	कुल		100		
अलापुझा जिला (31.1.2007)					
1.	सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए अतिरिक्त ब्लाक	अरातुपुझा	18	अभी आरंभ नहीं हुआ	-
	कुल		18		
		तमिलनाडु			
कुड्डालोर जिला (28.2.2007)					
1.	चितेरीपेट्टई-रासापेट्टई रोड केएम 0/0-3/0 का पुनर्नियोजन और सुधार	चितेरीपेट्टई	42	पूर्ण	42
2.	वृद्ध आश्रम का निर्माण	कुड्डलूर	30	पूर्ण	27
3.	वृद्ध आश्रम का निर्माण	पारंगलपेट्टई	30	पूर्ण	27
4.	रासापेट्टई-कुडीकाडू रोड केएम 0/0-2/6 का पुनर्नियोजन और सुधार	कुडीकाडू	36	पूर्ण	36
5.	देवानामपट्टनम के 0/0-2/4 के आधार पर पुल का पुनर्निर्माण	देवानामपट्टनम	150	पूर्ण	139

1	2	3	4	5	6
6.	कंधास्वामी नायडू महिला महाविद्यालय के लिए पुस्तकालय खंड (3200 वर्ग फुट) का निर्माण	कुड्डालोर	20	आरंभ नहीं हुआ	
	कुल		308		271
कन्याकुमारी जिला (31.1.2007)					
1.	चिन्नामुत्तम फिशिंग हार्बर का तलकर्षण तथा जनरेटर रूम, जलापूर्ति व्यवस्थाएं, आशन हाल आदि जैसी इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं बहाल करना	चिन्नामुट्टोम	120	चल रहा है	90
2.	कन्याकुमारी जिले में इनायमपुथेनथुरई में आरसीसी जेट्टी सहित फिस लैंडिंग सेंटर का निर्माण	साइमन कालोनी	150	चल रहा है	112
	कुल		270		202.5
नागपट्टनम जिला (28.2.2007)					
1.	केवल सुनामी पीड़ितों के लिए सेवा गृहों का निर्माण	नागपट्टनम	30	चल रहा है	–
2.	अनाथालय तथा वृद्ध व्यक्तियों के लिए आश्रय गृहों का निर्माण	नागपट्टनम	50	चल रहा है	20
3.	तालुका अस्पताल, जिला मुख्यालय अस्पताल हेतु अतिरिक्त सुविधाओं का निर्माण 3 कार्य - प्रत्येक 1.5 लाख रु.	(1) तारंगमपडी तालुका अस्पताल (2) सिरकाझी तालुका अस्पताल (3) नागोर गवर्नमेंट अस्पताल	45	पूर्ण	45
4.	सामुदायिक हाल	कीलयूर ब्लाक	3	पूर्ण	3
5.	स्कूल भवन	तालानयर ब्लाक	3	पूर्ण	3
6.	पुल	सेमबनरकोइ ब्लाक	9	चल रहा है	2.7
7.	मछुआरों के लिए बहुउद्देश्यीय हाल	सेमबनरकोईल ब्लाक	5	पूर्ण	5
8.	फिश ड्राइंग यार्ड (3 कार्य)	कोल्लिदम ब्लाक	7	पूर्ण	6.99

1	2	3	4	5	6
9.	महिला स्वच्छता परिसर (3 कार्य)	कोल्लिदम ब्लाक	7	पूर्ण	4.87
10.	स्कूल भवन (2 कार्य)	सिरकाली ब्लाक	7	चल रहा है	7
11.	सीसी रोड (1.60 कि.मी.) (6 कार्य)	सिरकाली ब्लाक	22	पूर्ण	22
12.	रिटेनिंग वाल	सिरकाली ब्लाक	2	पूर्ण	2
13.	कंपाउंड वाल (2 कार्य)	सिरकाली ब्लाक	4	पूर्ण	4
14.	सामुदायिक हाल (3 कार्य)	(1) पूमपुहर सिरकाली (2) वान्नगिरकुपम (3) मेलामूवरकरै	15	पूर्ण	15
15.	बीटी रोड (4.50 कि.मी.) (5 कार्य)	सिरकाली ब्लाक	40	पूर्ण	37.84
16.	महिला स्वच्छता परिसर (3 कार्य)	सिरकाली ब्लाक	7	चल रहा है	2.07
17.	फिश ड्राइंग यार्ड (3 कार्य)	सिरकाली ब्लाक	11	पूर्ण	10.4
18.	ओएचटी एवं पाइप लाइन	तिरुमारुगुल ब्लाक	6	पूर्ण	6
19.	रिटेनिंग वाल	नागपट्टनम नगरपालिका	4	पूर्ण	3.8
20.	सिरकाली ब्लाक के पेरुनचोट्टम पीटी में स्थायी आश्रय स्थल के लिए मडथुकुप्पम से अप्रोच रोड की ब्लाक टोपिंग	नागपट्टनम	7.2	पूर्ण	7.2
21.	सिरकाली ब्लाक के पेरुनचोट्टम पीटी में चावडीकुन्नम में स्थायी आश्रय स्थल के लिए मडथुकुप्पम से अप्रोच रोड की ब्लाक टोपिंग	नागपट्टनम	3.8	पूर्ण	3.8
	कुल		288		206.67
रामेश्वरम (रामनाथपुरम जिला) (31.7.2006)					
1.	सामुदायिक हाल तथा पुस्तकालय हाल का निर्माण	रामेश्वरम	20	चल रहा है	6.5
	कुल		20		

1	2	3	4	5	6
		अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह			
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (11.12.2006)					
1.	मॉडल सीनियर सैकेन्डरी स्कूल जिसमें छात्रावास सहित 1 से 12 तक कक्षाएं हैं	कामोरता द्वीपसमूह	592.62	444.47	
2.	सामुदायिक हाल	फेरारगंज अंडमान	49.25	20	
3.	सामुदायिक हाल	गोविन्दनगर, कैम्पबेल बे	69.39	33	
4.	सामुदायिक हाल	जोगिन्द्र नगर, कैम्पबेल बे	68.34	48.81	
5.	सामुदायिक हाल	कटचल, निकोबार द्वीपसमूह	67.82	48.44	
		कुल	847.42		
		पुद्दुचेरी			
पुद्दुचेरी (28.2.2007)					
1.	चक्रवात/सुनामी आश्रयस्थल	नल्लावदू*	45	आरंभ नहीं हुआ	-
2.	चक्रवात/सुनामी आश्रयस्थल	पेरियाकलपेट*	45	-वही-	-
3.	चक्रवात/सुनामी आश्रयस्थल	अक्कमपेट्टई	45	चल रहा है	-
4.	चक्रवात/सुनामी आश्रयस्थल	मंडापुथूर	45	-वही-	0.17
5.	चक्रवात/सुनामी आश्रयस्थल	किलिनजेलमेडू	45	-वही-	0.48
		कुल	225		0.48

*उपर्युक्त, पुद्दुचेरी से कार्य का स्थान बदलने के लिए प्राप्त अनुरोध को सां.स्वा.क्षे.वि.यो. समिति (लोक सभा) को विचारार्थ भेज दिया गया है।

आंध्र प्रदेश

नेल्लूर जिला (31.12.2006)					
1.	नेट मैंडिंग सेंटर का निर्माण	कावली	4	अभी आरंभ नहीं हुआ	-
2.	-वही-	बोगेले	4	-वही-	-
3.	-वही-	इंदुकुरपेट	4	चल रहा है	-
4.	-वही-	माथुकुर	4	अभी आरंभ नहीं हुआ	-
5.	-वही-	वकाडु	4	-वही-	-
6.	-वही-	कोटा	4	-वही-	-
	कुल		24		

1	2	3	4	5	6
प्रकासम जिला (31.1.2007)					
1.	ड्राइ फिशिंग प्लेटफार्म का निर्माण	कोथापल्लेपालेम, उलावपाडु	10	पूर्ण	10
2.	-वही-	पेडापट्टापुपालेम, कोठापटनम	10	पूर्ण	10
	कुल		20		20
पश्चिमी गोदावरी (31.11.2006)					
1 से 2	2 चक्रवात आश्रयस्थलों का निर्माण- 10 लाख रु. प्रत्येक की दर से	मोगलथू (एम) का डिआलपल्लीपालेम तथा नरसापुरम (एसी)	20	1. पूर्ण 2. चल रहा है	8.64 4.00
3 से 7	सामुदायिक हाल का निर्माण (5)-5 लाख रु. प्रत्येक	चिन्नयनवनीलंका सारुदुकोडपा बियापुथीप्पा पेडामैनावनीलंका बेमुलादीव (ईएसटी)	25	अभी आरंभ नहीं हुआ	-
	कुल		45		
कृष्णा जिला (31.7.2006)					
1.	चक्रवात आश्रयस्थल एवं स्कूल भवन का निर्माण	मछलीपटनम का केपीटी पालेम	10	चल रहा है	2.7
2.	-वही-	कुरतीवेन्नु का पदातदिका	10	-वही-	2.4
3.	-वही-	नाग्यलंका का येसुपुरम	10	-वही-	2.5
4.	-वही-	नाग्यलंका का कृष्णापुरम	10	-वही-	2.65
5.	-वही-	नाग्यलंका का जिंकापालेम	10	-वही-	2.7
6.	-वही-	नाग्यलंका का ब्रह्माराहगीरीमुला	10	-वही-	-
	कुल		60		

केरल

कोल्लम जिला (31.1.2007)					
1.	वृद्धाश्रम	अलाप्पड	35	अभी आरंभ नहीं हुआ	-
	कुल		35		

*उपायुक्त कोल्लम ने सूचित किया है कि श्री अब्दुसमद सामादानी, संसद सदस्य (राज्य सभा) ने कोल्लम जिले के सुनामी प्रभावित इलाके में निर्माण और पुनर्वास कार्यों के लिए 10 लाख रु. का अंशदान दिया है। लेकिन स्कीम विनिर्दिष्ट नहीं थी। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि इस राशि को अलापड में वृद्धाश्रम के निर्माण के लिए शामिल कर लिया जाए।

1	2	3	4	5	6
अलप्पुझा जिला (31.1.2007)					
1.	वृद्धाश्रम	अलप्पुझा	35	अभी आरंभ नहीं हुआ	
2.	मैडीकल कालेज अस्पताल के लिए स्टैंडबाई 11-के.वी. फीडर प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रिकल सेक्शन, अलप्पुझा टाउन के सुन्नामी प्रभावित इलाके में स्थित अलप्पुझा मैडीकल कालेज अस्पताल के लिए अलप्पुझा सब स्टेशन से 300 वर्ग मि.मी. 11 के.वी. एक्सएलपीई भूमिगत केबल को 3.2 कि.मी. बिछाना	अलप्पुझा	40	अभी आरंभ नहीं हुआ	
	कुल		75		
एर्नाकुलम जिला (31.1.2007)					
1.	वृद्धाश्रम	एडवानकड	35	चल रहा है	-
	कुल		35		
		तमिलनाडु			
कुड्डालोर जिला (12.2.2007)					
1.	एक फिशरिज प्रशिक्षण संस्थान	कुड्डलूर	92.50	चल रहा है	22
2.	हाई लेवल ब्रिज बनाना	ठपनार बैंक वाटर, नेयीकाडू	150	अभी आरंभ नहीं हुआ	-
3. और 4.	दो चक्रवात आश्रयस्थलों का निर्माण	जयानकोंडपटनम गांव	70	चल रहा है	-
5.	संरक्षित बांध बनाना	एमचीआर चिट्टू गांव	10.00	पूर्ण	9
6.	सामुदायिक हाल का निर्माण	अनदारमुत्तीपलम गांव	10.00	पूर्ण	9
7.	डिसिलटिंग तथा चैनल को रिटेनिंग वाल प्रदान करना	समियारपेटई गांव	20.00	चल रहा है	12
8.	अप्रोच के लिए लाइटिंग व्यवस्था के साथ जेटी की स्थापना	सोथीकुप्पम गांव	10.00	पूर्ण	10
9.	लाइटिंग व्यवस्था के साथ जेटी की स्थापना	देवानामपटनम गांव	15.00	पूर्ण	12

1	2	3	4	5	6
10.	काविरवेलचेटी स्ट्रीट, देवानामपटनम, कुड्डलूर के आसपास सीसी रोड और फ्लोरड प्रोडेक्सन वाल	देवानामपटनम, कुड्डलूर	20.00	चल रहा है	6
	कुल		397.50		80
कांचीपुरम जिला (1.2.2007)					
1.	एक अनाथालय	कांचीपुरम	45	चल रहा है	23.3
	कुल		45		
कन्याकुमारी जिला (31.1.2007)					
1.	एक अनाथालय	कन्याकुमारी	45	चल रहा है	33.75
2.	बोट जेटी का निर्माण	अरोकियापुरम	40	-वही-	20.00
3.	फिस ड्राइंग तथा प्रोसेसिंग सेंटर	कोवलम	50	-वही-	25.00
4.	बहुउद्देश्यीय हाल का निर्माण	पल्लनथुरै	25	-वही-	13.00
5.	नए तालाब का निर्माण और वर्षा जल वृद्धि	मुत्तूरथुरै	20	अभी आरंभ नहीं हुआ	-
6.	भूजल को रिचार्ज करने के लिए चेमपट्टीओडई को चौड़ा करना	चम्पाकुलम से राजकमंगलम थुरै तक	50	चल रहा है	-
7. और 8.	एवीएम चैनल पर पुलिया का निर्माण	कोलाचैल नगर पालिका में कोटिलपडु (2 स्थान)	7	1. पूर्ण 2. चल रहा है	6.13
9.	एवीएम चैनल पर पुलिया का निर्माण	कोलाचैल नगर पालिका में अकरीपल्ली	3.50	चल रहा है	2.63
10.	मैडैकाडू में एवीएम चैनल पर लघु पुल का निर्माण	मैडैकाडू विशेष पंचायत	5.00	पूर्ण	5.00
11.	लघु पुल का निर्माण	कोलुकुटम विशेष पंचायत में मैडैकाडूपुदूर	5.00	पूर्ण	3.75
	कुल		250.5		109.26

1	2	3	4	5	6
नागपट्टनम जिला (28.2.2007)					
1 से 3	वोकेशनल ट्रेनिंग संस्थान लागत: 12 लाख रु. × 3 कार्य	वेदनारायणम कोलीदम सिमबनारकोइल	36	चल रहा है चल रहा है पूर्ण	16.8
4 से 6	मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए विशेष स्कूल लागत: 40 लाख रु. × 3 कार्य	नागपट्टनम शहर थारंगमबाद शिरकाज	120	चल रहा है (3 कार्य)	4
7.	सोलर फिश ड्रायर के साथ फिश आक्शन हाल का निर्माण	वनागिरि	12.50	चल रहा है	–
8.	सोलर फिश ड्रायर के साथ फिश आक्शन हाल का निर्माण	कोदीवारकरै	12.50	चल रहा है	–
9.	अर्ली वार्निंग मल्टी-हैज्यार्ड शैल्टर	नागपट्टनम नगर पालिका	35.00	चल रहा है	1.2
10.	सोलर फिश ड्रायर के साथ फिश आक्शन हाल का निर्माण	थोडुवै	12.50	चल रहा है	1.25
11.	एसएचजी रिसोर्स सेंटर के साथ कामन वर्क शैड	कामेश्वरम	9.50	चल रहा है	1.9
12.	एसएचजी रिसोर्स सेंटर के साथ कामन वर्क शैड	पुष्पावनम	9.50	चल रहा है	2
13.	सोलर फिश ड्रायर के साथ फिश आक्शन हाल का निर्माण	सिरुवर	12.50	चल रहा है	2
14.	एसएचजी रिसोर्स सेंटर के साथ कामन वर्क शैड	थोडुवै	9.50	चल रहा है	1.5
15.	एसएचजी रिसोर्स सेंटर के साथ कामन वर्क शैड	कावेरीपुमपट्टनम	9.50	चल रहा है	1.5
16.	एसएचजी रिसोर्स सेंटर के साथ कामन वर्क शैड	माणिकपांगु	9.50	चल रहा है	2
17.	एसएचजी रिसोर्स सेंटर के साथ कामन वर्क शैड	कोल्लार	9.50	चल रहा है	2.1
18.	एसएचजी रिसोर्स सेंटर के साथ कामन वर्क शैड	वेलापल्लम	9.50	चल रहा है	1.9

1	2	3	4	5	6
19.	प्रसव पूर्व तथा प्रसव पश्चात् वार्ड के साथ सिरकाली सरकारी अस्पताल में 15 बिस्तरों और एक आप्रेशन थिएटर के साथ मैटरनिटी वार्ड	सिरकाली, नागपट्टनम जिला	30.00	चल रहा है	-
	कुल		337.5		38.15
चिल्लुपुरम जिला (31.12.2006)					
1 से 23	मछली मारने के जालों की बुनाई के लिए वर्किंग शैड (यूनिट लागत 3 लाख रु.) - 23 कार्य	23 स्थान	69	चल रहा है	33
24 और 25	स्कूल भवन (तीन क्लास रूम) यूनिट लागत 3 लाख रु. - 2 कार्य	कील पुथुपट्टू पुनीमेदू	10	-वही-	-
26 और 27	प्रोटेक्शन वाल (पाम ट्री - बायोशील्ड और ग्रोनेस) (यूनिट लागत 25 लाख रु.)	तांथीयारंकप्पुम (2 कार्य)	50	आरंभ नहीं हुआ	-
28	-वही-	नादुकुप्पम- 1क कार्य	25	-वही-	-
29 से 30	सामुदायिक हाल (यूनिट लागत 5 लाख रु.)	1. कील पुथुपट्टू 2. कुनीमेदू 3. चेतीकुप्पम 4. अनुमंथै 5. पाणीचामैदु	25	चल रहा है	-
34 से 38	आंगनवाड़ी भवन (यूनिट लागत 2 लाख रु.)	1. कील पुथुपट्टू 2. कुनीमेदू 3. चेतीकुप्पम 4. अनुमंथै 5. पाणीचामैदु	10	अभी आरंभ नहीं हुआ	-
39.	स्कूल भवन	मांडवीपुदुकुप्पम, टींडीवनम तालुका	5	चल रहा है	-
40.	सुनामी प्रभावित परिवारों के लिए सामुदायिक हाल	अनुमंथै, टींडीवनम तालुका	10	-वही-	-
	कुल		204		

1	2	3	4	5	6
		अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह			
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह (11.12.2006)					
1.	कामोरता में 50 व्यक्तियों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल	नानकोरी द्वीपसमूह	125.76	चल रहा है	62.88
2.	कैम्पबैल बे में ट्रांजिट हॉस्टल	ग्रेट निकोबार द्वीपसमूह	82.2	-वही-	30.00
3.	हॉस्टल सुविधा के साथ 1 से 12 कक्षाओं वाला मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल	दीगलीपुर	554.60	-वही-	415.95
4.	पंचायत फिश मार्केट का विकास	कम्यूफलैट, अंडमान जिला	10.08	-वही-	7.56
5.	वर्क शैड का निर्माण	इट बे, लिटिल अंडमान	77.03	-वही-	38.51
6.	वर्क शैड का निर्माण	वर्मानल्लाह, दक्षिण अंडमान	65.58	-वही-	32.78
7.	वर्क शैड का निर्माण	निकट गुप्तापर, पंचायत मार्केट, गुप्तापरा गांव	50.21	-वही-	25.11
8.	वर्क शैड का निर्माण	चौलदारी में चौलदारी बाजार	52.73	-वही-	26.36
9.	वर्क शैड का निर्माण	हमफ्रगंज पंचायत के अंतर्गत बंदूर गांव	43.79	-वही-	21.89
10.	वर्क शैड का निर्माण	तुसनाबाद ग्राम पंचायत के अधीन कोलिनपुर	56.79	-वही-	28.40
11.	वर्क शैड का निर्माण	नामुनघर ग्राम पंचायत के अधीन नामुनघर	45.67	-वही-	22.83
12.	वर्क शैड का निर्माण	कम्यूफलैट ग्राम पंचायत के अधीन कम्यूफलैट जेटी एरिया/कम्यूफलैट बाजार	67.59	-वही-	33.79
13.	वर्क शैड का निर्माण	सिप्पीघाट ग्राम पंचायत के अधीन सिप्पीघाट गांव	46.23	-वही-	23.11
	कुल		1278.24		769.17

1	2	3	4	5	6
		पुडुचेरी			
पुडुचेरी (31.1.2007)					
1.	एक मत्स्य पालन प्रशिक्षण संस्थान	कराईकल*	92.50	आरंभ नहीं हुआ	-
2.	चक्रवात आश्रयस्थल का निर्माण	एमजीआर नगर तथा राजीव गांधी नगर	45	चल रहा है	-
3.	चक्रवात आश्रयस्थल का निर्माण	उपलापेठ	45	-वही-	0.31
4.	चक्रवात/सुनामी आश्रयस्थल का निर्माण	पी-15 एम, पुडुकुप्पम	45	-वही-	21.28
5.	चक्रवात/सुनामी आश्रयस्थल का निर्माण	पी-15, नारमेडु	45	-वही-	8.30
6.	चक्रवात/सुनामी आश्रयस्थल का निर्माण	पी-9, वीरमपट्टनम	45	-वही-	10.98
	कुल		317.50		40.87

*उपायुक्त, पुडुचेरी से कार्य के स्थान को कराईकल से बदल कर कराईकल के तिरुमेसुरुडी राजस्व ग्राम के के-2 कालीकुप्पम हैमलेट में करने के अनुरोध को सं.स्था.से.वि.यो. समिति (राज्य सभा) को उनकी सिफारिश के लिए भेज दिया गया है।

चिकित्सा अनुदान आयोग

*222. **श्री राधापति सांबाशिवा राव:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चिकित्सा अनुदान आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग की मुख्य विशेषताएं, लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) चिकित्सा अनुदान आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस आयोग का अधिदेश (मेनडेट) और कार्य तैयार किए जा रहे हैं। तथापि, 11वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उक्त आयोग को गठित करने के उपाय शुरू किए जा सकते हैं बशर्ते कि आवश्यक धन की उपलब्धता हो। इस प्रयोजन के लिए धन के प्रावधान के मामले को योजना आयोग के साथ उठाया जा रहा है।

[अनुवाद]

हेवी अर्थ-मूविंग मशीनों का उपयोग

*224. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) की सभी अनुषंगी इकाइयों द्वारा ओपेनकास्ट और भूमिगत (अंडर ग्राउंड) खनन कार्यकलापों में हेवी अर्थ मूविंग मशीनों (एच.ई.एम.एम.) का उपयोग नहीं किया जा रहा है अथवा उनका क्षमता से कम उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सी.आई.एल. की अनुषंगी इकाइयां इस संबंध में सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सी.एम.पी.डी.आई.एल.) द्वारा निर्धारित मानदंड को प्राप्त करने में विफल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो हेवी अर्थ मूविंग मशीनों का क्षमता से कम उपयोग किये जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) हेवी अर्थ मूविंग मशीनों की अनुषंगी इकाई-वार कुल कितनी संख्या है; और

(च) हेवी अर्थ मूविंग मशीनों का उपयोग बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की सभी कोयला

उत्पादन सहायक कंपनियों की केवल ओपनकास्ट खानों में हैवी अर्थ मूविंग मशीनों (हैम) को उपयोग में लाया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों में सीआईएल में मुख्य हैम का उपयोग नीचे दिए गए अनुसार है:

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजायन इंस्टीट्यूट लि. (सीएमपीडीआईएल) के मानदंडों के प्रतिशत के रूप में हैम का उपयोग

उपकरण	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (फरवरी तक)
ड्रेगलाइन	109	111	107	107
शावेल	76	79	83	84
डम्पर	66	70	72	72
डोजर	57	61	61	61
ड्रिल	62	68	76	74

(ग) और (घ) जी, हां। ड्रेगलाइन के अलावा, सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों की खानों/परियोजनाओं में तैनात हैम की सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजायन इंस्टीट्यूट लि. (सीएमपीडीआईएल) के निर्धारित मानदंडों द्वारा उपलब्धि विभिन्न कारणों से अलग-अलग है। उनमें से प्रमुख हैं: संस्तर की स्थितियां, भंडारों की समाप्ति, सक्रिय आग की मौजूदगी, डिपिल्लर्ड क्षेत्र के ऊपर कार्य करना, बारम्बार स्थानीय आंदोलन, भूमि/वन भूमि की उपलब्धता, उपकरण का जीवनकाल, प्रतिकूल मौसम, कलपूर्जों की उपलब्धता, टायरों की उपलब्धता आदि हैं।

(ङ) सहायक कम्पनी-वार हैम की कुल संख्या नीचे दिए अनुसार है:

उपकरण	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	भारत कोकिंग कोल लि.	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	महानदी कोलफील्ड्स लि.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	सीआईएल
ड्रेगलाइन	1	2	–	6	9	4	19	41
शावेल	66	157	121	61	55	162	111	733
डम्पर	261	613	590	400	321	715	545	3445
डोजर	95	131	168	103	155	172	176	1000
ड्रिल	47	144	146	89	108	113	135	782

(च) हैम के उपयोग में सुधार के लिए निम्नलिखित मुख्य उपाय किए जा रहे हैं:

1. सहायक कंपनी स्तर और क्षेत्र स्तर पर कार्यबल का गठन किया गया है और हैम के उपयोग की कड़ी से निगरानी की जा रही है।
2. कलपूर्जों की खरीद, उपकरण की खरीद के समय उपकरण के जीवनकाल के लिए मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) के साथ अनुरक्षण तथा मरम्मत ठेकों को लागू करना और पूर्ण रूप से सुसज्जित कार्यशालाओं का सृजन करने हेतु अग्रिम आयोजना का पालन किया जा रहा है।

3. मांग सूचियों के बेहतर नियंत्रण के लिए उपकरण का मानकीकरण, डम्परों के डाउन समय में कमी लाने के लिए उचित हाल सड़कों का निर्माण तथा अनुरक्षण और उपयुक्त रखरखाव एवं उपकरण के डाउन समय में कमी लाने के लिए बेहतर विखण्डन हेतु सुधारित ब्लास्टिंग को कार्यान्वित किया जा रहा है।

4. विलम्ब में कमी लाने के लिए शिफ्ट ड्यूटी समय तथा हाट सीट एक्सचेंज में परिवर्तन, समय को बचाने के लिए कार्य मुहाने पर और केन्टीन, क्रेन आदि जैसी मोबाइल सुविधाएं प्रदान किया जाना।

5. हैम की आवाजाही की निगरानी के लिए बड़ी खानों में एकीकृत खान प्रबंधन पद्धति/ग्लोबल अवस्थिति पद्धति।

6. परियोजनाओं में खोदने तथा परिवहन क्षमता के अंतर को समाप्त किया जा रहा है।

विदेश मंत्री का बांग्लादेश दौरा

*227. **श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:**
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने हाल ही में बांग्लादेश का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे के दौरान विभिन्न मुद्दों पर की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीमा पर आतंकवाद के मुद्दे पर भी चर्चा की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां। विदेश मंत्री ने 19 फरवरी, 2007 को ढाका की यात्रा की।

(ख) यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने बंग्लादेश के राष्ट्रपति डा. इयाजुद्दीन अहमद से शिष्टाचार भेंट की और 3-4 अप्रैल, 2007 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 14वें सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बंग्लादेश को आमंत्रित किया। उन्होंने केयरटेकर सरकार के प्रधान सलाहकार डा. फखरूद्दीन अहमद और विदेश संबंधी मामलों के सलाहकार डा. इफ्तेखार अहमद चौधरी के साथ विस्तृत चर्चा की। चर्चा का विषय द्विपक्षीय संबंध और आगामी सार्क शिखर सम्मेलन रहा। द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों को "अग्रगामी मार्ग" पर प्रशस्त करने की सहमति व्यक्त की। सार्क पर हुई चर्चाओं में आगामी सार्क सम्मेलन की सफलता और साफ्ता के शीघ्र और पूर्ण क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।

(ग) जी, हां।

(घ) इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों ने आतंकवाद, जिसने हमारे राजस्व के समक्ष गंभीर चुनौती उत्पन्न की है और दोनों देशों के आर्थिक विकास के लिए खतरा उत्पन्न किया है, का संयुक्त रूप से सामना करने पर सहमति व्यक्त की। केयरटेकर सरकार ने हमें यह आश्वासन दिया है कि वे बंग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत-विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने देंगे।

स्वदेशी 'कम्प्यूटर हार्डकोर' का विकास

*228. **श्री अमिल बसु:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में स्वदेशी 'कम्प्यूटर हार्डकोर' की विनिर्माण क्षमता विकसित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) और (ख) पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने इलेक्ट्रानिकी/सूचना प्रौद्योगिकी विनिर्माण उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कई उपाय किए हैं, जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं यह एक चालू प्रक्रिया है।

विवरण

इलेक्ट्रानिकी/सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

1. इलेक्ट्रानिकी/सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र में 100% तक सभी विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के अनुमोदन स्वचालित मार्ग के अंतर्गत हैं।

2. सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर सहित विनिर्माण उद्योग के विकास को शक्ति प्रदान करने और कायम रखने पर जोर दिया गया है।

3. सीमा शुल्क की उच्चतम दर को घटाकर 10% कर दिया गया है। आईटीए-1 (217 वस्तुएं) पर सीमा शुल्क को 1.3.2005 से समाप्त कर दिया गया है। आईटीए-1 की वस्तुओं के विनिर्माण के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के अधीन सीमा शुल्क से छूट दी गई है। इलेक्ट्रानिक संघटक पुर्जों अथवा प्रकाशित तंतुओं/केबलों के विनिर्माण में प्रयोग की जाने वाली निर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों/उपादानों पर सीमा शुल्क 0% है। इलेक्ट्रानिक वस्तुओं/के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क 0% है।

4. कम्प्यूटरों पर उत्पाद शुल्क 12% है। माइक्रोप्रोसेसरों, हार्ड डिस्क ड्राइवों, फ्लोपी डिस्क ड्राइवों, सीडी रॉम ड्राइवों डीवीडी ड्राइवों, यूएसबी फ्लैश मेमोरी तथा काम्बो ड्राइवों पर उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है। सेल्यूलर फोन सहित मोबाइल हैण्ड सेटों के पुर्जों, संघटक पुर्जों तथा सहायक सामग्रियों पर उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

5. निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (ईपीसीजी) में 5% के सीमा शुल्क के भुगतान पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति है। सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-II) वस्तुओं की आपूर्ति डीटीए को करके ईपीसीजी योजना के अंतर्गत निर्यात की बाध्यता को भी पूरा किया जा सकता है बशर्ते आय नि:शुल्क विदेशी मुद्रा में हो।

6. इलेक्ट्रानिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों (ईएचडीपी)/ निर्यात उन्मुखी इकाइयों (ईओयू) द्वारा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-1) वस्तुओं तथा अधिसूचित शून्य शुल्क दूरसंचार/ इलेक्ट्रानिक वस्तुओं की आपूर्तियों को धनात्मक वृद्धि विदेशी मुद्रा की आय (एनएफई) को पूरा करने में प्रयोजन से गिना जाएगा।

7. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की स्थापना की जा रही है। घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से एसईजेड को बिक्री वास्तविक निर्यात माना जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप देशीय आपूर्तिकर्ताओं को शुल्क वापसी/ डीईपीवी के लाभ, केन्द्रीय बिक्री कर से छूट तथा सेवा कर से छूट के लाभ प्राप्त हो रहे हैं। निर्यात लाभ पर 100% आयकर से छूट एसईजेड इकाइयों को 5 वर्षों तक उपलब्ध है, अगले 5 वर्षों तक 50% और उसके बाद अगले 5 वर्षों के लिए प्लाक बैक लाभ का 50%।

8. पुरानी पूंजीगत का आयात मुक्त रूप से किया जा सकता है।

9. इलेक्ट्रानिकी उपस्करों, कम्प्यूटरों तथा दूरसंचार उपस्करों का व्यवसाय करने वाली कम्पनी के मामले में कम्पनी में किए जाने वाले अनुसंधान एवं विकास कार्य पर हुए व्यय पर 150% की भारित कटौती आयकर अधिनियम की धारा 35 के उपधारा (2एबी) के खण्ड (1) के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई है।

[हिन्दी]

सड़क सुरक्षा निधि

*233. श्री गिरधारी लाल भार्गव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष लगभग 92,000 व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं जैसा कि दिनांक 21 जनवरी, 2007 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्यों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सुरक्षा प्रबंधों की निगरानी करने हेतु राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरण गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार ने तेल पर उपकर लगाते हुए सड़क सुरक्षा निधि सृजित करने की कोई योजना बनाई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) सड़कों पर दुर्घटनाओं के अनेक कारण हैं, जैसे सड़क पर वाहनों की संख्या, जनसंख्या, सड़क स्थल, गति, अलग-अलग यातायात परिस्थितियां आदि। कुल मिलाकर

सड़क दुर्घटनाओं के कारण मृतकों की संख्या बढ़ रही है। तथापि, प्रति 10,000 वाहनों पर सड़क दुर्घटना में मृतकों की संख्या में कमी आ रही है जो निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है:-

वर्ष	मृतकों की संख्या	वाहनों की संख्या	प्रति 10,000 वाहनों पर मृतकों की संख्या
2001	80888	54991026	14.70
2002	84674	58924337	14.37
2003	85998	67007284	12.83
2004	92618	72717935	12.74

(ग) से (च) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली अवसंरचना संबंधी समिति के निर्देशानुसार ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ सदस्य श्री एस. सुन्दर की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन संबंधी समर्पित निकाय की स्थापना पर विचार और उसकी सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। अवसंरचना संबंधी समिति ने भी समर्पित सुरक्षा कोष की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया था जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आबंटित उपकर राजस्व की 1% राशि रखी जाएगी। बाद में यह मामला विचार के लिए सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन समिति को भेज दिया गया था। इस समिति ने 20.2.2007 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इससे एक राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड की स्थापना की सिफारिश की है। इस समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ डीजल और पेट्रोल पर उपकर की कुल आय का न्यूनतम 1% राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कोष के लिए उपलब्ध कराए जाने की भी सिफारिश की है। फिलहाल, मंत्रालय में इस रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

(छ) यद्यपि, सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, इस विभाग ने सड़क प्रयोक्ताओं के लिए सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए अनेक उपाय किए हैं जो इस प्रकार हैं:-

(1) सड़क सुरक्षा, राष्ट्रीय राजमार्ग/एक्सप्रेस मार्गों की योजना स्तर पर सड़क डिजाइन का अभिन्न अंग है।

(2) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए सड़क फर्नीचर, सड़क चिह्नांकन/सड़क संकेत, कुशल परिवहन व्यवस्था का उपयोग करके राजमार्ग यातायात प्रबंधन व्यवस्था की शुरूआत, निर्माण के दौरान ठेकेदारों में अनुशासन बढ़ाना, चुनिंदा खंडों पर सड़क सुरक्षा संपरीक्षा जैसे विभिन्न उपाय किए गए हैं।

(3) असंगठित क्षेत्र में भारी मोटर वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण।

(4) सड़क सुरक्षा क्रियाकलापों में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी।

(5) राज्यों में आदर्श चालक प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना।

(6) दृश्य-श्रव्य-प्रिंट मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरूकता संबंधी प्रचार अभियान।

(7) सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्वैच्छिक संगठनों/व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करना।

(8) वाहनों के सुरक्षा मानक जैसे सीट बेल्ट, पावर स्टेयरिंग, पीछे देखने का शीशा आदि को कठोर बनाना।

(9) राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों के लिए क्रेनों और एंबुलेंसों की व्यवस्था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी पूरे हो चुके ऐसे प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग पर 50 कि.मी. की दूरी पर एंबुलेंस प्रदान करता है जो इसके प्रचालन और अनुरक्षण करार के अंतर्गत हैं।

(10) राष्ट्रीय राजमार्गों को दो लेन से चार लेन का और चार लेन से 6 लेन का बनाना और सुधार करना।

[अनुवाद]

एनीमिया के अत्यधिक मामले

***234. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:**
एडवोकेट सुरेश कुमार:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सबसे ज्यादा गर्भवती और स्तन-पान कराने वाली महिलाएं, विद्यालय जाने की आयु से कम आयु के बच्चे एवं किशोरियां एनीमिया से ग्रस्त पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो एनीमिया से ग्रस्त महिलाओं और बच्चों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) इसके क्या कारण हैं एवं एनीमिया का पता लगाने और इसकी रोक-थाम करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने निर्धन वर्गों के लिए एनीमिया से लड़ने के साधन के रूप में आयरन तथा आयोडीन युक्त नमक (डबल फार्टीफाइट साल्ट) तथा अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता, सुलभता, वहनीयता एवं उनके उपयोग में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या पूरे देश में पोलियो टीकाकरण की तर्ज पर एनीमिया का पता लगाने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-III, 2005-06) के अनुसार 57.8 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं (15-49 वर्ष), 56.1 प्रतिशत विवाहित महिलाएं (15-49 वर्ष) और 6-35 माह के आयु समूह के 79.1 प्रतिशत बच्चे रक्ताल्पता से ग्रस्त हैं। रक्ताल्पता की राज्यवार व्यापतता विवरण-I में दी गई है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पोषण मानीटरिंग कार्यालय (एनएनएमबी) द्वारा 2002 में 8 राज्यों में सूक्ष्म पोषक अल्पता पर किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 12-17 वर्ष के आयु समूह की किशोर लड़कियों में रक्ताल्पता की व्यापतता 69-70 प्रतिशत के बीच है।

(ग) रक्ताल्पता एक बहुमुखी समस्या है। व्यापक रक्ताल्पता के महत्वपूर्ण कारण अनाज आधारित आहार से अपर्याप्त मात्रा में आयरन लेना, हरी पत्तेदार सब्जियों और खट्टे फलों का अपर्याप्त उपभोग, लघु अन्तरालों पर बार-बार गर्भधारण करना, संक्रमणों और इन्फेस्टेशन की उच्च व्यापतता, दोषपूर्ण आहार चलन और आहार विविधता की कमी हैं। ऊपर बताए गए कारकों के अलावा, निरक्षता, निर्धनता, और सामान्य आर्थिक और सामाजिक विकास का भी हमारे देश के लोगों में रक्ताल्पता की घटना पर प्रभाव पड़ता है।

सरकार ने स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और पहुंच में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनएचआरएम) शुरू किया है। एनएचआरएम के अंतर्गत कार्यकलापों में आरसीएच-II कार्यक्रम शामिल है जिसमें प्रसव पूर्व जांच के लिए आने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को आयरन और फालिक एसिड की गोलियां प्रदान की जाती हैं।

सरकार द्वारा रक्ताल्पता सहित लोगों की पौषणिक स्थिति में सुधार करने के अनेक अन्य उपाय किए गए हैं जो विवरण-II में दि गए हैं।

(घ) और (ङ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग एवं महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में गठित की गई एक तकनीकी समिति ने दो बार पुष्ट किए गए नमक (डीएफएस) के स्वैच्छिक इस्तेमाल की सिफारिश की है। डीएफएस देश के कुछ राज्यों में एक प्रायोगिक कार्यक्रम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तथापि, इस समय इसके प्रभाव के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। छत्तीसगढ़ सरकार आईसीडीएस कार्यक्रम के जरिए डीएफएस का वितरण करती आ रही है।

रक्ताल्पता के स्तर में सुधार करने के लिए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरसीएच-II) के अधीन गर्भवती महिलाओं और स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चों को आयरन और फालिक एसिड की गोलियां वितरित की जाती हैं।

सरकार का एक राष्ट्रीय आयोडीन अल्पताजन्य विकार नियंत्रण कार्यक्रम है जिसे 1962 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अधीन लोगों द्वारा आयोडीकृत नमक के उपभोग को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक प्रचार माध्यमों के जरिए गहन जागरूकता पैदा करने वाले कार्यकलाप चल रहे हैं। इसके अलावा, कार्यक्रम में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य निदेशालयों के जरिए आयोडीकृत नमक की गुणवत्ता की मानीटरिंग करने पर भी ध्यान दिया जाता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन राज्यों को सलाह दी गई है कि वे मासिक स्वास्थ्य और पोषण दिवसों का आयोजन करें जहां रक्ताल्पता रोकथाम उपायों पर भी विचार-विमर्श किया जाए।

(च) और (छ) पोलियो प्रतिरक्षण के अनुरूप रक्ताल्पता का पता लगाने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है। तथापि, सरकारी मेडिकल कालेज अस्पतालों, जिला अस्पतालों, प्रथम रेफरल एककों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में हेमोग्लोबिन के आकलन की व्यवस्था है, जहां प्रसव पूर्व जांचें की जाती हैं।

विवरण I

रक्ताल्पता की राज्यवार व्यापकता-एनएफएचएस III

क्र.सं.	राज्य	गर्भवती महिलाएं (15-49 वर्ष)%	विवाहित महिलाएं (15-49 वर्ष)%	बच्चे (6-35 माह)%
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	56.4	62.0	79.0
2.	असम	72.0	69.0	76.7
3.	अरुणाचल प्रदेश	49.2	48.9	66.3
4.	बिहार	60.2	68.3	87.6
5.	छत्तीसगढ़	63.1	57.6	81.0
6.	दिल्ली	29.9	43.4	63.2
7.	गोवा	36.9	38.9	49.3
8.	गुजरात	60.8	55.5	80.1
9.	हरियाणा	69.7	56.5	82.5
10.	हिमाचल प्रदेश	37.0	40.9	58.8
11.	जम्मू-कश्मीर	54.0	53.1	68.1
12.	झारखंड	68.4	70.4	77.7
13.	कर्नाटक	59.5	50.3	82.7
14.	केरल	33.1	32.3	55.7
15.	मध्य प्रदेश	57.9	57.6	82.6
16.	महाराष्ट्र	57.8	49.0	71.9
17.	मणिपुर	36.4	39.3	52.8
18.	मेघालय	56.1	45.4	68.7
19.	मिजोरम	49.3	38.2	51.7
20.	नागालैंड	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
21.	उड़ीसा	68.1	62.8	74.2
22.	पंजाब	41.6	38.4	80.2
23.	राजस्थान	61.2	53.1	79.6

1	2	3	4	5
24.	सिक्किम	53.1	46.8	56.9
25.	तमिलनाडु	53.3	53.3	72.5
26.	त्रिपुरा	57.6	67.4	67.9
27.	उत्तर प्रदेश	51.6	50.8	85.1
28.	उत्तराखंड	45.2	47.6	61.5
29.	पश्चिम बंगाल	62.6	63.8	69.4
	भारत	57.9	56.2	79.2

विवरण II

लोगों की पौषणिक स्थिति में सुधार लाने के लिए उपाए

* कृषि एवं बागवानी उत्पाद बढ़ाना।
* विभिन्न आय अर्जन योजनाओं के जरिए लोगों की क्रयशक्ति बढ़ाना।
* लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए किफायती कीमत पर अनिर्वाय खाद्य सामग्री की उपलब्धता।
* जागरूकता पैदा करने तथा स्तनपान और आहार संबंधी विविधता को बढ़ावा देने सहित आहार संबंध पद्धतियों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए पौषणिक शिक्षा।
* वर्ष 1993 में एक राष्ट्रीय पोषण नीति अपनाई गई है और राष्ट्रीय पोषण कार्य योजना (1995) सरकार के विभिन्न विभागों के जरिए कार्यान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय पोषण मिशन गठित किया गया है।
* किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम सहित समेकित बाल विकास सेवा योजना।
* प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौषणिक सहायता कार्यक्रम (मध्याह्न योजना कार्यक्रम)
* राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रजनन बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल हैं:

  (क) संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देकर, प्रसवपूर्व परिचर्या की उन्नत कवरेज एवं गुणवत्ता, गर्भवती महिलाओं की दक्षतापूर्ण परिचर्या, सामुदायिक स्तर पर प्रसवोत्तर परिचर्या द्वारा मातृ स्वास्थ्य।

  (ख) रोग प्रतिरक्षण।

  (ग) नवजात तथा बाल्यावस्था की बीमारी एवं कुपोषण का समेकित उपचार।

  (घ) शिशु एवं छोटे बच्चों के पोषण पर बल देना।

  (ङ) बच्चों को 5 वर्ष की आयु तक विटामिन 'ए' संपूरण के जरिए तथा स्कूल जाने के पहले के बच्चों, गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए आयरन एवं फोलिक एसिड संपूरण संबंधी सूक्ष्म पोषकतत्वों की कमियों की रोकथाम करने एवं इनसे निपटने के लिए विशेष कार्यक्रम।

* राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम (एनआईडीडीपी)

राष्ट्रीय राजमार्गों पर विश्राम गृह

*235. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर:** क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने विश्राम गृहों का निर्माण किया गया है;

(ख) देश में निर्मित किए जा चुके/निर्माण हेतु प्रस्तावित विश्राम गृहों के स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) जनता द्वारा इन विश्राम गृहों का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान किसी विश्राम गृह का निर्माण नहीं किया गया है। तथापि, असम में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे तीन स्थानों पर अर्थात् बागमारा में राष्ट्रीय राजमार्ग 152, हेलकंडी में राष्ट्रीय राजमार्ग 154 और बकूलिया में राष्ट्रीय राजमार्ग 36 पर विश्राम गृहों के निर्माण का प्रस्ताव है।

(ग) मंत्रालय ने निम्नलिखित वरियता क्रम के अध्यधीन निर्धारित शुल्क के भुगतान पर जनता द्वारा विश्राम गृहों के उपयोग के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं:-

(1) केन्द्रीय और राज्य मंत्री, विधायिका के अध्यक्ष, सभापति और उपाध्यक्ष

(2) राष्ट्रीय राजमार्गों के निरीक्षण से संबंधित सरकारी अधिकारी (राजपत्रित) तथा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में जिला कलक्टर

(3) ड्यूटी पर सरकारी अधिकारी (राजपत्रित), पर्वतीय परिषद और पंचायत समितियों के प्रमुख तथा सरकारी ड्यूटी पर सार्वजनिक उपक्रमों के उच्चाधिकारी

(4) विधायिका के सदस्य

(5) ड्यूटी पर सरकारी अधिकारी (अराजपत्रित)

(6) ड्यूटी पर सरकारी अधिकारी

(7) आम जनता

डाक्टर-रोगी अनुपात

***236. श्री के. सुब्बारायण:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय डाक्टर-रोगी अनुपात क्या है; और

(ख) स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) केन्द्र स्तर पर डाक्टर-रोगी अनुपात से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, रोग के प्रकार, विशिष्टीकरण की प्रकृति, रोगी के लिए अपेक्षित परिचर्या का प्रकार अर्थात अंतरंग/बहिरंग जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर डाक्टर-रोगी अनुपात मामला-दर-मामला भिन्न होता है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अनुसार वर्तमान में एलोपैथिक डाक्टर-जनसंख्या अनुपात 1:1722 है। इसके अलावा, देश में 6 लाख से अधिक भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी के चिकित्सक हैं। इन सभी संख्याओं को मिलाकर डाक्टर-जनसंख्या अनुपात प्रति लाख जनसंख्या पर 128 से अधिक डाक्टर बैठता है। देश में 262 मेडिकल कालेज हैं जिनमें प्रतिवर्ष 29,872 विद्यार्थियों को दाखिला देने की क्षमता है जो वर्तमान चिकित्सा जनशक्ति को बढ़ाते हैं। विशेषकर जनसंख्या के गरीब और कमजोर वर्गों को पहुंच योग्य और विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने के प्रमुख लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन चलाया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से विदेशी मुद्रा अर्जन

***237. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:**
श्री एम. अप्पादुरई:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कम्प्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई तथा अगले तीन वर्षों के लिए राज्य-वार अनुमानत: कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) गत वर्ष के दौरान कौन-कौन से देशों को कम्प्यूटर साफ्टवेयर का निर्यात किया गया;

(ग) क्या वर्ष 2004-2005 के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) साफ्टवेयर के निर्यात में वृद्धि करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) वर्ष 2008 के अंत तक आंध्र प्रदेश में कितने साफ्टवेयर पार्क स्थापित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) और (ख) नैसकाम (राष्ट्रीय साफ्टवेयर एवं सेवा कम्पनी संघ) के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से पिछले तीन वर्षों में निर्यात से हुई कुल आय नीचे दिए अनुसार है (हार्डवेयर के अलावा):

वित्त वर्ष 2003-04	:	12.9 बिलियन अमरीकी डालर
वित्त वर्ष 2004-05	:	17.7 बिलियन अमरीकी डालर
वित्त वर्ष 2005-06	:	23.6 बिलियन अमरीकी डालर

इलेक्ट्रानिकी एवं कंप्यूटर साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद (ईएससी) तथा नैसकाम के अनुसार वर्ष 2010 तक कम्प्यूटर साफ्टवेयर एवं संबंधित सेवा निर्यात (आईटीएस सहित) 60 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) नामक एक स्वायत्त संस्था के अनुसार निर्यात का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

नैसकाम के अनुसार मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोपीय देश भारत से सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों का आयात कर रहे हैं; तथा वित्त वर्ष 2005-06 के लिए आयात का स्तर नीचे दिए अनुसार है:

संयुक्त राज्य अमेरिका	:	67.18%
यूरोप	:	25.13%
शेष विश्व	:	7.69%

(ग) जी, नहीं। नैसकाम के अनुसार कुल निर्यात वर्ष 2003-04 में 12.9 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 17.7 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर एवं सेवा उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय विवरण-II में दिए गए हैं।

(च) एसटीपीआई के अनुसार उन्होंने आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, तिरूपति, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, वारंगल और काकीनाडा में छह केन्द्र स्थापित किए हैं। नया एसटीपीआई केन्द्र स्थापित करने की चालू नीति के अनुसार राज्य सरकार को एसटीपीआई को 3 एकड़ भूमि, 10,000 वर्ग फुट निर्मित स्थल एवं 1 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान उपलब्ध कराना पड़ता है। प्रस्ताव की निर्यात क्षमता और व्यावसायिक व्यवहार्यता के मूल्यांकन के लिए एसटीपीआई द्वारा राज्य सरकार के साथ मिलकर एक व्यवहार्यता अध्ययन किया जाता है। आंध्र प्रदेश में एक नया केन्द्र खोलने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है। आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उनका 8 सूचना प्रौद्योगिकी पार्क तथा 29 सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

विवरण I

(करोड़ रुपए)

राज्य का नाम	वित्त वर्ष 2003-04 में निर्यात	वित्त वर्ष 2004-05 में निर्यात	वित्त वर्ष 2005-06 में निर्यात
1	2	3	4
कर्नाटक	18100	27600	37000
तमिलनाडु	7621	10790	15500
महाराष्ट्र	8518	11542	13960
आंध्र प्रदेश	5025	8270	12500
हरियाणा	4292	5953	8358
उत्तर प्रदेश	2750	3825	5476
दिल्ली	2398	2453	3520

1	2	3	4
पश्चिम बंगाल	1600	2000	2500
उड़ीसा	319	400	465
पंजाब	182	125	182
चण्डीगढ़	39	225	294
केरल	212	270	452
मध्य प्रदेश	102	140	189
गुजरात	141	187	247
राजस्थान	130	200	271
छत्तीसगढ़	0.0	1.0	1
पांडिचेरी	22	30	40
हिमाचल प्रदेश	5	0.60	1
उत्तरांचल	1.0	6.2	8
जम्मू-कश्मीर	1.0	1.0	1
योग	51458	74019	100965

विवरण II

सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर एवं सेवा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

1. व्यवसाय से उपभोक्ता (बी2सी) ई-वाणिज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के प्रस्तावों को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अनुमोदन।

2. सीमा शुल्क की उच्चतम दर को घटाकर 12.5% कर दिया गया है। आईटीए-1 (217 वस्तुएं) पर सीमा शुल्क को 1.3.2005 से समाप्त कर दिया गया है। आईटीए-1 की वस्तुओं के विनिर्माण के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के अधीन सीमा शुल्क से छूट दी गई है। सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर की सीमा शुल्क से छूट दी गई है।

3. कम्प्यूटरों पर उत्पाद शुल्क 12% है। माइक्रोप्रोसेसरों, हार्ड डिस्क ड्राइवों, फ्लोपी डिस्क ड्राइवों, सीडी राम ड्राइवों डीवीडी ड्राइवों, यूएसबी फ्लैश मेमोरी तथा काम्बो ड्राइवों पर उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

4. इलेक्ट्रानिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों/निर्यात उन्मुखी इकाईयों/विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयों द्वारा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-1) वस्तुओं तथा अधिसूचित शून्य शुल्क दूर संचार/इलेक्ट्रानिकी वस्तुओं की आपूर्तियों को धनात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय (एनएफई) को पूरा करने के प्रयोजन से गिना जाएगा।

5. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की स्थापना की जा रही है। घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से एसईजेड को बिक्री वास्तविक निर्यात माना जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप देशीय आपूर्तिकताओं को शुल्क वापसी/डीईपीबी के लाभ, केन्द्रीय बिक्री कर से छूट तथा सेवा कर से छूट के लाभ प्राप्त हो रहे हैं। निर्यात लाभ पर 100% आयकर से छूट एसईजेड इकाइयों को

5 वर्षों तक उपलब्ध है, अगले 5 वर्षों तक 50% और उसके बाद अगले 5 वर्षों के लिए प्लाफ बैक लाभ का 50%।

6. निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (ईपीसीजी) में 5% के सीमा शुल्क के भुगतान पर पूंजीगत वस्तुओं की अनुमति है। ईसीपीजी योजना के अंतर्गत निर्यात की बाध्यता को डीटीए में सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-1) की वस्तुओं की आपूर्ति के जरिए भी पूरा किया जा सकता है, बशर्ते इसकी प्राप्ति विदेशी मुद्रा से मुक्त है।

7. निर्यात उन्मुखी इकाईयों (ईओयू)/साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी)/ईएचीटीपी/विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) योजनाओं के अंतर्गत सभी प्रकार की इकाइयों के मामले में कम्प्यूटरों एवं कम्प्यूटर पेरिफरलों पर मूल्यह्रास 5 वर्ष की अवधि में 100% उपलब्ध है।

8. पुरानी पूंजीगत का आयात मुक्त रूप से किया जा सकता है।

9. इलेक्ट्रानिक्स उपस्करों, कम्प्यूटरों तथा दूर संचार उपस्करों को व्यवसाय करने वाली कम्पनी के मामले में कम्पनी में किए जाने वाले अनुसंधान एवं विकास कार्य पर हुए व्यय पर 150% की कटौती आयकर अधिनियम की धारा 35 के उपधारा (2एबी) के खण्ड (1) के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई है।

10. किसी उद्यम पूंजी निधि के लाभांश दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ के रूप में आय अथवा किसी उद्यम पूंजी उपक्रम में इक्विटी शेयर के रूप में किए गए पूंजीनिवेश से उद्यम पूंजी कम्पनी की आय, जिसके कार्य क्षेत्र में विस्तार करके साफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को शामिल किया गया है, को अब कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। उद्यम पूंजी वित्त को महत्व देने के लिए सेबी को देशीय एवं विदेशी दोनों ही उद्यम पूंजी निधि के पंजीकरण एवं विनियमन के लिए एकल बिन्दु मुख्य एजेंसी बनाया गया है।

11. साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और सूचना सुरक्षा से संबंधित विधिक पहलूओं के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 उपलब्ध है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से ई-वाणिज्य के विस्तार को प्रोत्साहन दिया गया है।

भारतीय विज्ञान कांग्रेस की सिफारिशें

*238. **श्री जुएल ओराम:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2007 ने कोयले के मूल्य को विनियंत्रित करने और कोलफील्डों के आधुनिकीकरण के लिए सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ग) भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2007 की सिफारिशों को अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है। तथापि, कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 की घोषणा के साथ ही कोयले के मूल्य निर्धारण को 1.1.2000 से पूर्णत: विनियंत्रित कर दिया गया है और कोयला कंपनियां कोयले की कीमत को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

खानों में सुरक्षा तथा उत्पादकता में सुधार लाने के लिए कोलफील्डों का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। कोयला कंपनियां, जहां कहीं संभव हो, वृद्धिक उत्पादकता एवं सुरक्षा हेतु भूमिगत खानों में व्यापक उत्पादन पद्धतियों और ओपनकास्ट खानों में हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी को विशेष रूप से अपनाते हुए मशीनीकृत कार्यप्रणालियों के साथ नयी खानों की योजना बना रही हैं। बचाव स्टेशनों सहित खान सुरक्षा उपकरण और सुविधाओं का आवश्यकतानुसार आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

[हिन्दी]

प्रदूषण जनित रोग

*239. **श्री पारसनाथ यादव:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाहनों के कारण फैलने वाला प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है;

(ख) यदि हां, तो वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण के कारण कौन-कौन से रोग होते हैं; और

(ग) ऐसे रोगों की रोकथाम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) वाहन से निकलने वाले उत्सर्जित पदार्थों में पीएम-10, बेंजीन, फार्मेल्डीहाइड, पालीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन इत्यादि सहित कार्बन मोनोक्साईड (सीओ), नाइट्रोजन डाइआक्साइड, सल्फर

डाइआक्साइड, निलंबित विविक्षित पदार्थ शामिल हैं। अनेक जानपदिकरोगविज्ञानी अध्ययनों से पता चला है कि इन यौगिकों के प्रति अरक्षितता श्वसनी समस्याओं, श्वसनी तथा कार्डियोवास्कुलर रोगों में वृद्धि, प्रतिरक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभावों, फेफड़े की क्षति तथा कार्सिनोजेनेसिस से जुड़ी हुई है।

वाहन से निकलने वाले उत्सर्जित पदार्थों के कारण प्रदूषण स्तरों को नियंत्रित करने के निवारक उपायों के रूप में सरकार ने यानीय उत्सर्जन मानकों तथा अन्य नियंत्रण उपायों को कार्यान्वित किया है जैसे कि निम्नलिखित का प्रयोग:

(1) सीसारहित पेट्रोल

(2) भारत चरण-I, II तथा III उत्सर्जन मानक

(3) निम्न सल्फर डीजल

(4) निम्न बेंजीन गैसोलीन

(5) व्यावसायिक वाहनों तथा सार्वजनिक परिवहन के लिए सीएनजी ईंधन

(6) 'प्रदूषण नियंत्रणाधीन' (पीयूसी) प्रमाण-पत्र।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के माध्यम से विभिन्न शहरों में वायु प्रदूषण स्तरों को नियंत्रित करने तथा विभिन्न नियंत्रण उपायों के प्रभावों का अध्ययन करने वाला प्राधिकरण है।

[अनुवाद]

प्रतिबंधित औषधियां

*240. **श्री. मुनव्वर हसन:**
श्रीमती पी. सती देवी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक औषधियां, जो विश्व भर में प्रतिबंधित हैं, भारत में बेची जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में प्रतिबंधित कुछ औषधियां बाजार में अभी भी उपलब्ध हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या प्रतिबंधित औषधियों के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए किसी समिति का गठन किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ज) 'विश्व भर में प्रतिबंधित औषधें' अथवा 'अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से प्रतिबंधित औषधें' जैसा कुछ भी नहीं है। कुछ देशों में प्रतिबंधित औषधों का अन्य देशों में प्रयोग जारी रह सकता है। यह निर्णय कई कारकों जैसे कि देश में रोग पैटर्न, औषध के प्रति किसी खास जनसमूह के जातिगत समूहों की परिवर्ती अभिक्रियाओं तथा अधिक सुरक्षित विकल्पों की उपलब्धता एवं रोग विशेष के उपचार में निहित लागत पर निर्भर करता है।

जब भी अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं, विश्व स्वास्थ्य संगठन पत्रिकाओं में किसी गंभीर प्रतिकूल घटना की सूचना होती है अथवा जब किसी औषध फार्मूलेशन को किसी देश में प्रतिबंधित बतलाया जाता है तो भारत में उस औषध फार्मूलेशन की समीक्षा करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र मौजूद है। इस तरह सूचित औषध के प्रयोग का मूल्यांकन उपलब्ध तकनीकी सूचना, लाभ-जोखिम अनुपात, स्थानीय आवश्यकताओं इत्यादि के आधार पर विशेषज्ञों के साथ परामर्श करके किया जाता है। इस मामले पर औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन एक सांविधिक निकाय औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) द्वारा आगे और विचार किया जाता है। अब तक औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 26-क के अंतर्गत अधिसूचना के जरिए वर्तमान जानकारी के संदर्भ में असंगत अथवा हानिकारक समझी जाने वाली औषधों/फार्मूलेशनों की 78 श्रेणियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। धारा 26क के अंतर्गत प्रतिबन्धित औषधों के देश में विनिर्माण तथा विपणन की अनुमति नहीं दी जाती। औषध नियंत्रण के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसी किसी औषध का विपणन नहीं किया जा रहा है।

देश में प्रतिकूल औषध घटनाओं से संबंधित आंकड़े एकत्र करने के लिए वर्ष 2004 में एक राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम शुरू किया गया है।

मीडिया की बार-बार कवरेज जिसमें भारत में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से प्रतिबंधित औषधों की उपलब्धता बतलायी गई है, को देखते हुए इस समस्या की जांच करने तथा इसका हल करने के लिए उपाय सुझाने के लिए वर्ष 2001 में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई जिसमें संसद सदस्य भी शामिल हैं। समिति ने मई 2002 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में यह व्यक्त किया कि असुरक्षित, असंगत तथा कुछ देशों में प्रतिबंधित औषधों की जांच करने तथा इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए देश में उपयुक्त तंत्र मौजूद है।

[हिन्दी]

परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन

2050. श्री महावीर भगोरा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन हेतु परमाणु ऊर्जा स्रोतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) परमाणु ऊर्जा स्रोत से विद्युत उत्पादन करने में केन्द्र/राज्य/निजी क्षेत्र की भागीदारी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) परमाणु ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने हेतु सरकार की क्या योजना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) देश में मौजूदा परमाणु विद्युत यूरेनियम आधारित है। दो रिएक्टर तारापुर परमाणु बिजलीघर 1 और 2 (320 मेगावाट-ई) जहां आयातित कम समृद्ध यूरेनियम को काम में लाते हैं, वहीं शेष चौदह रिएक्टर (3580 मेगावाट-ई) स्वदेशी प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करते हैं।

(ख) देश में परमाणु विद्युत उत्पादन केन्द्रीय क्षेत्र में आता है। राज्य/निजी क्षेत्र की भागीदारी, परमाणु विद्युत उत्पादन में संलग्न केन्द्रीय सरकारी कंपनियों को सहायता/उपस्करों के विनिर्माण/ईपीसी पैकेजों के निष्पादन आदि के रूप में, अप्रत्यक्ष तौर पर रही है।

(ग) 3900 मेगावाट-ई की मौजूदा स्थापित क्षमता, निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए पूरा होने पर मार्च 2011 तक क्रमिक रूप से बढ़कर 7280 मेगावाट-ई तक पहुंच जाएगी, ग्यारहवीं योजनावधि के प्रस्तावों में, स्वदेशी डिजाइन पर आधारित 5600 मेगावाट-ई क्षमता के लिए काम शुरू करने की परिकल्पना की गई है। नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहकार के लिए हाल ही में पहल स्वरूप किए गए प्रयासों का उद्देश्य, निकट अवधि में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक क्षमता बढ़ा सकने के लिए स्वदेशी कार्यक्रम में अतिरिक्त रिएक्टर स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकियों और ईंधन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने का है।

चिकित्सा विज्ञान में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी

2051. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारत सरकार स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को लागू करने का समर्थन करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 में जेनेटिक्स, जिनोम आधारित औषधि और विकसित टीकों, मोलीक्यूलर बायोलोजी आदि पर आधारित अनुसंधान के नए उभर रहे क्षेत्रों पर बल दिया गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आधारभूत संरचना तथा स्वास्थ्य के जीव विज्ञान की बेहतर समझ के माध्यम से चिकित्सा, स्वास्थ्य, जैव चिकित्सा और चिकित्सा व्यवसाय और शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों क्लिनिकल परीक्षणों और प्रचालन अनुसंधान सहित मौलिक, व्यावहारिक अनुसंधान में कार्य में लगी हुई है। परिषद अनुसंधान कार्यसूची के प्रति वचनबद्ध है जिसमें अत्याधुनिक अभिन्न अंग है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में अल्पकालिक पाठ्यक्रम

2052. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु अल्पकालिक पाठ्यक्रमों का वित्त-पोषण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने पाठ्यक्रमों का वित्त-पोषण किया गया है;

(ग) क्या इसे भविष्य में जारी रखने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) जी, हां। डोनर मंत्रालय, उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए अनेक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की सहायता कर रहा है। वर्ष 2006-07 के दौरान मंत्रालय ने तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण की अपनी योजनागत स्कीम से 54 अल्पकालिक पाठ्यक्रमों (तीन माह से कम अवधि की) का निधियन किया है। उत्तर पूर्व परिषद ने भी वर्ष के दौरान 9 ऐसे कार्यक्रमों की सहायता की है। कार्यक्रम भविष्य में भी जारी रहेगा।

[हिन्दी]

योजनाओं को बंद किया जाना

2053. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दसवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गयी कुछ योजनाओं को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बंद करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें बंद किया जाएगा तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना में इन योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गयी; और

(घ) बंद की जा रही योजनाओं के अंतर्गत रोजगार प्राप्त कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (घ) योजना स्कीमें योजना तैयार करते वक्त शून्य आधारित बजटिंग (जेड बी बी) के आधार पर बंद कर दी जाती हैं। जेड बी बी प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य, योजना उद्देश्यों तथा प्राथमिकता के अनुसार स्कीमों का अभिसरण, दक्षता एवं प्रभाविता को सुनिश्चित करना तथा अत्यधिक न्यायोचित एवं मितव्ययिता सक्षम तरीके से उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करना है। इस तरह की प्रक्रिया नियमित रूप से चलती रहती है।

[अनुवाद]

अधिकारियों पर सी.बी.आई. का छापा

2054. श्री सुव्रत बोस: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सी.बी.आई. द्वारा कितने आई.ए.एस., आई.पी.एस. और आई.एफ.एस. अधिकारियों पर छापे मारे गए;

(ख) संयुक्त सचिव स्तर और उससे ऊपर के अधिकारियों के नाम क्या हैं तथा उन विभागों के नाम क्या हैं जिनमें वे संबंधित हैं;

(ग) कौन सा प्राधिकारी संयुक्त सचिव स्तर और उससे ऊपर के अधिकारियों पर छापा मारने की अनुमति प्रदान करता है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत और अस्वीकृत ऐसी मांगी नयी अनुमतियों के संबंध में ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ससंदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने वर्ष 2004, 2005, 2006 और 2007 (फरवरी, 2007 तक) के दौरान 14 आई.ए.एस., 2 आई.पी.एस., 4 आई.एफ.एस. (भारतीय वन सेवा) और 1 आई.एफ.एस. (भारतीय विदेश सेवा) के अधिकारियों के परिसरों में तलाशियां संचालित की हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) तलाशियां, जांच-पड़ताल के अंश के रूप में, जांच-पड़ताल के अधीन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर संचालित की जाती हैं। सी.आर.पी.सी. के प्रावधानों के अंतर्गत जांचकर्ता अधिकारी या तो सक्षम न्यायालय की अनुमति के अंतर्गत अथवा आपातिक परिस्थितियों में स्वयं ही तलाशियों को संचालित कर सकता है।

विवरण

क्र.सं.	अधिकारियों के नाम और पदनाम तथा उनके विभाग
1	2
1.	श्री मनदीप सिंह, भा.प्र.से., तत्कालीन निदेशक, ग्रामीण विकास और पंचायत, पंजाब
2.	श्री आर.के. श्रीवास्तव, भा.प्र.से., तत्कालीन पंजीयक, सहकारी समितियां, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
3.	श्री के. नागराज, भा.पु.से., तत्कालीन डी.आई.जी., सी.आर.पी.एफ., हैदराबाद अब आई.जी.पी. त्रिपुरा

1	2
4.	श्री के.बी.एस. सिद्धू, भा.प्र.से., तत्कालीन मुख्य प्रशासक, पी.यू.डी.ए., मोहाली
5.	श्री ए.सी. अग्रवाल, भा.प्र.से., तत्कालीन मुख्य प्रशासक, पी.यू.डी.ए., मोहाली
6.	श्री राकेश कुमार, भा.वि.से. (भारतीय विदेश सेवा), पूर्व महानिदेशक, सांस्कृतिक संबंध हेतु भारतीय परिषद (आई.सी.सी.आर.), नई दिल्ली
7.	श्री जे.एस.एल. वासवा, भा.प्र.से., आयुक्त, निचला असम, प्रभाग, गुवाहाटी।

रक्तदाता के खून की जांच हेतु दिशानिर्देश

2055. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रक्तदाता से खरीदे गए खून में एचआईवी और हेपेटाइटिस की मौजूदगी का पता लगाने हेतु उक्त खून की जांच के लिए क्या दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार निजी, कारपोरेट अथवा सोसाइटी के स्वामित्व वाले सभी ब्लड बैंक एचआईवी और हेपेटाइटिस का पता लगाने हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार तकनीकी रूप से सुसज्जित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रत्येक ब्लड बैंक के लिए एचआईवी और हेपेटाइटिस का पता लगाने हेतु तकनीकी रूप से पूर्ण सुसज्जित होना आवश्यक बनाने के लिए सरकार द्वारा कोई कानून बनाया गया है अथवा बनाए जाने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां। दिशा-निर्देश तैयार कर लिए गए हैं।

(ख) और (ग) रक्त बैंकों को एचआईवी और हेपेटाइटिस सहित संचारी संक्रमणों हेतु रक्तदान के लिए परीक्षण हेतु औषध नियंत्रण प्राधिकारियों से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है।

(घ) और (ङ) प्रत्येक रक्त बैंक के लिए एचआईवी और हेपेटाइटिस का पता लगाने के लिए तकनीकी रूप से पूर्णतया उपकरणों से सज्जित होना औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1945 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत अनिवार्य है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

फ्रांस के साथ समझौता ज्ञापन

2056. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज): क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फ्रांस के मारसेल्स क्षेत्र में प्रथम इंटरनेशनल थर्मो-न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर (आई.टी.ई.आर.) की स्थापना हेतु फ्रांस के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा भारत द्वारा इस संबंध में दिए जाने वाले सहयोग का ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) भारत सरकार ने छः अन्य पार्टियों के साथ, मारसेल्स, फ्रांस के निकट सेंट पाल-लेस-ड्यूरेंस (बूश-ड्यू-रान) में आईटीईआर अंतर्राष्ट्रीय संलयन ऊर्जा संगठन स्थापित करने के लिए 21 नवंबर, 2006 को एक संयुक्त क्रियान्वयन करार पर हस्ताक्षर किए हैं। करार करने वाली अन्य छः पार्टियां हैं, यूरोपियन यूनियन जिसका प्रतिनिधित्व यूरोपियन एटामामिक एनर्जी कम्यूनिटी (यूराटोम) करेगी। चीन जनवादी गणराज्य की सरकार, जापान सरकार, कोरिया गणराज्य की सरकार, रूसी परिसंघ की सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार।

(ख) आईटीईआर परियोजना की मुख्य विशेषता, संलयन ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए करने की वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय व्यवहार्यता को सिद्ध करना है, जिसकी मुख्य विशिष्टता संलयन ऊर्जा से निरंतर विद्युत उत्पादन हासिल करना होगी। आईटीईआर परियोजना का उद्देश्य यह सिद्ध करना है कि संलयन का उपयोग, विद्युत शक्ति का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है, और पहले विद्युत उत्पादन संयंत्र के अभिकल्पन और परिचालन हेतु आवश्यक आंकड़े प्राप्त करना है। आईटीईआर संगठन के स्रोत, सदस्य राज्यों से सम्मत अनुपात में प्राप्त योगदान से होंगे। भारत सहित प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित योगदान देगा:

(1) संयुक्त क्रियान्वयन करार में हुई सहमति अनुसार मशीन को निर्मित करने के लिए उपस्कर (वस्तु रूप में योगदान)।

(2) इस परियोजना के लिए स्टाफ, तथा।

(3) आईटीईआर अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्तर पर कुछ प्रणालियों की लागत को पूरा करने के लिए नकद राशि का योगदान।

दस वर्षों की अवधि में, भारत पर पड़ने वाला वित्तीय प्रभाव करीबन 2500 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जोकि अधिकांशत: वस्तु रूप में योगदान के रूप में होगा।

[अनुवाद]

बजटीय आवंटन का उपयोग न किया जाना

2057. श्री राम कृपाल यादव: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला मंत्रालय वर्ष 2006-07 हेतु अपने बजटीय आवंटन का मात्र 1 प्रतिशत उपयोग कर पाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

साइबर अपराध

2058. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में साइबर अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या निवारणात्मक उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) कम्प्यूटरों के ज्यादा इस्तेमाल से विश्वभर में आमतौर पर साइबर अपराध के मामलों में वृद्धि देखी गई है। भारत में भी इसी प्रकार का रुझान देखा गया है।

(ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा रखे गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2003, 2004 तथा 2005 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 एवं भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पंजीकृत किए गए साइबर अपराध के मामले क्रमश: 471, 347 और 481 हैं तथा कुल 1488 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने वर्ष 2005 में 5 मामले और वर्ष 2005 में 2 मामले दर्ज किए, जो मिला-जुला रुझान दर्शाते हैं।

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा भारतीय दण्ड संहिता साइबर अपराधों का सामना करने के लिए कानूनी ढांचा उपलब्ध कराते हैं।

सरकार ने संसद में सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2006 पेश किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए प्रावधान है:

अपराध के नए रूप जैसेकि इलेक्ट्रानिक रूप में कामुक चेष्टाओं वाली सामग्रियों का प्रकाशन, वीडियो दृश्यरतिकता सेवा प्रदाताओं द्वारा गोपनीयता भंग करना तथा आंकड़े प्रकट करना, प्रतिरूपण के जरिए ई-वाणिज्य धोखाधड़ी, जिसे आमतौर पर फिशिंग के रूप में जाना जाता है, पहचान की चोरी तथा संचार सेवा के जरिए अप्रिय संदेश भेजना।

सरकार ने न्यायिक अधिकारियों एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए साइबर कानून एवं साइबर अपराध पर कई जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं।

विभिन्न राज्यों की पुलिस द्वारा स्थापित इकाइयों के अलावा सीबीआई में विद्यमान एक जांच कक्ष साइबर अपराध के मामलों की जांच करता है। सीबीआई साइबर अपराधों की जांच से जुड़े हुए राज्य पुलिस के कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक मुख्य एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्र में डाक्टरों की कमी

2059. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्वास्थ्य परिचर्या परिदृश्य पर फिक्की-अर्नेस्ट एंड यंग द्वारा किए गए संयुक्त अध्ययन के अनुसार वर्ष 2012 तक भारत में 45,000 डाक्टरों और 3,50,000 पैरा-मेडिक्स की कमी होने का अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में संपूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली पर इसके क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) भारतीय स्वास्थ्य परिचर्या परिदृश्य पर फिक्की-अर्नेस्ट एंड यंग ने वर्ष 2012 तक भारत में 453785 डाक्टरों और 1290174 नर्सों की कमी होने का अनुमान लगाया है।

(ख) और (ग) मार्च 2006 की स्थिति के अनुसार, लगभग 7.5% प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक नहीं थे, लगभग 38.9% में प्रयोगशाला तकनीशियन नहीं थे और लगभग 17.7% प्रा.स्वा. केन्द्र फार्मासिस्ट के बगैर कार्य कर रहे थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पदों में से सर्जन के लगभग 59.4%, प्रसव एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञ के 45.0%, प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञानियों के 61.1% और बालरोग विशेषज्ञों के लगभग 53.8% पद रिक्त थे। कुल मिलाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञों के स्वीकृत पदों में से लगभग 54.5% पद रिक्त थे। इसके अतिरिक्त, मौजूदा मानदण्डों के आधार पर वर्तमान बुनियादी ढांचे हेतु आवश्यकता की तुलना में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 70.2% विशेषज्ञों की कमी है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, एक चिकित्सक वाले प्रा.स्वा. केन्द्र में आयुष चिकित्सक के रूप में दूसरे चिकित्सक की तैनाती करके और प्रा.स्वा. स्तर पर कुशल नर्सों की तैनाती करके समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ किया जा रहा है।

राज्यों को चिकित्सकों, विशेषज्ञों और अर्ध-चिकित्सीय स्टाफ को संविदा आधार पर नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। चिकित्सकों को बहु-कौशल प्रशिक्षण और सहायक नर्स धात्रियों/नर्सों को सेवा-कालीन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्यों से उनके नर्सिंग संवर्ग को सुदृढ़ करने का अनुरोध किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2006-07) के तहत, नर्सिंग और सहायक नर्स धात्री विद्यालय की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए निधियों की आवश्यकता को, जैसा कि कुछ राज्यों के पीआईपी में शामिल है, को अनुमोदन दे दिया गया है।

सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी खोला जाना

2060. श्री नवीन जिन्दल:
श्री नकुल दास राई:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में वर्तमान में कितनी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक और एलोपैथिक सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरियां चल रही हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार दिल्ली में और अधिक सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरियां खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरियों में कार्यरत एलोपैथिक डाक्टरों की तुलना में होम्योपैथिक डाक्टरों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु उनकी संख्या बढ़ाने के लिए कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) संसाधन से संबंधित कठिनाइयों/तंगियों को देखते हुए और औषधालय खोलने के लिए अनुमोदन करना संभव नहीं है।

(घ) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में कार्य कर रहे एलोपैथिक डाक्टरों और होमियोपैथिक डाक्टरों की संख्या क्रमश: 558 और 24 है।

(ङ) और (च) संसाधनों की तंगियों और कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा औसत दैनिक रोगी उपस्थिति के अनुसार होमियोपैथी/आयुर्वेद औषधालयों/एककों के स्टाफिंग मानदण्डों के नियतन और आयुष के औषधालयों में कुल मिलाकर फालतू स्टाफ की स्थिति को देखते हुए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में डाक्टरों की संख्या बढ़ाना संभव नहीं हो सकता है।

विवरण

31.3.2006 तक भारत में सभी पद्धतियों के अंतर्गत के.स.स्वा.यो. के औषधालय

शहर	एलोपैथी	आयुर्वेदिक	होमियोपैथी
अहमदाबाद	5	1	1
इलाहाबाद	7	1	1
बंगलौर	10	2	1
भोपाल	1	0	0
भुवनेश्वर	2	1	0
चंडीगढ़	1	0	0
चेन्नई	14	1	1
देहरादून	1	0	0
गोवाहाटी	3	0	1
हैदराबाद	13	2	2
जबलपुर	3	0	0
जयपुर	5	1	1
कानपुर	9	1	2
कोलकाता	17	1	2
लखनऊ	6	1	1
मेरठ	6	1	1
मुम्बई	26	2	3
नागपुर	10	2	1
पटना	5	1	1
पुणे	7	1	2
रांची	2	0	0
शिलांग	1	0	0
त्रिवेन्द्रम	3	1	1
दिल्ली	87	13	13

रक्षित कोयला खनन हेतु कोयला ब्लाक

2061. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना वर्ष 2007 तक विद्युत, लोहा, इस्पात और सीमेंट क्षेत्रों के लिए 62,907.078 मिलियन टन कुल कोयला भंडार के साथ रक्षित कोयला खनन हेतु 38 कोयला ब्लाक आवंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इच्छुक कंपनियों से 12 जनवरी, 2007 तक अपने आवेदन जमा करने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार रक्षित कोयला खनन हेतु 38 ब्लाकों में से एक या उससे अधिक कोयला ब्लाक आवंटित करने हेतु भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों पर विचार करेगी;

(च) सरकार को किस हद तक प्रत्युत्तर प्राप्त होने की संभावना है; और

(छ) इन कोयला ब्लाकों को कब तक आवंटित किये जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी, हां। जांच समिति के माध्यम से आवंटित कि जाने वाले 38 कोयला ब्लाकों का अनुमानित कोयला भंडार 6086.67 मि. टन है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार द्वारा नवम्बर, 2006 में जारी विज्ञापन में 12 जनवरी, 2007 तक केप्टिव खनन के लिए कोयला ब्लाकों के आबंटन हेतु पात्र कंपनियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

(ङ) से (छ) जी, हां। कुल 1422 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कोयला ब्लाक का आबंटन उस समय पर निर्भर करेगा जब तक राज्य सरकारों/नोडल मंत्रालयों के विचार/टिप्पणियां प्राप्त होती हैं और इस प्रयोजनार्थ गठित जांच समिति की सिफारिशें प्राप्त होती हैं। इस स्तर पर कोई निश्चित तारीख नहीं दी जा सकती है।

[हिन्दी]

इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

2062. श्री चकुल दास राई: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर सिक्किम में स्थापित इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त वर्षों के दौरान आज तक इस प्रयोजनार्थ निर्धारित कितनी धनराशि आबंटित और खर्च की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। वर्ष 2006-07 के दौरान सिक्किम के शेराथांग में एक एक्सचेंज स्थापित किया गया है।

(ख) इन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ निर्धारित/आबंटित/खर्च की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा

राज्य	एक्सचेंज का स्थान/नाम		
	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4
	पूर्वोत्तर-I सर्किल		
मेघालय	1. हल्दीदायगंज	1. खरकुट्टा	1. लास्का
		2. लाबाह	

1	2	3	4
		3. मेंदेल	
		4. ठमदेन	
		5. मालनकोना	
		6. फारेस्ट कालोनी	
त्रिपुरा	1. कोलेगेटिला	1. सालगढ़	
	2. सिलाचरी	2. गोलाघाट	
	3. राम नगर	3. खुम्बलोंग	
	4. दासड़ा	4. बोधजंगनगर	
मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोत्तर-II सर्किल		
अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
मणिपुर	1. काकचिंग खुनो	1. चकपिकारोंग	
	2. मारम	2. सेतू गम्फाजोल	
	3. नुंग्बा	3. सुगनू	
	4. पुरुल		
	5. सांगदोह		
	6. सिंघाट		
नागालैंड	1. खोनोमा	1. फुगोबोटा	1. भांदरी
	2. पिफेमा	2. वकबामा	
		3. चुंलिका	
	असम सर्किल		
असम	1. पटगांव	1. तिलांगी	1. गोलपाड़ा
	2. बसंतीपुट	2. आनंदपाड़ा	2. गोबरादल
	3. श्रीरामपुर	3. मोनोहा	3. दांगतोल
	4. चांदकुची		4. माकुम रोड
	5. अम्बारी		5. तेंगापुखरी
	6. मजग्राम		6. अमहारी
	7. सदेरी		7. सिंगीमारी
	8. रानीगंज		8. फुरोनैती

1	2	3	4
	9. लखीगंज		9. कुजीसतरा
	10. बोरोबजार		10. गोराजन
	11. जमीरा		11. सिबपुर
	12. काकोजन		12. कप्तानपुर
	13. केतेतोंग		
	14. नया बाजार		
	15. कोया		
	16. धमधमा		
	17. हेंगराबारी		
	18. रांगिया मार्केट		
	19. हवाईपुर		
	20. जालगुन		
	21. अमसोई		
	22. बोहा		
	23. रजमायोंग		
	24. मरजतकंडी		
	25. दौलिया		
	26. बोरबली		
	सिक्किम		
सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य

विवरण II

एक्सचेंज स्थापित किए जाने के प्रयोजनार्थ आबंटित तथा खर्च की गई निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

सर्किल का नाम	2003-04		2004-05		2005-06	
	आबंटित राशि	खर्च की गई राशि	आबंटित राशि	खर्च की गई राशि	आबंटित राशि	खर्च की गई राशि
पूर्वोत्तर-I	1.12	0.79	1.30	0.64	0.10	0.06
पूर्वोत्तर-II	3.00	5.22	7.22	9.26	0.33	0.33
असम	9.52	6.53	0.90	0.62	5.60	3.80

[अनुवाद]

रगबी सेवन्स का आयोजन

2063. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के दौरान अपने खेल परिसर में रगबी सेवन्स का आयोजन करने तथा भाग ले रहे एथलीटों को प्रैक्टिस सेशन हेतु अपने खेल मैदान मुहैया कराने पर सहमत हो गया है जैसा कि 9 जनवरी, 2007 के "इंडियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पहले विश्वविद्यालय प्रशासन इस खेल का आयोजन अपने आउटडोर स्टेडियम में कराने हेतु अनिच्छुक था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस प्रस्ताव पर राष्ट्रमंडल आयोजन समिति (सी.डब्ल्यू.ओ.सी.) द्वारा विचार किया जा रहा है;

(च) इस खेल के आयोजन पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है; और

(छ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां।

(ख) रगबी सेवन्स के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय का मुख्य मैदान प्रतियोगिता स्थल के रूप में चयनित किया गया है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय के विभिन्न अन्य कालेजों के मैदान भी प्रशिक्षण स्थल के रूप में उपयोग किए जाने की संभावना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) दिल्ली विश्वविद्यालय में रगबी सेवन्स के प्रतियोगिता स्थल को रखने के प्रस्ताव पर राष्ट्रमंडल आयोजन समिति, 2010 द्वारा विचार किया गया है और उसे स्वीकार्य पाया गया।

(च) विस्तृत अनुमान दिल्ली विश्वविद्यालय से अभी प्राप्त किए जाने हैं।

(छ) प्रतियोगिता स्थल पर निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। प्रशिक्षण स्थलों के संदर्भ में ब्योरों को अंतिम रूप देने के संबंध में सभी पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी

2064. श्री पी.एस. गड़वी:
श्री संजय धोत्रे:
डा. राजेश मिश्रा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मोबाइर नम्बर पोर्टेबिलिटी के क्रियान्वयन के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों का बी.एस.एन.एल, भारती और हच आदि जैसे बड़े मोबाइल आपरेटरों द्वारा विरोध किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एम.एन.पी.) से संबंधित ट्राई की सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु अब तक क्या प्रगति की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) मोबाइल नंबर पोर्टेबिलटी के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा सिफारिशें जारी करने से पूर्व विचार-विमर्श की प्रक्रिया के दौरान कुछ स्टेकहोल्डरों ने कहा है कि:

(1) अधिकांश देशों में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी तब शुरू की गई थी जब टेलीघनत्व लगभग 25 से 30% था।

(2) वर्तमान में अधिकांश मोबाइल प्रचालक अपना नेटवर्क अर्धशहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थापित करने में लगे हैं, अत: यह मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को क्रियान्वित करने का सही समय नहीं है क्योंकि उन्हें मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए अपने नेटवर्क/स्विचों के उन्नयन पर भारी खर्चा करना होगा।

(3) सभी लाइसेंस क्षेत्रों में कड़ी प्रतिस्पर्धा है, अतः मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी क्रियान्वित करने पर ग्राहकों को कोई अधिक लाभ नहीं होगा।

(ग) आज की तारीख तक इस मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

महानदी कोल फील्डस लिमिटेड द्वारा भूमि अधिग्रहण

2065. श्री गिरिधर गमांग: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महानदी कोल फील्डस लिमिटेड द्वारा विभिन्न खनन क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति, पुनर्वास एवं अन्य संबंधित मामलों हेतु क्या नीति बनाई और क्रियान्वित की गई है;

(ख) नए खनन क्षेत्र कहां-कहां स्थित हैं और भूमि अधिग्रहण एवं अन्य संबंधित मामलों हेतु क्या कदम उठाए गये हैं;

(ग) क्या सरकार विस्थापित एवं प्रभावित परिवारों में व्याप्त असंतोष के मद्देनजर विद्यमान नीति में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) भूमि का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 तथा कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 के अधीन किया जाता है। इन अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे का भुगतान किया जाता है। पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की अन्य सहायक कंपनियों की तरह एमसीएल भी जहां कहीं उपलब्ध है, सीआईएल की पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास नीति का अनुपालन कर रही है।

(ख) एमसीएल ने खनन क्रियाकलापों के लिए उड़ीसा राज्य में नयी परियोजनाओं अर्थात भुवनेश्वरी, कनिहा, कुल्दा एवं गर्जनबहल की पहचान की है। एमसीएल भूमि अधिग्रहण तथा अन्य सम्बद्ध मामलों में उपर्युक्त (क) में उल्लिखित अधिनियमों/नियमों/नीतियों का अनुपालन करेगी।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति-2003 का संशोधन इस समय सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

बिहार में अंतरराज्यीय जल-परिवहन

2066. श्री कैलाश बैठा: क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2003-04 के दौरान, सरकार द्वारा बिहार में जलाकृतिक आंकड़ों (हाइड्रोमॉर्फोलौजिकल डाटा) को एकत्र करने एवं गंडक नदी में अंतरराज्यीय जल-परिवहन-सुविधाओं का विकास करने हेतु विस्तृत परियोजना-रिपोर्ट तैयार करने के लिए 30 लाख रु. संस्वीकृत किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या निधियों का पूर्णतः उपयोग किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस परियोजना हेतु प्रस्तावित मार्ग का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना के पूरा होने से क्या लाभ मिलने की संभावना है?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस परियोजना की संस्वीकृति के समय, बिहार की राज्य-सरकार को मार्च, 2004 में, 5.00 लाख रु. की धनराशि मुहैया करवा दी गई थी। फिर भी, बिहार की राज्य-सरकार द्वारा दिसम्बर, 2006 तक उपर्युक्त धनराशि का बिलकुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। उपर्युक्त राज्य-सरकार, विस्तृत परियोजना-रिपोर्ट तैयार करवाने हेतु परामर्शक की नियुक्ति के बारे में निविदाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में लगी है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त प्रस्ताव, जल आकारिकीय (हाइड्रोमॉर्फोलौजिकल) आंकड़े एकत्र किए जाने और बिहार में गंडक-नदी की विस्तृत परियोजना-रिपोर्ट तैयार किए जाने के बारे में है। फिर भी, मार्ग विशेष और संभावनीय लाभों का, बिहार की राज्य-सरकार द्वारा विस्तृत परियोजना-रिपोर्ट तैयार करवा लिए जाने के बाद ही पता लग सकेगा।

[अनुवाद]

तटीय सुरक्षा

2067. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में तटीय सुरक्षा के मुद्दे पर विचार करने हेतु हाल में एक बैठक आयोजित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ग) लगातार सुरक्षा-खतरों का सामना कर रहे देशों की समुद्री सीमाओं पर कड़ी नजर रखने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक, दिनांक 12.02.2007 को हैदराबाद में हुई, जिसमें आंतरिक सुरक्षा, तटीय सुरक्षा इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। तटीय क्षेत्रों की गश्त लगाने और निगरानी करने की दृष्टि से अपेक्षित अवसंरचनात्मक सुविधाएं बढ़ाने हेतु तटीय राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता मुहैया करवाए जाने की एक योजना, वर्ष 2005-2006 से कार्यान्वित किए जाने की प्रक्रिया में चल रही है। उपर्युक्त योजना में, गैर-आवर्ती व्यय हेतु 400 करोड़ रु. के परिव्यय और 5 वर्ष की अवधि हेतु आवर्ती व्यय हेतु 151 करोड़ रु. की धनराशि का प्रावधान है।

भारतीय पत्तनों में सुरक्षा-उपायों की समीक्षा करने हेतु दिनांक 31.07.2006 को चेन्नई में भी एक बैठक आयोजित की गई। देश में महापत्तनों और महापत्तनों से इतर कुछ पत्तनों (लघु पत्तनों) ने पोतों और पत्तन-सुविधाओं की सुरक्षा के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संहिता कार्यान्वित कर दी है और वे अपने यहां आने वाले पोतों पर नजर रखते हैं। इसके अलावा, तट-रक्षक-पोत और वायुयान, लगातार गश्त लगाकर अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रीय सीमा-रेखा पर कड़ी नजर रखते हैं।

भारतीय एथलीटों का प्रदर्शन

2068. श्री सी. कुप्पुसामी: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भारतीय एथलीटों और खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या पहलें की गई हैं अथवा करने का प्रस्ताव है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं अथवा प्रत्याशित होने की संभावना है;

(ग) देश में एथलीटों और खिलाड़ियों की पहचान करने एवं इनका विकास करने हेतु सरकार द्वारा क्या दृष्टिकोण अपनाया गया है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) वर्ष 2007-08 हेतु देश में खेलों का विकास करने हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) विभिन्न खेल विधाओं के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों में निहित है। सरकार दीर्घकालिक विकास योजनाओं में हुई सहमति के अनुसार, भारत में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन, विदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों/टीमों की सहभागिता, भारतीय और विदेशी दोनों ही कोचों के लिए प्रशिक्षण और प्रबंधन, उपकरणों और उपभोज्य आदि की खरीद, वित्तीय सहायता के उनके प्रयासों को बढ़ावा दे रही है। इस संबंध में, प्रतिभा का पता लगाने और उसे पोषित करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने, पदक जीतने में सक्षम शीर्ष खिलाड़ियों का पता लगाने और संबद्ध प्रशिक्षण अपेक्षाओं जैसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर इस संबंध में, प्रतिभा का पता लगाने और उसे पोषित करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने, पदक जीतने में सक्षम शीर्ष खिलाड़ियों का पता लगाने और संबद्ध प्रशिक्षण अपेक्षाओं जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अवसर और सहभागिता तथा विभिन्न खेल विधाओं के योजनाबद्ध विकास के लिए अन्य उपायों के लिए योजनाबद्ध नीतियों का विकास करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय खेल परिसंघों तथा अन्य पणधारियों जैसे भारतीय ओलम्पिक संघ, भारतीय खेल प्राधिकरण आदि के साथ विस्तृत विचार-विमर्श भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सरकार उपकरणों की खरीद के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सहायता भी प्रदान कर रही है। तथा "प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण से संबंधित योजना" और "राष्ट्रीय खेल विकास निधि" के अंतर्गत देश और विदेश में वैज्ञानिक समर्थन और प्रशिक्षण तथा सहभागिता का प्रावधान है। भारतीय खेल प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अवस्थापना का आगे विस्तार करने तथा सुदृढ़ करने और प्रशिक्षण के लिए प्रबंध आदि के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं।

(ख) इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है। भारत ने एशियाई खेल, 2002 में 36 पदकों की तुलना में एशियाई खेल,

2006 में 54 पदक जीते तथा सैफ खेल, 2004 में 191 पदकों की तुलना में सैफ खेल, 2006 में 234 पदक जीते।

(ग) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत प्रतिभा का पता लगाने और उसे पोषित करने तथा महत्वपूर्ण इनपुट अर्थात कोचिंग, अवस्थापना और उपस्कर समर्थन, खेल किट तथा प्रतियोगिता में प्रदर्शन के अवसर प्रदान करके सब-जूनियर, जूनियर और सीनियर स्तरों पर पता लगाये गए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यवाही की जा रही है:-

1. राष्ट्रीय केल प्रतिभा स्पर्धा (एनएसटीसी)
2. सेना बाल खेल कंपनी (एबीएससी)
3. भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र (एसटीसी)
4. विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी) योजना
5. उत्कृष्टता केन्द्र (सीओएक्स)।

भारतीय खेल प्राधिकरण के तहत 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 10,000 से कम थी जो अब बढ़कर 13,000 से अधिक हो चुकी है। मंत्रालय युवा विकास के अनिवार्य घटक तथा खेल प्रतिभा का पता लगाने के कैचमेंट एरिया को काफी विस्तृत करने और उसे पोषित करने दोनों के लिए आधारभूत खेल अवस्थापना प्रदान करने तथा आधारभूत स्तर पर खेल गतिविधियों के संवर्धन की दृष्टि से "पंचायत युवा खेल अभियान" नाम से एक योजना प्रारंभ करने पर भी विचार कर रहा है।

(घ) वर्ष 2007-08 के दौरान खेलों के लिए 540.00 करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

खेलों को बढ़ावा देना

2069. श्रीमती गीता पटैरिया: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में खेलों को बढ़ावा देने हेतु कोई ठोस योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्यालय और महाविद्यालय खेलों को पर्याप्त महत्व नहीं दे रहे हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उन विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है जिनके खिलाड़ियों ने ओलंपिक एवं एशियाई खेलों में प्रतिनिधित्व किया है; और

(च) देश के विद्यालयों और महाविद्यालयों में खेलों को बढ़ावा देने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) खेल राज्य का विषय है तथा इनसे संबंधित राज्यों में खेलों का संवर्धन मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है जबकि विभिन्न खेल विधाओं के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित खेल परिसंघों की है जो स्वायत्तशासी पंजीकृत संस्थाएं हैं।

तथापि, भारत सरकार निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से देश में खेलों के संवर्धन के लिए राज्य सरकारों और खेल परिसंघों के प्रयासों को पूरा कर रही है।

1. राष्ट्रीय खेल परिसंघ को सहायता की योजना
2. प्रतिभा खोज एवं प्रशिक्षण
3. राज्य खेल अकादमियों की योजना
4. पुरस्कारों से संबंधित योजना
   (1) अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में उनके विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार
   (2) राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार
   (3) मौलाना अबुल कलाम आजाद (माका) ट्राफी

इसके अलावा, योजनेतर योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार, खेलों में जीवनपर्यंत उपलब्धि के लिए ध्यान चन्द और श्रेष्ठ प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।

5. खेल गतिविधियों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन
   (1) सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को पेंशन
   (2) ग्रामीण खेल कार्यक्रम
   (3) स्कूलों में खेलकूद का संवर्धन

(4) खेल छात्रवृत्तियां

(5) राष्ट्रीय खेल विकास निधि

इसके अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण मंत्रालय द्वारा प्रदान किये अनुदानों के जरिए देश में केल संवर्धन की निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित करता है:-

1. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा स्पर्धा (एनएसटीसी)
2. सेना बाल खेल कंपनी (एबीएससी)
3. भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र (एसटीसी)
4. विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी) योजना, और
5. उत्कृष्टता केन्द्र (सीओएक्स)

भारतीय खेल प्राधिकरण ने देश के विभिन्न भागों में अपने केन्द्रों पर विस्तृत अवस्थापना और प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना की है और भा.खे.प्रा. की योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 10वीं योजना के शुरू में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 10,000 से कम थी जिसे चालू वर्ष के अंत में लगभग 14000 (प्रत्याशित) बढ़ाया गया है। 11वीं योजना में इसमें 50,000 तक बढ़ोत्तरी करना प्रस्तावित है।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, ''पंचायत युवा खेल अभियान'' की एक योजना आरम्भ करने पर भी विचार कर रहा है जिसका उद्देश्य मूलभूत खेल अवस्थापना का विकास करना तथा ग्राम/उप-जिला स्तर पर खेल कूद गतिविधियों का संवर्धन करना, युवाओं के विकास के आवश्यक घटक के रूप में तथा खेल प्रतिभा का पता लगाने तथा पोषण करने के व्यापक प्रसार, दोनों के रूप में है। प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए सभी संबंधित पणधारियों से इस संबंध में विचार-विमर्श किया जा रहा है।

(ग) और (घ) यह सच है कि स्कूल और कालेजों में खेलकूद पर ध्यान देना अपेक्षित है। स्कूल/कालेजों में खेलकूद के बारे में ज्यादा बल नहीं दिया गया है:-

1. खेल-जागरूकता की सामान्य कमी और मां-बाप तथा अध्यापकों के बीच अकादमियों पर ध्यान देना;
2. खेल एवं अनिवार्य शारीरिक शिक्षा को बनाने के लिए नीति के कार्यान्वयन पर अपर्याप्त बल;
3. पर्याप्त खेल सुविधाओं और शैक्षिक संस्थानों में खेल मैदानों का उपलब्ध न होना।

(ङ) मंत्रालय में यह सूचना नहीं रखी जाती है।

(च) सरकार राज्य सरकार के सहयोग से, भारतीय खेल प्राधिकरण के जरिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी गई ओलंपिक और देशज खेलों में बहु-खेल प्रतियोगिता संगठन के माध्यम से देश में स्कूल और कालेज में खेलों को बढ़ावा देती है।

हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा-सूची में शामिल करने संबंधी समिति

2070. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजभाषा हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाने हेतु गठित समितियों/उपसमितियों/कोर समूह द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं और इसके परिणामस्वरूप कितनी प्रगति हुई है;

(ख) समितियों/कोर समूह का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कुल कितना व्यय किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक विदेशों में राजभाषा को बढ़ावा देने हेतु विदेशों की यात्रा करने वाले प्रतिनिधिमंडलों की संख्या कितनी है और प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल के प्रतिनिधियों के नाम क्या हैं और इसके परिणामस्वरूप कितनी सफलता प्राप्त हुई है; और

(घ) इन यात्राओं पर कुल कितना व्यय किया गया?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) और (ख) माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 6 सितंबर, 2002 को आयोजित केन्द्रीय हिंदी समिति की 26वीं बैठक में लिये गये निर्णय के उपरांत 26 फरवरी, 2003 को संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी विषय पर विदेश मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च-समिति का गठन किया गया। इस समिति की बैठक 29 जुलाई, 2003 को हुई। तत्पश्चात् विदेश राज्य मंत्री की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी विषय पर एक अनुवर्ती उप-समिति का गठन किया गया। इस समिति की बैठक 22 अगस्त, 2003 को हुई। तत्पश्चात् विदेश मंत्रालय में अपर सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में एक कोर ग्रुप का गठन किया गया। इस कोर ग्रुप की बैठकें 17 अक्तूबर, 2003 और 10 फरवरी, 2004 को हुई।

उपर्युक्त 29 जुलाई, 2003 की बैठक में पक्ष समर्थन दस्तावेज तैयार करने पर विचार किया गया था। पक्ष समर्थन दस्तावेज का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को मान्यता दिलाने के संबंध में भारत

के पक्ष को प्रस्तुत करना और इस मुद्दे पर विश्व का मत जुटाना था। इस दस्तावेज को तैयार करने का कार्य पहले "दैनिक जागरण" के एक पत्रकार श्री निर्मल पाठक को सौंपा गया था। बाद में नवम्बर, 2004 में उनके स्थान पर "राष्ट्रीय सहारा" के श्री अखिलेश सुमन को यह कार्य सौंपा गया। श्री सुमन ने मई 2005 में समर्थन दस्तावेज को प्रस्तुत किया। इसे मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना सामग्रियों से संपूरित किया गया।

तत्पश्चात् संयुक्त राष्ट्र में हिंदी विषय को विश्व हिंदी सम्मेलन से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई समिति के क्षेत्राधिकार में लाने का निर्णय लिया गया, जिसका गठन सातवें विश्व हिंदी सम्मेलन के पश्चात विश्व हिन्दी सम्मेलन के दौरान इस विषय पर पारित संकल्प पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2003 में तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति की बैठकें 8.1.2004, 8.6.2005 और 1.6.2006 को हुई, जिनमें संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को मान्यता दिलाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तौर-तरीकों पर चर्चा की गयी।

विश्व हिन्दी सम्मेलन की अनुवर्ती कार्रवाई समिति की 8 जून, 2005 और 1 जून, 2006 को हुई बैठकों के आयोजन में क्रमशः 54,088 रु. और 26,730 रु. का व्यय हुआ।

चूंकि उपर्युक्त अन्य समितियों के सदस्य केवल मंत्रालय के अधिकारी थे, इसलिए इन समितियों की बैठकों पर कोई व्यय नहीं हुआ।

(ग) और (घ) ब्यौरे विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

विदेशों में हिंदी का प्रचार-प्रसार करने के मंत्रालय के प्रयासों के भाग के रूप में मंत्रालय/विदेश स्थित भारतीय मिशनों द्वारा विभिन्न देशों में हिन्दी सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। पिछले तीन वर्षों से आज तक आयोजित हुए सम्मेलनों में भाग लेने वालों के नाम और उन पर हुए व्यय के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	सम्मेलन का स्थान	आयोजन की तारीख	सम्मेलनों पर हुआ व्यय	भारत से भाग लेने वाले लोगों के नाम
1.	बुखारेस्ट (रोमानिया)	28-30 जुलाई, 2004	3,70,162 रु.	1. श्री महेश सचदेव, संयुक्त सचिव (यूरोप-II) 2. श्री एस.के. श्रीवास्तव, उप सचिव (हिन्दी)
2.	सिडनी (आस्ट्रेलिया)	3-5 फरवरी, 2006	9 लाख रु.	1. श्री विजय कुमार, सचिव (समन्वय) 2. श्री एस.के. श्रीवास्तव, उप सचिव (हिंदी)
3.	आबू धाबी (संयुक्त अरब अमीरात)	24-26 फरवरी, 2006	7.5 लाख रु.	1. श्रीमती मधु गोस्वामी, उप सचिव (हिंदी)
4.	टोक्यो (जापान)	28-30 जुलाई, 2006	15 लाख रु.	1. डा. अशोक चक्रधर 2. डा. सूरजभान सिंह 3. डा. वी.के. मल्होत्रा 4. श्री नारायण कुमार 5. श्रीमती मधु गोस्वामी, उप सचिव (हिंदी)

इन सम्मेलनों से संबंधित क्षेत्रों में हिंदी के प्रति पर्याप्त रुचि जगाने में सहायता मिलेगी।

हाई-टेक पार्क

2071. श्री अजीत जोगी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने हेतु सभी राज्यों में हाई-टेक पार्क स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में हाई-टेक पार्कों का ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक में राज्य-वार कितना निवेश किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार

और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) नामक स्वायत्त संस्था ने देश भर में 48 केन्द्र स्थापित किए हैं, इन केन्द्रों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

एक नया एसटीपीआई स्थापित करने के लिए चालू नीति के अनुसार राज्य सरकार एसटीपीआई को 3 एकड़ भूमि, 10,000 वर्ग फुट का सहायता अनुदान प्रदान करती है। प्रस्ताव का निर्यात की क्षमता और व्यावसायिक व्यवहार्यता की दृष्टि से मूल्यांकन के लिए एसटीपीआई द्वारा राज्य सरकार के साथ मिलकर व्यवहार्यता अध्ययन किया जाता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमकर्ता पार्कों (स्टेप्स) को प्रोत्साहन दिया है, जिनकी स्थापना नवीकरण एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के आस-पास की जाती है। स्टेप्स के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी शामिल है। स्टेप्स के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क

राज्य	एसटीपीआई केन्द्र
1	2
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद, तिरूपति, विजयवाड़ा, वाइजैग, वारंगल, काकीनाडा
असम	गुवाहाटी
छत्तीसगढ़	भिलाई
गुजरात	गांधी नगर
हिमाचल प्रदेश	शिमला
जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर, जम्मू
झारखण्ड	रांची
कर्नाटक	बंगलौर, हुबली, मंगलोर, मणिपाल, मैसूर
केरल	तिरूवनन्तपुरम
मध्य प्रदेश	इंदौर
महाराष्ट्र	औरंगाबाद, नागपुर, नासिक, नवी मुम्बई, पुणे, कोल्हापुर
मणिपुर	इम्फाल
उड़ीसा	भुवनेश्वर, राउरकेला
पांडिचेरी	पांडिचेरी
पंजाब	मोहाली
राजस्थान	जयपुर, जोधपुर
सिक्किम	गंगटोक
तमिलनाडु	चेन्नै, कोयम्बटूर, मदुरै, तिरुनावेली, त्रिची
उत्तर प्रदेश	कानपुर, लखनऊ, नोएडा, इलाहाबाद
उत्तरांचल	देहरादून
पश्चिम बंगाल	कोलकाता, दुर्गापुर, खड़कपुर, सिलगुड़ी

विवरण II

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमकर्त्ता पार्क (स्टेप्स)

क्र.सं.	राज्य	स्थान	प्रचालन का क्षेत्र	परियोजना की लागत (लाख रुपयों में)
1	2	3	4	5
1.	झारखंड	बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा, रांची	यांत्रिक इंजीनियरी, खनन उपस्कर इलेक्ट्रानिक्स	148.00
2.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	साफ्टवेयर एवं कंप्यूटर	109.00

1	2	3	4	5
3.	कर्नाटक	(1) एस.जे. इंजीनियरी कालेज, मैसूर	इलेक्ट्रानिक्स, साफ्टवेयर विकास	215.40
		(2) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कर्नाटक, सूरतकल	साफ्टवेयर, जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण इंजीनियरी	217.00
4.	मध्य प्रदेश	मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी कालेज, भोपाल	इलेक्ट्रानिक्स, साफ्टवेयर, विद्युत इंजीनियरी	170.00
5.	महाराष्ट्र	पूना विश्वविद्यालय, पूणे	यंत्रीकरण, सौर विद्युत, कम्प्यूटर्स	70.00
6.	पंजाब	गुरु नानक इंजीनियरी कालेज, लुधियाना	यांत्रिक साधन, स्वचालन इलेक्ट्रानिकी	200.00
7.	तमिलनाडु	(1) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, त्रिचलापल्ली	इलेक्ट्रानिकी उत्पादन एवं यांत्रिक इंजीनियरी	150.00
		(2) पीएसजी प्रौद्योगिकी कालेज, कोयम्बटूर	इलेक्ट्रानिक्स, साफ्टवेयर, यांत्रिक इंजीनियरी	388.80
8.	उत्तर प्रदेश	हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	रसायन, इलेक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर	205.00
9.	उत्तरांचल	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की	इलेक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर, यांत्रिक इंजीनियरी	150.00
10.	पश्चिम बंगाल	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	यांत्रिक, सू.प्रौ., कृषि, धातु-कर्म, खाद्य प्रसंस्करण	287.00

[अनुवाद]

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

2072. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 को लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड्स आथोरिटी आफ इंडिया गठित किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(च) अधिनियम को समुचित ढंग से लागू करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (च) खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित खाद्य सुरक्षा एवं मानक विधेयक, 2005 का प्रारूप जिसे बाद में संसद द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) बनाया गया था, को भारत के राष्ट्रपति की सहमति मिल चुकी है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 92 के उपबंध के अनुसार खाद्य प्राधिकारी को इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने में विनियम बनाने होते हैं।

यह अधिनियम केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करने की तारीख से लागू हो जाएगा। मंत्रिमण्डलीय सचिव की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकारी बनाने के लिए एक विषय निर्वाचन दल गठित किया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग

2073. **श्री गणेश सिंह:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री एस.के. खारवेनथन:
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:
श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री बालेश्वर यादव:
श्री के.सी. पल्लानी शामी:
श्री एन.एस.वी. चित्तन:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:
श्री मोहन सिंह:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जैसाकि दिनांक 12 फरवरी, 2007 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें क्या है;

(ग) क्या आयोग ने अगले तीन वर्षों में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन विश्वविद्यालय को किन स्थानों पर स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार ने इसकी सिफारिशों पर विचार करने हेतु योजना आयोग से परामर्श किया है;

(च) यदि हां, तो किन सिफारिशों को स्वीकार किया गया है;

(छ) क्या संसदीय मंच द्वारा सिफारिशों की समीक्षा की जाएगी;

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(झ) क्या सरकार का विचार शिक्षा क्षेत्र में सुधार करने का है;

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शिक्षा क्षेत्र हेतु कितना धन प्रदान किया गया है; और

(ट) इन सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी, हां।

(ख) उच्चतर शिक्षा संबंधी रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:-

* देशभर में लगभग 1500 विश्वविद्यालयों तक व्यापक विस्तार जिससे कि भारत वर्ष 2015 तक कम से कम 15 प्रतिशत की सकल नामांकन अनुपात प्राप्त कर सके।
* उच्चतर शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण की स्थापना करना।
* सार्वजनिक खर्च बढ़ाना और वित्तपोषण के स्रोतों का विविधीकरण करना।
* बहु-विषयक उदाहरण के रूप में 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना जिसमें प्रवेश अखिल भारत स्तर पर किया जाएगा।
* पाठ्यक्रमों का प्राय: संशोधन करने, कोर्स क्रेडिट प्रणाली शुरू करने, आंतरिक मूल्यांकन संबंधी निर्भरता बढ़ाने, अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा अभिशासन में सुधार सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान विश्वविद्यालयों में सुधार करना।
* संबद्ध पूर्वस्नातक कालेजों की प्रणाली की पुन:संरचना।
* कड़े सूचना प्रकाशक मानकों, अवसंरचना उन्नयन और वेतन विभेदकों पर ध्यान देते हुए गुणवत्ता बढ़ाना।
* पर्याप्त रूप से निधिकृत छात्रवृत्ति तथा डिपरिवेशन के बहु-आयामात्मकता हेतु सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से सभी पात्र छात्रों को सुलभता सुनिश्चित करना।

(ग) से (ट) योजना आयोग द्वारा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों से टिप्पणियां मांगी गई हैं। रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के पश्चात् ही संसदीय फोरम द्वारा सिफारिशों की समीक्षा करने का प्रश्न उठेगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रंथागार आयोग

2074. **श्रीमती निवेदिता माने:**
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने राष्ट्रीय ग्रंथागार आयोग की स्थापना करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं;

(ग) इस संबंध में अनुमानत: कितना व्यय होने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ग) जी हां, पुस्तकालयों के बारे में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) योजना आयोग ने रिपोर्ट को भारत सरकार से संबंधित विभागों को अग्रेषित कर दिया है।

विवरण

पुस्तकालय

सार्वजनिक पुस्तकालय ज्ञान के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाते हैं और ज्ञान व्यवस्था की नींव के अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व हैं। इस बात पर व्यापक सहमति हुई है कि पुस्तकालय एवं सूचना सेवा (एलआईएस) क्षेत्रक में सुधार किए जाने की तत्काल आवश्यकता है। इस संबंध में सरकार द्वारा पहले ही बहुत सी पहलें की गई हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने बड़े पैमाने पर विशेषज्ञों और व्यावसायिकों के कार्यदल सहित विविध पणधारियों से परामर्श किया है। पुस्तकालय सूचना सेवा क्षेत्रक में कार्यनीति तैयार करने संबंधी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

1. पुस्तकालयों संबंधी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करना: भारत के नागरिकों की सूचना व अधिगम आवश्यकताओं के समाधान हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा सांविधिक निकाय के रूप में एक स्थायी, स्वतंत्र और वित्तीय रूप से स्वायत्त राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। मिशन मोड के रूप में प्रक्रिया आरंभ करने के लिए तीन वर्षों की अवधि के लिए शीघ्र ही एक राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग स्थापित किया जाना चाहिए।

2. सभी पुस्तकालयों की गणना करना: एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण आरंभ करके सभी पुस्तकालयों की राष्ट्रीय गणना की जानी चाहिए। पुस्तकालयों संबंधी गणना आंकड़ों के संग्रहण से आयोजना हेतु बेस लाइन डाटा उपलब्ध हो सकेंगे। इस कार्य के लिए संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित कार्यदल को इस कार्य को लागू करने और प्राथमिकता आधार पर (एक वर्ष के भीतर) सर्वेक्षण पूरा करने के लिए वित्तीय व प्रशासनिक सहायता दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के भाग के रूप में प्रयोक्ता आवश्यकताओं और पठन आदतों का आवधिक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

3. एलआईएस शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान-सुविधाओं को सुधारना: पुस्तकालय संबंधी-प्रस्तावित मिशन/आयोग को यथाशीघ्र एलआईएस प्रबंधन के क्षेत्र में देश के जनसाधन-आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना चाहिए- और एलआईएस शिक्षा व प्रशिक्षण के माध्यम से देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। एलआईएस क्षेत्रक को नवीनतम विकास को बराबर रखने के लिए, इस क्षेत्र में अनुसंधान स्थिति का मूल्यांकन करने के पश्चात् अनुसंधान क्षेत्र में आवश्यक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में उच्च प्रशिक्षण व अनुसंधान हेतु भली-भांति सुसज्जित संस्थान की स्थापना करना और सेवाओं से इस कार्य को आवश्यक प्रोत्साहन मिलेगा।

4. पुस्तकालयों के स्टाफ का पुनर्मूल्यांकन: परिवर्तित संदर्भ में, कार्य के प्रकारों, अर्हताओं, पदनामों, वेतनमान, आजीविका प्रगति और सेवा शर्तों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों और पुस्तकालय के विभागों और सूचना विज्ञान हेतु जनसाधन आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना आवश्यक है।

5. एक केन्द्रीय पुस्तकालय निधि स्थापित करना: केन्द्रीय और राज्य शिक्षा बजट में से एक विनिर्दिष्ट प्रतिशत पुस्तकालयों के लिए डेडिष्ट किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, 3-5 वर्षों की अवधि में विद्यमान पुस्तकालयों के उन्नयन हेतु एक केन्द्रीय पुस्तकालय निधि स्थापित किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा प्रारंभिक वित्त पोषण 1,000 करोड़ रुपये का हो सकता है, जिसे कारपोरेट लोकोपकार के माध्यम से निजी क्षेत्रक द्वारा मैच किया जा सकता है। यह निधि राष्ट्रीय मिशन/पुस्तकालय आयोग द्वारा दी जानी चाहिए।

6. पुस्तकालय प्रबंधन का आधुनिकीकरण: पुस्तकालय इतने संगठित तथा स्टाफ इतना प्रशिक्षित होना चाहिए कि वे हर क्षेत्र में प्रयोक्ता समुदायों (विशेष समूहों सहित) के लिए संगत बन सकें। संसाधनों को इष्टतम बनाने के लिए भी, नवोन्मेषी सहयोग के माध्यम से विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों की क्षमता में सहक्रिया कराने में प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रस्ताव एक माडल लाइब्रेरी चार्टर के सृजन का है, जिसमें पुस्तकालयों द्वारा की जाने वाली सेवाओं की सूची, एक पुस्तकालय नेटवर्क तथा ग्रंथसूची अभिलेखों संबंधी राष्ट्रीय निधान शामिल है।

7. पुस्तकालय प्रबंधन में वृहत्तर सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना: पुस्तकालयों के संबंध में प्रबंधकीय निर्णय लेने की प्रक्रिया में विभिन्न पणधारियों और प्रयोक्ता समूहों को शामिल करना आवश्यक है। सार्वजनिक पुस्तकालय, पुस्तकालय के प्रयोक्ताओं को प्रस्तुत करने वाली समितियों के माध्यम से स्थानीय स्व-सरकार द्वारा, चलाए जाने चाहिए। इन समितियों को स्थानीय समुदाय भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए और सांस्कृतिक व समुदाय आधारित कार्यक्रम करवाने के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने में इन्हें काफी स्वायत्त होना चाहिए। एक समुदाय आधारित सूचना प्रणाली के विकास के लिए पुस्तकालयों को स्थानीय क्षेत्र में अन्य सभी ज्ञान आधारित कार्यकलापों को समेकित करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रक में ग्राम पुस्तकालयों अथवा सामुदायिक ज्ञान केन्द्रों का उत्तरदायित्व पंचायतों के साथ होना चाहिए। इनकी स्थापना समीप ही अथवा स्कूल परिसर में की जानी चाहिए।

8. सभी पुस्तकालयों में सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना: सभी पुस्तकालयों की सूची स्थानिक, राज्य व राष्ट्रीय वेबसाइटों में आवश्यक लिंकेजों के साथ डाली जानी चाहिए। इससे विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों की नेटवर्किंग और ग्रंथसूची अभिलेखों के राष्ट्रीय निधन की स्थापना तथा नवीनतम आईसीटी का उपयोग करते हुए एक केन्द्रीकृत सहयोगी वर्चुअल इनक्वाइरी-हैंडलिंग सिस्टम का परिचालन हो सकेगा। ज्ञान संसाधनों तक इक्वीटेबल और सार्वजनिक पहुंच के लिए पुस्तकालयों को विभिन्न भाषाओं में संगत पठन सामग्री के अंकीयकरण द्वारा अधिक अंकीय संसाधनों के सृजन हेतु, प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसे प्रत्येक स्तर पर शेयर किया जा सके। सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान से प्राप्त समीक्षा किए गए अनुसंधान कागजात प्रकाशनाधिकार विनियमों के अधीन ओपन एक्सेस चैनलों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यह सिफारिश की जाती है कि उपयुक्त के लिए ओपन स्टैंडर्ड और फ्री व ओपन सोर्स साफ्टवेयर प्रयोग किए जाएं।

9. निजी संग्रहणों के चंदे व रख-रखाव को सुकर बनाना: भारत में बहुत से धनी निजी व वैयक्तिक संग्रहण है जिन्हें पहचान किए जाने, दस्तावेज बनाए जाने और उत्तरकालीनता हेतु संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है चूंकि वैयक्तिक संग्रहणों की पहचान हेतु विकेन्द्रीकृत माडल के सृजन की आवश्यकता है, अत: सरलीकृत प्रक्रिया के माध्यम से वैयक्तिक संग्रहणों के चंदे को प्राप्त करने और संरक्षित करने के लिए संगठनों को सुग्राही बनाए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय मिशन/आयोग द्वारा किसी विख्यात विद्वान की अध्यक्षता में निजी और वैयक्तिक संग्रहणों संबंधी एक समिति का गठन किया जाए। चूंकि निजी अथवा वैयक्तिक संग्रहणों के रख-रखाव संबंधी विशेष सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं हैं, अत: यह सुझाव दिया जाता है कि इस कार्य के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में विशिष्ट जनादेशों सहित 10 क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना की जाए।

10. एलआईएस के विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना: लोकहितैषी संगठनों, औद्योगिक केन्द्रों एवं अन्य निजी एजेंसियों को विद्यान, पुस्तकालयों को सहायता देने अथवा नए पुस्तकालयों की स्थापना के लिए राजकोषीय पहलों के माध्यम से प्रोत्साहन करना चाहिए। एलआईएस क्षेत्र के विशेष आईसीटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक अवसंरचना को तैयार करके सिविल समाज की प्रवीणता का भी उपयोग किया जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रकों में पुस्तकालयों की समन्वय विकास को सुकर बनाने

के लिए तथा न्यायिक ढांचा उपलब्ध करने के लिए पुस्तकालय क्षेत्रक को कानूनी समर्थन तथा वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता है, सरकार यथासमय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में पुस्तकालयों को शामिल करने पर विचार कर सकती है। इसे, राज्यों की पुस्तकालयों के प्रति विद्यमान उत्तरदायित्वों का निराकरण किए बिना किया जाना चाहिए।

डेपरिवेशन इन्डेक्स फार्मूला

2075. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री अबु अयीश मंडल:
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने विद्यार्थियों के पिछड़ेपन का आकलन करने, सकारात्मक कार्रवाई आरंभ करने हेतु विभिन्न प्रकार से वंचित होने के कारणों का पता लगाने और उच्च शिक्षा को यथा-संभव इसमें शामिल करने हेतु डेपरिवेशन इंडेक्स फार्मूला को अपनाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डेपरिवेशन इंडेक्स फार्मूला का उद्देश्य जातिगत एवं सामुदायिक पिछड़ेपन के अलावा आर्थिक पिछड़ेपन सहित विभिन्न कारणों से होने वाले वंचन का आकलन करना था;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या निर्णय है;

(ङ) क्या मानकों एवं उपाधियों की निगरानी करने हेतु स्वतंत्र विनियामक निकाय गठित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ग) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्चतर शिक्षा-खण्ड VII एक्सेस हेतु अपनी सिफारिशों में उल्लेख किया है कि "उच्चतर शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य आर्थिक और ऐतिहासिक, सामाजिक रूप से अल्पलाभ प्राप्त छात्रों तक शिक्षा के प्रभावी और पर्याप्त रूप से पहुंच में वृद्धि सुनिश्चित करना होना चाहिए।

* आरक्षण आवश्यक है परंतु यह सकारात्मक कार्रवाई के प्रकार का एक हिस्सा है।

* शैक्षिक उपलब्धियों में असमानता का संबंध जाति और सामाजिक समूहों से है परंतु इसके अन्य सूचकों जैसे आय, लिंग, क्षेत्र और निवास स्थान से भी गहरा संबंध है। अत: एक सार्थक और व्यापक ढांचा विकसित करने की आवश्यकता है जिससे उन बहु आयामी अंतरों को दूर किया जा सकेगा जो अभी भी व्याप्त है। उदाहरण के लिए, छात्रों की, वेटिड स्कोर देने के लिए डेपरिवेशन इंडेक्स का प्रयोग किया जा सकता है तथा संचयी स्कोर का प्रयोग छात्रों के स्कूली परीक्षा स्कोर को पूरा करने में किया जा सकता है। डेपरिवेशन इंडेक्स का स्कोर जोड़ने के बाद, सभी छात्र प्रवेश हेतु प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।

* प्रणाली को प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है कि सूचकों की आसानी से पहचान व जांच हो सके। उसे स्कूल स्तर पर तथा उच्चस्तर शिक्षा में प्रवेश लेते समय छात्रों को होने वाली विभिन्न प्रकार की असुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। प्रणाली का दोहरा कार्य है जिसका उद्देश्य विभिन्न असुविधाओं पर विचार करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना है कि किसी आरक्षित वर्ग के उस छात्र को प्रवेश के समय अत्यधिक वरीयता न मिल सके जो पहले से ही अन्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

* पिछड़ेपन के व्याख्यात्मक सूचकों, जिन्हें ऐसे सूचकांकों द्वारा मापित किए जाने की आवश्यकता है, में सामाजिक पृष्ठभूमि को शामिल किया जा सकता है जिसमें जाति (क्षेत्रीय भेद को ध्यान में रखते हुए); धर्म और लिंग, पारिवारिक शिक्षा वृत्तान्त, पारिवारिक आय, सरकारी व निजी स्कूलों तथा विभिन्न स्थानों पर स्कूलों का अंतर करते हुए स्कूल का प्रकार, निर्देशन का माध्यम, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का अंतर करते हुए निवास का स्थान तथा अवसंरचना अथवा सामाजिक लाभ व शारीरिक अपंगता के इंडेक्स के आधार पर जिलों का चयन कर क्षेत्रीय डेपरिवेशन की गणना करना कवर किया गया है।

उपरोक्त पैरा यह दर्शाते हैं कि प्रस्तावित डेपरिवेशन इंडेक्स एक व्यापक इंडेक्स है जिसमें आर्थिक पिछड़ापन/गरीबी, जाति व समुदाय पिछड़ापन, सामाजिक सूचकों जैसे पारिवारिक शिक्षा वृत्तान्त, निवास स्थान, स्कूल जाने का प्रकार, शारीरिक अपंगता आदि जैसे विभिन्न को वेटेज देते हुए विभिन्न प्रकार के असुविधाओं को कवर किया गया हो।

(घ) से (च) स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण स्थापित करने के प्रस्ताव सहित उच्चतर शिक्षा से संबंधित राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशें संबंधित मंत्रालयों को उनकी टिप्पणी हेतु भेज दी गई है।

दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश के बीच बस यातायात विवाद

2076. **डा. वल्लभभाई कथीरिया:** क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली की सरकार के बीच बस यातायात से संबंधित विवाद का माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप के बावजूद समाधान नहीं हो पाया है;

(ख) क्या सरकार को दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लोगों को अपने कार्य-स्थलों पर पहुंचने में हो रही समस्याओं की जानकारी है; और

(ग) केंद्र सरकार द्वारा समस्या का समाधान करने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) मोटर यान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारें अपने बीच बस सेवाओं के प्रचालन के लिए समझौते कर सकती हैं। मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88(5) के तहत ऐसे समझौते करने की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार के बीच बस परिवहन सेवाओं के विवाद से संबंधित मामले में इस विभाग को कोई निर्देश नहीं दिया है।

(ख) और (ग) सड़क परिवहन राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। अपने नागरिकों को कुशल और सुसमन्वित यात्री परिवहन सेवाएं प्रदान करना संबंधित राज्यों की जिम्मेदारी है।

वैकल्पिक दवाएं लेना

2077. **श्री विजय कृष्ण:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीजीएचएस औषधालय चिकित्सकों द्वारा नुस्खाबद्ध दवाओं के स्थान पर वैकल्पिक एलोपैथिक दवाएं दे रहे हैं;

(ख) क्या कम मूल्य वाली दवाओं के लिए भी वैकल्पिक दवाएं दी जाती हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या नुस्खाबद्ध एक दवा के लिए भी दो या इससे अधिक अनुपयुक्त वैकल्पिक दवाएं दी जाती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में औषधें चिकित्सा भण्डार डिपो और अस्पताल सेवा परामर्शी निगम के माध्यम से अंतिम रूप से तैयार की गई फार्मूलरी और सामान्य (जेनेरिक) औषधों की सूची के आधार पर अधिप्राप्त किया जाता है और उनके आपूर्ति की जाती है। औषधालयों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से फार्मूलरी/सामान्य औषधों से औषधें लिखने की आशा की जाती है। किसी औषधालय में भण्डार में औषधियां न होने की स्थिति में अधिकृत स्थानीय केमिस्टों के लिए एक मांग पत्र दिया जाता है। यदि केमिस्ट मांग पत्र में दी गई औषधों के बजाय एवजी औषधों की आपूर्ति करता है तो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को अधिकृत स्थानीय केमिस्टों के साथ हस्ताक्षरित करार ज्ञापन के उपबन्धों के अंतर्गत दण्ड लगाने का अधिकार है।

चिकित्सा महाविद्यालयों का उन्नयन

2078. **श्री हरिभाऊ राठौड़:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदर्भ क्षेत्र के निर्धन जनजातीय रोगियों की कठिनाइयों के मद्देनजर प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत गवर्मेंट हास्पिटल, नागपुर के उन्नयन हेतु विदर्भ पैकेज से 120 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान संस्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत सरकारी अस्पताल, नागपुर के उन्नयन के लिए विदर्भ पैकेज से 120 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अनुदान की स्वीकृति का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का क्रियान्वयन

2079. चौ. मुनव्वर हसन: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना के अंतर्गत जारी निधियों के उपयोग से संबंधित दिशानिर्देशों का समुचित ढंग से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश से विभिन्न संसद सदस्यों से प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मामले में अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिशानिर्देशों के अनुसार मंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में संसद सदस्यों एवं योजना का क्रियान्वयन करने वाले अधिकारियों की निर्धारित बैठकों का वर्ष में दो बार आयोजन नहीं किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त मंडलीय आयुक्तों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन न होने के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं। मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई के विवरण सहित, कुछ सांसदों से प्राप्त शिकायतों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी दिशा-निर्देशों के पैरा 6.3 के अनुसार मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति को वर्ष में कम-से-कम एक बार जिला प्राधिकारियों और सांसदों के साथ सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए। योजना विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि चूंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है जिसमें 80 लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्र और 31 राज्य सभा सांसद हैं, अत: यह निर्णय लिया गया है कि 15 प्रभागों में वर्ष में दो बार डिवीजन स्तर पर बैठकें आयोजित की जाएंगी। अभी तक सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को फैजाबाद, बरेली और कानपुर डिवीजनों में हुई डिवीजन स्तरीय समितियों की बैठकों का ब्यौरा प्राप्त हुआ है।

(ङ) चूंकि जिला और प्रभागीय प्राधिकारी, राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होते हैं, अत: यदि राज्य सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जानी हो, तो वह राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

विवरण

लोक सभा

(1) श्री शीशराम सिंह रवि, सांसद (लोक सभा) बिजनौर (उत्तर प्रदेश) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र

शिकायत

बिजनौर (उत्तर प्रदेश) में 48 स्कूलों के लिए कम्प्यूटरों की खरीद हेतु 1.24 करोड़ रु. की सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि का दुर्विनियोजन।

कृत कार्रवाई

आयुक्त, मुरादाबाद द्वारा मामले की जांच की गई है और योजना विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रधान सचिव, योजना से अपराधी आपूर्तिकर्ता, नामत: मैसर्स एसआरजे साफ्टवेयर लिमिटेड, वजीर नगर के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई कार्रवाई और अपराधी आपूर्तिकर्ता से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि की वसूली/प्रतिपूर्ति के लिए की गई कार्रवाई से इस मंत्रालय को अवगत कराने का अनुरोध किया गया है।

(2) श्री राजनारायण बुधोलिया, सांसद (लोक सभा)–हमीरपुर (उत्तर प्रदेश)

शिकायत

उनके निर्वाचन क्षेत्र में उनके पूर्ववर्ती लोक सभा सांसद श्री गंगाचरण राजपूत की सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि में से विभिन्न विशिष्ट स्थानों पर सात "स्वागत द्वारों" का निर्माण किया गया है और उन पर जो नारे लिखे गए हैं वे जनता में भ्रम पैदा कर रहे हैं।

कृत कार्रवाई

जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर ने बताया है कि 3 स्वागत द्वारों का निर्माण महोबा जिले में और 2 का निर्माण हमीरपुर जिले में किया गया है। मंत्रालय ने जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर को इन स्वागत द्वारों से पूर्व सांसद (लोक सभा) का नाम तत्काल हटाने और इन स्वागत द्वारों के निर्माण में उपयोग में लाई गई सांसद स्थानीय क्षेत्र

विकास योजना निधि की वसूली करने का निदेश दिया है, क्योंकि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना दिशा-निर्देशों के अंतर्गत यह अनुमत्य नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार से उस अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है जिसे इसके लिए जिम्मेदार पाया गया है।

(3) श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा, सांसद (लोक सभा)-लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, मिर्जापुर (उ.प्र.)

शिकायत

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सत्रावधि के दौरान मुख्य विकास अधिकारी की बैठक आयोजित करना।

कृत कार्रवाई

मंत्रालय ने योजना विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। उस विभाग ने अपने दिनांक 19.9.2006 के पत्र द्वारा यह बताया है कि उन्होंने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को यह निदेश जारी कर दिए हैं कि संसद सत्र के दौरान सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी बैठक आयोजित न करें। उन्होंने मामले में खेद व्यक्त किया है।

(4) श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा, सांसद (लोक सभा)-लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, मिर्जापुर (उ.प्र.)

शिकायत

जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कार्यों के निष्पादन में विलंब और मुख्य विकास अधिकारी, संत रविदास नगर, भदोही, उत्तर प्रदेश का असहयोगात्मक रवैया।

कृत कार्रवाई

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा को 23.12.2005 को लोक सभा से निष्कासित कर दिया गया है। राज्य सरकार को निष्कासित सांसद द्वारा उनके निष्कासन की तिथि तक अनुशंसित सभी कार्यों को निष्पादित करने का निदेश दिया गया है, बशर्ते कि वे सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुरूप हों।

(5) श्री स्वामी चिन्मयानंद, पूर्व-सांसद (लोक सभा)-जौनपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र

शिकायत

जामिया मोनिमा लिल-बनात (कन्या विद्यालय), जामिया नगर, सिपाह, जौनपुर के भवन निर्माण के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि के 10 लाख रुपए जारी न करना।

कृत कार्रवाई

जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर इसे उनके पत्र दिनांक 22 जुलाई, 2006 के तहत प्राप्त कृत कार्रवाई रिपोर्ट बताती है कि परियोजना की 10 लाख रुपए की पूर्ण राशि कार्यान्वयन अभिकरण को जारी कर दी गई है।

(6) श्री मंसूर अली खान, पूर्व सांसद (लोक सभा), लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, सहारनपुर (उ.प्र.)

शिकायत

श्री रशीद मसूद, माननीय सांसद (लोक सभा) की सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि से जिला सहारनपुर (उ.प्र.) में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि का दुरुपयोग।

कृत कार्रवाई

जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर से प्राप्त दिनांक 18.1.2007 की रिपोर्ट की मंत्रालय में जांच की गई है और पाया गया है कि श्री रशीद मसूद, माननीय सांसद (लोक सभा) की अनुशंसा पर खेड़ा अफगान से जजवा तक 7 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर खंडजों के निर्माण तथा गांव महांगी, ब्लाक-गंगोह में गुरु नानक हाई स्कूल के दो क्लास रूम के निर्माण के दौरान सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि का कोई दुर्विनियोजन नहीं किया गया। तथापि, निर्धारित प्रक्रिया के पालन में अनियमितता हुई है और राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

(7) श्री इलियास आजमी, सांसद (लोक सभा)-लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, शाहजाद (उ.प्र.)

शिकायत

आरोप लगाया गया है कि स्कूलों/कालेजों से संबंधित कार्यों के संबंध में सरकार के पक्ष में जिला प्राधिकारी के साथ सोसायटी/ट्रस्ट द्वारा किए जाने वाले औपचारिक करारनामे पर जिला प्रशासन द्वारा 10 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी की मांग की जा रही है।

कृत कार्रवाई

मंत्रालय के पत्र दिनांक 30.1.2006 द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई को निदेश जारी किए गए हैं कि करारनामे को संगत पंजीकरण अधिनियम के अधीन 10 रु. और अधिक के नान-जुडिशल स्टाम्प पेपर पंजीकृत किया जाए, जैसा राज्य/संघ शासित प्रदेश में लागू हो। पंजीकरण के लिए किसी स्टाम्प ड्यूटी के

भुगतान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहां परिसंपत्तियों का कोई औपचारिक अंतरण नहीं है।

(8) श्री इलियास आजमी, सांसद (लोक सभा)-लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, शाहबाद (उ.प्र.)

शिकायत

परियोजना की लागत में 10 प्रतिशत की कटौती करने और सरकारी अधिकरणों द्वारा कमीशन के रूप में कार्य की लागत का 15 प्रतिशत लेने से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि का दुर्विनियोजन।

कृत कार्रवाई

मंत्रालय ने इस मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है।

राज्य सभा

(9) श्री विद्या निवास मिश्र, पूर्व सांसद (राज्य सभा)

शिकायत

श्री महेन्द्र नाथ यादव, अध्यक्ष, श्री शिव हर्ष किशन कालेज, बस्ती ने आरोप लगाया है कि कालेज के प्राध्यापक, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कालेज में बहुउद्देश्यीय हाल के निर्माण के लिए श्री विद्या निवास मिश्र, पूर्व सांसद (राज्य सभा) द्वारा अनुशंसित 15 लाख रु. की सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि का दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं।

कृत कार्रवाई

इस मामले को जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती के साथ उठाया गया। जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने उपर्युक्त कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग को कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में चुना था जबकि माननीय सांसद कार्य को कालेज के प्राध्यापक अथवा उ.प्र. परियोजना निगम से करवाने पर जोर दे रहे थे। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी दिशा-निर्देशों में ''संतोषजनक'' कार्यान्वयन अभिकरण के संबंध में निर्णय करने का उत्तरदायित्व जिलाध्यक्ष को दिया गया है। इसलिए माननीय सांसद का अनुरोध इस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है।

चित्रकूट को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ना

2080. श्री श्यामा चरण गुप्त: क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चित्रकूट धाम, कार्वी (उत्तर प्रदेश) को कलिंजार, खजुराहो (मध्य प्रदेश) के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव पर केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) परियोजना कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दवा प्रतिरोधी टी.बी.

2081. श्री उदय सिंह:
श्री अजीत जोगी:
श्री अधीर चौधरी:
श्री विजय कृष्ण:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बहु दवा प्रतिरोधी टी.बी. तथा एक्स.डी.आर.टी.बी. फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एचआईवी-एड्स के साथ एक्स.डी.आर.-टी.बी. होने के कारण मृत्यु का प्रतिशत बढ़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो रोग के निदान एवं इसे फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार अनन्य रूप से दवा प्रतिरोधी टी.बी. का पता लगाने के लिए उन्नत संदर्भ जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना करने का है; और

(च) यदि हां, तो देश में स्थापित अथवा स्थापित की जाने वाली जांच प्रयोगशालाओं की संख्या राज्य-वार कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) यह बताने के लिए कोई प्रमाण नहीं है बहु औषध प्रतिरोधक क्षय रोग (एमडीआरटीबी) और/या व्यापक औषध प्रतिरोधक क्षय रोग (एक्स डीआर-टीबी) देश में फैल रहा है। तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में वर्ष 1997 से किए गए औषध प्रतिरोधक सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चलता है कि बहु-औषध प्रतिरोधक क्षय रोग के स्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जो नए क्षय रोगियों में लगभग 3 प्रतिशत और दोबार उपचार करा रहे रोगियों में 10-20 प्रतिशत बरकरार है। आज की स्थिति के अनुसार देश में व्यापक औषध प्रतिरोधक क्षय रोग का कोई प्रमाणिक रोगी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) व्यापक औषध प्रतिरोधक क्षयरोग प्रजाति द्वारा पैदा क्षयरोग, एचआईवी संक्रमण वाले या बिना एचआईवी संक्रमण वाले किसी भी रोगी को रोगमुक्त नहीं किया जा सकता। एचआईवी संक्रमित लोग व्यापक औषध प्रतिरोधक क्षयरोग सहित सभी प्रकार के क्षय रोगों के लिए असुरक्षित हैं। क्षय रोग से उनके मरने की अधिक संभावना रहती है। यह दक्षिण अफ्रीका में अस्पताल में हुए प्रकोप में हाल ही में सूचित किया गया था। तथापि, आज तक भारत में ऐसी किसी भी रोगी की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) बहु औषध प्रतिरोधक क्षय रोग और व्यापक औषध प्रतिरोधक क्षय रोग तब होता है जब क्षय रोगियों का पूरा या पर्याप्त इलाज नहीं किया जाता है इसलिए पहली प्राथमिकता क्षयरोगी का पता लगाकर औषध प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने से रोकना और संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रभावी उपचार करना है। संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की चरण-II परियोजना कार्यान्वयन योजना में वर्ष 2006 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षयरोग रोको कार्यनीति द्वारा अनुशंसित कई कार्यकलाप शामिल हैं जो औषध प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने को रोकने के लिए आवश्यक है। इन कार्यकलापों में रोगियों का शुरू में ही पता लगाने और औषध संवेदनशीलय क्षय रोगियों को रोगमुक्त करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली डाट्य सेवाओं का रखरखाव शामिल हैं। संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम में रोगियों को पूरा उपचार करवाने से संबंधित व्यवस्था है और इसके अधीन रोगमुक्ति दर अन्तर्राष्ट्रीय बेंचमार्क 85 प्रतिशत से अधिक रही है। इसके अतिरिक्त संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत बहु औषध प्रतिरोधक क्षमता क्षयरोग के कारगर इलाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुरूप एक प्रणाली विकसित की गई है जिसकी प्रायोगिक जांच इस समय गुजरात और महाराष्ट्र में की जा रही है। संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार क्षय रोगियों के लिए मानक नैदानिक एवं उपचार सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु सूचना शिक्षा एवं संप्रेषण कार्यकलापों, संशोधित कार्यनीति में गैर-सरकारी संगठनों, प्राइवेट क्षेत्र और मेडिकल कालेजों की सहभागिता पर विशेष जोर दिया जाता है।

(ङ) और (च) जी, हां, इस समय क्षयरोग अनुसंधान केन्द्र, चेन्नई, राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान, बंगलौर और लाला राम स्वरूप संस्थान, दिल्ली में गुणवत्ता आश्वासन कल्चर और एमडीआरटीबी का पता लगाने के लिए औषध संवेदनशीलता जांच हेतु क्षमता है।

[हिन्दी]

भारतीय चिकित्सा प्रणाली

2082. श्री बालेश्वर यादव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री पी. राजेन्द्रन:
श्रीमती सी.एस. सुजाता:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संचार माध्यमों में व्यक्तियों/कंपनियों द्वारा कैंसर, एचआईवी/एड्स जैसी बीमारियों के इलाज का दावा करने वाले विज्ञापन आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 में संशोधन करने तथा असाध्य अथवा जटिल रोगों के इलाज के दावों वाले सभी विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने अधिनियम में संशोधन का सुझाव देने के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(च) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(छ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) कैंसर, एचआईवी/एड्स रोगों से रोगमुक्त करने के लिए दावे संबंधी विज्ञापन कभी-कभी मीडिया में आते हैं। इन विज्ञापनों में सामान्यतया व्यक्ति विशेष द्वारा रोगमुक्त करने का दावा किया जाता है। औषध और जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954, इस समय क्लिनिकों या रोगों का उपचार या उपचार के लिए प्रदान किए जाने वाले परामर्श के बारे में मेडिकल प्रैक्टिशनरों द्वारा किए गए किसी दावे पर लागू नहीं होता है। इस अधिनियम को और अधिक जवाबदेह बनाने और चिकित्सा उत्पादों से संबंधित विज्ञापन पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए उक्त अधिनियम के तहत उपबन्धों की इस समय समीक्षा की जा रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) से (च) मौजूदा उपबंध की समीक्षा करने और वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुचित संशोधनों का सुझाव देने के लिए रोग प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के सेवानिवृत्त वैज्ञानिक डा. रणजीत राय चौधरी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति की प्रमुख अनुशंसाएं निम्नलिखित हैं:

1. ''उपचार'' को इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र में लाया जाए ताकि मेडिकल प्रैक्टिशनरों या क्लिनिकों के दावों को इसके अधीन लाया जा सके।

2. विशेष रूप से इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए विज्ञापन को कवर करने के लिए ''विज्ञापन'' की परिभाषा को संशोधित किया जाए।

3. सजा को और सख्त बनाया जाए ताकि अपराधियों के लिए यह निरोधक का काम करें।

4. मौजूदा अनुसूची को खत्म कर दिया जाए और औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की ''अनुसूची जे'' के अनुरूप रोगों, विकारों एवं लक्षणों की संशोधित सूची डीएमआर (ओए) अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के तहत लाई जाए ताकि सूची के संशोधन के कार्य को फ्लेक्सिबल बनाया जा सके।

(छ) अंतिम निर्णय ले लिया गया है और औषध एवं जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 में संशोधन हेतु प्रारूप विधेयक, मंत्रिमंडल के अनुमोदन से संसद में पेश किया जाएगा।

[अनुवाद]

बंध्याकरण आपरेशन

2083. श्री हितेन बर्मन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा आज की तिथि तक बंध्याकरण आपरेशनों की संख्या तथा बंध्याकरण के कारण हुई मौत के मामलों का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या असफल बंध्याकरण के ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें पति एवं पत्नी दोनों का बंध्याकरण किया गया हो; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनको क्षतिपूर्ति के भुगतान के संबंध में क्या प्रावधान हैं एवं किन स्थितियों के अंतर्गत उन्हें क्षतिपूर्ति का भुगतान करने से मना कर दिया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष की सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी राज्य अथवा संघ क्षेत्र में ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं दी है।

तथापि, जशपुर, मध्य प्रदेश (जो अब छत्तीसगढ़ में है) से वर्ष 1998 में ऐसे एक मामले की सूचना दी गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने श्रीमती उर्मिला तिवारी एवं श्री रंगनाथ तिवारी को इस आधार पर मुआवजा देने का निर्णय लिया था कि महिला नसबंदी में 0.5 प्रतिशत और पुरुष नसबंदी में 0.1 प्रतिशत असफलता के अवसर होते हैं।

नवम्बर, 2005 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा योजना की शुरूआत करने से पहले नसबंदी आपरेशन असफल होने पर मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं था। वर्तमान परिवार नियोजन बीमा योजना के अंतर्गत नसबंदी आपरेशन के असफल होने पर 25000/- रुपए (एक बार) देय हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान अद्यतन आंकड़ों के अनुसार नसबंदियों और मौतों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	2003-04		2004-05		2005-06		दिसंबर, 2006 तक अनंतिम	
		नसबंदी	मौत	नसबंदी	मौत	नसबंदी	मौत	नसबंदी	मौत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	बड़े राज्य								
1.	आंध्र प्रदेश	8,30,503	31	7,36,417	5	7,44,271	26	4,75,310	18
2.	असम	45,134	0	39,555	2	24,201	0	8,509	0
3.	बिहार	1,09,625	ला.न.	88,126	ला.न.	96,341	ला.न.	21,268	ला.न.
4.	छत्तीसगढ़	1,15,848	0	1,24,478	3	1,24,499	2	71,868	2
5.	गुजरात	2,62,896	0	2,78,133	7	2,80,334	5	1,41,785	4
6.	हरियाणा	91,280	0	89,893	0	92,950	2	60,499	0
7.	झारखंड	48,960	0	41,621	0	84,613	0	20,234	0
8.	कर्नाटक	3,77,091	25	3,76,960	25	3,76,308	19	2,82,840	16
9.	केरल	1,51,586	0	1,51,071	1	1,33,000	4	89,431	3
10.	मध्य प्रदेश	3,52,000	ला.न.	3,69,039	ला.न.	3,66,930	ला.न.	2,28,268	ला.न.
11.	महाराष्ट्र	6,89,000	23	6,89,747	10	6,59,557	12	3,83,599	9
12.	उड़ीसा	89,021	0	99,872	3	83,049	6	45,617	4
13.	पंजाब	97,598	0	1,02,468	0	1,07,591	1	62,916	0
14.	राजस्थान	3,00,068	4	3,33,971	6	3,17,307	9	1,63,358	5
15.	तमिलनाडु	4,87,517	36	4,17,027	31	3,80,028	26	2,70,064	19
16.	उत्तर प्रदेश	4,87,517	24	5,03,602	15	4,50,431	20	2,38,092	17
17.	पश्चिम बंगाल	2,16,524	0	2,88,951	2	1,94,993	2	71,760	1
	छोटे राज्य								
18.	अरुणाचल प्रदेश	1,632	0	2,101	0	1,417	0	778	0
19.	दिल्ली	39,269	0	39,641	0	34,168	0	14,304	0
20.	गोवा	5,090	0	5,196	1	5,351	0	4,127	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	हिमाचल प्रदेश	32,337	0	33,531	1	28,383	0	11,566	0
22.	जम्मू-कश्मीर	19,663	0	21,597	0	21,466	0	10,014	0
23.	मणिपुर	1,265	0	518	0	1,743	0	128	0
24.	मेघालय	2,642	0	2,205	0	2,264	0	2,061	0
25.	मिजोरम	2,560	0	2,140	0	2,319	0	1,633	
26.	नागालैंड	1,086	0	754	0	1,195	0	729	0
27.	सिक्किम	1,355	0	1,173	0	1,518	0	1,176	0
28.	त्रिपुरा	3,010	0	2,274	0	3,978	0	1,855	0
29.	उत्तरांचल	31,200	0	34,799	2	34,980	3	16,610	0
	संघ क्षेत्र								
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1,304	0	1,418	0	1,111	0	766	0
31.	चंडीगढ़	2,908	0	2,393	0	2,202	0	1,546	0
32.	दादरा एवं नगर हवेली	785	0	943	0	930	0	536	0
33.	दमन व दीव	560	0	579	0	469	0	377	0
34.	लक्षद्वीप	19	0	22	0	23	0	44	0
35.	पांडिचेरी	12,545	0	11,932	0	10,213	0	7,575	0

पंचायत युवा खेल अभियान

2084. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोगों का मात्र एक छोटा हिस्सा खेल सुविधाओं का लाभ उठाते हैं;

(ख) यदि हां, तो पंचायत युवा खेल अभियान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अधिक से अधिक लोगों को खेलकूद की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां। यह सच है कि ऐसा आधारभूत स्तर पर खेल अवस्थापना की गंभीर कमी के कारण है। इस वजह से युवाओं का एक बड़ा वर्ग, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, संगठित खेलकूद सुविधाओं और गतिविधियों से वंचित है।

(ख) और (ग) इस स्थिति को यथा युवाओं के स्वास्थ्य के विकास में खेलकूद की वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य भूमिका को ध्यान में रखकर तथा देश में खेलों के विस्तृत आधार पर आधारभूत नीतिगत उद्देश्य और खेल संस्कृति के विकास के अनुसरण में, यह मंत्रालय "पंचायत युवा खेल अभियान" नामक योजना प्रारंभ करने पर विचार कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य ग्राम और ब्लाक स्तरों पर आधारभूत अवस्थापना का विकास/सुधार करने के लिए, खेल उपस्करों के लिए सहायता का प्रावधान करने के लिए तथा आधारभूत स्तर पर प्रतियोगी और गैर-प्रतियोगी खेल विधाओं के आयोजन के लिए पूंजीगत और आवर्ती अनुदान प्रदान करना है।

इस योजना में केन्द्र और राज्य सरकारों और पंचायती राज संस्थानों की विभिन्न योजनाओं के संसाधनों का उपयोग करके सहक्रिया और अभिसरण द्वारा उन्हें क्रियान्वित करना तथा योजना के अंतर्गत खेल गतिविधियों को उच्चतर स्तर की प्रतियोगी संरचना से जोड़ना, प्रतिभा का पता लगाना और पता लगाये गए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करना प्रस्तावित है। इस प्रक्रिया में, यह संभावना है कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की संख्या वर्तमान स्तर जो लगभग 13,000 है, से काफी बढ़ जाएगी, तथा 11वीं योजना के अंत तक इसके लिए 50,000 का लक्ष्य तय किया गया है।

केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति

2085. श्री सी.के. चन्द्रप्पन: क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल से गुजरने वाले एन.एच. 49, एन.एच. 209, एन.एच. 202, एन.एच. 213 तथा एन.एच. 222 की स्थिति खराब है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज की तिथि तक इन राजमार्गों पर सरकार द्वारा कराए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक सड़क पर कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ङ) इन राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग 202 और 222 केरल राज्य से नहीं गुजरते। शेष राष्ट्रीय राजमार्गों अर्थात् 49, 208 और 213 को यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर 39.52 करोड़ रु. के 20 कार्य कराए गए हैं। चालू वर्ष के दौरान अब तक 16.60 करोड़ रु. के 4 कार्य कराए गए हैं।

(घ) उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 49, 208 और 213 पर क्रमश: 11.94 करोड़ रु., 2.96 करोड़ रु. और 15.88 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत प्रक्रिया है। विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुधार कार्य धनराशि की समग्र उपलब्धता और कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के अनुसार शुरू किए जाते हैं।

[हिन्दी]

कोयले की आपूर्ति के कारण विद्युत समस्या

2086. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री ब्रजेश पाठक:
श्री शिशुपाल एन. पटले:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयले की आपूर्ति नहीं होने के कारण कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति के परिणामस्वरूप निजी क्षेत्र की विद्युत कंपनियों सहित विद्युत कंपनियों की मेगावाट उत्पादन क्षमता में गिरावट होती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) चालू वर्ष 2006-07 सहित गत दो वर्षों के दौरान विद्युत संयंत्रों को कुल कितने टन कोयले की आपूर्ति की गई तथा यह संयंत्रों द्वारा की गई कुल मांग का कितना प्रतिशत है; और

(च) विद्युत संयंत्रों को कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (घ) जी, नहीं। विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति वार्षिक कार्य योजना लक्ष्य के अनुसार रखी जाती है, तथापि, विद्युत गृह पर कोयला उतारने की दिक्कत, विद्युत संयंत्रों द्वारा कोयले की आपूर्ति को विनियंत्रित करने, दुर्घटनाओं/बाढ़ के कारण रेलवे लाइनों के अवरुद्ध होने, खनन क्षेत्र में स्थानीय समस्याओं आदि जैसे कारणों की वजह से कभी-कभी आपूर्ति प्रभावित होती है। इस प्रकार, कोयले की सप्लाई न होने के कारण विद्युत उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है। चालू वित्त वर्ष के दौरान जनवरी, 2007 तक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में 7% से अधिक विद्युत उत्पादन हुआ है।

(ङ) विद्युत संयंत्रों की मांग का मूल्यांकन योजना आयोग और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किया जाता है और तदनुसार आपूर्ति की जाती है। चालू वर्ष 2007 (जनवरी, 2007 तक) सहित पिछले दो वर्षों के दौरान दिए गए लक्ष्य की तुलना में कोयले की आपूर्ति नीचे दी गई है:

(आंकड़े मिलियन टन में)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक
2004-05	240.61	248.80
2005-06	256.65	256.65
2006-07 (जनवरी, 2007 तक अनंतिम)	223.53	214.72

(च) सभी विद्युत उपयोगिताओं में कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोयले की आपूर्ति की स्थायी लिंकेज समिति (अल्पावधि) द्वारा समीक्षा की जाती है जो अपर सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी निकाय है। यह समिति तिमाही आधार पर कोयले के आबंटन का निर्णय लेती है। विभिन्न विद्युत स्टेशनों को कोयले की आपूर्ति की निगरानी रखने के लिए संयुक्त सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक उप-समूह भी है, जिसमें विद्युत मंत्रालय, रेलवे और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के भी प्रतिनिधि शामिल होते हैं। विद्युत उत्पादन में क्षति को कम करने के लिए विभिन्न विद्युत उपयोगिताओं को कोयले की सुनिश्चित आपूर्ति हेतु विगत में उप-समूह ने उपचारी उपाय किए हैं।

सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय

2087. डा. चिन्ता मोहन:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मानव विकास सूचकांक की वार्षिक वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए सामाजिक क्षेत्रों के विकास पर व्यय में वृद्धि करने हेतु सरकार के पास कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए है;

(घ) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में किए गए व्यय का कोई आकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान सामाजिक क्षेत्रों के विकास पर पृथक-पृथक वर्ष-वार सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत व्यय किया गया है; और

(च) उक्त व्यय में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का राज्य-वार अंशदान कितना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (च) सामाजिक सेवाओं पर होने वाले केन्द्रीय सरकार के व्यय, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति आदि पर व्यय शामिल हैं, में निरंतर रूप से वर्ष 2001-02 में 28462 करोड़ रुपये से बढ़कर 2005-06 (संशोधित अनुमान) में 55969 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। अत: इन चार वर्षों 2001-02 से 2005-06 के दौरान सामाजिक सेवाओं पर होने वाले केन्द्रीय सरकार के व्यय में 36.6% तक भी वृद्धि हुई है। नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, यूएनडीपी द्वारा संकलित मानव विकास सूचकांक (एचडीआई), 2000 में 0.577 से 2004 में 0.611 की बढ़ोत्तरी देखी गई है। सामाजिक क्षेत्र के व्यय तथा साथ ही साथ पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2003-04 से 2005-06 में सकल घरेलू उत्पाद में इसकी भागीदारी को संलग्न विवरण में दिखाया गया है।

केन्द्रीय मंत्रालयों के लिए योजना परिव्यय तथा साथ ही साथ राज्य सरकारों को दी जानी वाली केन्द्रीय सहायता को अंतिम रूप देने के दौरान सामाजिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है। ग्यारहवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा तथा लिंग समानता में सामाजिक विकास के कुछ संकेतकों के लिए मानीटर करने वाले लक्ष्यों का उल्लेख किया गया है। सामाजिक क्षेत्रक विकास के लिए विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कई कार्यक्रम/स्कीमें शुरू की गई हैं। कुछ कार्यक्रमों/स्कीमों में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा को पौषाणिक सहायता (मिड-डे भोजन कार्यक्रम), एकीकृत बाल विकास सेवा, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, भारत निर्माण आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, वृद्धों आदि के कल्याण के लिए विशेष रूप से कुछ कार्यक्रमों/स्कीमों की पहल की गई है।

व्यय में केन्द्र-राज्य का शेयर प्रत्येक स्कीम के लिए भिन्न-भिन्न है। सामाजिक क्षेत्रकों पर होने वाले व्यय में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के योगदान की राज्य-वार सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय (संयुक्त रूप से केन्द्र एवं राज्य)

मदें	वास्तविक		संशोधित अनुमान
	2003-2004	2004-2005	2005-2006
सामाजिक क्षेत्र पर व्यय	156893	177016	222210
(क) शिक्षा	76878	85793	102628
(ख) स्वास्थ्य	34822	39078	50164
(ग) अन्य	45193	52146	69418

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण, 2006-2007

सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशत के अनुसार सामाजिक क्षेत्र पर व्यय

मदें	वास्तविक		संशोधित अनुमान
	2003-2004	2004-2005	2005-2006
सामाजिक क्षेत्र पर व्यय	5.68	5.66	6.23
(क) शिक्षा	2.79	2.74	2.88
(ख) स्वास्थ्य	1.26	1.25	1.41
(ग) अन्य	1.64	1.67	1.95

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण, 2006-2007

[अनुवाद]

पारद का उपयोग

2088. श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत दुनिया में पारद का दूसरा सबसे बड़ा खपत करने वाला देश है;

(ख) यदि हां, तो स्वास्थ्य देखभाल प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली इसकी मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पारद के उपयोग के कारण स्वास्थ्य जोखिम, विशेषकर सरकारी अस्पतालों में काफी अधिक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पारद के उपयोग के नियमन के लिए विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में नियमन के लिए कोई नीति है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) से (छ) चिकित्सा परिचर्या प्रयोजन के लिए पारे की कुल खपत एवं उसकी मात्रा के बारे में भारत के रेंक की सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, मर्करी का उपयोग, अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों जैसे थर्मामीटर, स्फीगम्मोनोमीटर

एवं दन्त सम्मिश्रणों में किया जाता है। पारे के नियमित उपयोग से मस्तिष्क, किडनी एवं भ्रूण विकास में खतरा उत्पन्न हो सकता है।

किसी भी केन्द्रीय सरकार के अस्पताल में पारे से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

प्रयोज्य पारा अपशिष्ट, उसके उत्पादन का स्रोत चाहे कोई भी हो, उसमें पारे एवं पारे के मिश्रण का बायोमेडिकल वेस्ट (मैनेजमेंट एण्ड हैंडलिंग) रूल्स, 1998 एण्ड हजार्डस वेस्ट (मैनेजमेंट एण्ड हैंडलिंग) रूल्स, 2003 के अनुसार निपटान किया जाता है।

पाकिस्तान में भारतीय कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार

2089. श्री रेवती रमन सिंह: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान में भारतीय कैदियों के साथ किए जाने वाले अमानवीय व्यवहार की कोई रिपोर्ट सरकार के पास है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) जी, हां। इस्लामाबाद स्थित हमारे मिशन के कौंसली अधिकारियों की जानकारी में समय-समय पर भारतीय कैदियों के साथ अमानवीय बरताव की घटनाएं आयी हैं। भारतीयों की गिरफ्तारी के संबंध में भारतीय मिशन को पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा सूचित नहीं किया जाता है और जब तक उनकी सजा पूरी नहीं हो जाती, उन्हें कौंसली सहायता नहीं मिलती है। कई मामलों में तो उसके पश्चात भी उन्हें कौंसली सहायता पहुंचाने में विलंब किया जाता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, आज की तारीख तक कम से कम 92 भारतीय असैनिक कैदी पाकिस्तानी जेलों में हैं और उन्हें अभी कौंसली सहायता दी जानी है। 390 मछुआरे और 149 असैनिक कैदी तथा 74 युद्धबंदी अभी भी पाकिस्तानी जेलों में हैं। पाकिस्तान द्वारा रिहा किए गए भारतीय कैदियों ने कैद के दौरान दुर्व्यवहार की सूचना दी है।

(ग) सरकार ने कैदियों को रिहा करने और उनके साथ मानवोचित व्यवहार करने के मुद्दों को निरंतर पाकिस्तान के साथ उठाया है। 30-31 मई, 2006 को हुई गृह-सचिव स्तरीय वार्ताओं के दौरान-शेष सभी मछुआरों को 30 जून, 2006 तक रिहा करने, 15 जून, 2006 तक असैनिक कैदियों की सूची का आदान-प्रदान करने और तत्पश्चात रिहा किये जाने वालों को 31 जुलाई, 2006 तक कौंसुली सहायता सुविधाजनक बनाने पर सहमति हुई थी। सहमति के अनुसार 30 जून, 2006 को भारत ने उन 38 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर दिया जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली और शेष के लिए कौंसली सहायता प्रदान की गई। हालांकि पाकिस्तान ने सिर्फ 19 भारतीय असैनिक कैदियों को रिहा किया है। 14-15 नवंबर, 2006 को हुई विदेश सचिव स्तरीय वार्ताओं के दौरान दोनों पक्ष उपयुक्त असैनिक कैदियों एवं मछुआरों जिनकी राष्ट्रीयता की 25 दिसंबर, 2006 तक पुष्टि हो गई हो, को रिहा करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्री की 13-14 जनवरी, 2007 को हुई पाकिस्तान की यात्रा के दौरान, दोनों पक्ष कैदियों पर एक समिति का गठन करने पर सहमत हुए, जिसमें प्रवर न्यायपालिका के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे, जो कि दोनों देशों की जेलों के दौरे करेंगे और कैदियों के प्रति मानवोचित व्यवहार सुनिश्चित करने और जेल में सजा पूरी कर लेने वाले कैदियों की शीघ्र रिहाई करने के लिए उपायों का प्रस्ताव देंगे। दोनों पक्षों द्वारा न्यायाधीशों के नामों का आदान-प्रदान किया गया है।

सी.एन.जी. वाहन

2090. श्री कैलाश मेघवाल: क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में सार्वजनिक एवं निजी वाहनों के लिए सी.एन.जी. ईंधन का विकल्प चुना गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) मोटर वाहनों के रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। यह मंत्रालय सीएनजी जैसे ईंधन के उपयोग के आधार पर अलग से वाहनों की संख्या से संबंधित सूचना का ब्यौरा नहीं रखता है।

मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता

2091. श्री अमिताभ नन्दी:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का अनुवीक्षण करने के लिए व्यावसायिकों को नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में वर्तमान में कार्य कर रहे मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (एएसएचए) की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या एएसएचए के कार्यकरण के संबंध में कोई आकलन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसमें की गई टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में शुरू से ही तीन स्तरीय कार्य ढांचा है जिसमें आन्तरिक मानीटरिंग, बाह्य सर्वेक्षण एवं सामुदायिक मानीटरिंग शामिल हैं। स्वास्थ्य व्यवसायियों को सभी स्तरों पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की मानीटरिंग में शामिल किया जाता है। केन्द्र स्तर पर सुप्रसिद्ध स्वास्थ्य व्यवसायी, मिशन संचालन दल और अधिकार प्राप्त कार्यक्रम सहित के सदस्य होते हैं जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए निर्णय करने वाले शीर्ष निकाय हैं। राज्य स्तर पर भी ऐसी ही व्यवस्था मौजूदा है। आशा के परामर्श और सामुदायिक कार्यों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में स्वास्थ्य व्यवसायियों, सुप्रसिद्ध गैर-सरकारी संगठनों एवं अन्य संसाधन संस्थाओं को शामिल किया जाता है। बाह्य मूल्यांकन के भाग के रूप में इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक आडिटर्स आफ इंडिया को चुनिंदा राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वित्तीय प्रणालियों का समवर्ती मूल्यांकन का कार्य आबंटित किया गया है।

(ग) आज की स्थिति के अनुसार अधिक ध्यान दिए जाने वाले 18 राज्यों एवं अधिक ध्यान नहीं दिए जाने वाले राज्यों के पहाड़ी, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में 3.48 लाख से अधिक आशाओं का चयन किया गया है। विभिन्न राज्यों में चयन की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) से (ङ) आशा पहल के समवर्ती मूल्यांकन का कार्य उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं जम्मू व कश्मीर राज्यों में व्यावसायिक एजेंसियों को आबंटित किया गया है।

विवरण

दिनांक 20.02.2007 की स्थिति के अनुसार आशा का राज्य-वार चयन

	राज्य	मिशन अवधि 2005-10 के लिए प्रस्तावित आशा की संख्या	वर्ष 2005-06 के दौरान चयनित आशाओं की संख्या	वर्ष 2006-07 के दौरान चयनित आशाओं की संख्या	आज तक चयनित आशाओं की कुल संख्या	वर्ष 2006-07 के दौरान आज तक प्रशिक्षित आशा की संख्या
	1	2	3	4	5	6
	अधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्य-पूर्वोत्तर को छोड़कर					
1.	बिहार	74313	36488	18663	55151	37495
2.	छत्तीसगढ़	29437	5030	24407	29437	29437
3.	झारखंड	18000	2096	11261	13357	2096
4.	जम्मू-कश्मीर	9500	2773	6565	9338	5093
5.	मध्य प्रदेश	44379	16090	11266	27356	12816

	1	2	3	4	5	6
6.	उड़ीसा	47592	12730	16996	29726	12729
7.	राजस्थान	42592	20785	11215	32000	23443
8.	उत्तर प्रदेश	123450	19887	91523	111410	8058
9.	उत्तरांचल	9517	4104	3112	7216	6419
10.	हिमाचल प्रदेश	7750	–	–	–	
	कुल	406530	119983	195008	314991	210586
	उच्च जोखिम वाले पूर्वोत्तर राज्य					
1.	असम	26427	9058	16342	25400	14030
2.	अरुणाचल प्रदेश	3862	–	2027	2027	–
3.	मणिपुर	3000	–	2840	2840	–
4.	मेघालय	6180	–	–	–	–
5.	मिजोरम	943	–	674	674	–
6.	नागालैंड	2000	–	1309	1309	759
7.	त्रिपुरा	3902	–	1229	1229	–
8.	सिक्किम	665	–	450	450	–
	कुल	46979	9058	24871	33929	14789
	अधिक ध्यान नहीं दिए जाने वाले आदिवासी क्षेत्र					
1.	गुजरात	549	–	–		
2.	कर्नाटक	2934	–	–		
3.	महाराष्ट्र	9000	–	–		
4.	दादरा एवं नगर हवेली	250	–	–		
5.	दमन व दीव	250	–			
6.	लक्षद्वीप	60	–			
7.	आंध्र प्रदेश	8500	–			
8.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	100	–			
	कुल	21643	0	0	0	0
	महायोग	475152	129041	219879	348920	225375

एन.ए.सी.ओ. के पास लंबित सहायता अनुदान

2092. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एन.ए.सी.ओ.) के पास लंबित सहायता अनदुान व आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक कितने आवेदन निपटाए गए हैं; और

(ग) शेष मामलों का समाधान कब तक किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-II के तहत एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु गैर-सरकारी संगठनों के वित्त पोषण का कार्य वर्ष 1999 से संबंधित राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों को सौंप दिया गया है। सहायता अनुदान के लिए गैर-सरकारी संगठनों के आवेदन नाको के दिशानिर्देश के अनुसार पारदर्शी एवं सुचारू प्रक्रिया के माध्यम से संबंधित राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों को प्राप्त होते हैं जिसमें गैर-सरकारी संगठनों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

खेल प्रतिभाओं का दोहन

2093. डा. टोकचोम मैन्या:
श्री गिरिधारी यादव:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में अधिकतम खेल प्रतिभाओं के दोहन के लिए साधनों का अन्वेषण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार द्वारा क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार संभावित खिलाड़ियों को स्टाइपेंड अथवा वित्तीय सहायता देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अंतर्राष्ट्रीय खेलों एवं खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं में मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिए जाने की कोई व्यवस्था है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी कोई योजना आरंभ करना चाहेगी;

(ज) क्या विभिन्न खेल संघ खिलाड़ियों के लाभार्थ सुविधाओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं; और

(झ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) खेल राज्य का विषय है। राष्ट्रीय नीति खेल नीति 2001 बताती है कि खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करने की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है तथा केन्द्र सरकार इस दिशा में और छुपी हुई प्रतिभा का पता लगाने में इनके प्रयासों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देगी। खेल प्रतिभा का पता लगाने तथा पोषण करने के लिए भारत सरकार तथा भाखेप्रा द्वारा निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है:-

(क) राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना

(ख) सेना बाल खेल कंपनी

(ग) भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र

(घ) विशेष क्षेत्र खेल योजना

(ङ) उत्कृष्टता केन्द्र

(च) प्रतिभा खोज तथा प्रशिक्षण

(छ) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता

(ज) राष्ट्रीय खेल विकास कोष

(झ) खेल छात्रवृत्ति योजना

भारतीय खेल प्राधिकरण के विभिन्न केन्द्रों में प्रशिक्षण के लिए पता लगाए गए खिलाड़ियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण तथा कोचिंग हेतु सुविधाओं के अलावा छात्रवृत्ति, खेल किट, चिकित्सा/बीमा व्यय, प्रतियोगिता के अवसर आदि प्रदान किए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं तथा उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को विभिन्न अन्य पुरस्कारों के जरिए तथा उन पदक विजेता खिलाड़ियों जिन्होंने देश को ख्याति दिलायी है और वे सक्रिय खेल कैरियर से रिटायर हो गये हैं, के लिए पेंशन की योजना के जरिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन भी प्रदान कर रहा है।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, ''पंचायत युवा खेल अभियान'' की एक योजना आरम्भ करने पर भी विचार कर रहा है जिसका उद्देश्य मूलभूत खेल अवस्थापना का विकास करना तथा ग्राम/उप-जिला स्तर पर खेल कूद गतिविधियों का संवर्धन करना, युवाओं के विकास के आवश्यक घटक के रूप में तथा खेल प्रतिभा का पता लगाने के क्षेत्र का विस्तार करना तथा पोषण करना दोनों है। प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए सभी संबंधित पणधारियों से इस संबंध में विचार-विमर्श किया जा रहा है।

(ङ) से (छ) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी विभागों/मंत्रालयों/उपक्रमों के समूह ''ग'' और ''घ'' के रिक्त पदों में से 5% पद आयु सीमा से संबंधित नियमों में छूट देकर पात्र उत्कृष्ट खिलाड़ियों से भरे जा सकते हैं।

(ज) और (झ) भारत सरकार भारत में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के आयोजन, विदेश में भारतीय टीमों की सहभागिता, भारतीय और विदेशी कोचों के माध्यम से कोचिंग सहित अपेक्षित वैज्ञानिक सहायता, उपस्करों की खरीद आदि के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इन योजनाओं के अंतर्गत परिसंघों द्वारा विधिवत परीक्षित लेखे तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद निधियां जारी की जाती हैं।

पेंशन सुधार

2094. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में व्यापक पेंशन सुधार आरंभ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नई पेंशन नीति की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) उक्त नीति कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार की सेवा में नव प्रवेशकों, सशस्त्र बलों को छोड़कर, के लिए नए सिरे से निर्धारित एक अंशदायी पेंशन प्रणाली दिनांक 22 दिसम्बर, 2003 को अधिसूचित की गई थी। नई पेंशन प्रणाली दिनांक 1 जनवरी, 2004 से क्रियान्वित की गई थी। नई पेंशन प्रणाली असंगठित क्षेत्र में स्वनियोजित व्यावसायिकों और अन्य सहित सभी व्यक्तियों को भी स्वैच्छिक आधार पर यथासमय उपलब्ध कराई जाएगी।

पनागुडी-कन्याकुमारी खंड को चार लेन का बनाए जाने में विलंब

2095. श्री ए.वी. वेल्लारमिन: क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पनागुडी-कन्याकुमारी खंड को चार लेन का बनाए जाने के कार्य की प्रगति में काफी विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कन्याकुमारी-त्रिवेन्द्रम खंड पर भी कार्य आरंभ नहीं हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

(च) इन परियोजनाओं की कुल लागत कितनी है; और

(छ) उक्त खंडों पर कार्य कब तक आरंभ होने और पूरा होने की संभावना है?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) भूमि अधिग्रहण की समस्या, सुविधाओं के स्थानांतरण में विलंब और ठेकेदारों के निम्नस्तरीय कार्य निष्पादन के कारण पनागुडी-कन्याकुमारी खंड को 4 लेन का बनाने के कार्य में देरी हुई है। इस खंड में कार्य का ठेका रद्द कर दिया गया है।

(ग) से (ङ) कन्याकुमारी-त्रिवेन्द्रम के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। यह कार्य सार्वजनिक-निजी मूल्यांकन समिति के अनुमोदन के पश्चात् निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर शुरू किया जाना है।

(च) और (छ) निविदा प्रक्रिया पूरी होने और निविदाओं को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही इस कार्य को पूरा करने की लागत और समय के बारे में पता चल पाएगा।

[हिन्दी]

नए एवं पुराने पासपोर्ट

2096. **श्री वी.के. दुग्मर:**
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नए पासपोर्टों तथा नवीकरण के उपरांत जारी किए गए पासपोर्टों के बीच कोई अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए पासपोर्ट जारी किए जाने एवं इनका नवीकरण किए जाने की प्रक्रिया के बीच क्या अंतर है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी हां।

(ख) और (ग) नया पासपोर्ट वह है, जिसे उस व्यक्ति को जारी किया गया हो, जो पहले कभी किसी पासपोर्ट का धारक नहीं रहा हो। दूसरी ओर नवीकृत पासपोर्ट वह है जिसे उस पासपोर्ट के स्थान पर जारी किया जाता है जिसे पहले किसी व्यक्ति को जारी किया गया हो और जिसकी वैद्यता अवधि समाप्त हो चुकी हो। दोनों पासपोर्टों की वैद्यता अवधि 10 वर्ष के लिए है। नया पासपोर्ट पुलिस सत्यापन के पश्चात् अथवा तत्काल योजना के तहत पुलिस सत्यापन बाद में होने के आधार पर जारी किया जाता है। नए पासपोर्ट जारी करने के कुछ मामलों में पुलिस सत्यापन से छूट प्रदान की जाती है जैसे सरकारी कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक और अवयस्क, बशर्ते अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी की गई हों। आवेदक के विरुद्ध कुछ भी प्रतिकूल नहीं होने पर पासपोर्ट के नवीकरण के मामले में पुलिस सत्यापन अपेक्षित नहीं है।

[अनुवाद]

धंसान प्रवण क्षेत्र

2097. **श्री अधु अयीश मंडल:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उन कोयला क्षेत्रों के बारे में कोई रिपोर्ट मिली है जो धंसान-प्रवण हैं;

(ख) यदि हां, तो पहचान किये गये क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने धंसान संयोग की गहराई मापने के लिए विशेषज्ञों द्वारा कोई तकनीकी सर्वेक्षण करवाया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) लोगों के पुनर्वास तथा उच्च धंसान प्रवण क्षेत्रों की पुनर्संरचना के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की कोयला खानों में धंसाव की समस्या अधिकांशत: पूर्वी क्षेत्र अर्थात ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल) और भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) तक सीमित हैं। ये दो सहायक कंपनियां राष्ट्रीयकरण से पूर्व भूतपूर्व मालिकों द्वारा तैयार विखण्डित छोटी इकाइयों से बनी। इन छोटी इकाइयों ने विभिन्न कोयला सीमों का खनन बिना वैज्ञानिक योजना के किया और इसमें संरक्षण और सुरक्षा की ओर कम ध्यान दिया गया। इस प्रकार वहां बड़ी संख्या में पुरानी परित्यक्त खदानें विरासत में मिली हैं जिनमें गहराई में पानी भरा हुआ है और पहुंचने से परे है। वर्षों से पुराने होने और ऐसी कुछ खदानों में आग लगने के कारण भी शेष पिल्लरों के कमजोर होने के साथ ही पुरानी परित्यक्त खदानें धीरे-धीरे बहुत ही स्थिर हो गईं जो जलमग्न नहीं थीं। कई खानों पर पिल्लर इतने कमजोर हो गए कि कभी भी गिर सकते हैं जिससे धंसाव हो सकता है। झरिया तथा रानीगंज कोलफील्डों के लीजहोल्ड क्षेत्रों में आग, धंसाव और पुनर्स्थापन से निपटने के लिए आबादी वाले क्षेत्रों के पुनर्स्थापन के लिए बीसीसीएल में 595 स्थलों एवं ईसीएल में 139 स्थलों की पहचान की गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों और उप-समितियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं और यह अवलोकन किया गया कि इन दो कोलफील्डों में धंसाव की समस्याएं पूरी ऊंचाई के निष्कर्षण के साथ पुरानी खदानों की मौजूदगी, चौड़ी गैलरियों, बहु-सीमों और उथली गहराई के अंतर्गत बहु खण्डीय खदानों, निष्कर्षित निचली सीमों के अधीन रेत भराई आदि के साथ विकसित कोयला सीमों की मौजूदगी के कारण थी। उपर्युक्त अध्ययनों के परिणाम के रूप में सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजायन इंस्टीट्यूट (सीएमपीडीआई) ने 1999 में झरिया तथा रानीगंज कोलफील्डों दोनों के लिए मास्टर प्लान तैयार किए और उन्हें 2006 में अद्यतन किया गया। मास्टर प्लानों के बारे में

कोयला कंपनियों द्वारा की गई कार्रवाई की निगरानी के लिए उच्चतम न्यायालय के निदेशों पर खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) ने एक समिति का गठन किया और निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ अगस्त 2005 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की-

"रेत भरायी से स्थिर किए गए स्थल की दीर्घावधि स्थिरता की जांच करने के लिए कोई वैज्ञानिक पद्धति उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह प्रमाणित करना संभव नहीं हो सकता है कि इस प्रकार क्षेत्र स्थिर है। वर्तमान स्थिरीकरण कार्य धंसाव के प्रभाव को सीमित कर सकते हैं और कुछ समय दे सकते हैं। अंतिम तथा स्थायी समाधान प्रभावित क्षेत्र खाली कराना और पुनर्स्थापन करना है।"

(ङ) और (च) झरिया और रानीगंज कोलफील्डों के लिए 2006 का अद्यतनकृत मास्टर प्लान इस समय सरकार के अनुमोदन के लिए प्रक्रियाधीन है जिसमें निम्नलिखित की व्यवस्था है-

(1) जिन सभी धंसाव की संभावना वाले क्षेत्रों में हाइड्रोलिक रेत भरायी के माध्यम से स्थिरीकरण किया जा रहा है, उन्हें पुनर्स्थापन के लिए विचार करने हेतु अब प्रस्ताव किया गया है।

(2) झरिया तथा रानीगंज कोलफील्डों के मास्टर प्लानों का निष्पादन दस वर्षों की अवधि के भीतर पूरा किया जाना है (कार्यान्वयन पूर्व क्रियाकलापों के दो वर्षों को छोड़कर)

(3) मास्टर प्लानों के कार्यान्वयन हेतु 8668.87 करोड़ रु. (बीसीसीएल के लिए 6368.45 करोड़ रुपए और ईसीएल के लिए 2300.42 करोड़ रु.) की राशि का अनुमान लगाया गया है।

इसके अलावा, 1996 में उच्च अधिकार प्राप्त समिति के निदेशों के अनुसार ईसीएल तथा बीसीसीएल में स्थिरीकरण की कई योजनाएं पूर्ण हो गई है/शुरू कर दी गई हैं। ईसीएल के मामले में कार्य आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए) और बीसीसीएल के मामले में झरिया पुनर्वास तथा विकास प्राधिकरण को सौंपा गया है। बीसीसीएल ने 1500 मकानों के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है तथा अस्थिर स्थानों से 176 परिवारों को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

ई-गवर्नेन्स के लिए निधि

2098. **श्री ई. पोन्नुस्वामी:**
श्री शिशुपाल एन. पटले:
श्री हितेन बर्मन:
श्री महादेवराव शिवणकर:
श्री मो. ताहिर:
श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री राजेश पाठक:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ई-गवर्नेन्स को निचले स्तर तक लाने के लिए किसी योजना को अंतिम रूप दिया है जैसा कि दिनांक 23 दिसम्बर, 2006 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) ई-गवर्नेन्स के अंतर्गत कितनी सेवाओं को रखा गया है;

(घ) देश के ग्रामीण क्षेत्रों तक यह सुविधा कब तक पहुंचाए जाने की संभावना है;

(ङ) इस योजना से ग्रामीण लोगों को क्या लाभ मिलने की संभावना है;

(च) क्या सरकार ने पूर्ण ई-गवर्नेंस के लिए कोई रूपरेखा तैयार कर ली है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) राष्ट्रीय सहारा की रिपोर्ट सरकार की सामान्य सेवा केन्द्र योजना से संबंधित है। सरकार ने हाल ही में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 10,000 ब्राण्ड बैण्ड, इंटरनेट समर्थित सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) स्थापित करने के लिए सहयोग प्रदान करने की एक योजना को अनुमोदित किया है। ये केन्द्र किसी राज्य में प्रति 6 आवासीय गांवों के लिए एक सामान्य सेवा केन्द्र के अनुपात में खोले जाएंगे। ये केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी एवं निजी सेवाएं प्रदान करेंगे। यह योजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी में कार्यान्वित की जाएगी। इस योजना के पूर्ण ब्यौरे सीएससी दिशा-निर्देशों में उपलब्ध है, जो (www.mit.gov.in) पर उपलब्ध हैं। इस योजना का कुल परिव्यय 5742 करोड़ रुपए है जिसमें सामान्य सेवा केन्द्र स्थापित करने की लागत और इसके बाद 4 वर्षों के लिए इनका प्रचालन शामिल है। व्यवहार्यता अंतराल के वित्त पोषण के रूप में सरकारी सहयोग अनुमानत: 1649 करोड़ रुपए होगा, तथा शेष राशि निजी क्षेत्र में हो रहे निवेश से प्राप्त होगी।

(ग) सीएससी योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाएं मुख्यत: राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाएंगी। विभिन्न राज्य ई-शासन सेवाओं की प्रदायगी के लिए अपने बैकएण्ड के ई-सामर्थ्य के विभिन्न चरणों में हैं। ये सेवाएं राज्य सरकारों द्वारा क्रमश: ई-समर्थित बनाई जाएंगी।

(घ) सीएससी योजना राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाएगी इस योजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा सभी प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने योजना तैयार करने, कार्यान्वित करने और इसके संचालन में इसे तथा राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए राष्ट्रीय स्तर की सेवा एजेंसी भी नियुक्त की है। किन्तु, चूंकि यह योजना राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जानी है, इन केन्द्रों के वस्तुत: तैयार होने का समय संबंधित राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों पर निर्भर करेगा।

(ङ) इस योजना का उद्देश्य ई-समर्थित सरकारी सेवाएं नागरिकों को उनके द्वार पर प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त चूंकि ये केन्द्र निजी सेवाएं भी उपलब्ध कराएंगे, ग्रामीण स्तर पर कृषि, बैंकिंग बीमा, मनोरंजन आदि के क्षेत्र में काफी संख्या में निजी सेवाएं भी ई-समर्थित हो जाएंगी।

(च) और (छ) सरकार ने राष्ट्रीय ई-शासन योजना अनुमोदित की है जिसमें 27 मिशन मोड परियोजनाएं (एमएमपी) और 8 घटक शामिल हैं। ये मिशन मोड परियोजनाएं एक पदनामित नोडल मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाएंगी। पदनामित नोडल मंत्रालय/विभाग सक्षम प्राधिकारी से मिशन मोड परियोजना के लिए औपचारिक वित्तीय अनुमोदन लेते समय परियोजना के कार्य क्षेत्र तथा इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा भी स्पष्ट करेगा।

[हिन्दी]

भारत तथा अन्य देशों के बीच परमाणु मुद्दा

2099. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु ईंधन की आपूर्ति के लिए भारत और अन्य सम्भावित आपूर्तिकर्ताओं देशों के बीच चर्चा हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ भारत ने चर्चा की;

(ग) कौन-कौन से देश परमाणु ईंधन की आपूर्ति करने पर सहमत हुए हैं;

(घ) क्या इन देशों द्वारा परमाणु ईंधन की आपूर्ति करने के लिए भारत के सामने कोई शर्त भी रखी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (ङ) भारत अंतर्राष्ट्रीय असैन्य नाभिकीय सहयोग बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है और संभावित भागीदारों के साथ संभावनाओं का पता लगा रहा है। किसी अंतिम निर्णय पर इसलिए नहीं पहुंचा जा सका है, क्योंकि विभिन्न राष्ट्रों के साथ चल रही बातचीत अभी भी अन्वेषणात्मक चरण पर ही है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में केन्द्रीय योजनाएं

2100. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में कई केन्द्रीय योजनाएं/परियोजनाएं पूरी नहीं की गई हैं और ये दस से पंद्रह सालों से लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के पास योजनाओं का अनुवीक्षण करने की कोई प्रणाली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) आज की तारीख तक ऐसी योजना/परियोजना की अनुमानित आरम्भिक लागत कितनी है; और

(च) उक्त योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) यद्यपि, 20 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली ऐसी केन्द्रीय परियोजनाएं हैं जो उड़ीसा में लगभग दस वर्ष पहले शुरू की गई थी, ऐसी कोई चालू केन्द्रीय परियोजनाएं नहीं हैं, जो कार्य समापन की वास्तविक तारीख से दस वर्षों से अधिक लम्बित रही हों।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विभिन्न स्तरों पर 20 करोड़ रुपये तथा उससे अधिक की लागत वाली केन्द्रीय परियोजनाओं की मानीटरिंग के लिए सुस्थापित प्रणाली है, जिसमें संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय, योजना आयोग तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय शामिल हैं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

औषधि परीक्षण के लिए विश्व बैंक की सहायता

2101. श्री अनन्त नायक: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों पर औषधि परीक्षण क्षमता को बढ़ाने संबंधी विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना को अंतिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना को लागू किया जा रहा है तथा प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता प्रदान की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) 69.71 करोड़ रुपए की कुल सहायता से विश्व बैंक से सहायता प्राप्त खाद्य सुरक्षा और औषधों की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु क्षमता निर्माण परियोजना के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र में 6 औषध प्रयोगशालाओं और राज्य क्षेत्र में 21 औषध प्रयोगशालाओं को कवर किया गया है। इस राशि में से केन्द्रीय प्रयोगशालाओं के लिए 15.27 करोड़ रुपए की राशि और राज्य प्रयोगशालाओं के लिए 54.44 करोड़ रुपए की धनराशि शामिल है। केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र में प्रत्येक औषध प्रयोगशालाओं को दी गई सहायता का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में है।

विवरण I

विश्व बैंक से सहायता-प्राप्त औषधों की गुणवत्ता नियंत्रण के बारे में क्षमता निर्माण परियोजना के अंतर्गत सहायता की राज्यवार कुल मात्रा (करोड़ रुपए में)

राज्य का नाम	कुल परियोजना लागत
केन्द्रीय क्षेत्र	
सेंट्रल इण्डियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी, गाजियाबाद	2.26
सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, मुम्बई	7.77
सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, चंडीगढ़	3.44
रीजनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, गुवाहाटी	1.18
सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, कोलकाता	0.39
सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, चेन्नई	0.23
कुल	15.27

विवरण II

विश्व बैंक से सहायता-प्राप्त औषधों की गुणवत्ता नियंत्रण के बारे में क्षमता निर्माण परियोजना के अंतर्गत सहायता की राज्यवार कुल मात्रा (करोड़ रुपए में)

राज्य का नाम	कवरेज की सीमा (औषध प्रयोगशाला)	कुल परियोजना लागत
1	2	3
	राज्य क्षेत्र	
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद और विजयवाड़ा	5.41
दिल्ली	दिल्ली	1.06

1	2	3
गुजरात	वडोदरा	4.21
हरियाणा	चंडीगढ़	0.63
हिमाचल प्रदेश	कंडा घाट	1.01
जम्मू-कश्मीर		3.27
केरल	तिरूवनन्तपुरम	0.70
कर्नाटक	बंगलौर	5.01
मध्य प्रदेश	भोपाल	2.78
उड़ीसा	भुवनेश्वर	2.42
पांडिचेरी	पांडिचेरी	0.92
राजस्थान	जयपुर	0.98
तमिलनाडु	गोंडी	3.93
त्रिपुरा	अगरतला	1.58
उत्तर प्रदेश	लखनऊ	2.50
पश्चिम बंगाल	कोलकाता	2.30
छत्तीसगढ़	रायपुर	3.14
झारखंड	रांची	3.14
उत्तरांचल	रुद्रपुर	3.14
महाराष्ट्र	मुम्बई और औरंगाबाद	3.75
गोवा	पणजी	2.56
कुल		54.44

चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना

2102. **श्री पी.सी. थामस:**
श्री रघुराज सिंह शाक्य:
श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति सबसे सस्ती है अथवा विश्व में तुलनात्मक रूप से सस्ती है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए विदेश से कितने लोग भारत आए तथा गत तीन वर्षों के दौरान चिकित्सा पर्यटन के माध्यम से सरकार द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ग) क्या यह पहलू भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सहायक है;

(घ) यदि हां, तो यह कहां तक उपलब्धियां प्राप्त की गई तथा ऐसे उद्यमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) पूरे विश्व से भारत आने के लिए और रोगियों को आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा क्या पहलें की गई हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(च) इस संबंध में आयुर्वेद का राज्यवार विशेष रूप से केरल में कितना योगदान है; और

(छ) चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। भारत में ऐलोपैथिक एवं आयुष पद्धतियां विकसित देशों की तुलना में सस्ती हैं। यद्यपि, विभिन्न रोगों के इलाज के लिए भारत में आने वाले विदेशियों की सही संख्या के बारे में कोई सूचना नहीं रखी जाती है, फिर भी कुछ अध्ययनों के अनुसार, निजी अस्पतालों में एक वर्ष में लगभग 150,000 विदेशियों ने इलाज करवाया। इससे प्राप्त हुए राजस्व के बारे में कोई सूचना नहीं हैं।

(ग) से (छ) जी, हां। निजी क्षेत्र के अस्पताल चिकित्सा पर्यटन के तहत इलाज प्रदान कर रहे हैं। इसके बारे में कोई राज्यवार सूचना उपलब्ध नहीं है। बेहतर किफायती स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद ने अस्पतालों को मान्यता देने का कार्य आरम्भ किया है। सरकार ने चिकित्सा वीजा (एम-वीजा) की एक नई श्रेणी आरम्भ की है जो चिकित्सा इलाज हेतु भारत आए विदेशी पर्यटकों को इस विशिष्ट उद्देश्य के लिए दिया जा सकता है। आयुर्वेद/पंचकर्मा केन्द्रों को मान्यता देने के लिए सरकार द्वारा व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। केरल सरकार ने आयुर्वेद और योगा आधारित केन्द्रों/रिजोर्टों के पंजीकरण के लिए मान्यता प्राप्त तंत्र कार्यान्वित किया है। सरकार भारत एवं विदेश में सार्वजनिक जागरूकता सृजित करने हेतु आयुष पद्धतियों के उत्पादों एवं प्रभावों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए अतिरिक्त ऐलोपैथिक अस्पतालों में आयुष सुविधाओं की स्थापनाओं का भी समर्थन कर रही है।

तम्बाकू उत्पादों का प्रयोगशाला परीक्षण

2103. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तम्बाकू उत्पादों में निकोटिन, टार तथा कार्बन मोनोआक्साइड की मात्रा का परीक्षण करने के लिए पहली अति आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी प्रयोगशाला द्वारा कब तक कार्य शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) तम्बाकू के विरुद्ध सरकार की लड़ाई में ऐसी प्रयोगशालाएं कितनी सहायक सिद्ध होंगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) तम्बाकू के सभी रूपों में टार एवं निकोटिन घटकों की जांच करने के लिए देश भर में क्षेत्रीय/रेफरल प्रयोगशाला सुविधाओं का गठन करने के लिए सरकार क्षमता निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है। इन प्रयोगशालाओं की स्थापना से सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के कार्यान्वयन में सहायता मिलेगी जिनके अंतर्गत तम्बाकू उत्पादों में टार/निकोटिन घटकों और साथ ही उसके अधिकतम स्वीकार्य स्तरों को लेबल सूचित किया जाएगा।

[हिन्दी]

एन.आर.आई. पतियों द्वारा छोड़ी गई दुल्हनें

2104. **श्री रशीद मसूद:**
श्री पंकज चौधरी:
श्री गणेश सिंह:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री कुलदीप बिश्नोई:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एस.के. खारवेलथन:
श्रीमती जयाप्रदा:
श्री चालासोवरी वल्लभनेनी:
श्रीमती शिवेदिता माने:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री ई.जी. सुगावनम:
श्री मिलिन्द देवरा:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जसुभाई धाभाई बारड:
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.आर.आई. पतियों द्वारा छोड़ी गई तथा धोखा खाई महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी महिलाओं से प्राप्त शिकायतों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने छोड़ी गई महिलाओं को सहायता देने के लिए कोई नीति बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार प्रवासी भारतीयों द्वारा की गई ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए कोई विधान लाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री चायालार रवि): (क) और (ख) ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, मंत्रालय को अप्रवासी भारतीयों के साथ विवाहों की शिकार महिलाओं से लगभग 100 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन्हें राज्यवार संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय महिलाओं, जिन्हें अप्रवासी भारतीय पतियों द्वारा उनके विवाह के दो वर्ष के भीतर छोड़ दिया है अथवा तलाक दे दिया है, को प्रत्येक मामले के आधार पर वित्तीय सहायता देने के रूप में, हाल ही में भारतीय मिशनों की मार्फत कानूनी और परामर्शी सहायता देने की एक योजना शुरू की गई है। इस योजना में सं.रा. अमरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड और खाड़ी देशों के मामले शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, विभिन्न परिस्थितियों में महिलाओं को आश्रय, रख-रखाव और पुनर्वास प्रदान करने की दो योजनाएं अर्थात् 'स्वाधार' और 'अल्पावधि आवास गृह' हैं।

(ङ) से (छ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

राज्यों के नाम	मामलों की संख्या
1	2
दिल्ली	25
पंजाब	18
हरियाणा	09
केरल	05
उत्तर प्रदेश	11
आंध्र प्रदेश	14
तमिलनाडु	03
बिहार	01
महाराष्ट्र	04
पश्चिम बंगाल	02
राजस्थान	02
गुजरात	02
कर्नाटक	01
मध्य प्रदेश	01
जम्मू-कश्मीर	02
योग	100

बीमार व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि

2105. श्री देविदास पिंगले:
श्री राजेश पाठक:
श्री मो. ताहिर:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बीमार व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने स्वस्थ तथा बीमार व्यक्तियों की संख्या का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आवंटित धनराशि का राज्यों में उचित तरीके से प्रयोग किया जा रहा है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या योजनाओं के सृजन तथा धनराशि के उपयोग में कोई ढिलाई बरती गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) रुग्णता, स्वास्थ्य परिचर्या और वृद्धों की स्थिति के बारे में एन एस एस 60वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार रुग्णता-दर (रोग सूचित करने वाले व्यक्तियों का अनुमानित अनुपात) प्रति हजार जनसंख्या पर 91 व्यक्ति थे।

(घ) से (च) उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्यों को आवंटित किए गए धन का उपयोग विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। राज्यों द्वारा धन के समुपयोजन को मानीटर करने के लिए तंत्र भी लगा दिए गए हैं। राज्यों को सरकार द्वारा निर्धारित किए गए वित्तीय प्रावधानों/के अंतर्गत, जैसा भी मामला हो, व्यय विवरण, लेखों के अंकेक्षित विवरण और समुपयोजन प्रमाण-पत्र देना भी अपेक्षित है, जिसको नियमित रूप से मानीटर किया जा रहा है।

[अनुवाद]

गरीबी तथा बीमारियों का सह-संबंध

2106. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री काशीराम राणा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बीमारियों के होने का एक प्रमुख कारण गरीबी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गरीबी के कारण हो रही मौतों को रोकने के लिए कोई सुझाव दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन मानता है कि क्षय रोग, फाइलेरिया, कुष्ठ रोग इत्यादि जैसे रोगों का प्रमुख कारण गरीबी है और विश्व स्वास्थ्य संगठन उन रोगों से निपटने के लिए समुचित तकनीकी नीतियों के विकास एवं कार्यकलापों में भारत सरकार का सहयोग कर रहा है।

[हिन्दी]

ब्लाक मुख्यालयों के लिए बी.एस.एन.एल. का कनेक्शन

2107. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तथा भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल) ने देश के विभिन्न राज्यों विशेष रूप से बिहार में सभी ब्लाक मुख्यालयों को मोबाइल सेवा से जोड़ने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य विशेष रूप से झारखंड में ऐसे ब्लाकों की राज्य-वार संख्या कितनी है जहां मोबाइल सेवा विद्यमान है;

(घ) कितने ब्लाकों को अभी मोबाइल सेवा से जोड़ा जाना है;

(ङ) देश के हर ब्लाक तथा गांव विशेष रूप से झारखंड के ब्लाकों को मोबाइल सेवा से पूरी तरह जोड़ने के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है तथा ऐसा कब तक किया जाएगा; और

(च) ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित मोबाइल/टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए तथा उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कितने शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किए गए है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जिला मुख्यालयों को कवर करने की लाइसेंस शर्तों का अनुपालन कर लेने के बाद बीएसएनएल ने अब अपनी मोबाइल विस्तार योजनाओं को व्यवसाय और वाणिज्यिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए, आगामी तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, उत्तरोत्तर रूप से ब्लाक मुख्यालयों और 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों में अपनी कवरेज का विस्तार करने पर केन्द्रित किया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा बिहार और झारखंड सहित ऐसे विनिर्दिष्ट ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, जहां मोबाइल कवरेज या स्थिर बेतार फोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 500 से अधिक जिलों में 7871 अवसंरचना स्थलों की स्थापना और प्रबंधन हेतु सहायता प्रदान करने की एक स्कीम शुरू की जा रही है।

(ग) से (ङ) 31.01.2007 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल द्वारा ब्लाक मुख्यालय को मोबाइल सेवा कवरेज उपलब्ध कराने की राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण में दर्शाई गई है। झारखंड के सभी ब्लाक मुख्यालयों को आगामी तीन वित्तीय वर्षों के दौरान मोबाइल सेवा द्वारा कवर कर लेने का कार्यक्रम बनाया गया है।

(च) बीएसएनएल के विभिन्न सर्किलों में निम्नलिखित जन शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किए गए हैं:

* टेलीफोन अदालत-गौण स्विचन क्षेत्र स्तर पर द्विमासिक और सर्किल स्तर पर त्रैमासिक आधार पर
* काल सेंटर (लैंड लाइनों के लिए 1500 और मोबाइल के लिए 9400024365)
* फोन पर लैंडलाइन के संबंध में शिकायत (प्रत्येक एक्सचेंज में 198, जिला स्तर पर 1095 और सर्किल स्तर पर 1094)

इसके अतिरिक्त संबंधित गौण स्विचन क्षेत्रों द्वारा समय-समय पर खुले सत्र भी आयोजित किए जाते हैं।

विवरण

31.01.2007 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल द्वारा ब्लाक मुख्यालय की मोबाइल सेवा कवरेज की स्थिति

राज्यों का नाम	ब्लाक मुख्यालयों की कुल संख्या	31.1.2007 की स्थिति के अनुसार सेल्युलर मोबाइल सेवाओं से कवर किए गए ब्लाक मुख्यालयों की संख्या	सेल्युलर मोबाइल सेवाओं से अब तक कवर नहीं किए गए ब्लाक मुख्यालयों की संख्या
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार	5	5	0
बिहार	533	313	220
झारखंड	311	158	53
उड़ीसा	314	253	61
पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित)	354	241	113
पूर्वोत्तर-I (त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम)	101	38	63
पूर्वोत्तर-II (मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड)	145	64	81
असम	225	117	108
गुजरात*	*	*	*
मध्य प्रदेश	313	303	10
छत्तीसगढ़	146	119	27
महाराष्ट्र (गोवा सहित)	358	358	0
हरियाणा	116	112	4
हिमाचल प्रदेश	75	74	1

1	2	3	4
पंजाब	143	142	1
राजस्थान	237	228	9
उत्तर प्रदेश	836	763	73
उत्तरांचल	95	91	4
जम्मू-कश्मीर	119	78	41
आंध्र प्रदेश	1123	828	295
कर्नाटक	750	640	110
केरल	152	152	0
तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित)	408	364	44
संपूर्ण भारत	6759	5441	1318

*गुजरात राज्य में ब्लाक मुख्यालयों की संकल्पना मौजूद नहीं है। गुजरात के सभी 225 तालुका कवर किए गए हैं।

ग्रामसैट योजना

2108. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि तक विशेषकर पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामसैट योजना पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत प्रसारित किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना के माध्यम से जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु जनजातीय लोगों को शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में सञ्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण). (क) ग्रामसैट/टीडीसीसी (प्रशिक्षण और विकास संचार चैनल) पायलट परियोजनाएं गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूहों जैसे राज्यों में प्रारंभ की गई हैं। विगत 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान टीडीसीसी/ग्रामसैट परियोजना के अंतर्गत कुल व्यय निम्न प्रकार है:-

वर्ष	व्यय
2003-2004	205 लाख रुपये
2004-2005	473 लाख रुपये
2005-2006	1000 लाख रुपये
2006-2007 (ग्रामसैट+बीआरसी)	430 लाख रुपये
कुल	2108 लाख रुपये

(ख) विशिष्ट ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राज्य आधारित संयोजकता प्रदान करने के लिए इन परियोजनाओं का उपयोग किया जाता है। शिक्षा, पंचायती राज, इंजीनियरी, स्वास्थ्य, जल, महिला एवं बाल कल्याण, चिकित्सा, परिवहन, उद्योग, वन एवं मात्स्यिकी के क्षेत्रों में अन्योन्यक्रिया प्रशिक्षण कार्यक्रमों (आईटीपी) का नियमित रूप से प्रसारण किया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह की राज्य सरकारें प्रशिक्षण के लिए ग्रामसैट नेटवर्क के नियमित प्रयोक्ता हैं। 6 अपलिंकों के उपयोग के साथ-साथ 100 से 110 अन्योन्यक्रिया प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित एक माह में इस नेटवर्क का लगभग 25-30 दिनों का वर्तमान औसत उपयोग दर है। मध्य प्रदेश में झाबुआ, धार, बदवानी; उड़ीसा में के बी के क्षेत्र और राजस्थान में झालावार एवं बारन जिलों से जनजातीय/आदिवासी लोग इन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। ये कार्यक्रम विशेष रूप से जनजातीय विकास और प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त हैं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश के लिए वार्षिक योजना

2109. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2006-07 के लिए हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड सहित राज्यों के लिए वार्षिक योजना परिव्यय को मंजूरी दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) कृषि, उद्योग, आवास तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों और सामाजिक न्याय कार्यक्रम के लिए इसमें कुल कितना आबंटन किया गया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) जी हां, वर्ष 2006-07 के दौरान संस्वीकृत राज्यों की वार्षिक योजना परिव्यय का ब्यौरा (हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड सहित) संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों के लिए कृषि, उद्योग, आवास, स्वास्थ्य और समाज कल्याण के अंतर्गत आवंटन को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य	वार्षिक योजना 2006-07 अनुमोदित परिव्यय
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	20,000.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1056.00
3.	असम	3798.00
4.	बिहार	8250.00
5.	छत्तीसगढ़	5,378.06
6.	गोवा	1200.00
7.	गुजरात	12503.50
8.	हरियाणा	3300.00
9.	हिमाचल प्रदेश	1800.00
10.	जम्मू-कश्मीर	4347.67
11.	झारखंड	6500.00
12.	कर्नाटक	16166.00
13.	केरल	6210.00
14.	मध्य प्रदेश	9020.00
15.	महाराष्ट्र	14829.00
16.	मणिपुर	1160.00
17.	मेघालय	900.00
18.	मिजोरम	758.00
19.	नागालैंड	760.00
20.	उड़ीसा	3500.00
21.	पंजाब	4000.00
22.	राजस्थान	8501.42
23.	सिक्किम	550.00
24.	तमिलनाडु	12500.00
25.	त्रिपुरा	950.00
26.	उत्तर प्रदेश	19000.00
27.	उत्तरांचल	4000.00
28.	पश्चिम बंगाल	8024.36

विवरण II

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	क्षेत्रक	वर्ष 2006-07 के दौरान किया गया आबंटन	
		हिमाचल प्रदेश	उत्तराखंड
1.	कृषि	231.84	427.09
2.	उद्योग	30.54	139.16
3.	आवास	75.90	11.43
4.	चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	199.49	186.00
5.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	71.75	43.82

हैपेटाइटिस बी तथा पोलियो उन्मूलन

2110. **श्री निखिल कुमार:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देश में हैपेटाइटिस बी तथा पोलियो उन्मूलन की समस्याओं पर गौर करने के लिए विशेष समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) देश में हैपेटाइटिस और पोलियो उन्मूलन की समस्याओं पर विचार करने के लिए भारतीय चिकित्सा संघ ने पृथक समितियां गठित की थी। दो समितियों की अनुशंसाओं का सार विवरण में दिया गया है। भारत सरकार इन अनुशंसाओं पर विचार कर रही है।

विवरण

हैपेटाइटिस बी के बारे में की गई अनुशंसाओं का सार

1. प्रकाशित अध्ययनों के विस्तृत मेटा विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में गैर-आदिवासी लोगों में हेपेटाइटिस बी की व्याप्तता दर 2.1 प्रतिशत है। यह 1.6 प्रतिशत की चिरकालिक वाहक दर के अनुरूप है। इन अनुमानों को ध्यान में रखते हुए गैर-आदिवासी लोगों में हेपेटाइटिस बी वाले व्यापक प्रशिक्षण की लागत प्रभावकारिता का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

2. मां से बच्चे में संक्रमण का वर्टिकल संचरण हेपेटाइटिस बी संक्रमण प्राप्त करने का प्रमुख माध्यम है-चिरकालिक वाहक स्थापित करने के मामले में अधिक। वर्टिकल संचरण के कारण हमारे देश में 30-40 प्रतिशत चिरकालिक वाहक पूल में रोगी शामिल होते हैं।

3. कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने से पूर्व समग्र हेपेटाइटिस बी वाहक पूल में वर्टिकल संचरण की भूमिका का मूल्यांकन करना आवश्यक है। यदि व्यापक हेपेटाइटिस बी टीकाकरण किया जाता है तो मौजूदा उपलब्ध आंकड़े, यद्यपि अपर्याप्त, से यह विशेष रूझान मिलता है कि इस कार्यक्रम से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए जन्म के समय से ही हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण शुरू किया जाए।

4. हेपेटाईटिस बी सहित व्यापक शिशु रोग प्रतिरक्षण हेतु एक प्रायोगिक परियोजना 6, 10 एवं 14 सप्ताह की समय-सारणी के साथ आंध्र प्रदेश में चलाई गई है। इस परियोजना का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। ऐसा करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि आज तक विश्व में कोई अध्ययन उपलब्ध नहीं है जिससे हेपेटाइटिस बी की चिरकालिक वाहक दर को कम करने में इस समय सारणी (6, 10 एवं 14 सप्ताह) की प्रभावकारिता का पता चलता हो।

इस प्राथमिक परियोजना के समुचित मूल्यांकन के बिना राष्ट्रीय/उप राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू करना सलाहयोग्य नहीं है। इस प्रायोगिक परियोजना क्षेत्रों में वाहक दर में आई कमी का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

4. आदिवासी लोगों में चिरकालिक वाहक दर काफी अधिक (19.4 प्रतिशत)। इस रोग का प्राकृतिक इतिहास का अध्ययन करने के लिए आदिवासी लोगों का सुव्यवस्थित जानपदिकरोग विज्ञानी जांच आवश्यक है। इसके बाद यदि आवश्यक हो तो इन लोगों में जन्म के समय ही पहली खुराक देने संबंधी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने पर विचार किया जा सकता है।

डा. एस.एन. मिश्रा
अवैतनिक महासचिव
भारतीय चिकित्सा संघ

पोलियो उन्मूलन पहल पर सिफारिशों का सार

1. पोलियो उन्मूलन पहल ने पक्षाघात पोलियो की घटनाओं को प्रति वर्ष 40,000 से अधिक मामलों को कम कर प्रति वर्ष 200 से भी कम करने में सहायता दी है। देश में से पी$_2$ विषाणु का उन्मूलन कर दिया गया है और पी$_3$ विषाणु को भी काफी हद तक रोका गया है और पी$_1$ विषाणु केवल कुछ ही पाकेटों में शेष हैं। सकारात्मक उपलब्धियों के बावजूद डब्ल्यूपीवी की निरन्तर व्याप्तता एक बड़ी चिन्ता का विषय है। डब्ल्यूपीवी के निरन्तर संचरण की चुनौती से निपटने के लिए प्रति वर्ष पल्स पोलियो दौर की संख्या में वृद्धि करने की कार्यनीति अपेक्षित लक्ष्य को पूरा करती प्रतीत नहीं हो रही है और इसकी पुनरीक्षा करने की आश्यकता है।

2. देश में एक्यूट फ्लासिड पक्षाघात के मामलों में अकल्पनीय वृद्धि हुई है। इनमें सूचित किए गए मामलों की पूर्ण समीक्षा, जिसमें क्लिनिकल फालोअप, संभावित कारणों का पता लगाना एवं उसके परिणाम शामिल हैं, किए जाने की आवश्यकता है।

3. एमओपीवी$_1$ की विभिन्न खुराकों के प्रयोग के प्रभाव और दुष्प्रभावों का तुरन्त मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है।

4. वीएपीपी पर जिलावार एवं राज्यवार डाटा नियमित आधार पर उपलब्ध करवाना चाहिए। टीकों के बीच वीएपीपी का मूल्यांकन करने के प्रयास किए जाने चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि राज्य वीएपीपी के पीड़ितों के पुनर्वास एवं संभावित क्षतिपूर्ति हेतु एक व्यापक कार्यक्रम आरम्भ करें।

5. निगरानी कार्यकलाप और उनकी पुनरीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र एजेन्सी (एनपीएसएस से अलग) की स्थापना किए जाने की तुरन्त आवश्यकता है।

6. एक ऐसे स्वायत्त राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की आवश्यकता है जो भावी कार्यनीतियों पर विचार करे जो हमारे देश के लिए लाभप्रद हों एवं वैश्विक पोलियों उन्मूलन पहल के समस्त लक्ष्यों पर आधारित हों। पोलियो की शून्य स्थिति प्राप्त करते हुए असफलता की संभावना को भी ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। यदि निश्चित समय सीमा के अन्दर पोलियो उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, तो पोलियो पर प्रभावशाली नियंत्रण रखने के लिए कार्यनीतियों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। इस विशेषज्ञ समूह द्वारा इन्जेक्टेबल पोलियो वैक्सीन (आईपीवी) को आरम्भ करने की वांछनीयता एवं संभावना एवं इसके उचित समय एवं दौरों की जांच भी किए जाने की आवश्यकता है। यदि सिफारिश की जाती है तो राष्ट्रीय कार्यक्रम में इस वैक्सीन का प्रयोग करने पर निर्णय लिए जाने से पहले देश में पर्याप्त मात्रा में आईपीवी के निर्माण पर लाइसेंस देना आवश्यक होगा।

7. कुछ विशेषज्ञों द्वारा अधिक व्याप्तता वाले क्षेत्रों में आईपीवी को आरम्भ करने की सलाह की सावधानी से पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। इसने न केवल प्रतिकूल सामुदायिक प्रतिक्रिया हो सकती है बल्कि इन क्षेत्रों में पक्षाघात की वृद्धि होने की भी संभावना हो सकती है।

8. सफाई और स्वच्छ पीने के पानी की आपूर्ति में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश एवं बिहार के उन शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पिछले तीन वर्षों में डब्ल्यूपीवी के मामले होने की सूचना आई है।

डा. एस.एन. मिश्रा
अवैतनिक महासचिव
भारतीय आयुर्विज्ञान संघ

[हिन्दी]

मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम

2111. श्री शावरचन्द गेहलोत:
श्री मणि शारेनामै:
श्री अनन्त नायक:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक की सहायता से चल रहे मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह कार्यक्रम कुछ राज्यों में बंद कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार विशेषकर मध्य प्रदेश का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मलेरिया के इलाज के लिए किसी नई औषधि की खोज की गई है/तैयार की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या दोनों प्रकार के मलेरिया का पता लगाने के लिए रेपिड डायगनोज मलेरिया टेस्टिंग टेस्ट्स मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्रों को प्रदान किए गए है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या मलेरिया के नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा मच्छरदानियां भी उपलब्ध कराई जाती हैं; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली उन्नत मलेरिया नियंत्रण परियोजना ने आठ राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान को कवर किया है। इस परियोजना को 31 दिसम्बर, 2005 को बन्द कर दिया गया है। भारत सरकार विश्व बैंक के साथ वेक्टर जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम पर एक नई परियोजना के लिए बातचीत/समझौता कर रही है। उपर्युक्त आठ राज्यों को चल रहे मलेरिया नियंत्रण कार्यकलापों में सहायता देने के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रदान किये गए रिट्रोएक्टिव वित्त पोषण के अंतर्गत शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश को रिट्रोएक्टिव वित्त-पोषण के अंतर्गत बढ़ाई गई सहायता प्रदान की जा रही है।

(घ) और (ङ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत एसीटी (आर्टेसुनेट-एसपी) मिश्रण का कलोरोक्विन प्रतिरोधी क्षेत्रों में पी फाल्सीपेरम रोगियों के उपचार के लिए दूसरी औषध (सेकंड लाइन) के रूप में उपयोग करने का अनुमोदन किया गया है।

(च) और (छ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्लासमोडियम फाल्सीपेरम (पीएफ) के रोगियों का पता लगाने के लिए उच्च पी फाल्सीपेरम स्थानिकमारी वाले राज्यों में उन क्षेत्रों, जहां सूक्ष्मदर्शी सुविधा उपलब्ध नहीं है, में प्रयोग करने हेतु द्रुत नैदानिक परीक्षण किटों प्रदान की जा रही है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में है।

(ज) और (झ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत मलेरिया के नियंत्रण के लिए उच्च प्लासमोडियम फाल्सीपेरम मलेरिया वाले स्थानिकमारी वाले राज्यों को मच्छरदानियां प्रदान की जा रही हैं। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में है।

विवरण I

तीव्र नैदानिक किटों की राज्यवार आपूर्ति

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004-05	2005-06	2006-07 (आवंटन)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	40000	75000	90000
2.	झारखंड	150000	600000	625000
3.	छत्तीसगढ़	190000	275000	350000
4.	गुजरात	40000	150000	175000
5.	कर्नाटक	15000		0
6.	महाराष्ट्र	40000	70000	83500

1	2	3	4	5
7.	मध्य प्रदेश	200000	200000	248000
8.	उड़ीसा	150000	1750000	1795000
9.	राजस्थान	20000	30000	35000
10.	पश्चिम बंगाल	50000	875000	1000000
11.	असम	70000	1250000	1250000
12.	मेघालय	50000	100000	350000
13.	अरुणाचल प्रदेश	40000	60000	160000
14.	त्रिपुरा	35000	175000	275000
15.	मिजोरम	40000	50000	325000
16.	मणिपुर	35000	130000	208000
17.	नागालैंड	35000	110000	210000
	योग	1200000	5900000	7179500

विवरण II

मच्छरदानियों की राज्यवार आपूर्ति

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004-05	2005-06 (आपूर्ति की जा रही है)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	0	316250
2.	छत्तीसगढ़	350000	385250
3.	गुजरात	0	172500
4.	झारखंड	370000	287500
5.	मध्य प्रदेश	195000	0
6.	महाराष्ट्र	0	143750
7.	उड़ीसा	625000	862500
8.	राजस्थान	0	57500
9.	पश्चिम बंगाल	260000	0

1	2	3	4
10.	कर्नाटक	120000	0
11.	असम	0	632500
12.	मेघालय	0	115000
13.	अरुणाचल प्रदेश	0	0
14.	त्रिपुरा	100000	115000
15.	मिजोरम	100000	172500
16.	मणिपुर	100000	115000
17.	नागालैंड	100000	115000
18.	उत्तर प्रदेश	400000	0
	कुल योग	2,720,000	3,490,250

[अनुवाद]

एचआईवी/एड्स के उपचार के लिए अश्वगंधा

2112. श्री वाडिगा रामकृष्णा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नोरी राम शास्त्री सरकारी आयुर्वेद महाविद्यालय के द्रव्य गुण के आयुर्वेदिक अनुसंधानकर्ता और प्रोफेसर ने यह सिद्ध किया है कि "अश्वगंधा" एचआईवी/एड्स के उपचार के लिए प्रभावशाली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा आयुर्वेदिक दवाई के वैज्ञानिक प्रभाव को सिद्ध करने के लिए कोई अनुसंधान कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) ऐसा कोई दावा सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(ग) और (घ) एचआईवी/एड्स भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से आयुष विभाग और उसकी अनुसंधान परिषदों द्वारा स्वर्णिम त्रिभुज परियोजना के अंतर्गत आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध औषध योगों के मानकीकरण एवं नैदानिक परीक्षणों हेतु चिह्नित रोग दशाओं से एक है। एचआईवी/एड्स के उपचारार्थ आयुर्वेदिक औषधियों के वैज्ञानिक विधिमान्यकरण हेतु राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा वित्त पोषित कुछ अनुसंधान प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1. हिमालयन जैव अनुसंधान प्रौद्योगिकी (आईएचबीटी), पालमपुर और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एचआईवी रोधी क्रियाकलापों हेतु पश्चिमी हिमालयाची पादपों की छानबीन से संबंधित अनुसंधान अध्ययन।
2. चरण-2 योनिमार्गीय अणुजीवघ्न-भारतीय एड्स अनुसंधान संस्थान, पुणे द्वारा नैदानिक परीक्षण प्रानीम बहु-जड़ी बूटीय औषध योग।
3. सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में एचआईवी/एड्स रोगियों में एक आयुर्वेदिक औषध "ईम्यू-25" का उपचारात्मक मूल्यांकन।
4. सर जेजे अस्पताल समूह मुंबई में एक जड़ी बूटीय संपाक "ज्योतिअमृतम" के "प्रतिकारक स्वास्थ्य लाभ गुणों का मूल्यांकन"।

कन्या भ्रूण हत्या

2113. श्री एन.एन. कृष्णदास:
श्री अनन्त नायक:
श्री ए. साई प्रताप:
श्री वाडिगा रामकृष्णा:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:
श्रीमती मनोरमा माधवराज:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लिंग परीक्षण के रूप में देश के विभिन्न भागों में पीएनडीटी एक्ट के उल्लंघन के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में आए ऐसे मामलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें लिप्त डाक्टरों और क्लीनिक्स के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या पीएनडीटी एक्ट के उल्लंघन की जांच करने के लिए हाल ही में सरकार ने समिति का गठन किया है जैसाकि दिनांक 10.01.2007 के "हिन्दुस्तान" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति द्वारा सुझाव, यदि कोई है, क्या दिए गए हैं; और

(च) कन्या भ्रूण हत्या को हतोत्साहित करने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पल्लमराजू लक्ष्मी): (क) से (ग) दिनांक 1.3.2007 की स्थिति के अनुसार गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम/नियम के उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध न्यायालय में दायर मामलों की संख्या 256 है जिनमें से 58 मामले भ्रूण के लिंग पता लगाने के संबंध में दायर किए गए हैं। दायर किए गए मामलों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है। संबंधित न्यायालयों में इन मामलों पर विभिन्न चरणों में सुनवाई हो रही है।

पंजाब में पंजाब की राज्य चिकित्सा परिषद ने एक डाक्टर के पंजीकरण को पांच वर्ष के लिए रद्द कर दिया है। हरियाणा में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के तहत पलवल जिले में एक डाक्टर एवं उसके सहायक को दो वर्ष की साधारण कैद और दोनों को 5000-5000 रुपए के जुर्माने की सजा दी है।

(घ) से (ङ) जी, हां। इन मामलों की जांच-पड़ताल करने के लिए सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) की अध्यक्षता में हाल ही में एक समिति गठित की गई है।

(च) आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं प्रिंट मीडिया यूनिटों के माध्यम से प्रसव-पूर्व लिंग निर्धारण एवं कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न कार्यकलाप शुरू किए गए हैं। राज्य/क्षेत्र/जिला/खण्ड स्तरों पर इस विषय के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को धन मुहैया कराया गया है। इस बुराई पर रोक लगाने के लिए धार्मिक नेताओं एवं चिकित्सा से जुड़े लोगों से सहायता मांगी गई है। व्यावसायिक चिकित्सा संगठनों के सदस्यों के लिए विषय परिचालन कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए इसको सहायता प्रदान की गई। स्वामी अग्निवेश द्वारा पदयात्रा आयोजित करने के लिए धन उपलब्ध कराए गए। यूएनएफपीए ने आर्ट आफ लिविंग फाउण्डेशन के साथ मिलकर इस विषय पर बहुधार्मिक बैठक आयोजित की थी। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (भोपाल) ने राज्य न्यायिक अकादमियों के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के बारे में "बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न" व्यापक परिचालन के लिए तैयार कर लिए गए हैं जो जन सामान्य, चिकित्सा समुदाय एवं उपयुक्त प्राधिकारियों के लिए उपयोगी है।

विवरण

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम/नियम के उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध दायर/चल रहे मामलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	गैर पंजीकरण	रिकार्ड का रखरखाव नहीं	भ्रूण के लिंग के बारे में बताना	प्रसव पूर्व/ गर्भ धारण नैदानिक सुविधाओं के बारे में विज्ञापन	अधिनियम/ नियमों के अन्य उल्लंघन	कुल मामले	निर्णय किए गए/बंद कर दिए गए मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	8	–	–	–	–	8	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–			–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	असम	–	–	–	–	–	–	–
4.	बिहार	6		3		–	9	–
5.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–
6.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–
7.	गुजरात	3	89	–	3	–	95	3
8.	हरियाणा	2	4	17	5	–	28	5
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–
10.	जम्मू-कश्मीर	–	–	–	–	–	–	–
11.	झारखंड	–	–	–	–	–	–	–
12.	कर्नाटक	15	–	1	–	4	20	16
13.	केरल	–	–	–	–	–		–
14.	मध्य प्रदेश	–	–	–	7	–	7	–
15.	महाराष्ट्र	16	3	13	6	–	38	18
16.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–	–
17.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	–
18.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–	–
19.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–	–
20.	उड़ीसा	–	–	–	–	–	–	–
21.	पंजाब	11	23	17	3	21	75	13
22.	राजस्थान	–	–	–	1	–	1	2
23.	सिक्किम	–	–	–	–	–		–
24.	तमिलनाडु	45		1	1	–	47	48
25.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–		–
26.	उत्तरांचल	–	–	2	1	–	3	–
27.	उत्तर प्रदेश	17	–	–	1	–	18	–
28.	पश्चिम बंगाल	10	–	–	–	–	10	150
29.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–
31.	दादरा एवं नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–
32.	दमन और दीव	–	–	–	–	–	–	–
33.	दिल्ली	35	–	4	12	5	56	1
34.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–
35.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	168	119	58	40	30	415	256

परमाणु ऊर्जा का उपयोग

2114. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्वास्थ्य, खाद्य, जीविकोपार्जन की सुरक्षा और पेयजल की आपूर्ति के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग हेतु सरकार की क्या योजना है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रस्तावों के अंतर्गत, स्वास्थ्य, खाद्य-पदार्थों, कृषि तथा पेय जल की आपूर्ति के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग किए जाने की योजनाएं शामिल हैं। इन्हें संक्षिप्त रूप में नीचे दिया जा रहा है:

1. स्वास्थ्य

* मौजूदा कार्यक्रमों का विस्तार और, कैंसर के बचाव, नैदानिक प्रबंधन तथा मूलभूत नैदानिक अनुसंधान के बारे में टाटा स्मारक अस्पताल (टीएमएच) और कैंसर के उपचार, अनुसंधान तथा शिक्षण संबंधी प्रगति केन्द्र (एक्ट्रेक), के माध्यम से नए कार्यक्रमों की शुरूआत करना।
* स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का अधिक विस्तार और चिकित्सीय निदान तथा उपचार के लिए रेडियोआइसोटोपों की आपूर्ति करना।
* चिकित्सीय उत्पादों के विकिरण निर्जर्मीकरण के लिए अतिरिक्त संयंत्रों की स्थापना।

2. खाद्य-पदार्थ

* खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए उत्पादों, प्रक्रियाओं और अनुप्रयोगों के विकास पर जोर दिया जाना जारी रहेगा। इस उद्देश्य के संबंध में और इसके साथ-साथ अपेक्षाकृत नए अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त पैकेजिंग सामग्रियों का पता लगाने के संबंध में आगे और कार्य किया जाएगा।
* जन-जागरूकता बढ़ाने और उद्यमियों के विकास की दिशा में, विश्वविद्यालयों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संस्थानों तथा संगठनों के सहयोग से मिल कर काम करने पर जोर देना जारी रखा जाएगा।

3. कृषि

* तिलहनों और दालों में जीवीय तथा जीवेतर प्रतिबलों के लिए उत्परिवर्तन प्रजनन तथा गुणवत्ता सुधार, और भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के बीजों की किस्मों के गुणन के संबंध में काम किया जाएगा।
* अधिक उत्पादकता, विशिष्ट रोगों के प्रति प्रतिरोधकता, जीवेतर प्रतिबलों के प्रति सहिष्णुता और जनन-द्रव्य को समृद्ध बनाने के लिए बेहतर क्वालिटी वाले उत्परिवर्ती/जीनोटाइप विकसित करने की परिकल्पना की गई है।

4. पेय जल

* झिल्ली के विकास, अभिलक्षणन और निदान की प्रगत सुविधा।
* प्रगत विलवणीकरण प्रौद्योगिकी अध्ययन।
* वाइजैग में (2.0 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) क्षमता वाला समुद्री-जल प्रतिलोम परासरण (एसडब्ल्यूआरओ) संयंत्र।
* सौर चालित विलवणीकरण प्रणालियां।
* ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिकतम विलवणीकरण संयंत्रों का अभिकल्पन, विकास तथा प्रसार।
* अस्वीकृत लवण-जल धारा से मूल्यवान पदार्थ प्राप्त करने के लिए परीक्षणात्मक अध्ययन।

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना पर समान पथकर

2115. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत बनाए गए राष्ट्रीय राजमार्गों के उपयोग करने पर पथकर लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पूरे देश में समान पथकर संग्रह करने का कोई आदेश जारी किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, हां। कुछ छोटी छूट प्राप्त लंबाई को छोड़कर, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत पूरे किए गए सभी राजमार्गों पर फीस वसूल की जाएगी।

(ख) 8.3.2003 की स्थिति के अनुसार स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत प्रयोक्ता शुल्क लगाने और उसकी वसूली वाले खंडों के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्ग (फीस की दर) नियमावली, 1997 में 2 लेन से 4 लेन में परिवर्तित परियोजनाओं के लिए अधिकतम दर का प्रावधान है तथा संलग्न विवरण-II के अनुसार प्रयोक्ता शुल्क वसूल किया जाता है।

विवरण I

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

08.03.2007 की स्थिति के अनुसार खंडों की सूची जिन पर फीस वसूल की जा रही है

क्र.सं.	खंड	पथकर योग्य खंड का कि.मी.	रारा	लंबाई कि.मी.
1	2	3	4	5
अ	लोक वित्तपोषण परियोजनाएं			
1.	स्वर्णिम चतुर्भुज			
(क)	दिल्ली-मुंबई			
1.	गुड़गांव-कोटपुतली	कि.मी. 42.0 - कि.मी. 162.5	8	120.500
2.	कोटपुतली-चांदवाजी	कि.मी. 162.5 - कि.मी. 220	8	57.500
3.	जयपुर बाइपास चरण I और II	चरण-I रारा 1 के कि.मी. 246.00 से प्रारंभ और रारा 8 के कि.मी. 273.50 को जोड़ते हुए, लंबाई 13.70 कि.मी. व चरण II रारा 8 के कि.मी. 220.00 पर प्रारंभ और रारा 1 के कि.मी. 246.00 को जोड़ते हुए लंबाई 34.70 कि.मी.	8व 11	48.400

1	2	3	4	5
4.	किशनगढ़-गांव कवलियाज (भीलवाड़ा)	कि.मी. 0.00- कि.मी. व 35.00 कि.मी. 15.00-कि.मी. 81.00	79ब 79ए	101.000
5.	भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़	कि.मी. 81.00 - कि.मी. 163.900	79	82.900
6.	गांव रिठौला-उदयपुर	कि.मी. 213 - कि.मी. 113.830	76	99.170
7.	उदयपुर-खेरवाड़ा	कि.मी. 278.00 - कि.मी. 348.00	8	70.000
8.	खेरवाड़ा-रतनपुर	कि.मी. 348.00 - कि.मी. 388.180	8	40.180
9.	रतनपुर-हिम्मतनगर	कि.मी. 388.180 - कि.मी. 443.00	8	54.820
10.	हिम्मतनगर-चिलोड़ा	कि.मी. 443.00 - कि.मी. 495.00	8	52.000
11.	वड़ोदरा-भरूच	कि.मी. 109.0 - कि.मी. 192.0	8	83.000
12.	भरूच-सूरत	कि.मी. 198 - कि.मी. 263	8	65.000
13.	चलथन (सूरत)-वागलधारा	कि.मी. 263.4 - कि.मी. 318.6	8	55.200
14.	वागलधारा-कजली	कि.मी. 318.60 - कि.मी. 381.60	8	63.000
15.	कजली-मनोर	कि.मी. 381.6 - कि.मी. 439.0	8	57.400
16.	मनोर-बसीन क्रीक दहीसर	कि.मी. 439.00 - कि.मी. 502.00	8	63.000
	उप जोड़ क			1113.070
(ख) मुंबई-चेन्नै				
17.	खंडाला-सतारा	कि.मी. 772.00 - कि.मी. 725.00	4	47.000
18.	महाराष्ट्र सीमा-बेलगाम	कि.मी. 592.24 - कि.मी. 537	4	55.240
19.	होसूर-कृष्णगिरि	कि.मी. 34.00 - कि.मी. 89.00	7	55.000
20.	कृष्णागिरि-अंबूर	89.00 से 92.380 व कि.मी. 0.00 से 70.00	7 व 46	73.380
21.	अंबूर-वालाजापेट	कि.मी. 70.00 - कि.मी. 145.352	46	78.201
22.	वालाजापेट-कांचीपुरम	कि.मी. 107.200 - कि.मी. 60.100	4	47.115
	उप जोड़ ख			355.936
(ग) दिल्ली-कोलकाता				
23.	बदरपुर-कोसी	कि.मी. 18.8 - कि.मी. 108.9	2	90.100
24.	कोसी-आगरा	कि.मी. 108.9 - कि.मी. 199	2	90.100
25.	बरवाअड्डा-पानागढ़	कि.मी. 398.75 - कि.मी. 515.236	2	116.486

1	2	3	4	5
26.	बदबुद-पालसित	कि.मी. 525.853 - कि.मी. 587.853	2	62.000
27.	पालसित-दनकुनी	कि.मी. 587.853 - कि.मी. 651.602	2	63.749
	उप जोड़ ग			422.435
(घ)	**कोलकाता-चेन्नै**			
28.	दनकुनी-कोलाघाट	कि.मी. 18.50 - कि.मी. 72.00	6	53.500
29.	डांटन-खड़गपुर	कि.मी. 69.450 - कि.मी. 119.737	60	50.287
30.	भुवनेश्वर-कटक-जगतपुर	कि.मी. 00 - कि.मी. 27.8	5	27.800
31.	जगतपुर-चंडीखोल	कि.मी. 27.8 - कि.मी. 61.0	5	33.200
32.	इच्छापुरम-नंदीग्राम	कि.मी. 226.15 - कि.मी. 160.00 (नई चैनेज कि.मी. 477.054 - कि.मी. 543.204)	5	66.150
33.	नंदीग्राम-श्रीकाकुलम	कि.मी. 160.00 - कि.मी. 97.00 (नई चैनेज कि.मी. 543.204 - कि.मी. 606.204)	5	63.000
34.	चंपावती/कोपेरला-विशाखापत्तनम	कि.मी. 49.00 - कि.मी. 2.837 (नई चैनेज कि.मी. 700.544- कि.मी. 654.204)	5	46.340
35.	विशाखापत्तनम-अनाकपल्ली	कि.मी. 2.837 - कि.मी. 0.00 व कि.मी. 395.870 - कि.मी. 358.00	5	40.707
36.	अनाकपल्ली-तुनी	कि.मी. 358.00 - कि.मी. 272.00 (नई चैनेज कि.मी. 830.535 - कि.मी. 741.255)	5	89.270
37.	तुनी-राजमुंदरी (बुमूरू)	कि.मी. 272.000 - कि.मी. 187.600 (नई चैनेज कि.मी. 914.883 - कि.मी. 830,525)	5	84.400
38.	बुमूरू-गंडूकोलानू	कि.मी. 187.6 - कि.मी. 81.6	5	107.611
39.	गुंडूगोलानू-विजयवाड़ा-इलूरू बाइपास सहित	कि.मी. 81.60 - कि.मी. 42.5	5	39.100
40.	गुंडूगोलानू-विजयवाड़ा-इलूरू बाइपास सहित	कि.मी. 42.50 - कि.मी. 3.4	5	39.100
41.	विजयवाड़ा-चिल्कालूरीपेट	कि.मी. 354.775 - कि.मी. 434.150	5	83.000
42.	चिल्कालूरीपेट-ओंगोल	कि.मी. 358.00 - कि.मी. 291.00	5	67.664
43.	ओंगोल-कवली	कि.मी. 291.00 - कि.मी. 222.00	5	72.059
44.	कवली-नेल्लोर	कि.मी. 222.000 - कि.मी. 161.034	5	60.963
	उप जोड़ घ			1024.151
	जोड़ अ (क+ख+ग+घ)			2915.592

1	2	3	4	5
ख.	**भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का एसपीवी**			
(क)	**दिल्ली-मुंबई**			
1.	ए वी एक्सप्रेसवे चरण I	कि.मी. 0.00 - कि.मी. 43.4	एनई-1	43.40
2.	ए वी एक्सप्रेसवे चरण II	कि.मी. 43.40 - कि.मी. 93.302	एनई-1	49.902
	उप जोड़ क			93.302
	जोड़ ख			93.302
ग.	**भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की बीओटी परियोजनाएं**			
(क)	**दिल्ली-मुंबई**			
1.	जयपुर-किशनगढ़	कि.मी. 273.50 - कि.मी. 363.885	8	90.385
	उप जोड़ क			90.385
(ख)	**मुंबई-चेन्नै**			
2.	नीलमंगला-तुमकुर	कि.मी. 29.5 - कि.मी. 62.0	4	32.5
3.	सतारा-कागल	कि.मी. 592.240 - कि.मी. 725.00	4	132.76
	उप जोड़ ख			165.26
(ग)	**कोलकाता-चेन्नै**			
4.	टाडा-नेल्लोर	कि.मी. 52.8 - कि.मी. 163.6	5	110.517
	उप जोड़ ग			110.517
	जोड़ ग			366.162
घ.	**स्वर्णिम चतुर्भुज पर अन्य बीओटी परियोजनाएं**			
(क)	**दिल्ली-मुंबई**			
1.	उदयपुर बाइपास चरण II		8	10.920
2.	4 लेन के वड़ोदरा-सूरत खंड पर नर्मदा पुल और उसके पहुंच मार्ग	कि.मी. 192.00 - कि.मी. 198.00	8	6.000
	उप जोड़ क			16.920
(ख)	**मुंबई-चेन्नै**			
3.	मुबंई-पुणे एक्सप्रेस मार्ग (4 लेन)	कि.मी. 0.00 - कि.मी. 90.00		90.000
4.	खंबातकी घाट (4 लेन)	कि.मी. 781.00 - कि.मी. 772.00	4	9.000
5.	धारवाड़ा-हुबली (2 लेन)	कि.मी. 433.00 - कि.मी. 404.00	4	29.000
	उप जोड़ ख			128.000
	जोड़ घ (क+ख)			144.920
	कुल जोड़ (क+ख+ग+घ)			3519.976

विवरण II

पुल और उसके पहुंच मार्गों की प्रारंभिक लागत (करोड़ रु.)	पथकर दरें (प्रति वाहन रुपए)		
	कार/जीप आदि	हल्के वाणिज्यिक वाहन/निजी बसें	ट्रक/बस और बहुधुरीय वाहन
50 से कम	5	10	15
50-75	10	10	25
75-100	10	15	30
100-125	15	20	40
125-150	15	20	40
150-200	15	25	50
200 से अधिक	20	30	60

2. उप नियम (1) के तहत विद्यमान 2 लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन में परिवर्तित करने से संबंधित परियोजनाओं के लिए फीस, जून, 1997 के मूल्यों पर निम्नलिखित अधिकतम दरों से अधिक नहीं होगी अर्थात्:-

क्र.सं.	वाहन के प्रकार	दर
1.	कार अथवा जीप अथवा वैन	रु. 0.40 प्रति कि.मी.
2.	हल्के वाणिज्यिक वाहन	रु. 0.70 प्रति कि.मी.
3.	ट्रक अथवा बस	रु. 1.40 प्रति कि.मी.
4.	भारी निर्माण मशीनरी और अर्थमूविंग उपस्कर	रु. 3.00 प्रति कि.मी.

3. उप नियम (1) और उप नियम (2) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क की दर को थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रत्येक 5 वर्षों के बाद समीक्षा की जा सकती है और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित दरों पर 5 रुपए के गुणांक में निर्धारित की जा सकती है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में शिकारपुर में उपरिपुल का निर्माण

2116. श्री कृष्णा मुरारी मोघे: क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास ग्वालियर की तरफ जाने वाली भारी यातायात को विनियमित करने के लिए शिकारपुर में एक उपरिपुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) इस परियोजना का निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) यह मंत्रालय केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खेल प्रशिक्षकों के रिक्त पद

2117. श्री सी.एच. विजयशंकर: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय में बड़ी संख्या में प्रशिक्षकों कोचों, फिजियोथेरेपिस्टों इत्यादि के पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप खेल के क्रियाकलापों पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(च) केन्द्रीय बजट के अंतर्गत युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को आबंटित धनराशि के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ङ) भारतीय खेल प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार वहां फिजियोथेरेपिस्टों के दो पद रिक्त हैं। कोचों के संबंध में स्थिति बहुमुखी है क्योंकि कोचों की आवश्यकता विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्थापित भारतीय खेल प्राधिकरण के केन्द्रों की संख्या, भारतीय खेल प्राधिकरण केन्द्रों में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में काफी वृद्धि हुई है, राष्ट्रीय टीमों की कोचिंग/ प्रशिक्षण के संबंध में राष्ट्रीय खेल परिसंघों आदि की विविध अपेक्षाओं पर निर्भर करती है। इस समय भारतीय खेल प्राधिकरण में 1382 कोच नियमित आधार पर और 59 कोच कंट्रैक्ट आधार पर कार्यरत है।

सीधी भर्ती पर 1996 से प्रतिबंध है जिसके कारण नियमित आधार पर रिक्तियां नहीं भरी गई है तथा आवश्यकता के आधार पर, विभिन्न कार्यरत क्षेत्रों में संविदा के आधार पर व्यक्ति रखने के लिए प्रयास किए गए हैं। सीधी भर्ती पर प्रतिबंध के बाद 1998-2000 के बीच आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट द्वारा अध्ययन भी किया गया था। इन अध्ययनों के अनुसार कोचों में कोई खास रिक्तियां नहीं हैं लेकिन जब खेल विधा-वार अपेक्षाओं और उपलब्धता आधार पर विश्लेषण किया गया तो असंतुलन था जिसे एक साथ देखने पर ऐसी स्थिति स्पष्ट होती है जिसमें अधिकता और कमी दोनों की स्थिति है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, भारतीय खेल प्राधिकरण से उनकी मानव संसाधन आवश्यकताओं का विस्तृत अध्ययन करने तथा शासी निकाय के समक्ष व्यापक प्रस्ताव रखने के लिए कहा गया है।

(च) संदर्भित बजटीय दस्तावेजों का अवलोकन यह दर्शाता है कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को केन्द्रीय बजट में आबंटित 669 करोड़ रुपये की धनराशि कुल बजट का 0.1186% है।

(छ) उत्तर के भाग (क) से (ङ) को ध्यान में रखते हुए, इस स्थिति में कोई विशिष्ट समय-सीमा नहीं दर्शाई जा सकती है।

रोजगार गारंटी योजना

2118. श्री मित्रसेन यादव: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के बेरोजगारों के लिए एक नई नियोजन गारंटी योजना तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए चलाई जा रही वर्तमान योजना से संतुष्ट नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है/ उठाए जाने का विचार है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) सरकार देश के बेरोजगारों के लिए कोई नई रोजगार गारंटी योजना तैयार करने पर विचार नहीं कर रही है। तथापि, 2007 के दूसरे दौर में विद्यमान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार

गारंटी योजना को 200 जिलों के वर्तमान स्तर से 330 जिलों तक विस्तारित किया जाएगा।

(ग) से (ङ) रोजगार और बेरोजगारी के संबंध में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के अति नवीनतम दो पंचवर्षिकी दौरों के अनुसार वर्ष 1999-2000 से 2004-05 के दौरान रोजगार अवसरों को 45.46 मिलियन के लिए सृजित किया गया। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में 70 मिलियन ने कार्य सुअवसरों की परिकल्पना की गई है।

स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की आउटसोर्सिंग

2119. श्री के.एस. राव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के आउटसोर्सिंग व्यापार की प्रकृति और संभावनाएं क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान स्वास्थ्य परिचर्या आउटसोर्सिंग व्यापार द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार स्वास्थ्य परिचर्या आउटसोर्सिंग व्यापार को प्रोत्साहन देने और नैदानिक और प्रौद्योगिकीय पहलुओं के क्षेत्र में आने वाली सेवाओं और व्यापार को संभालने के लिए कुशल जनशक्ति प्रदान करने हेतु पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाओं का सृजन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) भारत से अन्य देशों द्वारा स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की मेडिकल ट्रांसक्राप्टिंग, नैदानिक एवं क्लीनिकल सेवाओं के रूप में सोर्सिंग होती है। अन्य देशों की अपेक्षा भारत में उपचार की लागत भी कम है। इसके अलावा यहां प्रतीक्षा सूची नहीं है। तथापि, सरकारी अस्पतालों एवं संस्थाओं में आउटसोर्सिंग की अनुमति नहीं है। स्वास्थ्य परिचर्या आउटसोर्सिंग कार्य से अर्जित की गई आय के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा एवं कुशल मानव शक्ति के प्रशिक्षण की पहले ही अनुमति दे दी है जिसे ऐसे कार्मिकों की उपलब्धता में वृद्धि होने की आशा है।

[हिन्दी]

टेलीफोन बिलों के संवितरण से संबंधित शिकायतें

2120. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के विभिन्न जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन बिलों के संवितरण और प्रेषण के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी शिकायतों के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या टेलीफोन उपभोक्ताओं को भुगतान की तारीख निकल जाने के बाद बिल प्राप्त हो रहे हैं/होते हैं; और

(घ) लोग इस समस्या का सामना कब से कर रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) भारत संचार निगम लि. को महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में बिलों के वितरण तथा प्रेषण के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) इस प्रकार की शिकायतों का समाधान करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/किए जाते हैं:-

(1) इस प्रकार की शिकायतों के बारे में संबंधित क्षेत्र के डाक प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से सम्पर्क किया जाता है तथा बिलों के वितरित न होने के कारण उत्पन्न समस्याओं के संबंध में उन्हें अवगत कराया जाता है।

(2) इन्टरएक्टिव वायस रिस्पान्स सिस्टम (आईवीआरएस) ग्रामीण ग्राहकों सहित सभी ग्राहकों को बिल की राशि तथा बिल की तिथि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। प्रत्येक बिलिंग चक्र के टेलीफोन बिलों के प्रेषण के बारे में स्थानीय समाचार-पत्रों में भी सूचना प्रकाशित की जाती है।

(3) ग्राहक सेवा केन्द्र में ग्राहकों को बिल की दूसरी प्रति जारी करने की व्यवस्था की जाती है।

(ग) जी, हां। कुछ मामलों में, दूरवर्ती क्षेत्रों में स्थित ग्राहकों को भुगतान की देय तिथि समाप्त होने के बाद बिल प्राप्त होते हैं। तथापि, समय से बिलों का वितरण सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) छुट-पुट मामलों में यह समस्या सदैव रही है। तथापि, इस प्रकार की शिकायतें बहुत कम हैं, जो जारी किए गए कुल बिलों का 0.35% है।

[अनुवाद]

राज्यों को केन्द्रीय सहायता

2121. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्यों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता आबंटित करने हेतु विद्यमान गाडगिल मुखर्जी सूत्र में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या अल्प विकसित राज्यों ने पिछड़ेपन के लिए ज्यादा महत्व दिए जाने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (घ) केन्द्र द्वारा राज्यों को वार्षिक योजनाओं के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता के आबंटन में सामान्य केन्द्रीय सहायता, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं और विशेष एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए एसीए, आदि शामिल हैं। एनसीए का आबंटन दिसम्बर 1991 में राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा अनुमोदित गाडगिल मुखर्जी फार्मूला पर आधारित है। केन्द्रीय सहायता के आबंटन के मानदंड में परिवर्तन के लिए एनडीसी का अनुमोदन लेना अपेक्षित है। राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के आबंटन हेतु मानदंडों में परिवर्तन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में प्रदर्शन

2122. श्री मधु गौड यास्खी: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले दशक में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों के कमजोर प्रदर्शन के कारणों का पता लगाने के लिए कोई गहन अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) विभिन्न राष्ट्रीय खेल परिसंघों के लिए लम्बी अवधि की विकास योजनाएं तैयार करने की प्रक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की नियमित रूप में समीक्षा की जाती है। जीते गए पदकों के संबंध में पिछले दशक के दौरान मुख्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन संलग्न विवरण में दिया गया है। यह पाया गया है कि हाल के वर्षों में प्रदर्शन में सुधार हुआ है। तथापि और अधिक सुधार की गुंजाइश है। 11वीं योजना की तैयारी हेतु योजना आयोग द्वारा गठित कार्यसमूह द्वारा इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं की हाल ही में विस्तृत समीक्षा व जांच की गई है।

भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन सुधारने के लिए बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि विभिन्न खेल विधाओं का विकास और उनमें उत्कृष्टता हासिल करना मुख्य रूप से राष्ट्रीय खेल परिसंघों की जिम्मेदारी है परन्तु केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय खेल परिसंघों को वित्तीय सहायता की योजना के मार्फत, प्रत्येक खेल विधा के लिए एल.टी.डी.पी. के अधीन भारत में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित करने, विदेशों में टूर्नामेंट व प्रतियोगिता में भारतीय टीम के भाग लेने, भारतीय व विदेशी कोचों के माध्यम से कोचिंग का प्रावधान, अपेक्षित तकनीकी सहायता, उपस्करों के खरीद आदि के लिए सहायता प्रदान कर के उनके प्रयासों को बढ़ावा देती है। इन योजनाओं की तैयारी, कार्यान्वयन और उन्हें परिणामप्रद बनाने के लिए प्रत्येक परिसंघ के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया जा रहा है और योजना के अंतर्गत विभिन्न मानदंडों के अधीन उपयुक्त संशोधन भी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त भारतीय खेल प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों में नवीनतम प्रशिक्षण अवस्थापना व सुविधाएं सृजित करना, देश के विभिन्न हिस्सों में फैले केन्द्रों में प्रतिभा का पता लगाना जिसमें विभिन्न चुनी हुई खेल विधा के क्षेत्र शामिल हैं, पर कार्रवाई कर रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रयासों की वजह से उसके केन्द्रों में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 10वीं योजना के आरंभ में, 10,000 से बढ़कर लगभग 14,000 (अनुमानित) इस वर्ष के अंत तक होने की संभावना है और इसे 11वीं योजना के अंत तक इसके बढ़कर 50,000 होने का लक्ष्य है। मंत्रालय भी प्रमुख खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए प्रतिभा खोज व प्रशिक्षण योजना तथा राष्ट्रीय खेल विकास कोष के माध्यम से सहायता प्रदान करता है, इन योजनाओं का विस्तार प्रस्तावित है इस संदर्भ में, खेल उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए निजी/निगमित उद्योग क्षेत्र की प्रतिभागिता बढ़ाने के उपाय सोचे जा रहे हैं।

खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करने और युवाओं के एक बड़े भाग को, विशेषकर ग्रामीण लोगों को अवसर प्रदान करने, खेल-कूद सुविधाएं सृजित करने, युवा विकास व प्रतिभा का पता लगाने की दृष्टि से मंत्रालय 11वीं योजना के दौरान "पंचायत युवा खेल अभियान" नामक एक योजना आरंभ करने पर विचार कर रहा है। विभिन्न पणधारियों और मंत्रालयों आदि से योजना को अंतिम रूप दिए जाने हेतु विचार-विमर्श चल रहा है। उम्मीद है कि इससे देश के विभिन्न स्तरों पर खेल जागरूकता व संस्कृति बढ़ाने में मदद मिलेगी।

विवरण

पिछले दशक के दौरान प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत द्वारा जीते गए पदकों का ब्यौरा

प्रतियोगिता		जीते गए पदक
एशियाई खेल	1998	35
	2002	36
	2006	54
राष्ट्रमंडल खेल	1998	25
	2002	कुल 69 (जूडों में से 2 पदक, कुश्ती में 6 तथा भारोत्तोलन में 18 पदक कम कर देने के बाद
	2006	50 (जूडों और कुश्ती को खेल विधा के रूप में शामिल नहीं किया गया था तथा भारोत्तोलन में प्रत्येक भार-वर्ग के लिए केवल एक पदक मिला जिससे उपलब्ध पदकों की संख्या कम हो गई
ओलम्पिक	1996	1 कांस्य
	2000	1 कांस्य
	2004	1 रजत
सैफ खेल	1995	185
	1999	197
	2004	191
	2006	234

[हिन्दी]

कोयला दोहन से हुए गड्ढे

2123. श्री टेकलाल महतो: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और उसकी अनुषंगी कंपनियों सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल, एमसीएल इत्यादि द्वारा कोयले के दोहन के परिणामस्वरूप बड़े-बड़े गड्ढे उत्पन्न हो गये हैं और इन गड्ढों को बिना भरे ही छोड़ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन गड्ढों को न भरे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन गड्ढों से पर्यावरण और उस क्षेत्र के लोगों के जानमाल को खतरा है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) ओपनकास्ट खनन की प्रक्रिया के दौरान कोयला उत्खनन के समय हुए सभी गड्ढों की दुबारा भरायी नहीं की जाती है और खनित भूमि का कुछ भाग खानों को बंद करते समय कोयला खानों में बिना भरे रह जाता है।

(ख) खान की प्रगति के साथ ही ओपनकास्ट खानों में गड्ढों की पुन: भरायी की जाती है। तथापि, कई सीमों के मौजूद होने तथा अन्य कारणों की वजह से समाप्त हुई कुछ खानों को पुन: नहीं भरा जा सका, जो प्राकृतिक बरसात के पानी से यथासमय भर जाती है। पानी से भरे ये गड्ढे बड़े तालाब में परिवर्तित हो जाते हैं जो नजदीकी खानों तथा कालोनियों/गांवों के घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग की पूर्ति करते हैं।

(ग) जी, नहीं। वे गड्ढे जो आखिरकार पानी से भर जाते हैं, नजदीकी कालोनियों एवं कालोनियों के निवासियों के घरेलू एवं अन्य उपयोगों के लिए पानी के स्रोत हो जाते हैं। इस प्रकार के जल निकाय प्राकृतिक पार्कों और पिकनिक स्थलों के रूप में भी विकसित हो गए हैं। ये जल निकाय आसपास के क्षेत्रों में भूमिजल की पट्टियों को रिचार्ज भी करते हैं।

(घ) सभी नयी खानों के साथ-साथ विस्तार परियोजनाओं को पर्यावरणीय प्रबंध योजना (ईएमपी) तैयार करनी होती है और उसे पर्यावरण तथा वन मंत्रालय (एमओईएफ) से अनुमोदित कराना होता है। सभी खनन परियोजनाओं को ईएमपी के अनुसार पर्यावरणीय शर्तों तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना होता है। ऊपर बताए गए अनुसार पिटों के लिए किए गए उपायों के अलावा निष्क्रिय ओवरबर्डन (ओबी) ढेरों पर घने वृक्षारोपण करके कोल इंडिया उपशमन उपाय करती है। खनन क्षेत्रों और उसके इर्द-गिर्द धूल के प्रदूषण को रोकने के लिए वृक्षवीथि पौध रोपण भी किया जाता है। कई ओबी डम्पों में विभिन्न तकनीकी पुनरुद्धार उपाय भी किए गए हैं जैसे स्टीप डम्प स्लोपों को अनुमत्त स्लोपों में पुन: ग्रेडिंग करना, गारलैंड ड्रेन का निर्माण करना, भूमि कटाव को रोकने के लिए टो दीवारें एवं बेंचिंग करना तथा इसके क्रियान्वयन की निगरानी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा की जाती है।

रोगों का फैलना

2124. डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्री काशीराम राणा:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा किसी रोग को महामारी घोषित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान देश में फैले रोगों के क्या नाम है; और

(ग) इनमें से महामारी के रूप में घोषित रोगों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) जब किसी समुदाय या क्षेत्र में अपेक्षित घटना दर से अधिक किसी रोग, स्वास्थ्य संबंधी विशिष्ट व्यवहार या स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याओं की असामान्य घटना दर होती है तो उसे महामारी कहा जाता है।

(ख) और (ग) पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय संचयी रोग संस्थान ने जापानी इन्सेफेलाइटिस/चिकनगुनिया, एविचन इन्फ्लूएन्जा मेनिनगोकल मेविनजारटिस जैसे रोगों के सूचत प्रकोपों की जांच की। तथापि राज्य सरकारों ने उनमें से किसी को भी महामारी घोषित नहीं किया।

कृत्रिम प्रजनन

2125. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृत्रिम प्रजनन से जुड़े क्लिनिकों द्वारा किराए की कोख (सेरोगेट मदर) के नाम पर शुक्राणु और डिम्बों के क्रय-विक्रय का अनैतिक व्यापार किया जा रहा है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार कृत्रिम प्रजनन कार्य से जुड़े क्लिनिकों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में ऐसे प्रचलन को रोकने के लिए कोई कानून बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से ऐसे क्लिनिकों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए कहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी में बन्ध दम्पत्तियों के उपचार के लिए दाता डिम्ब/शुक्राणु/भ्रूण का प्रयोग शामिल है। कुछ क्लीनिकों के शुक्राणु और डिम्ब तथा

किराए की कोख (सैरोगेट मदर) के नाम पर अनैतिक व्यापार में लगे होने की संभावना है।

(ख) राष्ट्रीय रजिस्ट्री के अभाव में भारत में बन्ध्य क्लीनिकों की संख्या के बारे में कोई विश्वसनीय सूचना नहीं है। तथापि, सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी (एसिसटिड रिप्रोडक्टिव टैक्नोलाजी) (एआरटी) के क्लीनिकों की लगभग राज्यवार अनुमानित संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है।

(ग) इस मंत्रालय ने भारत में ए.आर.टी. क्लीनिकों के पर्यवेक्षण और नियमित करने के लिए एक विधेयक का प्रारूप बनाया है और सभी राज्यों/संघ क्षेत्र सरकारों को इस विधेयक के प्रारूप को उनकी टिप्पणियों हेतु परिचालित किया है। राज्य सरकारों से प्राप्त टिप्पणियों सहित इस विधेयक के प्रारूप को विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को भेज दिया गया है।

(घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी ने भारत में ए.आर.टी. क्लिनिकों के प्रत्यायन, पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इस मंत्रालय ने इन दिशानिर्देशों का अनुमोदन कर दिया है और नवम्बर, 2005 में इसको सभी राज्य/संघ क्षेत्र की सरकारों को ए आर टी क्लीनिकों के पर्यवेक्षण और विनियमन हेतु परिचालित कर दिया है।

(ङ) इस दिशानिर्देशों की महत्वपूर्ण मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है।

विवरण I

भारत में ए आर टी क्लीनिकों की लगभग संख्या

राज्य का नाम	ए आर टी क्लीनिकों की संख्या
1	2
असम	10
बंगलौर	24
बिहार	7
छत्तीसगढ़	4
चेन्नई	23
शेष तमिलनाडु	33
दिल्ली	32
गोवा	6
गुजरात	43
हरियाणा	11
हैदराबाद	28
झारखंड	1
केरल	9
कोलकाता	13
मध्य प्रदेश	14
मुम्बई	54
शेष महाराष्ट्र	48
उड़ीसा	2
पंजाब	21
राजस्थान	14
उत्तर प्रदेश	18
उत्तरांचल	2
विविध	6
कुल संख्या	423

विवरण II

भारत में एआरटी क्लीनिकों के प्रत्यापन, विनियमन और पर्यवेक्षण हेतु राष्ट्रीय दिशानिर्देश की महत्वपूर्ण मुख्य विशेषताएं

विभिन्न एआरटी प्रौद्योगिकियों के माध्यम से बच्चे के जन्म का अधिकार

1. विवाह के बंधन में से जन्मे बच्चे की तरह ही सभी वैध अधिकार होंगे।
2. दाता युग्मकों के माध्यम से जन्मे बच्चे और उनके दत्तक माता-पिता को आनुवंशिक माता-पिता के बारे में

चिकित्सीय अथवा आनुवंशिक सूचना का लाभ उठाने का अधिकार है। तथापि, बच्चों को अपने आनुवंशिक माता-पिता की पहचान (जैसे नाम, पता इत्यादि) का कोई अधिकार नहीं है। तथापि, 18 वर्ष का होने पर बच्चे नाम व पते अर्थात् व्यक्तियों की व्यक्तिगत पहचान को छोड़कर आनुवंशिक माता-पिता के बारे में सूचना/जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

क्लीनिकों के पंजीकरण हेतु मानदंड

* युग्मकों जिनको एआईएच आईए क्लीनिकों के स्तर तक और आईयूआई को छोड़कर दान में दिया गया है/एकत्र किया गया हो/इन विट्रो में संसाधित किया गया हो।
* बन्ध्यता का कोई उपचार जिसमें शरीर के बाहर भ्रूणों का प्रयोग और सृजन शामिल हो।
* युग्मकों अथवा भ्रूणों का संसाधन अथवा/और भंडारण
* मानव भ्रूणों पर अनुसंधान

प्रैक्टिस-संहिता

1. गैर मानव पशु में कोई मानव भ्रूण नहीं रखा जा सकता है।
2. प्रत्यापन प्राधिकारी को प्रस्तुत करने से पहले आचार-संहिता समिति द्वारा सभी अनुसंधान परियोजनाओं को अनुमोदित किया जाना चाहिए।
3. कोई एक महिला जो बच्चा चाहती है, पर कोई रोक नहीं और कोई ए आर टी इसके लिए अपनी सेवा पेश करने/देने से इन्कार नहीं कर सकता है।

किराए की कोख (सरोगेसी)

1. किराए की कोख के माध्यम से जन्में बच्चे को आनुवंशिक माता-पिता द्वारा अवश्य ही अपनाया जाना चाहिए।
2. इसका सामान्यतया केवल उन रोगियों के लिए विचार किया जाना चाहिए जिनके लिए शिशु को पूरी अवधि तक कोख में रखना शारीरिक अथवा चिकित्सीय रूप से असंभव/अवांछनीय होगा।
3. किराए की कोख देने वाली माताओं को किए जाने वाले भुगतानों में गर्भावस्था से जुड़े हुए सभी वास्तविक व्यय शामिल होने चाहिए। एआरटी केन्द्र को इस धन संबंधी पहलू में शामिल किया जाना चाहिए।
4. एआरटी क्लीनिक द्वारा किराए की कोख के बारे में विज्ञापन नहीं दिया जाना चाहिए।
5. किराए की कोख देने वाली माता 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
6. जाने-पहचाने व्यक्ति अर्थात कोई रिश्तेदार और दम्पत्ति के बिना पहचान वाला व्यक्ति किराए की कोख की माता के रूप में कार्य कर सकता है। किसी रिश्तेदार की स्थिति में वह रिश्तेदार उसी पीढ़ी से संबंधित होना चाहिए क्योंकि महिलाएं किराए की कोख की इच्छा/चाह रखती हो।
7. किराए की कोख देने वाली माता का एचआईवी के परीक्षण के लिए जांच की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह एचआईवी से संक्रमित न हो।
8. कोई भी महिला अपने जीवन-काल में तीन बार से अधिक किराए की कोख वाली माता के रूप में काम नहीं कर सकती है।

[अनुवाद]

आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना

2126. श्री पन्नियन रवीन्द्रन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से राज्य में एक आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) वर्ष 2004 में केरल सरकार की ओर से कुल 101.60 करोड़ रुपये की लागत से तिरुवनंतपुरम, केरल में एक अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान संस्थान हेतु एक आयुष परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। केरल सरकार को सूचित किया गया था कि आयुष विभाग के पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसके अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना को वित्तीय सहायता दी जा सके। उन्हें यह भी सूचित किया गया था

कि नवंबर, 2003 में भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 (आईएमसीसी अधिनियम) के संशोधन के बाद भारतीय चिकित्सा पद्धति के तहत कोई भी शैक्षणिक संस्थान खोलने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति अनिवार्य है और वे मार्च, 2000 में भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद द्वारा अधिसूचित संबद्ध विनियमों के अंतर्गत निर्धारित समय अनुसूची के भीतर विनियम प्रपत्र में अनुमति हेतु आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र सहित उन्हें विनियमों की एक प्रति भी भेजी गई थी।

विभाग को केरल सरकार की ओर से पूर्व अपेक्षाओं सहित विनियत प्रपत्र में अभी तक कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 9 को चार लेन वाला राजमार्ग बनाना

2127. **श्री एल. राजगोपाल:** क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हैदराबाद तथा विजयवाड़ा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन वाले राजमार्ग के रूप में विकसित करने तथा परिवर्तित करने के लिए अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) ये परियोजनाएं कब तक पूरी कर लिए जाने की संभावना है?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3क के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड को 4 लेन बनाने का कार्य अनुमोदित कर दिया गया है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के इस खंड के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। उक्त रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही इस परियोजना के अनुमानित व्यय की जानकारी मिल सकेगी।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IIIक को सन् 2010 तक पूरा करने की योजना है।

फैब इकाइयों की स्थापना

2128. **श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा:**
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर उत्पादन के विकास हेतु कोई नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में फैब (फैब्रीकेशन) इकाइयों की स्थापना हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी पहलों से सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के किस सीमा तक लाभान्वित होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ङ) पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने इलेक्ट्रानिकी/सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कई उपाय किए हैं, जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। यह एक चालू प्रक्रिया है।

सरकार ने भारत में सेमीकंडक्टर संविरचना एवं अन्य सूक्ष्म तथा नैनो प्रौद्योगिकी विनिर्माण उद्योगों की स्थापना के लिए पूंजीनिवेश आकर्षित करने के प्रयोजन से विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना को अनुमोदित किया है। यदि कोई इकाई विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में स्थापित की जाती है, तो प्रोत्साहन मूल व्यय का 20% होगा। यदि कोई इकाई विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर स्थापित की जाती है, तो प्रोत्साहन मूल व्यय का 25% होगा और प्रतिशुल्क (सीवीडी) में छूट दी जाएगी। 2500 करोड़ रुपए के आरम्भिक शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की पूंजीनिवेश वाली ''फैब इकाइयां'' विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना में शामिल की जाएंगी। आर्थिक-प्रणाली में अन्य इकाइयों के लिए 1000 करोड़ रुपए का आरम्भिक एनपीवी पूंजीनिवेश होगा। इस योजना को कार्यान्वित करने के ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

विशेष प्रोत्साहन पैकेज भारत में सेमीकंडक्टर संविरचना और अन्य माइक्रो एवं नैनो प्रौद्योगिकी विनिर्माण उद्योगों की स्थापना के लिए पूंजीनिवेश आकर्षित करेंगे, जिससे इलेक्ट्रानिकी/सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण के विकास के लिए एक आर्थिक प्रणाली का भी विकास होगा।

विवरण

इलेक्ट्रानिकी/सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

1. इलेक्ट्रानिकी/सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र में 100% तक सभी विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के अनुमोदन स्वचालित मार्ग के अंतर्गत हैं।

2. सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर सहित विनिर्माण उद्योग के विकास को शक्ति प्रदान करने और कायम रखने पर जोर दिया गया है।

3. सीमा शुल्क की उच्चतम दर को घटाकर 10% कर दिया गया है। आईटीए-1 (217 वस्तुएं) पर सीमा शुल्क को 1.3.2005 से समाप्त कर दिया गया है। आईटीए-1 की वस्तुओं के विनिर्माण के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के अधीन सीमा शुल्क से छूट दी गई है। इलेक्ट्रानिक संघटक पुर्जों अथवा प्रकाशिक तंतुओं/केबलों के विनिर्माण में प्रयोग की जाने वाली निर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों/उपादानों पर सीमा शुल्क 0% है। इलेक्ट्रानिक वस्तुओं/के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क 0% है।

4. कम्प्यूटरों पर उत्पाद शुल्क 12% है। माइक्रोप्रोसेसरों, हार्ड डिस्क ड्राइवों, फ्लोपी डिस्क ड्राइवों, सीडी रॉम ड्राइवों डीवीडी ड्राइवों, यूएसबी फ्लैश मेमोरी तथा काम्बो ड्राइवों पर उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है। सेल्यूलर फोन सहित मोबाइल हैण्ड सेटों के पुर्जों, संघटक पुर्जों तथा सहायक सामग्रियों पर उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

5. निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (ईपीसीजी) में 5% के सीमा शुल्क के भुगतान पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति है। सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-I) वस्तुओं की आपूर्ति डीटीए को करके ईपीसीजी योजना अंतर्गत निर्यात की बाध्यता को भी पूरा किया जा सकता है बशर्ते आय नि:शुल्क विदेशी मुद्रा में हो।

6. इलेक्ट्रानिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों (ईएचटीपी)/ निर्यात उन्मुखी इकाइयों (ईओयू) द्वारा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-I) वस्तुओं तथा अधिसूचित शून्य शुल्क दूरसंचार/इलेक्ट्रानिक वस्तुओं की आपूर्तियों को धनात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय (एनएफई) को पूरा करने प्रयोजन से गिना जाएगा।

7. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की स्थापना की जा रही है। घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से एसईजेड को बिक्री वास्तविक निर्यात माना जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप देशीय आपूर्तिकर्ताओं को शुल्क वापसी डीईपीबी के लाभ, केन्द्रीय बिक्री कर से छूट तथा सेवा कर से छूट के लाभ प्राप्त हो रहे हैं। निर्यात लाभ पर 100% आयकर से छूट एसईजेड इकाइयों को 5 वर्षों तक उपलब्ध है, अगले 5 वर्षों तक 50% और उसके बाद अगले 5 वर्षों के लिए प्लाऊ बैंक लाभ का 50%।

8. पुरानी पूंजीगत का आयात मुक्त रूप से किया जा सकता है।

9. अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यकलापों में और अधिक पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को वैज्ञानिक, सामाजिक या सांख्यिकीय शोध के प्रयोजन से दी गई रकम पर 150% की भारित कटौती उपलब्ध कराई गई है।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लिमिटेड में कोयले की ढुलाई

2129. श्री चंद्र शेखर दूबे: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) और इसकी सहायक कंपनियों में कोयले की ढुलाई का काम भूतपूर्व सैनिकों की ट्रांसपोर्ट कंपनियों द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन ट्रांसपोर्ट कंपनियों को ढुलाई के लिए वर्ष-वार और सहायक कंपनी-वार कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन प्रत्येक सहायक कंपनियों द्वारा कोयले की ढुलाई के संबंध में वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां। कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियों में कोयले के एक भाग की ढुलाई भूतपूर्व-सैनिक (ईएसएम) परिवहन कंपनियों द्वारा की जाती है।

(ख) सीआईएल की सहायक कंपनियों में ईएसएम कंपनियों के नियोजन और 2005-06 में ईएसएम कंपनियों द्वारा परिवहन किए गए कोयले की मात्रा निम्नानुसार है:-

कंपनी	सतह से सतह तक	मुहाने से सतह तक	सतह से सतह तक तथा मुहाने से सतह तक दोनों	जोड़	परिवहन की गई मात्रा (लाख टन में)
भारत कोकिंग कोयला लि.	1	2	4	7	87.98
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	शून्य	1	शून्य	1	3.01
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	8	0	2	10	200.38
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	शून्य	21	3	24	636.47
महानदी कोलफील्ड्स लि.	शून्य	34	शून्य	34	660.19
कोल इंडिया लि.	9	58	9	76	1588.03

(ग) परिवहन के लिए ईएसएम कंपनियों को भुगतान की गयी कुल राशि 2003-04 में 425.10 करोड़ रु. 2004-05 में 482.20 करोड़ रु. तथा 2005-06 में 536.90 करोड़ रु. है। वर्ष-वार तथा सहायक कंपनी-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

कंपनी	कार्य का मूल्य (करोड़ रु. में)*		
	2003-04	2004-05	2005-06
भारत कोकिंग कोयला लि.	42.44	28.63	29.27
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	8.16	5.53	1.17
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	49.87	49.82	68.81
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	154.40	179.91	202.95
महानदी कोलफील्ड्स लि.	170.27	218.32	234.68

*इसमें अधिकांश मामलों में लोडिंग की लागत शामिल की गयी है।

(घ) उपर्युक्त सहायक कंपनियों द्वारा ईएसएम तथा सिविलियन परिवहन कंपनियों दोनों के लिए कोयले के परिवहन पर व्यय की गयी कुल राशि क्रमशः 2003-04 में 711.28 करोड़ रु., 2004-05 में 828.72 करोड़ रु., और 2005-06 में 910.56 करोड़ रु. है।

उन प्रत्येक सहायक कंपनियों के वर्ष-वार तथा सहायक कंपनी-वार ब्यौरे, जहां ईएसएम कंपनियां लगी हैं, नीचे दिए गए हैं:-

कंपनी	परिवहन का मूल्य (करोड़ रु. में)*		
	2003-04	2004-05	2005-06
भारत कोकिंग कोयला लि.	52.85	47.00	52.51
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	137.55	168.96	175.86
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	96.95	101.80	118.83
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	207.59	240.32	266.96
महानदी कोलफील्ड्स लि.	216.34	270.64	296.40

[अनुवाद]

रैबीज और सांप के काटने से होने वाली मौतें

2130. **श्री परसुराम माझी:**
श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में रैबीज और सांप के काटने से होने वाली मौतों में से 63 प्रतिशत मौतें भारत में होती हैं और प्रभावित व्यक्ति कृषि श्रमिक, महिलाएं बच्चे और शिशु होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने व्यक्तियों के मारे जाने के मामले दर्ज किए गए;

(ग) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों का उक्त उपचार के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में अलर्क रोग के कारण 55 हजार मौतें होती हैं जबकि एशिया में इसके कारण 56 प्रतिशत होने का अनुमान है कि भारत में अलर्क रोग के कारण 20 हजार मौतें होती हैं। 40 प्रतिशत मामले 14 वर्ष से कम आयु बच्चों में होती हैं और इनमें से 80 प्रतिशत मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में होने का अनुमान लगाया गया है। राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में वर्ष 2005 और 2006 में सांप के काटने के कारण सूचित मौतों की संख्या क्रमशः 1502 और 814 हैं। वर्ष 2004, 2005 और 2006 के दौरान सांप काटने और अलर्क रोग के कारण सूचित की गई मौतों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) से (ङ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए संबंधित राज्यों के स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केन्द्रों में सर्प-विषरोधी सीरम और अलर्क रोग सीरम की उपलब्धता को सुनिश्चित करना राज्य सरकारों का प्राथमिक दायित्व है। भारत सरकार सांप के काटने और कुत्ते-काटने के मामलों के निवारण और उपचार के लिए तकनीकी सहायता और दिशानिर्देश प्रदान करती है। हाल ही में अन्तः त्वचा मार्ग से टिश्यू कल्चर अलर्क रोधी वैक्सीन का प्रयोग करने का अनुमोदन किया गया है ताकि वैक्सीन की लागत को कम किया जा सके। राज्य सरकारें सीधे निर्माण इकाईयों से सर्प-विष रोधी सीरम और अलर्क रोधी वैक्सीनें अधिप्राप्त करती/खरीदती हैं।

विवरण I

वर्ष 2004, 2005 और 2006 के दौरान राज्यों द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो प्रभाग को सांप के काटने के कारण हुई मौतों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	2004	2005	2006
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	49	24	41
2.	अरुणाचल प्रदेश			
3.	असम	0		
4.	बिहार			
5.	छत्तीसगढ़			11
6.	गोवा	0		
7.	गुजरात	0	12	
8.	हरियाणा	0		
9.	हिमाचल प्रदेश	0	3	2
10.	जम्मू-कश्मीर	1		
11.	झारखंड			
12.	कर्नाटक	79	6	8
13.	केरल	20	26	16
14.	मध्य प्रदेश		1	
15.	महाराष्ट्र	85	60	7
16.	मणिपुर			4
17.	मेघालय			
18.	मिजोरम	1		
19.	नागालैंड	0		
20.	उड़ीसा	2	2	2
21.	पंजाब	1		
22.	राजस्थान	19	16	18
23.	सिक्किम	2	1	

1	2	3	4	5
24.	तमिलनाडु	6	6	18
25.	त्रिपुरा	8	6	7
26.	उत्तरांचल	0	0	
27.	उत्तर प्रदेश	0	2	
28.	पश्चिम बंगाल	268	122	124
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह			10
30.	चंडीगढ़			
31.	दादरा और नागर हवेली			1
32.	दमन और दीव			
33.	दिल्ली	12	11	
34.	लक्षद्वीप			
35.	पांडिचेरी	2	4	
	कुल	556	302	269

आंकड़े अनन्तिम हैं और कवरेज को ठीक तरह से न बताए जाने के कारण वे तुलनीय नहीं हैं।

विवरण II

वर्ष 2004, 2005 और 2006 के दौरान राज्यों द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो प्रभाग के अलर्क रोग के कारण हुई मौतों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	2004	2005	2006
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	22	113	17
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	0	0
3.	असम	–	12	12
4.	बिहार	193	0	0
5.	छत्तीसगढ़	–	32	14
6.	गोवा	3	1	0
7.	गुजरात	40	44	31

1	2	3	4	5
8.	हरियाणा	19	12	2
9.	हिमाचल प्रदेश	14	16	15
10.	जम्मू डि.	0	3	0
	कश्मीर डि.	0	3	0
11.	झारखंड	18	3	14
12.	कर्नाटक	261	250	193
13.	केरल	28	17	8
14.	मध्य प्रदेश	0	76	31
15.	महाराष्ट्र	104	158	12
16.	मणिपुर	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	–
19.	नागालैंड	5	0	0
20.	उड़ीसा	77	86	61
21.	पंजाब	11	22	13
22.	राजस्थान	126	102	142
23.	सिक्किम	1	1	0
24.	तमिलनाडु	90	51	2
25.	त्रिपुरा	0	1	0
26.	उत्तरांचल	13	7	15
27.	उत्तर प्रदेश	–	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	374	460	181
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	1	0
30.	चंडीगढ़	–	0	0
31.	दादरा और नागर हवेली	8	5	25
32.	दमन और दीव	0	0	0
33.	दिल्ली	4	7	6
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पांडिचेरी	12	19	20
	योग	1423	1502	814

आंकड़े अनन्तिम हैं और कवरेज को ठीक तरह से न बताए जाने के कारण ये तुलनीय नहीं हैं।

आधुनिक खेल अवसंरचना

2131. श्री रघुनाथ झा: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में खेलों के लिए आधुनिक अवसंरचना का अभाव है और भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप अवसंरचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) खेलों और खिलाड़ियों के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप आधुनिक अवसंरचना का सृजन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) जी, हां। देश में खेल अवस्थापना और खेल सुविधाओं की गंभीर कमियां हैं जिसे दूर किया जा रहा है। तथापि, संविधान में 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, खेल अवस्थापना की सुविधाओं के सृजन का प्राथमिक दायित्व राज्य सरकारों का है। दिनांक 31.3.2005 तक, मंत्रालय अनुमोदित ढांचे के अनुरूप केन्द्र द्वारा प्रायोजित खेल अवस्थापना योजनाओं के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराकर राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा दे रहा था। बशर्ते व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त हो। लेकिन दिनांक 1.4.2005 से खेल अवस्थापना योजनाएं राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी गई थीं। इस प्रकार, अब खेल अवस्थापना परियोजनाओं के नये मामलों का वित्त पोषण राज्य सरकारों को अपने संसाधनों में से करना होगा। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार को दी गई केन्द्रीय सहायता द्वारा पूरे किए गए खेल अवस्थापना परियोजनाओं के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

इसके अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण खेल प्रशिक्षण केन्द्र के लिए व्यापक अवस्थापना को भी विकसित किया है जिसे आगे विस्तार और उन्नत किया जा रहा है। राज्य सरकार की योजनाओं के अधीन विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे राष्ट्रीय खेलों, सैफ खेलों, एफ्रो-एशियाई खेलों आदि के लिए देश के विभिन्न भागों में सृजित अवस्थापना के अधिकतम उपयोग के लिए भी बल दिया जा रहा है। यह सब राष्ट्रमंडल खेल, 2010 और राष्ट्रमंडल युवा खेल-2008 के संदर्भ में प्रस्तावित नवीनतम अवस्थापना के सृजन के अलावा है।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, ''पंचायत युवा खेल अभियान'' की एक योजना आरम्भ करने पर भी विचार कर रहा है जिसका उद्देश्य मूलभूत खेल अवस्थापना का विकास करना तथा ग्राम/उप-जिला स्तर पर खेल कूद गतिविधियों का संवर्धन करना, युवाओं के विकास के आवश्यक घटक के रूप में तथा खेल प्रतिभा का पता लगाने तथा पोषण करने के व्यापक प्रसार, दोनों के रूप में है। प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए सभी संबंधित पणधारियों से इस संबंध में विचार-विमर्श किया जा रहा है।

विवरण

खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत पूरी की गई परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम/संबंधित फाईल संख्या के साथ स्थिति	जारी कई गई राशि (रु. लाखों में)
1	2	3
2004-2005		
1.	गवर्नमेंट्स हायर सेकेण्डरी चिन्नादरपुरम, जिला कुरूर, तमिलनाडु में बालीबाल कोर्ट	0.24150
2.	आर.के. मिशन विद्यालय कोयम्बटूर, तमिलनाडु में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-1	9.00
3.	पाटिल मैदान, अजमेर, राजस्थान में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3	8.725
4.	महाराष्ट्रीय मंडल, पुणे, महाराष्ट्र द्वारा पुणे में आऊटडोर स्टेडियम श्रेणी-1	8.00
5.	नागरकोईल, कन्याकुमारी, जिला तमिलनाडु में तरणताल श्रेणी-2	2.50

1	2	3
6.	गवर्नमेंट हायर सेकेण्डरी स्कूल, उपीदम, आंगलुम, जिला करूर, तमिलनाडु में वालीबाल कोर्ट	0.245
7.	एल्लापुर, जिला उत्तर कन्नड, कर्नाटक में ताल्लुक स्टेडियम	1.8
8.	गवर्नमेंट वोकेशनल हायर सेकेण्डरी स्कूल, कयार जिला कासरगेट, केरल में खेल का मैदान	1.50
9.	हवेरी, कर्नाटक में ताल्लुक स्टेडियम	2.00
10.	गवर्नमेंट सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, लोहरा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में बास्केटबाल कोर्ट	0.10
11.	कोटली मंडी, हिमाचल प्रदेश में मिनी स्टेडियम	0.22400
12.	गवर्नमेंट सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, चलतरा, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश में बास्केटबाल कोर्ट	0.06250
13.	कुरूक्षेत्र हरियाणा में आऊटडोर स्टेडियम	1.75
14.	आर.सी. किरे, जिला हासन, कर्नाटक में आऊटडोर स्टेडियम	1.05
15.	जिला स्टेडियम बीजापुर कर्नाटक में साइक्लिंग ट्रैक	5.40
16.	जिला यूनिट स्टेडियम, कांचीपुरम तमिलनाडु में खेल मैदान का विकास	2.35
17.	मंदसौर मध्य प्रदेश में तरणताल श्रेणी-1	4.90
18.	राजकोट म्यूनिसिपिल कार्पोरेशन, गुजरात में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-1	20.00
19.	अरियालूर, तमिलनाडु में जिला स्तरीय खेल परिसर	6.90
20.	गवर्नमेंट्स हायर सेकेण्डरी वेस्ट मम्बालो, अशोक नगर, चेन्नई, तमिलनाडु में फुटबाल मैदान का विकास	0.739
21.	लखनऊ, उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय खेल परिसर	5.00
22.	अडूकोट्टई तमिलनाडु में जिला स्तरीय खेल परिसर	10.42925
23.	महबूब नगर, आंध्र प्रदेश में तरणताल श्रेणी-2	24.00
24.	बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में खेल छात्रावास	4.50
25.	लाला दीवानचन्द मोडेरू, कुश्ती एवं योगा केन्द्र, छारा झज्जर, हरियाणा द्वारा छारा झज्जर में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-2	4.41
26.	पड्डल ग्राउण्ड, मण्डी हिमाचल प्रदेश में इंडोर हाल श्रेणी-3	3.00
27.	आर.एल. तावड़े फाउण्डेशन, महाराष्ट्र	4.54
28.	मदुरै, तमिलनाडु में तरणताल श्रेणी-2	12.50
29.	श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश में तरणताल श्रेणी-2	6.25
	उत्तर-पूर्व राज्य	
30.	थाऊबाल, जिला टेबल टेनिस संघ, थाऊबाल, मणिपुर द्वारा थाऊबाल में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3	3.00

1	2	3
31.	नाकोहाऊ, नागालैण्ड में खेल मैदान	0.25
32.	कूमपूंग नागालैण्ड में खेल मैदान	0.25
33.	गांगचुंग नागालैण्ड में खेल मैदान	0.19
34.	लोंगिवा नागालैण्ड में खेल मैदान	0.25
35.	पुनबक नागालैण्ड में खेल मैदान	0.25
36.	नाकसेन नागालैण्ड में खेल मैदान	0.04
37.	एक्सप्रेशन वालंटियर आर्गेनाइजेशन, दीमापुर नागालैण्ड द्वारा दीमापुर में तरणताल श्रेणी-1	36.50
38.	नागालैण्ड टेनिस संघ, नागार्जुन, दीमापुर, नागालैण्ड द्वारा नागार्जुन में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-2	27.50
39.	चानवांकन डेवलपमेंट सोसायटी, नागालैण्ड द्वारा चेन में आऊटडोर स्टेडियम श्रेणी-1	13.00
40.	वेदा स्पोर्टिंग क्लब, नागालैण्ड द्वारा चेन में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-1	27.50
41.	मणिपुर टेनिस संघ, मणिपुर द्वारा लामफाल, पाट इम्फाल में टेनिस कोर्ट	1.50
42.	उमरांगस्नू, असम में आऊटडोर स्टेडियम श्रेणी-1	27.00
2005-2006		
1.	खेलकूद के विकास के लिए महाराष्ट्र अनुदान को 2005-06 के दौरान अनुदान की दूसरी किश्त जारी गई	0.08
2.	अमलपुरम जिला ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश में मल्टीपर्पज जीएमसी बालयोगी मेमोरियल इंडोर स्टेडियम	45.00
3.	सेंट्रल हिन्दू मिलिट्री एजूकेशन सोसायटी, नागपुर महाराष्ट्र द्वारा तरणताल	45.00
4.	कोलांगपुर, जिला नागौन, असम में इंडोर स्टेडियम, श्रेणी-3	7.00
5.	नागापट्टिनम तमिलनाडु में जिला स्तरीय खेल परिसर	5.52667
2006-2007		
1.	गवर्नमेंट सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, भावरना, जिला कांगड़ा में बास्केटबाल मैदान का विकास। अंतिम किश्त जारी की गई	0.10
2.	महाराष्ट्र सरकार-इंडोर डोम्बिवली (पूर्व) में इंडोर स्टेडियम, श्रेणी-1 के निर्माण के लिए अनुदान	60.00
3.	गुजरात-नौकरी नगरपालिका में तरणताल श्रेणी-1 के निर्माण के लिए अनुदान	45.00

1	2	3
4.	महाराष्ट्र सरकार—चिंचौली जिला नासिक (पहाड़ी क्षेत्र) में इंडोर स्टेडियम, श्रेणी-1 के निर्माण के लिए अनुदान 2006-07 के लिए निधि जारी की गई	90.00
5.	आंध्र प्रदेश-विशाखापट्टनम में तरणताल श्रेणी-1 के निर्माण के लिए अनुदान	21.50
6.	मणिपुर-क्याम में पिच के साथ क्रिकेट मैदान के निर्माण के लिए अनुदान	0.33800
7.	आंध्र प्रदेश-वारंगल में तरणताल श्रेणी-1 के निर्माण के लिए अनुदान	5.32
8.	केरल-पथनामथिट्टा में आऊडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए अनुदान	1.55
9.	मध्य प्रदेश-रानीताल जबलपुर में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-1 के निर्माण के लिए अनुदान	4.06500
10.	मध्य प्रदेश-छत्रसाल स्पोर्टस स्टेडियम, पिछौर, जिला शिवपुरी का निर्माण	0.60000
11.	नागालैण्ड-हिल पायनियर द्वारा चेतहाबा में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3 का निर्माण	15.00
12.	कर्नाटक-मानिक नगर, जिला बीदर, कर्नाटक में तरणताल श्रेणी-2 के निर्माण के लिए अनुदान	12.50
13.	नागालैण्ड-फुतसेरो में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3 के निर्माण के लिए अनुदान	10.00
14.	• तमिलनाडु-डाल्फिन क्लब, जे.जे. नगर, मोयापियस वेस्ट चेन्नई में तरणताल, श्रेणी-2 के निर्माण के लिए अनुदान	22.50
15.	तमिलनाडु सरकार-तिरूवरूर में जिला खेल परिसर में आऊटडोर स्टेडियम श्रेणी-1 और आऊटडोर खेल मैदान के निर्माण के लिए अनुदान	23.00
16.	हिमाचल प्रदेश सरकार-शिमला में आईस स्केटिंग रिंग के निर्माण के लिए अनुदान	37.43
17.	तमिलनाडु सरकार-विल्लुपुरम में जिला स्तरीय खेल परिसर के लिए अनुदान	9.25
18.	हिमाचल प्रदेश सरकार-ऊना में तरणताल का निर्माण	3.00
19.	महाराष्ट्र सरकार-कटोल, महाराष्ट्र, जिला नागौन, म्यूनिसिपल काउंसिल कटोल में तरणताल श्रेणी-1 के निर्माण के लिए अनुदान	40.00
20.	उ.प्र. सरकार-कलहट, मिर्जापुर, रायदीप स्मारक समिति में आऊटडोर स्टेडियम श्रेणी-1 के निर्माण के लिए अनुदान	15.215
21.	तमिलनाडु सरकार-राजन थट्टन, माईलादुथुरल, जिला नागापट्टिनम में स्टेडियम श्रेणी-1 के निर्माण के लिए अनुदान	18.00
22.	हिमाचल प्रदेश सरकार-गवर्नमेंट सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, बालकरूपी, कांगड़ा में बास्केटबाल कोर्ट के निर्माण के लिए अनुदान	0.07250
23.	उ.प्र.-सैफई, इटावा में खेल मैदान के निर्माण के लिए अनुदान	24.00
24.	मध्य प्रदेश-आऊटडोर स्टेडियम, मुरैना के निर्माण के लिए अनुदान	3.00
25.	तमिलनाडु, डिंडीगुल में जिला स्तरीय खेल परिसर के निर्माण के लिए अनुदान	13.25

1	2	3
26.	उ.प्र.-पिजोखारा, मुजफ्फरनगर में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3 का निर्माण	2.50
27.	नागालैण्ड-सोसायटी नागालैण्ड द्वारा (अध्यक्ष जिला खेल परिसर पानीपत) चिजामी में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3 का निर्माण	14.01
28.	उ.प्र.-सेफई, इटावा में (सचिव खेल एवं युवा विभाग उ.प्र. सरकार लखनऊ) में खेल छात्रावास के निर्माण के लिए अनुदान	15.00
29.	असम-तेजपुर (अध्यक्ष, जेजपुर जिला खेल असम, पोलो फील्ड तेजपुर) जिला सोनितपुर असम में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3 का निर्माण	3.00
30.	तमिलनाडु सरकार-तिरूवन्नालई तमिलनाडु में जिला स्तरीय खेल परिसर का निर्माण	19.20
31.	महाराष्ट्र-सांगली में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-1 का निर्माण (मैनेजिंग ट्रस्ट राजाराम बापू पाटिल इंडोमेंट ट्रस्ट, पो.-साखराले, जिला सांगली)	33.23
32.	तमिलनाडु-इट्टीमाडु, गांव कोयम्बटूर में तरणताल श्रेणी-1 का निर्माण (माता अमृतानंद कोमई मठ एट्टीमडई, जिला कोयम्बूटर)	45.00
33.	हिमाचल प्रदेश-ऊना में जिला स्तरीय खेल परिसर का निर्माण	8.13
34.	हरियाणा-ग्राम ग्रही, बोहर, जिला रोहतक में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-1 का निर्माण (अध्यक्ष सिंधू एजूकेशन फाउण्डेशन, नई दिल्ली)	15.00
35.	राजस्थान-गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल, देवगढ़, जिला-राजसमंद में बास्केटबाल कोर्ट का निर्माण	

पिछले तीन वर्षों के दौरान सिंथेटिक खेल सतह बिछाने के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत पूरी की गई परियोजना

क्र.सं.	परियोजना	जारी की गई राशि (रु. लाखों में)
1.	जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक	100.00
2.	जेआरडी टाटा काम्पलेक्स, जमशेदपुर, झारखण्ड में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक	100.00
3.	नेहरू स्टेडियम, गुड़गांव, हरियाणा में सिंथेटिक हाकी सतह	100.00
4.	बीजू पटनायक स्टेडियम, राउरकेला, उड़ीसा में सिंथेटिक हाकी सतह	100.00
5.	रेलवे हाकी स्टेडियम, ग्वालियर में सिंथेटिक हाकी सतह	100.00

स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण

2132. श्री अनन्त नायक: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में स्वास्थ्य सेवाओं के बढ़ते निजीकरण पर ध्यान केन्द्रित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(ग) गरीब रोगियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं/किए जाने प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी नहीं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सरकार विशेषतौर से देश के गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए जन स्वास्थ्य प्रणाली के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केन्द्रित करना चाहती है। यह लोगों के हित में गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ साझेदारी करना चाह रही है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसमिशन टावर

2133. श्री शिशुपाल एन. पटले:
श्री मो. ताहिर:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए ट्रांसमिशन टावर स्थापित करने की योजना को स्वीकृति दी है जैसाकि दिनांक 23 जनवरी, 2007 के ''राष्ट्रीय सहारा'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ निजी कंपनियों से निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो देश में कुल कितने ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसमिशन टावरों को स्थापित करने की आवश्यकता का आकलन किया गया है;

(घ) क्या इन टावरों को देश के सभी भागों में स्थापित किया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) निजी और सार्वजनिक, दोनों क्षेत्र की कंपनियों सहित बुनियादी सेवा प्रचालकों (बीएसओ), सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) प्रदाताओं, एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसधारियों (यूएएसएल) और चुनिंदा अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-1 (आईपी-1) से निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

(ग) देश के 27 राज्यों के 500 जिलों में विशिष्ट ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में कुल 7,871 टावर संस्थापित किए जाएंगे।

(घ) और (ङ) ये टावर देश के ऐसे विशिष्ट ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में संस्थापित किए जाएंगे, जहां स्थिर बेतार या मोबाइल कवरेज उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

विदेशी जलयानों द्वारा कानून का उल्लंघन

2134. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक विदेशी जलयान अनुमति लिए बिना भारतीय जल-क्षेत्र की सीमा में आते और जाते हैं जैसा कि दिनांक 26 जनवरी, 2007 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित मामले की सच्चाई क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या नार्वे के जलयान ने अपने टैंक की सफाई करने के लिए मुम्बई-पत्तन-न्यास से अनुमति मांगी थी और अनुमति प्राप्त करने के बाद यह जलयान तीन वर्ष के लिए इनर एंकरेज एरिया से बाहर चला गया था तथा चुपचाप भारतीय जल-क्षेत्र-सीमा से बाहर चला गया था; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय कानून का उल्लंघन करने के लिए ऐसी पोत-परिवहन-कंपनियों/देशों के विरुद्ध केन्द्र-सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) पत्तन और सीमा-शुल्क प्राधिकारियों से अनापत्ति प्राप्त किए बिना कोई भी विदेशी पोत, भारतीय पत्तनों में आ या जा नहीं सकता। दिनांक 26 जनवरी, 2007 के ''टाइम्स आफ इंडिया'' में संदर्भित नार्वीजियन जलयान ''क्रिस्टल सी'' 31.10.2006 और 19.01.2007 के बीच मुम्बई पत्तन की सीमा में बना रहा। उपर्युक्त जलयान को सीमा-शुल्क-प्राधिकारियों द्वारा 19.01.2007 को मुम्बई हाई की ओर जाने की अनापत्ति दे दी गई जो कि 22.01.2007 तक वैध थी तथा उपर्युक्त जलयान द्वारा 19.01.2007 को पत्तन से बाहर जाते समय पत्तन-अनापत्ति भी हासिल कर ली गई। उपर्युक्त जलयान द्वारा अपने टैंकों की सफाई किए जाने की कोई अनुमति नहीं मांगी गई। चूंकि पत्तन को देय

समस्त बकाया धनराशि और शुल्कों का भुगतान कर दिया गया था और किसी भी भारतीय न्यायालय से गिरफ्तारी का कोई आदेश जारी नहीं किया गया था और कागजात (दस्तावेज) भी सही थे, अत: उपर्युक्त जलयान को पत्तन से बाहर जाने की अनुमति दे दी गई।

बाल स्वास्थ्य योजनाएं

2135. श्रीमती पी. सतीदेवी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए किन्हीं योजनाओं पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मेडिकल कालेज अस्पताल के एक भाग के रूप में देश में कितने बाल स्वास्थ्य संस्थान कार्य कर रहे हैं;

(घ) क्या खतरनाक स्थित में बच्चों के लिए बेहतर उपचार की सुविधा प्रदान करने के लिए ऐसे संस्थान के उन्नयन हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) वर्ष 1977 से बाल स्वास्थ्य संबंधी कार्यकलाप सरकार के परिवार कल्याण कार्यक्रम का एक भाग रहे हैं। चल रही पहलें इस प्रकार हैं:

1. व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम;
2. अतिसार रोग के कारण मौतों की रोकथाम;
3. न्यूमोनिया के कारण मौतों की रोकथाम;
4. नवजात परिचर्या कार्यक्रम;
5. स्तनपान और समुचित पूरक आहार को बढ़ावा देना;
6. विटामिन-ए और लौह व फालिक अम्ल सहित पूरक खुराक।

वर्ष 2005 से देश भर के 75 जिलों में एकीकृत समग्रता बाकी बीमारियों के उपचार वाली एक कार्यनीति को कार्यान्वित किया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधा आधारित और सामुदायिक नवजात परिचर्या कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए तैयार किया जा रहा है।

देश में सभी सुविधा केन्द्र बाल स्वास्थ्य के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं और देश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में बालरोग चिकित्सा विभाग हैं जो बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है और उनका भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के अनुसार उन्नयन किया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं के व्यापक विकास के लिए धन जारी किया गया है ताकि उनको अपेक्षित स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए सज्जित किया जा सके।

अरूर-कुंबलम पुल पर पथकर संग्रहण

2136. डा. के.एस. मनोज: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-47 पर अरूर-कुंबलम पुल के निर्माण के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वार्षिक पथकर संग्रहण का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पथकर संग्रहण कब तक जारी रहने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग-47 पर अरूर-कुंबलम पुल जो कोचीन बाइपास पर पड़ता है, के निर्माण के लिए 6.64 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं।

(ख) वर्ष 2003-04 के प्रारंभ से तीन वर्षों के दौरान क्रमश: 1.20 करोड़ रु., 15.8 करोड़ रु. और 1.79 करोड़ रु. का वार्षिक पथकर संग्रहण रहा है।

(ग) केरल उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार इस पुल पर पथकर का संग्रहण मार्च, 2009 तक होना है। कोचीन बाइपास के 4-लेन बनाने का कार्य पूरा होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 4 लेन के खंड के लिए पथकर का संग्रहण प्रारंभ करेगा।

विदेश मंत्रालय के क्षेत्रीय शाखा कार्यालय

2137. श्री अनवर हुसैन: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के क्षेत्रीय शाखा सचिवालय कार्यालय देश के विभिन्न शहरों में कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित चैन्नई तथा देश के विभिन्न भागों में ऐसे कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये कार्यालय किन-किन स्थानों पर खोले जाने की संभावना है;

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) ये कार्यालय कब तक खोले जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) मंत्रालय के शाखा सचिवालय कोलकाता और हैदराबाद में कार्य कर रहे हैं।

(ग) से (च) इस समय चेन्नई में मंत्रालय का शाखा सचिवालय खोलने का प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है। यह कार्यालय तमिलनाडु सरकार की सहायता से की गई प्रशासनिक और अन्य व्यवस्थाओं के उपरांत कार्य करना आरंभ करेगा।

पंचायत चुनावों के लिए दो बच्चों संबंधी मानदंड

2138. श्री भरहरि महतो: क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे कुछ राज्यों ने पंचायत चुनावों के लिए दो बच्चों' के मानदंड को अपना लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस विषय पर वर्ष 1992 में राज्य सभा में पुर: स्थापित 79वां संविधान संशोधन विधेयक विचार किए जाने हेतु लंबित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस विधेयक को संसद के आगामी सत्र के दौरान विचारार्थ लाए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) राजस्थान, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा द्वारा पंचायत चुनावों के लिए दो बच्चों के सिद्धांत को अपना लिया गया है। मध्य प्रदेश ने आरंभ में ऐसी ही घोषणा की थी लेकिन बाद में इसने 'दो बच्चों' के मानदंड में संशोधन कर तीन बच्चों का मानदंड कर दिया है। इस समय पश्चिम बंगाल और हरियाणा में ऐसा कोई मानदंड विद्यमान नहीं है।

(ग) से (च) दिसम्बर, 1992 में संविधान (79वां संविधान संशोधन) विधेयक, 1992 राज्य सभा में लाया गया था। इस विधेयक में राज्य सरकार नीति के नितिपरक सिद्धांतों को संशोधन करके राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण करने और छोटा परिवार मानदंड को बढ़ावा देने और मौलिक कर्त्तव्यों में छोटे परिवार मानदंड को बढ़ावा देना और अपनाने के कर्त्तव्य को शामिल करना है। इस विधेयक के उपबंधों के तहत जिस व्यक्ति के दो या दो से अधिक बच्चे होंगे उसे संसद के किसी भी सदन अथवा, विधान सभा जैसी भी स्थिति हो अथवा राज्य विधान सभा की सदस्य होने के लिए अयोग्य माना जाएगा। लेकिन ये उन पर लागू नहीं होगा जिनके पास पहले ही दो या दो से अधिक बच्चे हैं अथवा जिनके एक और बच्चा इस अधिनियम के लागू होने के एक वर्ष के भीतर होता है।

इस विधेयक को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संसदीय स्थाई समिति को जांच के लिए भेजा गया था। इस समिति ने इस विधेयक की जांच की और इस विधेयक में कोई परिवर्तन किए बगैर इसे पास करने की सिफारिश कर दी। विधेयक को पास करने की सिफारिश करते समय समिति ने यह भी सिफारिश की कि सरकार संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों की आम सहमति के लिए नेताओं की एक बैठक बुलाए तथापि, राजनैतिक दलों से आम सहमति नहीं बन सकी। इस मामले पर 2 मई, 2003 को संसद की परामर्शदात्री समिति की बैठक में विचार-विमर्श किया गया। जिसमें सदस्यों ने देश में जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के अधिक कारगर उपायों की आवश्यकता पर अपनी सहमति दी है।

चूंकि सरकार की नीति परिवार कल्याण कार्यक्रम को स्वैच्छिक किसी किस्म के प्रोत्साहन, हतोत्साहन अथवा बल के इस्तेमाल से मुक्त रखने की है। इसलिए इस विधेयक को वापस लेने का विकल्प सरकार के विचाराधीन है।

चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भारत यात्रा

2139. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:
श्री मणी कुमार सुब्बा:
श्री सनत कुमार मंडल:
श्री सी. कुप्पुसामी:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत की यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा के दौरान हुई चर्चाओं और उनके परिणाम का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अवसरों पर किन-किन द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और इनके परिणामस्वरूप दोनों देशों को क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है;

(घ) क्या चर्चा के दौरान सीमा विवाद के विषय भी उठाए गए थे;

(ङ) यदि हां, तो इनके क्या परिणाम निकले हैं; और

(च) सीमा विवाद का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए और इनके परिणामस्वरूप कितनी प्रगति हुई?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ, 9 से 12 अप्रैल, 2005 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आए। प्रधानमंत्री तथा प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ ने एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किया जिसमें दोनों पक्षों ने ''शांति एवं समृद्धि के लिए एक सामरिक तथा सहयोग सहभागिता'' स्थापित किया। ग्यारह अन्य करारों पर हस्ताक्षर किए गए और व्यापक व्यापार एवं आर्थिक सहयोग पर भारत-चीन संयुक्त अध्ययन दल की रिपोर्ट जारी की गई।

चीनी राष्ट्रपति हु जिन्ताओ की 21 से 23 नवंबर, 2006 की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने एक संयुक्त घोषणा-पत्र जारी किया, जिसमें भारत-चीन संबंधों को गुणात्मक रूप से एक नए मुकाम तक ले जाने के लिए समुन्नत बनाने और अपनी सामरिक और सहयोगी सहभागिता को और अधिक सबल बनाने के लिए एक दस-सूत्री नीति तैयार की गई। दोनों देशों ने तेरह द्विपक्षीय करारों पर भी हस्ताक्षर किए।

(घ) से (च) चीन के प्रधानमंत्री की अप्रैल, 2005 में भारत की यात्रा का एक उल्लेखनीय परिणाम भारत-चीन सीमा प्रश्न के समाधान हेतु राजनीतिक मानदंड एवं दिशानिर्देशी सिद्धांतों पर संपन्न करार था। यह अन्य बातों के साथ-साथ दोनों देशों के समग्र एवं दीर्घकालिक हितों के संदर्भ में सीमा-प्रश्न के राजनीतिक समाधान की व्यवस्था करता है।

चीनी राष्ट्रपति की पिछले वर्ष नवंबर में हुई यात्रा के दौरान यह सहमति हुई कि सीमा प्रश्न के शीघ्र समाधान में दोनों देशों के मूल हितों में प्रगति होगी और इसे एक नीतिगत उद्देश्य के रूप में जारी रखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री तथा चीन के राष्ट्रपति ने सीमा-प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों को अपने-अपने कार्यों को तीव्र करने का निर्देश दिया, ताकि राजनीतिक मानदंडों एवं दिशा-निर्देशी सिद्धांत पर हुए करार के आधार पर सीमा-समाधान की रूपरेखा का पता लगाया जा सके।

जून, 2003 में नियुक्त किए गए भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों की अभी तक नौ बैठकें हो चुकी हैं। पहली पांच बैठकों के परिणामस्वरूप भारत-चीन सीमा प्रश्न के समाधान हेतु राजनीतिक मानदंडों तथा दिशानिर्देशी सिद्धांतों के करार पर हस्ताक्षर हुए। अंतिम चार दौर के दौरान उपर्युक्त करार के आधार पर विशेष प्रतिनिधियों ने सीमा समाधान के लिए सहमत रूपरेखा पर अपने विचार-विमर्शों को जारी रखा है।

[अनुवाद]

आई.ए.एस. अधिकारियों का अमरीकी विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण

2140. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए तीन अमरीकी विश्वविद्यालयों को चुना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन विश्वविद्यालयों में किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा;

(ग) अब तक कितने अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाया गया है;

(घ) क्या ऐसे अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए किसी भारतीय विश्वविद्यालय को अवसर दिया जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) भारत और विदेश में उक्त प्रशिक्षण के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ससंदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (च) सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए उनके करिअर के तीन अलग-अलग स्तरों पर एक अनिवार्य मध्य करिअर प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करने का निर्णय किया है। एक कार्यक्रम, सेवा के 7वें और 9वें वर्ष के बीच

8 सप्ताह का होगा, सेवा के 14वें और 16वें वर्ष के बीच 8 सप्ताह का एक अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सेवा के 26वें और 28वें वर्ष के बीच 4 सप्ताह का एक कार्यक्रम होगा। अब से आगे यह मध्य करिअर प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक होगा किन्तु पदोन्नति के लिए यह एक पर्याप्त शर्त नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, सेवा के 26वें और 28वें वर्ष के बीच की सेवा वाले अधिकारियों के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम में प्रतिभागिता, भारत सरकार में अपर सचिव अथवा सचिव के रूप में नामिकायन के लिए और सेवा के 28वें वर्ष के बाद आगे की वेतनवृद्धि के लिए एक न्यूनतम आवश्यकता होगी।

मध्य करिअर प्रशिक्षण के प्रत्येक चरण में कार्यक्रम के विस्तृत डिजाइन और सुपुर्दगी का कार्य, इस प्रयोजनार्थ गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा चुने गए संस्थानों के निम्नलिखित युग्मों को सौंपा गया है:-

1. 7 से 9 वर्ष की सेवा वाले अधिकारियों के लिए डिजाइन किए गए कार्यक्रम हेतु दि टी.ई.आर.आई. स्कूल आफ एडवान्सड स्टडीज, नई दिल्ली तथा द ड्यूफ सेन्टर फार इंटरनेशनल डेवलपमेंट आफ ड्यूक यूनिवर्सिटी।
2. 14 से 16 वर्ष की सेवा वाले अधिकारियों के लिए डिजाइन किए गए कार्यक्रम हेतु भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर और सायराक्यूस विश्वविद्यालय का मैक्सवैल स्कूल और सिटीजनशिप एंड पब्लिक अफेयर्स।
3. 26 से 28 वर्ष की सेवा वाले अधिकारियों के लिए डिजाइन किए गए कार्यक्रम हेतु भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद और हार्वर्ड विश्वविद्यालय का कैनेडी स्कूल आफ गवर्नमेन्ट।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य करिअर प्रशिक्षण के प्रत्येक चरण से एक अग्रणी भारतीय संस्थान जुड़ा हुआ है।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, अधिकारियों की उच्चतर पदों पर पदोन्नति से पूर्व उनमें 'अगले स्तर की योग्यता' विकसित करने में सहायता करना है। इन कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों की विषय वस्तु में परियोजना तैयार करने, नीति विश्लेषण, परिप्रेक्ष्य निर्माण, सार्वजनिक-निजी साझेदारी, उत्तरदायी सरकार और सेवा सुपुर्दगी, वृहत्त आर्थिक नीतियां, वित्तीय प्रबंधन आदि पर बल दिया जाएगा। 7 से 9 वर्ष की सेवा और 14 से 16 वर्ष की सेवा वाले अधिकारियों के लिए डिजाइन किए गए दो कार्यक्रमों में दो सप्ताह का एक्सपोजर विदेश भ्रमण भी शामिल है।

26 से 28 वर्ष की सेवा वाले अधिकारियों के लिए डिजाइन किया गया कार्यक्रम दिनांक 2 जनवरी से 25 जनवरी 2007 तक भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद में आयोजित किया गया है जिसमें 93 अधिकारियों ने भाग लिया। 14 से 16 वर्ष की सेवा वाले अधिकारियों के लिए डिजाइन किया गया कार्यक्रम 23 अप्रैल, 2007 को आरंभ होना है और 7 से 9 वर्ष की सेवा वाले अधिकारियों के लिए डिजाइन किया गया कार्यक्रम 11 जून, 2007 से आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। बाद वाले दोनों कार्यक्रम लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में आयोजित किए जाएंगे।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य करिअर प्रशिक्षण पर, तीन वर्ष की अवधि में लगभग 50 करोड़ रुपए के व्यय हेतु अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है जिसमें इन कार्यक्रमों का लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी और भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद में आयोजन पर होने वाले खर्चे और तीन वर्ष की अवधि में प्रतिभागियों का एक्सपोजर विदेश भ्रमण भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

अपशिष्ट निपटान हेतु प्रायोगिक परियोजना

2141. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से राज्य में सरकारी अस्पतालों में अपशिष्ट निपटान की प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता मांगने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) सरकारी अस्पतालों में जैव-अपशिष्ट निपटान के लिए अवसंरचना सृजित करने हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्कीम को बंद कर दिया गया है और इस प्रयोजन के लिए किसी भी राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

सभी मौसमों में प्रयोग में लाई जा सकने वाली सड़कों का निर्माण

2142. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्तमान सड़क के साथ-साथ श्रीनगर को जाने वाली अन्य दो लेन वाली सभी मौसमों में प्रयोग में लाई जा सकने वाली सड़क का निर्माण करने की योजना बनाई है जैसाकि दिनांक 18 फरवरी, 2007 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन रोड टनलों का ब्यौरा क्या है जिनका निर्माण किए जाने की आवश्यकता है;

(घ) इस परियोजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है;

(ङ) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(च) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग 1ए के पठानकोट-श्रीनगर खंड की विद्यमान दो लेन की सड़क को चार लेन का बनाने के लिए उत्तर-दक्षिण महामार्ग के भाग के तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-2 के अंतर्गत अनुमोदन दिया गया है जिसमें से 437 कि.मी. लंबाई जम्मू और कश्मीर राज्य में पड़ती है। निर्मित की जाने वाली सड़क सुरंगों के ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) इस परियोजना पर अनुमानित व्यय 8394 करोड़ रु. है।

(ङ) इस परियोजना के दिसंबर, 2011 तक पूरे हो जाने की संभावना है सिवाय लंबी सुरंगों के निर्माण के जिन्हें दिसंबर, 2013 तक पूरे किए जाने की संभावना है।

(च) लगभग 114 कि.मी. लंबाई के लिए कार्य सौंप दिए गए हैं। शेष लंबाई के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी की जा रही है तथा कार्य सौंपने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है।

विवरण

क्र.सं.	चैनेज से	चैनेज तक	लंबाई (कि.मी.)
1.	21 + 6	22 + 3	0.235
2.	23 + 00	23 + 70	0.325
3.	24 + 00	25 + 30	0.445
4.	25 + 60	26 + 20	0.690
5.	89 + 000	130 + 000	9.200
6.	136 + 325	137 + 213	0.888
7.	154 + 125	154 + 443	0.318
8.	155 + 125	155 + 320	0.195
9.	166 + 045	166 + 630	0.585
10.	166 + 055	166 + 665	0.610
11.	167 + 075	167 + 945	0.870
12.	171 + 130	171 + 515	0.385
13.	193 + 700	204 + 00	8.47
14.			0.68
	कुल लंबाई		23.896

गुजरात में तटीय क्षेत्रों हेतु स्वास्थ्य कार्यक्रम

2143. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तटीय क्षेत्रों हेतु स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को केन्द्र सरकार द्वारा कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) केन्द्र सरकार को तटवर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या के संबंध में किसी विशेष कार्यक्रम का प्रस्ताव

नहीं प्राप्त हुआ है। तथापि, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में तटवर्ती क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रदानगी को बेहतर बनाने की परिकल्पना की गई है।

सेमी कंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र

2144. श्री सुग्रीव सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे सेमी कंडक्टर की विनिर्माण इकाइयों में कितनी वृद्धि होगी; और

(घ) इसके फलस्वरूप कितने निवेश और रोजगार सृजन की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) सरकार ने भारत में सेमीकंडक्टर एवं अन्य सूक्ष्म तथा नैनो प्रौद्योगिकी विनिर्माण उद्योगों की स्थापना के लिए पूंजीनिवेश आकर्षित करने के प्रयोजन से विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना को अनुमोदित किया है। यदि कोई इकाई विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में स्थापित की जाती है, तो प्रोत्साहन मूल व्यय का 20% होगा। यदि कोई इकाई विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर स्थापित की जाती है, तो प्रोत्साहन मूल व्यय का 25% होगा और प्रतिशुल्क (सीवीडी) में छूट दी जाएगी। 2500 करोड़ रुपए के आरम्भिक शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की पूंजीनिवेश वाली 'फैब इकाइयां' विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना में शामिल की जाएंगी। आर्थिक-प्रणाली में अन्य इकाइयों के लिए 1000 करोड़ रुपए का आरम्भिक एनपीवी पूंजीनिवेश होगा। इस योजना को कार्यान्वित करने के ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों की स्थापना योजना के अनुमोदन के बाद इस प्रकार के निवेश के लिए निवेशकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी। पूंजीनिवेश और रोजगार का सृजन स्थापित की जाने वाली ऐसी इकाइयों की संख्या पर निर्भर करेगा।

राजाराम नगर में इंडोर स्टेडियम

2145. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में सांगली जिले के राजाराम नगर में इंडोर स्टेडियम का निर्माण केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना की लागत कितनी है;

(ग) क्या अनुदान की पहली किस्त की धनराशि जारी कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दूसरी किस्त को शीघ्र जारी करने हेतु उपयोग प्रमाण-पत्र देने के बावजूद दूसरी किस्त में विलंब किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (च) मंत्रालय ने महाराष्ट्र के सांगली जिले में राजाराम नगर में इंडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए 58.23 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता अनुमोदित कर दी थी। 25.00 लाख रुपये की प्रथम किस्त 1.11.2004 को जारी कर दी गई थी। राज्य सरकार से उपयोगिता प्रमाण-पत्र, समापन प्रमाण-पत्र आदि के पावती के आधार पर, 33.23 लाख रुपये का शेष अनुदान 5.2.2007 को जारी किया गया है। 117.48 लाख की लागत में परियोजना पूरी हो गई है।

परिवार कल्याण केन्द्र

2146. श्री जी. करुणाकर रेड्डी:
श्री. मुनव्वर हसन:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य-वार कितने परिवार कल्याण केन्द्र चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों विशेषकर कर्नाटक से विशेषत: जच्चा-बच्चा कल्याण हेतु और अधिक परिवार कल्याण केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान परिवार कल्याण केन्द्रों के रख-रखाव के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य ने कितनी धनराशि खर्च की;

(च) एन एफ डब्ल्यू पी के अंतर्गत सरकार के पास राज्य-वार कुल कितने प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं; और

(छ) इन सभी लम्बित प्रस्तावों का निपटान कब तक किये जाने की सम्भावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यकलापों जिनमें मातृ एवं शिशु कल्याण शामिल है के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे उप केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक केन्द्रों की संख्या क्रमश: 144986, 22671 और 3910 है।

उप केन्द्र मैदानी और जनजातीय क्षेत्रों में क्रमश: 5000 और 3000 की जनसंख्या के लिए स्थापित किए जाते हैं। चूंकि देश में जनसंख्या घनत्व एक समान नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं की अपर्याप्त उपलब्धता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन जनसंख्या मानदण्डों को पुनर्निर्धारित (रिविजिट) करने का प्रस्ताव है। एन आर एच एम का 2001 के जनसंख्या मानदण्डों के अनुसार उप-केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। एन आर एच एम के अधीन राज्यों की कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पी आई पी) में दी गई जरूरतों के अनुसार इन केन्द्रों की चरणवार स्थापना को अनुमोदित किया जाता है।

(घ) से (छ) वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान उपकेन्द्रों के रखरखाव हेतु राज्यवार निर्मुक्तियां संलग्न विवरण में दी गई हैं। एन आर एच एम के अधीन उप केन्द्रों को अपनी स्थानीय स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए अनटाइड निधि के रूप में 2004-05 (अधिकार प्राप्त कार्य समूह वाले राज्य), 2005-06 और 2006-07 (प्राप्त एस ओ ई/यू सी के आधार पर) के दौरान 10,000/- रुपए प्रति वर्ष आवंटित किए गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को भौतिक अवसंरचना के सुधार और अनुरक्षण के लिए 2006-07 के दौरान अनटाइड निधि के रूप में 25,000/- रुपए की रकम और वार्षिक अनुरक्षण अनुदान के रूप में 50,000/- रुपए की रकम जारी की गई है। वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के रूप में उन्नयन करने के लिए प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 20.00 लाख रुपए की रकम जारी की गई है।

2006-07 के दौरान एन आर एच एम के अधीन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाएं (पी आई पी) प्राप्त हुई थी। पी आई पी में दी गई उनकी आवश्यकताओं के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए निधियां जारी की गई हैं।

विवरण

वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान उप केन्द्र योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्तियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्ति 2004-05	निर्मुक्ति 2005-06	निर्मुक्ति 2006-07
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	9203.56	12148.00	2589.08
2.	अरुणाचल प्रदेश	253.56	267.49	66.45
3.	असम	3553.44	–	–
4.	बिहार	9003.00	5733.86	1665.31
5.	छत्तीसगढ़	3324.88	–	–

1	2	3	4	5
6.	गोवा	150.16	84.00	–
7.	गुजरात	6335.24	7056.00	3564.10
8.	हरियाणा	2002.56	2094.01	1869.72
9.	हिमाचल प्रदेश	1802.04	2008.00	1919.09
10.	जम्मू-कश्मीर	1481.40	2940.34	–
11.	झारखंड	3886.24	912.00	3279.54
12.	कर्नाटक	7092.16	5925.00	3989.88
13.	केरल	4436.48	3708.00	3744.18
14.	मध्य प्रदेश	7080.08	4286.00	610.82
15.	महाराष्ट्र	8469.84	9436.00	–
16.	मणिपुर	–	314.05	142.88
17.	मेघालय	381.80	–	–
18.	मिजोरम	320.16	–	236.46
19.	नागालैंड	280.40	532.00	165.69
20.	उड़ीसा	5162.52	4454.22	2939.42
21.	पंजाब	2482.72	2768.00	3550.92
22.	राजस्थान	8644.56	9628.00	9394.85
23.	सिक्किम	136.20	200.00	74.94
24.	तमिलनाडु	7560.24	8624.00	8508.44
25.	त्रिपुरा	500.16	728.00	393.84
26.	उत्तरांचल	1327.40	740.00	–
27.	उत्तर प्रदेश	16223.80	18020.00	16870.93
28.	पश्चिम बंगाल	7077.12	10048.00	7611.81
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	254.75	267.94
30.	चंडीगढ़	–	–	–
31.	दादरा और नगर हवेली	–	12.31	15.21
32.	दमन और दीव	–	38.00	41.15

1	2	3	4	5
33.	दिल्ली	59.00	–	–
34.	लक्षद्वीप	–	23.75	29.50
35.	पांडिचेरी	84.00	–	–
	अखिल भारतीय	118314.72	112983.78	73542.15

[हिन्दी]

विटामिन 'ए' की कमी

2147. श्री महावीर भगोरा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान विटामिन 'ए' की कमी की वजह से राज्य-वार कितने बच्चों की मृत्यु हो गयी;

(ख) विटामिन 'ए' की खुराक की मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार इससे कितने बच्चे लाभान्वित हुए;

(ग) क्या देश में विटामिन 'ए' की मांग और आपूर्ति में अन्तर है;

(घ) यदि हां, तो इस अन्तर को पूरा करने के लिए क्या उपाय किये गए हैं और इसकी क्या उपलब्धियां रहीं;

(ङ) क्या इस क्षेत्र में पिछड़े रहे राज्यों के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार निर्धारित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ज) इन आबंटनों को किस आधार पर किया जाता है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) विटामिन 'ए' की कमी बच्चों की मौत का प्रत्यक्ष कारण नहीं है। विटामिन 'ए' की कमी बच्चों के विकास और दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

(ख) 12-35 महीनों के आयु समूह के विटामिन 'ए' की खुराक के अंतर्गत कवर बच्चों की अखिल भारतीय प्रतिशतता 21 है। एन एफ एच एस-3 आंकड़ों (2005-06) के अनुसार कवर किए गए बच्चों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। एक वर्ष से कम आयु के कवर किए गए बच्चों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है।

(ग) से (च) सरकार की छह महीने से पांच वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को छह महीने के अन्तराल पर विटामिन 'ए' देने की एक कार्यनीति है। इसका उद्देश्य पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में विटामिन 'ए' की व्याप्तता को वर्तमान 0.7 प्रतिशत से घटाकर 0.3 प्रतिशत करना है।

पूरे देश में हर वर्ष आर सी एच कार्यक्रम के अधीन 2847729 किटें वितरित की जाती हैं जिनमें से प्रत्येक किट में 100-100 मि.ली. की 6 बोतलें होती हैं। यह आबंटन प्रत्येक सुविधा जो लगभग 5000 जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करती है, के अधीन 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की औसत संख्या के आधार पर है। यूनिसेफ राज्यों को, जब कभी जरूरत होती है, विटामिन 'ए' की आपूर्ति करके सरकार की सहायता करती है।

(छ) और (ज) वर्तमान में सभी राज्यों को प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (आरसीएच-2) कार्यक्रम जिसे वर्ष 2005 में शुरू किया गया था, के अधीन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के भाग के रूप में विटामिन 'ए' सहित आवश्यक आपूर्तियों के प्रापण के लिए निधियां जारी की जा रही है। आर सी एच-2 के अधीन पिछले 2 वर्षों में की गई निर्मुक्तियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण I

12-35 माह आयु के बच्चे जिन्होंने विटामिन 'ए' की खुराक (%) प्राप्त की—एनएफएच एस-III, 2005-06

क्र.सं.	राज्य	विटामिन 'ए' एनएफएचएस-III (2005-06)
1	2	3
	अखिल भारत	21.0
I.	**प्रमुख (बड़े) राज्य (20 मिलियन से अधिक जनसंख्या)**	
1.	आंध्र प्रदेश	21.4
2.	असम	16.6
3.	बिहार	29.4
4.	छत्तीसगढ़	12.7
5.	गुजरात	17.1
6.	हरियाणा	13.0
7.	झारखंड	23.3
8.	कर्नाटक	17.1
9.	केरल	38.2
10.	मध्य प्रदेश	16.1
11.	महाराष्ट्र	32.0
12.	उड़ीसा	25.6
13.	पंजाब	17.0
14.	राजस्थान	13.2
15.	तमिलनाडु	37.2
16.	उत्तर प्रदेश	7.3
17.	पश्चिम बंगाल	41.2
II.	**छोटे राज्य**	
1.	अरुणाचल प्रदेश	17.4
2.	दिल्ली	17.1
3.	गोवा	37.3
4.	हिमाचल प्रदेश	28.9
5.	जम्मू-कश्मीर	15.2
6.	मणिपुर	15.4
7.	मेघालय	19.9
8.	मिजोरम	42.2
9.	नागालैंड	8.7
10.	सिक्किम	21.8
11.	त्रिपुरा	38.0
12.	उत्तरांचल	15.6

विवरण II

विटामिन 'ए' की कमी के कारण दृष्टिहीनता के लिए रोग निरोधक-प्रथम खुराक (1 वर्ष से नीचे)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेन्सी	2002-03			2003-04			2004-05			2005-06*		
		मूल्यांकित आवश्यकता (000' में)	उपलब्धि 1 वर्ष से कम	% उपलब्धि	मूल्यांकित आवश्यकता (000' में)	उपलब्धि 1 वर्ष से कम	% उपलब्धि	मूल्यांकित आवश्यकता (000' में)	उपलब्धि 1 वर्ष से कम	% उपलब्धि	मूल्यांकित आवश्यकता (000' में)	उपलब्धि 1 वर्ष से कम	% उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	प्रमुख राज्य (जनसंख्या > 20 मिलियन)												
1.	आंध्र प्रदेश	1560.9	1,518,369	97.3	1553.8	1,526,993	98.3	1538.2	1,501,616	97.6	1553.3	1,462,778	94.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	असम	677.1	61,889	9.1	687.0	189,905	27.6	702.7	35,192	5.0	712.0	एन.ए.	एन.ए.
3.	बिहार	2,446.7	1,018,749	41.6	2550.6	2,245,196	88.0	2626.4	3,292,698	125.4	2621.2	1,887,208	72.0
4.	छत्तीसगढ़	538.6	642,945	119.4	546.4	527,260	96.5	537.0	539,093	100.4	524.4	511,638	97.6
5.	गुजरात	1,231.2	959,083	77.9	1247.7	1,095,255	87.8	1257.1	1,119,853	89.1	1264.5	1,149,484	90.9
6.	हरियाणा	545.2	410,669	75.3	561.4	440,105	78.4	562.4	487,468	86.7	571.1	474,518	83.1
7.	झारखंड	731.2	468,474	64.1	748.3	826,463	110.4	705.1	942,929	133.7	726.7	1,175,678	161.8
8.	कर्नाटक	1,128.8	812,396	72.0	1132.5	836,233	79.1	1160.2	739,874	63.8	1167.4	572,951	49.1
9.	केरल	572.8	509,559	89.0	574.0	467,474	81.4	562.0	535,550	95.3	558.8	463,260	82.9
10.	मध्य प्रदेश	1,742.1	3,446,232	197.8	1805.1	2,715,439	150.4	1826.9	1,844,982	101.0	1841.5	एन.ए.	एन.ए.
11.	महाराष्ट्र	1970,9	1,887,546	95.8	2001.6	1,880,688	94.0	199.21	1,940,928	97.4	2003.7	1,923,895	96.0
12.	उड़ीसा	807.7	809,694	100.1	828.3	817,764	98.7	818.1	828,356	101.3	823.2	839,238	102.0
13.	पंजाब	500.8	468,748	93.6	512.7	442,181	86.2	513.4	489,056	95.3	509.9	484,853	95.1
14.	राजस्थान	1,711.8	1,433,662	83.8	1719.9	1,460,308	84.9	1745.9	1,546,085	88.6	1748.9	1,499,990	85.8
15.	तमिलनाडु	1,149.2	4,457,701	387.9	1162.6	3,050,548	262.4	1167.7	5,592,188	478.9	1149.6	5,043,366	438.7
16.	उत्तर प्रदेश	5,176.5	4,071,249	78.6	5301.3	3,818,133	72.0	5280.5	5,120,648	97.0	5299.3	5,030,508	94.9
17.	पश्चिम बंगाल	1,605.7	1,388,490	86.5	1633.8	1,114,316	68.2	1636.8	1,444,566	88.3	1662.5	1,436,573	86.4
II.	छोटे राज्य												
1.	अरुणाचल प्रदेश	25.2	13,611	54.0	25.8	8,304	32.2	24.5	8,551	34.9	22.6	13,328	58.9
2.	दिल्ली	286.2	139,269	48.7	296.8	111,356	37.5	262.4	138,645	52.8	261.6	159,432	60.9
3.	गोवा	20.0	39,492	197.5	20.2	40,235	199.2	18.7	20,612	109.9	20.6	22,488	103.2
4.	हिमाचल प्रदेश	141.7	129,913	91.7	133.9	129,388	96.6	126.7	130,337	102.8	125.6	127,972	101.9
5.	जम्मू-कश्मीर	196.1	179,312	91.4	199.0	200,718	100.9	202.4	260,166	128.6	207.8	217,036	104.4
6.	मणिपुर	45.0	32,869	73.0	45.5	34,428	75.7	44.6	31,085	63.7	42.1	30,551	725
7.	मेघालय	65.0	45,472	70.0	66.1	42,486	64.3	65.9	48,156	73.1	59.7	53,866	90.2
8.	मिजोरम	14.9	29,180	195.8	14.3	15,327	107.2	14.3	20,544	143.9	15.8	24,446	154.6
9.	नागालैंड	25.7	10,335	40.2	27.0	8,818	32.7	27.4	7,113	25.9	39.5	8,685	22.0
10.	सिक्किम	11.1	10,762	97.0	11.5	10,597	92.1	11.8	5,393	45.6	12.2	5,416	44.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	त्रिपुरा	53.3	82,014	153.9	52.5	67,891	129.3	51.2	10,786	21.1	48.8	70,568	144.6
12.	उत्तरांचल	160.5	170,599	106.3	170.3	146,859	86.2	155.0	229,749	148.2	148.7	203,441	136.8
III.	संघ राज्य क्षेत्र												
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	6.3	7,767	123.3	6.8	5,464	80.4	6.1	5,484	89.5	6.4	4,777	74.6
2.	चंडीगढ़	17.4	15,042	86.4	17.6	15,586	88.6	14.8	16,928	114.4	14.2	14,240	100.0
3.	दादरा व नगर हवेली	7.1	9,072	127.8	7.6	6,001	79.0	6.6	5,756	87.6	7.0	6,394	90.9
4.	दमन और दीव	4.1	2,893	70.6	3.7	2,722	73.6	3.6	2,685	75.2	3.8	3,351	89.2
5.	लक्षद्वीप	1.0	1,173	117.3	1.1	1,192	108.4	1.3	546	43.0	1.2	727	59.4
6.	पांडिचेरी	18.4	15,544	84.5	18.8	13,537	72.0	17.7	15,320	86.5	18.1	15,224	84.2
IV.	अन्य एजेंसियां												
1.	रक्षा मंत्रालय	$	15,516		$	11,454		$	15,172		$	17,714	
2.	रेल मंत्रालय	$	20,063		$	16,423		$	18,415		$	21,059	
	अखिल भारत	25,1967.2	25,334,359	100.5	25,685.5	24,403,047	95.0	25,687.4	28,992,530	112.9	25,793.9	24,976,653	107.5

नोट: जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं उनकी मूल्यांकित आवश्यकता को छोड़कर अखिल भारतीय प्रतिशतता तैयार की गई है।

विवरण III

वित्तीय वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत रिलीज

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आरसीएच-2 फ्लेक्सीपूल 2005-06	आरसीएच-2 फ्लेक्सीपूल 2006-07 (28.02.07 तक)	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5885.00	10957.00	16842.00
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	44.50	48.00	92.50
3.	अरुणाचल प्रदेश	735.00	319.69	1054.69
4.	असम	6491.50	4826.00	11317.50
5.	बिहार	2937.50	11314.00	14251.50
6.	चंडीगढ़	74.00	82.00	156.00

1	2	3	4	5
7.	छत्तीसगढ़	2746.00	4283.00	7029.00
8.	दादरा और नागर हवेली	34.50	48.16	82.66
9.	दमन और दीव	23.00	59.19	82.19
10.	दिल्ली	727.00	914.00	1641.00
11.	गोवा	105.50	45.51	151.01
12.	गुजरात	3383.00	4935.00	8318.00
13.	हरियाणा	1142.50	3013.00	4155.50
14.	हिमाचल प्रदेश	500.50	618.00	1118.50
15.	जम्मू-कश्मीर	604.50	1052.96	1657.46
16.	झारखंड	4060.00	184.1.00	5901.00
17.	कर्नाटक	2880.00	5045.00	7925.00
18.	केरल	2143.50	1769.53	3913.03
19.	लक्षद्वीप	11.50	58.00	69.50
20.	मध्य प्रदेश	6619.50	8213.00	14832.50
21.	मणिपुर	743.00	432.00	1175.00
22.	मेघालय	450.00	612.00	1062.00
23.	मिजोरम	1182.00	0.00	1182.00
24.	महाराष्ट्र	5280.50	7874.54	13155.04
25.	नागालैंड	661.00	319.00	980.00
26.	उड़ीसा	4050.00	5201.00	9251.00
27.	पंजाब	1742.00	2372.15	4114.15
28.	पांडिचेरी	86.61	138.00	224.61
29.	राजस्थान	4000.50	6960.00	10960.50
30.	सिक्किम	100.00	218.00	318.00
31.	तमिलनाडु	6138.50	7103.00	13241.50
32.	त्रिपुरा	600.00	769.00	1369.00
33.	उत्तर प्रदेश	16972.50	9411.00	26383.50
34.	उत्तरांचल	746.00	1291.00	2037.00
35.	पश्चिम बंगाल	5983.00	6146.70	12129.70
	कुल	89884.11	108289.43	198173.54

परिवार कल्याण कार्यक्रमों में एनजीओ की भूमिका

2148. **श्री हरिकेवल प्रसाद:**
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों में संलग्न गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान केंद्र सरकार द्वारा इनमें से प्रत्येक संगठन को राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ग) क्या इन धनराशियों का पूर्ण उपयोग किया गया और यदि हां, तो तत्संबंधी सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस धनराशि के दुरुपयोग के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो दोषी पाए गए संगठनों के विरुद्ध केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/की जाने वाली है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जैव-चिकित्सा नियमों का उल्लंघन

2149. **श्री चंद्रकांत खैरे: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) के सरकारी अस्पताल अपने अपशिष्ट पदार्थों को कीटाणु रहित किये बिना कबाड़ियों को बेच देते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अस्पताल के अपशिष्ट पदार्थों को कीटाणु रहित किये बिना बेचना जैव-चिकित्सा अपशिष्ट पदार्थ नियमों का उल्लंघन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कौन-कौन से सरकारी अस्पताल नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं; और

(ङ) इस संबंध में ऐसे प्राधिकरणों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/की जाने वाली है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) जहां तक केन्द्र सरकार के अस्पतालों नामत: सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली का संबंध है, उनकी अपशिष्ट सामग्री का निपटान करते समय जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 1998 का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है संक्रामक गैर-प्लास्टिक अपशिष्ट को भस्म करते समय प्लास्टिक और शीशे के सामान को इन नियमों के अनुसार उपयुक्त विसंक्रमण के बाद ही बेचा जाता है।

केन्द्रीय प्रशिक्षण सुविधा परिसर

2150. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सांख्यिकी कार्मिकों के कल्याणार्थ ग्रेटर नोएडा में केंद्रीय प्रशिक्षण सुविधा (सीटीएफ) परिसर का निर्माण कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है और कितनी धनराशि आबंटित की गई और आज की तिथि तक कितनी प्रयुक्त हुई?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी, हां। नेशनल एकेडमी आफ स्टेटिस्टीकल एडमिनिस्ट्रेशन नामक केंद्रीय प्रशिक्षण सुविधा (सीटीएफ) का निर्माण ग्रेटर नोयडा में हो रहा है।

(ख) उक्त परियोजना निर्माणाधीन है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, परियोजना हेतु 3153.83 लाख रु. (गैर-आवर्ती) की राशि आबंटित की गई थी जिसमें से फरवरी, 2007 तक 1682.27 लाख रु. का व्यय हो चुका है।

इराक के निकट कार्गो पोत का डूबना

2151. **श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में कुछ भारतीय लोगों को ले जा रहा कार्गो पोत इराकी तट के निकट डूब गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस घटना में कितने भारतीयों को बचाया गया और कितने भारतीय लापता हैं;

(घ) क्या सरकार ने प्रभावित लोगों को कोई सहायता प्रदान की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) यांत्रिक रूप से चलाए जाने वाले एक माल (कार्गो) जलयान (एमएसवी) जय कृष्ण सागर के, भारतीय ध्वज फहराते हुए और 15 भारतीय राष्ट्रिक नाविकों और 350 टन माल ले जाते हुए, दुबई से इराक जाते समय, इराक के तट के नजदीक, 27.12.2006 को देर शाम के समय तेज हवाओं और खराब समुद्रीय परिस्थितियों के कारण डूब जाने की खबर मिली।

(ग) 15 सदस्यों के कर्मीदल में से कर्मीदल के दो सदस्य एक नार्वीजियन पोत, एमटी गेइलो द्वारा बचा लिए गए। तत्पश्चात्, उस क्षेत्र में अमरीकी नौ सेना के पोत द्वारा दो मृत शरीर बरामद किए गए। लापता हो गए कर्मीदल के 11 सदस्यों का पता नहीं लगाया जा सका और उनकी खोज एवं बचाव के कार्य बंद कर दिए गए हैं।

(घ) से (च) बहरीन में स्थित भारतीय उच्चायोग के कार्यालय की मदद से नौवहन-महानिदेशक द्वारा उपर्युक्त जलयान के स्वामी और इस दुर्घटना से प्रभावित हुए व्यक्तियों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई गई। इस दुर्घटना में बच गए कर्मीदल के दो सदस्य सकुशल भारत पहुंच गए हैं और दो मृत नाविकों के शवों को भारत ले आया गया है और उन्हें उनके नजदीकी संबंधियों को सौंप दिया गया है। नौवहन-महानिदेशालय, मुम्बई ने उपर्युक्त पोत के स्वामियों को उपर्युक्त दुर्घटना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की सलाह पहले ही दे दी है।

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

2152. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर पूर्व सामाजिक अनुसंधान केन्द्र द्वारा किए गए अध्ययन ने दर्शाया है कि विकास के उद्देश्य से लगभग 14,01,186 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की वजह से 19 लाख लोग विस्थापित अथवा प्रतिकूल ढंग से प्रभावित हुए और अब तक विस्थापित अथवा प्रतिकूल ढंग से प्रभावित लोगों में से 5% का ही पुनर्वास हो पाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए क्या योजना तैयार की गई है और इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद या इसके क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा ऐसे किसी अध्ययन का निधियन नहीं किया गया है। भूमि संसाधन विभाग के पास भी भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापित या प्रभावित व्यक्तियों के बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।

तथापि, भूमि संसाधन विभाग ने परियोजना प्रभावित परिवार 2003 के पुनर्वास एवं पुन: स्थापना के संबंध में एक राष्ट्रपति नीति (एनपीआरआर-2003) बनाई है; जो कि भारतीय राजपत्र (असामान्य) में प्रकाशित हो चुकी है और अपनाए जाने के लिए संबद्ध मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों को परिचालित की जा चुकी है। यह परियोजना प्रभावित लोगों के संबंध में न्यूनतम प्रावधान करती है और यह मैदानी क्षेत्रों में 500 परिवारों या अधिक के विस्थापितों या पहाड़ी क्षेत्रों में 250 या अधिक परिवारों, मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी), ब्लाक और भारतीय संविधान की अनुसूची-V या अनुसूची-VI में वर्णित क्षेत्रों में पर लागू होती है। यह नीति सभी संबंधितों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश के रूप में हैं और न्यूनतम प्रावधान उपलब्ध कराती है, जबकि राज्य या पीएसयूज बेहतर लाभ पैकेज उपलब्ध करा सकते हैं।

अपंजीकृत कालों को अवरुद्ध करना

2153. श्रीमती मनोरमा माधवराज:
श्री रामदास आठवले:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ निजी सेलुलर आपरेटरों पर अवांछनीय कालों द्वारा मोबाइलधारकों को प्रताड़ित करने के आरोप में लाखों रुपये आर्थिक दण्ड लगाया गया है जैसाकि दिनांक 16 जनवरी, 2007 के ''नवभारत टाइम्स'' के नई दिल्ली संस्करण में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सेलुलर और अन्य दूरसंचार कम्पनियों को एसी कालों पर प्रतिबन्ध लगाने के अनुदेश जारी किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दूरसंचार कंपनियों द्वारा इन अनुदेशों का अनुपालन न करने के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) सुश्री निवेदिता शर्मा द्वारा मै. भारती टेलीवेंचर्स, आईसीआईसीआई बैंक लि. और अमेरीकन एक्सप्रेस बैंक लिमिटेड के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनको इन बैंकों द्वारा अवांछित कालें प्राप्त हुई थीं तथा उनके अनुसार मोबाइल नम्बर और अन्य सूचना के खुलासे का स्रोत यह दूरसंचार कंपनी थी। उपरोक्त मामले में राज्य आयोग ने अपने दिनांक 26.12.2006 के आदेश के तहत निम्नांकित दण्ड लगाया है:

(1) मै. भारती और भारतीय सेल्युलर प्रचालक एसोसिएशन पर 50 लाख रु.;

(2) आईसीआईसीआई बैंक और अमेरीकन एक्सप्रेस बैंक पर 25 लाख रु.।

इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता को 50,000 रु. का मुआवजा दिया गया था।

(ग) से (ङ) सरकार ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अनुदेश दिए हैं कि वे उनके कर्मचारियों द्वारा अपने ग्राहकों से संबंधित सूचना की किसी भी संभावित अनधिकृत बिक्री को रोकने हेतु कड़े कदम उठाएं।

[हिन्दी]

पारंपरिक चिकित्सा पद्धति

2154. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पारम्परिक चिकित्सा पद्धति को वैज्ञानिक ढंग से प्रमाणित करने के लिए कोई योजना तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) देश में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां कूटीकृत और मुखवर्ती रूपों में मौजूद हैं। कूटीकृत पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और योग शामिल हैं। गैर-कूटीकृत मुखवर्ती स्वास्थ्य ज्ञापन स्थानीय स्वास्थ्य अभ्यासों और लोक चिकित्सा के रूप में विद्यमान हैं। कूटीकृत चिकित्सा ज्ञान सदियों से सुरक्षित उपयोग के साक्ष्य पर आधारित है। आयुष अनुसंधान परिषदों, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और सीएसआईआर प्रयोगशालाओं द्वारा आर्युवेद, यूनानी एवं सिद्ध औषध योगों के मानकीकरण तथा विधिमान्यकरण से संबंधित पर्याप्त कार्य किए गए हैं। कई स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान और निजी अनुसंधान संस्थान भी इस कार्य में लगे हुए हैं।

[अनुवाद]

पासपोर्ट हेतु सत्यापन प्रमाण-पत्र

2155. श्री एस.के. खारवेलप्रभु: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पासपोर्टों को जारी करने संबंधी सत्यापन प्रमाणपत्रों को जारी करने वाले अधिकृत कार्मिकों की सूची में विस्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पासपोर्ट जारी करने के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसकी रिपोर्ट कब तक पेश किये जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) जी, हां। निम्नलिखित व्यक्ति सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत हैं:

(1) भारत सरकार में अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव/सचिव/मंत्रिमंडल सचिव;

(2) राज्य सरकार में निदेशक/संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव/मुख्य सचिव;

(3) आवेदक के निवास के क्षेत्र का प्रभागीय मजिस्ट्रेट/प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट;

(4) आवेदक के निवास स्थान का जिला पुलिस अधीक्षक, डी.आई.जी./आई.जी./डी.जी.पी.;

(5) थल सेना में मेजर या उससे ऊपर का पदाधिकारी, नौसेना में ले. कमाण्डर या उससे ऊपर का पदाधिकारी और वायु सेना में स्क्वाड्रन लीडर या उससे ऊपर या पदाधिकारी;

(6) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का महाप्रबंधक;

(7) किसी अखिल भारतीय सेवा अथवा केंद्रीय सेवा के सभी सदस्य जो भारत सरकार के अवर सचिव के पद के समकक्ष अथवा उससे बड़े पद पर हों अर्थात् 10,000-15,200 रु. अथवा उससे अधिक के वेतनमान में हों;

(8) सभी राज्य सरकारों के दिल्ली में आधारित निवासी आयुक्त/अपर निवासी आयुक्त;

(9) उस आवेदक का संबंधित तहसीलदार अथवा एस.एच.ओ. जो न्यायाधिकार क्षेत्र में आता हो; और

(10) संबंधित चैम्बर की सदस्य कंपनियों के स्वामियों, भागीदारों अथवा निदेशकों के संबंध में फिक्की, सी.आई.आई. और एसोचेम जैसे शीर्ष व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) सरकार ने पासपोर्ट कार्यालयों के कार्य संचालन में पर्याप्त सुधार लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पक्षों को शामिल करते हुए पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली पर समयबाधित कार्य अध्ययन का कार्य नैशनल इंस्टीट्यूट आफ स्मार्ट गवर्नमेंट को सौंपा है। यह अध्ययन अप्रैल, 2007 तक पूरा होना है।

तुम्मनपली माइनिंग एण्ड मिलिंग परियोजना

2156. श्री मिलिन्द देवरा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) द्वारा आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में स्थापित की जाने वाली तुम्मनपली माइनिंग एंड मिलिंग परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण को अपनी मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना की कुल लागत सहित इसकी स्थापना के क्या उद्देश्य/कारण हैं;

(घ) परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) को रोजगार सहित कितने व्यक्तियों को सीधे रोजगार मिलने की संभावना है; और

(ङ) यह परियोजना कब तक आरंभ होने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) जी, हां। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों संबंधी समिति (सीसीईए) ने, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) द्वारा स्थापित की जा रही तुम्मलापल्ली खनन तथा मिलिंग परियोजना के लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए अपनी अनुमति दे दी है। लगभग 1315 एकड़ भूमि अधिगृहित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) इस परियोजना को स्थापित करने का प्रयोजन, परमाणु विद्युत कार्यक्रम की यूरेनियम ईंधन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। दिसम्बर, 2005 की स्थिति के अनुसार इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 1029.57 करोड़ रुपए है।

(घ) इस परियोजना से विभिन्न श्रेणियों के लगभग 934 व्यक्तियों को सीधे रोजगार मिलेगा जिसमें 'परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों' (पीएपीज) को रोजगार देना भी शामिल है।

(ङ) इस खान को संस्वीकृति की तारीख अर्थात् 'शून्य तारीख' से 30 महीने के भीतर और मिल को 36 महीने के भीतर कमीशन किया जाना प्रस्तावित है।

बच्चों के स्वास्थ्य सुधार पर व्यय

2157. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सकल घरेलू उत्पाद का 1% से भी कम स्वास्थ्य पर खर्च करती है जिससे प्रतिवर्ष 2 मिलियन बच्चों की मृत्यु उनके प्रथम जन्म दिन से पहले ही हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में 50,000 से अधिक बच्चे फुटपाथ पर सोते हैं; और

(ग) यदि हां, तो बच्चों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार के लिए सरकार द्वारा किये गए/किये जाने वाले ठोस उपाय क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) वर्ष में लगभग 1.7 मिलियन बच्चे एक वर्ष की आयु पूरी करने से पहले ही मर जाते हैं। जनसंख्या गणना-2001 के अनुसार दिल्ली में 24,966 लोगों के पास घर नहीं हैं जिनमें 0-6 वर्ष आयु समूह के 1802 बच्चे शामिल हैं।

स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.9% है। तथापि, सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है जिसमें बच्चों के जीवन की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को उन्नत करने के लिए विभिन्न कार्यकलाप शामिल हैं।

सुगंधित डाक टिकट जारी करना

2158. **श्री फ्रांसिस फैन्थम:**
श्री कैलाश मेघवाल:
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में सुगंधित डाक टिकट जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितना खर्च बढ़ने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में ऐसी और डाक टिकटें जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) पहला सुगंधित डाक-टिकट 13 दिसंबर, 2006 को 'चंदन' पर और दूसरा 7 फरवरी, 2007 को 'महक गुलाबों की' पर (चार डाक-टिकटों का सेट) जारी किया गया था। भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक के अनुमान के अनुसार इन डाक-टिकटों की छपाई पर होने वाला व्यय साधारण स्मारक डाक-टिकटों की छपाई के व्यय से 15% ज्यादा है।

(ग) और (घ) जी, हां। अगला सुगंधित डाक-टिकट 'चमेली' पर जारी किया जाना प्रस्तावित है।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों के लिए नया विश्वविद्यालय

2159. **श्री जे.एम. आरून रशीद:**
श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री सज्जन कुमार:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनिवासी भारतीयों के निवेश सहित प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिए धनराशि की व्यवस्था कैसे की जायेगी?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) विशेष आर्थिक जोन में अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों के एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए नीति संरचना तैयार करने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में सड़क संपर्क

2160. **श्री मनोरंजन भक्त:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में सड़क संपर्क राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में केंद्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) यह मंत्रालय मुख्यत: देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। जहां तक अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में राष्ट्रीय

राजमार्गों का संबंध है, प्रति 1 हजार वर्ग कि.मी. क्षेत्र और प्रति लाख आबादी के अनुपात में सड़क संपर्क लंबाई क्रमशः 36.4 कि.मी. और 84.3 कि.मी. है जबकि अखिल भारतीय औसत 20.2 किमी. और 6.5 किमी. है।

टीवी शो में नस्लवादी टिप्पणी

2161. **श्री रायापति सांबासिवा रावः**
श्री रशीद मसूदः
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्करः
श्री पी.सी. थामसः
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ः
श्री रामदास आठवलेः
श्री बालेश्वर यादवः

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटिश टीवी रियलिटी शो 'बिग ब्रदर' में बालिवुड की एक अभिनेत्री पर कथित रूप से नस्लवादी टिप्पणी की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे को ब्रिटिश सरकार क साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) जी, नहीं। मीडिया से प्राप्त कुछ शुरूआती रिपोर्टों के अनुसार तथाकथित 'जातीय' टिप्पणियां सुश्री शिल्पा शेट्टी (भारतीय अभिनेत्री, जो यू.के. के चैनल 4 पर दिखाए जा रहे रियलिटी शो 'सेलेब्रिटी बिग ब्रदर' में भाग ले रही थी) के सहप्रतिभागियों द्वारा उनकी ओर से कहे जाने का संकेत कर रही थी। तथापि 18 जनवरी, 2007 को सुश्री शिल्पा शेट्टी द्वारा कार्यक्रम के आयोजकों को कहते सुना गया, मैं नहीं समझती कि वहां किसी प्रकार का जातीय भेदभाव था।' पुनः 1 फरवरी, 2007 को स्काई न्यूज पर एक साक्षात्कार में उन्हें यह कहते सुना गया, 'मैं समझती हूं कि यह ईर्ष्या से उत्पन्न हुई है, हो सकता है कि असुरक्षा की भावनावश हो, किंतु इसे आप निश्चित तौर पर जातिवाद नहीं कह सकते।

(ग) से (ङ) जी हां। मीडिया में जैसी सूचनाएं थी, विवादों को ध्यान में रखते हुए 18 जनवरी, 2007 को विदेश मंत्रालय ने ब्रिटिश उच्चायोग के साथ नई दिल्ली में यह मामला उठाया था और ब्रिटेन की सरकार से अपने कानूनों के तहत कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने 17 जनवरी, 2007 को हाउस आफ कामन्स में वक्तव्य देते हुए कहा कि 'हमें जातिवाद का उसके सभी स्वरूपों में विरोध करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि ब्रिटेन एक ऐसे देश के रूप में जाना जाए जहां निष्पक्षता और सहिष्णुता है। इससे विमुख किसी भी स्वरूप की मैं निंदा करता हूं।'

ग्रेटर नोएडा हेतु परिवहन प्रणाली

2162. **डा. वल्लभभाई कथीरिया**: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रेटर नोएडा में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रों का एक और केंद्र बहुत तेजी से विकसित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रेटर नोएडा के लिए परिवहन प्रणाली प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के सहयोग से सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की भविष्य की क्या योजनाएं हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) यह मंत्रालय देश में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रों के विकास से संबद्ध नहीं है। यह विभाग ग्रेटर नोएडा के लिए परिवहन व्यवस्था के विकास की किसी परियोजना पर विचार नहीं कर रहा है।

दूरसंचार नीति

2163. **श्री असादूद्दीन ओवेसी**: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार नीति को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है तथा उक्त नीति को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) आज की तारीख के अनुसार, नई दूरसंचार नीति-1999 (एनटीपी 1999) सरकार की दूरसंचार नीति है। इस नीति में स्पैक्ट्रम प्रबंधन, सार्वभौमिक सेवा दायित्व, विनियामक की भूमिका, विभिन्न प्रकार की दूरसंचार सेवाएं, दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास, मानकीकरण, आपदा प्रबंधन इत्यादि शामिल हैं।

[हिन्दी]

चूककर्ता दूरसंचार कंपनियां

2164. **श्री रामदास आठवले:**
श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज):
श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख:
श्री मो. ताहिर:
श्री राजेश पाठक:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उन दूरसंचार कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का है जिन्होंने लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात् नेटवर्क तैयार करने की शर्त पूरी नहीं की है जैसाकि दिनांक 6 जनवरी, 2007 के 'दैनिक जागरण' के नई दिल्ली संस्करण में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाली अभिगम सेवा लाइसेंसधारक कम्पनियों से अपने-अपने लाइसेंस अनुबंधों के अनुसार अवसंरचना सुविधा संबंधी दायित्वों को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। इन दायित्वों को पूरा करने में किसी प्रकार के विलम्ब के लिए परिनिर्धारित नुकसानी वसूल करने का प्रावधान है।

इन लाइसेंसधारकों द्वारा दायित्वों को पूरा करने के बारे में नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और लाइसेंस करार के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

पासपोर्ट जारी करना

2165. **डा. एम. जगन्नाथ:**
श्री एम. अंजनकुमार यादव:
श्री वी.के. दुग्गर:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट आफ स्मार्ट गवर्नेंस, हैदराबाद को पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया के अध्ययन का कार्य सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों (आरपीओ) को पासपोर्ट जारी करने के लिए प्राप्त तथा सत्यापित किए गए पासपोर्ट आवेदनों की संख्या का वर्ष-वार क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी, हां।

(ख) पासपोर्ट कार्यालयों के कार्यकरण में उल्लेखनीय सुधार लाने के उद्देश्य से पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी पक्ष भी शामिल है, पर एक समयबद्ध कार्य-अध्ययन करने का दायित्व सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट, हैदराबाद को सौंपा है। अप्रैल, 2007 तक अध्ययन कार्य पूरा किया जाना है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त पासपोर्ट आवेदन-पत्रों की संख्या तथा जारी पासपोर्टों की संख्या का वर्ष-वार, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय-वार संलग्न विवरण में है।

(घ) उक्त अवधि के दौरान पासपोर्ट कार्यालयों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या 2176 थी, जिसमें 391 दैनिक कामगार शामिल हैं।

(ङ) वित्त मंत्रालय के स्टाफ निरीक्षण इकाई द्वारा किये गए कार्य अध्ययन के आधार पर अगस्त, 2006 में वित्त मंत्रालय ने पासपोर्ट कार्यालयों में विभिन्न श्रेणी के 293 अतिरिक्त पदों की मंजूरी दी है। यह मंत्रालय इन पदों को भरने की प्रक्रिया में लगा है।

विवरण

वर्ष 2004-05 के दौरान प्राप्त पासपोर्ट आवेदन-पत्र तथा जारी पासपोर्ट की संख्या

क्र.सं.	पासपोर्ट कार्यालय	प्राप्त पासपोर्ट आवेदन-पत्रों की संख्या			जारी पासपोर्ट की संख्या		
		2004	2005	2006	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अहमदाबाद	214443	219068	237044	235335	208198	242363
2.	बंगलौर	170826	190481	241202	167010	186602	271941
3.	बरेली	44680	51903	60404	41989	48129	57327
4.	भोपाल	53519	60667	78132	43970	58287	71097
5.	भुवनेश्वर	26594	28861	38616	20987	27176	34813
6.	चंडीगढ़	204326	223949	250131	184987	212086	244664
7.	चेन्नई	230529	237561	291916	216367	212143	300503
8.	कोचीन	176339	185852	203212	177863	178824	205028
9.	दिल्ली	207773	207497	242415	158258	233118	249174
10.	गाजियाबाद	49831	55157	70059	40280	51885	65957
11.	गुवाहाटी	18978	22983	27056	18055	21287	23711
12.	हैदराबाद	273128	307678	382121	284753	270703	403895
13.	जयपुर	136424	117138	154353	106091	134747	132406
14.	जालंधर	168418	174175	201527	166425	164219	204765
15.	जम्मू	14250	12371	16795	11206	11928	13419
16.	कोलकाता	115006	137081	156539	114542	122917	152210
17.	कोजिकोड	238217	237367	236375	237355	244799	250350
18.	लखनऊ	161051	171833	228262	133238	152371	169023
19.	मुम्बई	228982	239863	261004	218355	223436	263770
20.	नागपुर	26215	31735	41912	24515	28517	38401
21.	पणजी	23515	24381	25660	23913	23914	25630
22.	पटना	71366	75850	96990	53901	77770	75949
23.	पुणे	62426	76036	97609	60009	68044	168243

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	रांची	19525	22127	27359	15277	22815	24317
25.	श्रीनगर	12020	8921	13757	10585	5512	11906
26.	सूरत	69798	71398	80000	61820	75449	78246
27.	थाणे	87686	98041	114812	79072	87635	115819
28.	त्रिची	222368	225403	279713	261803	220429	303684
29.	त्रिवेन्द्रम	121765	122135	137150	119594	131833	141280
30.	विशाखापट्टनम	65832	71936	88241	65225	65657	80821
31.	मल्लापुरम*	–	–	42348	–	–	21056
	योग	3515830	3709448	4422714	3352780	3570730	4441768

*पासपोर्ट कार्यालय, मल्लापुरम अगस्त, 2006 में खुला है।

निजी कंपनियों द्वारा अन्वेषण कार्य

2166. श्री बसुदेव आचार्य: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यूरेनियम अन्वेषण कार्य तथा खनन के महत्वपूर्ण क्षेत्र में निजी क्षेत्र को अनुमति देने के लिए कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निजी कम्पनियों को अन्वेषण हेतु दिए जाने वाले ब्लाकों की पहचान कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-24 को चौड़ा करने की आवश्यकता

2167. श्री संतोष गंगवार:
चौ. मुनव्वर हसन:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-24 को चौड़ा करने का कार्य शुरू हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो उक्त राजमार्ग के किस खंड तक इसको चौड़ा किए जाने की संभावना है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ क्रमश: वर्ष 2004-05 तथा 2006-07 के दौरान कितनी धनराशि निर्धारित तथा खर्च की गई; और

(घ) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-24 के शेष कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) जी, हां। उत्तर प्रदेश/दिल्ली सीमा से हापुड़ तक 4 लेन बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के अंतर्गत हापुड़ से मुरादाबाद और सीतापुर से लखनऊ खंडों को चौड़ा करने का कार्य चल रहा है तथा इन्हें क्रमश: सितंबर, 2007 और जून, 2009 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग-24 के मुरादाबाद-बरेली-सीतापुर शेष खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3ख के अंतर्गत चौड़ा करने के लिए शामिल किया गया है तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य चल रहा है। इस खंड के लिए इस समय पूरा होने की तारीख बता पाना संभव नहीं है। कोई अलग पैकेजवार धनराशि निर्धारित नहीं की गई थी। वर्ष 2004-05 के दौरान और 2006-07 के

दौरान फरवरी, 2007 तक राष्ट्रीय राजमार्ग-24 को चौड़ा करने के लिए क्रमशः 3.36 करोड़ रु. और 82.70 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा में स्वास्थ्य क्षेत्र

2168. श्री जुएल ओराम: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर उड़ीसा में अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डी.एफ.आई.डी.) की सहायता से स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं हेतु शुरू से डी.एफ.आई.डी. द्वारा वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ग) इन परियोजनाओं पर वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) इन परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) की सहायता के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(घ) सूचीबद्ध परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की मानीटरिंग, मूल्यांकन और संयुक्त समीक्षा संबंधित कार्यक्रम ज्ञापन में निर्धारित उपबंधों के अनुसरण में डीएफआईडी, भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा की जाती है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राष्ट्रीय/राज्य	अवधि (शुरू होने/खत्म होने की तारीख)	अनुदान की राशि (आंकड़े पाउंड मिलियन में)	डीएफआईडी से प्राप्त वर्ष-वार वितरण (भारत सरकार लेखा के माध्यम से) [आंकड़े पाउंड मिलियन में/(करोड़ रुपए)]					
					2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	योग
	राष्ट्रीय									
1.	पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम का अंतिम चरण	राष्ट्रीय	2.1.2002/ 30.4.2006	98.00	19.59 (150.85)	23.51 (186.30)	15.49 (130.95)	5.92 (45.90)	1.37 (11.48)	65.88 (525.48)
2.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको)	राष्ट्रीय (बहु राज्य*)	13.7.2004/ 31.3.2007	87.74	-	-	1.58 (13.24)	9.30 (72.47)	8.85 (76.21)	19.73 (161.92)
3.	प्रजनन बाल स्वास्थ्य-II	राष्ट्रीय	14.12.2006/ 31.3.2011	252.00	-	-	-	-	(वितरण अभी शुरू होना है)	0.00
	राज्य—उड़ीसा									
4.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को अंतरिम सहायता	उड़ीसा	29.11.2002/ 30.6.2006	1.18	0.00	0.20 (1.62)	0.05 (0.39)	0.29 (2.28)	0.00	0.99 (4.29)

[हिन्दी]

एस.ए.एल.टी. संधि

2169. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने विभिन्न देशों द्वारा हस्ताक्षर की गई एसएएलटी संधि का उल्लंघन करते हुए नेशनल मिसाइल डिफेंस (एनएमडी) तथा टारगेट मिसाइल डिफेंस (टीएमडी) योजनाओं की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप हथियारों की एक गहरी होड़ शुरू हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) 13 दिसंबर, 2001 को अमरीका ने 1972 में स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन टाक्स (एसएएलटी-1) के अंत में हस्ताक्षरित एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी से पीछे हटने की अपनी मंशा की आधिकारिक सूचना रूसी परिसंघ को दे दी। एबीएम संधि जून, 2002 में समाप्त हुई और 16 दिसंबर, 2002 को अमरीकी राष्ट्रपति ने एक निर्देश के जरिए 2004 से बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमताओं की तैनाती और 'नेशनल' एवं 'थिएटर' मिसाइल रक्षा के बीच अंतर को समाप्त कर दिया। अब तक केवल अंतरिक्ष आधारित संवेदक ही अमरीकी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली (बीएमडीएस) के भाग हैं।

(ग) और (घ) बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों अथवा उपग्रह-रोधी हथियारों की तैनाती से बाह्य अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग करने से संबद्ध लंबे समय से चली आ रही अंतर्राष्ट्रीय सम्मति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। सरकार नि:शस्त्रीकरण सम्मेलन में बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ को रोकने से संबद्ध तदर्थ समिति की स्थापना करने सहित बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय विधिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रयासों का समर्थन करती है।

(ङ) सरकार बाह्य अंतरिक्ष को हथियारों से मुक्त रखने के बहुपक्षीय प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लेती रहेगी।

[अनुवाद]

डाक्टरों द्वारा लापरवाही

2170. श्री उदय सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की लापरवाही के बारे में रिपोर्टें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप बहुत से मरीजों की मौत हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की मौतों के जिम्मेदार डाक्टरों के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) सामान्य तौर पर केंद्र सरकार के अस्पतालों में उपचार के दौरान हुई रोगी की मौत के सभी मामलों की जांच यह पता लगाने के लिए की जाती है कि क्या उपचार में कोई लापरवाही बरती गई अथवा उसमें कोई कमी थी। अब तक डाक्टर की लापरवाही के कारण किसी रोगी की मौत का कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

एनीमेशन उद्योग

2171. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में एनीमेशन उद्योग तेजी से प्रगति कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्यात की इस उद्योग में बहुत संभावनाएं हैं; और

(ग) एनीमेशन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) भारत में एनीमेशन एवं गेम उद्योग पर वर्ष 2006 में नैसकाम रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार

उद्योग का वैश्विक बाजार (मांग के परिप्रेक्ष्य में) 8 प्रतिशत सीएजीआर से वर्ष 2009 तक 75 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच जाने की संभावना है। इसके आधार पर, वैश्विक एनीमेशन बाजार (विकासकर्त्ताओं के परिप्रेक्ष्य में) वर्ष 2005 में 25 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 2009 तक 35 बिलियन अमरीकी डालर हो जाएगा। भारतीय एनीमेशन बाजार वर्ष 2005 में अनुमानत: 285 मिलियन अमरीकी डालर था। इसमें वर्ष 2005-2009 तक 35 प्रतिशत सीएजीआर होने की संभावना है और यह वर्ष 2009 तक बढ़कर 950 मिलियन अमरीकी डालर हो जाएगा।

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी-सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा क्षेत्र में निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण दिया गया है।

विवरण

सूचना प्रौद्योगिकी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

1. व्यवसाय से उपभोक्ता (बीटूसी) ई-वाणिज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के प्रस्तावों को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अनुमोदन।

2. सीमा शुल्क की उच्चतम दर को घटाकर 12.5% कर दिया गया है। आईटीए-1 (217 वस्तुएं) पर सीमा शुल्क को 1.3.2005 से समाप्त कर दिया गया है। आईटीए-1 की वस्तुओं के विनिर्माण के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के अधीन सीमा शुल्क से छूट दी गई है। इलेक्ट्रानिक संघटक पुर्जों अथवा प्रकाशिक तंतुओं/केबलों के विनिर्माण में प्रयोग की जाने वाली निर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों/उपादानों पर सीमा शुल्क 0% है। इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क 0% है। एमपीउप्लेयर तथा एमपीईजी 4 प्लेयर पर सीमा शुल्क घटाकर 5% कर दिया गया है।

3. कम्प्यूटरों पर उत्पाद शुल्क 12% है। माइक्रोप्रोसेसरों, हार्ड डिस्क ड्राइवों, फ्लोपी डिस्क ड्राइवों, सीडी रॉम ड्राइवों डीवीडी ड्राइवों, यूएसबी फ्लैश मेमोरी तथा काम्बो ड्राइवों पर उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है। सेल्यूलर फोन सहित मोबाइल हैण्ड सेटों के पुर्जों, संघटक पुर्जों तथा सहायक सामग्रियों पर उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है। एमपी उप्लेयर तथा एपीईडी 4 प्लेयरों पर उत्पाद शुल्क घटाकर 8% कर दिया गया है।

4. इलेक्ट्रानिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों/निर्यात उन्मुखी इकाईयों/विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयों द्वारा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-1) वस्तुओं तथा अधिसूचित शून्य शुल्क दूर संचार/इलेक्ट्रानिक वस्तुओं की आपूर्तियों को धात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय (एएफई) को पूरा करो प्रयोजना से गिना जाएगा।

5. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की स्थापना की जा रही है। घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से एसईजेड को बिक्री वास्तविक निर्यात माना जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप देशीय आपूर्तिकर्ताओं को शुल्क वापसी/डीईपीबी के लाभ, केन्द्रीय बिक्री कर से छूट तथा सेवा कर से छूट के लाभ प्राप्त हो रहे हैं। निर्यात लाभ पर 100% आयकर से छूट एसईजेड इकाइयों को 5 वर्षों तक 50% और उसके बाद अगले 5 वर्षों के लिए प्लाफ बैक लाभ का 50%।

6. निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (ईपीसीजी) में 5% के सीमा शुल्क के भुगतान पर पूंजीगत वस्तुओं की अनुमति है। इस योजना के अंतर्गत निर्यात की बाध्यता बचत किए गए शुल्क से जुड़ी है और आयात की गई पूंजीगत वस्तुओं पर बचत किए गए शुल्क का 8 गुना है, जिसे 8 वर्षों में पूरा करना है। ईसीपीबी योजना के अंतर्गत निर्यात की बाध्यता को डीटीए में सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-1) की वस्तुओं की आपूर्ति के जरिए भी पूरा किया जा सकता है, बशर्ते इसकी प्राप्ति विदेशी मुद्रा से मुक्त है।

7. निर्यातोन्मुखी/एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों को निर्यात लाभ पर आयकर अधिनियम की धारा 10ए तथा 10बी के तहत वर्ष 2009-10 तक आयकर के भुगतान से छूट प्राप्त।

8. निर्यात उन्मुखी इकाईयों (ईओयू)/साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी)/ईएचटीपी/विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) योजनाओं के अंतर्गत सभी प्रकार की इकाइयों के मामले में कम्प्यूटरों एवं कम्प्यूटर पेरिफरलों पर मूल्यह्रास 5 वर्ष की अवधि में 100% उपलब्ध है।

9. पुरानी पूंजीगत का आयात मुक्त रूप से किया जा सकता है।

10. अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यकलापों में और अधिक पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए किसी विश्वविद्यालय, विद्यालय या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को वैज्ञानिक, सामाजिक या सांख्यिकीय शोध के प्रयोजन से दी गई रकम पर 150% की भारित कटौती उपलब्ध कराई गई है।

11. किसी उद्यम पूंजी निधि के लाभांश अथवा दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ के रूप में अथवा किसी उद्यम पूंजी उपक्रम में इक्विटी शेयर के रूप में किए गए पूंजीनिवेश से उद्यम पूंजी कम्पनी की आय, जिसके कार्य क्षेत्र में विस्तार करके साफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में शामिल किया गया है, को अब कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। उद्यम पूंजी वित्त को महत्व देने के लिए सेबी को देशीय एवं विदेशी दोनों ही उद्यम पूंजी निधि के पंजीकरण एवं विनियमन के लिए एकल बिन्दु मुख्य एजेंसी बनाया गया है।

12. साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और सूचना सुरक्षा से संबंधित विधिक पहलुओं के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 उपलब्ध है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से ई-वाणिज्य के विस्तार को प्रोत्साहन दिया गया है।

[हिन्दी]

रियायती दर पर कोयले की बिक्री

2172. डा. चिन्ता मोहन:
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को रियायती दरों पर कोयला बेचा जाता है;

(ख) यदि हां, तो कोयला किन दरों पर बेचा जाता है तथा वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान कितनी राजसहायता प्रदान की गई;

(ग) सरकार द्वारा किस आधार पर उपभोक्ताओं को विभिन्न श्रेणियों में रखा जाता है;

(घ) उन उपभोक्ताओं का ब्यौरा क्या है, जिन्हें रियायती दरों पर कोयला मिल रहा है; और

(ङ) वर्ष 2006-07 के दौरान क्या परिवर्तन किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) विभिन्न कोलफील्डों/कोयला कंपनियों के लिए कोयले के विभिन्न ग्रेडों/आकारों हेतु जारी मूल्य अधिसूचना में सीआईएल द्वारा घोषित दरों की तुलना में कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) द्वारा विभिन्न उपभोक्ताओं को इमदादी दरों पर कोयले की बिक्री नहीं की जाती है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से दो श्रेणियों अर्थात् कोर-क्षेत्र एवं नान-कोर क्षेत्र के रूप में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों द्वारा निभायी जा रही भूमिका और उसके संगत अवसंरचनात्मक महत्व के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

(घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वर्ष 2006-07 के दौरान भी अधिसूचित कीमत से कम इमदादी दरों पर कोयले की बिक्री के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

खसरा के मामलों में वृद्धि

2173. श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में खसरा के मामलों का कोई बढ़ता रुख है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बच्चों में खसरा की चुनौती से निपटने के लिए सरकार की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके कब से कार्य शुरू करने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो (सीबीएचआई) के आंकड़ों के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान सूचित की गई संख्या इस प्रकार है:-

2002	40044
2003	46736
2004	55443
2005	53043
2006	56608

खसरे के रोगियों का बढ़ता हुआ रुझान खसरे से बचाव हेतु कम रोग प्रतिरक्षण कवरेज के कारण है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने बच्चों के बीच खसरे की चुनौतियों का सामना करने हेतु रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित उपाय शुरू किए हैं:-

1. सभी नवजात शिशुओं की 9 से 12 महीने की आयु में उच्च नेमी खसरा टीकाकरण कवरेज हासिल करना और टीका न लगे, एक वर्ष से पांच वर्ष तक की आयु के बच्चों को शीघ्रातिशीघ्र खसरे का टीका लगाना।
2. प्रभावी खसरा निगरानी और प्रकोपों की जांच जो मासिक आधार पर रोगियों और मौतों की संख्या के बारे में सूचना प्रदान करती है।
3. विटामिन 'ए' पूरक सहित खसरे के रोगियों के उपचार में सुधार करना और रोगियों का पर्याप्त उपचार।

पालीमर और रबड़ की सड़कें

2174. श्री कैलाश मेघवाल:
श्री कैलाश बैठा:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यवार कतिपय सड़कें पालीमर एवं रबड़ मिश्रित बिटूमेन से बनाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परंपरागत बिटूमेन सड़कों की तुलना में ये सड़कें कितनी चलती हैं तथा इन सड़कों के रखरखाव के लिए क्या व्यवस्था की गई है;

(घ) क्या पालीमर और बिटूमेन से इस प्रकार की सड़कों का निर्माण जारी रहेगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या मानदंड/दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। पालीमर और रबड़ मिश्रित बिटुमेन का प्रयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के चुनिंदा खंडों पर उपरि सतह के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण संबंधी कार्यकलाप अब कई गुना बढ़ गए हैं और सड़क की सतह में मिश्रित बिटुमेन के किलोमीटरवार ब्यौरे इस मंत्रालय में संकलित नहीं किए जाते हैं।

(ग) मोडिफायर के बगैर अच्छे बिटुमैन की तुलना में मिश्रित बिटुमेन के निष्पादन के बारे में मिलीजुली प्रतिक्रिया रही है जो किसी सुधार का संकेत नहीं है।

(घ) और (ङ) पालीमर और रबड़ मिश्रित बिटुमन के विशिष्ट उपयोग का निर्माण मामला दर मामला आधार पर लिया जाता है।

(च) भारतीय सड़क कांग्रेस ने 'सड़क निर्माण-आईआरसी-एसपी: 53-2002 में पालीमर और रबड़ मिश्रित बिटुमन के उपयोग संबंधी दिशानिर्देश' नामक दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं और मंत्रालय द्वारा अनुपालन के लिए इन्हें स्वीकार कर लिया गया है।

बी.एस.एन.एल. प्रशिक्षण केन्द्र

2175. श्री एम. अप्पादुरई: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बी.एस.एन.एल. के प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या निर्धारित किए गए लक्ष्यों हेतु उपलब्ध अवसंरचना तथा श्रमशक्ति का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बी.एस.एन.एल. का विचार इनमें से एक प्रशिक्षण केन्द्र को अपने कर्मचारियों के लाभ हेतु एक इंजीनियरिंग कालेज में बदलने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) बीएसएनएल में 42 प्रशिक्षण केंद्र हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) दूरसंचार विभाग और बीएसएनएल के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) में यथा-निर्धारित लक्ष्य के अनुसार बीएसएनएल ने वर्ष 2005-06 के दौरान 15% कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, इसके साथ ही वर्ष 2006-07 में 17.5 प्रतिशत कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के समझौता-ज्ञापन के लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) बीएसएनएल दूरसंचार क्षेत्र में वर्तमान बाजार परिदृश्य को देखते हुए अपनी प्रशिक्षण प्राथमिकताओं को पुन: निर्धारित कर रहा है। अत: दूरसंचार क्षेत्र में अत्यधिक तेजी से होते विकास के मद्देनजर, बीएसएनएल मुख्यत: बहु-आयामी कौशल प्रदान करने का प्रयास करते हुए अपने स्टाफ को प्रशिक्षण दे रहा है।

एमपीलैड स्कीम को बंद करना

2176. **डा. टोकचोम मैन्या:**
श्री तथागत सत्पथी:

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रशासनिक सुधारों संबंधी मोइली समिति ने एमपीलैड स्कीम को बंद करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) जी, हां। शासन में नीतिशास्त्र संबंधी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में टिप्पणी की है कि सां.स्था.क्षे.वि. योजना शक्तियों के वियोजन के उद्देश्य का गंभीरता से क्षय कर रही है, क्योंकि विधायक प्रत्यक्ष रूप से प्रशासक बन जाते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह भी कहा है कि विधायक के स्वविवेक पर निधि को छोड़ना अथवा विशिष्ट परियोजनाओं और स्कीमों को निर्धारित करने का अधिकार का लाभार्थियों के चयन या व्यय करने के लिए अधिकृत करना, प्रशासकीय कार्य करना ही माना जाएगा।

(ग) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा-निर्देशों के पैरामीटरों के अधीन सांसद की भूमिका केवल अनुशंसात्मक होती है और कार्यान्वयन जिला प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। योजना आयोग द्वारा इस योजना की मूल्यांकन रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस योजना का प्रभाव, जैसा ग्रास रूट पर अनुभव किया गया है कि अधिकांश लोगों का मत है कि इस योजना से परिसंपत्तियों का सृजन हुआ है. उनकी आवश्यकताएं पूरी हुई हैं और उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। इस योजना के शुरू होने से अब तक, इसने स्थानीय समुदाय की पेयजल सुविधा, शिक्षा, बिजली, सिंचाई, गैर-पारंपरिक ऊर्जा, सामुदायिक केंद्रों, सड़कों, पगडंडियों, पुलों, इत्यादि जैसी विभिन्न विकासात्मक जरूरतों को पूरा करके उसे अत्यधिक लाभ पहुंचाया है। योजना के वास्तविक एवं साथ ही वित्तीय पहलू में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और सरकार इस योजना को जारी रख रही है।

राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोर योजना

2177. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कोई राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोर योजना क्रियान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के क्या उद्देश्य और लक्ष्य हैं;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत जिलों के चयन के क्या मानदंड हैं;

(घ) इस योजना के अंतर्गत अब तक राज्यवार कितने जिलों को कवर किया गया है; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत शेष जिलों को कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी योजना 1.4.2001 से 31.3.2003 तक दो वर्ष की अवधि हेतु प्रायोगिक आधार पर नेहरू युवा केन्द्र संगठन के जरिए कार्यान्वित की गई थी।

(ख) योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रनिर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने, समुदाय के साथ कार्य करने, वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझने तथा स्वेच्छा की भावना से समस्याओं को सुलझाने में अपने कौशल व ज्ञान का प्रयोग करने के लिए युवाओं को अवसर प्रदान करना था। योजना के अंतर्गत, पहचानी गई परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए स्वयंसेवकों को 1000/- रु. के मासिक मानदेय पर नामांकित किया जाता था।

(ग) जिलों के चयन के लिए तुलनात्मक पिछड़ापन मुख्य मानदंड था।

(घ) राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी योजना के अंतर्गत कवर किए गए जिलों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) 31.3.2003 के बाद योजना बंद कर दी गई थी तथा 2005-06 से इसे राष्ट्रीय सद्भावना योजना से प्रतिस्थापित कर दिया गया था, जो देश के सभी 500 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है जहां नेहरू युवा केन्द्र विद्यमान हैं।

विवरण

राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी योजना के अंतर्गत कवर किए गए जिलों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	5
4.	बिहार	9
5.	छत्तीसगढ़	4
6.	दिल्ली	2
7.	गुजरात	2
8.	हिमाचल प्रदेश	3
9.	हरियाणा	2
10.	जम्मू-कश्मीर	2
11.	झारखंड	5
12.	कर्नाटक	5
13.	केरल	3
14.	मध्य प्रदेश	13
15.	महाराष्ट्र	6
16.	मणिपुर	2
17.	मेघालय	1
18.	मिजोरम	1
19.	नागालैंड	2
20.	उड़ीसा	10
21.	पंजाब	1
22.	राजस्थान	6
23.	सिक्किम	2
24.	तमिलनाडु	7
25.	त्रिपुरा	2
26.	उत्तर प्रदेश	11
27.	उत्तरांचल	3

डाकघर बचत खाता योजना

2178. श्री नवीन जिन्दल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक घर बचत खाता योजना के संबंध में सरकार द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय अपनाये गए हैं;

(घ) क्या पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र तथा लोक भविष्य निधि में जनता का निवेश कम हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) बैंकों द्वारा शुरू की गई योजनाओं की तुलना में डाकघर की योजनाओं को आकर्षक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) वर्ष 2006-07 के दौरान लघु बचत जमा का सकल और विशुद्ध संशोधित प्राक्कलन क्रमशः 1,80,000/- करोड़ रु. और 60,000/- करोड़ रु. हैं।

(ग) केंद्र और राज्य सरकारें लघु बचत योजनाओं को लोकप्रिय बनाने और इसके विकास के लिए समय-समय पर प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से विभिन्न उपाय करती रही हैं और इसके साथ ही सम्मेलन और बैठकें आयोजित की जाती हैं और इन योजनाओं के अंतर्गत जमा राशियां जुटाने में शामिल एजेंसियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। लघु बचत पर सूचना के व्यापक प्रसार के माध्यम से जनसाधारण से संपर्क स्थापित करने और निवेशकों की शिकायतों के आनलाइन पंजीकरण और निपटान के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय बचत संस्था योजना की वेबसाइट भी शुरू की गई है। वेबसाइट का पता है nsiindia.gov.in

(घ) और (ङ) वर्तमान और पिछले वर्ष के दौरान लोक भविष्य निधि और राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवां निर्गम) के अंतर्गत सकल जमा राशियों की तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

योजनाएं	2005-06 (नवंबर, 2005 तक)	2006-07 (नवंबर, 2006 तक)
लोक भविष्य निधि (पीपीएफ)	11,735	12,866
राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवां निर्गम) (एनएससी)	5,022	4,881

जमा राशियों के रुझान अन्य बातों के साथ-साथ निवेशकों को उपलब्ध निवेश के वैकल्पिक माध्यमों के प्रति उनकी प्राथमिकता की ओर संकेत करते हैं।

(च) लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत पहले ही अनेक आकर्षक सुविधाएं उपलब्ध हैं जैसे शून्य जोखिम, आकर्षक आदमनी, आय कर में रियायत, सुलभता, नकदीकरण, ब्याज को जमाकर्ता के बचत खाते में सीधे जमा करने की सुविधा आदि। इसके अतिरिक्त, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर लोगों में किफायत और बचत को बढ़ावा देने और प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से लघु बचत योजनाओं के प्रचार-प्रसार सहित प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा इन योजनाओं के अंतर्गत जमा राशियां जुटाने में शामिल एजेंसियों के लिए क्षेत्रीय बैठकों का आयोजन जैसे विभिन्न कदम उठाए जाते हैं।

डिजिटल कनेक्टिविटी इंडेक्स

3179. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियन ब्राडबैंड इकोनामी की तुलना में भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी इंडेक्स का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय दूरसंचार क्रांति ग्रेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक नहीं पहुंची है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दूरसंचार प्रौद्योगिकी का लाभ प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 31.01.2007 की स्थिति के अनुसार लगभग 800 शहरों/नगरों में करीब 22 लाख ब्राडबैंड कनेक्शन प्रदान कर दिए गए हैं। साउथ कोरिया, हांग कांग, ताइवान तथा सिंगापुर में 60% घरेलू ब्राडबैंड कनेक्टिविटी (संयोज्यता) प्राप्त कर ली है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता आधार पर दूरसंचार प्रौद्योगिकी के लाभ प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा अन्य उपायों के साथ-साथ, निम्नलिखित उपाय भी किए गए हैं:

* भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 2006 के पारित होने से, ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं और ब्राडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु सार्वभौमिक सेवा दायित्व सहायता प्रदान करना संभव हो सकेगा। सार्वभौमिक सेवा दायित्व इमदाद सहायता स्कीम का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में साझी बेतार अवसंरचना के लिए किया जाएगा, जिसके 2007 तक लगभग 8,000 टावर होंगे।

* उन प्रौद्योगिकियों पर जोर दिया जा रहा है जिनमें ग्रामीण कनेक्टविटी में सुधार लाने की संभावना हो। वर्ष 2007 तक 50 मिलियन ग्रामीण संयोजनों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

* विकास में डिजिटल डिवाइड को कम करने में सहायता प्रदान करने के लिए 2007 तक सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपकरणों और फौटों के स्थानीय कंटेंट के स्थानीयकरण और विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

* ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से प्रसार को बढ़ावा देने हेतु लगभग 1000/- रु. में मोबाइल हैंडसेट उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

* वर्ष 2007 तक ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में 9 मिलियन ब्राडबैंड कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

* वायरलाइन तथा वायरलैस (बेतार) प्रौद्योगिकियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ब्राडबैंड कनेक्टिविटी का प्रसार प्रदान करने की योजना बनाई गई है।

[हिन्दी]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को स्वायत्तता

2180. **श्री रशीद मसूद:**
श्री विजय कृष्ण:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कार्यकरण पर विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने समिति की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो कौन-कौन सी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पीजीआई चंडीगढ़ तथा अन्य ऐसी संस्थाओं के लिए एक कमान काउंसिल गठित करने का है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) से (छ) डा. एम.एस. वलियाथन की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लक्ष्यों और उद्देश्यों के संदर्भ में इसके समग्र विकास और इसके कार्यकरण में सुधार करने के लिए अनेक सिफारिशें की हैं। रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है और सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ और अन्य ऐसे संस्थानों को मिलाकर एक कमान काउंसिल गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बर्ड फ्लू का उन्मूलन

2181. **श्री देविदास पिंगले:**
श्री एन.एस.वी. चित्तन:
श्री मो. ताहिर:
श्री राजेश पाठक:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व के कुछ देशों में तथा हमारे देश के कुछ भागों में हाल ही में बर्ड फ्लू के मामले पुन: प्रकाश में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पोल्ट्री फार्म में कार्यरत श्रमिकों तथा बच्चों को उक्त बीमारी होने की ज्यादा संभावना रहती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस बीमारी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या देश में इस संबंध में प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (च) वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन आफ एनिमल हैल्थ (ओआईई) के अनुसार इस वर्ष के दौरान 12 मार्च, 2007 तक 17 देशों अर्थात् अफगानिस्तान, चीन, दजीब्यूटी, हांगकांग, हंगरी, जापान, कोरिया गणराज्य, कुवैत, लाओस, म्यांमार, पाकिस्तान, रूस, स्लोवानिया, थाइलैंड, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम से बर्ड फ्लू सूचित किया गया है। तथापि भारत 11 अगस्त, 2006 से बर्ड फ्लू से मुक्त है।

फार्मों, मार्किटों में काम करने वाले कार्यकर्ता और मारने के कार्य में लगे कार्यकर्ता और बैकयार्ड पाल्ट्री में खेलने वाले बच्चे जोखिम समूह में आते हैं। रेडियो और टीवी स्पाटों के माध्यम से सूचना, शिक्षा और संप्रेषण कार्यनीतियां कार्यान्वित की जा रही हैं।

बर्ड फ्लू के किसी भी प्रकोप से निपटने के लिए सरकार के पास तैयारी योजनाएं, उपयुक्त अवसंरचना और प्रयोगशाला सुविधाएं हैं।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-सीमा

2182. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री काशीराम राणा:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित विभिन्न योजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ जिलों में उक्त योजना के क्रियान्वयन में विलंब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त योजना के त्वरित क्रियान्वयन हेतु कोई दिशानिर्देश जारी करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, केन्द्रक जिला प्राधिकारी द्वारा कार्यान्वयन अभिकरण को जारी किए गए स्वीकृत पत्र/आदेश में कार्यों को पूर्ण करने के लिए समय-सीमा निर्धारित होगी। कार्य पूरा करने के लिए समय-सीमा सामान्यत: एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ग) से (छ) कार्यों के कार्यान्वयन में कुछ विलंब सूचित किए गए हैं। कार्यों के कार्यान्वयन में विलंब के लिए दिए गए कारणों में प्राक्कलन तैयार करने, प्रत्येक कार्य की तकनीकी व्यवहार्यता सुनिश्चित करने में लिया गया समय, अनुशंसित कार्य का स्पष्ट न होना इत्यादि शामिल हैं। जब भी मुद्दे उठते हैं, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वीकृत/कार्यान्वित की जाने वाली मदों के संबंध में समय-समय पर स्पष्टीकरण देता है। कार्यों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेश/जिला अधिकारियों के साथ बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

मैनिंगोकोकल मैनिंनजाइटिस

2183. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मैनिंगोकोकल मैनिंनजाइटिस से राज्यवार हाल में मरे मरीजों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार तथा अन्य एजेंसियों द्वारा देश के प्रत्येक राज्य के विभिन्न अस्पतालों में दाखिल मरीजों की संख्या का पता लगाने के लिए हाल में कोई सर्वेक्षण कार्य कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) वर्ष 2006 में दिमागी बुखार (मेनिंनजाइटिस) के कारण हुई मौतों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने देश में प्रत्येक राज्य के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती रोगियों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई राष्ट्र स्तरीय सर्वेक्षण नहीं किया है।

विवरण

भारत में प्रमुख संचारी रोगों के मामलों और उनके कारण हुई मौतों की सूचित संख्या

मैनिंनगोकोकल में मेनिंनजाइटिस-2006

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुरुष		महिला		योग		सन्दर्भित अवधि तक
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	405	6	423	5	828	11	नवं., अग. 06 को छोड़कर
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	प्राप्त नहीं
3.	असम	–	–	–	–	–	–	प्राप्त नहीं
4.	बिहार	–	–	–	–	–	–	प्राप्त नहीं
5.	छत्तीसगढ़	87	2	3	1	90	3	जुलाई, 06
6.	गोवा	–	–	–	–	–	–	प्राप्त नहीं
7.	गुजरात	33	4	21	3	54	7	दिस., 06
8.	हरियाणा	6	0	1	0	7	0	सित., 06
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	नव., अक्तू., 06 को छोड़कर
10.	जम्मू मंडल	0	0	0	0	6	0	दिस., 06
	कश्मीर मंडल	0	0	0	0	0	0	दिस., 06
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	दिस., 06
12.	कर्नाटक	2	0	1	0	3	0	नव., 06
13.	केरल	17	2	6	0	23	2	नव., 06
14.	मध्य प्रदेश	34	2	31	1	65	3	जुलाई, 06
15.	महाराष्ट्र	18	5	15	3	33	8	मार्च, जन. 06 को छोड़कर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	मणिपुर	40	4	15	2	55	6	सित., 06
17.	मेघालय	46	6	29	4	75	10	अग., 06
18.	मिजोरम	38	0	50	0	88	0	नव., 06
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	जुलाई, 06
20.	उड़ीसा	33	1	12	3	45	4	अक्तू., 06
21.	पंजाब	16	5	9	0	25	5	नव., 06
22.	राजस्थान	14	1	0	0	14	1	अक्तू., 06
23.	सिक्किम	3	0	1	0	4	0	दिस., 06
24.	तमिलनाडु	–	–	–	–	8	0	नव., 06
25.	त्रिपुरा	40	6	21	3	61	9	नव., 06
26.	उत्तरांचल	35	0	23	0	58	0	दिस., 06
27.	उत्तर प्रदेश	12	2	1	1	13	3	नव., 06
28.	पश्चिम बंगाल	391	44	253	41	644	85	सित., 06
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	4	0	3	1	7	1	सित., 06
30.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	प्राप्त नहीं
31.	दादरा एवं नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	दिस., 06
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	अप्रैल, जन. और मार्च, 06 को छोड़कर
33.	दिल्ली	237	39	82	19	319	58	दिस., 06
34.	लक्षद्वीप	4	0	2	0	6	0	नव., 06
35.	पांडिचेरी	35	0	35	1	70	1	अक्तू., 06
	योग	1550	129	1037	88	2601	217	

आंकड़े अनन्तिम हैं तथा खराब परिभाषित कवरेज के कारण तुलना योग्य नहीं हैं।

-सूचित नहीं किए गए

प्राप्त नहीं

पुरुषों और महिलाओं का योग कुल योग से मेल नहीं खाएगा क्योंकि कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने लिंगवार सूचना अलग-अलग नहीं भेजी है।

स्रोत: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की स्वास्थ्य दशा संबंधी मासिक रिपोर्टें, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग

2184. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में विशेषकर पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उन राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्य-वार नाम क्या है जहां गत तीन वर्षों के दौरान चौड़ीकरण, विस्तारीकरण तथा मरम्मत कार्य शुरू हो चुका है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त कार्य पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार कार्य पूरा करने हेतु और अधिक धनराशि आबंटित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यह कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(च) कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण आदि जैसे विकास और अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य सड़क की स्थिति, यातायात, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर किए जाते हैं, न कि इसके पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर अथवा यह ग्रामीण क्षेत्र से गुजरता है अथवा नहीं, इसके आधार पर। सभी राष्ट्रीय राजमार्गों में राज्यवार नाम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत कार्यों की संख्या और धनराशि के राज्यवार ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा विवरण-III में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) धनराशि, निधियों की उपलब्धता के अनुसार प्रदान की जाती है। इसलिए और धनराशि का आबंटन अधिक आबंटन पर निर्भर करता है।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। परियोजना को पूरा करने की लक्ष्य तारीख का निर्धारण परियोजना के स्वरूप, धनराशि, प्रयुक्त निर्देश और स्थान के आधार पर किया जाता है। परियोजना पूरी करने की तारीख अलग-अलग होती है।

(च) कमियों को दूर करने के लिए कार्यों की वित्तीय और भौतिक प्रगति पर नियमित निगरानी रखी जाती है। निगरानी तथा कमियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ तिमाही समीक्षा बैठकें की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए जा रहे हैं:-

(1) पर्यवेक्षण परामर्शदाता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों जैसे विभिन्न स्तरों पर ठेकों की नियमित निगरानी का जाती है। अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग और पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के स्तर पर भी प्रगति की समीक्षा की जाती है।

(2) राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की नोडल अधकारियों के रूप में नियुक्ति की गई है।

(3) अंतर-मंत्रालयी और केंद्र-राज्य मुद्दों, जिनसे कार्य की प्रगति में बाधा आती है, के समाधान के लिए सचिवों की एक समिति का गठन किया गया है।

(4) इस मंत्रालय को राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचनाओं को विधि मंत्रालय को भेजे बगैर जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।

(5) सड़क उपरि पुलों के शीघ्र निर्माण के लिए रेलवे के एक अधिकारी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में तैनात किया गया है ताकि रेल मंत्रालय के साथ समन्वय किया जा सके।

(6) नान-पर्फोमिंग ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

(7) वित्तीय सहायता प्रदान करके ठेकेदारों की नकद प्रवाह समस्या में सुधार के लिए उपाय किए गए हैं।

विवरण I

भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्यवार लंबाई

क्र.सं.	रा रा सं.	रूट	लंबाई (कि.मी.)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
1.	4	कर्नाटक सीमा-पाल्मानेर-चित्तूर-नरहरिपेटा में तमिलनाडु सीमा	83
2.	5	उड़ीसा सीमा से इच्छापुरम-नरसन्नपेटा-श्रीकाकुलम-भिमुनीपट्टनम-विशाखापट्टनम-प्रातीपडु-राजामुंदरी-इलूरू-विजयवाड़ा-गंतूर-ओंगल-नेल्लौर-गुंडुर से तमिलनाडु सीमा	1000
3.	7	महाराष्ट्र सीमा से अदीलाबाद-निर्मल-रामायमपेट-हैदराबाद कुरनूल-गूटी-अनंतपुर-पेनूकोंडा-कर्नाटक सीमा	753
4.	9	कर्नाटक सीमा से जहीराबाद-हैदराबाद-सूरियापेट-विजयवाड़ा-मछलीपत्तनम	430
5.	16	निजामाबाद-अरमूर-गवातियाल-चिन्नूर से महाराष्ट्र सीमा	220
6.	18	कुरनूल-नांदयाल-कुडापाह-रायाचोट-चित्तूर	369
7.	43	उड़ीसा सीमा से रामभद्रपुरम-विजयनगरम-नतवलसा के समीप रा रा-5 के साथ जंक्शन	83
8.	63	कर्नाटक सीमा से गुंटाकल-गूटी	62
9.	202	हैदराबाद-वारंगल-वैंकटपुरम से छत्तीसगढ़ सीमा	244
10.	205	अनंतपुर-कादिरी-मनदपल्ली-रेनीगुंटा से तमिलनाडु सीमा	360
11.	214	कातीपुदी-काकीनाडा-रजोल-नरसापुर-पामुरू	270
12.	214ए	दिगमारू के समीप रा.रा.-214 के जंक्शन से प्रारम्भ होकर नरसापुर-मछलीपट्टनम-चल्लापल्ली-अवनीगड्डा-रिपल्ले-बापतला-चिरला को जोड़ते हुए ओंगोल के समीप रा.रा.-5 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	255
13.	219	मदनपल्ली-पुंगनूरू-पाल्मानेर-कुरपम से तमिलनाडु सीमा	128
14.	221	विजयवाड़ा के समीप रा.रा.-9 के जंक्शन के प्रारम्भ होकर कोंडापल्ली-मैलावरम-तिरूवुरू-पेनुबल्ली-कोटागुंडेम-पलवंचा-भद्राचलम-नैलीपाका-चिंतुरू-कोंटा को जोड़ते हुए छत्तीसगढ़ सीमा	155
15.	222	महाराष्ट्र सीमा से निरमल के समीप रा.रा.-7 के साथ जंक्शन	60
		उप जोड़	4472
अरुणाचल प्रदेश			
1.	52	असम सीमा से पासीघाट-दाम्बुक-रोइंग-पाया-तेजू-वकरो-नमसै-असम सीमा	310
2.	52ए	असम सीमा से ईटानगर-असम सीमा	42
3.	153	असम सीमा से म्यांमार सीमा (स्टिलवैल रोड)	40
		उप जोड़	392

1	2	3	4
असम			
1.	31	पश्चिम बंगाल सीमा से गौरीपुर-उत्तरी सलमारा-बिजली-रा.रा.-37 के साथ चरलियामिनगांव जंक्शन	322
2.	31बी	उत्तरी सलमरिया-अभयपुरी-जोगीघोपा के समीप रा.रा.-37 पर जंक्शन	19
3.	31सी	पश्चिम बंगाल सीमा-कोचूगांव-सिडली-बिजनी के समीप रा.रा.-31 का जंक्शन	93
4.	36	नागौन-डबाका-अमलाकी-नागालैंड सीमा	167
5.	37	गोलपाड़ा के समीप रा.रा.-31बी का जंक्शन-पैकन-गुवाहाटी-दिसपुर-नौगांव-नुमालीगढ़-जोरहाट-झांसी-डिब्रुगढ़-तिनसुकिया-मकुम-सैकोघाट	680
6.	37ए	कुवारी ताल-तेजपुर के समीप रा.रा.-52 का जंक्शन	23
7.	38	मकूम-लीडो-लोखापानी	54
8.	39	नुमालीगढ़-नौजन-बोकाजन-नागालैंड सीमा	115
9.	44	मेघालय सीमा-बदरपुर-करीमगंज-पठारकंडी-त्रिपुरा सीमा	111
10.	51	पैकन से मेघालय सीमा	22
11.	52	बैहाटर-चरली-मंगलदेई-डेकियाजुली-तेजपुर-गोहपुर-बंदरदेवा-उत्तरी, लखीमपुर-बेमाजी-कुलाजन-अरुणाचल सीमा-सैकोघाट के समीप रा.रा.-37 का जंक्शन	540
12.	52ए	गोहपुर-ए.पी.-सीमा-बंदर देवा	15
13.	52बी	कुलाजन-डिब्रुगढ़	31
14.	53	बदरपुर के समीप रा रा-44 का जंक्शन-सिल्चर-लखीपुर-मणिपुर सीमा	100
15.	54	डबाका-लुमडिंग-लंगटिंग-हबलोंग-सिल्चर-दवारबंद-मिजोरम सीमा	335
16.	61	झांजी-अगमुरी-नगालैंड सीमा	20
17.	62	दुधनई-दामदरा-मेघालय सीमा	5
18.	151	करीमगंज-बंगलादेश सीमा	14
19.	152	पतचरकुची-हजुआ-भुटान सीमा	40
20.	153	लीडो-लेखापानी-अरुणाचल प्रदेश सीमा	20
21.	154	धलेश्वर (बदरपुर)-भैरभी-मिजोरम सीमा	110
		उप जोड़	2836
बिहार			
1.	2	उत्तर प्रदेश से मोहनिया-जहानाबाद-सासाराम-देहरी-औरंगाबाद-मिदनापुर-दोभी-बाराचट्टी-झारखंड सीमा	202
2.	2सी	देहरी-अकबरपुर-यदुनाथपुर-बिहार/उत्तर प्रदेश सीमा	105

1	2	3	4
3	19	उत्तर प्रदेश सीमा से मांझी-छपरा-सोनपुर-हाजीपुर-पटना	120
4.	28	बरौंची-बचीवाड़ा-ताजपुर-मुजफ्फरपुर-मेहसी-छकिया-भोपालगंज-उ.प्र. सीमा	259
5.	28ए	पीपरा कोठी के समीप रा रा-28 का जंक्शन-सगौली-रक्सोल-भारत/नेपाल सीमा	68
6.	28बी	छपवा-बेतिया-लौरिया-बगहा-शितौनी रेल सह सड़क पुल-उत्तर प्रदेश सीमा	121
7.	30	मोहनिया के समीप रा रा-2 का जंक्शन-कोचस-दिनारा-विक्रमगंज-आरा-दानापुर-पटना-फतुआ-बख्तियारपुर	230
8.	30ए	फतुआ-चांदी-हरनौत-बाढ़	65
9.	31	झारखंड सीमा से रजौली-नवादा-बिहार शरीफ-बख्तियारपुर-बाढ़-मोकामा-बरौनी-बेगुसराय-बलिया-खगरिया-बिहपुर-कुरसेला-पुर्णिया-बस्सी-पश्चिम बंगाल सीमा-किशनगंज-पश्चिम बंगाल सीमा	393
10.	57	मुजफ्फरपुर-दरभंगा-झांझरपुर-नरहिया-नरपतगंज-फारबिसगंज-अररिया-पूर्णिया	310
11.	57ए	फारबिसगंज के समीप रा.रा.-57 के जंक्शन से प्रारम्भ होकर जोगबनी में समाप्त होने वाला राजमार्ग	15
12.	77	हाजीपुर-मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा	142
13.	80	मोकामा-लकीसराय-मुंगेर-भागलपुर-कहलगांव-झारखंड सीमा	200
14.	81	कोरा-कटिहार-पश्चिम बंगाल सीमा	45
15.	82	गया-हिसुआ-राजगिर-बार बीघा-मोकामा	130
16.	83	पटना-जहानाबाद-बेला-गया-दोभी	130
17.	84	आरा-बक्सर	60
18.	85	छपरा-इकमा-सिवान-गोपालगंज	95
19.	98	पटना-अरवाल-दौदनगर-औरंगाबाद-अंबा-झारखंड सीमा	157
20.	99	दोभी-हरदवान-झारखंड सीमा	10
21.	101	छपरा-बनियापुर-मोहम्मदपुर	60
22.	102	छपरा-रीवाघाट-मुजफ्फरपुर	80
23.	103	हाजीपुर-हजर जनदाह-मुशरीघरारी	55
24.	104	चकिया-मधुबन-शिवहर-सीतामढ़ी-सुरसंद-जयनगर-नरहिया	160
25.	105	दरभंगा-कोइतिरनवे-औंसी-जय नगर	66
26.	106	वीरपुर-पिपरा-मधेपुरा-किशनगंज-बिहपुर	130
27.	107	महेशकुंड-सोनबरसा राज-सिमरीबख्तियारपुर-बरियाही-सहरसा-मधेपुरा-बनमंखी-पूर्णिया	145

1	2	3	4
28.	110	अरवल से रा.रा.-98 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर जहानाबाद-बंधुगंज-काको-एकंगरसराय को जोड़ते हुए बिहार शरीफ के पास रा.रा.-31 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	89
		उप जोड़	3642
चंडीगढ़			
1.	21	चंडीगढ़ के समीप रा.रा.-22 का जंक्शन-रोपड़-बिलासपुर-मुंडी-कुल्लु-मनाली	24
		उप जोड़	24
छत्तीसगढ़			
1.	6	महाराष्ट्र सीमा से बाघनदी-चिचोला-राजनंदगांव-दुर्ग-भिलाई-रायपुर-अरांग-पिठोरा-बासन-सरायपाली-उड़ीसा सीमा	314
2.	12ए	मध्य प्रदेश सीमा से चिल्पी-कवर्द्धा-पिपरिया-बेमेतारा-सिमगा	128
3.	16	महाराष्ट्र सीमा से भोपालपत्तनम-बीजापुर-भैरमगढ़-गीदम-जगदलपुर	210
4.	43	रायपुर-मरोड-धमतारी-चरमा-कंकेर-केस्कल-पारसगांव-कोंडागांव-जगदलपुर-उड़ीसा सीमा	316
5.	78	मध्य प्रदेश सीमा से महेंद्रगढ़-बैकुंठपुर-सूरजपुर-अंबिकापुर-कुंकुरी-पातालगांव-रायकेरा-जशपुरनगर-रूपसेरा-झारखंड सीमा	356
6.	111	बिलासपुर-रतनपुर-कटघोड़ा-केंडई-लक्ष्मणपुर-अंबिकापुर	200
7.	200	रायपुर-सिमगा-पैतलपुर-पैतलपुर-बिलासपुर-रामगढ़-चंपा-शक्ति-उरावमिति-रायगढ़-उड़ीसा-सीमा	300
8.	202	भोपालपत्तनम-भद्रकाली-कोटूरू-आंध्र प्रदेश सीमा	36
9.	216	रायगढ़-सारंगढ़-सरायपाली	80
10.	217	रामपुर-महासमुंद-सौरमार-उड़ीसा सीमा	70
11.	211	आंध्र प्रदेश सीमा से कोंटा-सुकमा-कूकानार-दरबा-सोसनपाल-जगदलपुर के समीप रा.रा.-16 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त	174
		उप जोड़	2184
दिल्ली			
1.	1	बाहरी रिंग रोड/ट्रांसपोर्ट नगर-हरियाणा सीमा	22
2.	2	रा.रा.-2/रिंग रोड-दिल्ली-हरियाणा सीमा	12
3.	8	रिंग रोड-हरियाणा सीमा	13
4.	10	बाहरी रिंग रोग-मुंडका-हरियाणा सीमा	18
5.	24	निजामुद्दीन रोड-उत्तर प्रदेश सीमा	7
		उप जोड़	72

1	2	3	4
गोवा			
1.	4ए	कर्नाटक सीमा-दरबंदोरा-पोंडा-भोमा-बनस्तरी-पणजी	71
2.	17	महाराष्ट्र सीमा से परनेम-मापूका-पणजी-कोर्टालिम-वर्णा-मरगाओं-कंकोलिम-चौरी-पोलेम-कर्नाटक सीमा	139
3.	17ए	कोर्टालिम (कोरतली)-संकोले-चिकालिम-मुर्मुगांव	19
4.	17बी	पोंडा-वर्णा-वास्कोडिगामा	40
		उप जोड़	269
गुजरात			
1.	एनई-1	अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेस मार्ग	93
2.	6	हजीरा-सूरत-बारडोली-व्यारा-सोनगढ़-महाराष्ट्र सीमा	177
3.	8	राजस्थान सीमा से हिम्मतनगर-अहमदाबाद-नांदेड-वडोदरा-करजान भडौच-अंकलेश्वर-नवसारी-वलसाड-वापी-महाराष्ट्र सीमा	498
4.	8ए	अहमदाबाद-बगोदरा-लिंबडी-बामनबोरे-मोरवी-समवयाली-कांडला-मांडवी	618
5.	8बी	बामनबोरे-राजकोट-गांडल-जैतपुर-धोराजु-कुतियाला-पोरबंदर	206
6.	8सी	चिलोडा-गांधीनगर-सरखेल	46
7.	8डी	जैतपुर-जूनागढ़-मलिया-सोमनाथ	127
8.	8ई	द्वारका-पोरबंदर-नवीबबदेर-सोमाथ-कोडनगर-उना-महूवा-तलजा-भावनगर	445
9.	14	राजस्थान सीमा से पालनपुर-दीसा-सिहोरी-राधनपुर	140
10.	15	समखियाली-संतलपुर-राधनपुर-भागहर-थराड-राजस्थान सीमा	270
11.	59	हमदाबाद-कठुआ-गोधरा-दाहोद-मध्य प्रदेश सीमा	211
12.	113	दाहोद-लिमडी-जालौड-राजस्थान सीमा	40
13.	228	अहमदाबाद-डांडी मार्ग (डांडी हेरीटेज रूट)	374
		उप जोड़	3245
हरियाणा			
1.	1	दिल्ली सीमा से कौंडली-मुरथल-समालखा-पानीपत-करनाल-पीपली-शाहबाद-अंबाला-पंजाब सीमा	180
2.	2	दिल्ली सीमा से फरीदाबाद-बल्लभगढ़-पलवल-रूंधी-होडल-उत्तर प्रदेश सीमा	74
3.	8	दिल्ली सीमा से मुडगांव-धारूहेड़ा-बावल-राजस्थान सीमा	101
4.	10	दिल्ली सीमा से बहादुरगढ़-रोड महम-हांसी-हिसार-अगरोहा-बोडोपाल-फतेहाबाद-सिरसा-ओधन-डबवाली-पंजाब सीमा	313

1	2	3	4
5.	21ए	पिंजौर-कालपुर से हिमाचल प्रदेश सीमा	16
6.	22	अंबाला-पंचकुला-चांदी मंदिर-पिंजौर-कालका-हिमाचल प्रदेश सीमा	30
7.	64	डबवाली-पंजाब सीमा	0.5
8.	65	अंबाला-पहोवा-कैथल-नरवाना-बरवाला-हिसार-सिवानी-राजस्थान सीमा	240
9.	71	पंजाब सीमा से नरवाना-जिंद-जुलाना-रोड-डिगहाल-झज्जर-गुरावड़ा-रेवाड़ी-राजस्थान सीमा	177
10.	71ए	रोह-गोहाना-इसराना-पानीपत	72
11.	71बी	रेवाड़ी-धारूहेड़ा-तावडू-सोहना-पलवल	69
12.	72	अंबाला-शहजादपुर-नारायणगढ़-काला अंब-हिमाचल प्रदेश सीमा	45.5
13.	73	उ.प्र. सीमा से यमुनानगर-मुलाना-साहा-रायपुर-पंचकुला	108
14.*	73ए	यमुनानगर-जगाधरी-मुस्तफाबाद-लेडी-दारपुर से हिमाचल प्रदेश सीमा	42
15.	एनई2	यूपी और हरियाणा के चारों ओर पूर्वी बाह्य परिधीय एक्सप्रैस मार्ग (निर्माणाधीन)	44
		उप जोड़	1512
हिमाचल प्रदेश			
1.	1ए	पंजाब सीमा से दमताल-पंजाब सीमा	14
2.	20	मंडी-जोगिंदर नगर-बैजनाथ-पालमपुर-बागवान-नगरोटा-कोटला-नूरपुर-पंजाब सीमा	210
3.	21	पंजाब सीमा से स्वरघाट-बिलासपुर-सुंदर नगर-मंडी-पंडोह-उत-बजौरा-कुल्लू-रलसान-मनाली	232
4.	21ए	स्वरघाट-कुंडलू-नालागढ़-हरियाणा सीमा	49
5.	22	हरियाणा सीमा से परवानू-धरमपुर-बारोग-सोलन-कंडाघाट-शिमला-कुफरी-नयोग-नरकंडा-किंगल-रामपुर-वांगटू-पूह-नमचा-शिपकिला के समीप भारत-चीन सीमा	398
6.	70	मंडी-धरमपुर-सरकाघाट-अवादेवी-हमीरपुर-नादौन-अंब-मुबारकपुर-गगरेत-पंजाब सीमा	120
7.	72	हरियाणा सीमा से काला अंब नाहन-कोलार-माजरा-उत्तरांचल सीमा	50
8.*	73ए	हरियाणा सीमा से पौंटासाहिब के समीप रा.रा.-72 के साथ जंक्शन	20
9.	88	शिमला-शलघाट-बिलासपुर-धुमारवैन-हमीरपुर-नादौन-ज्वालामुखी-कांगड़ा-मतौर	115
		उप जोड़	1208

*तदन्तर उत्तर को दिनांक 9.5.07 को सभा में दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाले विवरण के माध्यम से ठीक किया गया और संख्या एल.टी. 6411/07 के अंतर्गत ग्रंथालय में भी रखा गया। अत: विवरण निम्नलिखितानुसार ठीक किया गया।

*(1) राष्ट्रीय राजमार्ग 73ए का रूट विवरण 'यमुनानगर-जगाधरी-मुस्तफाबाद-लेडी-दारपुर से हिमाचल प्रदेश सीमा' को 'हरियाणा में यमुनानगर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 73 के जंक्शन से प्रारंभ होकर और वाया छछरौली, ताजेवाला, खिजराबाद, कालेसर, लालडंग, जगाधरी चौक (रारा-73 के साथ जंक्शन) को जोड़ते हुए हरियाणा/हिमाचल प्रदेश सीमा तक राजमार्ग पढ़ा जाए।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग 73-ए का रूट विवरण 'हरियाणा सीमा से पौंटासाहिब के समीप रा.रा.-72 के साथ जंक्शन' को 'हरियाणा/हिमाचल प्रदेश सीमा से हिमाचल प्रदेश में बाटा चौक (पौंटासाहिब के समीप रारा-72 के साथ जंक्शन) पर समाप्त' पढ़ा जाए।

1	2	3	4
जम्मू और कश्मीर			
1.	1ए	पंजाब सीमा से कठुआ-सांबा-जम्मू-नगनौता-उधमपुर-बटोट-रामबन-खानाबल-अवंतीपुर-पंपोर-श्रीनगर-पाटन-बारामूला-उरी	541
2.	1बी	बटोट-डोडा-किश्तवाड़-सिंथनपास-खानाबल	274
3.	1सी	दोमेल-कटरा	8
4.	1डी	श्रीनगर-कारगिल-लेह	422
		उप जोड़	1245
झारखंड			
1.	2	बिहार सीमा के चंपारन-बरही-बरकाटा-बागोदर-दुमरी-लोपचंची-कोविन्दपुर-निरसा-पश्चिम बंगाल सीमा	190
2.	6	उड़ीसा सीमा से बाहरागोरा-पश्चिम बंगाल सीमा	22
3.	23	चास-गोला-रामगढ़-रांची-बीरो-सिसाई-गुमला-पलकोट-कोलीबिरा-सिंडीगा-उड़ीसा सीमा	250
4.	31	बरही के समीप रारा-2 के जंक्शन से कोडरमा-बिहार सीमा	44
5.	32	गोविन्दपुर के समीप रारा-2 के जंक्शन से धनबाद-चास-पश्चिम बंगाल सीमा-चंदेल-जमशेदपुर	107
6.	33	बरही के समीप रारा-2 के जंक्शन से हजारीबाग-रामगढ़-रांची-बूंदू-चंदेल महुलिया-बहरागोरा के समीप रारा-6 के जंक्शन	352
7.	75	उत्तर प्रदेश सीमा से नगर उंतारी-गढ़वा-डाल्टनगंज-लातेहर-चंदवा-कुरू-मंदार-रांची	447
8.	78	छत्तीसगढ़ सीमा से सिलम-गुमला	25
9.	80	बिहार सीमा से साहिबगंज-तेलीहारी-राजमहल-बरहरवा-पश्चिम सीमा	100
10.	98	बिहार सीमा से हरिहरगंज-छतपुर-रारा-75 पर राजहारा के समीप समाप्त राजमार्ग	50
11.	99	चंडवा-बालुमथ-चटरा-हंटरगंज-बिहार सीमा	100
12.	100	चटरा-तूतीलाया-हजारीबाग-मेरू-दारू-खरीका-बागोदर	118
		उप जोड़	1805
कर्नाटक			
1.	4	महाराष्ट्र सीमा से संकेश्वर-बेलगाम-धारवाड़-हुबली-हावेरी-दावणगेरे-चित्रदुर्ग-सीरा-तुमकुर-नीलमंगला-बंगलौर-होसकोट-कोलार-मुलबागल-आंध्र प्रदेश सीमा	658
2.	4ए	बेलगाम-आपुर-गुंजी-गोवा सीमा	82
3.	7	आंध्र प्रदेश सीमा से चिकबल्लापुर-देवनहल्ली-बंगलौर-चांदपुरा-अट्टीबेले-तमिलनाडु सीमा	125
4.	9	महाराष्ट्र सीमा से राजेश्वर-हुमनाबाद-मंगलजी-आंध्र प्रदेश सीमा	75

1	2	3	4
5.	13	महाराष्ट्र सीमा से होरती-बीजापुर-हुनगुंड-कुसतागी-होसपेट-जगलूर-चित्रदुर्ग-होलालेरे-भद्रवती-शिमोगा-तीर्थहल्ली-करकल-मंगलौर	648
6.	17	गोवा सीमा से कारवाड़-अंकोला-होनावर-भटकल-बेंदूर-कुंडापुर-उडूपी-मंगलौर-केरल सीमा	280
7.	48	बंगलौर-नीलमंगला-कुनीगल-चन्नारायापटना-हासन-अलूर-सकलेशपुर-ठरपीननगड़ी-मंगलौर	328
8.	63	अंकोला-येलापुर-हुबली-गादग-लंकुडी-भानापुर-कोपल-मुनीराबाद-तोरांगलूर-कुडीतीनी-बिलेरी-हगारी-कर्नाटक/आंध्र प्रदेश सीमा	370
9.	67	गुंडलुपेट-बांदीपुर-तमिलनाडु सीमा	50
10.	206	तुमकुर-तिपतुर-आरसीकेरे-कदूर-भद्रवती-शिमोगा-सागर-होनावर	363
11.	207	होसूर-सूरजपुर-देवनहल्ली-दोद-बल्लापुर-नीलमंगला	135
12.	209	केरल सीमा से मदूर-चामराजनगर-कोलेगल-मालवली-कनकपुरा-बंगलौर	170
13.	212	केरल सीमा से मदूर-गुडलूपेट-बेगूर-मैसूर-नरसीपुर-कोलेगल	160
14.	218	हुमनाबाद-कोन्ही-कमालपुर-गुलबर्गा-फिरोजाबाद-जेवारगी-मोराटागी-सिंदगी-कन्नोली-हाल्लगली-बीजापुर	399
		उप जोड़	3843
केरल			
1.	17	केरल/कर्नाटक सीमा से मंजेश्वर/कुंबला-कासरगोड-पनीयाल-मोरदुर्ग-चाल्यत्कतूर-कोकानीसेरी-थालीपरंबार-पीपनीसेरी-बालापत्तनम-कन्नूर (केनन)-इडाकोड-वडाकारा-पायोली-टीकोडी-पीलंडी-इलातुर-कोजीकोड-(कालीकट)-फिरोखवालनचेरी-पोनानी-मानतला-कोंडगलूर-पाराबूर-इडापुल्ली	368
2.	47	केरल/तमिलनाडु सीमा से पलक्कड (पालघाट)-कुलालमन्नाम-अलतूर-वदानकनचेरी-पटीकाड़-त्रिचूर-कारूकुर्ती-अंगमाली-छोबबारा-हलवा-इडापल्ली-एर्नाकुलम	416
3.	47ए	बिलिंगडन द्वीप के समीप रा रा-47 के जंक्शन	6
4.	49	केरल/तमिलनाडु सीमा-देवीकुलम-पल्लीवागल-कोटामंगलम-कोचीन	150
5.	208	कोल्लम-कोटटरकारा-तनमली-तमिलनाडु सीमा	70
6.	212	कोझीकोड-कलपत्ता-सुल्तान-बैटरी-कर्नाटक सीमा	90
7.	213	पालघाट-कोलावाकोड-मूंदूर-मनाराकाट-अलानातूर-मेलातूर-पंडीकाड-मंजेरी कोनडोटी-फिरोख	130
8.	220	कोलाम-कोटारकारा-अडूर-कोट्टायम-कंजीरापाली-वैंडीपेरीयर	210
		उप जोड़	1440
मध्य प्रदेश			
1.	3	राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा से मुरैना-ग्वालियर-घटीगांव-शिवपुरी-लुखवाडा-बदरवास-भदूरा-गुना-बीनागंज-पैंची-बियोरा-करासवर-सारंगपुर-सुखापुर-देवास-इंदौर-महु-टीकरी-जुलनवानिया-सेंठवा-मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा	712

1	2	3	4
2.	7	उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश सीमा से मागंज-मंगावन-रीवा-अमरपाटन-मुरवारा-कटनी-शिवोरा-जबलपुर-बर्गी-हुल्की-धूमा-लखनडन-शिवनी-गोपालगंज-खवारा	504
3.	12	जबलपुर-शाहपुरा-देवरी-बरेली-ओबैदुल्लागंज-भोपाल-दुराहा-सामपुर-नरसिंहगढ़-बियोरा-राजगढ़-खिलचीपुर-म.प्र./राजस्थान सीमा	490
4.	12ए	उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश सीमा से ओरछा-पिर्चीपुर-टिकमगढ़-हीरापुर-बातीगढ़-दमोह-तेंदुखेड़ा-जबलपुर-मंडला-मोतीनाला-मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ सीमा	478
5.	25	शिवपुरी-करेरा-मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा	82
6.	26	उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश सीमा से बरूद-बांद्रा-सागर-गोरझामा-देवरी-नहारियापुर-करेली-नरसिंहपु-लखनडन	268
7.	26ए	सागर के समीप रा.रा.-86 के साथ अपने जंक्शन से प्रारम्भ होकर जेरूबखेड़ा-खोरई को जोड़ते हुए बीना में समाप्त राजमार्ग	75
8.	27	उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश सीमा से सोहगी-कतरा-मंगावन	50
9.	59	गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा से रामा-रायगढ़-भांदेरी-धार-घाट-बिलोद-बेतमा-इंदौर	139
10.	59ए	इंदौर-झपरा-कन्नोड-खाटेगांव-हंडिया-हर्दा-तिमरूनीमाहाफी-सोडलपुर-बोरी-सीरापाटला-चिचोली-बेतूल	264
11.	69	ओबैदुल्लागंज-बारखेडा-होसंगाबाद-इटारी-केसरा-चौकीपुरा-शाहपुर-नीमपानी-बेतूल-तिगांव-पंधुरना-चिचोली-मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा	295
12.	75	उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश सीमा से अलीपुर-नोगांव-छतरपुर-गंज-पन्ना-बरूरा-नागोर-सतना-मादवगढ़-रीवा के समीप रा.रा.-7 को जोड़ते हुए	600
13.	76	राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा से कोटा-शिवपुरी	60
14.	78	कटनी-उमरिया-पाली-शहडोल-बुरहार-अनपुर-मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ सीमा	178
15.	86	मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा-मलहारा-छतरपुर-बुलगंज-शाहगढ़-रूरावन-दलपतपुर-बांदा-सागर-राहतगढ़ बिदासी-सांची-रायसेन-भोपाल	379
16.	92	मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा-फुफकोलान-भिंड-महगावन-ग्वालियर	96
		उप जोड़	4670
महाराष्ट्र			
1.	3	मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा से सांगवी-हाडाखेड-दहीवाद-अमोद-नरदाना-सींगीर-धुले-अरबी-मालेगांव-सेंदिन-उम्ब्रेन-चांदवाड़-ओझर-नासिक-पदली-चादपुरी-शाहपुर-पटगेह-भिवंडी-थाणे-मुलंड-मुंबई	391
2.	4	थाणे-मुंबरा-पनवेल-चौक-खालापुर-पुणे-खेद-भटगांव-शुरूल-सतारा-वालसे-बारगांव-उम्बराज-करड-इटाकरे-बडगांव-कोलापुर-कागल-महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा	371
3.	4बी	अरबन-चिमेर और चौंक के समीप रा रा सं.-4 को जोड़ते हुए	20
4.	4सी	16.687 कि.मी. (रा.रा. 4बी) से रा रा-4 पर कालमबोली	7
5.	6	महाराष्ट्र/गुजरात सीमा से विशारवादी-कोंदाईबाडी-सकरी-शिवाली-नेर-कुंसुंबे-धुले-हागने-परोला-महासवा-इरनडोल-वरद-जलगांव-ईडालावाद-मलकापुर-नांदूरा-खामगांव-बालापुर-अकोला-बदनेरा-अमरावती-नंदगांव-पंजारा-नागपुर-भंडारा-लखनी-दुगीपार-देवरी-महाराष्ट्र/छत्तीसगढ़ सीमा	813

1	2	3	4
6.	7	महाराष्ट्र/मध्य प्रदेश सीमा से भंडारा-मानसर-नागपुर-गुमगांव-सोनेगांव-जंब-हिंगनघाट-वाइनेर-पोहना-वाडकी-कीन्ही-अंधरकवाडा-कजरी-बोरी-महाराष्ट्र/आंध्र प्रदेश सीमा	232
7.	8	महाराष्ट्र/गुजरात सीमा से अमगांव-तलसारी-मांडवी-वाणे-बोरियाली-मलाड-अंधेरी-ग्रेटर मुंबई	128
8.	9	पुणे-लोनी-कलभोर-एवत-भिगवन-लोनी इंद्रापुर-तेमभुरनी-वारावाडी-मोदनिंब-मोहोल-सोलापुर-नलदुर्ग-हगुर-उमरगा-महाराष्ट्र/आंध्र प्रदेश सीमा	336
9.	13	सोलापुर-हत्तूर-ननंदी-महाराष्ट्र/आंध्र प्रदेश सीमा	43
10.	16	आंध्र प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा से सिरोनचा-कोपेल्ला-पाथगुंडम-महाराष्ट्र/छत्तीसगढ़ सीमा	30
11.	17	पवेल-पैन-नागुथाने-कोलाड-मनगांव-दसगांव-महाड-अंबावली-पोलादपुर-प्रतापगंज-खेड-असरेड-अनखाली-डडगी-लांजा-वकेड-राजपुरा-बरगांव-तलेगा नंदगांव-कनकवली-कसत-कुदाल-वेनगुरेला-अजगांव-महाराष्ट्र/ गोवा सीमा	482
12.	50	नासिक-संगमनेर-दोलसनी-चरगांव-बोटे-पिंपलवंडी-नारायणगांव-कालमवो-मंचर-पेट खेड-चकन-पुणे	192
13.	69	नागपुर-कोराडी-साओनर-महाराष्ट्र/मध्य प्रदेश सीमा	55
14.	204	रतनगिरि-टिंक-पाली-सकरपा-मलकापुर-शाहुवदी-कोल्हापुर	126
15.	211	सोलापुर-कुर्ल्जियापुर-बव-बड़गांव-उस्मानाबाद-तिरखेद-समरकुंडी-बलासेपरगांव-पाली-बीड-पाछेगांव-गेबराय-बारीगोदरी-अदुल-चीतेगांव-औरंगाबाद-दौलताबाद-कुलदाबाद-एलोरा-कना-बामनवाडी-चालीसगांव-मोहनबड़े-बिंचुर-बोरबियार-धुले	400
16.	222	कल्याण के समीप रा.रा. 3 के साथ अपने जंक्शन से प्रारम्भ होकर अहमदनगर-पाथेगांव-नांदेड को जोड़ते हुए आंध्र प्रदेश सीमा	550
		उप जोड़	4176
मणिपुर			
1.	39	मणिपुर/नगालैंड सीमा से मासोंगसांग-मरम-करोंग-कंगपोकपी-इम्फाल-तुबल-वांगलिग-पलैल-सिबोंग-भारत/म्यांमार सीमा	211
2.	53	मणिपुर/असम सीमा से ओंमाक्लोंग-नुंगबा-इम्फाल	220
3.	150	मणिपुर/मिजोरम सीमा से परबुंग-फाफिंगमुन-चूराचांदपुर म्योरंग-बिष्णुपुर-इम्फाल हमपुम-उखरूल-कुरी मणिपुर/नगालैंड सीमा	523
4.	155	पासम से मणिपुर/नगालैंड सीमा	5
		उप जोड़	959
मेघालय			
1.	40	मेघालय/असम सीमा से-बारनी हाट-नांगपो-उमसिंग-बड़ापानी-शिलोंग-मेघालय-भारत बंगलादेश सीमा	216
2.	44	नोंगस्टोन-शिलोंग-मेघालय/असम सीमा	277
3.	51	मेघालय/असम सीमा से बैजंगडो-तुरा-खेरापाड़ा-बुरिंगापाड़ा	127
4.	62	दमरा-दाम्बू-बेघमारा-बुरिंगापाड़ा	190
		उप जोड़	810

1	2	3	4
मिजोरम			
1.	44ए	मिजोरम/त्रिपुरा सीमा से तुक्कालाह-मामित-सैरंग-आइजोल	165
2.	54	मिजोरम/असम सीमा से चिमलूंग-भिखीतार-कोलासीब-वुलपई-मौलउम-आइजोल-जोवावक-पंगबोल-लीते-जीचोक-सैरिफ-सैहा-कालाडन-तुईपंग	515
3.	54ए	लुंगलाई और जीचोक के समीप एन-54 को जोड़ते हुए	9
4.	54बी	साईहा	27
5.	150	मिजोरम/मणिपुर सीमा-थिंगसा-रलनदारलोम-सैलिंग	141
6.	154	मेघालय/असम सीमा से वुलपुई के समीप एन-54 को जोड़ते हुए	70
		उप जोड़	927
नगालैंड			
1.	36	नगालैंड/असम सीमा से दीमापुर	3
2.	39	दीमापुर-चीचुगाड-कोहिमा-विसवेमा	110
3.	61	कोहिमा-नरहेमा-सेमनया-बोखल-मोकोकचुंग-चांगतोंगया-निरंगखांग-नगालैंड/असम सीमा	220
4.	150	कोहिमा-छिन्नामी-नगालैंड/मणिपुर सीमा	36
5.	155	मोकोकचुंग-तेनसांग-सम्पुरी-अखोगव-मेलूरी-मणिपुर सीमा	125
		उप जोड़	494
उड़ीसा			
1.	5	झारपोखारिया बोरमरा-आकुलिबेना-बरीपाल-बेटनोटी-दसिंगा-जालेश्वर-भद्रक-चंद्बारपोखारी-बगपतपुर-कटक-भुवनेश्वर-छतरपुर-ब्रह्मपुर-गोलांतरा-उड़ीसा/आंध्र प्रदेश सीमा	488
2	5ए	धनमंडल-पथ.राजपुर-मरसाहागई-पारादीप पत्तन	77
3.	6	उड़ीसा/छत्तीसगढ़ सीमा से लोचारचट्टी-बारगढ़-अडमीना-संबलपुर-देवगढ़-बाराकोट-गोविंदपुर-कन्नड़-केंदुझरगढ़-जाजीपुर-मांडा-बंगारीपोसी और उड़ीसा पश्चिम बंगाल सीमा	462
4.	23	उड़ीसा/सीमा-बीरमित्रापुर-रायबोगा-पनपोश-बांकी-दार्जिंग-बनेल-पाला-लहरा-खामेर-तलचर-रा.रा. 42 के साथ जंक्शन	209
5.	42	संबलपुर-मुंधेर-बिजुमुरा-चारमल-राधाखोल-खमूर-अंगूल-धेनकनाल-चौदवार-रा.रा. 5 के जंक्शन	261
6.	43	धनपूंजी-कोटापद-नोआगन-बारीगुडा-लोंडापली-जयपुर-कोरापुट-धुमरीपुट-सिमलीगुरहा-ओटांगी-उड़ीसा-आंध्र प्रदेश सीमा	152
7.	60	उड़ीसा/पश्चिम बंगाल सीमा से जालेश्वर अमरदा-बस्ता-रूपसा-हल्दीपाड़ा	57
8.	75	उड़ीसा/झारखंड-चंपुआ-पालसोना	18
9.	200	उड़ीसा/छत्तीसगढ़ से लखनपुर-झारसोकड़ा-कोचिंदा-धोबपुर-देवगढ़-गोगुआ-बाजराकोट-तलचर-कोआलो-काम्रक्यानगरभुवन-सुकिंदा-चंडीखोल	440
10.	201	बोरीगुमा-नवरंगपुर-पोपादालंडी-मैदलपुरी-अपम्नी-पोसारा-मोटेर-जूनागढ़-धवानीपटना-दाद्पुर-हृतकेला-केसिंगा-कसिरूपाड़ाबेलंग-सैंतला-बालनगिर-लुसिंग-जोगीसुंडा-टूनगीरीपाली-बारापाली-बारगढ़	310

1	2	3	4
11.	203	भुवनेश्वर-धौली-पिपली-पुरी-बलिघाई-कोनार्क	97
12.	203ए	पुरी में रा.रा.-203 के साथ संधान से प्रारम्भ होकर खण्डगिरी को जोड़ते हुए सतपड़ा में समाप्त होने वाला राजमार्ग	49
13.	215	राजमुंदरी-विमलगढ़-घोरा-चारसोरा-चत्रासपोंडा-धनकीकोड-चटगांव-सिमलिया-आनंदपुर-राजनगपुर और रारा-5 को जोड़ते हुए	348
14.	217	उड़ीसा/छत्तीसगढ़ सीमा से खारढ़ेल-नौपरा-खरियार-सोमनाथ-खेरियार-बोंगेमुंडा-टिटलागढ़ बेलांग-रामपुर-बालीगुड़रा-महासिंघा-सेठीगुडा-सिमनबाड़ी-पिपलगांवका-सोरदा-आसिका-चकुंडाखंडी-खलपुर-बरेनपुर-गोपालपुर	438
15.	224	खोरधा-बेगुनिया-बोलगढ़-नौगांव-दसापल्ला-पूरनकटक-बूढ़ा-सोनपुर-सोरापा-बेलगीर	298
		उप जोड़	3704
पंजाब			
1.	1	पंजाब/हरियाणा सीमा से राजपुरा-खन्ना-लुधियाना-सोदोवाल-फिल्लौर-गुरिंडा-फगवारा-जालंधर सारानुसी-करतारपुर-ब्यास-भूसारी-टंगरा-अमृतसर-अटारी-पंजाब/पाकिस्तान सीमा	254
2.	1ए	जालंधर-सनोरा-दासूया-बंगाला-पठानकोट-पंजाब/जम्मू कश्मीर सीमा	108
3.	10	पंजाब/हरियाणा सीमा से मंडी डबवाली-रामी-अबुलखराना-मलोट-अबोहर-शिकारखेड़ा-पाकिस्तान-भारत/पाकिस्तान सीमा	72
4.	15	अमृतसर-चोटचार-खारपत्त-तरनतारन-सिरहाली-मक्कू-जीरा-फरीदकोट-लंबवाली-भटिंडा-पक्करसर-मलोट-अबोहर-बकियानवाला पंजाब/राजस्थान सीमा	350
5.	20	पठानकोट और हिमाचल प्रदेश सीमा	10
6.	21	पंजाब/चंडीगढ़ सीमा से खरर-कुरेरी-रूपनगर-धनौली निर्मोहगढ़-पंजाब/हिमाचल प्रदेश सीमा	67
7.	22	पंजाब/हरियाणा सीमा से लालरूह बसी-हरियाणा सीमा	31
8.	64	पंजाब/हरियाणा सीमा से बैनूर-राजपुरा-पटियाला-संगरूर-धनौला-बरनाला-तलवंडी-रामपुरा फूल-भटिंडा-पंजाब/राजस्थान सीमा	255.5
9.	70	जालंधर/आदमपुर-नसराला-होशियारपुर-पंजाब/हिमाचल प्रदेश सीमा	50
10.	71	जालंधर-नाकोदर-महतपुर-मोगा-डाला-बरनाला-धनूला-संगरूर-दीरबा-दोगल-पंजाब/हरियाणा सीमा	130
11.	72	पंजाब/हरियाणा सीमा और पंजाब/हरियाणा सीमा	4.5
12.	95	खरर-मरिंडा-हमनीन-समराला-लुधियाना-जगराव-मोगा-फिरोजपुर-हुसैनीवाला कैंट	225
		उप जोड़	1557
पांडिचेरी			
1.	45ए	विलुपुरम-पांडिचेरी-चिदम्बरम-नागपट्टनम	43
2.	66	पांडिचेरी-टिंडीवनम-कृष्णगिरि	10
		उप जोड़	53

1	2	3	4
राजस्थान			
1.	5	राजस्थान/उत्तर प्रदेश सीमा से मेचीयान राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा	32
2.	8	राजस्थान/उत्तर प्रदेश सीमा से अजारका-बहरोड-कोटपुतली-परागपुरा से साहपुरा से-मनोहरपुर-चांदवाली-धांड-आमेर-जयपुर-बगरू-मोहलान-छोटू-नीमकाथाना-अजमेर-हरवा-बघावर-बाली-भीमा-बरार दौवर-केलवा-राजनगर-दलवाड़ा-एकलिंगजी-सिरवा-उदयपुर-पासड-खेरवारा-बीचीवारा-रतना	688
3.	11	राजस्थान/उत्तर प्रदेश सीमा-लोहारू-हलीना-महुआ-मानपुर-भांकरी-दोसा-जटवाड़ा-कनौटा-जयपुर-छोमू-रींगस-पालसाना-गौरिया-सीकर-लक्ष्मणगढ़-झ[illegible]वा-फतेहपुर-रोल-रतनगढ़-लक्षरसर-श्री डूंगरगढ़-बेनीसर-सिरौना-बेनीसर-नौरंगेसर बीकानेर	531
4.	11ए	मनोहरपुर-प्रतापगढ़-दोसा-लालसोत और कोथम में समाप्त	145
5.	11बी	लालसोत के समीप रारा.-11ए के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर मंदौरी-गंगापुर-कुरगांव-करौली-श्रीमधुरा-बरौली-अंजलि-बारी-धौलपुर	180
6.	12	राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा-घटोली-अकलेरा-अमेटा-झालावार-खेमई-दराहा-मंडहारा-कोटा-तिलेरा-बूंदी-सथूर-हिंदौली-उमर-देवली-मेंडवास-टोंक-बरौनी-निवाई-छाकसू-शिवदासपुरा-संगानेर-जयपुर	400
7.	14	गुजरात/राजस्थान सीमा-महावस-अबूरोड-बनास-पिंडवाड़ा-सिरोही-पालरी-पोसालिया-सांद्रेव-गौंडल-पाली-जडान-खमैन-सोजर-चंदावल-रायपुर-बेवर	310
8.	15	राजस्थान/पंजाब सीमा से गंगानगर-महीयानवाली-गणेशगढ़-सूरतगढ़-राजीयासर-मोकालस्टोर-लूंकारनसर-जगदेववाला-बीकानेर-गजनेर-नोखरा-खाप-फलोदी-कालास-खारा-लाठी-चंदन-बैझलमेर-देवीकोट-खोरन-गंगा-शिव-भारखा-बारड़े-धोगीमन्ना-कावुली-छितलवाना-संचोर-राजस्थान/गुजरात सीमा	906
9.	65	राजस्थान/पंजाब सीमा-सातलपुर-बंधवाखरे-रतनगर-रामगढ़-कायमसर-फतेहपुर-मगलूना-सारासर-कसुंबी-लादनून-निम्बीजोधन-करनौटा-सुरपलिया-बोरवा-नागौर-बाथरौध-तंकला-हिमसेर-सोइला-खेरपा-बवारी-गैजर-जोधपुर	450
10.	71बी	हरियाणा सीमा से भिवाड़ी और राजस्थान/हरियाणा सीमा (तावडू के समीप)	5
11.	76	पिंडवारा-बकेरिया-तारावलीगढ़-गोगुंडा-इसवाल-उदयपुर-देवारी-महावली-सनवरकपासन-चित्तौड़गढ़-अनवलहेड़ा-कलुंदा-लाडपुरा-मेनल-खेरी-बिजौलिया-दाबी-खरीपुर-कोटा-धुनरा-अंता-बैरन-किशनगंज-तलवाड़ा-रामबाद-दिवोरी-थाना कस्बा-राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा	480
12.	79	अजमेर-नसीराबाद-झरवासा-बंदनवाड़ा-लंबिया-गंगरार-चित्तौड़गढ़-निम्बाहेरा-राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा	220
13.	79ए	किशनगढ़ (रा रा-8)-श्रीनगर-नसीराबाद (रा रा-79)	35
14.	89	अजमेर-पुष्कर-लंगोलाई-मेरतसिटी-रन-मुंडवा-इंदना-नागौर-सिनगर-आलव-भागीस-नोखा-पड़वा-देशनोक-उदरामसर-गंगासहेह-बीकानेर	300
15.	90	बैरन-बामला-बापौर-सुमेर-खानपुर-सरोला-तराज-समीप अमेठा (रा रा-12)	100
16.	112	बाड़ के समीप रा.रा.-14 के पास जंक्शन से प्रारंभ होकर बाड-जैतरन-गरनियां-बिलारा-भावी-कपरडा-जोधपुर-कल्याणपुर-सरवारी-पचपद्र-बलोतरा-तिवाड़ा-बाड़मेर राजमार्ग	343

1	2	3	4
17.	113	निम्बाहेडा के समीप रा.रा.-79 के जंक्शन से प्रारंभ होकर बारी-छोटीसादडी-धानेतर-प्रतापगढ़-सोहागपुरा-पीपलखुट-खामेरा-धातुल-बांसवाड़ा-कलिंगेड़ा-गोयलपुरा-राजस्थान/गुजरात सीमा राजमार्ग	200
18.	114	जोधपुर-अगोलाई-बालेसर-शायेतरावा-डेचू-बारमंडला-लखान-पोकरण (रा.रा.-15)	180
19.	116	टोंक-कासोर-डनियाव और सवाईमाधोपुर	80
		उप जोड़	5585
सिक्किम			
1.	31ए	गंगटोक-सिंगटेम-रांगपो और सिक्किम/पश्चिम बंगाल सीमा	62
		उप जोड़	62
तमिलनाडु			
1.	4	तमिलनाडु/आंध्र प्रदेश सीमा-तिरुवेल्लम-रानीपेट्टनई-वालेजपेट-दमल-चेंडल-पूनामल्ली-चेन्नै	123
2.	5	असमापक्कम-गुमिडीपुंडी-कवरापेट्टै-चेन्नई	45
3.	7	तमिलनाडु/कर्नाटक सीमा-होसूर-कृष्णागिरी-दौलताबाद-कावेरीपट्टनम-करीमंगलम-पेरीयानाहल्ली-धरमपुरी-ओंदयामानकोटटई-टोपू-सलेम-आपलांगनी-नमकल-परामाटी-वेलाचंदापालयम-कानूर-अरभापुरूची-डिंडीगुल-वेलूडू-अंबातुरई-अमयनायककनरू-वडीपट्टी-मदुरै-विरुदुधनगर-तुलूकापट्टी-सतूर-यदियासेवल-केयातर-गंगैकोंडन-शंकरनगर-ताडेकनल्लूर-मुनरादेपू-पनानगुलेर-नांगुनेरी-पनागकुडी-वटाकोट्टै-कन्याकुमारी	627
4.	7ए	पालायनकोट्टै-बालानाड-वागेकुलम-तूतीकोरिन	51
5.	45	चेन्नै-सेदापेट-गुंडे-तामबरम-गुडुवनचेरी-पोटनकोलापुर-मरियामलैनगर-संगापेरूमालपोइल-चेंगलपटु-मदुरांटकम-सोतूपक्कम-मेलमारूम्बाथुर-अचरापक्कम-ओंगुर-टिंडीवनम-विलुपुरम-अरासुर-उलुडरूपेट्टै-आसनूर-वेपुर-इलूतूर-पदलूर-श्रीवाचुर-पोडलूर-श्रीनगूर-त्रिचुरापल्ली-पुलियूर-मनापारै-कालपट्टी-छतराम-कवालुर-बड़ा मदुरै-डिंडीगुल	460
6.	45ए	विल्लुपुरम-वालावानुर-पांडिचेरी-कुडालूर-चापिरक्वेरी-अलापक्कम-पुडुछतराम-चिदम्बरम-पूमपुहार-तरंगमवाडी-नागौर-नागपट्टिनम	147
7.	45बी	त्रिचुरापल्ली-वारालीमलै-कोवीपट्टै-तुपरनकुरिची-मेलूर-कोटटैकडी-मदुरै-करियापट्टी-कालूरीचेची-अरुपोटटै-पांडलगुडी-वेंवुर-इट्टैयापुरम-कुरूकूछवि-पुडूर-तूतीकोरिन	257
8.	45सी	तंबावुर के समीप रा.रा.-67 के साथ जंक्शन से प्रारंभ होकर कुंभकोणम-पालावूर-अंदीमादम-वृद्धाचलम-उलोंडरपेट्टै	159
9.	46	कृष्णागिरि-नातरा-पालीकोंडा-वेल्लौर-रानीपेट	132
10.	47	सलेम-मागुंडाचावड़-भवानी-नशियानल-अवनाशी-कारोमथामपट्टी-अरासुर-पीलमेडु-कोयम्बतूर-मदुकारई-वालायर-तमिलनाडु/केरल सीमा	224
11.	47बी	नागेरकोइल के समीप रा.रा.-47 के साथ जंक्शन से प्रारंभ होकर अरालवायम	45

1	2	3	4
12.	49	तमिलनाडु/केरल सीमा-वादीनाथमनूर-तेनी-अल्लीदिघट्टी-उसीलमपट्टी-सत्तमनीरोनी-मदुरै-तिरुमाचट्टी-पारमकुड्डी-रामनाथपुरम-मंडपम-रामेश्वरम	290
13.	66	कृष्णागिरि-उत्तांगरै-चेंगम-तिरुवन्नमलै-विंगीपेंडीवनम-पांडिचेरी	234
14.	67	नागपट्टिनम-तिरुवारूर-तंजावूर-त्रिचुरापल्ली-कुलीतलै-करूर-कंगायम-पालाडम-कोयम्बतूर-मेतूपलायम-उटी-गुडालूर-तेप्पाकाडु-कर्नाटक सीमा	505
15.	68	उलुंडरूपेट-कल्लकुरिच्ची-अत्तूर-सालापदी-सलेम	134
16.	205	आंध्र प्रदेश सीमा से तिरुत्तानी-तिरुवल्लूर-अंबत्तूर-चेन्नै	82
17.	207	होसूर से कर्नाटक सीमा	20
18.	208	केरल सीमा से सेनगोट्टै-तेनकासी-सिवगिरि-श्रीविल्लीपुत्तूर-केलूवाती-तिरुमंगलम	125
19.	209	डिंडीगुल-पलानी-उडुमलैपेट्टै-पोल्लाची-कोयम्बतूर-अत्तूर-सालेमगंलम-इलमूर-कर्नाटक सीमा	286
20.	210	त्रिची-पुडुकोट्टै-तिरुमयम-करैकुडी-देवाकोट्टै-देवीपत्तिनम-रामनाथपुरम	160
21.	219	आंध्र प्रदेश सीमा से कृष्णागिरि	22
22.	220	केरल सीमा से गुडालूर-उदगमंडलम-तेनी	55
23.	227	त्रिचुरापल्ली-लालगुडी-चिदंबरम सड़क	135
24.	226	तंजावूर-पुदुकोट्टै-सिवगंगा-मदुरै	144
		उप जोड़	4462
त्रिपुरा			
1.	44	असम सीमा से अंबासा-अगरतला-उदयपुर-सबरूम	335
2.	44ए	मिजोरम सीमा से सबरूम-मानू	65
		उप जोड़	400
उत्तर प्रदेश			
1.	2	उत्तर प्रदेश, हरियाणा सीमा-कोसी-छाता-मथुरा-फरह-आगरा-फिरोजाबाद-शिकोहाबाद-सिरसगंज-जसवंत नगर-इटावा-सराय-मुरादगंज-सिकंदरा-रसूलाबाद-बाबा-सबौदी-कानपुर-महाराजगंज-औंग-फतेहपुर-हसवा-सतनरायण-खजुआ-चहलारी-कौसांबी-इलाहाबाद-सैदाबाद-इटैया-गोपीगंज-कौसांबी-इलाहाबाद-सैदाबाद-हंडिया-गोपीगंज-मिर्जामुराद-वाराणसी-चंदौली-सैदराजा	752
2.	2ए	सिकन्दरा-रावपुर-भोगनीपुर	25
3.	3	आगरा-उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश सीमा	26
4.	7	वाराणसी-मिर्जापुर-लालगंज-उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश सीमा	128
5.	11	आगरा-किरावली-उत्तर प्रदेश/राजस्थान सीमा	51

1	2	3	4
6.	12ए	मध्य प्रदेश सीमा से झांसी के समीप रा.रा.-26 के साथ जंक्शन	7
7.	19	गाजीपुर-बलिया-लखपुर-बकुटा-उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा	120
8.	24	दिल्ली/उत्तर प्रदेश सीमा-गाजियाबाद-रजवपुर-बियोली-पकबड़ा-मुरादाबाद-मीरगंज-बरेली-बंथरा-उनचलिया-नेरी-मोहली-सीतापुर-लखनऊ	431
9.	24ए	बक्शी-का-तालाब-चेनहट (रा रा-28)	17
10.	24बी	लखनऊ-रायबरेली-इलाहाबाद सड़क	185
11.	25	उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश सीमा-झांसी-बड़गांव-बिरगांव-अमरगढ़-मोठ-पिरौना-उरई-ऊसरगांव-कालपी-चाड़ा-कानपुर-उन्नाव-अजगैन-लखनऊ	270
12.	25ए	19 कि.मी. (रा रा-25)-बक्शी-का-तालाब	31
13.	26	उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश सीमा-करारी-झांसी-बबिना-तलबखत-बांसी-ललितपुर-बिरधा-गुना-उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश सीमा	128
14.	27	इलाहाबाद-जसरा-उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश सीमा	43
15.	28	लखनऊ-बाराबंकी-रामसनेहीघाट-फैजाबाद-हरैया-बस्ती-खलिलाबाद-पिपरौली-हाता-कसीन-हजीलनगर-पवनगर-तमकुही-उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा	311
16.	28बी	उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा-निचुआ रायगंज-पदरौना-कसिया	29
17.	28सी	बाराबंकी-रामनगर-जरवाल-करीसरगंज-फखरपुर-बहराइच-मटेरा बाजार-नानपाड़ा-बाबागंज-रूपीडिहा-नेपाल गंज	140
18.	29	सोनोली-कोलहू-फरेंदा-रावतगंज-गोरखपुर-धौरापुर-कोड़ीराम-घासी-मरदाह-गाजीपुर-मचनैया-चंदौली-वाराणसी	306
19.	56	लखनऊ-गुसाईंगंज-अमेठी-भेटवा-हैदरगंज-इनहौना-गजदीशपुर-मुसाफिरखाना-हसनपुर-सीतापुर-सिंगरामऊ-बदलापुर-बक्सा-जुनपुर-फूलपुर-वाराणसी	285
20.	56ए	चेनहट से 16 कि.मी. (रा रा-56)	13
21.	56बी	रा रा-56 पर 16 कि.मी. से रा रा-25 पर 19 कि.मी.	19
22.	58	उत्तर प्रदेश/दिल्ली सीमा-नोएडा-मुरादनगर-मोदी मोहिउद्दीनपुर-मेरठ-मवाना-बहसुमा-बिजनौर-कीरतपुर-नजीबाबाद-उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल सीमा	165
23.	72ए	उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल सीमा-छुटमलपुर-बिहारीगढ़ और उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल सीमा	30
24.	73	उत्तर प्रदेश/हरियाणा सीमा-सरसावा-पिलखानी-सहारनपुर	60
25.	74	उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल सीमा-नजीबाबाद-नगीना-अफजलगढ़-रेहर-उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल सीमा	147
26.	75	उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश सीमा-दुधीनगर-बिल्हमगंज	110

1	2	3	4
27.	76	उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश सीमा-श्रीनगर-महोबा-बांदा-खोहंड-अट्टारा-बदौसा-करवी-रायपुर-मऊ-संकरगढ़-बाड़ा-जसरा-इलाहाबाद-नैनी-अष्टभुजा-मिर्जापुर	587
28.	86	कानपुर-घाटमपुर-सजैत-हमीरपुर-सुमेरपुर-मौदेहा-खन्ना-कबरारी-महोबा-श्रीनगर-उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश सीमा	180
29.	87	रामपुर-बिलासपुर-उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल सीमा	32
30.	91	गाजियाबाद-दादरी-सिकंदराबाद-बुलंदशहर-खुर्जा-ओमया-अलीगगढ़-पिलखा-एटा-कुरावली-सुल्तानगंज-बेवर-नबीगांव-छिबरामऊ-गुरसरायगंज-कन्नौज-बरूर-बिल्हौर-कानपुर	405
31.	91ए	इटावा के समीप रा.रा. 2 के साथ जंक्शन से प्रारंभ होकर भरथना-बिधुना-बेला-मुदरवागंज को जोड़ते हुए कन्नौज के समीप रा.रा. 91 के साथ जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	126
32.	92	उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश सीमा-उड़ी-इटावा-चौबिया-कौसमारा-बेवर	75
33.	93	आगरा-खंदौली-सादाबाद-हाथरस-मडराक-दाउदखान-अलीगढ़-दानपुर-दीवल-बबराला-बहजोई-चंदौसी-बिल्सारी-मुरादाबाद	220
34.	96	फैजाबाद-बिलहरघाट-बीकापुर-सुल्तानपुर-भदा-पिपरपुर-कोहदोर-बेला-सौरों-इलाहाबाद	160
35.	97	गाजीपुर-जमनिया-सैयद राजा	45
36.	119	मेरठ के समीप रा.रा. 58 के साथ जंक्शन से प्रारंभ होकर मवाना-बहसुमा-बिजनौर-कीरतपुर-नजीबाबाद को जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल सीमा राजमार्ग	125
37.	एनई-2	उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पास पूर्वी बाह्य एक्सप्रैस मार्ग (निर्माणाधीन)	90
		उप जोड़	5874
उत्तरांचल			
1.	58	उत्तरांचल/यूपी सीमा-मंगलोर-रूरकी-हरिद्वार-मोतीचूर-ऋषिकेश-शिवपुरी-भूईट-श्रीनगर-कांगड़ा-रुद्रप्रयाग-नागरासु-नंद प्रयाग-चमोली-पीपलकोटी-मायासुर-बेलाकुची-लंगसी-हैलंग-जोशीमठ-विष्णुप्रयाग-गोविंदघाट-हनुमानचट्टी-बद्रीनाथ-माना	373
2.	72	उत्तरांचल/हिमाचल प्रदेश सीमा-धालीपुर-सहसपुर-झाजरा-देहरादून-बुल्लावाला-कंसारो तथा मोतीचूर के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग 58 से जोड़ते हुए	100
3.	72ए	उत्तरांचल/यूपी सीमा-झाजरा-देहरादून	15
4.	73	रूरकी-भगवानपुर-उत्तरांचल/उ.प्र. सीमा	20
5.	74	हरिद्वार-जसपुर-काशीपुर-बाराखेड़ा-रुद्रपुर-किच्छा-सीतारगंज और उत्तरांचल/यूपी सीमा तक	153
6.	87	उत्तरांचल/यूपी सीमा-रुद्रपुर-पंतनगर-बीतपुर-काठगोदाम-नैनीताल-भोवाली-कवरब-अल्मोड़ा-मवखाली-रानीखेत-द्वारहाट-मेहालचौरी-अदबद्री और राष्ट्रीय राजमार्ग 58 (कर्ण प्रयाग के समीप) को जोड़ते हुए	284
7	94	ऋषिकेश-नरेंद्रनगर-अम्पाता-क्रियालिन-डेंग-छाम-श्रीकोट-धरासू-बाड़-कुमारी-हनुमान चट्टी-खरसाली-यमुनोत्री	160

1	2	3	4
8.	108	धरासू-गनवाला-उत्तरकाशी-मानेरी-भाटवारी-रैथाल-सुनागर-पुर्ग-डामसी-धरासी-भैरोघाटी-गौरीकुंड-गंगोत्री	127
9.	109	रूद्रप्रयाग-तिलवाडा-अगस्तमुनी-बरमवाडी-गुप्तकाशी-सोनप्रयाग-गौरेया-केदारनाथ	76
10.	119	उत्तरांचल/उ.प्र. सीमा-कोटवाडा-दुगड्डा-सतपुली-बनचाट-मोहर-बुवाखाल-पौड़ी-श्रीनगर	135
11.	121	रामनगर-गर्जिया-धनकौर-बिरोनखाल-भीड़ा-तालीसैन-बनकोट-पैथानी-चिपलघाट-श्रिमखेत-चोपड़ियोनंद को जोड़ते हुए तथा बुखाखेल के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग 119 पर समाप्त होने वाले काशीपुर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 74 के साथ इसके जंक्शन के शुरू होने वाले राजमार्ग	252
12	123	हरबतपुर-विकानगर-कानसी-लखवाद-नैनबाद-कुवा-नोगांव बरकोबैंड के निकट जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 72 के साथ इसके जंक्शनों से शुरू होने वाले राजमार्ग	95
13	125	सीतारगंज-खातीमा-टनकपुर-सुखीतांग-चल्थी-चंपावत और पिथौरागढ़ के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 74 के साथ इसके जंक्शन से शुरू होने वाले राजमार्ग	201
		उप जोड़	1991
पश्चिम बंगाल			
1	2	पश्चिम बंगाल/झारखंड सीमा-कुल्टी-आसनसोल-रानीगंज-अंडाल-दुर्गापुर-काकरा-गल्सी-बर्धमान-मेमारी-पंडुआ-चांदनगर-श्रीरामपुर-कोलकाता	235
2	2बी	बर्दवान-बोलपुर सड़क (खया ललित-गुसकारा तथा भेदिया)	52
3	6	पश्चिम बंगाल सीमा-खड़गपुर-डेबरा-पंसकुरा-बागान-कोलकाता	161
4	31	इलखोला-कांकी-पंजीवाडा-धनतोला-इसालमपुर-चोपरा-बागडोगरा-सिवोक-दमदिम-मैनागुडी-गोवरकाटा-जोतेश्वर हाल-फालाकाता-तूफानगंज और पश्चिम बंगाल/असम सीमा	386
5.	31ए	सिराक से पश्चिम बंगाल/सिक्किम सीमा तक	30
6.	31सी	गलगादिया-कसलबाडी-बागडोदरा-मातीगेरा-सिवोक-दमदिम-रामसाय-गोवरकाटा-अलीपुरदुर जंक्शन-महाकलगुडी-चटचोका और पश्चिम बंगाल सीमा	142
7.	32	पश्चिम बंगाल/झारखंड सीमा-गौरीनाथधाम-कांतारी-उरमा-बलरामपुर-बाडा-बांकीभूम तथा पश्चिम बंगाल/झारखंड सीमा तक	72
8.	34	डलखोला-करनदीघी-रामपुर-रायगंज-दुर्गापुर-इटाहर-सटालकुरी-गजोत-पंडुआ-सुलजानगढ़-धलियन-साजिनपाडा-मोरग्राम-बेहरामपुर-सरगाची-रैजीनगर-पलासी-देवग्राम-बेथूदाधारी-धुबालिया-कृष्णनगर-शांतीपुर-रानाघाट-चकधा-आरो	443
9.	35	बरासत-हाबड़ा-गौघाटा-चांदपाड़ा-बागांब-भारत-बांगला देश सीमा	61
10.	41	पंसकुरा-तामलुक-महिसादल-हल्दिया पत्तन के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 6 के साथ जंक्शन	51
11.	55	माटीगारा-करसियांग-दार्जिलिंग	77
12.	60	पश्चिम बंगाल/उड़ीसा सीमा-डांटन-निकुरसिनी-मालदा-खड़गपुर-मिदनापुर-सलबानी-चंद्रकोना रोड गरभेटा-रामसागर-ओंडा-बांकुरा-गंगाजलघाटी-मजिया-रानीगंज तापसी-छोरा-पांडवेश्वर-कास्तग्राम दुबराजपुर-चिनपै-शिवरी-फतेहपुर-रामपुर हाट-मोरग्राम	389

1	2	3	4
13.	60ए	बांकुरा-छंटना-झांटीपहाय-हूरा-लंघुरका-पुरुलिया	100
14.	80	फरक्का से पश्चिम बंगाल/बिहार सीमा	10
15.	81	पंडुआ-कुमनगर्ज-समसी-भालुका रोड-कुमेदपुर	55
16.	117	कोलकाता-अलीपुर-बिष्णुपुर-कुलपी-तेनगरबीची-काकदीप-नमखाना-बोक्खाली	133
		उप जोड़	2377
अंडमान और निकोबार			
1.	223	अंडमान ट्रंक रोड	300
		उप जोड़	300
		कुल लंबाई (किमी)	66590

विवरण II

गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वीकृत कार्यों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	2003-04		2004-05		2005-06	
		स्वीकृतियों की सं.	धनराशि (करोड़ रु.)	स्वीकृतियों की सं.	धनराशि (करोड़ रु.)	स्वीकृतियों की सं.	धनराशि (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	53	98.65	56	109.39	28	162.56
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	4.36	2	4.65	1	7.00
3.	असम	23	83.52	19	70.98	20	78.16
4.	बिहार	15	39.01	17	58.1	37	144.19
5.	चंडीगढ़	2	3.2	1	0.62	1	0.59
6.	छत्तीसगढ़	46	79.08	28	34.94	26	60.34
7.	दिल्ली	1	0.69	4	29.85	0	0.00
8.	गोवा	3	5.11	6	9.49	0	0.00
9.	गुजरात	18	83.26	39	87.62	29	89.30
10.	हरियाणा	11	30.97	24	70.41	12	39.32
11.	हिमाचल प्रदेश	23	45.04	31	55.38	42	66.24

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	जम्मू-कश्मीर	1	1.96	0	0	0	0.00
13.	झारखंड	10	19.94	17	56.88	14	20.59
14.	कर्नाटक	57	105.51	103	184.41	58	111.85
15.	केरल	29	99.11	26	74.9	10	22.15
16.	मध्य प्रदेश	51	112.45	41	107.55	45	114.50
17.	महाराष्ट्र	52	88.74	66	166.36	15	192.09
18.	मणिपुर	9	28.94	6	3.8	11	6.93
19.	मेघालय	19	35.65	12	27.99	4	23.60
20.	मिजोरम	6	21.63	6	20.22	1	6.85
21.	नागालैंड	8	20.87	4	7.98	3	22.06
22.	उड़ीसा	17	71.85	19	57.27	19	64.94
23.	पांडिचेरी	1	2.95	2	3.96	0	0.00
24.	पंजाब	47	93.9	19	59.11	31	95.87
25.	राजस्थान	20	58.41	25	105.1	24	90.40
26.	तमिलनाडु	68	81.09	56	115.34	29	245.65
27.	उत्तर प्रदेश	101	227.23	80	184.65	61	130.84
28.	उत्तराखंड	6	18.38	11	25.91	36	103.95
29.	पश्चिम बंगाल	15	62.08	21	52.22	33	44.54

विवरण III

गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण पर किये गये व्यय के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	2003-04		2004-05		2005-06	
		विकास	अनुरक्षण	विकास	अनुरक्षण	विकास	अनुरक्षण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	110.12	35.39	89.86	25.81	69.65	39.09
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.05	0.16	5.91	0.26	6.00	0.10
3.	असम	107.84	22.37	78.00	18.30	58.00	27.52

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	60.02	36.52	52.64	36.61	66.21	44.46
5.	चंडीगढ़	1.72	0.31	1.00	0.72	0.89	0.12
6.	छत्तीसगढ़	42.39	17.43	34.89	19.75	49.08	20.12
7.	दिल्ली	13.39	0.00	3.95	0.00	0.50	0.04
8.	गोवा	23.18	5.01	5.00	1.76	6.00	3.87
9.	गुजरात	68.55	20.88	53.64	33.73	103.25	38.08
10.	हरियाणा	53.66	11.66	37.87	6.42	57.42	14.12
11.	हिमाचल प्रदेश	27.78	10.77	40.48	14.66	39.00	18.19
12.	जम्मू-कश्मीर	4.00	0.46	0.21	0.04	0.00	0.03
13.	झारखंड	33.00	13.66	14.04	12.42	39.97	14.79
14.	कर्नाटक	158.46	39.35	76.90	36.62	88.54	41.87
15.	केरल	96.65	23.66	58.38	30.23	65.99	53.07
16.	मध्य प्रदेश	79.47	68.80	82.86	54.21	77.92	53.51
17.	महाराष्ट्र	117.68	48.71	65.64	47.34	111.93	52.36
18.	मणिपुर	15.16	7.33	13.78	5.09	20.00	8.98
19.	मेघालय	35.92	9.20	28.26	11.70	24.18	8.50
20.	मिजोरम	31.00	5.44	24.91	4.32	15.75	5.28
21.	नागालैंड	11.48	1.97	16.00	2.14	11.25	3.85
22.	उड़ीसा	69.97	40.53	72.33	32.82	67.27	41.22
23.	पांडिचेरी	2.20	0.84	2.13	0.83	2.64	0.76
24.	पंजाब	50.99	18.80	50.72	16.48	62.50	19.30
25.	राजस्थान	44.23	25.81	46.45	42.74	84.60	53.91
26.	तमिलनाडु	83.00	31.11	65.31	34.56	81.80	49.94
27.	उत्तर प्रदेश	103.71	55.19	186.42	52.10	199.00	50.01
28.	उत्तराखंड	18.88	2.62	26.48	10.20	40.42	15.87
29.	पश्चिम बंगाल	69.79	27.07	71.90	22.94	55.75	28.05
	योग	1538.29	581.04	1305.96	574.80	1505.51	707.01

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ अभिघात केन्द्र

2185. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल भूतल परिवहन मंत्रालय के साथ मिलकर राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ अभिघात देख-रेख केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे प्रतिष्ठानों की पहचान कर ली है जो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग पर बड़े नेटवर्क का हिस्सा होंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कब तक उक्त प्रस्ताव क्रियान्वित हो जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित अस्पतालों में अभिघात परिचर्या सुविधाएं प्रदान करना राज्य सरकारों का काम है। तथापि, मौजूदा योजना के अधीन भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित राज्य सरकार के अस्पतालों को 1.50 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही थी। अब तक राज्य सरकार के 107 अस्पतालों को अपने अस्पतालों में अभिघात परिचर्या सुविधाओं के उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। यह एक लगातार चलने वाली योजना है।

[हिन्दी]

सीमावर्ती क्षेत्रों में बी.टी.एस. को स्थापित करना

2186. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ निजी मोबाइल कंपनियों ने लाइसेंस नीति का उल्लंघन करके सीमावर्ती क्षेत्रों में बेस टर्मिनल स्टेशन स्थापित किये हैं जो सुरक्षा के लिए खतरा सिद्ध होंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न मोबाइल फोन कंपनियों द्वारा सीमा के नजदीक संवेदनशील क्षेत्रों में आज तक कुल कितने बेस टर्मिनल स्टेशन स्थापित किए गए हैं;

(घ) उन कंपनियों के नाम तथा अन्य ब्यौरे क्या हैं, जिन्होंने बिना पूर्वानुमति के बेस टर्मिनल स्टेशन स्थापित किए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ङ) मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 10 कि.मी. के भीतर बीटीएस की संस्थापना करने के लिए दूरसंचार विभाग से विशेष अनुमति लेना अपेक्षित होता है। दूरसंचार विभाग के ध्यान में यह लाया गया कि कतिपय मोबाइल सेवा प्रदाताओं ने विशेष अनुमति के बिना मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 10 कि.मी. के भीतर अपने बीटीएस की संस्थापना की है। उल्लंघन के समय मौजूदा लाइसेंस करार की शर्तों के अनुसार इन मामलों की जांच की जा रही है।

यद्यपि, मामले की जांच की जा रही है तथापि, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 10 कि.मी. के भीतर आने वाले क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने से संबंधित शर्त में छूट दे दी गई है जिनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(1) वायरलेस/मोबाइल सेवा के लिए भारतीय सीमा क्षेत्र के भीतर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 500 मीटर तक का एक "सेवा प्रतिबंधित क्षेत्र" (नो सर्विस जोन) होगा जहां लाइसेंसधारकों को वायरलैस/मोबाइल सेवा प्रदान करने की अनुमति नहीं होगी। लाइसेंसधारक अपेक्षित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के 500 मीटर के भीतर सिग्नल अनुपयोगी हो जाएं तथा "सेवा प्रतिबंधित क्षेत्र" (नो सर्विस जोन) में कोई बेतार/मोबाइल सेवा नहीं होगी।

(2) लाइसेंसधारक जम्मू एवं कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी), वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी), अखनूर और पठानकोट क्षेत्रों में, जैसा भी मामला हो, 10 कि.मी. चौड़ा "बफर जोन" (मध्यवर्ती क्षेत्र) बनाएंगे जहां वे सेल स्थल/बीटीएस/रेडियो ट्रांसमीटर संस्थापित नहीं करेंगे।

[अनुवाद]

बजट आवंटन का उपयोग न किया जाना

2187. श्री राम कृपाल यादव: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने वर्ष 2006-07 के लिए अपने बजट आवंटन का 20% ही उपयोग किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्न उत्पादन के लिए धनराशि

2188. श्री मित्रसेन यादव: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आगामी बजट में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने और ज्यादा धनराशि नियत करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में किसानों को कोई प्रोत्साहन देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उत्पादन में वांछित वृद्धि प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र हेतु कोई नई योजनाएं शुरू करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग, खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। केन्द्रीय बजट 2007-08 में कृषि के मैक्रो प्रबंधन की विभागीय केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के परिव्यय में 2006-07 में 910 करोड़ रुपये (बजट अनुमान) से 2007-08 में 1100 करोड़ रुपये (बजट अनुमान) तक की बढ़ोत्तरी की गई है। इस स्कीम में, चावल आधारित फसलोत्पादन प्रणाली क्षेत्रों में एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम, गेहूं आधारित फसलोत्पादन प्रणाली क्षेत्रों में एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम तथा मोटे अनाज आधारित फसलोत्पादन प्रणाली क्षेत्रों में एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम जैसे घटक शामिल हैं। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम जो तैलीय बीज, दालें, खजूर तेल तथा मकई के एकीकृत स्कीम कहलाते हैं, के परिव्यय में वर्ष 2006-07 के 270 करोड़ (बजट अनुमान) से 2007-08 में 300 करोड़ रुपये (बजट अनुमान) तक की बढ़ोत्तरी की गई है।

(ग) से (च) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) हेतु निवेश ब्यौरे अभी तैयार नहीं किये गये हैं।

[हिन्दी]

डाक सेवा का आधुनिकीकरण

2189. श्री गणेश सिंह:
श्री जी. करुणाकर रेड्डी:
श्री कुलदीप बिश्नोई:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री उदय सिंह:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में डाक सेवाओं का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस उद्देश्य के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि रखी गई है;

(ग) क्या डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवाओं की अकुशलता के कारण निजी कूरियर एजेंसियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो स्पीड पोस्ट सेवा सहित डाक सेवाओं में सुधार लाने तथा इसे निजी सेवा प्रदाताओं से प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी हां। परिचालन कार्यालयों में प्रौद्योगिकी का उपयोग कर डाक-सेवाओं को निरन्तर आधुनिक बनाया जा रहा है। दसवीं योजना अवधि के दौरान 8163 बड़े डाकघरों और 120 डाक कार्यालयों में कम्प्यूटर उपलब्ध करा दिये गये हैं। विभाग के ग्यारहवीं योजना (2007-12) के प्रस्तावों को

अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। हालांकि, ग्यारहवीं योजना के पहले वर्ष के दौरान डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 230 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(ग) और (घ) जी नहीं। स्पीड पोस्ट सेवा में परियात और राजस्व दोनों ही लिहाज से वृद्धि हो रही है। इसके अलावा शिकायतों में कमी आ रही है। पिछले तीन वर्षों के परियात, राजस्व और शिकायतों के आंकड़े निम्नानुसार हैं:

वर्ष	परियात (लाख में)	राजस्व (करोड़ रु. में)	शिकायतें (%)
2003-04	826.00	298.35	0.17
2004-05	960.00	354.16	0.15
2005-06	1020.46	408.42	0.14

हाल ही में हुए एक बाजार सर्वेक्षण से पता चला कि स्पीड पोस्ट की संगठित एक्सप्रेस उद्योग में हिस्सेदारी 27.55% है। हालांकि, नए उत्पादों की शुरुआत, बाजार विकास संबंधी कार्यकलाप और ग्राहकोन्मुखी नीतियां अपनाकर विभाग राजस्व बढ़ाने के उपाय करता रहा है। स्पीड पोस्ट सेवाओं को और सुधारने के प्रयास के तौर पर 21 अगस्त, 2006 से लागू 'एक भारत, एक दर' योजना के अंतर्गत स्पीड पोस्ट दरों को प्रतिस्पर्द्धात्मक बना दिया गया है। इसके अंतर्गत 50 ग्राम तक की स्पीड पोस्ट वस्तुएं देश भर में कहीं भी 25 रु. में भेजी जा सकती है। 'एक भारत, एक दर' योजना के लागू होने के बाद स्पीड पोस्ट के परियात और राजस्व के आंकड़े निम्नानुसार हैं:

माह	परियात (लाख में)	राजस्व (करोड़ रु. में)
अगस्त, 2006	94.78	34.42
जनवरी, 2007	-119.26	40.88

एच.आई.वी./एड्स का उपचार

[अनुवाद]

2190. **श्री मधु गौड यास्खी:**
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एच.आई.वी./एड्स की उपचार की दूसरी विधि काफी खर्चीली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या माइक्रोवाईसाइड एच.आई.वी. दवा की खोज भारत में रोक दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। एचआईवी/एड्स के फर्स्ट लाइन उपचार जिसकी लागत प्रति रोगी प्रति माह 650 रुपए है, की तुलना में इसके सेकंड लाइन उपचार की लागत प्रति रोगी प्रति माह लगभग 8000 रुपए है।

(ग) और (घ) स्वतंत्र डाटा मानीटरिंग समिति (आईडीएमसी) ने अंतरिम विश्लेषण के बाद परीक्षण रोकने का निर्णय लिया क्योंकि यह पता लगा कि माइक्रोबाइसाइड का प्रयोग करने वाली महिलाओं में एचआईवी की घटनाएं कंट्रोल ग्रुप की तुलना में अधिक हैं।

कारों में आग लगने की घटना संबंधी अध्ययन

2191. **श्री रेवती रमण सिंह:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वाहन प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों से कार में आग लगने की घटनाओं का अध्ययन करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जहां तक इस मंत्रालय का संबंध है, वाहन प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को कार में आग लगने की घटनाओं का कोई अध्ययन कार्य नहीं सौंपा गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवा

2192. **श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निजी दूरसंचार कंपनियों द्वारा प्रदान की जा रही दूरसंचार सेवा का हिस्सा कितना है;

(ख) क्या सरकार को निजी दूरसंचार कंपनियों से उनकी दूरसंचार सेवाओं का ग्रामीण क्षेत्र में विस्तार करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या निजी दूरसंचार कंपनियां ग्रामीण क्षेत्रों में संतोषजनक सेवाएं प्रदान कर रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) निजी दूरसंचार अभिगम प्रदाताओं की लाइसेंस की शर्तों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने का कोई दायित्व नहीं है। तथापि, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए नीचे दिये ब्यौरे के अनुसार, निजी क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं सहित सभी सेवा प्रदाताओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है:

(1) यूएसओएफ ने सितम्बर, 2004 में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड (आरआईएल) के साथ 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले तथा सार्वजनिक टेलीफोन (पीसीओ) सुविधारहित गांवों में 46,253 ग्रामीण सामुदायिक फोन (आरसीपी) प्रदान करने के लिए करार किया है। 31 जनवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल ने 36,338 आरसीपी प्रदान किये हैं जबकि आरआईएल द्वारा 15,531 आरसीपी प्रदान किये गये हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आरआईएल ने जनवरी, 2007 तक 6,581 आरसीपी प्रदान किये हैं।

(2) यूएसओएफ ने मार्च 2005 में बीएसएनएल, आरआईएल, टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड (टीटीएल) और टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड (महाराष्ट्र) के साथ वाणिज्यिक दृष्टि से अव्यवहार्य क्रमश: 1267, 203, 172 और 43 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों में मांग पर ग्रामीण घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनें (आरडीईएल) प्रदान करने के लिए भी करार किया है। अब तक कुल 17,12,530 आरडीईएल प्रदान की गई हैं। 31.1.2007 की स्थिति के अनुसार इसमें से बीएसएनएल, आरआईएल, टीटीएल और टीटीएल (महाराष्ट्र) का हिस्सा क्रमश: 6,08,039; 4,64,276, 5,00,023 और 1,40,192 है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, 31.1.2007 की स्थिति के अनुसार कुल 13,06,908 आरडीईएल प्रदान की गई हैं जिसमें बीएसएनएल, आरआईएल, टीटीएल और टीटीएल (महाराष्ट्र) का हिस्सा क्रमश: 2,64,804; 4,32,552; 4,73,057 और 1,36,495 है।

(ख) और (ग) सरकार देश के ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थिर/मोबाइल टर्मिनल का इस्तेमाल करके वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) जैसी वायरलैस अभिगम सेवाओं सहित मोबाइल सेवाओं के लिए अवसंरचना प्रदान करने हेतु सहायता प्रदान करने की दृष्टि से आवश्यक कार्रवाई कर रही है। यह अवसंरचना उन विशिष्ट क्षेत्रों में संस्थापित की जाएगी जहां इस समय कोई स्थिर/वायरलैस मोबाइल कवरेज नहीं है। इस प्रयोजन हेतु 18.1.2007 को निविदा दस्तावेज जारी किया जा चुका है और स्टेकहोल्डरों से बोलियां आमंत्रित करने के लिए इसे दूरसंचार विभाग की वेबसाइट में डाला जा चुका है। अब बोलियां प्राप्त हो गई हैं और मूल्यांकन कार्य चल रहा है।

(घ) और (ङ) सभी सेवा प्रदाताओं को समय-समय पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा यथानिर्धारित सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) सुनिश्चित करनी होती है। ट्राई तिमाही आधार पर विभिन्न सेवा प्रदाताओं के सेवा की गुणवत्ता संबंधी ब्यौरे प्रकाशित करता है, इन्हें ट्राई की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर देखा जा सकता है।

[अनुवाद]

खेलकूद प्रबंधन में सुधार

2193. श्री रघुनाथ झा: **क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खेलकूद के संवर्धन पर अत्यधिक राशि खर्च करने के बावजूद अन्य कई देशों की तुलना में देश का अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर प्रदर्शन निराशाजनक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) खेलकूद के प्रति अभिभावक तथा समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने तथा खेलकूद प्रबंधन तथा शासन में सुधार लाने तथा इसे परिणामोन्मुखी बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) हाल की अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारतीय

खिलाड़ियों के प्रदर्शन में कुछ सुधार हुआ है। भारत ने मेबार्न राष्ट्रमंडल खेल, 2006 में चौथा और दोहा एशियाई खेल, 2006 में संयुक्त पांचवां स्थान प्राप्त किया जबकि सैफ खेल, 2006 में पहला स्थान प्राप्त किया। पिछले दशक के दौरान प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत द्वारा जीते गये पदकों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रदर्शन को सुधारने की काफी गुंजाइश है।

(ग) विभिन्न राष्ट्रीय खेल परिसंघों के लिए लम्बी अवधि की विकास योजनाएं तैयार करने की प्रक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की नियमित रूप में समीक्षा की जाती है। जीते गये पदकों के संबंध में पिछले दशक के दौरान मुख्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन अनुबंध पर दिया गया है। यह पाया गया है कि हाल के वर्षों में प्रदर्शन में सुधार हुआ है। तथापि, और अधिक सुधार की गुंजाइश है। 11वीं योजना की तैयारी हेतु योजना आयोग द्वारा गठित कार्यसमूह द्वारा इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं की हाल ही में विस्तृत समीक्षा व जांच की गई है।

भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन सुधारने के लिए बहुआयामी प्रयास किये जा रहे हैं। हालांकि, विभिन्न खेल विधाओं का विकास और उनमें उत्कृष्टता हासिल करना मुख्य रूप से राष्ट्रीय खेल परिसंघों की जिम्मेदारी है परन्तु केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय खेल परिसंघों को वित्तीय सहायता की योजना के मार्फत, प्रत्येक खेल विद्या के लिए एल.टी.डी.पी. के अधीन भारत में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित करने, विदेशों में टूर्नामेंट व प्रतियोगिता में भारतीय टीम के भाग लेने, भारतीय व विदेशी कोचों के माध्यम से कोचिंग का प्रावधान, अपेक्षित तकनीकी सहायता, उपस्करों के खरीद आदि के लिए सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों को बढ़ावा देती है। इन योजनाओं की तैयारी, कार्यान्वयन और उन्हें परिणामप्रद बनाने के लिए प्रत्येक परिसंघ के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया जा रहा है और योजना के अंतर्गत विभिन्न मानदंडों के अधीन उपयुक्त संशोधन भी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त भारतीय खेल प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों में नवीनतम प्रशिक्षण अवस्थापना व सुविधाएं सृजित करना, देश के विभिन्न हिस्सों में फैले केन्द्रों में प्रतिभा का पता लगाना जिसमें विभिन्न चुनी हुई खेल विधा के क्षेत्र शामिल हैं, पर कार्रवाई कर रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रयासों की वजह से उसके केन्द्रों में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 10वीं योजना के आरंभ में 10,000 से बढ़कर लगभग 14,000 (अनुमानित) इस वर्ष के अंत तक होने की संभावना है और इसे 11वीं योजना के अंत तक इसके बढ़कर 50,000 होने का लक्ष्य है। मंत्रालय भी प्रमुख खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए प्रतिभा खोज व प्रशिक्षण योजना तथा राष्ट्रीय खेल विकास कोष के माध्यम से सहायता प्रदान करता है।

खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करने और युवाओं के एक बड़े भाग को, विशेषकर ग्रामीण लोगों को अवसर प्रदान करने, खेलकूद सुविधाएं सृजित करने, युवा विकास व प्रतिभा का पता लगाने की दृष्टि से मंत्रालय 11वीं योजना के दौरान "पंचायत युवा खेल अभियान" नामक एक योजना आरंभ करने पर विचार कर रहा है। विभिन्न पणधारियों और मंत्रालयों आदि से योजना को अंतिम रूप दिये जाने हेतु विचार-विमर्श चल रहा है। उम्मीद है कि इससे देश के विभिन्न स्तरों पर खेल जागरूकता व संस्कृति बढ़ाने में मदद मिलेगी।

विवरण

पिछले दशक के दौरान प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत द्वारा जीते गये पदकों का ब्यौरा

प्रतियोगिता		जीते गए पदक
एशियाई खेल	1998	35
	2002	36
	2006	54
राष्ट्रमंडल खेल	1998	25
	2002	कुल 69 (जूडो में से 2 पदक, कुश्ती में 6 तथा भारोत्तोलन में 18 पदक कम कर देने के बाद)
	2006	50 (जूडो और कुश्ती को खेल विधा के रूप में शामिल नहीं किया गया था तथा भारोत्तोलन में प्रत्येक भार-वर्ग के लिए केवल एक पदक मिला जिससे उपलब्ध पदकों की संख्या कम हो गई)
ओलम्पिक	1996	1 कांस्य
	2000	1 कांस्य
	2004	1 रजत
सैफ खेल	1995	185
	1999	197
	2004	191
	2006	234

[हिन्दी]

परमाणु ऊर्जा तकनीक

2194. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय दक्षिण एशियाई देशों ने भारत से परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी की मांग की है, जैसाकि दिनांक 27 फरवरी, 2007 के ''दैनिक जागरण'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन देशों को परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी का निर्यात किये जाने की संभावना है;

(घ) इन देशों द्वारा कुल कितनी क्षमता वाले परमाणु संयंत्रों की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या इन देशों को देश के वर्तमान परमाणु संयंत्रों के रक्षा उपकरण और डिजाइन दिखाए गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या भारत ने ऐसी प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अनुमति प्राप्त की है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (झ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर ये प्रश्न ही नहीं उठते।

पंचायती राज योजना निधि

2195. श्री शिशुपाल एन. पटले: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु योजनाओं को बड़ी योजनाओं में परिवर्तित करने के पश्चात् पंचायती राज योजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि खर्च की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछड़े क्षेत्रों के लिए निर्धारित धनराशि को खर्च नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस योजना के अंतर्गत जिलों में धनराशि खर्च किये जाने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) पंचायती राज योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) वर्ष 2005-06 में पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, पंचायती राज विकास एवं अनुसंधान के लिए स्कीम एवं सूचना प्रौद्योगिकी स्कीम जैसी अनेक अपेक्षाकृत छोटी स्कीम चला रही है। स्कीमों के यौक्तिकरण के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया कि इन स्कीमों को एक अम्ब्रेला स्कीम जिसे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना कहा गया, में मिला दिया जाये। अब राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना को प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, अनुसंधान अध्ययन, अवसंरचना विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी के घटकों के साथ चलाया जा रहा है।

(ग) से (च) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) कार्यक्रम में 27 राज्यों के 250 जिले शामिल हैं। मौजूदा राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीवाई) बीआरजीएफ कार्यक्रम में विलयित कर दिया गया है। बीआरजीएफ के तहत प्रत्येक जिला प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपये का कम से कम विकास अनुदान प्राप्त करने का हकदार है। इस कार्यक्रम के तहत शेष आवंटन की 50 प्रतिशत राशि का आवंटन कुल जनसंख्या में प्रत्येक जिले की जनसंख्या तथा क्षेत्र तथा पिछड़े जिलों की कुल जनसंख्या तथा क्षेत्र के हिस्से के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक राज्य एकक रोड़ प्रति जिले की दर पर परिकलित एक क्षमता निर्माण निधि प्राप्त करेगा। आरएसबीवाई के तहत पूर्व आमेलित जिले अपने कुल आवंटन के 45 करोड़ रुपये बीआरजीएफ में अंतरित होने से पूर्व प्राप्त करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत 1603 करोड़ रुपये की राशि (12 मार्च, 2007 तक) राज्यों को निर्मुक्त की जा चुकी है।

(छ) बीआरजीएफ के तहत पंचायतों को आवंटित निधियों के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश में एक निगरानी तंत्र बनाया गया है। अगली किश्त रिलीज करते समय ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि 60 प्रतिशत निधि का उपयोग कर लिया गया है। पिछले वर्षों के दौरान उपलब्ध अथशेष 40 प्रतिशत से अधिक है तो दूसरी किश्त जारी करने के समय, उसमें से कम कर दी जाए। इसके अलावा ग्राम सभाओं अथवा वार्ड सभाओं द्वारा सामाजिक लेखा-परीक्षा का प्रावधान किया गया है। संबंधित राज्य सरकार इस स्कीम का बारीकी से अनुवीक्षण सुनिश्चित करेंगी और मंत्रालय को इसकी आवधिक प्रगति रिपोर्ट और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। राज्य सरकार स्कीम के अनुवीक्षण और क्रियान्वयन के लिए एक या अधिक स्वतंत्र संगठन को अभिज्ञात कर सकती है। पंचायती राज मंत्रालय प्रत्यक्ष या इसके द्वारा नियुक्त की गई स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से या अपने द्वारा स्कीम के कार्यान्वयन के मूल्यांकन का कार्य कर सकती है।

[अनुवाद]

चिप विनिर्माण इकाइयां

2196. श्री के.एस. राव: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चिप विनिर्माण/डिजाइनिंग इकाइयों की संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष चिप डिजाइनिंग से अधिक धनराशि अर्जित की गई;

(ख) उत्पादन और निर्यात से आय के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय हार्डवेयर बाजार में देश की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए चिप विनिर्माण इकाइयों की स्थापना करने और इसके परिणामस्वरूप रोजगार के लाखों अवसर पैदा करने के लिए कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) दिनांक 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) के साथ कुल 308 चिप डिजाइनिंग एवं अंत:निर्मित सॉफ्टवेयर इकाइयां पंजीकृत की गईं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इनकी निर्यात से हुई आय नीचे दी गई है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	निर्यात से आय
2003-04	3,300
2004-05	5,700
2005-06	7,840

(ग) और (घ) सरकार ने भारत में सेमीकंडक्टर संचिरचना एवं अन्य सूक्ष्म तथा नैनो प्रौद्योगिकी विनिर्माण उद्योगों की स्थापना के लिए पूंजीनिवेश आकर्षित करने के प्रयोजन से विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना को अनुमोदित किया है। यदि कोई इकाई विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में स्थापित की जाती है, तो प्रोत्साहन मूल व्यय का 20% होगा। यदि कोई इकाई विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर स्थापित की जाती है, तो प्रोत्साहन मूल व्यय का 25% होगा और प्रतिशुल्क (सीवीडी) में छूट दी जाएगी। 2500 करोड़ रुपये के आरम्भिक शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की पूंजीनिवेश वाली 'फैब इकाइयां' विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना में शामिल की जाएंगी। आर्थिक-प्रणाली में अन्य इकाइयों के लिए 1000 करोड़ रुपये का आरम्भिक एनपीवी पूंजीनिवेश होगा। इस योजना को कार्यान्वित करने के ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों की स्थापना योजना के अनुमोदन के बाद इस प्रकार के निवेश के लिए निवेशकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी। पूंजीनिवेश और रोजगार का सृजन स्थापित की जाने वाली ऐसी इकाइयों की संख्या पर निर्भर करेगा।

थ्री-जी मोबाइल सेवाएं शुरू करना

2197. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में वर्ष 2010 तक 500 मिलियन से ज्यादा मोबाइल के उपभोक्ता होंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रमुख दूरसंचार सेवाप्रदाता उपकरण का परीक्षण करने के उद्देश्य से थ्री-जी अथवा थर्ड जेनरेशन स्पेक्ट्रम का प्रयोग करके मोबाइल सेवाओं का परीक्षण कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नई नीति के कब तक प्रभावी होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) सरकार ने 2010 तक कुल 500 मिलियन टेलीफोन कनेक्शनों की परिकल्पना की है जिनमें से मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 450 मिलियन होने की संभावना है।

(ग) जी, हां।

(घ) मौजूदा प्रयोक्ताओं द्वारा संबंधित स्पेक्ट्रम खाली करने के पश्चात 3-जी स्पेक्ट्रम के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा की जाएगी।

संयुक्त आतंकरोधी तंत्र

2198. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान ने एक संयुक्त आतंकरोधी तंत्र की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के साथ संयुक्त सैन्य कार्रवाई करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) जी हां। 16 सितंबर, 2006 को हवाना में राष्ट्रपति मुशर्रफ के साथ प्रधानमंत्री की बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने आतंकवाद विरोधी पहलों और जांचों की पहचान और क्रियान्वयन के लिए भारत-पाकिस्तान आतंकवाद रोधी संस्थागत तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया। संयुक्त आतंकवाद रोधी तंत्र की बैठक इस्लामाबाद में 6-7 मार्च, 2007 के बीच हुई। इस बैठक में दोनों पक्षों ने दोनों देशों में उग्रवादी गतिविधियों और हिंसा पर रोक लगाने तथा दोनों देशों में आतंकवादी गतिविधियों के संबंध में जांच में सहायता हेतु उक्त तंत्र के माध्यम से विशेष सूचनाओं के आदान-प्रदान पर सहमति व्यक्त की। इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गई कि यद्यपि आतंकवाद रोधी तंत्र की बैठक तिमाही आधार पर होगी तथापि प्राथमिकता के आधार पर दी जाने वाली कोई सूचना तंत्र के संबंधित अध्यक्षों के माध्यम से तत्काल दी जाएगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन

2199. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:
श्री ई. पोन्नुस्वामी:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार से सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूल जैसे संस्कृति स्कूल और कतिपय स्वायत्तशासी/संवैधानिक निकाय सूचना का अधिकार अधिनियम को समुचित ढंग से कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं और उन्होंने जानकारी नहीं दी है, जैसाकि दिनांक 27 जनवरी, 2007 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत 6 महीनों के दौरान आज तक सरकार की जानकारी में ऐसे कितने मामले आए हैं और आर.टी.आई. अधिनियम के अंतर्गत उनके द्वारा क्या सूचना मांगी गई है; और

(घ) सरकार द्वारा संस्कृति विद्यालय सहित उनमें से प्रत्येक के खिलाफ आर.टी.आई. अधिनियम के अंतर्गत क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (घ) अपीलकर्ता/शिकायतकर्त्ताओं को सूचना की आपूर्ति करने में तथाकथित असफलता के संबंध में भारतीय विश्वविद्यालय संघ और संस्कृति स्कूल जैसे शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित दो मामले जानकारी में आए हैं। ये संगठन सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक प्राधिकरण के रूप में अपनी स्थिति के लिए लड़े थे। केन्द्रीय सूचना आयोग ने अभिनिर्धारित किया है कि उपर्युक्त दोनों संगठन सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 द्वारा कवर किये गये लोक प्राधिकरण हैं। वर्तमान में यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है।

नाको द्वारा तैयार की गई टीवी फिल्मों/ स्पॉटों का दिखाया जाना

2200. श्री अनवर हुसैन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) द्वारा कुल कितनी टीवी फिल्में/स्पॉट तैयार किए गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र का कोई फिल्म निर्माता भी इसमें शामिल है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने तीन टीवी स्पाट बनाए हैं जिनमें दो स्पाट 2004 के दौरान तथा एक स्पाट 2006 के दौरान बनाया गया है। वर्ष 2004 के दौरान स्वैच्छिक रक्तदान संबंधी एक लघु वृत्तचित्र भी बनाया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

भारत-चीन सीमा विवाद

2201. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए वार्ता का पहला चरण हाल ही में संपन्न हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) विवादित क्षेत्र का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या भारतीय प्रधानमंत्री के हाल ही में फिलीपीन्स दौरे के दौरान भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों को भारत-चीन सीमा विवाद के बारे में विशिष्ट मुद्दों की पहचान करने और इस संबंध में वार्ता आगे बढ़ाने को कहा गया था;

(ङ) यदि हां, तो उनके द्वारा अब तक क्या प्रगति की गई है और उनके द्वारा कार्रवाई की क्या रूपरेखा तैयार की गई है;

(च) सीमा विवाद को सुलझाने हेतु अगली बैठक के लिए अंतिम रूप दिये गये निर्धारित स्थान तथा कार्यसूची का ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस विवाद को कब तक सुलझाए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) 11 अप्रैल, 2005 को राजनैतिक मनदंडों और दिशा-निर्देशी सिद्धांतों पर समझौते के हस्ताक्षर के साथ ही सीमा के प्रश्न पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच बातचीत का प्रथम चरण संपन्न हुआ है।

(ग) चीन भारतीय राज्य जम्मू-कश्मीर में लगभग 3800 वर्ग कि.मी. पर अवैध कब्जा जमाए हुए है। इसके अतिरिक्त 1963 के तथाकथित चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते के अंतर्गत पाकिस्तान ने अवैध रूप से पाक अधिकृत कश्मीर के 5,180 वर्ग कि.मी. के भारतीय क्षेत्र को चीन को सौंप दिया। चीन पूर्वी क्षेत्र में लगभग 90,000 वर्ग कि.मी. के भारतीय क्षेत्र का अवैध रूप से दावा कर रहा है।

(घ) जी हां।

(ङ) और (च) भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच नौवें दौर की वार्ता 16 से 18 जनवरी, 2007 के बीच नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों विशेष प्रतिनिधियों ने भारत-चीन सीमा प्रश्न के समाधान हेतु राजनैतिक मानदंड और दिशा-निर्देशी सिद्धांतों पर करार के आधार पर सीमा समाधान के लिए स्वरूप पर अपनी चर्चा जारी रखी। दोनों पक्षों ने पारस्परिक रूप से सुविधाजनक ऐसे समय पर विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता के अगले दौर के आयोजन के प्रति सहमति व्यक्त की, जिसका निर्णय राजनयिक माध्यमों द्वारा लिया जाएगा।

(छ) दोनों पक्ष नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमा प्रश्न के शीघ्र निपटान का प्रयास कर रहे हैं।

समुद्रतटीय क्षेत्र का पुनरुद्धार

2202. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सी.आई.आई. (भारतीय उद्योग परिसंघ) से देश में समुद्रीय क्षेत्र का पुनरुद्धार करने के लिए एक नया तंत्र तैयार करने हेतु सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) भारतीय उद्योग परिसंघ से मिली जानकारी ने यह दर्शाया है कि भारतीय उद्योग परिसंघ के भारतीय समुद्रीय सम्मेलन, 2006 हेतु, भारतीय समुद्रीय परिदृश्य के बारे में पृष्ठभूमिपरक टिप्पणी में, भारतीय आर्थिकी के विकास के अनुसार, उपर्युक्त समुद्रीय क्षेत्र का सम्यक् विकास करने की दृष्टि से कुछ ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया गया है, जिन पर ध्यान देकर उनमें पाई जाने वाली कमियां दूर की जानी हैं। इनमें, अपेक्षित समुद्रीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं को विकसित करने, मौजूदा प्रक्रियाओं में बेहतरी लाने और इस क्षेत्र में संचालकों के लिए अनुकूल और प्रेरक पर्यावरण परिवेश कायम करने के क्रम में नीतिगत कदम उठाए जाने आरंभ करने हेतु सरकार और सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र सहित सभी हिस्सेदारों द्वारा योजना बनाई जानी और निवेश किया जाना शामिल है।

(ग) सरकार, विकास पथ पर बढ़ रही आर्थिकी से उत्पन्न हो रही मांगों से ताल-मेल कायम रखकर, भारत में समुद्रीय अवसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित किये जाने की आवश्यकता के प्रति सजग है। इस क्षेत्र के विकास के बारे में नीतियां और योजनाएं तैयार करते समय, भारतीय उद्योग परिसंघ से मिले सुझावों सहित विभिन्न स्रोतों से मिले सुझावों पर ध्यान दिया जाता है। यह एक लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है।

गरीबों के लिए चिकित्सा सहायता

2203. श्री पी.सी. थामस: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने "सोसाइटी फॉर मेडिकल असिस्टेंस फॉर द पुअर" को सहायता देने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अभी तक इस निधि से दी गई वित्तीय सहायता का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। केरल सरकार ने वर्ष 2006-07 के लिए गरीबों को चिकित्सा सहायता के रूप में 27.5 लाख रुपये के मैचिंग ग्रांट हेतु अनुरोध किया था, जिसको स्वीकृत कर लिया गया है। तदनुसार केरल सरकार ने इस राशि को सोसाइटी फॉर मेडिकल एसिस्टेंस टू दि पूअर (एसएमएपी) को आवंटित कर दिया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस निधि से दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	वित्तीय सहायता प्रदान किये गये व्यक्तियों की संख्या	दी गई राशि
2005	300	3,00,000 रुपए
2006	515	86,96,700 रुपए
2007	645	10,05,400 रुपए

'सार्क' में अफगानिस्तान की सदस्यता

2204. श्री वाडिगा रामकृष्णा: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अफगानिस्तान दक्षेश (सार्क) में शामिल हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान ने सार्क के साथ मुक्त व्यापार करने से मना कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप सार्क देशों के बीच 'साफ्टा' का कार्यान्वयन विपरीत रूप से प्रभावित हुआ है; और

(ङ) सदस्य देशों द्वारा पाकिस्तान को 'साफ्टा' में शामिल करने के लिए राजी करने हेतु क्या प्रयास किये गये हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) नई दिल्ली में 3-4 अप्रैल, 2007 को आयोजित होने वले 14वें दक्षेस (सार्क) शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) के आठवें सदस्य के रूप में शामिल होगा। सार्क सदस्य देशों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार, सार्क में अफगानिस्तान के प्रवेश को औपचारिक रूप देने के लिए 'शिखर बैठक के प्रारंभ में' अफगानिस्तान के राष्ट्रपति तथा मौजूदा सार्क देशों के राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों द्वारा एक संयुक्त घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किये जाएंगे।

(ग) से (ङ) पाकिस्तान ने साफ्टा करार पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन करने के बावजूद सहमत साफ्टा रियायतें देने से सिर्फ भारत को इन्कार कर दिया है। हम इसे करार का उल्लंघन मानते हैं। हमने पाकिस्तान द्वारा साफ्टा का अनुपालन न करने के संबंध में सार्क बैठकों में अपनी चिंता से अवगत कराया है। सार्क के अन्य सदस्य राज्यों ने भी इस बात पर बल दिया है कि साफ्टा का सहज कार्यान्वयन अनिवार्य है। हम प्रासंगिक सार्क बैठकों में इस मामले को उठाना जारी रखेंगे।

अधिमान व्यापार समझौता

2205. श्री एल. राजगोपाल: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और इजराइल के एक अध्ययन समूह ने भारत और इजराइल के बीच एक अधिमान व्यापार समझौते की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दौरा करने वाले इजराइल के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ इस मुद्दे पर कोई वार्ता हुई;

(घ) यदि हां, तो किये गये विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त वार्ता के दौरान भारत के हीरा व्यापारियों को दीर्घकालिक वीजा जारी करने का मुद्दा भी उठाया गया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर इजराइल की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) नवम्बर, 2005 में अंगीकार किये गये भारत-इजराइल संयुक्त अध्ययन दल की रिपोर्ट में वह करार शामिल है, जिसमें दोनों पक्ष एक अधिमानी व्यापार करार संपन्न करने के लिए बातचीत को बढ़ावा देंगे जो पारस्परिक एवं साझे फायदे के लिए विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुकूल होंगे। अधिमानी व्यापार करार के प्रारूप को भारतीय पक्ष ने फरवरी, 2006 में इजराइल के उद्योग, व्यापार एवं श्रम मंत्री को सौंप दिया है।

(ग) और (घ) इजराइल के उद्योग, व्यापार एवं श्रम मंत्री तथा उप प्रधानमंत्री माननीय श्री एलियाहु यिशाई की 2-8 दिसम्बर, 2006 तक भारत की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने अधिमानी व्यापार करार पर बातचीत शुरू किये जाने का स्वागत किया।

(ङ) जी हां।

(च) इजराइल की सरकार ने अब सूचित किया है कि इजराइल में भारतीय मूल के हीरा व्यावसायियों को एक-वर्षीय व्यापार वीजा जारी किया जाएगा।

नए कैंसर अस्पताल के लिए प्रस्ताव

2206. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात से राज्य में अहमदाबाद स्थित कैंसर अस्पताल की क्षमता में वृद्धि करने और जामनगर में एक नए कैंसर अस्पताल यूनिट का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) इस मंत्रालय को जामनगर में एक नए कैंसर अस्पताल एकक का निर्माण करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, गुजरात कैंसर एवं अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद का उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में उन्नयन करने हेतु एक क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र के रूप में चयन किया गया है और योजना के अधीन वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कैंसर केन्द्र को 5.00 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान जारी किया जा रहा है।

[अनुवाद]

समुद्रीय मार्ग पर चलाये जा रहे बांग्लादेशी जलपोत

2207. श्रीमती मोरमा माधवराज: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और बांग्लादेश के बीच इनलैंड वॉटर ट्रांजिट एंड ट्रेडरूट पर चलने वाले बंगलादेशी जलपोतों की संख्या उस मार्ग पर चलने वाले भारतीय जलपोतों की संख्या से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इनलैंड ट्रांजिट एंड ट्रेडरूट पर भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल के अनुसार कार्गो के संचालन में हिस्सेदारी, 50 : 50 आधार पर है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ङ) इस समय, अंतर्देशीय जलमार्ग के कोलकाता-हल्दिया-नारायणगंज क्षेत्र और भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार मार्ग पर 95 बांग्लादेशी जलयानों की तुलना में 10 भारतीय जलयान चल रहे हैं। फिर भी, कोलकाता-हल्दिया-पांडु और कोलकाता-हल्दिया-करीमगंज मार्गों पर अधिकतर भारतीय जलयान चल रहे हैं। कोलकाता-हल्दिया-नारायणगंज क्षेत्र में बांग्लादेशी जलयानों की संख्या भारतीय जलयानों से अधिक होने का कारण यह है कि ज्वारीय क्षेत्र में बांग्लादेशी जलयानों का संचलन अपेक्षाकृत कम खर्चीला है, क्योंकि उनके निर्माण पर आने वाली लागत और कार्मिकों का प्रबंध करने पर आने वाली लागत अपेक्षाकृत कम है और उनके द्वारा प्रयोग किया जाने वाला बंकर भी अपेक्षाकृत ज्यादा सस्ता है।

अंतर्देशीय जलमार्ग और व्यापार के बारे में भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 18 में इन दो देशों के बीच व्यापारिक और मार्गस्थ जहाजी माल के भाड़े की बराबर टन भार के आधार पर, अर्थात् 50 : 50 पर हिस्सेदारी किये जाने का प्रावधान है। प्रोटोकॉल-मार्ग पर पिछले तीन वर्षों में जहाजी माल का परिवहन बहुत अधिक बढ़ गया है, जिससे इन दोनों देशों के बीच व्यापार में मदद मिल रही है। चूंकि बांग्लादेशी जलयान अपेक्षाकृत ज्यादा सस्ते हैं इसलिए भारतीय जलयान उनसे प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी, अंतर्देशीय जलमार्ग और व्यापार के बारे में भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 26 के अनुसार गठित स्थायी समिति की 27-28 सितम्बर, 2008 को नई दिल्ली में हुई पिछली बैठक के दौरान उपर्युक्त मसला बांग्लादेशी पक्ष से उठाया गया, जिसमें दोनों पक्ष इस असंतुलन को कम किये जाने की दिशा में कार्य करने पर सहमत हो गए।

[हिन्दी]

सिकल सैल रोग

2208. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिकल सैल रोग का उन्मूलन करने के उद्देश्य से इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में शामिल किये जाने की कोई मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार सिक्कल सेल डिजीज (एससीडी) के क्षेत्र में कार्य कर रहे निकाय रोगियों के लाभ के लिए एक राष्ट्रीय सिक्कल सेल डिजीज रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम के लिए अनुरोध करते आ रहे हैं। हेमोग्लोबिनपैथियां अनुसंधान का एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र रही हैं और हाल ही में परिषद ने 4 राज्यों अर्थात महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु की प्राचीन आदिवासी जनसंख्या के बीच सिक्कल सेल डिजीज के रोगियों के लिए रोकथाम कार्यक्रम पर एक बहुकेन्द्रिक अध्ययन पूरा किया है और कार्यकलाप पैकेज कार्यान्वयन हेतु इन राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों ने इस संबंध में पहले ही कुछ कार्यकलाप शुरू कर दिए हैं। चूंकि यह समस्या स्थानीय है और राज्य सरकारें इसका मुकाबला कर सकती हैं, इसलिए यह महसूस किया जाता है कि इस पहलू को राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

कुड्डालूर में पोत निर्माण यार्ड

2209. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुड्डालूर और देश के अन्य पत्तनों पर पोत निर्माण यार्डों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इन यार्डों का निर्माण कब तक किये जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) यह निर्णय कर लिया गया है कि मुम्बई-पत्तन-न्यास और इन्नौर-पत्तन लिमिटेड, क्रमश: भारत के पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर अंतरराष्ट्रीय आकार का एक-एक शिपयार्ड अर्थात् दो शिपयार्ड स्थापित करने के क्रम में रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने सहित, आरंभिक तैयारी करने की दृष्टि से नोडल अभिकरणों के रूप में कार्य करेंगे। इन्नौर-पत्तन लिमिटेड ने रुचि की अभिव्यक्ति पहले ही आमंत्रित कर ली है, जबकि

मुम्बई-पत्तन-न्यास, रुचिवान पक्षों से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने की प्रक्रिया में लगा है। इन्नौर-पत्तन लिमिटेड द्वारा आमंत्रित की गई रुचि की अभिव्यक्ति के संदर्भ में नौ पक्षों ने अपनी रुचि दर्शाई है।

इसके अलावा, तूतीकोरिन-पत्तन-न्यास ने भी तूतीकोरिन-पत्तन पर एक शिपयार्ड स्थापित किये जाने के बारे में एक प्रस्ताव भेजा है।

मुम्बई पत्तन पर कबाड़

2210. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई पत्तन पर कुछ समय से कबाड़ पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) निर्यातकों के कंटेनर कब से रोके रखे गये हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) 12.3.2007 को रही स्थिति के अनुसार, मुम्बई पत्तन पर कबाड़ (स्क्रैप) से युक्त 76 आयातित कंटेनर पड़े हैं। उपर्युक्त कंटेनरों में से 20 कंटेनरों में इस्तेमाल किये जा सकने लायक कारतूस पाए गए और इसलिए उन्हें आगे और जांच-पड़ताल किये जाने हेतु रोक कर रखा गया तथा दिनांक 3.9.2005 को उनकी अनंतिम रूप से निकासी कर दी गई। कबाड़ (स्क्रैप) के 6 अन्य कंटेनरों में इस्तेमाल किये जा सकने लायक गोला-बारूदी खोल (शैल्स) पाए गए और उनके बारे में अधिनिर्णय किये जाने के बाद उन्हें दिनांक 31.1.2007 को ले जाने दिया गया। उपर्युक्त दोनों दृष्टान्तों में, उपर्युक्त कंटेनरों के आयातकों में से कोई भी आयातक उपर्युक्त प्रेषित माल को छुड़ाने के लिए नहीं आया। शेष 50 कंटेनर, आयातक की ओर से आगम-पत्र दाखिल किये जाने, सीमा-शुल्क का भुगतान किये जाने, जांच-पड़ताल हेतु माल प्रस्तुत किये जाने और सीमा-शुल्क विभाग द्वारा पूछे गये कुछ सवालों का जवाब दिये जाने जैसे मसलों से संबंधित कार्रवाई के लंबित रहने के कारण मुम्बई-पत्तन पर सीमा-शुल्क से निकासी करवाए जाने हेतु पड़े हैं। जिन मामलों में आयातक, प्रेषित माल युक्ति संगत समय-सीमा के भीतर नहीं छुड़वाते हैं, उनमें माल की सार्वजनिक रूप से नीलामी करके उसका निपटारा कर दिया जाता है।

स्वास्थ्य परिचर्या को बढ़ावा देने में सीआईआई की भूमिका

2211. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और भारतीय मूल की अमेरिकन एसोसिएशन आफ फिजिशिएन्स ने भारत में तथा विशेषकर इसके ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देते हुए स्वास्थ्य परिचर्या को बढ़ावा देने के लिए किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सहयोग में संयुक्त अनुसंधान, रणनीतियों का क्रियान्वयन और भारत सरकार को नीतिगत सिफारिशें करना भी शामिल हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशिएन्स ऑफ इंडियन ओरिजन ने 3 वर्षों की अवधि के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

(1) दिल्ली राज्य सरकार को आपाती और अभिघात चिकित्सा सेवाओं के लिए क्रियाविधि प्रदान करना;

(2) बिहार में प्रायोगिक परियोजना नामत: ग्रामीण स्वास्थ्य गांव कार्यक्रम की सहायता करना। इस प्रायोगिक परियोजना के प्रमुख उद्देश्य बिहार में स्वास्थ्य परिचर्या को बढ़ावा देना है जो निम्नलिखित क्षेत्रों पर केन्द्रित हैं:

* पेय जल प्रदान करना।
* बरसाती पानी और सीवेज डिस्पोजल प्रणाली का विकास।
* उपर्युक्त कूड़ा-कचरा डिस्पोजल प्रणाली का विकास।
* डेंगू और मलेरिया सहित वेक्टर जनित रोगों का निवारण।
* सार्वजनिक शौचालयों आदि जैसी अनिवार्य सार्वजनिक जनोपयोगी सेवाओं का विकास।
* व्याख्यानों का आयोजन करके स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ाना।

* नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन करना।

* मौजूदा ग्रामीण स्वास्थ्य पहलों के सहयोग से गैर-संचारी रोगों और सामान्य कैंसर स्थितियों की शीघ्र पहचान और रोगमुक्ति के लिए स्क्रीनिंग प्रणालियों की स्थापना करना।

* साक्षरता दर में सुधार लाना, विशेषकर महिलाओं में।

(ग) और (घ) समझौता ज्ञापन में अनुसंधान और विकास के क्षेत्रों में, नीतिगत सिफारिशें प्रदान करके सरकार के साथ सूचना के आदान-प्रदान और सरकार की सहायता करने के लिए सीआईआई और एएपीआई की प्रतिबद्धता को दर्शाया गया है।

[हिन्दी]

कोयला क्षेत्रों की नीलामी

2212. **श्री महावीर भगोरा:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रक्षित खनन के लिए कोयला क्षेत्रों की नीलामी करने तथा वर्तमान प्रणाली, जिसमें ये क्षेत्र बिना नीलामी प्रक्रिया के विद्युत तथा इस्पात संयंत्रों जैसे प्रयोक्ता उद्योगों को आवंटित कर दिये जाते हैं, को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) विद्युत संयंत्रों तथा इस्पात संयंत्रों को कोयले की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(च) नई प्रणाली कब तक लागू कर दिये जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (घ) जी, हां। आवेदकों की संख्या में वृद्धि तथा उपलब्ध ब्लाकों की संख्या में कमी के संदर्भ में पद्धति को अधिक पारदर्शी और उद्देश्यपरक बनाने की दृष्टि से खान तथा खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 को संशोधित कर कोयला ब्लाकों के आवंटन हेतु प्रतियोगी बोली की व्यवस्था शुरू करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ङ) सरकार ने विद्युत एवं इस्पात संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं:

(1) सीआईएल द्वारा 10वीं योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु 97 खनन परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

(2) उपकरण के उपयोग में सुधार।

(3) परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन।

(4) सभी नयी खानों की योजना मशीनीकरण से की जा रही है।

(5) भूमिगत तथा ओपनकास्ट दोनों खानों में उत्पादकता को बढ़ाना।

(6) विभिन्न निजी/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को 130 कोयला ब्लाकों का आवंटन किया गया है।

(7) मौजूदा खानों/परियोजनाओं में उत्पादन को बढ़ाने के लिए आपातकालीन कोयला उत्पादन की योजना तैयार की गई है।

(च) प्रस्तावित प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया को अपनाने के लिए वैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी, इसलिए एक विशिष्ट समय-सीमा का उल्लेख करना संभव नहीं होगा।

[अनुवाद]

पंचायतों को धनराशि का आवंटन

2213. **श्री मनोरंजन भक्त:** क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने इस पर जोर दिया है कि पंचायतों को आवंटित धनराशि का कम से कम एक-तिहाई हिस्सा महिलाओं और बच्चों के विकास संबंधी कार्यक्रमों के लिए नियत किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो अभी तक हासिल की गई उपलब्धियों का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

टी.आर.ए.आई. द्वारा एक्सेस डेफिसिट चार्ज में कमी

2214. **श्री जे.एम. आरून रशीद:**
श्री राकेश सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) का विचार एक्सेस डेफिसिट चार्ज (एडीसी) में कमी करने का है;

(ख) यदि हां, तो इससे उपभोक्ताओं को किस सीमा तक लाभ होगा;

(ग) क्या ऐसी कमी से निजी कंपनियों की कॉल दरों में कमी होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या एडीसी भुगतान रद्द किये जाने से बीएसएनएल की दरों में वृद्धि की कोई संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या कई दूरसंचार कंपनियों ने उपभोक्ताओं से रोमिंग (अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू दोनों) के लिए धनराशि अपने पास जमा कराई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण इन जमा धनराशियों को उपभोक्ताओं को वापस दिलाने पर विचार कर रहा है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने वार्षिक समीक्षा के भाग के रूप में, 31 जनवरी, 2007 को एक परामर्श-पत्र तैयार किया है जिसमें अभिगम घाटा प्रभार (एडीसी) व्यवस्था, वर्ष 2007-08 के लिए एडीसी की लागू राशि और राजस्व के प्रतिशत के रूप में एडीसी सहित इस प्रकार के एडीसी की राशि के वित्तोपषण/वसूली के तंत्र, अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) की कालों तथा उसके विभिन्न रूपों पर प्रति मिनट एडीसी, स्थिर वायर लाइन प्रचालनों के लिए अन्य सेवा प्रदाताओं (बीएसएनएल के अलावा) के लिए एडीसी की स्वीकार्यता की समीक्षा का निराकरण किया गया है।

(ख) से (ङ) ट्राई के अनुसार, चूंकि 23 फरवरी, 2006 के बाद एडीसी के संबंध में कोई नया निर्णय नहीं लिया गया है अत: उपभोक्ता को होने वाले लाभ के संबंध में कोई आकलन नहीं किया जा सकता है।

(च) से (झ) प्रचलित प्रशुल्क संरचना के अनुसार दूरसंचार प्रचालकों को रोमिंग उपभोक्ताओं से प्रतिदेय प्रतिभूति जमा की वसूली करने की अनुमति दी गई है।

आंध्र प्रदेश में एनएच-9 को चार लेन वाला बनाने संबंधी प्रस्ताव

2215. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को एनएच-9 को झगीराबाद एक चार लाइन वाला राजमार्ग बनाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) इस परियोजना पर कुल कितनी लागत आएगी; और

(घ) इस खंड पर कार्य कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग-9 को संगारेड्डी से हैदराबाद सिटी सीमा तक 144.00 करोड़ रु. के अनुमानित लागत से 4 लेन बनाने का कार्य चल रहा है और जनवरी, 2008 तक इसके पूरे होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजमार्ग-9 को जहीराबाद से संगारेड्डी तक 4 लेन बनाने के लिए साध्यता अध्ययन सह प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए निविदाएं प्राप्त हो गई हैं और उनका मूल्यांकन कार्य किया जा रहा है। उक्त अध्ययन के पूरा हो जाने और कार्य सौंप दिये जाने के बाद ही उक्त खंड को 4 लेन का बनाने की कुल लागत और पूरा होने के समय की जानकारी मिल सकेगी।

[हिन्दी]

पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान के लिए पारगमन सुविधा

2216. श्री रामदास आठवले: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने अपने देश की सहायता से चलायी जा रही छोटी सामाजिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पाकिस्तान होकर अफगानिस्तान जाने के लिए अनुमति देने हेतु पाकिस्तान सरकार से कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार ने भारत द्वारा किये गये अनुरोध को मान लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ङ) अफगानिस्तान में विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय सामान और उपस्कर को पाकिस्तान के भूक्षेत्र से होकर ले जाने की सुविधा देने के मामले को पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाया जाता रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए पारगमन की अनुमति कराची बंदरगाह से होकर जाने की दी है। भू-मार्ग से होकर जाने की नहीं। वर्ष 2006 में, अपवाद स्वरूप पाकिस्तान ने बाघा सीमा पर भू-क्षेत्र से होकर मिनी-बसों के पारगमन की अनुमति दी थी। पाकिस्तान ने भारत को भू-क्षेत्र से पारगमन की सुविधा न देने के असंगत राजनीतिक कारण बताए हैं।

[अनुवाद]

परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब

2217. श्री बसुदेव आचार्य:
श्री राम कृपाल यादव:
श्री मोहन रावले:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुत सी केन्द्र द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं/योजनाओं को पूरा करने में विलम्ब हुआ है जिससे समय-सीमा तथा लागत बहुत अधिक बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) इन परियोजनाओं/योजनाओं की संशोधित अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) इन परियोजनाओं/योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सरकार इन परियोजनाओं/योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए परियोजना क्रियान्वयन की योजना बनाने तथा इसकी निगरानी हेतु कोई कृतिक दल बनाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है तथा ये परियोजनाएं पूरी करने हेतु क्या संभावित तिथियां निर्धारित की गई हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (घ) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रकों में 20 करोड़ रुपये और इससे अधिक की लागत वाले 16 अवसंरचना सभी केन्द्रीय क्षेत्रक परियोजनाओं की कार्यान्वयन स्थिति को मॉनीटर करता है। इन परियोजनाओं में लागत व अधिक समय लगने के ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिये गये हैं। समय और अधिक लागत मुख्य रूप से निधि नियंत्रणों, भूमि समस्याओं, कानून और व्यवस्था, उपकरणों की पूर्ति, पर्यावरणीय स्वीकृति, भौगोलिक अचंभों, विस्तृत इंजीनियरिंग को अंतिम रूप दिये जाने में विलंब, इत्यादि के कारण होती है। इन परियोजनाओं का संशोधित लागत अनुमान (नवीनतम अनुमोदित लागत) 352011.32 करोड़ रुपये है।

दिनांक 30.9.2006 की स्थिति के अनुसार सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 3,84,686.30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 860 केन्द्रीय क्षेत्रक परियोजनाएं मॉनीटर की गई थीं। इनमें से 307 परियोजनाओं में अपनी मूल अनुसूची की तुलना में लगभग 1-195 महीने का अधिक समय लगा। 257 परियोजनाओं में उनकी मूल लागत की तुलना में 63.59% अधिक लागत लगी। 860 परियोजनाओं की समग्र लागत आधिक्य नवीनतम संस्वीकृत अनुमानों से 9.28% अधिक था। 84 परियोजनाओं में समय और लागत दोनों का आधिक्य देखा गया। वर्ष 2006-07 के दौरान दिनांक 30.9.2006 तक 41 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं।

(ङ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) उपर्युक्त (ङ) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

मूल अनुसूची के संबंध में परियोजनाओं में अत्यधिक लागत सीमा

क्र.सं.	क्षेत्रक	कुल परियोजनाएं				अत्यधिक लागत परियोजनाएं			
		परियोजनाओं की क्रम सं.	मूल लागत (करोड़ रुपये)	प्रत्याशित लागत (करोड़ रुपये)	लागत आधिक्य %	परियोजनाओं की संख्या	मूल लागत (करोड़ रुपये)	प्रत्याशित लागत (करोड़ रुपये)	% वृद्धि
1.	आणविक ऊर्जा	6	27738.32	29885.26	7.74	1	3447.06	6525.00	89.29
2.	नागर विमानन	24	1239.00	1337.21	7.93	5	195.54	293.75	50.23
3.	कोयला	104	18912.70	19156.53	1.29	14	567.56	894.19	57.55
4.	उर्वरक	1	249.00	249.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
5.	सूचना एवं प्रसारण	1	35.00	35.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
6.	खान	1	4091.51	4091.51	0.00	0	0.00	0.00	0.00
7.	इस्पात	27	11661.09	11730.86	0.60	2	419.36	489.13	16.64
8.	पैट्रोलियम	40	50366.86	58085.47	15.32	18	27163.92	35856.61	32.00
9.	विद्युत	65	92809.86	102411.90	10.35	9	17169.16	26877.74	56.55
10.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2	140.92	691.84	390.95	2	140.92	691.84	390.95
11.	रेलवे	285	46083.03	70993.50	54.06	172	28652.34	53997.59	88.46
12.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	187	48726.91	49023.07	0.61	10	2200.80	2564.20	16.51
13.	पोत परिवहन एवं बंदरगाह	37	5846.69	5947.61	1.73	10	280.13	411.80	47.00
14.	दूरसंचार	57	11419.14	10495.09	-8.09	8	435.39	594.96	36.65
15.	शहरी विकास	22	13711.65	19483.05	42.09	5	5006.07	10781.98	115.38
16.	जल संसाधन	1	542.90	1069.40	96.98	1	542.90	1069.40	96,98
	कुल	860	333574.58	384686.30	15.32	257	86221.15	141048.19	63.59

विवरण II

मूल अनुसूची के संबंध में परियोजनाओं में अत्यधिक समय सीमा

क्र.सं.	क्षेत्रक	कुल परियोजनाएं				अत्यधिक लागत परियोजनाएं			
		परियोजनाओं की क्रम सं.	मूल लागत (करोड़ रुपये)	प्रत्याशित लागत (करोड़ रुपये)	लागत आधिक्य %	परियोजनाओं की संख्या	मूल लागत (करोड़ रुपये)	प्रत्याशित लागत (करोड़ रुपये)	विलंब का रेंज (महीने)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आणविक ऊर्जा	6	27738.32	29885.26	7.74	1	343.26	343.26	6
2.	नागर विमानन	24	1239.00	1337.21	7.93	17	981.02	1059.16	1-32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	कोयला	104	18912.70	19156.53	1.29	37	1886.06	2069.26	4-156
4.	उर्वरक	1	249.00	249.00	0.00	0	0.00	0.00	-
5.	सूचना एवं प्रसारण	1	35.00	35.00	0.00	0	0.00	0.00	-
6.	खान	1	4091.51	4091.51	0.00	0	0.00	0.00	-
7.	इस्पात	27	11661.09	11730.86	0.60	10	1336.85	1405.43	4-12
8.	पैट्रोलियम	40	50366.86	58085.47	15.32	24	32379.73	39677.93	1-45
9.	विद्युत	65	92809.86	102411.90	10.35	26	32869.04	42180.56	1-195
10.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2	140.92	691.84	390.95	2	140.92	691.84	92-95
11.	रेलवे	285	46083.03	70993.50	54.06	32	11041.90	20150.39	3-159
12.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	187	48726.91	49023.07	0.61	87	21199.55	21451.95	1-63
13.	पोत परिवहन एवं बंदरगाह	37	5846.69	5947.61	1.73	21	1802.23	1898.64	3-96
14.	दूरसंचार	57	11419.14	10495.09	-8.09	37	9634.58	8943.50	4-103
15.	शहरी विकास	22	13711.65	19483.05	42.09	12	5187.03	10928.27	4-51
16.	जल संसाधन	1	542.90	1069.40	96.98	1	542.90	1069.40	3
	कुल	860	333574.58	384686.30	15.32	307	119345.07	151869.59	

भू-विस्थापितों के मामलों का निपटारा

2218. श्री जुएल ओराम: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) ने भू-विस्थापितों के मामलों का अब तक निपटान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रभावित व्यक्तियों को उपयुक्त मुआवजा नहीं दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) मुआवजे के भुगतान तथा उपर्युक्त पुनर्वास कार्य में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) महानदी कोलफील्ड्स लि. (एमसीएल) के भू-वंचितों के मामलों को कोल इंडिया लि. की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति (आर एंड आर) के अनुसार उपयुक्त रूप से निपटाया जा रहा है।

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भू-वंचितों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 तथा कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण तथा विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार भूमि का मुआवजा तथा अन्य हित दिये जा रहे हैं। कोल इंडिया लि. की आर. एंड आर. नीति के अनुसार उड़ीसा सरकार के संयोजन से उनकी भूमि का कब्जा लेने और अन्य हितों से पूर्व उन्हें उपयुक्त पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास लाभ दिये जाते हैं।

(ङ) भूमि का अधिग्रहण एक सतत प्रक्रिया है और खनन क्रियाकलापों की प्रगति के अनुसार पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास चरणों में किया जाता है। प्रभावित व्यक्तियों को सभी आर. एंड आर. लाभ वास्तविक विस्थापन के समय दिये जाते हैं। एमसीएल ने अब तक 3132 परियोजना प्रभावित परिवारों को 199.7552 करोड़ रु. की राशि के मुआवजे का भुगतान किया गया है तथा पुनर्स्थापन लाभ दिये गये हैं।

नैदानिक परीक्षण रिपोर्टें

2219. डॉ. मुणव्वर हसन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नैदानिक परीक्षण रिपोर्टें केवल औषधि निर्माताओं के चिकित्सा सलाहकारों द्वारा ही तैयार की जाती हैं तथा जांचकर्ता केवल अपने हस्ताक्षर ही करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे आरोपों की निगरानी हेतु औषधि नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा की गई व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली की अनुसूची वाई प्रायोजक और अन्वेषणकर्त्ता की भूमिका को निर्धारित करती है जो इस प्रकार है:

* प्रायोजक की जिम्मेदारी-क्लीनिकल ट्रायल प्रायोजक गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली के कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए जिम्मेवार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्लीनिकल ट्रायल को प्रोटोकॉल और अच्छे क्लीनिकल प्रेक्टिस (जीसीपी) दिशानिर्देशों और सभी मान्य सांविधिक उपबंधों के अनुसार किया जाता है और डाटा तैयार किया जाता है, प्रलेखित किया जाता है और सूचित किया जाता है। जीसीपी और मान्य विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाओं को प्रलेखित किया जाना चाहिए।

  प्रायोजकों द्वारा निर्धारित अवधि पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी को क्लीनिकल ट्रायल पर स्टेटस रिपोर्ट सौंपना अपेक्षित होता है।

* अन्वेषणकर्ता (अन्वेषणकर्त्ताओं) की जिम्मेदारी-अन्वेषणकर्त्ता प्रोटोकॉल और जीसीपी दिशानिर्देशो के अनुसार और अनुसूची-वाई के परिशिष्ट-VII में दी गई वचनबद्धता के अनुपालन के अनुसार ट्रायल करने के लिए जिम्मेवार होगा या होंगे।

(ग) औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली की अनुसूची-वाई और जीसीपी दिशानिर्देशों के अनुपालन न किये जाने की किसी रिपोर्ट के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच शुरू की जाती है। यदि किसी मामले में अनियमितता की पुष्टि की जाती है, तो संबंधित औषधों के लिए मार्किटिंग अधिकार वापिस ले लिया जाता है/निलंबित किया जाता है।

स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर खर्च

2220. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री एम. राजामोहन रेड्डी:
श्री सर्वे सत्यनारायण:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में अन्य विकसित देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति तथा सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता दोनों में स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट, 2006 के अनुसार भारत तथा चुनिंदा विकसित देशों के संबंध में स्वास्थ्य पर जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में व्यय (2003 के अनुसार) निम्नलिखित है:

क्र.सं.	देश	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर कुल व्यय	औसत विनिमय दर पर स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति व्यय (यूएस डालर)
1.	भारत	4.8	27
2.	संयुक्त राज्य अमेरिका	15.2	5711
3.	जर्मनी	11.1	3204
4.	फ्रांस	10.1	2981
5.	कनाडा	9.9	2669
6.	यूनाइटेड किंगडम	8.0	2428

(ग) यूपीए सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधिदेश के अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार के व्यय को जीडीपी के 0.9% के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर जीडीपी के 2-3% पर लाने के प्रस्ताव के साथ स्वास्थ्य परिचर्या बल दिये जाने वाले क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया है और इसे 18 राज्यों पर विशेष बल देते हुए वित्तीय वर्ष 2005-06 से देश भर में प्रचालित किया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ इस मिशन का लक्ष्य मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के संवर्ग के सृजन के जरिये ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की कमियों को दूर करते हुए, जनस्वास्थ्य अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण, कार्मिक शक्ति की नियुक्त के यौक्तिकीकरण, जिला स्तर पर कार्यक्रम के विकेन्द्रीकरण तथा संसाधनों के प्रभावी उपयोग के जरिये अस्पताल परिचर्या को बेहतर करते हुए विशेषतौर पर जनसंख्या के गरीब तथा असुरक्षित वर्गों को सुगम, वहनीय, उत्तरदायी, प्रभावी तथा विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त इस मिशन का लक्ष्य राष्ट्रीय राज्य, जिला तथा उप-जिला स्तरों पर पंचायती राज्य संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य अन्य स्टेक होल्डर की भागीदारी के जरिये समुदाय में कार्यक्रम के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वामित्व का निर्माण करना है।

[हिन्दी]

व्यापक आर्थिक नीति

2221. **डा. चिन्ता मोहन:**
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश की एक व्यापक आर्थिक नीति बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा कारण क्या हैं;

(ग) क्या वर्तमान आर्थिक नीति ने विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित विकास को अव्यवस्थित कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो देश के विभिन्न क्षेत्रों के संतुलित विकास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) तीव्रतर आर्थिक विकास एवं गरीबी में कमी लाना योजना का केन्द्र रहा है। भारत् जैसे कम-आय वाले देश में लोगों के जीवन-यापन की उच्च स्तर मानक को बनाए रखने के लिए आवश्यक अर्थव्यवस्था के उत्पादन आधार का विस्तार तीव्र आर्थिक विकास के माध्यम से ही हो सकता है। परंतु विकास की अपने आप में कोई सीमा नहीं है—इसका यह एक माध्यम है जिसे बहु-आयामी आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों के अर्थों में परिभाषित किया जाना चाहिए। इस प्रकार राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा यथा अनुमोदित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-08 से 2011-12) के दृष्टिकोण-पत्र के अनुसार, ग्यारहवीं योजना में न केवल जीडीपी विकास दर हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित है बल्कि इस विकास का समावेशन दर्शाते हुए गरीबी कम करने, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल मुद्दों, अवसंरचना और पर्यावरण जैसे निष्पादन के अन्य आयामों हेतु लक्ष्य भी निर्धारित किये जाएं जिसकी मॉनीटरिंग की जा सके। दृष्टिकोण-पत्र के वास्तविक मूल अवसंरचना तथा सभी के लिए स्वास्थ्य व शिक्षा सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के माध्यम से सभी क्षेत्रों में असमानताओं को कम करने के बारे में उल्लेख किया गया है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-08 से 2011-12) के दृष्टिकोण-पत्र में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत का विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इसका लक्ष्य इस अवधि के समाप्त होने तक अर्थव्यवस्था के धारणीय विकास दर को लगभग 10 प्रतिशत तक करना है।

भारत के आर्थिक मूलतत्व में व्यापक सुधार हुआ है और अब हमारे लोग विशेषकर गरीब तथा उपांतिक के जीवन-यापन की गुणवत्ता को निर्णायक रूप से प्रभावित करने की हमारी क्षमता है।

(ग) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (पीएसओ) से उपलब्ध सूचना के आधार पर, दसवीं योजना अवधि के लिए निर्धारित 8.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष समग्र जीडीपी विकास दर की तुलना में दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-03 से 2006-07) के लिए बाजार मूल्यों पर (1999-2000 के स्थिर मूल्यों पर) कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 7.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष/अनुमानित की गई है। दसवीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्रक के लिए विकास दर निर्धारित 4% की तुलना में 2.1% होने की संभावना है। दसवीं योजना के दौरान उद्योग क्षेत्र की विकास दर 8.9% के लक्ष्य की तुलना में 8.7% होने की संभावना है जबकि दसवीं योजना के दौरान सेवा क्षेत्रक का विकास दर 9.3% है जो कि इस क्षेत्रक हेतु निर्धारित 9.3% योजना लक्ष्य के बराबर है। अन्य क्षेत्रकों की तुलना में कृषि क्षेत्रक में धीमे विकास दर का कारण आंशिक रूप से पिछले कुछ वर्षों में खराब मौसम रहा है।

(घ) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा यथाअनुमोदित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण-पत्र में कुल जीडीपी का 9 प्रतिशत

वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित है जिसमें कृषि के लिए 4.1% उद्योग के लिए 10.5% तथा सेवा क्षेत्रक के लिए 9.9% प्रतिशत लक्ष्य है। दृष्टिकोण-पत्र में कृषि आउटपुट में तेजी लाने हेतु विभिन्न कार्यनीतिक उपायों का उल्लेख है। इनमें सिंचित क्षेत्र के विकास दर को दुगुना करना, जल प्रबंधन में सुधार, वर्षा जल संग्रहण तथा जलसंभर विकास, अवक्रमित भूमि को उपजाऊ बनाना तथा मृदा गुणवत्ता पर ध्यन देना, प्रभावी विस्तार के माध्यम से ज्ञान के अंतर को कम करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त उपायों सहित उच्च महत्व के आउटपुट में विविधीकरण, पशुपालन व मत्स्यपालन को बढ़ावा देना, क्रेडिट तक आसान पहुंच, प्रोत्साहन संरचना एवं विपणन कार्यप्रणाली में सुधार तथा भूमि सुधार मुद्दों पर पुन: ध्यान केन्द्रित करना शामिल है। इस संबंध में क्षेत्रकीय नीतियों के ब्यौरे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण-पत्र में सूचीबद्ध है जिसे संसद के ग्रंथागार में रख दिया गया है।

[अनुवाद]

बहरेपन का खतरा

2222. **श्री कैलाश मेघवाल:**
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री मिलिन्द देवरा:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री बच्ची सिंह रावत "बच्चदा":

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में लम्बे समय से तथा गहन बहरेपन से पीड़ित व्यक्तियों की ग्रामीण, शहरी तथा बच्चों की अलग-अलग राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने की संभावना है;

(ग) क्या बहरेपन की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए कोई प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस परियोजना में भारतीय पुनर्वास परिषद की सहायता ली जाएगी;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या लोगों को शिक्षित करने के लिए कोई मीडिया जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाने का प्रस्ताव है ताकि बहरापन बढ़ने से पूर्व इसका उपचार किया जा सके; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पल्लमराजू लक्ष्मी): (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट" हीयरिंग एंड ईयर केयर इन साऊथ ईस्ट एशिया रीजन" में दिए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में जनसंख्या आधारित सर्वेक्षणों के आधार पर गंभीर श्रवण क्षति की समग्र अनुमानित व्यापकता 6.30% है।

कोई राज्य वार/ग्रामीण/शहरी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, एडल्ट ऑनसेट बधिरता 7.6% है तथा बच्चों में ऑनसेट बधिरता 2.0% है।

(ख) से (ज) राष्ट्रीय बधिरता निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम का प्रायोगिक चरण 10 राज्यों के 25 जिलों तथा 1 संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया है:

1. रोग अथवा चोट के कारण परिहार्य श्रवण हानि की रोकथाम करना।
2. श्रवण हानि तथा बधिरता के लिए उत्तरदायी श्रवण समस्याओं की शीघ्र पहचान, निदान तथा उपचार।
3. बधिरता से पीड़ित सभी आयुवर्ग के व्यक्तियों का चिकित्सीय पुनर्वास करना।
4. बधिर व्यक्तियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम को जारी रखने के लिए मौजूदा अन्तरक्षेत्रीय सम्पर्क को सुदृढ़ करना।
5. उपकरण तथा सामग्री एवं प्रशिक्षण कार्मिकों के लिए सहायता प्रदान करने हेतु नेत्र परिचर्या सेवाओं के लिए संस्थागत क्षमता विकसित करना।

कार्यक्रम के मुख्य घटकों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. कार्मिक शक्ति प्रशिक्षण एवं विकास: श्रवण क्षति वाले एवं बधिर मामलों के निवारण, शीघ्र पहचान तथा उपचार के लिए मेडिकल कालेज स्तर के विशेषज्ञों द्वारा न्यूनतम स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

2. क्षमता निर्माण: ईएनटी/श्रवण विज्ञान अवसंरचना के संबंध में जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए।

3. पुनर्वास सहित सेवा की व्यवस्था-श्रवण एवं वाक क्षति वाले रोगियों का उपचार तथा स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर पुनर्वास।

4. सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण कार्यकलापों के जरिए जागरूकता सृजन-श्रवण क्षति वाले व्यक्तियों विशेषतया बच्चों की शीघ्र पहचान के लिए जिससे कि ऐसे रोगियों का समय पर उपचार संभव हो सके तथा बधिरता से जुड़े हुए कलंक को दूर किया जा सके।

चुनिंदा जिलों में कार्मिक शक्ति अर्थात डाक्टरों तथा स्वास्थ्य कार्मिकों का प्रशिक्षण तथा स्कूली शिक्षकों का प्रशिक्षण भारतीय पुनर्वास परिषद के सहयोग से किया जाएगा।

बधिरता के विभिन्न कारणों, इसकी रोकथाम तथा प्रबंधन के संबंध में लोगों को शिक्षित करने के लिए मीडिया जागरूकता कार्यक्रम प्रायोगिक कार्यक्रम का भाग है।

प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं

2223. **श्री एम. अप्पावुराई:**
प्रो. रासा सिंह रावत:
श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:
श्री फ्रांसिस फैन्थम:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले छह माह के दौरान प्रधानमंत्री ने कितने देशों की यात्रा की;

(ख) इन देशों के साथ हस्ताक्षरित समझौतों का देशवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान भारत यात्रा पर आने वाले गणमान्य व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन गणमान्य व्यक्तियों के साथ चर्चा किये गये मुद्दों तथा उनके साथ हुए द्विपक्षीय समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इन देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करने के पश्चात हुई प्रगति की निगरानी के लिए एक पृथक प्रकोष्ठ का गठन किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन समझौतों पर हस्ताक्षर करने के कारण क्या-क्या लाभ होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) प्रधानमंत्री ने विगत छह माह के दौरान सात देशों (ब्राजील, क्यूबा, दक्षिण अफ्रीका, यू.के., फिनलैंड, जापान और फिलीपिंस) की यात्रा की।

(ख) उपर्युक्त यात्राओं के दौरान संपन्न किये गये करारों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त अवधि के ही दौरान 17 राज्याध्यक्ष/शासनाध्यक्ष, 5 उप राष्ट्रपति/डेप्यूटी प्रेसीडेंट/युवराज, 9 उप प्रधान मंत्री और 31 विदेश मंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भारत की यात्रा पर आए। उनके साथ जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया, जो द्विपक्षीय करार संपन्न किये गये और उनसे प्राप्त होने वाले संभावित लाभ संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) से (छ) द्विपक्षीय करार अपने-अपने क्षेत्र में संबंधित देश के साथ परस्पर लाभप्रद सहयोग का संवर्धन करते हैं और हमारे संबंधों को और अधिक गहन बनाने के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध कराते हैं। इन करारों के क्रियान्वयन में प्रगति का अनुवर्तन और निगरानी विदेश मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा की जाती है।

विवरण I

1. **प्रधानमंत्री की ब्राजील यात्रा (10-14 सितंबर, 2006)–भारत-ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका शिखर सम्मेलन के अवसर पर हस्ताक्षरित दस्तावेज**

(क) वाणिज्यिक नौवहन और समुद्री परिवहन संबंधी अन्य मामलों के संबंध में त्रिपक्षीय करार।

(ख) सूचना सोसायटी पर सहयोग के लिए रूपरेखा।

(ग) मानकों, तकनीकी विनियमों और अनुपालन मूल्यांकन के लिए व्यापार सरलीकरण पर कार्य योजना।

(घ) जैव ईंधन पर त्रिपक्षीय कार्यदल का गठन करने के संबंध में समझौता ज्ञापन।

(ङ) कृषि और अनुप्रयुक्त क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पर समझौता ज्ञापन।

2. **प्रधानमंत्री की ब्राजील यात्रा (10-14 सितम्बर, 2006 तक) के दौरान हस्ताक्षरित द्विपक्षीय दस्तावेज**

(क) वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग पर द्विपक्षीय करार।

(ख) वायु सेवा करार।

(ग) भारतीय मानक ब्यूरो और एबीएनटी के बीच समझौता ज्ञापन।

(घ) मानव व्यवस्थापन के क्षेत्र में सहयोग समझौता ज्ञापन।

(ङ) पादप स्वास्थ्य संरक्षण पर समझौता ज्ञापन।

(च) ब्राजील में भारतीय संस्कृति सप्ताहों और भारत में ब्राजील की सांस्कृतिक सप्ताहों का आयोजन करने के संबंध में समझौता ज्ञापन।

(छ) भरात अर्थमूवर्स लिमिटेड और ब्राजील की कंपनी, सीसीसीई, के बीच रेलवे वैगन निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन।

(ज) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और ब्राजील के पेट्रोबास के बीच समझौता ज्ञापन।

(झ) कृषि अनुसंधान में सहयोग के लिए कार्य योजना।

3. **प्रधानमंत्री की क्यूबा यात्रा (14-18 सितम्बर, 2006) चौदहवें नाम शिखर सम्मेलन में पारित दस्तावेज**

(क) निर्णायक दस्तावेज।

(ख) वर्तमान अंतरराष्ट्रीय संधिकाल में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों और सिद्धांतों तथा उसकी घोषणा।

(ग) गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पद्धति पर दस्तावेज।

(घ) गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए कार्ययोजना।

(ङ) ईरान इस्लामी गणराज्य के नाभिकीय मसले पर वक्तव्य।

(च) फिलीस्तीन पर घोषणा।

4. **प्रधानमंत्री की दक्षिण अफ्रीका यात्रा (30 सितम्बर से 3 अक्तूबर 2006 तक) के दौरान हस्ताक्षरित दस्तावेज**

(क) शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करार।

(ख) भारत के रेल मंत्रालय और स्पूरनेट के बीच समझौता ज्ञापन।

5. **प्रधानमंत्री की जापान यात्रा (13-16 अक्तूबर, 2006 तक) के दौरान हस्ताक्षरित/जारी दस्तावेज**

(क) संयुक्त वक्तव्य: भारत-जापान नीतगित एवं वैश्विक भागीदारी की ओर।

(ख) जापान के तटरक्षक और भारतीय तटरक्षक के बीच सहयोग ज्ञापन।

(ग) भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और जापान के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अभिकरण के बीच वैज्ञानिक सहयोग कार्यक्रम पर समझौता ज्ञापन।

(घ) भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और जापान के "रिकेन" के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।

(ङ) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और जापान फाउंडेशन के बीच समझौता ज्ञापन।

(च) भारत सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय और जापान सरकार के अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय के बीच "दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कारीडोर" की स्थापना के संबंध में समझौता ज्ञापन।

(छ) भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और जापान सरकार के अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय के बीच भारत-जापान मंत्रिस्तरीय नीतिवार्ता की स्थापना के संबंध में समझौता ज्ञापन।

(ज) भारत-जापान पर्यटन आदान-प्रदानों के संवर्धन पर संयुक्त वक्तव्य।

(झ) भारत और जापान के बीच आर्थिक भागीदारी करार/ व्यापक आर्थिक भागीदारी करार विकसित करने के लिए संयुक्त कार्यबल का लांच करने के संबंध में संयुक्त मंत्रिस्तरीय वक्तव्य।

(ञ) भारत सरकार और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन के बीच सहयोग करना।

(ट) जबलपुर में जापानी सहायता से भारतीय डिजाइन एवं निर्माण सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के विकास पर समझौता ज्ञापन।

6. **भारत-आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनों के लिए प्रधानमंत्री की फिलीपींस यात्रा (13-15 जनवरी, 2007)-सेबू में हस्ताक्षरित दस्तावेज**

(क) पूर्व एशियाई ऊर्जा सुरक्षा पर सेबू घोषणा।

विवरण II

अफगानिस्तान

अफगानिस्तान पर दूसरे क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए 15-19 नवम्बर 2006 तक महामहिम राष्ट्रपति करजई भारत यात्रा पर आए। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं, जिनमें विभिन्न द्विपक्षीय सहायता परियोजनाओं में की गई प्रगति शामिल हैं, पर उपयोगी विचार-विमर्श किया। क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग, अफगानिस्तान में बढ़ी हुई हिंसा और आतंकवाद को कम करने और उसकी रोकथाम करने के तरीकों से संबंधित मसले भी चर्चा में उठे।

अफ्रीकी संघ

2. अफ्रीकी संघ के आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर अल्फा ओमार कोनारे 19-21 दिसम्बर, 2006 तक भारत की सरकारी यात्रा पर आए। यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्री और विदेश राज्य मंत्री (आनन्द शर्मा) से मुलाकात के दौरान प्रो. कोनारे ने भारत के साथ संबंधों का विस्तार करने की अफ्रीकी संघ की इच्छा व्यक्त की और अफ्रीकी संघ और भारत शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव रखा। 12 अफ्रीकी राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के समूह के साथ उच्चस्तरीय वार्ता आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया गया और ऐसा महसूस किया गया कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्यसूची तैयार करने तथा अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु एक कार्य दल का गठन करना होगा। विदेश मंत्री ने भारत की इस इच्छा को व्यक्त किया कि वह अफ्रीकी संघ के साथ आगे भी सहयोग करना चाहता है और संयुक्त रूप से निर्मित अफ्रीका के अपने स्वप्न को साकार करने के लिए सहायता प्रदान करना चाहता है। दोनों पक्षों में भारत और अफ्रीका के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों, लोकतांत्रिक मूल्यों, और पैन अफ्रीका ई-नेटवर्किंग के क्रियान्वयन की भी चर्चा हुई।

आर्मेनिया

3. आर्मेनिया की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष महामहिम टिगरन टोरोस्यान के नेतत्व में आर्मेनिया का एक संसदीय शिष्टमंडल 13-17 दिसम्बर, 2006 तक भारत की यात्रा पर आया। द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने और दोनों देशों के बीच संसदीय आदान-प्रदान पर विचार-विमर्श करने के लिए इस प्रतिनिधिमंडल ने उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष (लोक सभा), तथा विदेश मंत्री, विपक्ष के नेता, और विदेश मंत्रालय की स्थायी समिति के सदस्यों के साथ मुलाकात की।

बेलारूस

4. बेलारूस के विदेश मंत्री, श्री सेर्गेंड मार्तिनोव 22-23 फरवरी, 2007 तक भारत की यात्रा पर आए। उन्होंने बेलारूस के राष्ट्रपति की आगामी भारत यात्रा तथा भारत-बेलारूस संबंधों को और मजबूत बनाने पर विचार-विमर्श करने के लिए विदेश मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, विदेश राज्य मंत्री से मुलाकात की।

बेल्जियम

5. बेल्जियम के महामान्य प्रधानमंत्री श्री गए वेरहोफस्टाट 2-7 नवम्बर, 2006 तक भारत की यात्रा पर आए। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर चर्चा हुई। यात्रा के दौरान निम्नलिखित करार संपन्न किये गये:

(क) सामाजिक सुरक्षा पर करार

(ख) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर करार

भूटान

6. भूटान के युवराज 26-30 नवम्बर, 2006 तक भारत की निजी यात्रा पर आए।

7. 29-30 जनवरी, 2007 तक नई दिल्ली में आयोजित "शांति, अहिंसा और सशक्तिकरण सम्मेलन" (सत्याग्रह सम्मेलन) में भाग लेने के लिए भूटान के प्रधानमंत्री महामान्य ल्योन्पो खांडु वांग्चुक और विदेश मंत्री 28 जनवरी से 1 फरवरी, 2007 तक भारत यात्रा पर आए।

8. भूटान के महामहिम नरेश जिग्मे खेसर नांगयेल वांग्चुक 7-12 फरवरी, 2007 तक भारत की सरकारी यात्रा पर आए। महामान्य ल्योग्यो खांडु वांग्चुक, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री तथा भूटान की शाही सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी महामहिम नरेश के साथ आए। यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मसलों पर विचार-विमर्श किया। भारत सरकार ने भूटान के लोकतांत्रिक संवैधानिक राजशाही की दिशा में संक्रमण काल तथा आगामी चुनाव के दौरान भूटान के लिए अपने पूर्व समर्थन की पुष्टि की। भारत ने अपनी इस वचनबद्धता को दोहराया कि वह भूटान को इसके सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रम, जिसमें भूटान की चल रही नौवीं पंचवर्षीय योजना और आगामी दसवीं पंचवर्षीय योजना भी शामिल है, को अपने संसाधनों के भीतर हरसंभव सहायता प्रदान करेगा। अद्यतन भारत-भूटान मैत्री संधि 8 फरवरी, 2007 को नई दिल्ली में संपन्न की गई।

बोत्स्वाना

9. बोत्सवाना गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति श्री फोस्टस जी. मोंगे 7-13 दिसम्बर, 2006 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आए। दोनों देशों ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग, बोत्स्वाना में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना, बोत्स्वाना हीरों की खोज सहित खनन, ग्रामीण विकास और अंतरराष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मसलों पर विचार-विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने बोत्स्वाना को 20 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण तथा 11 मिलियन डालर की अनुदान सहायता प्रदान की। बोत्स्वाना के राष्ट्रपति ने भारत-एसएसीयू, पीटीए, भारत-एसएडीसी मंच पर तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन करने का वचन दिया। इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित करार सम्पन्न किये गये:

(क) दोहरे कराधान के परिहार से संबद्ध करार।

(ख) द्विपक्षीय सहयोग पर सामान्य करार।

(ग) 2007-2010 की अवधि के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम।

(घ) पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्किंग के लिए बोत्स्वाना की सरकार के साथ कंट्री करार।

ब्रूनई, दार-ए-सलाम

10. ब्रूनई दार-ए-सलाम के विदेश एवं व्यापार-II मंत्री पेहित दातो लिम जोक सेंग 10 से 13 अक्तूबर, 2006 तक भारत की यात्रा पर आए। ब्रूनई के मंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, विदेश राज्य मंत्री (ईए) से मुलाकात की। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मसलों पर विचार-विमर्श किया गया।

बुरुंडी

11. बुरुंडी गणराज्य की द्वितीय उप राष्ट्रपति मादाम मेरीन बरम्पमा 6-11 अक्तूबर, 2006 तक भारत की सरकारी यात्रा पर आई। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित कोमेसा-भारत मंत्रिस्तरीय वार्ता में भाग लिया तथा भारत अफ्रीका भागीदारी सभा, जिसका आयोजन 9-11 अक्तूबर, 2006 तक नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ ने किया था, में भाग लिया। उन्होंने कृषि राज्य मंत्री श्री कांतिलाल भूरिया से भी मुलाकात की और कृषि के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर विचार-विमर्श किया।

चीन

12. चीन लोक गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम हू जिंताओ 20-23 नवंबर, 2006 तक भारत की यात्रा पर आए। यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जिनमें सीमा का प्रश्न भी शामिल था, और परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मसलों पर चर्चा की। दोनों पक्ष भारत-चीन संबंधों को गुणवत्ता के नए स्तर तक पहुंचाने के लिए अपनी नीतिगत और सहयोगात्मक भागीदारी को और सशक्त बनाने के लिए 10-सूत्री नीति पर सहमत हुए। इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित करार/दस्तावेज संपन्न हुए:

(क) क्वांगछू और कोलकाता में प्रधान कॉंसलावास की स्थापना के संबंध में करार।

(ख) भारत के विदेश मंत्रालय और चीन के विदेश मंत्रालय के बीच सहयोग पर प्रोटोकोल।

(ग) शंघाई में भारत के प्रधान कोंसलावास की संपत्ति के मसले पर करार।

(घ) द्विपक्षीय निवेश संरक्षण और संवर्धन पर करार।

(ङ) निर्यात कार्गों के निरीक्षण (कच्चा लौह) के संबंध में समझौता ज्ञापन।

(च) भारत से चीन को चावल निर्यात करने के लिए पादप स्वच्छता अनिवार्यताओं पर प्रोटोकोल।

(छ) भावी पण्यों के विनियामन आयोग के संबंध में भारत का वायदा बाजार आयोग और चायना सिक्योरिटी रेगुलेटरी कमीशन के बीच समझौता ज्ञापन।

(ज) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान और चीन की साम्यवादी पार्टी के सेंट्रल पार्टी स्कूल के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन।

(झ) वानिकी सहयोग पर करार।

(ञ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और चायनीज एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज के बीच समझौता ज्ञापन।

(ट) शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर आदान-प्रदान कार्यक्रम।

(ठ) सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।

(ड) सांस्कृतिक संपदा की चोरी, चोरी-छिपे उत्खनन और अवैध आयात-निर्यात की रोकथाम पर करार।

13. चीन के विदेश मंत्री लि छोचिंग 13-14 फरवरी, 2007 तक भारत की यात्रा पर आए। चीन के विदेश मंत्री की यात्रा से चीन के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान हुई सहमितियों के क्रियान्वयन का लेखा-जोखा करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने भारत-चीन और रूस के विदेश मंत्रियों की त्रिपक्षीय बैठक में भी भाग लिया।

कोमेसा

14. कोमेसा के मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष तथा रवांडा के व्यापार एवं उद्योग मंत्री माननीय मिताली काबांदा प्रोटैस के नेतृत्व में पूर्वी तथा दक्षिणी अफ्रीका के लिए साझा बाजार (कोमेसा) के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत-कोमेसा मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए 4-11 अक्तूबर, 2006 तक नई दिल्ली का दौरा किया। अन्य के साथ-साथ प्रतिनिधिमंडल में मारीशस के विदेश कार्य, अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं सहयोग मंत्री माननीय दन दुल्लू भी शामिल थे। बुरूंडी के उप राष्ट्रपति श्रीमती मरीना बारमपामा जो कि द्विपक्षीय दौरे पर नई दिल्ली आयी हुई थी ने भी कोमेसा बैठक में भाग लिया।

15. प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति जी से शिष्टाचार भेंट की जिन्होंने बढ़ते भारत-अफ्रीकी व्यापार एवं निवेश सहयोग के लिए अपने दृष्टिकोण का स्पष्ट किया। प्रतिनिधि स्तरीय वार्ताएं विदेश राज्य मंत्री श्री आनन्द शर्मा के साथ 6 अक्तूबर, 2006 को संपन्न हुई। अधिकारिक वार्ताओं की समाप्ति पर एक संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किये गये जिसमें कोमेसा देशों में अवसंरचनात्मक विकास हेतु प्रयासों को गहन करने; सांस्थानिक क्षमता निर्माण को आगे बढ़ाने; पीटीए बैंक तथा अफ्रीका व्यापार बीमा एजेंसी में भारत सरकार की सहभागिता की संभावना का पता लगाने; कृषि निविष्टि इत्यादि के उत्पादन में सहयोग करने पर सहमत हुई।

कोंगो

16. कोंगो गणराज्य के विदेश मंत्री श्री रोदोफे अदादा 24-29 अक्तूबर, 2006 तक भारत की यात्रा पर आए। विदेश मंत्री के साथ अपनी बैठक में उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग और परस्पर हित, और अंतरराष्ट्रीय मामलों पर विचार-विमर्श किये। विदेश मंत्री ने क्षमता निर्माण, विशेषज्ञता प्राप्त प्रशिक्षण और कोंगो गणराज्य को सहयोग देने की पेशकश की। कृषि, रेलवे और तकनीकी क्षेत्रों में सहायता उपलब्ध कराने पर विचार करने की बात कही।

मिस्र

17. नई दिल्ली में भारत-मिस्र संयुक्त आयोग के 5वें सत्र की सह अध्यक्षता करने के लिए मिस्र के विदेश मंत्री श्री अबूल घेत 15-16 दिसम्बर, 2006 तक भारत की यात्रा पर आए। उन्होंने परस्पर हित के विभिन्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मसलों पर विदेश मंत्री के साथ विस्तार से बातचीत की। भारत-मिस्र संयुक्त आयोग का 5वां सत्र, जिसकी अध्यक्षता हमारे विदेश मंत्री और मिस्र के विदेश मंत्री ने की, 16 दिसम्बर को हुआ। संयुक्त आयोग में हुई चर्चा आर्थिक, वाणिज्यिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि सूचना प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक क्षेत्रों पर केन्द्रित रही। यात्रा के दौरान निम्नलिखित करार/दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये गये:

(क) भागीदारी करार; वर्ष 2007-09 के लिए सांस्कृतिक, शैक्षिक और वैज्ञानिक सहयोग का कार्यकारी कार्यक्रम।

(ख) वर्ष 2007-08 के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग पर कार्यकारी कार्यक्रम।

(ग) वर्ष 2007-08 के लिए कृषि में सहयोग पर करार के अंतर्गत कार्य योजना।

(घ) द्विपक्षीय वायु सेवाओं पर समझौता ज्ञापन।

यूरोपीय संघ

18. यूरोपीय संघ के विदेश संबंधों और यूरोपीय पड़ोस नीति की आयुक्त डॉ. (सुश्री) बेनिता फेरेरो वाल्दनर ने 16-20 फरवरी, 2007 तक भारत की यात्रा की। भारत-यूरोपीय संघ, क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर चर्चा हुई।

फिजी

19. फिजी के विदेश एवं व्यापार मंत्री श्री कलियोपाते तावोला के नेतृत्व में 12-सदस्यीय निवेश एवं व्यापार प्रतिनिधिमंडल 20-29 नवंबर, 2006 तक भारत की यात्रा पर आया। 20-22 नवंबर, 2006 तक दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान फिजी के मंत्री ने विदेश मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, पर्यटन और संस्कृति मंत्री और विदेश राज्य मंत्री (ईए) से मुलाकात की। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मसलों पर विचार-विमर्श किया गया।

20. फिजी के विदेश मामलों के आंतरिक मंत्री एवं विदेशी व्यापार मंत्री रातु एपेली नाइलातिकाठ, 3-6 मार्च, 2007 तक भारत की यात्रा पर आए। यात्रा के दौरान उन्होंने विदेश मंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री के साथ बैठकें की और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मसलों पर चर्चा हुई।

फिनलैंड

21. फिनलैंड के राष्ट्रपति महामान्य सुश्री तरजा हैलोनेन ने "टीईआरआई" द्वारा 22-24 जनवरी, 2007 को आयोजित "दिल्ली के सतत विकास" शिखर सम्मेलन के संबंध में 20-24 जनवरी,

2007 तक दिल्ली की यात्रा की। उनके साथ व्यापार और उद्योग मंत्री मौरी ऐकारिनेन और एक व्यापार शिष्टमंडल था। फिनलैंड के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और यू.पी.ए. की अध्यक्ष से मिले। राजनैतिक और आर्थिक मामलों सहित द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। यह एक निजी यात्रा थी।

फ्रांस

22. फ्रांस के विदेश मंत्री श्री फिलिप दाउस्तब्लेज ने 30 नवम्बर-1 दिसम्बर, 2006 तक भारत की यात्रा की। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मसलों पर चर्चा हुई।

हंगरी

23. हंगरी के विदेश मंत्री डॉ. किंग गोंक ने 2-6 नवम्बर, 2006 तक भारत की यात्रा की। राजनि तक और आर्थिक मसलों सहित द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा की गई।

आइसलैंड

24. आइसलैंड के राष्ट्रपति महामान्य डॉ. ओलफर रैगनार ग्रिमसन ने 'टीईआरआई' द्वारा 22-24 जनवरी, 2007 को आयोजित दिल्ली सततविकास शिखर सम्मेलन के संबंध में 20-25 जनवरी, 2007 तक भारत की यात्रा की। उनकी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यूपीए की अध्यक्ष, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मुरली देवरा, युवा मामले और खेलकूद तथा पंचायती राज मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर अरूयर और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री प्रफुल्ल पटेल के साथ बैठक हुई। राजनैतिक और आर्थिक मसलों सहित द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। यह एक निजी यात्रा थी।

इंडोनेशिया

25. इंडोनेशिया के उप राष्ट्रपति श्री जुसुफ काल्ला ने सत्याग्रह सम्मेलन में भाग लेने के लिए 28-31 जनवरी, 2007 तक भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान, इंडोनेशिया के उप राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री और उप राष्ट्रपति से मुलाकात की। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा हुई।

ईरान

26. ईरान इस्लामी गणराज्य के विदेश मंत्री मानोशेहर मोताकी ने 16-17 नवम्बर, 2006 तक भारत की यात्रा की। द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय मसलों पर चर्चा हुई। आईपीआई गैस पाईपलाईन परियोजना पर भारत ने अपनी वचनबद्धता को दोहराया, जब यह देखा कि सभी अनसुलझे मुद्दों के समाधान के लिए नियमित सरकारी स्तर की वार्ताएं हो रही हैं। अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए ईरान का पारगमन स्थल के रूप में भारत के लिए महत्व का उल्लेख किया गया। भारत ने बताया कि आईएईए को ईरान के नाभिकीय कार्यक्रम से सम्बद्ध मसलों का समाधान करने के लिए मुख्य भूमिका निभानी होगी। अफगानिस्तान और इराक की स्थिति पर भी चर्चा हुई।

इटली

27. इटली के प्रधानमंत्री महामान्य डॉ. रोमानो प्रोदी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा यूरोपीय मामलों के मंत्री, इन्फ्रास्ट्रक्चर मंत्री और परिवार संबंधी नीति मंत्री के साथ 10-15 फरवरी, 2007 तक भारत की यात्रा पर आए। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर चर्चा हुई। इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए:

(क) अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और पर-राष्ट्र अपराध का सामना करने से सम्बद्ध एक संयुक्त कार्यदल की स्थापना पर समझौता ज्ञापन।

(ख) नवीकरण ऊर्जा सहयोग से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन।

(ग) सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम 2007-09।

29. उप प्रधानमंत्री और कल्याण एवं सांस्कृतिक कार्यकलाप मंत्री श्री फ्रांसेस्को रयूटेल ने 27-31 जनवरी, 2007 तक भारत की यात्रा की। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मसलों पर चर्चा हुई।

जार्डन

29. महामहिम शाह अब्दुल्लह-II बिन अल हुसैन और महामहिम बेगम रानिया अल-अब्दुल्लाह ने राजकुल मान्य राजकुमार तलाल बिन मोहम्मद, उद्योग एवं व्यापार मंत्री सालेम खजाले, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्री बासेम रौसान तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें एक व्यापार शिष्टमंडल भी था, के साथ 30 नवम्बर से 2 दिसम्बर, 2006 तक भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान शाह ने द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय स्थिति के संबंध में राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की। यूपीए की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी और लोक सभा में विपक्ष के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी भी नरेश से मिले। निम्नलिखित करार/दस्तावेज सम्पन्न किये गये:

(क) कृषि में सहयोग

(ख) द्विपक्षीय निवेश संवर्धन तथा संरक्षण

(ग) पर्यटन में सहयोग; तथा

(घ) सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम।

30. द्विपक्षीय वार्त्ताओं के परिणामस्वरूप, "मैसर्ज इफ्फको ने 1500 एमटीपी 20S प्रतिदिन की क्षमता के एक अत्याधुनिक फॉसफोरिक एसिड प्लांट की स्थापना करने के लिए 31 जनवरी, 2007 को जार्डन फॉसपेट माइंस कंपनी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया। संयुक्त उद्यम में "इफको और उसके सहयोगी 52% इक्विटी रखेंगे और जेपीएमसी और उसके सहयोगी शेष 48% इक्विटी रखेंगे।

लक्जमबर्ग

31. उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों तथा उत्प्रवासन मंत्री श्री जीन असेलबोर्न ने 19-23 फरवरी, 2007 तक भारत की यात्रा की। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मसलों पर चर्चा की गई।

मलेशिया

32. मलेशिया के विदेश मंत्री दातो सेरी सैयद हामिद अल्बर ने 16 फरवरी, 2007 को नई दिल्ली में आयोजित चौथी भारत-मलेशिया संयुक्त आयोग की बैठक के सिलसिले में 15-16 फरवरी, 2007 तक भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान, मलेशिया के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की और विदेश मंत्री के साथ उनकी बैठक हुई। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा हुई।

मालदीव

33. मालदीव के राष्ट्रपति महामान्य श्री मौमून अब्दुल गयमू ने सत्याग्रह सम्मेलन में भाग लेने के लिए मालदीव के शिष्टमंडल का प्रतिनिधित्व करते हुए विदेश मंत्री के साथ 27 जनवरी-1 फरवरी, 2007 तक भारत की यात्रा की।

34. मालदीव के विदेश मंत्री डॉ. अहमद शहीद ने 23-28 अक्तूबर, 2006 तक भारत की यात्रा की। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की और वह रक्षा मंत्री से भी मिले। यह चर्चा परस्पर हित के मसलों तथा द्विपक्षीय संबंधों पर केन्द्रित थी।

मारीशस

35. मारीशस के उप प्रधानमंत्री महामान्य डॉ. नवीन चन्द्र रामगुलाम ने नई दिल्ली में आयोजित सत्याग्रह सम्मेलन में भाग लेने के लिए 28 जनवरी-1 फरवरी, 2007 तक भारत की यात्रा की।

36. मारीशस के विदेश मंत्री श्री मदन दुल्लू ने 7-9 जनवरी 2007 को नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय दिवस समारोहों में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की। उन्होंने प्रवासी भारतीय दिवस में अफ्रीका सत्र की अध्यक्षता की।

म्यांमार

37. म्यांमार संघ के संयुक्त स्टाफ के चीफ जनरल लूरा शबे मान ने भारत की यात्रा की। वह वायु सेना अध्यक्ष, एअर चीफ मार्शल एस.पी. त्यागी, थल सेना अध्यक्ष, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री से मिले और राष्ट्रपति से भी मिले। इन बैठकों के दौरान, द्विपक्षीय हित के संबंधों और अन्य मसलों पर चर्चा हुई।

नामीबिया

38. नामीबिया के विदेश मंत्री डॉ. मार्को हासिकु ने 26-30 अक्तूबर, 2006 तक भारत की राजकीय यात्रा की। इस यात्रा के दौरान, शिक्षा, कृषि व्यापार, खनन और ऊर्जा, तकनीकी प्रशिक्षण तथा रक्षा जिसमें डब्ल्यूटीओ के मसले पर नामीबिया के राजनयिकों के लिए प्रशिक्षण भी शामिल है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय मसलों और द्विपक्षीय सहयोग पर विचार-विमर्श किया। यात्रा पर आए मंत्री ने खान मंत्री शीसराम ओला से भी मुलाकात की और खान में संभव सहयोग के विषय में चर्चा की जिसमें नामीबिया में खनिज संसाधनों के सर्वेक्षण और अन्वेषण तथा उसके कार्मिकों के प्रशिक्षण भी शामिल थे।

नेपाल

39. नेपाल सरकार के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, श्री के.पी. शर्मा ओली ने 5-8 नवम्बर, 2006 तक भारत की राजकीय यात्रा की। इस यात्रा के दौरान, श्री ओली ने विदेश मंत्री से वार्ता की और उन्होंने अन्य बैठकें करने के अतिरिक्त प्रधानमंत्री के साथ भी बैठक की। इस यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों के समग्र पहलुओं तथा परस्पर हित के अन्य मसलों की समीक्षा करने का अवसर प्रदान किया।

नीदरलैंड

40. नीदरलैंड के विदेश मंत्री डॉ. बर्नार्ड बॉट, ने 5-6 नवम्बर, 2006 को भारत की यात्रा की। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई।

नार्वे

41. नार्वे के युवराज हाकोन तथा राजकुमारी मेटे-मारित ने 29 अक्तूबर से 4 नवम्बर, 2006 तक 6 दिन की भारत की राजकीय यात्रा की। उनके साथ एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल था,

जिसमें पेट्रोलियम तथा ऊर्जा मंत्री, व्यापार तथा उद्योग मंत्री और उप विदेश मंत्री, एवं व्यापारी शामिल थे। युवराज राष्ट्रपति जी तथा विदेश मंत्री से मिले। राजनैतिक और आर्थिक मसलों सहित द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई।

42. नार्वे के विदेश मंत्री श्री जोनास गहर स्टोर ने भारत और नार्वे के बीच संयुक्त आयोग बैठक के द्वितीय सत्र के संबंध में 14-15 दिसम्बर, 2006 तक भारत की राजकीय यात्रा की। यात्रा पर आए विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करने के अतिरिक्त, माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पर्यावरण एवं वन मंत्री के साथ भी बैठक की, जिसमें राजनैतिक तथा आर्थिक मसलों सहित द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की गई। जेसीएम के दौरान, निम्नलिखित दस्तावेज सम्पन्न किये गये:

(क) भारत सरकार और नार्वे राज्य की सरकार के बीच राजनयिक मिशन अथवा कोंसली केन्द्रों के परिवार के सदस्यों के लिए लाभकारी व्यवसाय के संबंध में एक प्रबंध;

(ख) पर्यावरण से सम्बद्ध भारत-नार्वे संयुक्त कार्यदल की स्थापना के लिए विचारार्थ विषय।

पाकिस्तान

43. पाकिस्तान के विदेश मत्री श्री खुर्शीद महमूद कसूरी ने 21 फरवरी को आयोजित 5वीं भारत-पाक संयुक्त आयोग की बैठक के शिष्टमंडल की अध्यक्षता करते हुए 20-22 फरवरी, 2007 तक भारत की यात्रा की। हमारे विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अक्तूबर, 2005 में इस्लामाबाद में आयोजित चौथी संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान बनाए गए 8 तकनीकी स्तर के कार्य दलों की प्रगति की सीक्षा की। 8 कार्यदल पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार, शिक्षा और सूचना जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री की उपस्थिति में दोनों के बीच 21 फरवरी, 2007 को "नाभिकीय हथियारों से सम्बद्ध जोखम और दुर्घटनाओं को कम करने" से सम्बद्ध एक करार सम्पन्न किया गया।

पुर्तगाल

44. पुर्तगाल के राष्ट्रपति महामान्य श्री अनिबाल कवाको सिल्वा ने संस्कृति मंत्री, अर्थव्यवस्था तथा परिवर्तन मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा उच्च शिक्षा मंत्री के साथ 11-17 जनवरी, 2007 को भारत की यात्रा की। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मसलों पर चर्चा हुई। इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित करार/दस्तावेज सम्पन्न किये गये:

(क) प्रत्यर्पण संधि

(ख) सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम 2007-09

(ग) शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम 2007-09।

कतर

45. कतर राज्य के द्वितीय उप प्रधानमंत्री तथा ऊर्जा एवं उद्योग मंत्री श्री अब्दुल्ल बिन हमद-अल-अतिया ने 12 सदस्यों के साथ 23-25 नवम्बर, 2006 के दौरान भारत की यात्रा की। यात्रा पर आए विशिष्ट व्यक्ति प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री से मिले, जिनके साथ उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग, विशेष रूप से तेल एवं गैस के क्षेत्र मे चर्चा की।

रोमानिया

46. रोमानिया के राष्ट्रपति महामहान्य, श्री ज्ञायान बासेस्कू ने 22-24 अक्तूबर, 2006 तक भारत की राजकीय यात्रा की। उनके साथ एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल था, जिसमें विदेश मंत्री, अर्थव्यवस्था एवं वाणिज्य मंत्री और दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री शामिल थे। अपनी यात्रा के दौरान, उनकी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप राष्ट्रपति और यूपीए की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के साथ बैठक हुई। द्विपक्षीय संबंधों सहित राजनीतिक तथा आर्थिक मसलों पर चर्चा हुई। निम्नलिखित द्विपक्षीय करार/समझौतों को सम्पन्न किया गया:

(क) वर्ष 2007-09 के लिए भारत और रोमानिया के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम।

(ख) भारत और रोमानिया के बीच व्यापार और अर्थव्यवस्था से सम्बद्ध करार।

(ग) भारत और रोमानिया के लघु उद्योगों के बीच करार, और

(घ) भारत के विदेश सेवा संस्थान तथा रोमानिया के डिप्लोमैटिक इंस्टीट्यूट के बीच समझौता ज्ञापन।

रूस

47. रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति महामान्य श्री ब्लादिमीर वी. पुतिन ने वार्षिक शिखर सम्मलेन की बैठक के लिए 25-26 जनवरी तक भारत की अधिकारिक यात्रा की। वह गणतंत्र दिवस समारोहों के मुख्य अतिथि थे। उनके साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त उप प्रधानमंत्री, श्री अलेक्जेंडर झुकोव, उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री श्री सगेई इवानोव तथा विदेश मंत्री श्री सेर्गेइ

लावरोव थे। वे यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और यूपीए की अध्यक्ष से मिले। दोनों पक्षों ने परस्पर हित एवं चिन्ता के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा की। इस यात्रा के दौरान दोनों सरकारों के बीच निम्नलिखित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये गये:

(क) रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति की भारत की अधिकारिक यात्रा के निष्कर्षों से सम्बद्ध संयुक्त वक्तव्य;

(ख) वर्ष 2007-08 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम;

(ग) वर्ष 2008 में ''भारत में रूसी वर्ष'' और वर्ष 2009 में ''रूस में भारत वर्ष'' आयोजित करने से सम्बद्ध प्रोटोकोल;

(घ) कुदानकुलम क्षेत्र में अतिरिक्त नाभिकीय पॉवर प्लांट के निर्माण और साथ ही साथ भारत गणराज्य में नए स्थानों पर रूसी डिजाइन के नाभिकीय प्लांटों के निर्माण में सहयोग के विकास से सम्बद्ध आशय ज्ञापन;

(ङ) शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ''रशियन ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम'' 'ग्लौसनास' के नेवीगेशन सिगनलों की भारतीय पक्ष तक पहुंच से सम्बद्ध करार;

(च) रूसी ग्लोबल नेवीगेशन सैटेलाईट सिस्टम ग्लोनास रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम के एक भाग की भारतीय पक्ष तक पहुंच से सम्बद्ध करार;

(छ) संयुक्त उपग्रह परियोजना 'यूथसैट' में सहयोग से सम्बद्ध करार; और

(ज) भारत गणराज्य और रूसी परिसंघ के बीच सामानों तथा वाहनों की आवाजाही के बीच सूचना के आदान-प्रदान से सम्बद्ध प्रोटोकोल;

(झ) राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री द्वारा आणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग से सम्बद्ध एक संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया।

48. रूसी परिसंघ के उप प्रधानमंत्री, श्री अलेक्जेंडर ज़ुकोव ने 7-10 दिसम्बर, 2006 तक भारत की यात्रा की। उन्होंने दिल्ली में 8 दिसम्बर को व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग से सम्बद्ध भारत-रूसी अंतर-सरकारी आयोग के 12वें सत्र की सह-अध्यक्षता की। दोनों पक्षों ने नई और अभिनव प्रौद्योगिकी के ऊर्जा, धातु विज्ञान, वाणिज्यिकरण तथा वित्तीय क्षेत्रों के बीच सम्पर्कों जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश, आर्थिक सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया। आई आर आई जी सी की चर्चाओं से सम्बद्ध एक प्रोतोकोल इस बैठक के अंत में संपन्न किया गया।

49. रूस के विदेश मंत्री श्री सेर्गेइ लावरोव ने भारत-रूस-चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए 14 फरवरी, 2007 को भारत की यात्रा की। तीनों देशों ने बहुपक्षीय हित-चिन्ता के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर त्रिपक्षीय सहयोग, वर्तमान वैश्विक स्थिति और हाल की गतिविधियों पर चर्चा की। इस बैठक के अंत में एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई।

50. रूस के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री श्री सेर्गेई इवानोव ने 23-26 जनवरी, 2007 तक भारत की यात्रा की। उन्होंने सैनिक तकनीकी सहयोग के लिए भारत-रूसी अतंर-सरकारी आयोग (आईजीसी-एमटीसी) की छठी बैठक की सहअध्यक्षता की और भारत के लिए राष्ट्रपति पुतिन के शिष्टमंडल में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों के बीच भारत में आरडी-33 हवाई इंजनों का लाइसेंसशुदा निर्माण से सम्बद्ध करार, मल्टी-रोल ट्रांसपोर्ट एअरक्राफ्ट के संयुक्त डिजाइन, विकास तथा निर्माण से सम्बद्ध आशय प्रोतोकोल और आईजीसी-एमटीसी की छठी बैठक से सम्बद्ध प्रोतोकोल सम्पन्न किये।

सिंगापुर

51. सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री प्रोफेसर एस. जयकुमार ने 6-8 जनवरी, 2007 तक भारत की यात्रा की। वह 2007 के प्रवासी भारतीय दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि थे। भारत में रुकने के दौरान प्रोफेसर जयकुमार प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री से मिले। द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार-विमर्श हुआ।

52. सिंगापुर के विदेश मंत्री, श्री जार्ज येओ ने 16-23 जनवरी, 2007 तक भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से मिले। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा हुई।

53. सिंगापुर के वरिष्ठ विदेश राज्य मंत्री डॉ. बालाजी सदाशिवन ने 24 सितम्बर-5 अक्तूबर, 2006 तक भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष से विचार-विमर्श किया। डॉ. सदाशिवन ने बिहार, तमिलनाडु, पांडिचेरी की यात्रा भी की और तीनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बैठकें कीं। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा की।

स्लोवेनिया

54. स्लोवेनिया के राष्ट्रपति महामान्य श्री जानेज ड्रनोव्सेक ने सत्याग्रह सम्मेलन के सिलसिले में भारत की यात्रा की। उन्होंने प्रधानमंत्री, यू.पी.ए. की अध्यक्ष और विदेश मंत्री के साथ बैठक की जिसमें परस्पर हित के मामलों पर चर्चा की।

दक्षिण अफ्रीका

55. दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की उप राष्ट्रपति श्रीमती फुम्जीले म्लाम्बो फूका ने 10-13 सितंबर, 2006 तक भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान दक्षिण अफ्रीका के उप राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति से मुलाकात की और परस्पर हित मुख्यतया दक्षता विकास, क्षमता निर्माण और शिक्षा, आईसीटी, प्रबंधन, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा स्थानीय शासन के क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीकियों को प्रशिक्षण के मसलों पर चर्चा की।

स्वीडन

56. स्वीडन के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री सुश्री मौद ओलासन ने सत्याग्रह सम्मेलन के सिलसिले में भारत की यात्रा की। उन्होंने यूपीए की अध्यक्ष, विदेश मंत्री और शहरी विकास मंत्री के साथ बैठकें की। उन्होंने स्वीडिश ईस्ट इंडिया शिप "गोथेबोंग" जो 250 वर्ष पूर्व उसके निर्माण के समय से लगातार दो-वर्षीय समुद्री यात्राएं कर रहा है के स्वागत के लिए चेन्नै की भी यात्रा की।

श्रीलंका

57. श्रीलंका के राष्ट्रपति महामान्य श्री महिन्दा राजपक्षे ने 25-29 नवम्बर, 2006 तक भारत की यात्रा की। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महामान्य श्री विक्रमनायके ने 28-30 जनवरी, 2007 तक भारत की यात्रा की। श्रीलंका के विदेश मंत्री श्री रोहित बोलोल्लागाम ने 30-31 जनवरी, 2007 तक भारत की यात्रा की। इन बैठकों के दौरान, द्विपक्षीय संबंधों तक परस्पर हित के अन्य मामलों पर विचार-विमर्श हुआ।

तंजानिया

58. तंजानिया की विदेश मंत्री डा. सुश्री आशा रोज मीजीरो ने 19-26 नवम्बर, 2006 तक भारत की कार्यकारी यात्रा की। तंजानिया की विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान, विचार-विमर्श, द्विपक्षीय सहयोग तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता, जैसे कि द्विपक्षीय संयुक्त आयोग और संयुक्त व्यापार समिति को शीघ्र बुलाने पर केन्द्रित था। कृषि, एसएमई, आईसीटी, शिक्षा तथा प्रशिक्षण, खनन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इत्यादि में सहयोग बढ़ाने पर सहमति हुई।

थाईलैंड

59. थाईलैंड की राजकुल मान्य राजकुमारी महाचक्री सिरिधोर्न ने 5-9 मार्च, 2007 को भारत की आधिकारिक यात्रा की। 6 मार्च, 2007 को नई दिल्ली की यात्रा के दौरान राजकुमारी ने उप राष्ट्रपति से मुलाकात की और विदेश मंत्री के साथ बैठक की। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मसलों पर चर्चा हुई।

यू.के.

60. यू.के. के विदेश मंत्रालय की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सुश्री मारग्रेट बेकेट ने 1-9 नवम्बर, 2006 तक भारत की यात्रा की। द्विपक्षीय क्षेत्रीय तथा वैश्विक मसलों पर विचार-विमर्श किया गया। ड्यूक ऑफ यार्क ने 20 अक्तूबर से 4 नवम्बर, 2006 तक भारत की यात्रा की। उन्होंने "फिक्की" तथा सीआईआई के प्रतिनिधि से मुलाकात की और आर्थिक सहयोग के मामलों पर चर्चा की।

उगांडा

61. उगांडा गणराज्य के विदेश मंत्री श्री सैम कुटेसा ने 29 अक्तूबर से 2 नवम्बर, 2006 तक भारत की आधिकारिक यात्रा की। इस यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने मानव संसाधन विकास, ऊर्जा, पैन-अफ्रीकन ई-नेटवर्क, तकनीकी प्रशिक्षण और परिवहन जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। श्री कुटेसा ने 200-300 मेगावाट की जल-विद्युत परियोजना, जिसके लिए उगांडा की सरकार ने "बीएचईएल" के साथ समझौता ज्ञापन संपन्न किया था, के लिए भारत सरकार की सहायता मांगी। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकीय तथा उद्यमशीलता के क्षेत्रों में उगाडा के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए भी सहायता मांगी। यात्रा पर आए मंत्री ने नवम्बर, 2007 में कम्पाला में होने वाले आगामी "चोगम" शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री को उगान्डा आने का निमंत्रण दिया।

वियतनाम

62. वियतनाम के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री श्री फाम जिया खेम ने 27 फरवरी, 2007 को नई दिल्ली में आयोजित भारत-वियतनाम संयुक्त आयोग की 13वीं बैठक के सिलसिले में 25 फरवरी से 1 मार्च, 2007 तक भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान वह प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मिले। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मसलों पर चर्चा हुई।

पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रम

2224. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा कर्नाटक में कितने पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रमों की मान्यता दी गई है;

(ख) इन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने के क्या मानदंड हैं; और

(ग) राज्य में मान्यता हेतु लम्बित मामलों का ब्यौरा क्या है तथा उनकी क्या स्थिति है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) परा-चिकित्सा पाठ्यक्रम भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के दायरे में नहीं आते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शून्य।

दूरसंचार उपकरण विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2225. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री जुएल ओराम:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ विदेशी दूरसंचार कंपनियों को दूरसंचार सेवाओं में प्रवेश करने की अनुमति दे दी है या दिये जाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा तत्संबंधी निबंधन एवं शर्तें क्या हैं;

(ग) देश भर में दूरसंचार सेवाएं शुरू करने के लिए इन विदेशी दूरसंचार कंपनियों द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने दूरसंचार उपकरण विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है;

(च) यदि हां, तो आज की तिथि तक दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र में कुल कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है;

(छ) क्या सरकार का विचार देश में दूरसंचार उपकरण तथा सेवाएं निर्यात संवर्धन परिषद गठित करने का है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश समय-समय पर संशोधित 2005 के प्रेस नोट सं. 5 श्रृंखला द्वारा नियंत्रित होता है।

(ङ) और (च) जी, हां। मौजूदा नीति के अनुसार, दूरसंचार उपकरण विनिर्माण क्षेत्र में 100% के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। दूरसंचार क्षेत्र में अगस्त, 1991 से जनवरी, 2007 तक विनिर्माण और कन्सलटेन्सी क्षेत्र में 1619 करोड़ रुपये सहित लगभग 11,818 करोड़ रुपये का कुल अंतर्वाह हुआ है।

(छ) से (झ) सरकार ने भारतीय दूरसंचार उपकरण विनिर्माण संघ (टीईएमए) को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत निर्यात संवर्धन फोरम (ईपीएफ) का गठन करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय किया है। इसके पश्चात अपेक्षित पात्रता ग्रहण कर लेने पर निर्यात संवर्धन परिषद के रूप में उन्नयन हेतु टीईएमए ईपीएफ पर विचार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

सड़क उपरि पुलों के अनुरक्षण पर खर्च

2226. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों में विशेषत: पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों और सड़क उपरि पुलों के निर्माण तथा अनुरक्षण हेतु आज की तारीख तक अतिरिक्त वित्तीय सहायता आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कार्य-निष्पादन हेतु स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों और सड़क उपरि पुलों के निर्माण तथा अनुरक्षण पर आए खर्च का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। पुलों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर विकास और अनुरक्षण कार्य स्थिति, यातायात, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर किये जाते हैं। आवंटन राज्यवार किया जाता है न कि कार्यवार और क्षेत्रवार। गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए किये गये व्यय के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2003-04		2004-05		2005-06	
		विकास	अनुरक्षण	विकास	अनुरक्षण	विकास	अनुरक्षण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	110.12	35.39	89.86	25.81	69.65	39.09
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.05	0.16	5.91	0.26	6.00	0.10
3.	असम	107.84	22.37	78.00	18.30	58.00	27.52
4.	बिहार	60.02	36.52	52.64	36.61	66.21	44.46
5.	चंडीगढ़	1.72	0.31	1.00	0.72	0.89	0.12
6.	छत्तीसगढ़	42.39	17.43	34.89	19.75	49.08	20.12
7.	दिल्ली	13.39	0.00	3.95	0.00	0.50	0.04
8.	गोवा	23.18	5.01	5.00	1.76	6.00	3.87
9.	गुजरात	68.55	20.88	53.64	33.73	103.25	38.08
10.	हरियाणा	53.66	11.66	37.87	6.42	57.42	14.12
11.	हिमाचल प्रदेश	27.78	10.77	40.48	14.66	39.00	18.19
12.	जम्मू-कश्मीर	4.00	0.46	0.21	0.04	0.00	0.03
13.	झारखंड	33.00	13.66	14.04	12.42	39.97	14.79
14.	कर्नाटक	158.46	39.35	76.90	36.62	88.54	41.87
15.	केरल	96.65	23.66	58.38	30.23	65.99	53.07
16.	मध्य प्रदेश	79.47	68.80	82.86	54.21	77.92	53.51
17.	महाराष्ट्र	117.68	48.71	65.64	47.34	111.93	52.36

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	मणिपुर	15.16	7.33	13.78	5.09	20.00	8.98
19.	मेघालय	35.92	9.20	28.26	11.70	24.18	8.50
20.	मिजोरम	31.00	5.44	24.91	4.32	15.75	5.28
21.	नागालैंड	11.48	1.97	16.00	2.14	11.25	3.85
22.	उड़ीसा	69.97	40.53	72.33	32.82	67.27	41.22
23.	पांडिचेरी	2.20	0.84	2.13	0.83	2.64	0.76
24.	पंजाब	50.99	18.80	50.72	16.48	62.50	19.30
25.	राजस्थान	44.23	25.81	46.45	42.74	84.60	53.91
26.	तमिलनाडु	83.00	31.11	65.31	34.56	81.80	49.94
27.	उत्तर प्रदेश	103.71	55.19	186.42	52.10	199.00	50.01
28.	उत्तराखण्ड	18.88	2.62	26.48	10.20	40.42	15.87
29.	पश्चिम बंगाल	69.79	27.07	71.90	22.94	55.75	28.05

[अनुवाद]

भारत-पाकिस्तान संयुक्त आतंकवाद निरोधक समूह

2227. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्लामाबाद में हाल ही में भारत और पाकिस्तान के संयुक्त आतंकवाद निरोधक समूह की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) जी हां। भारत-पाकिस्तान संयुक्त आतंकवाद-प्रतिरोध तंत्र की बैठक 6-7 मार्च, 2007 को इस्लामाबाद में हुई। दोनों पक्षों ने आतंकवाद प्रतिरोध के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श किया और इस बात पर सहमत हुए कि दोनों में से किसी भी पक्ष में आतंकवादी कृत्यों से संबंधित जांच में सहायता और दोनों देशों में हिंसा तथा आतंकवादी कृत्यों की रोकथाम के लिए तंत्र के जरिये सूचना का आदान-प्रदान किया जायेगा। इस बात पर भी सहमति हुई कि हालांकि, आतंकवाद प्रतिरोध तंत्र की बैठक त्रैमासिक रूप से होगी, तथापि, ऐसी कोई सूचना, जिसे प्राथमिकता के आधार पर देना अनिवार्य होगा, उसे तंत्र-प्रमुखों के माध्यम से भेजा जाएगा।

[हिन्दी]

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

2228. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं का कंपनी-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान जिन-जिन घटनाओं में न्यायालय जांच की गई है उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके फलस्वरूप कितने अधिकारी दोषी पाए गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की सहायक कंपनियों एवं सिंगरैनी कोलियरी कंपनी लि. की कोयला खानों में पिछले तीन वर्षों (2004, 2005 तथा 2006) के दौरान हुई दुर्घटनाओं के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

कंपनी	घातक दुर्घटनाओं की संख्या			गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	16	15	8	183	114	92
भारत कोकिंग कोल लि.	11	12	11	70	61	45
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	10	8	4	20	16	14
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	3	3	4	9	17	15
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	13	11	13	63	44	56
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	7	14	7	97	87	66
महानदी कोलफील्ड्स लि.	4	9	2	17	13	10
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	2	1	0	0	2	1
कुल सीआईएल	66	73	49	459	354	299
एससीसीएल	11	12	16	161	787	618

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान खान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित दो कोयला खान दुर्घटनाओं में सरकार ने जांच न्यायालयों का गठन किया है:

क्र.सं.	दुर्घटना की तारीख	खान, क्षेत्र और कंपनी	सांघातिकताओं की सं.
1.	14.6.2005	सेन्ट्रल सौंदा, बरका श्याल क्षेत्र, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल)	14
2.	6.9.2006	भाटडीह कोलियरी की नगदा खान वेस्टर्न झरिया क्षेत्र, भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल)	50

सेन्ट्रल सौंदा खान दुर्घटना के मामले में इस विपदा के लिए सेन्ट्रल कोलफील्ड लि. के निम्नलिखित पांच अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया है:

1. श्री मो. तसलीम, महाप्रबंधक
2. श्री उमेश शर्मा, एजेन्ट
3. श्री एम.के. मारतंड, प्रबंधक
4. श्री ए.एल. रजाक, सुरक्षा अधिकारी
5. श्री आई.डी.पी. सिंह, सहायक प्रबंधक

खान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त अधिकारियों के विरुद्ध श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

भाटडीह कोलियरी दुर्घटना के मामले में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध जांच न्यायालय द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

बजट का उपयोग

2229. श्री राम कृपाल यादव: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभाग को कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या पूरी धनराशि का उपयोग कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (ग) पिछले 3 वर्षों में अंतरिक्ष विभाग को आवंटित धनराशि और उसके उपयोग का विवरण निम्न प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	संशोधित अनुमान के संदर्भ में उपयोग
2003-04	2368.89	2275.70	2268.81	99.70%
2004-05	2732.01	2540.78	2534.34	99.75%
2005-06	3148.42	2675.52	2667.60	99.70%

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

कॉल व्यस्तता की समस्या

2230. **श्री देविदास पिंगले:**
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुछ क्षेत्रों में मोबाइल सेवा प्रदाताओं के इंटर-कनेक्शन पर कॉल व्यस्त होने की समस्या है;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या से किन-किन राज्यों की दूरसंचार प्रणाली सर्वाधिक प्रभावित हुई है;

(ग) क्या अत्यधिक काल व्यस्तता प्रतिशत के बारे में कोई राज्य-वार आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) मासिक आधार पर काल व्यस्तता की समस्या की राज्य-वार निगरानी कर रहा है/करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (च) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण लाइसेंस सेवा क्षेत्र/सर्किल-वार आधार पर सेवा प्रदाताओं से प्राप्त मासिक रिपोर्टों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं के बीच अंतर्संयोजन स्थल संबंधी संकुलन की निगरानी करता रहा है। अक्तूबर-दिसम्बर, 2006 के महीनों की नेटवर्क/अंतर्संयोजन स्थल संबंधी संकुलन रिपोर्ट के अनुसार, अंतर्संयोजन स्थल संबंधी संकुलन की वजह से बिहार, असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य अधिक प्रभावित हैं।

अक्तूबर-दिसम्बर, 2006 की अवधि के दौरान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल तथा तमिलनाडु सर्किलों को छोड़कर, जहां अंतर्संयोजन संकुलन स्थलों की संख्या में वृद्धि हुई है, अन्य सर्किलों में समग्र कार्यनिष्पादन में सुधार हुआ है। रिपोर्ट से इस तथ्य का भी पता चलता है कि विभिन्न प्रचालकों के नेटवर्कों के बीच संकुलन मौजूद है।

[अनुवाद]

भारतीय खेल प्राधिकरण की योजनाओं का क्रियान्वयन

2231. **श्री रघुनाथ झा:** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा देश में प्रतिभाशाली खिलाड़ियो को पहचानने और खेलों को बढ़ावा देने हेतु क्रियान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान खेलों को बढ़ावा देने पर खेल-वार/वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय खेलों में प्राप्त हुई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) देश में खेल प्रतिभा का पता लगाने तथा उसे तैयार करने और खेलों के संवर्धन के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:

राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एन.एस.टी.सी.) योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य 8 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में स्कूली बच्चों के बीच प्रतिभा का पता लगाने तथा भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अपनाये गये स्कूलों और अखाड़ों में वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण द्वारा उन्हें पोषित करके राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करना है। भारतीय खेल प्राधिकरण इन विद्यालयों और अखाड़ों को प्रशिक्षक और विशेष अवस्थापना सुविधाओं सहित खेल उपस्करों की खरीद हेतु वार्षिक अनुदान भी प्रदान करता है।

सेना बाल खेल कम्पनी

इस योजना का उद्देश्य सेना के सहयोग से 8 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में प्रतिभा का पता लगाना और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उन्हें क्षेत्रीय केन्द्रों में वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देना है। योजना अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय सेना में रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है।

विशेष क्षेत्र खेल (एस.ए.जी.)

इस योजना का उद्देश्य देश के उन आदिवासी, ग्रामीण और तटीय क्षेत्रों तथा पहाड़ी क्षेत्रों से खेलकूद की आधुनिक प्रतियोगिताओं में प्रतिभाओं का पता लगाना और पोषण करना है जो किसी विशेष तौर से खेल विधाओं में उत्कृष्टता के लिए या आनुवंशिक या भौगोलिक रूप से आगे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 14 से 21 वर्ष के आयु वर्ग में मेधावी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देना है। योजना के अंतर्गत राज्य सरकार भारतीय खेल प्राधिकरण को मुफ्त भूमि उपलब्ध कराती है, तथा अवस्थापना का विकास भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र

इस योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं तथा परीक्षणों की श्रृंखला के माध्यम से मूल्यांकन के बाद 14 से 21 वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जाता है। चयनित प्रशिक्षणार्थियों को आवासीय या गैर-आवासीय आधार पर योजना में शामिल होने के लिए विकल्प दिया जाता है। इस योजना को सीधे भा.खे.प्रा. द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। तथापि, राज्य सरकार आवश्यक खेल संबंधी बुनियादी सुविधाएं और अन्य संबद्ध सुविधाएं जैसे हॉस्टल भवन आदि उपलब्ध करायेगी।

उत्कृष्टता केन्द्र

इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्कृष्ट खिलाड़ियों की पहचान करना और प्रशिक्षण देना है जिनसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में देश के लिए पदक जीतने की आशा रखी जाती है। उत्कृष्टता केन्द्र की योजना में देश की उस प्रतिभा का पता लगाने की परिकल्पना की गई है जिसने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन किया है ताकि उन्हें एक वर्ष में लगभग 200 दिन के लिए भा.खे.प्रा. के क्षेत्रीय केन्द्रों में आगे प्रशिक्षण दिया जा सके। इनको सभी प्रकार की सुविधाओं के लिए उपस्कर तथा विशेष प्रशिक्षण के साथ वैज्ञानिक समर्थन प्रदान किया जाता है। इन सभी योजनाओं में वजीफे, चिकित्सा/बीमा व्यय, किट और प्रतियोगिता में प्रदर्शन के अवसर का प्रावधान है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत खेल संवर्धन पर हुए व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(करोड़ रु. में)

2004-05	262.04
2005-06	265.16
2006-07	279.06 (31 जनवरी, 2007 तक व्यय)

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खिलाड़ियों द्वारा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीते गए पदकों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
स्पेशल ओलंपिक 2004	–	01	–	01
मेलबोर्न राष्ट्रमंडल खेल 2006	22	17	11	50
दोहा एशियाई खेल 2006	10	18	26	54

[हिन्दी]

रोमिंग दरों में कटौती

2232. **श्री शिशुपाल एन. पटले:**
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मोबाइल फोन पर रोमिंग दरों में कटौती करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मासिक किराये में भी कटौती करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का मध्यमवर्गीय प्रयोक्ताओं के लाभ के लिए शून्य-किराया योजना लाने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (छ) विभिन्न प्रचालकों द्वारा लगाये गये रोमिंग प्रभार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निर्धारित प्रशुल्क सीमा के भीतर होने चाहिए। ट्राई ने सभी स्टेक होल्डरों से परामर्श और गहन विश्लेषण करने के बाद निम्नलिखित संशोधित रोमिंग प्रशुल्क निर्धारित किये हैं जो 15.2.2007 से लागू हो गए हैं:

* स्थानीय आउटगोइंग कॉलों के लिए 1.40 रु. प्रति मिनट
* राष्ट्रीय लम्बी दूरी की आउटगोइंग कॉलों के लिए 2.40 रु. प्रति मिनट
* इन्कमिंग कॉलों के लिए 1.75 रुपए प्रति मिनट।

क्षेत्रीय/राष्ट्रीय रोमिंग के संबंध में निर्धारित अन्य मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

* किसी भी रूप में किराये की अनुमति नहीं है;
* किसी भी प्रकार की रोमिंग सेवाओं के लिए कोई अधिभार प्रभार्य नहीं है;
* रोमिंग कॉलों पर अलग से कोई पीएसटीएन प्रभार नहीं लगाये जाते;
* एसएमएस की प्राप्ति नि:शुल्क है।

संशोधित प्रशुल्क उस समय लागू बाजार दरों की तुलना में 22% से 56% तक कम हैं। यह किराया खत्म करने के कारण उपभोक्ताओं के लिए होने वाली बचत के अलावा है।

[अनुवाद]

विदेश मंत्री की ईरान यात्रा

2233. **श्री किन्जरपु येरननायडु:**
श्री मोहन सिंह:
डॉ. के धनराजू:
श्री आलोक कुमार मेहता:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने हाल ही में ईरान की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इस अवसर पर किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये

(घ) क्या ईरान-पाकिस्तान-भारत पाइपलाइन परियोजना पर भी बातचीत की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी हां। विदेश मंत्री ने 6-7 फरवरी 2007 के बीच ईरान की यात्रा की।

(ख) इस दौरान द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चाएं हुईं। अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए पारगमन बिन्दु के तौर पर भारत के लिए ईरान का उल्लेख किया जा चुका है। ईरान के नाभिकीय मुद्दे पर भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प-1737 में अनिर्णीत मुद्दों के समाधान हेतु आईएईए के साथ और अधिक सक्रिय और पारदर्शी सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। भारत ने इस बात पर बल दिया कि इस मुद्दे का समाधान वार्ता और बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीकों से करने के सभी संभव प्रयास किये जाने चाहिए, जिसमें सभी पक्ष लचीलापन और नियंत्रण दर्शाएं। ईरान-पाकिस्तान-भारत गैस पाइपलाइन परियोजना पर भी चर्चा हुई जिसके ब्यौरे नीचे भाग (घ) और (ङ) में शामिल हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी हां।

(ङ) भारत ने जनवरी 2007 में तेहरान में आयोजित सचिवों की पिछली त्रिपक्षीय बैठक का उल्लेख किया, जिसमें उसने परियोजना के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि की थी और ईरान और पाकिस्तान के बीच गैस की कीमतों पर हुए करार का स्वागत किया था। भारत ने उक्त फार्मूले पर विचार किया था, जिसमें पाकिस्तानी क्षेत्र से गुजरने पर परिवहन टैरिफ और पारगमन शुल्क का अतिरिक्त भार उठाना होगा।

बच्चों में क्षयरोग का अधिक पाया जाना

2234. श्री संतोष गंगवार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में छोटी आयु के बच्चे क्षयरोग जैसी घातक बीमारी से प्रभावित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बच्चों की संख्या सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा बच्चों को क्षयरोग से बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2006 की कार्यक्रम रिपोर्ट से पता चलता है कि क्षय रोग के कुल पंजीकृत रोगियों का 6 प्रतिशत बाल चिकित्सा आयु समूह (0-14 वर्ष आयु समूह) में हैं।

वर्ष 2006 के दौरान कार्यक्रम के अधीन पंजीकृत बाल चिकित्सा रोगियों (0-14 वर्ष के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) बच्चों में क्षयरोग के निवारण के लिए कार्यक्रम के अधीन किये गये विभिन्न उपाय इस प्रकार हैं:

* बच्चों में क्षयरोग समुदाय में स्पूटम स्मिरपाजिटिव फुप्फुसीय क्षयरोग की व्याप्तता और क्षयरोग संक्रमण के संचरण की सीमा का एक प्रतिबिम्ब है। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) जिसे व्यापक रूप से डाट्स (प्रत्यक्ष निगरानी उपचार शॉर्टकोर्स) के रूप में जाना जाता है और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संस्तुत एक कार्यनीति है, को देश में 1997 से चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य 85 प्रतिशत नए स्पूटम पाजिटिव रोगियों की रोगमुक्ति दर प्राप्त करना और ऐसे रोगियों में से कम से कम 70 प्रतिशत का पता लगाना है। मार्च, 2006 तक पूरे देश को संशोधित कार्यनीति के अंतर्गत शामिल किया जा चुका था। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम में संक्रामक फुप्फुसीय क्षयरोग के निदान और उपचार से संक्रमण के संचरण पर रोक लगती है।

* 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे जो स्मियर पॉजिटिव क्षयरोगियों के पारिवारिक संपर्क में आते हैं की क्षय रोग के लिए जांच की जाती है और सक्रिय क्षयरोग से ठीक होने के बाद उन्हें आइसोनाइज्ड (आईएनएस) 5 कि.ग्रा/कि.ग्रा. शरीर भार के साथ केमोप्रोफेलेक्सिस प्रदान की जाती है। देश में व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अधीन बीसीजी टीकाकरण उपलब्ध है जो बच्चों में गंभीर किस्म के क्षयरोग को रोकता है।

विवरण

वर्ष 2006 के दौरान कार्यक्रम के अधीन बाल चिकित्सा के रोगियों के बारे में राज्यवार ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण

राज्य	सभी नए रोगियों में से बाल चिकित्सा रोगियों (0-14 वर्ष) की संख्या (प्रतिशत)	
1	2	
अंडमान और निकोबार	135	17%
आंध्र प्रदेश	2539	3%
अरुणाचल प्रदेश	56	3%
असम	888	3%
बिहार	2174	4%
चंडीगढ़	225	12%
छत्तीसगढ़	1309	5%
दादरा व नगर हवेली	15	5%
दमन व दीव	1	0%
दिल्ली	5223	14%
गोवा	161	10%
गुजरात	2690	5%
हरियाणा	1395	5%
हिमाचल प्रदेश	229	2%
जम्मू-कश्मीर	219	2%
झारखंड	1175	4%
कर्नाटक	3078	6%
केरल	1930	9%
लक्षद्वीप	0	0%
मध्य प्रदेश	2298	4%
महाराष्ट्र	6825	6%
मणिपुर	276	8%
मेघालय	246	9%
मिजोरम	82	5%
नागालैंड	189	9%
उड़ीसा	1486	4%
पांडिचेरी	21	2%
पंजाब	1680	6%
राजस्थान	4142	5%
सिक्किम	183	16%
तमिलनाडु	8255	11%
त्रिपुरा	21	1%
उत्तर प्रदेश	10118	5%
उत्तरांचल	523	6%
पश्चिम बंगाल	4910	5%
कुल योग	64697	6%

भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि संबंधी रिपोर्ट

2235. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने हाल ही में वर्ष 2000 से भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि वृद्धि और आम आदमी पर उसके पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में रिपोर्ट जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस रिपोर्ट के निष्कर्षों पर क्या प्रतिक्रिया है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी, नहीं। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने वर्ष 2000 से भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि में वृद्धि तथा आम आदमी पर उसके पड़ने वाले प्रभावों पर कोई रिपोर्ट जारी नहीं की है। तथापि, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने

31 जनवरी, 2007 को राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत एवं पूंजी निर्माण के त्वरित अनुमान 2005-06 तथा 7 फरवरी 2007 को "राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमान 2006-07" पर प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इन प्रेस विज्ञप्तियों में वर्ष 2000-01 से 2006-07 तक के वर्षों के लिए विभिन्न क्षेत्रों द्वारा अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर शामिल है, परन्तु इसमें आम आदमी पर इसके प्रभाव का कोई विश्लेषण नहीं है।

(ख) इन प्रेस-विज्ञप्तियों के अनुसार 2000-01 से सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र एवं प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दरें निम्नवत् हैं:

वर्ष	स्थिर मूल्यों (1999-00) पर वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)		
	कुल अर्थव्यवस्था	कृषि क्षेत्र	प्रति व्यक्ति आय
2000-01	4.4	-0.2	1.9
2001-02	5.8	6.3	3.9
2002-03	3.8	-7.2	1.9
2003-04	8.5	10.0	7.0
2004-05	7.5	0.0	5.7
2005-06	9.0	6.0	7.4
2006-07	9.2	2.7	7.9

(ग) प्रेस विज्ञप्तियां तथ्यात्मक प्रकृति की होती हैं तथा इनमें कोई निष्कर्ष निहित नहीं होते।

उत्तर-पूर्व परिषद का पुनर्गठन

2236. श्री अनवर हुसैन: क्या उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर पूर्व परिषद (एनईसी) का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणिशंकर अय्यर): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, इसे अधिक सक्षम बनाने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध

2237. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान पर उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए कोई प्रतिबंध लगाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ईरान पर उसके शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने के विरुद्ध अपनी नाखुशी का इजहार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या रुख अख्तियार किया गया है; और

(ङ) ऐसे प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच संबंधों के किस सीमा तक प्रभावित होने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी हां। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 23 दिसम्बर, 2006 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय-VII के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत सर्वसम्मति से संकल्प-1737 का अंगीकार किया है।

(ख) सदस्य राज्यों से इस संकल्प के तहत यह अपेक्षा होती है कि वह ऐसी सभी वस्तुओं, जो कि ईरान के नाभिकीय संवर्धन

सबंधी, पुनर्संसाधन अथवा भारी जल संबंधी कार्यकलापों अथवा नाभिकीय हथियार डिलीवरी प्रणाली के विकास में सहायता कर सकते हैं, की आपूर्ति, विक्रय अथवा अंतरण का निषेध करेगा। इन वस्तुओं की आपूर्ति, विक्रय अंतरण, निर्माण अथवा उपयोग से संबंधित किसी तकनीकी सहायता अथवा प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, निवेश, दलाली अथवा अन्य सेवाएं और वित्तीय संसाधनों अथवा सेवाओं का अंतरण उसी प्रकार प्रतिबंधित है जैसाकि ईरान से उसका प्रापण। सदस्य राज्यों को ईरानी राष्ट्रिकों को प्रसार-संवेदन विशेषज्ञ शिक्षण अथवा प्रशिक्षण देने से निषेध करता है और साथ ही ईरान के प्रसार संवेदन नाभिकीय कार्यकलापों अथवा नाभिकीय हथियार डिलीवरी प्रणाली के विकास के लिए सहायता देने वाले अथवा लगे व्यक्तियों को अपने भूभाग में प्रवेश करने अथवा होकर पार करने पर भी सतर्कता बरतेगा। इन कार्यकलापों में संलिप्त व्यक्तियों अथवा इकाईयों की सूची इस संकल्प के अनुबंध पर दी गई है। यह संकल्प राज्यों से यह भी अपेक्षा करता है कि अनुबंध में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों तथा इकाईयों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा या इस संकल्प द्वारा गठित संस्वीकृति समिति द्वारा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त व्यक्तियों अथवा इकाईयों के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन निधियों, अन्य वित्तीय आस्तियों एवं आर्थिक संसाधनों को तत्काल अवरुद्ध कर दें।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इस संकल्प का कार्यान्वयन सभी सदस्य राज्यों के लिए अनिवार्य है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि भारत और ईरान के बीच कोई नाभिकीय तथा मिसाइल से संबंधित व्यापार नहीं है।

बगलिहार जल विद्युत परियोजना

2238. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **विदेश मंत्री** यह **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ ने बगलिहार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किये जाने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) बगलीहार जल-विद्युत परियोजना पर विश्व बैंक द्वारा नियुक्त निष्पक्ष विशेषज्ञ ने 12.2.2007 को अपनी विशेष राय दी। इसमें पाकिस्तान के 14,900 क्यूमेक के परिकलन की तुलना में 16,500 क्यूमेक के भारत के डिजाइन बाढ़, मूल्य का समर्थन, भारत के 'गेटेड स्पिलवेज' के डिजाइन का समर्थन; भारत द्वारा डिजाइन की गई 4.5 मीटर और पाकिस्तान द्वारा परिकलित 0.84 मी. की तुला में 3.00 मीटर का प्रावधान, भारत द्वारा परिकलित 37.5 एम.सी.एम. और पाकिस्तान द्वारा परिकलित 6.22 एम.सी.एम. की तुलना में 32.56 मिलियन क्यूबिक मीटर के अधिकतम सरोवर का प्रावधान, अंतर्ग्राही स्तर का निर्धारण भारत द्वारा डिजाइन किये गये 3 मीटर से अधिक का निर्धारण, और प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु के दौरान जलाशय के रखरखाव और संपोषणीयता के लिए भारत द्वारा उसे खाली करने का प्रावधान किया गया है। इससे तलछठी प्रबंधन हो सकेगा और इस परियोजना की संपोषणीयता सुनिश्चित हो सकेगी।

(ग) सिंधु जल संधि, 1960 के संगत उपबंधों के अनुसार सभी मामलों पर निष्पक्ष विशेषज्ञ के निर्णय उनकी सक्षमता की परिधि में और उक्त संधि के संगत उपबंधों के अंतर्गत किसी माध्यस्थम न्यायालय के स्थापित होने पर पक्षकारों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होंगे।

इनसैट-3ए उपग्रह के माध्यम से दूरवर्ती शिक्षा

2239. श्री एल. राजगोपाल: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार के साथ राज्य के दूर-दराज के विद्यालयों, महाविद्यालयों, बहुकला संस्थानों इत्यादि में दूरवर्ती शिक्षा प्रदान करने के लिए के यू-ट्रांसपोंडर और इनसैट 3-ए के माध्यम से शिक्षा सेवा शुरू करने हेतु किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार का अन्य संस्थाओं तक इसकी कवरेज में वृद्धि करने का प्रस्ताव है और वाणिज्यिक केबल आपरेटरों के माध्यम से ए.पी.एन.ई.टी. के शैक्षिक संकेतों (सिग्नलों) के संवितरण की अनुमति देने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने वाणिज्यिक केबल ऑपरेटरों के माध्यम से ए.पी.एन.ई.टी. के माना टी.वी. के के.यू. बैण्ड संकेतों (सिग्नलों) के संवितरण की अनुमति दी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने नेटवर्क के लिए कार्यक्रमों के जनन हेतु लगभग 2000 केबल अभिग्राही टर्मिनलों और एक स्टूडियो की स्थापना की है।

(ग) जी, हां।

(घ) संघ सरकार इस मामले की जांच कर रही है।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारत में श्रीलंकाई शरणार्थी

2240. श्री फ्रांसिस फैन्थम: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले छह महीनों के दौरान श्रीलंका से देश में आने वाले शरणार्थियों की संख्या में चिंताजनक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु में रामेश्वरम में पहुंचने वाले शरणार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या भारत सरकार का विचार इस मामले को श्रीलंकाई सरकार के साथ उठाने का है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत में ऐसे शरणार्थियों की संख्या में और वृद्धि न हो; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) वर्ष 2006 के आरंभ से श्रीलंकाई सशस्त्र बलों और एलटीटीई के बीच संघर्ष की नई शुरुआत हुई है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में प्रवेश करने वाले श्रीलंकाई शरणार्थियों की संख्या बढ़ी है। 12 जनवरी, 2006 से 28 फरवरी, 2007 तक कुल 17,924 श्रीलंकाई शरणार्थी भारत पहुंचे हैं।

(ग) और (घ) इस मुद्दे पर श्रीलंकाई सरकार को अपनी चिंता से अवगत करते हुए हमने जातीय समस्या के वार्ता पर आधारित एक ऐसे समाधान की आवश्यकता पर बल दिया जो श्रीलंका के सभी समुदायों को स्वीकार्य हो और शरणार्थियों एवं उनके परिवारों की सुरक्षित एवं स्वैच्छिक वापसी के लिए कारगर हो।

गुजरात में नए चिकित्सा महाविद्यालय

2241. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात से राज्य में नए चिकित्सा, डेंटल फिजियोथेरेपी और नर्सिंग महाविद्यालयों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) गुजरात राज्य सरकार से नए मेडिकल, दन्त, भौतिक चिकित्सा एवं नर्सिंग कालेज खोले जाने के बारे में प्राप्त प्रस्तावों की संख्या इस प्रकार है:

(1) मेडिकल	–	शून्य
(2) दन्त	–	04
(3) नर्सिंग	–	11

भारतीय दन्त परिषद विनियम, 2006 में निर्धारित अनुसूची के अनुसार परिषद केन्द्र सरकार को 15 जून तक अपनी सिफारिशें भेजेगी और भारत सरकार 15 जुलाई तक अनुमति-पत्र जारी करेगी। नर्सिंग परिषद के अनुसार पूरे दस्तावेज/कागजात प्राप्त होने के बाद निरीक्षण किया जाएगा और तदोपरान्त प्रस्तावों को पास किया जायेगा। केन्द्र सरकार के तहत भौतिक चिकित्सा के लिए कोई केन्द्रीय परिषद नहीं है इसलिए यह राज्यों में भौतिक चिकित्सा कालेजों की स्थापना के लिए कोई अनुमति प्रदान नहीं करती है।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर खम्भे

2242. श्री अब्दुल मन्नान हुसैन: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंगा-पद्मा भू कटाव (भांगन) के कारण पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद तथा नादिया जिलों में भारत-बांग्लादेश सीमा पर कई खम्भे नष्ट हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन स्थानों पर नए खम्भों का निर्माण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) नए खम्भों का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) जी हां। भारत-बंगलादेश सीमा के मुर्शिदाबाद सेक्टर में बैगे शीट सं. 1-18 वाले 268 खंभों में से 57 खंभे पिछले बाढ़ के मौसम में गंगा-पदमा जलकटाव के कारण गुम/क्षतिग्रस्त हो गये थे।

(ग) से (ङ) जी हां। पश्चिम बंगाल सेक्टर के लिए भारत-बंगलादेश के बीच अगस्त, 2006 में ढाका में और नवंबर, 2006 में कोलकाता में हुई 157वीं और 158वीं सीमा बैठकों में यह निर्णय लिया गया था कि बैगे शीट सं. 1-16 के 52 गुमशुदा/क्षतिग्रस्त खंभों का पुनर्निर्माण करना भारत की जिम्मेदारी है, जिसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 5,85,688.00 रु. आवंटित किये गये हैं। बैगे शीट सं. 17-18 में गुम हुए पांच खंभों का पुनर्निर्माण करने की जिम्मेदारी बंगलादेश की है। इस सेक्टर में गुमशुदा/क्षतिग्रस्त खंभों का निर्माण कार्य मई 2007 में पूरा हो जाने की आशा है।

मंगलदोई भूटियाचांग सड़क की जर्जर स्थिति

2243. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूटान की सीमा तक जाने वाला मंगलदोई भूटियाचांग (एमबी रोड) जर्जर स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सड़क के निर्माण और मरम्मत के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ङ) उपरोक्त परियोजना कब तक पूरी होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) मंगलदोई भूटियाचांग (एमबी रोड) एक राज्यीय सड़क है और इसकी मरम्मत के लिए मंत्रालय सीधे जिम्मेदार नहीं है। असम सरकार ने बताया है कि इस सड़क की कुल 61.5 कि.मी. लंबाई में से 2.5 कि.मी. को छोड़कर संपूर्ण सड़क की स्थिति खराब है क्योंकि धन की कमी के कारण राज्य सरकार द्वारा समुचित अनुरक्षण कार्य नहीं किये जा सके। असम सरकार ने यह भी बताया है कि 2004 के दौरान गैर-व्यपगत केन्द्रीय पूल संसाधनों के अंतर्गत अनुमोदित 684.70 लाख रु. की राशि से 8 आरसीसी पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है तथा राज्य की वार्षिक योजना के अंतर्गत सड़कों के सुधार के लिए 150 लाख रु. अनुमोदित किये गये हैं और 12वें वित्त आयोग ने इस सड़क की मरम्मत के लिए 2006-07 के दौरान 30 लाख रुपये प्रदान किये हैं।

(ग) और (घ) असम सरकार ने बताया है कि वे गैर-व्यपगत केन्द्रीय पूल संसाधनों के अंतर्गत इस सड़क के सुधार के लिए 44.89 करोड़ रु. का एक प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

खाड़ी देशों में भारतीय दूतावासों में स्टाफ की कमी

2244. श्रीमती अर्चना नायक: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाड़ी देशों में स्थित भारतीय दूतावासों में कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या खाड़ी देशों के भारतीय दूतावासों में पर्याप्त कर्मचारियों की कमी के कारण अनिवासी भारतीयों (एन.आर.आई.) की अनेक शिकायतें लम्बित पड़ी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) जी हां। वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा किये गये एक अध्ययन के आधार पर विदेश स्थित अनेक मिशनों/केन्द्रों में 287 पदों के सृजन हेतु एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है। इसमें खाड़ी के भारतीय मिशनों/केन्द्रों में 87 पद शामिल हैं।

(ग) से (ङ) खाड़ी के देशों में अनिवासी भारतीयों की शिकायतों के निवारण में विलम्ब होने की कुछ घटनाएं हुई हैं। तथापि, खाड़ी में स्थित भारतीय मिशन/केन्द्र कर्मचारियों की संख्या में कमी के बावजूद शिकायतों के निवारण का यथासंभव प्रयास

कर रहे हैं। वस्तुत: खाड़ी स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों ने अप्रैल, 2006 से भारतीय कामगारों के लिए श्रम से संबंधित उनकी समस्याओं के निवारण के लिए सप्ताह में दो बार दो घंटे के लिए नि:शुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किया है। कुवैत, ओमान, कतर और सऊदी अरब में स्थित भारतीय मिशनों ने कल्याण उपाय के तौर पर विपदाग्रस्त भारतीयों को वित्तीय सहायता, जरूरतमंद भारतीयों को चिकित्सीय सहायता, वहां फंसे भारतीयों की भारत वापसी हेतु हवाई यात्रा का टिकट जरूरतमंद घरेलू नौकरानियों के लिए अस्थायी आवास और मृतक भारतीयों के पार्थिव शरीरों के परिवहन के लिए भारतीय नागरिक कल्याण निधि का गठन भी किया है।

मोबाइल/लैण्डलाइन दूरभाष सेवा की प्रतीक्षा सूची

2245. श्री पी. करुणाकरन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जनवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार देश में राज्य-वार बी.एस.एन.एल./एम.टी.एन.एल. के मोबाइल फोन/लैण्डलाइन दूरभाष सेवा की प्रतीक्षा सूची में कितने आवेदक हैं;

(ख) सरकार का आवेदकों को कब तक कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ग) नये कनेक्शन प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 1 जनवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार, बीएसएनएल के स्थिर लाइन टेलीफोनों तथा मोबाइल फोनों हेतु प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की कुल संख्या क्रमश: 9.28 लाख एवं 0.57 लाख हैं। सर्किल-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। एमटीएनएल मांग पर मोबाइल एवं लैंडलाइन कनेक्शन उपलब्ध करा रहा है। तथापि, एमटीएनएल मुम्बई में 1712 लैंडलाइन कनेक्शन तकनीकी रूप से अव्यवहार्य हैं। इन्हें उत्तरोत्तर रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है।

(ख) (1) 1.1.2007 की स्थिति के अनुसार, चार सर्किलों नामत: महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर-I एवं पूर्वोत्तर-II में बीएसएनएल के मोबाइल टेलीफोनों हेतु प्रतीक्षा सूची थी। इन प्रतीक्षा सूचियों में से, महाराष्ट्र की प्रतीक्षा सूची का निपटान आज की तिथि के अनुसार हो गया है। छत्तीसगढ़ एवं पूर्वोत्तर-II की प्रतीक्षा सूची को मार्च 2007 तक तथा पूर्वोत्तर-I सर्किल की प्रतीक्षा सूची को जून 2007 तक निपटाया जाना निर्धारित है।

(2) 1 जनवरी, 2007 तक की स्थिति के अनुसार, फिक्स्ड लाइन टेलीफोनों हेतु प्रतीक्षा सूची में दर्ज अधिकांश आवेदकों को मार्च, 2008 तक उत्तरोत्तर रूप से कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई गई है, जिसके लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं:

* बीएसएनएल ने लैंडलाइन टेलीफोन प्रदान करने हेतु टेलीफोन एक्सचेंज से 2.5 कि.मी. के प्रतिमानक के बदले 5 कि.मी. तक भूमिगत केबल बिछाने का कार्य पुन: आरंभ किया है।

* बीएसएनएल ग्रामीण क्षेत्र में डब्ल्यूएलएल नेटवर्क की संस्थापना कर रहा है ताकि एक्सचेंज से 5 कि.मी. दूर अवस्थित क्षेत्रों अर्थात बिखरे हुए एवं दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में तथा लैंडलाइन पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने हेतु अव्यवहार्य क्षेत्रों की मांग को पूरा किया जा सके।

(ग) टेलीफोन कनेक्शन तकनीकी रूप से व्यवहार्य क्षेत्रों में 7 दिनों के प्रतिमानक के अंतर्गत उपलब्ध कराये जाते हैं। तथापि, कुछ क्षेत्रों में नए कनेक्शन के प्रावधान में विलंब निम्नलिखित कारणों से हैं:

(1) तकनीकी रूप से अव्यवहार्य क्षेत्र

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत पावर, सड़क एवं परिवहन, इत्यादि की अपर्याप्त अवसंरचना।

विवरण

1 जनवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार, बीएसएनएल के स्थिर एवं मोबाइल टेलीफोनों की सर्किल-वार प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	सर्किल	स्थिर टेलीफोन			मोबाइल टेलीफोन
		प्री-पेड	पोस्ट-पेड	कुल	
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार	736	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	26025	0	0	0

1	2	3	4	5	6
3.	असम	12357	0	0	0
4.	बिहार	80774	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	981	6445	0	6445
6.	गुजरात	24734	0	0	0
7.	हरियाणा	33156	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	29737	0	0	0
9.	जम्मू-कश्मीर	45476	0	0	0
10.	झारखंड	4897	0	0	0
11.	कर्नाटक	59059	0	0	0
12.	केरल	215658	0	0	0
13.	मध्य प्रदेश	5287	0	0	0
14.	महाराष्ट्र	82750	32146	0	32146
15.	उत्तर पूर्व-I	2749	5073	2968	8041
16.	उत्तर पूर्व-II	4178	6692	3781	10473
17.	उड़ीसा	16558	0	0	0
18.	पंजाब	6641	0	0	0
19.	राजस्थान	78929	0	0	0
20.	तमिलनाडु	11649	0	0	0
21.	उत्तरांचल	200	0	0	0
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	47351	0	0	0
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	23594	0	0	0
24.	पश्चिम बंगाल	109317	0	0	0
25.	कोलकाता	829	0	0	0
26.	चेन्नई	4987	0	0	0
	बीएसएनएल कुल	928609	50356	6749	57105

गुजरात-पत्तन के चैनलों की ड्रेजिंग

2246. श्रीमती जयाबहन डी. ठक्कर: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात पत्तनों के चैनलों की ड्रेजिंग हेतु योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गयी है;

(घ) इस परियोजना को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है; और

(ङ) सामुद्रिक नीति के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप गुजरात को क्या लाभ होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) महापत्तनों में निकर्षण करवाने इत्यादि सहित उन्हें विकसित करने का उत्तरदायित्व, केन्द्रीय सरकार का है। राज्य सरकारें, महापत्तनों से इतर पत्तनों (लघु पत्तनों) पर समग्र अधिकारिता रखती हैं और उन्हें विकसित करने की जिम्मेदार हैं। गुजरात राज्य में एकमात्र महापत्तनम, कांडला-पत्तन ने अपने नौचालनात्मक जलमार्ग का डुबाव, वर्ष, 2007-2008 तक लगभग 35 करोड़ रु. के निवेश से, बढ़ाकर 12.5 मीटर करने की दृष्टि से उसका (अपने नौचालनात्मक जलमार्ग का) निकर्षण करवाना आरंभ कर दिया है। उपर्युक्त पत्तन की बाद में अपने नौचालनात्मक जलमार्ग का डुबाव बढ़ाकर 14 मीटर करने की दृष्टि से उसका (नौचलनात्मक जलमार्ग का) निकर्षण करवाने की योजना है।

(ङ) समुद्रीय नीति का व्यापक लक्ष्य, अपेक्षित अवसंरचनात्मक सुविधाएं कायम करके समुद्रीय क्षेत्र को सर्वांगीण रूप से विकसित किया जाना सुकर और सुसाध्य बनाना है। उपर्युक्त प्रयोजन से निवेश का प्रवाह, गुजरात राज्य सहित अन्य स्थानों पर आर्थिक विकास को सुकर और सुसाध्य बनाएगा और अतिरिक्त रोजगार के अवसर जुटाएगा।

[हिन्दी]

पाकिस्तान द्वारा वीसा नियमों का शिथिलीकरण

2247. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने भारतीय पर्यटकों हेतु वीजा निर्बंधनों के शिथिलीकरण की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पासपोर्ट कार्यालयों में अलग पर्यटक सेक्शन खोलने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पाकिस्तान स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा हेतु पर्यटकों को प्रोत्साहित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, पाकिस्तान के साथ नए वीजा करार पर चर्चा चल रही है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) भारत और पाकिस्तान के बीच तीर्थयात्रियों की यात्राएं धार्मिक स्थलों की यात्राओं पर प्रोटोकोल-1974 के अंतर्गत आती हैं। इनमें भारत से पाकिस्तान के लिए तीन हिन्दू तीर्थ यात्राओं (कुल 800 यात्री) और चार सिख तीर्थयात्राओं (कुल 7500 यात्री) तथा पाकिस्तान से भारत के लिए पांच मुस्लिम यात्राओं (कुल 1350 यात्री) का प्रावधान है। दोनों सरकारें उपर्युक्त प्रोटोकोल के अंतर्गत तीर्थ यात्रियों की यात्रा के दौरान उनके लिए परिवहन, सुरक्षा और आवास की सुविधाएं प्रदान करती हैं। सरकार ने धार्मिक स्थलों की यात्रा के इच्छुक एक-दूसरे के राष्ट्रिकों के लिए तीर्थयात्रा वीजा शामिल करने हेतु द्विपक्षीय वीजा व्यवस्था के उदारीकरण हेतु पाकिस्तान सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा है। 26-27 जुलाई, 2005 को इस्लामाबाद में आयोजित सचिव (संस्कृति) स्तर की वार्त्ता के दौरान दोनों देशों ने धर्मस्थलों और तीर्थ यात्रियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए धर्मस्थलों की यात्रा से संबद्ध द्विपक्षीय प्रोटोकोल 1974 के विस्तार करने की सहमति व्यक्त की। भारत ने दोनों देशों में स्थित धर्म स्थलों की विस्तृत सूची को द्विपक्षीय प्रोटोकोल में शामिल करने का प्रस्ताव किया है।

[अनुवाद]

सुरक्षा नीति संबंधी सम्मेलन

2248. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में म्यूनिख में हुए सुरक्षा नीति संबंधी सम्मेलन में किसी भारतीय शिष्टमंडल ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चा किये गये मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्मेलन में भारत में आतंकवादी हमलों के मुद्दों पर चर्चा हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भाग लेने वाले देशों के क्या विचार थे?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी हां।

(ख) सुरक्षा नीति से संबद्ध 43वें म्यूनिख सम्मेलन की विषय वस्तु थी "वैश्विक संकट-वैश्विक जिम्मेदारियां"। इसमें चर्चा किये गये विशेष मुद्दे थे:

(1) बृहत्तर मध्य पूर्व में शांति और सुरक्षा;

(2) वैश्विक चुनौतियों के लिए साझी जिम्मेदारियां;

(3) विश्व राजनीति में रूस की भूमिका;

(4) यूरोपीय संघ की 50वीं वर्षगांठ: शांति, सुरक्षा और कल्याण के लिए एक क्षेत्रीय माडल;

(5) वैश्विक चुनौतियों के युग में नाटो;

(6) 21वीं सदी में ट्रांसअटलांटिक संबंध; और

(7) अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और विषम युद्ध।

(ग) और (घ) भारत सहित अन्य देशों में हुए आतंकवादी हमलों के संबंध में देशवार चर्चा नहीं हुई। हालांकि, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री एम.के. नारायणन ने "अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और विषम युद्ध" पर आयोजित सत्र में "आतंकवाद के वित्त पोषण" विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के संदर्भ में आतंकवादी कार्रवाईयों के वित्त-पोषण सहित भारत में आतंकवाद के मुद्दे और इस त्रासदी का विश्व स्तर पर मुकाबला करने में भारत की भूमिका की भी चर्चा की। अन्य वक्ताओं ने विश्व के विभिन्न भागों में आतंकवादी कृत्यों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता सहित इनका मुकाबला करने के संबंध में भी अपनी चिंताएं व्यक्त कीं।

आप्रवासन कार्यालयों में भ्रष्टाचार

2249. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आप्रवासन कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में कुछ शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा आप्रवासन कार्यालयों में भ्रष्टाचार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) जी हां।

(ख) और (ग) शिकायतों की गहन जांच की जाती है और दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। अनेक मामलों में, सीबीआई की जांच अभी भी चल रही है, छः मामले अभियोजन की अवस्था में है और पांच मामलों में, दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई हैं।

(घ) फील्ड स्तर के पदों में अधिक जवाबदेही और उत्तरदायित्व लाने के उद्देश्य से सरकार ने हाल ही में उत्प्रवास संरक्षियों के पदों की प्रोन्नति की है। इसके अतिरिक्त उत्प्रवास प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और मैत्रिपूर्ण बनाने के उद्देश्य से उत्प्रवास संरक्षी के कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। उत्प्रवास प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए विभिन्न उपाय किये गये हैं जिनमें उत्प्रवास अधिनियम, 1983 में संशोधन, उन देशों, जिनके लिए उत्प्रवास जांच अपेक्षित नहीं है की संख्या को 53 से बढ़ाकर 173 करना, 10वीं कक्षा और उससे ऊपर की शैक्षिक योग्यता वाले व्यक्तियों को उत्प्रवास जांच अपेक्षित और आवधिक सतर्कता ऑडिट की आवश्यकता से छूट देना शामिल है।

विदेश मंत्री का श्रीलंका दौरा

2250. श्री सनत कुमार मंडल: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश मंत्री ने श्रीलंका में शांति प्रक्रिया में प्रगति पर वार्ता करने के लिए हाल ही में श्रीलंका का दौरा किया;

(ख) यदि हां, तो चर्चा का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) श्रीलंका में शांति प्रक्रिया को मजबूत बनाने में यह वार्ता किस हद तक उपयोगी होने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) विदेश मंत्री ने जनवरी 9-10, 2007 को श्रीलंका का दौरा किया और नई दिल्ली में अप्रैल, 2007 में होने वाले चौदहवें सार्क शिखर सम्मेलन में

भाग लेने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति महिन्दा राजपक्षे को हमारे प्रधानमंत्री की ओर से आमंत्रित किया। श्रीलंका के नेताओं के साथ हुई बैठकों के दौरान द्विपक्षीय संबधों, श्रीलंका में शांति प्रक्रिया और सार्क मुद्दों पर चर्चा की गई।

(ख) और (ग) दोनों पक्षों ने सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार को उच्च प्राथमिकता देने की बात दोहराई। श्रीलंका की एकता, प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार से बल देते हुए कहा है कि नृजातीय समस्याओं का एक मात्र समाधान बातचीत, राजनैतिक निवारण है जो श्रीलंका के सभी समुदायों को स्वीकार्य हो। भारत सरकार ने शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए राजनैतिक वार्ता को पुन: आरंभ करने के सभी संभव प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

एनएचडीपी के संबंध में एनएचएआई द्वारा प्राप्त शिकायतें

2251. श्री मधुसूदन मिस्त्री: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एनएचडीपी के अंतर्गत सड़कों की खराब स्थिति के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) इन शिकायतों के निवारण के लिए एनएचएआई द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) राज्यों में विशेषकर गुजरात में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों की सतह पर कब तक फिर से बिछाए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन पर तुरंत ध्यान दिया गया है और सड़कों को यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

(ग) गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों के ब्यौरे और उनकी स्थिति तथा पूरा करने की तारीख संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना तथा अन्य परियोजनाओं के ब्यौरे

28 फरवरी, 2007 के अनुसार स्थिति

	ठेका खंड	रा.रा.	लंबाई (कि.मी.)	वर्तमान स्थिति/पूरा होने की संभावित तिथि
1	2		3	4
स्वर्णिम चतुर्भुज पर				
1.	रतनपुर-हिम्मतनगर (यूजी-3) 388-443 कि.मी.	8	54.60	पूर्ण
2.	हिम्मतनगर-चिलोडा (अहमदाबाद के समीप) (यूजी-4) 443-495 कि.मी.)	8	52.00	पूर्ण
3.	अहमदाबाद बाइपास 495-510 कि.मी. (अहमदाबाद वड़ोदरा एक्सप्रेसवे के प्रारंभ से)	8	15.00	पूर्ण

1		2	3	4
4.	अहमदाबाद वड़ोदरा एक्सप्रेसवे चरण-1 0.0-43.4 कि.मी.	8	43.40	पूर्ण
5.	अहमदाबाद वड़ोदरा एक्सप्रेसवे चरण-2 43.3 कि.मी. (नाडियाड-डेकोर एसएच)-93.302 कि.मी.	एनई-1	50.00	पूण
6.	वड़ोदरा-सूरत (नर्मदा पुल सहित और तापी पुल को छोड़कर)	8	152.00	पूर्ण
7.	सूरत (चल्थन)-अतुल 263.4-343 कि.मी.	8	79.60	पूर्ण
8.	अतुल-कजली 343-381.6 कि.मी.	8	38.60	पूर्ण
पूर्व-पश्चिम महामार्ग पर				
1.	पालनपुर के समीप अबू सड़क डीसा खंड 340-350 कि.मी.	14	10.00	पूर्ण
2.	पालनपुर-डीसा (ईडब्ल्यू-11/जीजे) 350.00-372.70 कि.मी.	14	22.70	पूर्ण
3.	डीसा-राधपुर (पैकेज-6) 372.60-458.0 कि.मी.	14	85.40	प्रगति पर नवं., 2007
4.	राधनपुर-गागोधर (पैकेज-5) 138.80-245.00 कि.मी.	15	106.20	प्रगति पर नवं., 2007
5.	गागोधर-गारामोर (पैकेज-4) 245.0-281.3 और 308.00 कि.मी.	15, 8ए	90.30	प्रगति पर नवं., 2007
6.	गारामोर-बामनबोर (पैकेज-3) 254.00-182.60 कि.मी.	8ए	71.40	प्रगति पर नवं., 2007
7.	बामनबोर-राजकोट 216-185 कि.मी.	8बी	31.00	पूर्ण
8.	राजकोट बाइपास और गोंडल जैतपुर (पैकेज-7) 117.00-143.00 और 175.00 कि.मी.	8बी	36.00	प्रगति पर मार्च, 2008

1		2	3	4
9.	राजकोट-रिबड़ा 175-160 कि.मी.	8बी	15.00	पूर्ण
10.	रिबडा-गोंडल खंड (ईडब्ल्यू-10/जीजे) 160-163 कि.मी.	8बी	17.00	पूर्ण
11.	जैतपुर-भिलाडी (पैकेज-2) 117-52.50 कि.मी.	8बी	64.50	प्रगति पर नवं., 2007
12.	भिलाड़ी से पोरबंदर (पैकेज-1) 52.50-2.00 कि.मी.	8बी	50.50	प्रगति पर नवं., 2007
पत्तन संपर्क पर				
1.	गांधीधाम-समख्याली पैकेज 1 306-324 कि.मी. (कांडला पत्तन के लिए सड़क संपर्क)	8ए	18.00	पूर्ण
2.	गांधीधाम-समख्याली पैकेज-2 324-346 कि.मी. (कांडला पत्तन के लिए सड़क संपर्क)	8ए	22.00	पूर्ण
3.	गांधीधाम-समख्याली पैकेज-3 346-362.16 कि.मी. (कांडला पत्तन के लिए सड़क संपर्क)	8ए	16.16	पूर्ण
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3क				
1.	सूरत हजीरा पत्तन	6	29.00	सौंपे जाने हैं
2.	कांडला-मुन्द्रा पत्तन	8ए	73.00	सौंपे जाने हैं
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3ख				
1.	गुजरात/महाराष्ट्र सीमा-सूरत	6	84.00	सौंपे जाने हैं
2.	गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा-अहमदाबाद	59	210.00	सौंपे जाने हैं
3.	जैतपुर-सोमनाथ	8डी	127.00	सौंपे जाने हैं
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-5				
1.	वडोदरा से भरूच पैकेज बीओटी-1 6 लेन (108.7-192 कि.मी.)	8	83.30	सौंपे गए

1		2	3	4
2.	वडोदरा से भरूच पैकेज बीओटी-2 6 लेन	8	65.00	सौंपे गए जुलाई, 2009
पूर्व-पश्चिम महामार्ग पर				
1.	पालनपुर से स्वरूपगंज (राजस्थान-42 कि.मी. और गुजरात-34 कि.मी.) 264 से 340 कि.मी. (राजस्थान 42 कि.मी. और गुजरात)	14	34.00	सौंपे गए मार्च, 2009

पंचायतों में महिला प्रतिनिधि

2252. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की पंचायतों में सदस्य, सरपंच और प्रधान के रूप में कार्य कर रहे महिला प्रतिनिधियों (सदस्य) की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) देश में मेम्बर, सरपंच तथा प्रधान के रूप में प्रतिनिधित्व कर रही अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं की राज्य-वार एवं उम्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या पंचायतों के अधिकारों एवं कर्त्तव्यों में कोई वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) यह सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) और (घ) संविधान में प्रावधान किया गया है कि ये राज्यों के विधान मंडल हैं जो पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों और प्राधिकारों से सम्पन्न बनाएंगे। इसी के अनुसार राज्यों ने पंचायतों को विभिन्न परिमाणों में शक्तियों और जिम्मेवारियों का हस्तांतरण किया है। पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों और कर्त्तव्यों के हस्तांतरण का पता लगाने के लिए राज्य सरकारों के साथ लगातार अन्योन्य क्रिया कर रही है। 23 नवम्बर, 2006 को सदन के पटल पर रखी गयी मंत्रालय की "पंचायत की स्थिति-मध्यकालीन समीक्षा तथा मूल्यांकन 2006" नामक रिपोर्ट के तीन खंडों में पूर्ण ब्यौरे दिये गये हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्यों के नाम	महिला प्रमुख		
		ग्राम पंचायत सरपंच	पंचायत समिति अध्यक्ष	जिला परिषद चेयरमैन
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	7266	366	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	645	44	6
3.	असम	*	*	*
4.	बिहार	3784	237	18

1	2	3	4	5
5.	छत्तीसगढ़	3282	51	6
6.	गोवा	0	0	0
7.	गुजरात	*	*	*
8.	हरियाणा	2112	62	8
9.	हिमाचल प्रदेश	1109	29	4
10.	जम्मू-कश्मीर	*	*	*
11.	झारखंड	चुनाव होना शेष है		
12.	कर्नाटक	1885	60	11
13.	केरल	356	54	5
14.	मध्य प्रदेश	7864	123	21
15.	महाराष्ट्र	9296	117	11
16.	मणिपुर	54	*	2
17.	उड़ीसा	*	*	*
18.	पंजाब	2871	52	6
19.	राजस्थान	*	*	*
20.	सिक्किम	33	0	1
21.	तमिलनाडु	4313	140	10
22.	त्रिपुरा	216	8	2
23.	उत्तर प्रदेश	*	*	*
24.	उत्तरांचल	2445	34	6
25.	पश्चिम बंगाल	995	102	6
	संघ शासित क्षेत्र			
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	24	3	0
27.	चंडीगढ़	6	1	0
28.	दादरा नगर हवेली	4	0	1
29.	दमन और दीव	6	0	0
30.	लक्षद्वीप	4	0	0
31.	पुडुचेरी	*	*	*

नोट: *वर्तमान में सूचना उपलब्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

संयुक्त राष्ट्र कार्रवाई में सशस्त्र बलों की नियुक्ति

2253. प्रो॰ रासा सिंह रावत: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संयुक्त राष्ट्र के निमंत्रण पर विभिन्न देशों में नियुक्त किये गये सशस्त्र बलों की संख्या क्या है और उनकी नियुक्ति की अवधि क्या है;

(ख) इस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और किन अंतर्राष्ट्रीय नियमों/संधियों का पालन किया जाता है;

(ग) संयुक्त राष्ट्र के बैनर तले विदेशों में ऐसे सशस्त्र कार्मिकों की नियुक्ति की अधिकतम अवधि कितनी है;

(घ) क्या ऐसे बलों की नियुक्ति पर होने वाले सभी व्ययों का वहन संयुक्त राष्ट्र करता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) भारत, 1950 से संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा अभियानों में अपने सशस्त्र बलों को भेज रहा है। वर्तमान में, 9132 भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सूडान, इथोपिया-एरिट्रिया, लेबनान, गोलन हाइट्स तथा आइवरी कोस्ट में संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा अभियानों में तैनात हैं।

(ख) संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा अभियान को, इसे प्राधिकृत करने के एक संकल्प को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अंगीकार करने के पश्चात स्थापित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र तथा संबंधित देश के बीच बलों की स्थिति संबंधी करार (एसओएफए) पर हस्ताक्षर होने के पश्चात संयुक्त राष्ट्र सैनिकों को तैनात करता है। भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों को संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा अभियानों में सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र द्वारा किये गये अनुरोधों को स्वीकार करने के पश्चात तैनात किया जाता है।

(ग) इन सशस्त्र कर्मियों की तैनाती की अधिकतम कालावधि सामान्यत: एक वर्ष होती है।

(घ) और (ङ) जी हां। इन सुरक्षा बलों की तैनाती पर हुए सभी व्यय को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वहन किया जाता है, जिसमें आगमन एवं प्रत्यावर्तन के लिए परिवहन, विदेश (ओवरसीज) भत्ता, टुकड़ी के उपकरण की लागत, व्यक्तिगत वस्त्र, चिकित्सा, भोजन एवं रहने के खर्चे शामिल हैं।

एन.पी.टी. पर जापान का प्रस्ताव

2254. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज): क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान ने भारत के लिए एनपीटी व्यवस्था का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जापान सरकार ने भारत-संयुक्त राज्य परमाणु संधि का अधिकारिक रूप से अनुमोदन कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) जापान अप्रसार संधि का एक पक्षकार है और वह नाभिकीय शस्त्र राज्यों और गैर-नाभिकीय शस्त्र राज्यों के बीच अंतर करने के दोहरे अप्रसार दृष्टिकोण के प्रति अपना समर्थन बनाए हुए हैं। अप्रसार संधि पर भारत के दृष्टिकोण से जापान अवगत है।

(ग) और (घ) दिसम्बर, 2006 में प्रधानमंत्री की टोक्यो की यात्रा के दौरान जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि "दोनों नेताओं का इसके प्रति समान दृष्टिकोण है कि नाभिकीय ऊर्जा की बढ़ती हुई वैश्विक मांग को पूरा करने में सुरक्षित, सतत और अप्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत की भूमिका निभा सकती है और समुचित सुरक्षोपायों के अंतर्गत सकारात्मक उपायों के माध्यम से असैनिक नाभिकीय ऊर्जा का संवर्धन किया जा सकता है। दोनों पक्ष भारत के संबंध में अंतरराष्ट्रीय असैनिक नाभिकीय सहयोग पर चर्चा जारी रखेंगे।"

पी.एस.एल.वी. सी. 7

2255. श्री बालेश्वर यादव:
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने हाल ही में श्रीहरिकोटा से पी.एस.एल.वी.-सी. 7 का प्रक्षेपण किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) पी.एस.एल.वी.-सी. 7 के द्वारा विभिन्न एजेंसियों के किस हद तक लाभान्वित होने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकिट (पीएसएलवी-सी7) को 10 जनवरी, 2007 को सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र, श्रीहरिकोटा से प्रमोचित किया गया। यह पीएसएलवी की दसवीं उड़ान थी और इस मिशन में इसने चार उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है—भारत के कार्टोसैट-2 और अंतरिक्ष कैप्सूल पुनर्प्राप्ति परीक्षण (एसआरई-1), इंडोनेशिया का लापान-टबसैट और अर्जेन्टिना का नेनो-पूनसैट-1 उपग्रह। सभी उपग्रहों को 635 कि.मी. की निर्धारित उच्च ध्रुवीय कक्षा में परिशुद्धता के साथ स्थापित कर दिया गया।

(ग) पीएसएलवी के सफल प्रक्षेपण के साथ ही भारत अपने सुदूर संवेदन उपग्रह कार्टोसैट-2 को ध्रुवीय कक्षा में स्थापित कर सका, जोकि भू-सूचना प्रणाली (एलआईएस) और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के साथ-साथ देश के विस्तृत मानचित्रण और भूकर स्तर पर मानचित्रकला संबंधी उपयोगों, शहरी एवं ग्रामीण अवसंरचना के विकास और प्रबंधन के लिए उपयोगी होगा।

अंतरिक्ष कैप्सूल पुनर्प्राप्ति परीक्षण (एसआरई-1) ने सूक्ष्म गुरुत्व परिस्थितियों में परीक्षणों के निष्पादन के लिए एक अंतरिक्ष कैप्सूल को कक्षा में चक्कर लगाने तथा परीक्षणों की समाप्ति के बाद कैप्सूल को कक्षा से बाहर निकाल कर वापस लाने की प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया है।

इंडोनेशिया की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा भू-प्रेक्षण प्रदर्शन तथा उपग्रह नियंत्रण प्रणालियों को सिद्ध करने के लिए लापान-टबसैट का उपयोग किया जाता है।

अर्जेन्टिना द्वारा अव्यवसायी रेडियो परीक्षणों के लिए पूनसैट का उपयोग किया जाता है।

[अनुवाद]

कर्नाटक से राष्ट्रीय समुद्रीय मार्ग संबंधी प्रस्ताव

2256. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय समुद्रीय मार्ग तथा सम्बद्ध समुद्रीय अवसंरचना-परियोजनाओं के लिए कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) एक राष्ट्रीय समुद्रीय मार्ग स्थापित किये जाने और उससे सम्बद्ध समुद्रीय अवसंरचनात्मक सुविधाएं कायम किये जाने की परियोजनाओं के बारे में कर्नाटक की राज्य सरकार से कोई भी प्रस्ताव नहीं मिला है।

[हिन्दी]

भारत-इटली कृतिक बल

2257. श्री संजय धोत्रे: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और इटली ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और अपराध का सामना करने हेतु संयुक्त कृतिक बल का गठन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी समझौते पर भी हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) भारत और इटली ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और देशपार अपराध का सामना करने पर संयुक्त कार्यदल के गठन हेतु नई दिल्ली में 15 फरवरी, 2007 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस कार्यदल की बैठक बारी-बारी से भारत और इटली में वर्ष में एक बार होगी। पहली बैठक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने की तारीख से छः महीने के भीतर होगी और उसमें कार्यदल के उद्देश्यों और कार्य क्षेत्र का निर्धारण किया जाएगा। इस समझौता ज्ञापन के क्रियान्वयन हेतु भारतीय पक्ष की ओर से विदेश मंत्रालय नोडल एजेंसी होगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-17 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-47 को चार लेन वाला बनाना

2258. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
डा. के.एस. मनोज:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल की राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग-17 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-47 को 'स्पाइस एंड हेरिटेज हाइवे' का नाम देने हेतु इसे चार लेन वाला बनाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग-47 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-17 की कुल लंबाई कितनी है और इनके कितने लंबे हिस्से को चार लेनों वाला बनाया गया है;

(घ) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है;

(ङ) क्या इस प्रयोजन हेतु भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या बीओटी आधार पर कार्य आरंभ किया गया है;

(ज) इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु क्या तिथि निर्धारित की गई है; और

(झ) इन परियोजनाओं को निर्धारित तिथि तक पूरा करने हेतु सरकार की क्या योजना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग-17 और राष्ट्रीय राजमार्ग-47 की कुल लंबाई क्रमशः 421 कि.मी. और 417 कि.मी. है। इसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग-47 की 52 कि.मी. लंबाई को पहले ही 4 लेन में परिवर्तित किया जा चुका है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग-17 और राष्ट्रीय राजमार्ग-47 को 4 लेन का बनाने के लिए परियोजनाओं की अनंतिम अनुमानित लागत 8019.00 करोड़ रु. है।

(ङ) और (च) भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।

(छ) राष्ट्रीय राजमार्ग-17 को बीओटी आधार पर और राष्ट्रीय राजमार्ग-47 को आंशिक रूप से बीओटी आधार पर तथा आंशिक रूप से ईपीसी ठेकों के अंतर्गत 4 लेन का बनाए जाने का प्रस्ताव है।

(ज) और (झ) राष्ट्रीय राजमार्ग-47 से संबंधित कार्यों को 2010 तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है। जहां तक राष्ट्रीय राजमार्ग-17 का संबंध है, इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3ख में शामिल किया गया है जिन्हें सरकार के विधिवत अनुमोदन के पश्चात् शुरू किया जाएगा।

[हिन्दी]

एनएचएआई को ऋण

2259. श्री वी.के. दुग्गर:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अब तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वर्ष-वार कितना ऋण लिया गया है और इस पर कितनी ब्याज-दर प्रभारित की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पथकर एवं अन्य करों के माध्यम से वर्ष-वार कितनी आय अर्जित की गई है;

(ग) लिये गये ऋण एवं अर्जित आय के प्रभावी एवं समुचित उपयोग हेतु सरकार द्वारा क्या प्रबंध किये गये हैं; और

(घ) इस परिणामस्वरूप निर्धारित समय-सीमा की तुलना में कितनी प्रगति हुई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विगत वर्षों में सूरत-मनोर टोलवे परियोजना के लिए और आयकर अधिनियम की धारा 54ईसी के तहत पूंजी लाभकर छूट बॉंड के इश्यू के लिए एशियाई विकास बैंक से प्रत्यक्ष रूप से अब तक ली गई धनराशि और उस पर प्रभारित ब्याज दर के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संग्रहीत प्रयोक्ता शुल्क (पथकर) की निवल राशि इस प्रकार है:

वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06
धनराशि (करोड़ रु.)	359.45	460.50	798.08

(ग) और (घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सरकार से प्राप्त धनराशि और ऋण से प्राप्त धनराशि का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं और वार्षिकी/ब्याज के भुगतान तथा ऋण की अदायगी के लिए किया जाता है।

विवरण

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लिये गये ऋण के ब्यौरे

वर्ष	एशियाई विकास बैंक से ऋण (मिलियन अमरीकी डालर में)		54ईसी बॉंड से ऋण	
	मूलधन +ब्याज +वचनबद्धता प्रभार	ब्याज दर (% में)	धनराशि (करोड़ रु.)	ब्याज दर (% में)
1999-00	0.00	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पूल बेस और लंदन इन्टर बैंक ऑफर रेट (लीबोर) आधार के लिए अलग-अलग करार किये थे। ऋण के दोनों भागों का ब्याज और वचनबद्धता प्रभार मूलधन राशि सहित देय है। वर्तमान में एशियाई विकास बैंक पूल आधारित ऋण पर 5.91% और लीबोर आधारित ऋण पर 5.40% की दर से ब्याज प्रभारित कर रहा है। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विनिमय में उतार-चढ़ाव के जोखिम को भी वहन करता है। क्योंकि ऋण डालर में लिया गया है और इसे डालर में ही चुकाया जाना है।	–	–
2000-01	8.81		656.62	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पहले ही चुका दिया गया है।
2001-02	13		804.44	
2002-03	37.05		5592.94	
2003-04	42.25		–	
2004-05	26.98		0.00	
2005-06	21.66		1289.00	5.6% (औसत)
2006-07	0.00		1500.00	5.5%

[अनुवाद]

पंचायती राज में महिलाओं का सशक्तीकरण

2260. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की महिला पंचायत प्रमुखों को सशक्त करने के लिए कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पंचायत प्रमुखों विशेषकर महिला पंचायत प्रमुखों को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना की स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम का एक घटक 'प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण' है जिसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों के महिला प्रतिनिधियों सहित निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकार को निधि उपलब्ध कराई जाती है। यह प्रशिक्षण पंचायती राज तथा ग्राम विकास और विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों के राज्य संस्थानों के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा दिया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने के लिए उपर्युक्त स्कीम के लिए निधियां 75:25 के अनुपात में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा मुहैया करायी जाती है।

जे.एन.यू. की प्रो. नीरजा गोपाल ज्याल द्वारा 'पंचायत की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का सर्वेक्षण' पर अध्ययन का प्रस्ताव है।

इसके साथ, पंचायत महिला शक्ति अभियान-पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक

आंदोलन तथा राष्ट्रीय महिला आयोग का एक नारा "चलो गांव की ओर" पंचायती राज मंत्रालय के तत्वावधान में शुरू किया गया है। महिलाओं को ड्राफ्ट घोषणा-पत्र तैयार करने तथा सहयोग देने के लिए राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा चयनित निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों, कार्यकर्त्ताओं, शिक्षाविदों आदि को शामिल करके एक कोर ग्रुप नामित किया गया है। तत्पश्चात् राज्य के प्रत्येक जिले से सभी महिला जिला प्रमुखों, सभी महिला प्रधानों तथा चयनित महिला सरपंचों के साथ-साथ कोर ग्रुप के सदस्यों तथा कुछ प्रख्यात व्यक्तियों को उक्त दो दिवसीय पंचायत महिला के सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं की महिला प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श से आसवित मुख्य बिन्दुओं को समाविष्ट करके महिलाओं के घोषणा-पत्र को अंतिम रूप दिया गया।

पंचायत महिला शक्ति अभियान में शासन में लिंग मसलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की संकल्पना की गई है तथा निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को उन्हें अधिदेशित कर्त्तव्य उनकी योग्यता को सर्वोत्तम रूप में निर्वहन करने में सहयोग देना है। अधिकांश निर्वाचित महिला प्रतिनिधि अपने आपको अलग-थलग तथा असंगठित, किसी संरचना के समर्थन के बिना कार्यकरण की स्थिति में पाती हैं तथा वे अपने आपको समूहों तथा एसोसिएशनों में गठित होने की आवश्यकता के बारे में कहती है ताकि वे एक ऐसे मंच का अंग बन सकें जो मुख्यत: पुरुष प्रधान सामाजिक तथा राजनैतिक वातावरण में उनकी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। अभी तक निम्नवत रूप में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों, कार्यकर्त्ताओं, गैर-सरकारी संगठनों, प्रख्यात व्यक्तियों के सम्मेलन आयोजित किये गये हैं:

1.	उदयपुर (राजस्थान)	– 23 एवं 24 अप्रैल, 2006
2.	पटियाला (पंजाब)	– 17 एवं 18 जुलाई, 2006
3.	बंगलौर (कर्नाटक)	– 5 सितम्बर, 2006
4.	देहरादून (उत्तरांचल)	– 24 सितम्बर, 2006
5.	इंफाल (मणिपुर)	– 4 एवं 5 अक्तूबर, 2006
6.	पणजी (गोवा)	– 19 अक्तूबर, 2006

राज्य स्तरीय सम्मेलनों के अतिरिक्त एक एक-दिवसीय मंडल स्तर पर सम्मेलन राजस्थान में जयपुर में 29 नवम्बर, 2006 को आयोजित किया गया था। सिक्किम राज्य में गंगटोक में 20 तथा 21 अप्रैल, 2007 को तथा असम राज्य में 23 अप्रैल, 2007 को सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रकार के सम्मेलन अन्य राज्यों में भी आयोजित किये जाने हैं।

हिमाचल प्रदेश के लिए सड़क प्रस्ताव

2261. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कई राज्य सरकारों विशेषकर हिमाचल प्रदेश सरकार से केन्द्रीय सड़क निधि से सड़कों का विकास करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार एवं वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा संस्वीकृत सड़क विकास परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(घ) इनमें से प्रत्येक परियोजना हेतु कुल कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई है; और

(ङ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) सड़कों के विकास के लिए चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत निधि के अंतर्गत स्वीकृति के लिए हिमाचल प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्ताव संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। चालू परियोजनाओं और स्वीकृत राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में स्वीकृत परियोजनाओं के नाम, स्वीकृति की तारीख और राशि के साथ ब्यौरे संलग्न विवरण III में दिए गए हैं।

(ङ) केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों का विकास एक सतत प्रक्रिया है और इसलिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी जा सकती। तथापि, दिशानिर्देशों में यह प्रावधान है कि किसी परियोजना के पूरा करने की अवधि निविदा प्रक्रिया की अवधि सहित 24 माह से अधिक नहीं हो।

विवरण I

(प्राप्त प्रस्ताव)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2000-01		2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
		सं.	धनराशि (करोड़ रु.)	सं.	धनराशि (करोड़ रु.)	सं.	धनराशि (करोड़ रु.)	सं.	धनराशि (करोड़ रु.)	सं.	धनराशि (करोड़ रु.)	सं.	धनराशि (करोड़ रु.)	सं.	धनराशि (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	58	255.27	0	0	0	0	90	211.77	0	0	77	182.59	134	281.17
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	1	2.43	1	5.15	0	0	0	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	1.61	5	22.065	11	25.067	4	15.46	4	16.22	0	00	15	74.28
4.	असम	22	29.85	2	4.05	15	33.77	10	14.56	12	40.57	9	14.33	5	18.41
5.	बिहार	29	52.00	0	0	16	82.50	5	20.00	0	0	0	0	42	261
6.	चंडीगढ़	00	00	04	693.48	02	4.61	02	01.99	00	00	00	00	01	3.75
7.	छत्तीसगढ़	31	140.03	0	0	14	69.15	5	13.90	2	33.56	7	49.02	13	50.71
8.	दिल्ली	0	0	2	10.41	3	8.95	33	52.37	1	1.61	0	0	31	55.41
9.	गोवा	3	6.99	1	0.84	0	0	2	7.01	0	0	0	0	3	10.59
10.	गुजरात	67	42.89	159	90.41	116	82.66	95	96.51	15	23.26	117	179.84	27	55.69
11.	हरियाणा	03	05.19	33	68.00	06	57.44	07	42.31	08	49.40	11	101.05	02	32.69
12.	हिमाचल प्रदेश	00	00	08	22.43	06	9.88	15	29.66	02	4.80	04	20.77	04	10.79
13.	जम्मू-कश्मीर	12	33.18	17	52.00	03	4.60	16	38.00	29	142.79	11	94.90	08	118.57
14.	झारखंड	5	26.75	0	0	0	0	2.	22.23	0	0	2	52.00	5	56.106
15.	कर्नाटक	33	48.05	103	76.19	62	39.85	129	94.36	241	145.98	140	110.20	246	239.10
16.	केरल	0	0	3	21.90	2	16.18	8	45.15	3	10.21	13	72.57	4	28.51
17.	मध्य प्रदेश	29	141.67	114	589.45	15	45.87	131	283.85	46	155.07	53	230.61	58	333.00
18.	महाराष्ट्र	57	217.00	110	181.96	36	70.52	59	130.17	47	125.58	106	295.93	243	843.82
19.	मणिपुर	3	3.96	2	5.91	2	4.11	1	4.00	1	3.47	1	2.96	12	45.08
20.	मेघालय	6	7.70	2	4.39	5	9.32	3	7.87	1	4.60	2	8.59	0	00
21.	मिजोरम	1	3.02	2	10.00	2	7.66	1	0.51	0	0	0	0	13	34.17
22	नागालैंड	3	4.72	0	0	1	2.45	4	9.66	2	8.14	1	3.60	0	00
23.	उड़ीसा	0	0	101	98.90	0	0	0	0	10	57.76	10	27.14	21	112.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24.	पांडिचेरी	0	0	2	4.70	0	0	1	1.27	1	2.57	1	2.88	1	15.00
25.	पंजाब	14	32.99	66	119.75	19	57.49	35	86.07	09	31.83	13	65.15	07	51.84
26.	राजस्थान	37	53.53	74	109.305	83	115.16	84	134.70	112	127.65	135	189.94	91	175.03
27.	सिक्किम	8	1.91	0	0	1	3.65	1	1.11	3	4.24	0	0	4	2.69
28.	तमिलनाडु	255	155.50	0	0	77	70.43	113	82.00	107	140.62	19	36.36	39	66.10
29.	त्रिपुरा	0	0	2	3.54	2	3.56	2	6.12	0	0	0	0	3	19.15
30.	उत्तराखंड	11	10.92	11	17.93	2	6.55	26	47.27	1	6.0	0	0	0	0
31.	उत्तर प्रदेश	2	11.69	1.9	156.14	10	28.98	15	118.41	23	234.81	20	202.34	20	207.66
32.	पश्चिम बंगाल	0	0	10	35.81	0	0	0	0	3	35.84	9	137.81	3	83.16

विवरण II

31.1.2007 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत कार्यों की स्थिति

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	चालू सीआरएफ कार्यों की सं.	अनुमोदित लागत धनराशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	111	294.82
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	7.58
3.	अरुणाचल प्रदेश	20	86.47
4.	असम	8	24.44
5.	बिहार	21	101.00
6.	चंडीगढ़	2	1.99
7.	छत्तीसगढ़	20	101.39
8.	दिल्ली	36	43.67
9.	गोवा	1	2.59
10.	गुजरात	95	166.03
11.	हरियाणा	10	93.35
12.	हिमाचल प्रदेश	15	45.73
13.	जम्मू-कश्मीर	22	148.22
14.	झारखंड	11	100.94
15.	कर्नाटक	242	206.94
16.	केरल	24	137.50
17.	मध्य प्रदेश	85	357.68
18.	महाराष्ट्र	192	668.67
19.	मणिपुर	9	24.60
20.	मेघालय	3	11.26
21.	मिजोरम	1	3.13
22.	नागालैंड	8	22.30
23.	उड़ीसा	33	127.60
24.	पांडिचेरी	2	5.44
25.	पंजाब	12	86.25
26.	राजस्थान	112	181.10

1	2	3	4
27.	सिक्किम	7	7.50
28.	तमिलनाडु	74	141.73
29.	त्रिपुरा	5	11.70
30.	उत्तराखंड	27	53.03
31.	उत्तर प्रदेश	50	544.11
32.	पश्चिम बंगाल	11	163.25

विवरण III

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रु.)	स्वीकृति की तारीख
1	2	3	4
	2001-02		
1.	शिमला जिले में कि.मी. 145/10-147/65 और 149/25-155/69 कि.मी. तक मुख्य जिला सड़क छोटा शिमला की सड़क सतह का सुदृढ़ीकरण	162.31	21.5.01
2.	5/60 से 18/00 कि.मी. तक महतपुर-ऊना-मुबारकपुर-तलवाडा सड़क का सुदृढ़ीकरण	374.67	21.5.01
3.	पठानकोट-बानीखेत-चंबा सड़क के 49/00 से 83/00 तक सड़क सतह का सुदृढ़ीकरण	603.69	21.5.01
4.	85/70 से 103/00 कि.मी. तक मुबारकपुर-रंकताल-कांगड़ा सड़क का सुदृढ़ीकरण	287.17	21.5.01
5.	ऊना-अधर-मंडी सड़क तक 45/00 से 69.00 कि.मी. में विद्यमान सीडी कार्यों का विस्तार और दो लेन बनाना	328.68	21.5.01
6.	आईओसी परिषद की बैठक के लिए सहायता	5.00	21.5.01
7.	विद्यमान सड़क का चौड़ीकरण करके ज्यामिती में सुधार अर्थात् ऊना-अधर-मंडी सड़क के 8/0 से 28/0 कि.मी. तक पुलिया का चौड़ीकरण	160.50	21.5.01
	जोड़	1922.02	
	2002-03		
8.	71/4 से 84/75 कि.मी. में अर्थात् मुबारकपुर से भारविन खंड में जालन्धर-होशियारपुर-धर्मशाला सड़क का सुदृढ़ीकरण	206.67	25.7.2002
9.	सिरमौर में लालदन पाऊटा राजवन रोहरु सड़क पर सतून में गिरी नदी पर 85 मीटर के सिंगल स्पेन डबल लेन पीएससी पुल का निर्माण	302.1	25.7.2002
10.	1/315 कि.मी. में (आरडी से) परोर-लहला-चचियान-लुगरीभट्टी-बांदला-पालमपुर सड़क पर न्यूगल खाद पर 154 मीटर स्पेन डब्बल लेन के प्रिस्ट्रेस्ड कंकरीट गर्डर पुल का निर्माण	242.9	25.7.2002
11.	इन्द्रपुर टापा सड़क पर इन्द्रपुर पुल का निर्माण	129	19.12.2002
	जोड़	880.67	

1	2	3	4
	2003-04		
12.	0/0 से 2/370 कि.मी. तक छोटा शिमला-कसमपुटी-पंचमाट सड़क का सुदृढ़ीकरण/ सुधार	58.03	23.4.2003
13.	0 से 61 कि.मी. तक कालाअंब नरवा वाया सुकेती पार्क-रंजेत सड़क गुणता सुधार	381.47	23.4.2003
14.	0/0 से 28/675 कि.मी. तक थाना कलां मंडली भाखड़ा नंगल सड़क का सुधार/उन्नयन	150.3	23.4.2003
15.	खादौन मलौन कुसरी सड़क पर 74 मीटर पीएससी गर्डर पुल का निर्माण	190	23.4.2003
16.	धर्मापुर सुबातो सड़क पर डगरौह खाद पर 30 मीटर स्पेन आरसीसी पुल का निर्माण	66	23.4.2003
17.	149/645 से 154/045 कि.मी. तक एम.आर.आर. वाडा लक्कड बाजार की सड़क गुणता में सुधार/सुदृढ़ीकरण	127.29	25.4.2003
18.	5/0 कि.मी. में रेंगूस रेल जलारी वाया फतेहपुर सड़क पर कुन्नखाद पर 135.04 मीटर स्पेन (प्रत्येक 22 मीटर के 6 स्पेन) आरसीसीटी बीम पुल का निर्माण	104.26	25.4.2003
19.	हिमाचल प्रदेश में 38/800 से 50/200 किमी. तक नागल मुबारकपुर तलवाडा सड़क का सुदृढ़ीकरण	193.13	25.4.2003
20.	धर्मशाला कांगडा मुबारकपुर होशियारपुर, हिमाचल प्रदेश सीमा सड़क (भलीर खंड-धर्मशाला-मेलोडगंज किमी. 153 से 168/250 आइ/सी होल्ड सड़क 0/0 से 2/040 कि.मी.) का सुदृढ़ीकरण	371	25.4.2003
21.	0/0 से 27/160 कि.मी. तक (एसएच: 0/0 से 11/0 कि.मी.-ज्वालामुखी से देहरा तक विद्यमान सड़क का सुधार और सुदृढ़ीकरण) ज्वालामुखी डहरान पुखर कलोहा सड़क का निर्माण	528.67	1.05.2004
22.	0/0 से 7/0 तक टीकेएच बाइपास सड़क का निर्माण अर्थात् थियोग-कोथिई-हाथकोटि सड़क पर 5/0 से 8/0 कि.मी. के बीच पुनर्संरेखण	403.14	1.05.2004
	जोड़	2573.29	
	2004-05		
23.	8/00 से 13/255 किमी. तक थियोग-कोथिई-हाथकोटि सड़क का सुधार और उन्नयन (एसएच: 8/0 से 13/255 कि.मी. तक सुधार/उन्नयन।	207.46	9.9.2004
24.	34/0 से 39/0 कि.मी. तक थियोग-कोथिई-हाथकोटि सड़क का सुधार और उन्नयन	288.32	9.9.2004
25.	0/0 से 4/33 कि.मी. तक होलटा राजपुर कल्लू द हट्टी सड़क का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण	95.9	9.9.2004
	जोड़	591.68	

1	2	3	4
	2005-06		
26.	शेष कार्य अर्थात् 0 से 4.487 कि.मी. तक कांगडा बाइपास सड़क की मैटलिंग और टारिंग करना	234.6	16.9.2005
27.	61 से 95 कि.मी. तक बर्थी-बंगाधन-राजगढ़-चन्दल सड़क	244.99	16.9.2005
28.	68 से 72.8 कि.मी. तक तियोग-कोथिई-हथकोटि सड़क का सुधार एवं उन्नयन	227.29	16.9.2005
29.	145.3 से 153 कि.मी. तक मतौर-गागल सड़क का सुधार और सुदृढ़ीकरण	308.09	16.9.2005
30.	0 से 6.66 कि.मी तक कंडाल्ग/खमता सड़क का उन्नयन एवं सुधार	250.91	16.9.2005
31.	0 से 7.35 कि.मी. और 8.83 से 15.18 कि.मी. तक धर्मशाला/योलदाब सड़क का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण	551.95	16.9.2005
32.	मुबारकपुर-रानीताल-कांगडा सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं सुधार	532.09	16.9.2005
33.	थियोग/हाथकोटी सड़क का सुधार	220.83	16.9.2005
	जोड़	2570.75	
	2006-07		
34.	0/0 से 13/240 कि.मी. तक धर्मपुर-सुबातू सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	327.65	22.9.2006
35.	19/820 से 20/745 कि.मी. तक शिमला-मंडी सड़क का पुनर्संरेखण	97.30	22.9.2006
	जोड़	424.95	
	कुल जोड़	8963.36	

न्याय पंचायतों का गठन

2262. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लिओड:
श्री एल. राजगोपाल:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्याय पंचायतों अथवा ग्राम स्तर के विवाद निपटारा तंत्र के लिए काफी समय से लंबित विधेयक विधान के लिए तैयार है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) न्याय पंचायतों के संबंध में बख्शी समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं;

(घ) क्या इस विधेयक को संसद के चालू बजट सत्र के दौरान पुर:स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ङ) जी, नहीं।

प्रख्यात न्यायवेत्ता प्रो. उपेन्द्र बख्शी, पूर्व कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में न्याय पंचायत पर एक ड्राफ्ट बिल प्रस्तुत किया है ताकि निचले स्तर पर मध्यस्थता, सुलह तथा समझौते के माध्यम से विवाद निपटाने के लिए एक सुदृढ़ वैकल्पिक मंच उपलब्ध कराया जा सके, जिसे सामुदायिक सहयोग के साथ संस्थागत किया जा सकता है। केन्द्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके इस समिति के प्राथमिक ड्राफ्ट बिल पर कार्रवाई की जा रही है।

लैंडलाइन तथा मोबाइल फोन प्रयोक्ताओं का अनुपात

2263. **श्री प्रबोध पाण्डा:**
श्री फ्रांसिस फैन्थम:
श्री गणेश सिंह:
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 2006 तक देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या लैंडलाइन उपभोक्ताओं की संख्या में कमी हुई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) वर्तमान में देश के प्रत्येक राज्य को कुल जनसंख्या के साथ लैंडलाइन तथा मोबाइल फोनों की संख्या का अनुपात कितना है;

(च) क्या लैंडलाइन प्रयोक्ताओं की तुलना में मोबाइल प्रयोक्ताओं की संख्या में चार गुना बढ़ोत्तरी हुई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) देश के विभिन्न भागों में लैंडलाइन कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने के लिए बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विझिंजम स्थित अंतरराष्ट्रीय समुद्र पत्तन

2264. **श्री पन्नियन रवीन्द्रन:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल के विझिंजम में अंतरराष्ट्रीय समुद्र पत्तन के निर्माण के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) इस परियोजना को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) इस बारे में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, केरल की राज्य सरकार ने विझिंजम में गहरे जल से युक्त अंतरराष्ट्रीय कंटेनर-यानान्तरण-टर्मिनल विकसित किये जाने के बारे में व्यवहार्यता से संबंधित अंतराल पाटने के लिए धन के रूप में सरकारी सहायता मांगने का एक प्रस्ताव, जून, 2006 में प्रस्तुत किया था। उपर्युक्त प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में विचार किया गया। आर्थिक कार्य विभाग ने उपर्युक्त प्रस्ताव, सितम्बर, 2006 में, केरल की राज्य सरकार को उसे (उपर्युक्त प्रस्ताव को) फिर से प्रस्तुत किये जाने हेतु लौटा दिया, क्योंकि उपर्युक्त प्रस्ताव में, उपर्युक्त योजना की अनिवार्य शर्तों का निर्वाह नहीं किया गया था। भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के अनुसार, राज्य सरकारें, महापत्तनों से इतर पत्तनों (लघु पत्तनों) पर समग्र अधिकारिता रखती हैं और उन्हें विकसित करने की उत्तरदायी है। विझिंजम पत्तन के केरल राज्य में महापत्तन से इतर पत्तन (लघु पत्तन) होने के कारण उपर्युक्त प्रस्ताव के संबंध में अपेक्षित प्रक्रिया का आगे और निर्वाह, केरल की राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।

पुणे और बंगलौर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 को छह लेन वाला बनाना

2265. **श्री श्रीनिवास दादा साहेब पाटील:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पुणे से बंगलौर तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 को छह लेन वाला बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना के लिए भूमि का अर्जित किया जाना आरंभ किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना की लागत कितनी है और इस परियोजना को कितनी अवधि के दौरान पूरा किये जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ङ) सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के 6500 किलोमीटर लंबाई जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज

को 5700 किलोमीटर और अन्य खंडों की 800 किलोमीटर लंबाई जिन पर 25000 पीसीयू से अधिक यातायात है, को दिसंबर, 2012 तक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V के अंतर्गत डिजाइन, निर्माण, वित्त और प्रचालन (डीबीएफओ) के पैटर्न का अनुसरण करते हुए निर्माण, प्रचालन और हस्तान्तरण आधार पर सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 6 लेन बनाने का कार्य अनुमोदित किया है। पुणे से बंगलौर तक राष्ट्रीय राजमार्ग-4 जो स्वर्णिम चतुर्भुज का एक भाग है, को इस अनुमोदन में कवर किया गया है। भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्रवाई और लागत का अनुमान का कार्य अभी किया जाना है।

भूटान और नेपाल की संधियों का नवीकरण

2266. **श्री मिलिन्द देवरा:**
श्री अनवर हुसैन:
श्री मोहन सिंह:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भूटान और नेपाल के साथ संधियों के नवीकरण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रस्तावित संधियों और पूर्व संधियों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) इन देशों के साथ पारस्परिक सहयोग के लिए शुरू की गई कार्यसूची का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) सरकार ने भूटान के साथ 8 अगस्त, 1949 को हस्ताक्षरित मैत्री और पड़ोसीवत् संबंधों का संवर्धन करने तथा परस्पर संबंधों को मजबूत करने से संबंधित संधि को अद्यतन किया है। 8 फरवरी, 2007 को हस्ताक्षरित नवीकृत भारत-भूटान मैत्री संधि, हमारे दोनों देशों के लोगों के बेहतर जीवन के लिए आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए सहयोग और सद्भावना को उच्चतर स्तर तक पहुंचाने की हमारी पारस्परिक इच्छा को प्रदर्शित करती है।

नेपाल के प्रधानमंत्री श्री जी.पी. कोइराला की अगस्त, 2000 में हुई भारत की यात्रा के दौरान भारत और नेपाल की सरकारें 1950 की संधि से संबंधित सभी मुद्दों की समीक्षा का कार्य शुरू करने पर सहमत हुई थीं। वर्ष 2002 तथा वर्ष 2004 में दोनों सरकारों द्वारा जारी संयुक्त प्रैस वक्तव्यों में द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इसे दोहराया गया।

(ग) नवीकृत भारत-भूटान मैत्री संधि में यह दोहराया गया है कि भारत और भूटान के बीच चिरस्थायी शांति और मैत्री रहेगी। इसमें उन प्रावधानों को हटा दिया गया है जो समय के साथ पुराने पड़ गए हैं। यह पारस्परिक और दीर्घकालिक लाभ के लिए तथा संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग के लिए आर्थिक सहयोग को ठोस बनाने और विस्तार करने के लिए नए प्रावधानों को शामिल करती है। इसमें दोनों देशों के राष्ट्रिकों के बर्ताव में या मुक्त व्यापार प्रणाली में जो कि अभी दोनों देशों के बीच है, किसी प्रकार का परिवर्तन करने की परिकल्पना नहीं है। यह संधि अपने-अपने राष्ट्रीय हितों से संबंधित मुद्दों पर एक-दूसरे के साथ गहन सहयोग की तथा अपने राज्य क्षेत्र का उपयोग एक-दूसरे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और हित के प्रति घातक कार्यकलापों के लिए न करने देने की अनुमति देने की दोनों देशों की प्रतिबद्धता को व्यक्त करती है।

(घ) सरकार के पास दोनों देशों के साथ पारस्परिक लाभकारी सहयोग की एक विस्तृत कार्यसूची है। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे स्वाभाविक संबंध अर्थपूर्ण व्यापार, आर्थिक वाणिज्यिक तथा सांस्कृतिक संपर्कों में परिणत हों, भूटान और नेपाल के साथ गत वर्षों में निकटता से कार्य किया है। इन देशों से जुड़ी हमारी सीमाओं पर संपर्क को और बेहतर बनाने तथा अवसंरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए पहल की जा रही है। भूटान और नेपाल के साथ, उनकी विशिष्ट प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके सामाजिक-आर्थिक विकास में उन्हें सहायता पहुंचाने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित विकास सहयोग कार्यक्रम भी है।

बीएसएनएल द्वारा राजस्व सृजन

2267. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा उपभोक्ताओं को कितनी योजनाओं का प्रस्ताव किया गया; और

(ख) घरेलू प्रयोक्ताओं के लिए विभिन्न योजनाओं में गत दो वर्षों के दौरान कितना राजस्व अर्जित किया गया?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्पेस एक्सप्लोरेशन

2269. **श्री कीर्तिवर्धन सिंह:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इसरो की आगामी वर्षों में अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन करने की कोई योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसा एक्सप्लोरेशन कब किया जाएगा?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) भारत ने चंद्रमा के संपूर्ण सतह का भौतिक एवं रासायनिक मानचित्रण करने के मुख्य उद्देश्य के साथ प्रथम चंद्र मिशन, चन्द्रयान-1 के प्रमोचन की योजना बनाई है। एक्सट्रोसैट विविध खगोलीय परिघटनाओं के बहु-तरंगदैर्ध्यों के अध्ययन के लिए दूसरा निर्धारित उपग्रह है।

(ग) चंद्रयान-1 2008 के प्रथम तिमाही में प्रमोचन के लिए निर्धारित है तथा 2008-09 के दौरान एस्ट्रोसैट के प्रमोचन की योजना है।

[हिन्दी]

ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा

2270. श्री मित्रसेन यादव: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश की सभी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का है;

(ख) आज की तारीख तक राज्य-वार कितनी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई; और

(ग) वर्ष 2007-08 के दौरान राज्य-वार कितनी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मैरिटाइम शिपिंग एक्ट में संशोधन

2271. श्री के.एस. राव: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी क्रूजेज के प्रवेश को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान मैरिटाइम शिपिंग एक्ट में संशोधन करके एक नई नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारतीय पत्तनों में कितनी क्रूज यात्री लैण्डिंग्स हुई; और

(घ) देश में क्रूज यात्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से समुद्री परिभ्रमण के बारे में नीति तैयार की जा रही है। फिर भी, उपर्युक्त नीति में मौजूदा वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में संशोधन किया जाना शामिल नहीं है।

(ग) समुद्री परिभ्रमण पर आने वाले अधिकांश यात्री, मुंबई, कोचीन और गोवा पहुंचते हैं। वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान इन पत्तनों पर समुद्री परिभ्रमण हेतु उतरे यात्रियों की संख्या क्रमश: 24,908; 21,824 और 50,705 रही।

(घ) देश में समुद्री परिभ्रमण-यात्री-पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से किये जाने वाले उपाय और उठाये गये कदम निम्नानुसार है:

(1) दिसम्बर, 2003 से 5 वर्ष की अवधि हेतु समुद्री परिभ्रमण के प्रयोजन से चलाये जाने वाले पोतों को अनुतट यात्रा में छूट दे दी गई है।

(2) घाट-किराया, पॉयलेटेज इत्यादि सहित, जलयान से संबधित प्रभारों में 50 प्रतिशत तक की छूट दे दी गई है।

(3) पत्तनों पर समुद्री परिभ्रमण के बारे में सुविधाएं विकसित करने का चरणबद्ध कार्यक्रम बनाया जाएगा।

(4) पर्यटकों द्वारा निर्बाध और आरामदेह यात्रा किया जाना सुकर और सुसाध्य बनाने की दृष्टि से प्रणालियां और क्रिया-विधियां सरल, कारगर तथा सुप्रवाही बनाई जा रही हैं।

(5) समुद्री परिभ्रमण-संचालक, मैसर्स ओशन क्रूजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को कोचीन के रास्ते गोवा से लक्षद्वीप तक समुद्री परिभ्रमण संचालित करने की अनुमति दे दी गई है। इसी तरह, समुद्री परिभ्रमण-संचालक, मैसर्स

स्टार क्रूजेज को मुंबई से लक्षद्वीप (कदमत द्वीप) तक और मुंबई से गोवा तक समुद्री परिभ्रमण संचालित करने की अनुमति दे दी गई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 के कार्य की प्रगति

2272. प्रो. महादेवराव शिवणकर: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 और सूरत और मानेर के बीच के खंड पर कार्य की धीमी प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) पूरे किये जा चुके कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है;

(ङ) क्या इन परियोजनाओं के निर्माण में विलंब के कारण लागत बढ़ने के बारे में कोई आकलन किया गया है; और

(च) उक्त परियोजनाओं को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

संपादकों का सम्मेलन

2273. श्री एम. रेड्डी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (दक्षेस) राष्ट्रों के संपादकों का सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस सम्मेलन का आयोजन 9-10 फरवरी, 2007 को नई दिल्ली में संयुक्त रूप से विदेश मंत्रालय और मीडिया डेवलपमेंट फाउन्डेशन, चेन्नै द्वारा किया गया था। इसमें भारत के वरिष्ठ संपादकों सहित सार्क देशों के 26 संपादकों ने भाग लिया। सम्मेलन का आयोजन सार्क शिखर सम्मेलन की तैयारी के रूप में किया गया और इसका उद्देश्य सार्क देशों में लोगों के बीच संपर्क और मीडिया सहयोग को बढ़ावा देना था।

[हिन्दी]

पश्चिम एशिया शांति प्रक्रिया

2274. श्री जालेश्वर यादव: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फिलीस्तीन सरकार ने भारत सरकार से पश्चिम एशिया शांति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, भारत ने इजराइल-फिलीस्तीन संघर्ष के वार्ता पर आधारित समाधान के जरिये और संयुक्त राष्ट्र के प्रासंगिक संकल्प के अनुसरण में सदैव एक संप्रभु, स्वाधीन, व्यवहार्य फिलीस्तीन राज्य का समर्थन किया है, जो सुपरिभाषित और मान्यताप्राप्त सीमाओं के भीतर हो और जो शांति के साथ इजराइल के साथ रह सके।

[अनुवाद]

सखलेशपुर-मंगलौर राजमार्ग की खस्ता हालत

2275. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में सखलेशपुर-मंगलौर राजमार्ग की खस्ता हालत है और इस वजह से घाट खंड पर वाहनों के आवागमन में विलंब हो रहा है और बाधा पहुंच रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बेल्लारी से मंगलौर पत्तन की ओर जाने वाले लौह-अयस्क से लदे वाहनों के भारी यातायात की वजह से राजमार्ग की हालत जीर्ण-शीर्ण हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्गों से पत्तनों को जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) उक्त राजमार्ग पर आवागमन की गुणवत्ता को बढ़ाने और इसकी हालत में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) शिरडी घाट क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 की लगभग 40 कि.मी. लंबाई पिछले मानसून में बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो गई थी। राज्य सरकार द्वारा मरम्मत कार्य पहले ही प्रारंभ किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, उक्त खंड में 30.00 करोड़ रु. के सुधार कार्यों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और इनको सौंपने/कार्यान्वयन की प्रक्रिया चल रही है।

(ग) और (घ) अधिक भार से लदे वाहनों, भारी वर्षा और तीखे मोड़ के होने की वजह से अत्यधिक क्षति हुई है।

(ङ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण स्वर्णिम चतुर्भुज से पत्तन संपर्क परियोजना को 5 स्थानों पर कार्यान्वित कर रहा है।

(च) इस राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित अनेक स्वीकृत सुधार कार्य हैं। इन कार्यों के कार्यान्वयन के पश्चात् ही इस राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति में और सुधार आएगा।

इसरो प्रक्षेपित उपग्रह

2276. श्री के.सी. पल्लानी शामी:
श्री नवीन जिन्दल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इसरो द्वारा अब तक सफलतापूर्वक प्रक्षेपित उपग्रहों का ब्यौरा क्या है तथा उन उपग्रहों का ब्यौरा क्या है जिनके प्रक्षेपण में इसरो विफल रहा;

(ख) क्या हाल ही में इसरो ने पीएसएलवी की नई श्रृंखला का प्रक्षेपण किया है;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ होने की संभावना है;

(घ) निकट भविष्य में ऐसे और अधिक उपग्रहों को प्रक्षेपित किये जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या भारत का विचार चित्र (इमेजेज) और आंकड़ों हेतु वैश्विक बाजार में प्रवेश करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) भारत ने अब तक (मार्च 9, 2007 तक) 46 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। इनमें से 3 उपग्रह कक्षा में विफल हो गए और 5 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका (प्रमोचन विफल)। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र, श्रीहरिकोटा से हाल ही में जनवरी 10, 2007 को पी.एस.एल.वी.-सी7 का प्रक्षेपण किया है। यह पीएसएलवी की दसवीं उड़ान थी और इस मिशन में इसने चार उपग्रहों-भारत के कार्टोसैट-2 एवं अंतरिक्ष कैप्सूल पुनर्प्राप्ति परीक्षण (एस आर ई-1), इंडोनेशिया के लापान-टबसैट और अर्जेन्टिना के पूनसैट-1 को प्रक्षेपित किया। सभी उपग्रहों को 635 कि.मी. की निर्धारित उच्च ध्रुवीय कक्षा में परिशुद्धता के साथ स्थापित कर दिया गया। कार्टोसैट-2 भू-सूचना प्रणाली (एलआईएस) और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के उपयोगों में तथा देश के विस्तृत मानचित्रण एवं भूकर स्तर पर अन्य मानचित्रकला संबंधी उपयोगों, शहरी एवं ग्रामीण अवसंरचना के विकास और प्रबंधन के लिए लाभकारी होगा। अंतरिक्ष कैप्सूल पुनर्प्राप्ति परीक्षण (एसआरई-1) ने कक्षा से उपग्रह को प्राप्त करने की क्रांतिक प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया है जिसका भावी उन्नत प्रमोचक राकेट प्रणालियों के डिजाइन में उपयोग किया जाएगा।

(घ) और (ङ) अगले दो वर्षों में समुद्र तथा तटवर्ती अध्ययनों के लिए ओशनसैट-2 उपग्रह, राडार प्रतिबिंबन उपग्रह (रिसैट), प्राकृतिक संसाधन सर्वेक्षण उपयोगों के लिए रिसोर्ससैट-2 तथा एसआरई-2 के प्रक्षेपण की योजना है।

(च) और (छ) भारत मैसर्स एन्ट्रिक्स के साथ वाणिज्यिक करार के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय भू-केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से पहले से ही आईआरएस प्रतिबिंबों/आंकड़ों का विपणन कर रहा है।

विवरण

भारतीय अंतरिक्ष मिशन (9 मार्च, 2007 तक)

क्र.सं.	नाम	प्रमोचन की तिथि	मिशन	प्रमोचक राकेट	सफल/असफल
1	2	3	4	5	6
1.	आर्यभट्ट	19.4.1975	वैज्ञानिक एवं परीक्षणात्मक	इंटर कॉसमास, यूएसएसआर	सफल
2.	भास्कर-1	7.6.1979	परीक्षणात्मक भू-पर्यवेक्षण	इंटर कॉसमास, यूएसएसआर	सफल
3.	आरटीपी	10.8.1979	परीक्षणात्मक	एसएलवी-3 भारत	उप-कक्षीय उड़ान
4.	आरएस-1	18.7.1980	वैज्ञानिक एवं तकनीकी	एसएलवी-3 भारत	सफल
5.	आरएस-डी1	31.5.1981	वैज्ञानिक एवं तकनीकी	एसएलवी-3 भारत	सफल
6.	एप्पल	19.6.1981	परीक्षणात्मक संचार	एरिअन, फ्रांस	सफल
7.	भास्कर-2	20.11.1981	परीक्षणात्मक भू-पर्यवेक्षण	इंटर कॉसमास, यूएसएसआर	सफल
8.	इन्सैट-1ए	10.4.1982	संचार एवं मौसम विज्ञान	यू.एस. डेल्टा, यूएसए	समय से पहले निष्क्रिय
9.	आरएस-डी2	17.4.1983	वैज्ञानिक एवं तकनीकी	एसएलवी-3 भारत	सपल
10.	इन्सैट-1बी	30.8.1983	संचार एवं मौसम विज्ञान	अंतरिक्ष शटल, यूएसए	सफल
11.	स्रोस-1	24.3.1987	वैज्ञानिक एवं तकनीकी	एएसएलवी, भारत	प्रमोचन विफल
12.	आईआरएस-1ए	17.3.1988	सुदूर संवेदन उपग्रह	वोस्टोक, यूएसएसआर	सफल
13.	स्रोस-2	13.7.1988	वैज्ञानिक एवं तकनीकी	एएसएलवी, भारत	प्रमोचन असफल
14.	इन्सैट-1सी	22.7.1988	संचार एवं मौसम विज्ञान	एरिअन, प्रांस	सफल
15.	इन्सैट-1डी	12.6.1990	संचार एवं मौसम विज्ञान	यू.एस., डेल्टा, यूएसए	समय से पहले निष्क्रिय
16.	आईआरएस-1बी	29.8.1991	सुदूर संवेदन उपग्रह	वोस्टोक, यूएसएसआर	सफल
17.	स्रोस-सी	20.5.1992	वैज्ञानिक एवं तकनीकी	एएसएलवी, भारत	सफल
18.	इन्सैट-2ए	10.5.1992	संचार एवं मौसम विज्ञान	एरिअन, फ्रांस	सफल
19.	इन्सैट-2बी	23.7.1993	संचार एवं मौसम विज्ञान	एरिअन, प्रांस	सफल
20.	आईआरएस-1ई	20.9.1993	सुदूर संवेदन-परीक्षण उपग्रह	पीएसएलवी, भारत	सफल
21.	स्रोस-सी2	4.5.1994	वैज्ञानिक एवं तकनीकी	एएसएलवी, भारत	सफल

1	2	3	4	5	6
22.	आईआरएस-पी2	15.10.1994	सुदूर संवेदन-परीक्षण उपग्रह	पीएसएलवी, भारत	सफल
23.	इन्सैट-2सी	7.12.1995	संचार उपग्रह	एरिअन, यूरोप	सफल
24.	आईआरएस-1सी	28.12.1995	सुदूर संवेदन उपग्रह	मोलनीया, रूस	सफल
25.	आईआरएस-पी3	21.3.1996	सुदूर संवेदन उपग्रह	पीएसएलवी, भारत	सफल
26.	इन्सैट-2डी	4.6.1997	संचार उपग्रह	एरिअन, यूरोप	समय से पहले निष्क्रिय
27.	आईआरएस-1डी	29.9.1997	सुदूर संवेदन उपग्रह	पीएसएलवी-सी1, भारत	सफल
28.	इन्सैट-2डीटी	जनवरी 1998 में अंतरसैट से कक्षा में प्राप्त किया गया			सफल
29.	इन्सैट-2ई	3.4.1999	संचार उपग्रह	एरिअन, यूरोप	सफल
30.	ओशनसैट	26.5.1999	महासागर एवं तटीय क्षेत्रों के अध्ययन के लिए	पीएसएलवी-सी2, भारत	सफल
31.	इन्सैट-3बी	22.3.2000	संचार उपग्रह	एरिअन, यूरोप	सफल
32.	जीसैट-1	18.4.2001	संचार उपग्रह	जीएसएलवीडी1, भारत	सफल
33.	टीईएस	22.10.2001	सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी उपग्रह	पीएसएलवी-सी3, भारत	सफल
34.	इन्सैट-3सी	24.1.2002	संचार उपग्रह	एरिअन, यूरोप	सफल
35.	कल्पना-1	12.9.2002	मौसम विज्ञान उपग्रह	पीएसएलवी-सी4, भारत	सफल
36.	इन्सैट-3ए	10.4.2003	संचार एवं मौसम विज्ञान	एरिअन, यूरोप	सफल
37.	जीसैट-2	8.5.2003	संचार उपग्रह	जीएसएलवी-डी2, भारत	सफल
38.	इन्सैट-3ई	28.9.2003	संचार उपग्रह	एरिअन, यूरोप	सफल
39.	रिसौर्ससैट-1	7.10.2003	सुदूर संवेदन उपग्रह	पीएसएलवी-सी5, भारत	सफल
40.	एडसैट	20.9.2004	शिक्षा के लिए उपग्रह	जीएसएलवी-एफ-1, भारत	सफल
41.	कार्टोसैट-1	5.5.2005	मानचित्रकला के लिए उपग्रह	पीएसएलवी-सी5, भारत	सफल
42.	हैमसैट	5.5.2005	अव्यवसायी रेडियो के लिए उपग्रह	पीएसएलवी-सी5, भारत	सफल

1	2	3	4	5	6
43.	इन्सैट-4ए	22.12.2005	संचार उपग्रह	एरिअन, यूरोप	सफल
44.	इन्सैट-4सी	10.7.2006	संचार उपग्रह	जीएसएलवी-एफ2 भारत	प्रमोचन विफल
45.	कार्टोसैट-2	10.1.2007	सुदूर संवेदन उपग्रह	पीएसएलवी-सी7, भारत	सफल
46.	आईआरएस-1	10.1.2007	प्रौद्योगिकी उपग्रह	पीएसएलवी-सी7, भारत	सफल

भारतीय नौवहन निगम (एस.सी.आई.) को नवरत्न का दर्जा

2277. श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री हितेन बर्मन:
श्री वाडिगा रामकृष्णा:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम (एस.सी.आई.) को नवरत्न का दर्जा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कंपनी को नवरत्न का दर्जा न देने के निर्णय से यह कंपनी कठिनाइयों का सामना कर रही है; और

(घ) सरकार द्वारा भारतीय नौवहन-निगम को नवरत्न का दर्जा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भारतीय नौवहन निगम के निगमित (कॉर्पोरेट) शासन के कई क्षेत्रों में कमियां ध्यान में आई हैं, जिन्हें कार्यकुशलता और पारदर्शिता लाने की दृष्टि से दूर किये जाने की आवश्यकता है। भारतीय नौवहन निगम ने यह सुनिश्चित करने के सुधारात्मक कदम उठाए हैं कि इसकी आंतरिक शासन प्रणाली में कार्यकुशलता और पारदर्शिता का वह स्तर कायम कर दिया जाए जो कि किसी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिये जाने से पहले उसके द्वारा वांछनीय रूप से कायम कर लिया जाना अपेक्षित है। ये सुधार करने में भारतीय नौवहन निगम द्वारा की जा रही प्रगति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

[हिन्दी]

परमाणु जोखिम कम करने संबंधी समझौता

2278. श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री जुएल ओराम:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ परमाणु जोखिम कम करने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पूर्व में ऐसे किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी हां। नाभिकीय हथियारों से जुड़ी दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने से संबंधित एक करार 21 फरवरी, 2007 को नई दिल्ली में संपन्न किया गया।

(ख) इस करार के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान ने अपने नियंत्रणाधीन नाभिकीय हथियारों से जुड़ी दुर्घटनाओं से सुरक्षा करने के लिए अपने-अपने आवश्यक विद्यमान राष्ट्रीय उपाय करने और इसमें सुधार करने की वचनबद्धता व्यक्त की। दोनों पक्ष अपने-अपने क्षेत्राधिकार के और नियंत्रणाधीन नाभिकीय हथियारों से जुड़ी दुर्घटनाओं, जिनके कारण रेडियोधर्मिता का जोखिम हो सकता है और जिसका दोनों पक्षों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है अथवा

जिससे दोनों देशों के बीच नाभिकीय युद्ध छिड़ने का जोखिम उत्पन्न हो सकता है कि अधिसूचना तत्काल एक-दूसरे पक्ष को देने पर सहमत हुए। ऐसी दुर्घटनाओं की स्थिति में प्रत्येक पक्ष इस प्रकार कार्य करने के लिए बाध्य होगा कि एक-दूसरे पक्ष द्वारा एक-दूसरे की कार्रवाइयों की गलत व्याख्या होने की संभावना कम से कम हो जाए।

इस करार का उद्देश्य नाभिकीय हथियारों से जुड़ी दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करके आपसी सुरक्षा का संवर्द्धन करना है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला क्षेत्र विनियामक आयोग की स्थापना

2279. **श्री कृष्णा मुरारी मोघे:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोयला क्षेत्र विनियामक आयोग की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी कब तक स्थापना किये जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ग) कोयला मंत्रालय इस समय कोयला विनयामक आयोग की स्थापना किये जाने के संबंध में एक अध्ययन शुरू कर रहा है। इस अध्ययन की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद ब्यौरे तैयार किये जायेंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं वर्ष 2007-08 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-5945/2007]

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): मैं उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-5946/2007]

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): मैं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वर्ष 2007-08 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-5947/2007]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-5948/2007]

(3) हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2003-04 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-5949/2007]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): मैं, श्री सुरेश पचौरी की ओर से कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा संघ लोक सेवा आयोग की वर्ष 2007-08 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-5950/2007]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): मैं, श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2005-06 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-5951/2007]

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कोयला मंत्रालय की वर्ष 2007-08 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-5952/2007]

(2) कोयला मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-5953/2007]

अध्यक्ष महोदय: मद संख्या 9, डा. शकील अहमद।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): महोदय, मैं इसे प्रस्तुत करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: इसे प्रस्तुत करने के लिए नोटिस या सूचना देनी चाहिए थी। तथापि मैं आपको अनुमति देता हूं।

श्री दयानिधि मारन: मुझे खेद है, मैं माफी मांगता हूं।

अध्यक्ष महोदय: इसे परम्परागत रूप से नहीं लेना चाहिए।

श्री दयानिधि मारन: मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन्हें इसी समय राज्य सभा में भी उपस्थित होना है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, अनुमति दी जाती है लेकिन पूर्वोदाहरण के रूप में नहीं।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): मैं डा. शकील अहमद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाकघर (संशोधन) नियम, 2006 जो 8 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 466(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 25 अक्तूबर, 2006 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 663(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-5954/2007]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-06 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-06 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-5955/2007]

(5) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2007 का संख्यांक 12)-(विनियामक लेखापरीक्षा)-(दूरसंचार क्षेत्र)-लेखापरीक्षा संप्रेक्षणों का संव्यवहार, के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-5956/2007]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का.आ. 1998 (अ) जो 21 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई-दो (ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे) (सोनीपत खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का.आ. 2051 (अ) जो 30 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 (दीसा-राधनपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का.आ. 2052 (अ) जो 30 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 (पालनपुर-स्वरूपगंज खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का.आ. 2091 (अ) जो 12 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर माही नदी पर पुल के उपयोग के संबंध में सेवाओं के लिए फीस की दर निर्धारित किये जाने के बारे में है तथा उसका एक शुद्धि पत्र जो 15 दिसम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2099(अ) में प्रकशित हुआ था। (केवल हिन्दी संस्करण)।

(पांच) का.आ. 142(अ) और का.आ. 143(अ) जो 7 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (वडोदरा-सूरत खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (छह लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का.आ. 85(अ) जो 25 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (पिंजोर-कालका-परवानू बाईपास सहित जिरकपुर-परवानू खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का.आ. 86(अ) जो 25 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (जिरकपुर-परवानू खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने-आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का.आ. 98(अ) जो 1 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (कानपुर-वाराणसी खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का.आ. 195(अ) जो 14 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (कानपुर-वाराणसी खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का.आ. 99(अ) जो 1 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (कानपुर-वाराणसी खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 2004(अ) जो 23 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (मुलाबागल-कोलार-बंगलौर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का.आ. 2006 (अ) जो 23 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 (नेलामंगला-हासन खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 2045 (अ) जो 30 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-होसूर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण,

प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 2056 (अ) जो 18 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (पुणे-सतारा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में)

(पन्द्रह) का.आ. 1730 (अ) जो 9 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (वाडापी-गोंडे खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 1692 (अ) जो 4 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नागपुर-धुले खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 1552 (अ) जो 15 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में बाईपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (तमिलनाडु/केरल सीमा से त्रिसूर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 1791 (अ) जो 18 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में बाईपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (मन्नुथती-अलुवा खंड) के निर्माण (चार लेन वाले बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 1747 (अ) जो 11 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में बाईपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (मन्नुथती-अलुवा खंड) के निर्माण (चार लेन वाले बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का.आ. 1750 (अ) जो 11 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में बाईपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (तमिलनाडु/केरल सीमा से त्रिसूर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 1799 (अ) जो 20 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में बाईपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (तमिलनाडु/केरल सीमा से त्रिसूर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 2038 (अ) जो 28 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में बाईपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (तमिलनाडु/केरल सीमा से त्रिसूर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 2166(अ) और का.आ. 2167 (अ) जो 29 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो केरल राज्य में बाईपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (मन्नुती-अलुवा खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 2076(अ) जो 7 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में बाईपासों के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (मन्नुती-अलुवा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 2046 (अ) से का.आ. 2048 (अ) जो 30 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नागपुर-हैदराबाद खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 2117 (अ) जो 18 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (मुलतगल-कोलार-बंगलौर ग्रामीण खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ. 2133 (अ) और का.आ. 2134 (अ) जो 21 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग

संख्या 7 (नागपुर-हैदराबाद खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अट्ठाईस) का.आ. 196(अ) जो 14 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (कानपुर-वाराणसी खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतीस) का.आ. 186(अ) जो 13 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (इंदौर-खलघाट खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का.आ. 193(अ) जो 14 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (इंदौर-खलघाट खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतीस) का.आ. 2079 (अ) जो 8 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (नलबाड़ी-बिजनी खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 48(अ) जो 17 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 (नलबाड़ी-बिजनी खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतीस) का.आ. 169(अ) जो 8 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 फरवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 244(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(चौंतीस) का.आ. 170(अ) जो 8 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(पैंतीस) का.आ 96(अ) जो 31 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(छत्तीस) का.आ. 2122 (अ) जो 20 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (आगरा-ग्वालियर खंड) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (ग्वालियर-झांसी खंड) को जोड़ने वाले ग्वालियर बाइपास के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतीस) का.आ. 18(अ) जो 9 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (ग्वालियर-झांसी खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ. 73(अ) और का.आ. 74(अ) जो 24 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 (झांसी-लखनाडोन खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतालीस) का.आ. 107(अ) जो 5 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में बाईपासों के निर्माण सहित विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का.आ. 93(अ) जो 31 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (ग्यारह से पच्चीस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-5957/2007]

(3) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का.आ. 94(अ) जो 31 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बेल्गोरिया एक्सप्रेसवे को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(दो) का.आ. 95(अ) जो 31 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विनिवेश की अवधि को कम किया गया है और यह निदेश दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के भाग (किशनगढ़-अजमेर खंड) को अपने नियंत्रण में ले लेगा और इस संबंध में अपनी शक्तियों और कृत्यों का पालन करेगा।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी.-5958/2007]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): मैं योजना मंत्रालय की वर्ष 2007-08 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी.-5959/2007]

अपराह्न 12.03 बजे

राष्ट्रपति का संदेश

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सभासदों, मुझे सभा को यह सूचित करना है कि मुझे माननीय राष्ट्रपति से 9 मार्च, 2007 का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:

"23 फरवरी, 2007 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष मेरे द्वारा दिये गये अभिभाषण के लिए लोक सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये धन्यवाद को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं।"

अपराह्न 12.04 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

गत सप्ताह के दौरान किये गये कार्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सभासदों, आपकी जानकारी के लिए मैं पिछले सप्ताह के दौरान निष्पादित कार्य के मुख्य मदों का सार संक्षेप प्रस्तुत करना चाहता हूं।

स्वीकृत किये गये 100 तारांकित प्रश्नों में से केवल 15 प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जा सका। 999 अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों सहित शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। इस अवधि के दौरान, प्रश्न काल के बाद और दिन के लिए सभा स्थगित होने से पहले तात्कालिक लोक महत्व के आठ मामले उठाये गये। इसके अलावा, नियम 377 के अंतर्गत 41 मामले उठाये गये।

इस सप्ताह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ हुई और 12 घंटे और 43 मिनट लम्बी बहस के बाद प्रस्तीवा स्वीकार कर लिया गया।

जहां तक विधायी कार्य का संबंध है, सभा ने श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' द्वारा प्रस्तुत सांविधिक प्रस्ताव जिसका उद्देश्य खेल प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अध्यादेश, 2007 और खेल प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) विधेयक, 2007 का निरनुमोदन करना था, पर इसे अस्वीकार करने और विधेयक को पारित करने से पहले, सभा ने लगभग 2 घंटे 44 मिनट तक संयुक्त चर्चा की।

संबंधित विनियोग विधेयकों सहित रेल बजट को पारित करने से पहले बजट (रेलवे) 2006-07, लेखानुदान मांगों (रेलवे), अनुपूरक अनुदान मांगों (रेलवे) 2006-07, रेलवे अभिसमय समिति (2004) के पांचवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के अनुमोदन के संबंध में संकल्प के संबंध में आम चर्चा में 12 घंटे और 49 मिनट लगे।

कार्य की आवश्यक मदों को निष्पादित करने के लिए सभा की बैठक देर तक चली और 8 घंटे 39 मिनट तक अतिरिक्त कार्य किया। मैं कार्यवाही के संचालन में सहयोग देने के लिए माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मद संख्या 12, श्री मधुसूदन मिस्त्री। क्या यह आपकी सीट है?

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): जी हां।

अध्यक्ष महोदय: आपकी पदोन्नति हो गई है। मैं आपके बधाई देता हूं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मैं कभी भी किसी दूसरे की सीट पर नहीं बैठा।

अपराह्न 12.05 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

छब्बीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का छब्बीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के बारे में कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप थोड़ा रुक जाएं। आप इतना तो जानते हैं।

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी (रीवा): अध्यक्ष महोदय, पूरे उत्तर भारत में विगत तीन दिनों से भयंकरतम ओला पत्थर पड़ रहा है। खास कर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अधिकांश भागों में पहले सूखे से फसल चौपट हो गई। इसी के साथ मध्य प्रदेश के सतना जिले में भी सूखे से फसल नष्ट हो गई। शेष दो-तिहाई मध्य प्रदेश में बाढ़ से फसल नष्ट हो गई। अभी दो महीने पहले पाला पड़ा ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बुरी आदत छोड़नी पड़ेगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी: जिसके कारण किसानों की सारी फसल नष्ट हो गई और अब पूरे उत्तर भारत में भयंकरतम ओला पत्थर पड़ा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे ओले पत्थर शताब्दियों में कभी एकाध बार पड़ते हैं। इससे किसानों की कमर टूट गई है। इसके पहले जो ओला पड़ा था, भारत सरकर ने अभी तक उसका कोई विशेष पैकेज नहीं दिया है और न बाढ़ से हुई क्षति की पूर्ति के लिए केन्द्र सरकार ने कोई विशेष राहत नहीं दी है। प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से बाढ़ से प्रभावित किसानों की क्षतिपूर्ति की। जन, धन और पशुओं की जो इस बार क्षति हुई है, उसके इस बार तो किसान जीने लायक भी नहीं बचा है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल एक जांच दल भेजकर वहां सर्वे कराया जाए और किसानों को जो क्षति हुई है न केवल उसका मुआवजा दिलाया जाए, बल्कि विशेष पैकेज दिलाया जाए, ताकि किसान जी सकें और अपने पैरों पर खड़ा हो सकें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री महावीर भगोरा, श्री भंवर सिंह डांगावास, श्री गिरधारी लाल भार्गव, श्री किशन सिंह सांगवान, प्रो. रासा सिंह रावत, श्री जसवंत सिंह बिश्नोई, प्रो. चन्द्र कुमार, श्री विरेन्द्र कुमार श्री कृष्ण मुरारी मोघे, श्रीमती करुणा शुक्ला, श्री विजय कृष्णा श्रीमती परनीत कौर, डॉ. रतन सिंह अजनाला, श्रीमती परमजीत कौर गुलशन, सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा-ये सभी श्री त्रिपाठी द्वारा बड़े सशक्त ढंग से उठाये गये इस महत्वपूर्ण मुद्दे से अपने को संबद्ध कर रहे हैं। आप सभी इससे अपने आपको संबद्ध कर रहे हो।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में भयंकर बारिश और ओला पड़ा है, जिसके कारण वहां के किसान बर्बाद हो गये हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसीलिए मैंने उनको पहले बुलाया है। इसके महत्व के कारण मैंने इसे पहले बुलाया है। मुझे विश्वास है कि सरकार इसको देखेगी और उचित कदम उठाएगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: ऐसा लगता है कि आप कार्यवाही को नहीं चलने देना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जो सदस्य इससे अपने आपको संबद्ध करना चाहते हैं वे अपने आप लिखित में दे दें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा (संगरूर): सर, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय: ढींडसा साहब, आपको बुलायेंगे। एक साथ सबको नहीं बुला सकते। आप थोड़ा धीरज रखिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप स्लिप भेज दीजिए।

प्रो. रासा सिंह रावत: राजस्थान में ओलावृष्टि के कारण भयंकर बर्बादी हुई है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको बोला है, आप ले कर दीजिए। आप इसे पटल पर रख सकते हैं।

***श्री धावरचन्द गेहलोत** (शाजापुर): महोदय, मध्य प्रदेश के पूर्वी, पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में तथा मध्य प्रदेश से लगे हुए राजस्थान प्रदेश में भारी ओलावृष्टि और वर्षा के कारण गेहूं, चना आदि की फसलों को भारी हानि हुई है। किसान बरबादी के कगार पर है। भारी नुकसानी से किसान अत्यधिक दुखी है।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि सरकार शीघ्र जांच दल भेजे और किसानों व संबंधितों को नुकसान की क्षतिपूर्ति करने की व्यवस्था करे और राज्य सरकारों को भी आवश्यक सहायता प्रदान करे। मैं इस मामले को, जो चन्द्रमणि त्रिपाठी ने उठाया है, से संबद्ध करना चाहता हूं।

***डा करण सिंह यादव** (अलवर): महोदय, मैं डॉ. करण सिंह यादव डिवीजन नं. 176 माननीय सदस्य श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी द्वारा उठाये गये मुद्दे से संबद्ध करना चाहता हूं।

मेरे लोक सभा क्षेत्र अलवर में ओलावृष्टि से फसल तबाह हो गई है।

केन्द्र सरकार किसानों के नुकसान का शीघ्र आंकलन करवाए व किसानों को मुआवजा दिया जाये।

***डा. सत्यनारायण जटिया** (उज्जैन): महोदय, मैं संबद्ध करता हूं कि ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को केन्द्र सरकार तत्काल राहत सहायता प्रदान करे।

मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से कृषि उपजों को भारी क्षति हुई है। समस्या की गंभीरता को देखते हुए राहत के लिए केन्द्र सरकार सभी आवश्यक उपाय किये जायें।

***श्री रामस्वरूप कोली** (बयाना): महोदय, मुख्य रूप से भरतपुर-धौलपुर-दौसा-करौली तीन दिन से राजस्थान में हो रही ओलावृष्टि से किसानों की खेती चौपट हो गयी है। भारत सरकार से आपके माध्यम से निवेदन है कि राज्य सरकार से रिपोर्ट मंगवा कर राजस्थान के किसानों के कर्ज माफ कर सहायता प्रदान करने के आदेश प्रदान करें।

***श्री गिरधारी लाल भार्गव** (जयपुर): महोदय, बेमौसम की बरसात और ओलावृष्टि से राजस्थान में फसलों को भारी नुकसान केन्द्र द्वारा अविलम्ब विशेष पैकेज की घोषणा की जाये। राजस्थान के 17 जिलों अलवर, चुरू, झन्झुनूं, जयपुर, नागौर, दौसा, सवाई, माधोपुर, भरतपुर, सीकर, बीकानेर, अजमेर, हनुमानगढ़, करौली, जालौर, धौलपुर, पाली, सिरोही के हजारों गांवों में विगत दिनों लगातार हो रही बेमौसम की बरसात, तेज आंधी, तूफान, ओलावृष्टि आदि के कारण सरसों, चणा, जौ इसबगोल, गेहूं आदि फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कई जिलों में तो सारी फसलें भी बरबाद हो गई हैं। सम्पत्तियों एवं पशुधन को भी नुकसान पहुंचा है।

राज्य सरकार अपने सीमित साधनों से किसानों को यथा मदद देने के कदम उठा रही है परन्तु नुकसान इतना अधिक है कि इसमें केन्द्र सरकार को आगे आकर अविलम्ब सहायता करनी होगी।

अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान के किसानों को इस संकट से उबारने के लिए ओलावृष्टि राहत पैकेज के लिए/आपदा राहत के लिए 500 करोड़ रुपये का पैकेज अविलम्ब घोषित किया जाये।

***श्री गणेश सिंह** (सतना): महोदय, विगत तीन दिनों से देश के विभिन्न राज्यों में भयंकर ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गयी है। अब तक 50 लोग मारे

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

गये हैं। अकेले मध्य प्रदेश में 16 लोग मारे गये। आपदा से देश के जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, गुजरात आदि राज्य प्रभावित हुए हैं।

मेरे मध्य प्रदेश में पूर्व में 31 जिलों में ओलावृष्टि से 2 लाख हैक्टेयर भूमि की फसल नष्ट हो चुकी है, कल परसों से मेरे लोक सभा क्षेत्र सतना कटकी में लगभग 500 ग्रामों में भयंकर ओलावृष्टि हुई है और अभी भी ओलावृष्टि चालू है। मेरी केन्द्र सरकार से अध्ययन दल भेजे जाने की मांग है। साथ ही लगातार पीड़ित किसानों की सहायता के लिए विशेष पैकेज दिया जाये और साथ ही किसानों के ऋण माफ किये जायें।

***श्री किशन सिंह सांगवान** (सोनीपत): महोदय, भारी वर्षा व ओलावृष्टि से उत्तर भारत में विशेष तौर पर हरियाणा में भारी नुकसान हुआ है। किसानों की सारी फसलें बरबाद हो गयी है। प्रांत के सभी 20 जिलों में भारी नुकसान हुआ है। सब्जी, सरसों, गेहूं इत्यादि फसलें बरबाद हुई हैं। किसानों को 15/20 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिलाया जाये व हरियाणा को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाये ताकि किसानों को आत्मदाह करने से रोका जाये।

***श्री अशोक अर्गल** (मुरैना): महोदय, मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चम्बल संभाग में भारी ओलावृष्टि हुई है। उक्त बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से किसानों को भारी क्षति हुई है। मैं चाहता हूं कि केन्द्र एक सर्वे दल भेज कर जांच कराये एवं केन्द्र सरकार किसानों को राहत हेतु पैकेज देवे।

***श्री भंवर सिंह डांगावास** (नागौर): महोदय, निवेदन है कि मैंने प्रात: उपरोक्त विषय पर नोटिस दिया था, उसके संदर्भ में सूचना देता हूं कि राजस्थान की फसलें, पहले बरसात व अंधड़ से जीरा, इसबगोल व सरसों खत्म हुई थी। फिर गेहूं व जौ की फसल बची थी, वह पुन: वर्षा व ओले गिरने से तबाह हो गई है।

मेरा आग्रह है कि केन्द्र सरकार को मुआवजा ही नहीं, समुचित आर्थिक पैकेज दिया जाये ताकि किसान अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

***श्री राकेश सिंह** (जबलपुर): महोदय, मध्य प्रदेश में बड़े हिस्से विगत दिवस भीषण ओलावृष्टि हुई है। मेरे संसदीय क्षेत्र जबलपुर, कटनी में भी पनागर, सिहोरा, बहोरीबंद, मुड़वारा (कटनी) आदि विधान सभाओं सहित जबलपुर के अनेक स्थानों में सैकड़ों गांवों में भीषण ओलावृष्टि हुई है। तैयार खड़ी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। किसान बरबादी की स्थिति में पहुंच चुका है उसे तत्काल राहत की आवश्यकता है। मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार इस ओलावृष्टि से राहत हेतु फौरन एकमुश्त पर्याप्त राशि की घोषणा करें।

आपके निर्देशानुसार इस विषय पर माननीय सांसद चन्द्रमणि त्रिपाठी जी के साथ संबद्ध करने हेतु अनुमति प्रदान करें।

[अनुवाद]

श्री सुखदेव सिंह ढींड़सा (संगरूर): महोदय, ओलावृष्टि के कारण पंजाब और देश के अन्य भागों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बड़ी चिन्ता की बात है कि हजारों एकड़ में खड़ी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है और इसके कारण देश के अन्य भागों के किसानों के साथ-साथ पंजाब के किसानों के पास जीने का कोई साधन नहीं बचा है।

हम निम्नलिखित संसद सदस्य किसानों को पर्याप्त राहत मुहैया करवाने के लिए भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं ताकि कम से कम पर्याप्त राहत उन तक पहुंच सकें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जिन माननीय संसद सदस्यों को बुलाया गया है, उनको छोड़कर किसी की भी कही गई बात रिकार्ड नहीं की जाएगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह: सर, मेरा नाम भी एसोसिएट कर लिया जाए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप नाम भेज दीजिए, हमने बोला है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उठाने के लिए मामले बहुत हैं। अब तक यह मामला सूची में बहुत नीचे था। इसके महत्व के कारण मैंने उनको पहले बुलाया। मैंने उनको नहीं टोका। उन्होंने अपनी बात कह दी। मैंने अन्य सभी माननीय सदस्यों के नाम ले लिये हैं जो उनके साथ संबद्ध होना चाहते हैं और मैंने यह कहते हुए भी टिप्पणी की है कि मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर ध्यान देगी।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अत: जो सदस्य इससे संबद्ध होना चाहते हैं वे कृपया करके अपना नाम लिख कर दे दें। सब कुछ रिकार्ड किया जाएगा। मैं इस बात की अत्यधिक प्रशंसा करता हूं कि सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे हर पक्ष के सदस्यों को बोलने का अवसर प्रदान करने दीजिए। सहयोग के लिए धन्यवाद, रासा सिंह जी।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): मा. अध्यक्ष महोदय, मैं, माशेलकर रिपोर्ट के संबंध में देश में उठे एक गंभीर विवाद की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

महोदय, सीएसआईआर के पूर्व महानिदेशक डा. आर.ए. माशेलकर को 5.4.2005 को पेटेन्ट कानूनों संबंधी तकनीकी विशेषज्ञ समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी जिससे कई गंभीर विवाद उत्पन्न हुए। प्रथमत:, यह बात सामने आई कि उक्त रिपोर्ट के एक भाग की ऑक्सफॉर्ड इन्टेलेक्चुअल प्रापर्टी रिसर्च सेंटर, इंग्लैंड के एक एसोसिएट साम्मन्द बशीरद द्वारा तैयार किये गये एक दस्तावेज से नकल की गई है। यह साहित्य चोरी और धोखे का कार्य है।

दूसरे, उन्होंने बहुराष्ट्रीय निगमों के हित में हमारे देश के हित को छोड़ दिया है। उन्होंने नवार्टिस इंडिया लिमिटेड द्वारा सुझाई गई एमएनसी के हितों जैसी चीजों को अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री हन्नान मोल्लाह: महोदय, उनका नैतिक आधार ऊंचा है किंतु उनकी सिफारिश देश के हित के विरुद्ध है। उन्होंने कासाबलांसा में हुई डब्ल्यूआईपीओ की बैठक में सरकार के लिए परेशानी पैदा की। मेरे विचार में वे विचारार्थ विषय से भटक गये।

अध्यक्ष महोदय: यह वाद-विवाद नहीं है। आप केवल इसका उल्लेख करें।

श्री हन्नान मोल्लाह: महोदय, सरकार से मेरी यह मांग है कि एक संयुक्त संसदीय समिति इसकी जांच करे और पेरेन्ट्स अधिनियम पर पुनर्विचार करने के लिए एक रिपोर्ट सौंपे। विगत कुछ वर्षों में ऐसी मांग कई जगहों से की गई है। अत: इस रिपोर्ट को अस्वीकृत किया जाये और इस पर एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा पुनर्विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, आप एक वरिष्ठ और जिम्मेदार सदस्य हैं। कृपया इस बात का ख्याल करें कि किसी प्रकार का तनाव न हो। आप केवल उस चीज के बारे में उल्लेख करें। लोगों की भावनाओं के कारण ही मैंने आपको अनुमति दी है।

अपराह्न 12.11 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

महाराष्ट्र नव-निर्माण मोर्चा के संयोजक द्वारा देश के किसी विशेष राज्य से संबंधित लोगों के विरुद्ध की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बारे में

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं एक अनुशासित सदस्य हूं। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ आपके माध्यम से महत्वपूर्ण विषय जो देश की राष्ट्रीय एकता से जुड़ा हुआ है और तात्कालिक राष्ट्रीय महत्व का है, उस विषय की ओर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। प्राचीन काल से ही हमारे देश की जो सभ्यता और जो संस्कृति है, वह वह वसुदैवकुटुम्बकम् के दर्शन पर आधारित है। मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत देश के किसी भी राज्य में, किसी भी प्रांत के लोगों को रोजी-रोटी के लिए सम्मान के साथ जीने का सबको अधिकार है और संविधान के प्रावधानों के बावजूद इस तरह की बात कही गई है। महाराष्ट्र की समृद्धि में बिहारियों का खास योगदान है। मुम्बई शहर की चमक बिहारियों के पसीने, उनकी मेहनत और उनके कारीगरी तथा हुनर की बदौलत है। चूंकि बिहार के लोग बेरोजगार है और वे सभी शहरों में जाकर अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए काम करते हैं। पिछले दिनों महाराष्ट्र के नव निर्माण सेना ...*(व्यवधान)* ने क्षेत्रवादी उन्माद फैलाने ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप कोई और नाम मत लीजिए। वह इस सदन के सदस्य नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: ठीक है, मैं संगठन का नाम लेता हूं। नाम हटा लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय: यह सही नहीं है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: महाराष्ट्र की नव निर्माण सेना के जो अध्यक्ष है, उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है, वह न केवल क्षेत्रवादी उन्माद फैलने वाला है बल्कि प्रान्तीयता फैलाने वाला, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खंडित करने वाला, आपसी भाईचारे को ठेस पहुंचाने वाला, सौहार्द को आहत करने वाला है तथा अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। बिहारी लोगों को थप्पड़ मारने की बात भी उन्होंने दर्ज की है। यह बहुत ही दुखद है, शर्मनाक है कि आज करोड़ों लोग जो राष्ट्रवादी हैं और जो राष्ट्रीयता में विश्वास करते हैं, उनके मन को ठेस पहुंची है चाहे वे किसी भी प्रांत के हों। मैं इसीलिए आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के बयान को महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष को तुरंत ही वापस लेना चाहिए। ...*(व्यवधान)* उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। इस तरह के बयान से बचना चाहिए और नहीं तो मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि आन्तरिक सुरक्षा कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन पर मामला दर्ज होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मैं आपका नाम पुकारूंगा। श्री आठवले, जब मैं आपका नाम पुकारूं तो आप बोलना।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एक भी शब्द कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। मैं इस प्रकार की अनुशासनहीनता की अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह इस दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है कि भारत एक ही देश है। सर्वप्रथम तो हमें भारतीय होने पर गर्व है, तत्पश्चात् हम विभिन्न राज्यों के हैं। मुझे विश्वास है कि कोई भी इस प्रकार की संकीर्णता को प्रेरित नहीं करेगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव इसके साथ संबद्ध होंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ माननीय सदस्यों को लगता है कि जोर-शोर से चिल्लाकर वे मुझे कतिपय चीजें करने को मजबूर कर देंगे। मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि वे ऐसे विचारों को छोड़ दें। श्री रामदास आठवले, क्या आप बैठ जायेंगे। मैं आपके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा। मैं प्रत्येक पक्ष को महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने का अवसर देने की कोशिश कर रहा हूं। पहले, मैंने उस मा. सदस्य को बुलाया था जो घटित हुई प्राकृतिक आपदा के बारे में उल्लेख करना चाहते थे, तत्पश्चात् इस मामले पर उल्लेख करने हेतु मैंने आपका नाम पुकारा। मैंने आपको अवसर दिया है। किंतु यदि आप केवल चिल्लायेंगे, तो क्या आपके विचार से इस पर उचित प्रतिक्रिया होगी? इस कार्य को एक गरिमापूर्ण ढंग से करो।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: राम कृपाल जी, आपके लीडर ने कह दिया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मैं निष्कासन प्रक्रिया आरंभ करूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण मामले पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। आम तौर पर यह देखा जाता है कि बिहार के गरीब तबके के लोग रोजी-रोटी कमाने के लिए देश के विभिन्न भागों में जाकर काम करते हैं। इन लोगों को न केवल महाराष्ट्र में बल्कि देश के अन्य दूसरे प्रदेशों में भी अपमानित होना पड़ता है, मार खानी पड़ती है। यहां तक कि उनकी जानें भी जा रही हैं। इस तरह की महाराष्ट्र में यह दूसरी-तीसरी घटना है। वहां के क्षेत्रीय नेताओं ने बिहार के लोगों को अपमानित करने का काम किया है। इसके अलावा बिहार से नवयुवक रोजगार का अवसर प्राप्त करने तथा छात्र देश की

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए जाते हैं। न केवल उन्हें अपमानित किया जाता है बल्कि मार भी खानी पड़ती है। मुझे समझ नहीं आता कि बिहार के लोगों ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया कि उन्हें अपमानित किया जाता है जबकि वे दूसरे लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। वे उनके खेत-खलिहानों में काम करते हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यहां किसी ने यह नहीं किया है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अपनी मेहनत से अन्न उपजाने का काम करते हैं, लोगों को खिलाने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष ..... * बिहारियों के खिलाफ जो बोला है ...*(व्यवधान)* उसे गिरफ्तार करना चाहिए, यहां से एक्शन होना चाहिए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया नाम काट दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब, मैं आपको सदन छोड़ने को कहूंगा। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय: एक भी शब्द कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल न किया जाये। यहां कुछ मा. सदस्य सदन की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह शर्मनाक कार्य है। इस प्रकार आप बिहार के लिये काम नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको अवसर दिया, किंतु आपके उस अवसर का दुरुपयोग किया।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बहुत हो चुका। अब मुझे कार्यवाही करनी होगी। यह एक दोहरा शर्मनाक व्यवहार हो रहा है।

श्रीमान मंत्री महोदय, क्या आप उत्तर देना चाहते हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, हम माननीय सदस्यों द्वारा यहां व्यक्त की गई चिंताओं को महसूस करते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इस सदन में गरिमापूर्ण ढंग से किसी भी चीज पर चर्चा नहीं कर सकते।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह देश एक है। देश के किसी भी भाग में संप्रग सरकार इस तरह की चीज को प्रोत्साहित नहीं करती। यह देश की एकता से जुड़ी है। तथापि, चूंकि किसी विशेष राज्य से मा. सदस्यों ने चिंतायें जतायी हैं, इसलिए मैं आज सायंकाल को ही संबंधित राज्य सरकार को सदस्यों की भावनाओं की जानकारी दे दूंगा। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, इस घटना की निंदा की जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि माननीय सदस्यों का दृष्टिकोण उचित होता है। मैं इसे कर चुका होता।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह मैंने कहा। किंतु आप अध्यक्षपीठ की बात सुनने को उत्सुक ही नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह भारत में कहीं भी हो सकता था, यहां तक कि उस राज्य में भी जिसका उल्लेख मा. सदस्य ने किया है। मैं मा. सदस्यों की भावनाओं को संबंधित राज्य सरकार को बता दूंगा।

---

*अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एस.के. खादरवेलयन (पलानी): मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि तेल कंपनियों ने पूरे देश में रसोई गैस के वितरकों को यह परामर्श अथवा निर्देश जारी किया है कि अगला सिलिंडर 21 दिनों के बाद ही उपभोक्ताओं को दिया जाए लेकिन वास्तव में उपभोक्ताओं को 40 से 50 दिनों के बाद ही सिलिंडर मिल जाता है और अधिकांशत: विशिष्ट होटलों, विवाह भवनों (मैरिज हॉल) आदि जैसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग होते हैं। उपभोक्ताओं को पिछले सिलिंडर की आपूर्ति किये जाने की निधि से एक महीने के बाद ही डीलरों के पास नाम पंजीकरण कराने की अनुमति दी जाती है और उन्हें इसे पुन: भरने के लिए 10 से 20 दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। जनसाधारण को समय पर घरेलू गैस सिलिंडर प्राप्त करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

अत: मैं सरकार से उपभोक्ताओं को तीन सप्ताह के अंदर घरेलू गैस सिलिंडर की आपूर्ति को नियमित करने का अनुरोध करता हूं और अब यह विलासिता की वस्तु नहीं है बल्कि आवश्यक वस्तु है।

अध्यक्ष महोदय: मुझे नहीं पता कि यहां क्या किया जा सकता है।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, जहां तक विदेशों में रह रहे भारतीयों का प्रश्न है तो मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहूंगा।

कल एक खबर आई थी कि कुवैत में अमेरिकी शिविर में एक बम धमाका हुआ था जिसमें से भारतीय विशेषकर एक केरलवासी की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है जिस पर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि हजारों कामगार मध्य-पूर्व के देशों विशेषकर खाड़ी देशों के साथ-साथ कुवैत, सऊदी अरब और दुबई में कार्य कर रहे हैं। लाखों भारतीय वहां कार्य कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा हमारे देश की प्राथमिक चिंता है। विदेश मंत्रालय को उस विशेष दूतावासों से संपर्क करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कामगार वैसे स्थानों पर सुरक्षित हैं। यह एक अत्यंत ही गंभीर मामला है क्योंकि अमेरिकी शिविर में हमला हुआ था जहां ये लोग ठेका कामगार के रूप में कार्य कर रहे थे। यह उनकी गलती नहीं थी। हम नहीं जानते हैं कि यह एक आतंकवादी हमला था क्योंकि यह अमेरिकी शिविर में हुआ। संभावना है कि यह आतंकवादी हमला हो सकता है। ऐसी स्थिति में सरकार को मामले की जांच करनी चाहिए। ऐसे पीड़ितों के परिवारों जिन्होंने धमाके में सब कुछ खो दिया है को प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए और अमेरिकी सरकार से संपर्क किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही तुरंत की जानी चाहिए। मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा वह विदेश में विशेषकर मध्य-पूर्व के देशों में कार्यरत भारतीय नागरिकों की जान के बारे में गंभीरता से ध्यान दे।

[हिन्दी]

श्रीमती करुणा शुक्ला (जांजगीर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं कि छत्तीसगढ़ में कोरबा जिले में बाल्को का एक प्लांट है। वहां 540 मैगावाट का विद्युत संयंत्र जो लगा हुआ है, उस संयंत्र से निकलने वाली राख का एकत्रीकरण उचित स्थान पर होना चाहिए था लेकिन वह नहीं हो रहा है। वहां बेलगारी गांव, रूपबहरी गांव और अन्य आस-पास के गांवों के लोग राख मिश्रित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। जब हवा का झोंका आता है तो उनके भोजन में वह राख चली जाती है जिससे वे लोग बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। उनके जीवन में एक ऐसा संकट पैदा हो गया है कि वे वहां से अगर अपना गांव छोड़ते हैं तो उनकी खेती और किसानी खराब होती है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका व्यवहार बहुत अच्छा है। माननीय सदस्य महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं और आप वहां बैठक कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती करुणा शुक्ला: माननीय अध्यक्ष महोदय, गांव वालों के ऊपर जीने का ऐसा संकट पैदा हो गया है कि वे अपना जीवन कैसे जियें। बार-बार संयंत्र के अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया जाता है पर संयंत्र के अधिकारी उस राख को एकत्रित करने के लिए कोई डैम नहीं बना रहे हैं। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप उनके ऊपर कोई कार्रवाई करें क्योंकि वह विद्युत संयंत्र जहां स्थापित करते हैं, वहां गांव वालों की सुविधा के बजाय उनके लिए मुसीबतें और पैदा करते हैं। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री महोदय इस विषय पर ध्यान देंगे और संयंत्र द्वारा इस बात की व्यवस्था करेंगे कि वहां राख को जमा करने के लिए एक डैम बनाएंगे और गांव वालों को राहत दिलायेंगे। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्रीमती पी. सतीदेवी (बडागरा): अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। यह समझा जाता है कि रेलवे प्राधिकारियों ने रेलवे स्टेशनों पर टेलीफोन बूथ मालिकों को खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। लगभग 40000 टेलीफोन बुथ का संचालन शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। खाली करने का आदेश बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा रेलवे प्लेटफार्मों पर अपने बूथ के संचालन के इरादे से जारी किया गया है। रेलवे प्राधिकारियों का दृष्टिकोण अत्यंत ही अनुचित है। अतः रेल मंत्रालय को शारीरिक रूप से विकलांग ऐसे व्यक्तियों को खाली कराने के निर्णय को वापस लेना चाहिए। ऐसे बूथों के संचालन के उनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए।

श्री पी. करुणाकरण (कासरगोड): अध्यक्ष महोदय, श्रीमती सतीदेवी ने अभी जो कुछ भी कहा उससे मैं सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय: जी हां, आपके सहयोग के लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

[हिन्दी]

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर): अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत रोड बन रहे हैं, डामरी रोड जो बनाई जा रही है, मैं उस रोड की दुर्दशा के बारे में बोलूंगा। जो ठेकेदार हैं, वे ठेका लेते हैं और पांच साल का गारंटी फार्म भरते हैं। जिस रोड में गड्ढे हो गए, रोड खराब हो गई, एक-दो साल के बीच में 15 प्रतिशत राशि जमा कराई जाती है, परन्तु अभी तक छत्तीसगढ़ राज्य और बिलासपुर जिले में अधिकतर रोड और अन्य छत्तीसगढ़ में कुछ रोड एक-एक, दो-दो साल से खराब हो गए हैं। क्वेरी से गिट्टी दी जाती है, उसकी जो ढुलाई करनी चाहिए, वहां से न करके स्थानीय क्वेरी से ढुलाई कर रहे हैं, जिससे कमजोर रोड बन रहे हैं, जो एक साल में खराब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं और चलने लायक नहीं रहते। ऐसे ठेकेदारों का ठेका समाप्त किया जाए।

महोदय, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि जहां क्वेरी है, वहां से गिट्टी, बोल्डर और पत्थर निकाले जाएं और वे अच्छे रोड बनाए जाएं। पिछले समय की जो प्रस्तावित रोड है, उनमें कम से कम तीस रोडों को और छत्तीसगढ़ में कम से कम पचास रोडों को, जहां एक हजार से कम जनसंख्या है, जो नीतिगत है, जब दो हजार जनसंख्या वाली रोड को बनाया जाता है तो एक हजार से कम जनसंख्या वाली रोड का जो प्रस्ताव राज्य सरकार ने भेजा है, उसे केन्द्र सरकार ने कैंसिल कर दिया है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो रोड हैं, जो रोड प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं, राज्य सरकार नियम एवं प्रक्रिया का पालन कर रही है, लेकिन उन्हें समय पर राशि नहीं मिलती। जिस रोड की स्वीकृति हुई है, उसका ठेका नहीं हुआ है, इसलिए इस रोड का निर्माण भी नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से पुनः अनुरोध करूंगा कि इन रोडों का जिस तरह से अन्य राज्यों में है, इस पर केन्द्र सरकार ध्यान दे कि इस पर सही ढंग से क्वेरी हो और गड्ढे वाली रोड की मरम्मत की जाए। राज्य सरकार से जो प्रस्ताव आया है, उसे पास किया जाए और जो पूर्व में रोड पास हो गए हैं, उनका टैंडर बुलाया गया है, जो ठेकेदार रोड को नहीं बनाते, उनकी ठेकेदारी समाप्त की जाए, जिससे अच्छी रोड बने और जो प्रधान मंत्री सड़क योजना पूर्व में लागू की गई है, उसे यथावत रखा जाए। ...*(व्यवधान)* अधिक से अधिक रोडों की स्वीकृति दी जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने नेताओं की बैठक में इस बात पर सहमति हुई थी कि अविलंबनीय लोक महत्व के केवल पांच मामलों को इस समय उठाने की अनुमति दी जाएगी। आप सभी ने इस निर्णय पर सहमति जताई थी। मैंने पहले ही अठारह मामलों को अनुमति प्रदान कर चुका हूं। अन्य मामले को दिन के अंतिम पहर में उठाया जाएगा।

नियम 377 के अधीन मामले*

अध्यक्ष महोदय: मद सं. 13, नियम 377 के अधीन मामले को सभा पटल पर रखा समझा जाएगा।

(एक) विद्युत उत्पादन के लिए कन्सनट्रेटेड सोलर पावर (सीएसपी) प्रौद्योगिकी की स्थापना के लिए पहल किये जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): भारतीय विद्युत क्षेत्र बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है। भारत की आजादी के बाद विद्युत क्षेत्र का विकास उल्लेखनीय रहा है। तथापि विद्युत की उपलब्धता मांग की तुलना में बहुत कम है। देश में विद्युत की जबरदस्त मांग और कमी है।

अंतर्राष्ट्रीय विद्युत एजेंसी के अनुसार भारत में विश्व की कुल आबादी का 35% बिना बिजली के रह रहा है।

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

[श्री एन.एस.वी. चित्तन]

इस बात को मानते हुए द्रुत आर्थिक विकास और गरीबी उपशमन के लिए बिजली एक महत्वपूर्ण कारक है, भारत ने अगले पांच वर्षों में सभी घरों में विद्युत आपूर्ति का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 40% घरों में विद्युत आपूर्ति नहीं है। हर किसी के घर में बिजली आपूर्ति के लक्ष्य को प्राप्त करना एक दुरुह कार्य है जिससे बिजली के अतिरिक्त उत्पादन करने की आवश्यकता तथा पारेषण और वितरण नेटवर्क के विस्तार करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त विद्युत के वैकल्पिक स्रोतों को भी संकटपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए अपनाने की आवश्यकता है।

दो जर्मन वैज्ञानिकों डा. जरहाई नीज और डा. फ्रांज ट्राइब का आकलन है कि विश्व के गर्म मरूस्थल के मात्र 0.5 प्रतिशत को शामिल करने वाली प्रौद्योगिकी जिसे कंसेनट्रेटंड सोलर पावर (सीएसपी) कहा जाता है, विश्व की संपूर्ण विद्युत आवश्यकता को पूरा करेगी और साथ ही यह मरूस्थल क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण उपोत्पाद के रूप में अलवणीकृत जल प्रदान करेंगे निकटवर्ती नगरों के लिए वायु प्रशीतन के रूप में कार्य करेगा।

इससे उस अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन करने वाले स्रोतों से निकलने वाले कार्बन डॉइआक्साइड की मात्रा में 70 प्रतिशत तक की कमी आएगी।

सीएसपी के अनेक प्रकार हैं लेकिन सभी किसी न किसी प्रकार की गैस अथवा द्रव्य वाले पाइप या पात्र में सौर ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए दर्पणों का सामान्य उपयोग करते हैं जो लगभग 400 सेंटीग्रेड (752 फारनाहाइट) तक गर्म हो सकता है और या पारंपरिक वाष्प टरबाइनों में विद्युत प्रवाहित करने में प्रयोग होता है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह देश में आम आदमी के लिए विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करने की दृष्टि से इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने हेतु ठोस प्रयास करें।

(दो) ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून से गुजरात में स्थानांतरित किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जीवाभाई ए. पटेल (मेहसाना): महोदय, नियम 377 के माध्यम से सरकार का ध्यान ओएनजीसी द्वारा की जा रही फिजूलखर्ची की तरफ दिलाना चाहता हूं। ओएनजीसी के तेल क्षेत्र वर्तमान समय में असम और गुजरात में ज्यादा है और इन्हीं क्षेत्रों में तेल ज्यादा निकल रहा है। कुल आयल के उत्पादन में 20 प्रतिशत से ज्यादा उत्पादन गुजरात में हो रहा है। इस संबंध में एक बैठक में हमने सवाल उठाया है कि देहरादून में ओएनजीसी मुख्यालय क्यों रखा गया है तो ओएनजीसी अधिकारियों का कहना है कि हमने वहां अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मकान बना रखे हैं और आफिस कार्यालय पर 150 करोड़ रुपये का निवेश कर रखा है, परन्तु अधिकारियों की निगाह में यह कौन सा निवेश है, इससे कितना राजस्व मिलता है। ओएनजीसी का असली काम तेल और गैस निकालना है।

अत: सरकार से अनुरोध है कि सरकार को खर्चा घटाने के लिए ओएनजीसी का मुख्यालय गुजरात में स्थापित करें, जहां पर तेल और गैस अन्य क्षेत्रों से ज्यादा निकल रहा है।

(तीन) मध्य प्रदेश के सागर में बीड़ी कर्मकारों के लिए नव निर्मित अस्पताल में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सागर मध्य प्रदेश में श्रम विभाग द्वारा स्थापित किया जाने वाला बीड़ी मजदूर अस्पताल बनकर पूर्ण हो गया है। लगभग 6 करोड़ की राशि से अस्पताल का निर्माण किया गया है। अनेकों बार इसे प्रारंभ करने की बात करने पर इसमें मात्र एक डिस्पेंसरी प्रारंभ की गयी है। जबकि यहां पर आपरेशन थियेटर डिलीवरी रूम तथा 30 बिस्तरों वाला अस्पताल होने पर लगभग सौ मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है। इस निर्मित भवन में इतना स्थान उपलब्ध है। देश में बीड़ी मजदूरों की संख्या की दृष्टि से सागर जिला प्रथम है जहां के गरीब बीड़ी मजदूरों को इलाज हेतु बाहर जाना पड़ता है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश के एकमात्र बड़े बीड़ी मजदूर अस्पताल में शीघ्र ही डाक्टरों, विशेषज्ञों सहित पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति कर उसका विधिवत् उद्घाटन कर सागर के बीड़ी मजदूर अस्पताल को शीघ्र ही प्रारंभ कराने का सहयोग करें।

[अनुवाद]

(चार) गुजरात के बड़ोदरा और सूरत के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 का पुनर्निर्माण किये जाने की आवश्यकता

श्री काशीराम राणा (सूरत): राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 के बड़ोदरा और सूरत खंड की लम्बाई 156 किलोमीटर है। चूंकि यह खंड राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का एक भाग है इसलिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस खंड के रखरखाव और मरम्मत के लिए उत्तरदायी है। इस खंड पर यातायात की सघनता

को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस खंड को छह लेन का बनाने का कार्य शुरू किया है।

पिछली वर्षा ऋतु में भारी वर्षा के दौरान मार्ग को भारी क्षति हुई थी। स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने इस मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया है। वर्ष 2006-07 की वर्षा ऋतु के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पैबन्द लगाये थे लेकिन मार्ग की सतह ऊंची नीची हो गई है और वाहनों की गति भी कम हो गई है। इससे पहले वड़ोदरा और सूरत के बीच 150 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय होती थी जो अब मार्ग की खराब स्थिति के कारण बढ़कर 5 घंटे हो गई है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने छह लेन बनाने का कार्य बनाओ, चलाओ और सौंप दो। (बी.ओ.टी.) के आधार पर एक प्रचालन कंपनी को दे दिया है। वित्तीय खण्ड को पूरा कर लिया गया है और राज्य सहायता समझौते पर भी हस्ताक्षर हो गए हैं। अब कार्य शुरू हो जाने की संभावना है। कार्य के पूरा होने की समय सीमा 30 महीने हैं इसलिए यह कार्य वर्ष 2010 तक पूरा हो जाएगा। छह लेन बनाने का कार्य भी शुरू हो गया है।

राज्य सरकार को विभिन्न स्तरों पर इस मार्ग की सतह पर असमतल स्थानों को ठीक करने के लिए बहुत से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। मार्ग की स्थिति से प्रभावित होने के कारण पनौली इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन ने गुजरात उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है जिसमें राज्य सरकार भी एक प्रतिवादी है।

यदि निर्माण कार्य तुरंत शुरू नहीं किया गया तो मार्ग की स्थिति और अधिक बदतर हो जाएगी और इससे काफी असुविधा होगी।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस कार्य को यथाशीघ्र पूरा करवाए।

(पांच) 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर वीर सावरकर और मदन लाल डींगरा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): महोदय, 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को इस वर्ष 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इस समिति द्वारा वर्षभर में विविध कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि उसी दौरान स्वातंत्र्य वीर सावरकर द्वारा 1857 का स्वतंत्रता समर का प्रथम ग्रंथ 1907 में प्रकाशित हुआ था जिसके प्रकाशन के 100 वर्ष भी पूर्ण हो रहे हैं। उसके स्मरणार्थ केन्द्र सरकार द्वारा एक शताब्दी समारोह का आयोजन कर उस ग्रंथ को सभी मान्यवर लोक सभा, राज्य सभा के सदस्य, सभी राज्यों के राज्यपाल, मुख्य मंत्री और गणमान्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को वितरित किया जाए जिससे प्रत्येक भारतीय के हृदय में देश की अखंडता के लिए एकजुट संगठित रहने की भावना प्रज्जवलित हो। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि स्वा. सावरकरजी ने सर्वप्रथम म्यूटिनी बंड जैसे अपमानजनक शब्दों को ठुकराकर उसे स्वतंत्रता समर की गौरवपूर्ण संज्ञा दी।

इसी संदर्भ में इस महान क्रांतिकारी द्वारा दिनांक 8 जुलाई, 1910 मार्सेलिस बंदरगाह में लगाई गई ऐतिहासिक समुद्री छलांग जोकि हर भारतीय के लिए गौरव है, को 8 जुलाई, 2010 में 100 वर्ष पूर्ण होंगे। इस ऐतिहासिक घटना की याद में एक समारोह का आयोजन किया जाए और 8 जुलाई, 2010 को फ्रांस में मार्सेलिस बंदरगाह पर उसकी प्रतिमा स्थापित की जाए। साथ ही हुतात्मा मदनलाल धींगरा की प्रतिमा इंग्लैंड के इंडिया हाउस में स्थापित हो जिससे विदेश में रह रहे भारतीयों को और पर्यटकों को अपने देश के प्रति आदर व देशभक्ति की भावना को जागृत रखने की प्रेरणा मिलती रहेगी। पूर्व में भी हमारे देश के महान विभूतियों की प्रतिमाएं विश्व के कई देशों में स्थापित की गई हैं। अत: केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि इसके लिए अभी से प्रयत्न करना चाहिए ताकि 2010 तक इस महान कार्य को पूरा किया जा सके।

[अनुवाद]

(छह) गुजरात के दहेज पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रो-रसायन निवेश क्षेत्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): भारत सरकार पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पी.सी.पी.आई.आर.) के रूप में विकसित करने के लिए क्षेत्रों का चयन करने की प्रक्रिया में लगी हुई है। दक्षिण गुजरात में दहेज क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया है जिसमें जी.आई.डी.सी. ने प्रस्तावित पी.सी.पी.आई.आर. के लिए 250 वर्ग किलोमीटर भूमि का पहले ही चयन कर लिया है। दहेज क्षेत्र में पहले से ही बड़ी-बड़ी रसायन और पेट्रोरसायन कंपनियां स्थित हैं। गुजरात सरकार वहां एक रसायन से संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित कर रही है जिसमें ओ.एन.जी.सी. के साथ जी.आई.डी.सी. प्रोत्साहनकर्त्ता के रूप में कार्य कर रही है। क्षेत्र में समुचित जलापूर्ति सहित पर्याप्त अवसंरचना मौजूद है। राज्य सरकार

[श्री पी.एस. गढ़वी]

के अधिकारियों ने कृतक बल की बैठकों में भाग लिया और इसकी रणनीतिक रूप से अनुकूल स्थिति के बारे में बताया। अधिकारियों के दल ने इस संबंध में दिनांक 7.6.2006 को अमेरिका के वर्जीनिया में आयोजित बैठक में भी भाग लिया।

महोदय, जब अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के रूप में गुजरात के दहेज का चयन हो गया है तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह वर्ष 2007 के अंत तक निश्चित रूप से दहेज, गुजरात में पी.सी.पी.आई.आर. की स्थापना करे।

[हिन्दी]

(सात) मध्य प्रदेश में और देश के अन्य भागों में विद्युत उत्पादन के लिए नई इकाईयां स्थापित किये जाने की आवश्यकता

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): महोदय, देश में विद्युत उत्पादन मांग की अपेक्षा पूर्ति के अनुरूप नहीं है। विद्युत ऊर्जा राष्ट्र की ऊर्जा का पर्याय है। विद्युत की निरन्तर बढ़ती मांग जहां प्रगति और विकास का द्योतक है। वहीं विद्युत ऊर्जा का अभाव विकास में बाधक है।

देश-प्रदेश के ऊर्जा उत्पादन के सभी स्रोतों की समयबद्ध स्थापना, आधुनिक तकनीकी का प्रयोग और लक्ष्यों को प्राप्त करने के सभी उपाय करना राष्ट्रीय महत्व का अत्यावश्यक विषय है।

अतएव मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि राष्ट्रीय विद्युत उत्पादन के स्रोतों और प्रदेशों में विद्युत उत्पादन की सभी इकाईयों की स्थापना, संधारण और भविष्य के कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और इसके लिए वित्तीय प्रावधानों सहित विशेष उपाय भी किये जाएं। मध्य प्रदेश सहित राज्यों को विद्युत उत्पादन की योजनाओं को सभी प्रकार से प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करें।

(आठ) केरल के अलप्पुझा जिले को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शामिल किये जाने की आवश्यकता

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को विभिन्न राज्यों के 330 और जिलों में लागू कर दिया गया है और वर्ष 2007-08 के आम बजट में कार्यक्रम के समुचित कार्यान्वयन के लिए 12,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस योजना में ग्रामीण परिवारों को वित्तीय वर्ष के 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आजीविका की सुरक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

केरल के अलपुझा जिले में आजीविका संकट की दर बहुत अधिक है और वहां गरीबी भी अधिक है। जिले का अधिकांश भाग तटवर्ती क्षेत्र में पड़ता है और यहां का जनसंख्या घनत्व राज्य में सबसे अधिक है। अलपुझा जिला में कृषि संकट बहुत अधिक है। कामगारों की प्रति व्यक्ति आय में गिरावट और कृषि, नारियल जटा और मछली पालन में स्वरोजगार कम होने के कारण गरीबी में और अधिक वृद्धि हुई हैं क्योंकि गरीबों में से अधिकांश को इन्हीं क्षेत्रों में रोजगार मिला हुआ है। इसलिए, इस योजना में अलपुझा जिले को भी शामिल किया जाए और वर्ष 2007-08 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सम्मिलित घोषित किया जाए। जिससे जिले में हजारों ग्रामीण बेरोजगारों को बड़ी सहायता मिलेगी।

(नौ) दक्षिण एशियाई देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा के उद्देश्य से उत्तर पूर्व में अगरतला से सबरूम तक विद्यमान रेल लाइन का विस्तार किये जाने की आवश्यकता

श्री खगेन दास (त्रिपुरा-पश्चिम): भारतीय रेल राष्ट्रीय अखंडता का प्रतीक है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दिये जाने के बावजूद पूर्वोत्तर में रेलवे नेटवर्क में सुधार करने के लिए कोई भी योजनाएं घोषित नहीं की गई हैं। रेल लाइन का विस्तार अगरतल्ला से आगे सबरूम तक करने की मांग त्रिपुरा के लोग बहुत लम्बे समय से कर रहे हैं। यह परियोजना न केवल इस राज्य के लिए अपितु समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। इससे बंगलादेश के चिटगांव बन्दरगाह, जो केवल 75 किलोमीटर दूर है, से पूर्वोत्तर क्षेत्र को जोड़ने में सहायता मिलेगी। यह लिंक बन जाने से त्रिपुरा बहुत से दक्षिण एशियाई देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य का प्रवेश द्वार भी बन सकता है। त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र पिछले तीन दशकों से राष्ट्रविरोधी उग्रवाद का सामना कर रहा है। यह स्वीकृत तथ्य है कि पिछड़ापन और अल्प विकास उग्रवाद की इस समस्या का एक मूल कारण है। संयोजन की आधुनिक पद्धति के तीव्र विकास से इस क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाया जा सकता है। अतः, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सरकार की 'लुक ईस्ट पॉलिसी' के अंतर्गत निर्माणाधीन राष्ट्रीय परियोजना 'कुमार घाट-अगरतला रेल लाइन' के एक घटक के रूप में कार्यान्वित करने के लिए सबरूम तक रेल लाइन के विस्तार कार्य को तत्काल शुरू करे।

(दस) केन्द्रीय विद्यालयों के सहायक अधीक्षक, मुख्य लिपिक, सहायक और लेखा सहायकों को संशोधित वेतनमान दिये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): अध्यक्ष महोदय, सन् 2001 में केन्द्रीय विद्यालय के प्रधान लिपिकों, सहायकों और लेखा सहायकों

का विलय कर सहायक अधीक्षक पदनाम अभिसूचित किया गया था, लेकिन अभी तक इन्हें समान वेतन नहीं दिया जा रहा है।

अत: मेरा सरकार से निवेदन है कि इन सभी सहायक अधीक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतनमान दिया जाये।

(ग्यारह) खीरी, उत्तर प्रदेश में कृषि फसलों को जानवरों द्वारा पहुंचाए जाने वाले नुकसान से बचाने के लिए दुधवा राष्ट्रीय पार्क और उससे जुड़े गांवों के चारों और बिजली की बाड़ लगाये किये जाने की आवश्यकता

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): अध्यक्ष जी मेरे संसदीय क्षेत्र खीरी, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दुधवा नेशनल पार्क में बाघ परियोजना संचालित की जा रही है। नेशनल पार्क की परिधि पर बसे 130 ग्रामों में, वन्य जीवों द्वारा चराई से खेती की फसल नष्ट की जाती है। अत: ग्रामीणों के मध्य टकराव बढ़ा है। इन कारणों से कई बाघों के मारे जाने के समाचार प्राप्त हुए हैं। सरकार से अनुरोध है कि चराई से बचने के लिए गांव की परिधि पर बिजली का हल्का झटका मारने वाली बाढ़ स्थापित कराने का कार्य करें तथा इन गांवों के विकास के लिए विशेष योजना बनाने का काम करें।

(बारह) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव (पटना): महोदय, बिहार में चयनित एन.एच. स्कीम के अधीन 892 किलोमीटर सड़कें, जो प्रथम एवं दूसरे चरण में स्वीकृत हुई थी। उन पर अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। पूरे देश में तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे चरण का कार्य प्रगति पर है, किन्तु बिहार, जो देश का सर्वाधिक पिछड़ा राज्य है, वहां के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। बिहार में एन.एच. पर कार्य नहीं होने से कई अन्य राज्य भी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि बिहार से होकर एन.एच. दूसरे राज्यों को जोड़ता है। पूरे राज्य में एन.एच. एवं वहां की अन्य सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सड़क ही वहां आवागमन का मुख्य साधन है।

मैं इस सदन के माध्यम से माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूं और आग्रह करता हूं कि बिहार में भी एन.एच. का कार्य तेजी से कराने की कृपा करें। साथ ही साथ फेज तीन, चार, पांच एवं छ: में चयनित बिहार की सड़कों के लिए भी उचित कदम उठाने की कृपा करें।

(तेरह) झारखंड के हजारीबाग-कोडरमा, हजारीबाग-रांची और कोडरमा-गिरिडीह रेल खंडों के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग): महोदय, झारखंड का हजारीबाग जिला उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय है। इस प्रमंडल में कोयला की सैकड़ों खान, थर्मल पावर स्टेशन एवंटाटा की कोलियरी है। लाखों की संख्या में मजदूर यहां काम करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आजादी के 60 वर्ष बाद भी हजारीबाग को रेलवे लाइन से नहीं जोड़ा गया है। 1995 से हजारीबाग को रेलवे लाइन से जोड़ने की स्वीकृति रेलवे मंत्रालय ने दी और 1998 में पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शिलान्यास किया जिससे कोडरमा से हजारीबाग, हजारीबाग से रांची और कोडरमा से गिरीडीह को रेलवे लाइन से जोड़ने का कार्य शुरू हुआ। सात वर्ष पूर्व कार्य शुरू हो गया लेकिन अभी तक मात्र 18 प्रतिशत कार्य हुआ है। रेलवे लाइन निर्माण को 2007 तक पूरा करा था लेकिन जिस रफ्तार से कार्य हो रहा है, उस रफ्तार से 2015 तक भी रेलवे लाइन से हजारीबाग का संपर्क नहीं हो पाएगा।

इस संबंध में मैं माननीय रेल मंत्री जी से भी कई बार मिला। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य-इंजीनियरिंग, महाप्रबंधक से लगातार संपर्क किया। 14वीं लोक सभा का कोई भी ऐसा सत्र नहीं होगा जिसमें हमने इस प्रश्न को नहीं उठाया है लेकिन इस पर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया।

मैं सरकार से पुन: मांग करता हूं कि सरकार काम में तेजी लाए और इस योजना को शीघ्र पूरा किया जाए।

(चौदह) पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पखनाहा (बिहार) को पीपरा घाट (उत्तर प्रदेश) से जोड़ने के लिए गंडक नदी पर पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

श्री कैलाश बैठा (बगहा): महोदय, बिहार के लौरिया बौद्ध स्तूप, नन्दनगढ़, चाणक्यगढ़ आदि ऐतिहासिक स्थलों को बुद्धिस्ट सर्किट के द्वारा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से जोड़ा जाना चाहिए। बिहार के परवनाहा एवं यूपी के पिपरा घाट के बीच गंडक नदी पर सड़क पुल बन जाने से दोनों राज्यों के बीच की दूरी काफी कम होगी तथा बौद्ध पर्यटन स्थल की महत्ता के दृष्टिकोण से वैशाली से केसरिया, अरेराज, लौरिया होते हुए कुशीनगर की यात्रा काफी सुगम हो जाएगी। इस पुल के बन जाने से बिहार के धनहा विधान सभा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा सकेगा, जहां आज तक बिजली भी नहीं पहुंची है। अपने चम्पारण

[श्री कैलाश बैठा]

दौरे में माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पुल को बनवाने का वादा किया था। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में एक प्रस्ताव प्रधान मंत्री महोदय के पास भेजा है, लेकिन उस पर कोई संतोषजनक कार्रवाई न होना, खेद की बात है। इस पुल का निर्माण जनहित में नितान्त आवश्यक है।

[अनुवाद]

(पन्द्रह) असम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बैक लॉग पदों को भरे जाने की आवश्यकता

श्री सर्वानन्द सोनोवाल (डिब्रुगढ़): भारत सरकार अ.ज.जा./अ.जा. समुदायों के समग्र उत्थान के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों की घोषणा कर रही है, किंतु, ये समुदाय अभी भी पिछड़े हुए हैं। कई क्षेत्रों में, सरकारी एजेंसियां अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक कार्यवाही नहीं कर रही है। परिणामस्वरूप, इन समुदायों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो लाभ दिये जाने चाहिए, वे नहीं दिये जा रहे हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण सबूत यह है कि बैकलॉग पदों को नहीं भरा गया है। देश के अधिकांश भागों में, केन्द्रीय और राज्य एजेंसियां-दोनों ही अ.ज.जा./अ.जा. के बैकलॉग पदों को नहीं भर रही हैं। यह पता चला है कि अकेले असम राज्य में ही अ.ज.जा./अ.जा. के 55 हजार बैकलॉग पद अभी भी खाली पड़े हैं। अ.जा./अ.ज.जा. वर्गों के बारे में सरकार की इस तरह की उदासीनता से संभ्राति पैदा होती है।

अत:, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की सच्ची भावना के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए, भारत सरकार का संबंधित मंत्रालय इस पर तुरन्त गंभीरता से विचार करे और असम सरकार को तत्काल आवश्यक निर्देश भेजे कि वे अ.ज.जा./अ.जा. समुदायों के बैकलॉग पद अविलंब तुरंत भरे।

अपराह्न 12.29 बजे

सामान्य बजट, 2007-08-सामान्य चर्चा
लेखानुदानों की मांगें (सामान्य)-2007-08
और
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)-2006-07

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, हम आज का महत्वपूर्ण कार्य अर्थात् आम बजट पर आगे चर्चा करेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह अपनी बात पुन: आरंभ करें।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): अध्यक्ष महोदय, जो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, उसमें वित्त मंत्री जी ने आवंटन बढ़ाया है, यह अच्छी बात है, लेकिन उसमें कई विसंगतियां हैं। मैं पायनियर में आया हुआ 14 नवम्बर, 2006 का एक लेख आपकी अनुमति से पढ़ना चाहूंगा-

"सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण जैसे दो शक्तिशाली निकायों तथा योजना आयोग के अधिकारियों के बीच व्याप्त झगड़े के कारण, लगभग 3,000 कि.मी. से अधिक राजमार्ग, जो एनएचडीपी का दूसरा चरण है, का कार्य जनवरी, 2005 से रुका पड़ा हुआ है।"

इसमें यह भी कहा गया है:

"इसके अलावा, व्यक्तिगत अहंकार को संतुष्ट न कर पाने के कारण एनएचडीपी जैसी महत्वपूर्ण परियोजना को रोकना अवर्णनीय और अक्षम्य है।"

कृपया अंतिम दो शब्दों, "व्यक्तिगत आधार" पर ध्यान दें।

अध्यक्ष महोदय, किसी मंत्री के अहंकार से एन.एच.डी.पी. कार्यक्रम नहीं चलेगा। मैं श्री टी.आर. बालू का बहुत आदर करता हूं, लेकिन बालू जी जहां चाहें, वहां सड़कें बनें, जो चाहें करें, यह ठीक नहीं है। वे कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के कारण सरकार में हैं, लेकिन जब चाहें सरकार न चलने दें, जब चाहें पार्लियामेंट रोक दें, यह ठीक नहीं है। नैशनल हाइवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जहां 4 लेन के एक्सप्रैस हाइवे बने हैं वे 6 लेन से किये जा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3, जिसमें बहुत ज्यादा गड्ढे हैं वहां कोई काम नहीं किया जा रहा है। मैं बालू जी को आमंत्रित करता हूं कि वे मेरे साथ आएं और गुना से इन्दौर तक की यात्रा करें और गड्ढे गिनें कि कितने गड्ढे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह सबसे पुराना और महत्वपूर्ण राजमार्ग है। इसलिए उसकी 4 लेनिंग का काम तत्काल शुरू किया जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने 15 मिनट का समय ले लिया है।

श्री लक्ष्मण सिंह: मैं अपना भाषण पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, जहां तक पॉवर सैक्टर का प्रश्न है, उसके संबंध में सरकार ने बहुत चिन्ता जताई है, अच्छी बात है। हमारा पिछला सत्र दिसम्बर में हुआ था। उसमें ऊर्जा मंत्री जी के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया था कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा की कैपेसिटी में 46,400 मैगावाट का एडीशन किया जा रहा है। उसमें से 17,100 हाइड्रो, 46,100 थर्मल और 3,200 मैगावाट न्यूक्लियर जनरेशन है। न्यूक्लियर जनरेशन के संबंध में अमरीका के साथ भारत की संधि हुई है। न्यूक्लियर इनर्जी क्लीन इनर्जी है। इसकी जनरेशन में प्रदूषण कम होता है। जब आपने अमरीका से संधि की है, तो आपको इसकी जनरेशन को बढ़ाना चाहिए। जब आप इनर्जी में टोटल 46,400 मैगावाट कैपेसिटी एडीशन करने जा रहे हैं, तो न्यूक्लियर इनर्जी में केवल 3,200 मैगावाट क्यों, इसे ज्यादा होना चाहिए? जब आपने अमरीका से संधि की है, तो इसका जनरेशन बढ़ना चाहिए। आप न्यूक्लियर इनर्जी के वेस्ट का डिस्पोजल कहां करेंगे, कैसे करेंगे, इस बारे में किसी को पता नहीं है कि न्यूक्लियर वेस्ट का डिस्पोजल आप कहां करने जा रहे हैं?

महोदय, स्वास्थ्य के बारे में एक ऑक्सफैम रिपोर्ट आई है। यह रिपोर्ट वर्ष 2006 में आई तब तक आपकी सरकार को चलते हुए दो-ढाई साल हो चुके हैं। आपने स्वास्थ्य विभाग के लिए बजट बढ़ाया है, चिन्ता दिखाई है, बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं, यह अच्छी बात है। उन कार्यक्रमों की जो समीक्षा होनी चाहिए, वह सही नहीं है और इसीलिए ऑक्सफैम रिपोर्ट में लिखा है कि-

[अनुवाद]

अक्तूबर, 2006 में जारी ''सर्व द एसेंशियल्स' नामक ऑक्सफैम रिपोर्ट में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता की कमी को दर्शाया गया है और सभी दक्षिण एशियाई सरकारों से आग्रह किया गया कि वे इन आवश्यक सेवाओं को मुहैया करने की अपनी वित्तीय और राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए आगे आयें। इसमें कहा गया है: आक्सफैम के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक के शब्दों में ''सरकार की दृढ़ भागीदारी के बिना, आवश्यक सेवाओं में कोई विकास नहीं होगा।''

ऑक्सफैम ने देशों में सकारात्मक विकास बताये और यह कहा कि उन्होंने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसका दूसरों द्वारा अनुसरण किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में एक विकासशील देश के रूप में अकेले श्रीलंका का उदाहरण दिया गया जिसने मुफ्त शिक्षा देने के लक्ष्य हासिल कर लिया है, और शिशु मृत्यु दर को बहुत अधिक कम कर दिया और विकसित देशों के समान जीवनावधि को बढ़ाया है....

हम कहां पिछड़ रहे हैं,

ऑक्सफैम और संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, भारत में पाई गई दूसरी समस्यायें हैं—70 प्रतिशत लोगों के पास टायलेट सुविधा नहीं है, 170 लाख लोगों के लिए पीने का पानी और प्राथमिक विद्यालय भी नहीं है, 38 प्रतिशत बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं।

इनका समाधान किये जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

महोदय, सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत मंत्री जी ने बहुत धनराशि की व्यवस्था की है, लेकिन उसका जो परिणाम आना चाहिए, जो क्वालिटी ऑफ एजूकेशन होनी चाहिए, वह नहीं हो रही है। एक सर्वेक्षण के अनुसार 38 प्रतिशत बच्चे जो 4 साल तक स्कूल में गए, वे एक शॉर्ट पैराग्राफ नहीं पढ़ सकते हैं। उन्हें पढ़ने में बराबर परेशानी होती है। इन 38 प्रतिशत में से 25 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो 3 अंकों में एक अंक का भाग नहीं दे सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसे देखने की आवश्यकता है।

महोदय, मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में क्लाइमेटिक चेंज के बारे में चिन्ता व्यक्त की है, अच्छी बात है, लेकिन क्या हम क्योटो प्रोटोकोल पर साइन करने जा रहे हैं? यदि हम क्योटो संधि पर हस्ताक्षर करते हैं, तो जो हमारी नॉन-कन्वेंशनल इनर्जी का जनरेशन है, उसे हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देश चीप इनर्जी जनरेशन की टैक्नोलोजी को एक से दूसरे देश में ट्रांसफर कर सकते हैं जिससे हमारी नॉन-कन्वेंशनल इनर्जी का जनरेशन बढ़ेगा और विद्युत समस्या हल होगी। हमारे देश में अभी भी ऊर्जा की सप्लाई एंड डिमांड में काफी गैप है।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि आप हमेशा प्रोजेक्टस के बारे में राज्यों से कहते हैं कि राशि के अभाव में प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर सकते हैं, राज्य को राशि नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पैसे की कमी है। लेकिन आपने 57,862 करोड़ रुपये बड़े-बड़े उद्योग घरानों का माफ कर दिया है, जब आपके पास राशि की कमी थी, तब आपने 57,862 करोड़ रुपये को क्यों माफ किया? इस राशि

[श्री लक्ष्मण सिंह]

को माफ करने की क्या आवश्यकता थी? यह राशि हमारी जीडीपी की 1.9 प्रतिशत है। एक तरफ तो हम करते हैं कि हमारी जीडीपी बढ़नी चाहिए और दूसरी तरफ 1.9 प्रतिशत जीडीपी का आप एक कलम से बड़े-बड़े उद्योग घरानों को माफ कर देते हैं, यह अच्छी बात नहीं है। इस बारे में वाम पंथी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक अखबार में ए.बी. वर्द्धन जी और करात जी के पत्र प्रकाशित हुए, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लिखकर इस बारे में चिन्ता व्यक्त की है। मेरा आपसे निवेदन है कि इन सब बातों पर आप ध्यान दें और धरातल पर रहकर सरकार चलाइए।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का समर्थन भी करता हूं और विरोध भी करता हूं और आशा करता हूं कि जो सुझाव माननीय सांसदों ने दिये हैं, उन पर वित्त मंत्री जी गम्भीरता से विचार करेंगे।

[अनुवाद]

सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड (नामनिर्दिष्ट): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे वर्ष 2007-08 के आम बजट पर बोलने का अवसर दिया।

विगत तीन वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में भारी विकास हुआ है। विनिर्माण क्षेत्र में 11.3 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 11.2 प्रतिशत की वर्तमान विकास दर से भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की पुष्टि होती है। भारत का विश्व शक्ति बनने हेतु सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनाने का सपना केवल शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और युवा मामलों पर विशेष ध्यान देकर ही सच हो सकता है।

वित्त मंत्री ने अपने प्रयासों से 10वीं योजना के दौरान भारत के लिए 8% आर्थिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित करके एक अच्छा कार्य किया है। मैं सामाजिक विकास की बात करता हूं। आधुनिक अर्थव्यवस्था में आम आदमी के लिए फायदों का संकल्पता को इस कहावत द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ''द ग्रेटर गुड ऑफ द ग्रेटर नंबर''। मुझे विश्वास है कि मा. वित्त मंत्री वर्तमान बजट की योजना बनाते समय इस प्रसिद्ध पंक्ति के बारे में अवश्य ही अवगत रहे होंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और युवा मामलों सबंधी क्षेत्र में नये अवसर प्रदान करके मा. वित्त मंत्री ने पहले से ही विकास कर रही अर्थव्यवस्था को और नये आयाम दे दिये हैं।

मा. मंत्री जी को उन कारकों की जांच करने की आवश्यकता है जो अवश्य ही महिलाओं हेतु रोजगार सृजन करें। महिलाओं के लिए विशेष तौर से बनाई गई 30% योजनाओं के लिए 22,382 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है। मैं मानता हूं कि महिलाओं के विकास के लिए यह राशि बहुत कम है।

महोदय, देह व्यापार, डांस बारों और दूसरे अनैतिक व्यापारों में जाने वाली लड़कियों और महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यह भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों से गंभीर विपथन है। यह चिन्ता की बात है तथा मैं भी वास्तव में इसी बारे में चिंतित हूं। मेरा सुझाव है कि गत वित्त मंत्री ऐसी महिलाओं को वैकल्पिक रोजगार मुहैया कराने हेतु एक अलग कोष स्थापित करें ताकि वे बेहतर और नैतिक जीवन जी सकें।

विद्यालय शिक्षा हेतु आवंटन में 35 प्रतिशत की वृद्धि तथा विद्यालय शिक्षा से संबंधित विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत किया गया इसका बुद्धिमत्तापूर्ण वितरण विकास के मार्ग में उठाया गया एक स्वागतयोग्य कदम है। प्राथमिक विद्यालय में जाने वाले बहुत अधिक बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना में शामिल किया गया है। मैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े 3,427 खंडों में उच्च प्राथमिक स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन मुहैया कराने हेतु उठाये गये कदमों की भी सराहना करता हूं।

उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को एक लाख छात्रवृत्तियां प्रदान करने की बड़ी और प्रभावी योजना को शामिल करने हेतु प्रारंभिक निधि का सृजन किये जो से मेधावी छात्रों के माता पिता को उनके द्वारा वहन किये जाने वाले वित्तीय बोझ से राहत मिलेगी।

महोदय, मेरा सुझाव है कि वित्त मंत्री जी पुनर्वासित बाल श्रमिकों को अर्थपूर्ण शिक्षा देने के लिए धनराशि के आवंटन पर विचार करें। जैसाकि आपको मालूम है, बालश्रम पर प्रतिबंध लगाना हमारे मा. प्रधान मंत्री के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

अपराह्न 12.40 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]

महोदय, यदि शिक्षा का अर्थ जागरूकता है, तो स्वास्थ्य का मतलब है कल्याण और एक आधुनिक अर्थव्यवस्था में ये दोनों चीजें अवश्य शामिल होनी चाहिए। संप्रग सरकार की लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण की चिंता राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय एड्स नियोजन कार्यक्रम, आईसीडीएस और स्वास्थ्य बीमा की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अपनाये गये उपायों से परिलक्षित होती है।

महोदय, मा. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कोयले का उल्लेख किया है। मा. वित्त मंत्री ने कोयला ब्लॉकों के आवंटन से मिलने वाले किसी विशिष्ट लाभ का उल्लेख नहीं किया है। यद्यपि, 8,581 मिलियन टन कोयले और 755 मिलियन टन लिग्नाईट

के भंडार आवंटित किये गये हैं, तथापि, इसकी आपूर्ति किये जाने की विशिष्ट समय-सीमा अथवा आपूर्ति की मात्रा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यदि किसी विशिष्ट समयावधि में ईष्टतम उत्पादन पर विचार न किया जाये, तो इसके कारण कोयले और लिग्नाईट की जमाखोरी होने लगेगी।

कोयले और लिग्नाइट के अंतिम प्रयोक्ता के संबंध में, मैं यह उल्लेख कर दूं कि वर्ष 2005 में ऐसी रिपोर्टें आई थी कि 590 कंपनियों जिन्हें कोयले की आपूर्ति की गई थी, वे फर्जी अंतिम प्रयोक्ता कंपनियां थी। यह तर्क कि विनिर्दिष्ट अंतिम प्रयोग का विस्तार किया जाएगा। मात्र कोयले संस्थान वाले फर्जी अंतिम प्रयोक्ता को भी करने में मदद कर सकता है।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री के ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और शिशुओं तक पहुंचने में उनके साहसी और मानवीय प्रयासों का विशेष उल्लेख करता हूं। उन्हें पोषण और पर्याप्त देखभाल की आवश्यकता है। मैंने छत्तीसगढ़ में ऐसे लोगों के बीच काम किया है और मुझे उनकी दयनीय स्थिति का पता है। मैं माननीय मंत्री को इस वर्ष आईसीडीएस हेतु आवंटन 4,087 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4,761 करोड़ रुपये करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

महोदय संक्षेप में, मैं यह बता दूं कि यह इस बजट ने अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ को मजबूत किया है। किसान और युवा हमारे देश के मुख्य आधार है। संप्रग सरकार ने उन्हें दामों के अधिक उत्पादकता वर्षासिंचित क्षेत्रों बीमा और राजसहायता में वृद्धि करके अत्यधिक जरूरतमंद सहायता मुहैया कराई है। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि युवाओं हेतु योजनायें बहुत अधिक आशाएं और उज्जवल भविष्य लाएगी। उन युवाओं और महिलाओं को उनकी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होने के लिए संप्रग सरकार को धन्यवाद देना चाहिए।

इन शब्दों के साथ ही मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्रीमती वी. राधिका सेल्वी (तिरुचेन्दूर): महोदय, आम बजट 2007-08 में भाग लेने के लिए मुझे अवसर प्रदान करने हेतु आपका आभार व्यक्त करती हूं।

मैं अपने प्रिय नेता तमिलनाडु के मुख्य मंत्री माननीय डा. कलाईगर और तमिलनाडु के प्रकाशपुंज हमारे तालापलि एम.के. स्टालिन, ग्रामीण विकास और स्थानीय प्रशासन, तमिलनाडु को धन्यवाद देती हूं।

महोदय, देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए लोगों की साक्षरता में सुधार किया जाना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे वित्त मंत्री, ने शिक्षा हेतु अधिक धनराशि का आवंटन किया है। सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील स्कीम) को 35 प्रतिशत तक बढ़ाकर 23,142 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील स्कीम का विस्तार शैक्षिक रूप से पिछड़े 3,427 ब्लॉकों में उच्च प्राथमिक वर्ग तक कर दिया गया है। पांच लाख नई कक्षाओं को खोलने के लिए दो लाख नए शिक्षक हैं। सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम स्वागतयोग्य है।

महोदय, एक लाख ऐसे छात्रों के लिए 6,000 रुपये की छात्रवृत्ति की घोषणा करना, जो अपनी शिक्षा नौवीं कक्षा से बारहवीं कक्षा तक जारी रखते हैं, एक क्रांतिकारी कदम है। यह गांवों में छात्रों को बीच में पढ़ाई छोड़ने से रोकेगा हमारे देश में उच्चतर शिक्षा की प्रतिशतता दस प्रतिशत से कम है। अत: मैं आशा करता हूं कि यह घोषणा हमारे देश की साक्षरता, प्रतिशतता और उच्चतर शिक्षा प्रतिशतता को बढ़ाएगी।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री को कोयम्बटूर कृषि विश्वविद्यालय हेतु 50 करोड़ का आवंटन करने के लिए धन्यवाद देता हूं। माननीय वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना विस्तार 200 जिलों से बढ़ाकर 330 जिलों तक किया है और सरकार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को एक लाइन नौकरियां मुहैया बढ़ाएगी। सरकार गत तीन वर्षों के लिए ई.एस.आई. और ई.पी.एफ. हेतु अंशदान राशि की भी प्रति पूर्ति करेगी। सरकार द्वारा उठाये गये ये बहुत स्वागतयोग्य उपाय है।

महोदय, भारत में पर्यटन फल फूल रहा है और भारत सरकार ने पर्यटन के विकास के लिए धनराशि का आवंटन बढ़ा दिया है। मेरे तिरूचंदूर निर्वाचन क्षेत्र, कन्याकुमारी जो भारत कंठ सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है और जहां हम तीनों समुद्रों मिलते हुए देखते हैं, में मशहूर विवेकानंद रॉक और 133 फीट तिरूवलूवर की प्रतिमाएं स्थित हैं। इस पर्यटन केन्द्र का और विकास करने की आवश्यकता है और मैं कन्याकुमारी के विकास हेतु उदारतापूर्वक धनराशि आवंटित करने का अनुरोध करती हूं।

महोदय, एक अत्यंत ही विशेष पक्षी अभयारण्य कुंदन कुलम में स्थित है। अनेक देशों से पक्षी प्रजनन हेतु इस स्थान पर आते हैं। इस पक्षी अभ्यारण्य के विकास हेतु भी हमारी सरकार द्वारा वित्तपोषण किये जाने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि माननीय वित्त मंत्री कुंदन कुलम और कन्याकुमारी के विकास हेतु पर्याप्त धनराशि आवंटित करेंगे।

[श्रीमती वी. राधिका सेल्वी]

मैं अपने वित्त मंत्री का ध्यान आय कर ढांचे की ओर आकृष्ट करना चाहूंगी। इस बजट में आयकर की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1,10,000 रुपए कर दिया गया है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसे बढ़ाकर 1,45,000 रुपए तक किया जाए और वरिष्ठ नागरिक की तरह महिलाओं के लिए इसे बढ़ाकर 1,95,000 तक किया जाए।

हमारे प्रिय नेता तमिलनाडु के मुख्य मंत्री डा. कलाईंगर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को रंगीन टेलीविजन दे रहे हैं ताकि वे अपना सामान्य ज्ञान बढ़ा रहे हैं। इसी तरह केन्द्र सरकार ऐसे छात्रों को कम्प्यूटर दे सकती है जो नौवीं कक्षा में है ताकि भारत की युवा पीढ़ी के पास ऐसे लोग होंगे जिनके पास कम्प्यूटर की अच्छी जानकारी हो।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं द्र.मु.क. की ओर से इस सामान्य बजट 2007-08 का समर्थन करती हूं और मैं अपना संभाषण समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत): महोदय, आपने मुझे वर्ष 2007-08 के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने आंकड़ों द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को इस तरह से दर्शाया है, जैसे भारतवर्ष दुनिया का सबसे विकसित और आर्थिक दृष्टि से सबसे बड़ा देश बन गया है। उन्होंने आम आदमी का इस बजट में कोई ख्याल नहीं रखा है। आंकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि चंद लोगों के लिए ही बजट में प्रावधान किया है। वित्त मंत्री जी ने बताया कि तीन सालों में जीडीपी ग्रोथ 7.5 से बढ़कर 9.2 प्रतिशत हो गयी है। एवरेज ग्रोथ रेट 8.6 प्रतिशत हो गयी है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में 8.7 प्रतिशत से 11.3 तक बढ़ोत्तरी हुई है, सर्विस सैक्टर में भी 9.6 से 11.2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है, पर कैपिटा इन्कम में 7.4 प्रतिशत बढ़ी है, एवरेज सेविंग रेट भी 32.4 प्रतिशत की दर से एक साल में बढ़ी है और इन्वेस्टमेंट रेट 38.8 प्रतिशत बढ़ी है। इन सभी क्षेत्रों में आपने बढ़ोत्तरी बतायी है। यह सुनकर बड़ा दुख होता है कि केवल एक कृषि क्षेत्र है, जिसकी एवरेज ग्रोथ एस्टीमेट केवल 2.3 प्रतिशत है। इसका टारगेट 4 प्रतिशत था, जबकि केवल 2.3 प्रतिशत ही एचीव हुआ। सभी सैक्टरों में आपने विकास दिखाया, लेकिन एग्रीकल्चर सैक्टर में डाउन फाल हुआ है। इसका क्या मतलब निकलता है? किस किस्म के लोगों के लिए पिछले बजट में प्रावधान किया गया था और अब क्या किया जा रहा है? पिछले साल जब बजट पेश हुआ, तब आपने बड़ी वाहवाही लूटी। आपने कहा कि किसानों के हित का बजट है। माननीय मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं, वे इस बात को क्लियर करें कि किस दृष्टि से वह किसानों का बजट था, जबकि कृषि की ग्रोथ रेट केवल 2.3 प्रतिशत ही हुी। सभी सैक्टरों में यह दर बढ़ी है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में दर के घटने से यह स्पष्ट है कि गरीब और अमीर के बीच खाई बढ़ी है। गांवों और शहरों की खाई बढ़ रही है। गांवों के किसानों और शहरों के लोगों की आमदनी में फर्क आ रहा है। इस बजट का सीधा संकेत यह जा रहा है। इस सदन में हर वर्ष किसानों की समस्याओं, किसानों की आत्महत्याओं और महंगाई के बारे में डिस्कशन होती है। सरकार की तरफ से बाकायदा आश्वासन मिलता है कि किसानों के लिए, गांवों के लोगों के लिए कार्य करेंगे, लेकिन सिर्फ कहने में ही है, प्रैक्टिकल रूप से किसानों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। मूल रूप से किसानों की चार बेसिक आवश्यकताएं हैं-पानी, बिजली, खाद, बीज, पेस्टीसाइड्स और उनकी उपज का लाभकारी मूल्य। यदि इन चीजों का हल हो जाए तो इस देश के किसान खुशहाल हो सकते हैं और जो सुसाइड्स के रोज केसेज आ रहे हैं, वह समाप्त हो सकते हैं। लेकिन इस बजट में इन चारों विषयों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। पानी की काफी किल्लत है। अटल जी की सरकार में सभी नदियों को जोड़ने के लिए एक प्रोजैक्ट बनाया गया था। महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी किसी प्रैस कान्फ्रैंस या चिट्ठी द्वारा कहा था कि सभी नदियों को जोड़ने वाला प्रोजैक्ट इस देश के किसानों के लिए और इस देश की आर्थिक स्थिति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे फ्लड और सूखे की समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन इस सरकार ने उस प्रोजैक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। पूरे देश में बिजली की समस्या लगातार चल रही है। किसानों और देश की बिजली की समस्या का कोई समाधान हो सके, इस बारे में बजट में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मिलावटी खाद, पेस्टिसाइड्स बाजार में सरेआम बिक रहे हैं। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसमें भी किसान लुट रहा है। जहां तक किसानों की उपज के भाव की बात है, किसानों को आज तक उनकी लागत के हिसाब से लाभकारी मूल्य नहीं मिले। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का नाम दिया गया है ताकि किसान मर न जाए, सिर्फ जिन्दा रहे और वह ज्यादा साधन-सम्पन्न न हो जाए। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले। जो लोग किसानों के भाव तय करते हैं, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, उसमें पचास प्रतिशत किसानों के नुमाइन्दे होने चाहिए, तभी किसानों को इंसाफ मिल सकेगा। जो लोग एयर कंडीशंड कोठियों में रहते हैं, उन्हें यह पता नहीं होता कि गेहूं का पेड़ या पौधा कितना लम्बा होता है। ऐसे लोग किसानों की किस्मत का फैसला करते हैं। देश को आजाद हुए 59 वर्ष हो गए

हैं, लेकिन आज तक किसानों की उपज के मूल्य की समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका है। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं।

एक नया कौन्सैप्ट एसईजेड का आ गया है। पूरे देश में किसानों की लाखों एकड़ उपजाऊ जमीन ली जा रही है। यह कार्य बंजर भूमि पर भी हो सकता है। एक समय ऐसा आने वाला है जब कृषि लायक जमीन नहीं बचेगी। किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। भूमिहीन किसानों, मजदूरों के हितों के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनके बारे में नौकरी का भी कोई प्रोवीजन नहीं किया जा रहा है कि जिन लोगों की जमीन ली जाएगी, उन्हें उसके बदले नौकरी दी जाएगी। खाद की सब्सिडी का बहुत ढिंढोरा पिटता है। जब से देश आजाद हुआ, किसानों को हजारों, करोड़ों रुपये खाद की सब्सिडी की शक्ल में दिये जा रहे हैं। नाम किसान का है लेकिन सब्सिडी इंडस्ट्रीज को दी जा रही है। एफआईसीसी नाम की संस्था जो खाद के रेट्स तय करती है, वह सीधा कारखानों को सब्सिडी देती है। कारखाने वाले ज्यादा सब्सिडी लेने के लिए अपनी प्रोडक्शन की परसैंटेज ज्यादा बढ़ा देते हैं, कागजों में ज्यादा लिखा देते हैं और ज्यादा सब्सिडी ले लेते हैं। लेकिन किसानों को उसका कोई बैनीफिट नहीं मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि खाद की सब्सिडी सीधा किसानों को दी जाए, बीच में इंडस्ट्री वाले क्यों खा रहे हैं। अगर उन्हें सब्सिडी दी जाएगी तो उन्हें ज्यादा लाभ होगा।

जहां तक जमीन एक्वीजिशन की बात है, पूरे देश में कहीं सड़कों के लिए और कहीं किसी चीज के लिए किसानों की जमीन एक्वायर की जा रही है। हमारे इलाके में राजीव गांधी इंस्टीट्यूट के नाम से बाइस सौ एकड़ जमीन एक्वायर हो रही है। इसके लिए किसानों को मुआवजा 15 से 16 लाख रुपये दिये जा रहे हैं जबकि आस-पास के भाव एक-दो करोड़ रुपये है क्योंकि यह दिल्ली के साथ लगता हुआ इलाका है। ...*(व्यवधान)*

श्री जय प्रकाश (हिसार): वहां मुआवजा 22 लाख रुपये दिया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री किशन सिंह सांगवान: आप 22 लाख रुपये ही मान लें। ...*(व्यवधान)*

श्री जय प्रकाश: देश में सबसे ज्यादा मुआवजा हरियाणा सरकार ने दिया है। जब आपकी एनडीए सरकार थी, उस समय केवल दो लाख रुपये ही मुआवजा दिया गया था। ...*(व्यवधान)*

श्री किशन सिंह सांगवान: जहां आप 22-23 लाख रुपये मुआवजा दे रहे हैं वहां दो करोड़ रुपये एकड़ जमीन का भाव है। किसानों का एक्सप्लायटेशन हो रहा है। किसानों के साथ धोखा हो रहा है। ...*(व्यवधान)* वहां हमारी सरकार कभी नहीं रही। वहां आपकी सरकार रही है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जय प्रकाश जी, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री किशन सिंह सांगवान: दो करोड़ रुपये के भाव पर अगर 22 लाख मुआवजा भी मिलता है तब भी वह कम है। हमारा आपसे अनुरोध है कि किसान की जमीन यदि किसी बात के लिए एक्वायर होती है, तो किसान को उस जमीन का एक्चुअल मार्केट रेट मिलना चाहिए। किसान के साथ एक्सप्लायटेश नहीं होनी चाहिए।

दूसरा, किसानों का मुख्य स्रोत पशु धन है। वर्ष 1952 में एक हजार व्यक्ति के पीछे 452 पशु थे जबकि वर्ष 1992 में एक हजार व्यक्ति के पीछे 232 पशु ही रह गये। अब तो उनकी संख्या और भी घट गयी होगी। पशुधन वाला स्रोत भी किसानों का समाप्त हो रहा है इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है वैसे भी किसान कर्जे के बोझ से लदा हुआ है। आपने इस बजट में कहा कि हम किसानों को और ज्यादा कर्जा देंगे। हमारा कहना है कि कर्जा देकर किसानों की स्थिति सुधारी नहीं जा सकती। जब तक उसे सपोर्ट प्राइज नहीं मिलेगा, प्रॉफिट का प्राइज नहीं मिलेगा, आप कर्जा देते रहो, वह दबता चला जायेगा। यह किसानों की समस्या का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ...*(व्यवधान)* पिछले साल देश में कोई नेचुरल कैलामिटी भी नहीं आयी, उसके बावजूद भी कृषि की विकास दर घट गयी। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप अपना भाषण समाप्त करिये क्योंकि आपकी पार्टी से बहुत माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री किशन सिंह सांगवान: मैंने अभी पांच मिनट ही लिये हैं।

सभापति महोदय: मेरे पास 20 आदमियों की लिस्ट है इसलिए आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री किशन सिंह सांगवान: मैं दो-चार प्वाइंट कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। देश में पिछड़ी जातियों का बहुत बड़ा वर्ग है जिनको हम रूरल आर्टिजन्स कहते हैं। इनमें खाती, लुहार, ग्रीमर, जुलाहे, सुनार आदि हैं। आज उनके सारे धंधे चौपट हो

[श्री किशन सिंह सांगवान]

गये हैं। बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज ने उन छोटे कारीगरों का धंधा बिल्कुल चौपट कर दिया है। सरकार ने पिछड़ी जाति के लोगों के सुधार के लिए आज तक न कोई कानून बनाया है और न ही कोई नीतियां बनायी हैं। पिछड़ी जातियों का यह बहुत बड़ा वर्ग है, इस तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं फ्रीडम फाइटर की बात करना चाहता हूं। इस देश में फ्रीडम फाइटर्स के परिवार गिनती के हैं। बहुत थोड़े लोग जिंदा हैं। हमारा कहना है कि उनके बच्चों को उनका उत्तराधिकारी मानकर उनकी पैंशन कन्टीन्यू हो जाये क्योंकि वे देश की धरोहर हैं। उनको राष्ट्रीय परिवार घोषित किया जाये। यह मेरी मांग है। ...*(व्यवधान)*

श्री जय प्रकाश: हरियाणा में पैंशन सबसे ज्यादा दी जाती है। ...*(व्यवधान)*

श्री किशन सिंह सांगवान: जब आपका नम्बर आयेगा तब आप अपने गुण खुद गा लीजिए। अंत में, मैं आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में कहना चाहता हूं। देश में आंगनवाड़ी वर्कर्स का मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। लाखों आंगनवाड़ी महिला वर्कर्स डेली वेजेज पर काम कर रही हैं। उनको कोई तन्ख्वाह नहीं मिलती, कोई फिक्स वेजेज नहीं मिलते और न ही सिक्योरिटी ऑफ सर्विस है। वे सबसे ज्यादा काम करती हैं। उनसे गवर्नमैंट वर्कर्स से ज्यादा काम लिया जाता है। आज वे एजीटेशन पर हैं। हमारा कहना है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को परमानेंट इम्प्लाइज मानकर उनका ग्रेड फिक्स किया जाये। पूरा देश क्रिकेट खेल का दीवाना है जबकि गांव में हाकी और फुटबाल जो नेचुरल गेम है, उसके खिलाड़ी अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं। हमारी मांग है कि उन पर भी ध्यान दिया जाये।

***श्री मुन्शी राम** (बिजनौर): महोदय, वर्ष 2007-08 के बजट का मैं समर्थन करता हूं क्योंकि बजट में मुख्य रूप से कृषि पर जोर दिया गया है। क्योंकि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. चौ. चरण सिंह साहब कहा करते थे कि देश की उन्नति करना चाहते हो तो खेत और खलिहान में रहने वाले किसानों एवं मजदूरों को मजबूत बना दो तो स्वत: ही देश मजबूत हो जाएगा। परन्तु सरकार का कृषि अनुसंधान पर हजारों करोड़ रुपया खर्च होने के पश्चात् भी कृषि अनुसंधान से किसानों को ऐसी नई प्रजाति के बीज उपलब्ध नहीं हुए हैं, जिससे हमारे देश के किसानों की पैदावार इतनी अधिक हो जाए कि खेती लाभकारी व्यवसाय बन जाए। उदाहरण के तौर पर चावल एवं धान विश्व की तुलना में भारत में 2.9 मीट्रिक टन प्रति हैक्टेयर एवं मिस्र देश में यही पैदावार 9.8 मीट्रिक टन प्रति हैक्टेयर के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में 7.83 प्रति मीट्रिक टन प्रति हैक्टेयर है।

भारत का गेहूं का उत्पादन विश्व की तुलना में 2.71 प्रति मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर एवं 7.58 प्रतिशत मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर फ्रांस में, साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में 7.77 प्रति मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है। किन्तु वर्ष 2001-02 से लगातार के उत्पादन में कमी हुई है।

कपास भारत में 4.64 प्रति मीट्रिक टन प्रति हैक्टेयर है एवं चीन में 11.1 प्रति मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर के साथ-साथ ब्राजील में 10.96 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर, यहां तक कि पाकिस्तान में भी 7.6 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है।

मुख्य तिलहन भारत में 0.86 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर एवं जर्मनी में 4.07 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर के साथ-साथ संयुक्तराज्य अमेरिका में 2.61 है। तिलहन के उत्पादन में 15.7% की गिरावट आई है। इस प्रकार हमारे आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट में दर्शाए गए आंकड़ों को ही हमारे अनुसंधान वैज्ञानिकों के द्वारा कई हजार करोड़ रुपये व्यय करने के पश्चात भी अन्य देशों की तुलना में प्रति हैक्टेयर हमारा उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा? अर्थात् इसे बढ़ाये जाने पर हमको अत्यधिक ध्यान देना चाहिए।

देश में दालें, तिलहन एवं मोटे अनाजों को पैदा करने वाले क्षेत्रों में किसानों को अत्यधिक सुविधा देकर उनके उत्पादन बढ़ाए जाएं, जिससे दालों एवं खाद्य तेलों का आयात न करना पड़े।

उत्पादन में 17% की वृद्धि देश के गन्ना उत्पादन करने वाले कृषकों द्वारा दी गई है, जिन्हें किसी प्रकार की भी सहायता सरकार द्वारा नहीं दी गई है। गन्ना उत्पादन में यदि हमारे अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिक मेहनत एवं लगन से शोध करें तो यह वृद्धि 100% तक भी हो सकती है। गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को भी उनके उत्पादन का मूल्य पूरा मिलना चाहिए, जिससे भविष्य में यह उत्पादन कम न हो।

इस बजट में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अधीन 9 लाख हेक्टेयर सहित 24 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने की योजना रखी गई है। यह किसान को मजबूत बनाने की सराहनीय योजना है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी योजनाओं का कार्यान्वयन कितना प्रतिशत मौके पर बिना किसी विलम्ब के किया जा रहा है। ऐसे खेत जिन पर नहरों के माध्यम से पानी नहीं पहुंचाया जा सकता है। इन क्षेत्रों में सरकार अनुदान देकर एवं सरकारी खर्चे पर विद्युत ट्यूबवैल लगाया जाना आवश्यक है। किसानों के विद्युत की आपूर्ति उनकी आवश्यकतानुसार मुहैया होनी चाहिए, अन्यथा 34 रुपये प्रति लीटर डीजल से अपनी फसल को बचाने के लिए सिंचित करने पर वह फसल कभी

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

लाभकारी नहीं होगी। उर्वरक सब्सिडी 22453 करोड़ रुपये आपके द्वारा सीधे किसानों को दिये जाने का सराहनीय कदम है।

कृषि बीमा योजना में खरीफ एवं रबी की फसल के लिए 500 करोड़ रुपये की योजना रखी गई है। यह बीमा गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को भी मिलनी चाहिए। कृषकों को दिये जाने वाला ऋण ब्याज की दर 7% से हटाकर 4% किये जाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त सभी तथ्यों पर यदि हम गंभीरता से विचार करेंगे और जिस दिन कृषि को हम लाभकारी व्यवसाय बनाए जाने में कामयाब हो जाएंगे तो मैं समझता हूं कि हमारा घरेलू कृषि उत्पादन अवश्य बढ़ेगा।

शिक्षा के क्षेत्र में चाहे शिक्षा एवं सर्वशिक्षा अभियान के लिए जो बजटीय आवंटन रखा गया है, उसकी निगरानी की सख्त आवश्यकता है। हमारे द्वारा प्राइमरी एवं जूनियर विद्यालयों में भवनों का तो निर्माण किया गया है। परन्तु शिक्षा ग्रहण कराने वाले अध्यापकों की नियुक्ति बच्चों के अनुपात अनुसार नहीं की गई है, जिससे शिक्षा पर होने वाला व्यय का अधिकांश भाग व्यर्थ जाता है। भवन निर्माण के साथ-साथ शिक्षकों की नियुक्ति भी अति आवश्यक है।

इस बजट में 750 करोड़ रुपये छात्रवृत्ति के रूप में 1 लाख बच्चों को 6 हजार रुपये प्रति वर्ष 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं को बच्चों की प्रतियोगिता के माध्यम से जो योजना रखी गई है, मैं इस योजना को गरीब बालिकाओं के लिए दिये जाने का समर्थन करता हूं, जिससे गरीब एवं निर्धन वर्ग के बच्चों में शिक्षा के प्रति रूझान बढ़ सके।

राष्ट्रीय रोजगार गारंटी में 330 जिलों के लिए 12000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। देश के बाकी जिलों के लिए सम्पूर्ण ग्रामीण योजना के अंतर्गत केवल मात्र 2800 करोड़ का प्रावधान किया गया है जो कि व्यावहारिक नहीं है, जिसे दोगुना किये जाने की आवश्यकता है।

देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए शिक्षित नौजवानों के लिए कोई विशेष पैकेज सरकार द्वारा नहीं रखा गया है, जिसको दिये जाने की आवश्यकता है ताकि जिससे शिक्षित बेरोजगार जुर्म के रास्ते की ओर न जाएं।

अनुदान के लिए वर्ष 2007-08 में 54,330 रुपये का बजट रखा गया है। उस अनुदान को कैरोसिन, गेहूं, चावल आदि के माध्यम से न देकर सीधा-सीधा गरीब परिवारों को दिये जाने की आवश्यकता है। अन्यथा अनुदान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और जो धन प्रवाह में आना चाहिए, काले धन के रूप में इकट्ठा होता है।

इससे हमारे द्वारा जो अनुदान जिन गरीबों के नाम से निकाला जा रहा है, उनको सीधा-सीधा प्राप्त होगा एवं देश की उन्नति बढ़ेगी। आशा है कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखेंगे, इसके साथ ही मैं आपके बजट प्रस्ताव का पुन: समर्थन करता हूं।

अपराह्न 1.00 बजे

श्रीमती सुशीला केरकेटा (खूंटी): सभापति महोदय, आपने मुझे वर्ष 2007-08 के सामान्य बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय वित्तमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं और उनके बजट का समर्थन करती हूं। माननीय वित्तमंत्री जी ने आम आदमी के हित को ध्यान में रखकर उन्हें राहत पहुंचाने के लिए प्रयास किया है। वर्ष 2007-08 के बजट में उन्होंने भारत निर्माण जैसा अग्रगामी कार्यक्रम, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि निवेश, आधारभूत संरचना, उद्योग, सेवा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, रक्षा व्यय, लोकहित आदि सभी क्षेत्रों में आवंटन की वृद्धि की है। इससे हम और भी अधिक काम कर सकते हैं। मैं शिक्षा के बारे में माननीय वित्तमंत्री जी की सराहना करती हूं और कहना चाहती हूं कि वित्तमंत्री जी ने शिक्षा को इस बजट में काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। चूंकि शिक्षा के बिना हम कोई भी विकास का कार्य नहीं कर सकते हैं, हम हजारों रुपये आवंटित करें, लाखों राशियां दें, लेकिन जब तक लोगों को शिक्षित नहीं बनाएंगे, हम उनका विकास नहीं कर सकते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि:

विद्या ददाति विनयं, विनयां दाति पात्रताम। पात्रत्वाद धनमाप्नोति, धना:धर्म: तत: सुखं॥

महोदय, यह सर्वथा सत्य है कि हमारे वित्तमंत्री जी ने ऐसे राष्ट्र की कल्पना की है जिसमें हर व्यक्ति सुखी हो और इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में आवंटन हर तबके के लोगों के लिए, हर स्तर पर काफी कुछ दिया है। आप देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में आवंटन के लिए उन्होंने 32,350 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव रखा है और उसके बाद हम देखेंगे कि सर्वशिक्षा अभियान में उन्होंने 10,671 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। सर्वशिक्षा अभियान में हमारे वित्तमंत्री जी ने क्रमश: हर स्तर के लोगों के लिए प्रावधान रखे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हर गांव में दो

[श्रीमती सुशीला केरकेटा]

से तीन वर्ष के बच्चों के लिए उन्होंने विद्यालय का प्रावधान किया है जिसमें एक शिक्षिका और सहायक छोटे-छोटे बच्चों को अक्षर का ज्ञान करवाती हैं, उनको गाना सिखाती हैं, वहां कम से कम उन्हें कुछ सिखलाती हैं। ये स्कूल ठीक किण्डरगार्टेन स्कूलों की तरह काम करते हैं। यह कार्यक्रम हमारे गांवों में चल रहा है। महिलाओं को वे शिक्षिकाएं स्वास्थ्य के संबंध में बतलाती हैं। इस क्षेत्र में, सर्वशिक्षा अभियान के अन्दर हमारे वित्तमंत्री जी ने 20000 अध्यापकों की नियुक्ति इस साल करने का वादा किया है। यह रोजगार के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही दो लाख शिक्षकों की नियुक्ति और पांच लाख कमरों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। मध्याह्न भोजन के क्षेत्र में प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के बच्चों के लिए 3,427 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। उच्च प्राइमरी कक्षा के बच्चों के लिए 7,324 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में तीन-तीन शिक्षकों की व्यवस्था की गयी है और उसमें एक शर्त है कि एक शिक्षक विज्ञान का रहेगा। ग्राम सभा के माध्यम से ये शिक्षक चुने जाते हैं, लेकिन मैं सोचती हूं कि प्राइमरी शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान के शिक्षकों की उतनी आवश्यकता नहीं है जैसे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में है। इसलिए मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुरोध करूंगी कि इस ओर विसेष ध्यान दिया जाए।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें, क्योंकि अभी 50 माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं। इसलिए समय का सब ध्यान रखें।

श्रीमती सुशीला केरकेटा: मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगी। बजट में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के लिए तो प्रावधान है ही, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भी वित्त मंत्री जी ने प्रावधान किया है। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए तीन प्रकार की छात्रवृत्ति की बात की गई है। मैट्रिक पूर्व छात्रों, मैट्रिकोत्तर और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए क्रमश: 72 करोड़ रुपये, 90 करोड़ रुपये और 4860 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, उनके लिए कई अन्य कार्यक्रमों के लिए भी राशि का आवंटन किया गया है।

अपराह्न 1.06 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए]

मैं कहना चाहती हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जब इस तरह का प्रावधान किया, तो विपक्ष के साथियों को बिजली छू गई। वे इस बात से उत्तेजित हो गए और कहने लगे कि यूपीए सरकार और कांग्रेस पार्टी हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाती है और समाज को दो भागों में बांटने की कोशिश करती है। मैं कहना चाहती हूं कि यह मुस्लिम तुष्टीकरण की प्रक्रिया नहीं है और न ही समाज को बांटने की प्रक्रिया है। आप बिहार और झारखंड आदि राज्यों में देखें कि वहां अल्पसंख्यकों की स्थिति काफी दयनीय है। उनके बच्चे धनाभाव के कारण ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए कोई बच्चा किसी गैराज में काम करता है या कोई बच्चा सब्जी मार्केट में छोटी-मोटी दुकान चलाकर अपना रोजगार करता है। इसलिए यह इल्जाम लगाना कि तुष्टीकरण की नीति है, सही नहीं है। वित्त मंत्री महोदय ने उन्हें आगे बढ़ाने के लिए समता के आधार पर यह कार्यक्रम रखा है।

मैं महिलाओं के बारे में भी कुछ कहना चाहती हूं। इस बजट में उन्हें भी आगे बढ़ाने के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। करीब 50 मंत्रालयों में जैंडर बजट कक्ष का निर्धारण किया गया है और समाज की 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए 22,382 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कामकाजी महिलाओं को आयकर में डेढ़ लाख रुपये की छूट दी गई है, जो कि वित्त मंत्री जी की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रावधान है।

विपक्ष के साथी कहते हैं कि यह बजट जन साधारण के लिए नहीं है। लेकिन आप देखें कि इस बजट में राजीव गांधी विद्युत परियोजना या राजीव गांधी स्वच्छ पेयजल योजना आदि योजनाएं जन साधारण के लिए ही तो हैं। अगर हम थोड़ी सी मदद करें तो हम गांवों में हर घर में बिजली पहुंचा सकते हैं। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि झारखंड में यह योजना काफी धीमी गति से चल रही है इसलिए इसे तीव्रता से चलाने की आवश्यकता है। रांची में और पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के लिए आवंटित धनराशि अभी तक नहीं पहुंची है। हमें इसकी चिंता है। इसलिए इसे जल्द से जल्द वहां दिया जाना चाहिए।

राजीव गांधी स्वच्छ पेयजल योजना के तहत किसी भी ग्रामीण व्यक्ति को आधा किलोमीटर से अधिक दूर स्वच्छ पानी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। यह एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं करता है। सूचना के अभाव में ग्रामीण लोग इसे जान नहीं पाए हैं। इसलिए हमारा फर्ज है और पदाधिकारियों का भी फर्ज है कि वे इसे गांवों में जाकर लोगों को बताएं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संबंध में विपक्ष के साथियों ने कहा कि यह योजना सही रूप से क्रियान्वित नहीं हो रही है। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि ऐसी बात नहीं है। झारखंड में यूपीए सरकार के आते ही इस योजना के लिए अलग

से विभाग गठित किया गया है। उसमें अलग से सचिव की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा 55,000 लोगों की नियुक्ति इसके लिए की जा रही है, ताकि सही ढंग से यह योजना और चल सके।

सभापति महोदय, मैं एक-दो बातें और कहना चाहती हूं। इंदिरा आवास योजना में जो पैसा मिलता है वह बहुत कम मिलता है। शहरी विकास से संबंधित अम्बेडकर योजना में 50 हजार रुपये मिलता है जबकि देहात में 25 हजार रुपये मिलते हैं। इसकी राशि को बढ़ाए जाए ताकि सभी लोग अपना घर बना सकें। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं और माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने जो बजट रखा है वह हमारे कल्याण के लिए रखा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब मुझे एक घोषणा करनी है कि लगभग 50 वक्ताओं, माननीय सदस्यों ने बोलने के लिए अपना नाम दिया है। यदि आप ज्यादा समयं लेंगे तो इनमें से अधिकांश वक्ताओं को समय नहीं मिलेगा। जो माननीय सदस्य अपना लिखित भाषण देने के लिए तैयार हैं वे सभा पटल पर रख सकते हैं ताकि अधिक से अधिक समय की बचत हो सके। मैं उन्हें सभी सदस्यों से सहयोग की आशा करता हूं। जो यहां उपस्थित हैं। प्रत्येक वक्ता सदस्य को बोलने के लिए अधिकतम समय नियत किया जा सकता है। मैं इस मामले में काफी सख्त रहूंगा और संबंधित सदस्य केवल पांच मिनट बोल सकता है। इस विशेष घटनाओं एक विशेष मामले के रूप में उन्हें इतना समय दिया गया लेकिन अन्य सदस्यों के लिए मैं इतना समय नहीं दे सकता। कृपया अध्यक्ष के साथ सहयोग करें। हम यह देखने के लिए ईमानदारी से प्रयास करें कि चर्चा उचित समय पर समाप्त होता कि अनुदानों की मांगों को किया जा सके और मंत्री जी के उत्तर भी दे सकें।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, आप सिर्फ वैसे सदस्यों को अनुमति हैं जो सभा में बैठते हैं।

सभापति महोदय: सदस्यों ने अपने नाम दिए हैं। मैं इस मामले पर आपसे पूर्णत: सहमत हूं। यदि मैं सिर्फ उन सदस्यों को अनुमति दूं जो सभा में उपस्थित हैं तो मैं समझता हूं मैं एक घंटे के अंदर सभा का कार्य समाप्त कर सकता हूं। मेरे सामने 50 वक्ताओं की सूची है और उनमें से 22 सदस्य कांग्रेस के हैं। उनमें से कोई भी उपस्थित नहीं हैं, और यह तो स्थिति है। अब मैं सिबैस्टियन पॉल से भाषण को मात्र पांच मिनट में समाप्त करने का अनुरोध करूंगा।

[हिन्दी]

***डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** (मंदसौर): महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2007-08 का अर्थ संकल्प (बजट) अत्यंत ही विचारपूर्ण तरीके से इस बात को ध्यान में रखकर बनाया है कि सामान्यत: बजट को लोग अच्छा कहें, किन्तु इसकी गहराई में जाने से वस्तुस्थिति सामने आती है, कई गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। मैं बजट में प्रस्तुत आंकड़ों की ओर नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि उनके जरिये माननीय वित्त मंत्री जी ने एक आकर्षक चित्र प्रस्तुत करने का असफल प्रयास किया है। घोषणाएं भी कई की गयी हैं। इसके पूर्व वित्तीय वर्ष में भी इसी प्रकार की घोषणाएं की गयी थीं, जिनकी धरातल पर क्या स्थिति है? आम आदमी जानता है। समाचार पत्रों ने इस बजट पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं किन्तु कुल मिलाकर इसे आम आदमी का बजट नहीं कहा है। न इससे विशेष खुशी हुई है, न गम को कम करने की स्थिति है। भारत एक परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र है, विश्व में आज उसकी स्थिति सुदृढ़ है। यद्यपि हमने काफी आर्थिक प्रगति की है फिर भी बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है। क्या हम एक स्वावलंबी राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर होते हुए आम आदमी के सर्वांगीण विकास की पृष्ठभूमि में अपना दायित्व निभा पाए हैं? यह एक प्रश्नचिह्न है। आम आदमी सुखी हो, परस्पर सौमन्य व सौहार्द हो हम अपने वसुधैव कुटुम्बकम को सार्थक कर सकें तभी भारत सबसे अग्रणी देश हो सकता है।

माननीय वित्त मंत्री महोदय ने वर्ष 2007-08 का अर्थ संकल्प प्रस्तुत किया है और उसमें विकास की दिशा में प्रयत्नों का उल्लेख भी किया है। मुद्रास्फीति और वार्षिक आर्थिक बढ़ोत्तरी का भी जोरदार ढंग से उल्लेख किया है, किंतु इसे आम आदमी की पृष्ठभूमि में भी देखा जाना आवश्यक है। आम आदमी के सर्वांगीण विकास की और क्या हमारी योजनाओं को लक्ष्य तक पहुंचाने में सफल रहे हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ किया जाना अपेक्षित है। इस दृष्टि से बजट में शिक्षा, कृषि व स्वास्थ्य को महत्व देते हुए बजटीय आवंटन के गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि की है जो अनिवार्य थी। ग्रामीण विकास की भी चर्चा जहां की गयी है, वहां रक्षा क्षेत्र को भी लिया गया है।

किन्तु आज महत्वपूर्ण चिंता का विषय महंगाई है जिसकी चपेट में आम आदमी है। उसको जितनी भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, नहीं लिया गया है? महंगाई के कारणों पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। आज आम आदमी की आय महंगाई के अनुपात में कितनी बढ़ी है। उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं। व्यय के अनुपात में आय नहीं बढ़ी है। असंतुलन इसी वजह से है। गरीब और अमीर लोगों के जीवन स्तर में कितना अंतर है,

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

आज गरीबी और अमीरी की खाई में अंतर बढ़ा है। गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों का प्रतिशत हम कम नहीं कर पाए हैं। पूंजी का प्रभाव बढ़ा है। छोटे आयकरदाताओं को केवल 10,000 रुपये की बढ़ोत्तरी ने निराश किया है। वहीं सेवाकर का दायरा बढ़ाकर प्रकारान्तर से आम आदमी पर बोझ भी डाला है।

ग्रामीण विकास के लिए पहले से चल रहे भारत निर्माण कार्यक्रम के लिए बजट आवंटन अलबत्ता 31.6 फीसदी जरूर बढ़ा दिया। आपने बजट में शिक्षा के लिए 34 प्रतिशत और स्वास्थ्य के लिए 21.9 प्रतिशत वृद्धि कर दी है। आर्थिक मोर्चे पर सरकार के प्रदर्शन से मंत्री महोदय इस कदम आत्ममुग्ध दिखे कि अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर ध्यान देना ही भूल गए। बजट में आम आदमी की चिंता सिर्फ बातों तक ही सीमित रखी है, बजट में उसे खास तवज्जो नहीं दी है।

अर्थव्यवस्था की अच्छी तस्वीर प्रस्तुत की गयी है और दावा किया है कि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 8.1 तथा मुद्रास्फीति नहीं बढ़ेगी। औद्योगिक उत्पादों पर सीमा शुल्क की उच्चतम दर से घटाकर कम की है जिससे घरेलू उत्पाद प्रभावित होगा और प्रतिस्पर्धा में कठिनाई खड़ी होगी। बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का विस्तार से वर्णन किया गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं शहरी नवीकरण जैसी घोषणाएं भी हैं। सर्वशिक्षा अभियान में आवंटन बढ़ाया गया है। अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है जो वर्तमान में मांग के अनुपात में काफी कम है। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल योजना मिशन हेतु आवंटन बढ़ाया है किन्तु गांवों को शुद्ध पेयजल की आवश्यकता व ग्रामीण जनसहयोग की तुलना में यह राशि काफी कम है। यद्यपि वित्तमंत्री महोदय ने शिक्षा और स्वास्थ्य को भारत निर्माण की घोषणा के परिप्रेक्ष्य में काफी महत्व दिया है, प्राथमिकता भी दी है, किंतु तदनुसार कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की है।

यह सही है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत वृद्धजनों (65 वर्ष से ऊपर की आयु) के लिए सहायता राशि 75 रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर 200 रुपये प्रतिमास की है, इससे निश्चित ही वृद्धजनों को सामान्य राहत मिलेगी, किंतु यह राशि न्यूनतम 500 रुपये की जानी थी।

कृषि क्षेत्र की चर्चा करते हुए विशेष जोर दिया जाकर आवंटन बढ़ाया है, किंतु आज स्थिति क्या है? खेती योग्य जमीन का बहुत भाग सिंचाई से वंचित है। यद्यपि जल संवर्द्धन योजनाओं का जिक्र किया गया है किंतु आवंटित राशि काफी कम है। यह बात औद्योगिक विस्तार के बाद उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी इसके पूर्व भी कृषि पर आज भी 65 से 70 प्रतिशत लोगों की आजीविका निर्भर है। किसान को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है, उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। किसान कृषि में लगातार हो रहे घाटे या कृषि के अलाभकारी होने के कारण आत्महत्या कर रहा है। इस दृष्टि से देश के पिछड़े किंतु कृषि क्षेत्र बहुत राज्यों पर और अधिक ध्यान देना जरूरी है जिनमें प्रमुखत: मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश व छत्तीसगढ़ प्रमुख है। एक ओर दूसरा पहलू भी है कि गांवों में रोजगार के अवसर घट रहे हैं। गांव वाले शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। शहरों की आबादी बढ़ रही है। वहां रहने का स्थान नहीं है। नौकरियों या काम की व्यवस्था नहीं है, फलत: शहरों की जिंदगी भी अव्यवस्थित रही है। झुग्गी-झोपड़ियों की निरंतर बढ़ती संख्या भारत के भावी भाग्यविधाता बालकों को नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ता है। शहरों और कस्बों में, गंदे नाले के पास जीवन, पर्यावरण की बढ़ती समस्या, काम के अभाव में असामाजिक वृत्ति, चोरियां, डकैतियां, अपहरण आदि शिक्षा का अभाव व चिकित्सा सुलभ नहीं है। सरकारी लाभ उन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाता है। भारत निर्माण की कल्पना बहुत श्रेष्ठ है लेकिन बहुत कुछ किया जाना है।

बेरोजगारी दूर करने की दृष्टि व उस पर काबू पाने की दृष्टि से उठाये जाने वाले कदम और इस दृष्टि से बजटीय आवंटन बहुत कम है। इससे बेकारी व बेरोजगारी पर नियंत्रण संभव नहीं होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता अपर्याप्त है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बजटीय आवंटन विचारणीय है, विशेष रूप से भारतीय चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के प्रोत्साहन के लिए केन्द्रीय बजट आवंटन सर्वथा नगण्य है।

स्वास्थ्य कार्यक्रमों की चर्चा करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के लक्ष्यानुसार कुष्ठ व पोलियो के उन्मूलन को कहा गया है किंतु अभी पूर्णरूपेण नियंत्रण नहीं हुआ है। अत: इस हेतु अधिक धनराशि व प्रयास की आवश्यकता होगी। कृषि क्षेत्र के लिए वर्तमान वैश्विक स्थिति व प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में कृषि क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन की दृष्टि से सुधार व कृषकों के हितों की रक्षा की दृष्टि से बजटीय आवंटन सर्वथा नगण्य है। विद्युत उत्पादन की दृष्टि से आवंटन राशि सर्वथा कम है। इससे आवश्यकता की पूर्ति भी संभव नहीं है, और कमी भी यथावत बनी रहेगी। खपत की दृष्टि से उत्पादन अपर्याप्त है। आज मांग के अनुपात में बिजली का उत्पादन लक्ष्य से काफी पीछे है। 12 प्रतिशत से भी कम है। अपारम्परिक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन भी योग्य रीति से तथा अधिक धनराशि व्यय नहीं की जा रही है।

आम आदमी बीमा योजना अच्छी योजना है, लेकिन आवंटन आनुपातिक दृष्टि से कुछ नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की

दृष्टि से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु आवंटित धनराशि बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। आज भी कई ऐसे राज्य हैं, जहां कई किलोमीटर जाने पर भी अच्छे मार्ग नहीं है। गांवों की स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। वर्षा के दिनों में या अन्यथा गांव वालों की परेशानी यथावत है।

उद्योग जगत ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए निराशा जताई है। उद्योग जगत को उम्मीद थी कि मोटर-कारों पर उत्पादन शुल्क चरणबद्ध तरीके से घटाया जाएगा तथा बिक्रीकर में भी राहत देने की उम्मीद की थी। इसी प्रकार एफबीटी वापस लिये जाने और उपकर समाप्त किये जाने की भी प्रतीक्षा थी। कारपोरेट सैक्टर भी बजट से अधिक खुश नहीं है।

जैसाकि मैंने पूर्व में कहा है आयकर में मामूली रियायत से मध्य वर्ग निराश हुआ। लोगों को उम्मीद थी कि वित्त मंत्री बचत को प्रोत्साहन की दृष्टि से आयकर की सीमा में वृद्धि करेंगे, ताकि आम आदमी बचत के लिए प्रोत्साहित हो।

खाने का तेल और कच्चे तेल के आयात शुल्क में कमी कम कर यद्यपि घरेलू आपूर्ति को नजर में रखा गया है, किंतु इससे स्वदेशी तेल उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्य ऐसे हैं, जहां विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से जम्मू-कश्मीर को अधिक सहायता देने के साथ पूर्वोत्तर राज्यों को विकास हेतु समुचित राशि उपलब्ध करायी जाए, ताकि वे यह महसूस कर सकें कि केन्द्र ने उनके साथ न्याय किया है, क्योंकि वहां के सांसद बार-बार उपेक्षा की शिकायत करते रहे हैं।

यद्यपि विदेशी व्यापार के संकेत अच्छे हैं, किंतु चीन, जापान और कोरिया से प्रतिस्पर्धा में खड़े हैं। उनमें सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी चीन है। हम विशेष रूप से चीन के स्पर्धी हैं, इसलिए हमें पूर्व एशिया और चीन के समान निवेश में तेजी लाना है।

अनुसूचित जाति और जनजातियों के यद्यपि कतिपय विशेष प्रावधान किये गये हैं तथापि उन पर अधिक ध्यान दिया जाना अपेक्षित है और उस दृष्टि से आवंटन में वृद्धि हो।

ग्रामीण विकास की दृष्टि से क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक व अधिसूचित बैंकों पर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही ग्रामीण अधोसंरचना में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, स्वजलधारा योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण, जल संवर्धन योजना तथा फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी हितकारी योजनाओं, किसानों और ग्रामीणों को विकास में कदम से कदम मिलाकर चलने हेतु चलायी गयी थी, किंतु आज उन पर और अधिक धनराशि व्यय किये जाने की जरूरत है। गांव-गांव में सड़कें जुड़े, गांवों में शुद्ध पेयजल हो, शिक्षा हो, रोजगार के अवसर हों, स्वास्थ्य सेवायें हों।

सरकार द्वारा राजस्व वृद्धि को तो ध्यान में रखा गया है, किंतु विदेशी व्यापार पर तद्नुरूप ध्यान नहीं दिया है। इसलिए निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जाएं, जिससे हमारा निर्यात बढ़ सके। निर्यात क्षेत्र में पर्याप्त संभावनाएं हैं, जैसे रत्न, रत्नाभूषण और कपड़ा आदि। बंद या रुग्ण उद्योगों के पुनर्जीवन की आवश्यकता है। एनडीए सरकार द्वारा उन्हें पुनर्जीवित करने के प्रयास किये गये थे, उनको जारी रखा जाए।

औद्योगिक नगरों का विकास तो हो रहा है, किंतु ग्रामीण उद्योग मुख्यत: खादी व हस्तशिल्प के प्रोत्साहन की बड़ी आवश्यकता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी किसानों की स्थिति के साथ गांवों की स्थिति सुधारने में सहायक हो सकेंगे। इन पर विशेष बल नहीं दिया गया है। जवाहर लाल नेहरू शहरी योजना के द्वारा कुछ चिन्हित नगरों को लाभ मिल रहा है, उसका क्षेत्र बढ़ाया जाए और कतिपय विशिष्ट नगरों को भी उसमें जोड़ा जाए।

शहरों की बड़ी-बड़ी औद्योगिक इकाइयां चाहे कपड़ा मिलें हों, चीनी मिलें हो, सीमेंट के कारखाने हों या छोटे मझोले उद्योग निरंतर घाटा उठा रहे हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हम बहुत पीछे हैं। वैश्विक बाजार का दायरा बढ़ रहा है। आधुनिकीकरण में हम पीछे है। कई औद्योगिक क्षेत्रों नयी तकनीक से दूर हैं। किसान परेशान है, गांव के लोग परेशान हैं, शहरों की दयनीय स्थिति है। किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? यह विचारणीय प्रश्न है। मजदूर भूख से दम तोड़ रहा है। रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन के रोजगार की घोषणा की है, किंतु वास्तविकता के धरातल पर खरा उतारना है। किसान के खेत पर पानी, बिजली, नौजवानों को रोजगार, शिक्षा चिकित्सा व आवास का समुचित प्रबंध हो। अट्टालिकाओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन गरीब की झोपड़ी पर छप्पर भी पूरा नहीं है। कैसे होगा भारत निर्माण?

अत: जरूरी है कि ''स्वदेशी'' योजनाएं लागू हों, ''स्वदेशी'' पर जोर दें। गांधी व दीनदयाल के सपनों का भारत, स्वावलंबी भारत तभी बन सकेगा।

दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, बंगलौर, पूना, हैदराबाद, जयपुर, सूरत, अहमदाबाद जैसे शहरों की चकाचौंध देखें और शेष नगरों व भारत की तस्वीर को देखें, को अंतर स्पष्ट हो जाता है।

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

अंत में मैं अपनी बात संक्षेप में रखना चाहता हूं। मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। वहां खनिज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आदिवासी जनसंख्या बहुल होने का कारण औद्योगिक विस्तार व कृषि उन्नयन हेतु विशेष पैकेज द्वारा जैसा कि कतिपय राज्यों के लिए विशेष पैकेज रखा गया है, इस राज्य को भी सहायता देकर आगे बढ़ाया जा सकता है। यद्यपि शहरी जल आपूर्ति के लिए पूर्वापेक्षा अधिक रुपया दिया गया है, तथापि अन्य क्षेत्रों में भी विकास हेतु केन्द्र से मदद की आवश्यकता है, ताकि मध्य प्रदेश भी राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सके।

इस दृष्टि से संपूर्ण बजट का आकलन आवश्यक है, अन्यथा हमारा विकास का सपना अधूरा रहेगा।

[अनुवाद]

डा सिबैस्टियन पॉल (एर्णाकुलम): महोदय, मैं वर्ष 2007-08 के बजट का स्वागत करता हूं जिसे आम आदमी का बजट कहा गया है। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट में अभूतपूर्व आर्थिक वृद्धि की चमक दिखाई देती है। फिर भी, मैं मंत्री महोदय को इस बात से आगाह करना चाहता हूं कि विकास को और अधिक व्यापक आधार वाला एवं सतत बनाने हेतु एक आवश्यक पूर्व शर्त कृषि और ग्रामीण अवसंरचना पर अधिक ध्यान दिया जाए। यद्यपि कृषि क्षेत्र पर दिया जा रहा ध्यान दृष्टिगोचर है, परन्तु यह कृषि के पुनरुद्धार के लिए सम्पूर्ण उपाय नहीं है। रेलवे के उल्लंघनीय निष्पादन के अतिरिक्त बिजली, सड़कें, बंदरगाह और हवाई अड्डे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बड़ी बाधाएं हैं। यह सही है कि कृषि के लिए और अधिक आवंटन किया गया है। कृषि की वृद्धि में अवरोध के रूप में कार्य करने वाले अनेक मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। परन्तु, जैसाकि डा. एम.एस. स्वामीनाथन ने बताया है, हमारे लिये 1960 के दशक के हरित क्रान्ति की तरह का आन्दोलन आवश्यक था। पिछले तीन वर्षों में कृषि क्षेत्र का घटिया निष्पादन एवं पिछले छह वर्षों के दौरान तीन प्रतिशत से भी कम की वृद्धि दर से ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय में वस्तुत: ठहराव आ गया है। वर्षों से कृषि क्षेत्र की उपेक्षा के लिए उसके कार्यक्रमों के लिए और अधिक आवंटन किये जाने की आवश्यकता है। 115 करोड़ परिवारों को जीविका प्रदान करने वाला कृषि क्षेत्र भी उस सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां वृद्धि को और अधिक व्यापक आधार देने और सतत बनाने हेतु उन्नति आवश्यक है। यह बहुत उत्साहवर्धक है कि वित्त मंत्री ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1947 में दिये गये प्रसिद्ध वक्तव्य को याद किया है: "कृषि के अतिरिक्त हम प्रतीक्षा कर सकते हैं।" यह आशा करते हुए कि मंत्री महोदय इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे, मैं बजट का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय: एक दृष्टांत स्थापित करने के लिए धन्यवाद। अन्य लोगों को भी आपकी राह पर चलना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर): महोदय, आपने आम बजट की चर्चा में बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, वित्त मंत्री द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें गांवों, गरीबों और किसानों के हितों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। अगर हम पिछले बजट और इस बार के बजट में तुलना करें, तो दोनों बजटों में कोई फर्क नहीं है। पिछले बजट के परिणामों को इस देश की जनता अभी तक भुगत रही है। मंत्री जी सोचते हैं कि जब आर्थिक विकास की दर बढ़ेगी, तो उससे समस्याओं का निदान हो जायेगा। लेकिन प्लानिंग कमीशन सोचती है कि गांव, गरीब की दरिद्रता को दूर करने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाना आवश्यक है। जब तक उनकी आर्थिक स्थिति को ऊपर नहीं उठाएंगे, तब तक देश की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो सकती है। खास तौर से हमारी अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर करती है। इस देश का किसान दिन-प्रतिदिन आर्थिक दृष्टि से कमजोर होता जा रहा है। क्या आप आजादी के इतने वर्षों बाद भी किसान को उसकी खेती का लाभकारी मूल्य दे पा रहे हैं? जब तक किसान को उसकी खेती का लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, तब तक इस देश का किसान आत्महत्या करने पर मजबूत होता रहेगा।

आज स्थिति है कि जहां फैक्टरी का मालिक अपनी वस्तुओं के रेट खुद तय करता है। वह वस्तुओं के लाभकारी मूल्य में खर्च, लागत, प्रोफिट आदि जोड़ कर उनका रेट स्वयं तय करता है और बाजार में बेचता है, वहां किसान स्पोर्ट प्राइज के लिए 10-15 रुपये के लिए सरकार की ओर देखता है और सरकार कहती है कि इस साल हमने दस-पांच-चार रुपये बढ़ा दिये, क्या किसान इतने पैसों से अपना जीवन यापन कर सकेगा? जब तक हम किसान को लाभकारी मूल्य नहीं देंगे, तब तक इस देश का किसान आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बजट में बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन आप देखें कि किस तरह से किसान को लाभकारी मूल्य दे सकते हैं। इस बात का मंत्री जी अपने उत्तर में जरूर करें-चाहे किसान कोई भी खेती करता हूं, चाहे नारियल की ही खेती करता हो, आपको जरूर देखना चाहिए कि किस तरह से उन्हें लाभकारी मूल्य दे सकते हैं।

आज स्थिति यह है कि खाद्य सामग्री का आयात किया जा रहा है। मैं खास तौर से इस चर्चा में निवेदन करना चाहता हूं कि आयात पर ड्यूटी बढ़ाने की आवश्यकता है। जो किसान निर्यात करना चाहते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।

महोदय, किसानों को कृषि बीमा का फायदा मिलना चाहिए। आज किसान को कृषि बीमा का जो फायदा मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। आप पांच वर्ष का औसतन कृषि बीमा का मुआवजा देंगे। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां मेरे लोक सभा क्षेत्र के एक तहसील में छः वर्ष से लगातार अकाल पड़ रहा है। वहां छः वर्ष से एक भी दाना पैदा नहीं हुआ है और आप पांच वर्ष से मुआवजा दे रहे हैं, लेकिन उनको मुआवजा नहीं के बराबर मिला है।

इस बजट में किसान के लिए पानी की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। नदियां जोड़ने का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था, इस बजट में इसके लिए किसी प्रकार के एलोकेशन की बात नहीं कही गई है। जब तक किसान के पास पानी नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, खाद के भाव कम नहीं होंगे, किसान को उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा तब तक हम किसान को आत्महत्या करने से नहीं रोक सकते हैं।

मैं खास तौर से वायदा मार्किट के बारे में कहना चाहता हूं। वायदा मार्किट की वजह से महंगाई बढ़ी है। आपने वायदा मार्किट से चावल और गेहूं को हटा दिया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक क्विंटल जीरा होता है और एक लाख बोरी का सौदा होता है, इससे न किसान को फायदा हो रहा है, न व्यापारी को फायदा हो रहा है और न ही जनता को फायदा हो रहा है। वायदा मार्किट के माध्यम से बिचौलिए और सट्टा लगाने वाले लोग करोड़ों रुपये कमा रहे हैं और किसान तथा व्यापारी आत्महत्या की स्थिति में आ रहे हैं। इसलिए मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि वायदा मार्किट को खत्म किया जाए।

महोदय, स्पेशल इकनॉमिक जोन में एक क्षेत्र को स्पेशल इकनॉमिक जोन बना देते हैं और देश भर की सारी यूनिटें वहां चली जाती हैं। आप एक आर्थिक जोन बनाएं। अगर आपने इसमें एक लाख लोगों को फायदा दिया तो देश में छोटी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और देश के करोड़ों लोग परेशान हो जाएंगे। इसके लिए नीति बननी चाहिए।

मेरे लोक सभा क्षेत्र में भूतपूर्व वित्त मंत्री माननीय जसवंत सिंह जी ने मरुगोचर योजना लागू की थी। इस योजना में काम हो गया है लेकिन अभी तक भारत सरकार से राजस्थान को 40-50 करोड़ मिलने थे, वह नहीं मिले हैं। मरूगोचर योजना का पैसा नहीं मिलने से वहां के गांवों में बहुत दिक्कत हो रही है।

इसके अलावा मैं सर्व शिक्षा अभियान के बारे में कहना चाहता हूं। सर्वशिक्षा अभियान का काम बहुत बढ़िया है, इसकी जितनी तारीफ करें कम है। लेकिन सर्वशिक्षा अभियान के तहत जो काम अध्यापकों से कराया जाता है इसके द्वारा उन्हें ठेकेदार बना दिया गया है, वे दिन भर उसी काम में लगे रहते हैं और बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। मिड डे मील में ठेकेदारी का काम उनसे कराया जाता है। उन्हें कभी जनगणना और कभी पशु गणना के काम पर लगा देते हैं इसलिए आज शिक्षा की नींव धीरे-धीरे कमजोर हो रही है। मैं खास तौर से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस पर भी थोड़ा ध्यान दें।

महोदय, मैं आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में भी कहना चाहता हूं। आंगनवाड़ी वर्कर्स दूर-दूर गांवों में काम करते हैं, आज भी उनको कुछ नहीं मिल रहा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं। अब श्रीमती रानी।

कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: आप इनके बारे में जरूर सोचें। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

****श्री एस. मल्लिकार्जुनैया** (तुमकुर): महोदय मैं इस सदन का ध्यान अपने देश के किसानों, विशेषकर कर्नाटक राज्य के किसानों की दयनीय दशा की ओर दिलाना चाहूंगा। अधिकांश लोग कृषि पर आश्रित हैं। ऐसा कई कारणों से है जिनसे किसानों को जीवित रखने के लिए भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वर्ष 1998 से ही कुंठित रहने के कारण किसानों के पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। लाखों गरीब किसानों ने आत्महत्या की है। हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम इस स्थिति का अन्त करें। सरकार ने पहले ही कुछ नीतियां बनाई हैं पर वे पर्याप्त नहीं हैं। केवल नियमित आधार पर बाढ़ राहत/सूखा

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री एस. मल्लिकार्जुनैया]

राहत प्रदान करके इस खतरनाक स्थिति का समाधान नहीं होगा। इस संबंध में मेरा यह सुझाव है कि कुछ कदमों को उठाया जाए जिससे किसानों के हितों की रक्षा हो सके।

1. हमें कृषि कार्य संबंधी टीम बनाने की दिशा में कार्य करना होगा, जिसमें बीज/पौधों और सामग्री के आपूर्तिकर्त्ता, किसान, क्रेता तथा बीमा निकाय शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, हमें विभिन्न प्रकार के मौसमों की दशाओं को झेलने के लिए तैयार रहना होगा, जहां हम विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के लिए व्यवधान डाले बिना विभिन्न प्रकार की फसलें उगा सकें।

2. सर्वप्रथम हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि किसानों को अच्छे प्रकार के बीज/पौधें उपलब्ध कराई जाएं। अभी बीजों/पौधों के आपूर्तिकर्ता लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हैं तथा घटिया किस्म के बीजों पौधों की आपूर्ति कर रहे हैं।

3. अभी बजट संबंधी कोई रणनीति नहीं है तथा हर कोई किसानों का शोषण कर रहा है। इस चलन को समाप्त करने हेतु सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि विपणन का विनियमन केवल सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाए तथा उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दिये जा रहे सर्वोत्तम मूल्य प्रदान करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए एवं गैर-सरकारी क्षेत्रों को रोका जाना चाहिए।

4. लगातार सूखे के कारण किसानों के लिए उचित सिंचाई का अभाव है। इस संबंध में मुझे यह कहना है कि सरकार को पूरे देश में नदियों को जोड़ने हेतु तुरन्त कदम उठाना चाहिए। जिससे कि किसानों को बिना किसी रुकावट के पानी दिया जा सके। इससे जलमार्ग से वस्तुओं के परिवहन हेतु परिवहन मार्ग भी मिलेगा जो कि अत्यधिक व्यय को भी कम करेगा इससे इस प्रमुख क्षेत्र के परिवहन पर किये जाने वाले भारी निवेश से बचने का एक सतत साधन भी प्राप्त होगा।

5. सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को न्यूनतम दर पर बिजली की अबाध आपूर्ति हो जिससे कि वे व्यय का वहन कर सकें।

6. यह भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि किसानों का बीमा किया जाए जिससे कि वे फसलों की क्षति के कारण होने वाली हानि को पूरा कर सकें। गरीब किसानों को हुई हानि की मात्रा और उसकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए स्थिति का आकलन करते समय वर्तमान व्यवस्था को और उदार बनाया जाना चाहिए।

गंभीर स्थिति को देखते हुए मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि वह वर्तमान विपत्ति से कृषि क्षेत्र को बचाने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम बनाए।

1. टीम फार्मिंग की व्यवस्था बनाएं जिससे बीज/पौध सामग्री आपूर्तिकर्त्ता, किसान और बीमा संकाय शामिल हों।

2. क्रेताओं से उत्पादों और उसकी मात्रा की आवश्यकता एवं सर्वोत्तम मूल्य का पता लगाया।

3. पौध/बीज आपूर्तिकर्त्ताओं को उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां केवल क्रेताओं/किसानों के मानक और गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप ही उत्पादन किया जा सके। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा जिन बीजों/पौधे की आपूर्ति की गई है, उनकी गुणवत्ता अच्छी है, चाहे किसान किसी भी वर्ग के हों।

4. उपरोक्त की पहचान करने के बाद बीमा कंपनियों के समन्वय से ओपन स्थिति देखनी होगी ताकि किसानों को परेशानी न हो।

5. सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्पादों की बिक्री बेहतर उपलब्ध बजट मूल्य पर सरकारी एजेंसियों के माध्यम से की जानी चाहिए जिन्हें सरकार द्वारा किसानों, क्रेताओं आदि के साथ परामर्श करके निर्धारित किया जाए।

6. सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खराब पौध/बीज सामग्री या फसल चौपट होने के कारण किसानों को हुई किसी क्षति के मामले में बीमा कंपनियों को इसकी प्रतिपूर्ति करनी चाहिए।

मुझे विश्वास है कि यदि सामूहिक खेती (तटीय फार्मिंग) को प्रभावी बनाया जाता है और बिना किसी भेदभाव के छोटे, मंझौले या बड़े किसानों को सहायता दी जाती है तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के सामने आएंगे। इससे न सिर्फ कृषि क्षेत्र का विकास होगा बल्कि सरकारी राजस्व अर्जन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात मांग को पूरा करने में गुणवत्ता मानक को स्थापित करेगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन आम आदमी को समाज और समग्र राष्ट्र के कल्याण के लिए आगे आने के प्रोत्साहित करना चाहिए।

मैं इस सभा का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि तुमकुर में नेफेड किसानों से खोपरा खरीद रहा है। यह आम बात है कि खोपरा की खरीद के समय नेफेड रशीद जारी कर रहा है और भुगतान कुछ दिनों के बाद अर्थात एक महीने के अंदर किया जाएगा। इस तरह जो किसान खोपरा से होने वाली आय पर पूर्णत: निर्भर हैं, उन्हें नेफेड से भुगतान प्राप्त करने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार किसानों के साथ घोर अन्याय हो रहा है।

उपरोक्त के मद्देनजर में सरकार से इस मामले की जांच करने और किसानों से खोपरा लेते समय किसानों को उसी स्थान पर तत्काल भुगतान करने हेतु अनिवार्य निर्देश जारी करने का भी अनुरोध करता हूं।

श्रीमती के. राणी (रासीपुरम): सभापति महोदय, सामान्य बजट पर चर्चा में मेरे भाग लेने और इसका तहेदिल से समर्थन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के सक्षम और प्रभावी नेतृत्व तथा संप्रग अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी के मार्ग-निर्देशन में इस सरकार ने अनेक उपलब्धियां हासिल की है और यह बजट उसी दिशा का एक भाग है जो भारत को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। मैं इसके लिए हमारे वित्त मंत्री तिरु चिदंबरम की प्रशंसा करती हूं।

मैं भारत निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्याह्न भोजन योजना, आईसीडीएस कार्यक्रम, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन आदि जैसी अनेक उपलब्धियां हासिल करने में सरकार के प्रयासों की तहेदिल से सराहना करती हूं। इन पहलों से लोगों के जीवन स्तर में भारी सुरक्षा देखने को मिली है और मैं चाहती हूं कि ये सही दिशा में आगे जारी रहें ताकि गरीब लोग इन सभी उपायों से लाभान्वित हो सकें।

महोदय, भारत निर्माण योजना और अन्य प्रमुख कार्यक्रमों के मामले में बजट में कहा गया है कि 24 लाख हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की जायेगी। सरकार ने दिसंबर, 2006 तक, 55,000 घरों की पेयजल की सुविधाएं प्रदान की है। 12,000 कि.मी. ग्रामीण सड़क और 7,83,000 ग्रामीण घरों का निर्माण किया है तथा नौ लाख घर निर्माणाधीन है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत लगभग 20,000 गांवों को शामिल किया गया है। इस सरकार ने अब तक 15,000 गांवों को टेलीफोन मुहैया कराया है। इन सभी उपलब्धियों के लिए यह सरकार पूरे देश में प्रशंसा की पात्र है।

मैं रोजगार की स्थिति के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के मामले में इसे 200 जिलों से बढ़ाकर 330 जिले कर दिया गया है। तदनुसार, इस हेतु पर्याप्त धनराशि आवंटित कर दी गई है। ग्रामीण रोजगार के मामले में, एसजीआरवाई के अंतर्गत 2,800 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एसजीएसवाई हेतु आवंटन बढ़ा दिया गया है।

मैं विज्ञान की जरूरतों के बारे में भी उल्लेख करना चाहूंगी। यह विधि मंत्री ने कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर हेतु 50 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं तथापि वैज्ञानिक अनुसंधान ही भारत प्रतिस्पर्धात्मक भविष्य संवार सकता है। वर्ष 2001 से ऐसा फिर अनुसंधान हेतु आवंटन घट रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को वर्ष 2005-06 के दौरान 200 करोड़ रुपये आवंटित किये गये लेकिन संशोधित बजट में वित्त मंत्रालय द्वारा इसे रद्द कर दिया गया। महोदय, वर्ष 2006-07 में आवंटित किये गये 180 करोड़ रुपये भी नहीं किये गये। चालू बजट में 150 करोड़ रुपये आवंटित करने का वादा किया गया है। मैं महसूस करती हूं कि यह धनराशि देश में विज्ञान शिक्षा विशेषकर विज्ञान विभागों और महाविद्यालयों का पुनरुद्धार करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

माननीय वित्त मंत्री ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ महिलाओं और बच्चों को शक्ति प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में भी उल्लेख किया है। यह सही दिशा में उठाया गया कदम है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मंत्री जी ने आवंटन को यथावत रूप से बढ़ाकर 3,200 करोड़ रुपये कर दिया है तथा और पी.एस.सी. पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु सरकार राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति कार्यक्रम के तहत सहायता प्रदान करनी है और आवंटन को बढ़ाकर 88 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

अल्पसंख्यक समुदायों हेतु सरकार छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू कर रही है और पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु 72 करोड़ रुपये मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु 9 करोड़ रुपये और स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की छात्रवृत्ति लगभग 50 करोड़ रुपये का आवंटन कर रहा है। इन सभी उपायों से अल्पसंख्यकों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति में काफी सुधार आयेगा और हम इसके लिए माननीय वित्त मंत्री के बहुत आभारी हैं।

मैं समझती हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट में मुद्रास्फीति की प्रकृति पर अंकुश लगाया है। मैं कहूंगा कि यह अत्यंत ही आवश्यक है और सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूरे देश में गरीब लोग आसमान छू रही कीमतों के कारण बुरी तरह प्रभावित हैं। मैं सरकार से इस पर रोक लगाने हेतु अविलम्ब उपाय करने का अनुरोध करूंगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुन: सामान्य बजट का समर्थन करती हूं।

सभापति महोदय: श्री येरननायडु, आप मेरे अच्छे मित्र है। कृपया समय के पाबंद रहे।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे देश में इस समय तीन प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे प्रिय वित्त मंत्री और योजना आयोग के अध्यक्ष, डा. मोटेंक सिंह अहलूवालिया। दुर्भाग्यवश, इन तीनों प्रख्यात अर्थशास्त्रियों की नीतियां हमारे आम आदमी के लिए किसी भी तरह मददगार नहीं हैं। इस बजट में आम आदमी की अनदेखी की गई है।

हम 9.2 प्रतिशत की अपनी वृद्धि दर से बहुत खुश है। यदि आप देखें तो निगम कर, सीमा शुल्क, आय कर और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। सरकार राजस्व अर्जित कर रही है। अंतत:, इसका लाभ निर्धनतम लोगों से मिलना चाहिए तभी लोग खुश होंगे।

इस बजट में सामाजिक न्याय और समान वितरण नहीं हुआ है। गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है और अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है। गरीबों और किसानों को उनके विकास के कारण लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए दबे कुचले वर्ग के लोगों को इस बजट से लाभ नहीं मिल रहा है। मैं अनुरोध करूंगा कि हमारी आजादी के 60 वर्षों के बाद भी समान वितरण नहीं हुआ है। आम आदमी के हित में इस नीति की समीक्षा की जानी चाहिए।

मूल्य वृद्धि हमारे देश का भयावह मुद्दा है। न तो किसान और न ही उपभोक्ता खुश है। किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है और उपभोक्ताओं को भी उत्पाद उचित मूल्य पर नहीं मिल रहा है। यह तो हमारे देश की समस्या है। इसके पीछे क्या कारण हैं? मैं माननीय मंत्री से इसके पीछे के कारणों के बारे में जानना चाहूंगा। हर जगह समस्या है। यदि आप गांव जाते हैं तो आम आदमी जन प्रतिनिधि से पूछेगा कि महंगाई कम करने के लिए आप पर्याप्त कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं। यह समस्या राज्यों के साथ-साथ केन्द्र में भी व्याप्त है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे आवश्यक वस्तुओं का मूल्य नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

जहां तक कृषि का संबंध है, हमारा लक्ष्य 4 प्रतिशत कृषि विकास दर हासिल करने का है। किंतु इस वर्ष में, हमने मात्र 2.7 प्रतिशत कृषि विकास दर ही हासिल की है। यह पर्याप्त नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि भागीदारी घटकर 18.5 प्रतिशत रह गई है। सार्वजनिक निवेश भी कम होकर 1.9 प्रतिशत हो गया है। अगर आप वर्ष 1990 भी बात करें, तो उस समय सार्वजनिक निवेश 2.2 प्रतिशत था। इन आवंटनों से, आप कृषि में 4 प्रतिशत विकास दर कैसे हासिल कर सकते हैं? मंत्री जी को इसका उत्तर देना होगा। पर्याप्त आवंटन के बगैर, 4 प्रतिशत विकास हासिल कर पाना मुश्किल होगा।

जहां तक बीमा योजना का संबंध है, तो एक ऋण बीमा योजना मौजूद है। केवल ऋण लेने वाले लोगों को ही बीमा कवर प्रदान किया जायेगा। भारत सरकार आगामी खरीफ और रबी की फसल के लिये भी इसी नीति को जारी रखेग। विभिन्न राज्य सरकारों, जनता और कृषक समुदाय के लोगों ने भी मांग की है कि इसे राजस्व ग्रामवार कार्यान्वित किया जाये। अन्यथा, कृषक समुदाय के लिए यह किसी काम की नहीं है। मा. वित्त मंत्री ने सदन में घोषणा की थी कि इसे ग्राम पंचायत, जो एक इकाई है, के स्तर पर लागू किया जायेगा। किंतु वर्तमान में, वे तहसील और मंडल दोनों को एक इकाई मान रहे हैं। इसीलिए, यदि बाढ़ अथवा सूखे से किसी किसान की फसल का नुकसान हो जाता है, तो उसे बीमा कवर प्रदान नहीं किया जायेगा।

जहां तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का संबंध है, तो इस बारे में संप्रग सरकार की क्या प्रतिबद्धता है? उसने कहा था कि इसे समूचे देश में कार्यान्वित किया जायेगा। किंतु विगत वर्ष के बजट में, इसे 200 जिलों में कार्यान्वित किया गया है। इस वर्ष, इसका 130 और जिलों में विस्तार किया गया है। 600 जिलों में से, आपने 330 जिलों को शामिल तथा 270 जिलों को शामिल नहीं किया है। अत:, संप्रग सरकार समूचे देश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को लागू करने का अपना वायदा पूरा करने में असफल रही है। इस योजना की समीक्षा करने की जरूरत है क्योंकि गरीब लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। उदाहरणार्थ, बताया जाता है कि आंध्र प्रदेश में 43 लाख जाब कार्ड जारी किये गये हैं किंतु 50 प्रतिशत से कम को ही रोजगार मुहैया कराया गया है। मा. प्रधान मंत्री जी ने अनंतपुर जिले में शुरू किया था। किंतु ऐसी जानकारी मिली है कि इस योजना का पूर्ण दुरुपयोग हो रहा है। जब उस जिले में सामाजिक जांच हो रही थी, तो सत्ताधारी दल ने स्थानीय कार्यकर्त्ताओं को वहां जाने से रोका। उन्हें विद्यालयों में बन्द कर दिया गया। वह कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्त्ता था यह घटना समाचार पत्रों में भी आई थी। मेरे पास कई रिपोर्टें हैं। समाचारपत्रों में कई लेख आये जिसमें आरोप लगाया गया कि इस योजना का दुरुपयोग हो रहा है। इसकी पूरी जांच किये जाने की आवश्यकता है।

एक व्यक्ति ने स्थानीय डाक कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके डाकघर से 70,000 रु. धोखाधड़ी से निकाल लिये थे। कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं पर सरकारी धन हड़पने का आरोप लगाया गया है। ये सब खबरें समाचार पत्रों में हैं। ये आरोप सिद्ध हो गये हैं। सामाजिक जांच करने वाले लोगों की एक कमरे में बन्द कर दिया गया था। राज्य में ऐसे कार्य हो रहे हैं। अत:, केन्द्रीय सरकार इस पर पुनर्विचार करे कि इस प्रणाली को किस प्रकार सुदृढ़ किया जाये।

महोदय, विशेष पैकेजों की घोषणा के बारे में, मैं कहना चाहता हूं कि विगत वर्ष और इस वर्ष की वित्त मंत्री ने विभिन्न राज्यों को दिये जाने वाले विशेष पैकेजों की घोषणा की है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। विशेष पैकेजों की घोषणा उड़ीसा राज्य में कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) क्षेत्रों के लिए की गई है, जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों तथा विभिन्न दूसरे भागों के लिये था विशेष पैकेजों की भी घोषणा की गई है। आंध्र प्रदेश में, कुछ ही पिछड़े क्षेत्र हैं। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में अनंतपुर जिला ऐसा ही पिछड़ा जिला है। राजस्थान में जैसलमेर के पश्चात्, देश में यह दूसरा क्षेत्र है जहां सबसे कम वर्षा होती है। राज्य सरकार और उस क्षेत्र के संसद सदस्य ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि अनंतपुर जिले के लिये विशेष पैकेज दिया जाये। किंतु दुर्भाग्यवश, वित्त मंत्री ने इस क्षेत्र हेतु किसी विशेष पैकेज की घोषणा नहीं की है।

महोदय, विशेष अनुदान मुहैया कराने हेतु कतिपय विश्वविद्यालयों की पहचान करने के लिए, मैं कहना चाहता हूं कि विगत वर्ष तथा इस वर्ष बजट प्रस्तुत करने के दौरान, विशेष अनुदान देने हेतु कतिपय विश्वविद्यालयों की पहचान की है। हमारे राज्य में एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय एक बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। राज्य के लोगों की मांग है कि बजट पारित होने से पहले, आंध्र प्रदेश के एक विश्वविद्यालय की विशेष अनुदान देने हेतु पहचान की जाये। मैं मा. वित्त मंत्री से यह अनुरोध करना चाहता हूं।

महोदय, एक दिन मैरीटाइम विश्वविद्यालय विधेयक लाये जाने पर हमने सदन में बहुत अशोभनीय घटना देखी। आंध्र प्रदेश में एक हजार कि.मी. से अधिक सीमा है। तटरेखा है। भारत सरकार ने वर्तमान में चेन्नई में एक मैरीटाईम विश्वविद्यालय तथा विशाखापटनम कलकत्ता और मुंबई में मुक्त क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है। मेरा कहना यह है कि क्षेत्रीय केन्द्र खोले जाने की बजाय, सरकार आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में एक-एक विश्वविद्यालय की मंजूरी देने पर विचार करे। अत:, आंध्र प्रदेश के लोगों की ओर से, मैं यह मांग करता हूं कि जब मैरीटाईम विश्वविद्यालय विधेयक इस सदन में पास होगा, तो आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में भी विचार किया जाये और सरकार राज्य के लिए ऐसे एक विश्वविद्यालय की मंजूरी प्रदान करें।

महोदय, सरकार ने कर को 7 रु. से बढ़ाकर 11 रु. करने का प्रस्ताव किया है। देश में लगभग 70 लाख बीड़ी कामगार हैं और उनमें से 8 लाख कामगार आंध्र प्रदेश के हैं। ये कामगार बाजार में बेची जाने वाली बीड़ी के पैकेट पर हड्डी और खोपड़ी को दिखाने वाले उत्पाद चिन्ह के कारण राज्य में पहले से ही समस्या का सामना कर रहे हैं। अत:, इन लोगों को पहले ही परेशानी हो रही है। बीड़ी कामगारों की ओर से, आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री तथा वर्तमान में आंध्र प्रदेश विधान सभा के नेता, श्री चंद्रबाबू नायडू ने मा. वित्त मंत्री को एक पत्र लिखा है कि बीड़ी पर लगाये गये कर को हटाया जाये। सरकार बीड़ी पर लगे इस कर को हटाये।

जहां तक नॉन-पावर हस्तनिर्मित लॉण्ड्री सोप पर लगने वाले उत्पाद शुल्क की छूट को वापस लेने की बात है, तो सोप के अंतिम प्रयोक्ता काफी गरीब हैं। आजादी प्राप्ति से ही हस्तनिर्मित लॉण्ड्री सोप पर कोई कर नहीं लगा है। 1954 में और 1994 के बजट में ऐसा प्रयास किया गया था, किंतु यह कर नहीं लगाया गया है। लोगों ने इस मामले के बारे में मुझे अभ्यावेदन किया है। मा. वित्त मंत्री इस बात पर कृपया विचार करें।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): इस वर्ष सोप पर कर कहां लगा है?

श्री किन्जरपु येरनायडु: इस वर्ष नहीं पिछले वर्ष लगा था।

श्री पी. चिदम्बरम: 1.5 करोड़ रु. तक के सामान के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क की छूट है। विगत वर्ष, यह 1 करोड़ रु. थी और हमने इसे बढ़ाकर 1.5 करोड़ रु. कर दिया है। हस्तनिर्मित सामान बनाने वाली इकाईयां 1.5 करोड़ रु. से ज्यादा किसी चीज का उत्पादन कैसे कर सकती है?

श्री किन्जरपु येरननायडु: आजादी से लेकर, वे 1.5 करोड़ रु. से अधिक के सामान का उत्पादन कर रही हैं और उन्हें छूट दी गई हैं। कृपया अंतिम प्रयोक्ताओं की स्थिति देखिए।

श्री पी. चिदम्बरम: श्री येरननायडू मेरे प्रिय मित्र हैं। कृपया अब बतायें कि 1.5 करोड़ से अधिक के सामान का कौन सी लॉण्ड्री सोप इकाई उत्पादन कर रही है और मैं उस मामले की छानबीन करूंगा। कृपया कोई एक मामला बतायें *...(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: मैं केवल हस्तनिर्मित सामान बनाने वाली इकाइयों की बात करूंगा।

मेरी अगली बात जल आपूर्ति योजना में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है। मंत्री जी ने 20 से.मी. व्यास वाले पाइपों हेतु छूट दी है। अगर हम जल आपूर्ति योजना को अधिक पैसा दें, तो यह योजना उचित तरीके से कार्यान्वित होगी। मंत्री जी ने मात्र 20 से.मी. तक के व्यास वाले पाइपों पर ही छूट दी है। हमें इस पहलू के बारे में विचार करना होगा। यह 10 से 15 से.मी. तक के पास भी हो सकते हैं। अगर आप इसे एआरडब्ल्यूएस के अंतर्गत राज्य सरकारों को दें, तो वे इसके उत्पाद शुल्क भाग का ध्यान रख सकती हैं। पेयजल योजना में, स्रोत से टैंक तक इस्तेमाल किये गये पाइपों को शुल्क से छूट दी जाये। पूर्व में, इसे छूट दी गई थी। मंत्रीजी ने अब कुछ राहत दी है और मैं राज्य सरकारों तथा पूरे देश की ओर से इस बात का अनुरोध कर रहा हूं। आप इसे 10 से.मी. व्यास तक के पाइपों पर लगा सकते हैं।

लौह अयस्क के कराधान के बारे में, प्रति मीट्रिक टन लागत 300 रु. है। मा. मंत्री जी ने लौह अयस्क पर 300 रु. प्रति मीट्रिक टन से उत्पाद शुल्क लगाया है। मेरे मा. मित्र, श्री सतपती, जो उड़ीसा से हैं, ने पहले ही इसका उल्लेख किया है। गोवा में भी, यही स्थिति है। इस क्षेत्र में बहुत से लोगों को रोजगार मिला हुआ है। जब पर्यावरण को नुकसान हो और आपके पास ऐसा उद्योग हो, तो कोई परेशानी नहीं होगी। इससे रोजगार सृजन होगा और हम विदेशी मुद्रा भी अर्जित करेंगे। कुछ समय के लिए, हमें लौह अयस्क पर लगने वाले कर को हटाना होगा। मुझे आशा है कि मा. वित्त मंत्री जी इन सभी बातों पर विचार करेंगे और चर्चा पर अपना उत्तर देते समय इन पहलुओं पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे।

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा): सर्वप्रथम, मैं वित्त मंत्री जी की बागवानी क्षेत्र में हमारे समक्ष आ रही समस्याओं पर विचार करने और तदनुसार विशेष प्रयोजन चाय कोष (स्पेशल प्रपज की फंड) की घोषणा करने और कॉफी, रबड़ मंत्रालयों, काजू तथा नारियल जैसे अन्य उत्पादों के लिए इसी तरह की योजना से शुरू करने का आश्वासन देने के लिए सराहना करती हूं। मैं नारियल जूट उद्योग के आधुनिकीकरण हेतु पैकेज का भी स्वागत करती हूं। लेकिन मुझे दुख है कि कृषि विकास में कमी आई है। कृषि क्षेत्र कई वर्षों से संकट का सामना कर रहा है। इस बजट में भी कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर पाने के लिए अपर्याप्त है। कम ब्याज दर पर आसान ऋण की मांग पूरी नहीं हुई है। किसानों को 4 प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण देने का स्वामीनाथन आयोग का सुझाव स्वीकार किया जाना चाहिए था और उसे लागू किया जाना चाहिए था, लेकिन यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बजट में डा. स्वामीनाथन के नाम का उल्लेख भी नहीं किया गया है, मेरा दूसरा अनुरोध यह है कि सरकार को बारहमासी फसलों सहित सभी फसलों को राष्ट्रीय बीमा के अंतर्गत लाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य मिले।

यह स्वागत योग्य कदम है कि लगभग उन सभी जिलों को जहां कृषि संबंधी गंभीर संकट है, को एनआरईजीए योजना के कार्यान्वयन हेतु शामिल किया गया है। केरल में पांच जिले इस संकट से बुरी तरह प्रभावित है, यद्यपि चार जिलों को इस योजना में शामिल किया गया है, लेकिन अलप्पुझा जिले को छोड़ दिया गया है। अलपुझा केरल का चावल का कटोरा है और इस जिले को भी इस योजना में शामिल करना अतिआवश्यक है। कृपया एनआईईजीपी के अंतर्गत लघु और सीमान्त किसानों के धान के खेतों में कृषि कार्यकलापों को भी अनुमति दें। कृपया, एनआरईजीपी के अंतर्गत गरीबों के लिए गहन श्रमिक आवसन को भी इस शर्त के साथ शामिल करें कि अतिरिक्त सामग्री घटक को राज्य सरकार और स्थानीय स्व-शासन द्वारा पूरा किया जाएगा।

देश भर में फैले 7 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों में लगभग 14 लाख महिलाएं कार्यरत है। आंगवाड़ी कामगार समाज की विशेषकर ग्रामीण गरीबों की सराहनीय सेवा कर रहे हैं। इनके सेवा क्षेत्र में विद्यालय पूर्व शिक्षा, अनुपूरक पोषण, स्वास्थ्य और सन्दर्भित सेवाएं, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं और छह वर्ष से कम आप के बच्चे शामिल हैं। लेकिन यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन गरीब महिलाओं को अल्प वेतन पर कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। एक आंगनवाड़ी कामगार को 1000 रुपये तथा सहायक को 500 रुपये का मानदेय दिया जाता है। आंगनवाड़ी में विभिन्न अन्य सरकारी योजनाओं को शामिल करते हुए, इस पूर्णकालिक सेवा बनाकर इसको बाल परिचर्या-सह-शिशु गृह में बदला जाना चाहिए। रहन-सहन की बढ़ती लागत को देखते हुए पारिश्रमिक को पर्याप्त रूप से बढ़ाना होगा। आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या को प्रति केन्द्र 1000 लोग के अनुपात तक बढ़ाया जाना चाहिए। कृपया, इस बात पर विचार किया जाए।

छात्रवृत्तियों की संख्या को एक लाख तक बढ़ाने तथा पांच लाख नए कक्षा कक्षों के निर्माण का निर्णय प्रशंसनीय है। लेकिन शिक्षा क्षेत्र की वर्तमान समस्याओं से निपटने के लिए यह काफी नहीं है। विद्यालय बीच में ही छोड़ने वाले छात्रों, विशेषकर बालिकाओं की दर अत्यधिक है। इसका मूल कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचनागत सुविधाओं की कमी है। माता-पिता अपनी लड़कियों को दूर क्षेत्रों में पढ़ाने के लिए भेजना नहीं चाहते हैं। प्रत्येक गांव

में हाई स्कूल की सुविधा होनी चाहिए। कई स्कूलों में शौचालय भी नहीं है। इन सभी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। इसके लिए वर्तमान आवंटन अपर्याप्त है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शिक्षा हेतु 6 प्रतिशत आवंटन और स्वास्थ्य के लिए 3 प्रतिशत आवंटन का सुझाव है, लेकिन इसे अभी साकार नहीं किया गया है।

मेरी अंतिम बात मुद्रास्फीति और महंगाई के संबंध में हैं। बढ़ती मुद्रास्फीति और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि गम्भीर मुद्दा है। लेकिन बजट में महंगाई कम करने और मुद्रास्फीति रोकने का कोई ठोस सुझाव नहीं दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने और खाद्यान्नों की प्रभावी खरीद के द्वारा इस संबंध में तत्काल ठोस उपाय किये जाने चाहिए। खाद्यान्नों के आयात से न तो देश का और न ही कृषि क्षेत्र का भला होगा।

सभापति महोदय: डा. शफीकुर्रहमान बर्क-उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): सभापति महोदय, इस बजट में आम आदमी के लिए बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो यह बजट आम आदमी के लिए नहीं है, खास आदमी के लिए है। आदमी के लिए रोटी भले ही महंगी हो रही हो, परन्तु इस बजट में कुत्ते, बिल्लियों का खाना सस्ता हो गया है। इस पर इम्पोर्ट ड्यूटी तीस प्रतिशत से घटाकर बीस प्रतिशत कर दी गई। इम्पोरटेड हीरे भी सस्ते हो जाएंगे, इन पर कस्टम ड्यूटी पांच प्रतिशत से तीन प्रतिशत हो जाएगी। मंत्री जी का यह कहना कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, जिससे महंगाई को रोका जा सके। इनके इस तरह के वक्तव्य से राजनैतिक मजबूरी झलकती है। वास्तव में वह निर्णय लेने के स्थान पर हैं। उन्हें वोट बैंक की राजनीति को छोड़ कर महंगाई को कम करने के लिए कठोर निर्णय लेने चाहिए। यहां किसानों के संबंध में, कृषि के संबंध में चर्चा की गई। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन्होंने संत तिरूवल्लुवर के वाक्य को कोट किया, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मंत्री जी, जब कड़कड़ाती ठंड पड़ती है और हम अपने घरों में हीटर जला कर रजाईयों में पड़े होते हैं, उस समय किसान रात भर जाग कर खेतों में अपनी फसलों की सिंचाई करता है।

सभापति महोदय, मार्च-अप्रैल की चिलचिलाती धूप में जब हम ए.सी. कमरों में बैठे रहते हैं, तब किसान धूप में अपनी फसल काटता है और जब तक उस फसल को वह अपने घर पर नहीं ले आता है तब तक वह चैन की नींद नहीं लेता है। जब वह अपनी फसल को लेकर घर आता है और अपने माथे का पसीना भी नहीं पहुंच पाता है, तब तक साहूकार अपनी लेनदारी वसूल करने दरवाजे पर पहुंच जाता है और बैंक वाले उसका ट्रैक्टर उठाने के लिए पहुंच जाते हैं। किसानों का जन्म कर्ज में होता है, मृत्यु कर्ज में ही होती है और वह अपने बालकों को कर्ज में ही छोड़ जाता है। इसलिए कृषि के संबंध में दीर्घकालीन नीति बनाने की आवश्यकता है। सरकार को किसानों की उपज का समर्थन मूल्य बढ़ाने के बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिए। जब गांवों में किसानों की उपज का समर्थन मूल्य बढ़ाने के बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिए। जब गांवों में किसानों की खेती की हालत सुधरेगी, तभी देश तरक्की करेगा। गांवों में जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। जब तक उन्हें रोजगार के अवसर नहीं दिये जाएंगे तब तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती है।

महोदय, अभी हमारे बहुत से सांसद साथियों ने कहा कि अब मार्च महीना चल रहा है और इस महीने में अचानक बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों को बुरी तरह तोड़ दिया है। ऐसे अवसरों पर उन्हें विशेष आर्थिक सहायता देने के बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। किसानों के ऊपर कर्जे का जो निरन्तर चक्र बना हुआ है उसे समाप्त करने के लिए सरकार को 25 या 50 हजार रुपये तक के किसानों के कर्जों को माफ करने के बारे में विचार करना चाहिए, जिससे किसान आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकें।

महोदय, वित्त मंत्री जी ने आर्थिक सर्वेक्षण में पेंशन एक्ट में सुधार की बात कही थी, लेकिन बजट भाषण में इस संबंध में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने देश के कुल विकलांगों में से सिर्फ 1 लाख विकलांगों को रोजगार के अवसर सृजन करने में सहायता देने की बात कही है, लेकिन उन्हें एम्पलायमेंट कैसे देंगे, इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। देश के विकलांगों में से केवल 1 लाख विकलांगों को रोजगार देने से क्या देश के विकलांग समृद्ध हो जाएंगे? इस बारे में आपको उदारता से सोचना चाहिए।

महोदय, सरकार ने न्यूनतम मजदूरी भी काफी कम निर्धारित की है। अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में 74 प्रतिशत गरीब हैं, उनके लिए बजट में किसी प्रकार के आवंटन की बात नहीं कही गई है। आम आदमी के लिए जो बीमा योजना आपने घोषित की है, उसमें भी आप 50 प्रतिशत राज्य सरकारों से अपेक्षा कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस मद में तो केन्द्र सरकार को पूरा का पूरा 100 प्रतिशत धन वहन करना चाहिए।

महोदय, देश के कर्मचारियों को इस बजट से बहुत निराशा हुई है। उन्हें डेढ़ लाख रुपये तक की इन्कम टैक्स में छूट दिये

[श्री वीरेन्द्र कुमार]

जाने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें केवल 10 हजार की छूट दी गई है। प्रधान मंत्री रोजगार गारंटी योजना, बैंकों के मैनेजरों की कृपा योजना बनकर रह गई है। जब एक बेरोजगार को 1 लाख की बजाय केवल 60 हजार रुपये मिलेंगे, तो आप स्वयं सोचिए कि वह कैसे अपना उद्यम स्थापित कर पाएगा? हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इसे दूर करने हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

महोदय, असंगठित मजदूरों में कृषि में काम करने वाले, बीड़ी उद्योग में काम करने वाले, ईंट-भट्टा उद्योग में काम करने वाले, अगरबत्ती उद्योग में काम करने वाले मजदूर आते हैं। इनमें से सबसे अधिक मजदूर बीड़ी उद्योग में काम करते हैं। मध्य प्रदेश, प. बंगाल, उड़ीसा और बिहार राज्यों में बीड़ी उद्योग सबसे ज्यादा है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि बीड़ी उद्योग में न बिजली की आवश्यकता है, न पानी की आवश्यकता है और न ही सरकार से किसी प्रकार की सब्सिडी की आवश्यकता है। अभी सरकार ने 7 रुपये से 11 रुपए बीड़ी पर उत्पाद शुल्क लगाने का जो निर्णय लिया है, इसके कारण आज बीड़ी उद्योग संकट में है। बीड़ी उद्योग को विचार करने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि वे कैसे इस उद्योग को निरन्तर चला पाएंगे? यह उद्योग ऐसे क्षेत्रों में चलता है, जहां लोग पैदल भी नहीं पहुंच पाते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति की महिला और वृद्ध इस बीड़ी उद्योग से अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं। अभी हमारे श्री किन्जरपु येरननायडु ने 5 जुलाई के राजपत्र में प्रकाशित चित्रों का उल्लेख किया। इनसे बड़ी उत्पादनकर्त्ताओं के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। आज वे सोच रहे हैं कि उनकी रोजी-रोटी कैसे चलेगी, इसके लिए वे क्या करें? यह समस्या उनके सामने मुंह बाएं खड़ी है। सरकार ने 20 लाख बीड़ी बनाने वालों को उत्पाद शुल्क में छूट दी है। इस छूट का लाभ कई बड़े बीड़ी निर्माता उठा रहे हैं और उनसे जो राजस्व सरकार को मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। ऐसे निर्माताओं को उससे नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही साथ बीड़ी मजदूरों को भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा निगम इत्यादि का जो लाभ मिलना चाहिए, वे उन लाभों से भी वंचित हो रहे हैं।

महोदय, महंगाई के पिछले रास्ता से आने की आशंकाएं पैदा हो गई हैं। सर्विस टैक्स में एजुकेशन सैस जुड़कर पब्लिक की परेशानियां बढ़ोगा। सर्विस टैक्स के रूप में वित्त मंत्री जी को एक दुधारू गाय मिल गई है, जिसे जमकर दुहा जा सकता है। बजट 2007-08 ने भी यही किया है। सर्विस टैक्स को सरकार दुधारू गाय नहीं पूरी डेयरी मानकर चल रही है। आर्थिक सर्वेक्षण के पेज नंबर 25 पर दर्ज है। 1994-95 से शुरू किये गये सेवा कर का दायरा धीरे-धीरे बढ़ाया गया। यह राजस्व का उत्साहवर्धक स्रोत रहा है। 1994-95 में तीन सेवाओं पर कर लगाया गया। 1996-97 में इनकी संख्या 6 तक लाई गई फिर 2006-07 में इन्हें 99 कर दिया गया। पहले यह कर आठ प्रतिशत था फिर दस प्रतिशत हुआ और बाद में 12 प्रतिशत हुआ। 2005-06 में इस मद से 23 हजार करोड़ रुपये वसूले गए थे। अनुमान के मुताबिक 2006-07 में यह वसूली 34 हजार करोड़ रुपये की है, यानी एक साल में करीब पचास प्रतिशत की बढ़ोत्तरी। ऐसी बढ़ोत्तरी वाले क्षेत्र को वित्त मंत्री आसानी से छोड़ देंगे, ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी।

गरीबी बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए दृष्टि एवं तीव्र इच्छाशक्ति की कमी दिखायी दी।

यह किसान, मजदूर, कर्मचारी, आम आदमी विरोधी, उत्साहहीन, निराशाजनक बजट है। इससे समाज के किसी वर्ग का भला नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री आर.एल. जालप्पा (चिकबलपुर): सभापति महोदय, सामान्य बजट 2007-08 पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, अपने कॉलेज के दिनों में हम यह पढ़ा करते थे कि भारतीय किसान कर्ज में जन्म लेता है। उसी में जीवन व्यतीत करते हैं और कर्ज में ही मरते हैं। हम अपनी स्वतंत्रता का 60वां वर्ष मना रहे हैं। 60 वर्षों के बाद भी किसानों को स्थिति ज्यों का त्यों हैं। उन्हें अभी भी कर्ज लेना पड़ रहा है और वे अभी आत्मनिर्भर नहीं है।

मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। माननीय वित्त मंत्री ने कृषि के लिए और अधिक पैसा दिया है। इससे हमारा कृषि उत्पादन कितना बढ़ेगा? मुझे लगता है कि गेहूं और दालों का आयात करना देश के लिए शर्म की बात है। अभी हाल में हमने गेहूं और दालों का आयात किया। इसे रोकना ही होगा। हमें यह देखना ही होगा कि कृषि के लिए हम जो भी पैसा आवंटित करते हैं उसका उचित उपयोग तो और हम सभी कृषि उत्पादों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बने।

हमारे पास तेल का अभाव है तथा इसीलिए माननीय मंत्री महोदय ने तेल पर शुल्क में कमी की है। यह स्वागत योग्य कदम है।

इसके उपरान्त, माननीय मंत्री महोदय ने कृषि ऋण के लिए और 35,000 करोड़ रुपया आवंटित किये हैं। ऐसा अब तक चलेगा? मैं माननीय मंत्री महोदय से यह उत्तर देने का आग्रह करूंगा कि अभी तक कितने किसानों को वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों से ऋण लिया है तथा उनमें से कितने किसान 10 वर्षों से अधिक समय से ऋण ले रहे हैं? हमें एक किसान द्वारा ऋण लेने की सीमा का निर्धारण करना ही होगा। प्रत्येक वर्ष ऋण राशि में कमी लानी होगी तथा 10 वर्षों के बाद उसे ऋण नहीं लेना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें उसे कम से कम 10 वर्षों के अन्य आत्मनिर्भर बनाना होगा। अत: ऐसे उपाय किये जाने चाहिए जिससे कि किसान अपनी मृत्यु के समय तक ऋण न लेता रहे। यह करना ही होगा। इस वर्ष सरकार और 50 लाख किसानों को सहकारी बैंकों द्वारा दी जाने वाली ऋण सुविधा के अन्तर्गत रही है। यह अच्छी बात है। परन्तु, जैसा कि मैंने बताया, मंत्री महोदय को ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए कि कितने किसानों ऋण लिया है तथा उनमें से कितने किसानों ने 10 वर्षों से अधिक समय से ऋण ले रखा है।

अपराह्न 2.00 बजे

ऋण विस्तार के लिए कितना दिया जा रहा है? कभी कभी ऐसा होता है ऋण लेने वाला 10,000 रुपया ऋण लेता है। अगले वर्ष वह किसी व्यक्ति से 15,000 रुपयों का ऋण लेता है, क्योंकि वह 10000 रुपये की पिछली राशि की अदायगी करने में असमर्थ है। इस नए ऋण से वह पुराना ऋण अदा करना है और ऋण में बढ़ोत्तरी हो जाती है। यह उचित नही है। हमें इन सभी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा।

जहां तक सिंचाई का प्रश्न है, मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि सिंचाई के लिए आवंटित राशि बहुत कम है। सिंचाई को शीर्ष वरीयता देनी होगी। नदियों को जोड़ने पर ध्यान देना होगा। नदियों का राष्ट्रीयकरण करना होगा। राष्ट्रीय जल नीति बनानी होगी क्योंकि आप जानते ही हैं कि कर्नाटक और तमिलनाडु कावेरी जल मुद्दे पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इसलिए यह कार्य वरीयता आधार पर करना होगा। देश को इन मुद्दों के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता। यह देखना आवश्यक है कि राष्ट्रीय जल नीति को जितना जल्द हो सके, लागू किया जाए।

जहां तक जल स्रोतों को फिर से प्रभावी बनाने का प्रश्न है; मैं इस कदम को प्रशंसा करता हूं। परन्तु वर्षा कहां हो रही है? इन स्रोतों का उपयोग तभी हो सकता है, जब वर्षा हो अन्यथा वर्षा नहीं होने पर उनका कोई उपयोग नहीं है। जल स्तर बढ़ाने जैसे कार्य तभी किये जा सकते हैं जब हमें पानी मिले।

मैं सरकार से यह अपील करना चाहूंगा कि वह पांच एकड़ अथवा दस एकड़ भूमि वाले किसानों को अपनी एक एकड़ जमीन में पेड़-पौधे लगाने के लिए कहे अथवा उनके लिए पेड़-पौधे लगाना अनिवार्य कर दिया जाए। यदि वे पेड़ नहीं उगायेंगे, तो वर्षा नहीं होगी और हमें सूखे का सामना करना पड़ेगा। प्रत्येक वर्ष एक दूसरे राज्य में हम सूखे का सामना कर रहे हैं। पिछली वर्षा ऋतु में कर्नाटक के 175 में से 130 तालुकों में वर्षा नहीं हुई और उन्हें पेय जल की समस्या कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी ही स्थिति है। अत: सिंचाई के लिए अधिक निधियों प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय: आपका भाषण बहुत लम्बा है। आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं। यदि आप यह सब पढ़ेंगे तो थक जाएंगे।

श्री आर. एल. जालप्पा: महोदय, मुझे एक दो और बातों के बारे में कहना है। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय मंत्री महोदय ने शिक्षा को और अधिक महत्व दिया है तथा मैं इसका स्वागत करता हूं क्योंकि उन्होंने मध्याहन भोजन योजना तथा अपर प्राइमरी स्कूलों पर और अधिक बल दिया है। मैं अनुसूचित जातियों और अल्पसंख्यकों के लिए बजटीय आवंटन का भी स्वागत करता हूं। उन्होंने उनको और अधिक निधियां प्रदान की हैं। परन्तु पिछड़ी जातियों के मामले में क्या हुआ? जब उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अधिकार प्रदान करने के लिए 7500 करोड़ रु. की राशि दी है और जब अल्पसंख्यकों के अधिकार प्रदान करने के लिए हजारों करोड़ रुपये दिये गये हैं, तो पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए केवल 91 करोड़ रुपये की अल्पराशि क्यों दी गई? वे पिछड़े वर्गों को नाराज क्यों कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय को दयालुता दिखाते हुए पिछड़े वर्गों के विकास के लिए और अधिक निधियां प्रदान करनी चाहिए।

यह सरकार सभी वर्गों के छात्रों के लिए है। उन्हें पिछड़े वर्गों के लिए और निधियां देनी चाहिए। उच्चतर शिक्षा, विशेषकर आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कालेजों, इंजीनियरी कॉलेजों जैसी व्यावसायिक शिक्षा में खर्च की जाने वाली राशि छात्रों से वसूल की जानी चाहिए। छात्रों को शिक्षा की लागत का भुगतान करना चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि विश्व के किसी भी देश में मामूली फीस लेकर नि:शुल्क शिक्षा नहीं दी जाती है। इसलिए इस राशि को वसूलना चाहिए ताकि इसका प्राथमिक और अपर प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा देने में निवेश किया जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का स्वागत और समर्थन करता हूं।

अपराह्न 2.05 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, मैं नहीं जानता कि कहां से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं और कहां चोट करूं लेकिन मुझे भारी दुख है। सचमुच में मुझे भारी दुख हुआ है। मैं कल्पना नही कर सकता कि उस सरकार का ऐसा बजट हो सकता है जिसे वामपंथी दलों का समर्थन प्राप्त हो, यह एकपक्षीय बजट है। यह वामपंथी दलों और संप्रग के बीच सहमति का बजट नहीं है। यह कहते हुए मुझे दु:ख हो रहा है कि हमारे सुझावों की अनदेखी की गई है। हमने व्यापक बजट का सुझाव दिया था; हमने कृषि संकट को दूर करने के लिए अधिक आवंटन की वकालत की थी। हमने रोजगार बढ़ाने, भूख और गरीबी दूर करने के लिए तथा समानता के साथ विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी अवसंरचना का सुझाव दिया था। हमारी आशाओं पर पानी फेर दिया गया है। हमने कर आधार को व्यापक करने का सुझाव दिया था। हमने कर और सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को बढ़ाने का सुझाव दिया था जिससे धनी व्यक्तियों से कर लिया जाए और गरीब का पेट भरने के लिए पैसा प्राप्त हो सके, हमने और अधिक शक्ति से घरेलू संसाधनों को जुटाने का सुझाव दिया था हमने ईमानदारी से चाहा था कि देश की कर क्षमता का पूर्णत: दोहन हो।

हमने सरकार से चाहा कि वह विगत को भूलकर जो शुरूआत करे। लेकिन दुर्भाग्यवश, हमारी सभी आशाओं पर पानी फेर दिया गया है। मुझे विवश होकर यह कहना पड़ रहा है कि यह गरीब आदमी का बजट नहीं है। बजट बनाने में खरबपतियों का प्रभाव रहा है। मैं इस बात को दोहराता हूं कि बजट पर खरबपतियों का प्रभाव रहा है। बजट को विकासमुक्त बनाने का नारा पूर्णत: मनगढ़ंत है। सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा को हास्यास्पद बना दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य मित्रवत चेतावनी, मित्रवत आलोचना सुनें। प्रश्न यह है कि इस बजट से और खरबपति बनेंगे। गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ जाएगी। यही नहीं औद्योगिक घराने दूसरे देशों में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। मंत्रीजी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन उनके पास उन लोगों को इस देश में सरकार द्वारा शुरू की गई आर्थिक विकास की प्रक्रिया से लाभान्वित नहीं हुए हैं, के लिये कुछ भी नहीं है। इसका आधार क्या है? माननीय मंत्रीजी बजट के आधार को जानते होंगे। इस बजट का आधार असाधारण मूल्य वृद्धि, कृषि में संकट, किसानों द्वारा आत्महत्याएं, घटते रोजगार के अवसर, महिलाओं और बच्चों सहित गरीबों का बदतर होता रहन-सहन का स्तर, रोजगार गारंटी योजना की ठीक शुरुआत न होना है। देश में श्रम कानूनों का पूरी तरह उल्लंघन हुआ है और वास्तविक मजदूरी में कमी आई है। यह एक पहलू है।

माननीय मंत्री जी और सरकार को चमक-दमक के बारे में सोचने दीजिए, मैंने निराशाजनक बातों से शुरुआत की, हमें जिस चमक की बातें कर रहे हैं वह है के मुनाफे में भारी वृद्धि। गरीब की रेखा से नीचे रहने वाले 30 प्रतिशत लोगों की भारत विश्व के धनी देशों में से एक देश है। विदेशी कंपनियों को खरीदने की सनक लगी है। मैं नहीं जानता कि क्या श्री मारन के पास अपना विमान है या नहीं या भविष्य में उनका अपना विचार होगा या नहीं।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): वह मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: आपके प्रति मेरे प्रेम के कारण।

उपाध्यक्ष महोदय: जब आपकी पार्टी से कोई सदस्य बोलेगा तो वह आपकी ओर से भी उत्तर दे सकेगा।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय निजी विमानों, आरामदायक निजी विमानों को खरीदने का चलान बढ़ा है। यदि हमारे लिये कोई करे तो, हम भी चाहते हैं कि विमान से यात्रा की जाये।

महोदय मैं आंकड़े दे रहा हूं। भारत में एक वर्ष में भव्य विवाह समारोहों पर लगभग दो बिलियन अमेरिकी डालर खर्च किये जा रहे हैं। भारत की इस सम्पन्नता चमक-दमक जिसके कारण वित्त मंत्री जी कहते हैं कि देश आर्थिक विकास की राह दर तेजी से अग्रसर है, के विपरीत भारत का दूसरा चेहरा भी है महोदय, ऐसी स्थिति में, वामपंथी दल सरकार को क्या कराना चाहते हैं, हम उच्च कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात चाहते हैं। यह मात्र 11.4 प्रतिशत है। इसमें गत वर्ष से मात्र 1 प्रतिशत की वृद्धि रही है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने श्री दयानिधि मारन के बारे में तो कुछ कहा है उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं इस पर विचार करूंगा। यदि इसमें कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की होगी तो मैं इसे कार्यवाही-वृत्तांत से हटा दूंगा।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, मैंने कहा कि श्री मारन के पास विमान होना चाहिए था। क्या यह असंसदीय है? *...(व्यवधान)*

श्री दयानिधि मारन: महोदय, मैं मंत्री हूं। मैं यहां मंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहा हूं *...(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैं क्षमा मांगता हूं। मंत्रियों के पास निजी विमान नहीं होना चाहिए। महोदय, मैं मानता हूं कि मंत्री के पास निजी विमान नहीं होना चाहिए *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं इसे बाद में देखूंगा।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: वामपंथी हर किसी से ईर्ष्या करते हैं। इसलिए चिंता न करें *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्री गुरुदास दासगुप्त: सही व्यक्तियों द्वारा कुछ गलत पाया जाना चाहिए। कहीं कुछ गलत पाया जाना चाहिए।

खैर, ऐसी परिस्थिति में, हम सकल घरेलू उत्पाद कर में सुधार करना चाहते थे और यह मात्र 11.4 प्रतिशत है जो कि विश्व में सबसे कम है, कर प्रणाली पश्चगामी है। कर की दर लगभग अमीर, अति अमीर, मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग के लिए समान है। सरकार सकल घरेलू उत्पाद कर अनुपात के एक और प्रतिशत से कितना अतिरिक्त राजस्व अर्जित कर रहा है। वे मात्र 67,901 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व के रूप में जुटा रहे हैं। दस्तावेजों में यही बात कही गई है।

महोदय, कृपया इस राशि की तुलना ब्रिटेन में विदेशी कंपनी को खरीदने के लिए यह कंपनी द्वारा व्यय किये गये राशि से कीजिए, वह 50,000 करोड़ रुपये है। सरकार इस बजट में अतिरिक्त कराधान के माध्यम से 47,901 करोड़ रु. जुटा रही हैं और टाटा कंपनी एक विदेशी कंपनी को खरीदने के लिए 50,000 करोड़ रु. सृजित करने में समर्थ है। हम इसी भारत का निर्माण कर रहे हैं। हम इसी देश का निर्माण कर रहे हैं। यह सबके लिए मुफ्त है, उस पर और कर नहीं। बैंक किसानों को ऋण नहीं दे रहे हैं किंतु वे टाटा कंपनी को ऋण दे रहे हैं ताकि वह एक विदेशी कंपनी खरीद सके, जिससे भारत के लोगों का भला नहीं होगा।

चूंकि लाभ नाटकीय रूप से बढ़ रहे हैं, क्या मा. मंत्री जी इस पर ध्यान देकर अपने वरिष्ठ मंत्री जी को इससे अवगत करायेंगे-चूंकि कर नाटकीय ढंग से बढ़ रहे हैं, केवल रियायतें वापस लेने से ही 1,50,000 करोड़ रु. जुटाये जा सकते थे। इस सरकार के मा. सदस्य, विपक्ष के मा. सदस्य और मा. मंत्री जी कृपया इस बात पर ध्यान दें कि यदि रियायतें हटा दी जातीं, तो कृषि, रोजगार सृजन और मुद्रास्फीति पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु 1,50,000 करोड रु. जुटाये जा सकते थे। सरकार के पास कोई राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं कि वह अरबपतियों को पकड़ सके। मुझे देश के अरबपतियों से ईर्ष्या है, क्या इस सभा में कोई अरबपति है। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। 36 अरबपति हैं, शायद एक पंजाब से है पता नहीं। इन 36 खरबपतियों की कुल संपत्ति 6,00,000 करोड़ रु. है और केन्द्र सरकार का बजट 6,80,521 करोड़ रु. का है। यह समानान्तर अर्थव्यवस्था है। अरबपतियों के पास उतनी ही संपत्ति है जितनी भारत सरकार एक वार्षिक बजट के लिए जुटा सकती है। महोदय, हम इसी भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। क्या यह शर्मिन्दा होने का मामला है अथवा खुशी मनाने का, सरकार और मा. मंत्रियों को चाहिए कि वे इस पर विचार करें।

हर कोई जानता है कि कृषि संकट में है। सरकार ने इस बजट में क्या किया है? यह शर्मनाक कहानी है। कृषि उत्पादन अस्थिर और घटता-बढ़ता रहता है। क्या कारण है? महोदय, 50 प्रतिशत कृषि भूमि पर सिंचाई नहीं होती। भूमि के बड़े असिंचित हिस्से पर सिंचाई करने हेतु हमें कितना पैसा चाहिए? हमें 50,000 करोड़ रु. चाहिए। यह देश के प्रख्यात अर्थशास्त्रियों का अनुभव है। हमारा खर्च कितना है? सिंचाई पर हम 11,000 करोड़ रु. खर्च करते हैं, जो बहुत ही कम राशि है जबकि हमें इसके लिए 50,000 करोड़ रु. चाहिए। जब कृषि संकट में है, और देश में खाद्य सुरक्षा नहीं रही तथा हमें विदेशी मुद्रा खर्च करके विदेश से आयात करना पड़ता है, किसानों को कम पैसा दिया जाता है और विदेशी निर्यातकों को ज्यादा पैसा चुकाया जाता है, इस समय हमें कृषि में सुधार करने के लिए 50,000 करोड़ रु. चाहिए। हमें मात्र 11,000 करोड़ रु. आवंटित किये गये हैं।

श्री चिदम्बरम की आकांक्षा क्या है? उनकी आकांक्षा है कि 2.4 मिलियन हेक्टेयर पर खेती हो। मैं उनके इस आंकड़े पर प्रश्न करता हूं। मेरा घटना है कि मात्र 11,000 करोड़ रु. वे लक्षित क्षेत्र के 60 प्रतिशत भाग पर ही सिंचाई कर सकते हैं। बैंक ऋण कितना है? कृषि के ऋण नहीं मिल पाने के कारण इसे नुकसान हो रहा है। बैंक ऋण कितना है? मा. मंत्री जी कहते हैं कि बैंक किसानों को 2,25,000 करोड़ रु. का ऋण देंगे। ब्याज की दर कितनी है? यह शर्मनाक बात है। आपने अपनी स्वामीनाथन समिति

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री गुरुदास दासगुप्त]

ने चार प्रतिशत साधारण ब्याज दर का सुझाव दिया है, तथा शर्म की बात और सनक की बात है कि सरकार सात प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज दर पर सहमत हुई है। सरकार किसानों के सामने घड़ियाली आंसू बहा रही है तथा किसान देश में आत्महत्या कर रहे हैं। यह दिखावटी है।

श्री दयानिधि मारन: यह अच्छा है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैं श्री मारन की प्रसंसा की सराहना करता हूं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): आप भी दिखावा कर रहे हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, अगर कोई व्यक्ति दिल से कोई बात कहे, तो निष्ठुर लोग यही बोलेंगे कि यह बात दिल से नहीं बोली जा रही है। मैं क्या कर सकता हूं?

महोदय, सरकार ने अब ग्रामीण ऋणग्रस्तता संबंधी समिति बनाने का निर्णय लिया है। यह घाव पर नमक छिड़कने वाली बात है। सरकार को यह जानने की आवश्यकता है कि ग्रामीण ऋणग्रस्तता क्या है। जब मैं एक विद्यार्थी था, जब मैं एम.ए. कर रहा था, मुझे पता था कि मैं ग्रामीण ऋणग्रस्तता संबंधी एक समिति भी रिपोर्ट उत्तरपुस्तिका पर लिख रहा था। कितने साल पहले?

वो सब होने पर, आज सरकार को ग्रामीण ऋणग्रस्तता संबंधी समिति की जरूरत है। क्या सरकार को यह शोभा देता है? अथवा, क्या सरकार के लिए यह शर्मनाक बात है? मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि देश को यह बात पता होनी चाहिए।

कृषि उत्पाद के लाभकारी मूल्य का कोई जिक्र नहीं है। लोग आत्महत्यायें कर रहे हैं क्योंकि देश के विभिन्न भागों में उन्हें कीमत नहीं मिलती। कृषि उत्पाद के लाभकारी मूल्य का कोई जिक्र नहीं है। सरकार ने गेहूं खरीदी। उसका मूल्य कितना था? यह मूल्य 560 रु. था। सरकार ने किस मूल्य पर आयात किया? आयात मूल्य 1,000 रु. प्रति क्विंटल था?

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री गुरुदास दासगुप्त: कृपया मुझे थोड़ा सा समय और दीजिए। मैं अपनी बात यथाशीघ्र समाप्त करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: आप अब तक 15 मिनट का समय ले चुके हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैंने उससे थोड़ा सा ज्यादा समय मांगा है।

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे मालूम है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: आपका बड़प्पन है कि मुझे थोड़ा समय और मिल जायेगा। मुझे मालूम है।

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे विचार में, तब आपके दल के अन्य सदस्य चर्चा में भाग नहीं लेंगे।

श्री गुरुदास दासगुप्त: कोई भाग नहीं लेगा। आप मुझे समय दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: बजट में विस्तृत सामाजिक सुरक्षा का कोई उल्लेख नहीं है। कांग्रेस पार्टी में सारे पूर्व समाजवादी लोगों और व्यापार संघों में शामिल सभी लोगों को इस बात को समझना चाहिए।

बजट में विस्तृत सामाजिक सुरक्षा का कोई उल्लेख नहीं है। किसान लगातार दरिद्र हो रहे हैं। हालांकि मा. प्रधान मंत्री जी ने उन स्थानों का दौरा किया जहां किसानों ने आत्महत्यायें कीं, किंतु फिर भी आत्महत्यायें हो रही हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी महान और दरियादिल इंसान हैं। फिर भी, प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति किसानों में विश्वास नहीं जगा सकती। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? मा. प्रधान मंत्री जी भी विश्वास नहीं जगा सकते? किसान आत्महत्यायें कर रहे हैं। किसान किस पर विश्वास करें?

सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि किसान निर्धन होता जा रहा है। महोदय, बार बार आने वाले कृषि संकट माननीय प्रधानमंत्री जी को यह महसूस करने पर विवश कर देंगे कि कृषि उत्पादन में चार प्रतिशत की वृद्धि का उनका स्वप्न एक दिवास्वप्न भर था। श्री चिदम्बरम इस बात का ध्यान नहीं रखते कि उनके अपने प्रधानमंत्री का स्वप्न पूरा हो। यह ऐसी सरकार है जिसका हम यहां समर्थन कर रहे हैं।

दूसरी तरफ, यह दिखाने के लिए कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी बेशर्मी से गरीबी की समस्या की अनदेखी कर रही है, मैं दो उदाहरण देना चाहूंगा। रोजगार गारंटी योजना को ही लीजिए। मैडम सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। उस परिषद ने सुझाव दिया कि रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपये प्रति जिले के हिसाब से दिये जाएं। यह उनकी समिति हैं। दो सौ जिले शामिल

किये गये थे। पिछले बजट में कितना आवंटन किया गया था? पिछले बजट में 11,300 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे। श्रीमती सोनिया गांधी तक के सुझावों को दरकिनार कर दिया गया था। सरकार में माननीय वित्त मंत्री बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए हैं।

...(व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): क्या वे इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि इसके बावजूद अपने पद पर बने रहें? *...(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: यह तो सरकार को समझना है कि वे अधिक शक्तिशाली हो गए हैं कि बन रहे यह भार बन गए हैं कि इसे ढोया न जाए। इस पर तो सरकार को ही विचार करना है। *...(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): यह जिम्मेदारी आप पर भी आती है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैं इस विषय पर भी आ रहा हूं। मैं इस पर टिप्पणी करूंगा। चिन्ता न करे।

मैं आंकड़े दे रहा हूं। 100 करोड़ रुपये प्रति जिले के हिसाब से 200 जिलों के लिए 20,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी लेकिन 11,300 करोड़ रुपये की राशि ही आवंटित की गई। अब ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह इसके लिए मंत्रिमंडल में कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। हमें मंत्रिमंडल के बारे में थोड़ी सी जानकारी सूचना के अधिकार के कारण मिली हैं। डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस बात के लिए कड़ा प्रतिरोध किया कि और 200 जिलों को शामिल किया जाए।

लेकिन मैं पुन: यह बात कह रहा हूं कि वित्त मंत्री अधिक शक्तिशाली हैं। इसलिए 200 नहीं बल्कि 130 जिले शामिल किये गये। आवंटन में कितनी बढ़ोत्तरी हुई? मेरी आंखों से आंसू नहीं टपकेंगे क्योंकि वे सूख चुके हैं। उन्होंने केवल 12000 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। उन्हों 130 अतिरिक्त जिलों के लिए केवल 12000 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। आवंटन में 700 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है। जिसकी मैं बात कर रहा हूं यह कृत्रिम आसूं है।

यह सर्वसमावेशी विकास के प्रति सरकार की वचनबद्धता की एक और परीक्षा है। मेरे प्रिय मित्रों, कितनी आडम्बरपूर्ण उक्ति है। वे सर्वसमावेशी विकास का नाम लेते हैं। राजनीति में सभी अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं। 'सर्वसमावेशी' का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि विकास का लाभ सभी को मिले। वही सर्वसमावेशी बजट होता है। महोदय, क्या यह नहीं है? मैं वित्त मंत्री जी के प्रतिनिधि से पूछता हूं। आपका बजट कितना सर्व समावेशी है? एक ओर उदाहरण देता हूं कि यह कितना सर्वसमावेशी है?

समेकित बाल विकास योजना को ही लीजिए *...(व्यवधान)* हमें वाम दलों और दक्षिणी दलों की बात न करके पूरे देश की बात करनी चाहिए *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: हमारे पास समय बहुत कम है। कृपया उनको बोलने दो। माननीय सदस्य के भाषण में बाधा न डालें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री गुरुदास दासगुप्त, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त: आप ही लेफ्ट-राइट कर रहे थे और आफ लेफ्टराइट कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री गुरुदास दासगुप्त, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री गुरुदास दासगुप्त: आप ही लेफ्ट राईट की बात करते रहे हैं। देश लेफ्ट राईट की बात कर रहा है। यह प्रगति को बात है। लेफ्ट राईट की बात नहीं करनी चाहिए *...(व्यवधान)*

समेकित बाल विकास योजना को ही लीजिए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि बच्चों तथा योग्य माताओं का ध्यान रखा जाए। नवीनतम सर्वेक्षण क्या कहते हैं? नवीनतम सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत के 46% बच्चों का वजन अपेक्षित से कम है। बड़ी शर्म की बात है कि आठ वर्षों से यही स्थिति बनी हुई है। एक वर्ष में हमारे यहां बारह अतिरिक्त खरबपति बन जाते हैं।

आठ वर्षों में अपेक्षित से कम वजन वाले बच्चों का आंकड़ा नहीं बदला है। कितनी शर्म की बात है? भारत के 46% बच्चों का वजन कम हैं, समेकित बाल विकास योजना भी पिछले वर्ष जितनी ही हैं। आवंटन कितना है? विगत वर्ष यह 5000 करोड़ रुपये था और इस वर्ष भी आवंटन 5000 करोड़ रुपये है। हमारे पास गरीबों, विपन्न और देश की हाशिये पर रहने वाले लोगों के प्रति सरकार की कृत्रिम वचनबद्धता का एक और उदाहरण है।

[श्री गुरुदास दासगुप्त]

सर्वसमावेशी विकास के कुछ और उदाहरण देता हूं। सामाजिक क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल खर्च में कमी आई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे देश जहां 30% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हों, और वहां सामाजिक क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में होने वाले खर्च में आ जाए। मैं आंकड़े देता हूं। पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान में यह सकल घरेलू उत्पाद का 6.23 प्रतिशत था और इस वर्ष यह वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद का 6.04% है। इसलिए, सामाजिक क्षेत्र पर होने वाले खर्च में कमी आई है। इससे क्या सिद्ध होता है? खरबपतियों की संख्या बढ़ी है और कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया है लेकिन इस देश में सामाजिक क्षेत्र पर होने वाले खर्च में कमी आई है।

सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा और स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में गिरावट आई है। शिक्षा में यह गिरावट 2.88% से घटकर 2.87% हो गया है और स्वास्थ्य में यह 1.41% से घटकर 1.39% हो गया है। शिक्षा के प्रसार और सार्वभौमिकरण के प्रति सरकार की वचनबद्धता का यह एक और उदाहरण है।

अब मैं रोजगार पर आता हूं। वर्ष 1983 में श्रमिक बल के अनुपात में 2.88% बेरोजगार थे। आज यह प्रतिशत 3.8 है। रोजगारविहीन विकास हो रहा है। एक बार फिर सरकार को यह स्वीकार करना होगा कि यह बेरोजगारी की स्थिति में परिवर्तन लाने में नाकामयाब रही है।

प्रत्येक चौथा भारतीय गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है। मैं सरकार के ही आंकड़े का प्रयोग कर रहा हूं जोकि 26% है। यह संख्या कम करके बताई गई है क्योंकि किसी व्यक्ति की भूख का निर्धारण करने में खुराक की कैलोरी आधार नहीं हो सकती। जीने के लिए व्यक्ति को न केवल दाल रोटी चाहिए बल्कि पानी, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और सब कुछ चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के 60 वर्ष बाद भी हर चौथा भारतीय गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है। हमारे यहां 36 खरबपति हैं और हर चौथा भारतीय गरीबी रेखा से नीचे रहकर निर्वाह कर रहा है।

आर्थिक विकास के बावजूद, पंजाब और पश्चिमी बंगाल सहित 56% महिलाओं में खून की कमी है और तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों में 79% बच्चों में खून की कमी है। यह देश के नौकरशाहों के स्तब्ध होने से भी अधिक स्तब्धकारी है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपने आपके दल को आवंटित किये गये समय से भी अधिक समय ले लिया है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: कृपया मुझे थोड़ा और समय दीजिए। मैं समाप्त कर रहा हूं।

मानव विकास सूचकांक के विश्लेषण में भारत का 124वां स्थान था। गरीबों के प्रति सरकार की वचनबद्धता की महान सरपरस्ती में भारत का स्थान खिसकर 126वां हो गया है। इसमें और भी गिरावट आ रही है। दुर्भाग्य से इस देश में आयोजना के प्रभाव की निगरानी नहीं होती है। केवल सांख्यिकीय आंकड़े होते हैं जिन पर कभी भी प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। महंगाई बढ़ी है। यह अर्थव्यवस्था के सटोरियेपन के कारण बढ़ी है। विदेशी मुद्रा कमाने के लिए सरकार वास्तव में स्टॉक मार्केट को प्रोत्साहन दे रही है। पूरा देश, पूरी अर्थव्यवस्था सटोरियेपन का शिकार हो गई है। जमीन और खाद्यान्न में भी सट्टा लगा हुआ है। हो सकता है आदमी की जिन्दगी में भी सटोरियेपन आ गया हो। मुझे नहीं पता सटोरियापन के कारण ही मूल्यों में असामान्य बढ़ोत्तरी हुई है। मैं सरकार के आर्थिक दर्शन की प्रभावकारिता पर शंका प्रकट करता हूं। मौद्रिक उपायों से मूल्यों में कमी नहीं आने वाली। जमाखोरी का क्या हुआ? कालाबाजारियों को पकड़ने और आवश्यक वस्तु अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में क्या हुआ?

महोदय, मैं एक छोटे से वाक्य से अपनी बात समाप्त करता हूं। होटल व्यवसाय तथा शॉपिंग माल की चमक दमक, भव्य गगनचुम्बी अट्टालिकाएं, विदेशी मुद्रा में कृत्रिम बढ़ोत्तरी, स्टॉक मार्केट में कृत्रिम उछाल और विदेशी मुद्रा का अचरज प्रवाह अर्थव्यवस्था के पिछवाड़े में रह रहे वंचित तथा अल्पविकसित क्षेत्रों में छाए अंधकार को छिपा नहीं सकता।

हमने बजट का जो समर्थन किया वह नकारात्मक समर्थन है। यह नकारात्मक समर्थन है और माननीय वित्त मंत्री जी कृपा करके इसे ध्यान में रखें।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री शंखलाल माझी से अनुरोध करने से पहले मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि मेरे पास वक्ताओं की बहुत लम्बी सूची है। मेरे पास 55 से भी अधिक वक्ताओं की सूची है जो बोलना चाहते हैं। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात बहुत ही संक्षेप में कहें और केवल सुझाव देने का ही प्रयास करें।

श्री पी. चिदम्बरम: दो घंटे पहले वक्ताओं की संख्या केवल 50 थी।

उपाध्यक्ष महोदय: एक और अनुरोध है कि वे माननीय सदस्य जो अपने भाषण लिखित रूप में देना चाहते हैं वे उन्हें

सभा के पटल पर रख सकते हैं और यह कार्यवाही का हिस्सा बन जाएंगे।

श्री शंखलाल माझी (अकबरपुर): सर, आपने बजट पर बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। बजट सरकार की नीतियों का आइना होता है। इस साल के बजट आइने में समाज के नंगे, भूखे, प्यासे व्यक्ति के लिए क्या हुआ, क्या राहत दी गयी, यह दिखना चाहिए। इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है। हमें अफसोस है कि माननीय वित्त मंत्री के जादुई आंकड़े वाले इस बजट में नंगे-भूखे लोगों के लिए कुछ खास नहीं दिया गया है। अगर दिया है, तो कमरतोड़ महंगाई दी है। देश के करोड़ों लोगों की थाली से दाल की कटोरी का गायब हो जाना, इस बजट की देन है। देश का जीडीपी ग्रोथ रेट 9.2 प्रतिशत या इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ-रेट 9.3 प्रतिशत, सर्विस क्षेत्र का ग्रोथ-रेट 11.2 प्रतिशत है। बचत दर 32.5 प्रतिशत से अधिक हुई, निवेश 35.8 प्रतिशत से अधिक हुआ, मुद्रास्फीति 21.3 प्रतिशत तक बढ़ा, विदेशी मुद्रा भंडार 180 अरब डालर तक हुआ, किंतु आज आम आदमी कहां खड़ा हुआ है? इस बजट में और पिछले साल के बजट में बहुत अंतर नहीं है। आज जिस तरह से देश में कमरतोड़ महंगाई बढ़ी है यह पिछले साल के बजट की ही देन है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की आबादी का 5 प्रतिशत यानी 6 करोड़ से 7 करोड़ लोग दो जून की रोटी के मोहताज हैं। इस हिसाब से जब 7 करोड़ से ज्यादा लोग दो जून की रोटी के मोहताज हैं और आज तक केन्द्रीय योजनाओं के अधीन मात्र 224.58 लाख परिवार ही उसमें सम्मिलित हुए हैं, कुल मिलाकर करीब ढाई करोड़ लोग मान लिये जाएं तो 38 प्रतिशत लोग ही अन्त्योदय योजना के अंदर आ पाए हैं शेष 62 प्रतिशत परिवार आज भी दो जून की रोटी के मोहताज हैं। जीडीपी ग्रोथ से काम नहीं चलने वाला है। इस बजट में जो दिखाया गया है उससे अलग आज गांव में गरीब के लिए आवास नहीं है, पानी नहीं है। मेरा कहना है कि उसके लिए क्या व्यवस्था हो रही है। सबसे ज्यादा जरूरत पानी पहुंचाने की है।

वर्ष 2006-07 तक इन्होंने जो लक्ष्य दिया था, लेकिन अभी तक 73110 नलों के सापेक्ष्य 55512 घरों तक ही पानी पहुंचाया जा सका है। 15 लाख आवासों के सापेक्ष्य 783000 घर ही बने हैं। 914000 घर केवल कागजों में ही तैयार हो रहे हैं। 19758 गांवों में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत कार्य हुआ, लेकिन देश में आज भी लाखों गांव विद्युत से महरूम हैं। 20000 गांवों के सापेक्ष्य केवल 15054 गांवों में टेलीफोन लग पाया है। यदि गांव में टेलीफोन लग जाएगा, गांव में टीवी लग जाएगा, इससे गांव की गरीबी दूर नहीं हो सकती है। देश का 71 परसेंट किसान आज भी खेती पर निर्भर करता है। एनडीए सरकार के समय खेती में निवेश घटा है। उसका परिणाम यह हुआ है कि देश का किसान भुखमरी का शिकार हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आज की बजट व्यवस्था में जो सहूलियतें दी गई हैं, उस दिन वित्त मंत्री जी जब बोल रहे थे और करों में रियायतें दे रहे थे, उस समय किसानों के लिए, खेती के लिए कितना प्रावधान किया गया, यह काबिलेगौर है। इस देश की 71 प्रतिशत जनता आज भी खेती पर निर्भर है, उसके लिए सबसे कम व्यवस्था की गई है। केवल डेढ़ करोड़ लोगों को आम आदमी बीमा योजना दी गई है। इस देश की 37 करोड़ जनता खेतिहर मजदूर है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? क्या केवल डेढ़ करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था करने से काम चल जाएगा? कब तक ऐसा होता रहेगा? वित्त मंत्री जी का बजट पूरी तरह से किसान, गरीब और मजदूर विरोधी है, इस देश के विकास का विरोधी है। मैं यह नहीं मानता कि जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाने से अथवा सेंसेक्स बढ़ जाने से हमारे देश का ग्रोथ हो जाएगा। जब तक आम आदमी का ग्रोथ नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। वित्त मंत्री जी अपने बजट में कह रहे थे कि इस देश में कुत्ते और बिल्ली पालने वालों को उनके फूड में 30 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत राहत देते हैं। उनके चेहरे पर उस समय जो भाव झलक रहे थे, उसे देखकर लगता था कि उनके दिल में इस देश में कुत्ते, बिल्ली पालने वालों के प्रति सहानुभूति है, जिनकी संख्या जीरो प्रतिशत के आसपास है, जिन्हें वह सुविधा देते हैं, लेकिन गरीब, किसान और भूखे-नंगे परिवार के लोगों के प्रति हमदर्दी नहीं है, जिसे देखकर अफसोस होता है।

अंत में मैं इस जुमले के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि:

"जश्न ए जम्हूर में जलता है गरीबों का लहू
और मुझ को इस बज्म ए चिराग पर हंसी आती है।"

***श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव** (गोपालगंज): महोदय, माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम जी ने, जो 28 फरवरी, 2007 को इसी सभा पटल में बजट पेश करते हुए अपना भाषण संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा नवंबर 2006 में अपना आधा कार्यकाल पूरा करने के वाक्य से शुरू किया था। इस बात पर मैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार को बधाई देता हूं। सत्ताधारी दल के समर्थक दल का सदस्य होने के नाते मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किये गये आम बजट वर्ष 2007-08 का समर्थन करता हूं। वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि इस बजट में अनेक सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हैं, लेकिन बजट का पूर्ण विश्लेषण करने पर मुझे बजट के विभिन्न

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव]

बिंदू नकारात्मक ही देखने को मिले। लेकिन इस बजट को कहां तक समर्थन दिया जाए और कहां समर्थन से हट कर समालोचना की जाए, इस विषय पर अनुशासन की परिधि में रहते हुए मैं आम आदमी के हित में अपना और मेरे क्षेत्र की जनता का मत संक्षिप्त रूप से पेश करता हूं।

इस बजट में विस्तृत रूप से जिन मुद्दों का प्रावधान किया गया है जैसे-भारत निर्माण के लिए 24,603 करोड़ रुपये का प्रावधान, स्वास्थ्य के संबंध में 15,291 करोड़ रुपये का प्रावधान और शिक्षा के लिए 32,352 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। सर्व शिक्षा अभियान के लिए 10,571 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है, इस वजह से ग्राम-ग्राम में स्कूल खुल रहे हैं। मिड डे मील योजना के लिए 7324 करोड़ रुपयों का प्रावधान करके 3427 पिछड़े ब्लाकों में अप्पर प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को शामिल करना प्रशंसनीय है।

मीन्स-कम-मेरिट स्कालरशिप जो आठवीं कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एक नेशनल लेवेल परीक्षा उत्तीर्ण होने पर सालाना 6000 रु. नौवीं कक्षा से लेकर बारहवीं केक्षा तक देने का निर्णय अति प्रशंसनीय है। कुल मिलाकर बजट आम आदमी के हित में पेश करने का प्रयास माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है। परन्तु कुछ मुद्दे हैं जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के लिए आपने 12000 करोड़ रुपये (एनईआर को मिलाकर) का प्रावधान किया, उसे 330 जिले तक बढ़ाया है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस में बिहार का कोई भी जिला शामिल नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना स्कीम आप लाए हैं, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन बिहार में कहीं राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। बीपीएल परिवारों की सूची तक ठीक से नहीं बन रही है। गरीब आदमी का कार्ड नहीं बनाया जा रहा है। बीपीएल कार्ड के बिना उनको रोजगार गारंटी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। आप योजना के अंतर्गत फन्ड रिलीज करते हैं, लेकिन वह फंड गरीब आदमी तक पहुंच रहा है या नहीं इस पर कोई मानिटरिंग आप नहीं कर रहे हैं। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत 2800 करोड़ रुपये का प्रावधान जो आपने रखा है, उसमें बिहार नहीं दिखायी देता है।

विनिर्माण के क्षेत्र को वर्ष 2007-08 के बजट में वृद्धि का मुख्य आधार और उस क्षेत्र को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभ संकेत माना है। इस क्षेत्र की वृद्धि 8.7 प्रतिशत से 9 प्रतिशत तक तीन वर्षों में (यानी 2004 से 2007 तक) और सेवा क्षेत्र विगत तीन वर्षों में क्रमश: 9.6 प्रतिशत, 9.8 प्रतिशत और 11.2 प्रतिशत तक पहुंच जाने पर अति प्रसन्नता व्यक्त की है।

बजट में जो रियायतें दी गई हैं, वह समुचे कार्पोरेट सैक्टर को ध्यान में रखकर दी गई है। वित्त मंत्री जी के बजट भाषण में जो केपिटल मार्केट्स शीर्षिका में प्वाइन्ट नम्बर 94 आम आदमी के लिए नहीं है। आम आदमी चाहता है रोटी, कपड़ा और मकान। योजनाएं चाहे जितनी भी बनाइए, जब तक महंगाई नियंत्रित होकर काबू में नहीं आती है, तब तक एक आम आदमी मकान के बारे में सोचना बहुत दूर की बात है, वह दाल रोटी के लिए तड़पता रह जाएगा। पृथ्वी से चलाया गया सुविशाल अंतरिक्ष में उड़ने वाले राकेट को श्रीहरिकोटा में स्थित रोदसी केन्द्र से नियंत्रित करके वापस ले आ सकता है, लेकिन आकाश को छू रहे नित्यावसर वस्तु सामग्री की दरों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं।

नई सहस्राब्दी पहली पांच वर्ष में कृषि क्षेत्र का वार्षिक वृद्धि का औसत 3 प्रतिशत है जो 2001-02 में शुरु हुई थी। वह वर्ष 2006-07 में तिरोगमन स्थिति में जा कर 2.7 प्रतिशत हो गई थी, जो बहुत ही चिंता का विषय है।

महोदय, इस सत्य को समूची दुनिया जानती है कि भारत एक कृषि पर निर्भर देश है। भारत के भिन्न-भिन्न प्रांतों में भिन्न-भिन्न प्रकार की फसल की खेती होती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कृषि क्षेत्र कई उतार-चढ़ाव को देखना पड़ रहा है। जिस देश को अन्नपूर्णा कहा गया है, वही देश को आज गेहूं, चावल, खाद्य तेल, वनस्पति इत्यादि सामग्री का विदेशों से आयात करना पड़ रहा है। पल भर सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या भारत के पास धन और तकनीक का अभाव है? यह दोनों ही उपलब्ध हैं। कृषि क्षेत्र में निवेश की कमी, असंतुलित उर्वरकों का उपयोग, बीज प्रतिस्थापन मंद गति से चलाया जाना, कृषि क्षेत्र के कार्यों को कम प्रोत्साहन देना, फसल तैयारी के बाद मूल दरों की न्यूनता, जैसे मुद्दों की वजह से है। आश्चर्य की बात यह है कि किसान से उत्पादित गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन, फल, तम्बाकू, गन्ना इत्यादि उत्पादों को रॉ मैटीरियल के रूप में लेकर, क्रमश: बिस्कुट, कई किस्म के व्यंजन, खाद्य तेल, फ्रूट जूस, जैम, सिगार व सिगरेट, पान मसाला, चीनी इत्यादि वस्तुओं का उत्पादन करने वालों को लघु, मध्यम व भारी उद्योग की श्रेणी में ला कर कई तरह की आर्थिक सहायता व रियायतों से भरपूर पूंजी निवेशकों को संतुष्ट करने का हर संभव प्रयास किया गया है। लेकिन खेतीबाड़ी, जो उपरोक्त उद्योगों का मूलाधार है, को एक उद्योग का दर्जा नहीं देना और उन समूची आर्थिक सहायता व रियायतों से वंचित करना असमंजस ही नहीं किसानों के साथ हो रहा अन्याय है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में फार्म क्रेडिट के बारे में कहते हुए बिंदु सं. 45 में कहा है कि फार्म क्रेडिट के संस्थागत ऋण के दायरे में 53.57 लाख नये किसानों को लाने की बात कही है और 225 हजार करोड़ रुपये फार्म क्रेडिट के नाम पर प्रावधान करने का उल्लेख किया है।

महोदय, देश के कुछ राज्यों में लगातार फसल नष्ट होने से लिया गया ऋण नहीं चुका पाने और ऋण चुकाने का कोई रास्ता दूर-दूर तक नजर नहीं आने के कारण, सरकार के माध्यम से कोई आर्थिक सहायता व रियायतें नहीं मिल पाने की उम्मीद से निराश होकर किसान आत्महत्या करने की वार्ता से इस सभा में उपस्थित सभी सांसदों को संज्ञान होगा। ऐसी हालत में किसान को ऋण से मुक्त करने की योजना की बजाय बचा हुआ किसानों को ऋण लेने का प्रोत्साहन देना देश की गति और प्रगति के लिए लाभदायक नहीं माना जाएगा। वित्त मंत्री जी ने यह कहकर समझा होगा कि रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी देने की वार्ता सुनकर भोला किसान संतुष्ट होगा, लेकिन किसान को क्या मालूम की यह सब्सिडी रासायनिक उर्वरकों को तैयार करने वाले उद्योगपतियों की तिजोरी भरेगा।

महोदय, अब मैं भारतीय शिशुओं एवं महिलाओं के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा कि हम दुनिया के बड़े दौलतमंदों की सूची में लाखों की संख्या में करोड़पतियों का नामांकरण करवाने पर तुले हैं। लेकिन वे यह जानकर लज्जित होंगे कि भारत की ग्रामीण महिलाएं एवं शिशु पौष्टिक आहार नहीं मिल पाने के कारण हर साल 5 प्रतिशत महिलाएं और शिशु एनीमिक अर्थात ओज और शक्तिहीनता नामक बीमारी का शिकार हो रहे हैं।

वरिष्ठ नागरिकों और बुजुर्गों को उनकी आय पर कर सीमा बढ़ाकर उन्हें खुश करने का प्रयत्न किया गया है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों और बुजुर्गों को धन, और धन से ज्यादा स्वास्थ्य की चिंता होती है। केवल बुजुर्ग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक भी अस्पताल व स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना व उनकी स्वास्थ्य संबंधी बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस संबंध में मैं उचित समझता हूं कि माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी ने वरिष्ठ नागरिकों, बुजुर्गों और 45 वर्ष आयु की महिलाओं को निचली बर्थ आरक्षण में प्रायोरिटी देने का प्रयास किया है। वरिष्ठ नागरिकों, बुजुर्गों और 45 वर्ष की महिलाओं के प्रति जो श्रद्धा और सम्मान माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी ने दिखाया है, उसके लिए मैं श्री लालू प्रसाद जी का धन्यवाद करता हूं।

अंत में, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को, माननीय यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी को केन्द्रीय मंत्रियों एवं राज्य मंत्रियों को, 14वीं लोक सभा व राज्य सभा के सांसदों को, यूपीए गठबंधन सरकार के समर्थक दल सदस्यों को अपने कार्यकाल की आधी अवधि को समाप्त करने पर पुनः हार्दिक बधाई देता हूं।

[अनुवाद]

***श्री सनत कुमार मंडल** (जयनगर): कुल मिलाकर, मा. वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट 2007-2008 काफी निराशाजनक है। खासतौर से, देश की वर्तमान अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले मुद्रास्फीतिक संकट के संदर्भ में। ऐसा प्रतीत होता है कि अतिरिक्त संसाधन जुटाने के अवसर गवां दिये गये हैं। जिन अमीर लोगों की आय की हिस्सेदारी बढ़ी है, उन पर कर लगाने से इस उद्देश्य को हासिल किया जा सकता था। तथापि, कामकाजी लोगों और राज्य सरकार के हितों के विपरीत, उन्होंने व्यय में होने वाली वृद्धि को सीमित कर दिया है। बजट, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की समस्या का समाधान करने में विफल रहा है।.

गेहूं और चावल में वायदा व्यापार पर लगाया गया प्रतिबंध एक सराहनीय उपाय है। तथापि, सूची में दालों को भी शामिल किया जाना चाहिए। बजट, पेट्रोलियम उत्पादों पर मूल्यानुसार शुल्क संरचना को समाप्त करने में विफल रहा है ताकि तेल की कीमतों में कमी आ सके।

खाद्य राजसहायता संबंधी प्रस्तावित परिव्यय मात्र 6.2% है, जब 6.7% मुद्रास्फीति ली जाती है। सार्वजनिक वितरण का विस्तार और खाद्य राजसहायता को बढ़ाया जाना समय की मांग है। बजट, ऐसा करने में विफल रहा है।

रोजगार के संबंध में, बजट में ग्रामीण रोजगार पर होने वाले कुल व्यय को केवल 3.5% की दर से बढ़ाया जाना है। इसी प्रकार, अग्रणी योजनाओं नामतः एमआरईजीएस, एसजीआरवाई और एसजीएसवाई पर किया जाने वाला व्यय मात्र 7% है जिससे वास्तव में स्थिरता आती है। एनआरईजीस के अंतर्गत और अधिक जिलों को शामिल करके इनकी संख्या 200 से 330 करने का प्रस्ताव है। तथापि, इस वर्ष परिव्यय में मात्र 700 करोड़ रु. की वृद्धि की गई है, जिसे 11300 करोड़ रु. से बढ़ाकर 12000 करोड़ रु. किया गया है। यह उचित अनुपात में तथा वास्तविक नहीं है।

ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस बजट में कृषि पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसे आवंटनों के संदर्भ में उचित नहीं ठहराया जा सकता। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में, देश के कृषि क्षेत्र के परिव्यय में कोई वृद्धि नहीं की गई है। मा. वित्त

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री सनत कुमार मंडल]

मंत्री बताते हैं कि सरकार राधाकृष्णन समिति, जो कृषि ऋणग्रस्तता के सभी पहलुओं की जांच कर रही है, की सिफारिशों पर अमल करेगी। सरकार को ऐसी सिफारिशों पर युद्ध स्तर पर अमल करनी चाहिए ताकि किसानों को ऋणों के कारण आत्महत्या करने से रोका जा सके।

बजट, कृषि के संबंध में अच्छा नहीं रहा है। इसमें कृषि के पुनरुद्धार हेतु कोई उपाय नहीं बताये गये हैं।

किंतु, परिव्यय में वास्तव में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि शिक्षा के संबंध में है। यह वृद्धि 33% है। बजट में उच्च शिक्षा परिव्यय को भी 29% बढ़ाया जाना है। मुझे आशा है कि इससे पिछड़े वर्गों के लिए लाभ और आरक्षण सुनिश्चित होगा। तथापि, सरकार के सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम में कटौती की गई है। आईसीडीएस के लिए 674 करोड़ रु. की बहुत कम धनराशि की वृद्धि की गई है। यह वृद्धि प्रत्येक बस्ती में एक आंगनवाड़ी केन्द्र मुहैया कराने के लक्ष्य हासिल करने में काफी अपर्याप्त है। यह एक बहुत अच्छी बात है कि मध्याह्न भोजन संबंधी योजना शैक्षणिक रूप से पिछड़े 3,427 खंडों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक पहुंचाई जा रही है।

यह सराहनीय उपाय है कि माता-पिता द्वारा अपने बच्चों के लिए गये उच्च शिक्षा ऋण पर कर लाभ मिले। तथापि, सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि माता-पिता के लिए ऋण का भुगतान करने की प्रतिबद्धता ही मुसीबत बन जाये, चूंकि ऋण को माता-पिता को उनके नाम जारी किया जा सकता है ताकि वे कर लाभों का दावा कर सकें। इससे माता-पिता द्वारा बच्चों की शिक्षा हेतु लिये गये ऋण को चुकाने की विद्यार्थियों की प्रतिबद्धता समाप्त हो जाती है। अन्ततः, माता-पिता बुढ़ापे में ऋणों के बोझ तले दबकर परेशान हो सकते हैं। इसके अलावा, यह बताया जाता है कि इन कर लाभों का नियोक्ताओं द्वारा दिये जा रहे ऋणों पर दावा नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए। नियोक्ता, तथाकथित बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की अपेक्षा बहुत कम ब्याज दर पर ऋण दे सकता है। अतः, इसमें संशोधन किया जाये।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु आवंटन अभी भी 10,000 करोड़ रु. से कम है। यह दुःख की बात है कि श्रमिक वर्ग हेतु सामाजिक सुरक्षा का संपूर्ण प्रावधान मात्र 1 करोड़ रु. बढ़ा है और इस बजट में कामकाजी लोगों के लिए कुछ नहीं है।

लघु सेवा प्रदाताओं के लिए 4 लाख रु. से 8 लाख रु. तक छूट सीमा है। दो लाख कर निर्धारिती कर दायरे से बाहर हो जायेंगे जिससे 800 करोड़ रु. की राजस्व हानि होगी। बजट में इस बाबत कोई उत्तर नहीं कि सेवा कर दायरे में शामिल की गई नई सेवाओं से राजस्व की क्षति को कैसे पूरा किया जा सकेगा। असंगठित भूमिहीन लोगों को बीमा मुहैया कराके उन्हें सुरक्षा दायरे में लाने के लिए, 'आम आदमी बीमा योजना' नामक एक योजना आरंभ की जा रही है। सरकार सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार की योजना निजी बीमा कंपनियों द्वारा भी कार्यान्वित की जाये।

सरकार अपंग लोगों के लिए हर वर्ष लगभग 100,000 नौकरियों के सृजन करने में सहायता करने की योजना बना रही है। तथापि, कोई सुस्पष्ट स्कीमें/योजनायें नहीं हैं।

देश में बड़े पैमाने पर कामकाजी तथा मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा लिये गये और लिये जा रहे आवास ऋणों की समस्या का समाधान नहीं किया गया है। क्योंकि आवास ऋणों पर ब्याज दर घटी गयी थी, कई लोगों ने अपना घर लेने का सपना पूरा करने की हिम्मत जुटा पाए। तथापि, अब ब्याज दरें लगभग दोगुनी हो गयी हैं। इससे आम आदमी का बजट काफी प्रभावित होता है। सरकार को लगातार बढ़ती आवास ऋण दरों को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने 10 लाख रु. का ऋण लिया है। सरकार को इस वर्ग के लोगों को बचाने के लिए व्यवहार्य राजसहायता के माध्यम से बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को प्रतिपूर्ति करनी चाहिए।

एक. विद्युत क्षेत्र में, बजट इस पर प्रकाश डालने में विफल हुआ है। आलम यह है कि विद्युत क्षेत्र में औसतन 8% की कमी है और विद्युत धारा 13% है। बड़े स्तर के लाभ 250 मेगावाट और 500 मेगावाट के लघु विद्युत संयंत्रों को दिये जायेंगे। कोकिंग कोयले पर लगने वाले दरों में कटौती केवल इस्पात क्षेत्र हेतु लाभदायी होगी। यही लाभ ताप-विद्युत संयंत्रों द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे कोयले पर भी दिये जायें।

इस वर्ष भी, विद्युत विकास कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाये गये और बजटीय प्रस्तावों में विद्युत क्षेत्र हेतु कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं है।

बच्चे और रिफाइन्ड खाद्य तेलों पर 4% के अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क को समाप्त कर दिया गया है और सूरजमुखी तेल पर शुल्क को कम किया जाना है। यह अच्छी बात है। तथापि, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कीमतों में होने वाली कमी के परिणाम अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचे।

सकल बजटीय सहायता में ग्यारहवीं योजना हेतु अधिक आवंटन होना चाहिए। तथापि, सरकार ऐसा नहीं करती।

करदाताओं को राहत देने हेतु, सभी वर्गों के लिए छूट सीमा में 10,000 रु. की वृद्धि मात्र ही एक राहत है। इसमें वृद्धि की जाये। पहले से ही बोझ तले दबे आम आदमी और कामकाजी वर्ग को वास्तव में राहत दी जानी चाहिए। महिला कर निर्धारितियों हेतु, थ्रेशोल्ड सीमा को बढ़ाकर 145,000 रु. कर दिया गया है और वरिष्ठ नागरिकों हेतु यह 195,000 रु. है। यह अच्छी बात है कि महिला और वरिष्ठ नागरिकों को लाभ दिया जा रहा है।

मैं महिलाओं को लाभ दिये जाने के खिलाफ नहीं हूं। तथापि, सरकार उन परिवारों को न भूले जहां कमाने वाला मात्र एक ही आदमी हो जो घर का गुजारा चलाता है। इस बात पर विश्वास किया जाना चाहिए कि महिला कर निर्धारितियों के अधिकांश परिवारों में दोहरी आय होगी। कुछेक प्रतिशत महिला कर निर्धारिती ही एकमात्र कमाने वाली हो सकती है। अत:, सरकार समीक्षा कर सुनिश्चित करे कि कर लाभ छूटों से मुख्यत: उन परिवारों को लाभ हो जहां एक ही कमाने वाला है और यह लिंग आधार पर न हो।

सभी प्रकार से, योजना परिव्यय आवंटन में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन, सार्वजनिक वितरण अथवा ग्रामीण विकास के लिए मुहैया कराये गये संसाधन पर्याप्त नहीं हैं। अत:, सरकार को देश के समृद्ध वर्गों पर कर लगाकर बढ़े हुए योजना परिव्ययों हेतु संसाधन जुटाना चाहिए। मुझे आशा है कि मा. वित्त मंत्री जी मेरे द्वारा दिये गये सुझावों को बजट 2007-08 में शामिल करके उनको प्रभाव में लायेगी और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

***श्री लोनाप्पन नम्बाडन** (मुकुंदपुरम): यह ऐसा बजट है जिससे हमें कोई खास उम्मीद नहीं है। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने अथवा मूल्य वृद्धि और महंगाई को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाने जैसी चीज हमें इसमें नहीं मिली है और न ही इसमें रोजगार के और अवसर पैदा करने के लिए कोई विशेष कदम उठाये गये हैं।

किसानों को ऋण देना ही पर्याप्त नहीं है। आपको यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को अपने उत्पादों का लाभकारी मूल्य मिले। यदि उन्हें यह नहीं मिलता है तो वे किसी अन्य आकर्षक उद्यम की तलाश करेंगे। यद्यपि इस बात की घोषणा की गई कि नारियल, कच्चा, रबड़, काजू और मसालों की खेती बढ़ाने हेतु नई नीतियां तैयार की जाएगी लेकिन इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बजट में कोई धनराशि नियत नहीं की गई।

खाद्य पर आयात शुल्क घटाने की नई नीति से केरल सबसे अधिक प्रभावित होगा। यदि पॉम ऑयल हमारे बाजार में आना शुरू होता है तो इससे केरल में नारियल किसानों की सर्वाधिक हानि होगी। सरकार को आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए किसानों को राहत राशि तुरंत उपलब्ध करानी चाहिए। बीज की गुणवत्ता में सुधार करने, सिंचाई प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा किसानों को प्रशिक्षण देने हेतु धनराशि में वृद्धि की जानी चाहिए। फसल बीमा हेतु धनराशि को भी बढ़ाया जाना चाहिए। दूरदर्शीपूर्ण आयोजना और दूसरी हरित क्रांति क्रियान्वयन भारतीय कृषि क्षेत्र को बचा सकता है। केरल की भांति मूल्य वृद्धि रोकने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की कोई नई योजना नहीं है। यद्यपि विभिन्न परियोजनाओं हेतु नियत की गई धनराशि को बढ़ाया गया है लेकिन उनका सफलतापूर्वक कार्यान्वयन संदेहास्पद है। केरल के उदाहरण के बाद पूरे देश में समाज के कमजोर तबकों को कल्याण कोष और पेंशन सुविधाएं दी जानी चाहिए। इसी तरह कृषि श्रमिकों, वृद्ध व्यक्तियों और विधवाओं तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को पेंशन दी जानी चाहिए। बेरोजगारी भत्ता भी पूरे देश में दिया जाना चाहिए।

अखिल भारतीय स्तर पर एक लाख छात्रों को मेधा छात्रवृत्ति देने का निर्णय प्रशंसनीय कदम है। लेकिन एक लाख छात्रवृत्तियों से भी हमारे आधे प्रतिशत जरूरतमंदों छात्रों को कवर नहीं किया जा सकता है। इसे बढ़ाकर 10 लाख किया जाना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए निर्धारित उम्र सीमा को हटाया जाना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को अनेक विशेष रियायतें दी जानी चाहिए। आय कर छूट की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए।

यद्यपि कोई अतिरिक्त कर भार बजट में नहीं लाया गया है और कुछ धनराशि सामाजिक कल्याण और कृषि अनुदानों हेतु नियत की गई है लेकिन हम सभी को उद्देश्य पूरे होने में संदेह है। अत: आपने जो वादा किया है उसे पूरा करें।

***श्री टी.के. हमजा** (मंजेरी): महोदय,

(1) मूल्य वृद्धि

(2) किसानों द्वारा आत्महत्या

(3) बेरोजगारी

हमने इस बजट में इन तीनों समस्याओं के लिए उपचारात्मक कदम उठाने की अपेक्षा की थी। लेकिन दुर्भाग्यवश इस संबंध में बजट में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री टी.के. हमजा]

संप्रग सरकार की अध्यक्षा ने इस बात को स्वीकार किया है कि महंगाई बहुत अधिक है और कांग्रेस इन्हीं कारणों से पंजाब और उत्तराखंड जैसे कुछ राज्यों में चुनाव हारा है। इसके बावजूद आवश्यक वस्तुओं का मूल्य कम करने हेतु बजट में कोई विचार नहीं किया गया है। चावल और गेहूं के मामले में वायदा बाजार (फारवर्ड ट्रेडिंग) को रोकने का प्रस्ताव अच्छा और प्रशंसनीय है। लेकिन मैं कहता हूं कि इस उपाय को सभी आवश्यक वस्तुओं पर लागू किया जा सकता है।

इस बजट में देश में बेरोजगारी के गंभीर संकट से निपटने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। यह दिनोंदिन बढ़ रहा है। रोजगार सृजित करने वाली परियोजनाओं के बारे में बजट में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। रोजगार सृजन करने वाले कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा जाता है लेकिन बजट में पर्याप्त प्रावधान नहीं किया जाता है। हमारा कृषि क्षेत्र पूरे देश में कृत्रिम परिस्थितियों का सामना कर रहा है। विभिन्न राज्यों में अनेक किसानों ने आत्महत्या की है। कृषि क्षेत्र की रक्षा हेतु बजट में कोई सही प्रस्ताव नहीं बनाया जाता है।

किसानों को अधिक ऋण देने हेतु बजट में प्रस्ताव में किया गया है। किसानों ने मात्र इसी कारणवश आत्महत्या की है जो पहले लिये गये ऋण और ब्याज का भुगतान नहीं कर सके। अब यदि हम उन्हें अधिक ऋण देते हैं तो वे उन्हें ज्यादा तंग करेंगे।

हमें किसानों की रक्षा के लिए कुछ अन्य उपायों की खोज करनी है। किसानों को उनके फसल हेतु अच्छा मूल्य दिलाने और उनकी रक्षा करने हेतु समर्थन मूल्य की घोषणा करने के लिए कदम उठाये जाएं।

स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर भी ध्यान दिया जाए। आयोग ने कृषि ऋण हेतु ब्याज दर को कम करने का प्रस्ताव रखा है। वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने हेतु एक कोष का गठन किया जाए। आयात-निर्यात शुल्क प्रणाली को पुनर्गठित किया जाए ताकि किसानों की सहायता की जा सके।

अब इस बजट में सूरजमुखी तेल हेतु आयात कर को घटाया गया है। यदि बाजार में नारियल का मूल्य घटा लिया जाए तो इसके क्या परिणाम होंगे। तब नारियल के किसान संकट में पड़ जाएंगे। केरल की मुख्य फसल नारियल है।

हम चाय और इलायची उत्पादन में सुधार तथा कृषि पैकेज हेतु रखे गए कार्यक्रम का स्वागत करते हैं। हम मंत्री जी का नारियल उद्योग में सुधार करने हेतु सहायता देने के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं।

*श्री सरनजीत सिंह ढिल्लो (लुधियाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सामान्य बजट 2007-08 पर वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस बार भारत के लोगों की वित्त मंत्री से काफी आशा थी। गत दो वर्षों के सामान्य बजट से लोग निराश हुए हैं। लोगों को आशा थी कि इस वर्ष का सामान्य बजट समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। तथापि, उन्हें काफी धक्का लगा है। वर्ष 2007-08 के सामान्य बजट ने देश की किसानों, उद्योगपतियों, बेरोजगार युवाओं और आम आमदनी की आशा और आकांक्षाओं पर गहरा आघात किया है। यह बजट सभा में काफी तामझाम के साथ प्रस्तुत किया गया था। तथापि, इस बजट से समाज का कोई भी वर्ग लाभान्वित नहीं हुआ है।

महोदय, किसानों की दया दयनीय है, इस सम्मानित सभा में बार-बार सदस्यों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किसानों की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त की है। अधिक से अधिक किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कृषि उत्पादकता में गिरावट आ रही है। किसान गले तक ऋण में डूबे हुए हैं। तथापि, वित्त मंत्री ने किसानों की जायज मांग को अनसुनी कर दिया है। किसानों को उबारने के लिए बजट में कोई धनराशि नहीं की गई है। किसानों की ऋण सीमा को बढ़ाया गया है। तथापि, किसान पहले से ही ऋण भार से कराह रहे हैं। ऋण सीमा में वृद्धि किसानों का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। वे खाद्यान्नों की औने-पौने दामों में बिक्री कर रहे हैं। उनकी हैसियत अपने ऋणों को चुकता करने की नहीं रही है।

किसान छह माह तक अपने खेतों में कड़ी मेहनत से जुताई करके और अपना खून पसीना बहाकर हमें खाद्यान्न देते हैं, कई बार तो खड़ी फसलें लगातार बेमौसमी वर्षा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण बर्बाद हो जाती है। उदाहरण के लिए, कुछ दिन पहले, पंजाब में खड़ी गेहूं की फसल पाला पड़ने और लगातार वर्षा के कारण बर्बाद होगी। जब किसानों को अपना फसलों का लाभकारी मूल्य मिलता तो उन्हें ऋण लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब तक हम मूल्य सूचकांक से किसानों की फसलों के मूल्य को नहीं जोड़ेंगे तब तक हम किसानों को नहीं बचा सकते हैं। केवल ऋण-सीमा में वृद्धि से ही किसान नहीं उबर पायेंगे। किसानों के लिए पर्याप्त धनराशि निर्धारित की जानी चाहिए। उन किसानों को समय पर मुआवजा दिया जाना चाहिए जिनकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं में बर्बाद हो गई है।

*मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

उन किसानों, जिनकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुई हैं; को इस बजट में कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है, पंजाब में अधिकतर किसानों की फसलों को कुछ दिन पहले ही लगातार बेमौसमी वर्षा और पाला पड़ने के कारण भारी क्षति हुई है। केन्द्र सरकार को पंजाब के किसानों को विशेष पैकेज देना चाहिए और उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।

महोदय पंजाब में औद्योगिक परिदृश्य भी अस्पष्ट है अन्य पड़ौसी राज्यों को उनके उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु विशेष पैकेज दिये गये हैं। मैं ईर्ष्यालु नहीं हूं। वास्तव में, मुझे खुशी है कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर जैसे राज्यों के लिए विशेष पैकेज स्वीकृत किया गया है। तथापि, पंजाब भी इस क्षेत्र में आता है। दोनों ही राज्यों में अगले 10 वर्षों हेतु उद्योगपतियों हेतु कर छूट की घोषणा की गई है। इसके परिणामस्वरूप, पंजाब से उद्योगों का पलायन इन दो राज्यों को हो रहा है। पंजाब के उद्योगपति जम्मू और कश्मीर में कठुवा तथा हिमाचल प्रदेश को पलायन कर गए हैं। 25,000 औद्योगिक एककों को पड़ौसी राज्यों में पुनर्स्थापित किया गया है। इसके फलस्वरूप पंजाब में लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, बेरोजगार युवक नशीले पदार्थों और नशे के शिकार हो गए हैं।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में रोजगार गारंटी योजना का उल्लेख किया है। वह रोजगार किस तरह से सुनिश्चित कर सकते हैं जब तक कि नए रोजगार के अवसर सृजित न हों? महोदय पंजाब के लिए हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर की तर्ज पर एक विसेष आर्थिक पैकेज स्वीकृत किया जाना चाहिए। अन्यथा रोजगार गारंटी योजना से पंजाब में बेरोजगारी भी बढ़ेगी।

महोदय, मुझे खुशी है कि इस बजट में घरेलू विमान कंपनियों को प्रोत्साहन और विमानपत्तनों के उन्नयन हेतु धनराशि निर्धारित की गई है। तथापि, इस क्षेत्र में भी पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। अमृतसर में राजसानसी हवाईअड्डे की हालत काफी दयनीय है। उसकी मरम्मत किया जाना अतिआवश्यक है। अमृतसर स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को आदर्श हवाई अड्डे के रूप में विभाजित किये जाने हेतु धनराशि दी जानी चाहिए।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री ने अपनी पंजाब यात्रा के दौरान घोषणा की थी कि हलवारा हवाईअड्डे का अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में उन्नयन किया जाएगा। तथापि, इस बजट में हलवारा हवाई अड्डे के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से हलवारा हवाई अड्डे को अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में उन्नयन हेतु धनराशि जारी करने की अपील करता हूं।

महोदय लुधियाना के निकट साहनेवाल हवाईअड्डा कई वर्षों से कार्य नहीं कर रहा है। इस क्षेत्र के लोगों की लम्बे समय से यह मांग चली आ रही है कि साहनेवाल हवाई अड्डे को पुन: चालू किया जाए।

महोदय, केन्द्र सरकार को उन किसानों को पर्याप्त मुआवजा देना चाहिए जिनकी खड़ी फसलें पंजाब के उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए। पंजाब में हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ाया जाना चाहिए और इसे चालू किया जाना चाहिए तथा इस प्रयोजनार्थ धनराशि निर्धारित की जानी चाहिए।

पंजाब में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूं दिया जा रहा है। महोदय वह गेहूं इतना घटिया है कि कुत्तों या अन्य जानवरों के जाने लायक भी नहीं है। अत: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता का गेहूं दिया जाना चाहिए।

महोदय, सरकार द्वारा और पंजाब के लोगों के राहत और सहायता दी जानी चाहिए। पंजाब को उसका हिस्सा मिलना चाहिए।

डा. बाबूराव मिडियम (भद्राचलम): सर्वप्रथम, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बजट न तो देश के श्रमिक वर्ग और न ही मध्यम वर्ग को संतुष्ट करता है। यदि हम बजट की दिशा और दर्शन को देखें तो इसमें कोई भी नयापन नहीं है। यह उसी रास्ते पर चल रहा है जिस पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन चल रहा था।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने अपने राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में किसानों की सहायता करने का वायदा किया था। वास्तव में हमारे देश में कृषि संकट के समाधान के लिए कतिपय आबंटन किये जाते हैं। व्यवहार में यद्यपि इस अवधि के दौरान मुद्रास्फीति की 6% दर के कारण पिछले तीन वर्षों के लिए सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 8% है। विकास का फल आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा है। आवश्यक वस्तुओं और आजीविका के अन्य साधनों के महंगा होने के कारण आम आदमी को बदतर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

उदाहरण के लिए, इस बजट में किसानों को आत्महत्या करने से रोकने के लिए कृषि क्षेत्र हेतु एक विशेष पैकेज की घोषणा की गई थी लेकिन किसानों की दयनीय स्थिति को ठीक करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। यहां मैं आंध्र प्रदेश का उदाहरण देना चाहता हूं जहां जिलों के लिए 9750 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे। यदि हम कार्यान्वयन को देखें तो इस आवंटन का अधिकांश भाग सिंचाई परियोजनाओं के लिए 5789 करोड़ रु., बीज परिवर्तन

[डा. बाबूराव मिडियम]

के लिए 470.18 करोड़ रुपये, पनधारा और उठान सिंचाई के लिए 1600 करोड़ रुपये और ब्याज माफी के लिए 1436 करोड़ रुपये खर्च हो जाते हैं। यदि वितरण इस प्रकार होता है तो अनन्तोगत्वा इसका लाभ ठेकेदारों, बीज कंपनियों और बैंकों को होगा न कि वास्तविक रूप से पीड़ित किसान को। इस पैकेज में केवल किसानों के आंसू पोंछने का काम किया गया है लेकिन यह उनको वास्तविक संकट जिसका उन्हें सामना करना पड़ता है का मुकाबला करने में समर्थ नहीं बनाता। इस प्रकार कृषि क्षेत्र में वास्तविक संकट का समाधान करने में कितना समय लगेगा जैसाकि इस बजट में प्रस्तावित है? इसलिए साझा न्यूनतम कार्यक्रम संबंधी नियमों का पालन नहीं किया गया और वास्तविक रूप से पीड़ित व्यक्तियों को कोई भी मौद्रिक लाभ नहीं हुआ।

मैं कृषि संकट का समाधान करने के लिए विचार करने हेतु निम्नलिखित उपाय करने का सुझाव देता हूं:

1. सभी प्रकार के ऋण जिनको लघु और सीमान्त किसान चुकाने में असमर्थ हैं, पूरी तरह माफ किया जाए।
2. अखिल भारतीय ऋण सर्वेक्षण शुरू किया जाए और संकटग्रस्त लोगों को राहत प्रदान करने के लिए उपयुक्त उपाय किये जाएं।
3. कृषि जिन्सों के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि का सृजन किया जाए।
4. कृषि ऋणों पर ब्याज दरों को कम करके 40% किया जाए।
5. कृषि विस्तार सेवाओं के पुनर्गठन से लेकर देश भर में कृषि विद्यालयों और ग्राम ज्ञान केन्द्रों की स्थापना।
6. सभी फसलों को शामिल करते हुए और अधिक लचीलेपन के साथ किसानों की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूचे देश में फसल बीमा का विस्तार।
7. वैज्ञानिक ढंग से भंडारण, खरीद और वितरण के लिए भारतीय खाद्य निगम की भूमिका को बढ़ावा देते हुए खरीद प्रणाली को सुदृढ़ करना जैसाकि साझा न्यूनतम कार्यक्रम में वायदा किया गया है।
8. देशभर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना और सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना।

राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में ग्रामीण गरीबों को बचाने का वायदा किया गया था और यह कृषि मजदूरों के पलायन को रोकता है। लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम स्कीम से जिसके लागू होने से वायदा पूरा होने की उम्मीद की जाती है को देशभर में शुरू नहीं किया गया है। पिछले वर्ष केवल 200 जिलों को इसमें शामिल किया गया था और 11,300 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे। इसके कार्यान्वयन में कतिपय खामियां हैं। गरीबों की मुख्य मांग देश भर में इस योजना को लागू करने की है। इस बजट में 130 और जिलों को शामिल किया गया था। यह एक अच्छा कदम है। लेकिन सभी 330 जिलों के लिए केवल 12000 करोड़ रुपये का आवंटन करना हमारे लिये बहुत ही हैरानी की बात है। मूल अधिनियम के अनुसार कम से कम 100 दिनों का कार्य दिखाया जाना चाहिए। 80 से 100 रुपये के लगभग न्यूनतम मजदूरी प्रत्येक कार्डधारी को दी जानी चाहिए लेकिन अब आवंटन हर एक जिले के लिए 37 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। ग्रामीण गरीबों के लिए 100 दिन का रोजगार और न्यूनतम मजदूरी देना किस प्रकार संभव हो सकता है? गांवों में रोजगार की गारंटी देना बिल्कुल भी संभव नहीं है। कार्यों की संख्या स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है और इस कारण हो सकता है कि लोगों को पर्याप्त काम न मिले। इससे साझा न्यूनतम कार्यक्रम के वायदे को पूरा करने में किस प्रकार सहायता मिल सकती है? दूसरे शब्दों में यह गरीब लोगों को धोखा देने के सिवा कुछ नहीं है।

यह बजट सुधारों के रास्ते का पुरजोर ढंग से अनुसरण करता है और इसी कारण उदारीकरण, निजीकरण को अपनाने की बात करता है। यह रास्ता भारतीय अर्थव्यवस्था के आत्मनिर्भर विकास मॉडल के लिए उतना लाभदायक नहीं है। अत: मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में अपना पक्ष घोषित करें और हमारे देशी उद्योगों और सेवाओं की सहायता करने का प्रयास करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

प्रो. वसुदेव शर्मन (मथुरापुर): धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय,

मैं आम बजट 2007-08 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बजट का समर्थन करते हुए मैं सरकार द्वारा उचित रूप से विचार करने के लिए कतिपय मुद्दे उठाना चाहता हूं। आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 में कहा गया है कि अन्य बातों के अलावा भारत में कुपोषण की दर बहुत अधिक है और निरक्षरता तथा शिशु मृत्यु दर भी बहुत ऊंची है। यह चिन्ता की बात है कि सकल घरेलू उत्पाद की उच्च विकास दर के बावजूद मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान जो वर्ष 2000 में 124वां या वर्ष 2006 में 126वें स्थान पर खिसक गया है।

सदस्यों को परिचालित की गई पुस्तिका "बजट एट ए ग्लान्स, 2007-08" से यह नोट किया गया है कि वर्ष 2007-08 के लिए कुल प्राप्तियां 6,80,521 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जिसकी तुलना में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय 28674 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, अर्थात, कुल प्राप्तियों का 40%, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए यह लगभग 2% है; कृषि ग्रामीण उद्योगों और उर्वरकों के लिए कुल मिलाकर यह आवंटन 1.5% है और ग्रामीण विकास के लिए यह लगभग 6 प्रतिशत है। मैं सदन और सरकार, विशेष रूप से वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये आंकड़े दे रहा हूं कि राष्ट्रीय विकास के इन अतिमहत्वपूर्ण क्षेत्रों में इतना अल्प आवंटन उद्देश्य की प्राप्ति में बहुत ही अपर्याप्त होगा। इस संबंध में मैं मौलाना अबुल कलाम आजाद जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे को उद्धृत कर रहा हूं जिन्होंने शिक्षा के संबंध में अपने पहले बजट भाषण में कहा था कि शिक्षा के लिए कम से कम आवंटन रक्षा आवंटन के बराबर तो होना ही चाहिए। हम उससे बहुत दूर हैं। मैं इस संबंध में मई, 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में किये गये निम्नलिखित वायदे का उल्लेख करना चाहता हूं:

"संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार खर्च को बढ़ाकर कम से कम सकल घरेलू उत्पाद का 6% करने की प्रतिज्ञा करती है जिसमें से कम से कम आधी राशि प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्रों में खर्च की जाएगी।"

मैं एक और उद्धरण देता हूं:

"संप्रग सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा पर ध्यान केन्द्रित करके अगले पांच वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 2.3 प्रतिशत स्वास्थ्य पर जोन व्यय बढ़ाएगी...."

वित्तीय वर्ष 2006-07 का अनुमान यह दर्शाता है कि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3-5 प्रतिशत शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है और द्वितीय वर्ष 2007-08, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, के लिए आवंटन 4 प्रतिशत से कम किया गया है। ऐसा लगता है कि सरकार को सकल घरेलू उत्पाद के छह प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब चार से पांच वर्ष ज्यादा लगेंगे। कम से कम वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 और 2007-08 में किया गया बजटीय आवंटन इन प्रतिबद्धताओं के प्रति वांछित सीमा तक को नहीं दर्शाता है।

समेकित बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के विस्तार से अल्पपोषण की समस्यायें कुछ हद तक हल होंगी। अल्पपोषण से न सिर्फ शारीरिक विकास बल्कि बौद्धिक विकास को भी नुकसान पहुंचता है और जो दशकों से गरीबी रेखा से नीचे के हमारे लोगों को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। तथापि, एक उचित और सुदृढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली इन समस्याओं को बेहतर ढंग से सुलझाएगी और बहुत हद तक मुद्रास्फीति दर को भी घटाएगी और सरकार कर प्रणाली में थोड़ा और सुधार लाकर तथा उत्तराधिकार शुल्क (डेथ ड्यूटी) और दीर्घकालिक पूंजी लाभ कर को पुन: शुरू करके हमारे समाज के अधिक संपन्न तबके से अधिक संसाधन जुटा सकती है जिससे कमोवेश 21,000 करोड़ रुपये कर राजस्व प्राप्त हो सकता है।

संकेत के रूप में 10,000 तक आयकर की छूट सीमा में वृद्धि संभवत: सही प्रतीत नहीं होती है। हम इसे वास्तव में अमीर व्यक्तियों के म्युचुअल फंड या अन्य धन भंडार से होने वाले लाभ से तुलना कर सकते हैं और हम इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि इनमें से अनेक कंपनियों के पास कोई विनियामक निगरानी प्रणाली नहीं है।

वर्ष 2007-08 में 10,000 रुपये तक वार्षिक ब्याज आय पर स्रोत पर कर कटौती लागू नहीं होगी जोकि एक स्वागतयोग्य कदम है। कुछ वर्ष पहले यह 2,500 रुपये था और वर्ष 2006-07 में यह 5000 रुपए है। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि निम्न आय वर्ग वाले लोग सेवानिवृत्ति के बाद या कृषि, व्यवसाय, लघु उद्योग में सक्रिय जीवन बिताने के बाद या साधारण किस्म के स्वरोजगार वाले अन्य व्यक्ति बैंकों सामान्यत: राष्ट्रीय बैंकों में अपने सावधि जमा पर ब्याज से प्राप्त होने वाली आय पर अपना जीवनयापन करते है और 10,000 रुपये से 5000 रुपये तक सूचना ब्याज आय पर स्रोत पर कर कटौती से ऐसे वृद्ध व्यक्तियों को बहुत हद तक मदद मिलेगी।

यह बताया गया है कि कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाया गया है। प्रश्न यह है कि ऐसे गरीब और सीमांत किसानों, सैकड़ों किसानों जिन्होंने पिछले बजट के बाद आत्महत्या की है, को लक्ष्य से अधिक ऋण योजना से क्या मिला? एक दिशा निर्देश हो सकता था ताकि राष्ट्रीय बैंक गरीब और सीमांत किसानों को समय पर ऋण देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में शाखाएं खोल सके।

महोदय, यदि सरकार वास्तव में यह चाहती थी कि प्रत्येक बच्चे को उसकी 14 वर्ष की आयु तक स्कूली शिक्षा मिले, जब इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2007-08 के बजट में पर्याप्त आवंटन नियत किया जाना चाहिए ताकि एक भूमिहीन किसान अथवा श्रमिक को अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए कम से कम 1 एकड़ की कृषि योग्य भूमि पर स्वामित्व हो।

[प्रो. बसुदेव बर्मन]

महोदय, हम सभी जानते हैं कि केन्द्रीय बजट से सभी समस्याएं नहीं सुलझ सकता है। लेकिन स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि संप्रभु सरकार वास्तव में ऐसे समृद्ध, स्वस्थ और अतिशिक्षित युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है जो आने वाले वर्षों में राष्ट्र को तरक्की और प्रगति पर ले जाएंगे। पंचायती राज व्यवस्था में कृषि संबंधी आधारभूत ढांचा, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करने और इसे सुदृढ़ करने हेतु उत्तरदायित्व में निहित विकेन्द्रीकरण योजना में इस अवधारणा को मूर्त रूप दिये जाने की संभावना है।

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप अपना भाषण समाप्त करें। मैंने आपको पर्याप्त समय दिया है।

प्रो. बसुदेव बर्मन: बचत की भारतीय दरों में वृद्धि का उपयोग प्रयास को सतत बनाए रखने के लिए सरकारी संसाधनों और निजी प्रोत्साहनों दोनों का वित्तपोषण करने के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय कृषि के समक्ष आया सकल शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य के मानक को सत्ता में बैठे लोगों द्वारा सही ढंग से नहीं समझा गया है और बजट 2007-08 उसी का संकेत है।

महोदय, ऐसा कहने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार, विशेष रूप से वित्त मंत्री वास्तविक "आम आदमी" को वित्तीय प्रक्रिया का लाभ देने के लिए आवश्यक कदम उठायेंगे। मैं वर्ष 2007-08 के लिए इस बजट का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार): उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2007-08 के बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जहां विकास दर 7 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है, वहां कृषि में 2.3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज भारत में 80 प्रतिशत लोग कृषि करते हैं या कृषि पर आधारित हैं। यहां सदन में जो भी दल सत्ता में रहता है, वह कृषि के बारे में बात कहता है कि हम कृषि को लाभकारी धंधा बनाने की कोशिश करेंगे। मैं वित्त मंत्री जी को 3-4 सुझाव देना चाहता हूं। एक तो यह है कि यदि सरकार एम.एस.पी. को निर्धारित करते समय प्राइस इंडैक्स को आगे रखेगी तो गेहूं, चावल, सरसों के लाभकारी मूल्य किसान को मिल सकते हैं। आजादी के 59 साल में जितनी सरकारें केन्द्र में आई हैं, उनमें से यू.पी.ए. की सरकार ने गेहूं का मूल्य 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बढ़ाया है जो कि प्रशंसनीय बात है। मेरे सामने बैठने वाले साथियों से निवेदन है कि वे भी अच्छी बात के लिए सरकार की प्रशंसा कर दिया करें। मुझे याद है कि जब केन्द्र में और हरियाणा में एन.डी.ए. की सरकार थी तो उस समय गेहूं के मूल्य 30-40 रुपये क्विंटल की दर से बढ़ाये गये थे। इस तरह के निर्णय करने वाले नेता किसानों का नाम पुकारते थे। अभी वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह कहा था कि हम फ्यूचर ट्रेडिंग बंद कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि इससे मूल्य स्थिर हो जायेंगे या दाम कम होंगे क्योंकि स्टाकिस्ट्स नहीं रहेंगे। स्वाभाविक है कि गेहूं, धान के मूल्य कंट्रोल में आ जायेंगे। इससे किसानों को नुकसान भी होगा। मेरा सुझाव है कि गरीब आदमी को गेहूं, धान, दलहन और तिलहन सस्ते दाम पर मिलें। सरकार ने गेहूं का दाम 100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ाया है। मेरा सुझाव है कि किसानों को बोनस दिया जाना चाहिए ताकि किसानों को उसे फसल का दाम पूरा मिल जाये और गरीबों को सस्ता गल्ला मिल जाये।

उपाध्यक्ष जी, यहां सब्सिडी पर चर्चा की गई है। हमारे कई साथियों ने कहा कि खाद की सब्सिडी कारखानेदार को न देकर सीधे किसानों को दी जाये।

अपराह्न 3.00 बजे

हम देखते हैं कि बहुत से गरीब किसान हैं जो खाद का परमिट बनवाते हैं और जो एजेन्सीज के मालिक हैं, वे उनसे खरीद लेते हैं। इससे उद्योगपतियों और कारखानेदारों को फायदा होता है। आम किसान को इससे कोई फायदा नहीं होता।

महोदय, बिजली की पैदावार को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा प्रदेश में पिछले दो वर्षों से बिजली की पैदावार के लिए थर्मल पावर प्लांट लगाने का काम शुरू किया गया है और 1 नवम्बर से पहला थर्मल पावर प्लांट बिजली देगा। ऐसे प्रदेश जो कृषि पर आधारित हैं, चाहे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या राजस्थान हों, वहां पर जो थर्मल पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं, उनमें पानी से बनने वाली बिजली से मंहगी बिजली बनती है क्योंकि कोयले से महंगी बिजली बनती है। इसलिए उस बिजली पर भी किसान को सब्सिडी दी जाए ताकि किसान के ट्यूबवैल से जो पानी निकलता है, वह सस्ता पड़े।

महोदय, खेती में ट्रैक्टर की बहुत आवश्यकता होती है। जब किसान ट्रैक्ट खरीदता है तो उस पर ब्याज की दर 11 प्रतिशत है। यदि आप कार खरीदने जाएं तो आज कंपनियां बिना ब्याज के लोन पर भी कार दे रही हैं। मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा

कि कृषि को यदि लाभकारी बनाना है तो ट्रैक्टर पर भी ब्याज की दर न हो या हो तो केवल दो-तीन प्रतिशत हो। किसान कर्ज लेता है कोआपरेटिव सोसाइटीज या लैन्ड मॉर्टगेज बैंक से। पिछले बजट में हमारी यूपीए सरकार ने 11 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत की थी। अब स्वामीनाथन कमीशन ने भी इस बात को माना है और आज मैं कहना चाहूंगा कि जो कर्ज किसान लेता है, वह चार प्रतिशत हो। इससे ज्यादा कर्ज वह वहन नहीं कर सकता।

महोदय, हरियाणा प्रदेश में हिसार में कृषि विश्वविद्यालय है। पिछले दो वर्षों से सरकार कह रही है कि गेहूं का उत्पादन गिरता जा रहा है। उत्पादन क्यों गिरता है? क्योंकि इतने खाद आपने डाल दिये कि कीटनाशक दवाएं असर नहीं करती। यदि करती हैं तो वह फसल को जला देती हैं। हिसार कृषि विश्वविद्यालय ने एक नया बीज गेहूं का निकाला। धान की कटाई के बाद जमीन को जोतने की आवश्यकता नहीं। उससे किसान का डीजल और मजदूरी बचती है। ऐसे ही उसमें यदि उस बीज को बीजेंगे तो 50 मन प्रति एकड़ के हिसाब से वह बीज उत्पादन देता है। पूरी दुनिया में इस विश्वविद्यालय का नाम है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार को जो सौ करोड़ रुपये देने की हामी आपने पिछली बार भरी थी, एक पैसा भी नहीं मिला है।

महोदय, पानी का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कावेरी का झगड़ा है तो कहीं एसवाईएल में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली का झगड़ा है। मेरा सुझाव है कि जिस तरीके से वित्त मंत्री जी ने कहा था कि कृषि को पानी देने के लिए और पानी खराब न जाए, इसके लिए सब दरियाओं का एक संगम बना दिया जाए, उसके लिए मेरा एक सुझाव है। रेणुका, लक्सर, ब्यासी, जो हरियाणा प्रदेश से ऊपर उत्तराखंड और हिमाचल से निकलकर जो हमारे दरियाओं में पानी आता है, उस पर यदि बड़े बड़े डैम बना दिये जायें तो हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली का बहुत लाभ होगा। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपका जो बजटीय भाषण हो, उसमें कम से कम ब्यासी, लक्सर और रेणुका डैम का जिक्र जरूर करें और इसके लिए पैसा जल्द से जल्द अलाट किया जाए।

फसल बीमा योजना के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा। इस देश के किसान पिछले पांच-छः दिनों से ओलावृष्टि के कारण बड़ी बुरी हालत में है। हमारे पंजाब के साथी कह रहे थे कि बहुत घड़े पड़ गए हैं और किसानों का बहुत नुकसान हो गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या मध्य प्रदेश में जहां फसलें बरबाद हुई हैं, वहां की प्रदेश सरकारों की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत नहीं है। हरियाणा प्रदेश की सरकार ने पिछले दिनों जब महंगाई का मामला चला था तो गरीब आदमी को न्यूनतम वेतन 2410 रुपये से बढ़ाकर 3510 रुपये कर दिया था। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हरियाणा प्रदेश को एक हजार करोड़ रुपये का पैकेज दिया जाए ताकि ओलावृष्टि से किसानों की जो फसल खराब हुई है, उससे हरियाणा प्रदेश की सरकार भरपाई कर सके।

तीसरी बात मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा, यह गांव का एक ऐसा वर्ग है, जहां गरीब घर की दसवीं पास लड़की को आप 15 सौ रुपये देते हैं, यह केन्द्र सरकार की योजना है। उन्हें भी वहां नियमित नौकरी दी जाए, पक्का किया जाए। उनका सारा रख-रखाव सरकार के माध्यम से हो, न कि योजना के माध्यम से हो। अब उस लड़की की नौकरी लग जाती है, यदि यह योजना खत्म हो जाएगी तो उसकी छुट्टी हो जाएगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने जो बजट पेश किया है, यह बहुत अच्छा है। कई साथी कहते हैं कि कृषि को क्या दिया, क्योंकि इन्हें कृषि के बारे में ज्ञान नहीं है। एनडीए सरकार में लोगों ने छः वर्ष तक किस तरीके से इस देश के किसान को आर्थिक तौर से कमजोर किया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश की यदि तरक्की करानी है, बेरोजगारी खत्म करनी है, बेरोजगारी समस्या का हल केवल कृषि है। यदि आप कृषि को लाभकारी मूल्य देंगे तो देश में बेरोजगारी खत्म होगी।

महोदय, मैं अंत में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि किसान को जहां उपज के दाम ज्यादा देंगे, वहां गरीब आदमी, जो बिलो पावर्टी लाइन है, सामने वाली सरकार ने जो आज से छः वर्ष पहले गलत कानून पास किया, बीपीएल निर्धारित कर दिया था, वह बीपीएल की जो बिलो पावर्टी लाइन है, हरियाणा प्रदेश का वह गरीब आदमी, जिसे हरिजन, दलित कहते हैं, वह उस गाइड लाइन में नहीं आता। जब वह उस गाइडलाइन में नहीं आता तो उसे बीपीएल का क्या लाभ होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि भूमिहीन, गरीब व्यक्ति को, जिसके पास अपनी जमीन नहीं है, खेती या मजदूरी के ऊपर जो निर्भर करता है, खेतिहर मजदूर है, उसे गेहूं, चावल और दालें सब्सिडी देकर और सस्ती दी जाएं, इससे गरीब आदमी का भला हो जाएगा और किसान का भी भला हो जाएगा।

इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप खेती के ऊपर किसान को और ज्यादा आर्थिक सहायता दीजिए ताकि खेती लाभकारी धंधा बन जाए और किसान एवं मजदूर आत्महत्या न करें। इसका एक ही तरीका है कि किसान को ज्यादा से ज्यादा लाभ दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री तापिर गाव, कृपया अपना भाषण पांच मिनट में समाप्त करें। आपके दल के लिए नियत किया गया समय समाप्त हो गया है।

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय पर पाबन्दी लगाने के बजाए हमें करों और मूल्य वृद्धि पर पाबन्दी लगानी चाहिए।

हम इस वर्ष इस तरह का बजट देखकर चकित हैं। पहले कांग्रेस का नारा था: ''गरीबी हटाओ'' श्री पी. चिदम्बरम ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह ''गरीबों को हटाओ'' वाला बजट है। मुझे उम्मीद थी हमारे वरिष्ठ सहयोगी, श्री गुरुदास दासगुप्त महत्वपूर्ण मुद्दा उठायेंगे जिससे हम वास्तव में लाभ उठा सकते थे।

इस देश को एक अलग कृषि बजट की आवश्यकता है। पिछली बार भी मैंने यह अवधारणा का प्रस्ताव किया था। अलग रेल बजट की तरफ हमारा अलग कृषि बजट भी होना चाहिए। तभी यह समस्या जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं सुलझाई जा सकती है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम इस महान सभा में आत्महत्या कर रहे किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। यदि इस सचमुच ऐसे किसानों के बारे में सोचते हैं जो देश के विभिन्न भागों में आत्महत्याएं कर रहे हैं तब इस संप्रग सरकार ने यह पृथक कृषि बजट को प्रस्तुत नहीं किया? तभी मूल्य वृद्धि जैसी समस्या, जिसका हम इस देश में सामना कर रहे हैं, और किसानों की समस्या को सुलझाया जा सकता है।

इस बजट में, माननीय वित्त मंत्री ने अधिक क्षेत्रीय असंतुलन पैदा किया है। राज्य मंत्री दक्षिण से है और मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र से हूं। हमें उम्मीद थी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु अधिक धनराशि आवंटित की जाएगी। इस प्रकार के क्षेत्रीय असंतुलन से, माननीय वित्त मंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के क्षण में अधिक अलगाववाद पैदा रहे हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अधिक पिछड़ापन ला रहे है। माननीय वित्त मंत्री मुद्रास्फीति और सकल घरेलू उत्पाद में नौ से दस प्रतिशत वृद्धि का उल्लेख कर रहे थे। लेकिन एक व्यापारी ने मुझसे कहा कि आज हमारे पास ''परसेंटेज वित्त मंत्री'' है। मुझे नहीं पता कि संक्षेपाक्षर ''पीसी'' का क्या अर्थ है?

वित्त मंत्री महोदय, आज देश इसे प्रतिशत के रूप में मान रहा है। देश में निचले स्तर पर विकास किये जाने और वास्तविकता समझने की जरूरत है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की 22 मंजिला इमारत को देखकर विकास का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हम निचले स्तर पर काफी क्यों नहीं करते? अत:, इससे देश में क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होता है। यदि मेरी बात गलत दी है तो एक बार स्व. श्री बहुगुणा ने श्रीमती इंदिरा गांधी को कहा था कि आप किसानों का भला कैसे कर सकती हैं? आप गेहूं और चावल के पौधे में अंतर नहीं बता सकते। आज भी यही बात है क्या हमारे वित्त मंत्री जी गेहूं और चावल के पौधे में अंतर बता सकते हैं। इसी स्थिति के चलते हम इस माननीय सदन में आंसू बहा रहे हैं। अत:, संप्रग सरकार से मेरी पुरजोर मांग है कि भविष्य में देश को किसानों के विकास के लिए अलग से कृषि बजट की आवश्यकता है।

महोदय, मुझे नहीं मालूम कि क्या संप्रग के भीतर कोई मतभेद हैं। मा. रेल मंत्री जी ने अपने रेल बजट में घोषणा की है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए चार राष्ट्रीय परियोजनाओं की घोषणा की गई है। किंतु मा. वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में मात्र एक राष्ट्रीय परियोजना अर्थात् बोगिबील का ही उल्लेख किया है। क्या यह पूर्वोत्तर क्षेत्र, जहां अत्यधिक संख्या में भूमिगत कार्यकर्त्ता हैं, के लोगों के साथ न्याय नहीं है? पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमारे 60 या 70 बिहारी भाईयों का कत्ल किये जाने पर देश उनके लिए सहानुभूति रखता है। इसी कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में भूमिगत कार्यकर्त्ताओं की संख्या बढ़ रही है और देश के उस हिस्से के और अधिक लोगों के दिमाग में पृथक्करण की भावना पनप रही है। अत:, वार्षिक बजट में भौगोलिक कारक को दर्शाया जाये।

महोदय, मुझे मालूम है कि मा. मंत्री जी तमिलनाडु राज्य से हैं। मैं अरुणाचल प्रदेश से हूं। मैं हिमालय श्रृंखला में रहता हूं और वे भारतीय महासागर के समुद्री तट के पास रहते हैं। यह देश महान है-कुछ लोग मरूस्थलों में तो कुछ लोग समुद्र के पास और कुछ लोग हिमालय की पहाड़ियों में रहते हैं। बजट आवंटनों का वर्गीकरण भौगोलिक कारकों के आधार पर होना चाहिए ...*(व्यवधान)*

फिलहाल, धनराशि का आवंटन जनसंख्या के अनुसार किया जाता है। आप जम्मू और कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय का विकास किस प्रकार करेंगे? आप कुछ ही कि.मी. क्षेत्र के भीतर करोड़ों रु. व्यय कर रहे हैं। किंतु देश के गंगा नदी से जुड़े और अन्य भागों में, आप मात्र 3 लाख रु. व्यय कर सकते हैं और आप उस स्थान पर सड़क का निर्माण कर सकते हैं। अत:, धनराशि का वितरण इस देश के भौगोलिक घटकों के आधार पर होना चाहिए। अत:, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इन धनराशियों का आवंटन करते समय भौगोलिक कारकों को ध्यान में रखा जाये।

अब मैं स्वास्थ्य की बात करता हूं। हमें खुशी है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के लिये, मा. वित्त मंत्री जी ने काफी धनराशि आवंटित की है। माननीय मंत्री को आभास नहीं हुआ है कि विद्यार्थी कहां से आयेंगे। वे किसानों के परिवार से आयेंगे। अत:, किसानों के हित का ध्यान रखना होगा ...*(व्यवधान)*

अब, मैं नयी लुक ईस्ट नीति की बात करता हूं। इस बजट में इसका उल्लेख हुआ है। पूर्व सरकार तथा इस संप्रग सरकार का भी प्रस्ताव था कि पूर्वोत्तर क्षेत्र से काफी सीमा-पार व्यापार होगा। लुक ईस्ट नीति कहां है? इस बजट में दक्षिण-पूर्व एशिया को रेल मार्ग और हवाई सेवा से जोड़ने तथा सीमा-पार के व्यापार के बारे में उल्लेख नहीं है। अब मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात अर्थात पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात पर आता हूं। आपने पूर्वोत्तर क्षेत्र राजमार्गों के विकास के लिए केवल 722 करोड़ रु. आवंटित किये हैं। यदि 722 करोड़ रु. की यह राशि पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों में बांटी जाये तो एक राज्य को मात्र 90 करोड़ रु. मिलेंगे। क्या भारत सरकार हिमालय क्षेत्र में मात्र 90 करोड़ रु. से सड़कों का निर्माण कर पायेगी। अत:, आप क्षेत्रीय असंतुलन पैदा कर रहे हैं जिससे अधिक से अधिक लोगों में इस देश की मुख्यभूमि से अलग होने की भावा पैदा हो रही हैं।

हवाई सेवा और विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंध में पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्रों का चयन किये बिना वहां के लोगों की उपेक्षा क्यों की जा रही है? इस बजट में, निर्धारित की गई धनराशि 31 मार्च अर्थात् इस माह के अंत तक व्यय करनी होगी। क्या वास्तव में ऐसा होगा या नहीं।

अब मैं विद्युत क्षमता की बात करता हूं। पूरे देश में, लोग विद्युत के लिए रो रहे हैं। हमारे पास और विद्युत पैदा करने की क्षमता है। अत:, पूर्वोत्तर क्षेत्र में पनबिजली पैदा करने के लिए अधिक धनराशि आवंटित की जाये ...*(व्यवधान)*

मैं सिर्फ एक बात और कहता हूं। हम खुश हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यह एक तुष्टीकरण की नीति है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा। हमारे मुस्लिम और अल्पसंख्यक भाईयों को धनराशि आवंटित की गई है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के लिए 16 करोड़ रु. आवंटित किये गये हैं। उतनी ही राशि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को क्यों नहीं आवंटित की गई? पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास हेतु हमारे पास एनईआरएएमसी है। इस बजट में एनईआरएएमएसी का कोई भी पैसा क्यों नहीं दिया गया है? इन्हीं सब मुद्दों से आप क्षेत्रीय असंतुलन पैदा कर रहे हैं। अत:, मा. वित्त मंत्री जी पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर पुन: ध्यान दें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. एम. रामदास, आप केवल पांच मिनट के लिए बोल सकते हैं। यह मेरी विनम्र प्रार्थना है। पांच मिनट से अधिक समय न लीजिए।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): फिर तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं पांच मिनट के भीतर बजट पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी के बहुत से सदस्य बोल चुके हैं।

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास: मैं अपनी पार्टी का एकमात्र सदस्य हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपना भाषण आरंभ करें। अगर आप अपनी पार्टी के एकमात्र सदस्य है, तो भाषण आरंभ कीजिए।

प्रो. एम. रामदास: अब मेरे सारे विचारों की श्रृंखला टूट गई है ...*(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दल, पट्टाली मक्कल काट्ची और इसके संस्थापक प्रेजिडेंट डा. अय्यर की ओर से मैं वर्ष 2007-08 के केन्द्रीय बजट की प्रशंसा करता हूं और संयोगवश यूपीए सरकार का चौथा बजट है। माननीय वित्त मंत्री, श्री चिदम्बरम एक सर्वसमावेशी बजट को प्रस्तुत करने के लिए हमारी भरपूर प्रशंसा के हकदार हैं।

महोदय, मेरे से पहले के वक्ता ने कहा था कि माननीग वित्त मंत्री केवल 'परसेंटेज मिनिस्टर' हैं। मैं उनके वक्तव्य में सुधार करते हुए केवल यह कहना चाहूंगा कि हमारे वित्त मंत्री ''जनता के मंत्री'' है। आप बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग का उल्लेख पा सकते हैं। चाहे वह पूर्वोत्तर क्षेत्रों, या तमिलनाडु या जम्मू-कश्मीर, या अल्पसंख्यक वर्ग या पिछड़े वर्ग या महिलाएं हों, प्रत्येक व्यक्ति को इस बजट में स्थान दिया गया है। अत: यह लोक बजट है ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)**

प्रो. एम. रामदास: मैं हार नहीं मान रहा हूं। मुझे यह कहना चाहिए कि पिछले बजट को प्रस्तुत करते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा: ''वृद्धि हमारी सवारी होगी। ईक्विटी हमारी सहयात्री होगी तथा सामाजिक न्याय हमारा गंतव्य होगा।'' यह बजट उस वृद्धि और सामाजिक न्याय की दिशा में एक और मील का पत्थर साबित होगा।

यह बजट देश के विकास और लोगों के विकास का बजट है। जब हम बजट का आकलन करते हैं तब हमें इस बजट को दो दृष्टिकोण-एक लोक की दृष्टि से तथा दूसरी आर्थिक दृष्टि से देखना चाहिए। लेखा की दृष्टि से इस बजट का केवल एक ही महत्व है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: वित्त मंत्री के संबंध में यदि कुछ भी आपत्तिजनक है तो उसे मेरी जानकारी में लाया जाए। आपत्तिजनक पाए जाने पर मैं उसे कार्रवाई वृत्तांत से निकाल दूंगा।

प्रो. एम. रामदास: लेखा की दृष्टि से बजट राजस्व और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण एवं सरकार के घाटे को प्रस्तुत करता है। उस दृष्टि से संभवत: यह देश का पहला बजट है जिसने देश को एक संतुलित बजट दिया है क्योंकि कुल सरकारी राजस्व 6,80,521 करोड़ रु. है जो कि वस्तुत: सरकार द्वारा व्यय की गई राशि यानि 6,80,521 करोड़ रु. के बराबर है। जहां तक कुल राजस्व और कुल व्यय का प्रश्न है। यह शून्य घाटा है। हमें इस बजट में यह नई बात दिखायी दी है।

दूसरी बात यह है, वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में किये गये वादे के अनुसार वित्त मंत्री राजस्व घाटे को 1.5 तक कम करने में सफल रहे हैं जिससे एक 2009 तक उसे समाप्त किया जा सके। वित्तीय घाटे को कम करके 3.3 प्रतिशत किया गया है। जिससे कि इसे और दो वर्षों में तीन प्रतिशत तक सीमित किया जा सके। अत: यूपीए सरकार की वित्तीय उपलब्धि उल्लेखनीय है तथा यह वित्तीय स्थिरता न केवल राजस्व वृद्धि से प्राप्त हुई है, बल्कि व्यय संबंधी प्राथमिकताओं को बदलकर तथा परिणामों के प्रति ध्यान केन्द्रित करके भी किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

ये सभी नवीन प्रक्रियाएं जो सामान्यत: एक पेशेवर बजट को विशेषता प्रदान करती है। अत: केवल एक पेशेवर वित्त मंत्री ही वित्तीय घाटे तथा सरकार के राजस्व घाटे के लक्षित स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप देश के राजस्व में तीव्र वृद्धि हुई है। सरकार के राजस्व में वृद्धि होती जा रही है। कर की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में वृद्धि हो रही है तथा विभिन्न कर राजस्व भी देश में बहुत अधिक है।

हमें वित्त मंत्री को बजट में अनेक नवीनताएं लाने के लिए भी धन्यवाद देना चाहिए। सर्वप्रथम, उन्होंने परिणामी बजट प्रस्तुत किया है जहां हम न केवल परिव्यय में बल्कि उस व्यय के परिणाम में भी रुचि रखते हैं जो व्यय हम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने संसद को यह भी रिपोर्ट दी है कि उन्होंने जो भी घोषणाएं की हैं उनका कार्यान्वयन हुआ है या नहीं? उदाहरणस्वरूप, पिछले बजट में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में 73 घोषणाएं की, जिसमें से उन्होंने 42 घोषणाओं को पूरा किया है जहां पूरी कार्रवाई की गई तथा 31 क्षेत्रों के संबंध में कार्रवाई की जा रही है अथवा आंशिक कार्रवाई की गई तथा प्रगति की निगरानी की जा रही है। न केवल इस देश में बल्कि विश्व में आप ऐसी की गई कार्रवाई प्रतिवेदन नहीं पाएंगे। अत: हमारे वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं।

उन्होंने बजट में महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करने की शुरुआत की है, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यद्यपि इस सभा ने महिलाओं को अभी तक 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान नहीं किया है, परन्तु कम से कम हमारे वित्त मंत्री इतने सहृदय हैं कि उन्होंने प्रत्येक मंत्रालय को महिलाओं के लिए बजट तैयार करने तथा अलग से यह दर्शाने को कहा है कि महिलाओं के लिए वे कितना पैसा आवंटित करते हैं। अत: ऐसा हो सकता है कि अगले दो तीन वर्षों में हम प्रत्येक विभाग में यह देख पाएंगे कि महिलाओं के विकास पर हम कुल व्यय का 33 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं।

एक दूसरा तरीका जिससे हम वित्त मंत्री द्वारा किये गये नवीन कार्य को देख सकते हैं। वह यह है कि वित्त विधेयक अथवा बजट में देश के समक्ष आयी वर्तमान चुनौतियों का मुकाबला करना होगा। यद्यपि बजट से देश की दीर्घावधिक वृद्धि संबंधी संभावनाओं को प्राप्त करना है, परन्तु उन्हें वर्तमान मुद्दों पर भी ध्यान देना है। कृषि संबंधी गति में गिरावट एक देश के सामने आया हुआ एक ऐसा ही मुद्दा है। यह सत्य है कि भारतीय अर्थव्यवस्था नौ प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, पर यह वृद्धि मुख्य रूप से उत्पादन क्षेत्र है जिसकी वृद्धि दर 11.2 प्रतिशत है तथा सेवा क्षेत्र, जिसकी वृद्धि दर 11.3 प्रतिशत है, के कारण है। परन्तु, दुर्भाग्यवश कृषि क्षेत्र

में 2.3 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो ही नहीं पा रही है जो कि हिन्दू वृद्धि दर जो कि इस देश को आर्थिक वृद्धि की लम्बे समय से पहचान रही है, से भी कम है। अत: सरकार को कृषि पर और अधिक ध्यान देना है तथा वित्त मंत्री ने देश में कृषि वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए इस पर अन्य क्षेत्रों से अधिक ध्यान दिया है।

दूसरा मुद्दा यह जिस पर उन्होंने ध्यान दिया है, वह देश में मुद्रास्फीति का मुद्दा है। हम सभी मूल्यों में बढ़ोत्तरी से चिन्तित है। इसमें कोई शक नहीं है। आम आदमी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि से चिन्तित है। परन्तु, यदि हम देश के अन्दर हो रही घटनाओं का निरपेक्ष भाव से अवलोकन करे तो सरकार पर मूल्य के मुद्दे पर असफलता के लिए दोषारोपण नहीं कर सकते।

महोदय, कीमतों में होने वाली वृद्धि देश में कुल मांग और कुल आपूर्ति के बीच होने वाले असंतुलन को दर्शाती है। यदि कुल मांग और कुल आपूर्ति में संतुलन हो, तो कीमतें और आर्थिक विकास स्थिर रहेंगे। ऐसी स्थिरता केवल एक स्थिर अर्थव्यवस्था में ही संभव है जहां कुल मांग और कुल आपूर्ति में वृद्धि नहीं होती। जहां तक इस देश की बात है, सरकार वर्तमान में अपने व्यय में सुधार कर रही है। सरकार अवसंरचना इत्यादि पर काफी पैसा व्यय कर रही है। अत: लोगों के पास नकद मुद्रा में काफी वृद्धि हुई है। जिसके कारण, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ रही है, इसलिए मांग बढ़ रही है। दुर्भाग्यवश, प्राकृतिक कारकों के कारण, आपूर्ति, खासकर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति नहीं बढ़ रही है जिसके कारण असंतुलन होता है और इसलिए कीमत बढ़ती है। असंतुलन के मसले को बचत दर और निवेश दर में असंतुलन से देखा जा सकता है। एक ओर जहां निवेश दर लगभग 34.9 प्रतिशत है, बचत दर मात्र 32.1 है जोकि कम है। इससे मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन का भी पता चलता है। अत:, उन्होंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रेक्ट्स पर नियंत्रण करके, आवश्यक वस्तुओं का आयात कर आपूर्ति बढ़ाकर और रेपो दर, ब्याज दर आदि बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में अत्यधिक तरलता पर नियंत्रण करके मुद्रास्फीति के मसले का समाधान किया है। वित्तीय और मौद्रिक कारकों के मेल से, वे कीमत में स्थिरता ला पाये हैं। उन्होंने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मसलों का समाधान किया है। उन्होंने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के मसलों का समाधान किया है। इन सभी प्रयासों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं वर्तमान में अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास हो रहा है। देश में कभी भी 9 प्रतिशत विकास दर नहीं रही है, और हमें आशा है कि हम काफी बेहतर कार्य कर पायेंगे। महोदय, लेकिन फिर भी, यह ऐसा नजर नहीं है जिससे चिंतायें न पैदा होती हैं। हमारी भी कुछ चिंतायें हैं जिन्हें हम मा. वित्त मंत्री के ध्यान में लाना चाहते हैं। हम वित्त मंत्री जी का ध्यान जहां दिलाना चाहते हैं वह है- सॉफ्टवेयर टेक्नॉलाजी पार्क ऑफ इंडिया। वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के घटक सॉफ्टवेयर टेक्नॉलाजी पार्क ऑफ इंडिया है, को 11 प्रतिशत न्यूनतम वैकल्पिक कर लगाने के कारण नुकसान हो सकता है। आप को मालूम है कि वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी देश में सबसे तेजी से विकसित होता उद्योग है और यह रोजगार मुहैया करा रहा है जो 30 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ रहा है। कोई दूसरा क्षेत्र 30 प्रतिशत विकास नहीं दे रहा है। यदि सॉफ्टवेयर उद्योग विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित किये जायें; तो उन्हें कर से छूट दी जाती है। किंतु अगर उन्हें तिरूचिरापल्ली अथवा पांडिचेरी अथवा मुदुरई जैसे छोटे नगरों में स्थापित किया जाता है तो उन पर 11 प्रतिशत पर लगता है। जो लोग इससे प्रभावित होंगे, वे हैं-मध्यम और छोटे उद्यम, और यह ठीक नहीं है। अत:, मैं अनुरोध करता हूं कि मा. वित्त मंत्री जी इस मुद्दे पर कार्यवाही करें।

महोदय, सीएसटी और वैट एक साल नहीं चल सकते। यद्यपि, सीएसटी दर को 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत किया गया है, हमें लगता है कि यदि वैट और सीएसटी रहेंगे, तो इससे देश में विसंगतियां पैदा होंगी। अत:, हम चाहते हैं कि कर दायरे से सीएसटी को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह समाप्त किया जाये।

पांडिचेरी से जुड़ा एक अन्य मुद्दा यह है कि सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के लिए जिलों की संख्या 220 से बढ़ाकर 330 कर दी है। हम चाहते हैं कि कराईकल जिला, जो नागापट्टनम जिले का एक भाग है और जिसे पहले ही पिछड़ा जिला घोषित किया गया है, शामिल किया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

प्रो. एम. रामदास: महोदय, मुझे कुछ भी सभा पटल पर नहीं रखना है, मुझे केवल बोलना है। पुडुचेरी, जो इस देश का एकमात्र राजधानी नगर है, 'सी' वर्ग का नगर है। अंडमान के एक गांव को 'सी' वर्ग का नगर माना जाता है जबकि पुडुचेरी जैसा एक विकासशील और गतिशील नगर को 'सी' वर्ग के नगर के रूप में रखा गया है। हम इसका दर्जा बढ़ाना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। अब श्री के. फ्रांसिस जार्ज जी की बारी है।

...*(व्यवधान)*

प्रो. एम. रामदास: आइए व्यावहारिक बनें। इस टिप्पणी के साथ, मैं केन्द्रीय बजट की पुन: अनुशंसा करता हूं। मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस देश के लिए एक संतुलित बजट बनाया।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री के. फ्रांसिस जार्ज। आप केवल चार मिनट तक ही बोलियेगा।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): अपनी पार्टी से मैं अकेला ही सदस्य हूं जो बजट के बारे में बोल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय: वो सब ठीक है। वह मेरी सिरदर्दी नहीं है। आप केवल चार मिनट के लिए बोलियेगा।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: ठीक है, महोदय।

2007-08 के बजट में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की बात है जिसका उद्देश्य तेज और क्रमिक विकास है। ऐसा सहायता है कि बजट को इस आधार पर तैयार किया जाता है कि विकास को बरकरार रखने के लिए यह समान हो तथा विकास और सामाजिक समानता में कोई असंतुलन न हो। अत:, इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु बजट में कृषि, सिंचाई, शिक्षा, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने, स्वास्थ्य और ग्रामीण अवसंरचना, रोजगार सृजन, कौशल विकास, असंगठित क्षेत्र हेतु सामाजिक सुरक्षा और निस्संदेह, प्रमुख कार्यक्रमों के लिए संसाधनों का भारी आवंटन किया गया है। महोदय, ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र के विकास की घोषणा की है। किंतु कार्पोरेट क्षेत्र ने इस बजट को अच्छा नहीं बताया है। इस बात की कड़ी आलोचना हुई है कि इस बजट में आर्थिक सुधारों पर जोर नहीं दिया गया है और इसमें समृद्ध वर्गों के लिए कुछ नहीं है। महोदय, ऐसा लगता है कि किसी बजट को सुदृढ़ घोषित करने के लिए, इसमें समाज के समृद्ध वर्गों की बजाय पूर्ण रूप से कार्पोरेट क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित होना चाहिए। हमें काफी खुशी है कि वित्त मंत्री जी ने कृषि क्षेत्र में उपायों की घोषणा करके इसे सिद्ध किया है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख वर्ग में वर्तमान में व्याप्त निराशा की स्थिति से उबरने में काफी मदद मिलेगी। हमें आशा है कि 11वीं योजना में कृषि विकास 4 प्रतिशत की दर से होगा। घोषित किये गये कुछ उपायों में सुधार की जरूरत है।

राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा प्रस्तुत किसानों के लिए प्रारूप राष्ट्रीय नीति' को सरकार ने अभी कार्यान्वित नहीं किया है तथा सरकार के पास कृषक समुदाय की ऋणग्रस्तता संबंधी डॉ. राधाकृष्णन समिति की रिपोर्ट अभी नहीं आयी है। हमें आशा है कि सरकार इन दोनों आयोगों की सभी सिफारिशों पर ध्यान देकर उन्हें जल्द से जल्द कार्यान्वित करना आरंभ करेगी। महोदय बजट में 2,25,000 करोड़ रुपये कृषि ऋण और बैंकिंग प्रणाली में 50 लाख किसानों को जोड़ने की घोषणा की गई है। हम सभी यह आशा करती है कि कृषक समुदाय में ऋणी किसानों की संख्या नहीं बढ़ेगी।

महोदय, बजट में दो प्रतिशत ब्याज में राहत देने की बात कही गई है लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना है कि कृषि ऋण बहुत कम ब्याज दर पर उपलब्ध हो। हम सभी दलगत भावना से ऊपर उठकर यह मांग करते रहे हैं कि किसानों को चार प्रतिशत की ब्याज पर ऋण दिया जाना चाहिए। मैं नहीं जानता हूं कि वित्त मंत्री ने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किये हैं। यदि सरकार और वित्त मंत्री कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए ईमानदारी से प्रयासों को तो निम्न ब्याज दर ऋण लिया जाएगा और सरकार को यह भी सुनिश्चित करना है कि वास्तव में यह धनराशि इस देश में ऐसे साधारण किसानों को मिले जो लंबे समय से कठिनाइयों का सामना करते आ रहे हैं।

महोदय, अभावग्रस्त जिला है के मामले में सरकार ने हाजियों को सहायता देने की घोषणा की है जिनमें से तीन जिले केरल के हैं। वास्तव में हमने यह मांग की है कि केरल के दो और जिलों अर्थात् इदुक्की और अलापुझा को इस सूची में जोड़ा जाये लेकिन इस संबंध में अब तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं दिया गया है। मैं सरकार से अभावग्रस्त जिला सहायता योजना डिस्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक एसिस्टेंस प्लान) इन दोनों जिलों के अंतर्गत इडुक्की और अलापुझा को शामिल करने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, कृषि बीमा के मामले में, जोकि विशेषकर इस कृषि क्षेत्र की सहायता करने में एक महत्वपूर्ण घटक है, इसे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां तक केरल का संबंध है, मात्र छह उत्पादों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत लाया गया है। वस्तुत: अधिकांश नकदी फसलों और मसालों जिसका केरल उतपादन करता है, को शामिल नहीं किया गया है यद्यपि इस दूसरी मांग पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं। इस अत्यंत संकट की स्थिति में, इसे अपने किसानों को बीमा सुविधा का लाभ देना होगा। वास्तव में सभी कृषि उत्पादों और सभी फसलों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत लाया जाता है।

इसके साथ ही मैं एक और अनुरोध करना चाहूंगा कि केरल में सरकार द्वारा एक मसाला खरीदा और व्यापार कंपनी का गठन किया जाना है। हमने इसकी मांग की है। हमें उम्मीद थी कि बजट में इस संबंध में एक घोषणा की जाएगी क्यों? इसका कारण यह है कि यद्यपि केरल में सभी मसालों की कीमत घट रही है

जबकि केरल के बाहर महानगरों, हमारे बड़े शहरों में इन मसालों का अच्छी कीमत मिलती है। यदि किसानों को अच्छे मूल्य देकर इन मसालों की खरीद की जा रही है और यदि सरकारी एजेंसी इसका हमारे देश के बड़े महानगरों और प्रमुख शहरों का इनका व्यापार कर सकती है तो किसानों का अच्छा मूल्य सकता है।

वृद्धि के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण विद्युत क्षेत्र, सरकार ने विद्युत उत्पादन में सुधार और पारेषण संबंधी घाटे को कम करने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की थी। एक महत्वपूर्ण पहल त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एआरडीआरपी) शुरू करने की थी। भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र में वास्तव में केरल ने प्रोत्साहन देने का वायदा किया था। पारेषण संबंधी घाटे को कम करने वाले राज्यों को इस विशेष कार्यक्रम के अनुसार पारेषण घाटे को कम करने के लिए गत वर्ष 290 करोड़ रुपये का दावा किया था। लेकिन राज्य सरकार को मात्र 20 करोड़ दिया जा रहा है। यह कोई प्रोत्साहन नहीं है। कोई वादा किया जाता है तो उसे पूरी तरह पूरा करना होगा। यदि आप इस अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र में घाटे को और कम करने हेतु राज्यों को और प्रोत्साहित करना चाहते हैं दो लाख धनराशि भुगतान पूरी तरह करना होगा।

महोदय, मैं आधारभूत ढांचे के वित्तपोषण हेतु विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करने हेतु इन नए उपायों के लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूं। यदि सरकार कृषि से संबंधित इस विशेष क्षेत्र की सहायता करने के प्रति ईमानदार है तो उसे इस क्षेत्र में भी ऐसे नवीन उपाय करने होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: मैं अपना भाषण अभी समाप्त कर रहा हूं।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने अपना बजट भाषण समाप्त करते हुए कहा था कि वांछित परिणाम प्राप्त करने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अनेक कार्यक्रमों का उल्लेख करना है लेकिन समयाभाव के कारण मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि यदि हमें वांछित परिणाम निकालने हैं तो केन्द्र सरकार की सभी योजनाओं को मौजूदा सतर्कता और निगरानी समिति प्रणाली के अंतर्गत लाया जाना चाहिए जो प्रत्येक जिले में मौजूद है और जिसकी अध्यक्षता उस जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य द्वारा किया जाता है। सरकार को उसी तरह सोचना चाहिए। केन्द्र प्रायोजित सभी योजनाओं को इस विशेष सतर्कता और निगरानी प्रणाली के अंतर्गत लाए जिसका पर्यवेक्षण उस क्षेत्र के संबंधित संसद सदस्यों द्वारा किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इससे भविष्य में वांछित परिणाम प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

मैं सरकार से हमारे देश के कृषि क्षेत्र की अधिकतम सहायता करने का एक बार पुन: अनुरोध करता हूं।

पिछले वर्ष बजट में न सिर्फ केरल बल्कि पूरे देश के लिए के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में घोषणा की गई थी और यह परियोजना वल्लापदम कंटेनर टर्मिनल की थी। इस वर्ष हमें उम्मीद थी कि वित्त मंत्री विजींगम पत्तन हेतु सहायता की घोषणा करेंगे जो न सिर्फ केरल के लिए है बल्कि पूरे देश के लिए है। यह अंतर्राष्ट्रीय नौवहन के एक महत्वपूर्ण मार्ग पर स्थित है। इसलिए, मेरा माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वाद-विवाद का उत्तर देते समय उन्हें इसकी घोषणा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

***श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी** (रीवा): महोदय, प्रस्तुत बजट 2007-08 और माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण पर मुझे एक कविता की दो पंक्तियां याद आ रही हैं, जो इस बजट पर सटीक बैठती है। "सब कुछ है अपने देश में रोटी नहीं तो क्या? वायदा लपेट लो लंगोटी नहीं तो क्या?"

प्रस्तुत बजट में वित्त मंत्री जी ने लंबे वायदों का सब्जबाग तो दिखाया, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर कोई ठोस पहल नहीं की गई हैं। इस बजट में कृषि, रोजगार और आम आदमी के हितों को दरकिनार किया गया है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर वर्ष 2004-05 में 7.5% की तुलना में वर्ष 2005-06 में बढ़कर 9% हो गयी है और अग्रिम अनुमानों के अनुसार यह वर्ष 2007-08 में 9.2% हो जाएगी। इस प्रकार संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में सरकार के तीन वर्षों में औसत वृद्धि 8.6% रही। इस प्रभावशाली वृद्धि के फलस्वरूप दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित 8% वृद्धि लक्ष्य वर्ष 2002-03 में असंतोषजनक शुरुआत के बावजूद लगभग प्राप्त कर लिया जाएगा।

मेरी सामान्य समझ से परे है कि सकल घरेलू उत्पाद की प्रभावकारी वृद्धि के बावजूद सुरसा की तरह बढ़ रही महंगाई को रोकने का कोई ठोस और कारगर उपाय इस बजट में क्यों नहीं किया गया। आज देश की बागडोर तीन प्रमुख अर्थशास्त्रियों प्रधानमंत्री, डा. मनमोहन सिंह, योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया और वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम जी के हाथों में

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी]

होने के बावजूद आम आदमी के उपभोग में आने वाली वस्तुओं जैसे खाद्यान्न, तेल, गुड़ और नमक के दाम आसमान को छूते जा रहे हैं।

महात्मा गांधी ने कहा था कि सरकार में बैठने वाले लोग कम से कम नमक का दाम नहीं बढ़ाए। क्योंकि गांव का गरीब दिन रात खेत-खलिहान और कल-कारखानों में हाड़तोड़ मेहनत करने के बाद जब घर लौटता है और उन्हें दाल सब्जी नहीं मिल पाती, तो वह नमक की डली के साथ रोटी खाकर अपने पेट की ज्वाला शान्ति कर लेता है। गांधी जी के नाम पर वोट मांगने वाली कांग्रेस नीति सरकार ने नमक तक का दाम बढ़ाकर गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया है। वित्त मंत्री जी ने जरूरी उपभोक्ता वस्तुओं को सस्ता करने के बजाय पालतू जानवरों के लिए खाद्य-पदार्थों की कीमतों को रास्ता करके गरीबों और आम उपभोक्ताओं के साथ क्रूर मजाक किया है।

यह केवल मैं नहीं कह रहा हूं। यह बात भारत सरकार के आर्थिक थिंक-टैंक' ''इंस्टीट्यूट ऑफ इकानामिक ग्रोथ (आईईजी)'' की मासिक समीक्षा में कहा गया है कि फरवरी, 2007 तक के आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रधान उधारी दरों (पीएलआर) में और आर्थिक वृद्धि होगी। देश के शीर्ष 5 वाणिज्यिक बैंकों का पीएल और 11.5% से बढ़कर 12% तय हो चुका है। इसी तरह जमाओं पर मिलने वाली ब्याज दर भी बढ़कर 9.5% तक जा पहुंची है। आईईजी ने कहा कि ब्याज दरों में वृद्धि का यह सिलसिला अभी अपने चरम सीमा तक नहीं पहुंचा है और अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दबावों के बने रहने के चलते आने वाले दिनों में इसमें और बढ़ोत्तरी हो सकती है। आईईजी का निष्कर्ष है कि इन सबके चलते महंगाई और भी बेकाबू हो जाएगी।

मैं माननीय वित्तमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हम देशवासियों को कम से कम अटलजी के प्रधानमंत्रित्व काल की उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें वापस दिला दे। मगर इस बजट तक महंगाई को रोकने का कोई कारगर उपाय नहीं किया गया।

देश की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 78% से ऊपर अन्नदाता किसान हैं, जो कर्ज के बोझ से दबकर बड़ी संख्या में आत्महत्या करने को लाचार है। इस बजट में किसान आत्महत्या करने को विवश नहीं हो, इसका कोई कारगर प्रावधान नहीं है। खेती आज घाटे का धंधा है। जब तक किसानों को उनकी पैदावार का वाजिब और लाभप्रद मूल्य नहीं मिलेगा, किसानों की हालत में बेहतरी संभव नहीं है। कल-कारखानों में बनने वाली चीजों के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है चाहे वह उर्वरक हो या कीटनाशक हो। लेकिन किसानों को उनकी पैदावार की लागत का दाम भी नहीं मिल पा रहा है। इस स्थिति में किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा?

वित्तीय अनुशासन आर्थिक विकास पूंजी बाजार के प्रोत्साहन और सामाजिक क्षेत्र के सरोकार के बावजूद किसी उल्लेखनीय योजना की शुरुआत इस बजट में नहीं की गई है। इसी प्रकार ढांचागत क्षेत्र के विकास की बातें तो बहुत जोरदार तरीके से की गई हैं। लेकिन वास्तविकता के धरातल पर कोई ठोस पहल परिलक्षित नहीं होती।

इसी प्रकार सरकार अपनी कमाई के हर एक रुपये पर 19 पैसे उधारी लेगी जबकि खर्च करने वाले हर एक रुपये पर 20 पैसे का ब्याज देगी।

समाज के कुछ मट्ठी भर लोगों को छोड़कर इस बजट से समाज के हर वर्ग के लोगों को छला गया है। कर नियमों में सरलीकरण की माननीय वित्तमंत्री जी से बड़ी उपेक्षा थी। लेकिन उसे सरल बनाने के बजाए जटिल और कागजी कार्यवाही वाला बना दिया गया।

इतना ही नहीं आयात कर में छूट के लाभ से विदेशी वस्तुओं के बाजार तो बढ़ेंगे और देशी उद्योगों को भारी नुकसान होगा और वे चौपट हो जायेंगे। बढ़ते स्थापना खर्च की स्थिति में कठोर आर्थिक प्रबंधन की जरूरत थी। लेकिन इस पर नियंत्रण के कोई उपाय नहीं किये गये।

संक्षेप में कहें तो यह जनविरोधी बजट है, जिसमें महंगाई रोकने का कोई उपाय नहीं किया गया है। आम आदमी की कोई खास चिन्ता नहीं की गई है, कर्ज के बोझ से आत्महत्या करने को मजबूर किसानों का कोई सरोकार नहीं है। व्यक्तिगत आयकरदाताओं को कोई खास राहत नहीं दी गई है। कुल मिलाकर समाज के किसी तबके को खुश नहीं कर पाए वित्तमंत्री जी।

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कम समय लूंगा और अपनी बाकी की स्पीच ले कर दूंगा। आपने मुझे सामान्य बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एक साल तक लोग इस बात का इंतजार करते हैं कि आने वाले वर्ष के लिए सरकार उनके लिए कौन-कौन सी सुविधाएं लेकर आयेगी, टैक्स रेट क्या होंगे और सरकार की कमिटमैंट क्या होगी? जब यह सरकार सत्ता में आयी थी, तो उसने एक नारा दिया था कि ''कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ।'' लेकिन पिछले तीन वर्षों ने यह साबित

किया है कि "कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के गले के पास।" हर चीज की महंगाई बढ़ी है। अगर सरकार की कमिटमैंट देखें, तो बजट पेश होने के तीन-चार दिन पहले एक स्टेटमैंट आया था कि हम सीमेंट के भाव बढ़ने नहीं देंगे। उसके दूसरे दिन ही सीमेंट के भाव सभी फैक्टरियों ने बढ़ा दिए। इसका मतलब है कि सरकार की अथॉरिटी पर एक प्रश्न चिह्न लगा और लोगों के मन में यह बात आई कि दो दिन पहले यह स्टेटमैंट आती है कि सरकार सीमेंट के रेट बढ़ने नहीं देगी लेकिन उसके बाद सीमेंट के रेट बढ़ते हैं, तो उसका कारण क्या है?

जब जनता में आक्रोश फूटा तो फिर स्टेटमेंट आया कि दाम जो बढ़ गए, बढ़ गए अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। अगर सरकार का काम ऐसे ही चलता रहा तो बहुत दिन तक लोग इन पर विश्वास नहीं करेंगे। हमेशा हर सरकार की तीन प्रायरिटीज होती हैं-लॉ एंड आर्डर, हैल्थ और एजुकेशन। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, वहां पर ये तीनों चीजें कहीं देखने को नहीं मिलती हैं। आप अगर पंजाब जैसे प्रॉस्पर राज्य को देखें तो पिछले पांच वर्षों से कितने टीचर्स के पद वहां खाली पड़े हैं। अगर हम आज बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, इस सदन में प्रश्न उठाया गया था कि आज स्कूलों में ड्राप-आउट कितना है। अगर सरकार आजादी के 60 वर्ष बाद भी सभी को शिक्षा नहीं दे पाती है तो मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है, वे भी सोचते होंगे कि हमने अपना सारा कुछ बलिदान किया, फिर भी हम अपने बच्चों को मूलभूत चीजें भी नहीं दे पा रहे हैं। यही हाल मेडिकल एजुकेशन का है। डाक्टरों और दवाओं के अभाव की वजह से हजारों मरीज मर रहे हैं। टीचर्स और स्कूल न होने के कारण बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं। अगर लॉ एंड आर्डर की स्थिति देखें तो ऐसा लगेगा कि 8,000 लोगों के पीछे एक पुलिसवाला है तो कैसे वह लॉ एंड आर्डर को मेन्टेन कर पाएगा। बेसिक रिक्वायरेंट्स के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। हर साल बजट बनते हैं, भाषण होते हैं, हम भी बोलकर चले जाते हैं, लेकिन बात वहीं की वहीं रह जाती है। मेरा निवेदन है कि आम लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए यदि रोटी, कपड़ा और मकान की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बजट बनाना चाहिए। मैं कुछ डाटा देख रहा था कि 26 करोड़ लोग अभी भी पावर्टी लाइन के नीचे हैं और यह संख्या बढ़ती चली जाएगी। अनइम्प्लायमेंट का ट्रेंड यह है कि 34.9 करोड़ लोग अनइम्प्लायड हैं और वर्ष 2011-2012 तक यह संख्या बढ़कर 48 करोड़ हो जाएगी। इन लोगों को रोजगार देने की सरकार की क्या योजना है, यह बात हर बजट में चुप रहती है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि रूरल इम्प्लायमेंट गारन्टी योजना शुरू की गयी है, लेकिन प्रैक्टिकली वह एक फेल्योर है, वह एक पोलिटिकल योजना बनकर रह गयी है। हम मॉनिटरिंग कमेटी में जाते हैं, वहां देखते हैं कि एक वर्कर को 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से रोजगार दिया जाता है। इसमें यहां जो मिट्टी है उसे उठवाकर वहां रखवा दिया और बाद में उन्हें पैसा देकर उसी मिट्टी को फिर वहां रखवा दिया। इस तरह से रोजगार नहीं मिलेगा। हमें कोई न कोई ऐसी नीति बनानी होगी जिससे रोजगार मिल सके। अगर हम लोगों को रोजगार नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उन नौजवानों को की सम्मानजनक भत्ता दे दें ताकि लोग एमए, बीए, बीएड करने के बाद जब मां-बाप से कुछ पैसे मांगते हैं तो उनको एक ताना सुनने को मिलता है कि हमने आपको एमए, बीए करा दिया, अब हमारे पास पैसे नहीं हैं। कम से कम उन बच्चों को सम्मानजनक भत्ता मिलना चाहिए। यहां पर वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं, एक अन्य बात की ओर उनका ध्यान दिलाना चाहूंगा। आपने इम्पलाइज को दो भागों में बांट दिया है-गवर्नमेंट इम्पलाइज और अदर्स। पंजाब में पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं। वह पूरी तरह से गवर्नमेंट का इदारा है, लेकिन आपकी टैक्सिंग अथारिटीज ने ऐसा किया है कि बाकी सारे गवर्नमेंट इम्प्लाइज तो उसी धारा में आते हैं किन्तु पीएसईबी के इम्पालइज की फ्री एकोमोडेशन की सुविधा का वैलुएशन करने के लिए उनको अदर्स की कैटेगरी में रखा है जिसमें प्राइवेट कंपनीज को शामिल किया जाता है। सैलरी सरकार देती है, इन्वेस्टमेंट सरकार का है, मुलाजिम सरकार के हैं, लेकिन उनको टैक्स प्राइवेट कंपनियों के इम्प्लाइज की तरह देना पड़ता है। इसकी वजह से हर मुलाजिम को कम से कम आठ से दस हजार रुपये साल में ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। मैंने कई बार इस बारे में पत्र लिखे हैं, एक पत्र आया है कि इसे हम कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन आज तक इस बात को कंसीडर नहीं किया गया है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जैसे वहां बीबीएमबी है, वह भी बोर्ड है, उसके इम्प्लाइज को गवर्नमेंट इम्प्लाई माना जाता है, लेकिन पीएसईबी के इम्प्लाइज को अदर्स की कैटेगरी में रखा गया है। वे प्राइवेट कम्पनी में आते हैं। इसलिए जब भी फ्री एकोमोडेशन का वेल्यूशन हो, उन्हें भी सरकारी कर्मचारी की तरह ट्रीट करना चाहिए।

मेरी वित्त मंत्री जी से मांग है कि व्यक्तिगत आयकर सीमा जो एक लाख रुपए है, उसे बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपए किया जाए, ताकि आम मुलाजिम को उसका कुछ लाभ मिल सके। आज जिस तरह से मुद्रास्फीति की दर बढ़ रही है, उसे देखते हुए आयकर सीमा को डेढ़ लाख रुपए किया जाना जरूरी है, क्योंकि आज डेढ़ लाख रुपया पहले के एक लाख रुपये के बराबर ही हो गया है।

आपने अपने बजट में सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ खास नहीं किया है। जिस व्यक्ति की उम्र 65 साल या उससे ज्यादा है, वह टैक्स देता है, लेकिन उसके पास कमाने का साधन नहीं

[श्री अविनाश राय खन्ना]

रहता। अगर सरकार ऐसा प्रावधान कर दे कि 65 साल की उम्र के जिन व्यक्तियों ने टैक्स दिया है, उस टैक्स का दस प्रतिशत उन्हें 65 साल के बाद कोई इंसेटिव या फायदे के रूप में दिया जाएगा, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप उन बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा रख पाएंगे और टैक्स ज्यादा देने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी।

आजकल काफी बच्चे एजुकेशन लोन लेते हैं। जब उन्हें रोजगार मिल जाता है, तब वे उसका रिपेमेंट करते हैं। अगर उस लोन के इंटरेस्ट का पेमेंट उसके मां-बाप करते हैं तो उन्हें टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। इससे आपकी ऋण की रिकवरी भी बढ़ेगी और उन्हें भी फायदा होगा।

टैक्स लिमिट अंडर सेक्शन 40 (ए) (बी) में 20 साल से 40 लाख रुपए है। उस समय से अब तक काफी परिवर्तन हो चुका है इसलिए मेरी मांग है कि उसे बढ़ाकर एक करोड़ रुपये तक किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप समाप्त करें और बाकी की स्पीच सभा पटल पर रख दें।

श्री अविनाश राय खन्ना: मैं अभी अपनी बात खत्म करता हूं। बिजनेस एक्सपेंडिचर टैक्स लिमिट भी जो सेक्शन 40 (ए) (बी) में है, उसे 20,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जाए। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं वित्त मंत्री जी से उम्मीद करता हूं कि मैंने ये जो छोटी-छोटी बातें कही हैं, अगर वे इन्हें पूरा कर देंगे तो काफी लोग खुश हो सकते हैं।

*महोदय, मैं आज बजट पर अपने लिखित विचार व सुझाव रखना चाहता हूं। हर वर्ष हर सरकार एक वर्ष के लिए एक बजट पेश करती है और सभी देशवासियों की नजर बजट पर होती है कि सरकार किस वर्ग के लिए क्या करना चाहती है। जो इस वर्ष बजट पेश हुआ, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें आम आदमी के हाथ निराशा लगी। सरकार ने कहा कुछ, किया कुछ और उसका असर कुछ और ही हुआ। उदाहरण के लिए एक बयान सरकार की तरफ से आया कि सीमेंट के भाव नहीं बढ़ेंगे। दूसरे ही दिन सीमेंट के भाव सीमेंट की कंपनियों ने बढ़ा दिए। सिर्फ सीमेंट के भाव ही बढ़े और उससे कितनी चीजों पर असर पड़ा, इसे हम सब जानते हैं। क्या जो भी योजनाएं बनती हैं, उनमें देश के आम आदमी का ध्यान रखा जाता है या नहीं? आम आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। आज ये सारी चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। कब तक इंतजार करना पड़ेगा कि सारा देश तीन वक्त की रोटी आसानी से खा सके? कब तक इंतजार करना होगा कि सभी देशवासियों के तन पर कपड़ा हो। उदाहरण है कि यहां पर कई क्षेत्रों में एक ही साड़ी से तीन-तीन महिलाएं अपना तन ढक रही हैं। हर परिवार के लिए मकान का सपना तो शायद ही पूरा हो। जिस देश की 26 प्रतिशत से ज्यादा आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे रह रही है और 34 प्रतिशत से ज्यादा लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं, जो वर्ष 2011-12 में बढ़ कर 48 प्रतिशत होने के आसार हैं। एनएसएसओ के अनुसार 1993-94 से लेकर वर्ष 2004 तक बेरोजगारी की दर 5.6 से बढ़कर 9 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में हो गई है और 6.7 प्रतिशत से बढ़कर 8.1 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में हो गई है।

विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार एक अल्प विकसित देश की प्रति व्यक्ति आय 765 डालर है और एक विकसित देश की प्रति व्यक्ति आय 9386 डालर है, पर भारत की प्रति व्यक्ति आय 620 डालर है। अगर स्विटजरलैंड से तुलना की जाए तो उनकी प्रति व्यक्ति आय 48,230 डालर है, अमरीका की 41,400 डालर है। कब हम इन देशों से अपने आपको विकास पर ले जा सकेंगे?

अगर खाने-पीने की बात की जाए तो आम आदमी को कम से कम 2500 कैलोरी चाहिए जो भारत में मुश्किल से 2400 तक मिल पाती है। भारत के लोग औसतन 55 ग्राम प्रोटीन, 38 ग्राम फैट, 8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जबकि अमेरिका में 110 ग्राम प्रोटीन, 154 ग्राम फैट और 39 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो आम आदमी के लिए उसके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और कितने वर्ष इंतजार करना पड़ेगा।

रूल 3, आईटी रूल्स, 1962 के अनुसार कर्मचारियों को दो भागों में बांटा गया है कि एक सरकारी कर्मचारी और अन्य जिसके इन कर्मचारियों की किराया मुक्त आवास की मूल्यांकन होती है। पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारी जो है, वह एक तरह से सरकारी कर्मचारी है क्योंकि पंजाब राज्य बिजली बोर्ड में सिर्फ सरकार का ही पैसा लगता है, कोई गैर सरकारी निवेश नहीं है। लेकिन उनको जो किराया मुक्त आवास मिलती है उसका टैक्स सरकारी कर्मचारी के आधार पर न करके एक गैर-सरकारी के हिसाब से काटा जाता है जो सरेआम इन कर्मचारियों से धोखा है। एक-एक कर्मचारी पर कितना बोझ पड़ता है, आप जानते हैं सो मेरा अनुरोध है कि पीएसईवी के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह ही किराया मुक्त आवास की वैलुएशन की जाए।

मूल कर छूट की लिमिट को बढ़ाकर 1.50 लाख किया जाए।

जो करदाता 65 वर्ष की आयु के हो जाते हैं, उनको जो उन्होंने अपने जीवन में टैक्स दिया है का 10 प्रतिशत हिस्सा बुढ़ापे

में लौटाना चाहिए। इनसे उनका मान भी बढ़ेगा और लोग टैक्स भी पूरा जमा करेंगे। बुढ़ापे में भी करदाता को सुरक्षा मिलेगी।

विद्यार्थी एजुकेशन लोन लेते हैं, पढ़ाई के बाद उनको इस कर्ज को वापस करना होता है। अगर इस लोन को किसी बच्चे के माता-पिता अदा कर दें तो कर में इसके लिए माता-पिता को छूट मिलनी चाहिए। एक तो का पुनर्भुगतान हो जाएगा, बैंकों को उनका पैसा वापस आ जाएगा और बैंकों के बैड डेट्स भी कम हो जाएंगे।

[अनुवाद]

कर की दर को 30 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत तक लाया जाये क्योंकि जब कभी दरों को कम किया गया है सरकारी राजस्व बढ़ा है और अर्थव्यवस्था के विकास/प्रगति में सकारात्मक परिणाम दिखाई दिए हैं। कर दरें जितनी ऊंची होंगी उतना ही कर अपवंचन होगा।

भारत के विभिन्न राज्यों में मूल्यवर्द्धित कर की शुरुआत के समय केन्द्र सरकार/राज्य सरकार ने यह वायदा किया था कि भारत में बहुकर प्रणाली को कम करके न्यूनतम संख्या तक रखा जाएगा। इस प्रकार से 'फ्रिंज बेनीफिट टैक्स' लगाना औचित्यपूर्ण नहीं है क्योंकि यह अलग से नया कर है और निर्धारितियों पर अतिरिक्त भार है, इसे समाप्त किया जाए।

धारा 44कख के अंतर्गत कर लेखापरीक्षा की सीमा 40 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की जाए क्योंकि इसे गत 20 वर्षों से बढ़ाया नहीं गया है।

धारा 40क (3) के अतर्गत व्यापार व्यय की सीमा 20,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये की जाए।

धारा 269एसएस और 269टी के अंतर्गत ऋण और अग्रिमों को 20,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जाए।

धारा 269एसएस और 269टी के अंतर्गत ऋण और यात्रियों की सीमा को 20000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जाए।

कृषि आधारित उद्योग जैसे प्लाईवुड ब्लैकबोर्ड आदि जिसमें पोपलर/यूकेलिप्टस और किसानों द्वारा उगाई जाने वाली अन्य प्रकार की नकदी का उपयोग होता है, को उत्पाद शुल्क से पूर्णत: छूट दी जाए। उत्पाद शुल्क की सामान्य दर को 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया जाए क्योंकि अत्यधिक करों के कारण मुद्रास्फीति बढ़ रही है।

[हिन्दी]

एक सरकार की जिम्मेदारी है सभी को मेडिकल, एजुकेशन, लॉ एंड आर्डर की कोई समस्या न हो जाए। आज हजारों बच्चे पढ़ाई इसलिए छोड़ जाते हैं कि स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं, हजारों मरीज इसलिए मर जाते हैं कि डाक्टरों और दवाइयों का अभाव है। कानून व्यवस्था ठीक न होने के कारण लोगों को न्याय नहीं मिलता है। यह सभी जिम्मेदारियां सरकार की हैं। बजट में सभी बातों का प्रावधान हो जाए और इच्छाशक्ति को कायम करके इसको लागू किया जाए तो हर भारतवासी सुखी होगा और टैक्स देने में गर्व महसूस करेगा।

मेरा एक सुझाव है कि सरकार के खजाने में पैसा कैसे आए, भारत के लोग काफी दानी है। अगर कई संस्थाओं को देखें तो सरकार की सहायता से चलने वाली संस्थाओं से दान से चलने वाली संस्थाएं ज्यादा सफल हैं। लोग मन्दिर, गुरुद्वारों द्वारा चलाये जा रहे सेवाकार्यों में करोड़ों का दान कर देते हैं, पर टैक्स देने में शायद वे हिचकिचाएं। क्या सरकार कोई फंड जिसमें लोग स्वैच्छा से दान दें, पर विचार कर सकती है। अगर हां, तो इसके लिए एक व्यापक अभियान छेड़ना होगा ताकि देश का हर नागरिक देश के विकास के लिए अपना योगदान दे सके। इनकी शुरु अपने से ही करनी पड़ेगी। स्वैच्छा से प्रधानमंत्री से लेकर एक चपरासी तक बिना किसी दबाव के, बिना किसी मजबूरी के सभी लोग इस फंड में पैसा भेजें। सभी संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य, नगर पार्षद सरकारी कर्मचारी वगैरह इस योजना को फिर इस देश के हर व्यक्ति के पास, देश के हर बच्चे के पास, अमीर के पास, गरीब के पास ले जा सकते हैं। देश का खजाना भी भरेगा और देशभक्ति भी पैदा होगी।

आशा है कि जब देश के वित्त मंत्री बहस का जवाब देंगे तो अवश्य ही इन बातों का ध्यान रखा जाएगा।*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा बोलेंगे। कृपया पांच मिनट में समाप्त करें।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): महोदय, मुझे समय देने के लिए धन्यवाद। यह बजट विवरण पुन: उस प्रत्यक्ष परिवर्तन को पुन: प्रतिबिम्बित करता है जिसे संप्रग सरकार आम आदमी के पक्ष में लाने में सफल रही है। निस्सन्देह, अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति इतनी मजबूत है जितनी कि पहले कभी नहीं थी। राजग शासन के दौरान 5.5 प्रतिशत की औसत सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर अब विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में विकास के कारण नौ प्रतिशत से अधिक हो गई है।

[श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा]

दोनों क्षेत्रों में विकास दर दो अंकों में पहुंच गई है। यह वित्तीय दूरदर्शिता के कारण हुआ। राजग शासन के दौरान राजकोषीय घाटा, जो कि 6.2 प्रतिशत तक बढ़ गया था, अब इस वर्ष कम होकर लगभग 3.3 प्रतिशत रह गया है। निवेश दर, जिसे सकल घरेलू पूंजी निर्माण द्वारा मापा गया है, भी 30 प्रतिशत से अधिक हो गई है जो कि अब 33 प्रतिशत है जो कि भविष्य की संभावना और विकास के लिए शुभ संकेत है।

राजग के सदस्यों सहित हमारे कई सदस्यों मेरे मित्र श्री खारबेल स्वाईं सभा में उपस्थित नहीं है-ने इसे अच्छे आर्थिक कार्यनिष्पादन के रूप में माना है लेकिन श्री स्वाईं ने कहा कि वास्तव में अर्थव्यवस्था ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है लेकिन इसका कारण राजग शासन द्वारा की भी कड़ी मेहनत है।

[हिन्दी]

यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि अगर हम अच्छा काम करें तो ये लोग कहते हैं कि एनडीए सरकार ने भी ऐसा किया था। अगर कोई बुरी बात आए तो ये कहते हैं कि यह हमारी गलती है। गांव में एक कहावत है-चिट भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। इसलिए यह बात समझ में नहीं आई।

[अनुवाद]

तथापि, अर्थव्यवस्था की इस समग्र अच्छी तस्वीर में, कुछ अर्थशास्त्री चिंतापूर्ण कारकों की तरफ इशारा करते हैं और कुछ अर्थशास्त्री कह रहे हैं के वास्तव में कुछ अच्छे लक्षणों जैसे परिसम्पत्तियों का अत्यधिक मूल्य या शायद जमीन-जायदाद के मूल्यों में क्षणिक बढ़ोत्तरी, हमें दिखाई दे रहा सुदृढ़ ऋण विकास, बेहद भयावह गति से चालू खाते में बढ़ता घाटा और मुद्रास्फीति का दबाव जो कि सभा में वाद-विवाद का सार रहा है, के साथ अर्थव्यवस्था में काफी तेजी आई है।

निस्संदेह, मेरे विचार से यही स्थिति है। जब कभी कोई अर्थशास्त्री इस स्थिति को देखता है तो वह या तो मांग को या आपूर्ति को देखता है। मांग की तरफ देखना काफी सरल है जैसे कि पांडिचेरी से माननीय सदस्य प्रो. रामदास अभी-अभी भाषण समाप्त करते हुए कहा था कि मुद्रास्फीति को कम करके या उससे निपटने का एक तरीका यह है कि दर या रेपों दर बढ़ाया जाये। बाजार से नकदी पर नियंत्रण लगाया जाए और मांग को कम किया जाये। लेकिन यह अल्पकालिक उपाय है।

मैं अपने वित्त मंत्री को भी बधाई दूंगा कि वह इनके जाल में नहीं फंसे। वास्तव में उन्होंने दीर्घकालिक आपूर्ति उपायों, विशेषकर अवसंरचना कृषि और दक्षता तथा मानव संसाधन विकास पर ध्यान केन्द्रित किया। मैं अपना भाषण कृषि और दक्षता और मानव संसाधन विकास अर्थात् शिक्षा पर केन्द्रित करने जा रहा हूं। मैं इस क्षेत्रों के संबंध में एक-दो सुझाव भी दूंगा।

कृषि के संबंध में, मैं कहता हूं कि कृषि संकट, काश्तकारी संकट और ग्रामीण संकट और यह तथ्य कि हम पर्याप्त कुशल मानव संसाधन के सृजित नहीं कर पाए जो कि ये आपस में जुड़ी हुई समस्याएं हैं। हमारी आजादी के समय से हमारी अर्थव्यवस्था का 60 प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर था, जो अब 20 प्रतिशत रह गया है। वास्तव में, किसानों का अनुपात 83 प्रतिशत से घट कर 72 प्रतिशत ही हुआ है। अत:, हमारा औसत भू आकार भी भयावह रूप से कम हो रहा है।

[हिन्दी]

हमारे दादा-परदादाओं के पास 40-50 किल्ले जमीन होती थी लेकिन आज बेटे के पास 4-5 किले या उससे भी बहुत कम जमीन है। आज जमीन पर फोकस रखकर किसान की समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाएगा। किसान की समस्याओं पर इस बजट में चर्चा हुई है लेकिन किसान के बेटे की समस्याओं पर भी आज जिक्र करने की आवश्यकता है। उनकी समस्याओं का हल तभी हो पाएगा जब हम उसे अच्छी शिक्षा और नौकरी के साथ-साथ 21वीं सदी की समस्याओं से लड़ने की ताकत दे पाएंगे।

[अनुवाद]

जहां तक शिक्षा का संबंध, मैं शिक्षा के लिए आवंटन में 34 प्रतिशत वृद्धि का स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं यह मेरी आकांक्षाओं से कम है। हमें शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद को कम से कम 6 प्रतिशत तक आवंटन बढ़ाना चाहिए जो कि अधिकतर विकासशील देशों में एक मानदंड है और चीन जैसे देशों में यह आठ से दस प्रतिशत तक है।

सकल घरेलू उत्पाद, जो अधिकांश विकासशील देशों में एक मानदंड है, तथा चीन जैसे देश में यह 8 से 10 प्रतिशत है।

हमारे पास मैरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति, जिसमें 8वीं कक्षा की राष्ट्रीय परीक्षा के जरिये प्रतिवर्ष एक लाख छात्रवृत्तियां दी जायेंगी, जैसे कुछ और सराहनीय उपाय हैं। इस बारे में मेरा एक सुझाव है। छात्रवृत्ति बालिकाओं और ग्रामीण बच्चों के लिए ही है, क्योंकि इसके दो कारण हैं। पहला, 50 प्रतिशत लड़कियों के नाम शिक्षा हेतु पंजीकृत ही नहीं होते और काफी लड़कियां अपनी

पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं क्योंकि उनके माता-पिता अपनी लड़की की पढ़ाई की अपेक्षा लड़के की पढ़ाई को वित्तपोषित करते हैं। दूसरा, शहरी और ग्रामीण शिक्षा में भारी असमानता है। यह जो छात्रवृत्ति योजना आई है जो एक सामान्य परीक्षा पर आधारित होगी, यह मात्र सामान्य परीक्षा पर ही केन्द्रित न हो। बल्कि बालिका और ग्रामीण बच्चों पर केन्द्रित होनी चाहिए।

अध्यापक प्रशिक्षण के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमने इसके लिए वित्तपोषण में वृद्धि नहीं की है।

[हिन्दी]

आज शिक्षा के अंदर गुणवत्ता की भारी कमी है। ग्रामीण या सरकारी स्कूलों के अंदर प्राइवेट या निजी स्कूलों की अपेक्षा गुणवत्ता की कमी है। सर्व-शिक्षा अभियान या स्कूलों के नये कमरे बनाने से काम नहीं चलेगा बल्कि उनमें पढ़ाने वाले टीचर्स की ट्रेनिंग पर भी हमें अपने जीडीपी का पांच प्रतिशत खर्च करने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

एक अन्य बड़ी कमी आई है जिसे हमें समाप्त करने की जरूरत है। प्राथमिक शिक्षा के लिए पंजीकृत होने वाले 50 प्रतिशत विद्यार्थी अपनी पढ़ाई प्राथमिक स्तर ही छोड़ देते हैं और शेष 40 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षा स्तर पर छोड़ देते हैं। अतः, मात्र दस प्रतिशत से भी कम बच्चे ही वास्तव में महाविद्यालय तक पहुंच पाते हैं। इसमें भरपाई करने के लिए, हमें सामुदायिक महाविद्यालयों संबंधी योजना लाने की आवश्यकता है। जिससे हमारे बच्चों को शिक्षा हासिल करने का दूसरा अवसर मिले। मेरे विचार से भारत यहीं पर विश्व के किसी भी अन्य देश से काफी भिन्न है क्योंकि अधिकांश विकासशील और विकसित देशों में सामुदायिक महाविद्यालय प्रणाली मौजूद है जिससे बच्चों को अध्ययन करने का दूसरा मौका मिलता है। वह एक अन्य क्षेत्र है जिस पर हमारा बजट केन्द्रित नहीं होता। उच्चतर शिक्षा में, एक प्रतिशत शिक्षा उपकर की सहायता से अंशदान में 79 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मैं इसका स्वागत करता हूं, किंतु इसके साथ ही मैं सरकारी-निजी भागीदारी माडल पर भी जोर देता हूं जोकि एनएचएआई में सफल रहे मॉडल के ही समान है ताकि हमें और अधिक वित्तपोषण हासिल हो सके और एआईसीटीआई और एमसीआई जैसे संगठनों से वित्त को हटाया जा सके।

व्यावसायिक प्रशिक्षण अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है और मुझे वास्तव में इस पर निराशा है। व्यावसायिक प्रशिक्षण मिशन के लिए, केवल 50 करोड़ ही अलग से स्वीकृत किये गये हैं और केवल 1,396 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का उन्नयन किया जाना है। यह हास्यास्पद है। अगर हम वर्तमान में देश के कुल आईटीआई पर नजर डालें, तो इसकी संख्या 5,000 है तथा 7,000 और व्यावसायिक संस्थान हैं, अर्थात्, कुल मिलाकर 12,000 संस्थान हैं। अगर हम इसकी तुलना चीन से करें, तो पायेंगे चीन में इनकी संख्या पांच लाख है। हमारे पास आईटीआई कौशल वाले दो प्रतिशत शिक्षित लोग हैं, जबकि जर्मनी में 65 प्रतिशत है। हम इस 21वीं सदी में प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं और आज हमारी जरूरत यह है कि हमारे बच्चों के पास ये कौशल हों। मेरे विचार में, हमें इसके लिये और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु वित्तपोषण में खासतौर से वृद्धि करने की जरूरत है।

मेरी अंतिम बात अनुसंधान एवं विकास पर होने वाला प्रतिशत कम है। बजट में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। 21वीं सदी में समस्याओं का समाधान अनुसंधान और नवीकरण से होगा, जो एक राष्ट्र के रूप में हमारी ताकतें हैं। अगर ऐसी बात है, तो हमें अनुसंधान और विकास में और अधिक वित्तपोषण की जरूरत है।

मैं कृषि के बारे में कुछेक सुझाव दूंगा। कृषि के बारे में, मैं इस बात की सराहना और इसे स्वीकार करता हूं कि इस बजट में इस क्षेत्र पर काफी ध्यान दिया गया है। ऐसा करने के लिए हम वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। किंतु कृषि में समग्र आवंटन सकल घरेलू उत्पाद के दो प्रतिशत से कम है। इसे सकल घरेलू उत्पाद के पांच प्रतिशत तक बढ़ाया जाये। महोदय, यह ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसके बारे में आप भी भली-भांति जानते हैं। पिछले वक्ताओं ने कई बातों को शामिल किया था।

मैं ग्राउंडवाटर रिचार्ज स्कीम, जो बहुत ही नवीन हूं, को स्वीकार करता हूं। किंतु इसके साथ, हमें मृदा रिचार्ज अथवा मृदा गुणवत्ता को बनाये रखने संबंधी योजनाओं की भी जरूरत है क्योंकि भूमिजल डिस्चार्ज हो रहा है। किन्तु साथ ही, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों, जो राष्ट्र के लिए धान पैदा कर रहे हैं, मैं नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के इस्तेमाल से उनकी मृदा गुणवत्ता कम हो रही है और उनका एनपीके अनुपात बहुत खराब है। भविष्य में, ये राज्य मरूस्थल हो जायेंगे। भूमिजल रिचार्ज के साथ ही, हमें मृदा की गुणवत्ता बनाये रखने संबंधी योजनाओं पर भी तत्काल ध्यान देना चाहिए।

कृषि अनुसंधान के बारे में अन्य चीज यह है कि हिसार कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के लिए अतिरिक्त धनराशि दिये जाने के बारे में हरियाणा के मा. सदस्य द्वारा की गई बात को मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं। वित्त मंत्री जी ने पिछले बजट में इसका वायदा किया था। मुझे बहुत हैरानी हुई कि ये नहीं हुआ।

[श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा]

राज सहायता के बारे में आपको यह जानकर आघात पहुंचेगा कि हाल ही में किये गये एक अध्ययन से यह बात सामने आई है कि ओईसीडी राष्ट्र अपने किसानों को प्रतिदिन एक बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक की राजसहायता देते हैं जो इन अमीर देशों में रह रहे किसानों की कुल वार्षिक आय का लगभग 44 प्रतिशत है। फिर भी, प्रत्येक परवर्ती बजट में, हम राजसहायता को कम करने की बात कहते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि हम उर्वरक राजसहायता समेत न केवल राजसहायता बढ़ायें, बल्कि मेरी यह भी मांग है कि हम विद्युत राजसहायता बढ़ायें क्योंकि विद्युत समस्त कृषि घटकों का एक अनिवार्य घटक है। हरियाणा जैसे राज्य में, हमें काफी विद्युत आयात करनी पड़ती है, किंतु काफी महंगी विद्युत आयात करके हम अपने किसानों पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं। परन्तु किसानों को अपने उत्पाद, खाद्यान्नों पर कोई सरप्लस वसूल करने की अनुमति नहीं है। अत:, मैं विद्युत की कमी वाले राज्यों जैसे पंजाब और हरियाणा, जो राष्ट्र के लिए खाद्यान्न पैदा करते हैं, को 10,000 करोड़ रु. का वित्तीय पैकेज दिये जाने की मांग करता हूं ताकि वे अपना कार्य उचित तरीके से कर सकें।

आखिरी मुद्दे के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के तहत केवल दिल्ली को सम्मिलित करने के बजाय, भारत सरकार इस मिशन के तहत रोहतक, सोनीपत और गुड़गांव समेत सभी नगरपालिकाओं को सम्मिलित करने पर विचार करे।

अंत में, मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि कल बीजेपी के मेरे प्रिय मित्र, श्री स्वाईं ने यह टिप्पणी की थी कि हमारे वित्त मंत्री जी विकास करने और मुद्रास्फीतिक दबावों पर नियंत्रण करने का अत्यंत कठिन का काम कर रहे हैं। सैद्धांतिक रूप से मैं श्री स्वाई से सहमत नहीं हूं। मैं नहीं मानता कि इस संबंध में किसी तरह का कोई समझौता किया गया है। कुछ मामलों में, मैं कहूंगा कि वित्त मंत्री जी ने बहुत बढ़िया काम किया है।

डा. वल्लभभाई कथीरिया (राजकोट): मैं मा. वित्त मंत्री, श्री पी. चिदंबरम द्वारा संसद में प्रस्तुत किये गये आम बजट पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

मा. अध्यक्ष महोदय, इस बजट के बारे में लोगों की समग्र प्रक्रिया यह है: "योजनाओं की कोई कमी नहीं, धनराशि की कोई कमी नहीं है। इच्छित परिणाम देने की आवश्यकता है" और देश में हर कोई इस बात को लेकर परेशान है कि योजनाओं का कार्यान्वयन किस प्रकार होता है, धन का प्रयोग किस प्रकार होता है, और इसमें कितना फायदा होगा। यही कारण है कि काफी संख्या में लोग मा. वित्त मंत्री जी द्वारा एक प्रस्तुत इस बजट से तनिक भी कुछ नहीं हैं। लोगों को लुभावने बजट" की आशा थी। किंतु, उनके सपने चकनाचूर हो गये हैं। बजट गरीब लोगों, किसानों, के हितार्थ और रोजगार सृजक हो और जो सभी का सामाजिक कल्याण करने वाला, खुशी देने वाला हो तथा आर्थिक विकास बढ़ाने वाला हो।

मैं अपनी बात कृषि क्षेत्र से आरंभ करना चाहूंगा। "कृषि, नीति निर्माताओं की कार्यसूची में सबसे ऊपर होनी चाहिए और उसका हमारे संसाधनों पर पहला अधिकार होना चाहिए।" यह एक सुइच्छित प्रतिबद्धता है, किंतु इसे बजट प्रस्तावों में पर्याप्त रूप से नहीं दर्शाया गया है। कृषि और संबद्ध कार्यकलापों हेतु कुल केन्द्रीय योजना परिव्यय में वृद्धि मात्र 15.7 प्रतिशत है जबकि अन्य क्षेत्रों में यह वृद्धि इसकी अपेक्षा ज्यादा है। यह कुल केन्द्रीय योजना परिव्यय का 20.6 प्रतिशत है और कृषि में वर्तमान निवेश सकल घरेलू उत्पाद का 1.3% है जिसे बढ़ाकर कुल निवेश का 7% कर देना चाहिए था। वर्तमान आर्थिक समीक्षा के अनुसार, कृषि सकल घरेलू उत्पाद 25.5% से कम होकर 18.5% रह गया है। यह हम सबके लिए न केवल चिंताजनक है बल्कि आघात पहुंचाने वाला समाचार भी है।

आईसीओआर (इन्क्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो) उद्योग, संचार यातायात, रेत, बिजली, खान और खनिज आदि जैसे अन्य निवेशों के मुकाबले कृषि निवेशों के लिए सबसे अधिक है। इसका अर्थ है कि उद्योग में किये गये निवेश की वसूली 7.77 वर्षों, यातायात में 5.37 वर्षों, संचार में 8.53 वर्षों, रेलवे में 14.66 वर्षों, बिजली क्षेत्र में 14.97 वर्षों में होती है जबकि केवल कृषि में यह 1.99 वर्षों में होती है। यही अंतर है।

महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि विगत 3 वर्षों के दौरान औसतन 20,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली है और विगत दस वर्षों में 1.5 लाख किसानों ने इस प्रकार का अतिवादी कदम उठाया है अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? और अधिक आवंटन करने के बावजूद हम इसको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं?

भारत सरकार द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार किसानों की औसत मासिक आय आंध्र प्रदेश में 1634 रुपये, छत्तीसगढ़ में 1618 रुपये, हरियाणा में 2882 रुपये है और भारतीय किसानों की औसत आय 4-5 व्यक्तियों के किसान परिवार के हिसाब से 2115 रुपये है। वह लगभग 25000 रुपये वार्षिक की इस अल्प आय से किस प्रकार गुजर बसर करेगा।

हमारे किसानों को उनकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी बढ़ोत्तरी किये जाने की आवश्यकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करते समय कृषि कार्य में काम आने वाली सभी सामग्रियों के अवयवों जैसे आदान लागत, भूमि का मूल्य और मुद्रास्फीति सहित बिजली, बीजों, उर्वरकों, परिवहन लागत इत्यादि को भी ध्यान में रखा जाए।

महोदय, कृषि ऋण 2 वर्षों के अंदर दुगुना हो गया है। वर्ष 2007-08 के लिए 2,25,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। यह एक स्वागत योग्य कदम हैं। लेकिन वास्तविक अर्थों में किसानों की समग्र जनसंख्या, जो 1947 में 27 करोड़ थी, से बढ़कर वर्ष 2005 में 70 करोड़ हो गई है। कृषि ऋण केवल 12% है जो कि कुल बैंक ऋण के अनुपात में बहुत कम है।

ऋण पर ब्याज की दर अभी भी बहुत अधिक ऊंची है। किसानों की ऋण अदायगी क्षमता अथवा ऋण की उदार उपलब्धता को बढ़ाने के लिए किसानों को होने वाला जोखिमों का बीमा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। इसके विपरीत ऋणग्रस्तता में बढ़ोत्तरी किसानों के लिए हानिकारक सिद्ध होगी। सहकरिता क्षेत्रों की ब्याज दरों को पुन: कम किया जाए यद्यपि अल्पावधि फसल ऋणों पर 2% ब्याज की आर्थिक सहायता जारी है।

अध्यक्ष महोदय, दुधारू पशुओं और संबधित कार्यकलापों संबंधी योजना के अधीन 31 जिलों में केवल 153 करोड़ रुपये प्रदान किये जाते हैं। यह परिव्यय बहुत कम है। हमारे देश में जैव फसलों सहित दुग्ध और खाद उत्पादन के द्वारा प्रति वर्ष मुनाफे में समुचित पशु चिकित्सा से 50,000 करोड़ रुपये कमाए जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक कृषि बीमा का संबंध है, देशभर में बिल्कुल लचीली किसान पूर्व मौसम आधारित फसल बीमा पालिसी का कार्यान्वयन किये जाने की आवश्यकता है। कुछ जिलों में प्रायोगिक परियोजना की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रायोगिक परियोजना के लिए मात्र 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं जो कि बहुत कम है।

महोदय, हमने कल ही देखा। क्या हुआ? गैर मौसमी वर्षा के कारण अंतिम चरण में किसानों को गेहूं और सरसों की फसलों से हाथ धोना पड़ा। इन किसानों की तरफ तुरन्त ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है अन्यथा देश के अन्य भागों में भी आत्महत्या की और अधिक घटनाएं घटेंगी।

महोदय, सिंचाई को ही लीजिए; भारत निर्माण के अंतर्गत वर्ष 2007-08 तक सिंचाई सुविधाओं में एक करोड़ हेक्टेयर की वृद्धि करने-के लक्ष्य के पूरा होने की संभावना नहीं है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत 11000 करोड़ रुपये दिये गए हैं जिसमें से राज्यों का हिस्सा 3580 करोड़ रुपये होगा। इस प्रकार यह योजना भी संतोषजनक सिद्ध नहीं हुई।

जहां तक जल निकायों के नवीनीकरण और मरम्मत कार्य का संबंध है, विश्व बैंक से राज्यों को ऋण मिलेगा न कि केन्द्र सरकार का अनुदान। केन्द्र सरकार तो केवल मध्यस्थ की भूमिका निभा रही है।

भूमिगत जल के संभरण के लिए केवल 1800 करोड़ रुपये दिये गये हैं। हमें 7 मिलियन खुदे हुए कुओं की जरूरत है। हम इस गति से इस लक्ष्य को कब तक पूरा कर पाएंगे? वर्षा जल सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण जिसकी लम्बे समय से मांग की जाती रही है, के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। धन्यवाद, माननीय वित्त मंत्री जी लेकिन इस को शुरू होने में कितना समय लगेगा।

महोदय, वित्त मंत्री जी ने अपने बजट प्रस्ताव में कहा है कि ''कृषि मंत्रालय राज्यों के साथ परामर्श करके कृषि विस्तार के ''प्रशिक्षण और दौरा'' प्रणाली के स्थान पर एक उपयुक्त प्रणाली विकसित करेगा।'' महोदय, मैं चाहता हूं कि गुजरात के ''कृषि महोत्सव'' कार्यक्रम का अनुकरण किया जाए जहां वैज्ञानिक प्रयोगशाला और विश्वविद्यालय परिसर से बाहर आकर खेतों का दौरा कर रहे हैं। यह है ''प्रयोगशाला से खेत तक'' की अवधारणा। इस पर बिना प्रायोगिक परियोजना शुरू किये अनुसरण करना चाहिए जैसाकि आमतौर पर होता है।

जहां तक कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसियों (ए.टी.एम.ए.एस.) का संबंध है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि गुजरात में मेरे जिले राजकोट को कृषि विज्ञान केन्द्र के अंतर्गत शामिल किया जाए न कि उस कलैक्ट्रेट में जहां पर अनुभव ठीक नहीं रहा है। इस बजट में किसानों को सीधे ही उर्वरक राजसहायता देने का स्वागत योग्य कदम उठाया गया है। मंत्री महोदय को बधाई। प्रायोगिक परियोजना शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आजमाया हुआ तथ्य है। लेकिन परिव्यय आवश्यकता से कम रह जाएगा।

महोदय मेरा अनुरोध है कि सिंचाई उपस्करों पर आयात शुल्क में पूरी तरह कटौती की जाए और इसे 5% करने की बजाय इसे 0% के स्तर पर लाया जाए। ड्रिप और फव्वारा सैट्स की लागत में कमी करना आवश्यक हो गया है। हमारे देश की कुल कृषि

[डा. वल्लभभाई कथीरिया]

योग्य भूमि 194 मिलियन हेक्टेयर है जबकि सकल बुवाई क्षेत्र 141 मिलियन हेक्टेयर है। 78 मिलियन हेक्टेयर के सकल सिंचित क्षेत्र में से निवल सिंचित क्षेत्र केवल 56.8 मिलियन हेक्टेयर है। इसके अतिरिक्त यदि किसानों को ड्रिप और फव्वारा सेट दिए जाएं तो शत प्रतिशत बिजाई क्षेत्र की सिंचाई हो सकती है और वह भी न केवल वर्षा ऋतु में बल्कि एक वर्ष मे तीन बार। उससे हमारी फसलों की उपज में बहुत अधिक बढ़ोत्तरी होगी। हम चावल का उत्पादन कम होने पर चिंतित हैं। चावल का उत्पादन पिछले वर्ष 831.3 लाख टन की तुलना में इस वर्ष 751.4 लाख टन रहा। इसी प्रकार गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष 686.4 लाख टन की तुलना में इस वर्ष कम होकर 669 लाख टन हो गया और तिलहन का उत्पादन पिछले वर्ष 130.3 लाख टन की तुलना में 9.7 लाख टन रहा।

सभी ऋतुओं में भूमि की अधिकतम क्षमता का उपयोग करते हुए केवल सिंचाई पद्धति से ही फसलों के उत्पादन में अपार वृद्धि होगी। इसके लिए 500 करोड़ रुपये की राशि बहुत कम है।

अन्त में, मैं कहना चाहता हूं कि उर्वरक कृषि भूमि में विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने की कोई भी अनुमति नहीं दी जाए।

संक्षेप में मैं कहूंगा कि किसानों और सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बहुत से कदम उठाए जाने की जरूरत है। मैंने उनमें से कुछ कदम बताए हैं। इसी कारण मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा कृषि के लिए एक पृथक बजट तैयार किया जाए और सभा पटल पर रखा जाए।

अब मैं बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबधित प्रस्तावों पर आता हूं।

सं.प्र.ग. सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का नारा दिया है लेकिन कृपया स्वास्थ्य के परिदृश्य की दयनीय स्थिति को देखें। शिशु मृत्यु दर 62 है जबकि यह चीन में केवल 26 है। मातृत्व मृत्यु दर 540 है जबकि चीन में यह केवल 51 है। हमारे देश में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर 85 है जबकि चीन में यह 31 है। 6.14 करोड़ बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और 70% से भी अधिक लोग संचारी और निवारक रोगों से ग्रस्त हैं।

सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.3% ही स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया जाता है जिसमें सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 6% तक की बढ़ोत्तरी किये जाने की जरूरत है।

पल्स पोलियो कार्यक्रम अच्छा नहीं चल रहा है। प्रारंभिक अच्छे परिणामों के बाद एक बार फिर पोलियो के मामले देश में बढ़ रहे हैं। एक समय ऐसे मामलों की संख्या अपने निम्नतम स्तर पर 60 थी जो पिछले वर्ष बढ़कर 660 हो गई है जोकि एक चिंताजनक स्थिति है। एक तरफ तो हम चिक्तिसा पर्यटन की बात करते हैं जहां हम उन लोगों जो खर्च वहन कर सकते हैं, के लिए तीसरे दर्जे के कार्पोरेट अस्पतालों के लिए करोड़ों रुपये व्यय कर रहे हैं और जबकि उपर्युक्त वास्तविक जनसंख्या की उपेक्षा हो रही है।

जिला अथवा तहसील क्षेत्र में न्यायाधीशों की तरह डाक्टरों को भी ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्ति के साथ आवासीय क्वार्टर और उनके बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं दी जाएं।

एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा शिक्षा ढांचे का पूरी तरह पुनर्गठन किये जाने की जरूरत है। अवसंरचना सुविधाओं और पाठ्यक्रम सहित 'आयुष' के लिए बजट आवंटन करने पर तुरन्त ध्यान दिये जाने की जरूरत है। गरीबों के लिए माइक्रो इंश्यूरेन्स हैल्थ स्कीमों के सुदृढ़ीकरण की योजना तुरन्त कार्यान्वित की जाए। आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की अनिवार्यता हटाई जाए। केवल महामारी वाले क्षेत्रों में ही प्रचुर मात्रा में नमक उपलब्ध करवाया जाये।

मेरा अनुरोध है कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत उन्नयन करने के लिए मेडिकल कॉलेज राजकोट को शामिल किया जाए अथवा इसे पूर्वोत्तर की तरह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसा संस्थान बनाया जाए। सौराष्ट्र देश के सुदूर पश्चिमी भाग में स्थित है जिस पर विकास हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र की तरह तुरन्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। कृपया इस प्रस्ताव पर विचार करें।

महोदय अब मैं उद्योग क्षेत्र पर आता हूं। 10 अश्वशक्ति से कम शक्ति वाले सबमर्सिबल पम्पों/डी.जी. सैट्स जिनका उपयोग अधिकांशत: किसानों द्वारा किया जाता है, पर से उत्पाद शुल्क हटाने के संबंध में बजट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

गुजरात के अलंग में स्थित जहाज तोड़ने वाला यार्ड भारत का एकमात्र जहाज तोड़ने वाला यार्ड है तथा जिसे चीन से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, को कोई भी प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। यह उद्योगों के लिए इस्पात और अन्य प्रकार के कबाड़ का वैकल्पिक स्रोत हो सकता है। जहाज को तोड़ने पर लगने वाले सीमा शुल्क को कम करके शून्य प्रतिसत करने की आवश्यकता है।

जहाज तोड़ने वाले उद्योग को पेट्रोलियम नियमों की धारा 43 के अंतर्गत शामिल किये जाने की आवश्यकता है।

राज्य समुद्रतटीय बोर्डों को आयकर अधिनियम की धारा 10(20) के अंतर्गत आयकर छूट दिया जाना जारी रखा जाना चाहिए जहां कि राज्य समुद्रतटीय बोर्ड स्थानीय प्राधिकरण माने जाते थे जबकि अब उन्हें पत्तन प्राधिकरण माना जाता है जहां उन्हें 30% आयकर देना होता है पत्तनों को बढ़ावा देने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि समुद्रतटीय बोर्डों को आयकर से मुक्त रखा जाए। कच्चे माल पर सीमाशुल्क बढ़ाकर तथा तैयार टाइलों पर सीमाशुल्क घटाकर सरकार ने स्थानीय विनिर्माताओं के लिए और अधिक मुश्किलें पैदा कर दी है। यह भारतीय विनिर्माताओं के लिए नुकसानदेह है।

वित्त मंत्री ने लघु उद्योग पर उत्पाद शुल्क छूट सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दिया है। वस्तुतः एक करोड़ की यह सीमा वर्ष 2000 में बढ़ाई गई थी। सरकारी स्तर पर मुद्रास्फीति को देखते हुए यदि हम पिछले 7 वर्षों पर विचार करें तो यह राशि कम से कम 2.75 करोड़ का होनी चाहिए। तब भी सभी लघु उद्योग 5 करोड़ रु. तक की छूट की मांगें कर रहे हैं।

गुजरात का विशाल तटीय क्षेत्र है जहां गरीब मछुआरे मछली पकड़ने से संबंधित क्रियाकलापों में लगे हैं। मछली पकड़ने से संबंधित कार्य को अर्थक्षम बनाने के लिए उन्होंने मछुआरों की डीजल से चलने वाली नावों के लिए राजसहायता की मांग की है।

गुजरात सरकार ने पोशाक निर्यात परियोजनाओं और टीसीआईओएस परियोजनाओं के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग की है तथा उसने लक्ष्य निर्धारण वस्त्र पार्कों के लिए निर्धारित लक्ष्य को 31.3.2007 तक बढ़ाने की मांग की है। भारत सरकार ने उपर्युक्त पार्कों तथा निर्यात परियोजनाओं को स्वीकृत दी है।

भारत सरकार से अनुरोध है कि वह प्राकृतिक सोडा के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जिससे कि घरेलू सोडा ऐश विनिर्माताओं के हितों की रक्षा की जा सके।

पिछले पांच वर्षों में गुजरात को एक भी राष्ट्रीय राजमार्ग आवंटित नहीं किया गया है। यह अनुरोध है कि राजकोट जामनगर-ओखा, पोरबन्दर-सोमनाथ राज्य राजमार्ग, जामनगर से मलिया से कांडला तक तटीय राजमार्ग, भावनगर ओहोलका अहमदाबाद राज्य राजमार्ग और विभिन्न अवसरों पर गुजरात सरकार द्वारा मांगे गए विभिन्न राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदला जाए।

राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर परिवहन समस्या का तात्कालिक आधार पर समाधान करने के लिए अहमदाबाद-बडोदरा एक्सप्रेस राजमार्ग का विस्तार सूरत और मुम्बई तक किया जाए।

महोदय, अब मैं शिक्षा क्षेत्र की ओर आ रहा हूं। अहमदाबाद से आईआईटी की स्थापना करने की गुजरात सरकार की लम्बे अर्से से मांग है। इस वर्ष इस परियोजना के लिए कोई बजटीय आवंटन नहीं किया गया है।

रा.ज.ग. सरकार द्वारा शुरू की गई स्वीकृत और लचीली व्यवसायिक तकनीकी शिक्षा योजना की क्या स्थिति है? मुझे ऐसा लगता है कि इस संबंध में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है।

पूरे देश में दूरस्थ शिक्षा के लिए बनाए गए एडुसेट का उचित ढंग से उपयोग नहीं किया जाता है तथा काफी पैसे का अपव्यय हो रहा है।

महोदय, अब मैं दूसरे क्षेत्रों की चर्चा करूंगा। सरदार सरोवर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना माना जाए तथा यह अनुरोध है कि नर्मदा नगर और इसके मुख्य नगर तथा सहायक नहरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाए।

यह अनुरोध है कि गुजरात की स्वजल धारा परियोजना हेतु केन्द्रीय सहायता में वृद्धि की जाए जहां ग्रामीण परियोजना लागत का 10% योगदान देने को तैयार हैं। इसके लिए प्रतीक्षा सूची काफी लम्बी है पर भारत सरकार प्रत्येक वर्ष केवल सीमित गांवों को ही आवंटन दे रही है। मैं यह समझता हूं कि कुल मिलाकर इस योजना के लिए और अधिक बजट प्रदान करने की आवश्यकता है जिनसे कि वर्ष 2007 तक प्रत्येक गांव को पेयजल सुविधा प्रदान की जा सके। यह सामुदायिक स्तर पर अत्यन्त लोकप्रिय कार्यक्रम है जो मांग से प्रेरित होता है।

भारत सरकार पेयजल आपूर्ति के लिए एआरडब्ल्यूएसपी-डीडीपी योजना के अंतर्गत निधियों के आवंटन में गुजरात के साथ अन्याय कर रही है। यह अनुरोध है कि अन्य राज्यों के समान ही बजट आवंटित किया जाए।

पंचायत और दाहोद के जनजातीय जिलों में, जलापूर्ति हेतु जापान से अनुदान सहायता संबंधी एक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के स्तर पर लम्बित है। परियोजना के लंबित रहने के कारण लागत में प्रत्येक वर्ष वृद्धि होती जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य जनजातीय लोगों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करता है।

गुजरात राज्य में सुरक्षित स्टेज वर्क्स और लघु सिंचाई योजनाओं में सुधार संबंधी प्रस्ताव केन्द्रीय स्तर पर लम्बित है जिसे तुरन्त स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता है। गुजरात में 2005 की बाढ़ के दौरान हुई क्षति के स्थायी सुधार के लिए सीआरएफ अनुदान

[डा. वल्लभभाई कथीरिया]

को जारी करने का प्रस्ताव लम्बित है। अनुदान राशि तुरन्त जारी किये जाने का अनुरोध है।

शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी विकास डेवलपमेंट मिशन स्कीम गुजरात में अच्छा कार्य कर रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि गांधीनगर जो राजधानी है तथा पोरबंदर एवं करमासाड, जो क्रमशः महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल जी का जन्म स्थान होने के कारण विरासत के केन्द्र हैं, को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी विकास मिशन में शामिल किया जाए।

राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात सरकार ने 25 जिलों के लिए योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने को कहा है। यह अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण योजना के लिए 1500 करोड़ रु. का आसान ऋण मंजूर किया जाए।

सहकारी बैंकों के लाभ पर लगाए गए आयकर को तुरन्त समाप्त किये जाने की आवश्यकता है जिससे कि सहकारी आन्दोलन को सुरक्षित रखा जा सके।

प्रधानमंत्री सड़क योजना में कई संशोधन करने की आवश्यकता है। गुजरात सरकार ने इस योजना में संशोधन करने का अनुरोध किया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।

आज भी 30 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। जिनको दैनिक आय 5 से 45 रु. के बीच है जबकि ऐसे 500 करोड़पति हैं जिनकी दैनिक आय करीब 80 करोड़ रु. है. इसी से स्वतंत्रता के 60 वर्षों के बाद हमारी आर्थिक और सामाजिक न्याय की दयनीय तस्वीर का पता चलता है। लोगों को मूल्यवृद्धि तथा भ्रष्टाचार के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गरीब लोगों के पास दिन में एक बार खाने के लिए भी भोजन नहीं है, उनके पास पहनने को वस्त्र नहीं है तथा कोई आश्रय नहीं है। बेरोजगार लोगों की संख्या और बेरोजगारी की दर दोनों में ही वृद्धि हो रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हर वर्ष अधिक से अधिक संख्या में बच्चे विद्यालय छोड़ रहे हैं। केवल 6% उच्च माद्यमिक स्तर तक पहुंच पाते हैं। हम प्रत्येक वर्ष केवल आवंटन करके उस मांग की पूर्ति नहीं कर पाएंगे जिससे कि आपसे 50 वर्ष बाद भी भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाया जा सके।

मुझे लगता है कि हमें अपने प्रजातांत्रिक और प्रसाशनिक व्यवस्थाओं में सभी स्तरों पर आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। भ्रष्टाचार को पूर्णतया समाप्त करना होगा, अधिक कार्य करने की संस्कृति विकसित करनी होगी तथा प्रत्येक स्तर पर ''स्वदेशी'', राष्ट्रीयता और आत्मसम्मान की भावना को बढ़ाना देना होगा। केवल तभी हम अपने देश को जल्द से जल्द खुश, स्वस्थ और सम्पन्न बना पाएंगे। इससे पहले कि लोगों का हमसे विश्वास उठ गए, हम सबको एक जुट होकर अपनी जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री महावीर भगोरा (सलूम्बर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सामान्य बजट वर्ष 2007-08 के बारे में चल रही चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी ने रूटीन बजट पेश किया है। प्रति वर्ष के बजट में कुछ राशि बढ़ा कर सदन में प्रस्तुत कर दिया है। इस बजट को सही बजट तभी कह सकते थे, जब हमारे वित्त मंत्री जी सामान्य व्यक्ति के उत्थान के लिए नई योजनाएं बनाकर प्रस्तुत करते और उसके अनुसार बजट का प्रावधान करते। सरकार का उल्लेखनीय बजट तभी कह सकते थे, जब देश के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बना कर बजट पेश किया जाता।

अपराह्न 4.00 बजे

यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आम आदमी के लिए विशेष रूप से एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के आर्थिक व सामाजिक पृष्ठभूमि, शहरी, ग्रामीण व पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखकर योजनाएं नहीं बनाई जाती हैं। अगर योजनाएं डिफेक्टिव बनती हैं तो उनके परिणाम भी सही नहीं आते हैं। इसी वजह से आजादी के 60 वर्षों के बाद देश के नागरिकों की दशा नहीं सुधरी है। मैं वित्त मंत्री जी व सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि देशवासियों के सर्वांगीण विकास हेतु योजनाओं का विशेष प्रावधान इन आधारों पर किया जाना चाहिए। बच्चों के लिए आईसीडी योजनाओं के लिए मंत्री जी ने प्रावधान किया है लेकिन यह प्रत्येक ब्लॉक में लागू की जाएं। महिलाओं के उत्थान के लिए अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाकर उनके द्वारा प्रस्तावित कार्य प्रारंभ किए जाएं और आर्थिक सहयोग के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाए। मैं बेरोजगारी के बारे में कहना चाहता हूं कि बढ़ती बेरोजगारी, विशेष रूप से शिक्षित बेरोजगारों के स्वरोजगार के लिए प्रोत्सान राशि व कम ब्याज दर पर ऋण की व्यवस्था की जानी चाहिए। देश से प्रतिभा पलायन हो रहा है, इसे देश में रोक करके देश की उन्नत और विकास में उनका उपयोग किया जाना चाहिए।

मैं पेंशन के बारे में कहना चाहता हूं कि वृद्धों, महिलाओं, विकलांगों और बेसहारों के लिए पेंशन की दरों में वृद्धि की जाए, सिर्फ प्रावधान करने से काम नहीं चलेगा। मूल्य वृद्धि का सूचकांक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और उन्हें जो पेंशन दी जा रही है उसमें इस वर्ग के लोग सम्मानित जीवन नहीं जी सकते हैं। इसी तरह से अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की दरों में भी संशोधन होना चाहिए। इसमें संशोधन नहीं होने से आज जो महंगाई बढ़ रही है, उसमें वे अपना जीविकोपार्जन नहीं कर सकते हैं और न ही शांतिपूर्वक अध्ययन कर सकते हैं।

इसी तरह से किसानों और ग्रामीण दस्तकारों के लिए भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी उपज और इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए सही मार्किट मिले। इसके लिए प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर सरकारी स्तर से बिक्री की व्यवस्था की जाए ताकि ये लोग दलालों और बिचौलियों के शोषण से बच सकें।

मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। सर्वशिक्षा अभियान में प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था की है। इसी तरह से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्यवस्था की जाए ताकि कक्षा और अध्यापकों का उचित प्रबंध हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों में कृषि विज्ञान और वाणिज्य, विज्ञान विषयों को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि ग्रामीण प्रतिभाओं क़ो आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। मैं पेयजल और स्वच्छता के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी शुद्ध पेयजल ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उपलब्ध नहीं है। पेयजल की शुद्धि के लिए व्यवस्था की जाए और उसके लिए जो मापदंड हैं, उसके लिए बजट में प्रावधान करें ताकि आम आदमी को शुद्ध जल मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में न तो अस्पतालों में दवाइयों का प्रबंध है, न डॉक्टरों का प्रबंध है और न मेडिकल स्टाफ का प्रबंध है। आबादी के अनुपात के आधार पर इसका प्रबंध होना चाहिए। पब्लिक सैक्टर में रोजगार के अवसर कम हैं इसलिए व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार का प्रबंध कर बेरोजगारों को रोजगार दिलाना चाहिए। पशुपालन क्षेत्र में उन्नत किस्म के पशु, विशेष रूप से संकर नस्ल के सांड, बकरे आदि पशुपालकों को उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि जो हमारा बजट है, यह बजट ग्रामीण आबादी के अनुपात के हिसाब से बनना चाहिए। देश के 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। इसलिए इस आबादी के अनुपात के हिसाब से उनके विकास के लिए योजनाएं बननी चाहिए और इसके लिए बजट में प्रावधान करना चाहिए।

अपराह्न 4.05 बजे

(श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए)

श्री बापू हरी चौरे (धुले): महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। प्रस्तुत बजट की मैं सराहना करता हूं और इसमें शामिल कुछ विशेषताओं का मैं उल्लेख करना चाहता हूं। इसमें पेयजल और स्वच्छता जो राजीव गांधी पेयजल मिशन के अंतर्गत आता है, इसमें वर्ष 2006-07 के अनुपात को 4680 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5850 करोड़ रुपये किया है। इसी तरह से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत 7121 करोड़ के स्थान पर 11 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत आबंटित राशि को 17133 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 23142 करोड़ रुपये किया है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक की आयु वाले व्यक्तियों को मिलने वाली 75 रुपये की वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 200 रुपये किया है। इसीलिए यह बजट सराहनीय है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

महोदय, समय की बहुत कमी है, इसलिए मैं अपने क्षेत्र विशेष और राज्य की कुछ समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र धुले के अंदर साकरी में एक शुगर फैक्टरी है, जो 10-15 साल चलने के बाद बीमार हो गई और सिक फैक्टरियों में उसका समावेश हो गया। भारत सरकार की तरफ से एक कानून-दि रिकवरी ऑफ डैट ड्यू टू दि बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिल, 1993 बना है, जिसके मुताबिक जिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ने इन फैक्टरियों को पैसे दिये हैं और पैसा वापिस न करने के कारण डिफाल्टर हो गई हैं, उनकी रिकवरी करने के लिए इस कानून के मुताबिक बैंकों को विशेषाधिकार दिया गया है। मगर मेरा वित्त मंत्री जी से कहना है कि बैंक्स उसे बेचना चाहते हैं। लेकिन जब फैक्टरी वहां लगाई गई थी तो यह देखकर लगाई गई थी कि वहां किसानों के पास गन्ना था। मगर इसकी बिक्री होने के बाद वहां जो गन्ने की कम से कम ढाई-तीन लाख टन की पैदावार होती है, उसका क्या होगा? जिनको इस फैक्टरी की बिक्री की गई, उन्होंने इस फैक्टरी को वहां से हटा लिया गया तो वहां के किसानों की उपज है, उस पर आफत आ जायेगी और वहां किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। यह मैंने एक सिक फैक्टरी के बारे में एक उदाहरण दिया है। लेकिन यह सभी फैक्टरियों पर लागू होता है। मेरा कहना है कि वहां की फैक्टरी यदि बिक भी जाए तो कम से कम उसे चलाना चाहिए।

[श्री बापू हरी चौरे]

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासियों की उन्नति के लिए, आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास के लिए कानून के मुताबिक ट्राइबल सब-प्लान बनाया गया है। इस ट्राइबल सब-प्लान के माध्यम से केन्द्र की तरफ से टी.एस.पी. के फंड्स और 2751 के माध्यम से जो स्पेशल सैन्ट्रल असिस्टैन्स दी जाती है, उसमें यह बात देखने में आई है कि वह पैसा डाइवर्ट होता है। इसलिए मैं विनती करता हूं कि जो पैसा डाइवर्ट होता है, उसके ऊपर कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है। इसके अलावा एक मुद्दा यह भी है कि पांचवें और छठे शेड्यूल ट्राइबलस के विकास के लिए बनाये गये हैं। छठे शैड्यूल में जिला पंचायतों को अधिक विशेषाधिकार दिये गये हैं। तीसरा एक्ट बनाया गया है। पंचायत एक्सटेंशन शैड्यूल एरिया एक्ट बनाया गया है। उसमें यह प्रावधान है कि पिछड़ों की उन्नति के लिए जो एक्ट बनाया गया है, उसके मुताबिक ग्राम सभा को विशेष अधिकार दिये गये हैं और ग्राम सभा के विशेष अधिकार का उपोयग वहां के लाभार्थियों को चुने के लिए करना है। लेकिन हमारे महाराष्ट्र के ट्राईबल अफेयर्स मिनिस्टर ने लाभार्थियों को चुनने के लिए करना है। लेकिन हमारे महाराष्ट्र के ट्राईबल अफेयर्स मिनिस्टर ने लाभार्थियों को चुनने का जो काम है, उन्होंने उस एक्ट का पालन न करते हुए अधिकारी उसे करते हैं। इसीलिए जो सही मायने में गरीबी उन्मूलन करने के लिए गरीबों को जो लाभ होना चाहिए, वह लाभ नहीं होता है और उसमें भ्रष्टाचार होता है। इसलिए उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और पिछड़ों के विकास के लिए जो एक्ट बनाया गया है, उस एक्ट का अमल किया जाना बहुत जरूरी है। पिछले शैड्यूल एरिया एक्ट के अंतर्गत चुनाव के लिए जो शैड्यूल बना है, ट्राईबल के एरिया में जहां पोपुलेशन पचास प्रतिशत से ज्यादा शैड्यूल ट्राईब पोपुलेशन है, वहां यह शैड्यूल एरिया बनाया गया है। मगर हमारे महाराष्ट्र के अंदर अभी जो जिला पंचायत और पंचायत सिमति के चुनाव हुए, पिछले एक्ट में यह प्रावधान है कि ग्राम पंचायत का चेयर पर्सन एक ट्राईबल होगा। पंचायत राज विधेयक खाली ग्राम पंचायत के लिए लागू नहीं होगा। यह जिला पंचायत, तालुका पंचायत और ग्राम पंचायत के लिए होता है। जब ग्राम पंचायत का चेयर पर्सन सरपंच होता है तो जिला पंचायत और तालुका पंचायत में शैड्यूल एरिया में शैड्यूल ट्राईब के उम्मीदवारों को उम्मीदवारी दी जानी देनी चाहिए। मगर इलेक्शन कमीशन के माध्यम से रोटेशन के सिस्टम में जो भी उम्मीदवारों को उम्मीदवारी दी गई, उसमें ओबीसी और जनरल को सीट दी गई। यह हमारे पांचवें और छठे शैड्यूल एरिया के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया है। पिछड़ों की उन्नति के लिए बनाये गये एक्ट के अंतर्गत कानून बनाया जाता है, मगर उसका क्रियान्वयन नहीं होता है। इस प्रकार से यह ट्राईबल्स के प्रति यह सरासर अन्याय है।

*श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): सभापति महोदय, आज सामान्य बजट पर बहस चल रही है। बजट के पहले देश की जनता को यूपीए सरकार से बहुत बड़ी उम्मीद थी कि यह बजट ऐसा होगा जिससे भारत का नव निर्माण होगा। क्योंकि यूपीए सरकार हर बात में नव निर्माण-नवनिर्माण की बात करती है लेकिन जब बजट देश की जनता ने देखा तो निराशा ही हाथ लगी। किसान निराश तो व्यापारी निराश, उद्योगपति भी निराश, बिना उद्योग वाले भी दुखी। युवाओं में घोर निराशा, कर्मचारियों को अपनी आशाओं पर पानी फिरा लगा क्योंकि इस बजट में उत्साह बढ़ाने वाली कोई बात नहीं है। हां कुछ व्यापारी वर्ग को खुश करने का प्रयत्न अवश्य किया गया है।

आज देश का किसान परेशान है। वह आत्महत्या करता है। यूपीए सरकार को बने करीब ढाई वर्ष हो गए हैं। आज भी आत्महत्या का सिलसिला बरकरार है क्योंकि किसानों को अपनी उपज का सही दाम नहीं मिलता। समय पर उसे बिजली नहीं मिलती, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं होता, घटिया उर्वरक मिलता है। कभी कभी कुदरत भी उनका साथ नहीं देती, तब उसके पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। इसलिए मेरा अनुरोध है कि कृषि संबंधी आर्थिक उन्नति और विकास हेतु निर्विष्टियों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की सीमा को बढ़ाने की आवश्यकता है। किसानों को हर तरह की फसल के बीज उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण की पुनसंरचित योजना को बढ़ाने की आवश्यकता है।

गुजरात में कृषि विद्यालय बड़े पैमाने पर कार्य कर रहे हैं। अच्छे अच्छे संशोधन के कार्य चल रहे हैं। इसलिए आधारभूत संरचना के उन्नयन पर होने वाले व्यय के लिए सहायता अनुदान जारी करना चाहिए ताकि जो कृषि विश्वविद्यालय उत्कृष्ट संशोधन कर रहे हैं वे अपना विकास करने के लिए सक्षम हो सके। राष्ट्रीय पशु एवं भैंस प्रजनन कार्यक्रम के तहत दुग्ध क्षमता वाले दुधारू पशुओं को पालने, बछड़ा पालन कार्यक्रम, पशु एवं भैंस प्रजनन एवं आहार तथा चारा उपलब्ध कार्यक्रम के लिए किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को और विशेष आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता है ताकि किसान अपना जीवन निर्वाह कर सके एवं राष्ट्रीय आमदनी बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान कर सके।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

आज देश के अंदर दूध के व्यवसाय में बहुत बड़ी क्रांति आयी है। आज हमारे देश से घी, दूध, मक्खन विदेश में भेजा जाता है। इसलिए गहन डेयरी विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु देश की भिन्न-भिन्न दुग्ध यूनियनों एवं परिसंघों को आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता भी है।

किसानों को समय पर अच्छे उर्वरक न मिलने के कारण उनकी फसल नष्ट हो जाती है, उसकी मेहनत बेकार चली जाती है। इसलिए सरकार की ओर से उचित केन्द्रों पर से किसानों को उर्वरक मुहैया कराया जाना चाहिए और उर्वरक आयात किया जाता है तो आयातित उर्वरकों पर सब्सिडी को बढ़ाकर सीधा किसानों तक पहुंचे, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। उसी तरह स्वदेशी यूरिया बड़े पैमाने पर बनाया जाता है उसे भी सब्सिडी को बढ़ाकर देना चाहिए।

माननीय वित्त मंत्री जी ने नागर विमानन मंत्रालय के विभाग में पूरक अनुदान के रूप में एयर इंडिया को हज यात्रियों के लिए विशेष विमानों की व्यवस्था के व्यय की क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए 25.91 करोड़ रुपये की राशि अनुदान की पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों द्वारा पूरा करने का आश्वासन दिया है उसी तरह मेरी मांग है कि देश के करोड़ों श्रद्धालू देश के भिन्न-भिन्न स्थानों पर पूजा के लिए एवं दर्शन के लिए जाते हैं तो उन्हें भी विशेष सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए। हिन्दुओं के आस्था के केन्द्र कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर हैं। वहां जाने के लिए लाखों रुपए खर्च होते हैं तो सरकार द्वारा ऐसे यात्रियों को विशेष सब्सिडी देनी चाहिए ताकि देश के नागरिकों में मनमुटाव न हो।

माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट, सूरत, राजकोट एवं भावनगर एयरपोर्ट के लिए विशेष आर्थिक सहायता देनी चाहिए ताकि सही समय पर उसको पूरा किया जा सके। विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए मानिद निर्यातों पर शुल्क वापसी और केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति के लम्बित दावों के कैसेज को जल्दी से निपटाकर व्यापारियों का उत्साह बढ़ाना चाहिए।

सूरत, गुजरात के बाढ़ग्रस्त 6000 रत्न एवं आभूषण यूनिटों को सहायता प्रदान करने हेतु 9.32 करोड़ रुपये जो निर्धारित किये गये हैं उसे जल्दी पहुंचाकर रत्न कारीगरों का उत्साह बढ़ाना चाहिए।

माननीय सभापति जी, आज सार्वजनिक वितरण प्रणली में जो अन्न दिया जाता है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, उसका रखरखाव भी ठीक नहीं है। परिणामस्वरूप दिन प्रतिदिन लोगों का विश्वास इस प्रणाली से उठने लगा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंदर जो चीज जीवन के लिए आवश्यक है उन सभी चीजों का समावेश करना चाहिए ताकि देश के दूरदराज के गांवों में बैठे गरीब आदमी भी अपना जीवन निर्वाह कर सके। एनडीए के शासन काल में अनाज के गोदाम भर गए थे, गेहूं और चावल रखने के लिए जगह की कमी हो गई थी परन्तु आज गेहूं बाहर से आयात करना पड़ रहा है अपना स्टाक बनाए रखने के लिए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो अन्न हम आस्ट्रेलिया से मंगाते हैं वह वहां पर घोड़े खाते हैं परन्तु हमारे यहां इन्सान के लिए आयात किया जाता है।

संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारत और विदेश रंगमंच समूह द्वारा जो महोत्सव कराए जाते हैं उसमें आर्थिक सहायता दी जाती है। गुजरात में गत 5 वर्षों से देश के विभिन्न भागों से एवं विदेशों से बड़ी संख्या में कलाकार आते हैं और गुजरात में नौराति महोत्सव और वाईबंट गुजरात महोत्सव के दौरान कलाकारों के द्वारा सामूहिक रंगमंच का आयोजन किया जाता है और समभाव पैदा करने का विशेष प्रयत्न गुजरात सरकार के द्वारा किया जाता है। मेरा अनुरोध है कि गुजरात सरकार को इन सभी के लिए विशेष आर्थिक सहयोग दिया जाए।

माननीय वित्त मंत्री जी ने सेवाग्राम आश्रम ट्रस्ट वर्धा एवं मुम्बई, मदुरै, पटना और बैरकपुर गांधी संग्रहालयों को करोड़ों रुपये की अतिरिक्त धनराशि देने का आश्वासन दिया है उसी प्रकार गुजरात में भी बहुत सारे लेखक, कवि एवं देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले शहीदों के स्मारकों को भी स्मृति संग्रहालय बनाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाए, ऐसी मेरी मांग है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत जन्तुओं के कल्याण की योजनाओं के अंतर्गत पशुओं के लिए शरण स्थल, जन्म नियंत्रण तथा घुमन्तु कुत्तों का प्रतिरक्षण करने के लिए पशु कल्याण बोर्ड को 1.88 करोड़ रुपये देने की जो बात है, बहुत अच्छी है, पशुओं का कल्याण, उनकी रक्षा हमारा कर्त्तव्य है। उनको बिना कारण मौत के घाट उतारा जाता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि गुजरात में मेरे क्षेत्र में नीलगायों की संख्या बहुत अधिक है। उनके लिए अलग से अभ्यारण्य बनाया जाए ताकि उनकी रक्षा भी हो सके और किसानों को जो उनसे आर्थिक नुकसान हो रहा है, वह भी न हो।

गुजरात में बांस उद्योग के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। इसलिए बांस की परतों का निर्माण करने संबंधी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना बहुत आवश्यक है। गुजरात में उचित स्थान पर प्रायोगिक संयंत्र सुविधा की स्थापना की जाए।

[श्री रतिलाल कालीदास वर्मा]

सारे देश में मुख्य शहरों में चिड़ियाघर देखने को मिलते हैं लेकिन उनका रखरखाव ठीक तरह से होने के कारण गर्मी के दिनों में विभिन्न प्रकार की चिड़ियां एवं प्राणियों की मौत की घटनाएं होती रहती हैं। उसके रखरखाव के लिए प्रत्येक राज्य को उचित धनराशि दी जाए। विभिन्न राज्यों की ओर से प्रदूषण के उपशमन के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं केन्द्र सरकार को दी जाती हैं। गुजरात प्रदूषण बोर्ड के द्वारा सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं। इस बोर्ड की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उसे और अधिक आर्थिक सहायता दी जाए। कच्छ वनस्पति इको-सिस्टम योजना चल रही है। अनुसंधान परियोजनाओं के लिए विभिन्न संशोधनों को जो एक करोड़ रुपये देने की बात कही गई है उसको और बढ़ाया जाए।

माननीय मंत्री जी ने विदेश मंत्रालय के अंतर्गत राजदूतावास एवं मिशन के लिए 51.41 करोड़ रुपये पासपोर्ट एवं उत्प्रवास के लिए 2.48 करोड़ रुपये एवं 28 करोड़ रुपये केम्ब्रिज विश्वविद्यालय (यूके) में एक पीठ के निर्माण हेतु आवंटित करने का प्रयास किया है, लेकिन मेरी मांग है कि विदेश में स्थित राजदूतावास द्वारा विदेश में रह रहे भारतीयों को क्या उचित न्याय दिया जा रहा है? क्या उनको दूतावास में बैठने दिया जाता है? पीने के लिए पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है? क्या उनका पासपोर्ट रिन्यू करने का काम या नया बनाने का काम समय सीमा में किया जाता है? इस सब के लिए जांच की आवश्यकता है। क्या वहां के भारतीय प्रतिनिधियों को समय समय पर बुलाकर उनके साथ बैठक होती है? मुझे शिकायत मिली है कि कुछ गिने चुने लोग ही राजदूतावास के सम्पर्क में रहते हैं और खानापूर्ति की जाती है। इसलिए मेरी मांग है कि दूतावासों या उसकी शाखाओं को उचित निर्देश दिए जाएं।

माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि सरकारी कर्मचारी तो सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं, उनकी चिकित्सा के बारे में चिंता की जाती है लेकिन जो असंगठित मजदूर हैं उनके लिए कोई उचित कदम नहीं उठाये जाते हैं। उन्हें भी सोशल सिक्योरिटी देनी चाहिए। यह हमारा कर्त्तव्य है कि ऐसे असंगठित मजदूर एवं खेतिहर मजदूरों को भी साठ वर्ष के बाद पेंशन के रूप में उनकी आर्थिक सहायता दी जाए ताकि वे अपना बुढ़ापा सम्मान से काट सकें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा भारत के प्रत्येक बच्चे को पोलियो से बचाने के लिए विज्ञापन दिया जाता है और समय समय पर पोलियो की खुराक पिलाने के लिए उत्साह बढ़ाया जाता है। उसी तरह प्रत्येक बच्चे को हर तरह के रोग से सुरक्षा के लिए बूंद पिलाने के लिए सरकार द्वारा आयोजन किया जाए ताकि देश के बच्चे, पोलियो, टीबी, मलेरिया, टाईफाईड जैसे रोगों से मुक्त हो सकें। हमारा देश गांवों का देश है इसलिए जिला स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं को हर तरह के साधनों से सजाया जाए, डाक्टर्स उपलब्ध रहें। मुफ्त में दवाएं दी जाएं और गांवों के प्रत्येक व्यक्ति का साल में एक बार शरीर का चैकअप हो, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए और प्रत्येक राज्य को भारत सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। आज देश के अंदर कहीं आतंकवाद है तो कहीं नक्सलवाद है। यहां तक कि आम जनता के साथ वीआईपी भी खतरे से बाहर नहीं हैं। ऐसे समय में इन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस बल पर रहती है। इसलिए पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत सहायता अनुदान उपलब्ध कराने के लिए 33.76 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। मेरी दृष्टि से और ज्यादा धनराशि बढ़ानी चाहिए। गुजरात एक सीमावर्ती राज्य है। पड़ोसी देश से घुसपैठिए भारत में आतंक फैलाने के लिए घुसने का प्रयास करते हैं लेकिन गुजरात की पुलिस की सतर्कता के कारण और गुजरात सरकार की प्रतिबद्धता के कारण घुसपैठिए सफल नहीं हो रहे हैं। लेकिन सुरक्षा को ओर कड़ा करने के लिए गुजरात के पुलिस बलों को और बीएसएफ को आधुनिक हथियार उपलब्ध कराए जाएं और कोस्टल गार्ड के कर्मचारियों को जीप व मोटर साइकिल दी जाए ताकि ये गुजरात के साथ साथ भारत में भी शांति स्थापित कर सकें।

माननीय वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि देश के अंदर नवोदय विद्यालय बन रहे हैं. उसके रखरखाव के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। मेरा क्षेत्र अहमदाबाद जिले में है, वहां पर एक नवोदय विद्यालय की आवश्यकता है ताकि गांवों के अंदर रहने वाले विद्यार्थियों को अन्य लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का अवसर मिल सके। गुजरात के लोग शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें विदेश जाने के लिए विशेष आर्थिक सहयोग देना चाहिए। विशेषकर गुजरात के अंदर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को विदेश में अध्ययन करने के लिए पांच लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है लेकिन दिन प्रतिदिन विदेश जाने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए गुजरात सरकार का उत्साह बढ़ाने के लिए और अधिक आर्थिक सहयोग देने के लिए राज्य का प्रतिनिधि होने के नाते मेरा आपसे अनुरोध है।

सारे देश के अंदर केन्द्रीय विद्यालय चल रहे हैं। अधिकतर लोग अपने बच्चों को केन्द्रीय विद्यालयों में ही प्रवेश दिलाना चाहते हैं लेकिन कमरों की कम संख्या की वजह से सरकारी कर्मचारियों के अलावा अन्य लोगों के बच्चों को इन विद्यालयों में प्रवेश नहीं मिल पाता। माननीय सांसदों को भी केवल दो ही विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु कूपन दिये जाते हैं जिसके कारण क्षेत्र के

अन्य लोग नराज हो जाते हैं। अत: मेरी मांग है कि कूपन की संख्या को या तो और बढ़ाया जाए या बंद ही कर दिया जाए। विश्वविद्यालयों को भारत सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है जिसमें हर तरह की आर्थिक सहायता दी जाती है लेकिन आज भी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शिक्षकों के पद रिक्त हैं, मेरी मांग है कि इन पदों को शीघ्र भरा जाए। सरकारी मेडिकल कालेजों में भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति की रिक्त सीट हैं, उनको भी भरा जाए।

डब्ल्यूएमसीए, इंडियन स्टूडेंट होस्टल, लंदन और स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज को भारत सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है तो उनके अंदर भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों का कोटा भरा जाए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में गुजरात को भी विशेष महत्व दिया जाए ताकि टेक्नीकल विद्यार्थी वहां से पास होकर आगे बढ़ सकें। बोर्ड ऑफ एप्रींटिश ट्रेनिंग सैंटर, मुम्बई, कलकत्ता, कानपुर और चैन्नई से चल रहे है। आज गुजरात देश के नक्शे में प्रथम स्थान पर है और भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों के द्वारा भी गुजरात सरकार के कार्य को नं. 1 घोषित किया है। इसलिए ऐसे इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग सैंटर गुजरात में भी खोलने के लिए मेरा आपसे अनुरोध है।

महोदय, मेरीटाईम विश्वविद्यालय खोलने के लिए लोकसभा में हल्ला हुआ है जिससे आप वाकिफ है। चैन्नई और कोलकाता से कोस्टल एरिया गुजरात के पास बड़ा है। अन्य राज्यों से ज्यादा बंदरगाह गुजरात में है और एक्सपोर्ट गुजरात के कांडला पोर्ट से होता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों के लिए गुजरात का कांडला पोर्ट सबसे नजदीक है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस विश्वविद्यालय को गुजरात में खोला जाए और अन्य स्थानों पर सैंटर खोले जाएं ताकि सभी को सुविधा रहे और कोलकाता और चैन्नई के विवाद का शांतिपूर्वक समाधान हो सके।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं. आज का बालक कल का भारत है और कल के भारत को सुदृढ़ करने के लिए महिलाओं एवं बालकों के प्रति अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। देश के प्रत्येक जिले में समाज कल्याण बोर्डों के द्वारा बाल शिशु भवन बनाए जाएं। आज बहुत सारे राज्यों में महिलाओं की तस्करी की जाती है। उन्हें शरीर बेचने पर मजबूर किया जाता है जिससे उनका जीना मुश्किल हो गया है। इसमें महिलाओं की सहायता के लिए सरकार के साथ-साथ स्वयंसेवी संगठनों का भी बहुत महत्व है, जो सही तरह से उनकी रक्षा करते हैं और जीवन लायक साधन दिलाते हैं। ऐसे संगठनों को खुलकर आर्थिक सहयोग दिया जाना चाहिए। इसी तरह बहुत सारे राज्यों में बच्चों के द्वारा कार्य कराया जाता है। 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से काम लेना कानूनी अपराध है। फिर भी आज बाल अपराध हो रहे हैं। इसलिए मेरी मांग है कि कामगार बच्चों के कल्याण के लिए बड़े पैमाने पर योजनाएं बनाई जाएं और स्वयंसेवी संगठनों का उत्साह बढ़ाया जाए।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण के लिए ऋण दिया जाता है, लेकिन क्षेत्रीय फिल्मों का जो विस्तार होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। गुजरात सरकार की ओर से क्षेत्रीय फिल्मों को सब्सिडी दी जाती है। ये क्षेत्रीय फिल्में राज्य की संस्कृति, राज्य की गौरव गाथा, राज्य में जन्मे संत तथा राजा महाराजाओं आदि की कहानी पर फिल्म बातें हैं और सांस्कृतिक विरासत को उजागर करते हैं। इसलिए मेरी मांग है कि राज्यों को और अधिक आर्थिक सहायता दी जाए ताकि अपनी सब्सिडी बढ़ाकर देश के और दूरदराज में बैठे ग्रामीण कलाकारों को प्रोत्साहन मिले।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा सफाई कर्मचारियों का उद्धार करने और उनके पुनर्वास हेतु स्वरोजगार की स्कीम चालू की गई है। लेकिन इस स्कीम का सही कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। आज भी सफाई कर्मचारियों को रहने को घर नहीं है, वे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। कहीं-कहीं मैला सिर पर उठाना पड़ता है। अपमानित जीवन जीना पड़ता है और कहीं-कहीं तो समय पर वेतन तक नहीं मिलता। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सबसे पहले उनको वेतन दिया जाए उसके बाद ही पालिका या पंचायतों का खर्च वहन किया जाए। अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्कीम लागू है, इसमें बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता है।

पर्यटन मंत्रालय के द्वारा पर्यटन को महत्व देने के लिए होटल आदि को सब्सिडी दी जाती है। मेरा अनुरोध है कि इससे कितने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को लाभ हुआ है, यह देखना चाहिए। कुछ वर्ग के लोग ही हर स्कीम का लाभ उठाते रहते हैं। इस पर भी ध्यान रखा जाए, ताकि सभी वर्गों के लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।

अंत में मेरी इतना ही कहना है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने नोबल पुरस्कार विजेता श्री मोहम्मद यूनुस के द्वारा उद्धृत वाक्य को दोहराया है कि निर्धनता में तीव्रता से कमी लाने के लिए तीव्रतर विकास दर अनिवार्य है, इसके लिए अन्य कोई युक्ति नहीं है। इसके जवाब में मैं कहूंगा कि-"निर्धनता देश के लिए है बड़ा श्राप, यह नहीं मिटेगा अपने आप, अगर मिटाना चाहते हो, फिजूलखर्च पर रखो काप, बजट में जो बात बताई, लेकिन जनता को रास नहीं आई, सारे देश की जनता महंगाई से कर रही है हाय हाय, कब जाए यूपीए सरकार, इसलिए लगते हैं प्रभु के पाय।'

*श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, वित्त मंत्री द्वारा रखे गए बजट 2007-08 में आम आदमी की सरासर उपेक्षा की गई है। मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं द्वारा इस मामले में अनेक बातें कही गई हैं। देश का आम आदमी आज कमरतोड़ महंगाई से प्रताड़ित महसूस कर रहा है। सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल के दामो में कटौती करने के बाद भी आम उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं मिली है। इस देश की व्यवस्था का बड़ा सत्य यह है कि, यहां कीमतें चढ़तीं तो तेजी से हैं, पर उतरती धीमी गति से। सरकार के फरमान के बावजूद महंगाई जस की तस बनी हुई है। बड़े जोशोखरोश के साथ इस बात का बखान किया जा रहा है कि विकास दर 9 प्रतिशत के ऊपर जा रही है। साथ ही शान से यह भी प्रचारित किया जा रहा है कि शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक ऐतिहासिक स्तर पर बना हुआ है। जल्द ही इसके पन्द्रह हजार अंकों के आंकड़े को छूने की उम्मीद की जा रही है लेकिन विकास दर और शेयर सूचकांक देश के लोगों की आर्थिक बदहाली को बयां नहीं करता। जिस दिन मुद्रास्फीति की दर 6.73 फीसदी पर पहुंचने की खबर आई, उसी दिन शेयर बाजार 345.66 अंकों से बढ़कर 1455.55 पर बंद हुआ। यानी आम आदमी महंगाई की मार झेलता रहा और शेयर बाजार चढ़ता रहा। इससे यह साफ है कि जमीनी हकीकत का विकास दर और शेयर बाजार से कोई खास मतलब नहीं है।

बजट में वित्त मंत्री द्वारा जनता को धोखा देने का प्रयास किया गया है, क्योंकि आम आदमी बीमा योजना के नाम पर खेती मजदूरों के लिए बीमा योजना लाने का प्रस्ताव है, इसमें वार्षिक 100 रुपए का हफ्ता केन्द्र सरकार देगी, इसके लिए एक हजार करोड़ रुपये खर्च होगा। 200 रुपए के हप्ते की बाकी राशि राज्य सरकार द्वारा भरने के लिए सरकार उनसे चर्चा करेगी। यह योजना को लाकर सरकार लाभार्थियों को फायदा पहुंचाएगी इसमें शक है, क्योंकि इसमें वृद्धा पेंशन, दुर्घटना, विकलांगता, बीमारी आदि सामाजिक सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया है। अत: सरकार जो छोटे किसान और खेतिहर मजदूर हैं, उन्हें वृद्धावस्था पेंशन देने की घोषणा क्यों नहीं करती, किसानों की बदहाली को देखते हुए किसानों को वृद्धावस्था पेंशन देने के बारे में वित्त मंत्री विचार करें। सरकारी कर्मचारियों को निवृत्ति के बाद निवृत्ति वेतन की सुरक्षा है, लेकिन किसानों को किसी तरह की सुरक्षा नहीं होने से उसकी आजीविका की सुरक्षा हेतु वृद्धावस्था या निवृत्ति वेतन देने के लिए योजना की घोषणा होनी चाहिए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

देश के किसान बदहाली के कारण आत्महत्या कर रहे है। हमारे विदर्भ के किसान बड़े पैमाने पर आत्महत्या पर उतारू हो गये। सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र की उपेक्षा से किसानों पर आत्महत्या की बारी आई है। कृषि पर अविलंब जनसंख्या 65 से 70 प्रतिशत है, लेकिन कृषि पर अनदेखी करने से आज यह समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। नबार्ड द्वारा कृषि में निवेश के लिए ऋण अधिक मात्रा में देने की सिफारिश की गई। नाबार्ड ने 18 फीसदी की बात कही, लेकिन यह केवल 11 या 11.5 प्रतिशत पर अटकी हुई है। राष्ट्रीय कृषि आयोग के अध्यक्ष डा. स्वामीनाथन के अध्यक्षता में गठित समिति के सिफारिशों पर सरकार द्वारा अब तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, उसकी यह अकर्मण्यता कृषि और किसानों के बारे में उपेक्षा नीति को उजागर करता है। डा. स्वामीनाथन ने स्वयं विदर्भ के आत्महत्या कर रहे किसानों के परिवारों से भेंट करने के पश्चात किसानों को 4 प्रतिशत पर फसल ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार के पास सिफारिश की, लेकिन इसे अब तक क्यों नहीं लागू किया गया। पिछले बजट में किसानों को सात प्रतिशत से ऋण देने की घोषणा की गई इस घोषणा के अनुसार कार्रवाई आदेश के लिए एक साल लगा। महाराष्ट्र में राज्य सरकार के आदेश के बावजूद सहकारिता क्षेत्र की बैंकों द्वारा इस ब्याज पर ऋण देने में आनाकानी हो रही है। इससे किसान अपने आपको फंसाया गया महसूस कर रहा है। सरकार की कथनी और करनी में अंतर होने का यह मामला उजागर हुआ है।

हमारे यहां बड़े पैमाने पर बिजली कटौती हो रही इससे आम आदमी तो प्रताड़ित है लेकिन किसान अपनी खड़ी फसलों को सिंचाई के अभाव में मरते देख रहा है। ऐसा किसान अगर आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा। दसवीं पंचवर्षीय योजना के बिजली उत्पादन का 41110 मेगावाट लक्ष्य रखा गया था लेकिन अब योजना के खत्म होने कि वर्ष तक करीब 30 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन होने का अनुमान है। देश के किसान, आम आदमी, लघु उद्योगों को बिजली उपलब्ध नहीं कराने से वे बदहाल हैं। बिजली के क्षेत्र में केवल उद्दीष्ट और घोषणाओं से काम नहीं चलेगा बिजली उत्पादन के क्षेत्र में युद्धस्तर पर काम करने की आवश्यकता है।

एसईजेड के लिए कृषि उपयोगी भूमि का आवंटन करने से कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल कम होने जा रहा है। जनसंख्या विस्फोट से भूमि पर दबाव बढ़ रहा है। 71 करोड़ 47 लाख लोग गांव में रहते हैं। 80 के दशक में हुई हरित क्रांति में 18 करोड़ 20 लाख हेक्टेयर भूमि ही रह गई है. बढ़ती आबादी, घटती जमीन, कहां है खाद्यान्न सुरक्षा? और "सेज" के कारण कृषि

योग्य भूमि का प्रतिशत और कम होकर यह समस्या गहराती जाएगी। आज ही हमें गेहूं आयात करना पड़ रहा है अभी चेते नहीं तो भविष्य में खाद्यान्नों के लिए विदेशों पर निर्भर रहने की बारी आ सकती है। देश में 7 करोड़ 70 लाख बंजर जमीन है। इसके कृषि योग्य बनाने के लिए बजट में कोई योजना नहीं है। इस बंजर भूमि तथा किसी कारणों से परती पड़ी जमीनों को कृषि उपज के लिए तैयार करना होगा देश के बेरोजगार युवकों को यही भूमि कृषि योग्य बनाने के लिए देकर उन्हें आर्थिक सहायता दी गई तो यह अभियान के रूप में चलाया जा सकता है। सरकार इस मामले का संज्ञान लेकर कोई योजना घोषित करें।

सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधा के मद पर राशि बढ़ाई गई है, लेकिन देश की स्वास्थ्य सेवा विशेष कर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधा को देखे तो यह राशि अपर्याप्त प्रतीत होती है। आज भी देश के करीब नौ हजार पी.एच.सी./तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टरों के पदों की रिक्तियां हैं। इससे स्वास्थ्य सुविधा पर सरकार की उपेक्षा उजागर होती है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में मरने को मजबूर है। उन्हें हृदयघात, कैंसर, किडनी रोपन आदि सुविधा तो स्वप्नवत है। शहरों के अस्पतालों को अद्यतन कराने की आवश्यकता के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र का विस्तार और इसे कारगर कराने के लिए अधिक धन के साथ इच्छाशक्ति की जरूरत है। मैं मांग करता हूं कि सरकार जनजातीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक चिकित्सालय/ चिकित्सा महाविद्यालय शुरू कर स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने का प्रयास करे। सरकार द्वारा राजीव गांधी पेयजल मिशन योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए 2006-07 के मुकाबले में 5850 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया यह राशि काफी कम है। देश के बड़े भूभाग के भूगर्भ जल में प्लोराईड की मात्रा पाई जाती है करीब 2 लाख से ज्यादा गांव फ्लोराइड युक्त जल पीते हैं। जिसमें 75000 गांव 1.5 प्रतिशत से ज्यादा फ्लोराइड पाया गया है। प्लोराइड मिश्रित जल से फलोरोसीस तथा अन्य जनजनित रोगों से लोग विक्लांग होकर घुट घुट कर मरने को मजबूर हैं। ऐसे फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए एक विशेष योजना बनाने की जरूरत है। इसके लिए वित्त मंत्री अधिक से अधिक धनराशि का प्रावधान कर विशेष योजना की घोषणा करे।

मैंने पूर्व में उल्लेख किया उस अनुसार सेज या अन्य परियोजना के लिए किसानों से अगर भूमि का अधिग्रहण किया गया तो उसे उस उद्योग तथा परियोजना के लाभ में भागीदारी मिलनी चाहिए। कृषि भूमि के अभाव में विस्थापित किसानों को भविष्यकालीन निर्वाह के लिए उसकी लाभ में भागीदारी को सुनिश्चित कराने की घोषणा भी करनी चाहिए। देश के खुदरा क्षेत्र में विदेशी कंपनियां, देश की कार्पोरेट कंपनियां आ रही हैं। आज खुदरा क्षेत्र में लगभग 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। जो कि देश के कुल श्रमशक्ति का लगभग 8 प्रतिशत है। लेकिन भारत का खुदरा व्यापार असंगठित और कोई नेटवर्क न होने से उपेक्षित रहा है। देश भर में लगभग 15 मिलियन छोटी दुकानें हैं जिन्हें परिवार के लोग चलाते हैं। खुदरा व्यापार सरकार के लिए राजस्व जुटाने का सबसे बड़ा जरिया है। सरकार द्वारा विदेशी कंपनियों और बड़े औद्योगिक घरानों को इसमें प्रवेश देने के लिए प्रोत्साहित करने की बजाय खुदरा व्यापार के लिए एक राष्ट्रीय व्यापार नीति बनाई गई होती तो खुदरा क्षेत्र के छोटे दुकानदारों पर कुप्रभाव नहीं पड़ता। इस क्षेत्र में भविष्य में होने वाले बुरे असर को देखते हुए सरकार खुदरा क्षेत्र को सुरक्षा के लिए कोई उपचारात्मक पहल करे। खुदरा क्षेत्र में बड़े औद्योगिक घराने और विदेशी कंपनियों के प्रवेश पर पाबंदी लगाए।

बजट के भाषण में वित्त मंत्री द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का विस्तार कर इसे 330 जिले तक ले जाने की बात कही है। लेकिन वित्त मंत्री द्वारा शहरी क्षेत्रों के गरीब लोगों के लिए इसका विस्तार करने की अपेक्षा फलीभूत नहीं हुई है। इसमें दी जा रही 60 रुपये मजदूरी को बढ़ाकर 100 रुपये करने की मांग करता हूं। देश के लघु उद्योग आज बेहाल है। लघु उद्योगों के लिए उत्पादन शुल्क 1.5 करोड़ रुपये से लघु उद्योगों को कितना फायदा मिलेगा यह सवाल पैदा होता है। लघु उद्योगों को आज कोयला/कच्चा माल और बिजली उपलब्ध कराने का संकट देखते हुए लघु उद्योगों के लिए और सहायता देने की जरूरत है। देश के निर्यात तथा रोजगार सृजन में बड़ी भूमिका निभाने वाले लघु उद्योगों को विशेष राहत पैकेज की घोषणा भी करनी चाहिए। वित्त मंत्री द्वारा देश के बड़ी संख्या में रहने वाले बेरोजगारों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया पंजीकृत कार्यालयों में 4 करोड़ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी इतने ही संख्या में बेरोजगारों को रोजगार देने की सरकार की असफलता को देखने सरकार बेरोजगारों के लिए निर्वाह भत्ता के रूप में 1000 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा करें। देश की खनन सामग्री का निर्यात किया जा रहा है। देश के अकूत खनन भंडारों के आधार पर हम यहां पर उद्योग लगाकर रोजगार के अवसर के साथ स्थानीय विकास में योगदान दे सकते हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि देश के खनन सामग्री के निर्यात पर रोक लगाकर इन संसाधनों के आधार पर उद्योग लगाने के लिए कोई प्रोत्साहन योजना तैयार करें। सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों में आवंटित किये गये कैप्टीव कोल ब्लाक्स पर नाम मात्र रायल्टी दरें हैं। निजी क्षेत्रों को इस पर हो रहा फायदा देखकर कैप्टीव कोल बॉक्स के कोयला खनन पर

[श्री हंसराज गं. अहीर]

अधिक कर लगाना चाहिए। इससे सरकार के राजस्व में बढ़ोत्तरी हो सकती है। कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला वितरण पद्धति लघु व मझौले उद्योगों को जो अधिक रोजगार देते हैं उन्हें सुरक्षा तथा उचित दरों में कोयला नहीं दिये जाने से इ-बुकिंग द्वारा नोटीफाईड रेट से 30 प्रतिशत अधिक दरों में खरीदने को मजबूर किया जा रहा है। इन उद्योगों को नोटीफाइड रेट में ही कोयला आपूर्ति की जानी चाहिए। ई-बुकिंग कोयले की कालाबाजारी को प्रोत्साहित करना है। उन्हें लूटना बंद किया जाना चाहिए।

वित्त मंत्री द्वारा लाया गया बजट देश की जनता की अपेक्षा को पूरा करने में असमर्थ होने के कारण मैं इसका विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट): महोदय, बजट के सामान्य ढांचे और दिशा पर टिप्पणी करते हुए मुझे किसानों और आम आदमी से संबंधित बजट में कतिपय स्पष्ट घाटों की ओर इंगित करते हुए अफसोस हो रहा है। परिव्यय के अलावा परिणामी अनुमानों के बारे में सोचना तर्कसंगत है।

बजट खाली आकड़े नहीं है जैसाकि अर्थशास्त्री और मीडिया विशेषज्ञ हमें यह समझाने का प्रयास करते हैं। झुमरी तिलैया, जोरहाट, कामरूप या मेरे गांव कालपेटा के लोग जैसे आम आदमी निचले स्तर पर है। ये अप्रचलित नामों वाले ऐसे स्थान हैं जहां अच्छे लोग वास्तविक जिन्दगी जीते हैं। वे चतुर किस्म के लोग नहीं है जो स्मार्ट कार्ड, मनपसंद खाने और उबाऊ जीवनशैली के साथ जीते हैं। वे इस पृथ्वी के ऐसे बेसहारा किसान हैं जिन्होंने अपनी उम्मीदों और अपने जनमत को हमसे देखा था लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी प्रतिबद्धता दलाल स्ट्रीट के कैसे निवेशकों के प्रति है जो शायद ही कभी मताधिकार का प्रयोग करते हैं। यदि शेयर बाजार में मंदी आती है तो हमारे नीति निर्माताओं को बेचैनी होती है लेकिन जब विदर्भ और केरल के वायनाड में कोई मौत होती है तो प्रवृत्ति यह है कि एक समिति का गठन कर दिया जाता है। किसानों के लिए बजट मानसून जैसा है या तो यह यम है या लक्ष्मी है। यदि मानसून नहीं आता है तो वे भाग्य को कोसते हैं लेकिन यदि बजट उन्हें भूलता है तो हम और वे दोनों जानते हैं कि कौन दोषी है।

हम सभी अपने देश में कृषि संकट से अवगत है। वर्ष 1997 से नव-उदारवाद एजेंडे का दौर है जो अभी भी 'सतत' और 'परिणामी' विकास के मांगों का गुणगान कर रहा है और जिसने किसानों को निर्धन बना दिया है जो 25,000 से अधिक किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने के शर्मनाक तथ्य की ओर इशारा करता है। कृषि आदानों की लगातार बढ़ती कीमत और कृषि वस्तुओं का गिरता मूल्य इस संकट के दो मुख्य कारण हैं और जिसकी जड़ व्यापार का उदारीकरण और कार्पोरेट भूमंडलीकरण है। भारत में कृषि क्षेत्र को राजसहायता में कमी ने इसे और पेचीदा बना दिया। वर्ष 1995 से 2002 तक अमेरिका ने किसानों को 114 बिलियन डालर से अधिक की राजसहायता दी है और वर्ष 2002 में राष्ट्रपति बुश ने इस दशक में बढ़ाकर 190 बिलियन डालर कर दिया। सिर्फ 2000 में ही अमेरिका 70 से अधिक देशों के सकल घरेलू उत्पाद से ज्यादा कृषि पर राजसहायता धनराशि का व्यय किया है। ब्रिटिश साम्राज्ञी और उनके बटे चार्ल्स को गत वर्ष 2003-04 में कृषि राजसहायता पर कुल 1 मिलियन से ज्यादा यूरो डालर प्राप्त हुआ है। कृषि क्षेत्र से होने वाले आपूर्ति में बहुत तीव्र गिरावट आई है। मुद्रास्फीति बढ़ने का लगभग 40 प्रतिशत कारण कृषि उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि आम आदमी की अच्छी स्थिति के बारे में बयान नहीं करता है क्योंकि मुख्य मुद्दे विकास और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन के बारे में है।

राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशें सहायता कर सकती है। मूल्य स्थिरता कोष नहीं बनाया गया है। ब्याज दर में कमी को नहीं लागू किया गया है। इसके बिना ग्रामीण ऋण को प्रोत्साहित करना अर्थहीन बन गया है। संकटग्रस्त क्षेत्र में अच्छी फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। यह दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री के विदर्भ के दौरे के बाद से यह संख्या बढ़ी है। वर्ष 2007 के पहले दो महीने में यह संख्या क्रमशः 70 और 88 थी और 9 मार्च को मात्र एक दिन में 9 लोगों ने अपनी जिन्दगी खत्म कर दो। यह हमारी खराब नीति को दर्शाता है और क्या हम उन पर दोषारोपण कर सकते हैं। यदि हम 200 जिलों में 20,000 करोड़ रुपये की परिकल्पना से एनआरईजीए का उदाहरण ले। मात्र 11,300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। इस वर्ष यह 130 जिलों में 700 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन से इसका विस्तार किया गया। दूसरे शब्दों में जब कवरेज का 40 प्रतिशत विस्तार किया जाता है तो इसके लिए धनराशि में मात्र छह प्रतिशत वृद्धि ही की जाती है। सामाजिक वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि किस तरह एक अड़ियल मंत्रालय का रुख हर स्तर पर असहयोगात्मक था।

गरीबों के प्रति कृत्रिमता का दूसरा उदाहरण समेकित बाल विकास सेवाओं के प्रति अनदेखी है। 4.90 रुपये प्रति बच्चे की तुलना में गत वर्ष बच्चों को 100 रुपये आवंटित किया गया। इस वर्ष यह घटकर 4.84 रुपये हो गया है जो मुद्रास्फीति की दर को

देखते हुए और अधिक कम हो गई है। आईसीडीएस न सिर्फ छह वर्ष बच्चों से कम उम्र के बच्चों हेतु एक प्रमुख राष्ट्रीय योजना है जो एमआरईजीए के साथ न्यूनतम साझा कार्यक्रम की एक प्रमुख प्रतिबद्धता भी है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: महोदय क्या मुझे सभा पटल पर रखने की अनुमति दी गई है।

एक बेहतर माननीय दृष्टिकोण और पारंपरिक बुद्धिमत्ता से माननीय वित्त मंत्री चिदंबरम कुछ बेहतर कर सके और यह साबित किया कि उनका मंत्रालय सबसे निम्न वर्ग के लिए अधिक उपयोगी है।

*बजट में खाद्य तेल पर आयात शुल्क में और कटौती की गई है। रिफाइन पाम ऑयल के लिए यह कमी 80% से 67.5% तक की गई है। कच्चे पाम ऑयल के मालमे में भी कमी की गई है।

पिछले वर्ष खाद्य तेल पर आयात शुल्क में तीन बार कटौती की गई। पिछली कटौती 24 जनवरी, 2007 को की गई। यह कटौती 12.5% से 10% तक की गई। इस बजट में अतिरिक्त कर 4% की दूसरी कटौती की गई है। सूर्यमुखी क्षेत्र पर यह कटौती 15% है।

इस कारणवश 25 लाख नारियल किसान बहुत ही कष्ट में है। केरल में धान के किसानों द्वारा आत्महत्या के मामलों की बढ़ती हुई संख्या के कारण पहले से ही खतरे में है। नारियल के किसानों को जोड़ने की आवश्यकता है। राज्य में पूरे कृषक समुदाय पर बजट का प्रभाव घातक है।

बैंक का ब्याज दर बढ़ा दिया गया है। कामगारों के भविष्य निधि जमा संग्रहों और डाकघर के लघु बचतों पर ब्याज में कोई संगत वृद्धि नहीं की गई है जहां आम आदमी अपनी बचत करता है उनकी क्यों अनदेखी की गई है।

गरीबों के प्रति अनदेखी का दूसरा उदाहरण समेकित बाल विकास सेवाओं का खराब दृष्टिकोण है। 4.90 रुपये की तुलना में गत वर्ष बच्चों को 100 रुपए आवंटित किया गया है। इस वर्ष यह घटकर 4.84 रुपये हो गया है जो निर्धारित मुद्रास्फीति के स्तर को कम करेगा। आईसीडीएस 6 वर्ष की उम्र से कम के बच्चों हेतु महत्वपूर्ण राष्ट्रीय योजना है जो एनआरईजीए के साथ न्यूनतम साझा कार्यक्रम की प्रमुख प्रतिबद्धताओं को पूरा करता है बल्कि इसका अनुपालन 13 दिसम्बर के उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसले द्वारा भी लागू किया जाना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक गांव में एक कार्यात्मक आंगनवाड़ी स्थापित किया जाना है। अब तक इस क्षेत्र में दो-तिहाई की कमी है और 8.2 लाख आंगनवाड़ियों की कमी है। 'समानता के साथ सार्वभौमिकता' के इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बजट आवंटन सकल घरेलू उत्पादन के समान अनुपात में पिछले वर्ष किये गये आवंटन के बराबर है। इस कड़वे सच के परिप्रेक्ष्य में जैसाकि तीसरे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में यह उजागर हुआ है कि हमारे 46% बच्चे कम वजन वाले हैं 8 वर्ष पहले की यही आंकड़ा था। क्या यह आत्ममंथन करने का समय नहीं है कि किस सामजिक लागत पर हम विकास का अपना ढांचा तैयार कर रहे हैं। हम यह भी स्मरण करे कि हमारी अगली पीढ़ी रक्षा क्षेत्र के लिए 96,000 करोड़ रुपये निवेश करने के औचित्य की मांग करेगी जबकि छह वर्ष से कम उम्र के 160 मिलियन हमारे बच्चों पर 5000 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च हो रही है।

बेशक निम्नलिखित कदम स्वागतयोग्य है:

(1) 50 लाख अतिरिक्त किसानों को 2,25,000 करोड़ रुपये की कुल ऋण उपलब्धता के साथ कृषि ऋण से जोड़ा गया।

(2) सिंचाई के अंतर्गत 2.4 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि लाई गई।

(3) कृषि क्षेत्र में अनुसंधान विस्तार हेतु अधिक प्रावधान।

प्रति बूंद जल पर आय और उत्पादन को बढ़ाने हेतु जल के प्रयोग की क्षमता में सुधार हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

उर्वरक वितरण प्रणाली में सुधार करना होता है। बड़ी कंपनियों की अभी दी गई बड़ी राजसहायता स्मार्ट कार्ड के जरिए सीधे किसानों को दी जानी चाहिए। (डा. एम.एस. स्वामीनाथन का सुझाव)।

सर्वेक्षण में उद्धृत दुग्ध क्रांति को दालों, तिलहनों और मोटे अनाजों पर भी लागू किया जाना चाहिए।*

***डा. टोकचोम मैन्या** (आंतरिक मणिपुर): महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे केन्द्रीय बजट 2007-08 पर इस सामान्य चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है। मा. वित्त मंत्री, श्री चिदंबरम ने 28 फरवरी को इस सम्माननीय सदन में बजट पेश किया। मैं ईमानदारी से यह बात कह रहा हूं कि यह बजट आम आदमी के लिए है और हमें उनकी तहेदिल से सराहना करनी चाहिए।*

*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

*मूलत: मणिपुरी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[डा. टोकचोम मैन्या]

वर्तमान संप्रग सरकार अपने कार्यकाल का आधा समय पूरा कर लिया है। साधारणतया गणित है। लाभ ज्यादा और हानि कम हुई हैं। सबसे अच्छा लाभ यह रहा है कि लगभग 9% सकल घरेलू उत्पाद दर हासिल की गई है। प्रत्यक्ष नुकसान यह प्रतीत होता है कि हम मूल्य स्थिरता बनाये रखने और औसत मुद्रास्फीति को रोकने में असफल रहे हैं। विकास की इस प्रवृत्ति को बनाये रखने और औसत मुद्रास्फीति को रोकने के लिए, निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गई है। पहला, विनिर्माण को सुदृढ़ किया जाना है क्योंकि यह विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। दूसरा, सेवा क्षेत्र में पहले से ही हासिल किये जा चुके विकास को बरकरार रखना और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कृषि क्षेत्र और इसका सतत विकास। इस आधार और जनसंख्या वाले देश को आवश्यक खाद्य मदों में आत्मनिर्भर होना होगा। अन्यथा, आपूर्ति संबंधी बाधाओं के कारण समष्टि-आर्थिक स्थिरता और विकास रुक सकते हैं। अत:, नीति-निर्माताओं की कार्यसूची में कृषि सबसे ऊपर होनी चाहिए और मा. वित्त मंत्री जी ने इसे सही स्थान दिया है। ये सारी पहलें करके, हमें आशा है कि सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के अंत तक है। अंकों का आंकड़ा पार कर जायेगी।

इस बजट से इस बात की पुष्टि होती है कि संप्रग सरकार आर्थिक सुधारों, वित्तीय दूरदर्शिता और मौद्रिक स्थिरता के प्रति प्रतिबद्ध रही है। राजस्व संग्रहण अच्छा रहा है। अतिरिक्त राजस्व, जहां कहीं उपलब्ध हैं, को राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों नामत: सर्वसमावेशी विकास, समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सदुपयोग किया जाता है।

यह बजट देश के बैंक जमा, धनापूर्ति और विदेशी मुद्रा भंडार की सही स्थिति को दिखाने में समर्थ है। मौजूद, मौद्रिक प्रवृत्तियों से कीमतों पर दबाव पड़ा है। वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से भी घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ा। साथ ही, कुछ आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में बाधायें उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार, औसत मुद्रास्फीति में बहुत कम वृद्धि हुई है।

महोदय, अब सरकार ने कई उपाय आरंभ किये हैं, जिनमें से कुछ वित्तीय, मौद्रिक और आपूर्ति संबंधी सख्त उपाय हैं ताकि कीमतें स्थिर रहे। कुल मिलाकर यह बजट यह दर्शाने में सफल रहा है कि अब सरकार बिना किसी मुश्किल के वर्तमान मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को कम कर सकती है।

महोदय, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का घोषित उद्देश्य अधिक तीव्र और सर्वसमावेशी विकास है। इस समय, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बेहतर है और वह और सुदृढ़ होगी। इस योजना के कुछ अन्य उद्देश्य हैं। कृषि क्षेत्र में चार प्रतिशत विकास; तीव्र रोजगार सृजन, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना आधारभूत अवसंरचना तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा तक सभी की पहुंच को सुनिश्चित करना।

महोदय, इन घोषित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु महत्वाकांक्षी भारत निर्माण तथा प्रमुख कार्यक्रम आकर्षक प्रगति कर रहे हैं। इस योजना हेतु सकल बजटीय सहायता में भारी वृद्धि की गई है। भारत निर्माण के लिए आवंटन बढ़ाकर 31.6 प्रतिशत किया गया है, शिक्षा के लिये आवंटन बढ़ाकर 34.2 प्रतिशत किया गया है और स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु बढ़ाकर 21.9 प्रतिशत किया गया है। यह भी नोट कर खुशी होती है कि विद्यालयी शिक्षा को धनराशि आवंटन में प्राथमिकता दी गई है। विद्यालय शिक्षा हेतु धनराशि का आवंटन 35 प्रतिशत बढ़ाया गया है। उसमें से, सर्व शिक्षा अभियान के लिए 10,671 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है।

महोदय, मेरे विचार से, इन शब्दों के साथ, मुझे शेष भाषण को सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाये। किंतु उससे पूर्व मैं एक बात कहना चाहता हूं। हम अपने लोकतंत्र के सुगम और उचित कार्यकरण में अभी भी कई मुश्किलों का समना कर रहे हैं और इसका कारण यह है कि हमरे देश की अधिकांश जनसंख्या अभी भी उचित रूप से शिक्षित नहीं है। लोकतंत्र के उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण कार्यकरण के लिए, नागरिक उचित रूप से शिक्षित होने चाहिए। हमें यह नोट कर खुशी है कि इस बजट में उस दिशा की ओर मार्ग प्रशस्त हुआ है।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना शेष भाषण सभा पटल पर रखना चाहता हूं।

*महोदय, आईसीडीएस के अंतर्गत, सरकार गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और छह साल से कम उम्र के सभी बच्चों को पौष्टिक भोजन और उचित स्वास्थ्य देखभाल मुहैया करा रही है। धनराशि का आवंटन लगभग 16.5 प्रतिशत बढ़ाया गया है। देश के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाने के लिए यह सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इस बजट का एक अन्य सुन्दर पहलू आईसीडीएस का विस्तार है। सरकार ग्यारहवीं योजना के दौरान सभी ढाणियों और बस्तियों को सम्मिलित करने हेतु इस योजना का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इसके पश्चात, एसएसए की बारी आती है। विद्यालय जाने वाले 6 से 14 वर्ष की आने वाली के सभी बच्चों को पाठ्य पुस्तकें, वर्दियां और अन्य सभी शिक्षण सामग्री मुफ्त में दी जाती हैं। अब, एमडीएम योजना के अंतर्गत, इन सभी बच्चों को विद्यालय

..... भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

में पौष्टिक मध्याह्न भोजन भी दिया जाता है। इन योजनाओं के चलते, विद्यालयों में बच्चों द्वारा स्कूल छोड़े जाने की दर को नियंत्रित किया जा रहा है। साथ ही, माता-पिता विभिन्न कार्यस्थलों पर कार्य करने हेतु अधिक समय और ऊर्जा लगा सकते हैं क्योंकि उनके बच्चे घर पर उनका इंतजार नहीं किया करेंगे।

इतनी विद्यालयी शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् और कुछ राष्ट्रीय चरित्र, नैतिकता और प्रतिबद्धता की भावना के साथ, ये बच्चे हमारे लोकतांत्रिक भारत देश के योग्य नागरिक बनेंगे। तथापि, मैं इस सम्माननीय सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि एमडीएमएस समेत आईसीडीएस और एसएसए-दोनों मिशनों का कार्यान्वयन देश के कई राज्यों में कतई संतोषजनक नहीं है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस बात की ओर ध्यान दे कि इन मिशनों के ईमानदारीपूर्ण कार्यान्वयन के लिए एक कड़ा और उद्देश्यपूर्ण निगरानी तंत्र लाया जाये। इसे इस देश का काफी भला होगा।

जहां तक स्वास्थ्य रक्षा की बात है, चिकित्सा विज्ञान में हुई प्रगति से, मानवजाति अब जीवन और अच्छे स्वास्थ्य से परिपूर्ण है। ऐसा कोई रोग नहीं जिसका ईलाज न किया जा सके। यदि समय पर कैंसर का पता लग जाये तो इस घातक बीमारी का भी पूरा इलाज किया जा सकता है। तथापि, एचआईवी/एड्स से मानवजाति को भयानक खतरा है। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि सरकार एचआईवी/एड्स जैसी बीमारी को खुलकर सामने लाई है और उसने इस बीमारी में शून्य स्तर की वृद्धि हासिल करने के लिए सशक्त और दृढ़ प्रयास करने का वायदा किया है। अब, हमारे पास ऐसी दवाईयां हैं जिनसे मां की गर्भावस्था के दौरान इस बीमारी को उसके बच्चे में जाने से रोका जा सकता है। बहुत जल्द हमारे पास एक ऐसी कारगर दवाई होगी जिससे हम इस बीमारी का सफल इलाज कर पायेंगे।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए 2007-08 में बजट आवंटन में वृद्धि की गई है, 2006-07 में आवंटन 12,041 करोड़ रु. था जबकि 2007-08 में आवंटन 14,365 करोड़ रु. है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास हेतु मुहैया कराये गये 1,380 करोड़ रु. शामिल हैं। हम इसका स्वागत करते हैं। हम पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए लाई गई नई औद्योगिक नीति का भी स्वागत करते हैं जिसमें 31 मार्च, 2007 से पूर्व उपयुक्त वित्तीय प्रोत्साहन भी लाये जायेंगे। फिर भी, हमारी प्राथमिकता यह है कि उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय को गृह मंत्रालय से अलग करके इसे एक पूर्ण मंत्रालय का दर्जा दिया जाये।

अब मैं देश में कानून और व्यवस्था के बहुत ही संवेदनशील मुद्दे की बात कर रहा हूं। हमारी धरती शांति और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की धरती है। मेरे लिये यह दुख की बात है कि मैं इस सम्माननीय सभा में इसके बारे में बोलने का प्रयास कर रहा हूं। प्रतिदिन हमारे पास विभिन्न अतिवादियों-चाहे वे नक्सलवादी हों, पूर्वोत्तर एवं जम्मू और कश्मीर में विद्रोह हो अथवा आंतकवादी इत्यादि हों, की हिंसक गतिविधियों के समाचार आते हैं। कोई दिन ऐसी नहीं होता जब हत्याओं और मौतों की खबर नहीं आती। यह बहुत हो गया है। हमें इस समस्या का पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता से समाधान करना होगा ताकि आज जो नुकसान हमें हो रहा है वही नुकसान हमारे बच्चों को न हो।

मेरा राज्य, मणिपुर जीवन रक्षक दवाईयों समेत आवश्यक वस्तुओं की समय पर आपूर्ति प्राप्त करने में काफी समस्याएं झेल रहा है। यह खराब यातायात संपर्क के कारण है। इसके अलावा, मणिपुर और शेष देश को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर अक्सर जाम और बंद रहता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 और राष्ट्रीय राजमार्ग 53, जो दो जीवन रेखायें हैं, को अभी तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर, इम्फाल के रास्ते मारम से मोरेह तक के रास्ते को चार मार्गी करने का कार्य आरंभ नहीं हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 53 के दोहरीकरण का कार्य भी अभी पूरा नहीं हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 53क, राष्ट्रीय राजमार्ग 150 और राष्ट्रीय राजमार्ग 150क को विकसित करने का काम जल्दी आरंभ किया जा सकता है। जिरिबाम से तुपुल और इम्फाल तक जोड़ने वाली राष्ट्रीय रेल परियोजना का कार्य प्रगति पर है और इसके 2010 तक पूरा होने की आशा है। हमें बहुत खुशी है। मैं नागर विमानन मंत्रालय से यह प्रस्ताव करता हूं कि वह कोलकाता अथवा गुवाहाटी से इम्फाल तक प्रति सप्ताह कम से कम एक कार्गो उड़ान सेवा आरंभ करे ताकि ऐसे जाम और बंद के दौरान जीवनरक्षक दवाईयों सहित आवश्यक वस्तुओं की कमी दूर की जा सके।

इस देश के कानूनों की प्रकृति तो राष्ट्रीय है किंतु इन्हें लागू किये जाने पर ये क्षेत्रीय हो जाते हैं। ऐसा ही एक कुख्यात कानून ''सशस्त्रबल विशेष शक्ति अधिनियम, 1958'' है। यह अधिनियम 1940 के दशक में या यू कहें कि 1942 के अंग्रेजों से लिया गया है। इस अधिनियम को 1958 में असम और इसके स्वायत्त पहाड़ी जिले नागालैंड में विद्रोही गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लागू किया गया था। धीरे-धीरे यह अधिनियम 1980 के दशक के दौरान से पूर्वोत्तर के सभी राज्यों और जम्मू-कश्मीर में लागू है। इतने लंबे समय में, इन क्षेत्रों में न तो विद्रोह बढ़ने से रुका और न ही इनमें शांति बहाल हुई है।

[डा. टोकचोम मैन्या]

मैं इन मुद्दों का जिक्र बार-बार कर रहा हूं। क्योंकि इस सभा में हमारी संख्या काफी कम है। हमारे दुखों दर्दों को कभी-कभी ही सुना जाता है। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं। अत:, मैं आपसे मेरी बात सुनने का आग्रह कर रहा हूं।

भारत सरकार और एनएससीएन (आईएम) के बीच चल रही शांति वार्ता पूर्वोत्तर के लोगों खासकर मणिपुर, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? भारत सरकार और एनएससीएन (आई) के बीच हुये युद्ध विराम का ''क्षेत्रीय सीमाओं के बिना'' विस्तार किया गया है। तीन शब्दों के इस वाक्य ने मणिपुर में हिंसा भड़का दी। एक मां समेत 18 महत्वपूर्ण जिंदगियां समाप्त हो गई। मणिपुर विधानसभा में आग लगा दी गई। राज्य में अव्यवस्था और अशांति थी। प्रत्येक मणिपुरी क्षेत्रीय सीमाओं के बिना युद्धविराम के विस्तार के विरुद्ध खड़ा हो गया और एकजुट होकर लड़ा और इन तीन शब्दों को वापस लिया गया।

मेरा तर्क बिल्कुल साधारण है। युद्ध विराम बिल्कुल ठीक है। कोई समस्या नहीं है। किंतु क्षेत्र विशेष के कानूनों का आदर किया जाये और उनका उल्लंघन न हो। गृह मंत्रालय और ईसीआई हाल ही में समाप्त हुये मणिपुर के 9वें राज्य विधान सभा चुनाव के दौरान युद्धविराम के क्षेत्र विशेष संबंधी नियमों के उल्लंघन के बारे में भली-भांति जानते ही होंगे। कई वाहनों का पहाड़ियों से नीचे गिरा दिया गया। चुनाव के दौरान कई आम लोगों, सुरक्षाकर्मियों ने अपनी जान गंवाई। एनएससीएन (आईएम) के लोग अपने शिविरों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में शस्त्र लेकर घूमते रहते थे।

हमारा दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक समस्या का समाधान होगा और वह समाधान शांतिपूर्ण होगा। हम इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान चाहते हैं। भारत सरकार से ईमानदारी और आदरपूर्वक आग्रह है कि वह सभी पक्षों को विश्वास में ले। इस मामले में, लंबे समय से चले आ रहे नागा मुद्दों को हल करने का प्रयास करते समय मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य को विश्वास में लिया जाना चाहिए। हम, मणिपुर के लोग केन्द्र सरकार पर पूरा विश्वास करते है कि उसने राज्यों की सीमाओं की रक्षा करने के लिए एनसी-एमपी में प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मणिपुर के लोग अपनी क्षेत्रीय अखंडता से कभी समझौता नहीं करेंगे।

मणिपुर में विद्रोह के दौरान मणिपुर के लोगों ने एएफएस-पीए, 1958 के आक्रोश का सामना किया। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनका अता-पता नहीं है, हिरासत में काफी मौतें हुईं, फर्जी मुठभेड़ इत्यादि हुई। वहां लोगों का विश्वास है कि ये घटनायें इस अधिनियम के कारण से हो रही हैं। इस अधिनियम को निरस्त कराये जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इरोम चानु शर्मीला नाम की एक महिला छह वर्षों से अधिक समय से अनशन पर है। उसे विगत वर्ष राजधानी में लाया गया और अब उसे दोबारा मणिपुर वापस ले जाया गया है। अभी भी इस अधिनियम को निरस्त करने के लिए वह अपना अनशन जारी किये हुये हैं।

भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में 2004 में आदेश दिया था कि इस अधिनियम को निरस्त करने अथवा इसे माननीय चेहरा प्रदान करने हेतु स्थिति का अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाये। समिति की सिफारिश सरकार के पास है। इसने सिफारिश की है कि अधिनियम निरस्त किया जाये। हाल ही में, मा. प्रधानमंत्री जी ने अपने इम्फाल दौरे के दौरान यह सुझाव दिया है कि इस अधिनियम को और अधिक मानवीय चेहरा प्रदान करने हेतु इसमें संशोधन किया जाये। पूर्वोत्तर के इन राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए हम इस स्थिति की सराहना करते है।

इस समय, यह अधिनियम मणिपुर के सात विधानसभा क्षेत्रों अर्थात् इम्फाल नगरपालिका क्षेत्र में लागू नहीं है। कुछ नहीं होता। ऐसा लगता है कि कुछ होगा भी नहीं। चूंकि अधिनियम को केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है, इसलिए मैं केन्द्र सरकार से सादर आग्रह करता हूं कि वह न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी की रिपोर्ट की जांच करे और यह सुनिश्चित करे कि इस रिपोर्ट की सिफारिश को शीघ्र कार्यान्वित किया जाये तथा कुख्यात एएफएसपी अधिनियम, 1958 को निरस्त किया जाये। मणिपुर के इतिहास में इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा और केन्द्र और राज्य-दोनों में मौजूदा नेतृत्व को हमेशा याद किया जायेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं मा. वित्त मंत्री जी को उनके 2007-08 के उत्कृष्ट बजट के लिए एक बार पुन: बधाई देता हूं।

***श्रीमती पी. सती देवी** (बडागरा): आम बजट ऐसे समय पेश हुआ है जब पूरा देश कृषि, ग्रामीण, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में संकट का सामना कर रहा है। बजट पेश करते समय दबे कुचले लोगों के मुद्दों के समाधान की तरफ कोई उचित ध्यान नहीं दिया जाता है। वित्त मंत्री जी दावा कर रहे हैं कि देश विकास के पथ पर अग्रसर हैं लेकिन यह हम तभी कह सकते हैं कि हमने कुछ उपलब्धियां प्राप्त की है जब आर्थिक वृद्धि देश के आर्थिक विकास में परिणत हो। यह देखा जा सकता है कि आर्थिक वृद्धि कृषि क्षेत्र में परिलक्षित नहीं हो रही है। यह सच है कि कृषि क्षेत्र के लिए अधिक धन आवंटित हो रहा है लेकिन अधिक ध्यान बैंकों के माध्यम से किसानों को ऋण सुविधाएं प्रदान

करने पर दिया जाता है। बैंक निधियों से बजट आवंटन का मिश्रण करके वित्त मंत्री जी ने बजट में कृषि के लिए एक नयी पेशकश का मिथक सृजित कर दिया। लेकिन यह बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है क्योंकि कृषि उत्पादकता में काफी कमी आई है। किसानों के लिए ऋण लेना कैसे संभव होगा। जबकि वे उत्पादन हानि के कारण संकट का सामना कर रहे हैं? वास्तव में उत्पादकता को बढ़ाने और कृषि उत्पादों के लिए उचित दाम प्रदान करने के लिए अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। गरीब किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं और विपणन सुविधाएं प्रदान करके उत्पादकता को बढ़ाने के लिए और अधिक निधियां प्रदान की जानी चाहिए। मुद्रास्फीति के जो कारण बताए गए हैं उनमें से एक है वैश्विक बाजार में महंगाई। वित्त मंत्री जी ने महंगाई के मुद्दे को छुआ भर है उससे निबटने का काम नहीं किया है। गरीब लोगों के पास प्याज, सब्जियों और दाल का कोई विकल्प नहीं है। इनको कम करने में बजट से कोई सहायता नहीं मिलती है। राजसहायता प्राप्त उत्पादों के वितरण को बेहतर ढंग से लक्षित करना आवश्यक है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का देश के 330 जिलों में विस्तार करने की बहुत प्रशंसा की गई है। इससे भी जिलों में लागू किया जाना चाहिए। आजकल शिक्षित बेरोजगारी में बढ़ोत्तरी हुई है इसलिए शिक्षित समूहों के लिए केरल जैसे राज्यों में भी विशेष योजनाएं लागू की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम को इस तरह तैयार किया जाए कि महिलाओं को काम की गारंटी मिले। महिलाओं की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए उचित निगरानी होनी चाहिए। कृषि कामगारों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी शुरू की जाए।

प्रवासी कामगारों को खाद्य और स्वास्थ्य अधिकार प्रदान करने के लिए विशेष योजना शुरू की जानी चाहिए। सभी कृषि मजदूर परिवारों के जीवनयापन के लिए 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम और गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए बनाए जाने वाले कार्ड बहुत आवश्यक हो गए हैं।

केरल ऐसा राज्य है जहां पूरी पश्चिमी सीमा समुद्र से घिरी हुई है। मछुआरा समुदाय की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं, स्वच्छता इत्यादि भी ठीक ढंग से प्राप्त नहीं है। समुद्र तट और पानी से भरे हुए क्षेत्रों में साफ-सफाई का विशेष प्रावधान होना चाहिए। पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। अब स्वजलधारा जैसी योजना के अंतर्गत लाभार्थी की तरफ से 10% अंशदान देने पर जोर दिया गया है। तटवर्ती क्षेत्रों के लोगों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के मामले में इस अंशदान की अदायगी से छूट मिलनी चाहिए।

सर्वशिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना के लिए आवंटन में वृद्धि का बहुत स्वागत हुआ है लेकिन केरल जैसे राज्य उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र में संकट का सामना कर रहे हैं। केरल जैसे राज्यों के लिए उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा हेतु और अधिक आवंटन होना चाहिए।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन में बढ़ोत्तरी हुई है लेकिन स्पर्शजन्य रोगों के लिए निधियों का आवंटन अत्यधिक कम है। कुपोषण के संबंध में एक रिपोर्ट कार्ड में कहा गया है कि विश्व में सबसे अधिक कुपोषणग्रस्त बच्चे भारत में हैं। विश्व का प्रत्येक तीसरा कुपोषणग्रस्त बच्चा भारत का है। 146 मिलियन कुपोषणग्रस्त बच्चों में से 57 मिलियन बच्चे भारत के हैं। देश में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या में उनकी संख्या 47% बैठती है। यहां तक कि सब सहारा अफ्रीका की स्थिति भी बेहतर है जहां 33% बच्चे कुपोषण से ग्रस्त हैं। चीन में कुपोषण का यह आंकड़ा केवल 8% है। कुपोषण वहां होता है जहां अपर्याप्त पोषण उपलब्ध होता है। गरीब परिवारों को सस्ती दर पर खाद्य प्रदान करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में समेकित बाल विकास योजना के लिए बजट प्रस्ताव बहुत कम है। सरकार का इरादा है कि राज्यों पर और अधिक भार डालकर आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जाए। गरीब आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं और सहायकों जिन पर विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियों का भार रहता है, को पर्याप्त मानदेय नहीं दिया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं और सहायकों के कार्य के भार को देखते हुए उनके मानदेय में बढ़ोत्तरी की जाए। समेकित बाल विकास योजना के लिए और अधिक निधियां दी जाएं।

हाल ही में प्रस्तुत किये गये महिला (घरेलू हिंसा निवारण) अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। राज्य अपनी परिस्थितियों के अनुसार कार्यवाही करेंगे। इसलिए घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम के उपबंधों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए विशेष प्रावधान किया जाए।

सं.प्र.ग. सरकार जिसके तीन वर्ष पूरे होने वाले हैं, राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में दिए गए आश्वासन से पीछे हट रही है। इसको इसके परिणाम भुगतने होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री किरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम): महोदय, मैं आर्थिक मुद्दों की गहराई में नहीं जाना चाहता। मैं सीधे ही दो विषयों पर बात करना चाहूंगा। सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों और समर्थन देने वाले दलों के सदस्यों ने भी बजट की हल्की फुल्की आलोचना की है, लेकिन मुझे और अधिक खुशी होती यदि वे बजट के बारे

[श्री कीरेन रिजीजू]

में अपनी आलोचना को मुखरित करने के लिए और अधिक खुलकर सामने आते।

[हिन्दी]

हम लोग तो इस बजट से दुखी हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी ने जब बजट रखा तो हिन्दुस्तान के सबसे बड़े उद्योग टूरिज्म यह विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है। यह बिना धुएं का उद्योग है। इसको इतना पीछे कैसे धकेल दिया? लगता है कि वित्त मंत्री जी इस चीज को भूल गए। बार-बार आपकी सरकार ने कहा कि टूरिज्म पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और कुल इनफ्रास्ट्रक्चर डैवलपमेन्ट के लिए 423 करोड़ रुपये रखे।

[अनुवाद]

सरकार पर्यटन के माध्यम से 6 खरब का राजस्व कमाती हैं लेकिन सरकार ने केवल 423 करोड़ रुपये की थोड़ी सी राशि आवंटित की है। पर्यटन मंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन की बुनियादी सुविधाओं के विकास की बात करते हैं, क्या है? आप के बजट में कुछ भी नहीं है। आप मुर्गी को मार देंगे तो अंडा कहां से आएगा? यह एक ऐसा उद्योग है जिसकी सरकार अनदेखी नहीं कर सकती।

[हिन्दी]

इसलिए जब आप सप्लीमेंट्री बजट लेकर आएंगे तो उसमें यह प्रावधान रखिये कि पर्यटन के विकास के लिए विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में, बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाए।

[हिन्दी]

टूरिज्म सर्किट की जो बात है, सरकार ने उस पर स्ट्रेस किया है।

जापान जैसा देश भी उत्तर प्रदेश में 600 करोड़ रुपये से ज्यादा दे सकते हैं। श्रीलंका जैसे छोटे से देश, थाइलैंड जैसे देश, बुद्धिजम सर्किट को डेवलप करने के लिए बिहार में करोड़ों रुपये दे सकते हैं तो हम लोग अपने देश में क्यों नहीं दे सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि कल्चर में वित्त मंत्री जी को कोई रुचि ही नहीं है। मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि आप लोग हर समय मुसलमान की बात करते हैं, मैंने पहले भी कहा कि मुसलमान को देखने का विरोध मैं नहीं करता हूं, लेकिन मुसलमान के अलावा या छोटे-छोटे जो माइनोरिटीज हैं, उन्हें आप बिल्कुल भूल गए। इस साल 2550वां बुद्ध जयंती दिवस है, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण दिवस भी है और बुद्ध सर्किट स्थापित किये जाने का प्रश्न भी है, ये तीनों अवसर एक साथ इस बार पड़े हैं। आपने इन तीनों के लिए बजट में क्या रिफलेक्शन किया? खालसा हेरिटेज प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय सहायता, इसके लिए भी आपने प्रावधान रखा है और मुसलमानों के लिए आपने बजट में अलग से प्रावधान रखा है।

[अनुवाद]

आप बुद्धिज्म के लिए भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? पूरे बुद्धिज्म के लिए यह वर्ष बहुत विशेष महत्व रखता है। बुद्धिज्म की खातिर पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है और बुद्धिज्म पूरे विश्व के केन्द्र में है तथा भारत बुद्धिज्म का केन्द्र है।

[हिन्दी]

आप इंडिया में ही बुद्ध भगवान को भूल गए, इसलिए मेरा यह मानना है कि आप जो टूरिस्ट सर्किट की बात कर रहे हैं, उसमें जो पुराने-पुराने मोनेस्ट्रीज हैं, वहां लाखों टूरिस्ट आ रहे हैं, ये दोनों एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मैं संस्कृति और पर्यटन के बारे में भी बात कर रहा हूं। इतनी अहम् चीज को सरकार भूल गई। यह जो एनटायर हिमालयन बैल्ट और पूरे भारतवर्ष में जितने बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, आपके इस कदम से सब को चोट पहुंची है।

[अनुवाद]

आप धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं। क्या आपने अपने बजट में धर्मनिरपेक्षता की सच्ची भावना परिलक्षित की है? मैं ऐसा नहीं सोचता यदि मैं यह कहूं कि आपका आवंटन सिर्फ मुसलमानों के लिए ही है तो मैं यह कहने की हिम्मत करूंगा कि आपका लक्ष्य केवल वोट बैंक बनाना है अन्यथा आप कभी भी बौद्ध समुदाय जैसे समाज के महत्वपूर्ण घटक को अलग-थलग नहीं करते। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा, वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और पलानी जी, आपको हिमालय क्षेत्र में कुछ दिन रहना पड़ेगा। यदि आप हिमालय क्षेत्र में रहेंगे तो आप उस क्षेत्र के लोगों के सामने आ रही वास्तविक समस्याओं को समझेंगे। कोस्टल का आपने काफी किया है। आपने तटवर्ती क्षेत्रों के लिए काफी काम किया है लेकिन हिमालय क्षेत्र जो देश का मुकुट है, के लिए हिमालय क्षेत्र के लोगों के लिए बजट में कुछ भी नहीं है।

[हिन्दी]

पहाड़ी इलाकों को आपने देश के रास्ते से ही हटा दिया है, प्रगति के रास्ते से आपने दूर कर दिया है, इस चीज को भी आप ध्यान

में रखिए। वित्त मंत्री जी, मैं अगली बार आपको न्यौता देना चाहता हूं, आप मेरे प्रदेश, लोक सभा क्षेत्र में आइए। आपने घोषणा किया कि अरुणाचल प्रदेश, मैं अपने गृह राज्य जो विश्व का सबसे चर्चित जैन विविधता वाला स्थान है, की बात कर रहा हूं। वहां इतने टूरिज्म का अपने डिक्लेयर किया, जैसे कि आलोम, सेप्पा, बामेंग, चयंगताजो, कोलोरियंग, जीरो दापोरीजो, कम से कम आप इन जगहों के लिए कुछ तो सोचिए। इसलिए मेरा कहना है कि जब आप इन जगहों को विजिट करेंगे, तब आपकी समझ में आएगा।

[अनुवाद]

इसीलिए मैं वित्त मंत्री जी को मेरे मनोरम राज्य की यात्रा का व्यक्तिगत निमंत्रण दे रहा हूं। तभी आप समझेंगे कि अरुणाचल प्रदेश के लोग सरल और शांतिप्रिय हैं और अगली बार से आप उस राज्य को पर्याप्त आर्थिक सहायता देंगे।

सभापति महोदय: श्री महताब, वैसे तो आपकी पार्टी का कोई समय नहीं बचा है लेकिन आप एक या दो मिनट के लिए बोल सकते हैं। आप अपने भाषण को सभा पटल पर भी रख सकते हैं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, मैं अपने भाषण का एक अंश सभापटल पर रखूंगा। दो ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें मैं उठाना चाहूंगा। सर्वप्रथम, मैं यह कहूंगा कि बजट केवल लेखाओं, आय और व्यय का दस्तावेज नहीं है। यह सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नीति दर्शाने वाला विवरण है तथा यह वित्त मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम द्वारा प्रस्तुत किया गया चौथा बजट है। यह उनके द्वारा एक दशक पूर्व प्रस्तुत किये गये बजट से काफी अलग है जब उन्होंने बड़े स्तर पर करों में कटौती की थी और जिससे उनकी काफी प्रशंसा हुई थी।

मैं दो मूल पहलुओं का उल्लेख करना चाहूंगा। पहला शिक्षा से संबंधित है तथा दूसरा लगाये जा रहे करों और दी जा रही रियायतों से संबंधित है। यह कहा जाता है कि माननीय वित्त मंत्री के पास नया कार्य करने की शायद ही कोई गुंजाइश है विशेषकर तब जब वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम लागू है। कुछ लोग यह भी कहना चाहेंगे कि वित्त मंत्री ने विभिन्न दलों से बनी सरकार के राजनैतिक हितों को संतुलित करने की कोशिश की है तथा फिर भी वित्तीय दूरदर्शिता के रास्ते को अपनाया है।

इस प्रकार के कुशल संचालन के बावजूद वित्त मंत्री को वर्ष 2007-08 का बजट प्रस्तुत करने के बाद कम ही प्रशंसा मिली है। मुझे लगता है कि आज वे एक निराश व्यक्ति हैं। उन्होंने वित्तीय घाटे तथा जीडीपी अनुपात को करीब-करीब लक्ष्य के अन्दर रखने की कोशिश की है। उन्होंने कर दरों में वृद्धि नहीं की है लेकिन शिक्षा उपकर, लाभांश वितरण कर में वृद्धि की है और सॉफ्टवेयर से संबंधित रियायतों में संशोधन किया है। यही वे तीन प्रमुख कार्य हैं जो उन्होंने किये हैं। परन्तु, इसमें शायद ही किसी ने इन मुद्दों के लिए उन्हें बधाई दी है। कृपया मेरी ओर से उन्हें बधाई दें। क्या वे बजट में दिखाये गये संयम से आश्चर्यचकित हैं? निश्चित रूप से राजनैतिक और सामाजिक मुद्दों पर बात करने वाले सदन के अन्दर और बाहर के लोग नाखुश हैं। यहां तक कि उनके दल के मुख्यमंत्रियों की असफलता का दोष भी उन पर डाला गया। कभी-कभी मुझे आश्चर्य होगा कि कांग्रेस का हाथ कहां है? क्या यह आम आदमी के साथ है? उदाहरणस्वरूप केन्द्रीय सरकार का ही मामला लें। सदन के नेता विदेश मंत्रालय के प्रभारी हैं, कांग्रेस के नेता रक्षा अथवा गृह अथवा विधि और न्याय अथवा सूचना तथा प्रसारण अथवा मानव संसाधन विकास या पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रभारी हैं। परन्तु, एनसीपी के मंत्री कृषि और खाद्य मंत्रालयों का कार्य देख रहे हैं। आरजेडी के मंत्री रेलवे तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों का कार्य देख रहे हैं, डीएमके के मंत्री संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, वन और पर्यावरण, पत्तन एवं राजमार्ग मंत्रालय का तथा पीएमके के मंत्री स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्य देख रहे हैं। ये सभी मंत्रालय आम आदमी से संबंधित हैं

सभापति महोदय: श्री महताब, आप अपना भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं। समय समाप्त हो गया है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि समय नहीं बचा है।

...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब: मैंने सोचा कि चूंकि हमारे पास अधिक समय अर्थात और 16 घंटे हैं, इसलिए हमारे समय में भी वृद्धि होगी *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप एक महान और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। कृपया अपना भाषण सभा पटल पर रखें।

...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब: मैं केवल एक पहलू का उल्लेख करूंगा जिस पर मैं माननीय वित्त मंत्री का उत्तर चाहूंगा।

वर्ष 2006-07 के बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की थी और मैं उद्धृत करता हूं:

[श्री भर्तृहरि महताब]

"सरकार ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि किसानों को 3 लाख रुपये की मूल राशि की उच्चतम सीमा के साथ सात प्रतिशत की दर से अल्पावधि ऋण प्राप्त हो। इसमें नाबार्ड को एक नियत स्तर पर अनुदान दिये जाने की आवश्यकता होगी। मेरे विचार से यह अनुदान दे दिया जाए। यह नीति खरीफ 2006-07 से प्रभाव में आएगी।"

इस बीच में क्या हुआ? हमारे राज्य को इसलिए नुकसान हुआ कि कृषि ऋण का 70 प्रतिशत सहकारी बैंकों द्वारा दिया जा रहा है। शेष 30 प्रतिशत वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिया जाता है तथा आप दो प्रतिशत का अनुदान केवल वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी दे रहे हैं। सहकारी बैंकों को दो प्रतिशत का यह अनुदान नहीं दिया जाता है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री महताब, आप कृपया अपना भाषण समाप्त करें। आपका व्यवहार हमेशा एक जैसा रहा है। आप इसे लिखित रूप में सभा पटल पर रखें।

श्री भर्तृहरि महताब: मैं नाबार्ड द्वारा कुछ शर्तें रखने के संबंध में माननीय मंत्री महोदय से उत्तर की अपेक्षा करूंगा। कृपया इन शर्तों की समीक्षा करें तथा वह अनुदान सहकारी बैंकों को भी प्रदान करें।

मैं अपने भाषण का बाकी भाग सभा पटल पर रखूंगा।

*वित्त मंत्री जी क्या आपको स्वयं द्वारा किये गये परिवर्तन पर ही आश्चर्य हो रहा है? नि:संदेह राजनैतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय देने वाले लोग खुश नहीं हैं। पार्टी की ओर से चुने गए मुख्यमंत्रियों की असफलता का कारण भी आप ही हैं।

कभी-कभी मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस का हाथ कहां है? क्या यह आदमी के साथ है? उदाहरण केन्द्रीय मंत्रिमंडल को लें। सदन के नेता विदेश मंत्रालय का कार्य देखते हैं। कांग्रेस के नेता रक्षा, गृह, विधि और न्याय, सूचना और प्रसारण, मानव संसाधन विकास, पेट्रोलियम मंत्रालयों के प्रभारी हैं। लेकिन रा.का.पां. के नेता के पास कृषि और स्वास्थ्य मंत्रालय हैं। राजग के पास रेलवे और ग्रामीण विकास मंत्रालय हैं।

*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

डा.मु.क. के पास संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन, पत्तन और राजमार्ग मंत्रालय है। पीएमके के पास स्वास्थ्य मंत्रालय है।

ये ऐसे सामाजिक क्षेत्र हैं जो आम आदमी से ज्यादा संबंधित हैं। कांग्रेस का हाथ कहां है। अभी वित्त मंत्रीजी ने सामाजिक क्षेत्र हेतु अधिक धनराशि का प्रस्ताव रखा है।

वास्तव में स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य और पोषण सुरक्षा वाले सामाजिक क्षेत्र का प्रबंधन करने का पिछला रिकार्ड बहुत ही खराब रहा है। इस प्रकार भारत का स्थान मानव विकास सूचकांक सूची में नीचे हैं।

जब हम सामाजिक क्षेत्र के कार्य-निष्पादन के प्रत्येक सूचकांक के समय में विगत दशकों के कार्यनिष्पादन पिछले दशक के कार्यनिष्पादन से तुलना करते हैं तब इसका उत्तर होता है कि भारत की स्थिति खराब हुई है।

यह मामला सिर्फ वंचित तबकों और सरकार के बारे में नहीं है। बल्कि इसका प्रभाव हम सभी पर पड़ता है। सामाजिक क्षेत्र के कार्य-निष्पादन का सीधा प्रभाव हर भारतीय चीज पर पड़ता है।

मेरा प्रश्न आज यह है कि गरीबी को परिभाषित करने में हमें कितना समय लगेगा। योजना आयोग की गरीबी की अलग परिभाषा है। केन्द्र सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों की गरीबी की अलग-अलग परिभाषा है। क्या हम गरीबी को परिभाषित करते हुए एक सर्वस्वीकार्य मानदंड नहीं अपना सकते। वित्त मंत्री जी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को 130 और जिलों में लागू करने का प्रस्ताव किया है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि उड़ीसा के 4 जिलों को किस मानदंड के अंतर्गत शामिल किया गया है जबकि पहले ही सुविचारित मानदंडों के अनुसार अधिक जिलों को शामिल किया जाना चाहिए था यह मांग आधारित है। यदि सुपुर्दगी प्रणाली कार्यात्मक नहीं है तो संपूर्ण कार्यक्रम बेकार हो जाएगा।

वित्त मंत्री जी ने भारत निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आवंटन बढ़ाने की घोषणा की है।

भारत निर्माण योजना को पिछली बार बजट में किये गये प्रावधान से 31.6 प्रतिशत अधिक मिलेगा।

शिक्षा हेतु आवंटन में 34 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण हेतु यह वृद्धि करीब 22 प्रतिशत है।

लेकिन ये केन्द्र सरकार की योजनाएं नहीं हैं। इन्हें संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाना है और ऐसा तभी किया जा सकता है जब राज्यों के पास आवश्यक शेयर धनराशि हो।

क्या केन्द्र सरकार ने कभी यह पता लगाने का प्रयास किया कि राज्यों द्वारा अनेक योजनागत आवंटनों को क्यों वापस कर दिया जाता है।

सच्चाई यह है कि उनके पास धनराशि नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके पास प्राथमिकताएं नहीं हैं, उनकी प्राथमिकताएं हैं लेकिन उनके पास संसाधनों की कमी है।

जब केन्द्र सरकार की यह राय है कि संबंधित राज्यों को आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभानी पड़ेगी तो राज्यों के राजस्व को कम नहीं किया जाना चाहिए। राजस्व हिस्सेदारी के सूत्र की समीक्षा करने की आवश्यकता है। गरीबी सूचकांक को केन्द्रीय निधि के आवंटन का मानदंड क्यों नहीं बनाया जाए और तदनुसार राज्यों का हिस्सा निर्धारित किया जाए। एक शुरुआत तो करें।

ग्यारहवीं योजना के आरंभ में राज्यों को सामाजिक और कृषि क्षेत्र में व्यय को बढ़ाने हेतु अनुरोध किया गया है। इतने भारी भरकम व्यय का वित्तपोषण करना नि:संदेह एक दुरूह कार्य है।

वित्त मंत्री जी ने कहीं कहा है कि यदि कर राजस्व वर्ष 2007-08 और 2008-09 में प्रति वर्ष 15 प्रतिशत की दर से बढ़ता है तो एफआरबी एयर वित्तीय उत्तरदयित्व और बजट प्रबंधन के लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है। कर राजस्व की यह प्रत्याशित वृद्धि महत्वपूर्ण है। क्या मंत्री जी सभा को यह आश्वासन देंगे कि लक्ष्यों को बदला नहीं जाएगा और फिर भी उम्मीद पूरी होंगी? भा.रि.बैं. का ''स्टेट फाइनेंस द स्टडी ऑफ बजट 2006-07'' के नवीनतम संस्करण क्या कहा गया है। यह राज्य की वित्तीय स्थिति का निष्कर्षात्मक विश्लेषण दर्शाता है। राज्यों में सुधार हुआ है लेकिन लम्बे समय तक वित्तीय सुधार की प्रक्रिया को बनाये रखना एक महत्वपूर्ण बात है?

छठे वेतन आयोग के कारण राजस्व व्यय के बहुत बड़े हिस्से का व्यय होने का संकेत है।

जबकि सरकारी नौकरियों और निजी क्षेत्र में नौकरियों के वेतनों में वृद्धि हो रही है, कृषि से होने वाली आय में कमी हो रही है।

जोनों की चकबंदी इसका हल हो सकता है लेकिन 10 करोड़ से अधिक किसानों और अनेक कृषि श्रमिकों हेतु सेवाओं और औद्योगिक क्षेत्र में नौकरियां पैदा करना बहुत ही जटिल कार्य है। हमारा देश विकासशील समूह के देशों में अपवादस्वरूप हैं जो औद्योगिक विकास के बजाए सेवा प्रधान हैं।

आदर्श स्थिति कृषि से विनिर्माण क्षेत्र की ओर और शेष 20 प्रतिशत सेवा क्षेत्र की ओर पलायन करना है। लेकिन हमारा पलायन सेवा क्षेत्र की ओर अधिक है।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने विकास तब किया था जब वर्ष 1930 में 21% और 1900 में 41% की तुलना में अब मात्र दो प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्य करता है।

इस अनुपात को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक 10 किसानों में से 9 को दूसरा पेशा अपनाने की जरूरत पड़ेगी।

क्या इस बजट में उस दिशा में कोई शुरुआत की गई है? आज कृषि स्नातक अपनी खेती करने का विकल्प नहीं चुन रहे हैं, क्यों? क्योंकि यह लाभकारी नहीं है। फिर भी लोग कृषि पर निर्भर रहने के लिए बाध्य हैं क्योंकि उनमें दक्षता की कमी है और कोई अवसर नहीं है।

इस बजट में उन ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार युवकों को कौन सा अवसर प्रदान किया गया है? कुछ भी नहीं।

[अनुवाद]

अब मैं निम्नलिखित पर चर्चा करना चाहता हूं:

शिक्षा–इस बजट में, विद्यालय शिक्षा के आवंटन, जो 2006-07 में 17,133 करोड़ रु. था, में लगभग 35% वृद्धि की गई है और यह 2007-08 में 23,142 करोड़ रु. हो गया है।

सर्वशिक्षा अभियान के लिये 10,671 करोड़ रु. मुहैया कराये जायेंगे। यह मात्र 50% है जो आप मुहैया करायेंगे। शेष 50% संबंधित राज्यों द्वारा मुहैया कराया जाये। आपके हिसाब से राज्य अपने हिस्से को किस प्रकार दे पायेंगे? क्या उनके पास ऐसे कार्यक्रम हेतु पैसा है? आपके हिसाब से यह कार्यक्रम किस प्रकार सफल होगा, जब आपके पास कई अनिच्छुक कार्यान्वयन एजेंसियां हैं? जब तक यह एसएसए यथावत जारी न रहे। इस बात की पूरी

[श्री भर्तृहरि महताब]

संभावना है कि यह कार्यक्रम खामोशी से समाप्त हो जाये। धन खर्च नहीं किया जायेगा, न किया जा सकता है।

आज, बालिकाओं के विद्यालय बीच में ही छोड़ देने से संबंधित प्रश्न आया था। असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में भी बीच में ही विद्यालय छोड़ देने की दर 80% है। इसके कई कारण हैं किंतु यदि आप किसी स्वच्छता कार्यक्रम को एसएसए से जोड़ दें, तो लड़कियों द्वारा विद्यालय बीच में ही छोड़ देने की प्रवृत्ति में कमी आयेगी। मंत्रालय इस पर विचार कर सकता है।

उच्चतर शिक्षा-यह एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा किये जाने की आवश्यकता है।

हाल ही में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश में 3 और आईआईटी स्थापित किये जाने को अनुमोदित किया है।

इस संप्रग सरकार द्वारा उड़ीसा पर मामूली सा ही ध्यान क्यों दिया जा रहा है? अक्सर यह सरकार परियोजनाओं को उड़ीसा से स्थानांतरित कर रही है।

पिछले वर्ष पटना में 23 अगस्त को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कनिष्ठ मंत्री, श्री एम.ए.ए. फातमी ने यह घोषणा की कि इस प्रस्ताव में उड़ीसा को शामिल किया गया है। किंतु उड़ीसा को निकाल क्यों दिया गया?

उड़ीसा एक आईआईटी स्थापित किये जाने के संबंध में उपयुक्त पात्र है, ऐसा न केवल वहां आये औद्योगिक विस्तार और न ही वहां गुणवत्तायुक्त तकनीकी कार्मिकों की आगामी जरूरत के कारण है, बल्कि ऐसा इसलिए भी है कि इस राज्य का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय की व्यय सूची में नीचे दिये गये तीन राज्यों में भी दिया गया है। अन्य दो राज्य राजस्थान और बिहार हैं।

2006-07 के बजट के अनुसार, उड़ीसा में उच्चतर शिक्षा संस्थाओं और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्रति व्यक्ति व्यय मात्र 4.07 रु. है, जबकि राजस्थान में यह व्यय 2.59 रु. और बिहार में यह 1.87 रु. है।

इसके क्या कारण हैं?

कारण यह है कि इन राज्यों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित किये जाने वाले संस्थानों की संख्या सबसे कम है।

बिहार में राष्ट्रीय औषध शिक्षा अनुसंधान संस्थान नामक एक नया संस्थान स्थापित किया जायेगा?

आंध्र प्रदेश में भारतीय जनस्वास्थ्य संस्थान बनेगा। दो विश्वविद्यालयों-

एक. ओसमानिया युनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग,

दो. आंध्र यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग को आईआईटी में उन्नयन करने हेतु चुना गया है और उन्हें भारतीय अभियांत्रिकी की विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहा जायेगा।

किंतु उड़ीसा के बुर्ला स्थित युनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पर विचार नहीं किया गया है। न ही किसी नये आईआईटी की स्थापना की जा रही है, और भुवनेश्वर में आईआईटी, खडगपुर के विस्तार केन्द्र के उन्नयन की तो बात ही क्या करें।

उड़ीसा पर इतना मामूली सा ही धयान क्यों दिया जा रहा है? एक रिपोर्ट परिचालित की गई है जिसमें हमारे देश के खाद्यान्न उत्पादन का ब्यौरा दिया गया है। 6 फरवरी, 2007 को घोषित किये गये कृषि के द्वितीय अग्रिम प्राक्कलन के अनुसार, 2006-07 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन 209.2 मिलियन टन रखा गया। जब इसकी तुलना 2005-06 के 209.6 मिलियन टन के खाद्यान्न उत्पादन के अंतिम प्राक्कलन से की जाये, तो यह कुछ ही कम है, किंतु यह 2003-04 के अधिकतम 213.19 मिलियन टन से कम हैं।

इससे क्या प्रतीत होता है? इसका अर्थ है कि देश के अधिकांश खाद्यान्नों का उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में स्थिर रहा है। 282 हेक्टेयर में खेती करने के बावजूद जो कि एक रिकार्ड है, गेहूं का उत्पादन 1999-2000 में हासिल अब तक के सबसे अधिक 76.37 मी. टन से काफी कम है। इस वर्ष गेहूं का उत्पादन 72.50 मिलियन टन होने का अनुमान है जो 2005-06 के अनुमानित 73.06 मी. टन से भी कम है।

चावल का उत्पादन घटा क्यों है? चावल, जो मुख्यत: एक खरीफ फसल है, को यद्यपि रबी के मौसम में भी बोला जाता है, किंतु इसका उत्पादन कम हो रहा है। क्या इस बारे में कोई अध्ययन किया गया है? किसान लक्ष्यों को क्यों हासिल नहीं कर रहे हैं? हल जोतने वालों ने अपने हाथ बंद क्यों रखे हैं? क्या वित्त मंत्री जी ने इसका कारण जानने का प्रयास किया है।

मेरे अनुसार, मुद्रास्पीति गरीबी, बीजों, उर्वरक और ऋण की समय से मौसम का पूर्वानुमान न लग पाना के अलावा, वर्तमान

में किसानों की निराशा का एक कारण किसानों के उत्पाद के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार का अभाव होता है। किसानों को ऋण देना एक अलग बात है किंतु किसानों के उत्पाद हेतु एक अनुकूल बाजार का सृजन करना समय की मांग है। इस पहलू पर कौन ध्यान देगा? कृषि उत्पादन को औने-पौने दामों पर बेचने से बिचौलियों को काफी फायदा होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि संप्रग सरकार के पास उनका सामना करने का साहस नहीं है। यदि आपके पास ऐसा साहस है, तो आप किसान के अनुकूल बाजार का सृजन क्यों नहीं करते?

मा. वित्त मंत्री जी ने अपने 2006-07 के बजट भाषण में घोषणा की थी कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि किसान को मूलधन पर 7% पर लघु अवधि ऋण मिले जिसका अधिक सीमा 3 लाख रु. तक हो। इसमें नाबार्ड को कुछ हद तक राजसहायता दिये जाने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि राजसहायता दी जाये। यह नीति खरीफ 2006-07 से प्रभावी होगी। उन्होंने यह घोषणा की थी सरकार से यह उपेक्षा की जाती है कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय बैंकों को किसानों को प्रदत्त 3 लाख रु. तक के लघु अवधि उत्पादन ऋण के संबंध में प्रति वर्ष 2% ब्याज राजसहायता मुहैया कराये। वर्तमान में स्थिति क्या है? कितने बैंकों ने किसानों को ऐसा ऋण दिया है और सरकार द्वारा वास्तव में दी गई 2% राजसहायता की राशि कितनी है। यह सदन आभारी होगा यदि वित्त मंत्री के उत्तर के दौरान कुछ ब्यौरा दिया जाये। मैं उड़ीसा के अपने अनुभव के संबंध में वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं। उड़ीसा में, सहकारी बैंक कृषि ऋण कार्यों में मुख्य भूमिका निभाते हैं। वे उड़ीसा में सभी बैंकों द्वारा वित्तपोषित किये गये कुल फसल ऋण के लगभग 70% का वित्तपोषण करते हैं। फिर भी, नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त सहायता देने हेतु लगाई गई कड़ी शर्तों के दृष्टिगत, यह क्षेत्र 7% ब्याज योजना को कार्यान्वित करने में काफी असहाय है। क्या वित्त मंत्री जी को इन शर्तों के बारे में पता है? नाबार्ड ने मौसमी कृषि प्रचालनों को वित्तपोषित करने संबंधी अपने नीतिगत परिपत्र में 2006-07 के दौरान ये शर्तें सम्मिलित की हैं। आप किसानों के लाभ की आशा कैसे करते हैं? उड़ीसा, संसाधन संबंधी कड़ी बाधाओं के चलते राज्य सहकारी बैंकों को इतनी ब्याज दर राजसहायता दे पाने की स्थिति में नहीं है। अब इस स्थिति की समीक्षा करने का समय आ गया है। इसकी नये सिरे से जांच कराई जाये और वाणिज्यिक बैंकों तथा सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों के संबंध में कृषि ऋण पर ब्याज दरों को कम करने के लिए नीति में अंतर्विष्ट विभेदकारी दृष्टिकोणों को समाप्त करने हेतु कदम उठाये जायें।

मैं वित्त मंत्री को सुझाव देता हूं कि वे संपूर्ण फसल ऋण, जिनका वित्तपोषण 2.5% की रियायती दर पर कुल वित्त के 40% तक नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त पोषण के अलावा सहकारी ऋण संस्था द्वारा वित्तपोषण किया जाना है, पर 2.2% अतिरिक्त ब्याज राजसहायता दिये जाने पर विचार करें। उड़ीसा में कृषि ऋण का कुल 70% सहकारी क्षेत्र से आता है और वे 13 लाख किसान परिवारों का वित्तपोषण करते हैं। वाणिज्यिक बैंक और आरआरबी—दोनों मिलकर केवल 5 लाख किसान परिवारों का वित्तपोषण करते हैं।

अत:, सरकार द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के लिए अनुमत्य राजसहायता को सहकारी क्षेत्र को न दिये जाने पर, हमारे राज्य में अधिकांश किसान, और उसी प्रकार अन्य राज्यों में भी, 7% की सस्ती दर पर कृषि ऋण का लाभ लेने के अवसर से वंचित हो जाते हैं। यह दोहरा मानदंड क्यों? आप राज्य सरकारों से यह आशा कैसे करते हैं कि वे सहकारी ऋण संस्थाओं को आवश्यक राजसहायता मुहैया कराने के भारी वित्तीय बोझ को वहन कर लेंगे?

अंत में, मैं उस ढंग, जिसके द्वारा उड़ीसा के केबीके जिलों का उल्लेख किया गया है, के बारे में अपनी नाराजगी प्रकट करता हूं। क्या जरूरत थी? आपके पास केबीके क्षेत्र के विकास की एक विशेष उपयोजना है। यह केबीके अलावा कालाहांडी-बोलगीर-कोरापुट क्षेत्र केरल के आकार का है जिसमें अधिक संख्या में अनुसूचित जाति और अनु. जाति तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार रहते हैं। 90 के दशक के पूर्वार्ध से 3 जिलों को 8 जिलों में बांटा गया है। वित्त मंत्री कहते हैं कि इन जिलों को पिछड़े क्षेत्र अनुदान में शामिल किया गया है। बिहार को एक विशेष योजना मुहैया कराई गई है किंतु केबीके नहीं? वैसे तो, इन जिलों के पिछड़ेपन के कारण इन्हें बीआरजीएफ में शामिल किया जा सकता था। जब आप कुछ भी अतिरिक्त नहीं दे रहे हैं, तो इसका खासतौर से उल्लेख करने का क्या कारण है?

केबीके क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मेरा वित्त मंत्री जी से आग्रह है कि वे इस केबीके क्षेत्र के लिये विशेष धनराशि मुहैया कराने पर विचार करें।*

सभापति महोदय: श्री नवीन जिन्दल, कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री नवीन जिन्दल (कुरुक्षेत्र): महोदय, मैं पांच या सात मिनट का समय लूंगा। मुझे आशा है कि आप मुझे मेरे भाषण के बीच में नहीं रोकेंगे।

सभापति महोदय: मैं जानता हूं कि मैं अप्रिय कार्य कर रहा हूं क्योंकि हम यहां कई दिनों से बैठे हैं।

श्री नवीन जिन्दल: महोदय, कृपया मुझे भाषण के बीच में बाधित न करें।

[हिन्दी]

महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस वर्ष के बजट पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। मैं इस वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं और समर्थन करने के लिए मेरे पास पर्याप्त कारण हैं, जो आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहूंगा।

महोदय, मैं यह मानता हूं कि वित्त मंत्री जी का काम बड़ा कठिन एवं परेशानियों से भरा होता है। समाज के हर वर्ग की उनसे आशा व अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं। मेरे विचार से माननीय वित्त मंत्री जी ने देश की वास्तविक, आर्थिक दशा को सामने रखकर समाज के सभी वर्गों का आर्थिक विकास करने का प्रयास किया है। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि जो भी वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए जाएं, उन्हें अवश्य ही पूरा किया जाए। ये कुशल आर्थिक प्रबंधन का ही नतीजा है कि आज देश के पास 190 अरब डालर से अधिक का विदेशी मुद्रा कोष है। बचत की दर 32.4 प्रतिशत और निवेश की दर 33.8 प्रतिशत है। चालू वर्ष में कर वसूली के लक्ष्य से अधिक लगभग 35 हजार करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। राजकोषीय घाटा 3.3 प्रतिशत है जो कि पहले से कम हुआ है। यूपीए सरकार के सत्ता में आने के बाद सकल घरेलू उत्पाद जो कि 2004-05 में 7.5 प्रतिशत था, आज वह बढ़कर 2006-07 में लगभग 9.2 प्रतिशत हो गया है और आगे चलकर दो अंकों में होने की संभावना है, जो देश के उज्जवल भविष्य की राह दिखाता है। उत्पादन क्षेत्र में यह बढ़ोत्तरी जहां लगभग 11.2 प्रतिसत रही, वहीं कृषि क्षेत्र में यह केवल 2.3 प्रतिशत रह गई जबकि यह लगभग 4 प्रतिशत होनी चाहिए थी। यह एक चिंता का विषय है।

महोदय, आज भी भारत कृषिप्रधान देश है और देश की दो-तिहाई आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है तथा वह कृषि और उससे संबंधित कार्यों पर निर्भर है। इसीलिए वित्त मंत्री जी ने कृषि से संबंधित अनेक योजनाओं की घोषणा की है। कृषि ऋण जो 2006-07 में 1 लाख 9 हजार करोड़ रुपये होने का अनुमान है, उसे इस वित्तीय वर्ष में बढ़ा कर 2 लाख 25 हजार करोड़ रुपये करने की संभावना है। इससे 50 लाख नये किसानों को बैंकिंग प्रणाली में शामिल होने का अवसर मिलेगा। इसी प्रकार अल्पकालिक फसल ऋण के लिए दो प्रतिशत ब्याज सहायता स्कीम के अतर्गत 1677 करोड़ रुपयों का भी प्रावधान किया गया है। देश के चार राज्यों के 31 संकटग्रस्त जिलों के लिए एक विशेष योजना के अतर्गत 16980 करोड़ रुपयों की धनराशि दी जा रही है। इसमें से लगभग 12400 करोड़ रुपये केवल जल संबंधी कार्यक्रमों के लिए दिये जायेंगे। यूपीए सरकार कृषि ऋण के बोझ से जूझ रहे किसानों के प्रति अत्यन्त संवेदनशील है और इसलिए उन्होंने डॉ. आर. राधाकृष्णा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। जैसे ही यह रिपोर्ट प्राप्त होगी, सरकार ने उसकी सिफारिशों पर अमल करने का वचन दिया है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन को बढ़ाने के अनेक उपाय इस बजट में किये गये हैं। इन सब उपायों के बावजूद यूपीए सरकार देश में खाद्य पदार्थों की बढ़ती हुई कीमतों से अत्यंत चिंतित है और इसीलिए सरकार ने चावल और गेहूं के वायदा बाजार पर पाबंदी लगा दी है। ऐसे और भी कदम उठाए जा रहे हैं, जिनसे महंगाई पर काबू पाया जा सके।

महोदय, मैं एक खिलाड़ी हूं और खेलों के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे देश में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं खेलों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर अगर ध्यान दिया जाए तो युवा कल्याण योजनाओं के अंतर्गत 2006-07 में मिले 171.79 करोड़ रुपये में से केवल 138.37 करोड़ रुपये ही मंत्रालय खर्च कर पाया है। इसी प्रकार से खेलों के लिए करीब 443 करोड़ रुपये में से इस अवधि में केवल 383 करोड़ रुपये ही खर्च हो पाये थे। इन मदों में 2007-2008 में क्रमश: 205 करोड़ रुपये व 495 करोड़ रुपये रखे गये हैं। हालांकि, सरकार पहले खर्च नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि खेलों में हमें और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और इसके लिए और ज्यादा फंड्स को भी बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि 2010 के अन्दर हमारा देश कॉमनवैल्थ गेम्स आर्गेनाइज कर रहा है। उसके बाद एशियन गेम्स और ओलम्पिक गेम्स भी हम आयोजित करने का सपना देखते हैं, इसलिए हम लोगों को स्पोर्ट्स के लिए, खेलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मैं वित्त मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने बजट में खेलों की प्रगति के लिए पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 200 करोड़ रुपये अधिक देने का प्रावधान किया है। हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हम सबको, हमारे देश को देखकर देशवासियों को बहुत निराशा होती है। ...*(व्यवधान)* हमने 1984 से ओलम्पिक्स के अन्दर केवल तीन मैडल जीते हैं, जबकि चाइना ने लगभग 300 मैडल जीते हैं, इसलिए हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, स्पोर्ट्स को और स्पोर्ट्स पर्सन्स को बहुत इज्जत देने की आवश्यकता है, उनको सभी तरह की सुविधाएं देने की आवश्यकता है ताकि खेलों के अन्दर वे हमारे देश का नाम रोशन कर सकें।

हमारी सरकार, खासकर वित्त मंत्री जी जगह-जगह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं तो मैं चाहता हूं कि खेलों के अन्दर भी अधिक से अधिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि ओलम्पिक स्पोर्ट्स को, जो कि 200 से ज्यादा देश खेलते हैं, जबकि क्रिकेट इस विश्व के केवल 10 देश खेलते हैं, बढ़ावा देने के लिए जो-जो कम्पनीज, चाहे पब्लिक सैक्टर की हों या प्राइवेट सैक्टर की हों, वे जो भी स्पोंसरशिप करें, जो भी बढ़ावा दें, उसके ऊपर 200 प्रतिशत की टैक्स एग्जम्पशन दी जानी बहुत आवश्यक है। जब तक यह नहीं देंगे, तब तक हमारा देश खेलों में आगे नहीं बढ़ सकता। इसके लिए मैं हमारे वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि 200 प्रतिशत की टैक्स एग्जम्पशन जरूर दी जायें। पिछले जो कॉमनवैल्थ गेम्स मेलबोर्न में हुए थे, उनमें 50 मैडल्स में से 26 मैडल्स शूटिंग में आये हैं। हमारे वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, मैं खासकर उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस पर ध्यान दें कि एयर गन्स जो कि स्कूलों में और कालेजों में ...*(व्यवधान)* यह काम की बात है, आप सुनिये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया, अपना भाषण समाप्त करें। आप अपना भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं। आपको सुनने का प्रश्न ही नहीं है। आपका समय समाप्त हो गया। आप इसे लिखित में दे सकते हैं।

श्री नवीन जिन्दल: मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा रहा हूं। कृपया, जो मैं कह रहा हूं उस पर विचार कीजिए। कृपया, इस पर ध्यान दें। यह एयरगन्स के बारे में है जो कि प्रशिक्षण का आधारभूत हथियार है। सरकार अभी भी इस पर 35 प्रतिशत शुल्क प्रभारित कर रही है जोकि अनुचित है। इससे सरकार ने प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये की वसूली भी नहीं की है। इसे शुल्क मुक्त क्यों नहीं कर देते?

सभापति महोदय: खेलों के हित में सभी महत्वपूर्ण सुझावों का स्वागत है। आप अपना भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री नवीन जिन्दल: मैं इसे सभा पटल पर क्यों रखूं? मैं इसे पांच मिनट में समाप्त करता हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपकी पार्टी से लगभग 13 सदस्यों को भाषण देना है।

श्री नवीन जिन्दल: महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे बिना व्यवधान के दो मिनट का समय दें। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा।

[हिन्दी]

इसलिए एयर गन्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी को एग्जम्पट करना चाहिए। यह ओ.जी.एल. के अन्दर आज भी इम्पोर्ट की जा सकती है, ताकि बहुत से स्कूल्स और कालेजेज इसको इम्पोर्ट कर सकें और हमारे देश में हजारों जसपाल राणा और अजंलि वेदपाठक की तरह हो सकें और हमारे देश का नाम रोशन कर सकें। मैं प्रार्थना करूंगा कि इसके ऊपर जरूर ड्यूटी एग्जम्प्ट की जाये।

अंत में, जो मैं कहने जा रहा हूं, उसमें मैं वित्त मंत्री जी का स्वागत करना चाहूंगा कि उन्होंने आयरन-ओर के ऊपर 300 रुपये एक्सपोर्ट टैक्स लगाया। एक्सपोर्ट टैक्स लगाने से हालांकि जिस कम्पनी का मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, उसको 45 करोड़ रुपये अधिक देने पड़ेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि देश का एक बहुत बड़ा इसमें फायदा होगा। मुझे दुख होता है, जब मैं अखबारों में आर्टीकल देखता हूं, कि लोग-बाग इसका विरोध करते हैं, क्योंकि 300 रुपये जो टैक्स लगा, उतनी तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आयरन-ओर की कीमत भी बढ़ गई, इसलिए मैं समझता हूं कि इसका स्वागत करना चाहिए।

इसके अलावा लास्ट पाईंट मैं जो कह रहा हूं, वह रायल्टी रेट्स के बारे में है। हमारे जितने भी सांसद भाई उड़ीसा, झारखंड से और छत्तीसगढ़ से यहां पर हैं, वे इसका समर्थन करेंगे। हमारे देश में आयरन-ओर के ऊपर, लाइमस्टोन के ऊपर, बॉक्साइट के ऊपर और कोयले के ऊपर रायल्टी के रेट्स बहुत कम हैं। जो रायल्टी केवल 5000 करोड़ रुपये देश में कलैक्ट होती है, इकट्ठी होती है। पिछले 3-4 सालों में जो ये रॉ-मैटीरियल्स हैं, इनकी कीमत लगभग 3-4 गुना से लेकर करीब 10 गुना तक बढ़ गई है, जबकि रायल्टी रेट्स नहीं बढ़े हैं, अगर रायल्टी रेट्स एडवैलोरम कर दिये जाएं, थोड़े बढ़ा दिये जायें तो 5000 करोड़ रुपये की जगह देश में 15000 करोड़ रुपये इकट्ठे कर सकते हैं और खासकर उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य हैं, इनमें हम जो सुविधाएं नहीं दे पाये हैं, सड़कों के लिए, स्कूलों के लिए, आदिवासियों के लिए, वे सब सुविधाएं हम दे पाएंगे।

अंत में, वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री और यूपीए की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक ग्रोथ ओरिएंटिड बजट पेश किया। मैं इस बजट का पूरा समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, मैं इस सभा की जानकारी में बहुत गम्भीर मामला ला रहा हूं। नंदीग्राम, पश्चिम

[श्री खारबेल स्वाईं]

बंगाल में कई लोग मारे गए हैं ...*(व्यवधान)* यह बहुत ही दुख पहुंचाने वाला समाचार है ...*(व्यवधान)* यह एक ज्वलंत विषय बना हुआ है ...*(व्यवधान)* महोदय, राज्य सरकार लोगों को इस बारे में आश्वस्त नहीं कर पा रही है कि उनकी भूमि नहीं ली जायेगी ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि केन्द्र सरकार तत्काल वहां हस्तक्षेप करे, अन्यथा और अधिक लोग मारे जाएंगे ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती गीता पटैरिया (सिवनी): महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: आप यह मामला बिना सूचना दिए उठा रहे हैं। कृपया, अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, यह राज्य का ही मामला नहीं है बल्कि पूरे देश का मामला है ...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: महोदय, हम इस मामले को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित मंत्री के ध्यान में लाएंगे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

***श्री बालासाहिब विखे पाटील** (कोपरगांव): मैं बहुत दु:खी मन से इस बजट का समर्थन कर रहा हूं।

1. कृषि: कृषि में लगातार कम हो रहे विकास दर और देश भर में इस क्षेत्र के सामने संकट को देखते हुए इस क्षेत्र में और अधिक निवेश करने और इस पर विशेष ध्यान देने की सामान्यतया माननीय वित्त मंत्री जी से उम्मीद की जा रही थी। कृषि के लिए बड़ी पथ प्रवर्तनकारी योजनाओं की उम्मीद की गई थी। दुर्भाग्य से यह इस बजट में परिलक्षित नहीं हुई जिससे किसान समुदाय में निराशा उत्पन्न हो गई है। यद्यपि, माननीय वित्त मंत्री जी ने कतिपय बड़े मुद्दों जैसे ऋण, किसानों का प्रशिक्षण, फसल बीमा, बीज, सिंचाई इत्यादि जैसे मुद्दों को छुआ है। तथापि, कृषि और किसानों की आय से संबंधित कतिपय महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे मिट्टी, विपणन और मूल्यवर्धन का इस बजट में कोई उल्लेख नहीं किया गया। मुझे यकीन है कि किसानों की आय मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के लिये किये जाने वाले कार्य में पर्याप्त निवेश, विपणन और फसलोपरान्त मूल्यवर्धन पर ध्यान दिये बिना नहीं बढ़ सकती। निवेश के इस मदों के लिए एकमुश्त आवंटन करने में अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। कुछ अन्य मुद्दे जो ऋण, बीमा और सिंचाई से संबंधित है, पर भी मैं प्रकाश डालना चाहता हूं।

(क) **ऋण**–जबकि अल्पावधिक ऋण के संबंध में वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की धीमी गति चिन्ता का कारण बन रही है। मुझे इस बात की अधिक चिन्ता है कि अभी तक दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचे के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। ज्यादा अच्छा होता यदि दोनों प्रतिवेदन एक साथ कार्यान्वित किये जाते क्योंकि ये दोनों ढांचे एक दूसरे के पूरक हैं। पुनरुद्धार सहायता के लिए प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों हेतु अर्हता मानदंडों की भी समीक्षा किये जाने की जरूरत है।

इसके अतिरिक्त उन क्षेत्रों, जो सूखा/बाढ़ों से बार-बार प्रभावित होते हैं, के लिए भिन्न व्यवस्था किये जाने की जरूरत है। फसल खराब होने की स्थिति में ऋणों को मध्यम/दीर्घावधि ऋणों में बदलकर ऋणग्रस्त किसानों को दी जाने वाली सामान्य राहत बार बार होने वाले फसलों के नुकसान के मामले में पर्याप्त नहीं है। मूल और ब्याज, जैसी भी स्थिति हो, को बट्टे खाते में डालकर किसानों को राहत प्रदान करने की जरूरत है। तथापि, वर्तमान बैंकिंग प्रणाली में इसका प्रावधान नहीं है। ऐसे मामलों में राहत प्रदान करने के लिए कृषि राहत निधि स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। शहरी सहकारी बैंक पूंजी आधार को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। ये ऐसे बैंक हैं जो विशेष रूप से छोटे परिवारों की सहायता करते हैं। विलय से कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। कृपया इस बैंक का विलय रोक दीजिए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

(ख) **जोखिम कम करने के प्रबंध:** भारतीय कृषि के वाणिज्यीकरण को देखते हुए किसानों की पीड़ा को कम करने के लिए जोखिम कम करने की कारगर प्रणाली की आवश्यकता सर्वाधिक है। मौजूदा फसल बीमा योजना न तो जरूरत आधारित है और न ही कारगर और न ही यह किसान के हित में हैं। उपर्युक्त योजना में बड़े परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यह जानकर खुशी होती है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रायोगिक आधार पर मौसम आधारित फसल बीमा योजना शुरू की है। तथापि, विभिन्न फसलों और क्षेत्रों के लिए सैकड़ों बीमा योजनाएं तैयार किये जाने की जरूरत है जोकि किसानों के लिए वास्तव में उपयोगी सिद्ध हो सकें। बड़े-बड़े क्षेत्रों का बीमा करने वाली एक समान योजनाओं से व्यष्टि रूप में किसानों का जोखिम कारगर और पर्याप्त रूप में कवर नहीं होगा।

(ग) **जल संसाधन:** माननीय वित्त मंत्री जी ने सिंचाई के विकास हेतु स्वागत योग्य प्रयास किये हैं। तथापि, रणनीतियों तक पहुंचने की और अधिक आवश्यकता थी। मैं इस बात से सहमत हूं कि नदियों के पानी के बंटवारे के मुद्दे पर राज्यों के बीच समस्याएं हैं। हम योजनाएं शुरू कर सकते हैं जिनके अंतर्गत पानी की कमी को दूर करने के लिए राज्य के अंदर के पानी को पानी की अधिकता वाले स्थानों से पानी की कमी वाले स्थानों तक प्रवाहित किया जाए। जैसेकि महाराष्ट्र में गोदावरी और तापी थालों में पानी की कमी है और कोंकण की नदियों के फालतू पानी को इन थालों में भेजा जा सकता है। राज्य की जल की आवश्यकता पूरी होने पर शेष फालतू पानी को पानी की कमी वाले क्षेत्रों में भेज दिया जाना चाहिए। हमें इस प्रकार की योजना पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। मैं यह सूचित करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र पानी परिषद ने पहल की और इस प्रकार की योजना बनाकर कुछ समय पहले महाराष्ट्र सरकार को प्रस्तुत की। जरूरत है केवल पारंपरिक योजनाओं की तरफ देखने की बजाय इस प्रकार की संभावनाओं को खोजना। माननीय वित्त मंत्री जी कम से कम इस प्रकार के अध्ययनों और प्रायोगिक परियोजनाओं के विकास हेतु कुछ वित्तीय प्रावधान करने पर विचार करें।

(घ) **गैर-कृषि प्रयोजनों हेतु कृषि भूमि का उपयोग:** कृषि संबंधी बुनियादी सुविधाओं जैसे सिंचाई, इत्यादि को बनाने में सरकार ने भारी भरकम निवेश किया है। सरकार को चाहिए कि किसी भी कीमत पर इस प्रकार का विकसित अच्छी/उर्वर भूमि को गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग न करने दें। किसानों को व्यावसायिक दृष्टि से भूमि के उपयोग से संबंधित मामलों पर रचनात्मक सलाह की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की सलाह मिट्टी के लक्षणों, सिंचाई जल की उपलब्धता और अन्य कृषि पारिस्थितीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मौसम वैज्ञानिक, विपणन और प्रबंधन सूचना पर आधारित होनी चाहिए। तकनीकी विशेषज्ञों/एजेंसियों के दल की सहायता से राज्य और केन्द्र स्तर पर पुनर्गठित भू-उपयोग बोर्ड द्वारा इस प्रकार की सलाह किसानों को दी जा सकती है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों इत्यादि जैसे विशेष प्रयोजनों के लिए भूमि आवंटित करने से पहले इन भू-उपयोग बोर्डों से परामर्श किया जाना चाहिए। विशेष आर्थिक क्षेत्रों को बिजली, पानी इत्यादि जैसी अपनी स्वयं की बुनियादी सुविधाएं विकसित करनी चाहिए।

2. विद्युत

हम अर्थव्यवस्था में लगभग 10% की विकास दर प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। तथापि, विद्युत उत्पादन की विकास दर 7.5% के न्यून स्तर पर रही है। 10% की विकास दर प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्युत क्षेत्र की विकास दर 15% के आसपास हो।

इसी प्रकार कृषि के मामले में, इस क्षेत्र में 4% की विकास दर प्राप्त करने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि क्षेत्र के विकास के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण और विद्युत आपूर्ति में गुणात्मक सुधार लाने पर और अधिक ध्यान दिये जाने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण और विद्युत आपूर्ति में सुधार करना अपने आप में रोजगार और ग्रामीण आय में बढ़ोत्तरी करने वाला बड़ा कारण सिद्ध हो सकता है। मेरे विचार से इसे उच्चतम प्राथमिकता दिये जाने की जरूरत है।

3. सामाजिक सुरक्षा

माननीय वित्त मंत्री को ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) जिसके अंतर्गत प्रीमियम का 50% केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा जबकि शेष 50% संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा, शुरू करने पर बधाई देता हूं। चूंकि अधिकांश राज्यों की वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए इस बात का संशय है कि वे प्रीमियम राशि के भार को वहन कर पाएंगे या नहीं। यह बहुत अच्छा प्रयास है। इसलिए आवश्यक है कि केन्द्र सरकार कम से कम शुरू के 2-3 वर्षों में इस प्रीमियम की 75% राशि वहन करे ताकि बड़ी संख्या में गरीब लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना को कारगर ढंग से शुरू किया जा सके।

4. व्यावसायिक शिक्षा

माननीय वित्त मंत्री जी ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्रों के लिए 1 लाख छात्रवृत्तियां शुरू करने की पहल

[श्री बालासाहिब विखे पाटील]

की है। मैं महसूस करता हूं कि व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी इसी प्रकार की पहल की जानी चाहिए थी और इस प्रयोजन हेतु पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किया जाना चाहिए था। कौशल प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर और अधिक ध्यान दिये जाने की जरूरत है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे ग्रामीण युवाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वर्ष 2007-08 हेतु कम से कम 1 लाख छात्रवृत्तियों की घोषणा करें। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के आधुनिकीकरण के लिए भी प्रयास किये जाएं। भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाए कि अधिकांशत: ग्रामीण क्षेत्रों में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएं।

मुझे कुछ समाचार-पत्रों में छपे समाचारों को पढ़कर आश्चर्य हुआ कि दिल्ली में नौकरशाहों के बच्चों के एक स्कूल को 10 करोड़ रुपये आवंटित किये गये और माननीय वित्त मंत्री जी ने व्यावसायिक शिक्षा मिशन जो बड़ी संख्या में युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने का माध्यम बन सकता है, के लिए मात्र 50 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

5. बीड़ी पर उत्पाद शुल्क में बढ़ोत्तरी करना: माननीय वित्त मंत्री जी ने मानव निर्मित बीड़ी पर उत्पाद शुल्क में बढ़ोत्तरी कर दी है। यह क्षेत्र एक बहुत बड़ी आबादी विशेषकर जनजातीय लोगों को रोजगार प्रदान करता है। उत्पाद शुल्क में बढ़ोत्तरी से इस उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मैं माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे मानव निर्मित बीड़ी पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि करने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें।

कृषि ऋण

उन किसानों जिनको प्राकृतिक आपदाओं के कारण लगातार 2-3 फसलों की क्षति का सामना करना पड़ता है, को राहत प्रदान करने के लिए कृषि ऋण राहत निधि की स्थापना किये जाने की तत्काल आवश्यकता है। वर्तमान में, बैंक प्रणाली में केवल अल्पावधि ऋणों को दीर्घावधि ऋणों में बदले जाने अथवा ऋणों की अदायगी का पुनर्निर्धारण करने की व्यवस्था है। यह राहत पर्याप्त नहीं है क्योंकि स्थगन और नई उधारियों से कर्ज का बोझ बहुत अधिक बढ़ जाता है। लगातार दो बार फसल खराब होने की स्थिति में ब्याज माफ करना आवश्यक हो जाता है और लगातार तीन बार फसल खराब होने की स्थिति में मूलधन और ब्याज दोनों को माफ करना आवश्यक हो जाता है। यह राहत कृषि ऋण राहत सहायता निधि में से दी जा सकती है।

2. किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम (के.सी.सी.) की सभी संबंधित लोगों द्वारा आमतौर पर प्रशंसा की गई है, तथापि, लघु और सीमान्त किसानों तथा महिला किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह सुझाव है कि किसान क्रेडिट कार्ड के मुद्दे को सभी भू-स्वामियों का अधिकार समझा जाए और किसी भी किसान को किसान क्रेडिट कार्ड को जारी न करने की स्थिति में लिखित रूप से स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। इससे कृषि ऋण में सर्वसमावेशी वृद्धि करने में सहायता मिलेगी।

3. दीर्घावधिक कृषि ऋण नीति होनी चाहिए जिसमें बहु-अभिकरण उपागम जिसे हमारे देश में अपनाया गया है, में विभिन्न संस्थागत अभिकरणों की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अधिकांश और इसके व्यावसायिक प्रारूप पर भी नई दृष्टि डालने की आवश्यकता है।

(4) संप्रग सरकार ग्रामीण ऋण और विशेषकर इसके विस्तार और वृद्धि से संबंधित मामलों पर गहराई से दिलचस्पी लेने के लिए बधाई का पात्र है। तथापि, हमें इस बात को स्वीकार करना है कि संस्थागत ऋण में तेजी से वृद्धि होने के बावजूद अधिकांश ग्रामीण परिवारों को अपनी ऋण संबंधी आवश्यकताओं के लिए पेशेवर महाजनों पर निर्भर रहना पड़ता है। गत कुछ वर्षों के दौरान ये महाजन मजबूत हो गए हैं तथा अपने संपर्कों संसाधन और बाहुबली के कारण ग्रामीण लोगों जो उनसे उधार लेते हैं को कठिनाइयों में डाल रहे हैं। उन्होंने गरीब उधारकर्त्ताओं की जमीन अधिग्रहीत कर ली है और उनका शोषण करने के लिए विभिन्न उपाय अपना रहे हैं। समय आ गया है कि हम इस स्थिति की गंभीरता से आकलन करें। केन्द्रीय बजट 2007-08 में इस मामले को व्यापक तरीके से सुलझाने की आवश्यकता है। कानून की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है और अपंजीकृत महाजनों के साथ उधार संबंधी लेन-देन को निरस्त करने की घोषणा पर विचार करना उचित होगा और पंजीकृत उधारकर्त्ताओं द्वारा प्रभारित ब्याज दर में कमी करने पर जोर देना होगा।

(5) राष्ट्रीयकृत बैंकों की ग्रामीण शाखाओं को बंद करने की प्रवृत्ति को रोकना होगा। बैंक ग्रामीण शाखाओं की व्यवहार्यता का आकलन मुख्यत: कारोबार के आधार पर करती है न कि उसकी पहुंच पर। सरकार ऐसी शाखाओं को बनाए रकने के लिए तीन वर्ष के लिए एक विशेष बजटीय प्रावधान लाने पर विचार करे।

(6) कृषि उत्पादकता में संगत वृद्धि के कृषि ऋण में सतत वृद्धि होने की सभावना नहीं है। अत: यह अनिवार्य है कि निजी क्षेत्र द्वारा ऋण देने संबंधी लक्ष्य की तरह सभी बैंकों के लिए किसानों के खातों की संख्या का लक्ष्य तथा छोटे और सीमांत

किसानों के उप-लक्ष्य भी निर्धारित किया जाना चाहिए। बैंकों के कार्यनिष्पादन का आकलन (क) उधारकर्त्ताओं की संख्या, नए उधारकर्त्ताओं की संख्या, छोटे और सीमांत किसानों को शामिल किये जाने और (ख) वितरण की प्रमात्रा दोनों पर आधारित होना चाहिए।

(7) भारत के कतिपय राज्यों में किसानों की गंभीर अभाव युक्त स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें राहत पहुंचाने के लिए एकमुश्त समझौता योजना (ओटीएस) आरंभ करने की आवश्यकता है। भारत सरकार यह राहत प्रदान करने के लिए सहकारी बैंकों और आरआरबी को सक्षम बनाने हेतु एक राष्ट्रीय ऋण राहत निधि का गठन कर सकती है। योजना को मामला-दर-मामला आधार पर ब्याज माफी ऋण में कमी आदि के लिए लागू किया जा सकता है।

(8) कृषि विकास में सुधार और दूसरी हरित क्रांति लाने के लिए निवेशगत ऋण और निम्न ब्याज दर पर इसकी उपलब्धता तथा पर्याप्त व्यापक पुनर्भुगतान अवधि पर गंभीरता से ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

बीमा

(9) राष्ट्रीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा क्रियान्वित की जा रही फसल बीमा योजना किसानों के अनुकूल नहीं है और 85% से अधिक किसानों को इससे शामिल नहीं किया गया है जैसाकि वर्ष 2005-06 के केन्द्रीय बजट में यह वादा किया गया है कि मौजूदा योजना की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ बल की सिफारिशों पर शीघ्रता से विचार करने की आवश्यकता है। जबकि यूनिट एरिया को कम से कम पंचायत स्तर पर कम करने की आवश्यकता है कुछ जिलों में प्रायोगिक आधार पर किसानवार फसल बीमा योजना लागू करना वांछनीय होगा। फसल का आकलन करने के लिए सर्वेक्षक के रूप में कार्य करने हेतु ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करना भी संभव है जो ग्रामीण क्षेत्रों में दुधारू पशुओं और सामान्य बीमा उत्पादों हेतु सर्वेक्षण की रिपोर्ट जैसे दावों के निपटान के लिए आधार बन सकता है।

(10) ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश आबादी किसी भी बीमा के दायरे से बाहर हैं। जीवन चक्र और अन्य वित्तीय जोखिमों को शामिल करने के लिए ऐसे वित्तीय उत्पादों के लाभ के बारे में ग्रामीण आबादी को शिक्षित करने हेतु अत्यधिक विकास और संवर्धनात्मक कार्य की आवश्यकता है। यह सुझाव दिया जाता है कि 100 करोड़ की धनराशि ग्रामीण भारत में सतत आधार पर बीमा संबंधी विवादास्पद कार्य करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बीमा कंपनी को दिए जाएं।

(11) ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त और प्रभावी सामाजिक उपायों के अभाव में यह सुझाव दिया जाता है कि परिवार की चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं यथा 10,000 रुपए तक के लिए दुर्घटना संबंधी बीमा, परिवार के कमाऊं सदस्य की मृत्यु होने पर जोखिम 10000 रुपए तथा रिहाइशी स्थानों की दुर्घटना के लिए समेकित लघु बीमा उत्पाद शुरू किए जाएं। भारत सरकार पहले 3-4 वर्षों के लिए बीमा प्रीमियम (जो लगभग 400 रुपए प्रति वर्ष आएगा) की लागत का कम से कम 50 प्रतिशत देकर ग्रामीण परिवारों को जीवन रक्षक सहायता प्रदान कर सकती है। शेष प्रीमियम का संग्रहण स्वयंसहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों, बैंक शाखाओं और डाकघरों आदि के माध्यम से लाभार्थियों से किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि बीमा निगम (नेशनल एग्रीकल्चर इंश्युरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया) किफायती तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में इस बीमा उत्पाद का विस्तार करने हेतु एक नए प्रारूप भी तैयार कर सकती है। लगभग 5 वर्षों की अवधि में अधिकांश ग्रामीण परिवारों से जीवन बीमा की सुविधा मुहैया कराना तर्कसंगत होगा।

भारतीय राष्ट्रीय वर्षा सिंचित प्राधिकरण (नेशनल रेनफेड अथॉरिटी आफ इंडिया)

(12) चूंकि भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय वर्षा सिंचित प्राधिकरण (नेशनल रेनफेड अथॉरिटी ऑफ इंडिया) स्थापित करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अतः यह आवश्यक है कि प्राधिकरण बिना किसी विलंब के कार्य करना आरंभ कर दे और आगामी बजट में इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त बजटीय प्रावधान किये जाएं।

कृषि संबंधी अवसंरचनात्मक ढांचा

(13) सरकार ने जैव कीटनाशकों, जैव-उर्वरक एककों के पंजीकरण और प्रसारण के लिए नियम लागू किये हैं जिनमें एक उत्पाद के लिए शुल्क लगभग 2 से 3 लाख रुपए है। लघु एकक जो उसे 4 उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं और जिनकी वार्षिक बिक्री लगभग 5 से 10 लाख रुपए है, अपने उत्पाद के पंजीकरण के लिए 6 से 8 लाख रुपए का भुगतान नहीं कर सकते। प्रति उत्पाद पर पंजीकरण शुल्क को अत्यधिक घटाकर 5000 रुपये कर देना चाहिए। प्रक्रिया सख्त भी बनाई जानी चाहिए। अन्यथा ये लघु बायो एजेंट उत्पादन एकक बंद हो जाएंगे।

(14) तिलहन और दलहन संवर्धन कार्यक्रम—सरकार तिलहनों और दलहनों के आयात पर इसे 15 से 16 हजार करोड़ रुपए का व्यय कर रही है। यदि किसानों को उचित बाजार मूल्य कर आश्वासन दिया जाता है तो गेहूं और चावल के अंतर्गत भूमि का तिलहन और दलहन के लिए उपयोग किया जा सकता है। गेहूं

[श्री बालासाहिब विखे पाटील]

और चावल उगाई जाने वाली जमीन पर तिलहन और दलहन की चक्रीय खेती के कारण मिट्टी की उर्वरता बढ़ सकती है। अत: तिलहन और दलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य को और बढ़ाया जा सकता है और पूरे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य को बनाए रहने की आवश्यकता है। भारतीय किसानों को संरक्षा और प्रोत्साहन के लिए तिलहनों और दलहनों के स्वत: निरंतरता की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। भारतीय किसानों की संरक्षा करने और उन्हें प्रोत्साहन देने हेतु विश्व व्यापार संगठन की सीमाओं के अंदर तिलहनों और दलहनों पर आयात शुल्क बढ़ाने की आवश्यकता है।

(15) प्रशुल्क—किसानों के हितों की रक्षा हेतु कपास पर आयात शुल्क को बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हुआ तो निर्यात प्रोत्साहन राजसहायता अथवा अन्य कर छूट वस्त्र उद्योग को दिया जा सकता है।

(16) कृषि निर्यात क्षेत्र—कृषि निर्यात क्षेत्र को अभी भी पर्याप्त बुनियादी ढांचा और जनशक्ति मुहैया नहीं कराई गई है। फलों और सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु कृषि निर्यात क्षेत्र को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। शीतागार भंडारण श्रृंखलाओं, बाजार आसूचना केन्द्र, आदानों और सेवाओं, निर्यात से संबंधित दक्षता प्रदान करने वाले संस्थानों को प्रत्येक कृषि निर्यात क्षेत्र में शुरू किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार को इस प्रयोजनार्थ और अधिक धनराशि का निवेश करना चाहिए। आरआईडीएफ के अंतर्गत कृषि निर्यात क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निवेश उपरोक्त प्रयोजन के लिए किया जा सकता है।

(17) ग्रामीण रेडियो/कृषि रेडियो—विभिन्न कार्यक्रमों स्थान विशेष के बारे में आपातकालीन संदेशों आदि के प्रचार प्रसार के बारे में विशिष्ट प्रौद्योगिकी की जानकारी में ग्रामीण रेडियो (कृषि रेडियो) अत्यंत प्रभावी हो सकता है। स्थानीय गैर-सरकारी संगठन/कृषि विकास केन्द्र को ग्रामीण रेडियो की शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है और उसे सहायता दी जा सकती है। कम से कम इस बजट के दौरान 100 जिलों का प्रायोगिक आधार पर चयन किया जा सकता है और प्रत्येक केन्द्र को इस प्रयोजनार्थ 20 से 30 लाख रुपए की अनुदान सहायता दी जानी चाहिए।

रिस्ट्रक्चर्ड लैंड यूज बोर्ड

(18) किसानों को बाजार के संबंध में स्पष्ट राय जानने के लिए भूमि प्रयोग से संबंधित मामलों में सकारात्मक परामर्श की आवश्यकता होती है। ऐसे सकारात्मक परामर्श मिट्टी की विशेषताओं, सिंचाई जल उपलब्धता और अन्य पारिस्थितिकीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मौसम विज्ञान, विपणन तथा प्रबंधन सूचनाओं पर आधारित होनी चाहिए। तकनीकी विशेषज्ञों/एजेंसियों के दल की सहायता से राज्य और केन्द्र में रिस्ट्रक्चर्ड लैंड यूज बोर्ड किसानों को ऐसा परामर्श हो सकता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र जैसे विशेष उद्देश्यों हेतु भूमि के आवंटन करने से पहले इन लैंड यूज बार्डों से परामर्श किया जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उर्वरक कृषि भूम को गैर-कृषि उद्देश्यों हेतु स्थानांतरित न किये जाएं।

सिंचाई

(19) सिंचाई को विकसित करने के बारे में हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मोटे तौर पर फसल क्षेत्र का लगभग 40% सिंचाई सुविधाओं से संपन्न है। तथापि सिंचाई का प्रसार विभिन्न राज्यों में भिन्न है। यह सुझाव दिया जाता है। सिंचाई के अंतर्गत 25 प्रतिशत से कम कृषि योग्य क्षेत्र वाले राज्यों को सिंचाई विकास हेतु संसाधनों के आवंटन में अधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। जब तक 25 प्रतिशत का स्तर नहीं पहुंच जाता है किसी राज्य की सभी सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना के रूप में वित्तपोषित किया जाए। निधियों के आवंटन में अधूरी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। ऐसी परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी जाए जो 9वीं योजना या इससे पहले शुरू हुई थी और कम से कम 75% तक पूरी हो गई है। इससे डूबे संसाधनों की वसूली करने में सहायता मिलेगी और सिंचाई संभावनाएं तेजी से सृजित होंगी। यह भी सुझाव दिया गया है कि उपरोक्त सुझावों की निगरानी और लागू करने हेतु एक भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई प्राधिकरण को स्थापित किया जाए। यह प्राधिकरण देश में सृजित की गई सिंचाई की संभावना का इष्टम उपयोग और क्रमबद्ध विकास तथा अतिरिक्त जांच वाले बेसिन से कम जल वाले बेसिन में बाढ़ के जल के परिवहन हेतु एक राज्य से दूसरे राज्य का नदियों को परस्पर जोड़ने वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

शिक्षा

(2) आंगनवाड़ी ग्रामीण, जनजातीय और नगरीय क्षेत्र हैं पूर्व. शिक्षा प्रदान करने में प्रभावी भूमिका अदा करता है। आंगनवाड़ी योजना को सर्वशिक्षा अभियान के एक भाग के रूप में समझा जाना चाहिए। यह सिफारिश की गई है कि सूखा प्रवण और जनजातीय क्षेत्र वाले आंगनवाड़ियों को विशेष निधि आवंटित की जानी चाहिए।

(21) प्राथमिक पूर्व से माध्यमिक शिक्षा वाले 0-16 वर्ष/दसवीं कक्षा की बुनियादी और अनिवार्य शिक्षा समझा जाना चाहिए।

छात्रों द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करने के लिए सर्वशिक्षा अभियान की सुविधा को आर्थिक रूप से कमजोर तबकों तथा गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के छात्रों को दी जानी चाहिए।

(22) ज्ञान आधारित समाज के सृजन के लिए दक्षता संबंधी प्रयास और क्षेत्र विशेष संबंधी पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर पर अर्थात आठवीं कक्षा से शुरू किये जाने चाहिए। यह सिफारिश की जाती है कि अपेक्षित अवसंरचना के उन्नयन और सृजन हेतु पर्याप्त धनराशि आवंटित की जानी चाहिए।

23. तहसील स्तर पर स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराये जाने की योजना है। इन सुविधाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जिससे कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों को भी इसमें शामिल किया जा सके। इसके लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राओं के लिए छात्रावास उपलब्ध कराने हेतु विशेष निधि आवंटित की जानी चाहिए ताकि बीच में पढ़ाई छोड़ने वाली छात्राओं की दर को न्यूनतम किया जा सके।

24. चूंकि अधिकतर व्यावसायिक शिक्षा संस्थान शहरों के आसपास स्थित हैं जिससे शहरी क्षेत्रों को इनकी स्थिति का फायदा मिलता है और ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों के छात्रों को फायदा नहीं होता है। यह सुझाव दिया जाता है कि शैक्षिक संस्थाओं को खोलने की अनुमति दिये जाने संबंधी नीति में भारी परिवर्तन किये जाने चाहिए और व्यावसायिक शैक्षिक संस्थाओं को शहरों से 30-40 किलोमीटर दूर रखने के लिए अवसंरचना सृजन हेतु एकबारगी अनुदान दिया जाना चाहिए।

25. उच्च शिक्षा गंभीर चिंता का विषय बन गया है और यह आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा ऋण प्रदान करने और अवसंरचना सृजन हेतु आरंभिक चरण में 500 करोड़ रुपये के आवंटन से भारतीय शिक्षा प्रतिष्ठान (एडुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया) स्थापित करने का सुझाव दिया जाता है।

26. जैसाकि ऊपर सुझाव दिया गया है, धमार्थ न्यासों को शिक्षा के विकास हेतु अपने 25% अतिरेक आय का दान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

27. जरूरतमंद और गरीब छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान करने की योजना स्वागतयोग्य कदम है, तथापि, यह पाया जाता है कि गरीब और गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के कई छात्र इस योजना से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। शिक्षा संबंधी ऋणों को बिना संपार्श्विक जमानत के स्वीकार किया जाना चाहिए और इस ऋण की वसूली लाभार्थी की नियुक्ति के पश्चात की जानी चाहिए।

28. प्रत्येक देश के विकास में अनुसंधान और विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तथापि, भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु उच्च शिक्षा का अंश बहुत कम है। यह पुरजोर सिफारिश की जाती है कि अनुसंधान और विकास केन्द्र विश्वस्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाएं स्थापित करने के लिए पर्याप्त धनराशि (500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष) आवंटित किये जाने चाहिए। व्यवसायिक और पेशेवर तथा उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों को अनुसंधान अनुदान रूप में दिया जाना चाहिए।

29. कमाओ और सीखो योजना विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और जरूरतमंद छात्रों को शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यह सुझाव दिया जाता है कि शिक्षा के प्रयोजनार्थ धनराशि दान करने वाले दानदाताओं को आय कर में शत प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए।

व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास

30. व्यावसायिक और कौशल आधारित शिक्षा को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रत्येक राजस्व परिमंडल में व्यावसायिक विद्यालय खोलने के लिए आगामी बजट में विशेष वित्तीय प्रावधान किए जाने चाहिए।

31. व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के स्व-वित्तपोषण की शुरुआत के कारण तत्संबंधी व्यय निर्धन लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है। सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर, परिवारों, बीपीएल परिवारों और असंगठित क्षेत्र के परिवारों के शिक्षण शुल्क का भुगतान की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

32. अनौपचारिक अल्पकालिक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रत्यायन बोर्ड के गठन की आवश्यकता है। गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाये जा रहे एलटीजे को भी 'उत्कृष्टकता के केन्द्र' की योजना में शामिल किया जाना चाहिए।

33. औद्योगिकीकरण और सेवा क्षेत्र के तीव्र विकास के कारण इसमें अत्याधुनिक और उच्च प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग पाठ्यक्रमों को शामिल करने की आवश्यकता है। आवश्यकता पर आधारित पाठ्यक्रमों, जिन्हें कुछ गैर-सरकारी संगठनों द्वारा तैयार किया गया है, को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तकनीकी कौशल के साथ कतिपय जीवन कौशल/साफ्ट कौशल को भी शुरू किया जाना चाहिए।

[श्री बालासाहिब विखे पाटील]

34. दसवीं योजना में नोट किया गया कि श्रमिक बल में नए प्रवेशकर्त्ताओं की संख्या और सभी प्रकार के व्यावसायिक और पेशेवर प्रशिक्षण संस्थानों में सीटों की उपलब्धता के बीच भारी अन्तर है। अत: इस अंतर को पूरा करने के लिए इन संस्थानों में सीटें बढ़ाने और नए आई.टी.आई. खोले जाने की आवश्यकता है।

35. किसान परिवारों के व्यक्तियों को विपणन संबंधी कौशल हेतु प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है, 5 वर्ष की समय सीमा में लगभग 6000 से 7000 करोड़ रुपये के परिव्यय से लगभग 5 से 6 करोड़ ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए बड़ा कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता है। सरकार को जनजातीय/गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के युवाओं को वार्षिक आधार पर 10 लाख छात्रवृत्तियों की घोषणा करनी चाहिए। बीच में विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों को भी इन छात्रवृत्तियों के लिए पात्र घोषित किया जाये। इस प्रशिक्षण में साफ्ट कौशल और अन्य विपणन योग्य कौशल के विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि इन व्यवसायों से जुड़े युवा नौकरी प्राप्त कर सकें/अपने छोटे उद्यम खोल सकें।

36. व्यावसायिक कौशल, विपणन कौशल और साफ्ट कौशल प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले में (150 प्रत्येक वर्ष) सामुदायिक कालेज खोले जाने चाहिए। अवसंरचनात्मक विकास और सुविधाओं के लिए एकबारगी अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए।

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत

37. विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चिंता को दूर करने और कृषि कार्यों की आवश्यताओं को पूरा करने हेतु हम अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों जैसे पवन, सौर आदि के उपयोग को बढ़ावा दें। इसलिए, केन्द्र सरकार ऐसे कार्यकलापों के लिए बजटीय सहायता को बढ़ाए।

स्वच्छता

38. संसाधनों के अभाव के कारण पंचायत, नगरपालिका परिषद आदि जैसे स्थानीय निकाय देश के नागरिकों को बेहतर स्वच्छता संबंधी सुविधाएं नहीं दे पाते हैं। सरकार ऐसी संस्थाओं को बेहतर बहि:स्रावी शोधन संयंत्रों को शुरू करने के लिए अनुदान प्रदान करे। इससे नागरिकों को बेहतर परिवेश और स्वास्थ्यकर सुविधाएं सुनिश्चित होंगी।

किसानों द्वारा आत्महत्या

20वीं शदी के आठवें दशक तक किसानों को अपने कृषि व्यवसाय से कुछ आय प्राप्त हो जाती थी। उसकी भूमि ही उसके लिए एकमात्र आय का स्रोत था। किसान कृषि कार्य को धार्मिक कार्य की तरह करते थे, खेती उनके लिए पूजा होती थी।

इस युग में भी किसान कई समस्याओं से जूझ रहे थे, पानी की कमी उसकी मुख्य समस्या थी। लेकिन वह पानी की भारी कमी की स्थिति में भी अपना काम चला लेता था। किसानों को काफी विद्युतपूर्ति की जाती थी। तथापि, जहां कहीं वह ऋण देने वाले संस्थानों से जुड़ा था। वहां उसे अपर्याप्त ऋण मिला करता था। वहां बाजार अनिश्चित था लेकिन किसी तरह से वे काम चला लेते थे।

नौवें देशक में धीरे-धीरे स्थिति में गिरावट आनी शुरू हुई। पानी की प्राथमिकता में परिवर्तन के कारण कृषि में पानी की काफी कमी हो गई। पानी की प्राथमिकता में कृषि को तीसरा स्थान दिया गया। औद्योगिक उपयोग के लिए पानी को क्रमश: पहली और दूसरी प्राथमिकता दी गई। पानी की कमी के कारण कृषि उत्पादन घटने लगा। कृषि आदानों की कीमतें बढ़ती गई और उसके कारण उत्पादन लागत में भारी वृद्धि हो गई। दूसरी ओर, इस अनुपात में कृषि उत्पाद बाजार नहीं बढ़ा। यहां किसानों को कृषि में भारी घाटा हुआ। बिजली कटौती कम उत्पादकता का दूसरा कारण था। उत्पादन में कमी के कारण वित्तीय संस्थानों में उसका ऋण बढ़ गया। भारी घाटे के कारण वह उसका पुनर्भुगतान नहीं कर सका। वित्तीय संस्थानों ने कृषि हेतु और अधिक ऋण नहीं दिया और अन्तत: किसानों को मजबूरन निजी साहूकारों से उच्च ब्याज दर पर ऋण लेना पड़ा जिसे वे ले न सके। किसान 80 प्रतिशत ऋण में डूब गया। वह अपने घर के उत्तरदायित्व को निभाने में असमर्थ हो गया। परिवार के स्वास्थ्य की समस्या, बेटियों की शादी, बच्चों की शिक्षा उसकी प्राथमकताएं होती थी जिन्हें वह पूरी नहीं कर पाया। किसान का हर घर समस्याओं से घिर गया और हर किसान और पूरा किसान समुदाय गम्भीर रूप से हताश हो गया। किसान खेती को छोड़ने की मन:स्थिति में थे लेकिन ऐसा नहीं कर सके क्योंकि उनके पास दूसरा विकल्प नहीं था। इस स्थिति में उसने अपनी हत्या करनी शुरू कर दी, जिसे हम किसानों द्वारा आत्महत्या किया जाना कहते हैं।

किसानों की तात्कालिक आवश्यकताएं

1. कृषि हेतु जलापूर्ति।
2. न्यूनतम 20 घंटे लगातार विद्युत आपूर्ति।

3. सभी आवश्यकताओं (प्रत्येक कृषि व्यवसाय) को पूरा करने के लिए संस्थागत ऋण।

4. कृषि आदानों का उचित मूल्य।

5. उत्पादन लागत और कम लाभ को देखते हुए, न्यूनतम समर्थन मूल्य।

6. उत्पाद हेतु सुनिश्चित बाजार।

7. मूल्यवर्द्धन-कृषि प्रसंस्करण।

8. ग्राम आधारित-बीमा योजना।

9. अगली पीढ़ी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं।

10. ग्रामीण अवसंरचना विकास में सरकारी और निजी भागीदारी।

11. वर्षा सिंचित क्षेत्रों हेतु विशेष विकास कार्यक्रम।

12. औद्योगिक और शहरी विकास प्रयोजनार्थ कृषि भूमि के अधिग्रहण पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए।

13. परती भूमि विकास कार्यक्रम की गति को बढ़ाया जाना चाहिए और विकसित भूमि किसानों को आवंटित की जानी चाहिए।

14. सभी औद्योगिक विकास और शहरीकरण परती भूमि पर ही हों।

15. सभी अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को निर्धारित अवधि में पूरा कर लिया जाना चाहिए।

16. सिंचाई प्रयोजनार्थ परियोजनाओं का उपयोग कृषि के लिए ही किया जाना चाहिए।

17. शहरी और औद्योगिक उपयोग हेतु अलग से जल परियोजनाएं बनाई जानी चाहिए।

18. प्रत्येक किसान को मात्र एक प्रतिशत दर पर संस्थागत ऋण प्राप्त होने चाहिए।

19. स्वयं की अवसंरचनात्मक विकास हेतु किसानों को मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण 4% दर पर उपलब्ध होने चाहिए।

20. प्रत्येक किसान के पास किसान ऋण पत्र और बैंक खाता होना चाहिए।

21. वित्तीय संस्थान को कार्य कुशलता की जांच उनके खातों के आधार पर की जानी चाहिए न कि इस आधार पर कि उन्होंने कितना ऋण संवितरित किया है।

22. किसानों के स्वामित्व वाले मूल्य वर्धन परियोजनाओं का सरकारी गारंटी से वित्तपोषण होना चाहिए और इसकी दर बहुत कम होनी चाहिए।

23. 65 वर्ष से अधिक की आयु के किसानों को पेंशन मिलनी चाहिए।

24. प्रत्येक शिक्षण संस्थान में बालिका शिक्षा नि:शुल्क होनी चाहिए। ग्रामीणों को तकनीकी और कौशल-शिक्षा देने हेतु दीर्घकालीन अभियान चलाया जाना चाहिए। जिससे उन्हें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरियां प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

26. राज्य और केन्द्रीय स्तर पर अलग से आरंभिक कोष।

(1) वर्षा सिंचित क्षेत्र हेतु 10,000 करोड़ का आरम्भिक कोष।

(2) किसानों के लिए आपात ऋण माफी के प्रयोजनार्थ 10,000 करोड़ का आरम्भिक कोष।

(3) ग्रामीण तकनीकी शिक्षा हेतु 10,000 करोड़ रुपये का आरंभिक कोष।

(4) बाजार हस्तक्षेप हेतु 10,000 करोड़ का आरम्भिक कोष।

27. आज किसान बीजों की 50 प्रतिशत उत्पादकता के लिए बीज की लागत से पांच गुना अधिक दे रहे हैं।

28. बीज विधेयक को तत्काल संसद में पारित किया जाना चाहिए और कानून को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती गीता पटैरिया (सिवनी): सभापति महोदय, सामान्य बजट वर्ष 2007 पेश हो चुका है। जिस दिन सामान्य बजट पेश होता है, उस दिन सारे देश के लोगों की आंखें, उस पर लगी रहती हैं कि आम इंसान को कुछ राहत मिलने वाली है। जो बजट होता है, वह देश के भविष्य का आइना होता है कि देश की प्रगति की क्या योजनाएं हैं और हमारी आर्थिक व्यवस्था क्या रहेगी? माननीय मंत्री जी द्वारा जो वर्ष 2007-08 का आम बजट पेश किया गया, जिससे आम इसांन को बहुत उम्मीदें थीं, समाप्त हो गयीं। इसमें न आम आदमियों के लिए राहत है, न किसानों

[श्रीमती नीता पटैरिया]

के लिए, न बेरोजगारों के लिए, न गृहणियों के लिए, न छात्रों के लिए और न महंगाई रोकने के लिए इसमें कोई उपाय हैं। यूपीए की सरकार जब भारत निर्माण का नारा लगाती है, वह उसी प्रकार से है जैसे कांग्रेस का नारा है, कि ''कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ'', परंतु कांग्रेस का हाथ गरीब की जेब पर है और यह इस बजट से स्पष्ट हो रहा है। पूरा बजट लोक लुभावन, हकीकत से परे स्वप्नीला बजट है। जो धरातल से बहुत दूर है, केवल तुष्टीकरण का बजट है। बजट योजनाओं का पुलिंदा है। ये योजनाएं कैसे शुरू होंगी, कैसे पूरी होगी, कहां से बजट आएगा? लेकिन इसका कोई उल्लेख नहीं है? पूरा बजट जनता के साथ धोखा और भ्रम है। सरकार का लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उस तक विकास की किरण पहुंचे। विकास तो दूर की बात है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए दो वक्त का भोजन जुटाना भी कठिन हो गया है। भारत निर्माण की तस्वीर में आम आदमी परेशान है। कमरतोड़ महंगाई, आत्महत्या करते किसान, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती मुद्रास्फीति और उस पर माननीय वित्त मंत्री जी कहते हैं कि हमने कुत्ते, बिल्लियों का भोजन सस्ता कर दिया है। इससे अधिक यूपीए सरकार की विफलता और क्या हो सकती है कि बजट में महंगाई पर तो काबू नहीं पाया जा सका, ऊपर से कांग्रेस के एक जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा खासतौर पर वामपंथी बंधुओं के लिए कहा गया कि यदि महंगाई कम नहीं हुई है या अनाज सस्ता नहीं हुआ है तो कुत्ते, बिल्लियों वाला भोजन कर लें। पता नहीं वामपंथी बंधुओं की ऐसी क्या मजबूरी है कि इतना अपमान सहने के बाद भी सरकार के साथ बैठे हुए हैं। यह उनका व्यक्तिगत मामला होगा, उससे हमें कुछ लेना-देना नहीं है, वह खूब समर्थन करते रहें। लेकिन जब जनता की बारी आएगी तब हाल उत्तराखंड और पंजाब जैसा होगा। अब उत्तर प्रदेश की बारी है जहां महंगाई के कारण कांग्रेस का जड़ से सफाया होगा।

जब वित्त मंत्री जी अपना भाषण दे रहे थे, उस समय भी किसान देश में आत्महत्या कर रहे थे क्योंकि यूपीए सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि किसान ऋण सरल तरीके से ले सकता है लेकिन कम लागत लगाकर वह उपज कैसे बढ़ाएं, ऐसी हमारे पास कोई नीति नहीं है। ऐसी योजना कोई नहीं है कि किसान लिए हुए ऋण के जाल में कैसे मुक्त हो। देश में किसानों की आत्महत्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं जो सरकार के लिए, देश के लिए शर्म का विषय है। महंगाई के कारण पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। लोग आन्दोलन कर रहे हैं और गांव में जब एक महिला शाम को मजदूरी करके किराने की दुकान पर जाती है तो उसे इससे कोई मतलब नहीं होता कि केन्द्र में आपकी राजस्व आय का क्या हो रहा है या आपकी मुद्रस्फीति क्या है, उसे तो दो वक्त के लिए दाल, चावल, आटा, सब्जी, शक्कर, चाय की पत्ती, दूध सस्ता चाहिए जो इतना महंगा है कि मजदूर खरीद नहीं पा रहा है और उसे दो वक्त का भोजन नहीं मिल रहा है। गृहणी के लिए अपने परिवार के लिए दो वक्त का भोजन जुटाना एक कठिन समस्या है। सरकार महंगाई पर काबू नहीं पा सकी है और हर स्तर पर फेल है। इसी सरकार, इसी कांग्रेस ने जब केवल प्याज महंगा हुआ था तो लगातार आंसू बहाए। उस समय सत्ता परिवर्तन भी हुआ। आज जबकि शक्कर, तेल, चाय आदि कोई भी खाद्यान्न सस्ता नहीं है, फिर भी सरकार को शर्म नहीं है कि महंगाई पर काबू पा सके। ...*(व्यवधान)*

हम खेलों में पीछे हैं। स्कूलों में ऐसा कोई फंड होना चाहिए जिससे बच्चे बचपन से अपनी प्रतिभा को निखार सकें। उनके गांव में ऐसी व्यवस्था हो कि वे राष्ट्रीय स्तर पर आ सकें।

सर्वशिक्षा अभियान के तहत ज्यादा पैसा दिया जाना चाहिए। वह भी नहीं दिया गया। पूरे देश में सात आईआईटी हैं। नए आईआईटी खोलने का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। रोजगार गारंटी की बात कहें तो 200 जिलों से बढ़ाकर 330 जिले कर दिये गये हैं, लेकिन बजट में पैसे मात्र 700 करोड़ रुपये ही बढ़ाए गए हैं जो अत्यन्त कम हैं। ऐसे में कैसे रोजगार गारंटी के कार्यक्रम सफलतापूर्वक हो पाएंगे। हमें खुशी है कि मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी योजना में प्रथम आया है और हर योजना जो केन्द्र से मध्य प्रदेश में जाती है, प्राथमिकता से क्रियान्वित होती है और सफलतापूर्वक लागू होती है। फिर भी जब पैसे की बात आती है तो केन्द्र की तरफ से मध्य प्रदेश के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया जाता है। ...*(व्यवधान)*

सन् 2003-04 में छः एम्स खोलने की बात हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री जी द्वारा उनका शिलान्यास किया गया था। उनका भी कोई उल्लेख नहीं है। तीन साल बीत गए लेकिन एक भी एम्स नहीं खुला है। हम विकास की बात करते हैं लेकिन जब स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े आते हैं तो देश को शर्मिन्दा करने वाले होते हैं। पिछले कई वर्षों में माताओं में एनीमिया की दर में 5 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है। यूनीसेफ की जो रिपोर्ट आई है, उसमें भारत की शिशु जनसंख्या का लगभग 45 प्रतिशत कुपोषण का शिकार हैं जो देश के बच्चों के स्वास्थ्य की दुर्दशा को इंगित करता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: महोदया, आप अपना भाषण सभा पटल पर रख सकती हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती गीता पटैरिया: माननीय सभापति जी, यह बजट गरीबों का बजट नहीं है, गांवों में रहने वाले लोगों का बजट नहीं है, कुछ मट्ठीभर उद्योगों एवं बड़े परिवारों को खुश करने के लिए बजट बनाया गया है। हम इसका विरोध करते हैं और शासन से निवेदन करते हैं कि गरीब और गांव का बजट बनाएं। हमारे देश की अधिकांश जनता गरीब है और गांवों में निवास करती है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: डा. अरुण कुमार शर्मा—अनुपस्थित।

चौधरी लाल सिंह: कृपया चर्चा समाप्त करने में मेरी सहायता दीजिए।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): महोदय, मैं आपकी सहायता हमेशा करता हूं क्योंकि आप एक बहुत अच्छे नेता हैं।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: सभापति महोदय, मैं इस बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस बजट पर अपने कुछ सजेशन्स देना चाहूंगा कि हम जिस ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, उससे गरीब, आम आदमी का पेट नहीं भरा जा सकता। ग्रोथ रेट की तख्ती लगाकर कहीं नहीं घूमा जा सकता। मैं पूछना चाहता हूं कि आप ग्रोथरेट दिखाकर आटा, चावल, दाल आदि को कैसे सस्ता कर पाएंगे। इस तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। इस बारे में मेरा सजेशन है कि जो ब्लैक मार्केटियर्स हैं, जिन लोगों ने माल इकट्ठा करके रखा है, जो एक्ट और बिल वेनीश हो गये हैं, उनको आज दोबारा रीआर्गनाइज्ड करना पड़ेगा। एक एक्ट ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे पता लगे कि वह कितना माल रख सकता है। इससे महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकेगा।

अगर इस बजट को देखें, तो गरीब गरीब ही होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। मैं दो सैकेंड में आपको बताना चाहता हूं कि आप रिलायंस और एयरटेल को देखिए। जब एयरटेल ने मोबाइल इंट्रोड्यूस किया था, उस समय 16 रुपये से लेकर 36 रुपये तक कॉल थी। अगर बीएसएनएल और एमटीएनएल न होता, तो आज जो कॉल पचास पैसे या एक रुपये की है, वह न होती। इसलिए इन लोगों को आप सिर पर मत चढ़ाइये। ये लोग यहां से चढ़ते हुए राज्य सभा तक पहुंच गये हैं। कोई कोई तो एमएलसी तक पहुंच गये हैं। मेरा सबमिशन है कि ग्राउंड से जुड़े हुए लोग जब पोलिटिक्स करेंगे, तो नुकसान नहीं होगा। हमें असली नुकसान यह हो रहा है कि हमारे लोग ऊपर लैवल के हैं। हिन्दुस्तान तीसरी दुनिया का देश है और इस देश को उसी तरीके से देखना पड़ेगा। आज कौन सा पोलिटिशियन हमें राय देगा? आज चावल को प्रोक्योर किया जाता है। पेप्सी वाला विदेश में फेल हो गया है और हिन्दुस्तान में कामयाब हो गया। आज वह भी हिन्दुस्तान में फेल होने जा रहा है। उसने अपने यूज के लिए यहां हजारों एकड़ जमीन ली है। जब किसान जमीन लेता है, तो लैंड सीलिंग एक्ट दिखाया जाता है। जब पढ़ा आदमी, कैपिटिलिस्ट इंडस्ट्री दिखाकर जमीन लेता है, तो कुछ नहीं होता। वह उस जमीन पर मौसमियां लगायेगा, केलीफोर्निया का संतरा लगायेगा। हमारा किसान न संतरा लगाएगा और न वह ज्यादा जमीन रख सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि कानून एग्रीकल्चरस्टि के एक्सप्लायटेशन के लिए नहीं है। ये लोग बड़े-बड़े धंधे करने के बाद जब प्रोक्योरमैंट में पहुंचते हैं, इसमें जो लेकुना है, उसे दूर करना चाहिए। यह आपको देखना पड़ेगा।

सभापति महोदय, आप एजुकेशन की हालत देखिये। हिन्दुस्तान में एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जिसके तहत सभी एक जैसा पढ़े यानी बड़े आदमी के बच्चे से लेकर छोटे आदमी के बच्चे तक सभी एक जैसा पढ़ें। सारी दुनिया एक ही एजुकेशन सिस्टम पढ़े। हिन्दुस्तान में चार किस्म के एजुकेशन सिस्टम हैं। इससे देश के बच्चों का क्या होगा? आज मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट, एमएलए, एमएलसी, राज्य सभा का एमपी, ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, आईपीएस, टीचर आदि के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए। इनके बच्चे वहां नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। गरीब आदमी के साथ कभी इंसाफ नहीं होगा। अमीर लोगों के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं और आम आदमी का बच्चा वहां पढ़ता है जहां एक टीचर और केवल पांच क्लासें होती हैं। वहां न इन्फ्रास्ट्रक्चर होता है, न डैस्क होता है और न टीचर होती है। जब तक यह हालत होगी तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि एक टीचर पांचवीं क्लास को भी पढ़ायेगा, तीसरी क्लास को भी पढ़ायेगा और पहली क्लास को भी पढ़ायेगा। ...*(व्यवधान)* मैं कन्कलूड कर रहा हूं। इसी तरह आप हैल्थ को देखिये। इस समय हैल्थ का जितना बुरा हाल इस देश में हो रहा है उतना कहीं नहीं हो रहा। सरकारी अस्पतालों में अक्सर इंस्ट्रूमैंट्स बंद रहते हैं जबकि प्राइवेट अस्पतालों में एक से एक बढ़कर फैसीलिटीज होती है। सरकारी डॉक्टर नौकरी तो सरकारी अस्पताल में करता है लेकिन अपनी प्रैक्टिस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में करता है। वह अस्पताल में मरीजों को टैस्ट लिखकर देता है कि आप इसे फलां जगह से करवा लीजिए।

अपराह्न 5.00 बजे

[चौधरी लाल सिंह]

टेस्ट कराने के बाद उधर से कमीशन आती है। फिर उधर वाला लिखता है कि इसकी हार्ट सर्जरी होनी है। इसके बाद डाक्टर कमीशन लेता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री लाल सिंह, कृपया अब अपनी बात समाप्त करें। आप अपना शेष भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं।

चौधरी लाल सिंह: मुझे केवल दो मिनट का समय दीजिए।

सभापति महोदय: नहीं, मैं वो नहीं कर सकता।

अब, श्री रामदास आठवले जी बोलें: अनुपस्थित।

श्री मंजूनाथ कुन्नुर।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: महोदय, मेरी अंतिम बात सुनिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब पॉलिटिशियन जमीन से नहीं आएंगे, आसमान से गिरेंगे। ...*(व्यवधान)*

*मैं बजट का समर्थन करता हूं किंतु मैं अपने देश के लोगों की बेहतरी के लिए कुछ सुझाव दूंगा।

निस्संदेह, वित्त मंत्री जी ने देश की उच्च विकास दर हेतु कुछ उपाय बताये हैं किंतु यह बताते हुए मुझे खेद है कि बजट 'आम आदमी' के लिए खाद्य और कृषि हेतु पर्याप्त अवसर मुहैया नहीं कराता। मेरी समझ में यह नहीं आया कि जब चावल, आटा और दालों जैसी आवश्यक वस्तुओं के दाम बहुत अधिक बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक आम आदमी अपनी भूख को कैसे शांत कर सकता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कालाबाजारी और अलग सामाजिक कार्यों को रोकने के लिए किसी भी प्रकार के उपयुक्त उपाय किये जाने पर विचार नहीं किया गया है। ऐसे बजट का क्या फायदा जिससे हम एक आम आदमी को न तो दो वक्त की रोटी दे सकें और न ही युवकों को रोजगार दे सकें? मुझे लगता है कि हमें कालाबाजारी करने वालों को नियंत्रित करने के लिए और दृढ़ होना चाहिए। मुझे यह बात बताते खेद होता है कि वर्तमान में अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। कोई भी इन दुर्दशाओं पर विचार नहीं करता।

मुझे लगता है कि बजट में निजीकरण को प्रोत्साहन दिया गया है, मेरे विचार में, निजीकरण से मात्र अमीर और समृद्ध तथा व्यवसायी लोगों को ही फायदा होगा। रिलायन्स, टाटा इत्यादि जैसे कुछ व्यवसायी/व्यवसायी घराने हैं, जो पिछले दरवाजे से राजनीति में आकर राज्य विधान सभा/संसद में आते हैं तथा नीति निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं ताकि वे लोगों के अनुकूल होने वाले निर्णयों के स्थान पर ऐसे निर्णय लिये जाने के लिए हस्तक्षेप कर सकें जिनसे बड़े व्यावसायिक घरानों को मौद्रिक फायदे होते हैं। वे संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाने में सक्षम हो गये हैं।

मुझे मजबूरन यह पूछना पड़ रहा है कि हम एमएनसी के पर कतरने हेतु कोई अधिनियम/विधेयक ला पाने में सक्षम क्यों नहीं हैं। पेप्सी और कोका-कोला वाले हमारे देश में लाखों रुपये कमाने के लिए धड़ल्ले से अपना काम चला रहे हैं तथा वे इस बात की परवाह नहीं करते कि उनके उत्पाद घातक और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। हम अपने किसानों को इस बाबत प्रोत्साहित क्यों नहीं करते कि वे संतरे, किन्नु, मौसंबी और अन्य मौसमी फल उगायें जो न केवल स्वास्थ्यकर हैं बल्कि स्वास्थ्यवर्द्धक भी हैं। हमारे गांवों में काफी उर्वरक भूमि बंजर पड़ी है। हम अपने ग्रामीणों को सरकार की उन विभिन्न योजनाओं के बारे में शिक्षित क्यों नहीं करते जिससे सिंचाई खेती/बाड़ी और अन्य कृषि प्रयोजनों के लिए सुलभ और वहनीय ऋण मिल पाता है।

वर्तमान में, बेईमान राजनीतिज्ञ और नेता कई ग्रामीणों को धोखा देते हैं, जोकि ग्रामीणों का काफी पैसा हड़प लेते हैं। अब, रिलायन्स आदि जैसे हमारे देश के बड़े व्यावसायिक घराने खरीदने का कार्य कर रहे हैं। वे किसानों से गेहूं, चावल और अन्य खाद्य पदार्थ खरीद रहे हैं। क्या वे ऐसा वास्तव में किसानों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं? अथवा क्या उनका इरादा अपनी जेबें भरने का है। मुझे संदेह है कि गेहूं खरीद की दर 750 रु क्विंटल निर्धारित करने का सरकार का हालिया निर्णय इन व्यावसायिक घरानों के दबाव में लिया गया है।

यह बात अभी भी मेरी समझ से परे है कि हम संचार क्षेत्र में निजी व्यवसायिक फर्मों को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? सभी जानते हैं कि सरकारी स्वामित्व वाले बीएसएनएल तथा एमटीएनएल अच्छा कार्य कर रहे हैं। जब हमारे सरकारी स्वामित्व वाले संगठन अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो एयरटेल, रिलायन्स, हच और टाटा को लाने की क्या आवश्यकता थी? एक मामला यह है कि जब एयरटेल/हच आदि ने मोबाइल फोन कनेक्टिविटी में प्रवेश किया, तो उन्होंने लगभग 7 रु. प्रति काल के हिसाब से कर लगाया।

..... भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

तथापि, जब हमारे सरकारी स्वामित्व वाले एमटीएनएल तथा बीएसएनएल ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया, तो उन्होंने कॉल को उन बड़े व्यावसायिक घरानों द्वारा वसूली जा रही दरों से काफी कम कर दिया।

महोदय, मुझे इस बात को बताने में खेद हो रहा है कि हमारे देश में शिक्षा का व्यावसायीकरण हो रहा है। हमारे शिक्षा क्षेत्र में पांच सितारा विलासिता की संस्कृति फैल रही है। जनप्रतिनिधि विधायक और सांसद भी अपने बच्चों को इन पांच सितारा शिक्षा संस्थानों में भेज रहे हैं। विद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा लिया जाने वाला भारी शुल्क आम आदमी को अपने बच्चों को इन विद्यालयों में भेजने से रोकता है और उन्हें अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भेजकर ही संतोष करना पड़ता है।

महोदय, मुझे लगता है कि सांसदों आदि विधायकों तथा आईएएस/आईपीएस आदि जैसे सारे उच्च पदस्थ नौकरशाहों को अपने बच्चे सरकारी संस्थानों में भेजकर उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। हमारा यह प्रयास हो कि इन विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाये।

हमारे सरकारी अस्पतालों में मुहैया कराई गई स्वास्थ्य देखभाल सबसे अधिक खराब है। या तो डॉक्टरों, विशेषज्ञों अथवा नर्सों की कमी है अथवा पर्याप्त जीवन रक्षक दवाओं की कमी है।

हमारे अस्पतालों की इस दु:खद स्थिति के कारण आम लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आम लोगों को विख्यात अस्पतालों में जाने पर मजबूर किया जाता है जो उनसे बहुत अधिक शुल्क वसूलते हैं।

अपने सगे-संबंधियों को बचाने के लिए, उन लोगों को अपनी जमीन और अन्य कीमती सामान को गिरवी रखना पड़ता है ताकि ऐसे 5 सितारा अस्पतालों में होने वाले इलाज का खर्च उठाया जा सके।

हमारे सरकारी अस्पतालों का प्रसासन लापरवाह है। स्वच्छता के बारे में, कम ही कहा जाये तो बेहतर है। विभिन्न प्रकार के टेस्ट कराने और रोग का पता लगाने के लिए कोई उपकरण नहीं है। उपलब्ध डॉक्टरों का रवैया सबसे अभद्र है क्योंकि वे रोगियों को उन प्रयोगशालाओं में टेस्ट आदि करवाने की सलाह देते हैं जिन्हें वे जानते हैं ताकि अपना कमीशन कमा सके। अस्पतालों में पाया गया एक कदाचार यह है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर गरीब मरीजों के मामलों को बड़े अस्पतालों में भेज देते हैं ताकि वे अपना कमीशन कमा सकें। कई मामलों में, यह देखा गया है कि भेजे गये ऐसे कई मामलों में जहां महंगा इलाज बताया जाता है, जैसे कि बाइपास सर्जरी, किडनी ट्रान्सप्लान्ट, डायलिसिस आदि, बीमारी को ऐसे इलाज की जरूरत ही नहीं थी किंतु यह गरीब मरीजों का पैसा ऐंठने की चाल थी।

हमें इस प्रकार की अमानवीय प्रथा पर अंकुश लगाना चाहिए और जहां ऐसी गतिविधियां पायी जायें, तो संबंधित डॉक्टरों को पकड़ कर सबक सिखाना चाहिए।

महोदय, मैंने कुछ ऐसी व्याधियों को बताने का प्रयास किया है, अगर उन पर ध्यान दिया गया है। इससे हमारे लोगों को सांत्वाना और आराम मिलेगा। मैं मा. प्रधान मंत्री और उनके मंत्रिमंडल के साथियों से आग्रह करता हूं कि वे पूरे ध्यान, दृढ़ता और मानवीयता से हमारे देश के आम लोगों की समस्याओं को हल करें।

सभापति महोदय: श्री मंजूनाथ कुन्नूर के भाषण को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्री मंजुनाथ कुन्नुर (धारवाड़ दक्षिण): सभापति महोदय, *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मा. मित्र, चौधरी लाल सिंह जी, अपनी ऊर्जा व्यर्थ न करें। आप जो अब बोल रहे हैं, उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

श्री खारबेल स्वाईं: सभापति महोदय, मा. गृह मंत्री जी ने नंदीग्राम पुलिस गोली कांड के बारे में एक स्वयमेव वक्तव्य दिया है। हमारा अनुरोध है कि वे इस सदन में भी आयें और इस संबंध में स्वयमेव वक्तव्य दें *...(व्यवधान)* यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। हमने इसे सदन में भी उठाया था। पुलिस की गोलियों से नंदीग्राम में कई लोग मारे गये हैं। *...(व्यवधान)* अत:, मैं इस संबंध में आपसे अपील करता हूं *...(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): महोदय, यह क्या है? क्या कोई भी कुछ बोल सकता है? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मा. सदस्यगण, कृपया बैठ जायें।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

*...(व्यवधान)**

श्री पी. चिदम्बरम: आप क्या चाहते हैं?

श्री खारबेल स्वाईं: मा. गृह मंत्री जी ने नंदीग्राम पुलिस गोलीकांड के बारे में राज्य सभा में एक स्वयमेव वक्तव्य दिया है। हम चाहते हैं कि मा. गृह मंत्री जी आयें और इस बारे में लोक सभा में भी एक स्वयमेव वक्तव्य दें।

श्री पी. चिदम्बरम: उन्होंने अभी राज्य सभा में वक्तव्य दिया है। हम उन्हें संदेश भेज देंगे। चर्चा जारी रहे।

श्री खारबेल स्वाईं: हम सहमत हैं।

सभापति महोदय: अब, श्री कुन्नुर जी बोलें। आपको अपनी बात दो-तीन मिनट में समाप्त करनी होगी। आपकी पार्टी को दिया गया समय पहले ही समाप्त हो गया है। बल्कि, प्रत्येक पार्टी को दिया समय समाप्त हो गया है और किसी के लिए भी समय नहीं बचा है। क्योंकि सदस्यों को अवसर प्राप्त करने के लिए यहां घंटों बैठना पड़ता है। मैं आपको अवसर दे रहा हूं किंतु आप अधिक समय न लें। हम पिछले दो दिनों से आम बजट पर चर्चा कर रहे हैं, और हम यहां देर तक भी बैठे हैं। किंतु यह ध्यान रहे कि अब हम यहां आपकी बात सुनने के लिए बैठे हैं।

श्री मंजुनाथ कुन्नुर: सभापति महोदय, धन्यवाद। मुझे वर्ष 2007-08 के सामान्य बजट पर वाद-विवाद में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए, मैं आपका अत्यधिक आभारी हूं।

यह बजट एक छलावा है और देश की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में नाकाम रहा है। इसमें नेक इरादों की बातें तो कही गई हैं लेकिन इससे वास्तव में गरीबों को सुरक्षा नहीं मिली है। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इससे देश के कमजोर और पददलित लोगों को कोई सहायता मिलेगी।

हालांकि, मैं सरकार द्वारा कृषि और शिक्षा के लिए अधिक आवंटन देने हेतु किये गये प्रयासों का पूरा समर्थन करता हूं। फिर भी मैं उस अंग्रेज को उद्धृत करना चाहता हूं जिसने कहा था ''शब्द वायु के समान सरल होते हैं लेकिन विश्वासपात्र मित्र कठिनाई से मिलते हैं'', मैं आशा करता हूं कि इन शब्दों से माननीय वित्त मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम द्वारा प्रस्तुत बजट की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी।

केन्द्र द्वारा कई योजनाओं का प्रस्ताव किया जाता है लेकिन राज्यों को विभिन्न कारणों से उन्हें कार्यान्वित कर पाने में कठिनाई होती है। केन्द्र सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सरकारें सच्ची भावना से योजना को कार्यान्वयन करें। जब तक कृषि ऋण, सिंचाई और ग्रामीण अवसंरचना, वाटर बाडीज की बहाली, जल संचयन, बाढ़ नियंत्रण से संबंधित योजनाओं के संबंध में निगरानी तंत्र नहीं होगा तब तक यह अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा होगा।

मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री इस दिशा में उपयुक्त कदम उठाएंगे। इस देश में 70 प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र पर आश्रित हैं। ये किसान ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूर भी हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार असंगठित क्षेत्र का भी यथोचित सम्मान करेगी।

सभापति महोदय: आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री मंजुनाथ कुन्नुर: किसानों को अपने कृषि उत्पाद का लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है। यही कारण है कि किसानों की दशा दयनीय है। मैं सरकार से कृषि बीमा योजना के लिए किये गये आवंटन को बढ़ाने का अनुरोध करता हूं। उन्होंने इसके लिए मात्र 500 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। इसलिए, इसे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कृषि फसल बीमा की धनराशि को प्राप्त करने के लिए कड़ी शर्तें रखी हैं। उदाहरणार्थ, वे किसानों को बीमा का भुगतान करने के लिए तीन साल की उपज चाहते हैं। लेकिन किसानों को यह प्राप्त करना अत्यधिक कठिन है। इसलिए, किसानों को फसल बीमा प्राप्त करने के लिए सरल प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। यह अत्यधिक आवश्यक है।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें। आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री मंजुनाथ कुन्नुर: महोदय, माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। लौह-अयस्क पर निर्यात शुल्क, पहले किसी भी वर्ष लौह-अयस्क पर 300 रुपये प्रति मीट्रिक टन निर्यात शुल्क नहीं लगाया गया। लेकिन केवल इस वर्ष उन्होंने लौह अयस्क पर 300 रुपये प्रति मीट्रिक टन निर्यात शुल्क लगाया है। इस क्षेत्र में, अधिकतर लौह अयस्क का उत्पादन परिष्कृत उत्पाद के रूप में होता है जिसका घरेलू उद्योग में कोई बाजार नहीं है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: इसके बावजूद आप स्थिति को महसूस नहीं कर रहे हैं।

श्री मंजुनाथ कुन्नुर: कर लगाने से लौह अयस्क का निर्यात बुरी तरह से प्रभावित होगा और इस क्षेत्र से 50 से 60 प्रतिशत तक निर्यात कम होने की सम्भावना है, इससे रोजगार के गम्भीर समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। आज सूखा प्रभावित क्षेत्र में इस उद्योग पर लाखों लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आश्रित हैं। इसलिए मैं सरकार से लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क वापस लेने का अनुरोध भी करता हूं।

अब मैं एनपीएलएडी योजना के बारे में ही बोलूंगा। आपने भाषण का शेष अंश मैं सभा पटल पर रखूंगा।

सभापति महोदय: आप इसे सभा पटल पर रखें।

श्री मंजुनाथ कुन्नुर: इस संबंध में, मैं काफी अपमानित हुआ हूं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि एमपीएलएडी फंड को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये किया जाए। अन्यथा एमपीएलएडी योजना को वे इसी बजट में समाप्त कर दें। इसका कारण यह है कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आठ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और 1200 गांव हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र से हर कोई आता है और धनराशि मांगता है। लोग समूहों में वाहनों से आते हैं। वे हमारा समय भी बर्बाद करते हैं। इसलिए, हम उन सभी को यह मुहैया नहीं करा सकते हैं। वर्तमान में 2 करोड़ रुपये दिये जाते हैं। यह तो ऐसी बात हुई कि आपने मुझे दो रोटी दी और आप मुझसे नौ लोगों को भोजन खिलाने को कह रहे हैं। अर्थात 9 विधान सभा क्षेत्र हैं। कर्नाटक राज्य में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपये दिये हैं जबकि हमारे सारे संसदीय क्षेत्र को 2 करोड़ रुपये पर्याप्त नहीं होंगे। उन्हें या तो इस राशि को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर देना चाहिए या इस योजना को तत्काल समाप्त कर देना चाहिए।

*महोदय, मुझे सामान्य बजट पर अपने भाषण के पृष्ठ संख्या 1 से 13 तक आज सभा पटल पर रखने की अनुमति दें।

केन्द्र द्वारा कई योजनाओं का प्रस्ताव किया जाता है लेकिन राज्यों को विभिन्न कारणों से उन्हें कार्यान्वित कर पाने में कठिनाई होती है। केन्द्र सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सरकारें सच्ची भावना से योजना का कार्यान्वयन करें। जब तक कृषि ऋण, सिंचाई और ग्रामीण अवसंरचना, वाटर वाडीज की बहाली, जल संचयन, बाढ़ नियंत्रण से संबधित योजनाओं के संबंध में निगरानी तंत्र नहीं होगा तब तक यह अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा ही होगा।

मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री इस दिशा में उपयुक्त कदम उठाएंगे। इस देश में 70 प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र पर आश्रित हैं। ये किसान ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूर हैं, मैं आशा करता हूं कि सरकार असंगठित क्षेत्र का भी यथोचित सम्मान करेगी। इसमें ड्रिप सिंचाई के विकास हेतु आवंटन का कोई जिक्र नहीं है।

श्री के.एल. राव ने दशकों पहले नदियों के लिए सुझाव दिया था। लेकिन अभी उसे आकर नहीं दिया गया है। मैं सरकार से गंगा और कावेरी नदियों को आपस में जोड़ने का अनुरोध करता हूं। हम प्राय: हर वर्ष, सूखा चक्रवात और बाढ़ जैसी अनवरत त्रासदियों का स्थायी समाधान क्यों नहीं ढूंढ़ते हैं? हम सूखा, चक्रवात और बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ी धनराशि व्यय करते हैं। हम नदियों को आपस में जोड़ने के लिए बड़ी धनराशि का निवेश और इसका युद्ध स्तर पर कार्यान्वयन क्यों नहीं करते हैं? मुझे आशा है कि सरकार न केवल नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य नए जोश के साथ शुरू करेगी और नदियों को आपस में जोड़ने के कार्यान्वयन हेतु कदम उठाएगी बल्कि देश में बांध और नहरों का निर्माण भी करेगी।

मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात करना चाहता हूं। कर्नाटक राज्य में हावेरी जिला सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। अब सरकार ने माल्ट जलाशय के निर्माण के बिना ही अपर तुंगा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु कदम उठाए हैं। अत:, मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि वह शिमोगा जिले में तीर्थाहिल्ली गांव में माल्टी नदी पर माल्टी बांध का निर्माण अपर तुंगा परियोजना के कार्यान्वयन से पूर्व करे।

मैं केन्द्र सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि कर्नाटक के सर्वाधिक पिछड़े हावेरी जिले में एक बड़ा उद्योग स्थापित किया जाए जिससे बेरोजगारी दूर होगी और मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में रचनात्मक सुधार आयेगा।

दूसरा चौंकाने वाला तथ्य यह है कि मिर्च के अलावा हर उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। ऐसा क्यों है? मैं सरकार से इस पर विचार करने और मिर्च हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का अनुरोध करता हूं।

---

*.....*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री मंजुनाथ कुन्नुर]

अन्य रोचक तथ्य यह है कि कर्नाटक में ब्यादगी में अत्यधिक अच्छी किस्म की मिर्च उगाई जाती है। इसे सर्वोत्तम किस्मों में से एक माना जाता है और यह अंतरर्राष्ट्रीय बाजार में सर्वोत्तम गुणवत्ता की है लेकिन उचित विपणन सुविधाओं के अभाव में इसकी खेती करने वाले किसानों को अच्छा मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है। श्री मुरली मनोहर जोशी के सभापतित्व में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति ने इस तथ्य को उजागर करते हुए संसद में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि कर्नाटक की बयादगी मिर्च और आंध्र प्रदेश की गुंटुर मिर्च अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात हेतु दो बेहतरीन मिर्च हैं। अत: मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह कर्नाटक के ब्यादगी और आंध्र प्रदेश के गुंटुर में कृषि निर्यात क्षेत्र (एईजेड) स्थापित करने हेतु कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर प्रयास करे।

कर्नाटक में हम हावेरी जिले में बहुतायत में मक्के का भी उत्पादन कर रहे हैं। हम इस मक्के का निर्यात अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ-साथ देश के अन्य भागों में भी करते हैं। वास्तव में मक्का उत्पादन में देश में हमारे राज्य का पहला स्थान है। लेकिन मक्के का तेल, स्टार्च, ग्लूकोज और कुछ अन्य संबंधित उत्पादों के लिए मक्के के तेल का कारखाना महाराष्ट्र के सांगली और यशवंतपुर तथा गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित किया गया है जहां मक्के का उत्पादन भी नहीं होता है। इस विसंगति को कर्नाटक के हावेरी जिले से मक्के का कारखाना स्थापित कर छूट दिया जाना चाहिए।

दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसे मैं उठाना चाहता हूं वह यह है कि हम अपने क्षेत्र में कपास का भी उत्पादन कर रहे हैं। अत: मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह बिना किसी विलंब के हमारे क्षेत्र में परिया के कारखाने को स्थापित करे। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि वह कर्नाटक के हावेरी जिले में उपलब्ध असीम संभावना को ध्यान में रखते हुए हावेरी जिले में टेक्सटाइल चार्ट, फूड चार्ट स्थापित करे। इस सभा में तथा सभा के बाहर मेरे द्वारा इस पहलू को कई बार उठाया गया है।

मैं संप्रग सरकार की पसन्द की प्रशंसा करते हुए उसका पूर्ण समर्थन करता हूं जिसने उत्तमत्ता को मान्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान का प्रस्ताव रखा है तथा गोबिंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नालाजी, पंतनगर और तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर का चयन किया है जिन्हें 50 करोड़ दिया जाएगा। साथ ही मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, घाटवेच जो एक महत्वपूर्ण संस्था है के विकास हेतु 100 करोड़ रुपये का आवंटन करके आईएमएस अस्पताल और कर्नाटक मेडिकल कालेज, हुबली भी है जिसे बहुत पहले स्थापित किया गया था और जो कर्नाटक के मध्य में स्थित है और संस्थान को एक अग्रणी संस्थान समझा जाता है लेकिन हुबली शहर में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और शहर के लोगों को बंगलौर जैसे अन्य शहरों और अन्य महानगरों में जाना पड़ता है। हुबली धारवाड़ को कर्नाटक के उत्तरी हिस्से का दूसरा बड़ा शहर समझा जाता है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह उक्त संस्था में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु 100 करोड़ की धनराशि आवंटित करे।

महोदय, शीतागार सुविधाओं के विकास की जबरदस्त मांग ही ग्रामीण भंडार योजना की स्कीम के द्वारा किसानों की सहायता करने हेतु कर्नाटक के हावेरी जिले में शीतागार और गोदाम स्थापित किए जाएं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि किसानों को अपने कृषि उत्पादों को शीतागार में रखना बहुत जरूरी है। इस संबंध में केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह शीतागार सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण होने वाले भारी घाटे को देखते हुए ग्रामीण भंडार योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य को अधिक धनराशि प्रदान करे।

दूसरा पहलू जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि कृषि उत्पाद में सीमित प्रतिधारण क्षमता होती है। यदि निवारणात्मक कदम नहीं उठाए गए तो यह खराब या क्षतिग्रस्त हो जाएगा। यदि हम सचमुच अपने किसानों को शीतागार सुविधाएं मुहैया करायें तो कृषि का विकास होगा लेकिन कड़वा सच यह है कि ये उद्योग बहुत ही बुरी स्थिति में हैं। यदि हम इसका आधुनिकीकरण करने में असफल रहे तो हमें काफी हानि उठानी पड़ेगी। अत: मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह बड़े पैमाने पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को स्थापित करने के लिए कदम उठाए क्योंकि निजी क्षेत्र इस प्रसंस्करण उद्योग में निवेश करने में इच्छुक नहीं है जिसके परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र को नुकसान हो रहा है।

डा. स्वामीनाथन द्वारा एक बार कहे गये वक्तव्य को मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने सुझाव दिया था कि प्रत्येक जिले में खाद्य बैंक स्थापित किया जाना चाहिए। यदि केन्द्र में सरकार द्वारा इस सही और उक्त सुझाव को स्वीकार कर लिया जाता है तो हमें कुपोषित बच्चे और अन्य बुराइयां देश में नहीं दिखाई देंगे। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस बात से सहमत होगी कि इस सुझाव पर सोचने की दिशा में ज्यादा देर नहीं हुई है और प्रत्येक जिले में खाद्य बैंक को स्थापित करने हेतु प्रभावी कदम उठाये।

मैं भूमि की उर्वरता पर जोर देना चाहूंगा। वास्तव में सरकार को भूमि की उर्वरता के बचाव और संरक्षण के लिए अतिरिक्त

प्रयास करना चाहिए जिसके लिए जल बहुत ही अनिवार्य है। यदि हम जल का बुद्धिमत्तापूर्वक इस्तेमाल करें तो हम जल का प्रयोग भूमि की उर्वरता के बचाव और संरक्षण जैसे बेहतर उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार भूमि की उर्वरता में सुधार कर इस दिशा में पहल करेगी जिसके कारण खेती हेतु अधिक भूमि उपलब्ध होगी जो अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ती जनसंख्या का पेट भरने के लिए कृषि उत्पादन को और बढ़ाएगी।

इस समय चीनी उद्योग की स्थिति बहुत खराब है। सरकार को इसे अन्य उद्यमियों जैसे वस्त्र और पटसन उद्योग की तरह प्रभावित होने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चीनी उद्योग को कोई विशेष पैकेज नहीं दिया गया है जबकि अनेक चीनी उद्योग हैं। जंगुर चीनी मिल, हावेरी, कर्नाटक की स्थिति बहुत खराब है। इस वर्ष किसानों ने 3 लाख टन गन्ने का उत्पादन किया है लेकिन उक्त मिल को कर्नाटक के बेलगाम जिले के रेणुका शुगर द्वारा पट्टे पर लिया गया है जिसने जनवरी, 2007 के बाद गन्ने की पेराई का कार्य शुरू किया है लेकिन उन्होंने समयाभाव के कारण 3 लाख टन में से मात्र 1 लाख टन गन्ने की पेराई कर कार्य किया है। संपन्न समझौते के अनुसार अपने वादे को यह मिल पूरा नहीं कर पाया। वास्तव में रेणुका शुगर को दूसरे वर्ष मिल को 3 करोड़ रुपए और पहले वर्ष से 1 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। संविदा का उल्लंघन हुआ जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान भी नहीं किया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में किसानों के लिए यह बहुत ही कठिन हो गया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में संपूर्ण कृषक समुदाय प्रभावित हुआ है। अत: मैं सच्चे हृदय से अनुरोध करता हूं और केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और रेणुका शुगर के खिलाफ तुरन्त कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। ताकि संगुर शुगर फैक्ट्री, हावेरी जिला, कर्नाटक के किसानों की सहायता की जा सके।

अब मैं वर्ष 2007-08 के बजट अनुमान पर आता हूं। वर्ष 2007-08 का योजनागत परिव्यय 205,100 करोड़ रुपये है जबकि संगत वर्ष में गैर-योजनागत परिव्यय मात्र 6.5 प्रतिशत बढ़ा है। राजस्व घाटा 71,478 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

अब मैं आईआईटीएस के उन्नयन के महत्व को उजागर करना चाहता हूं। मैं अगले 5 वर्षों से 500 आईआईटी के उन्नयन करने हेतु संप्रग सरकार के प्रयास का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं इस प्रयास का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं सरकार से हुबली धारवाड़ के क्षेत्र में आईटीआई शुरू करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि कर्नाटक राज्य का यह सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गरीब लोगों के लाभ के लिए मेरे उचित अनुरोध पर विचार करेंगे।

मैं ई-शासन हेतु महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू करने के लिए सरकार के प्रयास की भी प्रशंसा करता हूं। मैं आशा करता हूं कि इसका लाभ पूरे देश को मिलेगा जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कम्प्यूटर से परिचित कराएगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में मैं हुबली-हरिहर के बीच स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत रा.मा.-4 पर 280-404 कि.मी. पर 4 लेन वाली सड़क बनाने का अनुरोध करता हूं जो अभी भी लंबित है। अब तक संपादित किये गये कार्य बहुत ही खराब किस्म के हैं। सुरक्षा उपायों पर ध्यान नहीं दिया गया है। वास्तव में यह प्रक्रिया वर्ष 2003 में पूरी हो जानी चाहिए थी। लेकिन यह अभी तक आरंभ नहीं हुई है। अत: मैं माननीय मंत्री जी से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि यह परियोजना जल्दी से जल्दी पूरे की जाए तथा इसमें सड़क अच्छी बनाने पर जोर दिया जाए।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। लेकिन यह बाद में महसूस किया गया कि धनराशि निर्वाचन क्षेत्र विशेषकर ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जो बहुत बड़े हैं, की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

वास्तव में कर्नाटक राज्य में राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को 1 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की जाती है। उसके अनुरूप एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को प्रतिवर्ष अधिक धनराशि दी जानी चाहिए क्योंकि प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 8 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 1200 गांव हैं।

2 करोड़ रु. का आवंटन किसी भी दृष्टि से पर्याप्त नहीं है क्योंकि प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 20 से 25 शहर हैं तथा हमें प्रत्येक शहर के लिए न्यूनतम 10 लाख रु. से 25 लाख रु. तक राशि आवंटित करनी पड़ती है। अत:, मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की बाढ़ लगातार बढ़ती हुई आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए एमपीलैड निधि को बढ़ाकर प्रतिवर्ष 5 करोड़ रु. करें। अन्यथा, मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि वह एमपीलैड योजना को समाप्त कर दें।

[श्री मंजुनाथ कुन्नुर]

यह मेरा ही विचार नहीं है। वस्तुत:, यह सभा के अधिकांश माननीय सदस्यों का विचार है जो कि वर्तमान एमपीलैड निधि से निराश हो गये हैं। वस्तुत: हम लोग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के बीच अलोकप्रिय हो गए। मैंने यह तब पाया जब हमने अपने सहयोगियों के साथ गहन और विस्तृत बातचीत की।

मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री इस मुद्दे पर उसी गंभीरता से विचार करेंगे जिस गंभीरता से उस पर विचार किया जाना चाहिए तथा एमपीलैड निधि को बढ़ाकर 5 करोड़ रु. प्रति वर्ष किया जाये जिससे कि माननीय सांसद बेहतर ढंग से अपने निर्वाचन क्षेत्रों का ध्यान रख सकें। अन्यथा एमपीलैड योजना को वर्तमान बजट में ही समाप्त कर दिया जाए।

मैं 6 लेन वाली सड़क परियोजना का निर्माण करने के सरकार के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। यह सही दिशा में उठाया गया कदम है क्योंकि हम देश के विभिन्न भागों में यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देख सकते हैं। इसके साथ-साथ, मैं कर्नाटक में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्ग-4 परियोजना का कार्य शीघ्रता से आरम्भ करने हेतु कदम उठाने का अनुरोध करता हूं जिसमें गुणवत्ता और सुरक्षा पहलुओं पर यथोचित ध्यान दिया जाए। मुझे आशा है कि सरकार मेरे इस प्रस्ताव पर विचार करेगी तथा इस संबंध में कदम उठाएगी।

स्वामीनारायण समिति ने सरकार से यह सिफारिश की है कि वह किसानों को 4 प्रतिशत की दर से ऋण सुविधा प्रदान करे, जिस सिफारिश का पालन केन्द्र में आने वाली लगातार सरकारों ने नहीं किया है। मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि तत्काल किसानों को दिये जाने वाले ऋण पर ब्याज दर को 7 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करे जिससे कि किसानों को लाभ मिल सके।

किसानों को उनके कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है। इसी कारण किसानों की स्थिति इतनी दयनीय है।

मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह कृषि बीमा योजना के लिए किये गये आवंटन में वृद्धि करे। एआईसी (कृषि बीमा कम्पनी) को फसल कटाई प्रयोग द्वारा 3 वर्षों की औसत उपज जैसी कई कठोर शर्तें रखी हैं जो कि बड़ी कठिन शर्त है। एआईसी को फसल बीमा प्राप्त करने हेतु आसान तरीका लागू करना चाहिए।

सरकार ने लौह अयस्क पर 300 रु. प्रति मीट्रिक टन की दर से निर्यात शुल्क लगाया है जो अवैज्ञानिक और आधारहीन है। उत्पादित अधिकांश अयस्क परिष्कृत होती है जिसका कि घरेलू उद्योग में बाजार नहीं है। इस प्रकार कर लगाने से लौहअयस्क का निर्यात बुरी तरह प्रभावित होगा तथा इस क्षेत्र से निर्यात में 50 से 60 प्रतिशत तक गिरावट आने की संभावना है। इससे रोजगार की गम्भीर समस्या पैदा हो जाएगी जहां आज इस सूखा प्रभावित क्षेत्र के लाखों लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं। अत: मेरा सरकार से यह आग्रह है कि वह लौह अयस्क* पर निर्यात शुल्क वापस ले ले।

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: इनका भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, आप लोगों को यह महसूस करना होगा—कम से कम आप में से कुछ लोगों को—कि मैं यहां प्रतिदिन 9 बजे तक केवल इसलिए उपस्थित रहता हूं कि हमारे माननीय मित्रगण चर्चा में भाग ले सकें। प्रत्येक दिन मैं यहां रात के 10 बजे अथवा 11 बजे तक उपस्थित रहता हूं जिससे अधिक से अधिक माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिल सके। दलों को आवंटित समय समाप्त हो गया है। आपको यह स्थिति समझनी होगी।

अब श्री पी. रवीन्द्रन बोलेंगे।

[हिन्दी]

****श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी** (गोधरा): महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली लोगों के हित में नहीं है और मेरे संसदीय क्षेत्र गोधरा, गुजरात में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा छोटे किसानों की संख्या बहुत अधिक है। मैं कृषि के बारे में अपना सुझाव देना चाहता हूं। कृषि का जीडीपी दो प्रतिशत से ज्यादा है जिसमें लाइव स्टाक का ग्रोथ भी शामिल है। मेरे विचार से लाइव स्टाक ग्रोथ 4 प्रतिशत से ज्यादा है। शायद इसीलिए कृषि का जीडीपी 2 प्रतिशत से ऊपर गया है। यूपीए सरकार की कार्यशैली और बजट का ही प्रभाव है कि कृषि का जीडीपी गिर गया है और मैं समझता हूं कि यह सरकार इसी तरह कार्य करती रही तो निश्चित रूप से किसानों की आत्महत्या का सिलसिला जारी रहेगा और उत्तरोत्तर इनकी संख्या में वृद्धि होगी।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मैं आपका ध्यान अपने जनपद पंचमहल गुजरात की "दी पंचमहल डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक" जो 2003 से रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बैन के कारण बंद है, की ओर दिलाना चाहता हूं। इसका कार्य क्षेत्र गुजरात के दो जिलों पंचमहल और दाहोद तक फैला हुआ था। जब बैंक कार्यरत था तो दोनों जिलों के किसानों को 200 करोड़ से ज्यादा फसल ऋण दिया जाता था। मैं इस संबंध में पिछले तीन वर्षों में कई पत्र लिखकर इस बैंक को चालू कराने का अनुरोध कर चुका हूं किंतु अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। माननीय वित्त मंत्री जी ने एक वैद्यनाथन कमेटी इस संबंध में बनाई थी, उसकी रिपोर्ट भी आ गयी है और हमारी राज्य सरकार गुजरात ने जनवरी में एम.ओ.यू. भी कर दिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे दोनों जनपद में ट्राइबल और ट्राइबल किसानों की संख्या 56 प्रतिशत है जो 2003 से पहले इस बैंक से ऋण लेते थे। मेरा पूरा क्षेत्र बनवासी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जिस प्रकार आप सिक्किम जहां ट्राइबल और हिल एरिया के को-आपरेटिव बैंक को पूरा घाटा (टोटल लॉस) देने की योजना बना रहे हैं, उसी प्रकार "दी पंचमहल डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड" गोधरा का भी समावेश कर उसका पूरा घाटा देकर बैंक को पुन: चालू करायें ताकि मेरे क्षेत्र के ट्राइबल्स अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति व छोटे किसानों को आसानी से ऋण मिल सके और उन्हें आत्महत्या करने से रोका ज सके।

आपने पिछले बजट में फसल ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज दर रखा था, वह ठीक है लेकिन कृषि की जीडीपी में आप लाइव स्टाक को जोड़ते हैं लेकिन जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले और छोटे किसान मिल्च एनीमल खरीदने के लिए बैंकों से ऋण लेते हैं, उसका ब्याज दर अधिक है। मैंने इस संबंध में आपको पत्र भी लिखा है और आज सदन के माध्यम से पुन: अनुरोध करता हूं कि मिल्च एनीमल खरीदने के लिए जो बैंक ऋण देता है, उस पर फसल ऋण के समान 7 प्रतिशत ही रखा जाए।

आपने अपने बजट में किसानों के फसल लोन की धनराशि में वृद्धि की है लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों को किसानों को आसानी से लोन देने और भूमिहीन व मझले किसानों को भी ऋण देने के लिए निर्देश दें क्योंकि अभी तक वे उन्हीं को ऋण देते हैं जिनका डिपाजिट उनके पास है।

आपने अपने बजट भाषण में मुंगेर बिहार में गंगा के ऊपर सड़क सह रेल पुल का निर्माण कार्य और असम में ब्रह्मपुत्र पर सड़क-सह-रेल पुल का निर्माण एक राष्ट्रीय परियोजना के तहत कराने को कहा है, उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन गुजरात में नर्मदा योजना सरदार सरोवर डैम जो लाखों एकड़ भूमि को सिंचाई देने वाली योजना है और उसका लाभ राजस्थान को भी मिलने वाला है और बिजली के उत्पादन में गुजरात सहित महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान को लाभ मिलने वाला है। उस सरदार सरोवर डैम नर्मदा योजना को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की मांग बहुत वर्षों से हो रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस योजना को भी राष्ट्रीय परियोजना के तहत बनाया जाए।

आपने अपने बजट भाषण में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में राशि 3,000 करोड़ से बढ़ाकर लगभग 4,000 करोड़ रुपया तक करने का प्रस्ताव किया है। गुजरात में मेरे जिले पंचमहल में यह योजना लागू की गयी, लेकिन दो साल में मंजूरी मिलने के बाद आज तक कोई काम नहीं हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि भारत सरकार की ओर से इसमें गति लाई जाए और जल्दी काम पूरा हो।

इन्हीं सुझावों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री पन्नियन रवीन्द्रन** (तिरुवनन्तपुरम): माननीय सभापति महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि यह बजट बड़े-बड़े औद्योगिक गृहों का पक्ष ले रहा है। बेरोजगारी हमारे देश के समक्ष मौजूद सबसे बड़ी समस्या है। इस बजट में बेरोजगारी की समस्या का मुकाबला करने हेतु कोई दिशानिर्देश नहीं है। यह समस्या केवल कुछेक नीतियों के क्रियान्वयन से नहीं सुलझेगी। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस वर्ष रोजगार संभावनाओं की कुल संख्या में 2004-2005 की तुलना में कमी आई है। रोजगार संभावनाओं में यह कमी निजी और सरकारी, दोनों ही क्षेत्रों में हुई है। अत: आपको रोजगार सृजन से संबंधित नीतियों की आवश्यकता है।

मेरे गृह राज्य, केरल में अनेक कर्मचारी अपनी जीविका के साधन से हाथ धो बैठेंगे। यह बीड़ी उद्योग में कर वृद्धि के कारण है। यदि इस कर में कमी नहीं की जाती है तो यह इस क्षेत्र में कार्यरत लाखों लोगों के रोजगार को प्रभावित करेगा।

महोदय, केरल की बहुसंख्यक युवा शक्ति खाड़ी और अन्य देशों में कार्यरत है। जब ये लोग हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एनआरआई अर्जित आय को भेजते हैं तो सरकार को उन्हें सामाजिक सुरक्षा देनी चाहिए। उन्हें हवाई भाड़े में भारी वृद्धि की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया

*मूलत: मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री पन्नियन रविन्द्रन]

दोनों ने ही हवाई भाड़े में वृद्धि कर दी है और इस प्रकार वे उन जरूरतमंद और निर्धन लोगों का नुकसान कर रहे हैं जो अपनी जीविका के लिए विदेश जाते हैं।

इसी प्रकार, सभी खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कमी करने के निर्णय से हमारे नारियल किसान बर्बाद हो जाएंगे। इससे नारियल का उत्पादन करने वाले सभी राज्यों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

महोदय, केरल एक ऐसा राज्य है जिसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप से विख्यात एथलीटों और खिलाड़ियों को पैदा करने का स्मरणीय रिकार्ड रहा है। परन्तु, बजट में खेलकूद की सुविधाएं और अवस्थापना का उन्नयन करने का कोई प्रावधान नहीं है।

वीसींगम हार्कर प्रोजेक्ट एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है जिस पर केरल का भविष्य का विकास निर्भर करता है। महोदय, यह आवश्यक है कि केरल के वीशींगम प्रोजेक्ट के लिए केन्द्रीय सहायता मिले। मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि इस परियोजना में केरल का सहयोग करें।

यद्यपि केरल एक छोटा राज्य है। पर हम तीव्र आर्थिक वृद्धि देख रहे हैं। केरल के औद्योगिक क्षेत्र और उसके परंपरागत उद्योगों को हर प्रकार की केन्द्रीय सहायता मिलनी चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बजट में ऐसी सभी पात्र योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

श्री बालासोधरी वल्लभनेनी (तेनाली): सभापति महोदय, मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद।

सर्वप्रथम, मैं संप्रग सरकार को आम आदमी के लिए वर्ष 2007-08 का बजट प्रस्तुत करने हेतु बधाई देना चाहता हूं। कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाकर कृषि पर ध्यान दिया गया है। वर्ष 2007-08 के केन्द्रीय बजट में माननीय वित्त मंत्री ने विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर व्यय बढ़ाया है, जबकि मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण वस्तुओं पर कर घटी है, इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीण गरीबों के लाभार्थ भी उपाय किये हैं।

इस बजट में मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियां नहीं दिखाई देती हैं। राजकोषीय घाटा काफी हद तक नियंत्रण में है और हमारे माननीय वित्त मंत्री की इस बावत सराहना की जानी चाहिए। संप्रग सरकार की भी कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य शारीरिक रूप से विकलांगों, अल्पसंख्यकों और विशेषकर आठवीं कक्षा के पश्चात विद्यालय छोड़ देने वाले कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए अधिक आवंटन हेतु सराहना की जानी चाहिए।

नई योजना आम आदमी बीमा योजना भूमिहीन ग्रामीणों को भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से मृत्यु-सह-अपंगता का लाभ मिलेगा। निस्संदेह, यह एक स्वागत योग्य कदम है। दूसरा सराहनीय कदम 80 छूटे हुए जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की और शाखाएं खोलना है।

अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक पूर्व, मैट्रिकोपरान्त और स्नातक स्तर की छात्रवृत्तियों हेतु अधिक धनराशि निर्धारित की गई है और अ.पि.व. के लिए मैट्रिकोपरान्त छात्रवृत्तियों हेतु 91 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

सर्वशिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना हेतु आवंटन को 35 प्रतिशत बढ़ाकर 23.142 करोड़ रुपये किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाकर 22 प्रतिशत किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का विस्तार 200 जिलों से बढ़ाकर 330 जिलों तक किया गया है। वरिष्ठ नागरिक को 2000 रुपये तक कर में राहत मिलेगी। लघु व्यवसायों हेतु छूट को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये किया गया है।

दूसरी अत्यधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि लौह अयस्क खान मालिकों और निर्यातकों के अनेक प्रतिनिधि मेरे ध्यान में यह बात लाए हैं कि 28 फरवरी, 2007 को माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत सामान्य बजट में सरकार ने सभी तरह के लौह अयस्कों पर उत्पाद शुल्क लगाया है और यह प्रति मीट्रिक टन 300 रुपये की दर से लगाया गया है। उन्होंने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया था कि होडा समिति ने लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। लेकिन मैं इस सम्मानित सभा को जानकारी देना चाहता हूं कि होडा समिति ने हाई ग्रेड लौह अयस्क हेतु ही निर्यात शुल्क की सिफारिश की है और वह भी 65 प्रतिशत फेरस युक्त लम्पस पर है। ...*(व्यवधान)* दूसरा तथ्य यह है कि 64 प्रतिशत से नीचे के फेरस ग्रेड लौह अयस्क का घरेलू इस्पात उद्योग में बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता है। तीन साल पूर्व, 60 प्रतिशत से कम फेरस वाले निम्न ग्रेड के लौह अयस्क, जिसे बड़ी मात्रा में खानों और सेल और टाटा जैसे सभी प्रमुख इस्पात संयंत्रों में रखा गया था, पर्यावरण और प्रदूषण की गम्भीर समस्याएं उत्पन्न हो गयी थी। सौभाग्य से, चीन की इस्पात जिलों ने ब्राजील और आस्ट्रेलिया से हाई ग्रेड कार्गों के साथ मिश्रित करने के लिए इस अपशिष्ट पदार्थ को लेना शुरू कर दिया है। यदि यह शुल्क लगता है, तो पूरा निम्न ग्रेड लौह अयस्क निर्यात अव्यवहार्य हो जाएगा। इस प्रक्रिया से रोजगार की काफी संभावनाएं पैदा हुई हैं, पत्तनों और रेलवे में अवसंरचना को बढ़ावा मिला है, काफी विदेशी मुद्रा अर्जित की जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है इसलिए माननीय

वित्त मंत्री जी को बड़ी संख्या में खान मालिकों और निर्यातकों की दुर्दशा को देखते हुए 64 प्रतिशत फेरस से कम के लौह अयस्क पर लगाये गये निर्यात शुल्क पर पुनर्विचार करना चाहिए। ...*(व्यवधान)* वास्तव में, मैंने 1 मार्च, 2007 को मा. वित्त मंत्री जी को तब पत्र लिखा था जब यह मामला खान मालिकों और निर्यातकों के प्रतिनिधियों द्वारा मेरे समक्ष लाया गया जिसमें उन्होंने इस बात को उजागर किया था कि निम्न ग्रेड लौह अयस्क की लागत (60 प्रतिशत फेरस से कम) 300 रुपये प्रति मीट्रिक टन से भी कम है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मेरे प्रिय मित्र, आपको सारी बातें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने भाषण का शेष अंश सभा पटल पर रख सकते हैं। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आप इस बात को क्यों नहीं महसूस करते हैं?

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप जैसे पार्टी के लोग जानते हैं कि वह इसे भलीभांति सभा पटल पर रख सकते हैं। हर चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम हर दिन यहां रात्रि 9 बजे तक बैठते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: महोदय, मैं सभा के ध्यान में समुद्री विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण मुद्दे को लाना चाहता हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे आंध्र प्रदेश में बनाया जाना चाहिए क्योंकि आंध्र प्रदेश किसी भी दूसरे राज्य से अधिक समुद्र संबंधी संस्थान और सेवाओं का केन्द्र रहा है। आंध्र प्रदेश में 12 पत्तन हैं और 980 किलोमीटर का तटवर्ती क्षेत्र है।

सभापति महोदय: आप कठिनाई महसूस नहीं करते हैं। यह आपके लिए है। आप सत्ताधारी दल से हैं। आपको कठिनाई महसूस करनी होगी। मैं समझ सकता हूं यदि यह विपक्ष ने किया होता तो मैं समझ सकता था लेकिन आपसे नहीं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: हम आपके लिए यहां हैं। आप इसे महसूस नहीं करते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: मैं आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में स्थित कई समुद्री संस्थानों का उल्लेख करना चाहूंगा। वहां ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ईस्टर्न कमाण्ड आफ नेवी, हिन्दुस्तान शिपयार्ड, नेशनल नेवी डिजायन और रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल ओसिनोग्राफी सेंटर और कई अन्य संस्थान हैं ...*(व्यवधान)* आंध्र विश्वविद्यालय में 1968 से समुद्री अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम चल रहा है और इस विश्वविद्यालय ने देश को कई समुद्री इंजीनियर दिये हैं। इन सब सुविधाओं के अलावा, आंध्र प्रदेश सरकार आंध्र प्रदेश में समुद्री विश्वविद्यालय के लिए भूमि संबंधी सुविधा भी प्रदान करने के लिए सहमत हैं। ऐसी परिस्थितियों में, मैं अनुरोध करता हूं कि इसे आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाए ...*(व्यवधान)*

*मैं कृषि के संबंध में कुछ पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं।

वर्ष 2004 में संप्रग सरकार द्वारा सत्ता हासिल करने के पश्चात्, जब किसानों को कृषि ऋण 11 प्रतिशत ब्याज की दर से दिया जाता था, सरकार ने कृषक समुदाय के समक्ष आ रही कठिनाइयों के मद्देनजर कृषि ऋणों की ब्याज की दर घटाकर 7 प्रतिशत कर दी है। मैं संप्रग सरकार से अनुरोध करता हूं कि स्वामीनाथन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार ब्याज की यह दर 7 प्रतिशत से और घटाकर 4 प्रतिशत की जाए। कृषि भारत के विकास का आधारभूत स्तम्भ रहा है। जैसाकि हम सभी को मालूम है कि कृषि क्षेत्र से ही 115 मिलियन परिवारों की आजीविका चलती है।

ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन कोई मामूली सी बात नहीं है। हमें सुधारात्मक कदम उठाने होंगे अन्यथा हमारी वर्षों से चली आ रही आयोजना और सुधारों से अधिक लाभ नहीं मिल पाएगा। इस पृष्ठभूमि में, कृषि बीमा द्वारा खरीफ 2004 से जो मौसम बीमा योजना चलाई जा रही है वह स्वागत योग्य कदम है। इस बजट में, गिरते हुए भूमिगत जल स्तर की दृष्टि से जल संचयन के लिए प्रतिबद्धता है। 70 लाख जल संचयन ढांचे किसानों की भूमि पर सृजित किये जाएंगे जिससे उनके आजीविका में भारी परिवर्तन होगा। सरकार ने घोषणा की है कि वह लघु और सीमान्त किसानों को शत प्रतिशत तथा अन्य को 50 प्रतिशत राजसहायता देगी। आत्महत्या करने वाले किसानों पर विचार करते हुए यह अत्यधिक स्वागत योग्य कदम है।

दूसरी बात, मैं सरकारी-निजी सहभागिता, कृषि उत्पादन में निजी निवेश, फसल कटाई के पश्चात की अवसंरचना, शीत श्रृंखला अवसंरचना और प्रसंस्करण पर बल देता हूं। विश्व अनुमानों से पता चलता है कि 13 बिलियन डालर का उत्पाद फसल कटाई से लेकर बाजार में आने तक बर्बाद हो जाता है और विकासशील देशों में यह अत्यधिक ऊंची है। यद्यपि खाद्य प्रसंस्करण मशीनों पर आयात शुल्क को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है फिर भी यह इस क्षेत्र को उनके आकर्षक बनाने के लिए पर्याप्त

*.....*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री बालासोवरी वल्लभनेनी]

नहीं है। ऋण की दृष्टि से, सरकार ने कहा है कि 50 लाख अतिरिक्त नए किसानों को बैंकिंग क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाएगा यहां, मुझे सन्देह है कि लक्ष्य पर जोर देने के बजाय मुझे आशा है कि नए किसानों को ऋण प्रदान करना सुनिश्चित किये जाने पर अधिक बल दिया जाएगा। चूंकि कृषि में लाभार्जन और उत्पादकता गिर रही है, इसलिए पुरुष बेहतर आजीविका की खोज में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। निजी क्षेत्र की कंपनियों को बढ़ावा देने के कार्य को सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए अन्यथा इससे निरीह किसानों का शोषण होगा। हमारे कृषि विश्वविद्यालय और अनुसंधान केन्द्र निधियों की कमी के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं तथा उन्हें सहायता देकर उनको फिर से पुनर्जीवित किया जा सकता है।

महोदय, अब मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान हथकरघा क्षेत्र जो कि दूसरा सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है तथा जिससे ग्रामीण भारत में कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार मिलता है, को और आकृष्ट करना चाहता हूं। महोदय, छोटे-छोटे समूहों के विकास कार्यक्रम से बुनकर मालिक को लाभ मिलेगा। अक्सर ऐसा होता है कि वित्त की कमी के कारण हथकरघा क्षेत्र के कारीगर बुनकर मालिक के शोषण के जाल में फंसते जा रहे हैं। यदि उन्हें कृषि की तरह ब्याज की निम्न दर पर संस्थागत ऋण मिले, भले ही वह 4% न भी हो, तो इससे उसको कुछ राहत मिलेगी। संस्थागत बैंक उन्हें बुरा ऋण अदाकर्ता मानते हुए उनकी ऋण संबधी मांग को अग्रसारित करने से मना कर देते हैं। जिसके परिणामस्वरूप उसे निजी साहूकारों के दरवाजे पर जाना पड़ता है। इसके कारण अंतत: उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। अत: मैं वित्त मंत्री से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वे हथकरघा कामगारों को निम्न ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराएं।

एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र, ग्रामीण विकास की चर्चा करते हुए मैं महात्मा गांधी के शब्दों—भारत गांवों में रहता है—को दोहराते हुए यह चाहूंगा कि वित्त मंत्री यह महसूस करें कि भारत देश, जिसकी वृद्धि दर 9% है, में एक गरीब 'भारत' भी रहता है जहां उसकी जनसंख्या का 60% भाग निवास करता है।

सीमेंट पर दोहरे कराधान से हमारा आईएवाई जैसा ग्रामीण आवास कार्यक्रम निश्चित रूप से बुरी तरह से प्रभावित होगा। आईएवाई के लिए प्रति मकान लागत अब भी 25,000 रु. है एवं हथकरघा बुनकर के लिए आवास-सह-कार्य शेड की लागत 35,000 रु. है। सीमेंट और स्टील की कीमतों में भारी वृद्धि से आवास एक वास्तविकता नहीं रह गई है तथा यह गरीबों के लिए एक सपना बन कर रह गया है। इस प्रकार, आवास योजनाओं के लिए भी आवंटन में तुरन्त वृद्धि करने की आवश्यकता है। यदि मेरी आशंकाएं सही साबित हुई तो इससे सीमेंट की काला बाजारी भी शुरू हो जाएगी। अत: मेरा वित्त मंत्री और यूपीए सरकार से यह अनुरोध है कि वे कृपया उपर्युक्त आशंकाओं पर विचार करें तथा कृषि एवं हथकरघा क्षेत्रों को और अधिक लाभ प्रदान करने के लिए इन शिकायतों का निवारण करें।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ सामान्य बजट का एक बार फिर समर्थन करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं, क्योंकि इस बजट में आम आदमी का पूरा ध्यान रखा गया है। सामान्य बजट 2007-08 के बारे में बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय: विपक्ष के सदस्य द्वारा अपने भाषण को पढ़ना तो मुझे समझ में आता है। परन्तु आपने तो इसे आद्योपान्त पढ़ा है। इस बात से कोई नुकसान नहीं होगा यदि आप अपने भाषण का एक भाग पढ़ें और फिर उसे सभा पटल पर रख दें। आपको अपना पूरा भाषण पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप महत्वपूर्ण बातों को पढ़ें तथा उसे सभा पटल पर रखें जिससे कि समय की काफी बचत हो सके। सभा की बैठक में बहुत खर्च आता है। इस लम्बी कार्यवाही से राजकोष का धन बर्बाद हो रहा है। यदि आपका सहयोग मिले तो हम इसे कम समय में पूरा कर सकते हैं। भाषण को सभापटल पर रखना उस भाषण को पढ़ने जैसा ही है। यदि हम और आप इसे महसूस नहीं करेंगे, कौन करेगा।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री एक वक्तव्य देने के लिए यहां आएंगे। वह कहीं गए हुए हैं। वह सभा में मौजूद नहीं हैं। इसलिए हमने उन्हें बुलाया है। वे 15 मिनट के भीतर यहां आएंगे। उनके आने तक सभा की कार्यवाही चलते रहने दी जाए।

सभापति महोदय: ठीक है।

अब श्री राम कृपाल यादव बोलेंगे। आपके दल का समय समाप्त हो गया है। परन्तु मैं आपको रियायत के रूप में समय दे रहा हूं। इसलिए संक्षेप में बोलें। आप जब तक चाहें तब तक बोल सकते हैं।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी बड़ी कृपा है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: सभापति महोदय, मैं आम बजट वर्ष 2007-08 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि आम लोगों में इस बात की नाराजगी है कि अप्रत्याशित ढंग से महंगाई दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कई अन्य माननीय सदस्यों ने भी बढ़ती हुई महंगाई के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है। मैं एक बार पुन: कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष गरीबों का देश है, किसान और मजदूरों का देश है। मैं समझता हूं कि महंगाई की वजह से सभी तबकों और वर्गों में नाराजगी है। माननीय वित्त मंत्रीजी अच्छे अर्थशास्त्री, विद्वान और अनुभवी हैं लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों आप लाख प्रयासों के बावजूद भी महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? मैं समझता हूं कि आम लोगों में परेशानी और बेचैनी है। अगर आने वाले दिनों में इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो यह सत्ता पक्ष में बैठे लोगों के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। इसलिए हमें निश्चित तौर इस पर विचार करना चाहिए, गौर करना चाहिए।

हमारा देश किसानों का देश है लेकिन जिस तरह से किसानों को सहायता मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल पा रही है। यह नई बात नहीं है। देश की आजादी को साठ वर्ष हो गए और इन वर्षों में खेत-खलिहान में काम करने वाली 70-75 प्रतिशत आबादी इस पर निर्भर करती है। उन्हें जो सहायता मिलनी चाहिए थी, हमने शायद उस तरफ ध्यान नहीं दिया है और इसी वजह से उत्पादन में कमी हुई है। आज खेतों के प्रति किसानों का और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, उनका मन इससे भाग रहा है, छोटा हो रहा है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आप कोई ठोस उपाय करें। खेत और खलिहान में जो लोग उत्पादन कर रहे हैं, उन्हें उत्पादन का कोई मूल्य नहीं मिल रहा है। वे औने-पौने रेट में बाजार में उपज बेच देते हैं और हमारे देश के कई प्रदेशों में बड़े पैमाने पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

मैं समझता हूं कि जब यूपीए सरकार बनी थी तब लोगों ने बहुत आशा की थी, निश्चित तौर पर एनडीए, पूर्ववर्ती सरकार को लोगों ने रिजेक्ट किया था और हमें सत्ता में बिठाने का काम भरोसे के साथ किया था। उनके भरोसे के अनुसार हम शायद काम नहीं कर पा रहे हैं। यह चिंता का विषय है।

मैं आपका ध्यान सिंचाई की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। देश का किसान किस पर निर्भर करता है? वह खेत-खलिहान पर निर्भर करता है। देश में उत्पादन करने के लिए विभिन्न आयाम हैं जैसे इन्डस्ट्रीज और कई जगह हैं, जहां पैट्रोल और डीजल की आवश्यकता होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता जताई है और विश्वास किया है कि उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन उत्पादन कैसे बढ़ेगा? इस देश का सिंचित भाग मात्र 40 परसेंट है और हमारे प्रदेश बिहार में खेती योग्य सिंचित क्षेत्र 20 प्रतिशत है। हमारे देश में पुराना इन्फ्रास्ट्रक्चर अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है और कैनाल, बड़ी-छोटी नहरें, सब ध्वस्त हो चुकी हैं। हमारा उस तरफ ध्यान नहीं गया है। हमारी उत्पादन करने की क्षमता सिंचाई पर निर्भर करती है। सिंचाई के लिए डीजल, पैट्रोल से ज्यादा पानी की आवश्यकता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है और विश्वास दिलाया है कि क्षमता बढ़ेगी, अगर पानी सुलभ और सहज रूप से खेत-खलिहान में चला जाए तो मैं समझता हूं कि उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी। अगर सिंचाई की क्षमता बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, सिंचाई की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, तो हम कैसे उत्पादन क्षमता बढ़ाएंगे? कुछ वर्षों से ईश्वर की कृपा बनी रही है कि कभी बाढ़ आ रही है तो कभी सुखाड़ आ रहा है। बिहार में लगभग 16 ऐसे जिले हैं जो सुखाड़ की चपेट में आते हैं और लगभग 20 जिले बाढ़ की चपेट में आते हैं। सुखाड़ और बाढ़ दोनों की मार बिहार में पड़ती है। वहां की स्थिति बहुत खराब हो रही है। बाढ़ के आने से करोड़ों रुपये की इन्फ्रास्ट्रक्चर की क्षति होती है। माननीय वित्त मंत्री जी से आशा की जा रही थी कि बिहार के लिए स्पेशल कम्पोनेंट देने की व्यवस्था करेंगे। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि आपने पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में बिहार की तरफ अपनी नजर रखी है और निश्चित तौर पर विभिन्न योजनाओं में आपने राशि आवंटित करने का काम किया है। लेकिन झारखंड के अलग हो जाने के बाद बिहार की स्थिति और खराब हो गई है। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो स्थिति है, उसके कारण भी उनकी स्थिति खराब हो गई है।

सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रति व्यक्ति आय के कुछ आंकड़े सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि बिहार के लोगों की क्या स्थिति है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय की दर बहुत खराब है। बिहार में यह 6015 रुपये है, पंजाब में 25855 रुपये है। महाराष्ट्र में 26386 है, पश्चिम बंगाल में 18775 रुपये है, उड़ीसा में 10340 रुपये है और आसाम में 11775 रुपये हैं। अब यह सोचना पड़ेगा कि आज बिहार, असम और उड़ीसा से भी पीछे हैं। हम इस बात को जानते हैं कि बिहार और असम की स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने हमें निराश करने का काम किया है। पूर्ववर्ती एन.डी.ए. की सरकार में एक कमिटमैन्ट किया गया था कि झारखंड के अलग होने के बाद हम बिहार को स्पेशल कम्पोनेन्ट देंगे। लेकिन वह सिर्फ वायदा ही रहा, वायदे को निभाने का काम नहीं किया गया। इस सरकार से आशा की जाती थी कि वह निश्चित रूप से इस तरफ ध्यान देगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मेरे प्रिय मित्र, पहले मेरी बात सुन लें और फिर बोलिए। आपके दल को 41 मिनट का समय आवंटित किया गया था। आपके दल के दो माननीय सदस्यों ने पहले ही एक घंटा और चालीस मिनट का समय ले लिया है यहां बहुत देर तक रहना बहुत मुश्किल होगा। कुछ देर तक बैठना तो समझ में आता है। मैं आपको दो मिनट का ही समय दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: यह बात मैं जानता हूं कि हमारी पार्टी का समय खत्म हो गया है। लेकिन जब तक आपकी विशेष कृपा नहीं होगी, मैं अपनी भावनाओं को सदन में नहीं रख पाऊंगा। यह नियम सभी पार्टियों पर लागू होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इतने महत्वपूर्ण सवाल पर अपनी भावनाओं को व्यक्त न करूं तो मैं बैठ जाता हूं। आज वायदा बाजार की चर्चा बहुत जोरों पर है, आपने वायदा बाजार ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राम कृपाल यादव: केवल दो मिनट।

सभापति महोदय: हम लम्बे समय तक यहां बैठे नहीं रह सकते। इसकी भी एक सीमा है। मैं यहां तीन घंटे से बैठा हुआ हूं। आप अपना भाषण जारी रखें। मैं आपको दो मिनट का समय देता हूं।

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, कृपया व्यवधान न डालें।

सभापति महोदय: आप भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: आप जिस वक्त कहेंगे मैं बैठ जाऊंगा। मैं बता रहा था कि 9 परसैन्ट ग्रोथ रेट की बात माननीय वित्त मंत्री जी कर रहे हैं। लेकिन यह ग्रोथ रेट किसे समझ में आ रहा है। जो इस देश के गांवों में रहने वाले आम लोग हैं, जिनमें रिक्शे वाले, ठेले वाले, बिस्कुट वाले, चाय वाले आदि लोग हैं, क्या उनकी समझ में ग्रोथ रेट आ रहा है। क्या उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसका आम लोगों को एहसास होना चाहिए कि आपके ग्रोथ रेट से लोगों को फायदा पहुंच रहा है। वित्त मंत्री जी, आप इस देश की जनता को आंकड़ों के जाल से भ्रमित करने का काम मत कीजिए। आप कुछ ठोस काम कीजिए, ताकि आम लोगों तक इसका फायदा पहुंच सके।

आज वायदा बाजार की बात की जा रही है। वायदा बाजार में 112 आइटम्स हैं। इस वायदा बाजार से आपने बहुत मुश्किल के बाद गेहूं और चावल को निकालने का काम किया है। आपने दलहन को नहीं निकाला, आपने महुवा को नहीं निकाला, जो हम लोगों के खाने की चीज है। आपने मोटे अनाजों को इससे निकालने का काम नहीं किया, जिसे आम लोग खाकर अपने पेट भरने का काम करते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है कि आपने इन अनाजों को इससे बाहर निकाला। इससे आम लोगों के मन में यह बात आई है कि निश्चित तौर पर कहीं न कहीं गड़बड़ी है। इन चीजों का वायदा बाजार में होना महंगाई का मूल रूप है। इस देश में दो से तीन एकड़ जमीन रखने वाले लगभग 80-90 प्रतिशत लोग हैं। उन्हें वायदा बाजार से क्या मतलब है। 80 से 90 परसेंट लोग छोटे-छोटे किसान हैं, जिनके पास दो-तीन एकड़ जमीन है, उन्हें वायदा बाजार, फारवर्ड मार्केट से कोई मतलब नहीं है। वे लोग रोजाना अपना सामान बेचते हैं और रोजाना अपना पेट भरते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उन्हें आप वायदा बाजार से निकालने का काम कीजिए। अब स्पेसिफिक प्वाइंट रखकर अपनी बात समाप्त करके मैं बैठ जाऊंगा आपका निर्देश हो रहा है और आप चाहते भी हैं कि मैं जल्दी बैठ जाऊं, इसलिए मैं जल्दी बैठ जाऊंगा।

महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि निश्चित तौर पर जो आज हमारी अर्थव्यवस्था है, वह बिल्कुल चरमरा गई है और किसान के अलावा आम लोग भी परेशानी की हालत में है। मैं समझता हूं कि हमें उन्हें इस परेशानी की हालत से निकालना चाहिए। जो पिछड़े राज्य हैं, उनके बारे में बजट की जो एप्रोच है, प्लानिंग कमीशन जो नीति निर्धारित करती है, राज्यों के प्लान के आकार पर राज्यों को आर्थिक संशोधन करना पड़ता है। वे राज्य जिनके पास कोई आर्थिक संशोधन नहीं हैं, उसे आप उसी कलम से, उसी दिमाग से आंकने का काम कीजिएगा, जो संपन्न प्रदेश के लिए करते हैं। पिछड़े राज्यों को पैसा नहीं मिलता है। आप जो प्लानिंग करते हैं, उसका एक क्राइटीरिया होता है। आप पिछड़े राज्यों का फॉर्मूला चेंज करिए। आप आजादी, पिछड़ेपन और आवश्यकता के आधार पर तय कीजिए और प्लान बनाइए तभी उनको कुछ राशि अधिक मिल सकती है नहीं तो पिछड़ा राज्य पिछड़ा ही रह जाएगा और अग्रणी राज्य और आगे हो जाएंगे। इसीलिए बिहार, असम और उड़ीसा जैसे प्रदेश परेशानी की हालत में हैं। बड़े पैमाने पर काला धन है। ...*(व्यवधान)*

सर, मुझे दो मिनट दीजिए। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं उठा रहा हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे देश में आज बड़े पैमाने पर काला धन है। छोटे-छोटे किसान और गरीब तबके के

जो लोग हैं, छोटे-छोटे उद्योग में जो पैसा लगाने वाले लोग हैं, उनके लिए सारे कानून हैं। बैंक उनकी प्रोपर्टी सीज करेगा, उनके ऊपर केस दायर करेगा लेकिन जो बड़े लोग हैं, जिन्होंने लोन ले रखे हैं, बड़े-बड़े जो उद्योगपति हैं, वे लोन तो ले लेते हैं, डीफॉल्टर हो जाते हैं मगर वे सैटलमेंट कर लेते हैं और गवर्नमेंट और बैंक उनको माफ कर देती है। फिर उसी उद्योगपति को या जो उनके समानांतर कंपनियां हैं, उनको दुबारा राशि आवंटित करने का काम करती हैं। हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं और इसका उत्तर वित्त मंत्री जी से चाहते हैं कि देश में कितना रुपया काला धन है और काला धन निकालने के लिए कौन से उपाय किये गये हैं।

आज हसन अली जैसे लोगों के खाते में 35,000 करोड़ रुपया है। किसी को मालूम ही नहीं है। हवाला इत्यादि चीजों पर आप रोक लगाने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं, आप अपनी नीति बना रहे हैं जिसकी वजह से हसन अली जैसे लोग पैदा न हों? मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में एक हसन अली नहीं होगा बल्कि कितने हसन अली होंगे जिनके पास 35,000 करोड़ रुपये होंगे लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। आपकी नीति है कि जो आपका सामान थ्रू मॉरिशियस ले जाता है, उसका टैक्स माफ कर देते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त करें। आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव: यह मेरी अंतिम बात है। महोदय, कृपया मेरे साथ सहयोग करें।

...(व्यवधान)

अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश को अगर आगे ले जाना है, आम लोगों को अगर आगे ले जाना है तो ठोस नीति बनानी पड़ेगी वरना जनता हमें माफ नहीं करेगी। जिस तरह से एनडीए के लोगों को, जो इंडिया शाइनिंग वाले लोग थे, उनको लोगों ने खत्म किया। हम भले ही संकल्पित हैं कि भारत निर्माण करेंगे लेकिन भारत का निर्माण किस तरह से करेंगे? क्या आम लोगों को भूखा रखकर, उन्हें परेशानी में डालकर हम भारत का निर्माण करेंगे? खेत और खलिहान में काम करने वाले लोगों को मारकर आप चाहते हैं कि इस देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेंगे तो यह होने वाला नहीं है।
...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: जब तक इस देश के आम लोग, इस देश के खेत और खलिहान में काम करने वाला मजदूर, किसान आम लोग खुशहाल नहीं होंगे, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। इसके लिए आपको नीति बनानी होगी। इसके लिए आपको गांवों की तथा गरीबों के लिए नीति बनानी पड़ेगी। इस देश में बड़े पैमाने में काला धन है, उसे निकालकर आपको आम लोगों के सामने लाना पड़ेगा। चाहे कोई कितना भी बड़े से बड़ा आदमी है, उसके लिए आपको कठोर निर्णय भी लेना पड़ेगा। आप जब तक भय पैदा नहीं करियेगा, तब तक देश का कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने आपको संभालकर रखिए नहीं तो जनता हमें संभाल देगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, इस बजट का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री सरताज सिंह (होशंगाबाद):** माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2007-08 के बजट पर जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सबसे अधिक चिंता व्यक्त की गयी है अर्थात कृषि क्षेत्र, उस पर ही अपने विचार रखूंगा। जहां तक जीडीपी ग्रोथ, मैनुफेक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ, सर्विस सेक्टर ग्रोथ का प्रश्न है, प्रगति संतोषजनक है, लेकिन कृषि उत्पादन में संतोषजनक प्रगति न होना महंगाई के बढ़ने का कारण बना हुआ है तथा देश की 60 प्रतिशत आबादी जो कृषि कार्य पर आधारित है, का जीवन कष्टदायक हो रहा है। यह स्थिति विगत कई वर्षों से चल रही है। कृषि उत्पादन मौसम पर आधारित रहने के कारण अनिश्चितता की स्थिति में रहता है। इस स्थिति से संरक्षण देने हेतु एन.डी.ए. सरकार द्वारा कृषि बीमा योजना लागू की गयी थी लेकिन उस में विसंगति यह थी कि नुकसान की इकाई ब्लॉक को माना गया था, जो बाद में ग्राम पंचायत कर दिया गया। लेकिन न्याय की दृष्टि से यह भी उचित नहीं है। जब बीमे का प्रीमियम व्यक्ति के आधार पर लिया जाता है तो नुकसान का आकलन भी व्यक्ति के आधार पर होना चाहिए।

किसान को सुविधा से ऋण मिल सके इस हेतु एन.डी.ए. सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्य योजना लागू की गयी थी। इस योजना के विस्तार की आवश्यकता है। यह सराहनीय है कि तीन

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री सरताज सिंह]

वर्षों में कृषि ऋण को दुगना करने के लक्ष्य को आपने 2 वर्षों में पूर्ण कर लिया तथा 2007-08 में यह वर्तमान 1,90,000 करोड़ से बढ़कर 2,25,000 करोड़ हो जायेगा तथा इससे बचे 50 लाख किसान लाभान्वित होने लगेंगे। लेकिन मात्र ऋण की सीमा बढ़ाने से समस्या का निदान नहीं होगा। आज भी किसान कर्ज के बोझ के कारण आत्महत्या करने पर विवश हो रहा है। इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि किसान कर्जे के बोझ से नहीं मरता बल्कि कर्ज के ब्याज से मरता है। कृषि की अनिश्चितता को देखते हुए हम कृषि ऋण के ब्याज की तुलना अन्य उद्योगों से नहीं कर सकते। अत: कृषि ऋण पर अधिकतम ब्याज की सीमा 4 प्रतिशत होनी चाहिए एवं उसकी खेती के रकबे के आधार पर उसकी ऋण सीमा निर्धारित होनी चाहिए। चीन जो हमारी तरह कृषि पर आधारित है वहां किसान आत्महत्या नहीं करता क्योंकि वहां कृषि कर्ज पर ब्याज मात्र 0.54 प्रतिशत है।

कृषि विकास हेतु सिंचाई, सड़क, बिजली आदि पर की गयी बढ़ोत्तरी सराहनीय कदम है। बड़ी संख्या में सिंचाई योजनाएं देश के विभिन्न भागों में आर्थिक अभाव के कारण अधूरी पड़ी हैं जिन्हें पूरा करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

आपने प्लांटेशन सेक्टर में चाय, कॉफी, रबर, मसाले, काजू व कोकोनट का उल्लेख किया है। इसी योजना में टीक वुड एवं पापुलर लकड़ी के पेड़ों का प्लांटेशन भी किया जाना चाहिए। खेत की मेढ़ों पर टीक एवं पापुलर का प्लांटेशन आसानी से किया जा सकता है। आज केवल मेढ़ों पर पापुलर का प्लांटेशन कर जगाधरी (हरियाणा) एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मंडी बन गया है एवं प्लाईवुड का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। इस प्रकार की कार्ययोजना अन्य प्रदेशों के लिए भी बनायी जानी चाहिए।

फर्टिलाइजर पर बहुत बड़ी मात्रा में सब्सिडी उत्पादक फैक्टरियों को दी जाती है लेकिन इसका पूरा लाभ किसानों को नहीं मिलता। इसलिए शीघ्र ही ऐसी योजना बनायी जानी चाहिए जिससे सब्सिडी का सीधा लाभ किसानों को मिल सके।

महोदय, अधिक विस्तार में न जाते हुए केवल निम्न संसाधनों पर विचार हेतु आग्रह करता हूं:

1. कृषि बीमा योजना की इकाई व्यक्ति होना चाहिए।
2. कृषि ऋण पर ब्याज 4 प्रतिशत से अधिक न हो।
3. अधूरी सिंचाई योजनाओं को पूर्ण करने में प्राथमिकता।
4. प्लांटेशन कार्यक्रम में खेत की मेढ़ों पर टीक एवं पापुलर का प्लांटेशन।
5. फर्टिलाइजर सब्सिडी का किसान को सीधा लाभ।

[अनुवाद]

श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक (नागालैंड): सभापति महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट संभाषण में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को छुने का प्रयास किया है लेकिन इस महान सभा में प्रस्तुत किये गये बजट (2007-08) को मैं क्षेत्रीय असंतुलन वाला बजट पाता हूं। ऐसा कहने का बहुत कारण है?

यहां 12 विशेष श्रेणी के राज्य हैं। इन राज्यों को विशेष सहायता दी जाती थी लेकिन इस वर्ष एक भी विशेष सहायता का उल्लेख इस बजट में नहीं किया गया है।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 फरवरी, 2006 को पारित किया गया। यदि केन्द्र सरकार पिछड़े राज्यों का विकास करने के प्रति इच्छुक हैं तो विशेष श्रेणी के सभी राज्य को इस नई योजना के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए।

अपराह्न 5.36 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]

हम हमेशा पूर्वोत्तर विकास के बारे में बात करते रहे हैं और मुझे खुशी है कि और डोनर के प्रभारी मंत्री यहां बैठे हैं। वित्त मंत्री जी ने कहा कि इसके लिए आवंटन को 12,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 14,365 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पूर्वोत्तर हेतु स्वीकृत किये गये 13.80 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। इस बजट में पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कभी-कभी मंत्रीजी धनराशि स्वीकृत कर देने थे लेकिन जब वास्तव में इसके क्रियान्वयन की बात आती है तो वे कहेंगे कि यह धनराशि किस पक्ष में व्यय होगी। वास्तव में वर्ष 2005-06 हेतु स्वीकृत धनराशि को अभी तक जारी नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डोनर मंत्रालय राज्य सराकर से प्राथमिकता सूची आमंत्रित करेगा। राज्य सरकार डोनर मंत्रालय को प्राथमिकता सूची सौंपेगी। उत्तरपूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय इसे पुन: संबंधित मंत्रालय को भेजेगा। संबधित मंत्रालय तकनीकी कारणों से स्वीकृत नहीं करेगा और यह धनराशि व्यपगत हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि उनके लिए बेहतर यही होगा कि वे पूर्वोत्तर के विकास के बारे में बात नहीं करे क्योंकि सभी योजना सिर्फ कागजों पर है और सरकार पूर्वोत्तर के लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रही है। यदि सरकार सचमुच पूर्वोत्तर के विकास की इच्छुक है तो उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय में अनियांत्रिकी स्कंध की स्थापना की जानी

चाहिए। जब परियोजना स्वीकृति के लिए आती है तो प्रश्न पर प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन पूर्वोत्तर हेतु धनराशि स्वीकृति करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता है। यदि आप सचमुच पूर्वोत्तर का विकास करना चाहते हैं तो मैं एक सुझाव दूंगा कि एक सिविल अभियांत्रिकी स्कंध उत्तरपूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय में स्थापित किया जाए जो सभी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करें।

पूर्वोत्तर में नई औद्योगिक नीति के बारे में चर्चा हो रही है। यह उल्लेख किया गया है कि 31 मार्च, 2007 से सरकार पूर्वोत्तर की औद्योगिक नीति की नवीकरण करने जा रही है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम अथवा नागालैंड जैसे राज्यों में जहां बिल्कुल कोई उद्योग धंधा नहीं है तो हम इस नई औद्योगिक नीति को कैसे लागू करेंगे। नागालैंड में मात्र एक रुग्ण एकक तुली पेपर मिल है। राज्य सरकार और मैंने केन्द्र सरकार से इसे पुनरुज्जीवित करने का अनुरोध किया है। लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। यद्यपि राज्य सरकार ने पूर्वोत्तर में एक नई औद्योगिक नीति लाने का निर्णय लिया है। हम इसे वहां क्रियान्वित करें। अत: मैं केन्द्र सरकार को सुझाव दूंगा कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक उद्योग होना चाहिए ताकि नई औद्योगिक नीति को पूर्वोत्तर क्षेत्र में लागू किया जा सके।

सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु औद्योगिक नीति वहां लागू करना चाहती है? क्या उनकी योजना दिल्ली में इसे लागू करने की है। मैं समझता हूं कि यह गलत है।

महोदय, अंत में मुझे एक बात और कहनी है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में है। मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में अंतर्देशी सड़क मार्ग के अलावा परिवहन का कोई दूसरा साधन नहीं है। गत वर्ष के दौरान मात्र 400 किलोमीटर लंबी सड़क का विकास किया जाना था। लेकिन इस वर्ष पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़क क्षेत्र के विकास हेतु बढ़ा हुआ आवंटन 10,671 करोड़ रुपये का है। हमने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क परिवहन मंत्री से पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ और मार्गों की घोषणा करने का अनुरोध किया था। लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। तो हम यह धनराशि कहां खर्च करें। इस धनराशि को व्यय करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। हमारे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक सड़क परिवहन के विकास पर निर्भर करता है। इस बार माननीय वित्त मंत्री जी इसे पर्याप्त धनराशि देने में काफी उदार रहे हैं लेकिन विकास के किसी तरीके के अभाव में हम यह धनराशि कहां व्यय करें। अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह निधियों और पूर्वोत्तर हेतु विकास किये जाने वाले क्षेत्रों के बीच संबंध बनाए।

अपराह्न 5.41 बजे

कार्यमंत्रणा समिति

पैंतीसवां प्रतिवेदन

श्री रूपचंद पाल (हुगली): मैं कार्यमंत्रणा समिति का पैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 5.42 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में 4.3.2007 को फायरिंग की घटना

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): महोदय, मुझे कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम में जो कुछ हुआ है उस पर मुझे वक्तव्य देना है। मेरे पास सूचना नहीं थी। मैं एक बैठक में था और इसके तुरन्त पश्चात् मेरे पास अन्य काम था और मुझे वापस जाना पड़ा।

महोदय, राज्य सभा में सुबह पीठासीन अधिकारी ने मुझे निर्देश दिया कि मैं पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से सूचना हासिल करूं और उस सूचना को सदन को दूं। अत:, मैंने मुख्यमंत्री जी से दूरभाष पर बात थी, गृह सचिव ने मुख्य सचिव से बात की और विशेष सचिव (सुरक्षा) वहां अधिकारियों से बात कर रहे थे। हम उन्हें कह रहे हैं कि वे हमें लिखित में सूचना दें। किंतु संभवत:, पश्चिम बंगाल सरकार के लिये यह संभव नहीं हो पाया कि वह हमें लिखित सूचना दे क्योंकि नंदीग्राम में घटनाएं हुई थीं। वे भी सूचना एकत्र कर रहे हैं। कुछ घायल लोग अस्पताल में हैं। वे सूचना एकत्र कर रहे हैं। किंतु उन्होंने दूरभाष से हमें जो बताया मैं वह सूचना सदन को दे रहा हूं। मुझे उनसे हस्ताक्षरित वह सूचना लिखित में नहीं प्राप्त हुई है।

मुझे बताया गया था कि नंदीग्राम क्षेत्र में दो जगहों के पास काफी संख्या में लोग एकत्र हुए थे और वे कृषि भूमि के अधिग्रहण पर आपत्ति जता रहे थे। वे सड़क और पुलों का निर्माण भी नहीं होने दे रहे थे। वे वहां चल रहे कार्य को बाधित कर रहे थे। अत:, सड़क और पुलों का निर्माण करने के लिए कामगार उस जगह पर जा रहे थे। उन्हें पुलिस का समर्थन भी प्राप्त था।

[श्री शिवराज वि. पाटील]

ऐसा लगता है कि जब वे एक-दूसरे के समीप आये तो कुछ कहासुनी हो गई और एक दूसरे पर पत्थर फेंके गये। मुझे बताया गया कि कुछ गोलीबारी भी हुई। निस्संदेह, मुझे मौखिक रूप से यह भी बताया गया कि बमों और विस्फोटकों जैसी कोई चीज भी फेंकी गई। तब, जैसाकि मुझे राज्य सरकार ने बताया, बचाव में लगी पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा तथा आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। उन्होंने कुछ रबड़ की गोलियां चलाई। बाद में, उन्हें असली गोलियां चलानी पड़ीं। इस प्रक्रिया में, जैसा कि मुझे जानकारी दी गई है, उन्होंने हमें बताया, प्रारंभ में चार लोग मरे थे, किंतु हमें भेजी गई सूचना यह थी कि छह लोग मरे थे और लगभग 20 घायल हुये थे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस वहां मौजूद है और वे हमें बताते हैं कि वहां स्थिति नियंत्रण में है। हमारे पास मात्र यही सूचना है और मैं इसे इस सम्माननीय सदन के मा. सदस्यों को दे रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): सरकार इस बारे में क्या करेगी क्योंकि भूमि अधिग्रहण मात्र पश्चिम बंगाल की ही समस्या नहीं है? ...(व्यवधान) भारत सरकार को हस्तक्षेप करके समस्या को हल करना चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: स्वाईं जी, अभी पूरी इन्फोरमेशन प्राप्त नहीं हुई है, जब पूरी इन्फोरमेशन प्राप्त हो जायेगी, तब आप बात करें।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: हमें जो निदेश होगा हम वही करेंगे। हम वह करेंगे जो आप कहेंगे। अगर निदेश यह है कि हम कुछ और ब्यौरा दें, तो हम ऐसा करेंगे। इस वक्तव्य के माध्यम से मैं आज मा. सदस्यों को तथ्यात्मक जानकारी दे रहा हूं। जहां तक अपनायी जाने वाली नीति का संबंध है, उसकी व्याख्या भूमि अधिग्रहण करने वाले लोगों द्वारा की जा सकती है और वे नीतियां बनाने के जिम्मेदार होंगे। स्वाभाविक रूप से, अगर भारत सरकार से परामर्श किया गया तो वह, अपने विचार देगी और यदि आवश्यक हुआ तो समस्या सुलझाने तथा समस्याओं को हल करने का प्रयास भी करेगी। किंतु, मेरे लिये यह संभव नहीं है कि मैं सूचना देते समय नीतियों पर तुरन्त ही वक्तव्य दूं। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अभी इन्फोरमेशन कलेक्ट की जा रही है, पूरी इन्फोरमेशन कलेक्ट नहीं हुई है। जब पूरी इन्फोरमेशन प्राप्त हो जायेगी, तब आप पूछें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया बैठ जायें। यह स्पष्टवादियों के लिए सही समय नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: हम पश्चिम बंगाल सरकार के व्यवहार से काफी निराश हैं ...(व्यवधान) जो पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है। हम उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इसलिए, हम सदन से बाहर जा रहे हैं ...(व्यवधान)

अपराह्न 5.47 बजे

(इस समय, श्री खारबेल स्वाईं और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

अपराह्न 5.48 बजे

सामान्य बजट, 2007-08—सामान्य चर्चा
लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 2007-08
और
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2006-07

[अनुवाद]

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी): महोदय, मैं मा. वित्त मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम द्वारा घोषित बजट प्रस्तावों का स्वागत करती हूं। यह एक प्रगतिशील, विकासोन्मुखी बजट है जिसका उद्देश्य देश का समग्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना है। यह देश के पहाड़ी, पिछड़े और जनजातीय लोगों के विकास पर बल देगा तथा उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ेगा। पिछड़े क्षेत्रों के लिए आवंटन का 5000 करोड़ रु. से बढ़ाकर 5800 करोड़ रु. करने के सरकार के प्रस्ताव से देश के अन्य पिछड़े क्षेत्रों के साथ-साथ इन क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं में गति आयेगी।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु एक सामाजिक सुरक्षा योजना आरंभ करने और ''आम आदमी बीमा योजना'' नामक एक नई योजना के अंतर्गत ग्रामीण भूमिहीन परिवारों का भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से मृत्यु एवं अपंगता बीमा दायरे में सम्मिलित करने के प्रस्ताव से हमारे देश के ग्रामीण लोगों को फायदा होगा।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं के लिए बजट आवंटन को बढ़ाकर

3271 करोड़ रु. करने की सरकार की घोषणा से बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों को सीधा फायदा होगा और इससे विकास की गति बढ़ेगी।

राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप कार्यक्रम के तहत आवंटन से जनजाति समुदायों के विद्यार्थियों को प्रोत्साहन और मदद मिलेगी जिससे उन्हें अपनी बौद्धिक क्षमता का लाभ उठाने में भी मदद मिलेगी। मैं सरकार को भी बधाई देता हूं कि उसने शिक्षा क्षेत्र में बजटीय आवंटन को 34.2 प्रतिशत बढ़ाया।

मैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को वर्तमान के 200 जिलों से बढ़ाकर 330 जिलों में आरंभ किये जाने के निर्णय का भी स्वागत करता हूं। वर्तमान में, इस योजना के अंतर्गत मात्र दो जिलों को सम्मिलित किया गया है और मैं मंडी, शिमला और कांगड़ा जैसे तीन और जिलों को सम्मिलित करने का अनुरोध करता हूं। मैं सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना हेतु किये गये आवंटन का भी स्वागत करता हूं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह 2,080 करोड़ के प्रारंभिक आवंटन प्रावधान के साथ आवंटन में 12,000 करोड़ रु. की वृद्धि करे। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार मिलेगा। टपका सिंचाई प्रणाली, कृषि फव्वारों पर लगने वाले सीमा-शुल्क में कटौती करने के प्रसव की समूचे देश के किसानों ने काफी प्रशंसा की है। इससे न केवल अधिक भाग पर कृषि और सिंचाई होगी बल्कि पानी भी बचेगा। इससे कृषि उत्पादन भी बढ़ेगा तथा कृषि क्षेत्र में और अधिक विकास को हासिल किया जायेगा।

कच्चे तेल और रिफाईन्ड तेल को अतिरिक्त सीमा शुल्क से मुक्त करने से ये और सस्ते होंगे और औसत मध्यमवर्गीय भारतीय परिवारों की पहुंच में होंगे।

मैं वैट दरों को अप्रैल, 2007 से वर्तमान के चार प्रतिशत से घटाकर तीन प्रतिशत करने का भी स्वागत करता हूं। इससे कीमतें घटेंगी और आम लोगों को राहत मिलेगी ...*(व्यवधान)*

हम गेहूं आयात पर सीमा शुल्क को हटाने और 55 लाख टन गेहूं आयात करने के सरकार के निर्णय का स्वागत करते हैं। यह एफएमसी ने गेहूं, चावल, तूड़ दाल और उड़द दाल पर होने वाले वायदा व्यापार पर प्रतिबंध लगा कर ठीक किया है। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अन्य दालों में भी वायदा व्यापार पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाये क्योंकि यह आम आदमी का प्रमुख आहार है। अत:, ऐसे मामलों में, तनिक भी वायदा व्यापार नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे सट्टा पनपता है जिसके कारण इन वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं।

अंत में, मैं मा. वित्त मंत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत किये गये बजट के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। बजट से पता चलता है कि सामान्य विकास दर नौ प्रतिशत है, विनिर्माण क्षेत्र में विकास दर 11.2 प्रतिशत है, बचत विकास दर 32 प्रतिशत है और निवेश विकास दर 34 प्रतिशत है। विदेशी मुद्रा भंडार 95 बिलियन डॉलर हो गया है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

***डा. अरविन्द शर्मा** (करनाल): महोदय, वर्ष 2007-08 के आम बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सदन में पक्ष और विपक्ष अपने-अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। मेरी मान्यता है कि यह बजट आम जनता के लिए देश के किसान, मजदूर, खेतहिर मजदूर, दलित पिछड़े वर्ग, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी, स्वतंत्रता सेनानी, महिलाओं, बेरोजगारों के लिए हमारी यू.पी.ए. की चेयरपर्सन, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी व प्रधानमंत्री, डा. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में महान देशभक्त स्व. राजीव गांधी के सपनों को साकार करने में तेजी से बढ़ता कदम है।

हर व्यक्ति को हरसंभव सुविधा देना संभव नहीं है और इस बजट में भी कुछ कमियां रह गई हैं। परंतु इस बजट में जो अच्छी बातें हैं, उन्हें उठाना मैं उचित समझता हूं। ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक न्याय अधिकारिता हो या शिक्षा, स्वास्थ्य या विकास का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों के लिए वित्त मंत्री जी ने हरसंभव राशि आवंटित करके किसानों, समाज के कमजोर, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो राहत देने की कोशिश की है, उसके लिए माननीय मंत्री बधाई के पात्र हैं। इसके लिए यू.पी.ए. की चेयरपर्सन, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी एवं माननीय प्रधानमंत्री बधाई के पात्र हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी व यू.पी.ए. की चेयरपर्सन, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने महंगाई को कम करने के लिए पेट्रोल, तेल व गैस की कीमतें न बढ़ाने का निर्णय लिया है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही गरीबों की रोजमर्रा की चीजें जैसे दाल, अनाज की चोर बाजारी पर अंकुश लगाने के लिए सख्त निर्णय लेने चाहिए। जिससे महंगाई पर काबू पाया जा सके। गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए घरेलू गैस का प्रतिबंध हटाया जाना आवश्यक है तथा उन्हें मिट्टी का तेल एवं अन्य घरेलू आवश्यक सामान अधिकतम सब्सिडी देकर उपलब्ध करवाया जाना चाहिए तथा जिन क्षेत्रों में गैस की किल्लत है, उन क्षेत्रों में गैस एजेंसियों की संख्या को बढ़ाया जाना

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[डा. अरविन्द शर्मा]

चाहिए तथा गरीबों को यू.पी.ए. सरकार से बहुत उम्मीद है। अत: गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले गरीबों के लिए गेहूं, चावल, चीनी, दाल, मिट्टी के तेल की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए तथा उनकी कीमतों को कम किया जाना चाहिए।

किसान देश के करोड़ों लोगों का अन्नदाता है, वह पूरे देश का पेट भरता है। उनके लिए अच्छी शिक्षा तथा उनके परिवार के लिए चिकित्सा सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उर्वरक की सब्सिडी को बढ़ाना चाहिए, किसानों को बीज आसानी से सस्ते दामों पर उपलब्ध होने चाहिए, फसलों का उचित समर्थन मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार हो सके। माननीय मंत्री जी किसानों को नई तकनीक के औजारों के लिए अनुदान बढ़ाना चाहिए। आधुनिक कृषि उत्पादन के लिए घरेलू एवं छोटे उद्योगों को चलाने के लिए विशेष प्रशिक्षण एवं सस्ते दरों पर ऋण की सुविधा होनी चाहिए, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। प्राकृतिक आपदाओं, ओलावृष्टि, बाढ़ इत्यादि से किसानों की खड़ी फसलों को अत्यधिक हानि होती है। पिछले दिनों मौसम की अप्रत्याशित बारिश ने उत्तरी भारत में फसलों को जो क्षति पहुंचाई है, उससे किसान अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। इसलिए मंत्री जी से अनुरोध है कि पिछले दिनों घटित प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान रखते हुए किसानों के लिए कोआपरेटिव बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋण माफ कर दिये जाएं। इसके अतिरिक्त आगामी फसलों में बुआई तथा अन्य कृषि सामग्री को उपलब्ध कराने के लिए कोआपरेटिव बैंक तथा अन्य किसान समितियों द्वारा किसानों को विशेष सब्सिडी दी जाए, ताकि पिछली फसल में हुए उनके नुकसान की भरपाई हो सके।

आगामी कामनवेल्थ खेलों को लेकर दिल्ली राजधानी पर पूरे विश्व की नजर है। इस संबंध में विभिन्न देशों से आने वाले राजनीतिज्ञ, खिलाड़ियों, पत्रकारों तथा खेल समर्थकों की सुविधाओं के विषय में हमें अभी से विचार करना पड़ेगा। इस क्षेत्र में हमारे सुनियोजित कार्यक्रम न केवल विश्व के अन्य देशों में हमारे देश का सम्मान बढ़ायेंगे, बल्कि उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर होना हमारे देश की प्रगति का द्योतक होगा। मेरा मानना है कि केवल दिल्ली क्षेत्र को विकसित करने से हम कामनवेल्थ खेलों की तैयारी पूरी नहीं कर सकते। अत: हमें एन.सी.आर. का दायरा 150 किलोमीटर तक बढ़ाना चाहिए, इसे हरियाणा में करनाल तक किया जाए तथा इसमें ज्यादा से ज्यादा धन उपलब्ध करवा कर उसमें मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, यातायात, परिवहन, सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा का व्यापक विकास किया जाए।

पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी, डा. मनमोहन सिंह जी ने पानीपत में नेशनल ऐलिवेटिड हाईवे के शिलान्यास के अवसर पर तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की उपस्थिति में कल्पना चावला मेडिकल कालेज की करनाल में स्थापना की घोषणा की थी। हरियाणा में केवल रोहतक में एक मेडिकल कालेज है और आसपास के गरीबों को इलाज के लिए दूर चंडीगढ़ या रोहतक जाना पड़ता है। अत: उक्त घोषणा को ध्यान में रखते हुए कल्पना चावला मेडिकल कालेज के निर्माण के लिए धन अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर, सोनीपत आदि जिलों के गरीब, किसान, मजदूरों तथा अन्य मरीजों का इलाज हो सके।

पिछले दिनों माननीय मंत्री जी स्वयं आप तथा पेट्रोलियम मंत्री, श्री मुरली देवड़ा, श्री दिनशा पटेल, माननीय मुख्यमंत्री, श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की उपस्थिति में राष्ट्र को नया नाफ्था प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है। पेट्रोलियम के क्षेत्र में राष्ट्र को भारी निवेश तथा रोजगार की बहुत संभावनाएं हैं। हरियाणा में पानीपत औद्योगिक नगरी है तथा यहां रिफाइनरी भी स्थित है तथा यह पेट्रो हब बनने जा रहा है। अत: आपसे अनुरोध है कि 2007-2008 के वित्त वर्ष में पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रो-रसायन निवेश के क्षेत्र में पानीपत को आवश्यक रूप से रखा जाए, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सके तथा किसानों को उचित मुआवजा तथा क्षेत्र का विकास हो सके।

माननीय मंत्री जी बजट में जो तमाम जनहित के कार्य हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं और अपने सुझावों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर): महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी सदन में वर्ष 2007-08 का जो बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, वह काफी निराशाजनक है। इस पर नजर दौड़ाने से ऐसा लगता है कि आर्थिक समृद्धि रूपी वृक्ष की जड़ को काटने और उसकी पत्तियों पर पानी की फुहार छिड़कने की कोशिश की गई है। बजट में किसानों के ब्याज, होटल, कारपोरेट जगत और उद्योगों को छूट दी गई है। इसी तरह बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए ठोस एवं कारगर कदम नहीं उठाया गया है। मुद्रास्फीति की चर्चा तो की गई है लेकिन उसे कम करने का कारगर उपाय नहीं किया गया है जिससे महंगाई पर अंकुश लग सके। बजट प्रस्ताव के प्रारंभ में वित्त मंत्री जी ने अपने ही हाथों अपनी तथा अपनी सरकार की पीठ थपथपाने की कोशिश करते हुए कहा है कि वर्ष 2006-07 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत हो गई है। इस सरकार के तीन वर्षों के कार्यकाल में विनिर्माण क्षेत्र में

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

11.3 फीसदी और सेवा क्षेत्र में 11.2 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है लेकिन मैं वित्त मंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पीठ थपथपाने के बाद सरकार के मुंह पर तमाचा मारते हुए इस हकीकत को भी स्वीकार किया है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र की औसत वृद्धि दर 2.3 प्रतिशत का अनुमान है जो 4 प्रतिशत के वांछित स्तर से कम है, अर्थात् करीब आधा है।

मान्यवर, हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि जब तक कृषि क्षेत्र का विकास दर नहीं बढ़ेगा, तब तक देश की आर्थिक विकास दर भी नहीं बढ़ेगी। जो कृषि हमारे आर्थिक विकास की रीढ़ है, हम उसे ही कमजोर करते जा रहे हैं। अपने बजट प्रस्ताव में वित्त मंत्री जी ने कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दिये जाने की बात कही है और कुछ लंबी चौड़ी घोषणाएं भी की हैं। लेकिन किसानों का भला कैसे होगा, कृषि का उत्पादन कैसे बढ़ेगा, इसका कोई ठोस उपाय नहीं किया गया है। कृषि ऋण की बढ़ोत्तरी इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। बजट प्रस्ताव में कहा गया है कि वर्ष 2007-08 के लिए कृषि ऋण के रूप में 2,25,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो गत वर्ष की तुलना में 50 हजार करोड़ रुपये अधिक है। इसी तरह 50 लाख नए किसानों को बैंकिंग प्रणाली में शामिल करने की बात भी की गई है। अर्थात् 50 लाख और किसानों को कर्जदार बनाया जाएगा ताकि आगे चलकर इनमें से 5000 आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएं। यह गंभीर चिंता का विषय है कि एक तरफ बैंकों के माध्यम से कृषि ऋण की बढ़ोत्तरी जारी है, वहीं किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि भी जारी है। किसान जब कर्ज के बोझ से दब जाता है तो उसके सामने कोई दूसरा विकल्पन हीं होता। मुझे आश्चर्य है कि वित्त मंत्री जी के राज्य में इस तरह की घटनाएं अधिक होती हैं लेकिन वह इसका अभी तक सही निदान नहीं ढूंढ़ पाए हैं। आप कृषि ऋण बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन बैंकिंग प्रणाली में सुधार और संशोधन की बात नहीं सोच रहे हैं। एक तो बैंकों के नियम इतने जटिल हैं कि छोटे और अनपढ़ किसान जरूरी दस्तावेज जमा नहीं कर पाने के कारण इसका लाभ नहीं उठा पाते। दूसरी ओर, कृषि कार्य के लिए जो बैंक ऋण दिया जाता है, उस पर सामान्य ब्याज नहीं लगता है जैसाकि व्यवसाय और उद्योग में लगाया जाता है। किसानों को चक्रवृद्धि ब्याज चुकाना पड़ता है।

मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कभी इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है कि बैंकों की कर्ज वसूली का आसान शिकार किसान ही क्यों बनता है? मामूली धनराशि के लिए उन्हें तरह-तरह से प्रताड़ित करके आत्महत्या तक के लिए मजबूर कर दिया जाता है। वहीं देश के लगभग 12000 बड़े उद्योगपति, कंपनियां और व्यवसायी सार्वजनिक बैंकों के एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि हजम कर गए हैं, लेकिन बैंकों के हाथ उनके लिए छोटे पड़ गए हैं। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए यदि देश के सभी किसानों का संभव न हो सके तो कम से कम 5 हैक्टेयर तक की जोत वाले किसानों के कृषि ऋण को माफ करने की घोषणा करें। भले ही उन योजनाओं के मद में कटौती करनी पड़े जो जमीन की जगह कागजों पर अधिक चल रही हैं और जिनके परिणाम उत्साहजनक नहीं रहे हैं। जिस देश की लगभग 70 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर हो और इतनी ही आबादी गांवों में बसती हो, वहां गांव-गरीब तथा खेती-किसान का भला किये बिना भारत निर्माण का सपना अधूरा ही रहेगा। बजट प्रस्ताव में दालों का उत्पादन और उत्पादकता नहीं बढ़ने पर चिंता प्रकट की गई है। जाहिर है कि सरकार को अभी तक इस विषय पर कोई चिंता नहीं थी। पिछले 40 वर्षों से दलहन की पैदावार 130 से 135 लाख टन के आसपास टिकी हुई है। यही हाल तिलहन उत्पादन का भी है। ऐसी हालत में घरेलू मांग के लिए आयात निर्भरता बढ़ती जा रही है। इसके स्थायी समाधान की बात न सोचते हुए बजट में दालों, तिलहन और खाद्य तेलों के आयात को सस्ता बनाने का प्रावधान किया गया है।

इससे बड़ी विडम्बना और क्या हो सकती है कि कृषि प्रधान देश होने के बावजूद आजादी के 60 वर्षों बाद भी अभी तक केवल 40 फीसदी कृषि योग्य भूमि में सिंचाई की व्यवस्था हो सकी है। मौजूदा बजट में इस समस्या के स्थायी समाधान की व्यवस्था न करके सिंचाई के फौरी तरीके अपनाए गए हैं। देश की अनेक बड़ी सिंचाई परियोजनाएं लंबे समय से ठप्प पड़ी हुई हैं लेकिन उन्हें पूरा कराने की व्यवस्था बजट में नहीं है। इसी तरह नदियों को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी योजना का कोई उल्लेख तक नहीं किया गया है। बजट प्रस्ताव में भारत निर्माण और अग्रगामी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवर्ष 15 लाख ग्रामीण घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए 4040 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसमें जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार को ध्यान में नहीं रखा गया है। देश की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए इंदिरा आवासों के निर्माण की संख्या कम से कम दोगुनी बढ़ाई जाए। बजट प्रस्ताव में सामाजिक सुरक्षा की केवल चर्चा की गई है और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के सामाजिक सुरक्षा योजना को फिर से कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। कृषि श्रमिकों को राहत देने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और बाल श्रमिकों की कोई सुधि तक नहीं ली गई है। सर्वाधिक आश्चर्यजनक बात

[श्री हरिकेवल प्रसाद]

तो यह है कि बेरोजगारी उन्मूलन की बजट में कोई चर्चा तक नहीं करते हुए सामाजिक सुरक्षा की अविवेकी कल्पना की गई है। आज देश में शिक्षित बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही है। अपने अनिश्चित भविष्य को लेकर आज की युवा पीढ़ी निराश और कुंठाग्रस्त होकर अपराध और हिंसा का मार्ग अपना रही है। कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों के अभाव में ग्रामीण युवकों का शहरों की ओर पलायन जारी है। ऐसी हालत में जब तक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, कृषि मजदूरों, बाल श्रमिकों तथा बेरोजगार युवकों की समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो जाता, तब तक सामाजिक सुरक्षा की बात करना बेमानी होगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से मांग करता हूं कि वह शिक्षित बेरोजगारों को जब तक काम नहीं मिल जाता, तब तक के लिए बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की व्यवस्था करें। उत्तर प्रदेश की सरकार पिछले एक वर्ष से स्नातक बेरोजगारों को 500 रुपये महीना भत्ता दे रही है और उसकी वित्तीय व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन इसके लिए सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति चाहिए। कुल मिलाकर इस बजट में खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता, मुद्रास्फीति पर अंकुश, मंहगाई पर रोक और गरीबों की दाल-रोटी तथा आवास पर कम ध्यान गया है तथा पालतू जानवरों तथा गैर-जरूरी मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया गया है। अंत में इस बजट प्रस्ताव में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा:

इस दौर-ए तरक्की के अंदाज निराले हैं,
जेहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले है।

श्री गणेश सिंह (सतना): माननीय सभापति महोदय, मैं आम बजट पर दो बातें कहना चाहता हूं। यू.पी.ए. सरकार का यह चौथा आम बजट है, जिस पर बहस हो रही है। पूरे देश के सभी वर्गों में इस बजट से भयंकर निराशा हुई है। हमारे देश को उस दिन बड़ी खुशी हुई थी, जब देश के महान् अर्थशास्त्री डा. मनमोहन सिंह ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। दूसरी खुशी तब हुई थी, जब देश के वित्त मंत्री के रूप में माननीय पी. चिदम्बरम जी ने शपथ ली और तीसरी खुशी उस दिन हुई जब योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में श्री मोटेंक सिंह अहलूवालिया जी को शपथ दिलाई गई। इनसे देश के लोगों को इतनी ज्यादा उम्मीद थी कि ये तीनों अर्थशास्त्री देश को सही दिशा में ले जाने का काम करेंगे लेकिन दुर्भाग्यवश इस सरकार के चौथे बजट से भी ऐसा नहीं हो सका और देश के सभी तबके भयंकर निराश हुए हैं।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि देश के प्रमुख औद्योगिक संगठन, चाहे फिक्की हो, एसोचैम हो या सी.आई.आई. हो, सभी ने निराशाजनक बजट कहा है। इसी प्रकार जितने भी मजदूर संगठन हैं, वे सब बजट की आलोचना कर रहे हैं। सारे के सारे किसान संगठन दुखी हैं। यहां तक कि राजनीतिक दल भी, जो सत्ता पक्ष के सहयोगी हैं, वे भी दुखी मन से इस बजट की बहस में हिस्सा ले रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं, लेकिन विरोध भी भयंकर रूप से दिखा रहे हैं।

महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि यूपीए सरकार इस देश को क्या दे रही है? 110 करोड़ की आबादी वाला यह देश है। इस देश का बजट बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम दुनियां में इस देश को मुकाबले में कहां ले जा रहे हैं? इसी सदन में कहा गया था कि "कौन बनाता हिन्दुस्तान, भारत का मजदूर-किसान" आज इस बजट में मजदूर-किसान कहां दिख रहा है? मजदूर आज न्यूनतम मजदूरी के लिए परेशान है। वह दिन भर काम करता है, उसे पूरी मजदूरी नहीं मिल रही है। किसान आत्महत्या कर रहा है। जो किसान अन्नोत्पादन करके देश का पेट भर रहा है, और खुद वह इतना दुखी है कि कुछ कर ही नहीं पा रहा है। किसान तो बुरी तरह से कर्ज के बोझ से लदा हुआ है। जो थोड़ी बहुत फसल अपनी मेहनत से पैदा करता है, वह कभी प्राकृतिक आपदा, कभी बाढ़, कभी सूखे और कभी ओले की वजह से नष्ट हो जाती हैं। अभी हाल ही में दो-तीन दिन से लगातार देश के कई हिस्सों में भयंकर ओलावृष्टि हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हम किसान की फसलों को सुरक्षित रखने के उपाय नहीं खोज पा रहे हैं? हम बराबर कहते रहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार खेती है। अगर खेती अर्थव्यवस्था का आधार है, तो हमें फसल की रक्षा करनी चाहिए। जो राष्ट्रीय फसल बीमा योजना बनी हुई है, उसका किसी भी प्रकार के लाभ किसानों को नहीं मिलता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो ग्रोथ रेट आप बता रहे हैं, मैं ग्रोथ रेट के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी कहते हैं कि हमने वृद्धि दर 8.6 परसेंट बढ़ाई है और इसी तरह से विनिर्माण में 11.3 प्रतिशत की वृद्धि दर बता रहे हैं। लेकिन जब वृद्धि दर बढ़ रही है तो ये मुद्रास्फीति क्यों बढ़ रही है। आप मुद्रास्फीति पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। चीजों के दाम भी आप कम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक 14 दिन पहले इसी सदन में बजट प्रस्तुत किया गया था। मैं पूछना चाहता हूं कि किसी एक चीज का दाम भी अगर घटा हो, तो मुझे बताएं। एक भी वस्तु का दाम कम नहीं हुआ। आज के अखबार में मैं पढ़ रहा था कि प्याज का दाम 19 रुपये किलो हो गया है। जब किसान के खेत में प्याज पैदा हुआ था, तब उसका क्या दाम था? आज अचानक प्याज का दाम क्यों बढ़ गया? सारी चीजों के दाम एक-एक करके आसमान छू रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपकी पार्टी का समय समाप्त हो गया है, आप अपनी स्पीच को सदन के पटल पर रख दीजिए।

श्री गणेश सिंह: महोदय, मैं कुछ बातें कह कर बाकी स्पीच ले कर दूंगा। सकल घरेलू उत्पाद की बड़ी दुहाई दी जा रही है, मुद्रास्फीति की कोई चिन्ता नहीं है, महंगाई पर रोक नहीं लगाई जा सकी है, किसानों की आत्महत्याएं नहीं रोकी जा सकी तथा उनकी उपज का लाभकारी मूल्य हम आज तक किसानों को नहीं दे पाए हैं, रोजगार के अवसर दिनों-दिन घट रहे हैं, आखिरकार यह सब क्या हो रहा है? 100 में से 70 बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़कर घर बैठ रहे हैं। किसानों की फसलों की बीमा इकाई आज तक पटवारी हल्का नहीं हो पाई। उनकी फसल को कोई भी सिक्योरिटी हम आज तक नहीं दे सके हैं, देश के सभी गांवों में आज तक पीने का पानी नहीं दे सके हैं। बड़ी चर्चा होती है कि हमने विद्युतीकरण के मामले में देश के सभी हिस्सों को जोड़ दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह का कोई उदाहरण है। देश के 6.5 लाख गांवों में आज भी 25 से 30 प्रतिशत गांवों ...*(व्यवधान)* में विद्युत नहीं है।

सभापति महोदय: अपनी लिखित स्पीच सदन के पटल पर रख दीजिए, यह प्रोसीडिंग का भाग बन जाएगी।

श्री गणेश सिंह: महोदय, अन्त में एक निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। इस बजट पर बहुत सी बातें कहनी थीं, लेकिन समयाभाव के कारण मैं अपनी बातों को पूरा नहीं कर पा रहा हूं और ये बातें लिखित रूप में सदन के पटल पर रखने की आपसे अनुमति चाहता हूं।

*महोदय, बजट से सभी वर्गों में व्यापक निराशा है। देश भर में इस बजट की आलोचना हुई है तथा सत्ता दल के सहयोगी दलों ने भी जमकर आलोचना की है। देश के प्रमुख औद्योगिक संगठन एसोचैम, फिक्की, आई.सी.आई.आई. देश के किसान, मजदूर, लघु उद्योग, डाक, आंगनवाड़ी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे छोटे कर्मचारी सभी निराश हुए हैं।

- देश के 20 करोड़ से अधिक लोग एक टाइम खाना खाने के लिए मजबूर हैं। गरीब का भूखा बच्चा मां का तमाचा खाकर सोता है वहीं दूसरी तरफ बजट में पालतू कुत्ते एवं बिल्लियों के भोजन सस्ता किया जा रहा है।
- यूपीए सरकार ने 3 वर्षों में औसत वृद्धि दर 8.6 प्रतिशत बताया है। वहीं उन्होंने विनिर्माण क्षेत्र वृद्धि 11.3 प्रतिशत बताई है।
- यदि सकल घरेलू उत्पाद में लगातार वृद्धि हो रही है तो मुद्रास्फीति क्यों बढ़ रही है जो 5.4 प्रतिशत है।
- महंगाई पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है।
- किसानों की आत्महत्या क्यों नहीं रुक पा रही है।
- फसलों का लाभकारी मूल्य किसानों को क्यों नहीं मिल पा रहा है।
- रोजगार के अवसरों में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है।
- आबादी के अनुपात में गांव में अस्पताल क्यों नहीं खुल पा रहे हैं।
- 100 में 70 बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ने के लिए क्यों मजबूर हैं।
- असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी क्यों नहीं मिल पा रही है।
- किसानों के फसलों की बीमा इकाई तहसील से घटाकर किसान के खेत को क्यों नहीं बनाया जा रहा है।
- देश के सभी गांवों को शुद्ध पेयजल अभी तक क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया।
- लघु एवं खादी ग्रामोद्योग क्यों कमजोर हो रहे हैं
- आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए स्वरोजगार के लिए अभी तक कोई ठोस नीति का निर्धारण क्यों नहीं किया गया।
- देश में वास्तविक रूप से गरीब परिवारों की पहचान ठीक से आज तक क्यों नहीं की गई।
- शिक्षा में व्याप्त असमानता क्यों खत्म नहीं हो रही है।
- शिक्षा का व्यावसायीकरण क्यों नहीं रुक रहा है।
- शिक्षा को अमीरी एवं गरीबी में बांटने से क्यों नहीं रोका जा रहा है।
- देश में विद्या भारती 30 हजार विद्यालय खोलकर 33 लाख बच्चों को एक लाख आचार्यों से देशानुराग, चरित्र संस्कार तथा समरसता से परिपूर्ण शिक्षा देकर राष्ट्रीय योगदान देने के बाद भी बदनाम किया जा रहा है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में गिरता हुआ शिक्षा का स्तर क्यों नहीं सुधर रहा है।

..... भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री गणेश सिंह]

- यह बजट पूर्णत: उत्साहहीन है।
- वित्त मंत्री ने भारत निर्माण पर बड़ा जोर दिया है।
- इसमें उन्होंने रोजगार गारंटी योजना 200 जिलों में बढ़ाकर 330 जिलों में कर दिया है।

लेकिन इस योजना में जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं उन्हें दूर करने का कहीं कोई प्रावधान नहीं है जैसे:

- उक्त योजना में एक भी पढ़ा-लिखा व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा है।
- काम करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है।
- उक्त योजना में पक्के कार्यों के लिए कम से कम 50 प्रतिशत का प्रावधान होना चाहिए।
- प्रत्येक जिलों के पास अग्रिम रूप से राशि की व्यवस्था होनी चाहिए जो कि अभी नहीं है।
- इस योजना में लगातार प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित जिलों में 100 दिन की सीमा समाप्त करनी चाहिए।

राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का कार्य समाप्त हो रहा है लेकिन राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति अत्यंत खराब हो रही है।

- मध्य प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7, 75 तथा 85 की इतनी हालत खराब है कि लगता ही नहीं कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग हैं।
- वित्त मंत्री जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधा बढ़ाने की बात की है।
- लेकिन शायद वे भूल गये कि विगत कई वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में नये अस्पताल नहीं खोले गये। जबकि 2001 का जनसंख्या सर्वे आ गया है।
- देश के 5 हजार से अधिक आबादी वाले गांव तथा 15 से 20 किलोमीटर की दूरी के क्षेत्र में भी कोई अस्पताल नहीं है।
- शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है जिससे बेरोजगारी, बुनियादी सुविधाओं की कमी दिनोंदिन होती जा रही है और मंत्री जी ने प्रावधान बजट में किया है वह अत्यंत कम है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अंत्योदय परिवारों की संख्या में अत्यंत कम कर दी गयी है जबकि ऐसे

कार्डधारियों का भी इस बार गरीबी रेखा से नाम बाहर कर दिया गया है जो पूर्व में थे। देश में जो 26 करोड़ परिवार गरीबी रेखा में होना बताया जा रहा है वह गलत है। वास्तविक रूप से अभी बड़ी संख्या में लोग इससे बाहर हैं, जिन्हें शामिल किया जाना चाहिए।

- वित्त मंत्री जी ने कुछ वर्ग विशेष के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है।
- अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को तो उन्होंने 210 करोड़ का प्रावधान किया है जिनकी आबादी 13 प्रतिशत है।
- ओबीसी जिनकी आबादी देश में 52 प्रतिशत है उनके लिए मात्र 91 करोड़ का प्रावधान किया गया है यह ओबीसी वर्ग के साथ पक्षपात है।
- शिक्षा के लिए भी वित्त मंत्री जी ने बजट में 34 प्रतिशत प्रावधान बढ़ाकर वाहवाही लूट रहे हैं जबकि उसकी वास्तविकता कुछ और है।
- केन्द्र द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में जो विस्तार किया जा रहा है उन्हीं में उक्त राशि का व्यय होना है ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल हैं तथा विश्वविद्यालय हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है।
- सरकार ने मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी अत्यंत कम तय कर रखी है।
- देश में अब भी 74 प्रतिशत गरीब गांव में रहते हैं उनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है।
- विक्लांगों के लिए वित्त मंत्री ने 1 लाख नई नौकरियां देने की बात कही है लेकिन उन्हें वर्ष में मात्र 25 हजार रुपये ही दिये जायेंगे जोकि अत्यंत कम है इसे बढ़ाया जाना चाहिए।
- देश के अंदर कई ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो शहरों के बीचों बीच होकर जाते हैं।
- बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए शहर से बाईपास बनाये जाने की योजना है परन्तु मध्य प्रदेश के सतना, एन.एच. 75 मैहर एन.एच. 7, अमरपास एन.एच. 7, नागौद एनएच 75, शहरों के बीच से निकलते हैं यहां बाइपास बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है जिसका प्रावधान बजट में किया जाना आवश्यक है।
- केन्द्रीय सड़क फंड से जो सड़कें तथा पुल आदि बनायी जाती हैं हमेशा देखा गया है कि पक्षपातपूर्ण वितरण होता है।
- मध्य प्रदेश को हमेशा अत्यंत कम राशि मिलती है।

सतना जिले की—

सतना से सेमरिया मार्ग

सतना से रीवा मार्ग से रामपुर चोरमारी छिबौरा गाजन रीवा मार्ग

सतना से कोटी मौहार झाली सिंहपुर सुन्दर मार्ग,

कोठी से जैतवारा मेहुती विरसिंहपुर, सरभंगा मार्ग,

कटनी जिले के—

कटनी से बडवारा वरही मार्ग आदि सड़कों को बजट में निर्माण हेतु जोड़ा जाये।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर मैहर रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज का एक प्रस्ताव लम्बे समय से विचाराधीन है, लेकिन आज तक स्वीकृति नहीं मिल पायी, दी जाये।

सरकार के समक्ष राष्ट्रीय कृषक नीति का मसौदा समय से विचाराधीन है उसे आज तक स्वीकार क्यों नहीं किया गया। यह देश के किसानों के साथ धोखा है।

कृषि का धंधा अत्यंत घाटे का है, हम लोग हमेशा सदन में चर्चा करते हैं। चिंता भी करते हैं परन्तु किसानों की हम कोई सहायता नहीं कर पा रहे हैं।

लगातार सूखे, बाढ़ ओले से किसानों की फसल नष्ट हो रही है। ऐसी स्थिति में किसान भूख के बोझ के तले दबता जा रहा है मेरी सरकार से मांग है कि किसानों के कर्ज एक सीमा तक माफ किये जायें।

केन्द्र सरकार पक्षपातपूर्ण कार्यवाही भी कर रही है। केन्द्रीय पूल से हमारे मध्य प्रदेश को 300 मेगावाट बिजली मिलती थी वह बंद कर दी गई। मध्य प्रदेश लंबे समय से प्राकृतिक आपदा का शिकार होता आ रहा है लेकिन इस कठिन परिस्थिति में भी केन्द्र ने राज्य सरकार की कोई मदद नहीं किया।

कल देश के कई राज्यों में पुन: ओला गिरा है। पहले भी मध्य प्रदेश के कई जिले प्रभावित हुए थे। कल फिर मेरे क्षेत्र सतना एवं कटनी जिले में पुन: भयंकर ओलावृष्टि हुई जिससे देश के 50 लोग मारे गये। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, गुजरात। मध्य प्रदेश में 16 लोग मारे गये, सतना, कटनी, रीवा, छिंदवाड़ा, छतरपुर, सागर में भयंकर ओले गिरे। राज्य सरकार ने आरबीसी एक्ट में व्यापक संशोधन कर 20 गुना सहायता राशि बढ़ाकर किसानों को तो सहायता दे रही है। अब तक 12 करोड़ से अधिक की सहायता वितरित की जा चुकी है।

वित्त मंत्री जी ने शिक्षा उपकर 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया।

पिछले 55 वर्षों से 2 प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ा। आपने 1 प्रतिशत एक ही बार में बढ़ा दिया इसका सीधा असर बड़ी संख्या में सभी वर्गों के नागरिकों पर पड़ेगा।

पूरे देश में पंजीकृत बीड़ी मजदूर 1 करोड़ हैं 60 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक हैं। अकेले मध्य प्रदेश में 21 लाख मजदूर हैं जिन्हें न्यूनतम मजदूरी 25 रुपये 1 हजार बीड़ी में से मिल पा रही है जबकि 45 रुपये प्रति हजार बड़ी में मजदूरी निर्धारित है।

बीड़ी कार्मिकों के आवास हेतु 60,000 अनुदान दिया जाता है जिसमें प्रत्येक कर्मिकों से 5 हजार रुपये जिलों में जमा कराया जाता है परन्तु केन्द्र सरकार से जो राशि जानी थी वह नहीं गई। इसका उल्लेख बजट में नहीं किया गया। मेरे मध्य प्रदेश में हजारों मजदूरों ने अपने हिस्से के 5-5 हजार रुपये जमा कर दिया है परन्तु केन्द्र का 60 हजार का हिस्सा आज तक नहीं गया, दिया जाये।*

[अनुवाद]

श्री सानुछुमा खुंगुर बैसीमुखियारी (कोकराझार): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य बजट 2007-08 पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है।

सर्वप्रथम, मैं मा. वित्त मंत्री जी और पूरी भारत सरकार का ध्यान विशेषकर बोडोलैंड क्षेत्र के लोगों और पूरे देश के अनुसूचित जनजाति के लाखों लोगों द्वारा झेली जा रही अनन्त त्रासदियों की ओर दिलाता हूं।

महोदय, इस वर्ष के बजट में मैंने जो पाया है वह यह है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय को मात्र 1,732.04 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है। यह बहुत ही अपर्याप्त पैसा है। अत:, इस थोड़ी सी राशि से भारत सरकार इस देश के जनजातीय लोगों की समग्र सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं कर सकती। अत:, मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह जनजातीय कार्य मंत्रालय के योजनागत धनराशि आवंटन को इस वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु 1,732 करोड़ रु. से बढ़ाकर कम से कम 3,000 करोड़ रु. करें।

सायं 6.00 बजे

[श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी]

इसी प्रकार, उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय को मात्र 1380 करोड़ रु. दिये गये हैं जोकि बहुत कम राशि है। इस थोड़े से धन से, भारत सरकार उत्तर-पूर्व क्षेत्र का विकास कभी नहीं कर सकती। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र के 1380 करोड़ रु. के आवंटन को बढ़ाकर इसे कुल आवंटन कम से कम 3,000 करोड़ रु. किया जाये।

बोडोलैंड क्षेत्र के लोगों की त्रासदी की बात पर आते हुए, मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि वह बोडोलैंड क्षेत्र के लिए केन्द्रीय अनुदान राशि को ...*(व्यवधान)* 100 करोड़ रु. प्रति वर्ष से बढ़ाकर कम से कम 500 करोड़ रु. प्रति वर्ष करे।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: बहुत से माननीय सदस्यों को बजट की चर्चा में पार्टीशिपेट करना है। अगर सदन सहमत हो तो एक घंटा और समय बढ़ा दिया जाये।

सदन की सहमति से सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाता है।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: सभापति महोदय, हमारे बोडोलैण्ड अंचल को केन्द्रीय सरकार की तरफ से कितना रुपया दिया जाता है, उसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपके पास मात्र दो मिनट का समय है, आप अपने समय का इस्तेमाल करिये।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: वर्ष 2004 से हर साल सिर्फ 100 करोड़ रुपये पांच साल तक केन्द्रीय सहायता देने के लिए सरकार ने वादा किया था लेकिन उस 100 करोड़ रुपये से कुछ काम नहीं बनता है, इसलिए मेरी मांग है कि वह जो सैण्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सालभर 100 करोड़ रुपये का फंड दिया जाता है, उसको 100 करोड़ रुपये के बदले कम से कम हर साल के लिए 500 करोड़ कर देना चाहिए। यह रुपया डायरैक्टली बोडोलैंड टैरीटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट की जो कौंसिल है, उसको ही देना चाहिए। विकास के क्षेत्र में हमारे बोडोलैण्ड एरिया तुलनात्मक रूप से दूसरे अंचलों से ज्यादा बैकवर्ड है, इसलिए उस इलाके को डैवलप करना है तो भारत सरकार की तरफ से एटलीस्ट एक बोडोलैण्ड सैण्ट्रल यूनिवर्सिटी मंजूर करनी चाहिए।

[अनुवाद]

एक बोडोलैंड केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए। सरकार को बोडोलैंड क्षेत्र में वहां कम से कम एक मेडिकल कालेज, एक इंजीनियरिंग कालेज, एक एम्स के जैसा संस्थान, एक अखिल भारतीय प्रबंधन संस्थान, एक राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, एक राष्ट्रीय ईरी-सिल्क वस्त्र और फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, 10 पोलिटेक्निकल संस्थान, 10 आईटीआई और एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) की स्थापना भी करनी चाहिए। इसके अलावा, बोडोलैंड क्षेत्र को औद्योगिकीकरण के मामले में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि बोंगाईगांव रिफाइनरी को छोड़कर, बोडोलैंड क्षेत्र में कोई अन्य उद्योग नहीं है। अत:, मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि वह पर्याप्त संख्या में कृषि और वन आधारित उद्योग और कुछ अन्य व्यवहार्य क्षेत्रों संबंधी उद्योग भी बोडोलैंड क्षेत्र में स्थापित करे ताकि बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर मुहैया हो सकें।

[हिन्दी]

एक बहुत सीरियस मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे असम में जितने छात्र-छात्राएं हैं, वे लोग बोडो माध्यम से शिक्षा लेते हैं, लेकिन बोडो माध्यम से कम से कम एक हजार प्राइमरी स्कूल, मिडिल इंग्लिश स्कूल और हाई स्कूल बहुत साल पहले से वेंचर के रूप में हैं। इन स्कूलों को भारत सरकार के जरिये असम सरकार को कम से कम एक साल में एक हजार करोड़ रुपया देकर इन सारे स्कूलों को प्रोविंशियलाइज करने की व्यवस्था करनी चाहिए। वायुयान सेवा के लिए वहां कम से कम एक डोमैस्टिक एयरपोर्ट की बहुत जरूरत है।

सभापति महोदय: अब आप समाप्त करिये, आपका भाषण हो गया।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: हमारे बोडोलैण्ड एरिया में दो इर्रीगेशन प्रोजैक्ट्स 20 साल पहले धनश्री नदी पर और चम्पामती नदी पर लिये गये थे, आज 20 साल से ज्यादा हो गये, लेकिन ये दो मेजर रीवर इर्रीगेशन प्रोजैक्ट्स आज तक भी कम्पलीट नहीं हो पाये। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपका भाषण यहां चेयर से समाप्त किया जाता है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अब मैं श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य जी को बोलने के लिए कहता हूं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा। कृपया बैठ जाइए। आप अपना शेष भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा। आप अपना भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं।

*...(व्यवधान)**

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य (करीमगंज): सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने व्यक्तियों और उद्योग पर भारी करों का बोझ डाले बिना ही संघीय बजट 2007-08 में एक बहुत बड़ी धनराशि जुटाई है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री शुक्लवैद्य के भाषण के अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य: महोदय, मैं केवल कुछ मुद्दों जिनके बारे में मैं समझता हूं कि वे इस उपयुक्त समय पर उठाये जाने चाहिए, पर अपने विचार व्यक्त करते हुए अपने भाषण को संक्षिप्त रखूंगा।

महोदय, कुछ एक अच्छी बातें हैं जिनको माननीय वित्त मंत्री जी ने लक्षित विकास दर हासिल करने के लिए बजट में शामिल किया है। हमारा राज्य असम है और असम एक गरीब राज्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले इसकी आय औसत राष्ट्रीय आय स्तर से कहीं अधिक थी। अब हम विकास की ओर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं।

महोदय, हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है और माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जहां तक कृषि का संबंध है, कुछ उपाय किये हैं। हमें आशा है कि इससे कृषि का विकास होगा। उन्होंने इस बात को भी माना है कि पूर्वोत्तर में कृषि का आधुनिकीकरण नहीं हुआ है। इसलिए पूर्वोत्तर में कृषि का आधुनिकीकरण करने के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

विद्युतीकरण बहुत बड़ी समस्या है। जहां कहीं बिजली की तारें आदि लगायी गयी हैं वहां बिजली नहीं आती और जहां तारें नहीं लगायी गयी है वहां चाहते हैं कि तारे बिछा दी जाएं। इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी ने राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के लिए, आवंटन को 3000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4000 करोड़ रुपये कर दिया है। इससे बहुत सहायता मिलेगी। यहां मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि बराक और ब्रह्मपुत्र नदियों में विद्युत उत्पादन की भारी संभावनाएं छिपी हुई हैं। इसलिए यदि बराक और ब्रह्मपुत्र नदियों के जल का उपयोग किया जाए तो पूरे प्रदेश की बिजली की समस्या को हल किया जा सकता है।

महोदय, शिक्षा में 34 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी एक स्वागतयोग्य कदम है। जहां तक शिक्षा का संबंध है, हमारे यहां शिक्षकों का एक ऐसा वर्ग है जो सरकारी स्कूलों का सभी तरह का कार्य कर रहे हैं लेकिन उनको वेतन नहीं मिलता। हमारे यहां तकरीबन 6000 ऐसे स्कूल हैं और इन स्कूलों में अध्यापक पिछले 18-20 वर्षों से काम कर रहे हैं। उनमें से कुछेक तो बिना वेतन के ही सेवानिवृत्त हो गए हैं। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 2 लाख अध्यापकों के पदों का प्रावधान रखा है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इन बिना वेतन वाले स्कूल शिक्षकों जो बहुत लम्बे समय से सेवा कर रहे हैं और वही कार्य कर रहे हैं, की सेवाओं का अधिग्रहण करके इन पदों का उपयोग करने के लिए राज्यों को अनुमति दें।

महोदय, हमें अपने चाय उद्योग पर गर्व है। विशेष प्रयोजन चाय निधि स्थापित करने का विशेष प्रावधान करने पर मैं माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इससे राज्य में हमारे चाय उद्योग को पुनर्जीवित किया जा सकता है।

महोदय, जहां तक स्वास्थ्य क्षेत्र का संबंध है, *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अपना शेष भाषण सभा पटल पर रख दें।

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य: ठीक है महोदय। मैं अपना शेष भाषण सभा पटल पर रखता हूं।

माननीय मंत्री जी द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किये गये सभी उपाय बहुत सोच-समझ कर किये गये हैं। 2 लाख

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य]

से भी अधिक एसोसिएटिड सोशल हैल्थ एक्टीविस्टस (आशा) को प्रशिक्षण देने और चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करने से ग्रामीण क्षेत्रों में निश्चय ही बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो पाएंगी।

तथापि, परिवार नियोजन पर बहुत अधिक जोर दिया जाना चाहिए-अन्यथा कभी भी विकास का लाभ प्राप्त नहीं होगा। ठोस जनसंख्या नीति के अभाव के कारण सभी दिशाओं में जनसंख्या बढ़ रही है। हम ''हम दो हमारे दो'' नारे का कड़ाई से पालन नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ चीन है जहां जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक थी, ''हम दो हमारा एक'' नारे का कड़ाई से पालन करके जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने में सफल रहा है। जो लोग ''हम दो हमारा दो'' के सिद्धांत का अनुसरण कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। अधिक से अधिक 2 बच्चों वाली 40 वर्ष की आयु की गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को अच्छा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जिससे कि वे अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें। इससे परिवार नियोजन को भी बढ़ावा मिलेगा।

हर एक बच्चा एक मुंह और दो हाथ लेकर पैदा होता है। हमारे पास काफी हाथ हैं और हमें भोजन की व्यवस्था के लिए उन हाथों को काम देने के वास्ते तरीके ढूंढने होंगे अन्यथा हम प्रगति की उस दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं जहां आगे जाकर रास्ता बंद हो जाता है। हमें बिना किसी भेदभाव के जनसंख्या नीति का कड़ाई से पालन करना चाहिए नहीं तो प्रगति और समृद्धि के लिए किये जा रहे सभी प्रयास निरर्थक साबित हो जायेंगे।

वर्ष 2007-08 में पर्यटन की बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए निधियों को 423 करोड़ से बढ़ाकर 520 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दूर दृष्टिपूर्ण है।

लेकिन दुर्भाग्य से पूर्वोत्तर क्षेत्र जहां अनूठी किस्म की वनस्पतियों और जीवजन्तुओं की भरमार है, में पर्यटन की संभावनाओं को खोजने का कार्य बिल्कुल भी नहीं किया गया है। मैंने पहले भी इस मुद्दे को सदन में उठाया है और 20 नवम्बर 2006 तथा पुन: 7 अप्रैल 2006 को माननीय पर्यटन मंत्री को पत्र लिखा था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बराक घाटी में सोनबिल जो एशिया में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है सहित बहुत से सुन्दर पर्यटन स्थल हैं लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। सब जानते हैं कि सेवा क्षेत्र में पर्यटन शीर्ष स्थान पर है। यह न केवल राज्य के राजस्व में वृद्धि करता है बल्कि यह बहुत अधिक श्रमोन्मुखी क्षेत्र है जो बहुत बड़ी संख्या में शिक्षित पुरुषों और महिलाओं को रोजगार प्रदान कर सकता है। दुर्भाग्य से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है।

शिक्षा के क्षेत्र में, मैं इस बात पर जोर देता हूं कि व्यावसायिक शिक्षा टाईपराइटिंग और वस्त्र सिलाई मात्र न होकर कार्योन्मुखी होनी चाहिए। यह फैशन के अनुकूल होनी चहिए तथा बाजार में फैशन के परिवर्तन के साथ संगत बनी रहनी चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण में स्कूटर, घड़ी, मोबाइल फोन की मरम्मत, वैल्डिंग, ड्राइविंग, माल ढुलाई की देखरेख करना, आभूषणों के डिजायन तैयार करना, बल्कि प्रिन्ट और हस्तशिल्प, इत्यादि तैयार करना शामिल होना चाहिए। इस प्रकार के व्यवसायों में से किसी भी एक व्यवसाय में प्रशिक्षित व्यक्ति स्वरोजगार कर सकता है। दसवीं और बारहवीं कक्षा से पहले स्कूल छोड़ने वाले अधिकांश बच्चे आबादी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित होते हैं और इसका कारण यह होता है कि वे शिक्षा की बजाय कमाने को वरीयता देते हैं। यदि हम उनको समुचित प्रशिक्षण प्रदान नहीं करते हैं तो वे असंगठित क्षेत्र में ही वृद्धि करेंगे जो कि अच्छी बात नहीं है।

कुल मिलाकर मेरा यह मत है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कृषि, उद्योग, शिक्षा, अवसंरचना इत्यादि के क्षेत्रों के विकास के लिए आधार तैयार कर दिया है। लेकिन अब अवसरों और सरकार द्वारा दिये गये प्रावधानों का उपयोग करने की जिम्मेदारी कार्यान्वयन एजेंसियों की बनती है। यदि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने में चूक करती है तो सारा का सारा प्रयोजन ही निष्फल हो जायेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किये गये बजट प्रस्तावों 2007-08 का समर्थन करता हूं।*

***श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई** (शिवकाशी): अपने दल एमडीएमके की ओर से, मैं वर्ष 2007-08 के केन्द्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेना चाहता हूं। देश के लोगों को गत तीन वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय विकास को देखते हुए इस वर्ष बहुत अच्छा बजट आने की आशा थी। लेकिन गत तीन वर्षों के आर्थिक विकास के आलोक में क्या समाज के सभी वर्गों के लोगों की वे आकांक्षाएं पूरी हुई हैं जिन्हें हम अब करने की कोशिश कर रहे हैं। कर राजस्व बढ़ा है। कर राजस्व और सकल घरेलू उत्पाद के बीच का अन्तर भी बढ़ा है। पूंजीगत व्यय भी बढ़ रहा है। लेकिन किसानों की दुर्दशा अभी भी वैसे ही बनी है। देश की जनसंख्या में से 60 प्रतिशत लोग किसान हैं। ऐसे किसानों में से लगभग 10 करोड़ यानि उनमें से 40 प्रतिशत अपने इस पेशे को कभी भी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बजट में कृषि क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन किया गया है। जैसाकि 2005 में हमारे वित्त मंत्री ने कहा था कि हमारे लोग परिणाम चाहते हैं वे यह नहीं

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

देखते कि कितनी धनराशि व्यय की गई है। हमें यह ध्यान में रखनी होगा कि 'भारत उदय', अभियान, जिसे 2004 में पूर्ववर्ती सरकार ने चलाया था, का परिणाम लोगों के दिल में पीड़ा के रूप में सामने आया। यह उस चुनाव अभियान के दौरान मृगमरीचिका के समान खत्म हो गया था और इस चुनाव में सरकार के भाग्य का निर्णय हो गया। हमें इसे इस पृष्ठभूमि से देखना होगा। हमने कृषि क्षेत्र के लिए कृषि ऋण की मात्रा बढ़ाई है और हमने फसल ऋणों पर ब्याज की दर भी कम की है। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा चार राज्यों में 31 जिलों में 16 हजार करोड़ रुपये का विशेष पैकेज दिया गया है। लेकिन अभी भी किसानों के दिलों में गहरे घाव हैं क्योंकि उन्हें लाभकारी मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिलता है। उनके पास कठोर श्रम के पश्चात उगाई गई फसलों की सुरक्षा के लिए भंडारण सुविधाएं भी नहीं है। अत: वे अच्छा मूल्य पाने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा भी नहीं कर पाते हैं, उन्हें कृषि उत्पादन के अनुसार भंडारण की सुविधाएं दी जानी चाहिए। फसल ऋण को बुवाई से पूर्व दिया जाना चाहिए। किसानों को समय पर ऋण सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। जल निकायों के सुधार के लिए बजटीय आवंटन किया गया है लेकिन अभी भी सिंचाई की आवश्यकताओं का बेहतर ढंग से समाधान नहीं किया गया है। जहां तक तमिलनाडु का संबंध है, हमारे तीन पड़ौसी राज्यों की तुलना में हमारे सिंचाई संसाधन बेहतर नहीं हैं और इनके बीच विवाद है हमारे तमिलनाडु के पास काफी जल संसाधन नहीं हैं और यह सामान्यत: सूखा राज्य है। इसलिए, हम देश के दक्षिणी भाग में नदियों को परस्पर जोड़ना चाहते हैं। कम से कम तमिलनाडु में बहने वाली नदियों को प्रायोगिक परियोजना के रूप में अवश्य जोड़ा जाना चाहिए। हमें आशा थी कि इसी वजह से नदियों को परस्पर जोड़ने हेतु आवंटन करते हुए कम से कम एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की जाएगी। हमारे नेता वाइको की दक्षिण की नदियों को जोड़ने की परियोजना की मांग अभी भी है। नदियों को परस्पर जोड़ने का सपना इस वर्ष भी साकार नहीं हो सका है। इस बजट में शिक्षा और लोक स्वास्थ्य के लिए आवंटन बढ़ाया गया है। हम गत पंचवर्षीय योजनाओं में विद्युत उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके हैं। अभी भी कई राज्यों को बिजली की कमी से जूझना पड़ रहा है। कुछ राज्यों को छह घंटे या उससे अधिक समय तक बिना बिजली के रहना पड़ रहा है। हमारा औद्योगिक उत्पाद तभी बढ़ सकता है जब विद्युत उत्पादन में वृद्धि हो। लघु उद्यमों को उनके कारोबार के लिए धनराशि एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपये करके प्रोत्साहन दिया गया है। मैं वित्त मंत्री से इसे दो करोड़ तक बढ़ाने का अनुरोध करता हूं ताकि लघु उद्योग क्षेत्र को वास्तव में लाभ प्राप्त हो सके। इसी प्रकार से, जहां तक व्यक्तिगत आय कर का प्रश्न है। मानक कटौती में 10000 रुपये की वृद्धि घोषित की गयी है। हमारी बढ़ती अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि में ऊंची मजदूरी और वेतन पर विचार करते हुए इस वृद्धि को और बढ़ाना चाहिए। जहां तक मेरे शिवकाशी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का संबंध है, यह पूर्णत: अनेकों लघु उद्योगों के विकास पर निर्भर है। उन्हें प्रोत्साहनों के माध्यम से बढ़ावा देने की आवश्यकता है। संघ सरकार के लघु उद्योग मंत्रालय से हमारे लघु उद्योग को विशेष पैकेज देने के लिए कहा जाना चाहिए। इसमें लघु उद्योग क्षेत्र में 37 उद्योगों को शामिल करने की सिफारिश की गई है। यह सब हमारे राज्य तमिलनाडु के उत्पादन के औद्योगिक विकास और उत्पादकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं संघ सरकार से इस बजट में ही हमारे लघु उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पैकेज की घोषणा करने का अनुरोध करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल (डिब्रुगढ़): महोदय, मैं इस माननीय सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि असम समझौते पर 1985 में हस्ताक्षर किया गया था तथा उस समझौते में खण्ड 7 अन्त:स्थापित किया गया था। इस खंड का उद्देश्य असम को हर प्रकार से आर्थिक रूप से उन्नत करना था। इस संबध में भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया था जिसे एल.सी. जैन समिति के नाम से जाना जाता है और जिसका उद्देश्य असम राज्य एवं पूर्वोत्तर में संसाधनों का आकलन और उद्योग की उन्नति की संभावनाओं का पता लगाना था। तदुपरान्त, उन्होंने एक अत्यधिक सार्थक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। उस प्रतिवेदन में उन्होंने कई सिफारिशें की थीं। परन्तु मुझे माननीय सदस्यों और इस गरिमापूर्ण सदन को दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि इन महत्वपूर्ण सिफारिशों को न तो स्वीकार किया गया है और न ही उन पर विचार हुआ।

पिछले बजट में भी एक भी ऐसी पंक्ति नहीं थी जो असम और पूर्वोत्तर के लोगों के दिलों को छू सके। रेलवे बजट में चार परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में घोषित किया गया है। परन्तु, जब आम बजट को इस गरिमापूर्ण सदन में प्रस्तुत किया गया तो उसमें से तीन परियोजनाएं गायब थीं तथा केवल एक परियोजना को शामिल किया गया तथा उसमें भी यह कहकर अनिश्चितता की स्थिति पैदा कर दी गई है कि बोगीबील पुल को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में माना जाएगा; स्वीकृत नहीं किया गया। पुन: इस बजट ने असम और पूर्वोत्तर के लोगों में असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। यदि एक सदन एक ही सत्र में, दो अलग अलग मानदंड अपनाता है तो उक्त क्षेत्र का क्या भविष्य होगा? इसी कारण से मेरा नम्र निवेदन यह है कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भावनाओं को समझते हुए माननीय मंत्री महोदय उपरोक्त मामले का निपटान उसी सत्र में करें।

दूसरी बात यह है कि इस विशेष क्षेत्र में जल संसाधन प्रबंधन के संबंध में हमें यह ज्ञात हुआ है कि 13 राज्यों को शामिल

[श्री सर्वानन्द सोनोवाल]

किया गया है तथा इस संबंध में भी भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ मामले को उठाया है तथा उसके साथ कुछ वार्ताएं एवं समझौते किये गये हैं। परन्तु, असम के संबंध में आपको यह ज्ञात है कि ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसके साथ-साथ बाढ़ और भूस्खलन की समस्याओं के कारण न केवल असम राज्य बल्कि पूरा क्षेत्र ही विकास, संचार और औद्योगिक वृद्धि की समस्याओं से जूझ रहा है। बाढ़ और भूस्खलन की समस्या से न केवल हमारी अर्थव्यवस्था का आधार टूट रहा है। बल्कि इससे हमारे चाय बागान, खेती योग्य भूमि तथा पुनर्वास भी प्रभावित हो रहा है। अब, असम के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु राज्य सरकार के लिए उस समस्या का समाधान करना तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि भारत सरकार इस विशेष मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा नहीं मानेगी। इसी कारण से सरकार से मेरा यह दूसरा अनुरोध है कि बराक घाटी और ब्रह्मपुत्र घाटी के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के कारण बाढ़ और भूस्खलन की समस्या को एक राष्ट्रीय समस्या समझा जाए तथा भारत सरकार इन प्राकृतिक विपदाओं का सामना करने हेतु अलग से निधियों का आवंटन करे।

मैं उत्कृष्टता केन्द्र के संबंध में तीसरा मुद्दा उठाना चाहता हूं। महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि कुछ संस्थानों को विशेष निधि दी गई है तथा इस संबंध में 100 करोड़ से भी अधिक की राशि आवंटित की गई है। हम इस विशेष निर्णय का स्वागत करते हैं। यह इस देश के छात्रों के भविष्य का प्रश्न है। कृपया मुझे एक बात बताने दें। हमारे यहां असम मेडिकल कॉलेज है। जिसकी स्थापना ब्रिटिश शासन काल में डिब्रूगढ़ में द्वितीय विश्व युद्ध के तुरन्त बाद की गई। महोदय यह एशिया के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेजों में से एक है। परन्तु, असम के लोगों द्वारा बार-बार अनुरोध करने के बावजूद इसे अब तक एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थान के रूप में नहीं स्वीकार किया गया है तथा इसका उन्नयन एम्स के स्तर का नहीं किया गया है। इसी कारण से मेरा नम्र निवेदन है कि असम मेडिकल कॉलेज का उन्नयन करके उसे एम्स के स्तर का बनाया जाए।

सभापति महोदय: कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल: मैं दो और मुद्दों को उठाकर अपना भाषण समाप्त करूंगा।

सभापति महोदय: नहीं, यही आपका अंतिम मुद्दा है।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल: महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि पेट्रोलियम क्षेत्र में असम में डिंगबोई तेलशोधक कारखाना है जो कि विश्व का सबसे पुराना तेलशोधक कारखाना है। इसकी स्थापना 1889 में 120 वर्ष ब्रिटिश शासन काल में की गई। यह ब्रिटिश शासन द्वारा 1889 में स्थापित पहला तेलशोधक कारखाना था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अभी तक डिंगबोई तेलशोधक कारखाने की उत्पादन क्षमता केवल 0.65 मिलियन मी. टन है जो कि एक मिलियन मी. टन भी नहीं है। पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ के अनुसार यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादक होने के कारण हमारा हर तरह से यह मांग करने का अधिकार बनता है कि डिगबोई की उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर कम से कम एक मिलियन मी. टन किया जाए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल: उम्दा चाय के द्वारा असम की विश्व बाजार में पहचान बनी। पूरे देश में एक करोड़ लोग इस उद्योग से जुड़े हैं। डिब्रूगढ़ निर्वाचन क्षेत्र चाय बागानों का प्रमुख केन्द्र है, परन्तु यहां बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं। इसी कारण से सरकार को चाय श्रमिकों के रोजगार युवा आश्रितों के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाना चाहिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अब मैं अगले माननीय सदस्य, श्री के.वी. तंगबालु को बोलने के लिए बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री तंगबालु के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री सोनोवाल, कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जा रहा है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यदि आपकी इच्छा है तो आप अपना बाकी भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं।

अब श्री के.वी. तंगबालु बोलेंगे।

श्री के.वी. तंगबालु (सेलम): सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किये गये केन्द्रीय बजट 2007-08 पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

महोदय, यह बजट अनूठा बजट है। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण मील के पत्थरों में से एक है। मैडम सोनिया

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

गांधी जी की अध्यक्षता में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन द्वारा स्थापित भारत सरकार का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह कर रहे हैं। हमारे माननीय वित्त मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम हमारे नेताओं की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम को लागू करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है।

महोदय, आज देश को समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास की जरूरत है। इस पहलू को लक्ष्य बनाते हुए हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में एक नई दिशा की ओर कदम रखा है। वास्तव में, यह बजट एक नई दिशा और नई सहभागिता प्रदान करता है और जिसके द्वारा एक हरित क्रांति देश में आने वाली है। जिसके लिए उन्होंने वित्त मंत्री बनने के दिन से ही भरसक प्रयास किए हैं।

इस सम्माननीय सभा में उन्होंने कृषक समुदाय को और अधिक ऋण देने की पहली घोषणा की थी। उन्होंने शुरुआत में 1,05,000 करोड़ रुपये की राशि से प्रारंभ किया और आज, उन्होंने ऋणों के रूप में कृषि क्षेत्र के लिए 2,25,000 करोड़ रुपये निर्धारित किये हैं। इससे कृषि क्षेत्र को नया बल मिलेगा। हम मांग करते रहे हैं कि कृषि क्षेत्र को दिये जो वाले ऋणों पर ब्याज दर को 9% से घटाकर 7% कर दिया जाए और सरकार ने इसे तुरन्त मान लिया और घोषणा कर दी जिसके लिए हम और कृषक समुदाय माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम, हमारे गठबंधन की अध्यक्षा मैडम सोनिया गांधी जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के आभारी हैं। यह कम उपलब्धि नहीं है।

आज, हमने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया है जिसके लिए 1100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसी प्रकार, पानी से संबंधित कार्यक्रमों के लिए 12400 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिससे कृषक समुदाय को और अधिक जल प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

महोदय, मैं यहां इस बात का अवश्य उल्लेख करना चाहूंगा कि तमिलनाडु में हमारे माननीय मुख्यमंत्री डा. कलाइगनार ने बहुत अद्भुत कार्यक्रम दिये हैं। उन्होंने 8000 करोड़ रुपये के कृषि ऋण पूरी तरह से माफ कर दिए हैं। इसके कारण तमिलनाडु में समूचे कृषक समुदाय को ऋण जाल से उबरने में सहायता मिली है। इसी प्रकार, हमने माननीय वित्त मंत्री जी से कृषक समुदाय द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिये गये ऋणों के ब्याज को माफ करने की मांग की है।

सभापति महोदय: श्री तंगबालु अब समाप्त कीजिए।

श्री के.वी. तंगबालु: महोदय, मैंने तो अभी ही शुरू किया है।

कृषक समुदाय के बारे में मैं एक और अनुरोध करना चाहता हूं कि ब्याज की दर को सात प्रतिशत से कम करके चार प्रतिशत कर दिया जाए। यह देश के किसानों की प्रमुख मांगों में से एक है। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार और माननीय वित्त मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे।

बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटन में 31% की बढ़ोत्तरी हुई है, तथा 26403 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं।

एक और महत्वपूर्ण और बहुमूल्य क्षेत्र है शिक्षा। इसमें भी 34.2% की बढ़ोत्तरी की गई है और 32,350 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं।

महोदय, अगला क्षेत्र है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत भी आवंटन में 21% की बढ़ोत्तरी की गई है। सरकार ने 15281 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। मैं बहुत से मुद्दों पर विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, दो लाख अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी और इस बजट में पांच लाख स्कूलों के छात्रों के लिए कमरे बनाए जाएंगे। यह प्रावधान महत्वपूर्ण मील के पत्थरों में से एक है जिसके द्वारा देश के कमजोर तबकों को और अधिक लाभ होगा।

दूसरा मुद्दा यह है कि आज के दिन जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन देश के अब तक के सबसे अच्छे कार्यक्रमों में से एक है। 23950 करोड़ रुपये के निवेश से 538 से भी अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

मेरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सेलम महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है और यह तमिलनाडु के महत्वपूर्ण जिलों में से भी एक है। तमिलनाडु की हमारी सरकार ने मंत्रालय को सेलम मेट्टूर पेयजल योजना, जल निकासी योजना, सड़क एवं परिवहन के लिए 637 करोड़ रुपये की परियोजनाएं भेजी हैं। ये भारत सरकार के पास लंबित पड़ी हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे सेलम शहरी विकास कार्यक्रम के लिए अपने पद के प्रभाव का प्रयोग करते हुए 637 करोड़ रुपये की राशि शीघ्र जारी करवाएं।

सायं 6.26 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए]

समग्र बजट में अ.जा. और अ.ज.जा. कल्याण और विकास योजनाओं के लिए 17681 करोड़ रुपये देने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी की प्रशंसा करता हूं। एक और बात यह है कि उन्होंने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी उनके कल्याण और विकास हेतु 381 करोड़ रुपये की घोषणा करके अच्छी शुरुआत कर दी है। इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि उन्होंने अब तक की सबसे बड़ी धनराशि दी है। इसी तरह का काम उन्होंने महिलाओं के लिए भी किया है। इस देश में आबादी का 50% महिलाएं हैं। उनके लिए 22,380 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। यह भी श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इस से इस बात का पता चलता है कि हम महिलाओं और कमजोर तबकों का ध्यान रखते हैं। इसके साथ साथ हम इस सम्मानित सभा और विभिन्न मंचों पर भी यह मांग करते रहे हैं कि अन्य पिछड़े वर्ग जो देश की आबादी का 60% है, का भी ध्यान रखा जाए। माननीय वित्त मंत्री जी ने 91 करोड़ रुपये दिये हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे इसे इस बजट में बढ़ाकर कम से कम 1000 करोड़ रुपये कर दें और आने वाले वर्षों में इसके अन्दर और सुधार कर सकते हैं।

मेरे पास केवल दो मुद्दे हैं। एक और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां रोजगार की संभावनाएं हैं वह है वस्त्र उद्योग क्षेत्र। वस्त्र उद्योग में अधिकांश श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। आज टी.यू.एफ. स्कीम के अंतर्गत 991 करोड़ रुपये मिले हैं। हम इस योजना का भी स्वागत करते हैं। महोदय, हथकरघा क्षेत्र को 321 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि टी.यू.एफ. स्कीम को 11वीं योजनावधि जो अब चल रही है, तक जारी रखा जाए। मैं टी.यू.एफ. स्कीम के लिए और अधिक आवंटन चाहता हूं ताकि अधिक से अधिक लघु उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में आ सकें। इस प्रकार, वस्त्र उद्योग क्षेत्र का तेजी से विकास होगा।

लोग देश में बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा खुदरा व्यापार में उतरने के मुद्दे पर आंदोलित हैं। बड़े औद्योगिक घराने अपनी दुकानें स्थापित करने के लिए आगे आ रहे हैं। इससे आम आदमी और कमजोर तबकों को कोई लाभ नहीं होगा। बहुत से छोटे दुकानदार इससे प्रभावित हो रहे हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस पर विचार करे और छोटे लोगों को अपना कारोबार करने दें और औद्योगिक घरानों को इस प्रकार की खुदरा दुकानें स्थापित करने तथा लघु क्षेत्र के लोगों को बर्बाद करने की अनुमति न दें।

ऑन लाईन ट्रेडिंग एक और अन्य गंभीर मुद्दा है। दालें और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं का ऑनलाईन व्यापार हो रहा है जिससे कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं। जमाखोर और समाज विरोधी तत्व इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं और सरकार को बहुत ही दयनीय स्थिति में ला खड़ा कर रहे हैं।

सभापति महोदय: क्या आप अपनी बात समाप्त नहीं करेंगे?

श्री के.वी. तंगबालु: मैं अब समाप्त कर दूंगा।

अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह आनलाईन व्यापार तथा बड़े लोगों द्वारा खुदरा व्यापार को रोके।

*महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि भारत सरकार किस प्रकार वरिष्ठ नागरिकों के साथ भेदभाव कर रही है। सभी अनुसूचित बैंकों, डाकखानों, रेलवे, एयरलाइन्स गृहकर विभागों में वरिष्ठ नागरिक उसे माना जाता है जो 60 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र का है। वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सावधि जमा राशियों में उच्च दर से ब्याज दिया जाता है जो कि सामान्य ब्याज दर से एक प्रतिशत अधिक होता है। डाकघरों में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के नाम से एक और बचत योजना है, जो विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए ही है और इसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक रखी गई है। रेलवे, एयरलाइनों और गृहकर विभागों में 60 वर्ष या इससे अधिक की उम्र के व्यक्तियों को आवश्यक रियायतें प्रदान की जाती हैं। तथापि, आयकर विवरणी दाखिल करने के प्रयोजन से वित्त मंत्री जी ने वरिष्ठ नागरिक की उम्र 65 वर्ष रखी है। वरिष्ठ नागरिकों की आयु का निर्धारण करने के लिए एकरूपता होनी चाहिए।

मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे वरिष्ठ नागरिक के लिए उम्र को 65 से कम करके 60 वर्ष करने से संबंधित मामले की जांच करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट 2007-08 का समर्थन करता हूं।*

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: वे नहीं रुकेंगे। अब श्री करुणाकर रेड्डी, आप शुरू करें।

---

*.....*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जी. करुणाकर रेड्डी (बेल्लारी): महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया। संप्रग सरकार का वर्ष 2007-08 का बजट काफी निराशाजनक है। इसमें कृषि संकट को समाप्त करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है।

जहां तक मुद्रास्फीति, कीमतों में वृद्धि, बेरोजगारी और निर्धनता की बात है, बजट ने केवल कोरी बात कहने के अलावा और कुछ नहीं दिया है। कुल मिलाकर, इसने करोड़ों आम लोगों की आशाओं के साथ विश्वासघात किया है और यह सिद्ध किया है कि सर्वसमावेशी विकास का जोर-शोर से लगाया गया नारा मात्र एक छलावा है। सरकार ने मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए पर्याप्त अवसर मुहैया नहीं कराये हैं। जहां तक मुद्रास्फीति की बात है, मा. वित्त मंत्री जी ने वर्तमान में आसमान छूती मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने हेतु किसी उपाय की घोषणा नहीं की है।

बजट आम लोगों, खासकर किसानों और बेरोजगार लोगों, की कई प्रमुख समस्याओं का समाधान करने में विफल रहा है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहित परिव्यय कम और अपर्याप्त हैं तथा उनमें काफी वृद्धि की जानी चाहिए। *...(व्यवधान)*

बजट प्रस्तुत किये जाते समय, मैं मा. वित्त मंत्री का भाषण उत्सुकता से सुना रहा था कि कम से कम ये बजट तो किसानों एवं आम लोगों के लिए कोई अच्छा समाचार लाये। किंतु कुछ नहीं किया गया। जिन किसानों को हम देश का आधार करते हैं, उन्हें पूर्णत: उपेक्षित किया गया है। इस बजट में कृषि उत्पादों हेतु किसी समर्थन मूल्य का उल्लेख नहीं है। हमने कई अवसरों पर देखा कि किसान टमाटर, मिर्च आदि जैसे उत्पादों को सड़कों पर फेंक रहे हैं क्योंकि उन्हें समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। मुझे आशा है कि इस चर्चा के प्रत्युत्तर में, एक आश्वासन मिलेगा कि कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जायेगा।

इस बजट भाषण को सुनते समय, मुझे आशा है कि मा. वित्त मंत्री जी फसल ऋणों पर ब्याज दरों को कम करेंगे। 50,000 रु. तक के फसल ऋणों पर, किसान से 9 प्रतिशत ब्याज दर वसूली जाती है और 50,000 रु. से ऊपर की राशि के ऋणों पर, किसान से 11 प्रतिशत ब्याज दर वसूली जाती है। सैकड़ों-हजारों किसान पूरे देश में आत्महत्या कर रहे हैं। जब मा. प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में विदर्भ में किसानों के लिए पैकेज की घोषणा की, तो आत्महत्यायें बढ़ी हैं। मेरी मांग है कि ब्याज दर कम करके 4 प्रतिशत की जाये जैसाकि सफलतापूर्वक कर्नाटक सरकार ने किया है।

किसानों को अपनी आवश्यकताओं के लिए भी बिजली नहीं मिल रही है। किसानों को प्रतिदिन मात्र तीन से चार घंटे के लिए बिजली दी जाती है। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि वह किसानों को प्रतिदिन कम से कम 12 घंटे तक लगातार बिजली की आपूर्ति करे।

इस बजट में यह आश्वासन दिया जाये कि अति महत्वपूर्ण फसल बीमा का प्रावधान होगा। फसल बीमा की वर्तमान प्रणाली वैज्ञानिक और व्यावहारिक नहीं है। वर्तमान में, 20 गांवों वाले एक मंडल पर विचार किया जाता है और हानियों की प्रतिपूर्ति करने हेतु पांच साल का औसत लिया जाता है। मेरी सरकार से मांग और अनुरोध है कि वह इसे ग्राम पंचायत स्तर तक ले जाये और प्रतिपूर्ति मात्र उस वर्ष की मूल्यांकित की जाये तथा मात्र विशिष्ट वर्ष की हानि की गणना की जाये।

राष्ट्रीय किसान आयोग की अधिकांश सिफारिशों जैसे-कृषि वस्तुओं हेतु मूल्य स्थिरता निधि का सृजन और सभी किसानों एवं सभी फसलों को फसल बीमा में सम्मिलित करने की उपेक्षा की गई है। कच्ची रुई की खेती के लिए आयातों से कोई अतिरिक्त संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। इसके अलावा, नदियों को आपस में जोड़ने का कोई उल्लेख नहीं है। कल मैं मा. सदस्यों के भाषण सुन रहा था। हर कोई नदियों को जोड़ने संबंधी इस परियोजना पर जोर दे रहा था। देश के कुछ भागों में तो हम बाढ़ का सामना कर रहे हैं और कुछ भागों में सूखे का सामना कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि कम से कम केन्द्र सरकार नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी परियोजनाओं पर आगे कदम बढ़ाये।

अंतत:, बेशक इसमें कुत्ते-बिल्लियों के खाद्य पदार्थों के मूल्य में कमी की गयी है किंतु यह बजट आम लोगों और किसानों के लिए कोई खुशी नहीं लाया है। धन्यवाद, महोदय। मुझे शेष भाषण को सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाए।

*मैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात अर्थात् किसानों के लिए फसल ऋण पर आता हूं। जितने फसल ऋण की किसानों को वास्तव में आवश्यकता होती है, वह बैंकों द्वारा नहीं दिया जाता। किसानों को आंशिक राशि दी जाती है। शेष राशि के लिए, किसानों को निजी साहूकारों के पास जाना पड़ता है और वे लगभग 36% ब्याज वसूलते हैं जिसके चलते किसानों को ऋण और ब्याज राशि को चुकाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अत:, मेरा मा. वित्त मंत्रीजी से अनुरोध है कि वे बैंकों को निर्देश दें कि वे किसानों को आवश्यक राशि का पूरा भुगतान करें।

---

*.....*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री जी. करुणाकर रेड्डी]

तत्पश्चात्, मैं इस फसल ऋण के लिए दी जाने वाली ब्याज दर और अन्य शुल्कों की बात करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि विगत वर्षों में ब्याज दरें बढ़ी हैं सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश बैंकों की प्राथमिक ऋण दरें लगभग 12-12.5% रहती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस वित्तीय वर्ष से अपनी लघु अवधि ऋणदरों को पांच गुणा बढ़ाया है। ऐसी परिस्थिति में बैंकर महसूस करते हैं कि निधियों की लागत से ऋण दर निर्धारित की जाए। मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार कृषि ऋण पर ब्याज दरों के बढ़ने की इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने हेतु तत्काल कदम उठाये ताकि किसानों पर जरूरत से ज्यादा बोझ न पड़े।

किसानों को चिली-ड्राई के बीमा प्रीमियम हेतु 20.20%, चिली-इर्रिगेटिड के बीमा प्रीमियम हेतु 17.20%, ब्याज के बीमा प्रीमियम हेतु 11%, कॉटन-ड्राई के बीमा प्रीमियम हेतु 13.50% और कॉटन-इर्रिगेटिड के बीमा प्रीमियम हेतु 9.65% का भुगतान करना पड़ता है, और यह प्रतिशत काफी अधिक है। इसी तरह, उन्हें सभी उत्पादों हेतु ब्याज लागत के रूप में 10.25% भुगतान करना पड़ता है। मेरा वित्त मंत्री जी से आग्रह है कि वह बीमा प्रीमियम को 2% तथा सभी फसल ऋणों पर ब्याज दर को 5% कम करें, ताकि छोटे किसानों को अच्छा लाभ हो।

महोदय, किसानों की वित्तीय स्थिति के बारे में, ग्रामीणों के संकट का एक मुख्य कारण ऋणग्रस्तता है। साहूकार न केवल ऊंची ब्याज दर वसूलते हैं, बल्कि वे किसान को दिवालियेपन की ओर भी धकेलते हैं। मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वह ऋण और गरीबी के चक्र को तोड़ने के लिए छोटे और सीमान्त किसानों को बैंक ऋण दें।

महोदय, बजट सार्वजनिक वितरण के विस्तार और खाद्य राजसहायता को बढ़ाये जाने पर केन्द्रित होना चाहिए था। इसकी बजाय, राजसहायता संबंधी प्रस्तावित परिव्यय में वृद्धि मात्र 6.2 है, जिससे पता चलता है कि 6-7% मुद्रास्फीति की गणना की जाने की स्थिति में, वास्तव में कमी की गई है। इसके अलावा, विशेष रोजगार के माध्यम से गरीब लोगों की क्रय शक्ति में होने वाली वृद्धि लगभग नगण्य है। मेरी वित्त मंत्री जी से मांग है कि वह गरीब लोगों के हितार्थ खाद्य राजसहायता में वृद्धि करे।

मैं इस बजट का इसलिए विरोध कर रहा हूं क्योंकि इससे मुझे बहुत दुख हुआ है तथा इस बजट में नदी परियोजनाओं को परस्पर जोड़ने के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। वर्षों से करोड़ों लोग इस परियोजना के प्रति आशान्वित हैं क्योंकि इससे न केवल सिंचाई संबंधी समस्याओं का समाधान होगा बल्कि इस देश के करोड़ों लोगों की पेयजल संबंधी समस्याओं का भी समाधान होगा। यह राष्ट्रीय दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मामला है तथा इस परियोजना का कार्य तुरन्त आरम्भ होना चाहिए। हम सैकड़ों वर्षों में यह देखते आ रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ता है। उस असमान स्थिति से लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा इस परियोजना का कार्य अत्यन्त गम्भीरता से और तुरन्त युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए। महोदय, हर व्यक्ति यह कहता है कि किसान इस देश की रीढ़ है परन्तु हम नदियों को जोड़ने की परियोजना को महत्व नहीं दे रहे हैं। बहुत लोग यह कहते हैं कि हरित क्रांति पाई गई है। मैं यह समझता हूं कि नदियों को जोड़ने से ही हरित क्रांति सही अर्थों में आ पाएगी। यदि इन नदियों को जोड़ने संबंधी इन परियोजनाओं का कार्य पूरा कर लिया जाएगा, तो सिंचाई, पेयजल, बिजली, जलमार्ग से यात्रा और पर्यटन विकास की अधिक संभावनाएं रहेंगी।

केन्द्र सरकार सभी ग्रामीण आवासों में साफ पेयजल मुहैया कराने संबंधी राज्यों के प्रयासों को सहायता प्रदान करने हेतु निधियां आवंटित कर रही है। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि बेल्लारी में जल आपूर्ति का लगभग 90% मात्र फ्लोराइड से दूषित है जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरा यह अनुरोध है कि लोगों को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने हेतु कर्नाटक के बेल्लारी जिले को एक बड़ी राशि आवंटित की जाए।

महोदय, अब मैं उर्वरक क्षेत्र की चर्चा करूंगा। विश्वस्तर पर उर्वरकों की कीमतों और फीडस्टाक की कीमतों में वृद्धि तथा उपभोग में 100% की वृद्धि के कारण उर्वरक विभाग ने यह अनुमान लगाया है कि वर्तमान चालू वित्त वर्ष में ही करीब 28,100 करोड़ रु. की निधियों की आवश्यकता होगी। यदि इसमें पिछले वित्तीय वर्ष का 5900 करोड़ रु. का बकाया जोड़ा जाए तो विभाग के अनुसार उर्वरक की वास्तविक सरकारी सहायता राशि 34,000 करोड़ रु. से भी अधिक होगी।

इसकी तुलना में बजट पत्रों में संशोधित अनुमानों में केवल 22,452.01 करोड़ रु. का कुल प्रावधान दर्शाया गया है जिससे 11,500 करोड़ रु. का अन्तर पैदा हो गया है। माननीय वित्त मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि बजट में उर्वरक संबंधी सरकारी सहायता अपर्याप्त थी। मेरा वित्त मंत्री से यह आग्रह है कि वह इस पहलू को भी ध्यान में रखे तथा उर्वरक क्षेत्र के लिए और अधिक निधियों का आवंटन करें।

महोदय, दूसरी ओर शिक्षा के क्षेत्र में वित्त मंत्री ने बजट आवंटन में वृद्धि की है तथा दो लाख अतिरिक्त शिक्षकों को

नियुक्त करके सरकारी व्यवस्था के माध्यम से शिक्षा के प्रसार की कोशिश की है। परन्तु, इससे सबसे निचले स्तर पर शिक्षा के स्तर में सुधार होने की संभावना नहीं है। सरकारी स्कूलों से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत 40 प्रतिशत के आसपास है जबकि निजी स्कूलों में यह 70 प्रतिशत है, जबकि सरकारी स्कूलों के अधिकांश अध्यापकों को निजी स्कूलों के अध्यापकों की तुलना में बेहतर वेतन दिया जाता है। परन्तु, इसके लिए केवल सरकारी स्कूल के अध्यापकों पर ही दोषारोपण नहीं किया जा सकता; इसमें बच्चों के माता-पिता को भी अपनी भूमिका अदा करनी होगी। सरकारी स्कूलों के अधिकांश बच्चे निम्न आय वर्ग के परिवारों से आते हैं। जीविकोपार्जन हेतु पारिश्रमिक पाने के संघर्ष में उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वे स्कूल और अध्ययन को शीर्ष प्राथमिकता दें। सरकार को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। उसके साथ-साथ, भारतीय दूरभाष विनियामक प्राधिकरण अथवा निर्वाचन आयोग की तरह इस शिक्षा व्यवस्था के लिए एक स्वतंत्र विनियामक नियुक्त किया जाना चाहिए। मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वे इस सुझाव पर विचार करें तथा यदि संभव हो तो इस संबंध में कदम उठाएं।

महोदय, वित्त मंत्री ने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए जो राशि आवंटित की है, मैं समझता हूं कि वह काफी कम है। इस मध्याह्न भोजन योजना के लिए प्रत्येक छात्र के लिए एक रुपए की राशि दी जा रही है। इतनी कम राशि से छात्रों को उचित स्वास्थ्यकर भोजन नहीं दिया जा सकता। मेरा अनुरोध है कि इस राशि को बढ़ाकर प्रत्येक छात्र के लिए तीन रुपया किया जाना चाहिए जिससे कि छात्र, जो भविष्य की युवा पीढ़ी है, को स्वास्थ्यप्रद भोजन मिल सके।

महोदय, सर्वशिक्षा अभियान, जिसका उद्देश्य देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विकास करना है। एक स्वागत योग्य कदम है। मैंने अपने बेल्लारी निर्वाचन क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से लगभग 90% स्कूलों का दौरा किया। इन स्कूलों में कक्षाओं की स्थिति खराब है और उनकी तुरन्त मरम्मत की जानी चाहिए। उचित ढंग की कक्षाओं की अनुपलब्धता के कारण बेल्लारी निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक की स्कूल जाने वाले अनेक छात्रों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन कक्षाओं में छात्रों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है तथा एक-एक कमरे में लगभग 100 छात्रों को पढ़ना पड़ रहा है। महोदय, केन्द्र सरकार ने इन छात्रों के लिए सही ढंग की कक्षाओं के लिए राशि प्रदान करने हेतु कोई कदम नहीं उठाया है तथा इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध निधियों की काफी कमी है। प्रत्येक स्कूल में आवश्यकतानुसार तुरन्त और अधिक संख्या में कमरे बनाने की आवश्यकता है। मेरा मंत्री महोदय से यह आग्रह है कि इस प्रयोजनार्थ तुरन्त ही पर्याप्त निधियां प्रदान करें।

महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी वित्त मंत्री ने केन्द्रीय बजट के आवंटन में वृद्धि की है। परन्तु, इस वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 13,875 करोड़ रु. का परिव्यय, पिछले चार वर्षों में हुई कमी की भरपाई करने के लिए अत्यल्प है। संप्रग सरकार ने यह वादा किया था कि स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए बजट पांच वर्षों में जीडीपी के 0.9% से बढ़कर 3% हो जाएगा। परन्तु, पिछले बजट तक यह 0.9% था और यह अब भी वादे को पूरा करने की स्थिति में नहीं है। वर्ष 2007-08 के बजट ने दवाईयों की बढ़ती हुई कीमतों से प्रभावित हुए लोगों को भी कोई राहत नहीं दी है। मेरा मंत्री महोदय से यह आग्रह है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि अनिवार्य दवाईयों की कीमतें गरीब रोगियों की पहुंच के अन्दर रहे।

महोदय, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के संबंध में मेरा यह कहना है कि हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। परन्तु, हमारी उसमें से अधिकांश लोग काफी गरीब हैं तथा अच्छे प्रकार की स्वास्थ्य। तब तक उनकी पहुंच नहीं है। जैसाकि सबको ज्ञात है, स्वास्थ्य देखभाल की लागत में कई गुनी वृद्धि हुई है तथा वह लगातार बढ़ती जा रही है। जब शहरी क्षेत्रों में यह स्थिति है तो ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति के बारे में बताना नहीं चाहता। गांवों में रहने वाले लोगों को अस्पताल जाने के लिए लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है तथा गम्भीर रूप से बीमार होने की स्थिति में उनके लिए यात्रा करना कठिन हो जाता है तथा कई बार अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है। ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य की सेवाओं की यही स्थिति है।

सरकार को प्रत्येक गांव में एक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करना चाहिए तथा कम से कम प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करनी होगी तथा उस स्वास्थ्य केन्द्र में आपातकालीन मामलों को संभालने के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। इसमें प्रसव सुविधा, प्रयोगशाला और प्राथमिक उपचार संबंधी अन्य सुविधाएं होनी चाहिए। सरकार को प्रत्येक तालुक मुख्यालय में सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक अस्पताल स्थापित करना चाहिए और उस अस्पताल में सभी बड़े ऑपरेशनों और आपातकालीन मामलों, शल्य चिकित्सा आदि सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही जिला स्तर पर सरकार को एक रेफरल अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र स्थापित करना चाहिए जो पूरे जिले की आवश्यकताओं को पूरा करे। भारी संख्या में रोगी औषधियों और चिकित्सकों के इस अभाव के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और इस पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इन समस्याओं को शीघ्र दूर किया जाना चाहिए।

[श्री जी. करुणाकर रेड्डी]

महोदय, कर्नाटक के बेल्लारी में तारानाथ आयुर्वेदिक कॉलेज नामक एक सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल कार्यरत है और इस क्षेत्र में यह एकमात्र अस्पताल है। यह अस्पताल पुराने भवन में कार्य कर रहा है और इसे नए भवन की आवश्यकता है। इस प्रयोजनार्थ 5 करोड़ रुपये की धनराशि की आवश्यकता है। यदि यह धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान के रूप में जारी की जाती है तो यह अस्पताल अपना कार्य करना प्रारंभ कर सकता है और इससे भारी संख्या में रोगियों को लाभ होगा। अत:, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे बड़े पैमाने पर जनसहायता के लाभ हेतु इस अस्पताल के लिए 5 करोड़ रुपये का अनुदान जारी कर दें।

विद्युत क्षेत्र के बारे में मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री ने रुग्ण विद्युत क्षेत्र की सहायता करने का अवसर खो दिया है जो औसतन 8% से अधिक विद्युत की कमी और अधिक मांग के समय 13% की विद्युत कमी का सामना कर रहा है। इस क्षेत्र में घरेलू और विदेशी निवेशकों दोनों को आकर्षित करने के लिए कोई प्रोत्साहन अथवा कर में छूट का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। वित्त मंत्री जी ने इस बजट में ज्यादा राहत नहीं दी है। कुछ उपायों जिसे किया जा सकता था। वह यह है कि 250 मे.वा. और 500 मे.वा. के छोटे विद्युत संयंत्रों को बड़े संयंत्रों के दर्जे का लाभ दिया जाए। कोकिंग कोल पर लेवी घटाने से इस्पात क्षेत्र का लाभ होगा और बजट में ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा प्रयोग किये गये कोयले को भी यही लाभ दिया जा सकता था। मैं वित्त मंत्री से मांग करता हूं कि वे इस सुझाव पर विचार करें और इस विद्युत क्षेत्र के लिए भी लेवी घटाएं।

वित्त मंत्री ने यह इंगित किया है कि ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को पाने के लिए पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया और सरकार की ओर से कार्य-निष्पादन में कमी थी। 1,25,000 गांवों के लक्ष्य की तुलना में राजीव ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत अब तक मात्र 19,758 गांवों को शामिल किया गया है। यदि यह स्थिति है तो मुझे नहीं पता कि देश के सभी गांवों को इस योजना के अंतर्गत कब तक शामिल किया जाएगा। मैं केन्द्र सरकार से इस परियोजना के आवंटन को बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध करता हूं कि देश के सभी गांवों को शामिल किया जाए और ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना को शीघ्रताशीघ्र पूरा किया जाए।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री बुनियादी ढांचा क्षेत्र विशेषकर जो सड़कों और पत्तनों से संबंधित है, में विशेष कार्य करने का वादा किया था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम में सरकारी-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप अप्राइजल कमिटी) के गठन पर मतभेद के कारण सितंबर तक गतिरोध आ गया। इसके अतिरिक्त, राजमार्ग पर कार्य अक्तूबर में ही शुरू हुआ जब मंत्रिमंडल ने एनएचडीपी चरण-पांच और छह को स्वीकृति प्रदान की। भूमि अधिग्रहण में विलंब और कतिपय राज्यों से कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याओं के कारण स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का मात्र 94% कार्य जनवरी, 2007 तक पूरा हुआ जबकि जून, 2006 तक 94% भाग पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था।

महोदय, ग्रामीण अवसंरचना के विकास के लिए प्रमुख कार्यक्रम, भारत निर्माण की घोर आलोचना हुई है। चूंकि भारत निर्माण हेतु बजटीय सहायता 1,74,000 करोड़ रुपये की थी लेकिन मात्र इस प्रयोजनार्थ मात्र 18,696 करोड़ रुपये इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किये गये। इस समस्या के हल के लिए सरकार ने अब एक पृथक कोष 4,000 करोड़ रुपये की ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष की शुरुआत की है। भारत निर्माण योजना का लक्ष्य 1000 से अधिक (आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्र में 500 से अधिक) की आबादी वाले सभी गांवों की सड़क से जोड़ने का है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि दिसम्बर, 2006 तक 12,918 कि.मी. लंबी ग्रामीण सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। लेकिन वास्तव में देश के अनेक गांवों को अभी भी सड़कों से नहीं जोड़ा गया है और मैं वित्त मंत्री से इस कार्यक्रम में गांवों की सभी सड़कों को शामिल करने और सभी गांवों को उचित रूप से सड़कों से जोड़ने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग करता हूं।

पत्तनों के लिए एमसीए पर योजना आयोग और मंत्रालय के बीच गतिरोध के कारण नौवहन और पत्तन क्षेत्र के लिए भी इस बजट में कुछ नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप इस वर्ष लगभग 10 परियोजनाओं के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की आशाएं धूमिल हो गई हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में टेलीफोन हेतु निर्धारित किए गए लक्ष्य इस वर्ष पूरा नहीं हुआ और इसका कारण उन्हें अच्छी तरह मालूम है। मंत्री जी ने कहा है कि दिसम्बर, 2006 तक 20,000 गांवों के लक्ष्यों की तुलना में 15,054 गांवों में टेलीफोन सुविधा मुहैया कराई गई है। इसे गंभीरता से लिया जाए और सरकार को इस प्रयोजनार्थ निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

सरकार लैंडलाइन टेलीफोन उपकरणों का निर्माण कर रही है और सेलफोन उपकरणों का निर्माण निजी विनिर्माताओं द्वारा किया जा रहा है। निजी कंपनियां इन सेल फोन उपकरणों हेतु भारी धनराशि वसूली कर रही है जिससे मध्यवर्गीय सेलफोन प्रयोक्ताओं को काफी घाटा हो रहा है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं

कि सेलफोन उपकरणों का निर्माण भी सरकार द्वारा किया जाना चाहिए और उपकरणों की बिक्री सामान्य दामों पर की जानी चाहिए। इससे लोगों को सस्ती दरों पर सेल फोन उपकरणों को खरीदने में मदद मिलेगी।

महोदय मुझे पता चला कि कर्नाटक के बेल्लारी जिले में गत दो से तीन वर्षों के दौरान बाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना के लिए कोई धनराशि आवंटित और जारी नहीं की गई है यह बेल्लारी जिले के लोगों के साथ घोर अन्याय है। मैं मंत्री जी से यह देखने का अनुरोध करता हूं कि बीएएसएसएवाई योजना के अंतर्गत जिले को आवश्यक धनराशि आवंटित और जारी किए जाएं।

अक्तूबर-नवम्बर और मार्च-अप्रैल के महीनों में कर्नाटक विशेषकर बेल्लारी जिले में पानी का गम्भीर संकट हो जाता है। किसानों को अपनी फसलों के लिए पर्याप्त जलापूर्ति नहीं हो रही है। जलापूर्ति नहीं किये जाने के कारण किसान बार-बार आंदोलित हो रहे हैं। तुंगभद्रा बांध की भंडारण क्षमता बांध में गाद जमा हो जाने के कारण क्षमता 30 टीएमसी तक कम हो गई है। कम किये गये 30 टीएमसी पानी को पुन: छोड़े जाने की अत्यंत आवश्यकता है। मैं केन्द्र सरकार से किसानों के लाभार्थ कर्नाटक सरकार को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, मुझे बताया गया है कि ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को प्रति आवास 1,200 रुपये की धनराशि दी जा रही है। इस राशि से ग्रामीण स्वच्छता का प्रावधान करना अत्यधिक कठिन है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को दी जाने वाली इस राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति आवास तक किया जाना चाहिए जो कि आवास निर्माण हेतु व्यावहारिक रूप से अपेक्षित है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम हेतु चालू बजट में आवंटित धनराशि बहुत कम है और केन्द्र सरकार को इस धनराशि को काफी हद तक बढ़ाना चाहिए।

चूंकि बेल्लारी जिला एक पिछड़ा जिला है इसलिए इसे जिले के विकास हेतु राष्ट्रीय समविकास योजना में शामिल करना होगा।

महोदय, वस्त्रों के संबध में, मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और देश के अन्य भागों में बुनकर विशेषकर हथकरघा बुनकर भारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनके ऋण का ब्याज बढ़ता ही जा रहा है और उन्हें उत्पाद से कम आय प्राप्त हो रही है। इसी भारी अन्तर के कारण वे अपना ऋण नहीं चुका पाते हैं और अंतत: आत्महत्या तक कर बैठते हैं। यह स्थिति काफी गम्भीर है और इसका तत्काल समाधान करने की आवश्यकता है। लेकिन बुनकरों विशेषकर देश के हथकरघा बुनकरों के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है और बजट में उनके ऋण पर ब्याज दर घटाने के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं है। केन्द्र सरकार को बुनकरों को हो रही समस्याओं की जांच करने, कम ब्याज दर पर उन्हें वित्त उपलब्ध कराने के लिए एक आयोग गठित करना चाहिए और जो यह भी सुनिश्चित करे कि उनके उत्पाद बिना किसी बिचौलिए के ऊंची दरों पर बिकें जिससे कि वे अपना सामान्य जीवन यापन कर सकें और उनके द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं को रोका जा सके।

पर्यटन के संबंध में, विशेषकर कर्नाटक में बड़ी संख्या और विदेशी पर्यटक आते है। केरल के पश्चात् कर्नाटक में पर्यटन के विकास की भारी सम्भावनाएं है। बेल्लारी जिले में हम्पी का विश्व विरासत केन्द्र, चित्रदुर्ग का प्रसिद्ध किला, बगलकोट जिले में बदामी पट्टाकाल्लू, मैसूर, बेलगाम और कई महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल कर्नाटक में हैं। कर्नाटक के कई तटवर्ती भागों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। कर्नाटक राज्य सरकार ने कर्नाटक में पर्यटन के विकास संबंधी प्रस्ताव भेजे हैं। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि कर्नाटक के संबंध में पर्यटन मंत्रालय के पास वित्तीय सहायता और अन्य प्रयोजनार्थ लम्बित सभी प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की जाये।

बेल्लारी शहर घनी आबादी वाला शहर है जिसकी जनसंख्या लगभग 5 लाख है। अंकोला-गूटी खंड के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-63 से होकर एक रेलवे लाइन (एलसी:110) गुजरती है। यहां अत्यधिक व्यस्त खनन कार्यकलापों के कारण यहां से कई रेलगाड़ियों में देश के विभिन्न भागों में लौह-अयस्क की ढुलाई की जाती है। जिसके कारण रेलवे गेट को बार-बार बंद करना पड़ता है जिससे वाहनों की आवाजाही रुक जाती है। अधिकांश समय स्कूल बसें जाम में फंस जाती हैं और छात्रों को भारी परेशानी होती है। यहां पर सड़क उपरि पुल की तत्काल आवश्यकता है। मैं केन्द्र सरकार से इस परियोजना को तत्काल शुरू करने का अनुरोध करता हूं जिससे कि इन खंडों में यातायात की आवाजाही में गतिरोध कम हो सके।

मैं केन्द्र सरकार से तथा माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उक्त प्रस्तावों/सुझावों पर विचार किया जाये और उन्हें यथाशीघ्र स्वीकृति दी जाए।*

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, माननीय वित्त मंत्री को यह बजट लाने हेतु बधाई देता हूं। जहां तक कृषि का संबंध है, उस पर काफी ध्यान दिया गया है। मैं उस व्यथा को भी बांटना चाहता हूं जो कई माननीय सदस्यों ने व्यक्त की है कि कृषि के लिए ब्याज की दर को कम करके 4 प्रतिशत नहीं किया गया है। इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि इस पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि कृषि बीमा के अंतर्गत कई कृषि उत्पादों को शामिल नहीं किया गया है। मैं अनुरोध करता हूं कि इसमें मसाले, रबड़ और अन्य नकदी फसलों को भी तत्काल शामिल किया जाना चाहिए। मैं तीसरी यह बात कहना चाहता हूं कि कहना चाहता हूं कि जहां तक खाद्य तेलों पर आयात शुल्क का संबंध है इसके बारे में किसानों, विशेषकर नारियल और अन्य तिलहनों, जिनसे तेल निकलता है, की खेती करने वाले किसानों के बारे में काफी चिन्ता व्यक्त की गई है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस पर अवश्य विचार किया जाए। वनीला एक फसल है जिसकी कीमतें 3000 रुपये प्रति किलोग्राम से गिरकर 150 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई है। यदि आप वनीला खरीदने के लिए 10 करोड़ रुपये खर्च करते हैं तो समस्या का काफी हद तक समाधान हो जाएगा। मैं सरकार से ऐसी खरीद करने का आग्रह करता हूं।

मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सहकारी बैंकों, जहां पर किसान सामूहिक रूप से आते हैं, पर भी विचार किया जाए और 30 प्रतिशत कर जिसे जिला स्तर या राज्य स्तर के सहकारी बैंकों पर लगाया गया है की समीक्षा की जाए और इसे तत्काल रोका जाना चाहिए।

रसोई गैस के संबंध में काफी समस्याएं हैं। रसोई गैस की उपलब्धता बहुत कम है। कई राज्यों में जब से वैट लागू हुआ है रसोई गैस पर कर कम किया गया है। इसका लाभ रसोई गैस उपभोक्ताओं को देना होगा। इसे तत्काल किया जाना चाहिए।

ऊर्जा सुरक्षा एक पहलू है जिस पर बजट में भी कुछ कहा गया है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे तटों पर विशेषकर कोचीन और तमिलनाडु के अपतटीय क्षेत्रों ने काफी कार्य किया जाना है और उस पर काफी ध्यान देना होगा। मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए और धनराशि निर्धारित की जानी चाहिए।

नारियल जटा एक क्षेत्र है जिसके लिए धनराशि दी गई है लेकिन यह धनराशि मात्र 120 करोड़ रुपये है जो कि बहुत कम है।

जहां तक कक्षाओं के लिए कमरों के निर्माण का संबंध है, यह अच्छा सुझाव है कि 5 लाख कक्षा-कक्षों का निर्माण किया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए सरकारी और सहायताप्राप्त विद्यालयों पर विचार किया जाए। इसलिए, तत्काल योजना बना लेनी चाहिए ताकि यह योजना निचले स्तर तक पहुंच सके।

आखरी बात यह है कि भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर कोई दलगत मतभेद नहीं है। हम पाते हैं कि की कई दल, कई राजनीतिज्ञ और सत्ता में बैठे कई लोग तथा नौकरशाही भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं। इसलिए, इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ करना होगा। मैं समझता हूं कि बजट में भी इस पहलू पर चर्चा की गयी है। हाल ही में, एक सर्वेक्षण किया गया और आज के कई समाचार-पत्रों में यह समाचार छपा है। उसमें देखा गया है कि भारत का एशिया में भ्रष्टाचार के मामले में पांचवां स्थान है। हो सकता है, वैश्वीकरण के कारण कोई भी प्रतिस्पर्द्धा कर सकता है और प्रथम स्थान पर आ सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि यह शर्म की बात है। मैं बजट भाषण में इसका उल्लेख करते हुए यह कहना चाहता हूं कि एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जा सकता है जो यह सुनिश्चित करेगी कि इन भ्रष्टाचार के आरोपों को गम्भीरता से लिया जाये और वे मामले उस स्तर पर दिये जायें जहां से तत्काल जांच हो और भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्तियों को उचित दंड दिया जाये।

श्री ए. साईं प्रताप (राजकोट): महोदय, मैं वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम द्वारा प्रस्तुत सामान्य बजट का स्वागत करता हूं। विकास दर में इजाफा हुआ है, परन्तु कृषि विकास दर में गिरावट आई है। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और सिंचाई क्षेत्रों को वरीयता दी है। मैं आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र रायलसीमा का रहने वाला हूं। वहां केवल 500-600 मि.मी. वर्षा हुई है तथा किसानों की दशा बहुत खराब है। यहां पर हमारी केन्द्र सरकार, हमारे वित्त मंत्री ने देश में नौ लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई व्यवस्था के लिए इस वर्ष के बजट में 11,000 करोड़ रु. का आवंटन करने की घोषणा की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री, श्री राजशेखर रेड्डी ने राज्य में पिछले दस वर्षों के दौरान किसानों की दयनीय दशा का ध्यान रखते हुए जलायाग्नुम परियोजना आरम्भ की है। वर्ष 2004-05 से ही उन्होंने मुख्य रूप से लम्बित और चल रही सिंचाई परियोजनाओं पर ध्यान केन्द्रित किया है। उन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य के बजट में इस वर्ष 12,000 करोड़ रु. का आवंटन किया है। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2009 से पहले एक करोड़ एकड़ भूमि को सिंचित करने हेतु पानी की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। वे प्रत्येक वर्ष 12 लाख एकड़ भूमि को सिंचित करने के लिए 12,000 करोड़ रु. व्यय कर रहे हैं।

प्रत्येक वर्ष, आंध्र प्रदेश के, विशेषकर रायलसीमा क्षेत्र के हम सांसद, जिनकी संख्या काफी अधिक है, वित्त मंत्री से यह अनुरोध करते हैं कि वे हमारे मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता प्रदान करके वर्ष 2009 तक पूरी होने वाली सभी लंबित और चालू परियोजनाओं पर विचार करें। मेरा वित्त मंत्री से यह अनुरोध है कि वे एक विशेष मामले के रूप में इस विषय पर विचार करें। इस सभा के हम सभी सदस्य किसान समुदाय के बारे में काफी चिन्तित हैं।

पोलावरम परियोजना हमारे राज्य में आरम्भ होने वाली एक बड़ी परियोजना है तथा यह एक अर्थक्षम परियोजना है। सीडब्ल्यूसी से मंजूरी मिलने के बाद मेरा माननीय वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री से यह अनुरोध होगा कि वे इस परियोजना पर राष्ट्रीय परियोजना के रूप में विचार करें।

जैसाकि मैंने पहले भी उल्लेख किया था कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम और रायलसीमा के अन्य जिलों में केवल 500 मिलीमीटर वर्षा होती है। अत: सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री पोथीरेड्डी पाडु परियोजना और तुंगभद्रा हाई लेवेल कैनाल प्रोजेक्ट का कार्य आरम्भ करना चाहते हैं।

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त करें क्योंकि और भी कई वक्ताओं को बोलना है।

श्री ए. साई प्रताप: मैं दो मिनट में मुख्य-मुख्य मुद्दों पर अपनी चर्चा समाप्त करूंगा तथा मैं अपने शेष भाषण को सभा पटल पर रखूंगा।

केन्द्र सरकार को सूखा प्रवण क्षेत्रों को तरजीह देते हुए पोथीरेड्डी पाडु और तुंगभद्रा हाई लेवेल कैनाल प्रोजेक्ट को भी राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना चाहिए। आंध्र प्रदेश में अत्यन्त कम वर्षा वाले तीन सौ मंडलों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जल संसाधन प्रबंधन, जल भंडारों का जीर्णोद्धार करना और भूजल को रिचार्ज करने के कार्यक्रम जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। महोदय, मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि वह सिंचाई के अभाव वाले क्षेत्रों, विशेषकर रायलसीमा में नारंगी, नींबू, केला, पपीता और आम जैसे फलों के बागान लगाने पर भी इसी प्रकार ध्यान दें।

केन्द्र सरकार ने चाय के पौधों का पुनर्रोपण करने और इसे नया जीवन प्रदान करने हेतु चाय निधि की शुरुआत करके बागान क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है। सरकार कॉफी, रबड़, मसालों और नारियल के लिए भी इसी प्रकार का वित्तीय पैकेज देने पर विचार कर रही है। आंध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति को देखते हुए सरकार को मेरे द्वारा उल्लिखित मुद्दों पर विचार करना चाहिए।

अंत में, अपना शेष भाषण सभा पटल पर रखने से पूर्व मैं अपने प्रिय नेता, स्वर्गीय राजीव गांधी के कथन का स्मरण कराना चाहता हूं। मेरे संसद सदस्य बनने से पहले जून अथवा जुलाई, 1989 में हमारे प्रिय नेता स्वर्गीय राजीव गांधी ने कुडप्पा जिले का दौरा किया। पिछड़े क्षेत्रों, पिछड़े इलाकों में किसानों की स्थिति और पिछड़े लोगों की दुर्दशा को देखते हुए भारी मन से उन्होंने कहा, "यद्यपि केन्द्र सरकार निधियों का आवंटन करती है और उसे जारी करती है, किंतु लोगों के पास पहुंचने से पहले जब यह राज्य से जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय से मंडल, मंडल से राजस्व प्रभाग और राजस्व प्रभाग से पंचायत तक पहुंचती है तो उन्हें एक रुपये में से केवल दस पैसे मिलते हैं तथा किसी को यह पता नहीं होता है कि बाकी 90 पैसा कहां जा रहा है।" उन्होंने स्वयं ही लोगों के समक्ष यह कहा।

सभापति महोदय: आप अपना बाकी भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं। आप सत्ताधारी दल के सदस्य हैं।

श्री ए. साई प्रताप: हम लोगों को कृषि की बहुत अधिक चिन्ता है तथा कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर देकर हम अपनी विकास दर में बढ़ोत्तरी कर सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना शेष भाषण सभा पटल पर रखना चाहूंगा।

*महोदय, विकास कर में तो बढ़ोत्तरी हुई है पर कृषि विकास दर में गिरावट आई है। महोदय, आपने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और सिंचाई क्षेत्रों को वरीयता दी है। महोदय, मैं मुख्य रूप से सिंचाई एवं कृषि क्षेत्र के संबंध में अपना विचार व्यक्त करता हूं।

मुझे यह देखकर खुशी हुई है कि आपने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत इस वर्ष 11,000 करोड़ रु. का परिव्यय निर्धारित किया है। महोदय, आपने यह कहा कि 35 परियोजनाओं के पूरा होने की संभावना है तथा देश में 9,00,000 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई संभावना तैयार की जाएगी।

महोदय, मैं आपका ध्यान आंध्र प्रदेश राज्य में पिछले 10 वर्षों में किसानों की दयनीय स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ने वर्ष 2004-05 से लम्बित सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता देने का कार्य आरम्भ किया है। महोदय, इस वर्ष आंध्र प्रदेश का बजट आवंटन

.... भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री ए. साईं प्रताप]

12,000 करोड़ रु. है। महोदय, प्रत्येक वर्ष हमारे राज्य में आयाकुत के 12 जलाशयों का निर्माण किया जाएगा जिससे बहुत सारी सिंचाई सुविधाएं प्राप्त होंगी तथा हमारे मुख्यमंत्री लम्बित और चालू परियोजनाओं को 2009 से पहले पूरा करने के लिए वचनबद्ध हैं।

महोदय, आंध्र प्रदेश के हम अधिकांश सांसद उत्कृष्ट परिणाम हासिल करने के लिए आंध्र प्रदेश की मदद करने में आप सबका सहयोग चाहते हैं।

महोदय, पोलावरम परियोजना, जो मेरे राज्य के लिए लाभदायक परियोजना है, एक व्यवहार्य परियोजना है तथा इसकी केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) से मंजूरी लेने के पश्चात् इसे राष्ट्रीय परियोजना माना जाये।

महोदय, जलागनम् कार्यक्रम की भी हमारी माननीया अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और कई बार हमारे मा. प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी ने सराहना की है, खासकर आंध्र प्रदेश राज्य में सिंचाई संबंधी चल रहे क्रियाकलापों की। महोदय, मेरे राज्य आंध्र प्रदेश में आरंभ किये गये जलागनम् कार्यक्रम में अपना पूर्ण सहयोग दें।

महोदय, आपके भाषण के पृष्ठ 9 में, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जल संसाधन प्रबंधन, कुएं, तालाब, इत्यादि जलाशयों को पुन: बहाल करना और भूमिगत जल पुनर्भरण आदि बहुत महत्वपूर्ण है।

महोदय, राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना कुछ माह पहले वाटरशेड विकास और भूमि इस्तेमाल के अन्य पहलुओं से जुड़ी सभी योजनाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए की गई थी।

महोदय, जलाशयों की मरम्मत करने, उनका नवीकरण करने और उन्हें बहाल करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना 13 राज्यों में आरंभ की गई थी। महोदय, तमिलनाडु में जलाशयों द्वारा 4,00,000 हेक्टर क्षेत्र को पानी दिया जायेगा। 2,50,000 हेक्टर कमान क्षेत्र के लिए 3000 जलाशयों को सम्मिलित करने के लिए आंध्र प्रदेश के साथ करार किया गया है। महोदय, जहां कहीं भूजल स्तर नीचे है, ऐसे जलाशय वर्षा के पानी को छोटे कुओं के जैसी इकाइयों में एकत्र करने के लिए उपयोगी होंगे। महोदय, सरकार ने देश में ऐसे 1065 मूल्यांकन ब्लाकों की पहचान की है जहां उनका उपयोग क्षमता से अधिक किया गया है अथवा वे शोचनीय स्थिति में हैं। अत:, ऐसे 80% ब्लॉक 100 जिलों में हैं। महोदय, अच्छे ढंग से खोदे गए प्रत्येक ढांचे पर लगभग 4,000 रु. की लागत आयेगी। जैसेकि आपने पुन: बताया है, देश में सत्तर लाख इकाइयों की आवश्यकता है। महोदय, इसकी अच्छी तरह खुदाई करने के लिए 4,000 रु. की राशि पर्याप्त नहीं होगी।

महोदय, मेरा अनुरोध है कि देश के विभिन्न भागों में ऐसे छोटे कुएं बनाने से पहले सर्वेक्षण कराए जाएं। यदि मिट्टी पोली है, तो ठीक है। अगर मिट्टी सख्त है, तो अधिक राशि की जरूरत होगी। अत:, विभिन्न राज्यों से रिपोर्ट मंगवायें ताकि ऐसी परियोजनायें हमारे देश में 1048 छोटे और सीमान्त किसानों हेतु उपयोगी हो।

महोदय, हमारे देश में 80% लोग कृषि पर निर्भर हैं। महोदय, उनमें से 60% प्रतिशत किसान, जिनके पास अधिकतम 2 से 5 एकड़ जमीन है, अधिकांश छोटे एवं सीमान्त किसान हैं।

महोदय, अपने राज्य आंध्र प्रदेश के एक क्षेत्र-रायलसीमा का उदाहरण देता हूं, जिसमें चार जिले—अनंतपुर, कडप्पा, कर्नूल और चित्तूड़ आते हैं। महोदय, औसत वर्षा 500 से 600 मिमी. होती है। अधिकांश किसान मात्र वर्षा सिंचित फसलों पर निर्भर हैं। 4 से 5 वर्ष के समय में प्राकृतिक आपदाओं के कारण, शुष्क खेती से उनकी आय अधिकतम मात्र 2000 अथवा 3000 रु. होगी, जो वर्षासिंचित फसलों पर निर्भर होगी। महोदय, एक छोटे किसान द्वारा क्रमिक वर्षों में किया गया निवेश उसे और दुखी करेगा।

महोदय, हमें अपने देश के ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए और छोटे एवं सीमान्त किसानों के उत्थान हेतु ऐसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों को अलग से पैकेज दिया जाना चाहिए।

महोदय, किसानों को प्रशिक्षण देने की बात अभी भी एक सपना ही है। मैं कह सकता हूं कि प्रौद्योगिकीय उन्नति शुष्क भूमि की स्थिति में हमारे किसानों के लिए कुछ भी कर पाने में असमर्थ रही है। महोदय हमारे देश में 90 मिलियन हेक्टर वर्षासिंचित कृषि भूमि है। विकास की इस दर के चलते, सारी कृषि भूमि को सिंचाई सुविधाएं मुहैया कराने में 37 वर्ष लगेंगे। क्या हम अपने शुष्क भूमि और वर्षा सिंचित खेती से जुड़े किसानों को इतने समय तक पीड़ा दे सकते हैं? अत:, हमें इस समस्या का मुकाबला करने के लिए दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन रणनीतियां तैयार करनी चाहिए।

मेरी जानकारी के अनुसार, 57% किसानों को फसल बीमा के बारे में जानकारी ही नहीं है, 71% किसान सहकारी सहायता के बारे में नहीं जानते। इसके अलावा, 82% किसान जैव-उर्वरकों के इस्तेमाल के प्रति जागरूक नहीं हैं। महोदय, केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से ग्रामीण भारत को लाभान्वित करने के लिए प्रशिक्षण जरूरी है।

महोदय, आईसीएआर को हमारे देश के खासकर उन क्षेत्रों, जहां वर्षा 600 मिमी. से भी कम होती है, में छोटे और सीमान्त किसानों के हितार्थ प्रौद्योगिकीय उन्नति का इस्तेमाल करने के लिए संबंधित विभागों के साथ मिलकर आवश्यक कदम उठाने चाहिए। कृषि क्षेत्र में वांछित परिणाम हासिल करने हेतु किसानों के प्रशिक्षण के लिए किया गया 100 करोड़ रु. का आवंटन पर्याप्त नहीं हो सकता। अत:, कृपया इस आवंटन में वृद्धि कीजिए।

महोदय, कृषि ऋण के अंतर्गत अन्य 50 लाख किसानों को सम्मिलित करना निश्चय ही एक प्रशंसनीय कार्य है। समय आ गया है कि कृषि क्षेत्र में ऋण का क्षेत्र-वार गहन विश्लेषण किया जाये। सबसे अधिक नुकसान झेल चुके लोगों की ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए विशेष आवंटन किये जाने की जरूरत है। छोटे और सीमान्त किसानों की उच्च प्रतिफल दर और उच्च उप्यम जोखिम पर विचार करते हुए, किसानों से वसूली जाने वाली ब्याज दर काफी अधिक है।

महोदय, बागवानी क्षेत्र में, चाय के पुनर्पोधारोपण और उसमें जान फूंकने के लिए एक विशेष प्रयोजन चाय निधि आरंभ की गई है। सरकार, कॉफी, रबड़, मसालों, काजू और नारियल के लिये भी इसी प्रकार के वित्तीय तंत्रों पर विचार कर रही है।

मेरा सरकार को प्रस्ताव है कि वह किन्नू, नींबू, केला, पपीता और आम बागानों जैसे अन्य बागानों पर भी ऐसा ही जोर दे। खासकर रायलसीमा क्षेत्र जैसे शुष्क भूमि क्षेत्रों में, इस प्रकार का पौधारोपण काफी अधिक भूमि पर हो रहा है।

उर्वरक राजसहायता के बारे में, मैं सरकार की सराहना करता हूं कि उसने 2006-07 में उर्वरक राजसहायता के लिए 17,253 करोड़ रु. का बजटीय प्रावधान किया है। मैं राजसहायता का सीधे किसानों को वितरण करने की वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सरकार द्वारा किये जा रहे विचार की सराहना करता हूं। किंतु इस संबंध में, मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह कृषि को अपनाने पर अधिक गंभीरता से विचार करे। गंभीरतापूर्वक यह सोचने का समय आ गया है कि जैव कृषि को बढ़ाने के विभिन्न मॉडलों पर विचार किया जाये जिससे किसानों की रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी। मैं रसायनिक उर्वरकों के नुकसान के बारे में जानता हूं, ये मृदा उर्वरता के लिए हानिकारक होते हैं।

अन्तत:, महोदय, मुझे अभी भी याद है कि 1989 में हमारे प्रिय नेता स्व. श्री राजीव गांधी जी जब सुबह-सुबह कड़प्पा जिले में गये थे। उन्होंने प्रधानमंत्री की हैसियत से बड़े दुखी मन से यह बात व्यक्त की थी कि हमने किसानों समेत सभी वर्गों की परेशानियों के दृष्टिगत, केन्द्र सरकार के आम बजट में कई आवंटन किये, हमने आवंटन किये जो समाज के उत्थान हेतु राज्य सरकारों तक पहुंचेंगे। किंतु जब से केन्द्र से राज्यों तथा राज्यों से जिला मुख्यालयों में, फिर जिला मुख्यालयों से राज्य प्रभागों तथा राजस्व प्रभागों से मंडलों तक और मंडलों से पंचायतों तक पहुंचते हैं, तो उदाहरणार्थ यदि किसी व्यक्ति को 1 रु. मिलने की आशा होती है तो उसे केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा निर्मुक्त किये गये एक रुपये में से मात्र 10 पैसे मिलते हैं। शेष 90 पैसे कहां जा रहे हैं? दोषियों को सजा दी जाये। अत:, महोदय, स्वतंत्रता के पश्चात् 60 साल बीत गये हैं और अभी भी किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं की संख्या बढ़ रही है। अत:, क्योंकि आप एक वरिष्ठ और उच्च ज्ञानी वित्त मंत्री हो, इसलिए कृपया ध्यान दें और निर्देश दें। जैसाकि हमने आशा की थी, वर्ष-दर-वर्ष विकास दर हमारे देश को आगे ले जायेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप नेताओं को इस बात का आभास कराते हो कि पार्टी नेता असीमित समय तक बोलते हैं जिससे अन्य सदस्यों को परेशानी होती है। अत:, समय का समान बंटवारा अवश्य ही होना चाहिए। प्रत्येक पार्टी इस पहलू पर विचार करे। नेता आकर काफी समय तक बोलते हैं, समय समाप्त हो जाता है और अन्य सदस्यों को अपनी बात कहने का समय नहीं मिल पाता। यह एक गलत प्रक्रिया है। आप को अपनी पार्टी के नेताओं से इस बात का ख्याल रखने का आग्रह करना चाहिए कि पार्टी के वक्ताओं के समय बराबर-बराबर समय हो। अन्यथा हमें कठिनाई होगी वे आकर काफी लम्बे समय तक बोलते हैं और जो सदस्य उनके बाद बोलते हैं उन्हें समय नहीं मिल पाता। सभी पार्टियां अक्सर ऐसा ही करती हैं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, मैं अपनी पार्टी का नेता हूं। मुझे बोलने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: आपका नाम पुकारा गया था किंतु दुर्भाग्यवश आप सदन में उपस्थित नहीं थे।

श्री सुरेश अंगड़ि (बेलगाम): आदरणीय सभापति महोदय, जब 28 फरवरी को इस सम्माननीय सदन में बजट प्रस्तुत किया गया था, तो देशवासी यह आस लगाये बैठे थे कि संप्रग सरकार और वित्त मंत्री जी आम लोगों, दलित लोगों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कृषि क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करेंगे। किंतु उनकी सारी आशाओं पर पानी फिर गया।

[श्री सुरेश अंगडि]

कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री जी यहां आये और उन्होंने मा. वित्त मंत्री जी से अनुरोध किया कि वे कृषि ऋण ब्याज दर को 11 प्रतिशत से कम करके 4 प्रतिशत करें और अगर ब्याज दर को इतना कम करना संभव न हो तो इसे कम से कम 7 प्रतिशत करें। किंतु उनके सारे अनुरोध व्यर्थ गये। वित्त मंत्री जी ने मात्र इतना किया कि उन्होंने कृषि ऋण परिव्यय को 1,75,000 करोड़ रु. से बढ़ाकर 1,90,000 रु. कर दिया है। उन्होंने ऋण की राशि में वृद्धि की है। ऋण चुकाने के लिए, किसानों को अन्य ऋण लेना पड़ता है। इसके कारण, किसान देश में आत्महत्यायें कर रहे हैं।

मेरा जिला एक खास जिला है विगत दो वर्षों में, वहां भारी वर्षा हुई और जिला बुरी तरह प्रभावित हुआ। उस दौरान, उन्होंने कुछ राहत दी है। उसी दौरान, जिन किसानों ने ऋण लिया था उनके खातों को नियमित कर दिया गया। उसके कारण, संकटग्रस्त किसानों के पैकेज का लाभ मेरे जिले को दिया गया है। किंतु वास्तविक किसान इस पैकेज का लाभ लेने में असमर्थ हैं। जिन ईमानदार किसानों ने ऋण लिया है वे बाढ़ आ जाने के कारण मुसीबत में पड़ गये हैं। कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी ने बैंकों को निदेश दिया कि वे अल्पावधिक ऋणों को दीर्घावधिक ऋणों में बदल दें। इस कारण से वास्तविक किसान इस पैकेज का लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। अत: मैं मा. वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया उन सभी किसानों, जिनके खाते बाढ़ की स्थिति के दौरान नियमित किये गये हैं, के मामलों पर विचार करें।

मेरा जिला एक प्रमुख चीनी-उत्पादक जिला है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में, अधिकांश किसान गन्ना उगाते हैं। इस साल गन्ना उत्पादक किसानों के लिए किसी विशेष पैकेज का उल्लेख इस बजट में नहीं किया गया है। विगत वर्ष, सहकारी क्षेत्र में रुग्ण चीनी उद्योगों के लिए मा. वित्त मंत्री जी ने एक विशेष पैकेज की घोषणा की थी। इस वर्ष ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। इसके कारण, मेरे जिले और राज्य में गन्ने की पिराई नहीं हो रही है।

एक दिन मा. कृषि मंत्री जी कर्नाटक गये और उन्होंने वहां अपनी असमर्थता व्यक्त की। उन्होंने कहा,

[हिन्दी]

''इस देश में इतना गन्ना रहा तो मैं क्या कर सकता हूं।'' जब इस देश के मंत्री ने यह बोल दिया तो हम क्या बोल सकते हैं।

[अनुवाद]

एक ओर मा. वित्त मंत्री जी सारा पैसा तमिलनाडु ले जाते हैं और दूसरी ओर कृषि मंत्री जी कहते हैं कि वे कुछ नहीं कर सकते। अगर यही स्थिति है, तो मुझे इस सरकार को 'तुगलक राज' कहना होगा।

[हिन्दी]

इधर से उधर और उधर से इधर।

[अनुवाद]

श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम: महोदय, मा. सदस्य का यह कहना अनुचित है कि सारा पैसा तमिलनाडु जाता है।

श्री सुरेश अंगडि: वास्तव में, वैसा ही मामला प्रतीत होता है। पानी तमिलनाडु एवं कर्नाटक के लिये है। विश्वविद्यालय और पानी की सुविधायें तमिलनाडु को मिलती हैं। सब कुछ तमिलनाडु को मिलता है। वे देश के वित्त मंत्री हैं न कि तमिलनाडु के वित्त मंत्री। मेरा अनुरोध है कि वे अपने आप को देश का वित्त मंत्री मानें।

इसके अलावा, मैं गन्ने के मूल्य के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। विगत वर्ष, किसानों को प्रति टन 1500 रु. मिल रहे थे। किंतु इस वर्ष, औने-पौने दामों पर बिक्री करने की वजह से, उन्हें मात्र 650-900 रु. ही मिल रहे हैं। अगर ऐसा मामला है, तो वे पुन: आत्महत्या कर सकते हैं। समस्यायें बहुत गंभीर हैं, हमारे क्षेत्र में किसान काफी मुसीबत में हैं। गन्ना फैक्ट्रियों में नहीं जा रहा है; फैक्ट्री मालिक गन्ना नहीं ले रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो किसान आत्महत्या करेंगे। अन्यथा, उन्हें सारा गन्ना आग में डालना पड़ेगा।

सीमेन्ट के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। सीमेन्ट की कीमत बढ़ी है। मुम्बई में इसकी कीमत 300 रु. थी। फिर भी, 75% लोगों के पास ग्रामीण क्षेत्रों में कोई नागरिक सुविधाएं नहीं हैं। सीमेन्ट की कीमत बढ़कर 300 रु. हो गयी है। अगर आम आदमी सीमेन्ट नहीं ले सकता, तो उसके पास न्यूनतम आधारभूत नागरिक सुविधायें भी नहीं हो सकतीं। यदि सीमेन्ट 190 रु. में बेचा जाता है, तो विक्रेता को 2.50 रु. की प्रोत्साहन राशि मिलती है। अगर सीमेन्ट 300 रु. में बेचा जाये, तो कंपनियों को भारी लाभ होगा। अत:, मैं कहूंगा कि मा. मंत्री जी ने देश के विकास का ख्याल नहीं रखा है। यदि सीमेन्ट नहीं होगा, तो हमारे पास देश में अवसंरचना भी नहीं हो सकती। देश के विकास के लिए हमें सीमेन्ट की आवश्यकता है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाये। केवल डा. मनोज का भाषण ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

"श्री सुरेश अंगड़ि: मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया। देश के लिए किसी अच्छे समाचार को सुनने को बहुत बेताब और आशावादी थे। क्योंकि मा. वित्त मंत्री ने नकारात्मक बजट सभा पटल पर रखा, इसलिए देश के लोग निराश हो गये। यह बजट किसानों के हित में नहीं है, जहां कर्नाटक में राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों की ब्याज दर को 11% से कम करके 4% कर दिया है। किंतु मुझे आपको बड़े दु:ख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आपकी अपनी सरकार ने ही डॉ. स्वामीनाथन समिति नियुक्त की है जिसने कृषक समुदाय से 4% ब्याज लेने की सिफारिश की है, जिसे क्रियान्वित नहीं किया गया है। कृषि क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री द्वारा 1,75,000 करोड़ रु. की ऋण सीमा को 1,90,000 करोड़ रु. कर दी गयी है।

संकटग्रस्त किसानों हेतु विशेष पैकेज है। मेरे जिले के किसान इस सुविधा का लाभ लेने के पात्र नहीं हैं। मेरा जिला बाढ़ग्रस्त हो गया था, इस दौरान कई सड़कें, पुल और गांव पानी में डूब गये थे। फसलों, जानमाल और मवेशियों का भारी नुकसान हुआ था।

इस समय, मा. कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री और संप्रग अध्यक्षा ने मेरे जिले का दौरा किया।

[अनुवाद]

मेरे जिले को थोड़ी सी राहत दी गई है और इस समय किसानों के ऋण माफ नहीं किये गये हैं। किसानों के इन ऋणों को ऐसे दीर्घकालिक ऋण का भुगतान नहीं किया गया है, के रूप में उनके अशोध्य ऋण खातों में डालकर नियमित किया गया है।

बाद में मेरे जिले को किसानों के अशोध्य ऋणों हेतु संकटग्रस्त किसानों के लिए विशेष पैकेज में शामिल किया गया है। वास्तविक किसानों को यह पैकेज नहीं मिल पाता क्योंकि उनके खातों का सरकारी निदेशानुसार नवीकरण किया गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि संबंधित बैंकों को यह निदेश दिया जाये कि वे उन किसानों के खातों को अपने पास रख लें जिनके खातों को 'डिस्ट्रेस्ट फार्मर्स पैकेज' के लिए खाद्यान्न प्रभावित समय के दौरान नियमित किया गया है।

गन्ना: अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष माननीय वित्त मंत्री ने कुछ धनराशि रुग्ण चीनी मिलों के पुनरुद्धार के लिए रखी थी लेकिन इस वर्ष इसका कोई उल्लेख नहीं है। इन उद्योगों में ग्रामीण लोगों को काफी रोजगार मिलता है, इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्मानित सभा को यह जानकारी देते हुए बहुत दु:ख होता है कि हाल ही में माननीय कृषि मंत्री ने कर्नाटक का दौरा किया था और उन्होंने गन्ना किसानों से असमर्थता जताई थी क्योंकि उनका गन्ना खेतों से नहीं उठाया गया था। किसानों के खेतों में 50 प्रतिशत से अधिक गन्ना पड़ा रहेगा और उन्हीं किसानों को अपने गन्ने को जलाना पड़ेगा क्योंकि अधिकतर चीनी मिलें गन्ना नहीं उठा रही हैं, ये मिलें 650 रुपये से 900 रुपये प्रति मैट्रिक टन की दर से गन्ना खरीद रही है और इस कारण किसानों को पुन: कठिनाइयां होंगी, जबकि इन दिनों चीनी 1700 से 2000 रुपये प्रति कुन्तल के हिसाब से बिक रही है। सरकार किसानों या आम जनता और उपभोक्ता के पक्ष में नहीं है। यह एक नकारात्मक बजट है। अत: मैं माननीय वित्त मंत्री से देश में गन्ना उत्पादकों पर ध्यान दैने और उन्हें इस समस्या से निपटने के लिए कम से कम 300 रुपये से 500 रुपये की राजसहायता प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

सीमेंट उद्योग: महोदय, किसी देश को यदि विकसित या विकासशील देश के रूप में देखना हो तो वह घरों और होटलों के अभाव में इसकी अवसंरचना यानि सड़कों, पुलों, जनता के स्वास्थ्य, विमानपत्तनों और बन्दरगाहों के रूप में देखा जाता है। सीमेंट महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, जब कल सभा में वामपंथियों और डीएमके के बीच टकराव हुआ था तो आपने सीमेंट की तरह काम किया और सभा में व्यवस्था स्थापित की। देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सीमेंट महत्वपूर्ण है। लेकिन माननीय वित्त मंत्री ने इस वर्ष 12 रुपये प्रति बैग उत्पाद शुल्क लगाया है। इसके अलावा, उन्होंने 190 रुपये की दर से बिकने वाले प्रति बैग पर 2.50 रुपये का प्रोत्साहन दिया है और 190 रुपये से अधिक के सीमेंट पर 12 रुपये का अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया है। इससे आज देश भर में सीमेंट का मूल्य 250 रुपये से अधिक हो गया है। अत: यह बजट नकारात्मक है और विकास के लिए नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से अपील करता हूं कि उन्हें सीमेंट उद्योग को और प्रोत्साहन देना चाहिए था जिससे कि सीमेंट का उत्पादन बढ़ता और सीमेंट के मूल्यों में कमी आती इससे देश के विकास में सहायता मिलती। यह उद्योग श्रमिकों, कुलियों, मिस्त्रियों, वास्तुकारों, इंजीनियरों आदि को बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करेगा।

बेरोजगारी: महोदय, देश में विशाल मानव संसाधन हैं। उनमें से कई युवा बेरोजगार हैं। बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री सुरेश अंगड़ि]

कई राष्ट्रीयकृत बैंक पीएमआरवाई के अंतर्गत युवाओं को ऋण नहीं दे रहे हैं जिसके कारण अधिकांश युवा हताश हो रहे हैं। यह घटना हम सबके लिए काफी शर्मनाक है कि जब भारत के महामहिम राष्ट्रपति कर्नाटक में गुलबर्गा के दौरे पर थे और जब वे जनसभा को संबोधित कर रहे थे उस समय चार युवाओं ने उन्हीं के सामने जहर खा लिया था। अत: मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कर्नाटक सरकार की तरह ही युवाओं को अपने-अपने क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने के लिए कुछ व्यवस्था करें।

आयुष विश्वविद्यालय: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि उन्होंने आयुर्वेद के लिए कोई विशेष धनराशि नहीं दी है, इस देश का इतिहास 5000 वर्ष का है और इस देश में अधिकतर लोग परम्परागत औषधियों पर जीवित हैं अधिकतर लोग बड़े अस्पतालों में नहीं जा पाते हैं। महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र पश्चिम घाट में पड़ता है, वहां कई आयुर्वेदिक कालेज हैं। अत:, मैं आपके माध्यम से सरकार से अपने क्षेत्र में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र आरम्भ करने का अनुरोध करता हूं। सरकार और वित्त मंत्री ने परम्परागत चिकित्सा के लिए कोई धनराशि नहीं रखी है। मेरा अनुरोध है कि इसके लिए विशेष धनराशि प्रदान किया जाये और बेलगांव में एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाये।

जल नीति: आदरणीय महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने गंगा कावेरी योजना के लिए कोई धनराशि नहीं रखी है, उन्होंने सिंचाई के लिए केवल 11000 करोड़ रुपये का वायदा किया है। यदि देश 50000 करोड़ रुपये सिंचाई पर व्यय करता है, तो 60% से अधिक सिंचाई की जा सकती है, राज्य पानी के लिए आपस में लड़ रहे हैं। एक ओर कावेरी के पानी के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक, भीम कृष्णा के पानी के लिए आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, महादायी से पेयजल के लिए गोवा और कर्नाटक आपस में लड़ रहे हैं। महोदय, इन समस्याओं से बचने के लिए सभी राज्यों हेतु एक राष्ट्रीय जल नीति होनी चाहिए और माननीय वित्त मंत्री को गंगा-कावेरी परियोजना शुरू करने के लिए विशेष धनराशि प्रदान करनी चाहिए।

कर्नाटक आईटी और बीटी के क्षेत्र में देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है। कर्नाटक के लोगों ने आईटी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा के मामले में देश का नाम ऊंचा किया है जिसके कारण बंगलौर सिलिकॉन सिटी अमेरिका से भी बड़ा है। कर्नाटक शिक्षा का केन्द्र है, लेकिन जल और नदी विवाद के कारण हमारे देश में पड़ोसी राज्य हमेशा लड़ते रहते हैं। अत: महोदय मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री और सरकार से तत्काल जल नीति तैयार करने और इस प्रयोजनार्थ यानि "गंगा-कावेरी" हेतु पर्याप्त धन मुहैया कराने की अपील करता हूं।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): सभापति महोदय, वर्ष 2007-08 के सामान्य बजट या वाद-विवाद में मुझे भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए संप्रग सरकार गर्व कर सके और न ही कृषि संकट, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर देश के अधिकांश लोगों की चुनौतियों का सामना करने हेतु कोई कदम उठाया गया है। हालांकि, चालू वर्ष में 9.2 प्रतिशत की विकास दर की डींग मारी जा रही है किन्तु कृषि क्षेत्र में मात्र 2.73 प्रतिशत का विकास हुआ है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि 70 प्रतिशत आबादी अपने जीवनयापन के लिए कृषि पर निर्भर है। दसवीं योजनावधि में प्रस्तावित लक्ष्य का आधा हिस्सा कृषि क्षेत्र से प्राप्त हुआ। 60 प्रतिशत से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और उनमें से अधिकांश कृषि पर निर्भर हैं। इसलिए हमारे देश की आबादी के 50 प्रतिशत से अधिक लोग विकास की परिधि से बाहर हैं। वे वास्तव में विकास के दौर से बाहर है। जब विकास की धारा बहुसंख्यक लोगों तक नहीं पहुंचेगी। तब तक हम यह नहीं कह सकते कि यह विकास सही दिशा में हो रहा है।

औसतन तकरीबन एक लाख किसान प्रति वर्ष आत्महत्या कर रहे हैं। हमारी उम्मीदों के विपरीत देश में खाद्य आत्मनिर्भरता और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए हम अब गेहूं, चीनी, प्याज आदि का और अधिक आयात करने के बारे में सोच रहे हैं। मैं यह अवश्य कहूंगा कि किसानों की अनदेखी करने वाली आयोजना प्रक्रिया सार्थक नहीं होगी। कृषक समुदाय के लिए कम कीमत पर बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि की आवश्यकता है। उन्हें बिजली और सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता होती है। वे अपने कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य की मांग करते हैं। यह सिर्फ कृषि ऋण नहीं है जिसकी वे मांग कर रहे हैं।

उर्वरक राजसहायता के अलावा, इस बजट में किसी अन्य राजसहायता का उल्लेख नहीं किया गया। सिंचाई सुविधाओं के लिए आवंटित धनराशि बहुत ही कम है। ज्ञान विस्तार के इस दौर में कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर कोई बल नहीं दिया जाता है। कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है।

खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश न सिर्फ खुदरा बाजार उद्योग को प्रभावित करता है बल्कि इससे कृषि उत्पादों के लिए

लाभकारी मूल्य भी मिलते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अलावा, खुदरा बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश से किसानों को मिलने वाले मूल्य भी कम होंगे।

मात्स्यिकी क्षेत्र भी कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मात्स्यिकी क्षेत्र और भी राजकोष के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। पारंपरिक मत्स्य पालन क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अब पारंपरिक मछुआरों को राजसहायता प्राप्त मिट्टी का तेल नहीं दिया जाता है जबकि राजसहायता प्राप्त डीजल प्रदान किया जाता है। इसलिए पारंपरिक मछुआरों हेतु मिट्टी के तेल के कोटे को बढ़ाया जाना चाहिए और उन्हें राजसहायता दी जानी चाहिए।

पारंपरिक मत्स्यन नौकाओं का बीमा नहीं किया जाता है। पारम्परिक मत्स्यन नौकाओं के लिए राष्ट्रीय बीमा योजना लागू की जानी चाहिए। पारंपरिक मत्स्यन क्षेत्र द्वारा प्रयोग किये जाने वाले आयातित आउटबोर्ड इंजन पर लगने वाले उत्पाद और सीमा शुल्क को माफ किया जाना चाहिए। यह ज्ञात हुआ है कि योजना आयोग ने एक ऐसी सिफारिश की है कि एक राज्य के केवल एक मत्स्यन बंदरगाह को केन्द्रीय सहायता दी जाएगी यह आपत्तिजनक है। अधिक मत्स्य पालन बंदरगाह मत्स्य पालन केन्द्रों के निर्माण हेतु अधिक केन्द्रीय सहायता दी जानी चाहिए।

संप्रग सरकार द्वारा अपनाई गई अनेक नीतियां देश में लागू संघीय प्रणाली के विपरीत हैं। उदाहरणार्थ, जब पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य बढ़ाया जाता है, तो केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को उपभोक्ताओं पर भार कम करने के लिए बिक्री कर में कटौती करने का निदेश जारी किया जाता है। मुद्रास्फीति के मामले में भी माननीय प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से ऐसे उपाय करने का आग्रह किया है। अब आम आदमी बीमा योजना के क्रियान्वयन में भी मृत्यु और अपंगता संबंधी बीमा का जो लाभ असंगठित क्षेत्र को दिया जाता है, उसमें प्रीमियम का 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए। ऋण उपलब्धता के मामले में राज्य सरकार पर केन्द्र सरकार द्वारा लगाई गई ऋण सीमा भी हमारे संघवाद के अधिक्रमण का एक दूसरा उदाहरण है।

महोदय, मैं अपने भाषण का शेष अंश सभा पटल पर रखना चाहता हूं।

*अत्यधिक मुद्रास्फीति प्रवृत्ति के मद्देनजर भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक बनाने हेतु इस प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु बजट में कुछ भी नहीं किया गया है।

..... भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

यद्यपि, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 130 जिलों में लागू की गई है फिर भी इसके लिए बजट में पर्याप्त आवंटन नहीं किया गया है। योजना आयोग द्वारा की गई सिफारिश के बावजूद अलापुझा जैसे अनेक पिछड़े जिलों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। मैं सरकार से ऋणग्रस्त अलापुझा जिले को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में शामिल करने का अनुरोध करता हूं। डा. एम.एस. स्वामीनाथन अलापुझा जिले के कृषि संकट पर एक अध्ययन कर रहे हैं और उन्होंने एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मैं सरकार से डा. एम.एस. स्वामीनाथन की अंतरिम सिफारिश को लागू करने का अनुरोध करता हूं।

माननीय वित्त मंत्री ने बीच में स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों के लिए मेधा-सह-अर्थोपाय (मेरिट-कम-मीन्स) छात्रवृत्ति देने की सिफारिश की है। लेकिन इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मध्याह्न भोजन जैसे कार्यक्रमों के अलावा एकमुश्त अनुदान अथवा वृत्तिका पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों तथा अनु.जा./अ.ज.जा. और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों को ही दी जानी चाहिए।

महोदय, 5% आबादी मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की है। अकेले मेरे जिले में 15 विद्यालय तथा एक आवासीय विद्यालय मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए है। लेकिन मात्र दो विद्यालयों को अनुदान सहायता मिल रही है। शिक्षकों को प्रशिक्षण देने और इन बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु अधिक से अधिक विद्यालयों और संस्थानों को अनुदान दिया जाना चाहिए और इसकी स्थापना की जानी चाहिए।

एनआरएचएस के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त जनशक्ति, औषध चिकित्सा जांच संकायों का प्रावधान होना चाहिए। यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन पंचायती राज संस्थानों की भागीदारी से किया जाता है तो सभी जिला अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालय में अस्पतालों में भीड़-भाड़ को कम किया जा सकता है। एनआरएचएस के अंतर्गत सभी जिलों में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किया जाना चाहिए।

एनआरएचएस के अंतर्गत वृद्ध व्यक्तियों की समस्याओं और जीवन शैली संबंधी बीमारियों पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम को भी राज्य के सभी जिलों में लागू किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि देश के 47% बच्चे कुपोषित हैं जो देश में आईसीडीएस के सार्वभौमिकीकरण की आवश्यकता को दर्शाता है। माननीय मंत्री जी

[श्री सुरेश अंगड़ि]

ने देश से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन का उल्लेख किया है। स्वास्थ्य देखभाल सेवा भी अधिक मानव संसाधनों की मांग करता है। इसलिए मैं सरकार से चिकित्सा और परा-चिकित्सा पाठ्यक्रमों हेतु अधिक लोक संस्थानों को स्थापित करने की मांग करता हूं। महोदय विदेशों में रह रहे भारतीय हमारे राजकोष में काफी अंशदान देते हैं। लेकिन विदेश में रह रहे भारतीयों और उनके पारिवारिक सदस्यों के कल्याण हेतु बजट में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है।

खेल–राज्यों में खेल संबंधी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अधिक आवंटन किया जाना चाहिए। पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचा के निर्माण के लिए अधिक आवंटन किया जाना चाहिए क्योंकि पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार रहा है। केरल का तटीय क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक, और शैक्षिक रूप से पिछड़ा है। देश में तटीय क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष आवंटन किया जाना चाहिए।*

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोद्दा (बोब्बिली): महोदय, मैं श्री पी. चिदम्बरम, माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत सामान्य बजट 2007-08 पर बोलने के लिए खड़ी हुई है। मैं तहेदिल से बजट का समर्थन करती हूं।

बजट समानता उन्मुख हैं। बजट की मुख्य विशेषताएं जैसे ग्रामीण क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं हेतु बढ़ाया गया परिव्यय सराहनीय है। मुद्रास्फीति जिससे कमजोर वर्ग सर्वाधिक प्रभावित होते हैं को देखते हुए, इनके लिए आवंटन न बढ़ाना अविवेकपूर्ण होगा। शिक्षा के लिए आवंटन बढ़ाकर 34.2 प्रतिशत किया गया है। जिससे शैक्षिक अवसंरचना, अध्यापक प्रशिक्षण और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी। नये अ.पि. वर्ग कोटा के कार्यान्वयन के लिए 3240 करोड़ रुपये का आवंटन स्वागतयोग्य कदम है।

हमें स्वास्थ्य क्षेत्र में 21.9 प्रतिशत आवंटन बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए। 15291 करोड़ रुपये में से 1290 करोड़ रुपये पोलियो उन्मूलन और 969 करोड़ रुपये एड्स नियंत्रण हेतु निर्धारित किये गये हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संबंध में, मैं कुछ शब्द कहना चाहती हूं। संचारी रोग, मलेरिया, फिलारिएसिस जापानीज इनसेफलिटिस, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोगवाहक जीवाणुजन्म बीमारियां, जो कि आंध्र प्रदेश के तटीय और जनजातीय क्षेत्रों में होती हैं, के संबंध में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और इस रोगों की रोकथाम के लिए आंध्र प्रदेश में विजयनगर में विकार नियंत्रण केन्द्र खोला जाना चाहिए। इससे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे पड़ोसी राज्यों के लोगों को भी सहायता मिलेगी। आदिवासी क्षेत्रों में भी इन बीमारियों के उन्मूलन में गैर-सरकारी संगठनों को भी शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अभी भी आवंटन सकल घरेलू उत्पाद का दो प्रतिशत से भी कम है। इसलिए, मैं वित्त मंत्री से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन को बढ़ाने के लिए अनुरोध करती हूं।

मैं वित्त मंत्री जी को 1,75,000 करोड़ रुपये के कृषि ऋणों को तीन वर्षों की बजाय दो वर्षों में संवितरित करने के लिए बधाई देती हूं। चालू वित्त वर्ष के दौरान 1,90,000 करोड़ रुपये के कृषि ऋण संवितरित करने के लिए भी सरकार आश्वस्त है। वर्ष 2007-08 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य 225,000 करोड़ निर्धारित किया गया है जिसमें 50 लाख नए किसान शामिल किये जायेंगे। इस संबंध में, मैं वित्त मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहती हूं कि स्व सहायता समूहों की तर्ज पर नए किसान समूहों 'रिक्त मित्र' को कृषि ऋण, फसल बीमा और किसान बीमा के कारगर कार्यान्वयन हेतु प्रोत्साहित और सुदृढ़ किया जाना चाहिए। इससे जवाबदेही तय करने और ऋणों की इष्टतम वसूली में सहायता मिलेगी। किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम होने चाहिए और उन्हें सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए।

मैं सरकार को भारत निर्माण, जो कि अग्रणीय कार्यक्रम है और जिससे ग्रामीण भारत की दशा बदल रही है, के लिए बधाई देना चाहती हूं।

सायं 7.00 बजे

वित्त मंत्री जी ने भारत निर्माण के लिए आवंटन को 31.6 प्रतिशत तक बढ़ाकर 24,603 करोड़ रुपये किया है। इस संबंध में, हमारे मुख्यमंत्री, डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ने अतिरिक्त सिंचाई परियोजनाएं तैयार की हैं। विभिन्न केन्द्रीय अभिकरणों से मंजूरी न मिलने के कारण कार्य प्रत्याशित गति से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यदि एक बार इन परियोजनाओं को मंजूरी मिल जाती है तो निश्चित रूप से इससे राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में योगदान मिलेगा। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1947 में दिये गये वक्तव्य को सही ढंग से उद्धृत किया है और मैं इसे पुन:उद्धृत करना चाहता हूं क्योंकि यह आज के संदर्भ में और अधिक प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था ''हर चीज प्रतीक्षा कर सकती है लेकिन कृषि नहीं।'' इन सभी प्रयासों से यह संकेत मिलता है कि संप्रग सरकार किसानों के लिए, किसानों की और किसानों द्वारा बनाई गई सरकार है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी को ग्रामीण आवासों के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बधाई देना चाहता हूं। हमसे कहा गया है कि सरकार द्वारा 15 लाख आवासों के लक्ष्य को बढ़ाने की सम्भावना है। चूंकि कच्ची सामग्री को लागतें बढ़ी हैं इसलिए इन ग्रामीण आवासों की लागत स्वत: ही बढ़ेगी। इसलिए मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करती हूं कि तदनुसार, आवंटन को भी बढ़ाया जाए।

अंत में, अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व, मैं वित्त मंत्री जी से महिला निर्धारितियों के संबंध में कर सीमा को 1,35,000 से बढ़ाकर 1,45,000 करने हेतु हार्दिक बधाई देती हूं इसके साथ ही मैं वित्त मंत्री से मध्यवर्गीय भाईयों के लिए प्रस्तावित कर सीमा 1,10,000 से बढ़ाकर कम से कम 1,25,000 करने का अनुरोध करती हूं। मैं अपने भाषण के शेष भाग को सभा पटल पर रखती हूं।

*मैं तहेदिल से बजट का समर्थन करती हूं। यह बजट समानता उन्मुख है। वित्त मंत्री जी ने विवरणात्मक न्याय और वित्तीय दूरदर्शिता के बीच सन्तुलन स्थापित करके विकास पथ पर टिके रहने के लिए पर्याप्त बल देकर और मुद्रास्फीति बढ़ने की उम्मीदों को क्षीण करके इस कठिन कार्य को अंजाम दिया है। इस बजट का उद्देश्य हमारे उन सपनों को साकार करना है जो लंबे समय से अधूरे हैं। यानि विकास का लाभ लोगों के उस विशाल तबके तक पहुंचना चाहिए जिसकी अब तक अनदेखी की जाती रही है। इसी के साथ-साथ हमें इन आलोचनाओं का भी जवाब देना होगा कि कई सामाजिक योजनाओं का हम वित्तपोषण करते हैं वे कुप्रबंधित, कुप्रभासित है और उनकी निगरानी ठीक से नहीं की जाती है और भ्रष्ट होती हैं इसलिए उनके परिणाम जरूरतमंदों और गरीबों तक नहीं पहुंच पाते हैं। कृषि क्षेत्र सरकार के लिए चिंता का विषय है।

हमारा अधिकांश कृषि उत्पादन मानसून के मिजाज पर निर्भर हैं। दसवीं योजना में 4 प्रतिशत विकास दर का अनुमान था किंतु सरकार मात्र 2.3 प्रतिशत विकास दर ही हासिल कर पाई। देश में लगभग 115 मिलियन कृषक परिवार हैं। अत:, सरकार ने अपनी समझबूझ से कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

यह अच्छी बात है कि राजस्व बढ़े हैं। सरकार ने अतिरिक्त राजस्व भी संग्रहीत किया है। मा. वित्त मंत्री जी ने व्यापक विकास, समानता एवं सामाजिक न्याय, जो कि राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में निहित हैं, को बढ़ावा देने के लिए इन राजस्वों का सदुपयोग करने का वायदा किया है।

..... भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

मुद्रास्फीति चिंता का विषय है। पिछले सप्ताह ही मुद्रास्फीति दर कम हुई है क्योंकि सरकार ने कीमत स्थिरता बनाये रखने के लिए वित्तीय, मौद्रिक और आपूर्ति पक्षों के संबंध में कई कदम उठाये हैं। हम यह न भूलें कि जब संप्रग सरकार 2004 में सत्ता में आई, तो मुद्रास्फीति दर बढ़ रही थी। बैंक ऋण 29.6 प्रतिशत बढ़ा है। पैसे की आपूर्ति 21.3 प्रतिशत बढ़ी है। विदेशी विनिमय भंडार 180 बिलियन अमरीकी डॉलर पहुंच गया। मैं वित्त मंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि ये उच्च विकास के सूचक हैं। वित्त मंत्री जी ने इस बजट में संतुलन बनाये रखने का सौम्य कार्य किया है। इसी समय, उन्होंने विकास के इंजन को चलाये रखा।

मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत 2007-08 हेतु 11,000 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रस्ताव किया है ताकि सिंचाई संबंधी और परियोजनायें पूरी हों, जिनसे 9 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की भी सिंचाई हो पायेगी। वित्त मंत्री जी ने जवाहर लाल नेहरू के 1947 में दिये गये प्रसिद्ध वक्तव्य को सटीक उद्धृत किया है, और मैं इसे पुन: उद्धृत करना चाहता हूं क्योंकि वर्तमान में यह और भी संगत है। '' अन्य प्रत्येक चीज इन्तजार कर सकती है किंतु कृषि नहीं।'' ये सभी प्रयास इस बात के सूचक हैं कि संप्रग सरकार किसानों के लिए, किसानों की और किसानों द्वारा बनाई गई सरकार है। ग्रीष्म ऋतु तेजी से आ रही है। कई क्षेत्रों में पीने के पानी की भारी किल्लत होगी। मेरा मा. वित्त मंत्रीजी से अनुरोध है कि वे और अधिक बस्तियों, खासकर सूखा संभावित, जनजातीय और समुद्री क्षेत्रों को अगले वित्तीय वर्ष 2007-08 में राजीव गांधी पेयजल मिशन के अंतर्गत सम्मिलित करें। अत:, पेय जल मुहैया कराने हेतु इस योजना एवं व्यापक संरक्षित जल योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये क्योंकि इन क्षेत्रों में कई रोग जल-जनित होते हैं।

ग्रामीण सड़कों के अंतर्गत, डिसंबर, 2006 तक 12,198 कि.मी. तक का कार्य पूरा किया गया है। किंतु वित्त मंत्री जी ने हासिल किये जाने वाले लक्ष्य का उल्लेख नहीं किया है। अगर हम वांछित विकास दर हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे पास पक्की सड़कों जैसी अवसंरचना अवश्य होनी चाहिए। पिछड़े जिलों में अंदरूनी और दूरवर्ती गांवों में पक्की सड़कें न होने के कारण, किसान अपने उत्पाद को बाजार ले जाने तथा उसके लिये लाभकारी मूल्य प्राप्त कर पाने में असमर्थ हैं। वे लगाये गये आदानों की लागत भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए, बिचौलिये और साहूकार इन किसानों का शोषण कर रहे हैं। एक दशक पूर्व बिछाई गयी सड़कें भी अनुपयोगी हो गयी हैं। इन सड़कों के रख-रखाव हेतु विशेष धनराशि मुहैया कराई जाये ताकि किसान अपने कृषि उत्पाद की बाजार तक बुलाई कर सकें।

[श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा]

मैं मा. वित्त मंत्री जी को ग्रामीण आवासों के निर्माण का लक्ष्य हासिल करने के लिए बधाई देता हूं। हमें बताया गया है कि ऐसी संभावना है कि सरकार 15 लाख आवासों के लक्ष्य से भी अधिक का लक्ष्य हासिल कर लेगी चूंकि कच्चे माल की लागत में वृद्धि हुई है, इन ग्रामीम आवासों की लागत तदनुसार स्वत: ही बढ़ जायेगी। अत: मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वे तदनुसार आवंटन को बढ़ायें।

नैदानिक परीक्षण सेवा कर में छूट से अनुसंधान एवं विकास और नवीकरण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जो औषध उद्योग के समग्र विकास हेतु आवश्यक है। उद्योग ने इस पहल का स्वागत किया और यह दोहराया कि इससे अनुसंधान एवं विकास को काफी बल मिलेगा, जिससे भारत एक अधिक आकर्षक तथा कम लागत वाला औषध स्थल बन जायेगा।

यद्यपि, ग्रामीण पैकेज हेतु 72,246 करोड़ रु. का आवंटन किया गया जिसमें से 12,000 करोड़ रु. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए हैं, तथापि मेरा मा. वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस आवंटन में और वृद्धि करें क्योंकि इस योजना का विस्तार वर्तमान में 200 जिलों से बढ़ाकर 130 और जिलों में किया गया।

एम.एम.ई. को दी गई कर रियायतों का स्वागत किया गया है। सीमा शुल्क में कमी, लाभांश वितरण कर में वृद्धि का भी स्वागत किया गया है।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व, मैं वित्त मंत्री जी को तहेदिल से बधाई देती हूं कि उन्होंने महिला कर निर्धारिती के मामले में कर सीमा को 1,35,000 रु. से बढ़ाकर 1,45,000 रु. कर दिया है। साथ ही मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वे मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कर सीमा को प्रस्तावित 1,10,000 रु. से बढ़ाकर 1,25,000 रु. करें।

महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे बजट (आम), 2007-08 पर बोलने का अवसर दिया।

सभापति महोदय: मा. सदस्यगण, चर्चा के लिए नियत समय समाप्त हो गया है। यदि आप सबकी सहमति हो तो हम समय आधा घंटा और बढ़ा सकते हैं क्योंकि अभी भी तीन-चार सदस्यों को बोलना है।

कई माननीय सदस्य: हां।

[हिन्दी]

श्री टेक लाल महतो (गिरिडीह): सभापति महोदय, 11वीं पंचवर्षीय योजना से लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि महंगाई और बेरोजगारी पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। लेकिन जब मैं अपने क्षेत्र में गया तो लोगों ने कहा कि बजट नहीं आना चाहिए। क्योंकि जो आंटा पहले चौदह रुपये किलो था, वह बजट के बाद पन्द्रह रुपये किलो हो गया। जो सीमेंट 190 रुपये कट्टा था, वह 225 रुपये हो गया। इसलिए यह महंगाई को बढ़ाने वाला बजट है। दूसरी ओर बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं हुई। देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। तमाम कल-कारखाने बंद पड़े हैं, बीमार पड़े हुए हैं। उनको चालू करने का कोई उपाय नहीं किया गया जिससे बेरोजगारों को भी काम मिले। पहले हम पाकेट में पैसा ले जाते थे और माल बैलगाड़ी में लाते थे। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, यदि उसकी यह रफ्तार रही तो हमें बैलगाड़ी में पैसा ले जाना पड़ेगा और पॉकिट में सामान लाना पड़ेगा।

महोदय, जहां तक शिक्षा का सवाल है, हमारे साथी प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूलों की चर्चा कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से विद्यालयों में एक या दो टीचर हैं। जहां प्राइमरी या माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों का अभाव है वहां पैरा-शिक्षकों से काम चला रहे हैं। झारखंड क्षेत्र में पैरा-शिक्षकों की तनख्वाह 2000 रुपये है। उसी विद्यालय में जो सरकारी शिक्षक हैं, उन्हें 15000 रुपये से 20000 रुपये तनख्वाह मिलती है। वहां जो 2000 पैरा-शिक्षक बहाल हुए हैं, वे अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं और टेलेन्टेड टीचर्स हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि झारखंड सरकार को निर्देश दें कि कम से कम 5000 रुपये वेतन पारा-शिक्षकों को दिया जाए। सचमुच जो शिक्षक काम कर रहे थे, उनकी भी तनख्वाह बढ़ाई जानी चाहिए। अनौपचारिक शिक्षकों की आयु सीमा भी समाप्त हो रही है, उनका भी समायोजन इसमें करना चाहिए।

सभापति महोदय, नरेगा की बात कही गई है। इसमें 200 जिलों से बढ़ाकर 320 जिले किये गये हैं लेकिन झारखंड में कहीं नरेगा का काम नहीं हो रहा है और कोई अधिकारी काम करना नहीं चाह रहा है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि झारखंड राज्य में डीवीसी को टैन्डर दिया गया, एक साल से ऊपर हो गया लेकिन एक पैसा भी डीवीसी को नहीं दिया गया। इसलिए ग्रामीण विद्युतीकरण का काम कहीं नहीं चल रहा है।

सभापति महोदय, सांसद कोटा से जो दो करोड़ रुपये मिलते हैं, मेरे क्षेत्र झारखंड में प्रत्येक एम.एल.ए. को तीन करोड़ रुपये

दिये जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि सांसद कोटा कम से कम प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र का दो करोड़ दिया जाए, अन्यथा इसे समाप्त किया जाए, क्योंकि हमें बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है, इसलिए इसे समाप्त कर देना चाहिए। हम लोग जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो बड़े कमजोर पड़ जाते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, मैं पेयजल के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* सांसद कोटा से कोई सदस्य अपने यहां कुआं नहीं बनवा सकता। ...*(व्यवधान)* इसलिए मेरा कहना है कि यहां से इस काम को करवाने के लिए परमिशन देने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री कृष्णा मुरारी मोघे** (खरगौन): महोदय, आपके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2007-08 के बजट के उन बिन्दुओं की ओर माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिनके कारण यह आम बजट, आम आदमी का नहीं रह गया है।

बजट 2007-08 में न तो बढ़ती हुई महंगाई रोकने का कोई उपाय है, न ही आम आदमी की खास चिन्ता की गई है। इस बजट का कर्ज के बोझ से आत्महत्या को मजबूर किसानों से न तो कोई सारोकार है और न ही व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए कोई खास राहत की व्यवस्था। कुल मिलाकर समाज के किसी भी तबके को इस आम बजट से राहत की उम्मीद नहीं दिख रही है। किन्तु, इस बजट में वित्तीय अनुशासन, आर्थिक विकास, पूंजी बाजार के प्रोत्साहन और सामाजिक क्षेत्र से सरोकार जरूर दिखाया गया है। किंतु, उल्लेख करने लायक इस बजट में कोई एक भी नई योजना की शुरुआत नहीं की गई है।

सरकार एक तरफ भारत निर्माण योजना प्रारंभ कर चुकी है तथा ढांचागत क्षेत्र के विकास के लिए भी बातें जरूर कर रही है किन्तु वास्तविकता के धरातल पर कोई ठोस पहल नहीं कर पाया है। ग्रामीण विकास के लिए इस वर्ष बजट में 31.6 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2007-08 में 130 और जिले शामिल किये जायेंगे। इस तरह यह योजना कुल 330 जिलों में लागू होगी। इसके लिए बजट में फौरी तौर पर 12 हजार करोड़ रुपये रखे गये हैं जबकि पिछले वर्ष 200 जिलों के लिए 11,300 करोड़ रुपये रखे गये थे। यह बजट प्रावधान ही सिद्ध करता है कि पिछले वर्ष की इस मद की राशि का पूरा उपयोग नहीं हो पाया जिसके परिणामस्वरूप इस वर्ष जिलों की तादाद बढ़ने के बावजूद बजट में अनुपातिक वृद्धि नहीं की गई है। इसी प्रकार से शिक्षा के लिए 34 प्रतिशत और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 31.9 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

भारत निर्माण योजना के तहत ही एक करोड़ हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है। अत: त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम को अधिक सशक्त बनाने के लिए वर्ष 2006-07 में 7121 करोड़ रुपये परिव्यय की तुलना में 2007-08 के लिए 11 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है इसमें से राज्य सरकारों के लिए अनुदानों का हिस्सा 3580 करोड़ रुपये होगा जो पिछले वर्ष के 2350 करोड़ रुपये की तुलना में अधिक है। व्यावहारिक स्तर पर राज्य सरकारों को अन्य वित्तीय स्रोतों से इस योजना के तहत वित्तीय संसाधन जुटाने में आने वाली कठिनाइयों से माननीय वित्त मंत्री जी को गत वर्ष से ही अवगत कराया जा रहा है किंतु इस बजट में उन पर कोई विचार नहीं किया गया है। एक हजार से अधिक जनसंख्या वाले 66802 स्थानों को सदाबहार सड़क से कवर करने की भी सरकार की योजना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी पर्याप्त वित्तीय प्रावधान नहीं किया गया है। इसी प्रकार से पेयजल उपलब्ध कराने और ग्रामीण गरीबों के लिए 60 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य भी उचित बजट व्यवस्था के अभाव में केवल कागजी घोषणायें साबित होंगी। सरकार के प्रयास को छोड़ें तो आम आदमी के लिए भी सीमेंट में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से सीमेंट की कीमतों में होने वाली वृद्धि से आम आदमी के घर बनाने का सपना मात्र सपना बनकर रह जायेगा। सरकार ने एक लाख पच्चीस हजार गांवों और 23 मिलियन परिवारों को बिजली मुहैया कराने का लक्ष्य भारत निर्माण योजना में रखा है किंतु जिस रफ्तार से ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाएं क्रियाशील हो रही हैं उससे ऐसा नहीं लगता कि समयबद्ध रूप से यह योजना भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पायेगी।

आर्थिक मोर्चे पर सरकार के बेहतर प्रदर्शन को मान भी लें तो भी माननीय वित्त मंत्री, अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर ध्यान देना भूल गये हैं। आर्थिक विकास की दर बढ़ रही है और उदारीकरण की प्रक्रिया जारी है तो स्वाभाविक रूप से विदेशी निवेशक की भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप इस वर्ष आय अनुमान से 40 प्रतिशत ज्यादा की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, किंतु आम आदमी इसके प्रभाव से अछूता और महंगाई की मार से पीड़ित है। माननीय वित्त मंत्री ने खुद माना है कि कृषि में विकास की दर 3 प्रतिशत से भी नीचे थी जबकि औद्योगिक विकास की दर 14 प्रतिशत का आंकड़ा पार कर रही थी। जिस कृषि पद देश की 60 प्रतिशत जनता आधारित हो वहां विकास की दर 3 प्रतिशत और महंगाई की दर 6 प्रतिशत हो तो कुल मिलाकर कृषि विकास की दर 3 प्रतिशत न होकर 3 प्रतिशत घाटे की कही जायेगी मगर इस तथ्य की ओर किसी का ध्यान नहीं गया है।

[श्री कृष्णा मुरारी मोघे]

इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी से यह उम्मीद की गई है कि वे निरन्तर आत्महत्या के लिए विवश किसानों के लिए कुछ प्रभावी कदम उठायेंगे किंतु प्रभावी कदम के स्तर पर उन्होंने किसानों की उम्मीदों को आर. राधाकृष्ण समिति की रिपोर्ट के भरोसे छोड़ दिया। किसानों की जरूरतों को बजट का मुख्य चेहरा या मुखौटा बनाने की कोशिश की गई है। 60 करोड़ भारतीयों की जीवन रेखा खेती में 80 प्रतिशत ढाई एकड़ से कम जमीन वाले कर्जग्रस्त किसान हैं। यही किसान हमारे निर्धनतम तबकों में भी शामिल हैं। राष्ट्रीय आय के 2 प्रतिशत हिस्से वाले कृषि के किसान अपनी दो जून की रोटी का जुगाड़ करने के बाद कृषि क्षेत्र में आय वृद्धि के लिए कितना निवेश कर पायेंगे। इस पर माननीय वित्त मंत्री को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

रिटेल के क्षेत्र में खासतौर से वे कम्पनियां जो किसानों के उत्पादन के दम पर व्यापार करेगी में किसानों को भागीदार बनाया जाये। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिन किसानों की फसल खरीदी जा रही है और जिन किसानों का माल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द्वारा पैक करके विश्व के बाजारों में बेचा जाएगा उन किसानों को उन रिटेल कम्पनियों में किसी न किसी तरीके से भागीदारी दी जानी चाहिए क्योंकि उनकी फसल के दम पर ही रिटेल का धंधा चलेगा इसलिए उनको उनकी फसल का न केवल वाजिब दाम मिले बल्कि उस कंपनी के मुनाफे में भी उनको हिस्सेदार बनाया जाए तभी देश में किसानों का उद्धार हो सकेगा।

आर्थिक सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था में महंगाई के कारण पैदा होने वाले जिस खतरे की ओर संकेत दिया गया था उससे निपटने के लिए कुछ नहीं किया गया है। माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि राजग सरकार के कार्यकाल में 2002-03 के दौरान भयंकर सूखे के कारण अनाज का उत्पादन 3.5 करोड़ टन कम होने के बावजूद हमारे भंडारों में 6 करोड़ टन अनाज उपलब्ध था। जबकि इस बार 55 लाख टन गेहूं के आयात के बावजूद कीमतें कम नहीं हुई हैं। मैं समझता हूं किसानों के प्रति यदि माननीय वित्त मंत्री थोड़े भी संवेदनशील हैं तो समर्थन मूल्य पर अवश्य ध्यान दें ताकि किसानों को इस स्तर पर कम से कम राहत मिले।

विदेशों से कस्टम ड्यूटी हटाकर सस्ते में आयातित खाद्य सामग्री लाने की व्यापारी वर्ग को दी गई छूट सेवा वितरण प्रणाली की खामियों का इलाज नहीं हो सकता है। दालों जैसे मुख्यत: आयातित और अति आवश्यक वस्तु में सट्टेबाजों को बरकरार रखकर महंगाई को आमंत्रित करने का दूसरा नाम है।

इसी प्रकार से आम आदमी को पहचानने की कोशिश में आम आदमी बीमा योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत बीमाहीन ग्रामीणों के बीमे का आधा प्रीमियम केन्द्र सरकार देगी बाकी आधा राज्य सरकारों को देना होगा। इस मद में 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करते हुए माननीय वित्त मंत्री यह भूल गये कि राज्य की हिस्सेदारी वाली योजनाओं का पहले ही कैसा हश्र हुआ है। इसी प्रकार से सर्व शिक्षा अभियान भी सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद परवान नहीं चढ़ पा रहा है।

आयात कर में छूट के लाभ से विदेशी वस्तुओं का बाजार बढ़ेगा और इससे देशी उद्योगों को नुकसान होगा। पैट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने पर केवल तेल कम्पनियों को लाभ मिलेगा आम आदमी को नहीं। यह बजट विदेशी ताकतों को मजबूत करेगा लेकिन देश की खेती, किसानी और लघु उद्योगों को तहस-नहस कर देगा।

जिस प्रकार से गरीबों के लिए मात्र बातों में हमदर्दी व्यक्त की जाती है लगभग वही रवैया विक्लांगों के लिए अपनाया गया है। बजट में संगठित क्षेत्र में विक्लांगों के लिए एक लाख नौकरियों की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है जिसे पूरा करने में 3 साल तक सेवा नियोजक के हिस्से की भविष्य निधि व कर्मचारी सुरक्षा बीमा राशि केन्द्र सरकार अदा करेगी। यह समझ से परे है कि कोई सेवा नियोजक मात्र 10 फीसदी के भविष्य निधि अंशदान के लालच में किसी अपंग को नौकरी में क्यों रखेगा।

लघु उद्योगों के लिए भी बहुत कम रकम तय की गई है। इस क्षेत्र में भारत को चीन से करारी टक्कर मिल रही है। इसके साथ ही मध्यम उद्योगों को भी किसी तरह की मदद नहीं दी गई है। म्युचुवल फंडों द्वारा निवेशकर्त्ताओं को जारी किये गये डिवीडेंट पर 2.5 प्रतिशत का टैक्स लगाया गया है इसके कारण म्युचुवल फंडों का आकर्षण कम होगा। सरकार बचतकर्त्ताओं को शेयर बाजारों की ओर धकेलना चाहती है। जहां छोटी बचत कर्त्ताओं के लिए खतरा है। इसके साथ ही माननीय वित्त मंत्री शेयर बाजार में निरन्तर उछाल लेते सेंसेक्स पर कोई पारदर्शिता नहीं बरत रहे हैं।

राष्ट्रीय आय वृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का नतीजा महंगाई होती है। यह किसे याद है कि 1982 के 100 अंकों से बढ़ता हुआ उपभोग वस्तुओं का सूचकांक अब 588 के स्तर पर पहुंचाकर रुपये की क्रय शक्ति को पूरी तरह से लील गया है। कौन सा आम आदमी है जिसकी आमदनी 6 गुना बढ़ी है इस चौथाई शताब्दी में ये यह ऊंची कीमतें एक छोटे से तबके के लिए उतनी ही ऊंची आमदनी अवश्य बन गई है।

माननीय वित्त मंत्री ने इस बार बहुत होशियारी से सैस के उस्तरे से करदाता की हजामत का इंतजाम किया है। भले ही एक्साइस और सर्विस टैक्स में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। पर सच यह है कि एजुकेशन सैस में 1 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का असर फोन के बिल समेत तमाम सेवाओं की कीमतों में बढ़ोत्तरी की सकल में आएगा। वित्त मंत्री को अगर शिक्षा की इतनी ही चिन्ता थी तो वह इसका इंतजाम बजट की आय से कर सकते थे पर उन्होंने शिक्षा को सैस के सहारे डाल दिया है।

वित्त मंत्री के अनुसार वरिष्ठ नागरिक अपने मकान गिरवी रखकर निश्चित मासिक आय प्राप्त कर सकेंगे उन्हें ब्याज और मूलधन चुकाने की चिंता नहीं करनी है। इस योजना में यह स्पष्ट नहीं है कि वरिष्ठ नागरिकों की मृत्यु के बाद उसके वारिस पर कितना दायित्व रहेगा और उसे गिरवी रखी जायदाद कब मिलेगी। इसका अर्थ यह भी हुआ है कि जिन वरिष्ठ नागरिकों का कोई वारिश नहीं है उनकी जायदाद नेशनल हाउसिंग बैंक के पास सदा रहेगी।

दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के एक अध्ययन दल ने वर्षों से बजटीय घाटे से जूझ रही देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मुद्राकोष में तमाम तरह की निधियों में लगभग 110 लाख करोड़ रुपये जमा है जबकि राजकोषीय घाटा करीब 75 हजार करोड़ रुपये का है। देश में सैकड़ों निधियों का गठन किया गया है जिनमें सड़क विकास निधि, रेलवे सुरक्षा निधि, रक्षा निधि, पेंशन निधि कर्मचारी कल्याण निधि, कपड़ा निधि, चाय उत्पादक निधि, सामान्य बीमा निधि आदि 19 निधियां हैं जिनमें 110 लाख करोड़ रुपये जमा है। बिना दावेदार की इस भारी-भरकम राशि का उपयोग किया जाता है तो देश में बजट घाटे की आसानी से भरपाई की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि एक ओर तो भारत सरकार की तमाम आकस्मिक निधियों में अरबों रुपये पड़े हैं जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है और दूसरी ओर उल्टे सरकार को अपने खाते में रखकर इन पर ब्याज देना पड़ रहा है।

उपरोक्तानुसार मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस बजट में आम आदमी की आम कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील होकर उनके अनुरूप व्यवस्था करें।

श्री श्रीपाद येसो नाईक (पणजी): सभापति महोदय, आशा थी कि आम आदमी को, पूरी जनता को, इस बजट में कुछ राहत मिलेगी, लेकिन बजट पेश होने के बाद सब को मालूम पड़ गया कि इस देश के किसी वर्ग को कुछ भी राहत नहीं मिली है। इसलिए उन्हे घोर निराशा हो गई है। आप जानते ही हैं कि कई राज्यों में किसानों ने आत्महत्या की है। हमारा कर्त्तव्य था कि उनके लिए कुछ पैकेज की घोषणा करते ताकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और उन्हें दो वक्त की रोटी मिले, लेकिन इस बजट में उसका कोई प्रावधान नहीं हुआ है। महंगाई जो इतनी बढ़ गई है, इसने सभी की कमर तोड़ दी है। आम आदमी आशा करके बैठा था कि इस बजट के बाद महंगाई कुछ कम होगी, इसके लिए कुछ उपाय, योजना बजट में होगी, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं हुआ है।

सभापति महोदय, आप जानते हैं कि कोआपरेटिव सैक्टर में जो कोआपरेटिव सोसायटीज काम कर रही हैं, सब लोगों की सब जगह से मांग थी। आपने कोआपरेटिव बैंक को भी इंकम टैक्स के दायरे में लाया है, उसे इसमें छूट दी जाए। वित्त मंत्री जी ने जनता की बात को नहीं सुना है। मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है। मैं थोड़ी सी बात करूंगा और बाकी अपना भाषण टेबल पर ले कर दूंगा। समय कम है, इसलिए मैं केवल दो मुद्दों के बारे में बोलूंगा। आप जानते हैं कि नेशनलाइण्ड बैंक के लिए अभी भी वन टाम सेटलमैंट की योजना है, लेकिन कोआपरेटिव सैक्टर में जो स्टेट के अरबन कोआपरेटिव बैंक हैं, उनके लिए बहुत सालों से मांग है, उनके लिए कुछ नहीं है। उनके लिए पहले एक-दो बार योजना दी थी, कोआपरेटिव सैक्टर को भी वन टाइम सेटलमैंट की योजना दी थी। उनका जो पैसा है, एनपीए एकाउंट बहुत हो गया है। वे लोग चाहते हैं कि हम पैसा भर दें, लेकिन जो कम्पाउंड इंटरेस्ट, पीनल इंटरेस्ट है, इससे जो अमाउंट बढ़ गया है, उसे भरना उसके बस में नहीं है। इसलिए ऐसी योजना मंत्री जी लाएं तभी पैसे को भरने के लिए लोग तैयार होंगे और सरकार को भी उससे लाभ मिलेगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, मैं गोवा राज्य से आता हूं और एक मुद्दा मेरे सभी सहयोगियों ने उठाया है कि आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी आयरन ओर पर तीन सौ रुपया लगा दी है। अब पूरा आयरन ओर मिनिस्ट्री एक्सपोर्ट करेगी। वहां जो यह धंधा चल रहा है, कम से कम 40 प्रतिशत लोग वहां काम करते हैं। इसलिए मेरी मांग है कि यह जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी है, उसे जल्दी से जल्दी विदड्रा करें, ताकि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या गोवा या अन्य कोई राज्य हो, सबका इसमें बर्डन कम हो जाएगा। बाकी की स्पीच मैं टैबल पर ले करता हूं।

[अनुवाद]

*मैं निम्नलिखित मुद्दों को उजागर करना चाहता हूं जिसका 28 फरवरी, 2007 को लोक सभा में प्रस्तुत किये गये बजट प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है और जिसमें लौह अयस्क पर

..... भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री श्रीपाद येसो नाइक]

उत्पाद शुल्क लगाए जाने का प्रस्ताव किया गया है और सभी प्रकार के लौह अयस्क पर 300 रुपए प्रति टन की दर से उत्पाद शुल्क लगाए जाने संबंधी प्रस्ताव को वापस किया जाना चाहिए।

आर्थिक और राजनीतिक संदर्भ

गोवा का लौह अयस्क खनन उद्योग शत-प्रतिशत निर्यात पर निर्भर है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण गोवा का लौह अयस्क प्रकृति से पूर्णत: मध्यम और निम्न श्रेणी का होता है। खनन कार्यों से दोनों का समान मात्रा में उत्पादन होता है। यह लौह अयस्क 85% तक चूरा किस्म का होता है और 15% पिंडों के रूप में होता है। चूरा सामग्री का भारत में कोई बाजार या मांग नहीं है क्योंकि भारत में लौह पिंड बनाने की सुविधा या प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है। लौह पिंड बनाने की प्रक्रिया पर्यावरण को काफी प्रदूषित करने वाली है और इसे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। पिंड लौह अयस्क इतना निम्न श्रेणी का है कि उसे भारतीय इस्पात के उन कारखानों में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। जिनकी उच्च श्रेणी के पिंड लौह तक पहुंच होती है तथा यह काफी किफायती होता है। इसकी लंबी दूरी तक ढुलाई भी करना पर्यावरण के लिए भी चिंता की बात है। इस प्रकार यदि गोवा के लौह अयस्क का निर्यात (रोजगार और कर राजस्व सृजन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद विदेशी मुद्रा अर्जन) नहीं किया जाता है और इसकी खपत भारत में नहीं की जाती है तो यह महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जायेगा और सभी तरह का आर्थिक महत्व खो देगा और खनन के दौरान उत्पन्न निम्न किस्म के लोहे को बेकार समझा जाएगा।

निर्यात शुल्क का प्रभाव

58% एफई से नीचे की श्रेणी का लोहा (10 मिलियन टन) का निर्यात नहीं किया जाएगा। 59-60% सफाई वाली श्रेणी के लोहे के निर्यात से पहले से सृजित बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त खर्च को खपाने की आवश्यकता और प्रतिबद्धता के कारण सीमांत लाभ मिलेगा। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत सरकार और गोवा सरकार रॉयल्टी, वैट, शुल्क, सेवा कर आदि के रूप मे मौजूदा स्तर पर निर्यात पर लगभग 200 रुपये प्रति टन प्राप्त करते हैं जो कि सीधे प्राप्त होता है। उत्पादन और निर्यात क्रम में प्रमुख रूप से लागत डीजल की खपत ट्रक/पंप/अर्थमूवर्स, टायर और इस्पात संयंत्रों पर आती है।

इसके अतिरिक्त, मार्मुगाव पत्तन न्यास (प्रमुख पत्तन) और पणजिम लघु पत्तन को बर्थ ड्यूज, पोर्ट ड्यूज एंकरेज और चोडिंग प्रभार के संबंध में प्रति वर्ष लगभग 150 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होगी। राष्ट्रीय तेल कंपनियां और 450 करोड़ रुपये गंवाएगी। सीमा शुल्क विभाग को लगभग 2 करोड़ रुपये की हानि होगी।

एफबीटी और आय कर पर प्रभाव का आकलन करना मुश्किल है लेकिन बालपार्क आंकड़े यह दर्शाते हैं कि शायद 700 करोड़ रुपये को धनराशि की हानि होगी। तथापि, मुख्य प्रभाव यह है कि 25000 लोग (35 मिलियन की कुल आबादी में से) खनन कामगार, बजरा कामगारों, मशीन ऑपरेटरों, ट्रक ड्राइवरों, मेकनिक, वृक्षारोपण में लगे गरीब ग्रामीण, टैक्सी ड्राइवर, आदि के जीवनयापन के साधन समाप्त हो जायेंगे। इससे गोवा की शेष अर्थव्यवस्था पर उत्तरोत्तर बुरा प्रभाव पड़ेगा और अप्रत्यक्ष कर संग्रहण पर भी प्रभाव पड़ेगा। पहले से ही बजट घाटे से जूझ रही भारत सरकार आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थायित्व को बनाए रखने में अक्षम रहेगी। इसका देश में कर अनुपालन के साथ-साथ प्रति व्यक्ति उच्चतम आय वाले आदर्श राष्ट्र के नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक संरचना पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

बाजार में बढ़ते निर्यात मांग से मुकाबला करने हेतु बुनियादी ढांचा (सरकारी और निजी क्षेत्रों) क्षेत्र में हाल ही में किया गया अधिकांश निवेश अव्यवहार्य हो जाएगा और इससे निर्यात योग्य वस्तुओं की उत्पादन लागत अधिक आयेगी जो इन्हें लागत चक्र प्रभाव के माध्यम से अव्यवहार्य बना सकता है।

गोवा के लोहे के निर्यात में गिरावट के बावजूद इस समय चीन जो निम्न श्रेणी के लौह-अयस्क का मुख्य बाजार है, इस शून्यता को भरने के लिए आस्ट्रेलिया और ब्राजील से खरीदेगा और गोवा तथा भारत का बाजार सदा के लिए खत्म हो जायेगा।

होडा समिति की रिपोर्ट

होडा समिति की रिपोर्ट बिना किसी आधार के पूर्णत: प्रासंगिक है, इसमें अच्छी श्रेणी के लौह अयस्क लम्प (65% से अधिक लोहा) पर निर्यात शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। जिसका हम मुख्यत: हमारे घरेलू इस्पात निर्माण उद्योग के राजनीतिक हित को देखते हुए समर्थन करते हैं। उत्पादन शुल्क को लागू करने से इसका प्रभाव यह रहा है कि आर्थिक व्यवहार्यता के माध्यम से मात्र अच्छी श्रेणी की गुणवत्ता बढ़ाने से निर्यात को प्रोत्साहन मिला है। क्योंकि इससे अच्छी धनराशि प्राप्त होती है जबकि निम्न और मध्यम श्रेणी के लोहे को प्रोत्साहित किया जाता था क्योंकि वे घरेलू इस्पात उत्पादकों और बड़े पैमाने पर राष्ट्र के लिए सामरिक महत्व के नहीं हैं, का निर्यात के लिए अर्थक्षम होने के कारण हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर करने के लिए प्रोत्साहित किया जा

रहा है। यह हमारे राष्ट्र के रणनीतिक हितों का निर्वहन नहीं कर सकता और न ही करता है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में कहा कि "प्रतिवेदन के एक भाग को लागू कर देने और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण और राजस्व जुटाने के लिए" इस निर्यात शुल्क का प्रस्ताव किया गया है। कर का निबल प्रभाव गोवा में आर्थिक कार्यकलाप कम करना है जिससे राजस्व कम होगा जबकि 65% एफई लम्प लोहे के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा जिसकी घरेलू इस्पात उत्पादकों के होने की मांग की है.

बजट प्रस्ताव में होडा समिति की रिपोर्ट का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए अथवा कम से कम गोवा और पोर्ट ऐडी, महाराष्ट्र जिन्हें निर्यात लाइसेंस से छूट दी गई है, को विशेष रूप से निर्यात शुल्क से भी छूट दी जाये ताकि इनकी अर्थव्यवस्था और लौह अयस्क खनन उद्योग का संरक्षण किया जा सके, जो कि विगत सत्तर वर्षों से गोवा के आम आदमी की आर्थिक बेहतरी का साधन रहा है। इसके न होने से गोवा के लोगों मे हताशा बढ़ेगी तथा वे अपने राज्य से बाहर अवांछित आर्थिक शरणार्थी बन जायेंगे।

महोदय, यह अनुरोध आपके माध्यम से मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सरकार की प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और राजस्व जुटाने के दो उद्देश्य गोवा के आर्थिक मंच में हासिल नहीं होंगे जैसाकि पहले स्पष्ट किया जा चुका है। अतः मैं आपसे इसकी अर्थव्यवस्था और गोवा के लौह अयस्क खनन उद्योग की रक्षा करने के लिए निर्यात शुल्क को समाप्त करने का अनुरोध करता हूं।*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति महोदय, चिदम्बरम साहब ने वर्ष 2007-08 का बजट यहां पेश किया है। हम सब लोग जानते हैं कि 26 नवम्बर, 1947 को हमारे देश में पहला बजट श्री षण्मुगम शेट्टी जी ने पेश किया था।

सभापति महोदय, श्री पी. चिदम्बरम ने वर्ष 1996 में भी बजट पेश किया था। वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं वर्ष 2007-08 का बजट भी पेश किया है। बजट देखने से लगता है कि यह आम आदमी को मजबूत करने वाला बजट है। महंगाई बढ़ रही है, यह बात सही है, लेकिन इसके लिए एन.डी.ए. सरकार के लोग जिम्मेदार हैं। इनकी सरकार छः वर्ष तक रही, उसके बाद यू.पी.ए. सरकार आई।

महोदय, बजट में 6,80,521 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिससे लगभग सभी डिपार्टमेंट्स के बजट में बढ़ोत्तरी हो गई है। जहां तक आम आदमी का सवाल है, पूरे देश में आम आदमी, यानी अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर में लगभग 37.50 करोड़ लोग काम करते हैं। इन लोगों में से लगभग एकक रोड़ लोगों के लिए बीमा योजना चलाने का निर्णय लिया गया है। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीमा करने से महंगाई कम होगी, ऐसी बात नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है। हमारी पार्टी छोटी है। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी और यू.पी.ए. सरकार का समर्थन कर रही है, लेकिन महंगाई का समर्थन नहीं करती। महंगाई का हम पूरा विरोध करते हैं।

महोदय, चिदम्बरम जी, डॉ. मनमोहन सिंह जी और पलानीमनिक्कम जी, बड़े इकनौमिस्ट हैं। यू.पी.ए. सरकार से पूरे देश को उम्मीद है और हम भी चाहते हैं कि आम आदमी को दिलासा मिलनी चाहिए। देश के दलित, बेरोजगार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, किसान, मजदूर, बेरोजगार और महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। इसलिए सरकार को इन वर्गों के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: महोदय, यू.पी.ए. सरकार का टाइम अभी दो-ढाई साल और है। मैं बताना चाहता हूं कि कंपोनेंट प्लान में या ट्राइबल सब-प्लान में, टोटल बजट में से 1,70,130 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की आवश्यकता थी, लेकिन बहुत कम प्रावधान किया गया है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि चिदम्बरम जी बजट को अच्छा बनाएंगे और महंगाई बढ़ाने वाला बजट नहीं बनाएंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: महोदय, मैं अपने दल का नेता हूं और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले: सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि चिदम्बरम जी

[श्री रामदास आठवले]

हम महंगाई बढ़ाने वला बजट नहीं चाहते
एन.डी.ए. को सत्ता में चढ़ाने वाला बजट
नहीं चाहते। हम सब मिलकर इसका सामना
करने वाले हैं। हम तो बजट चाहते हैं सोनिया जी
और मनमोहन जी की ताकत बढ़ाने वाला और
यू.पी.ए. सरकार को 2009 में चढ़ाने वाला।

[अनुवाद]

***श्री जी.एम. सिद्दीश्वर** (दावणगेरे): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। महोदय, इस बजट से ग्रामीम भारत की आशाएं पूरी नहीं हुई हैं क्योंकि इसमें ग्रामीण रोजगार के लिए कोई गारंटी नहीं दी गई है। ग्रामीण लोगों को 100 दिन के बदले न्यूनतम 200 दिन का रोजगार दिया जाना चाहिए।

कर्नाटक सरकार ने किसानों के लिए सहकारी बैंकों की ब्याज दरों को 4% कर दिया है। इसी तरह से किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं को रोकने के लिए देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी इस ब्याज दर को कार्यान्वित किया जा सकता है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में किसान धान, गन्ना तथा सुपारी की खेती करते हैं। केन्द्र सरकार को इन फसलों के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित करना चाहिए ताकि किसानों को और अधिक उत्पादन हेतु प्रोत्साहन मिल सके। ''जल नीति'' के बारे में, मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं कि सरकार को राज्यों के बीच जल-विवाद से बचने के लिए गंगा-कावेरी परियोजना को शुरू करने के प्रयास करने चाहिए और इस परियोजना हेतु धनराशि उपलब्ध करानी चाहिए। केन्द्रीय नीति में सुपारी उत्पादकों को मुटका पर 66% कर का प्रस्ताव किया गया है। पान मसाला पर 45 प्रतिशत कर लगाया गया है। यदि गुटका पर लगने वाले कर को 66 प्रतिशत से घटाकर 45 प्रतिशत किया जाता है, तो इससे मेरे राज्य के सुपारी उत्पादकों को लाभ होगा अन्यथा किसानों को हानि उठानी पड़ेगी और इस उत्पाद शुल्क के कारण कर संग्रहण भी कम होगा। यदि आप उत्पाद शुल्क को कम करते हैं तो कर का संग्रहण अधिक होगा जिससे कर अपवंचन में कमी आयेगी।

सभापति महोदय: सामान्य बजट पर चर्चा समाप्त हुई और कल वित्त मंत्री इसका उत्तर देंगे। अब कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

*...(व्यवधान)**

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम विशेष उल्लेख को लेंगे।

***श्री लोनाप्पन नम्बाडन** (मुकुन्दपुरम): ध्वनि प्रदूषण को रोकने संबंधी केन्द्र सरकार के कानूनों और उच्चतम न्यायालय के निदेशों के कारण केरल में हिंदू, ईसाई और मुसलमानों के उपासना स्थलों में त्योहार मनाने में प्रक्रियात्मक कठिनाईयां आ रही हैं।

आज वहां 10 बजे रात्रि से प्रात: 6 बजे तक त्यौहार मनाने पर प्रतिबंध है।

महोदय, केरल त्यौहारों की भूमि है। इसे विश्व में 'भगवान के देश' के रूप में देखा जाता है। यह सांस्कृतिक कार्यकलापों का केन्द्र है और यहां धार्मिक सौहार्द की समृद्ध परम्परा रही है।

यदि उच्चतम न्यायालय के निदेशों को लागू किया जाता है तो हमारे शास्त्रीय और लोक नृत्यु और ककककली, ओट्टमथुललाल कुथु कुट्टीमटम, भारतनाट्यम, मोहिनीपट्टनम, कुचिपुड़ी और कई कोट्टीकली, कोलकली, ओपना मरगम कली और जनजातीय नृत्य जैसी नाट्य कलाएं तथा ताल वाद्य यंत्र प्रभावित होंगे।

त्रियूरपुरम में अन्तरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त आतिशबाजी प्रदर्शन कार्यक्रम बंद हो जाएगा। मंदिर में सभी अनुष्ठानों और शंख बजाने तथा पटाखे चलाने भी बंद करने होंगे। यहां तक कि मस्जिदों में प्रार्थना के लिए लगाई जाने वाली आवाज और गिरिजाघरों में घंटियों की आवाजों को भी बंद करना होगा।

उ कई लाख कलाकारों और कर्मचारियों की आजीविका बुरी तरह से प्रभावित होगी जो कि मंदिर कलाओं पर पूर्णत: निर्भर हैं।

कई मंदिर प्राधिकारियों और ईसाई पादरियों पर ध्वनि प्रदूषण के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण मामले लम्बित हैं।

महोदय, केरल में मंदिरों में मनाए जाने वाले त्यौहारों में उत्तर भारत में मनाई जाने वाली दीपावली जैसा शोर-शराबा नहीं होता है। यह सब प्राचीन कर्मकांडों का हिस्सा है। यह सामाजिक उल्लास के अवसर हं।

आयोजक आतिशबाजी, ताल वाद्य यंत्रों के वादन और विभिन्न नाट्य कलाओं के प्रदर्शन और हाथियों के काफिलों के आयोजन हेतु पूर्ण स्वीकृति लेते हैं।

महोदय, मंदिर और गिरजाघरों के विभिन्न त्योहारों को उसी जोश और उत्साह के साथ जाना चाहिए जिस जोश और उत्साह से उन्हें सदियों से मनाया जाता रहा है। इस तरीके से हम अपनी सामाजिक सांस्कृतिक विरासत की विविधता और जीवंतता का पोषण कर सकते हैं और उसे बढ़ावा दे सकते हैं।

---

*मूलत: मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सभापति महोदय: मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। यदि आप संक्षेप में अपनी बात कहें तो मैं सभी को बोलने का मौका दूंगा। अन्यथा मैं सभा स्थगित कर दूंगा। कृपया, संक्षेप में बोलें। विशेष उल्लेख के लिए इस तरह के विवरण न पढ़ें। केवल मुद्दों का उल्लेख करें। सदस्य लम्बे और विस्तृत विवरण लाते हैं और उन्हें पढ़ने लगते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो यह कभी समाप्त नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, मैं भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे पड़ोसी मित्र देश भूटान के लगभग डेढ़ लाख नागरिक विगत 16 वर्षों से शरणार्थी की जिन्दगी जीने के लिए विवश हैं। उनका अपराध मात्र यह था कि उन लोगों ने राजतंत्र के खिलाफ मानवाधिकार के पक्ष में शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया था। बदले में भूटान नरेश ने उन पर गोलियां चलाईं, जेलों में बंद किया, इतना ही नहीं उनकी नागरिकता भी समाप्त कर दी गई और उन्हें देश से निकाल दिया गया। तब से लेकर आज तक ये सारे लोग नेपाल के झापा और मौरंग जिलों में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं और इनकी देखभाल संयुक्त सघ्ट्र संघ की एक संस्था कर रही है। इस महत्वपूर्ण मामले से भारत सरकार अपने आपको अलग रख रही है, जबकि यह मामला दोनों पड़ोसी मित्र देशों के बीच का है। इसमें त्रिपक्षीय वार्ता की पहल भारत सरकार को करनी चाहिए, मैं इसकी मांग करता हूं।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जम्मू-कश्मीर में चीफ जनरल मैनेजर, टेलीकम्यूनिकेशन का आफिस 16 वर्ष पहले मिलीटेंसी के दौरान जम्मू में आया था। उस समय से लेकर आज तक यह वहीं पर है। उनकी जान-माल को जो खतरा था, अब वह सही हो गया है। अब वही दोनों तरफ के इलाकों के लिए सही तरीके से काम कर रहा है। लेकिन किसी साजिश के तहत इसे वापस किया जा रहा है और दरबार मुंह में रखा जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार का ऐसा कोई आफिस नहीं है, जो जम्मू-कश्मीर के दरबार मुंह से काम कर रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि चीफ जनरल मैनेजर, टेलीकम्यूनिकेशन के आफिस को जम्मू में ही रहने दिया जाए। यदि आपको कश्मीर में आफिस देना है तो जिस तरह से यूपी में दो हैं उसी तरह से दो आफिस जम्मू-कश्मीर में भी बना दिए जाएं ताकि झगड़े न रहें।

[अनुवाद]

श्री सर्बानन्द सोनोवाल (डिब्रूगढ़): महोदय, मैं असम राज्य का नाम असम से असोम करने संबधी असम सरकार और उसकी विधानसभा के संकल्प के संबंध में सभा के माननीय सदस्यों का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यह निर्णय असम की जनता और वहां के बुद्धिजीवियों की व्यापक सहमति से नहीं लिया गया है।

असम सरकार का तर्क है कि असम नाम अंग्रेजों द्वारा किया गया था इसलिए यह औपनिवेशिक विरासत है और इसे असम का मूल नाम असोम है, कहना पूर्णत: गलत है और किसी भी ऐतिहासिक तथ्य और अभिलेख से संपुष्टि नहीं होती है।

राज्य का मूल नाम असम है और यह असम के लिए प्रमुख बाह्य परिचायक शब्द के रूप में पिछले 800 वर्षों से प्रयोग किया जा रहा है।

असम नाम स्वयं में विरासत है और इसे असम के रूप में बनाए रखने की आवश्यकता है जो कि पिछले से ही केवल असम के रूप में विश्व भर में सुस्थापित है।

चूंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद तीन के अनुसार, भारत संघ के किसी राज्य के नाम को बदलने का अधिकार संसद को ही है, इसलिए मैं ईमानदारी से सभा के माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि असम राज्य के नाम को बदलने वाले किसी भी विधेयक को पारित करें। इससे पहले से ही समस्याग्रस्त हमारा राज्य और अधिक समस्याओं से बच जाएगा।

मुझे आशा है और मैं विश्वास करता हूं कि माननीय सदस्य तथ्यों को देखेंगे और सही दिशा में कदम उठाएंगे।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार के विचारार्थ एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं।

हल्दिया पत्तन प्राधिकरण ने उड़ीसा सरकार की सहमति के बिना उड़ीसा तट से दूर कनिका द्वीप में ट्रांसलोडिंग कार्यों को आरंभ करने के लिए विश्वव्यापी निविदा जारी की है। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इस संबंध में केन्द्रीय पोत परिवहन मंत्रालय से हस्तक्षेप करने की मांग की है। केन्द्र सरकार भारी कार्गों के संचालन की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए पोत परिवहन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। हल्दिया पत्तन प्राधिकरण अत्यधिक क्षमता संबंधी बाध्यताओं से निपटने के लिए अनेक विकल्प का प्रयास कर रहा है।

[श्री भर्तृहरि महताब]

लेकिन समस्या कनिका द्वीपसमूह की है जो उड़ीसा राज्य के अधिकार क्षेत्र में है और उड़ीसा को बिना सूचित किये हल्दिया पत्तन प्राधिकरण ने विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित की हैं और केन्द्र सरकार भारी कार्गों के संचलन की व्यवहार्यता की जांच कर रही है।

यह पूर्णत: गलत और गैर-कानूनी है। मैं सरकार से इस मामले को आगे बढ़ाने के पहले उड़ीसा सरकार को विश्वास में लेने और कनिका द्वीपसमूह में अंतर्देशीय ड्रुलाई (ट्रांसलोडिंग) की अनुमति नहीं देने का अनुरोध करता हूं। हम हल्दिया और कोलकाता पत्तनों के विकास के विरुद्ध नहीं हैं लेकिन उड़ीसा की कीमत पर नहीं। यह उड़ीसा के हितों की रक्षा करने का केन्द्र सरकार का परम कर्त्तव्य है।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): पुरातत्व विभाग, कोलकाता विश्वविद्यालय ने गांव मोगलमारी थाना-दांतन जिला पश्चिम मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में उत्खनन कार्य शुरू किया है। उत्खनन में अब तक पूर्व पांच (संभवत- सातवीं शताब्दी) व्यापक गंदकारी और या चूने की सजावट वाले बौद्ध मठ परिसर का पता चला है जो पूर्व भारत में अनुपम है। सामान्यत: मठ स्थापना और विशेषकर अग्र दीवारों पर सजावट विशेष रूप से न सिर्फ पश्चिम मिदनापुर में पूर्व मध्यकालीन इतिहास पर पर्याप्त रोशनी डालेगा बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल को रोशन करेगा उत्खनन कर्त्ताओं, विभागाध्यक्ष और उनके स्टाफ सदस्यों का अवलोकन यह है कि बौद्ध चरित्र वाले सजावट मूर्ति की पुष्टि एक त्वरित संदर्भ के दो बौद्ध पाषाण स्थापत्य कला की खोज से होती है और उनमें से एक मशहूर बुमिसपारसा पोज में बुद्ध के चित्र का प्रतिनिधित्व करता है। उनके अनुसार यह खोज नि:संदेह नालंदा (दक्षिण बिहार) रक्तपृटिका (मुर्शिदाबाद) और नंददीर्घिका (मालदा) के तुलनीय है। इतने बड़े बौद्ध मठ के उत्खनन कार्य को पूरा करने और इसका संरक्षण हेतु पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता होती है।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से इस संबंध में अनिवार्य वित्तीय सहायता देने की मांग करता हूं ताकि इस उत्खनन कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके और इस महान विरासत का सही ढंग से संरक्षण किया जा सके।

सभापति महोदय: अब मुझे एक उद्घोषणा करनी होगी क्योंकि विशेष उल्लेख का अर्थ एक विशेष मुद्दे को उठाना है और यह संक्षेप तथा मुद्दों पर आधारित होना चाहिए न कि इस तरह के वक्तव्य को पढ़ने के रूप में।

डा. सिबैस्टियन पॉल (एर्नाकुलम): महोदय, कक्षा छठी से कक्षा आठवीं तक के.मा.शि.बो. के सभी विद्यालयों में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू की गई व्यापक विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम और किशोर शिक्षा कुछ भी नहीं बल्कि आपत्तिजनक यौन शिक्षा है। किशोर शिक्षा कार्यक्रम पुस्तिका को राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जा रहा है और इसका प्रस्ताव यूनिसेफ द्वारा तीसरी दुनिया के देशों में एड्स से रक्षा के लिए एक उपाय के रूप में रखा गया। तथापि एससीईआरटी द्वारा तैयार किये गये मानक को पश्चिमी दृष्टिकोण के साथ विस्तार विषय वस्तु के साथ अपनाया गया। उदाहरणार्थ छठी कक्षा की छात्राओं को कंडोम के प्रयोग के बारे में बताया जाएगा साथ ही वर्ग शिक्षक द्वारा वास्तविक कंडोम का प्रयोग कर प्रायोगिक प्रदर्शन कर बताया जाएगा। आठवीं कक्षा के छात्रों को यौन संभोग के बारे में पाठ पढ़ाया जाएगा। एक नया अध्याय दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न से निपटने के बारे में है। इससे छात्रों को दुर्व्यवहार करने जैसे दृश्य उपस्थित करने होंगे जहां से इस तरह के दुर्व्यवहारों से निपटने के लिए प्रायोगिक अध्याय सीखेंगे। आठवीं कक्षा के छात्रों को "यदि किसी के लिए कोई कपड़ा नहीं होता" "यदि कोई कंडोम नहीं होता" और "यदि पुरुषों को गर्भाशय होता" जैसे बेहूदा विषयों पर लेख लिखने होंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री से इस आपत्तिजनक अध्याय को वापस लेने के लिए सीबीएसई को निर्देश देने के लिए अनुरोध किया जाता है।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): सैन्य परिचर्या सेवा को भारतीय सशस्त्र सेना के पूर्व भाग के रूप में समझा जाता है जहां महिलाओं को सेवा करने की अनुमति दी गई। यह विश्व के सभी सशस्त्र सेनाओं के लिए भी सही है। सेना की परिचारिकाओं ने प्रत्येक देश के हितों में लाखों रुग्ण और जख्मी सिपाहियों को पुन: जिन्दगी और स्वास्थ्य देने के लिए एक स्थायी जगह बनाई है।

सैन्य परिचर्या सेवा भारतीय सशस्त्र सेना का एक अभिन्न अंग है और सेना, नौसेना और वायु सेना प्रतिष्ठापनों के अस्पतालों को सेवा मुहैया कराता है। सैन्य परिचर्या सेवा के अधिकारियों ने दूसरे विश्वयुद्ध में उल्लेखनीय सेवा प्रदान की थी।

दूसरे विश्वयुद्ध के बाद आगामी वर्षों में व्यापक स्तर पर राष्ट्र में आर्मी मेडिकल कापर्स और आर्मी नर्सिंग कापर्स का गठन किया गया था। भारत ने भी 1948 में सेना मेडिकल कापर्स का गठन किया और एमएनएस द्वारा आर्मी मेडकिल कार्पस का गठन कर सेना में उचित समेकन करने के अनुरोध को ठुकरा दिया।

मैं सरकार से आर्मी नर्सिंग कापर्स का गठन करने के लिए वर्ष 1943 के सैन्य परिचर्या सेवा अध्यादेश का निरसन करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर): महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र अलवर में खैरतल नाम का एक कस्बा है। वहां एक बहुत बड़ी कृषि मंडी है। कस्बे के बीच से रेल लाइन निकलती है। लेवल क्रासिंग और कृषि मंडी में होने वाले यातायात की वजह से, वहां दिन भर लोगों को रोड पर खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि वहां जाम लगा रहता है। वहां लेवल क्रासिंग पर हर आधा-आधा घंटे के बाद ट्रेन आती है और मीलों लंबी लाइन लग जाती है। मेरा निवेदन है कि इस फाटक से करीब डेढ़ सौ मीटर नार्थ के अंदर अंडर ब्रिज बनाया जा सकता है, जिससे आने-जाने वालों को सुविधा होगी। इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वहां एक अंडरब्रिज बनाया जाए।

[अनुवाद]

श्री जी. करुणाकर रेड्डी (बेल्लारी): महोदय, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। पिछले तीन वर्षों से मैं मुश्किल झेल रहा हूं।

मैं केन्द्र सरकार और पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का ध्यान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-63 पर आंध्र प्रदेश से जोड़ने वाली हासपेट और बेल्लारी जिले के बीच अत्यंत क्षतिग्रस्त सड़क के कारण लोगों के समक्ष समस्याओं के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं। उपरोक्त स्थान के बीच तकरीबन 85 कि.मी. की सड़क सीमा बहुत ही खराब स्थिति में है और यहां तक कि साइकिल भी इस सड़क पर चलने की स्थिति में नहीं है। महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार देश की कोई भी अन्य सड़क/राष्ट्रीय राजमार्ग इससे ज्यादा खराब नहीं है।

सड़क की खराब स्थिति के कारण बार-बार दुर्घटनाएं हो रही हैं और वाहनों का आवागमन बहुत ही कठिन और धीमा हो गया है। मैंने विगत ढाई वर्षों के दौरान संसद में विभिन्न नियमों के अंतर्गत पहले भी इस मुद्दे को उठाया था। मैं कई बार माननीय मंत्री महोदय से भी मिला और व्यक्तिगत रूप से मिलकर स्थिति स्पष्ट की। मैंने उनसे बहुत बार अनुरोध किया।

महोदय, इन सभी प्रयासों के बावजूद कुछ भी नहीं हुआ है। लोगों का बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार और माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे एक बार पुन: मामले पर ध्यान दें और युद्ध स्तर पर इस टुकड़े की मरम्मत करवाने की व्यवस्था करें तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-63 के इस टुकड़े को अविलम्ब चार लेन से छह लेन में बदलने हेतु भी कदम उठाएं।

*श्री जे.एम. आरून रशीद (पेरियाकुलम): महोदय, इलायची लौंग, काली मिर्च और मसाले देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने में हमारी सहायता करते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र के लाखों लोग इन बागानों और चाय बागानों में कार्य कर रहे हैं जहां मसाले भी उपजाए जाते हैं। इन बागानों में काम करने वाले अधिकांश मजदूर समाज के दबे-कुचले और वंचित वर्गों के लोग हैं। उनमें से अधिकांश लोग अनुसूचित जाति के हैं। दिहाड़ीदार मजदूर और दिहाड़ीदार निरीक्षक इन बागानों में काम करने वाले दो तरह के कामगार हैं। पड़ोसी राज्य केरल में एक सीमा निर्धारित की गई है कि एक दिन में एक कामगार केवल 16 किलोग्राम चायपत्ती ही चुन सकता है। लेकिन तमिलनाडु में चाय बागान मजदूरों को एक दिन में 33 किलोग्राम चाय पत्ती चुनने के लिए मजबूर किया जाता है। अस्थाई मजदूरों से तो एक दिन में 60 किलोग्राम तक चाय पत्तियां चुनवाई जाती हैं। जब उनसे ज्यादा काम ले लिया जाता है तो उन्हें अतिरिक्त भुगतान के रूप में केवल 50 पैसे प्रति किलो ग्राम के हिसाब से मिलते हैं। पुरुष और स्त्री दोनों ही क्रमश: हृदय रोग तथा हर्निया जैसे व्यवसाय से जुड़े रोगों से प्रभावित होते हैं। वे बिना किसी भविष्य निधि और बीमा के घुटघुट कर मर रहे हैं। उनके पास परिवहन और संचार की सुविधा नहीं है। वे अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में जीते हैं तथा उनको कीड़े भी काट लेते हैं और उनके स्वास्थ्य की कोई देखभाल नहीं होती। उनके बच्चों को स्कूल न होने के कारण शैक्षिक सुविधाएं भी नहीं मिलती। दूरसंचार सुविधाएं भी वहां नहीं हैं। माननीय संचार मंत्री श्री दयानिधि मारन ने मेरे कहने से राजमार्ग की पहाड़ियों के निकट एक दूरसंचार केन्द्र और टावर स्थापित करवाए हैं। चाय पर शुल्क में कमी की जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जाए। चाय उत्पादकों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध करवाए जाएं ताकि मजदूरों को लाभ हो। बोनस की अधिकतम सीमा को हटाया जाए और चाय बागान मजदूरों को 25% बोनस मिलना चाहिए। उन्हें अच्छे स्वास्थ्य और लम्बी उम्र जीने के लिए चिकित्सा सुविधाएं और सुरक्षित पेय जल भी उपलब्ध करवाए जाएं।

श्री प्रह्लाद जोशी (धारवाड़ उत्तर): महोदय, कर्नाटक राज्य में हुबली-धारवाड़ दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसे जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत शामिल किया जाना था। राज्य सरकार ने इसकी सिफारिश की थी।

हुबली-धारवाड़ शहर को जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन में शामिल करवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राजस्व राज्य मंत्री, श्री राजशेखरन और मैं माननीय शहरी विकास मंत्री श्री एस. जयपाल रेड्डी से मिले थे। उस समय उन्होंने हमें स्पष्ट रूप से बता दिया था कि चूंकि वह हुबली-धारवाड़ को शामिल नहीं कर सके इसलिए वे लघु और मझौले कस्बों की

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री प्रहलाद जोशी]

शहरी अवसंरचना विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एम.टी.) के अंतर्गत इसके लिए अधिक से अधिक धनराशि दिलवा देंगे तथा फिर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री और राज्य सरकार से एक विशिष्ट प्रस्ताव भेजने के लिए कहा। अब राज्य सरकार और हुबली-धारवाड़ नगर निगम ने हुबली-धारवाड़ की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 35 करोड़ रुपये की धनराशि का एक प्रस्ताव भेज दिया है। लेकिन चूंकि शहरी विकास मंत्रालय ने अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं की है इसलिए मैं शहरी विकास मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वे 35 करोड़ रुपये की समूची धनराशि की स्वीकृति तुरन्त प्रदान करें और राज्य सरकार तथा हुबली-धारवाड़ नगर निगम की सूची में शामिल किसी भी मद को न छोड़ें।

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़): महोदय, उड़ीसा के अंगुल जिले के तालचेर में एनटीपीसी के दो संयंत्र हैं। उनमें साढ़े तीन हजार मेगावाट बिजली उत्पादित होती है। वहां के लोगों की जमीन ली गई थी। उस पर वह प्लांट बने हैं। भारत सरकार और उड़ीसा सरकार के ज्वाइंट एक्नालेज्ड रीहेबिलिटेशन पॉलिसी के अंतर्गत पांच सौ एसएपी (SAP) को नौकरी मिलनी है। वे करीब दो महीने से प्लांट के गेट के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। वहां की राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को भी अवगत करवाया है लेकिन एनटीपीसी कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। पुराने और नए प्लांट के कारण वहां ऐश बढ़ रही है। वहां के लोगों की सुनवाई हो क्योंकि वहां जो ऐश बढ़ रही है, उससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। गर्मी के दिनों में वहां ऐश का तूफान आने वाला है। इसलिए दोनों विषय पर वहां के डिस्प्लेस्ड लोगों की गुहार भारत सरकार सुने और वहां का पर्यावरण संतुलित हो, ये दो विषय में आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री एम. शिवन्ना, आपको बोलने के लिए विशेष अनुमति दी गई है।

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर): धन्यवाद सभापति महोदय, मैं झपी रेल यात्री निवास ताज ग्रुप को पट्टे पर देने से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता हूं। महोदय, भारतीय रेलवे ने आम आदमी की जरूरत को पूरा करने के लिए रेलवे स्टेशनों पर यात्री निवास स्थापित किए हैं, लेकिन भारतीय रेलवे ने ये रेल यात्री निवास 55 लाख रुपये प्रतिवर्ष की बहुत अल्प धनराशि पर ताज ग्रुप को 115 वर्ष के पट्टे पर दे दिए हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ताज ग्रुप स्टार होटलों की तरह उच्च दरें वसूल करके अधिक से अधिक धन कमा रहा है। मैं पट्टे पर देने से संबंधित इस करार की निन्दा करता हूं। देश के लोगों के साथ यह घोर अन्याय है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन यात्री निवासों को ताज ग्रुप से वापिस ले ले। ये यात्री निवास रेलवे स्वयं चलाए। इससे रेलवे को और अधिक राजस्व कमाने में सहायता मिलेगी।

इन्हीं थोड़े से शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: सभा कल, 15 मार्च 2007 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.37 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा गुरुवार, 15 मार्च 2007/24 फाल्गुन 1928 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	श्री मनोरंजन भक्त	221
2.	श्री रायापति सांबासिवा राव	222
3.	श्री संजय धोत्रे श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली	223
4.	श्री अब्दुल रशीद शाहीन	224
5.	श्री जे.एम. आरून रशीद श्री अवतार सिंह भडाना	225
6.	श्री हरिकेवल प्रसाद श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	226
7.	श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु श्री जसुभाई धानाभाई बारड़	227
8.	श्री अनिल बसु	228
9.	श्री असादूद्दीन ओवेसी श्री संतोष गंगवार	229
10.	श्री रामदास आठवले श्री फ्रांसिस फैन्थम	230
11.	डा. एम. जगन्नाथ	231
12.	श्री बसुदेव आचार्य	232
13.	श्री गिरधारी लाल भार्गव श्री रवि प्रकाश वर्मा	233
14.	श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील एडवोकेट सुरेश कुरूप	234
15.	श्री जी.एम. सिद्दीश्वर	235
16.	श्री के. सुब्बारायण	236
17.	श्री चेंगरा सुरेन्द्रन श्री एम. अप्पादुरई	237
18.	श्री जुएल ओराम	238
19.	श्री पारसनाथ यादव	239
20.	चौ. मुनव्वर हसन श्रीमती पी. सतीदेवी	240

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे.एम.	2159, 2214
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	2166, 2217
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2072, 2075, 2185, 2227
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	2124
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	2051, 2102, 2154, 2208, 2278
6.	अनंत कुमार, श्री	2101
7.	अप्पादुरई, श्री एम.	2175, 2223
8.	आठवले, श्री रामदास	2153, 2161, 2164, 2216
9.	'बच्चदा', श्री बच्ची सिंह रावत	2222
10.	बैठा, श्री कैलाश	2066, 2174
11.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	2073, 2104, 2161, 2199
12.	बर्मन, श्री हितेन	2083, 2098, 2277
13.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	2095
14.	भगोरा, श्री महावीर	2050, 2147, 2212
15.	भक्त, श्री मनोरंजन	2160, 2213
16.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	2104, 2189
17.	बरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	2052, 2243
18.	बोस, श्री सुव्रत	2054
19.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	2128
20.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	2159
21.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	2085, 2258

1	2	3
22.	चारेनामै, श्री मणि	2111
23.	चिन्ता मोहन, डा.	2087, 2172, 2221
24.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	2073, 2181
25.	चौधरी, श्री पंकज	2104
26.	चौधरी, श्री अधीर	2081, 2110
27.	देवरा, श्री मिलिन्द	2063, 2104, 2156, 2222, 2266
28.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	2108, 2164, 2184, 2223, 2226
29.	धनराजू, डा. के.	2233
30.	धोत्रे, श्री संजय	2064, 2257
31.	दूबे, श्री चन्द्र शेखर	2129
32.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	2158, 2223, 2240, 2263
33.	गढ़वी, श्री पी.एस.	2064
34.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	2074, 2088, 2104, 2142, 2173
35.	गंगवार, श्री संतोष	2167, 2234
36.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	2074
37.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	2111
38.	गुप्त, श्री श्यामा चरण	2080
39.	हसन, चौधरी मुनव्वर	2079, 2146, 2167, 2219
40.	हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान	2242
41.	हुसैन, श्री अनवर	2137, 2200, 2236, 2266

1	2	3
42.	जगन्नाथ, डा. एम.	2165
43.	जय प्रकाश, श्री	2056, 2164, 2254
44.	जयाप्रदा, श्रीमती	2104
45.	झा, श्री रघुनाथ	2131, 2193, 2231
46.	जिन्दल, श्री नवीन	2060, 2178
47.	जोगी, श्री अजीत	2071, 2081
48.	करुणाकरन, श्री पी.	2245
49.	कथीरिया, डा. वल्लभभाई	2076, 2162
50.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2098, 2130, 2149, 2210
51.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	2141
52.	खन्ना, श्री अविनाश राय	2247
53.	खारवेनथन, श्री एस.के.	2067, 2073, 2104, 2155, 2158
54.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2139, 2169
55.	कृष्ण, श्री विजय	2077, 2081, 2180
56.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	2113
57.	कुप्पुसामी, श्री सी.	2068, 2139
58.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	2087, 2172, 2221
59.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	2143, 2206, 2241
60.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	2059, 2113, 2153, 2207, 2275
61.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	2053

1	2	3
62.	महतो, श्री नरहरि	2138
63.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	2113
64.	महताब, श्री भर्तृहरि	2073, 2194
65.	महतो, श्री टेक लाल	2123
66.	माझी, श्री परसुराम	2130
67.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	2201
68.	मंडल, श्री सनत कुमार	2139, 2157, 2250, 2260
69.	माने, श्रीमती निवेदिता	2074, 2088, 2104, 2142, 2173
70.	मनोज, डा. के.एस.	2136, 2258
71.	मसूद, श्री रशीद	2104, 2161, 2180
72.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	2072, 2262
73.	मेघवाल, श्री कैलाश	2073, 2090, 2158, 2174, 2222
74.	मेहता, श्री आलोक कुमार	2233
75.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	2070, 2186, 2228
76.	मैन्या, डा. टोकचोम	2093, 2176
77.	मिश्रा, डा. राजेश	2064
78.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	2251
79.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	2116, 2279
80.	मो. ताहिर, श्री	2098, 2105, 2133, 2164, 2181
81.	मंडल, श्री अबु अयीश	2075, 2097
82.	मुर्मू, श्री हेमलाल	2073, 2102, 2107, 2183
83.	मुर्मू, श्री रूपचंद	2094
84.	नन्दी, श्री अमिताभ	2091
85.	निखिल कुमार, श्री	2110
86.	नायक, श्री अनन्त	2111, 2113, 2132
87.	नायक, श्रीमती अर्चना	2244
88.	ओराम, श्री जुएल	2168, 2218, 2225, 2278
89.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	2104, 2163, 2215, 2222
90.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	2058, 2073, 2151, 2209, 2276
91.	पाण्डा, श्री प्रबोध	2115, 2263
92.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	2099, 2125
93.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2252
94.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	2096 2259
95.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	2103, 2128, 2179, 2232, 2255
96.	पटैरिया, श्रीमती नीता	2069
97.	पाठक, श्री ब्रजेश	2086, 2098, 2105, 2164, 2181
98.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	2973, 2145, 2265
99.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	2085, 2098, 2133, 2195, 2232, 2272
100.	पिंगले, श्री देविदास	2105, 2181, 2230

1	2	3
101.	पुन्नुस्वामी, श्री ई.	2098, 2199
102.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	2073, 2104, 2199, 2235
103.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	2148
104.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	2249
105.	राई, श्री नकुल दास	2060, 2062
106.	राजगोपाल, श्री एल.	2127, 2205, 2239, 2262
107.	राजेन्द्रन, श्री पी.	2082
108.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2112, 2113, 2204, 2268, 2277
109.	राणा, श्री काशीराम	2106, 2124, 2182
110.	राव, श्री के.एस.	2119, 2196, 2271
111.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2161, 2267
112.	राठौड़, हरिभाऊ	2078
113.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	2126, 2264
114.	रावले, श्री मोहन	2217
115.	रावत, श्री रासा सिंह	2223, 2253
116.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	2055, 2146, 2189, 2224
117.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	2114
118.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	2121, 2202, 2220, 2273
119.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	2084, 2171, 2220
120.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2189
121.	साई प्रताप, श्री ए.	2113
122.	सज्जन कुमार, श्री	2159
123.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	2061, 2073, 2104, 2157, 2211
124.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	2135
125.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	2220
126.	सत्पथी, श्री तथागत	2176
127.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	2075, 2139, 2201, 2237, 2255
128.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	2150
129.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	2248
130.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	2102
131.	शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम	2109, 2261
132.	शिवाजीराव, अधलराव पाटील	2072, 2082, 2134, 2185, 2197
133.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2086, 2098, 2120, 2194, 2272
134.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	2148, 2256, 2263
135.	सिंह, श्री गणेश	2073, 2104
136.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	2074, 2088, 2173, 3269, 2277
137.	सिंह, श्री मोहन	2073, 2233, 2266
138.	सिंह, श्री राकेश	2214
139.	सिंह, श्री रेवती रमन	2089, 2191

1	2	3
140.	सिंह, श्री सुग्रीव	2103, 2128, 2144, 2179, 2232
141.	सिंह, श्री उदय	2081, 2170, 2189
142.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	2139, 2152
143.	सुगावनम, श्री ई.जी.	2082, 2091, 2104
144.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	2082
145.	सुमन, श्री रामजीलाल	2172
146.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	2161, 2246
147.	थामस, श्री पी.सी.	2102, 2162, 2203
148.	तुम्मर, श्री वी.के.	2096, 2165, 2203
149.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	2099
150.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2100, 2130, 2177, 2201, 2225

1	2	3
151.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	2104, 2140, 2171, 2190, 2238
152	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	2106, 2182
153.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2082, 2212, 2222, 2225
154.	विजयशंकर, श्री सी.एच.	2117
155.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	2165
156.	यादव, श्री बालेश्वर	2073, 2082, 2161, 2255, 2274
157.	यादव, श्री गिरिधारी	2093
158.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	2086, 2191, 2230
159.	यादव, श्री मित्रसेन	2118, 2188, 2270
160.	यादव, श्री राम कृपाल	2057, 2187, 2217, 2229
161.	यास्खी, श्री मधु गौड	2104, 2122, 2190
162.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	2092, 2198, 2233

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	
कोयला	:	224, 239
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	223, 226, 228, 238
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
विदेश	:	225, 227, 230
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	222, 229, 232, 235, 237, 240
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
पंचायती राज	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	
योजना	:	
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	233, 234, 236
अंतरिक्ष	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	221
युवक कार्यक्रम और खेल	:	231

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	2050, 2056, 2099, 2114, 2156, 2166, 2194
कोयला	:	2057, 2061, 2065, 2086, 2097, 2123, 2129, 2172, 2212, 2218, 2228, 2279
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	2058, 2062, 2064, 2071, 2098, 2107, 2120, 2128, 2133, 2144, 2153, 2158, 2163, 2164, 2171, 2175, 2178, 2179, 2186, 2187, 2189, 2192, 2196, 2197, 2214, 2225, 2230, 2232
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	2052, 2152, 2236, 2245, 2263, 2267, 2270
विदेश	:	2070, 2089, 2096, 2137, 2139, 2155, 2161, 2165, 2169, 2198, 2201, 2205, 2216, 2223, 2227, 2233, 2237, 2238, 2240

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	2051, 2055, 2059, 2060, 2072, 2077, 2078, 2081, 2082, 2083, 2088, 2091, 2092, 2101, 2102, 2103, 2105, 2106, 2110, 2111, 2112, 2113, 2119, 2124, 2125, 2126, 2130, 2132, 2135, 2141, 2143, 2146, 2147, 2148, 2149, 2154, 2157, 2168, 2170, 2173, 2180, 2181, 2183, 2185, 2190, 2200, 2203, 2206, 2208, 2211, 2219, 2220, 22222, 2224, 2234, 2241
प्रवासी भारतीय कार्य	:	2104, 2159, 2249, 2252, 2260, 2262
पंचायती राज	:	2138, 2195, 2213
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	2054, 2094, 2140, 2199
योजना	:	2053, 2073, 2074, 2075, 2087, 2100, 2109, 2118, 2121, 2188, 2217, 2221
पौत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	2066, 2067, 2076, 2080, 2085, 2090, 2095, 2115, 2127, 2134, 2136, 2142, 2151, 2160, 2162, 2167, 2174, 2184, 2189, 2191, 2202, 2207, 2209, 2210, 2215, 2226, 2243, 2246, 2251, 2256, 2258, 2259, 2261, 2264, 2265, 2271, 2272, 2275, 2277
अंतरिक्ष	:	2229, 2239, 2255, 2269, 2276
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	2079, 2150, 2176, 2182, 2235
युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	:	2063, 2068, 2069, 2084, 2093, 2117, 2122, 2131, 2145, 2177, 2193, 2231

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मै. श्री एन्टरप्राइजेज, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।